...the name you can BANK upon!
Share Department, Board & Coordination Division, HO Plot No.4 Sector 10, Dwarka, New Delhi-110075 Tel No. : 011-28044857, E-mail: hosd@pnb.co.in

Scrip Code : PNB	**Scrip Code : 532461**
National Stock Exchange of India Limited "Exchange Plaza" Bandra – Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai – 400 051	BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai – 400 001

Date: 09.06.2023

Dear Sir(s),

Reg: Annual Report of the Bank for the year 2022-23

Pursuant to Regulation 34 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed the *coloured version* of the Annual Report of the Bank for the year 2022-23.

The copy of Annual Report is also available on Bank's website at www.pnbindia.in.

The above is for your information and record please.

Thanking you

Yours faithfully,

EKTA PASRICHA

Digitally signed by EKTA PASRICHA
DN: cn=EKTA PASRICHA, c=IN, st=Delhi, o=Personal, title=5725, serialNumber=BEE4AE6E829EEEE60E0B52E2EF065410CCB94EC654442F55DAEC24909CCAF6C9
Date: 2023.06.09 19:49:18 +05'30'

(Ekta Pasricha)
Company Secretary

पंजाब नैशनल बैंक P.N.B. शेयर विभाग बोर्ड व समन्वय प्रभाग Board & Coord. Division Share Department H.O. New Delhi-110075 प्र. का., नई दिल्ली-110075

Encl.: A/a

डिजिटल रूप से भारत की
वित्तीय सफलता की संरचना

Digitally Structuring
Financial Growth of India

वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2022-23

भारत की माननीय राष्ट्रपति, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 20.12.2022 को केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारमण की उपस्थिति में राष्ट्रपति संपदा, नई दिल्ली में पीएनबी की पुनर्निर्मित शाखा का उद्घाटन किया।

Hon'ble President of India, Smt. Droupadi Murmu inaugurated PNB's revamped branch at President's Estate, New Delhi, in the august presence of Union Minister of Finance and Corporate Affairs, Smt. Nirmala Sitharaman on 20.12.2022

श्री अतुल कुमार गोयल – एमडी और सीईओ 30.06.2022 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में माननीय प्रधान मंत्री से राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार–2022 प्राप्त करते हुए

Shri Atul Kumar Goel - MD & CEO receiving National MSME Award-2022 from Honourable Prime Minister at Vigyan Bhavan, New Delhi on 30.06.2022

अध्यक्ष का संदेश
CHAIRMAN MESSAGE

प्रिय शेयरधारकों,

वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए बैंक की प्रगति और प्रदर्शन को आपके सामने प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। वार्षिक रिपोर्ट हमारी प्रगति, प्राप्त लक्ष्य और पिछले वित्तीय वर्ष में अपनी नीतियों, प्रक्रियाओं और नियंत्रणों को सशक्त बनाने के लिए जो ठोस कदम उठाए गए हैं, उनका प्रतिबिम्ब है।

सर्वप्रथम, मैं सभी हितधारकों को बैंक में उनके निरंतर सहयोग एवं विश्वास के लिए हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। 128 से अधिक वर्षों की यात्रा में बैंक, विश्वास एवं विवेकपूर्ण बैंकिंग के साथ निरन्तर राष्ट्र की सेवा कर रहा है। बैंक ने अर्थव्यवस्था में वृद्धि के साथ–साथ अपना व्यवसाय बढ़ाना जारी रखा है। बैंक देश के कोने–कोने में और समाज के विभिन्न वर्गों को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है ताकि वित्तीय समावेशन के उद्देश्य को पूरा किया जा सके। इस यात्रा के दौरान, बैंक अपने ग्राहकों को सुविधा एवं उत्कृष्ट बैंकिंग अनुभव प्रदान करने के लिए खुद को एक डिजिटल बैंक में रूपान्तरित कर रहा है। बैंक की यह अभूतपूर्व यात्रा बैंक के प्रत्येक कर्मचारी द्वारा की गई कड़ी मेहनत और प्रयासों के कारण संभव हो पाई है और इसके लिए मैं कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं।

समष्टि अर्थिक परिदृश्य

वित्तीय वर्ष 2022–23 कोविड–19 के कम होने एवं आर्थिक गतिविधियों के पूर्ण रूप से पुनः बहाल होने के

Dear Shareholders,

It is my pleasure to present before you the progress and performance of the Bank for the FY 2022-23. The annual report is a reflection of the progress that we have made, the goals achieved and the concrete actions we took towards strengthening our policies, processes and controls in the last fiscal year.

At the outset, I would like to extend my warm greetings to all the Stakeholders for their continued support and trust in the Bank. The Bank, with a journey of more than 128 years, continues to serve the nation with trust and prudent banking. The Bank continued to grow its business in conjunction with the growth in the economy. The Bank is providing its services in every nook and corner of the nation and to different strata of the society so as to serve the purpose of financial inclusion. The Bank is transforming itself into a digital bank to provide convenience and a superior banking experience to its customers. This phenomenal journey of the Bank has been made possible due to the hard work and efforts put in by each and every employee of the bank and I extend my gratitude to the staff.

Macroeconomic Scenario

The FY 2022-23 has been the year of recovery since COVID-19 subsided and economic activities

बाद से जोरदार सुधार का वर्ष रहा है। पिछले वर्षों में जैसे ही अर्थव्यवस्थाओं ने महामारी से उत्पन्न चुनौतियों से उबरना आरम्भ किया, उन्हें रूस यूक्रेन युद्ध के कारण नई वैश्विक अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ा। नतीजतन, विश्व स्तर पर बाधित आपूर्ति श्रृंखलाओं के कारण अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ती मुद्रास्फीति की प्रवृत्तिया उभरी, जिसके परिणामस्वरूप सम्पूर्ण विश्व में ब्याज दर में वृद्धि हुई। विश्व भर में केंद्रीय बैंकों ने उच्च मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने के लिए समकालिक नीतिगत दरों में वृद्धि की। मई 2022 के बाद से, अमेरिका ने नीतिगत दरों में 450 बीपीएस की वृद्धि की है, जबकि यूके और यूरोपीय यूनियन ने दरों में 300 बीपीएस की वृद्धि की है। आरबीआई ने भी इसी अवधि के दौरान नीतिगत दरों में 250 बीपीएस की वृद्धि की है।

चुनौतीपूर्ण विश्व आर्थिक व्यवस्था के बावजूद, भारतीय अर्थव्यवस्था लचीली और बढ़ती रही। केंद्र सरकार के एनएसओ कार्यालय द्वारा जारी जीडीपी डेटा के अनुसार, वित्त वर्ष 2022–23 के लिए भारत की विकास दर 7.2 प्रतिशत थी, जो अपेक्षा से अधिक थी, यह दर्शाता है कि भारत महामारी से, आशा से अधिक सुदृढ़ होकर उभरा है। भारत में, वित्त वर्ष 2022–23 में आर्थिक गतिविधि उत्साहजनक बनी रही, जैसा कि जीएसटी संग्रहण में परिलक्षित होता है, जो 22 प्रतिशत से अधिक वर्ष–दर–वर्ष वृद्धि के साथ 18 लाख करोड़ रुपये के सकल राजस्व को पार कर गया। आर्थिक गतिविधि में सतत विकास के साथ, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए समग्र परिदृश्य अनुकूल बना हुआ है, क्योंकि निवेश में सुधार से और अर्थव्यवस्था के निरंतर विकास पथ पर रहने की संभावना है। आईएमएफ के अनुमानों के अनुसार वित्त वर्ष 2023–24 में भारत में आर्थिक विकास की दर 6.3 प्रतिशत रहने की सम्भावना है। मुद्रास्फीति के भी मौजूदा स्तर के मुकाबले सीमित और नरम बने रहने की उम्मीद है। हालांकि, विकास के लिए गिरावट जोखिम और मुद्रास्फीति के बढ़ने का जोखिम हैं, जो आंशिक रूप से बाह्य क्षेत्र के माध्यम से एवं कुछ मौसम की अनिश्चितताओं से उत्पन्न हुआ है। भारत की ताकत उसकी घरेलू मांग होगी।

बैंकिंग परिदृश्य

जैसा कि वैश्विक अनिश्चितताएं बनी हुई है, भारतीय

resumed with full vigor. As the economies started to overcome the challenges posed by the pandemic in the preceding years, they faced new global uncertainties due to Russia Ukraine war. Consequently, disrupted supply chains globally led to increasing inflationary tendencies in economies resulting in rising interest rate scenarios across the globe. Central Banks around the world responded with synchronized policy rate hikes to curb high inflation. Since May 2022, the US has hiked policy rates by 450 bps, while the UK and the EU have increased rates by 300 bps. RBI also raised the policy rates by 250 bps during the same period.

Despite the challenging world economic order, Indian economy remained resilient and growing. As per released GDP data by Central government's NSO office, the growth of India at 7.2 per cent for FY 2022-23 was higher than expected, indicating that India emerged stronger from the pandemic than anticipated. In India, Economic activity remained buoyant in FY 2022-23, as reflected in GST collections that surpassed Rs.18 lakh crore gross revenue with over 22 per cent y-o-y growth. With the sustainable growth in activity, the overall outlook for the Indian economy remains favourable, as investments are likely to see a turnaround and put the economy on a sustainable growth path. India is anticipated to grow at a pace of 6.3 per cent FY 2023-24 as per IMF projections. Inflation is also expected to remain range bound and mild against the current level. However, there are downside risks to growth and upside risks to inflation, partly channeled through the external sector and partly originating from weather uncertainties. India's strength will be its domestic demand.

Banking Scenario

As the global uncertainties loomed, the Indian

बैंकिंग प्रणाली सशक्त पूंजी और चलनिधि की स्थिति के साथ लचीली और दबाव सहने में सक्षम और स्थिर बनी हुई है। वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान बैंकिंग उद्योग उत्साहित रहा, जिसमें ऋण में वृद्धि 15.0 प्रतिशत थी और आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार जमा में भी तेजी आई और 9.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। आस्ति गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ और बैंकिंग क्षेत्र में सकल एनपीए मार्च 2019 के 15.5 प्रतिशत से घटकर दिसंबर 2022 को समाप्त तिमाही में 5.8 प्रतिशत हो गया। नतीजतन, कई बैंकों ने वित्त वर्ष 2022–23 में रिकॉर्ड स्तर का मुनाफा दर्ज किया।

वैश्विक स्तर पर, बैंकिंग प्रणाली मुख्य रूप से आस्ति गुणवत्ता के स्थान पर चलनिधि के मुद्दों के कारण चुनौतियों का सामना कर रही है। इसके अलावा, पोर्टफोलियो अवधि और विभिन्न श्रेणियों के तहत ऋण/जमाओं के संकेंद्रीकरण ने भी समस्याएं पैदा की हैं। हालांकि, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा निर्धारित सक्रिय पर्यवेक्षण और उच्च अभिशासन मानकों के कारण भारतीय बैंकिंग प्रणाली अपेक्षाकृत लचीली बनी हुई है।

सरकार के प्रयासों और अर्थव्यवस्था के तेजी से डिजिटलीकरण और औपचारिकरण के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था संरचनात्मक रूप से बदल रही है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 14 क्षेत्रों के लिए सरकार की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना द्वारा अगले पांच वर्षों में लगभग 3 लाख करोड़ रुपये का कैपेक्स आकर्षित करने की उम्मीद है और इससे भारत में 60 लाख से अधिक रोजगार पैदा करने की क्षमता है। इसके अलावा, निवेश और रोजगार सृजन के पुण्य चक्र को तेज करने के लिए 2023–24 के बजट में सरकार के पूंजीगत व्यय परिव्यय को 37.4 प्रतिशत को बहुत ज्यादा बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये कर दिया है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में डिजिटल बैंकिंग पर विशेष जोर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) के आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2022–23 में यूपीआई नेटवर्क के माध्यम से भुगतान लेनदेन में 82.2 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 8,376 करोड़ का लेनदेन हुआ, जो कुल मिलाकर 139 लाख करोड़ रुपये था।

बैंकिंग क्षेत्र ने राष्ट्र निर्माण की दिशा में योगदान देना

banking system remained resilient and stable with strong capital and liquidity positions. The Banking industry remained upbeat through FY 2022-23, wherein growth in Credit was at 15.0 per cent and deposits also picked up the pace and grew at 9.6 per cent as per RBI's Annual Report. The Asset Quality improved substantially and Gross NPA in the banking sector was at 5.8 per cent in the quarter ending December 2022 from 15.5 per cent March 2019. Consequently, many banks registered record level profits in FY 2022-23.

Globally, the banking system has been facing challenges primarily due to liquidity issues rather than asset quality. In addition, the portfolio duration and concentration of loans/deposits under various categories have also caused problems. However, the Indian banking system has remained relatively resilient thanks to active supervision and higher governance standards set by the Reserve Bank of India (RBI).

The Indian economy is transforming structurally due to government's efforts and rapid digitization and formalization of the economy. Government's Production Linked Incentive (PLI) scheme for 14 sectors with an outlay of Rs.1.97 lakh crore is expected to attract a capex of approximately Rs.3 lakh crore over the next five years and has the potential to generate employment for over 60 lakh in India as per Economic Survey of 2023. Also, to ramp the virtuous cycle of Investment and job creation the budget of 2023-24 steeply increased the government's capital expenditure outlay by 37.4 per cent to whooping Rs.10 lakh crore. The digital banking received a major thrust in FY 2022-23. Payments transactions via the UPI network surged 82.2 per cent in FY 2022-23 to a total of 8,376 Crore transactions aggregating Rs.139 Lakh Crore, according to data by the National Payments Corporation of India (NPCI).

The Banking sector continued to contribute towards nation-building and to make significant

जारी रखा और समाज के बैंक रहित और वंचित वर्गों को बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करके वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए। भारत में बैंकिंग क्षेत्रों, सरकार के रियायती संस्थागत ऋण और उच्च कृषि ऋण लक्ष्य द्वारा समर्थित, कृषि और संबद्ध गतिविधियों को ऋण प्रदान करना जारी रखा। एमएसएमई को बढ़े हुए ऋण प्रवाह में वृद्धि से औद्योगिक ऋण वृद्धि में उल्लेखनीय सुधार हुआ, जिसे आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के प्रभावी कार्यान्वयन और सरकार की उत्पादन–लिंक्ड प्रोत्साहन योजना द्वारा प्रदान की गई सहायता और क्षमता उपयोग में सुधार से समर्थन मिला। सेवाओं में ऋण वृद्धि एनबीएफसी, वाणिज्यिक अचल संपत्ति और व्यापार क्षेत्रों को ऋण में सुधार से प्रेरित थी।

बैंक का प्रदर्शन

बैंक की 128+ वर्षों की यात्रा घटनापूर्ण और चुनौतीपूर्ण रही है, लेकिन अपने मजबूत संस्थापक मूल्यों के साथ, बैंक कठिन समय को पार कर सका और सकुशल निकल आया। 20,000 रुपये की शुद्ध स्वदेशी पूंजी से अपनी यात्रा शुरू करते हुए, बैंक का व्यवसाय 31 मार्च 2023 तक 12.81 लाख करोड़ रुपये के वैश्विक जमा और 8.85 लाख करोड़ रुपये के सकल अग्रिम के साथ 21.66 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया। पिछले वित्त वर्ष में बैंक ने जमा राशि में 11.77 प्रतिशत और अग्रिम में 12.68 प्रतिशत की दो अंकों की वृद्धि दर्ज की। पूरी यात्रा में, बैंक वित्तीय सेवाएं प्रदान करने से लेकर ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने, उन्हें बैंक के साथ सभी परस्पर संवाद में एक उत्कृष्ट अनुभव प्रदान करने हेतु हमेशा ग्राहकों को पहले रखने के लिए प्रतिबद्ध रहा है। बैंक अपने ग्राहक को बेहतर और अधिक सुविधाजनक सेवा प्रदान करने के लिए पूर्व अनुमोदित व्यक्तिगत ऋण, ई–एकबारगी समझौता, सावधि जमा के एवज में ई– ओवरड्राफ्ट, ई–मुद्रा जैसे डिजिटल परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है।

बैंक के मुख्य खुदरा कारोबार में 15.21 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। मुख्य खुदरा में से गृह ऋण, वाहन ऋण

efforts to promote financial inclusion by extending banking services to the unbanked and underprivileged sections of society. The Banking sector in India, supported by Government's concessional institutional Credit and higher agricultural credit target, continued to provide Credit to agriculture and allied activities. There was a marked improvement in Industrial credit growth duly assisted by the uptick in the enhanced credit flow to MSMEs which was favoured by the effective implementation of the Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS) and the support provided by the Government's production-linked incentive scheme and improvement in capacity utilization. Credit growth in services was driven by a recovery in Credit to NBFCs, commercial real estate and trade sectors.

Performance of the Bank

The Bank's 128+ years journey has been eventful and challenging, but with its strong founding values, the Bank could overcome difficult times and come out unscathed. Beginning its journey from the pure Swadeshi Capital of Rs. 20,000/-, the Bank's Business grew to more than Rs. 21.66 Lakh Crore with Global Deposits at Rs. 12.81 Lakh Crore and Gross Advances at Rs. 8.85 Lakh Crore as on 31st March 2023. Last fiscal the Bank recorded double-digit growth in both deposit at 11.77 per cent and advances at 12.68 per cent. In the entire journey, the Bank has always been committed in putting the customers first, from delivering financial services that meet their needs to giving them an excellent experience in all their interactions with the Bank. The Bank is undergoing digital transformation like Pre-approved Personal Loan, e-One Time Settlement, e-Overdraf against Fixed Deposit, e-Mudra to serve it customer better and more conveniently.

The Core Retail Business of the Bank showed a growth of 15.21 per cent. Out of Core Retail, Home Loans, Vehicle Loans, and Personal Loans

और व्यक्तिगत ऋण में वर्ष दर वर्ष आधार पर क्रमशः 10.92 प्रतिशत, 30.62 प्रतिशत और 48.87 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। कृषि ऋण खंड में 14.34 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। खुदरा, कृषि और एमएसएमई (रैम) हमारा फोकस क्षेत्र बना रहा और कुल अग्रिमों में रैम हिस्सेदारी वर्ष–दर–वर्ष आधार पर 408 आधार अंक बढ़कर 31 मार्च 2023 तक 55.31 प्रतिशत हो गई।

31 मार्च 2023 को टीयर–I पूंजी 12.69 प्रतिशत की वृद्धि के साथ बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात सुधर कर 15.50 प्रतिशत हो गया, जो एक वर्ष पूर्व क्रमशः 11.73 प्रतिशत और 14.50 प्रतिशत था। कम जोखिम प्रोफाइल के साथ बेहतर–रेट वाले उधारकर्ताओं को लक्षित करके बैंक का ध्यान सतत कारोबार विकास पर था।

बैंक द्वारा लगातार प्रयासों और विभिन्न उपायों को अपनाने के साथ आस्ति गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ है। 31 मार्च, 2023 तक बैंक का सकल एनपीए 16.36 प्रतिशत घटकर 77,328 करोड़ रुपये रह गया, जबकि निवल एनपीए 35.30 प्रतिशत घटकर 22585 करोड़ रुपये रह गया। बैंक का प्रावधान कवरेज अनुपात सुधरकर 86.90 प्रतिशत हो गया। बैंक काफी हद तक स्लीपेज को रोक पाया जो स्लीपेज अनुपात में हुई गिरावट में परिलक्षित होता है जो वित्त वर्ष 2021–22 के चौथे तिमाही के 6.47 प्रतिशत के उच्च स्तर से गिरकर वित्त वर्ष 2022–23 की चौथी तिमाही में 2.10 प्रतिशत तक हो गया। वित्त वर्ष 2022–23 के लिए परिचालन लाभ वित्त वर्ष 2021–22 के 20,761 करोड़ रुपये से 8.5 प्रतिशत बढ़कर वित्त वर्ष 2022–23 में 22,529 रुपये हो गया। वित्त वर्ष 2022–23 के लिए निवल लाभ 2,507 करोड़ रुपये था। वित्त वर्ष 2022–23 में वैश्विक एनआईएम वित्त वर्ष 2021–22 के 2.71 प्रतिशत से 35 बीपीएस बढ़कर 3.06 प्रतिशत हो गया

वित्त वर्ष 2022–23 में बैंक के शानदार प्रदर्शन के कारण निदेशक मंडल ने प्रति इक्विटी शेयर 0.65 के लाभांश की सिफारिश की है।

आपके बैंक की गतिविधियाँ–

वर्ष के दौरान, बैंक ने परिचालन को सुचारू बनाने, दक्षता बढ़ाने, लागत कम करने तथा बेहतर बैंकिंग अनुभव प्रदान

showed year-on-year increase of 10.92 per cent, 30.62 per cent and 48.87 per cent, respectively. The agricultural loan segment recorded a growth of 14.34 per cent. Retail, Agriculture and MSME (RAM) remained our focus area and the RAM share to total advances increased by 408 bps on year-on-year basis to 55.31 per cent as on 31st March 2023.

The Capital Adequacy ratio of the Bank improved to 15.50 per cent as on 31st March 2023 with Tier-I capital at 12.69 per cent up from 14.50 per cent and 11.73 per cent, respectively, a year ago. The focus of the Bank was on sustainable business growth by targeting better-rated borrowers with low risk profile.

Asset quality improved tremendously with the consistent efforts and adoption of various measures by the Bank. The Gross NPA of the Bank declined by 16.36 per cent to Rs. 77,328 Crore while Net NPA declined by 35.30 per cent to Rs. 22,585 Crore as on 31st March, 2023. The provision Coverage Ratio of the Bank improved to 86.90 per cent. The Bank could arrest slippages to a large extent which was reflected in the falling slippage ratio from as high as 6.47 per cent in Q4 FY 2021-22 to 2.10 per cent in Q4 FY 2022-23. The Operating Profit for FY 2022-23 improved by 8.5 per cent in FY 2022-23 to Rs 22,529 from Rs. 20,761 Crore in FY 2021-22. Net Profit for FY 2022-23 was at Rs 2,507 crore. The Global NIM in FY 2022-23 improved by 35 bps to 3.06 per cent from 2.71 per cent in FY 2021-22.

Due to the improved performance of the Bank in FY 2022-23, the Board of Directors has recommended a dividend of 0.65 per equity share.

Developments at your Bank

During the year, the Bank took up several initiatives to streamline operations, enhance efficiency, reduce cost and deliver a superior

करने हेतु कई पहलें की हैं। बैंक ने कारोबार विकास को बढ़ाने एवं कार्यनिष्पादन में सुधार के लिए व्यापक आद्योपान्त डिजिटल यात्राएं शुरू की। इस तरह की पहल में रिटेल, एमएसएमई एवं कृषि, देयताओं तथा वसूली की सुविधाएं शामिल हैं। पीएपीएल के अंतर्गत एंड–टू–एंड डिजिटल संवितरण वित्त वर्ष 2021–22 में 40 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2022–23 में 3000 करोड़ रुपये से अधिक हो गया। इसी तरह, डिजिटल रूप से सोर्स किए गए बचत खाते वित्त वर्ष 2021–22 के 24 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2022–23 में 81 प्रतिशत हो गए और डिजिटल कार्ड सक्रियण वित्त वर्ष 2021–22 के 55.5 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2022–23 में 76.1 प्रतिशत हो गया। इसके अतिरिक्त, व्यापक स्तर पर ग्राहकों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बैंक के पीएनबी वन ऐप को नया स्वरूप दिया है। इसके परिणाम स्वरूप, ऐप को अपनाने, दैनिक सक्रियण, दैनिक लॉगिन तथा दैनिक लेनदेन के मामले में तेज वृद्धि देखी गई। इतना ही नहीं, मार्च, 2023 में डिजिटल लेनदेन में बैंक की हिस्सेदारी 79 प्रतिशत से बढ़कर 92 प्रतिशत हो गई, जो हमारे बैंक में डिजिटलीकरण की गति को दर्शाता है।

डिजिटल बैंकिंग उत्पाद तथा सेवाएं, अब दोनों कार्यक्षेत्रों, भुगतान और ऋणदात्री के रूप में समृद्ध हो रही हैं। एक ओर, हम अंगीकार करने के लिए उदार हैं, दूसरी ओर, बढ़ती वृद्धि के साथ, विभिन्न प्रणालियों में कमी और प्रौद्योगिकी जोखिम सामने आता है। बैंक निरंतर साइबर सुरक्षा उपायों को बढ़ा रहा है और आईटी एवं डिजिटल अवसंरचना को सशक्त कर रहा है ताकि एक चुस्त जोखिम बैकएंड प्रोफाइल स्थापित किया जा सके, जो इन स्थितियों को पुन: संयोजित कर नियंत्रित रख सके।

बैंक मानव संसाधनों को प्राथमिकता देता है तथा संस्था को आगे ले जाने में उनके द्वारा निभाई गई भूमिका एवं पिछले वित्त वर्ष के दौरान बैंक के उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन में उनके योगदान को स्वीकार करता है। अपने लोगों की उत्पादकता एवं कार्यकुशलता को और बढ़ाने के लिए, बैंक कर्मचारियों के कल्याण तथा विकास को कारोबारी लक्ष्यों के साथ जोड़ने के लिए कई कदम उठा रहा है।

banking experience. The Bank launched comprehensive end-to-end digital journeys for driving business growth and improving performance. Such initiatives include journeys for Retail, MSME and Agriculture, Liabilities and Recovery. The end-to-end digital disbursement under PAPL reached more than Rs 3000 cr in FY 2022-23 from Rs 40 cr in FY 2021-22. Similarly, the digitally sourced saving account increased to 81 per cent in FY 2022-23 from 24 per cent in FY 2021-22 and digital card activated increased to 76.1 per cent in FY 2022-23 from 55.5 per cent in FY 2021-22. In addition, PNB ONE app of the Bank was revamped to meet the aspirations of the customers in a big way. As a result, the app saw strong growth in terms of adoption daily activation, daily login and daily transactions. Not only this, the Bank's share of digital transactions increased from 79 per cent to 92 per cent in March 2023, which indicates the faster pace of digital adoption at the Bank.

Digital banking products and services are now flourishing both in payment and lending domain. On one hand, we see openness to adoption, on the other hand, with increasing growth, increase in various systems and technology risk comes into play. The Bank is continuously augmenting cyber security measures and bolstering IT and Digital infrastructure to set up an agile risk backend profiles that recalibrate and tide over these situations.

The Bank places high value on human resources and acknowledges the role played by them in taking the institution forward and their contribution towards the outstanding performance of the Bank during last fiscal. To further enhance, the productivity and efficiency of its people, the Bank has been taking up various steps to align the business goals with that of employees' welfare and growth.

सेवा प्रदान करने से संबद्ध किसी भी संगठन के लिए मानव संसाधन सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति है और इसलिए यह आवश्यक है कि संगठन के समग्र विकास के लिए मानवीय संपत्ति की दक्षता बढ़ाने हेतु संगठन कौशल विकास एवं पुनः प्रवीण बनाने के लिए कदम उठाए। बैंक इसे अत्यधिक महत्व देता है और समय–समय पर भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों के निर्वहन हेतु मानव संसाधनों को हुनरमंद बनाने के लिए विभिन्न पहल करता है। इस दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए, बैंक में एक व्यापक मानव संसाधन कायांतरण प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसमें प्रणाली संचालित आंकड़े तथा उपकरणों के माध्यम से विभिन्न प्रणालियों और प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करते हुए स्टाफ की उत्पादकता में वृद्धि पर ध्यान केन्द्रित किया गया है।

Human resource is the most important asset for any organization involved in providing service and therefore it is essential that organization undertakes steps for upskilling and reskilling to increase efficiency of human assets for overall growth of the organization. Bank assigns high importance to the same and taken up various initiatives from time to time to groom the human resources for taking up roles and responsibilities. Taking a step further in this direction, a comprehensive HR Transformation process has been initiated in the Bank with the focus on improving employee productivity, strengthening various systems and procedures through system driven data & tools.

नए उत्पादों एवं सेवाओं को अपनाते समय, बैंक यह सुनिश्चित करता है कि सभी दिशानिर्देशों तथा नैतिकता का विधिवत पालन किया जाए। बैंक उपभोक्ताओं की सुरक्षा के उद्देश्य से बनाए गए नियमों का भी पालन करता है, जैसे उत्पादों एवं सेवाओं के बारे में स्पष्ट और पारदर्शी जानकारी प्रदान करना, ग्राहकों की शिकायतों का निपटान और निष्पक्ष तथा नैतिक व्यवहारों को सुनिश्चित करना। ग्राहक सेवा पर नियामक संस्था द्वारा जारी दिशा–निर्देशों को ध्यान में रखते हुए बैंक ने एक सशक्त शिकायत निवारण नीति तैयार की है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय सेवाओं की पहुँच आखिरी पायदान तक हो, बैंक के पास 24000 से अधिक व्यवसाय प्रतिनिधियों का एक नेटवर्क है, जो बैंक के वित्तीय समावेशन कार्यनीति को मजबूती से थामे हुए हैं।

While adopting newer products and services, the Bank ensures that all the guidelines and ethics are duly adhered to. The Bank also complies with regulations aimed at protecting consumers, such as providing clear and transparent information about products and services, handling customer complaints, and ensuring fair and ethical practices. The Bank has formulated a robust Grievance Redressal Policy keeping in view the guidelines issued by the Regulator on Customer Service. To ensure that financial services reaches the last mile the Bank has a network of over 24000 Business Correspondents who have been the vital clog for the financial inclusion strategy for the Bank.

बैंक ने पर्यावरणीय, सामाजिक और अभिशासन (ईएसजी) संस्कृति स्थापित करने में अनवरत प्रगति की है। बैंक ऋण देने में पर्यावरणीय तथा सामाजिक जोखिमों का संज्ञान लेता है और नवीकरणीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा एवं हरित वित्तपोषण हेतु अग्रिमों की दिशा में अग्रसर है। बैंक ने विभिन्न नवाचारों वाली योजनाओं तथा विभिन्न कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधियों और ग्रामीण प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से वंचित वर्गों की सहायता करना जारी रखा है। बैंक कॉरपोरेट अभिशासन,

The Bank has made a steady progress in establishing an Environmental, Social and Governance (ESG) culture. The Bank take cognizance of environmental and social risks in lending and advances are directed towards renewable energy, solar power and Green financing. The Bank continues to support the marginalized sections through various Government initiatives schemes and various Corporate Social Responsibility (CSR) activities and rural training centers. The Bank is committed

समर्थ कॉर्पोरेट कार्यनीति एवं प्रकटीकरण तथा पारदर्शिता के उच्च मानकों की सर्वोत्तम प्रथाओं को अंगीकार करने हेतु प्रतिबद्ध है।

to adopting the best practices of Corporate Governance, sound corporate strategy and high standards of disclosures and transparency.

हमें यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए बैंक को सर्वोच्च "राजभाषा कीर्ति" के तहत द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बैंक को सर्वश्रेष्ठ एमएसएमई फ्रेंडली बैंक, सरकार की योजनाओं को लागू करने वाले बैंक, कोविड से संबंधित योजना को लागू करने के लिए चेम्बर ऑफ इंडियन माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज (सीआईएमएसएमई) द्वारा एमएसएमई बैंकिंग उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से भी सम्मानित किया गया।

We are pleased to inform that the Bank was awarded 2nd Prize under the highest "Rajbhasha Kirti" for FY 2021-22. The Bank was also awarded with MSME Banking Excellence Award 2022 by Chamber of Indian Micro, Small and Medium Enterprises (CIMSME) for Best MSME Friendly Bank, Govt. Schemes implementing Bank, Implementing COVID related scheme Bank.

उपसंहार

अंत में, मैं इस यात्रा में अपने ग्राहकों से मिले निरंतर संरक्षण के लिए उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं अपने शेयरधारकों और अन्य सम्मानित हितधारकों को उनके अटूट समर्थन और हमारे बैंक में भरोसा जताने के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मैं निदेशक मंडल एवं हमारे समर्पित कर्मचारियों की कड़ी मेहनत तथा हमारे साझा विजन के प्रति प्रतिबद्धता के लिए भी उनकी अत्यंत सराहना करता हूं। मैं वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक को भी उनके सहयोग और मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देता हूं।

हमने साथ मिलकर महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं तथा उज्ज्वल भविष्य की सफलता के लिए एक ठोस नींव रखी है। हम अपने मिशन **"ग्राहकों एवं अन्य हितधारकों के मूल्य वृद्धि हेतु प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर गुणवत्तापूर्ण वित्तीय सेवाएं प्रदान करना, कर्मचारियों के लिए अवसर प्रदान करना और इस प्रकार, राष्ट्र के आर्थिक विकास में योगदान करना"** और अपने विजन **"ग्राहक–केंद्रित नवाचारों, कर्मचारियों को सशक्त बनाने और सभी हितधारकों के जीवन को समृद्ध बनाने के माध्यम से विश्व स्तर पर विश्वसनीय बैंकिंग भागीदार बनना" के लिए कृत संकल्प हैं।**

आपका,

के. जी. अनंतकृष्णन
गैर–कार्यपालक अध्यक्ष

Closing remarks

In conclusion, I would also like to acknowledge the continuous patronage we have received in this journey from our customers. I also extend heartfelt gratitude to our shareholders, and other esteemed stakeholders for their unwavering support and posing trust in our Bank. I also express my deep appreciation for the Board of Directors and our dedicated employees for their hard work and commitment to our shared vision. I also thank the Ministry of Finance and Reserve Bank of India for their support and guidance.

Together we have achieved significant milestones and built a solid foundation for future success. We remain steadfast in our mission ***"To offer quality financial services by leveraging technology to create value for customers and other stakeholders, opportunities for employees and thus, contributing to the economic growth of the nation"*** and our Vision of ***"To be a globally trusted banking partner through customer-centric innovations, empowering employees and enriching lives of all stakeholders".***

Yours Sincerely

K G Ananthakrishnan
Non-Executive Chairman

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का संदेश

Message from the Managing Director and Chief Executive Officer

प्रिय शेयरधारको,

वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए बैंक के वित्तीय कार्यनिष्पादन की मुख्य विशेषताओं को आपके समक्ष रखते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है। पिछले वर्ष आपके बैंक ने प्रमुख कार्यनिष्पादन संकेतकों पर अच्छी प्रगति की जो अनुकूल वाह्य कारकों से तथा लोगों, उत्पादों एवं प्रक्रियाओं में सुधार पर ध्यान केंद्रित करके परिचालन दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किए गए कार्यनीतिक रूपान्तरणों से प्रेरित है।

संपूर्ण बैंकिंग उद्योग ने वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान सुदृढ़ वित्तीय स्थिति दर्शाई है जो एक मजबूत नियामक ढांचे और अपनाई गई सर्वोत्तम विवेकपूर्ण पद्धतियों द्वारा समर्थित भारतीय वित्तीय प्रणाली के दबाव सहने के सामर्थ्य और गंभीरता को दर्शाता है। स्थिर एवं बेहतर बैलेंस शीट की स्थिति का लाभ उठाते हुए, बैंकिंग प्रणाली, आपका बैंक जिसका एक अभिन्न अंग है, वर्तमान वित्त वर्ष में और अधिक सुदृढ़ कार्यनिष्पादन करने के लिए पूर्णतया तैयार है।

बैंकिंग परिदृश्य भी डिजिटल क्रांति एवं तकनीकी नवाचारों द्वारा शुरू किए गए परिवर्तनों से गुजर रहा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म नए कारोबार अर्जन,संवर्धित ग्राहक सेवा प्रदान करने, वित्तीय चूकों को कम करने और जन–केंद्रित परिवर्तनों को शुरू करने हेतु एक प्रमुख प्रवर्तक के रूप में उभर रहा है। मुझे यह घोषणा करते हुए गर्व का अनुभव हो रहा है कि आपके बैंक ने पहले ही कई कारोबारी क्षेत्रों में डिजिटल सुविधाओं में निवेश करके इस दिशा में

Dear Shareholders,

I am delighted to place before you the highlights of the financial performance of the Bank for the FY 2022-23. The past year has witnessed impressive strides made by your Bank across key performance indicators driven by favourable external factors and the initiation of strategic transformations that were aimed at increasing operational efficiencies through focus on improving people, products and processes.

The banking industry, as a whole, posted healthy financials during FY 2022-23 that reflect the resilience and depth of the Indian financial system backed by a robust regulatory framework and adoption of prudent best practices. Leveraging on the stable and much-improved balance sheet position, the banking system, of which your Bank is an integral part, is well poised to deliver a more robust performance in the current fiscal.

The banking landscape is also undergoing a wave of transformations triggered by the digital revolution and technological innovations. The digital platform is emerging as a key enabler for fresh business acquisitions, rendering enhanced customer service, reducing delinquencies and introducing people-centric transformations. I am proud to announce that your Bank has already made a head start in

एक ठोस शुरूआत की है, जिससे निकट भविष्य में अच्छा लाभांश मिलने की उम्मीद है।

पिछले वर्ष भी समष्टि आर्थिक मोर्चे पर चुनौतियां मौजूद रहीं, जो मुख्य रूप से मुद्रास्फीति से संबंधित थीं, जिससे केंद्रीय बैंक को नीतिगत हस्तक्षेप करना पड़ा। मुझे यह सूचित करते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि आपके बैंक ने इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों में सहयोग किया है तथा बैंक अर्थव्यवस्था की ऋण आवश्यकताओं को वित्तपोषित करने में अग्रणी रहा है। मैं अब आपके समक्ष वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान अर्थव्यवस्था का एक संक्षिप्त अवलोकन प्रस्तुत करना चाहता हूं, जिसका बैंकिंग एवं वित्तीय क्षेत्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है।

आर्थिक अवलोकन

वैश्विक अर्थव्यवस्था

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के अनुसार, वैश्विक विकास दर 2022 के 3.4 प्रतिशत से घटकर 2023 में 2.8 प्रतिशत और 2024 में थोड़ा सुधरकर 3 प्रतिशत होने की उम्मीद है। इसके अलावा, वैश्विक मुद्रास्फीति 2022 में 8.7 प्रतिशत से घटकर इस वर्ष 7.0 प्रतिशत और 2024 में 4.9 प्रतिशत होने की संभावना है। वैश्विक अर्थव्यवस्था के प्रमुख जोखिमों में रूस–यूक्रेन संघर्ष से उत्पन्न प्रतिकूल भू–राजनीतिक प्रभाव, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ती मुद्रास्फीति, वित्तीय क्षेत्र में दबाव एवं आघातों से उबरने के लिए सीमित राजकोषीय बफर रहा है। परिणामस्वरूप, विकसित अर्थव्यवस्थाओं के विकास में, विशेष रूप से घोषित मंदी हो सकती है और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है।

केंद्रीय बैंकों से अपेक्षा है कि वे मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर वित्तीय स्थिरता बनाए रखेंगे। ढांचागत सुधार जैसे अधिक निवेश, व्यापार अनुकूल वातावरण में सुधार, बेहतर ऋण पारदर्शिता और वहनीयता एक स्थिर भविष्य का दृष्टिकोण सुनिश्चित करेगी ।

this direction by investing in digital journeys across multiple business segments that are expected to yield rich dividends in the near future.

The past year also presented challenges on the macroeconomic front, fueled mainly by inflationary concerns that mandated policy interventions by the central bank. I am happy to inform that your Bank supported the efforts in this direction and was at the forefront of financing the credit needs of the economy. I would now like to place before you an overview of the economy during FY 2022-23, which had an important bearing on the banking and financial sector.

Economic Overview

The Global Economy

According to International Monetry Fund (IMF), global growth is expected to moderate from 3.4 per cent in 2022 to 2.8 per cent in 2023 and slightly improve to 3 per cent in 2024. Moreover, global inflation is likely to fall from 8.7 per cent in 2022 to 7.0 per cent this year and 4.9 per cent in 2024. Among the major risks to the global economy were the adverse geo-political impact arising out of the Russia-Ukraine conflict, rising inflation across major economies, stress in the financial sector and limited fiscal buffers to absorb shocks. Consequently, the advanced economies are expected to see an especially pronounced slowdown in growth, and the emerging economies are expected to fare better.

The central banks are expected to continue maintaining financial stability by anchoring inflationary expectations. Structural reforms such as more investments, improvement in business enabling environment, greater debt transparency and sustainability will ensure a stable future outlook.

भारतीय अर्थव्यवस्था

आईएमएफ को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2022–23 में भारतीय अर्थव्यवस्था 6.8 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2023–24 में 5.9 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी। हालाँकि, आरबीआई को उम्मीद है कि भारतीय अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2022–23 में 7.0 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2023–24 में 6.5 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी। भारत के वित्त वर्ष 2022–23 तथा वित्त वर्ष 2023–24 में विश्व स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बने रहने की आशा है।

वित्त वर्ष 2022–23 में केन्द्रीय बैंक के लिए महंगाई का नियंत्रण और प्रबंधन एक प्रमुख चुनौती बना रहा। हालांकि, वित्त वर्ष 2023–24 में रिटेल मुद्रास्फीति के कम होने की संभावना के साथ मुद्रास्फीतिक दबाव कम होना आरंभ हो गया है। अप्रैल 2023 में सीपीआई–कोर की क्रमिक वृद्धि जून 2022 के बाद से सबसे कम है तथा इसके लिए उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में घटती डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति की प्रवृति की शुरुआत को उत्तरदायी माना जा सकता है।

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान देश में औद्योगिक विकास मजबूत रहा है। वर्ष के दौरान विनिर्माण क्षेत्र के लिए क्षमता उपयोग के कुल स्तर में सुधार हुआ है। सुदृढ़ मिश्र क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) के समर्थन से निवेश के स्तर में उछाल दिखाई दिया। केंद्र और राज्यों दोनों सरकारों द्वारा पूंजी व्यय की दर में वृद्धि हुई, जो आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और निवेश जुटाने पर जोर देने का संकेत देती है।

वित्त वर्ष 2023–24 में आगे बढ़ते हुए, आर्थिक परिस्थितियां आशावादी और अधिक अनुकूल दिखाई दे रही हैं। वित्त वर्ष 2023–24 के लिए, सरकार ने पूंजीगत व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के 3.3 प्रतिशत पर रखा है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 33 प्रतिशत अधिक है। अप्रैल 2023 में जीएसटी संग्रह रुपये 1.87 लाख करोड़ के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुँच गया। कुल एस एंड पी ग्लोबल इंडिया कम्पोजिट पीएमआई आउटपुट इंडेक्स अप्रैल 2023 में बढ़कर 61.6 हो गया, यह जुलाई 2010 के बाद सबसे अधिक है, जो विनिर्माण और सेवाओं दोनों में स्वस्थ विकास का संकेत देता है।

The Indian Economy

IMF expects the Indian economy to grow at 6.8 per cent in FY 2022-23 and 5.9 per cent in FY 2023-24. However, RBI expects the Indian economy to grow at 7.0 per cent in FY 2022-23 and 6.5 per cent in FY 2023-24. India is expected to be the fastest-growing economy globally in FY 2022-23 as well as in FY 2023-24.

Inflation monitoring and management remained a key challenge for the Central Bank in FY 2022-23. However, inflationary pressures have begun to ease, with retail inflation likely to moderate in FY 2023-24. The sequential growth of CPI-core in April 2023 is the lowest since June 2022 and can be attributed to the beginning of the pass-through of declining WPI inflation in consumer goods prices.

The industrial growth in the country remained robust during FY 2022-23. The aggregate level capacity utilisation for the manufacturing sector improved during the year. The investment level exhibited buoyancy on the back of strong composite Purchasing Managers Indices (PMIs). The rate of Capex spending by the governments, both Centre and States, increased, signalling the thrust on boosting economic activity and crowding in investments.

Moving ahead in FY 2023-24, the economic conditions appear brighter and more benign. For FY 2023-24, the government has budgeted capital expenditure at 3.3 per cent of the GDP, which is 33 per cent higher than the previous year. GST collections touched record high levels of Rs.1.87 lakh crores in April 2023. The overall S&P Global India Composite PMI Output Index rose to 61.6 in April 2023 the highest since July 2010, indicating healthy growth in both manufacturing and services.

उपर्युक्त समष्टि आर्थिक परिवेश की पृष्ठभूमि में, मैं आपके साथ वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान आपके बैंक के वित्तीय कार्यनिष्पादन के प्रमुख बिंदु साझा करना चाहता हूं।

Against the backdrop of the macroeconomic environment outlined above, I would like to share with you the key financial performance highlights of your Bank during the FY 2022-23.

वित्तीय कार्यनिष्पादनः

Financial Performance:

सतत कारोबार

Sustainable Business

31 मार्च 2023 को बैंक का सकल वैश्विक कारोबार रुपये 21.66 लाख करोड़ तक पहुंच गया, जिसमें सकल वैश्विक अग्रिम रुपये 8.85 लाख करोड़ तथा सकल वैश्विक जमा राशि रुपये 12.81 लाख करोड़ थी।

The Bank reached Rs.21.66 lakh Crore under Gross Global Business as on 31st March 2023, with Gross Global Advances at Rs 8.85 lakh crore and Gross Global Deposit at Rs 12.81 lakh crore.

रिटेल, कृषि एवं एमएसएमई (रैम) अग्रिम 4.70 लाख करोड़ रुपये रहा, जो कुल अग्रिमों का 55.3 प्रतिशत है। चालू और बचत जमा (कासा) 5.38 लाख करोड़ रुपये रहा। कासा का हिस्सा घरेलू जमा का 43.0 प्रतिशत रहा।

The Retail, Agriculture & MSME (RAM) advances stood at Rs.4.70 lakh crore, constituting 55.3 per cent share of total advances. The Current and Saving Deposits (CASA) were at Rs 5.38 lakh crore. The CASA share stood at 43.0 per cent of domestic deposits.

आपके बैंक का ध्यान ऐसे कारोबार को जुटानें पर है जो टिकाऊ और लाभदायक हो। अपने ग्राहकों के साथ दीर्घकालिक संबंध बनाने और विकसित करने पर जोर दिया जाता है ताकि उनसे अच्छी लीड्स प्राप्त की जा सके। ग्राहक अर्जन के लिए मार्गदर्शन और निगरानी हेतु एक नया समर्पित वर्टिकल भी स्थापित किया गया है जो संबंधों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और इस तरह सतत कारोबार सृजन में सुगमता होगी।

The thrust of your Bank is on mobilising business that is sustainable and profitable. The emphasis is on securing and developing long-term relationships with our customers so as to generate good leads from them. A new dedicated vertical has also been set up for guiding and monitoring customer acquisition that will play an important role in cementing strong relationships and thereby facilitating the generation of sustainable business.

लाभप्रदता

Profitability

बैंक ने वित्त वर्ष 2022–23 में 22,529 करोड़ रुपये का परिचालन लाभ और 2,507 करोड़ रुपये का निवल लाभ दर्ज किया। वित्त वर्ष 2023 की चौथी तिमाही में आपके बैंक द्वारा अर्जित निवल लाभ समामेलन के बाद दर्ज किया गया अब तक का सर्वाधिक निवल लाभ है। बैंक ने वर्ष–दर–वर्ष आधार पर 20.2 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 34,492 करोड़ रुपये की निवल ब्याज आय अर्जित की। निवल ब्याज मार्जिन 35 बीपीएस बढ़कर 3.06 प्रतिशत हो गया, आस्ति पर प्रतिफल 0.18 प्रतिशत और इक्विटी पर रिटर्न 3.94 प्रतिशत रहा।

The Bank recorded an Operating Profit of Rs. 22,529 Crore and a Net Profit of Rs. 2,507 crore in FY 2022-23. The Net Profit registered by your Bank in Q4 FY 2023 was the highest-ever net profit recorded post-amalgamation. The Bank posted a Net Interest Income of Rs. 34,492 Crore with a growth of 20.2 per cent on a Y-o-Y basis. The Net Interest Margin increased by 35 bps to 3.06 per cent, Return on Assets stood at 0.18 per cent and Return on Equity at 3.94 per cent.

मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि परिचालन लाभ, निवल लाभ, निवल ब्याज आय, आस्ति पर प्रतिफल, वैश्विक एनआईएम और इक्विटी पर प्रतिफल लगातार पांच तिमाहियों में तिमाही–दर–तिमाही में स्थिर वृद्धि दर्ज करने के साथ लाभप्रदता आपके बैंक की सुदृढ़ता का मुख्य क्षेत्र बनकर उभरा है।

I am happy to share that Profitability emerged as a core area of strength for your Bank, with the Operating profit, Net Profit, Net Interest Income, Return on Assets, Global NIM and Return on Equity registering a steady Q-o-Q growth over five consecutive quarters.

आस्ति गुणवत्ता

बैंक का सकल एनपीए 31 मार्च 2022 के 92,448 करोड़ रुपये के मुकाबले कम होकर 31 मार्च 2023 को 77,328 करोड़ रुपये हो गया। सकल एनपीए अनुपात में 304 बीपीएस का सुधार हुआ और यह 8.74 प्रतिशत हो गया। बैंक का निवल एनपीए 31 मार्च 2022 के 34,909 करोड़ रुपये से घटकर 31 मार्च 2023 को 22,585 करोड़ रुपये हो गया। निवल एनपीए अनुपात में 208 बीपीएस का सुधार हुआ और यह 2.72 प्रतिशत हो गया। इसी प्रकार, प्रावधान कवरेज अनुपात पिछले वर्ष की तुलना में 530 बीपीएस बढ़कर 86.90 प्रतिशत हो गया।

यह वास्तव में खुशी की बात है कि दिसंबर 2021 से जीएनपीए और एनएनपीए दोनों अनुपातों में गिरावट की प्रवृत्ति के साथ आपके बैंक की आस्ति गुणवत्ता में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। इसी तरह, प्रावधान कवरेज अनुपात भी वित्त वर्ष 2022 से वित्त वर्ष 2023 तक लगातार तिमाहियों में बढ़ा है।

तिमाहियों में ऋण लागत भी क्रमिक रूप से कम हो रही है। स्लिपेज अनुपात में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। कुल मिलाकर, वित्त वर्ष 2022–23 की चार तिमाहियों में वसूली की दर की तुलना में नए स्लिपेज की दर कम रही है। इसके अलावा, ऋण निगरानी तंत्र को और अधिक गहन और कठोर बना दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप विशेष उलिखित खातों के एनपीए श्रेणी में जाने में काफी गिरावट आई है, जो बेहतर संग्रह दक्षता को दर्शाता है।

Asset Quality

The Gross NPA of the Bank stood at Rs. 77,328 Crore as on 31st March 2023, down from Rs 92,448 Crore as on 31st March 2022. The Gross NPA ratio improved by 304 bps to 8.74 per cent. The Net NPA of the Bank declined from Rs. 34,909 Crore as on 31st March 2022 to Rs. 22,585 Crore as on 31st March 2023. The Net NPA ratio improved by 208 bps to 2.72 per cent. Similarly, the Provision Coverage Ratio improved by 530 bps over the previous year to 86.90 per cent.

It is indeed heartening to note that the asset quality of your Bank has exhibited a phenomenal improvement, with both GNPA and NNPA ratios on a declining trend since December 2021. Similarly, the Provision Coverage Ratio has also increased over successive quarters from FY 2022 to FY 2023.

The credit cost is also coming down sequentially over the quarters. The slippage ratio has also shown a marked improvement. Overall, in the four quarters of FY 2022-23, the rate of fresh slippage has been less than the rate of recovery. In addition, the credit monitoring mechanism has been made more intense and stringent with the result that there was a substantial decline in the movement of Special Mention Accounts to the delinquent category reflecting an enhanced collection efficiency.

पूंजी पर्याप्तता

31 मार्च 2023 को बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात पिछले वर्ष की तुलना में 100 बीपीएस बढ़कर 15.50 प्रतिशत हो गया, जिसमें अतिरिक्त टियर– I पूंजी 1.47 प्रतिशत, सीईटी 1 11.22 प्रतिशत और टियर II पूंजी 2.81 प्रतिशत

Capital Adequacy

The Capital Adequacy ratio of the Bank improved by 100 bps over the previous year to 15.50 per cent as on 31st March 2023, with Additional Tier-I capital at 1.47 per cent, CET1 at 11.22 per cent and

थी। वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, बैंक ने एटी–1 बॉन्ड के माध्यम से 4,214 करोड़ रुपये और टियर–II बॉन्ड के माध्यम से 4,000 करोड़ रुपये जुटाए।

मुख्य रूप से बेहतर–रेटेड खातों पर ध्यान केंद्रित करने और बैंक के पोर्टफोलियो के मंथन के कारण जोखिम घनत्व 31 मार्च 2022 के 76.5 प्रतिशत से घटकर 31 मार्च 2023 को 74.5 प्रतिशत हो गया।

बैंक ने कम जोखिम वाले प्रोफाइल वाले उच्च–रेटेड उधारकर्ताओं को लक्षित करके स्थायी व्यापार विकास पर अपना ध्यान केंद्रित करना जारी रखा। अर्थव्यवस्था की बढ़ती ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंक कार्यनीतिक रूप से अच्छी स्थिति में है।

डिजिटलाइजेशन

डिजिटलीकरण बैंक के लिए एक प्रमुख ध्यानाकर्षण क्षेत्र बना हुआ है। हमारे जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में डिजिटलीकरण और तकनीकी परिवर्तनों की तीव्र लहर के साथ, यह अपरिहार्य है कि गुणवत्तापूर्ण ग्राहक सेवा प्राप्त करने के लिए ग्राहकों की मांग और अपेक्षाएँ बढ़ेंगी।

हालांकि, इस दिशा में, जैसा कि पहले ही उल्लेखित किया जा चुका है, आपके बैंक ने पहले ही एक शुरुआत कर दी है और अपने डिजिटल पोर्टफोलियो और पेशकशों को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसका लाभ कई खंडों में अधिक व्यवसाय हासिल करने के साथ–साथ सर्वोत्तम ग्राहक सेवा प्रदान करने के लिए किया जाएगा।

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, आपके बैंक ने 35 से अधिक डिजिटल सेवाएं शुरू कीं, जो एक बड़ी उपलब्धि है। इनमें अन्य सुविधाओं के साथ–साथ विभिन्न रैम सेगमेंट से संबंधित डिजिटल सेवाएं, टर्न–अराउंड समय को कम करने के लिए टैब बैंकिंग के माध्यम से कासा के तहत नए खाते खोलना, ई–ओटीएस के माध्यम से तेजी से वसूली की सुविधा, संग्रह दक्षता में सुधार और धन प्रबंधन उत्पादों को बढ़ावा देना शामिल हैं।

रैम पर फोकस

रैम सेगमेंट में सतत विकास आपके बैंक के क्रेडिट पोर्टफोलियो को बढ़ाने की रणनीति की आधारशिला है। रैम अग्रिम 31 मार्च 2022 के 3,88,912 करोड़ रुपये की तुलना में 31 मार्च 2023 को 4,69,981 करोड़ रुपये था,

Tier II capital at 2.81 per cent. During FY 2022-23, Bank raised Rs. 4,214 Crore through AT-1 Bonds and Rs.4,000 Crore through Tier -II Bonds.

The Risk density declined from 76.5 per cent as on 31st March 2022 to 74.5 per cent on 31st March 2023, mainly on account of the focus on better-rated accounts and churning of the portfolio of the Bank.

The Bank continued with its focus on sustainable business growth by targeting higher-rated borrowers with low-risk profiles. The Bank is strategically well-placed to meet the growing credit needs of the economy.

Digitalisation

Digitalisation remained a key thrust area for the Bank. With the rapid wave of digitalisation and technological transformations embracing almost all spheres of our life, it is inevitable that customer expectations and demands regarding access to quality customer service will also rise.

In this direction, however, as already highlighted above, your Bank has already made a beginning and is committed to further building up its digital portfolio and offerings, which will be leveraged to acquire more business across multiple segments as well as to deliver superior customer service.

During FY 2022-23, your Bank initiated more than 35 digital journeys, which is a major accomplishment. They include digital journeys relating to the different RAM segments, the opening of new accounts under CASA through Tab banking to reduce turn-around time, facilitating faster recovery through e-OTS, improving collection efficiency and promoting wealth management products, among others.

Focus on RAM

Sustainable growth in the RAM segment constitutes the cornerstone of the strategy for boosting the credit portfolio of your Bank. As on 31st March 2023, RAM Advances stood at Rs. 4,69,981 Crore

इसमें 20.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। खुदरा अग्रिम 41.6 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 1,97,698 करोड़ रुपये, कृषि अग्रिम 1,42,105 करोड़ रुपये और एमएसएमई अग्रिम 1,30,178 करोड़ रुपये रहा। घरेलू अग्रिमों में रैम की हिस्सेदारी 31 मार्च 2022 के 51.2 प्रतिशत की तुलना में 31 मार्च 2023 को बढ़कर 55.3 प्रतिशत हो गई। कोर रिटेल ने 15.2 प्रतिशत की मजबूत वर्ष–दर–वर्ष वृद्धि दर्ज की, गृह ऋण खंड में 10.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई, वाहन ऋण में 30.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई, और व्यक्तिगत ऋण खंड में 48.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

रिटेल, कृषि, एमएसएमई खंड बैंक के संभावित उच्च–प्रतिफल देने वाले अग्रिमों का गठन करता है, और इसे ध्यान में रखते हुए, आपके बैंक ने इस खंड में क्रेडिट ऑफटेक को बढ़ाने के लिए डिजिटल ऋण को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया है। प्री–अप्रूव्ड पर्सनल लोन एक ऐसी सुविधा है, जो ग्राहकों को केवल चार क्लिक में लोन वितरित करती है और हमारे ऐप पीएनबी वन के माध्यम से भी आसानी से उपलब्ध है। पिछले वर्ष के दौरान किए गए अन्य उपायों में तेजी से क्रेडिट निर्णयों को सक्षम करने के लिए अधिक शक्तियों का प्रत्यायोजन, पीएनबी ऋण केन्द्रों और मध्य कॉर्पोरेट केंद्रों की निगरानी तंत्र की समीक्षा करना शामिल है ताकि वे मंडल कार्यालयों को रिपोर्ट करें और समय–समय पर समर्पित अभियान शुरू करें ताकि ऋण में वृद्धि हो सके। रैम के तहत क्रेडिट को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न क्षमताओं के साथ फील्ड को और अधिक सशक्त बनाया गया है।

जन प्रबंधन

1 लाख से अधिक समर्पित कर्मचारी हमारी सबसे बड़ी संपत्ति हैं और ये ही संगठन की सफलता के लिए महत्वपूर्ण कारक हैं। वित्त वर्ष 2022–23 मानव संसाधन (एचआर) के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण रहा, जिसमें आपके बैंक ने उत्पादकता में सुधार, कर्मचारियों का मनोबल और दक्षता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

आपके बैंक में की गई मानव संसाधन परिवर्तन की पहल ने प्रणाली संचालित डेटा और उपकरणों, कार्यनिष्पादन के निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन, कर्मचारियों को समय पर, आवश्यकता–आधारित प्रशिक्षण प्रदान करने तथा कार्यनिष्पादन से जुड़े प्रोत्साहन के माध्यम से एचआर में पारदर्शिता लाने के लिए विभिन्न प्रणालियों और

vis-à-vis Rs. 3,88,912 Crore as on 31st March 2022, growing by 20.8 per cent. Retail Advances stood at Rs. 1,97,698 Crore with a growth of 41.6 per cent, Agriculture Advances stood at Rs. 1,42,105 Crore, and MSME Advances stood at Rs. 1,30,178 Crore. Share of RAM w.r.t. Domestic Advances improved to 55.3 per cent on 31st March 2023 vis-à-vis 51.2 per cent on 31st March 2022. The core retail registered a robust Y-o-Y growth of 15.2 per cent, the home loan segment grew by 10.9 per cent, vehicle loans grew by 30.6 per cent, and the personal loan segment by 48.9 per cent.

RAM segment constitutes the potential high-yielding advances of the Bank, and keeping this in focus, your Bank has also promoted digital lending in a big way to push the credit offtake in this segment. Pre-Approved Personal Loan is a case in point which disburses loans to customers in just four clicks and is also easily accessible through our app PNB One. The other measures taken during the last year include delegating more powers for enabling faster credit decisions, revisiting the monitoring mechanism of PNB Loan Points and Mid Corporate Centres so that they report to circle offices, launching dedicated campaigns at periodic intervals to enhance the rate of credit offtake and empowering the field with various enablers to boost credit under RAM.

People Management

More than 1 lac dedicated employees of your Bank is our biggest asset and the vital factor for the success of the organisation. FY 2022-23 remained very crucial from the Human Resources (HR) perspective, with your Bank taking important measures to improve productivity, boost morale and enhance the efficiency of the employees.

The human resource transformation initiative taken in your bank places thrust on strengthening various systems and procedures to bring transparency in HR through system-driven data & tools, enable fair and objective assessment of performance, impart timely, need-based training to employees and facilitate performance-linked rewards. All these

प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने पर जोर दिया है । इन सभी क्षमता–निर्माण और कार्यात्मक क्षमता–निर्माण के कदमों से कर्मचारियों के संभावित कौशल को सशक्त बनने और समृद्ध होने की उम्मीद है, जो बैंक को लाभान्वित करेगा।

capacity-building and functional competence-building measures are expected to empower and further enrich the potential skillsets of the employees, which in turn, will benefit the Bank.

पुरस्कार और सम्मान

Awards and Recognitions

मुझे यह बताते हुए गर्व का अनुभव हो रहा है कि वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान , आपके बैंक के कार्यनिष्पादन को विभिन्न मंचों और प्लेटफार्मों पर सम्मान प्रदान किया गया तथा पुरस्कृत किया गया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा वित्त वर्ष 2022–23 के लिए बैंक को "उत्कृष्ट गारंटी कवरेज" के लिए पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इकोनॉमिक टाइम्स द्वारा ईटी एज बेस्ट बीएफएसआई ब्रांड्स के लिए भी बैंक को सम्मानित किया गया है। इसके अलावा, बैंक ने अटल पेंशन योजना नामांकन के लिए पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा शुरू किए गए सर्किल ऑफ एक्सीलेंस अभियान में उत्कृष्टता का पुरस्कार जीता। ईज 4.0 पुरस्कारों के 2 थीम अर्थात तकनीकी सक्षम बैंकिंग एवं अभिशासन तथा मानव संसाधन के अंतर्गत बैंक द्वितीय स्थान पर रहा। वित्त वर्ष 2021–22 के लिए बैंक को सर्वोच्च "राजभाषा कीर्ति" पुरस्कार के अंतर्गत द्वितीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया।

I am proud to share that during FY 2022-23, the performance of your Bank has been acknowledged and rewarded in various forums and platforms. The Bank received accolade for "Excellent Guarantee Coverage" for FY 2022-23 by the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises. The Bank was also felicitated by Economic Times for ET Edge Best BFSI Brands. Further, the Bank won the Award of Excellence in the Circle of Excellence campaign launched by the Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) for Atal Pension Yojana enrolment. The Bank was 1st Runner Up under 2 Themes of EASE 4.0 awards viz. Tech Enabled Banking and Governance and HR. The Bank was also awarded 2nd Prize under the highest "Rajbhasha Kirti" for FY 2021-22.

भावी योजनाएं

Looking Ahead

आपके बैंक का उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए एक बहु–आयामी रणनीति अपनाना है जो स्थायी और लाभदायक विकास को सुगम बनाने के लिए परिचालन क्षमता में वृद्धि के लिए मौजूदा सहक्रियाओं एवं क्षमताओं का निर्माण करना चाहती है।

The aim of your Bank for FY 2023-24 is to adopt a multi-pronged strategy that seeks to build upon the existing synergies and capabilities to further scale up operational efficiency for facilitating sustainable and profitable growth.

हमारी कार्यनीति बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाने पर निर्भर करती है, जिसमें कासा शेयर और ऋण वृद्धि,विशेष रूप से रैम (रिटेल, कृषि,एमएसएमई) अग्रिमों को बढ़ाना; वसूली की दर में वृद्धि करके आस्ति गुणवत्ता में सुधार करना, स्लिपेज को कम करना, विशेष उल्लेखित खातों की सुदृढ़ निगरानी करना ताकि उन्हें एनपीए श्रेणी में जाने से रोका जा सके और संग्रह दक्षता में वृद्धि करना; अधिक कारोबार प्राप्त करने के लिए डिजिटलीकरण का लाभ उठाने पर जोर देने के साथ डिजिटल परिवर्तन में तीव्रता लाना, संवर्धित ग्राहक सेवा देने और उत्कृष्ट ग्राहक अनुभव प्रदान कर ग्राहक केंद्रितता पर जोर देना तथा इसमें कार्यबल की दक्षता और उत्पादकता बढ़ाने

The strategy relies on increasing market share, which includes boosting both CASA share and increasing credit offtake, especially in the RAM segment; improving asset quality through increasing the rate of recoveries, minimising slippages, robust monitoring of special mention accounts to prevent their movement to the delinquent category and enhanced collection efficiency; accelerating digital transformation with an emphasis on leveraging digitisation to procure more business, thrust on customer centricity through the rendering of enhanced customer service and superior customer experience and effect the employee-

के लिए कर्मचारी–केंद्रित परिवर्तन को प्रभावित करना शामिल है।

वित्त वर्ष 2023–24 आपके बैंक के लिए एक स्वर्णिम वर्ष होगा, और सही रणनीति, स्थिर एकाग्रता तथा स्पष्ट विजन के साथ, आपका बैंक निश्चित रूप से अपने कार्यप्रदर्शन को बेहतर बनाएगा और अपने सभी हितधारकों के लिए बेहतर मूल्य और प्रतिफल का सृजन करेगा।

आपका,

(अतुल कुमार गोयल)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

centric transformation to enhance efficiency and productivity of the workforce.

FY 2023-24 will be a golden year for your Bank, and with the right strategy, steady focus and clear vision, your Bank will definitely scale up its performance and generate more value and returns to all its stakeholders.

Yours Sincerely,

(Atul Kumar Goel)
Managing Director & CEO

निदेशक मंडल | Board of Directors

श्री के. जी. अनंतकृष्णन
गैर–कार्यपालक अध्यक्ष
Shri K G Ananthakrishnan
Non-Executive Chairman

श्री अतुल कुमार गोयल
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
Shri Atul Kumar Goel
Managing Director & Chief Executive Officer

कार्यपालक निदेशक
Executive Director

श्री विजय दुबे
कार्यपालक निदेशक
Sh. Vijay Dube
Executive Director

श्री कल्याण कुमार
कार्यपालक निदेशक
Shri Kalyan Kumar
Executive Director

श्री बिनोद कुमार
कार्यपालक निदेशक
Shri Binod Kumar
Executive Director

श्री एम परमशिवम
कार्यपालक निदेशक
Shri M Paramasivam
Executive Director

निदेशक
Director

श्री पंकज शर्मा
भारत सरकार के नामित निदेशक
Shri Pankaj Sharma
Govt. of India Nominee Director

श्री अनिल कुमार मिश्रा
भारतीय रिजर्व बैंक के नामित निदेशक
Shri Anil Kumar Misra
Reserve Bank of India Nominee Director

श्री पंकज जोशी
अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक
Shri Pankaj Joshi
Part Time Non-Official Director

श्री संजीव कुमार सिंघल
अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक
Sh. Sanjeev Kumar Singhal
Part Time Non-Official Director

श्री गौतम गुहा
शेयरधारक निदेशक
Shri Gautam Guha
Shareholder Director

डॉ. रेखा जैन
शेयरधारक निदेशक
Dr. Rekha Jain
Shareholder Director

मुख्य महाप्रबंधक | Chief General Managers

श्री दिलीप कुमार जैन
Shri Dilip Kumar Jain

श्री वी सुंदरेसन
Shri V Sundaresan

श्री अमित कुमार श्रीवास्तव
Shri Amit Kumar Srivastava

श्री हेमंत वर्मा
Shri Hemant Verma

श्री संजय वार्ष्णेय
Shri Sanjay Varshneya

श्री राकेश ग्रोवर
Shri Rakesh Grover

श्री संजीवन नीखर
Shri Sanjeevan Nikhar

श्री राकेश गांधी
Shri Rakesh Gandhi

श्री राजीवा
Shri Rajeeva

श्री सुनील कुमार चुघ
Shri Sunil Kumar Chugh

श्री एस के राणा
Shri S K Rana

श्री महेंद्र दोहारे
Shri Mahendra Dohare

श्री सुनील कुमार गोयल
Shri Sunil Kumar Goyal

श्री सुमन्ता मोहंती
Shri Sumanta Mohanty

श्री विनय कुमार गुप्ता
Shri Binay Kumar Gupta

श्री संजय गुप्ता
Shri Sanjay Gupta

श्री समीर बाजपेई
Shri Sameer Bajpai

श्री बिभु प्रसाद महापात्रा
Shri Bibhu Prasad Mahapatra

श्री फ़िरोज हसनैन
Shri Firoz Hasnain

विषय सूची

	पृष्ठ सं
नोटिस	001-057
निदेशकों की रिपोर्ट	059-103
प्रबंधन परिचर्चा एवं विश्लेषण	105-152
कॉर्पोरेट अभिशासन पर लेखा परीक्षकों का प्रमाण पत्र	153-154
कॉर्पोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट	155-291
सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट	220-224
निदेशकों की गैर-अयोग्यता का प्रमाण पत्र	225-226
कारोबार उत्तरदायित्व और सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट	227-276
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट	278-292
बेसल III फ्रेमवर्क के अंतर्गत प्रकटीकरण	297
वित्तीय विवरणियां (एकल)	
तुलन-पत्र	295-297
- लाभ और हानि लेखा	298-300
- अनुसूचियां	301-314
- प्रमुख लेखांकन नीतियां	315-329
- लेखों के लिए टिप्पणियां	330-424
- नकदी प्रवाह विवरण	425-428
- लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	429-438
समेकित वित्तीय विवरणियां	
- तुलन पत्र	439-440
- लाभ और हानि लेखा	441-443
- अनुसूचियां	444-456
- प्रमुख लेखांकन नीतियां	457-473
- लेखों के लिए टिप्पणियां	474-501
- नकदी प्रवाह विवरण	502-505
- लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	506-515

लेखापरीक्षक

एस एन धवन एंड कंपनी एलएलपी
एस आर गोयल एंड कंपनी
पी एस एम जी एंड एसोसिएट्स
एस सी बापना एंड एसोसिएट्स
डी के छाजेड़ एंड कंपनी

शेयर अंतरण एजेंट

बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज (प्रा.) लिमिटेड
'बीटल हाउस', तृतीय तल
99, मदनगीर, लोकल शॉपिंग सेंटर के पीछे
नई दिल्ली 110062
दूरभाष 011-29961281/82/83, फैक्स 011-29961284
ई-मेल: beetal@beetalfinancial.com

Contents

	Page No.
Notice	001-057
Directors' Report	059-103
Management Discussion and Analysis	105-152
Auditors' Certificate on Corporate Governance	153-154
Report on Corporate Governance	155-291
Secretarial Audit Report	220-224
Certificate of Non-Disqualification of Directors	225-226
Business Responsibility and Sustainability Report	227-276
Corporate Social Responsibility Report	278-292
Disclosure under Basel III Framework	297
Financial Statements (Standalone)	
- Balance Sheet	295-297
- Profit & Loss Account	298-300
- Schedules	301-314
- Significant Accounting Policies	315-329
- Notes to Accounts	330-424
- Cash Flow Statement	425-428
- Auditors' Report	429-438
Consolidated Financial Statements	
- Balance Sheet	439-440
- Profit & Loss Account	441-443
- Schedules	444-456
- Significant Accounting Policies	457-473
- Notes to Accounts	474-501
- Cash Flow Statement	502-505
- Auditors' Report	506-515

AUDITORS

S N Dhawan & Co. LLP.
S R Goyal & Co.
P S M G & Associates
S C Bapna & Associates
D K Chhajer & Co.

SHARE TRANSFER AGENT

Beetal Financial & Computer Services (P) Limited
'Beetal House', 3rd Floor
99, Madangir, Behind Local Shopping Centre
New Delhi 110062
Tel. No. 011-29961281/82/83, Fax: 011-29961284
e-mail: beetal@beetalfinancial.com

22वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना
Notice of the 22nd Annual General Meeting

महत्त्वपूर्ण तिथियाँ
IMPORTANT DATES

22वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की तिथि एवं समय	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग(वीसी / अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से शुक्रवार, 30 जून, 2023 को पूर्वाह्न 11.00 बजे
एजीएम की कार्यसूची मदों पर मतदान के लिए पात्र शेयरधारकों के निर्धारण के लिए कट–ऑफ तिथि	शुक्रवार, 23 जून, 2023
लाभांश के लिए रिकॉर्ड तिथि	शुक्रवार, 23 जून, 2023
बही बंद करने की तिथियाँ	शनिवार, 24 जून, 2023 से शुक्रवार, 30 जून, 2023 तक (दोनों दिन शामिल)
रिमोट ई–वोटिंग की अवधि	मंगलवार, 27 जून, 2023 (पूर्वाह्न 09.00 बजे) से गुरुवार, 29 जून, 2023 तक (अपराह्न 05.00 बजे)
लाभांश भुगतान तिथि	शुक्रवार, 14 जुलाई, 2023

Date and time of 22nd Annual General Meeting (AGM)	Friday, 30th June, 2023 at 11.00 a.m. through VC/OAVM
Cut-off date for determining the shareholders eligible to vote on the Agenda Items of the AGM	Friday, 23rd June, 2023
Record Date for Dividend	Friday, 23rd June, 2023
Book Closure Dates	From Saturday, 24th June, 2023 to Friday, 30th June, 2023 (both days inclusive)
Period of Remote E-Voting	From Tuesday, 27th June, 2023 (09.00 a.m.) to Thursday, 29th June, 2023 (05.00 p.m.)
Dividend Payment Date	Friday, 14th July, 2023

प्रधान कार्यालय : प्लॉट नं. 4, सैक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली 110075
(ई–मेल आईडी: hosd@pnb.co.in)

Head Office: Plot No.4, Sector 10, Dwarka, New Delhi – 110075
(E-mail id: hosd@pnb.co.in)

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि पंजाब नेशनल बैंक के शेयरधारकों की 22वीं वार्षिक आम बैठक 30 जून, 2023, शुक्रवार को प्रातः 11.00 बजे (भारतीय मानक समय) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी जिसमें निम्नलिखित कार्य किए जाएंगे :–

साधारण कार्य

मद सं. 1: 31 मार्च, 2023 को बैंक के लेखापरीक्षित तुलन पत्र, 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लाभ और हानि लेखों, लेखों द्वारा कवर की गई अवधि के लिए बैंक के कामकाज और गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा तुलन पत्र एवं लेखों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा करना, अनुमोदन देना तथा स्वीकार करना।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और उचित समझे जाने पर निम्नलिखित साधारण संकल्प पारित करना:

"संकल्प किया जाता है कि 31 मार्च, 2023 को बैंक के लेखापरीक्षित तुलन पत्र, 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लाभ और हानि लेखों, लेखों द्वारा कवर की गई अवधि के लिए बैंक के कामकाज और गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट, तथा, तुलन पत्र एवं लेखों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट को एतद्द्वारा विचार विमर्श, अनुमोदित एवं स्वीकार किया गया।"

मद सं. 2: वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए बैंक के इक्विटी शेयरों पर लाभांश घोषित करना

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और उचित समझे जाने पर निम्नलिखित साधारण संकल्प पारित करना:

"संकल्प किया जाता है कि 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के प्रत्येक ₹ 2/– के अंकित मूल्य के इक्विटी शेयर पर ₹ 0.65 की दर से प्रति शेयर लाभांश घोषित किया गया है।"

विशेष कार्य

मद सं. 3: एकमुश्त प्रतिभूति लेन देन (प्रतिभूतियों की बिक्री/खरीद), मुद्रा बाजार लेनदेन, प्रतिभूतियों की प्राथमिक सदस्यता, ईबीपी के माध्यम से पीएनबी एनसीडी निर्गमन में सुरक्षा व्यवस्थाकर्ता सेवाओं और ऐसे अन्य लेनदेन जैसे सरकारी प्रतिभूतियों (जी–सेक) की खरीद/बिक्री, पीएसयू के बॉन्ड/डिबेंचर, अन्य निकाय के लिए संबंधी पार्टी के महत्वपूर्ण लेनदेन और पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड (समनुषंगी), पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (सहायक), पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (सहायक) के साथ प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the 22nd Annual General Meeting of the Shareholders of Punjab National Bank will be held on **Friday, the 30th June, 2023 at 11.00 A.M. (IST) through Video Conferencing (VC)/Other Audio-Visual Means (OAVM)** to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

Item No. 1: To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2023, Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March 2023, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditor's Report on the Balance Sheet and Accounts.

To consider and if thought fit, to pass the following as Ordinary Resolution:

"**RESOLVED THAT** the Audited Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2023, Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March 2023, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts be and are hereby **approved and adopted.**"

Item No. 2: To declare dividend on the equity shares of the Bank for the financial year 2022-23

To consider and if thought fit, to pass the following as Ordinary Resolution:

"**RESOLVED THAT** Dividend at the rate of ₹0.65 per equity share of the face value of ₹2/- each of the Bank for the financial year ended 31st March, 2023, be and is hereby **declared.**"

SPECIAL BUSINESS

Item No. 3: To consider and approve the Material Related Party Transactions for outright securities transactions (sale/purchase of securities), Money Market transactions, Primary subscription of securities, Security Arranger services in PNBs NCD issuances through EBP and also such other transactions such as purchase/sale of Government Securities (G-Sec), Bonds/Debentures of PSUs, other bodies, as may be disclosed in the notes forming part of the Financial Statements for the relevant Financial Year with PNB Gilts Limited (Subsidiary),

वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाली टिप्पणियों में प्रकट किये जा सकने वाले, ऐसे अन्य लेनदेन पर भी विचार करना और अनुमोदन करना।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और उचित समझे जाने पर निम्नलिखित साधारण संकल्प पारित करना:

"**संकल्प किया जाता है** कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (इसके बाद "सेबी सूचीबद्धता विनियम" के रूप में संदर्भित) के विनियम 23(4) के प्रावधानों और ऐसे अन्य लागू कानूनी प्रावधानों, यदि कोई हो, और उसमें किसी भी संशोधन, आशोधन, परिवर्तन या उसके पुनः अधिनियमन (इसके बाद "लागू कानून" के रूप में संदर्भित) और पंजाब नेशनल बैंक (इसके बाद "बैंक" के रूप में संदर्भित) की 'संबंधित पक्ष की लेनदेन पर नीति' के अनुसरण में, बैंक के शेयरधारक एतद्द्वारा बैंक के निदेशक मंडल (इसके बाद "बोर्ड" के रूप में संदर्भित, जिस शब्द में इस संकल्प के अंतर्गत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति या बोर्ड द्वारा विधिवत रूप से गठित किसी भी समिति को शामिल माना जाएगा) को सेबी सूचीबद्धता विनियम के विनियम 2(1) (जेडबी) के अभिप्राय के भीतर बैंक की संबंधित पार्टियों, पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पीएनबीएचएफएल) और पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ 1000 करोड़ या बैंक के अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार बैंक के वार्षिक समेकित टर्नओवर के 10% के मैटेरियलिटी थ्रेसहोल्ड, जो भी कम हो, से अधिक राशि के लिए एकमुश्त प्रतिभूति लेनदेन (प्रतिभूतियों की बिक्री/खरीद), मुद्रा बाजार लेनदेन, प्रतिभूतियों की प्राथमिक सदस्यता, पीएनबी एनसीडी निर्गमन में ईबीपी के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्थाकर्ता सेवाएं और ऐसे अन्य लेनदेन भी जैसे पीएसयू, अन्य निकाय की सरकारी प्रतिभूतियों (जी–सेक), बॉन्ड/डिबेंचर की खरीद/बिक्री और जो प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाली टिप्पणियों में प्रकट किया जा सकते हैं, जैसा कि वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान लागू कानूनों के अंतर्गत निर्धारित किया गया है, जैसा कि सूचना के साथ संलग्न व्याख्यात्मक विवरण में निर्दिष्ट है, अनुबंध या समझौतें या लेनदेन करने और/या कार्यान्वित करने और/या जारी रखने के लिए (चाहे व्यक्तिगत लेनदेन हों या लेनदेन एक साथ किए गए हों या लेनदेन की एक श्रृंखला हो या अन्यथा हो) अनुमोदन प्रदान करते हैं।

"आगे यह संकल्प किया जाता है कि बोर्ड सभी आवश्यक दस्तावेजों, अनुबंधों, विलेखों, करारों पर हस्ताक्षर करने और निष्पादित करने और ऐसे सभी कार्यों, डीड, मामलों और चीजों को करने के लिए, जैसा कि वह अपने पूर्ण विवेकाधिकार से इस संकल्प को लागू करने और इस संबंध या इस प्रसंग में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न का समाधान करने के लिए आवश्यक या उचित समझे, अधिकृत है और एतद्द्वारा अधिकृत किया जाता है, इसके आगे, शेयरधारकों की सहमति या अंत में स्वीकृति लेने की आवश्यकता के बिना और इस आशय से कि शेयरधारकों ने इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा स्पष्ट रूप से अपनी स्वीकृति दे दी है।

"आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड एतद्द्वारा इसे प्रदान की गई सभी या किसी भी शक्ति को जैसा कि वह पूर्वोक्त संकल्प को लागू करने के लिए उचित समझे, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी या कार्यपालक निदेशक (कों) या कार्यपालकों की समिति या बैंक के किसी अधिकारी (अधिकारियों) को सौंपने के लिए अधिकृत है और एतद्द्वारा अधिकृत किया जाता है।"

PNB Housing Finance Limited (Associate), PNB Metlife India Insurance Company Limited (Associate).

To consider and if thought fit, to pass the following as Ordinary Resolution:

"**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of Regulation 23(4) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (hereinafter referred to as "SEBI Listing Regulations") and such other applicable provisions of law, if any, and any amendments, modifications, variations or re-enactments thereof (hereinafter referred to as "Applicable Laws") and the 'Policy on Related Party Transactions' of Punjab National Bank (hereinafter referred to as "Bank"), the Shareholders of the Bank do hereby **accord approval** to the Board of Directors of the Bank (hereinafter referred to as "Board", which term shall be deemed to include the Audit Committee of Board or any Committee duly constituted by the Board, to exercise its powers conferred under this resolution), for entering into and/or carrying out and/or continuing with contracts or arrangements or transactions (whether individual transaction or transactions taken together or a series of transactions or otherwise) for Outright Securities Transactions (Sale/Purchase of securities), Money Market Transactions, Primary subscription of securities, Security Arranger Services in PNBs NCD issuances through EBP and also such other transactions such as purchase/sale of Government Securities (G-Sec), Bonds/Debentures of PSUs, other bodies, as may be disclosed in the Notes forming part of the Financial Statements for the relevant Financial Year, with PNB Gilts Limited, PNB Housing Finance Limited (PNBHFL) and PNB Metlife India Insurance Company Limited, Related Parties of the Bank within the meaning of Regulation 2(1)(zb) of SEBI Listing Regulations, for an amount in excess of the materiality threshold of ₹1000 Crore or 10% of the Annual Consolidated Turnover of the Bank as per the last audited financial statements of the Bank, whichever is lower, as prescribed under Applicable Laws, during FY 2023-24, as specified in the Explanatory Statement annexed to the Notice."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby **authorised** to sign and execute all necessary documents, contracts, deeds, agreements and to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary or expedient to give effect to this resolution and to settle any question that may arise in this regard and incidental thereto, without being required to seek any further consent or approval of the shareholders to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby **authorised** to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Managing Director & CEO or Executive Director(s) or Committee of Executives or any Officer(s) of the Bank, as it may deem fit, to give effect to the aforesaid Resolution."

<u>मद स. 4</u>: पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड (सहायक) और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एसोसिएट) के साथ ऋण और अग्रिम के लिए संबंधित पार्टी के महत्वपूर्ण लेनदेन पर विचार करना और अनुमोदन करना।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और उचित समझे जाने पर, निम्नलिखित साधारण संकल्प पारित करना:

"**संकल्प किया जाता है** कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (इसके बाद "सेबी सूचीबद्धता विनियम" के रूप में संदर्भित) के विनियम 23(4) के प्रावधानों और ऐसे अन्य लागू कानूनी प्रावधानों, यदि कोई हो, और उसमें किसी भी संशोधन, आशोधन, परिवर्तन या उसके पुनः अधिनियमन (इसके बाद "लागू कानून" के रूप में संदर्भित) और पंजाब नैशनल बैंक (इसके बाद "बैंक" के रूप में संदर्भित) की 'संबंधित पक्ष की लेनदेन पर नीति' के अनुसरण में, बैंक के शेयरधारक एतद्द्वारा बैंक के निदेशक मंडल (इसके बाद "बोर्ड" के रूप में संदर्भित, जिस शब्द में इस संकल्प के अंतर्गत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति या बोर्ड द्वारा विधिवत रूप से गठित किसी भी समिति को शामिल माना जाएगा) बैंक की संबंधित पार्टियों, पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पीएनबीएचएफएल) के साथ ₹ 1000 करोड़ या बैंक के अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार बैंक के वार्षिक समेकित टर्नओवर के 10% के मैटेरियलिटी थ्रेसहोल्ड, जो भी कम हो, से अधिक राशि के लिए, जैसा कि वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान लागू कानूनों के अंतर्गत निर्धारित किया गया है, जैसा कि नोटिस के साथ संलग्न व्याख्यात्मक विवरण में निर्दिष्ट है, मीयादी ऋण, ऋण सहायता, ओवरड्राफ्ट इत्यादि स्वीकृत करने हेतु अनुबंध या समझौतों या लेनदेन करने और/या कार्यान्वित करने और/या जारी रखने के लिए (चाहे व्यक्तिगत लेनदेन हों या लेनदेन एक साथ किए गए हो या लेनदेन की एक श्रृंखला हो या अन्यथा हो) अनुमोदन प्रदान करते हैं।"

"आगे यह संकल्प किया जाता है कि बोर्ड सभी आवश्यक दस्तावेजों, अनुबंधों, विलेखों, करारों पर हस्ताक्षर करने और निष्पादित करने और ऐसे सभी कार्यों, डीड, मामलों और चीजों को करने के लिए, जैसा कि वह अपने पूर्ण विवेकाधिकार से इस संकल्प को लागू करने और इस संबंध या इस प्रसंग में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न का समाधान करने के लिए आवश्यक या उचित समझे, अधिकृत है और एतद्द्वारा अधिकृत किया जाता है, इसके आगे, शेयरधारकों की सहमति या अंत में स्वीकृति लेने की आवश्यकता के बिना और इस आशय से कि शेयरधारकों ने इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा स्पष्ट रूप से अपनी स्वीकृति दे दी है।"

"आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड एतद्द्वारा इसे प्रदान की गई सभी या किसी भी शक्ति को जैसा कि वह पूर्वोक्त संकल्प को लागू करने के लिए उचित समझे, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी या कार्यपालक निदेशक (कों) या कार्यपालकों की समिति या बैंक के किसी अधिकारी (अधिकारियों) को सौंपने के लिए अधिकृत है और एतद्द्वारा अधिकृत किया जाता है।"

<u>मद संख्या 5</u>: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (सहयोगियों) के साथ आईबीपीसी लेनदेन के लिए संबंधित पार्टी के महत्वपूर्ण लेनदेन पर विचार करना और अनुमोदन करना।

<u>Item No. 4:</u> To consider and approve the Material Related Party Transactions for Loans and Advances with PNB Gilts Limited (Subsidiary) and PNB Housing Finance Limited (Associate).

To consider and if thought fit, to pass the following as Ordinary Resolution:

"**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of Regulation 23(4) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (hereinafter referred to as "SEBI Listing Regulations") and such other applicable provisions of law, if any, and any amendments, modifications, variations or re-enactments thereof (hereinafter referred to as "Applicable Laws") and the 'Policy on Related Party Transactions' of Punjab National Bank (hereinafter referred to as "Bank"), the Shareholders of the Bank do hereby **accord approval** to the Board of Directors of the Bank (hereinafter referred to as "Board", which term shall be deemed to include the Audit Committee of Board or any Committee duly constituted by the Board, to exercise its powers conferred under this resolution), for entering into and/or carrying out and/or continuing with contracts or arrangements or transactions (whether individual transaction or transactions taken together or a series of transactions or otherwise) of granting of Loans and Advances such as Term Loans, Line of Credit, Overdraft, etc., to PNB Gilts Limited and PNB Housing Finance Limited (PNBHFL), Related Parties of the Bank within the meaning of Regulation 2(1)(zb) of SEBI Listing Regulations, for an amount in excess of the materiality threshold of ₹1000 Crore or 10% of the Annual Consolidated Turnover of the Bank as per the last audited financial statements of the Bank, whichever is lower, as prescribed under Applicable Laws, during FY 2023-24, as specified in the Explanatory Statement annexed to the Notice."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby **authorised** to sign and execute all necessary documents, contracts, deeds, agreements and to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary or expedient to give effect to this resolution and to settle any question that may arise in this regard and incidental thereto, without being required to seek any further consent or approval of the shareholders to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby **authorised** to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Managing Director & CEO or Executive Director(s) or Committee of Executives or any Officer(s) of the Bank, as it may deem fit, to give effect to the aforesaid Resolution."

<u>Item No. 5:</u> To consider and approve the Material Related Party Transactions for IBPC Transactions with Regional Rural Banks (Associates)

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और उचित समझे जाने पर निम्नलिखित साधारण संकल्प पारित करना:

"संकल्प किया जाता है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (इसके बाद ''सेबी सूचीबद्धता विनियम'' के रूप में संदर्भित) के विनियम 23(4) के प्रावधानों और ऐसे अन्य लागू कानूनी प्रावधानों, यदि कोई हो, और उसमें किसी भी संशोधन, आशोधन, परिवर्तन या उसके पुनः अधिनियमन (इसके बाद ''लागू कानून'' के रूप में संदर्भित) और पंजाब नैशनल बैंक (इसके बाद ''बैंक'' के रूप में संदर्भित) की 'संबंधित पक्ष की लेनदेन पर नीति' के अनुसरण में, बैंक के शेयरधारक एतद्वारा बैंक के निदेशक मंडल (इसके बाद ''बोर्ड'' के रूप में संदर्भित, जिस शब्द में इस संकल्प के अंतर्गत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति या बोर्ड द्वारा विधिवत रूप से गठित किसी भी समिति को शामिल माना जाएगा) बैंक की संबंधित पार्टियों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अर्थात असम ग्रामीण विकास बैंक, बंगीय ग्रामीण विकास बैंक, हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, मणिपुर ग्रामीण बैंक, पंजाब ग्रामीण बैंक, प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक और सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, के साथ ₹1000 करोड़ या बैंक के अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार बैंक के वार्षिक समेकित टर्नओवर के 10% के मैटेरियलिटी थ्रेसहोल्ड, जो भी कम हो, से अधिक राशि के लिए, जैसा कि वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान लागू कानूनों के अंतर्गत निर्धारित किया गया है, जैसा कि सूचना के साथ संलग्न व्याख्यात्मक विवरण में निर्दिष्ट है, आईबीपीसी लेनदेन हेतु अनुबंध या समझौते या लेनदेन करने और/या कार्यान्वित करने और/या जारी रखने के लिए (चाहे व्यक्तिगत लेनदेन हों या लेनदेन एक साथ किए गए हो या लेनदेन की एक श्रृंखला हो या अन्यथा हो) अनुमोदन प्रदान करते हैं।"

''आगे यह संकल्प किया जाता है कि बोर्ड सभी आवश्यक दस्तावेजों, अनुबंधों, विलेखों, करारों पर हस्ताक्षर करने और निष्पादित करने और ऐसे सभी कार्यों, डीड, मामलों और चीजों को करने के लिए, जैसा कि वह अपने पूर्ण विवेकाधिकार से इस संकल्प को लागू करने और इस संबंध या इस प्रसंग में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न का समाधान करने के लिए आवश्यक या उचित समझे, अधिकृत है और एतद्वारा अधिकृत किया जाता है, इसके आगे, शेयरधारकों की सहमति या अंत में स्वीकृति लेने की आवश्यकता के बिना और इस आशय से कि शेयरधारकों ने इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा स्पष्ट रूप से अपनी स्वीकृति दे दी है।''

"आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड एतद्वारा इसे प्रदान की गई सभी या किसी भी शक्ति को जैसा कि यह पूर्वोक्त संकल्प को लागू करने के लिए उचित समझे, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी या कार्यपालक निदेशक (कों) या कार्यपालकों की समिति या बैंक के किसी अधिकारी (अधिकारियों) को सौंपने के लिए अधिकृत है और एतद्वारा अधिकृत किया जाता है।"

मद संख्या 6: पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड (समनुषंगी) और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (सहायक) के साथ चालू खातों में संबंधित पार्टी के महत्वपूर्ण लेनदेन पर विचार करना और अनुमोदन करना।

To consider and if thought fit, pass the following as Ordinary Resolution:

"**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of Regulation 23(4) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (hereinafter referred to as "SEBI Listing Regulations") and such other applicable provisions of law, if any, and any amendments, modifications, variations or re-enactments thereof (hereinafter referred to as "Applicable Laws") and the 'Policy on Related Party Transactions' of Punjab National Bank (hereinafter referred to as "Bank"), the Shareholders of the Bank do hereby **accord approval** to the Board of Directors of the Bank (hereinafter referred to as "Board", which term shall be deemed to include the Audit Committee of Board or any Committee duly constituted by the Board, to exercise its powers conferred under this resolution), for entering into and/or carrying out and/or continuing with contracts or arrangements or transactions (whether individual transaction or transactions taken together or a series of transactions or otherwise) for undertaking IBPC transactions with Regional Rural Banks viz. Assam Gramin Vikash Bank, Bangiya Gramin Vikash Bank, Himachal Pradesh Gramin Bank, Manipur Rural Bank, Punjab Gramin Bank, Prathama UP Gramin Bank, Tripura Gramin Bank, Dakshin Bihar Gramin Bank and Sarva Haryana Gramin Bank, Related Parties of the Bank within the meaning of Regulation 2(1)(zb) of SEBI Listing Regulations, for an amount in excess of the materiality threshold of ₹1000 Crore or 10% of the Annual Consolidated Turnover of the Bank as per the last audited financial statements of the Bank, whichever is lower, as prescribed under Applicable Laws, during FY 2023-24, as specified in the Explanatory Statement annexed to the Notice."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby **authorised** to sign and execute all necessary documents, contracts, deeds, agreements and to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary or expedient to give effect to this resolution and to settle any question that may arise in this regard and incidental thereto, without being required to seek any further consent or approval of the shareholders to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby **authorised** to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Managing Director & CEO or Executive Director(s) or Committee of Executives or any Officer(s) of the Bank, as it may deem fit, to give effect to the aforesaid Resolution."

Item No. 6: To consider and approve the Material Related Party Transactions in the Current Accounts of PNB Gilts Limited (Subsidiary) and PNB Housing Finance Limited (Associate).

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और उचित समझे जाने पर निम्नलिखित साधारण संकल्प पारित करना:

"संकल्प किया जाता है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (इसके बाद "सेबी सूचीकरण विनियम" के रूप में संदर्भित) के विनियम 23(4) के प्रावधानों और ऐसे अन्य लागू कानूनी प्रावधानों, यदि कोई हो, और उसमें किसी भी संशोधन, आशोधन, परिवर्तन या उसके पुनः अधिनियमन (इसके बाद "लागू कानून" के रूप में संदर्भित) और पंजाब नेशनल बैंक (इसके बाद "बैंक" के रूप में संदर्भित) की 'संबंधित पार्टी लेनदेन पर नीति' के अनुसरण में, बैंक के शेयरधारक एतद्द्वारा बैंक के निदेशक मंडल (इसके बाद "बोर्ड" के रूप में संदर्भित, जिस शब्द में इस संकल्प के अंतर्गत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति या बोर्ड द्वारा विधिवत रूप से गठित किसी भी समिति को शामिल माना जाएगा) बैंक की संबंधित पार्टियों पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पीएनबीएचएफएल) के साथ, बैंक द्वारा चालू खाता जमा, चाहे नए जमा(ओं) या किसी वृद्धि (ओं) के माध्यम से या पहले के अनुबंधों/समझौतों/लेनदेनों में संशोधन या अन्यथा के रूप में हों, की स्वीकृति हेतु, इसके बावजूद की किसी भी दिन उच्चतम बकाया राशि ₹1000 करोड़ या बैंक के अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार बैंक के वार्षिक समेकित टर्नओवर के 10% के मैटेरियलिटी थ्रेसहोल्ड, जो भी कम हो, से अधिक हो सकती है जैसा कि वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान लागू कानूनों के अंतर्गत निर्धारित किया गया है, जैसा कि नोटिस के साथ संलग्न व्याख्यात्मक विवरण में निर्दिष्ट है, अनुबंध या समझौते या लेनदेन करने और/या कार्यान्वित करने और/या जारी रखने के लिए (चाहे व्यक्तिगत लेनदेन हों या लेनदेन एक साथ किए जाएं हों या लेनदेन की एक श्रृंखला या अन्यथा हो) अनुमोदन प्रदान करते हैं।"

"आगे यह संकल्प किया जाता है कि बोर्ड सभी आवश्यक दस्तावेजों, अनुबंधों, विलेखों, करारों पर हस्ताक्षर करने और निष्पादित करने और ऐसे सभी कार्यों, डीड्स, मामलों और चीजों को करने के लिए, जैसा कि वह अपने पूर्ण विवेकाधिकार से इस संकल्प को लागू करने और इस संबंध या इस प्रसंग में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न का समाधान करने के लिए आवश्यक या उचित समझे, अधिकृत है और एतद्द्वारा अधिकृत किया जाता है, इसके आगे, शेयरधारकों की सहमति या अंत में स्वीकृति लेने की आवश्यकता के बिना और इस आशय से कि शेयरधारकों ने इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा स्पष्ट रूप से अपनी स्वीकृति दे दी है।"

"आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड को एतद्द्वारा इसे प्रदान की गई सभी या किसी भी शक्ति को जैसा कि वह पूर्वोक्त संकल्प को लागू करने के लिए उचित समझे, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी या कार्यपालक निदेशक (कों) या कार्यपालकों की समिति या बैंक के किसी अधिकारी (अधिकारियों) को सौंपने के लिए अधिकृत है और एतद्द्वारा अधिकृत किया जाता है।"

मद संख्या 7: ड्रुक पीएनबी बैंक लिमिटेड (अंतर्राष्ट्रीय सहायक) और एवरेस्ट बैंक लिमिटेड (अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त उद्यम) के साथ नोस्ट्रो खाते में संबंधित पार्टी के महत्वपूर्ण लेनदेन पर विचार करना और अनुमोदन करना।

To consider and if thought fit, to pass the following as Ordinary Resolution:

"**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of Regulation 23(4) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (hereinafter referred to as "SEBI Listing Regulations") and such other applicable provisions of law, if any, and any amendments, modifications, variations or re-enactments thereof (hereinafter referred to as "Applicable Laws") and the 'Policy on Related Party Transactions' of Punjab National Bank (hereinafter referred to as "Bank"), the Shareholders of the Bank do hereby **accord approval** to the Board of Directors of the Bank (hereinafter referred to as "Board", which term shall be deemed to include the Audit Committee of Board or any Committee duly constituted by the Board, to exercise its powers conferred under this resolution), for entering into and/or carrying out and/or continuing with contracts or arrangements or transactions (whether individual transaction or transactions taken together or a series of transactions or otherwise) for acceptance of current account deposits by the Bank whether by way of fresh deposit(s) or any extension(s) or modification(s) of earlier contracts/arrangements/transactions or otherwise, from PNB Gilts Limited and PNB Housing Finance Limited, Related Parties of the Bank within the meaning of Regulation 2(1)(zb) of SEBI Listing Regulations, notwithstanding the fact that the highest outstanding balance on any day, may exceed the materiality threshold of ₹1000 Crore or 10% of the Annual Consolidated Turnover of the Bank as per the last audited financial statements of the Bank, whichever is lower, as prescribed under Applicable Laws, during FY 2023-24, as specified in the Explanatory Statement annexed to the Notice."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby **authorised** to sign and execute all necessary documents, contracts, deeds, agreements and to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary or expedient to give effect to this resolution and to settle any question that may arise in this regard and incidental thereto, without being required to seek any further consent or approval of the shareholders to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby **authorised** to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Managing Director & CEO or Executive Director(s) or Committee of Executives or any Officer(s) of the Bank, as it may deem fit, to give effect to the aforesaid Resolution."

Item No. 7: To consider and approve the Material Related Party Transactions in the Nostro Account with Druk PNB Bank Limited (International Subsidiary) & Everest Bank Limited (International Joint Venture).

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और उचित समझे जाने पर, निम्नलिखित साधारण संकल्प पारित करना:

"**संकल्प किया जाता है कि** भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (इसके बाद "सेबी सूचीबद्धता विनियम" के रूप में संदर्भित) के विनियम 23(4) के प्रावधानों और ऐसे अन्य लागू कानूनी प्रावधानों, यदि कोई हो, और उसमें किसी भी संशोधन, आशोधन, परिवर्तन या उसके पुनः अधिनियमन (इसके बाद "लागू कानून" के रूप में संदर्भित) और पंजाब नेशनल बैंक (इसके बाद "बैंक" के रूप में संदर्भित) की 'संबंधित पक्ष की लेनदेन पर नीति' के अनुसरण में, बैंक के शेयरधारक एतद्द्वारा बैंक के निदेशक मंडल (इसके बाद "बोर्ड" के रूप में संदर्भित, जिस शब्द में इस संकल्प के अंतर्गत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति या बोर्ड द्वारा विधिवत रूप से गठित किसी भी समिति को शामिल माना जाएगा) को सेबी सूचीबद्धता विनियम के विनियम 2(1)(जेडबी) के अभिप्राय के भीतर बैंक की संबंधित पार्टियों, ड्रुक पीएनबी बैंक लिमिटेड (अंतर्राष्ट्रीय सहायक) और एवरेस्ट बैंक लिमिटेड (अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त उद्यम) के साथ नोस्ट्रो खाते में लेनदेन, चाहे नए लेनदेन के माध्यम से या किसी भी विस्तार या पिछले अनुबंधों/व्यवस्थाओं/लेन-देन के संशोधन या अन्यथा के रूप में हो, इसके बावजूद की किसी भी दिन उच्चतम बकाया राशि ₹1000 करोड़ या बैंक के अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार बैंक के वार्षिक समेकित टर्नओवर के 10% के मैटेरियलिटी थ्रेसहोल्ड, जो भी कम हो, से अधिक हो सकती है जैसा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान लागू कानूनों के अंतर्गत निर्धारित किया गया है, जैसा कि नोटिस के साथ संलग्न व्याख्यात्मक विवरण में निर्दिष्ट है, अनुबंध या समझौते या लेनदेन करने और/या कार्यान्वित करने और/या जारी रखने के लिए (चाहे व्यक्तिगत लेनदेन हों या लेनदेन एक साथ किए जाएं हो या लेनदेन की एक श्रृंखला या अन्यथा हो) अनुमोदन प्रदान करते हैं।"

"आगे यह संकल्प किया जाता है कि बोर्ड सभी आवश्यक दस्तावेजों, अनुबंधों, विलेखों, करारों पर हस्ताक्षर करने और निष्पादित करने और ऐसे सभी कार्यों, डीड, मामलों और चीजों को करने के लिए, जैसा कि वह अपने पूर्ण विवेकाधिकार से इस संकल्प को लागू करने और इस संबंध या इस प्रसंग में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न का समाधान करने के लिए आवश्यक या उचित समझे, अधिकृत है और एतद्द्वारा अधिकृत किया जाता है, इसके आगे, शेयरधारकों की सहमति या अंत में स्वीकृति लेने की आवश्यकता के बिना और इस आशय से कि शेयरधारकों ने इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा स्पष्ट रूप से अपनी स्वीकृति दे दी है।"

"आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड को एतद्द्वारा इसे प्रदान की गई सभी या किसी भी शक्ति को जैसा कि वह पूर्वोक्त संकल्प को लागू करने के लिए उचित समझे, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी या कार्यपालक निदेशक (कों) या कार्यपालकों की समिति या बैंक के किसी अधिकारी (अधिकारियों) को सौंपने के लिए **अधिकृत है** और एतद्द्वारा अधिकृत किया जाता है।"

<u>मद संख्या 8:</u> **बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में श्री अतुल कुमार गोयल की नियुक्ति पर विचार करना और अनुमोदन करना।**

To consider and if thought fit, to pass with or without modification, the following as Ordinary Resolution:

"**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of Regulation 23(4) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (hereinafter referred to as "SEBI Listing Regulations") and such other applicable provisions of law, if any, and any amendments, modifications, variations or re-enactments thereof (hereinafter referred to as "Applicable Laws") and the 'Policy on Related Party Transactions' of Punjab National Bank (hereinafter referred to as "Bank"), the Shareholders of the Bank do hereby **accord approval** to the Board of Directors of the Bank (hereinafter referred to as "Board", which term shall be deemed to include the Audit Committee of Board or any Committee duly constituted by the Board, to exercise its powers conferred under this resolution), for entering into and/or carrying out and/or continuing with contracts or arrangements or transactions (whether individual transaction or transactions taken together or a series of transactions or otherwise) in the Nostro accounts whether by way of fresh transaction or any extension(s) or modification(s) of earlier contracts/arrangements/ transactions or otherwise, with Druk PNB Bank Limited and Everest Bank Limited, Related Parties of the Bank within the meaning of Regulation 2(1)(zb) of SEBI Listing Regulations, notwithstanding the fact that the highest outstanding balance on any day, may exceed the materiality threshold of ₹1000 Crore or 10% of the Annual Consolidated Turnover of the Bank as per the last audited financial statements of the Bank, whichever is lower, as prescribed under Applicable Laws, during FY 2023-24, as specified in the Explanatory Statement annexed to the Notice."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby **authorised** to sign and execute all necessary documents, contracts, deeds, agreements and to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary or expedient to give effect to this resolution and to settle any question that may arise in this regard and incidental thereto, without being required to seek any further consent or approval of the shareholders to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby **authorised** to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Managing Director & CEO or Executive Director(s) or Committee of Executives or any Officer(s) of the Bank, as it may deem fit, to give effect to the aforesaid Resolution."

<u>Item No. 8:</u> To consider and approve the appointment of Shri Atul Kumar Goel as Managing Director & Chief Executive Officer of the Bank

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और उचित समझे जाने पर, निम्नलिखित साधारण संकल्प पारित करना:

"संकल्प किया जाता है कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप–धारा (3) के खंड (ए) के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17(1सी) के पहले परंतुक यथासंशोधित, के अनुसार, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. eF-No-4/1/2021&BO-I दिनांक 28 दिसंबर, 2021 के माध्यम से बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में श्री अतुल कुमार गोयल की नियुक्ति को 01 फरवरी, 2022 से उनकी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने की तिथि तक (अर्थात, 31.12.2024), या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, भारत सरकार द्वारा निर्धारित समान नियमों और शर्तों पर एतद्द्वारा अनुमोदित किया जाता है।"

<u>मद सख्या 9:</u> बैंक के बोर्ड मे भारतीय रिजर्व बैंक की सस्तुति पर केंद्र सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में श्री अनिल कुमार मिश्रा की नियुक्ति पर विचार करना और अनुमोदन करना।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और उचित समझे जाने पर, निम्नलिखित साधारण संकल्प पारित करना:

"संकल्प किया जाता है कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप–धारा (3) के खंड (सी) और राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 के पैरा 3 के उप–अनुच्छेद (1) के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17(1सी) के पहले परंतुक यथासंशोधित, के अनुसार, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. ईएफ.सं. 6/3/2011–बीओ-। दिनांक 25 फरवरी, 2022 के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक की संस्तुति पर नामित निदेशक के रूप में केंद्र सरकार द्वारा 25 फरवरी, 2022 से और अगले आदेशों तक, श्री अनिल कुमार मिश्रा की नियुक्ति को भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों पर एतद्द्वारा अनुमोदित किया जाता है।"

<u>मद सख्या 10:</u> बैंक के बोर्ड मे भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में श्री पंकज शर्मा की नियुक्ति पर विचार एवं अनुमोदन करना

विचार हेतु तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित को पारित किया जाता है:

संकल्प किया जाता है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1सी) के प्रथम प्रावधान के अनुसार, यथा संशोधित, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप–धारा (3) के खंड (बी) के साथ पठित, भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप मे श्री पंकज शर्मा की नियुक्ति वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. ईएफ.सं.6/2/2022–बीओ. आई दिनांक 11 अप्रैल, 2022 को तत्काल प्रभाव से 11 अप्रैल, 2022 से तथा अगले आदेश तक के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों पर एतद्द्वारा अनुमोदित की जाती है।

To consider and if thought fit, to pass the following as Ordinary Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the First Proviso to Regulation 17(1C) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, read with clause (a) of sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the appointment of Shri Atul Kumar Goel vide DFS, Ministry of Finance, Government of India's Notification no. eF.No.4/1/2021-BO.I dated 28th December, 2021 as the Managing Director & Chief Executive Officer of the Bank with effect from 01st February, 2022 and up to the date of his attaining the age of superannuation (i.e., 31.12.2024), or until further orders, whichever is earlier, be and is hereby **approved** on the same terms and conditions as determined by the Government of India.

<u>Item No. 9:</u> To consider and approve the appointment of Shri Anil Kumar Misra as Director nominated by the Central Government on the recommendation of the Reserve Bank of India on the Board of the Bank

To consider and if thought fit, to pass the following as Ordinary Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the First Proviso to Regulation 17(1C) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, read with clause (c) of sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and sub-paragraph (1) of paragraph 3 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the appointment of Shri Anil Kumar Misra vide DFS, Ministry of Finance, Government of India's Notification no. eF.No.6/3/2011-BO.I dated 25th February, 2022 as the Director nominated by the Central Government on the recommendation of the Reserve Bank of India on the Board of the Bank with effect from 25th February, 2022 and until further orders, be and is hereby **approved** on the same terms and conditions as determined by the Government of India.

<u>Item No. 10:</u> To consider and approve the appointment of Shri Pankaj Sharma as Government of India Nominee Director on the Board of the Bank

To consider and if thought fit, to pass the following as Ordinary Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the First Proviso to Regulation 17(1C) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, read with clause (b) of sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the appointment of Shri Pankaj Sharma vide DFS, Ministry of Finance, Government of India's Notification no. eF.No.6/2/2022-BO.I dated 11th April, 2022 as the Government of India Nominee Director on the Board of the Bank with effect from 11th April, 2022 and until further orders, be and is hereby **approved** on the same terms and conditions as determined by the Government of India.

मद संख्या 11: बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री बिनोद कुमार की नियुक्ति पर विचार एवं अनुमोदन करना।

विचार हेतु तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित को पारित किया जाता है:

संकल्प किया जाता है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1सी) के प्रथम प्रावधान के अनुसार, यथा संशोधित, बैंकिंग कंपनी (अर्जन और उपक्रमों का हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप–धारा (3) के खंड (ए) के साथ पठित, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. ईएफ.सं. 4/6/2021–BO.I दिनांक 21 नवंबर, 2022 के माध्यम से श्री बिनोद कुमार की नियुक्ति बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में 21 नवंबर, 2022 से तीन वर्ष की अवधि के लिए, अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों पर एतद्द्वारा **अनुमोदित** की जाती है।

मद सं.12: बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री एम. परमशिवम की नियुक्ति पर विचार करना एवं उसे अनुमोदित करना

विचार हेतु तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित को पारित किया जाता है:

संकल्प किया जाता है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1सी) के प्रथम प्रावधान के अनुसार, यथा संशोधित, बैंकिंग कंपनी (अर्जन और उपक्रमों का हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप–धारा (3) के खंड (ए) के साथ पठित, वित्तीय सेवाएं विभा, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. ईएफ.सं.4/6/2021–बीओ.आई दिनांक 21 नवंबर, 2022 के माध्यम से 01 दिसम्बर 2022 से तीन वर्ष की अवधि के लिए श्री एम. परमशिवम की नियुक्ति बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों पर एतद्द्वारा **अनुमोदित** की जाती है।

मद संख्या 13: बैंक के बोर्ड में अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक एवं गैर–कार्यपालक अध्यक्ष (स्वतंत्र) के रूप में श्री के.जी. अनंतकृष्णन की नियुक्ति पर विचार एवं अनुमोदन करना

विचार हेतु तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित को पारित किया जाता है:

संकल्प किया जाता है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 25(2A(तथा विनियम 17 (1सी) के प्रथम प्रावधान के अनुसार, यथा संशोधित, बैंकिंग कंपनी (अर्जन और उपक्रमों का हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप–धारा (3) के खंड (एच) के साथ पठित एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 के पैराग्राफ 5(1) एवं 9(2)(बी) के अनुसार, श्री के. जी. अनंतकृष्णन की नियुक्ति वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना ईएफ.सं. 6/9/2022–बीओ. आई दिनांक 7 नवंबर, 2022 को अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक के साथ–साथ गैर–कार्यपालक अध्यक्ष

Item No. 11: To consider and approve the appointment of Shri Binod Kumar as Executive Director of the Bank.

To consider and if thought fit, to pass the following as Ordinary Resolution:

"**RESOLVED THAT** pursuant to the First Proviso to Regulation 17(1C) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, read with clause (a) of sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the appointment of Shri Binod Kumar vide DFS, Ministry of Finance, Government of India's Notification no. eF.No.4/6/2021-BO.I dated 21st November, 2022 as the Executive Director of the Bank for a period of three years with effect from 21st November, 2022, or until further orders, whichever is earlier, be and is hereby **approved** on the same terms and conditions as determined by the Government of India.

Item No. 12: To consider and approve the appointment of Shri M. Paramasivam as Executive Director of the Bank

To consider and if thought fit, to pass the following as Ordinary Resolution:

"**RESOLVED THAT** pursuant to the First Proviso to Regulation 17(1C) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, read with clause (a) of sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the appointment of Shri M. Paramasivam vide DFS, Ministry of Finance, Government of India's Notification no. eF.No.4/6/2021-BO.I dated 21st November, 2022 as the Executive Director of the Bank for a period of three years with effect from 01st December 2022, or until further orders, whichever is earlier, be and is hereby **approved** on the same terms and conditions as determined by the Government of India.

Item No. 13: To consider and approve the appointment of Shri K. G. Ananthakrishnan as Part-Time Non-Official Director and Non-Executive Chairman (Independent) on the Board of the Bank

To consider and if thought fit, to pass the following as Special Resolution:

"**RESOLVED THAT** pursuant to Regulation 25(2A) and the First Proviso to Regulation 17(1C) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, read with clause (h) of sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and Paragraph 5(1) and 9(2)(b) of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the appointment of Shri K.G. Ananthakrishnan vide DFS, Ministry of Finance, Government of India's Notification eF.No. 6/9/2022-BO.I dated 7th November, 2022 as Part-Time Non-Official Director as well as Non-Executive Chairman on the Board of the Bank for a term of three years, with effect from 7th

के रूप में बैंक के बोर्ड में तीन साल की अवधि के लिए, अधिसूचना की तिथि से अर्थात 7 नवंबर, 2022 तक, या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों पर एतद्द्वारा अनुमोदित की जाती है।

मद संख्या 14 : कर्मचारी स्टॉक क्रय योजना (ईएसपीएस) के माध्यम से कर्मचारियों को इक्विटी शेयर जारी करने की स्वीकृति एवं अनुमोदन प्राप्त करना

बोर्ड/समिति द्वारा तय किए गए नियमों एवं शर्तों पर, एक या अधिक खेपों में, ऐसी कीमत या कीमतों पर एवं लाभांश के भुगतान सहित सभी उद्देश्यों के लिए एवं सभी प्रकार से बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के साथ सममात्रा प्रभार रैंकिंग पर कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना के अंतर्गत ₹2/– (केवल दो रुपये) के अंकित मूल्य के 15,00,00,000 (पंद्रह करोड़) तक के नए इक्विटी शेयरों की पेशकश, जारी करना एवं आवंटित करना।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के विशेष संकल्प के रूप में पारित किया जाता है:

"संकल्प किया जाता है बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 ('अधिनियम'), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 ("योजना") एवं पंजाब नैशनल बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियम 2000 ("पीएनबी विनियम"), समय–समय पर यथा 'संशोधित के प्रावधानों के अनुसार एवं भारतीय रिजर्व बैंक ("आरबीआई"), सरकार के अनुमोदन, सहमति, अनुमति एवं प्रतिबंधों के अधीन, यदि कोई हो, भारत ("जीओआई"), भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ("सेबी"), स्टॉक एक्सचेंज (एस) जिसमें बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, जहां भी लागू हो एवं/या कोई अन्य प्राधिकरण जो इस संबंध में आवश्यक हो एवं इस तरह के नियम, शर्तें एवं संशोधन के अधीन हो, जैसा कि उनके द्वारा इस तरह के अनुमोदन देने में निर्धारित किया जा सकता है एवं जिसे बैंक के निदेशक मंडल द्वारा सहमति दी जा सकती है एवं सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ एवं स्वेट इक्विटी) विनियमों 2021, यथासंशोधित अद्यतन "सेबी (एसबीईबी एवं एसई) विनियम",, एवं दिशानिर्देश, यदि कोई हो, के प्रावधान के अधीन, आरबीआई, सेबी एवं अन्य सभी संबंधित प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के अंतर्गत अधिसूचनाएं/परिपत्र एवं स्पष्टीकरण, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992, एवं समय–समय पर अन्य सभी लागू कानून एवं सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ख्सेबी लिस्टिंग विनियम, के प्रावधानों के अधीन जैसा कि आज तक संशोधित किया गया है, बीएसई लिमिटेड (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) जैसे स्टॉक एक्सचेंजों के साथ बैंक द्वारा किया गया लिस्टिंग समझौता एवं किसी भी प्राधिकरण के किसी भी स्तर पर, किसी भी लागू अनुमोदन (अनुमोदनों), अनुमति(यों) और स्वीकृति(यों) के अधीन और किसी भी शर्त और संशोधन(नों) के अधीन, जैसा कि ऐसे अधिकारियों द्वारा निर्धारित या लगाया जा सकता है इस तरह के अनुमोदन (अनुमोदन), अनुमति(यों) और स्वीकृति(यों) को देना और जिस पर बैंक के निदेशक मंडल द्वारा सहमति और स्वीकृति दी जा सकती है, बैंक के शेयरधारकों की सहमति बैंक के निदेशक मंडल ("बोर्ड" जिसमें एक समिति शामिल मानी जाएगी) को दी जाएगी एवं

November, 2022, or until further orders, whichever is earlier, be and is hereby **approved** on the same terms and conditions as determined by the Government of India.

Item No. 14: To consider and approve Issue of equity shares to Employees through Employee Stock Purchase Scheme (ESPS)

To offer, issue and allot up to 15,00,00,000 (Fifteen Crore) new equity shares of face value of ₹2/- (Rupees Two only) each, ranking pari passu with the existing equity shares of the Bank for all purpose and in all respects, including payment of dividend, under an Employee Stock Purchase Scheme in one or more tranches, at such price or prices, and on such terms and conditions as may be decided by the Board/Committee.

To consider and if thought fit, to pass with or without modification, the following Resolution as a Special Resolution:

"**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 ("The Act"), The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 ("The Scheme") and Punjab National Bank (Shares and Meetings) Regulations 2000 ("PNB Regulations"), as amended from time to time and subject to the approvals, consents, permissions and sanctions, if any, of the Reserve Bank of India ("RBI"), the Government of India ("GOI"), the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), Stock Exchange (s) wherein Bank's equity shares are listed, and/or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto, as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the provisions of SEBI (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021, as amended up to date ["SEBI (SBEB & SE) Regulations"], and guidelines, if any, prescribed by the RBI, SEBI, and all other relevant authorities, notifications/circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, the Securities and Exchange Board of India Act, 1992, and all other applicable laws from time to time and subject to the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") as amended upto date, Listing Agreement entered into by the Bank with the Stock Exchanges namely BSE Limited (BSE) and the National Stock Exchange of India Limited (NSE) and subject to any applicable approval(s), permission(s) and sanction(s), at any stage, of any authority and subject to any condition (s) and modification(s) as may be prescribed or imposed by such authorities while granting such approval(s), permission(s) and sanction(s) and which may be agreed to and accepted by the Board of Directors of the Bank, the **approval** of the shareholders of the Bank be and is hereby **accorded** to the Board of Directors of the Bank ("the Board" which shall be deemed to include a Committee which the Board may have constituted or/may constitute, to exercise

जिसे बोर्ड इस संकल्प द्वारा प्रदत्त शक्तियों सहित अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए गठित या/गठित कर सकता है) बोर्ड/समिति द्वारा तय किए गए नियमों एवं शर्तों पर, एक या अधिक खेपों में, ऐसी कीमत या कीमतों पर एवं लाभांश के भुगतान सहित सभी उद्देश्यों के लिए एवं सभी प्रकार से बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के साथ सममात्रा प्रभार रैंकिंग पर कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना के अंतर्गत ₹ 2/- (केवल दो रुपये) के अंकित मूल्य के 15,00,00,000 (पंद्रह करोड़) तक के नए इक्विटी शेयरों की पेशकश, जारी करना एवं आवंटित करना, जैसा कि बोर्ड/समिति द्वारा अपने पूर्ण विवेक से उचित समझा जा सकता है, जब तक कि भारत सरकार की होल्डिंग 52.00% से नीचे नहीं आती है।

"आगे संकल्प किया जाता है कि बैंक सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ एवं स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021 के विनियम 15 या किसी भी वैधानिक संशोधन (संशोधन), संशोधन(नों) या उसके पुन: अधिनियमन में निर्दिष्ट लेखांकन नीतियों के अनुरूप होगा।"

"आगे संकल्प किया जाता है कि स्टॉक एक्सचेंजों और अन्य लागू दिशानिर्देशों, नियमों और विनियमों के साथ किए गए लिस्टिंग समझौतों के नियमों और शर्तों के अनुसार बोर्ड को "पीएनबी–ईएसपीएस" के अंतर्गत जारी किए गए एवं आवंटित किए गए इक्विटी शेयरों को उन स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए अधिकृत किया जाता है, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं।"

"आगे संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए, बोर्ड को एवं एतद्द्वारा ऐसे सभी कार्यों, विलेखों, मामलों एवं चीजों को करने के लिए जिन्हें वह अपने पूर्ण विवेक से आवश्यक, उचित एवं वांछनीय समझे एवं किसी भी प्रश्न, कठिनाई या संदेह को निपटाने के लिए जो इक्विटी शेयरों के मुद्दे के संबंध में उत्पन्न हो सकता है, के लिए अधिकृत किया जाता है एवं इस तरह के सभी कार्यों, विलेखों, मामलों और चीजों को करने के लिए, सभी दस्तावेजों और लेखन को अंतिम रूप देना और निष्पादित करना, जैसा कि आवश्यक, वांछनीय या समीचीन हो सकता है, जैसा कि यह अपने पूर्ण विवेकानुसार सही, उचित या वांछनीय समझे बिना किसी और सहमति की आवश्यकता के बिना हो सकता है या शेयरधारकों की स्वीकृति या समाप्ति के लिए अधिकृत हो एवं यह इरादा रखते हैं कि शेयरधारकों को इस संकल्प के अधिकार द्वारा स्पष्ट रूप से अपना अनुमोदन दिया गया माना जाएगा।

"आगे संकल्प किया जाता है कि बोर्ड एतद्द्वारा "पीएनबी–ईएसपीएस" को लागू करने, तैयार करने, विकसित करने, तय करने एवं बोर्ड द्वारा तय किए गए नियमों एवं शर्तों पर लागू करने एवं कोई संशोधन करने के लिए अधिकृत है तथा पीएनबी–ईएसपीएस" के नियमों एवं शर्तों में समय–समय पर परिवर्तन, बदलाव, बदलाव या संशोधन, संशोधन सहित, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं "पीएनबी–ईएसपीएस" की कीमत, अवधि, पात्रता मानदंड या निलंबित, वापस लेना, समाप्त या संशोधित करना, जैसा कि बोर्ड अपने विवेकाधिकार से निर्धारित कर सकता है एवं इसके संबंध में उत्पन्न होने वाले सभी प्रश्नों, कठिनाइयों या संदेहों को भी निपटाने के लिए "पीएनबी–ईएसपीएस" के कार्यान्वयन एवं प्रस्तावित "पीएनबी–ईएसपीएस" के अनुसरण में जारी किए जाने वाले शेयरों के लिए शेयरधारकों की किसी एवं सहमति या अनुमोदन की आवश्यकता के बिना या अन्यथा अंत तक एवं ऐसा इरादा रखते है कि शेयरधारक होंगे

its powers including the powers conferred by this resolution) to create, grant, offer, issue and allot, in one or more tranches, to such employees as may be decided by the Board/Committee, aggregating up to 15,00,00,000 (Fifteen Crore) equity shares of face value of ₹2/- (Rupees Two only) each, ranking pari passu with the existing equity shares of the Bank for all purposes and in all respects, including payment of dividend, under an Employee Stock Purchase Scheme (hereinafter referred to as "PNB-ESPS"), at such price or prices, and on such terms and conditions as may be deemed appropriate by the Board/Committee thereof in its absolute discretion in such a way that Government of India share holding does not come below 52.00%.

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Bank shall **conform** to the accounting policies as specified in Regulation 15 of the SEBI (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021 or any statutory modification(s), amendment(s) or re-enactment thereof."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby **authorised** to take necessary steps for listing of the equity shares issued and allotted under the "PNB-ESPS", on the Stock Exchanges wherein the shares of the Bank are listed, as per the terms and conditions of the listing agreements entered into with the Stock Exchanges and other applicable guidelines, rules and regulations."

"**RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby **authorised** to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalize and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorize to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby **authorised** to implement, formulate, evolve, decide upon and bring into effect the "PNB-ESPS" on such terms and conditions as may be decided by the Board and to make any modification (s), change (s), variation (s), alteration (s) or revision (s) in the terms and conditions of the "PNB-ESPS", from time to time, including but not limited to, amendment (s) with respect to price, period, eligibility criteria or to suspend, withdraw, terminate or revise the "PNB-ESPS" in such manner as the Board may determine in its sole discretion and also to settle all questions, difficulties or doubts that may arise in relation to the implementation of the "PNB-ESPS" and to the shares to be issued pursuant to the proposed "PNB-ESPS" without being required to seek any further consent or approval of the Shareholders or otherwise to the end and intent that the

माना जाता है कि इस संकल्प के अधिकार द्वारा स्पष्ट रूप से वहां अपना अनुमोदन दिया गया है।

"आगे संकल्प किया जाता है कि बोर्ड बैंक के निदेशकों की समिति, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी या कार्यपालक निदेशक या मुख्य वित्तीय अधिकारी या ऐसे अन्य अधिकारी को इसके द्वारा प्रदान की गई सभी या किसी भी शक्ति को प्रत्यायोजित करने के लिए अधिकृत है जैसा कि सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021 और अन्य लागू कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन में पूर्वोक्त संकल्पों को प्रभावी करने के लिए बैंक के रूप में यह उपयुक्त हो सकते हैं।

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते पंजाब नैशनल बैंक

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 03.06.2023

(एकता पसरीचा)
कंपनी सचिव

टिप्पणियाँ :

1. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो–विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) द्वारा वार्षिक आम बैठक

   कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने अपने सामान्य परिपत्र संख्या 10/2022 दिनांक 28 दिसंबर 2022 के द्वारा कंपनियों को 30 सितंबर, 2023 तक वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम आयोजित करने की अनुमति दी है। इसके अलावा, सेबी ने अपने परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी–2/पी/सीआईआर/2023/4 दिनांक 5 जनवरी, 2023 को सेबी परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी 2/सीआईआर/पी/2022/62 दिनांक 13 मई, 2022 के साथ पठित 30 सितंबर, 2023 तक वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आम बैठक आयोजित करने के संबंध में सूचीबद्ध संस्थाओं के लिए छूट भी बढ़ा दी है।

   उपर्युक्त दिशानिर्देशों एवं बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 एवं सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार, बैंक की 22वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित किया जा रहा है जिसके लिए साझा स्थल पर शेयरधारकों की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले शेयरधारकों की गणना पंजाब नैशनल बैंक (शेयर एवं बैठक) विनियम, 2000 के विनियम 58 के अंतर्गत कोरम की गणना के उद्देश्य से की जाएगी। 22 वीं एजीएम के लिए मान्य स्थान बैंक का प्रधान कार्यालय होगा।

   वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने, रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से वोटिंग एवं एजीएम के दौरान ई–वोटिंग की सुविधा **नैशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)** द्वारा प्रदान की जाएगी।

   शेयरधारक इस नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करके वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में शामिल हो सकते हैं, जो शेयरधारकों के लिए 30 जून, 2023 को सुबह 10:30 बजे से

Shareholders shall be deemed to have given their approval there to expressly by authority of this resolution."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby **authorised** to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Committee(s) of Directors, the Managing Director & Chief Executive Officer or Executive Director (s) or such other officer (s) of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolutions in compliance with the SEBI (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021 and other applicable laws, rules and regulations."

By order of the Board of Directors
For Punjab National Bank

Place: New Delhi
Date: 03.06.2023

(Ekta Pasricha)
Company Secretary

NOTES:

1. Annual General Meeting through Video Conferencing (VC)/Other Audio-Visual Means (OAVM)

   The Ministry of Corporate Affairs (MCA) vide its General Circular No. 10/2022 dated 28th December, 2022 has permitted the companies to hold their AGM through VC/OAVM till 30th September, 2023. Further, SEBI vide its Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated 05th January, 2023 read with SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated 13th May, 2022, has also extended the relaxations to the listed entities in respect of holding General Meetings through VC/OAVM till 30th September, 2023.

   In accordance with the aforesaid Guidelines and the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 & the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the 22nd Annual General Meeting (AGM) of the Bank is being conducted through VC/OAVM which does not require physical presence of shareholders at a common venue. The shareholders attending the AGM through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Regulation 58 of Punjab National Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2000. The deemed venue for the 22nd AGM shall be the Head Office of the Bank.

   The facility for participation in the AGM through VC/OAVM, voting through remote e-voting and e-voting during the AGM, will be provided by **National Securities Depository Limited (NSDL).**

   Shareholders may join the AGM through VC/OAVM facility, by following the procedure as mentioned in this Notice, which shall be kept open for the shareholders on

अर्थात एजीएम शुरू होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले तक खुला रहेगा। वीसी/ओएवीएम सुविधा में शामिल होने के लिए निर्धारित समय के 30 मिनट बाद बैंक/एनएसडीएल विंडो को बंद कर सकता है

शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि एनएसडीएल द्वारा प्रदान की गई वीसी/ओएवीएम सुविधा, 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर कम से कम 1,000 शेयरधारकों की भागीदारी की अनुमति देती है। बैंक की 2% या इस से अधिक शेयर पूंजी रखने वाले शेयरधारक, प्रमोटर, संस्थागत निवेशक, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष, नामांकन और पारिश्रमिक समिति और हितधारक संबंध समिति, लेखा परीक्षक आदि एजीएम में भाग ले सकते हैं।

2. **इस नोटिस में निर्धारित मद संख्या 3 से 14 के संबंध में भौतिक तथ्यों को निर्धारित करने वाले प्रासंगिक व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न हैं।**

3. प्रॉक्सी की नियुक्ति

बैठक में भाग लेने एवं मतदान करने के लिए पात्र शेयरधारक, स्वयं के स्थान पर भाग लेने एवं मतदान करने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने का हकदार है एवं ऐसे प्रॉक्सी को बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है। उपरोक्त एमसीए एवं सेबी परिपत्रों के अनुसार, चूंकि शेयरधारकों की भौतिक उपस्थिति समाप्त कर दी गई है, प्रॉक्सी की नियुक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, शेयरधारकों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा एजीएम के लिए उपलब्ध नहीं होगी एवं इसलिए, प्रॉक्सी एवं उपस्थिति पर्ची की नियुक्ति का साधन नोटिस के साथ संलग्न नहीं किया जा रहा है।

4. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति :

कोई भी व्यक्ति, किसी निकाय कॉर्पोरेट के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने और/या ई–वोटिंग के माध्यम से मतदान करने का हकदार नहीं होगा, जब तक कि उसे विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने वाले संकल्प की प्रमाणित सत्य प्रति बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पहले अर्थात शुक्रवार, 23 जून 2023 को शाम 5.00 बजे या उससे पहले, शेयर विभाग, पंजाब नैशनल बैंक, पूर्वी विंग, दूसरा तल, प्लॉट नंबर 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली 110075 में जमा किया गया या संवीक्षक को ई–मेल द्वारा sachinag1981@gmail.com पर भेजा गया है evoting@nsdl.co.in एवं एक प्रति के साथ hosd@pnb.co.in पर भेजी जाए।

बैंक के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को शेयरधारक के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।

5. शेयरधारकों के रजिस्टर को बंद करना

लाभांश की पात्रता के लिए शेयरधारकों की पात्रता निर्धारित करने के उद्देश्य से एवं बैंक की 22 वीं वार्षिक आम बैठक को ध्यान में रखते हुए, बैंक के शेयरधारकों का शनिवार, 24 जून, 2023 से शुक्रवार, 30 जून, 2023 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेगा।

30th June, 2023 from 10:30 a.m. i.e., 30 minutes before the time scheduled to start the AGM. The Bank/NSDL may close the window for joining the VC/OAVM facility 30 minutes after the scheduled start time.

Shareholders may please note that the VC/OAVM facility, provided by NSDL, allows participation of most 1,000 shareholders on a 'first-come, first-serve' basis. The shareholders holding 2% or more of most the share capital of the Bank, Promoter, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination & Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors, etc. can attend the AGM without any restriction on account of 'first-come, first-serve' basis.

2. **The relevant Explanatory Statements setting out material facts in respect of Item Nos. 3 to 14 as set out in this Notice is annexed hereto.**

3. **Appointment of Proxy**

A shareholder entitled to attend and vote at the meeting, is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself/herself and such a proxy need not be a shareholder of the Bank. Pursuant to the aforesaid MCA & SEBI Circulars, as the physical attendance of the Shareholders has been dispensed with, there is no requirement of appointment of proxies. Accordingly, the facility of appointment of proxies by shareholders will not be available for the AGM and therefore, the instrument for appointing proxy and attendance slip are not being attached to the Notice.

4. **Appointment of an Authorised Representative:**

No person shall be entitled to attend the AGM through VC/OAVM and/or vote through e-voting as duly authorized representative of a body corporate, unless a certified true copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, shall have been deposited to the Share Department, Punjab National Bank, West Wing, Second Floor, Plot No.4, Sector 10, Dwarka, New Delhi 110075 or is sent to the Scrutinizer by e-mail to sachinag1981@gmail.com with a copy marked to evoting@nsdl.co.in and hosd@pnb.co.in, not less than four days before the date of the meeting i.e. on or before the closing hours i.e. 5.00 p.m. of Friday, the 23rd June, 2023.

No officer or employee of the Bank shall be appointed as Authorised Representative of a shareholder.

5. **Closure of Register of Shareholders**

The Register of Shareholders of the Bank will remain closed from Saturday, 24th June, 2023 till Friday, 30th June, 2023 (both days inclusive) for the purpose of determining the eligibility of the shareholders for entitlement of Dividend and in view of the 22nd Annual General Meeting of the Bank.

6. लाभांश का भुगतान:

निदेशक मंडल ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए ₹ 2/- प्रत्येक इक्विटी शेयर पर ₹0.65 के लाभांश की संस्तुति की है।

लाभांश का भुगतान, यदि शेयरधारकों द्वारा वार्षिक आम बैठक में घोषित किया जाता है, तो उन शेयरधारकों को किया जाएगा जिनके नाम होंगे हैं:

ए) लाभार्थी स्वामी के रूप में इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयरों के संबंध में एनएसडीएल/सीडीएसएल के रिकॉर्ड के अनुसार शुक्रवार, 23 जून, 2023 को कारोबार के समय की समाप्ति पर एवं/या

बी) शुक्रवार, 23 जून, 2023 को शेयरधारकों के रजिस्टर में भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से प्राप्त वैध संचरण अनुरोधों को प्रभावी करने के बाद ।

लाभांश के भुगतान की रिकॉर्ड तिथि शुक्रवार, 23 जून, 2023 होगी।

लाभांश का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन शेयरधारकों को किया जाएगा जिन्होंने अपने बैंक खाते के विवरण को अपडेट किया है। जिन्होंने अपने बैंक खाते के विवरण को नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार अपडेट नहीं किया है उन्हें लाभांश वारंट/डिमांड ड्राफ्ट बैंक द्वारा अपने रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट (एसटीए) के माध्यम से भेजे जाएंगे। बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज (प्राइवेट) लिमिटेड, लाभांश के भुगतान की तारीख से पहले, शेयरधारकों के पंजीकृत पते पर भेजे जाएँगे।

लाभांश भुगतान की तिथि शुक्रवार, 14 जुलाई, 2023 होगी।

इसलिए शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपना पूरा बैंक विवरण पंजीकृत/अपडेट करें

i) अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ जिनके साथ वे अपने डीमैट अकाउंट हैं, यदि शेयर डिमेटेरियलाइज्ड मोड में हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स द्वारा आवश्यक प्रपत्र और दस्तावेज जमा करके और

ii) पप) विधिवत भरे हुए केवाईसी फॉर्म –ISR-1, ISR-2, ISR-3/SH-13 को पैनकार्ड की स्व–सत्यापित प्रति, फोटो आईडी एड्रेस प्रूफ, रद्द चेक लीफ, यदि शेयर के साथ भेजकर बैंक / बैंक के एसटीए के साथ भौतिक मोड में आयोजित किया जाता है

स्रोत पर कटौती योग्य कर:

आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) के अनुसार, वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा संशोधित, 1 अप्रैल, 2020 के बाद बैंक द्वारा भुगतान या वितरित लाभांश शेयरधारकों के लिए कर योग्य होगा। इसलिए बैंक को शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान करते समय निर्धारित दरों पर स्रोत पर कर (टीडीएस) की कटौती करनी होगी, जहां भी लागू हो। विवरण के लिए, शेयरधारक इस नोटिस के साथ संलग्न अनुबंध को देख सकते हैं।

6. **Payment of Dividend:**

The Board of Directors has recommended dividend of ₹0.65 per equity share of ₹2/- each for the financial year ended 31st March, 2023.

The payment of dividend, if declared by the shareholders in the Annual General Meeting, will be made to those shareholders whose names appear:

a) as Beneficial Owners as at the close of business hours on Friday, 23rd June, 2023 as per the record of NSDL/CDSL in respect of the shares held in electronic form and / or

b) in the Register of shareholders as on Friday, 23rd June, 2023 after giving effect to the valid transmission requests received from the shareholders holding shares in physical form.

The Record Date for payment of Dividend will be Friday, 23rd June, 2023.

Payment of dividend shall be made through electronic mode to the shareholders who have updated their bank account details. Dividend Warrants/Demand Drafts will be dispatched by the Bank through its Registrar and Share Transfer Agent (STA) viz. Beetal Financial & Computer Services (Pvt.) Ltd., before the date of payment of dividend, to the registered address of the shareholders who have not updated their bank account details, in accordance with regulatory guidelines.

The dividend payment date will be Friday, 14th July, 2023.

Shareholders are therefore requested to register/update their complete bank details:

i) with their Depository Participant(s) with which they maintain their demat accounts, if shares are held in dematerialised mode, by submitting forms and documents as may be required by the Depository Participant(s); and

ii) with the Bank/Bank's STA by sending duly filled KYC form - ISR-1, ISR-2, ISR-3/SH-13 along with self-attested copy of pancard, photo id address proof, cancelled cheque leaf, if shares are held in physical mode.

Tax Deductible at Source:

As per the Income-tax Act, 1961 (the Act), as amended by the Finance Act, 2020, dividend paid or distributed by the Bank after April 1, 2020 shall be taxable in the hands of the Shareholders. The Bank shall therefore be required to deduct tax at source (TDS) at the prescribed rates, wherever applicable, at the time of making the payment of dividend to the shareholders. For details, shareholders may refer to the Annexure appended to this Notice.

7. मतदान अधिकार

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 (यथासंशोधित) की धारा 3(2ई) के प्रावधानों के अनुसार, केंद्र सरकार के अलावा बैंक का कोई भी शेयरधारक मतदान के अधिकार का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा। उसके पास बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकारों के 10% से अधिक के शेयर हैं। यदि कोई शेयर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के नाम पर है, तो मतदान के संबंध में रजिस्टर में पहले नामित व्यक्ति को उसका एकमात्र धारक माना जाएगा।

कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के संशोधित नियम 20 के अनुसार, बैठक में भाग लेने एवं मतदान करने के हकदार शेयरधारक इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अपने मतदान अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं।

8. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान

I- सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 एवं कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के प्रावधानों, यथासंशोधित, के अनुसार एमसीए परिपत्रों के साथ पठित, बैंक अपने शेयरधारकों को एजीएम में किए जाने वाले कार्य के संबंध में आम बैठक में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा मतदान रिमोट ई–वोटिंग और एजीएम के दौरान ई–वोटिंग करने की सुविधा दे रहा है और यह सुविधा नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा उपलब्ध कराए गए ई–वोटिंग प्लेटफार्म के माध्यम से दी जा रही है। **ई–वोटिंग के माध्यम से मतदान करने हेतु शेयरधारकों की पात्रता निर्धारित करने के लिए कट–ऑफ तिथि शुक्रवार 23 जून, 2023 है।**

II- वे शेयरधारक, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में उपस्थित होंगे और जिन्होंने दूरस्थ ई–वोटिंग के माध्यम से संकल्प पर अपना वोट नहीं दिया है, वे वार्षिक आम बैठक के दौरान ई–वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान करने के लिए पात्र होंगे।

III- जिन शेयरधारकों ने एजीएम से पहले रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे भी वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें दोबारा वोट देने का अधिकार नहीं होगा।

IV- रिमोट ई–वोटिंग के लिए निर्देश निम्नानुसार हैं:

ए. रिमोट ई वोटिंग की अवधि मंगलवार, 27 जून, 2023 को (प्रातः 9.00 बजे) शुरू होगी और गुरुवार, 29 जून 2023 (सायं 5.00 बजे) तक समाप्त हो जाएगी। इसके बाद एनएसडीएल द्वारा मतदान के लिए रिमोट ई वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। इस अवधि के दौरान कट ऑफ तिथि 23 जून 2023 के अनुसार बैंक के शेयरधारक चाहे वे भौतिक रूप में शेयरधारण करते हो या अमूर्त रूप में, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपना वोट दे सकते हैं।

बी. रिमोट ई–वोटिंग की प्रक्रिया एवं तरीके का विवरण नीचे दिया गया है:

7. Voting Rights

In terms of provisions of Section 3(2E) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (as amended), no shareholder of the Bank other than the Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of the shares held by him in excess of 10% of the total voting rights of all the shareholders of the Bank. If any share stands in the name of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof.

In terms of Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, the shareholders entitled to attend and vote at the meeting, can exercise their voting rights through electronic means.

8. Voting through Electronic Means

I. Pursuant to Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and provisions under Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, read with MCA Circulars, the Bank is pleased to provide its shareholders the facility to exercise their right to vote in respect of the business to be transacted at the AGM by electronic means (remote e-voting and e-voting during the AGM) through the e-voting platform provided by National Securities Depository Limited (NSDL). **The cut-off date for determining the eligibility of shareholders to cast vote through e-voting is Friday, 23rd June, 2023.**

II. Those shareholders, who will be present in the AGM through VC/OAVM facility and have not cast their vote on the resolution(s) through remote e-voting, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM.

III. The shareholders who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the meeting through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote again.

IV. The instructions for remote e-voting are as under:

a. The remote e-voting period begins on Tuesday, 27th June 2023 (9:00 a.m.) and ends on Thursday, 29th June, 2023 (5:00 p.m.). The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. During this period, shareholders of the Bank holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of Friday, 23rd June, 2023 may cast their vote electronically.

b. The details of the process and manner for remote e-voting are explained herein below:

सी. एनएसडीएल ई–वोटिंग प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट करने के तरीके में "दो चरण" शामिल हैं जो इस प्रकार है:

चरण 1: एनएसडीएल ई–वोटिंग प्रणाली में प्रवेश

ए) ई–वोटिंग के लिए लॉगिन विधि एवं डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों की वर्चुअल बैठक में शामिल होना।

सेबी सर्कुलर संख्या SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 दिनांक 9 दिसंबर, 2020 के अनुसार सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली ई–वोटिंग सुविधा पर, डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को वोट देने की अनुमति है उनके डीमैट खातों/डिपॉजिटरी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों की वेबसाइट के माध्यम से। शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे ई–वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए अपने डीमैट खातों में अपने मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी अपडेट करें।

शेयरधारकों का प्रकार	लॉगिन विधि
एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक।	1. यदि आप एनएसडीएल IDeAS सुविधा के लिए पहले से ही पंजीकृत हैं, तो कृपया एनएसडीएल की ई–सेवा वेबसाइट पर जाएं। अपने पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर निम्न URL https://eservices.nsdl.com/ टाइप करके वेब ब्राउजर खोलें। एक बार ई–सेवाओं का होम पेज शुरू होने के बाद, "लॉगिन" के अंतर्गत "बेनिफिशियल ओनर" आइकन पर क्लिक करें, जो 'IDeAS' अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है, इसमें आपको अपनी मौजूदा उपयोगकर्ता आईडी एवं पासवर्ड दर्ज करना होगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आप मूल्य वर्धित सेवाओं के अंतर्गत ई–वोटिंग सेवाओं को देख पाएंगे। ई–वोटिंग सेवाओं के अंतर्गत "एक्सेस टू ई–वोटिंग " पर क्लिक करें एवं आप ई–वोटिंग पेज देख पाएंगे। बैंक या ई–वोटिंग सेवा प्रदाता अर्थात एनएसडीएल के नाम के सामने उपलब्ध विकल्प पर क्लिक करें एवं बैठक के दौरान आपको रिमोट ई–वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या वर्चुअल मीटिंग एवं वोटिंग में शामिल होने के लिए एनएसडीएल की ई–वोटिंग वेबसाइट पर भेज दिया जाएगा। 2. यदि आप IDeAS ई–सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं हैं, तो पंजीकरण का विकल्प https://eservices.nsdl.com पर उपलब्ध है। "IDEAS के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करें" पोर्टल चुनें या https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg-पेज पर क्लिक करें

The way to vote electronically on NSDL e-Voting system consists of "Two Steps" which are as follows:

Step 1: Access to NSDL e-Voting system

A) **Login method for e-Voting and joining the virtual meeting for Individual shareholders holding securities in demat mode.**

In terms of SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated December 9, 2020 on 'e-Voting facility provided by Listed Companies', Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat accounts/website of Depositories/Depository Participants. Shareholders are advised to update their mobile numbers and email Ids in their demat accounts in order to access e-Voting facility.

Type of shareholders	Login Method
Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL.	1. If you are already registered for NSDL IDeAS facility, please visit the e-Services website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://eservices.nsdl.com/ either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Services is launched, click on the "Beneficial Owner" icon under "Login" which is available under 'IDeAS' section, this will prompt you to enter your existing User ID and Password. After successful authentication, you will be able to see e-Voting services under Value added services. Click on "Access to e-Voting" under e-Voting services and you will be able to see e-Voting page. Click on the option available against the name of the Bank or e-Voting service provider i.e. NSDL and you will be re-directed to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. 2. If you are not registered for IDeAS e-Services, option to register is available at https://eservices.nsdl.com/. Select "Register Online for IDeAS" Portal or click at https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp

शेयरधारकों का प्रकार	लॉगिन विधि
	3. एनएसडीएल की ई–वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। अपने पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर निम्नलिखित URL https://www.evoting.ns d l.com/ टाइप करके वेब ब्राउजर खोलें। ई–वोटिंग प्रणाली का होम पेज लॉन्च होने के बाद, "लॉगिन" आइकन पर क्लिक करें, जो 'शेयरधारक/सदस्य' अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है। एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना यूजर आईडी (अर्थात् एनएसडीएल के पास मौजूद आपका सोलह अंकों का डीमैट खाता नंबर), पासवर्ड/ओटीपी एवं एक सत्यापन कोड दर्ज करना होगा, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर भेज दिया जाएगा जहां आप ई–वोटिंग पृष्ठ देख सकते हैं। बैंक या ई–वोटिंग **सेवा प्रदाता अर्थात** एनएसडीएल के नाम के सामने उपलब्ध विकल्प पर क्लिक करें एवं आपको रिमोट ई–वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने एवं मीटिंग के दौरान मतदान करने के लिए एनएसडीएल की ई–वोटिंग वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा। 4. शेयरधारक नीचे दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके सहज मतदान अनुभव के लिए एनएसडीएल मोबाइल ऐप "एनएसडीएल स्पीड" भी डाउनलोड कर सकते हैं। **NSDL Mobile App is available on** App Store Google Play
डीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	1. मौजूदा उपयोगकर्ता जिन्होंने ईजी/ईजीएस्ट का विकल्प चुना है, वे अपनी उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। बिना किसी और प्रमाणीकरण के ई–वोटिंग पेज पर पहुंचने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। Easi/Easiest लॉगिन करने वाले उपयोगकर्ताओं से अनुरोध है कि वे CDSL वेबसाइट www.cdslindia.com पर जाएं और लॉगिन आइकन और New System Myeasi Tab पर क्लिक करें और फिर अपने मौजूदा उस मैप उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड का उपयोग करें।

Type of shareholders	Login Method
	3. Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com/ either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/Member' section. A new screen will open. You will have to enter your User ID (i.e. your sixteen digit demat account number held with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen. After successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. Click on option available against the name of the Bank or e-Voting service provider i.e. NSDL and you will be redirected to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. 4. Shareholders can also download NSDL Mobile App "NSDL Speede" facility for seamless voting experience by scanning the QR code mentioned below. **NSDL Mobile App is available on** App Store Google Play
Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL	1. Users who have opted for CDSL Easi / Easiest facility, can login through their existing user id and password. Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication. The users to login Easi/Easiest are requested to visit CDSL website www.cdslindia.com and click on login Icon & New System Myeasi Tab and then user you existing my easi username & password.

शेयरधारकों का प्रकार	लॉगिन विधि
	2. सफल लॉगिन के बाद ईजी / ईजीएस्ट उपयोगकर्ता पात्र कंपनियों के लिए ई–वोटिंग विकल्प देखने में सक्षम होंगे जहां बैंक द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार वोटिंग जारी है। इवोटिंग विकल्प पर क्लिक करने पर, उपयोगकर्ता रिमोट ई–वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए ई–वोटिंग सेवा प्रदाता का ई–वोटिंग पेज देख सकेगा। इसके अतिरिक्त, सभी ई–वोटिंग सेवा प्रदाताओं की प्रणाली तक पहुँचने के लिए लिंक भी प्रदान किए गए हैं, ताकि उपयोगकर्ता सीधे ई–वोटिंग सेवा प्रदाताओं की वेबसाइट पर जा सकें। 3. यदि उपयोगकर्ता Easi/Easiest के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण का विकल्प CDSL वेबसाइट www.cdslindia.com पर उपलब्ध है और लॉगिन और न्यू सिस्टम डलगॅप टैब पर क्लिक करें और फिर पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करें। 4. वैकल्पिक रूप से, उपयोगकर्ता www.cdslindia.com होम पेज में दिए गए लिंक से डीमैट खाता संख्या और पैन नंबर प्रदान करके सीधे ई–वोटिंग पृष्ठ तक पहुंच सकते हैं। सिस्टम डीमैट खाते में दर्ज पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता को प्रमाणित करेगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, उपयोगकर्ता को संबंधित ईएसपी अर्थात एनएसडीएल के लिए लिंक प्रदान किए जाएंगे जहां ई–वोटिंग चल रही है।
व्यक्तिगत शेयरधारक (प्रतिभूतियों को डीमैट मोड में रखना) अपने निक्षेपागार प्रतिभागियों के माध्यम से लॉगिन करते हैं	आप ई–वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल के साथ पंजीकृत अपने निक्षेपागार सहभागी के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं। लॉग इन करने के बाद आपको ई–वोटिंग का विकल्प दिखाई देगा। एक बार जब आप ई–वोटिंग विकल्प पर क्लिक करते हैं, तो आपको सफल प्रमाणीकरण के बाद एनएसडीएल/सीडीएसएल निक्षेपागार साइट पर भेज दिया जाएगा, जहां आप ई–सुविधा देख सकते हैं। बैंक या ई–वोटिंग सेवा प्रदाता–एनएसडीएल के नाम के सामने उपलब्ध विकल्पों पर क्लिक करें और रिमोट ई–वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको एनएसडीएल की ई–वोटिंग वेबसाइट पर पुनःप्रेषित कर दिया जाएगा।

Type of shareholders	Login Method
	2. After successful login the Easi / Easiest user will be able to see the e-Voting option for eligible companies where the evoting is in progress as per the information provided by Bank. On clicking the evoting option, the user will be able to see e-Voting page of the e-Voting service provider for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. Additionally, there is also links provided to access the system of all e-Voting Service Providers, so that the user can visit the e-Voting service providers' website directly. 3. If the user is not registered for Easi/ Easiest, option to register is available at CDSL website www.cdslindia.com and click on login & New System Myeasi Tab and then click on registration option. 4. Alternatively, the user can directly access e-Voting page by providing Demat Account Number and PAN No. from a e-Voting link available on www.cdslindia.com home page. The system will authenticate the user by sending OTP on registered Mobile & Email as recorded in the Demat Account. After successful authentication, user will be able to see the e-Voting option where the evoting is in progress and also able to directly access the system.
Individual Shareholders (holding securities in demat mode) login through their depository participants	You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-Voting facility. Upon logging in, you will be able to see e-Voting option. Click on e-Voting option, you will be redirected to NSDL/CDSL Depository site after successful authentication, wherein you can see e-Voting feature. Click on Bank's name or e-Voting service provider i.e. NSDL and you will be redirected to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.

आवश्यक नोटः जो शेयरधारक उपयोगकर्ता आईडी/पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध फॉरगेट उपयोगकर्ता आईडी और फॉरगेट पासवर्ड विकल्प का उपयोग करें।

निक्षेपागार अर्थात एनएसडीएल और सीडीएसएल के माध्यम से लॉगिन से संबंधित किसी भी तकनीकी मुद्दे के लिए डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए हेल्पडेस्क।

लॉगिन का प्रकार	हेल्पडेस्क विवरण
एनएसडीएल में डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले शेयरधारक evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या टोल फ्री नंबरः 022 – 4886 7000और 022 – 2499 7000 पर कॉल कर सकते हैं।
सीडीएसएल में डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले शेयरधारक helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या टोल फ्री नंबरः 1800 22 55 33 पर कॉल कर सकते हैं।

बी) **डीमैट मोड में प्रतिभूतियों के धारिता वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों और भौतिक मोड में प्रतिभूतियों के धारिता वाले शेयरधारकों के अलावा अन्य शेयरधारकों के लिए लॉगिन विधि।**

एनएसडीएल ई–वोटिंग वेबसाइट पर लॉग–इन करने के चरण

1. एनएसडीएल की ई–वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। अपने व्यक्तिगत कंप्यूटर या मोबाइल पर निम्नलिखित यूआरएल https://www.evoting.nsdl.com टाइप करके वेब ब्राउजर खोलें।
2. ई–वोटिंग सिस्टम का होम पेज खुलने के बाद, "लॉगिन" आइकन पर क्लिक करें जो 'शेयरधारक/सदस्य' अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है।
3. एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपनी स्क्रीन पर दिखने वाली उपयोगकर्ता आईडी, अपना पासवर्ड/ओटीपी और एक सत्यापन कोड दर्ज करना होगा।

   वैकल्पिक रूप से, यदि आप एनएसडीएल सेवाओं अर्थात आइडियाज के लिए पंजीकृत हैं, तो आप अपने मौजूदा आईडीईएएस लॉगिन के साथ https://eservices.nsdl.com/ पर लॉग–इन कर सकते हैं। एक बार जब आप अपने लॉग–इन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके एनएसडीएल की ई–सेवाओं में लॉग–इन करते हैं, तो ई–वोटिंग पर क्लिक करें और आप चरण 2 पर आगे बढ़ सकते हैं अर्थात इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं।

Important note: Shareholders who are unable to retrieve User ID/Password are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at abovementioned websites.

Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. NSDL and CDSL.

Login type	Helpdesk details
Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL	Shareholders facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000
Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL	Shareholders facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1800 22 55 33

B) **Login Method for shareholders other than Individual shareholders holding securities in demat mode and shareholders holding securities in physical mode.**

Steps to Log-in to NSDL e-Voting website

1. Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com/ either on a Personal Computer or on a mobile.
2. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/Member' section.
3. A new screen will open. You will have to enter your User ID, your Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen.

   Alternatively, if you are registered for NSDL eservices i.e. IDEAS, you can log-in at https://eservices.nsdl.com/ with your existing IDEAS login. Once you log-in to NSDL eservices after using your log-in credentials, click on e-Voting and you can proceed to Step 2 i.e. Cast your vote electronically.

4. आपके यूजर आईडी का विवरण निम्नानुसार है:

शेयर धारित करने का तरीका अर्थात डीमैट (एनएसडीएल या सीडीएसएल) या भौतिक	आपका यूजर आईडी है:
ए) एनएसडीएल के डीमैट खाते में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए	8 अंकों के ग्राहक आईडी के बाद 8 कैरेक्टर की डीपीआईडी उदाहरण के लिए यदि आपकी डीपीआईडी IN300*** है और ग्राहक आईडी 12****** है तो आपका यूजर आईडी IN300***12****** होगा।
बी) सीडीएसएल के डीमैट खाते में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए।	16 अंकों की लाभार्थी आईडी उदाहरण के लिए यदि आपकी बेनिफिशरी आईडी 12****** है तो आपका यूजर आईडी 12****** होगा
सी) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए	इवन नंबर के बाद बैंक में पंजीकृत फोलियो नंबर उदाहरण के लिए यदि फोलियो नंबर 001*** है और इवन 101456 है तो यूजर आई 101456001*** होगा।

5. व्यक्तिगत शेयरधारकों के अलावा शेयरधारकों हेतु पासवर्ड विवरण निम्नानुसार है:

ए) यदि आप पहले से ही ई–वोटिंग के लिए पंजीकृत हैं, तो आप अपने मौजूदा पासवर्ड का उपयोग लॉगिन और अपना वोट डालने के लिए कर सकते हैं।

बी) यदि आप एनएसडीएल ई–वोटिंग प्रणाली का प्रयोग पहली बार कर रहे हैं, तो आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' पुनः प्राप्त करना होगा, जो आपको भेजा गया था। एक बार जब आप अपना 'इनिशियल पासवर्ड' पुनः प्राप्त कर लेते हैं, तो आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' दर्ज करना होगा और सिस्टम आपको अपना पासवर्ड बदलने के लिए बाध्य करेगा।

सी) अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' कैसे प्राप्त करें?

(i) यदि आपका ईमेल आईडी आपके डीमैट खाते में या कंपनी के पास पंजीकृत है, तो आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' आपके ईमेल आईडी पर आपको भेजा जाता है। अपने मेलबॉक्स में एनएसडीएल से भेजे गए ईमेल को ढूंढें। ईमेल खोलें और अटैचमेंट अर्थात् पीडीएफ फाइल खोलें। एनएसडीएल खाते के लिए पीडीएफ फाइल को खोलने का पासवर्ड आपकी 8 अंकों की क्लाइंट आईडी है, सीएसडीएल खाते के लिए क्लाइंट आईडी का अंतिम 8 अंक या भौतिक शेयरों के लिए फोलियो नंबर पासवर्ड होगा। पीडीएफ फाइल में आपकी 'यूजर आईडी' और आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' होता है।

(ii) यदि आपकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है, तो कृपया उन शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया जिनकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है के अंतर्गत दिए गए चरणों का पालन करें।

4. Your User ID details are as follows:

Manner of holding shares i.e. Demat (NSDL or CDSL) or Physical	Your User ID is:
a) For Shareholders who hold shares in demat account with NSDL.	8 Character DP ID followed by 8 Digit Client ID. For example, if your DP ID is IN300*** and Client ID is 12****** then your user ID is IN300***12******.
b) For Shareholders who hold shares in demat account with CDSL.	16 Digit Beneficiary ID For example, if your Beneficiary ID is 12************** then your user ID is 12**************
c) For Shareholders holding shares in Physical Form.	EVEN Number followed by Folio Number registered with the Bank. For example, if folio number is 001*** and EVEN is 101456 then user ID is 101456001***

5. Password details for shareholders other than Individual shareholders are given below:

a) If you are already registered for e-Voting, then you can use your existing password to login and cast your vote.

b) If you are using NSDL e-Voting system for the first time, you will need to retrieve the 'initial password' which was communicated to you. Once you retrieve your 'initial password', you need to enter the 'initial password' and the system will force you to change your password.

c) How to retrieve your 'initial password'?

(i) If your email ID is registered in your demat account or with the Bank, your 'initial password' is communicated to you on your email ID. Trace the email sent to you from NSDL from your mailbox. Open the email and open the attachment i.e. a .pdf file. Open the .pdf file. The password to open the .pdf file is your 8 digit client ID for NSDL account, last 8 digits of client ID for CDSL account or folio number for shares held in physical form. The .pdf file contains your 'User ID' and your 'initial password'.

(ii) If your email ID is not registered, please follow steps mentioned below in process for those shareholders whose email ids are not registered.

6. यदि आप अपना पासवर्ड पुनः प्राप्त करने में असमर्थ हैं या 'प्रारंभिक पासवर्ड' प्राप्त नहीं किया है या भूल चुके हैं:

   ए) www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध विकल्प 'Forgot User Details@Password\' पर क्लिक करें। (यदि आप एनएसडीएल या सीडीएसएल के साथ अपने डीमैट खाते में शेयर रख रहे हैं)।

   बी) "Physical User Reset Password?" विकल्प (यदि आप भौतिक मोड में शेयर धारण करते हैं) www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है ।

   सी) यदि आप अभी भी उक्त दो विकल्पों के द्वारा पासवर्ड प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो आप evoting@nsdl.co.in पर अपने डीमैट अकाउंट नंबर/फोलियो नंबर, अपना पैन, अपना नाम और अपने पंजीकृत पते का उल्लेख करके अनुरोध भेज सकते हैं।

   डी) शेयरधारक एनएसडीएल की ई–वोटिंग प्रणाली पर वोट डालने के लिए ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आधारित लॉगिन का भी उपयोग कर सकते हैं।

7. अपना पासवर्ड दर्ज करने के बाद, चेक बॉक्स को सेलेक्ट कर 'Terms and Conditions' पर Agree पर टिक करें।

8. अब, आपको, लॉगिन 'बटन पर क्लिक करना होगा।

9. "Login" 'बटन पर क्लिक करने के बाद, e-Voting का होम पेज खुल जाएगा।

स्टेप 2: एनएसडीएल ई–वोटिंग सिस्टम पर आम बैठक में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भाग लेने और अपने वोट डालने का विवरण निम्नानुसार है:

1. चरण 1 पर सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद, आप सभी कंपनियों के "EVEN" देख पाएंगे जिनमें आपके शेयर हैं और जिनका मतदान चक्र (वोटिंग साईकल) और आम बैठक सक्रिय स्थिति में है।

2. रिमोट ई–वोटिंग के दौरान तथा अपना वोट डालने के लिए पंजाब नैशनल बैंक के 'EVEN' का चयन करें। वर्चुअल बैठक में भाग लेने के लिए आपको 'आम बैठक में भाग लें' के अंतर्गत दिए गए लिंक 'वीसी/ओएवीएम' पर क्लिक करना होगा।

3. अब आप ई–वोटिंग के लिए तैयार हैं क्योंकि वोटिंग पेज खुल गया है।

4. उचित विकल्प का चयन करके आप अपना वोट डाल सकते हैं, अर्थात, सहमति या असहमति, सत्यापित/ संशोधित उन शेयरों की संख्या, जिसके लिए आप वोट डालना चाहते है और "सबमिट" पर क्लिक कर दें एवं अपने वोट को "कंफर्म" भी करें।

5. पुष्टि करने के बाद, "सफलतापूर्वक वोट डाला गया" संदेश प्रदर्शित होगा।

6. आप पुष्टि पृष्ठ पर प्रिंट विकल्प को क्लिक करके अपने द्वारा डाले गए वोटों का प्रिंटआउट भी ले सकते हैं।

एक बार संकल्प पर अपना वोट डालने की पुष्टि करने के बाद आपको अपना वोट बदलने की अनुमति नहीं होगी।

6. If you are unable to retrieve or have not received the "Initial password" or have forgotten your password:

   a) Click on "Forgot User Details/Password?" (If you are holding shares in your demat account with NSDL or CDSL) option available on www.evoting.nsdl.com

   b) Physical User Reset Password?" (If you are holding shares in physical mode) option available on www.evoting.nsdl.com.

   c) If you are still unable to get the password by aforesaid two options, you can send a request at evoting@nsdl.co.in mentioning your demat account number/folio number, your PAN, your name and your registered address etc.

   d) Members can also use the OTP (One Time Password) based login for casting the votes on the e-Voting system of NSDL.

7. After entering your password, tick on Agree to "Terms and Conditions" by selecting on the check box.

8. Now, you will have to click on "Login" button.

9. After you click on the "Login" button, Home page of e-Voting will open.

Step 2: Cast your vote electronically and join the AGM on NSDL e-Voting system

1. After successful login at Step 1, you will be able to see all the companies "EVEN" in which you are holding shares and whose voting cycle and General Meeting is in 'active' status.

2. Select "EVEN" of Punjab National bank for which you wish to cast your vote during the remote e-Voting period and casting your vote during the General Meeting. For joining the AGM virtually, you need to click on "VC/OAVM" link placed under "Join Meeting".

3. Now you are ready for e-Voting as the Voting page opens.

4. Cast your vote by selecting appropriate options i.e. assent or dissent, verify/ modify the number of shares for which you wish to cast your vote and click on "Submit" and also "Confirm" when prompted.

5. Upon confirmation, the message "Vote cast successfully" will be displayed.

6. You can also take the printout of the votes cast by you by clicking on the print option on the confirmation page.

Once you confirm your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

शेयरधारकों के लिए सामान्य दिशानिर्देश

1. संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) को संबंधित बोर्ड के संकल्प/प्राधिकरण पत्र आदि की स्कैन की गई प्रति (पीडीएफ/जेपीजी प्रारूप) विधिवत अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर के साथ जो मतदान करने के लिए अधिकृत हैं, स्क्रूटिनाइजर को ई–मेल द्वारा sachinag1981@gmail.com पर evoting@nsdl.co.in पर चिह्नित एक प्रति के साथ भेजना होगा। संस्थागत शेयरधारक (अर्थात वैयक्तिक, एचयूएफ, एनआरआई, आदि के अलावा) अपने लॉगिन में "ई–वोटिंग" टैब के अंतर्गत प्रदर्शित "अपलोड बोर्ड रिजोल्यूशन /अथोरिटी लेटर" पर क्लिक करके अपने बोर्ड रिजोल्यूशन/ अथोरिटी लेटर आदि को भी अपलोड कर सकते हैं।
2. यह दृढ़ता से अनुशंसा की जाती है कि किसी अन्य व्यक्ति के साथ आप अपना पासवर्ड साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें। ई–वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन सही पासवर्ड में कुंजी के पांच असफल प्रयासों पर अक्षम हो जाएगा। ऐसी स्थिति में, आपको पासवर्ड रीसेट करने के लिए www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध "Forgot User Details@ Password\" या "Physical User Reset Password?" विकल्प पर जाना होगा।
3. किसी भी प्रश्न के मामले में, आप शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) को और www-evoting-nsdl-com के डाउनलोड अनुभाग पर उपलब्ध शेयरधारकों के लिए ई–वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका को संदर्भित कर सकते हैं या नंबर: 022–48867000 एवं 022–24997000 पर कॉल कर सकते हैं या सुश्री पल्लवी म्हात्रे वरिष्ठ प्रबंधक को evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं।

ऐसे शेयरधारक जिनकी ई–मेल आईडी डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं हैं, उनके लिए यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने और इस नोटिस में निर्धारित प्रस्तावों के लिए ई–वोटिंग हेतु ई–मेल आईडी के पंजीकरण की प्रक्रिया:

1. यदि शेयर भौतिक रूप में धारित है, तो कृपया फोलियो नं., शेयरधारक के नाम, शेयर प्रमाणपत्र (सामने एवं पीछे) की स्कैन की गई प्रति, पैन कार्ड और आधार कार्ड की स्व–सत्यापित स्कैन की गई प्रति बैंक के शेयर हस्तांतरण एजेंट को beetalrta@gmail.com ई–मेल पर भेजें।
2. यदि शेयर डीमैट मोड में है, तो कृपया शेयरधारक डीपीआईडी–सीएलआईडी (16 अंकों की डीपीआईडी, सीएलआईडी या 16 अंकों की लाभार्थी आईडी), अपना नाम, क्लाइंट मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति के साथ पैन कार्ड और आधार कार्ड की स्व–अभिप्रमाणित स्कैन की गई प्रति बैंक के शेयर हस्तांतरण एजेंट को beetalrta@gmail.com ई–मेल पर भेजें। यदि आप एक डीमैट मोड में रखे प्रतिभूतियों के व्यक्तिगत शेयरधारक हैं, तो आपसे चरण 1 (ए) अर्थात "डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और ई–वोटिंग के लिए लॉगिन की विधि" में बताई गई लॉगिन विधि का सन्दर्भ लेने का अनुरोध किया जाता है।

General Guidelines for shareholders

1. Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) are required to send scanned copy (PDF/ JPG Format) of the relevant Board Resolution/Authority letter etc. with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer by e-mail to sachinag1981@gmail.com with a copy marked to evoting@nsdl.co.in. Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) can also upload their Board Resolution/Authority Letter etc. by clicking on "Upload Board Resolution/Authority Letter" displayed under "e-Voting" tab in their login.
2. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential. Login to the e-voting website will be disabled upon five unsuccessful attempts to key in the correct password. In such an event, you will need to go through the "Forgot User Details/Password?" or "Physical User Reset Password?" option available on www.evoting.nsdl.com to reset the password.
3. In case of any queries, shareholders may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on.: 022-48867000 and 022-24997000 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager at evoting@nsdl.co.in

Process for those shareholders whose email ids are not registered with the depositories for procuring user id and password and registration of e mail ids for e-voting for the resolutions set out in this Notice:

1. In case shares are held in physical mode, please provide folio no., name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), self-attested scanned copy of PAN card and AADHAR card by email to the Bank's STA at beetalrta@gmail.com.
2. In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16 digit DPID+CLID or 16 digit Beneficiary ID), name, client master or copy of consolidated account statement, self-attested scanned copy of PAN card and AADHAR Card) to the Bank's STA at beetalrta@gmail.com. If you are an Individual shareholder, holding securities in demat mode, you are requested to refer to the login method explained at Step 1 (A) i.e. "Login method for e-Voting and Joining virtual meeting for Individual shareholders holding securities in demat mode".

3. वैकल्पिक रूप से शेयरधारक उपर्युक्त उल्लिखित दस्तावेजों को प्रदान करके ई–वोटिंग हेतु यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करने के लिए evoting@nsdl.co.in को अनुरोध कर सकते है।

एजीएम के दिन ई–वोटिंग हेतु शेयरधारकों के लिए निर्देश निम्नानुसार हैः–

1. एजीएम के दिन ई–वोटिंग के लिए प्रक्रिया उसी तरह से है जैसे रिमोट ई–वोटिंग हेतु उपर्युक्त उल्लेख किए गए निर्देश हैं।
2. केवल वे शेयरधारक, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होंगे और दूरस्थ ई–वोटिंग के माध्यम से संकल्पों पर अपना वोट नहीं डाले एवं ऐसा करने से अन्यथा प्रतिबंधित नहीं किए गए हैं, वो एजीएम में ई–वोटिंग सिस्टम के माध्यम से मतदान करने के पात्र होंगे।
3. रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से मतदान करने वाले शेयरधारक एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे, हालांकि, वे एजीएम में मतदान करने के पात्र नहीं होंगे।
4. संकल्प पर एक बार वोट डालने के बाद उसे बाद में बदला नहीं जा सकता।
5. एजीएम के दिन ई–वोटिंग की सुविधा से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए जिन व्यक्तियों से संपर्क किया जा सकता है, उनका विवरण रिमोट ई–वोटिंग के लिए यथा उल्लिखित अनुसार ही होगा।

शेयरधारकों के लिए वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने हेतु निर्देश निम्नानुसार हैं:

1. शेयरधारक एनएसडीएल ई–वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वीसी/ओएवीएम सुविधा के द्वारा एजीएम में भाग लेने में सक्षम होंगे। शेयरधारक 'एनएसडीएल ई–वोटिंग सिस्टम के एक्सेस' हेतु उपरोक्तानुसारक चरणों का पालन करके पहुंच सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि "ज्वाइन जनरल मीटिंग" मेन्यू में दिए गए लिंक वीसी/ओएवीएम पर क्लिक करें। सफलतापूर्वक लॉग इन करने के बाद, आप बैंक के नाम के सामने 'आम बैठक में शामिल हों' मेनू के अंतर्गत रखे गए "वीसी / ओएवीएम लिंक" का लिंक देख सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि जॉइन जनरल मीटिंग मेन्यू के अंतर्गत दिए गए वीसी/ओएवीएम लिंक पर क्लिक करें। वीसी/ओएवीएम के लिए लिंक शेयरधारक/सदस्य लॉगिन में उपलब्ध होगा जहां बैंक का ईवन प्रदर्शित किया जाएगा। कृपया ध्यान दें कि जिन शेयरधारकों के पास ई–वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है या उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वे अंतिम समय पर भाग दौड़ से बचने के लिए नोटिस में उल्लिखित दूरस्थ ई–वोटिंग निर्देशों का पालन करके इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं।

   एजीएम से पूर्व या इसके दौरान, तकनीक के प्रयोग के लिए सहायता प्राप्त करने के इच्छुक शेयरधारक द्वारा संपर्क किए जाने वाले व्यक्ति का हेल्पलाइन विवरण वही होगा जो कि रिमोट ई–वोटिंग के लिए दिया गया है।
2. बेहतर अनुभव हेतु शेयरधारक लैपटॉप के माध्यम से बैठक में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा, शेयरधारकों के पास मीटिंग के दौरान किसी भी व्यवधान से बचने हेतु एक अच्छी गति के साथ

3. Alternatively, shareholders may send a request to evoting@nsdl.co.in for procuring user id and password for e-voting by providing the above mentioned documents.

Instructions for shareholders for E-Voting on the day of AGM are as under:

1. The procedure for e-Voting on the day of the AGM is the same as the instructions mentioned above for remote e-voting.
2. Only those shareholders, who will be present in the AGM through VC/OAVM facility and have not cast their vote on the Resolution(s) through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system in the AGM.
3. Shareholders who have voted through remote e-voting will be eligible to attend the AGM, however, they will not be eligible to vote at the AGM.
4. Vote on a resolution, once cast, cannot be changed subsequently.
5. The details of the persons who may be contacted for any grievances connected with the facility for e-voting on the day of the AGM shall be the same as mentioned for remote e-voting.

Instructions for shareholders for attending the AGM through VC/OAVM are as under:

1. Shareholders will be provided with a facility to attend the AGM through VC/OAVM through the NSDL e-Voting system. Shareholders may access by following the steps mentioned above for Access to NSDL e-Voting system. After successful login, you can see link of "VC/OAVM link" placed under "Join Meeting" menu against the name of the Bank. You are requested to click on VC/OAVM link placed under 'Join Meeting' menu. The link for VC/OAVM will be available in 'Shareholder/Member login' where the EVEN of Bank will be displayed. Please note that the Shareholders who do not have the User ID and Password for e-Voting or have forgotten the User ID and Password may retrieve the same by following the remote e-Voting instructions mentioned in the Notice to avoid last minute rush.

   The Helpline details of the persons who may be contacted by the Shareholder needing assistance with the use of technology, before or during the AGM shall be the same as mentioned for remote e-Voting.
2. Shareholders are encouraged to join the Meeting through Laptops for better experience. Further, shareholders should have internet with a good speed to avoid any

इंटरनेट होना चाहिए। कृपया ध्यान दें कि मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से कनेक्ट करने वाले शेयरधारकों को अपने संबंधित नेटवर्क में उतार–चढ़ाव के कारण ऑडियो/वीडियो हानि का अनुभव हो सकता है। इसलिए किसी भी प्रकार की उक्त रुकावट को कम करने हेतु स्थिर वाई–फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने की संस्तुति की जाती है।

3. शेयरधारक, जो एजीएम के दौरान एजीएम में किए जाने वाले कारोबार के संबंध में अपने विचार व्यक्त करना/प्रश्न पूछना चाहते हैं, उन्हें अपने नाम, डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी नंबर/फोलियो नंबर और मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए अपने पंजीकृत ईमेल आईडी से अपना अनुरोध बैंक की ईमेल आईडी hosd@pnb.co.in पर 23 जून, 2023 को अपराह्न 05.00 बजे या उससे पहले भेजकर स्वयं को 'स्पीकर' के रूप में पंजीकृत करने की आवश्यकता है। केवल उन्हीं शेयरधारकों को, जिन्होंने खुद को 'स्पीकर' के रूप में पंजीकृत किया है, बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त करने/प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाएगी।

4. शेयरधारक एजीएम में अपने पंजीकृत ईमेल पते से अपने नाम, डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी नंबर/फोलियो नंबर और मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए, बैंक की ईमेल आईडी hosd@pnb.co पर व्यापार के संबंध में 23 जून, 2022 को पूर्वाह्न 5.00 बजे या उससे पहले प्रश्न प्रस्तुत कर सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले शेयरधारक प्रश्न बॉक्स विकल्प के माध्यम से प्रश्न/प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। शेयरधारकों द्वारा इस प्रकार के प्रश्नों को बैठक के दौरान उठाया जाएगा या बाद में बैंक द्वारा उपयुक्त उत्तर दिया जाएगा।

5. संस्थागत निवेशक, जो बैंक के शेयरधारक हैं, से अनुरोध किया जाता है कि वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हों।

9. संवीक्षक

मैसर्स अग्रवाल एस एसोसिएटस कंपनी सचिव, को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई–वोटिंग प्रक्रिया की जांच करने के लिए बैंक द्वारा संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

संवीक्षक, वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के समापन के दो कार्य दिवसों के भीतर अध्यक्ष को दिए गए कुल मतों पर एक समेकित संवीक्षककर्ता रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और उसके पश्चात बैंक स्टॉक एक्सचेंज, एनएसडीएल और बैंक की वेबसाइट पर समेकित संवीक्षककर्ता की रिपोर्ट के साथ परिणाम प्रस्तुत करते हुए तुरंत मतदान के परिणाम घोषित करेगा।

10. अदावाकृत लाभांश

शेयरधारकों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि कोई लाभांश राशि इसकी देय तिथि से 7 वर्षों तक अवैतनिक/अदावी है तो उक्त अदत्त/अदावाकृत राशि को बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10बी के अनुसार 'निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष' (आईईपीएफ) में अंतरित किया जाना चाहिए। वित्तीय वर्ष 2014–15 तक लाभांश खाते हेतु अंतरिम लाभांश में अदत्त/अदावाकृत राशि को आईईपीएफ में अंतरित कर दिया गया है।

disturbance during the meeting. Please note that the participants connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.

3. Shareholders, who would like to express their views/ask questions during the AGM with regard to the business to be transacted at the AGM, need to register themselves as a 'Speaker' by sending their request from their registered email id mentioning their name, DP ID and Client ID number/folio number and mobile number, to the Bank's email id at hosd@pnb.co.in on or before 05.00 p.m. of 23rd June, 2023. Only those shareholders who have registered themselves as a 'Speaker', will be allowed to express their views/ ask questions during the meeting.

4. Shareholders can submit questions with regard to the business to be transacted at the AGM from their registered email address, mentioning their name, DP ID and Client ID number/folio number and mobile number, to the Bank's email id at hosd@pnb.co.in in advance on or before 05.00 p.m. of 23rd June, 2023. Shareholders who will participate in the AGM through VC/OAVM can also pose question/ feedback through question box option. Such questions by the Shareholders shall be taken up during the meeting or suitably replied to by the Bank, later.

5. Institutional Investors, who are shareholders of the Bank, are requested to be present in the AGM through VC/ OAVM Facility.

9. Scrutinizer

M/s Agarwal S. & Associates, Company Secretaries, has been appointed as the Scrutinizer by the Bank to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.

The Scrutinizer shall submit a consolidated Scrutinizer's Report on the total votes cast to the Chairman of the Meeting within two working days of conclusion of the AGM and thereafter, the Bank shall declare the result of the voting forthwith by placing the Results along with the Scrutinizer's Report on the website of Stock Exchanges, NSDL and the Bank.

10. Unclaimed Dividend

Shareholders are hereby informed that if any dividend amount remains unpaid/unclaimed for 7 years from its due date, the said unpaid/unclaimed amount has to be transferred to the 'Investor Education & Protection Fund' (IEPF), pursuant to Section 10B of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970. The unpaid/unclaimed amount in Dividend Account upto FY 2014-15 has already been transferred to IEPF.

वित्त वर्ष 2015–16 (पीएनबी और ई–ओबीसी द्वारा घोषित) के लिए भुगतान /दावा न किए गए लाभांश को आईईपीएफ में हस्तांतरित किया जाना चाहिए। जिन शेयरधारकों ने वर्ष 2015–16 के लिए लाभांश प्राप्त नहीं किया है /दावा नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे 27.07.2023 तक राशि का दावा करने के लिए अपना नवीनतम पता, मोबाइल/टेलीफोन नंबर फोलियो नंबर/डीपी–आईडी एवं क्लाइंट आईडी और बैंक विवरण जैसे बैंक का नाम, शाखा का पता, बैंक खाता संख्या और आईएफएससी आदि दें। यदि दावा नहीं किया गया है, तो यथा लागू दिशानिर्देशों के अनुसार अदत्त लाभांश आईईपीएफ को अंतरित कर दिया जाएगा।

बैंक के पास पड़े अदत्त/ अदावाकृत लाभांश की वर्षवार सूची बैंक की वेबसाइट (www.pnbindia.in) पर अपलोड की गई है।

11. अन्य जानकारी

ए) सेबी के परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR P/2022/62 दिनांक 13 मई 2022 के साथ पठित सेबी के परिपत्र संख्या SEBI/HO CFD/PoD&2/P/CIR 2023/4 दिनांक 5 जनवरी 2023 के अनुसार, बैंक की 22वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना वाली वित्तीय वर्ष 2022–23 की वार्षिक रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ–साथ, ई–वोटिंग की प्रक्रिया और विधि आदि का संकेत केवल उन सभी शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रेषित की जा रही है, जिनकी ईमेल आईडी बैंक के एसटीए/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डी) के साथ पंजीकृत हैं।

बी) शेयरधारक यह भी नोट कर सकते है कि वित्तीय वर्ष 2022–23 की वार्षिक रिपोर्ट जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ एजीएम की सूचना शामिल है, को बैंक की वेबसाइट www.pnbindia.in, स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com एवं www.nseindia.com पर और एनएसडीएल की वेबसाइट क्रमशः www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध कराया गया है।

सी) बैंक द्वारा की गई 'हरित पहल' को ध्यान में रखते हुए शेयरधारकों से अनुरोध है कि डीमैट रूप में धारित शेयरों के मामले में अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ और भौतिक रूप में धारित शेयरों के मामले में बैंक के एसटीए के साथ अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत करवाएं।

डी) सेबी के परिपत्र सं. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD&PoD&1/P/CIR/2023/37 दिनांक 16 मार्च, 2023 के अनुसार 'आरटीए द्वारा निवेशक के सेवा अनुरोधों को संसाधित करने के लिए सामान्य और सरलीकृत मानदंड और पैन प्रस्तुत करने के लिए मानदंड, केवाईसी विवरण और नामांकन', भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे 30 सितंबर, 2023 तक बैंक के एसटीए के साथ अपने संबंधित फोलियो नंबरों के लिए/पैन, नामांकन, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण और नमूना हस्ताक्षर प्रस्तुत करें। 01 अक्टूबर, 2023 को या उसके बाद उपरोक्त दस्तावेजों/विवरणों में से कोई भी फोलियो उपलब्ध नहीं होने पर आरटीए द्वारा फ्रीज कर दिया जाएगा।

The unpaid/unclaimed dividend for FY 2015-16 (declared by erstwhile Oriental Bank of Commerce) is due to be transferred to IEPF. The shareholders who have not received/claimed the dividend(s) for the year 2015-16 are requested to claim the same latest by 27.07.2023, by giving their latest address, Mobile/Telephone No. Folio No./ DP-ID & Client ID and Bank details viz. Bank name, Branch address, Bank account number and IFSC etc. for claiming the amount. If not claimed, the unpaid dividend will be transferred to IEPF in accordance with the applicable guidelines.

The year-wise data of unpaid/unclaimed dividend lying with the Bank is available on the Bank's website (www.pnbindia.in).

11. Other Information

a) Pursuant to the SEBI vide its Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated 05th January, 2023 read with SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated 13th May, 2022, the Annual Report for FY 2022-23 containing the Notice of the 22nd Annual General Meeting (AGM) of the Bank, inter alia, indicating the process and manner of e-voting etc. is being sent only in electronic mode to all the shareholders whose email IDs are registered with the Bank's STA/Depository Participant(s).

b) Shareholders may also note that the Annual Report for FY 2022-23 inter alia containing the Notice of AGM is also being made available on the Bank's website www.pnbindia.in, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively, and on the website of NSDL i.e. www.evoting.nsdl.com.

c) In view of the 'Green Initiatives' undertaken by the Bank, shareholders holding shares in physical form are requested to get their email ids registered with the Bank's STA in case of shares held in physical form and Depository Participant in case of shares held in electronic form.

d) Pursuant to SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/P/CIR/2023/37 dated 16th March, 2023 regarding 'Common and simplified norms for processing investor's service requests by RTAs and norms for furnishing PAN, KYC details and Nomination', shareholders holding shares in physical form are requested to furnish/PAN, Nomination, Contact details, Bank A/c details and Specimen signature for their corresponding folio numbers with the Bank's STA latest by 30th September, 2023. The folio(s) wherein any one of the aforesaid document/details are not available on or after October 01, 2023, shall be frozen by the RTA.

ई) नाम, डाक पता, ईमेल पता, टेलीफोन/मोबाइल नंबर, स्थायी खाता संख्या (पैन), अधिदेश, नामांकन, बैंक विवरण जैसे बैंक का नाम और शाखा विवरण, बैंक से संबंधित परिवर्तन, यदि कोई हो, के मामले में खाता संख्या, एमआईसीआर कोड, आईएफएससी कोड, आदि, शेयरधारक भौतिक रूप में शेयरों के मामले में बैंक के एसटीए के साथ और इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयरों के मामले में अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ इसे अपडेट करवा सकते हैं।

एफ) शेयरधारक जो भौतिक रूप में कई फोलियो में समान नामों या नामों के समान क्रम में संयुक्त नामों में शेयर रखते हैं, उनसे अनुरोध है कि वे एक ही फोलियो में समेकन के लिए अपने शेयर प्रमाणपत्र एसटीए को भेजें।

जी) सेबी सूचीकरण विनियमों के विनियमयन 40 के अनुसार, यथासंशोधित, सूचीबद्ध संस्थाओं की प्रतिभूतियों को केवल प्रतिभूतियों के संचरण या स्थानान्तरण के लिए प्राप्त अनुरोध के मामले को छोड़कर 01 अप्रैल, 2019 से केवल डीमैट रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है। इसलिए भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपनी धारिता को अमूर्त रूप में परिवर्तित करें।

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते पंजाब नैशनल बैंक

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 03..06.2023

(एकता पसरीचा)
कंपनी सचिव

e) In case of changes, if any, pertaining to name, postal address, email address, telephone/mobile number, Permanent Account Number (PAN), mandates, nominations, bank details such as, name of the bank and branch details, bank account number, MICR code, IFSC etc., the shareholders may get the same updated with the Bank's STA, in case of shares held in physical form, and with their respective Depository Participant(s), in case of shares held in electronic form.

f) Shareholders who hold shares in physical form in multiple folios in identical names or joint names in the same order of names are requested to send their share certificates to the STA for consolidation into a single folio.

g) As per Regulation 40 of SEBI Listing Regulations, as amended, securities of listed entities can be transferred only in dematerialized form with effect from, 01st April, 2019, except in case of request received for transmission or transposition of securities. Shareholders holding shares in physical form are therefore requested to convert their holdings to dematerialized form.

By order of the Board of Directors
for PUNJAB NATIONAL BANK

Place: New Delhi
Date: 03.06.2023

(Ekta Pasricha)
Company Secretary

व्याख्यात्मक कथन::

• मद संख्या.3:

सेबी सूचीकरण विनियमों के विनियम 23(4) के अनुसार, पार्टी लेनदेन से संबंधित सभी सामग्री के लिए एक सामान्य संकल्प के माध्यम से शेयरधारकों के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है, इस तथ्य के बावजूद कि वे स्वतंत्र संव्यवहार के आधार पर और व्यापार के सामान्य प्रक्रिया में हैं। यदि वित्तीय वर्ष के दौरान व्यक्तिगत या संयुक्त रूप से किया जाने वाला लेनदेन पिछले लेनदेन से ₹ 1000 करोड़ या सूचीबद्ध इकाई के अंतिम लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार सूचीबद्ध इकाई के वार्षिक समेकित कारोबार का 10%, जो भी कम हो, से अधिक है तो किसी संबंधित पार्टी लेनदेन को 'भौतिक' माना जाता है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित प्रस्तावित सामग्री संबंधित पार्टी लेनदेन के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त किया गया है:

विवरण	लेन–देन का विवरण		
संबंधित पार्टी का नाम और बैंक के साथ उसका संबंध	पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड (सब्सिडरी)	पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एसोसिएट)	पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एसोसिएट)
लेन–देन का प्रकार	एकमुश्त प्रतिभूति लेनदेन (प्रतिभूतियों की बिक्री/खरीद), मुद्रा बाजार लेनदेन, प्रतिभूतियों की प्राथमिक सदस्यता, पीएनबी में सुरक्षा व्यवस्था सेवाएं ईबीपी के माध्यम से एनसीडी जारी करता है जिसमें पीएनबी गिल्ट इश्यू का अरेंजर्स/अरेंजर्स में से एक हो सकता है और ऐसे अन्य लेन–देन भी जो संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाली टिप्पणियों में प्रकट किए जा सकते हैं।	एकमुश्त प्रतिभूति लेनदेन (प्रतिभूतियों की बिक्री/खरीद), मुद्रा बाजार लेनदेन, प्रतिभूतियों की प्राथमिक सदस्यता और ऐसे अन्य लेन–देन जो संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाली टिप्पणियों में प्रकट किए जा सकते हैं।	
प्रस्तावित लेनदेन की तात्विक शर्तें और विवरण	एकमुश्त प्रतिभूति लेनदेन/मुद्रा बाजार लेनदेन/प्रतिभूतियों का प्राथमिक अभिदान, बैंक के नीति दिशानिर्देशों के अनुसार प्रचलित बाजार मूल्य/प्रतिभूतियों के उचित मूल्य के अनुसार किया जाएगा। एनसीडी जारी करने के लिए पीएनबी गिल्ट की व्यवस्था करने वाली सेवाओं का उपयोग पीएनबी इश्यू आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा और सभी प्रबंधकों के लिए बैंक द्वारा तय किए गए अरेंजर–शिप शुल्क का भुगतान एक समान होगा।		
प्रस्तावित लेनदेन का मूल्य (₹ करोड़ में)	6000.00	6000.00	2000.00
संस्था का स्वरूप या संबंधित पार्टी का हित (वित्तीय या अन्यथा)	वित्तीय		
तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के वार्षिक समेकित कारोबार (अर्थात बैंक की वार्षिक समेकित कुल आय) का प्रतिशत, प्रस्तावित लेनदेन (31.03.2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक की समेकित कुल आय के आधार पर) के मूल्य द्वारा दर्शाया गया है।	6.06%	6.06%	2.02%
बैंक या उसकी सहायक कंपनी द्वारा किए गए या दिए गए किसी भी ऋण के साथ साथ कॉर्पोरेट जमा, अग्रिम या निवेश से संबंधित लेनदेन:			
(i) किए गए वित्तीय ऋणग्रस्तता का विवरण	बैंक कोई विशिष्ट वित्तीय ऋण नहीं लेगा। धन का उपयोग बैंकिंग के सामान्य पाठ्यक्रम से किया जाएगा।		

Explanatory Statement:

- **Item No.3:**

In terms of Regulation 23(4) of SEBI Listing Regulations, all material related party transactions require prior approval of shareholders by way of an ordinary resolution, notwithstanding the fact that the same are at an arm's length basis and in the ordinary course of business. A related party transaction is considered as 'material' if the transaction to be entered into individually or taken together with previous transactions during a financial year exceeds ₹1000 Crore or 10% of the annual consolidated turnover of the listed entity as per the last audited financial statements of the listed entity, whichever is lower.

In view of the above, approval of the Shareholders is sought for the following proposed Material Related Party Transactions:

Particulars	Details of Transactions		
Name of Related Party and its relationship with the Bank	PNB Gilts Limited (Subsidiary)	PNB Housing Finance Limited (Associate)	PNB Metlife India Insurance Company Limited (Associate)
Type of Transaction	Outright securities transactions (sale/ purchase of securities), Money Market transactions, Primary subscription of securities, Security Arranger services in PNBs NCD issuances through EBP in which PNB Gilts may be arranger/one of the arrangers to the issue and also such other transactions such as purchase/ sale of Government Securities (G-Sec), Bonds/Debentures of PSUs, other bodies, as may be disclosed in the notes forming part of the Financial Statements for the relevant Financial Year.	Outright securities transactions (sale/purchase of securities), Money Market transactions, Primary subscription of securities and also such other transactions such as purchase/sale of Government Securities (G-Sec), Bonds/Debentures of PSUs, other bodies, as may be disclosed in the notes forming part of the Financial Statements for the relevant Financial Year	
Material terms and particulars of the proposed transaction	Outright securities transactions/money Market transactions/ Primary subscriptions of securities, will be done as per the prevailing market price/Fair value of securities in line with Bank's Policy Guidelines. Arranger services of PNB Gilts for NCD issuances shall be utilised as per PNB's issue requirement and payment of arrangership fee shall be uniform to all the arrangers as decided by the Bank.		
Value of the proposed transaction (₹ in Crore)	6000.00	6000.00	2000.00
Nature of concern or interest of the related party (financial or otherwise)	Financial		
Percentage of Bank's Annual Consolidated Turnover, for the immediately preceding financial year, represented by the value of the proposed transaction (Based on Consolidated Total Income of the Bank for FY ended 31.03.2023)	6.06%	6.06%	2.02%
Transaction relating to any loans, inter-corporate deposits, advances or investments made or given by the Bank or its subsidiary:			
(i) Details of Financial Indebtedness incurred	The Bank will not incur any specific Financial Indebtedness. Funds will be utilized from normal course of Banking.		

विवरण	लेन–देन का विवरण
(ii) कार्यकाल	वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान लेनदेन किए जाने का प्रस्ताव है। कार्यकाल जारी प्रतिभूतियों की शर्तों के अनुसार होगा।
(iii) अनुबंध, कार्यकाल, ब्याज दर और पुनर्भुगतान अनुसूची, चाहे सुरक्षित हो या असुरक्षितय यदि सुरक्षित है, तो सुरक्षा की प्रकृति सहित यथालागू शर्तें।	प्रसंविदा, चुकौती अनुसूची, चाहे सुरक्षित/असुरक्षित, आदि सहित यथालागू शर्तें प्रतिभूतियों को जारी करने की शर्तों के अनुसार होंगी। प्रस्तावित लेन–देन, बैंक की नीति/विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के सामान्य कारोबार में स्वतंत्र संव्यवहार के आधार पर किए जाएंगे। प्रतिभूतियों का मूल्य प्रचलित बाजार पद्धति के अनुसार उचित बाजार मूल्य पर होगा।
(iv) जिस उद्देश्य के लिए आरपीटी के अनुसार ऐसी निधियों के अंतिम लाभार्थी द्वारा निधियों का उपयोग किया जाएगा।	निधि का उपयोग केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित इच्छित उद्देश्य के लिए किया जा सकता है।
आरपीटी बैंक के हित में क्यों है इसका औचित्य	बैंक सक्रिय रूप से प्रतिभूतियों की खरीद (भारत सरकार, राज्य सरकार, पीएसयू, कार्पोरेट आदि द्वारा जारी जो बैंक से संबंधित या असंबंधित हों, बैंकिंग के सामान्य प्रक्रिया से, और बाजार के अवसरों का लाभ उठाकर व्यापार / निवेश पोर्टफोलियो से लाभ को अनुकूलित करने के लिए सक्रिय रूप से प्रतिबद्ध है और इसलिए, बैंक के हित में है। इसके अलावा, पीएनबी गिल्ट्स डेट मार्केट में एक प्रमुख खिलाड़ी है और प्रथमिक डिलर है। लेनदेन बाजार दरों पर किया जाएगा, ताकि पीएनबी बाजार के अवसर से न चूके।
मूल्यांकन या अन्य बाह्य पक्ष की रिपोर्ट	लागू नहीं

एक ओर बैंक के बीच प्रस्तावित लेन–देन का मूल्य और दूसरी तरफ उपरोक्त उल्लिखित संबंधित पार्टियों में से प्रत्येक का मूल्य ₹ 1000 करोड़ से अधिक है खअर्थात सेबी सूचीकरण विनियमों के अंतर्गत 'सामग्री से संबंधित पार्टी लेनदेन' की सीमा से अधिक अर्थात ₹ 1000 करोड़ या बैंक के अंतिम लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार बैंक के वार्षिक समेकित कारोबार का 10%, जो भी हो कम हो, लेन–देन संबंधित पार्टियों के साथ स्वतंत्र संव्यवहार आधार पर और बैंक के सामान्य कारोबार में निष्पादित किया जाएगा।

कोई भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और उनके रिश्तेदार, बैंक में और ऊपर उल्लिखित किसी भी संस्था में, यदि कोई हो, उनकी शेयरधारिता/निर्देशन, यदि कोई हो, को छोड़कर, उपरोक्त संकल्प में संबंधित/रुचि रखते हैं।

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति ने उपरोक्त महत्त्वपूर्ण संबंधी पार्टी लेनदेन के लिए अनुमोदन प्रदान किया है।

बोर्ड ने यह भी संस्तुति की है कि मद संख्या 3 में रखी गई प्रस्तावित सामग्री से संबंधित पार्टी लेनदेन शेयरधारकों के समक्ष उनके अनुमोदन हेतु एजीएम में सामान्य संकल्प के रूप में रखा जाए।

शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि, सेबी सूचीकरण विनियमों के प्रावधानों के अनुसार, कोई भी संबंधित पक्ष/पार्टी नोटिस के मद संख्या 3 पर सामान्य संकल्प को अनुमोदित करने के लिए वोट नहीं करेंगे।

- मद संख्या 4:

सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियम 23(4) के अनुसार, सभी महत्त्वपूर्ण से संबंधित पक्ष लेनदेन के लिए एक सामान्य संकल्प के माध्यम से शेयरधारकों की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है, इस तथ्य के बावजूद कि वे स्वतंत्र संव्यवहार के आधार पर और सामान्य व्यापार प्रक्रिया में हैं। एक संबंधित पक्ष की लेनदेन को 'सामग्री' के रूप में माना जाता है यदि लेनदेन को व्यक्तिगत रूप से दर्ज किया जाता है या पिछले लेनदेन के साथ एक वित्तीय वर्ष के दौरान एक साथ लिया जाता है, जो पिछले लेखा परीक्षित वित्तीय के अनुसार सूचीबद्ध इकाई के वार्षिक समेकित कारोबार का ₹ 1000 करोड़ या 10% से अधिक है। सूचीबद्ध इकाई के विवरण, जो भी कम हो।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित प्रस्तावित सामग्री संबंधित पक्ष की लेनदेन के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन मांगा गया है

Particulars	Details of Transactions
(ii) Tenure	The Transactions are proposed to be undertaken during FY 2023-24. The Tenure will be as per terms of the securities issued.
(iii) Applicable terms, including covenants, tenure, interest rate and repayment schedule, whether secured or unsecured; if secured, the nature of security.	The applicable terms including covenants, repayment schedule, whether secured/unsecured, etc. will be as per the terms of the issuance of securities. The proposed Transactions, shall be undertaken on an arm's length basis in the normal course of business of the Bank in accordance with the Bank's Policy/Regulatory Guidelines. The securities shall be priced at Fair Market Value as per the prevailing market practice.
(iv) The purpose for which the funds will be utilized by the ultimate beneficiary of such funds pursuant to the RPT.	The funds will be utilized solely for the intended purpose as approved by the Competent Authority.
Justification as to why the RPT is in the interest of the Bank	The Bank is engaged in purchase/sale of securities (issued by Government of India, State Governments, PSUs, Corporates etc. which may be related or unrelated to the Bank) during its normal course of business, to optimise profits from trading/investment portfolio by taking advantage of market opportunities and the transaction is therefore, in the interest of the Bank. Further, PNB Gilts is one of the major players in Debt Market and is a primary dealer. The transactions shall be carried out at Market rates, so that PNB does not miss out on a market opportunity.
Valuation or other external party report	Not applicable

The value of the proposed transactions between the Bank on one side and each of the aforementioned Related Parties, on the other side, is more than ₹1000 Crore [i.e. above the threshold of 'material related party transactions' under the SEBI Listing Regulations i.e. ₹1000 Crore or 10% of the Annual Consolidated Turnover of the Bank as per the last audited financial statements of the Bank, whichever is lower] The transactions will be executed with the Related Parties on an arm's length basis and in the ordinary course of business of the Bank.

None of the Directors, Key Managerial Personnel and their relatives, other than to the extent of their shareholding/directorships, if any, in the Bank and in any of the entities mentioned above, if any, are concerned/interested in the above resolution.

The Audit Committee of the Board has accorded approval for the aforesaid Material Related Party Transactions.

The Board has also recommended that the proposed material related party transactions placed at Item No. 3, be placed before the shareholders as Ordinary Resolution at the AGM for seeking their approval.

The Shareholders may please note that, in terms of provisions of the SEBI Listing Regulations, no related party(ies) shall vote to approve the Ordinary Resolution at Item No. 3 of the Notice.

- **Item No.4:**

In terms of Regulation 23(4) of SEBI Listing Regulations, all material related party transactions require prior approval of shareholders by way of an ordinary resolution, notwithstanding the fact that the same are at an arm's length basis and in the ordinary course of business. A related party transaction is considered as 'material' if the transaction to be entered into individually or taken together with previous transactions during a financial year exceeds ₹1000 Crore or 10% of the annual consolidated turnover of the listed entity as per the last audited financial statements of the listed entity, whichever is lower.

In view of the above, approval of the Shareholders is sought for the following proposed Material Related Party Transactions:

विवरण	लेन–देन का विवरण	
संबंधित पक्ष का नाम और बैंक के साथ इसके संबंध	पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड (सहायक)	पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (सहायक)
लेन–देन का प्रकार	संबंधित पक्षों सहित अपने ग्राहकों को अपने सामान्य बैंकिंग कारोबार के हिस्से के रूप में सावधि ऋण, लाइन ऑफ क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट आदि के रूप में ऋण और अग्रिम।	
प्रस्तावित लेनदेन के भौतिक नियम और विवरण	प्रस्तावित लेनदेन के नियम और शर्तें बैंक की नीति/विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार होंगी।	
प्रस्तावित लेनदेन का मूल्य (₹ करोड़ में)	2500.00	6890.00
संबंधित पक्ष के सरोकार या हित की प्रकृति (वित्तीय या अन्यथा)	वित्तीय	
तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के वार्षिक समेकित कारोबार (अर्थात बैंक की वार्षिक समेकित कुल आय) का प्रतिशत, प्रस्तावित लेनदेन के मूल्य द्वारा दर्शाया गया है (31.03.2023	2.52%	6.95%
को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक की समेकित कुल आय के आधार पर) बैंक या उसकी सहायक कंपनी द्वारा किए गए या दिए गए किसी भी ऋण, अंतर–कॉर्पोरेट जमा, अग्रिम या निवेश से संबंधित लेनदेन		
i) की गई वित्तीय ऋणग्रस्तता का विवरण	बैंक कोई विशिष्ट वित्तीय ऋण नहीं लेगा। धन का उपयोग बैंकिंग के सामान्य पाठ्यक्रम से किया जाएगा।	
ii) कार्यकाल	वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान लेनदेन किए जाने का प्रस्ताव है। ऋण सुविधा का कार्यकाल बैंक की नीति/विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार स्वीकृति की शर्तों के अनुसार होगा।	

Particulars	Details of Transactions	
Name of Related Party and its relationship with the Bank	PNB Gilts Limited (Subsidiary)	PNB Housing Finance Limited (Associate)
Type of Transaction	Loans and Advances in the form of Term Loans, Line of Credit, Overdraft etc. as part of its normal banking business to its customers including related parties.	
Material terms and particulars of the proposed transaction	The terms and conditions of the proposed transactions shall be in accordance with the Bank's Policy/ Regulatory Guidelines.	
Value of the proposed transaction (₹ in Crore)	2500.00	6890.00
Nature of concern or interest of the related party (financial or otherwise)	Financial	
Percentage of Bank's Annual Consolidated Turnover, for the immediately preceding financial year, represented by the value of the proposed transaction (Based on Consolidated Total Income of the Bank for FY ended 31.03.2023)	2.52%	6.95%
Transaction relating to any loans, inter-corporate deposits, advances or investments made or given by the Bank or its subsidiary:		
(i) Details of Financial Indebtedness incurred	The Bank will not incur any specific Financial indebtedness. Funds will be utilized from normal course of Banking.	
(ii) Tenure	The Transactions are proposed to be undertaken during FY 2023-24. The Tenure of the credit facility will be as per the terms of sanction in accordance with Bank's Policy/ Regulatory Guidelines.	

विवरण	लेन–देन का विवरण
(iii) लागू शर्तें, जिनमें शामिल हैं: अनुबंध, कार्यकाल, ब्याज दर और पुनर्भुगतान अनुसूची सहित लागू शर्तें, चाहे प्रतिभूति हो या प्रतिभूति न होय यदि प्रतिभूति है, तो प्रतिभूति की प्रकृति।	अनुबंधों सहित लागू शर्तें, चाहे प्रतिभूति हो / प्रतिभूति न हो, प्रतिभूति की प्रकृति आदि बैंक की नीति / नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार होंगी और उधारकर्ता सहमत होंगे। लेन–देन, बैंक के सामान्य कारोबार के दौरान पहुँच के भीतर किए जाएंगे। ब्याज दरें प्रचलित बाजार दर पर आधारित होंगी या बाहरी बेंचमार्क से जुड़ी होंगी। चुकौती अनुसूची उधारकर्ताओं के साथ सहमत शर्तों के अनुसार होगी।
iv) जिस उद्देश्य के लिए आरपीटी के अनुसार इस तरह के निधि के अंतिम लाभार्थी द्वारा निधि का उपयोग किया जाएगा।	जैसा कि ऋण सुविधाओं का लाभ उठाने के समय निर्दिष्ट किया गया है।
आरपीटी बैंक के हित में क्यों है, इसका औचित्य	बैंक के कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए लेन–देन किए जाने का प्रस्ताव है और यह निर्धारित मानदंडों, नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार होगा और इसलिए बैंक के हित में होगा।
मूल्यांकन या अन्य बाहरी पक्ष की रिपोर्ट	लागू नहीं

एक तरफ बैंक के बीच प्रस्तावित लेन–देन का मूल्य और दूसरी तरफ उपरोक्त संबंधित पक्षों में से प्रत्येक का मूल्य ₹1000 करोड़ से अधिक है ख्अर्थात सेबी लिस्टिंग विनियमों के अंतर्गत 'सामग्री से संबंधित पक्ष की लेनदेन' की सीमा से ऊपर अर्थात ₹1000 करोड़ या बैंक के अंतिम लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार बैंक के वार्षिक समेकित कारोबार (अर्थात वार्षिक समेकित कुल आय) का 10%, जो भी न्यूनतम हो। लेन–देन संबंधित पक्षों के साथ स्वतंत्र संव्यवहार के आधार पर और बैंक के सामान्य कारोबार में निष्पादित किए जाएंगे।

कोई भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और उनके रिश्तेदार, बैंक में और ऊपर उल्लिखित किसी भी संस्था में, यदि कोई हो, उनकी शेयरधारिता / निर्देशन, यदि कोई हो, को छोड़कर, उपरोक्त संकल्प में संबंधित / रुचि रखते हैं।

बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति ने उपरोक्त सामग्री संबंधित पक्ष की लेनदेन के लिए अनुमोदन प्रदान किया है।

बोर्ड ने यह भी संस्तुति की है कि प्रस्तावित सामग्री से संबंधित पक्ष की लेनदेन को मद संख्या 4 में रखा गया है, शेयरधारकों के समक्ष उनकी स्वीकृति लेने के लिए वार्षिक आम बैठक में साधारण संकल्प के रूप में रखा जाए।

शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि, सेबी लिस्टिंग विनियमों के प्रावधानों के अनुसार, कोई भी संबंधित पक्ष हेतु सूचना के मद संख्या 4 में सामान्य संकल्प को अनुमोदित करने के लिए मतदान नहीं करेंगे।

Particulars	Details of Transactions
(iii)Applicable terms, including covenants, tenure, interest rate and repayment schedule, whether secured or unsecured; if secured, the nature of security.	The applicable terms including Covenants, whether secured/unsecured, nature of security etc. will be in accordance with the Bank's Policy/Regulatory Guidelines and as agreed to by the borrowers. The Transactions, shall be undertaken on an arm's length basis in the normal course of business of the Bank. The interest rates shall be based on prevailing market rate or linked to external benchmark. Repayment Schedule shall be as per the terms agreed to with the borrowers.
(iv)The purpose for which the funds will be utilized by the ultimate beneficiary of such funds pursuant to the RPT.	As specified at the time of availing the credit facilities.
Justification as to why the RPT is in the interest of the Bank	The transactions are proposed to be undertaken in furtherance of the business of the Bank and shall be in accordance with the laid down norms, policies and procedures and therefore, in the interest of the Bank.
Valuation or other external party report	Not applicable

The value of the proposed transactions between the Bank on one side and each of the aforementioned Related Parties, on the other side, is more than ₹1000 Crore [i.e. above the threshold of 'material related party transactions' under the SEBI Listing Regulations i.e. ₹1000 Crore or 10% of the Annual Consolidated Turnover of the Bank as per the last audited financial statements of the Bank, whichever is lower]. The transactions will be executed with the Related Parties on an arm's length basis and in the ordinary course of business of the Bank.

None of the Directors, Key Managerial Personnel and their relatives, other than to the extent of their shareholding/directorships, if any, in the Bank and in any of the entities mentioned above, if any, are concerned/interested in the above resolution.

The Audit Committee of the Board has accorded approval for the aforesaid Material Related Party Transactions.

The Board has also recommended that the proposed material related party transactions placed at Item No. 4, be placed before the shareholders as Ordinary Resolution at the AGM for seeking their approval.

The Shareholders may please note that, in terms of provisions of the SEBI Listing Regulations, no related party(ies) shall vote to approve the Ordinary Resolution at Item No. 4 of the Notice.

- **मद संख्या 5:**

सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियम 23(4) के अनुसार, सभी सामग्री से संबंधित पक्ष की लेनदेन के लिए एक सामान्य संकल्प के माध्यम से शेयरधारकों की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है, इस तथ्य के बावजूद कि वे व्यापार पहुँच के भीतर और सामान्य प्रक्रिया में हैं। एक संबंधित पक्ष की लेनदेन को 'सामग्री' के रूप में माना जाता है यदि लेनदेन को व्यक्तिगत रूप से दर्ज किया जाता है या पिछले लेनदेन के साथ एक वित्तीय वर्ष के दौरान एक साथ लिया जाता है, जो पिछले लेखा परीक्षित वित्तीय के अनुसार सूचीबद्ध इकाई के वार्षिक समेकित कारोबार का ₹1000 करोड़ या 10% से अधिक है, सूचीबद्ध इकाई के विवरण, जो भी न्यूनतम हो।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित प्रस्तावित सामग्री संबंधित पक्ष की लेनदेन के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन मांगा गया है:

विवरण	लेनदेन का विवरण								
संबंधित पक्ष का नाम और बैंक के साथ इसके संबंध	असम ग्रामीण विकास बैंक (एसोसिएट)	बंगिया ग्रामीण विकास बैंक (एसोसिएट)	हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक (एसोसिएट)	मणिपुर ग्रामीण बैंक (एसोसिएट)	पंजाब ग्रामीण बैंक (एसोसिएट)	प्रथम यूपी ग्रामीण बैंक (एसोसिएट)	त्रिपुरा ग्रामीण बैंक (एसोसिएट)	दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक (एसोसिएट)	सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक (एसोसिएट)
लेन–देन का प्रकार	अंतर–बैंक भागीदारी प्रमाणपत्र (आईबीपीसी) लेनदेन								
प्रस्तावित लेनदेन की सामग्री शर्तें और विवरण	आईबीपीसी लेनदेन बैंक के दिशा–निर्देशों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय की गई कीमतों पर किया जाएगा और स्वतंत्र संव्यवहार के आधार पर किया जाएगा।								
संबंधित पक्ष के सरोकार या हित की प्रकृति (वित्तीय या अन्यथा)	वित्तीय								
प्रस्तावित लेनदेन का मूल्य (₹ करोड़ में)	6000.00	6000.00	2000.00	2000.00	2000.00	10000.00	2000.00	2000.00	2000.00
तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के वार्षिक समेकित कारोबार (अर्थात बैंक की वार्षिक समेकित कुल आय) का प्रतिशत, प्रस्तावित लेनदेन के मूल्य (31.03.2023 को समाप्त वित्त वर्ष के समेकित आय के आधार पर) का प्रतिनिधित्व करता है।	6.06%	6.06%	2.02%	2.02%	2.02%	10.10%	2.02%	2.02%	2.02%
बैंक या उसकी सहायक कंपनी द्वारा किए गए या दिए गए किसी भी ऋण, अंतर–कॉर्पोरेट जमा, अग्रिम या निवेश से संबंधित लेनदेन जैसे									

- **Item No. 5:**

In terms of Regulation 23(4) of SEBI Listing Regulations, all material related party transactions require prior approval of shareholders by way of an ordinary resolution, notwithstanding the fact that the same are at an arm's length basis and in the ordinary course of business. A related party transaction is considered as 'material' if the transaction to be entered into individually or taken together with previous transactions during a financial year exceeds ₹1000 Crore or 10% of the annual consolidated turnover of the listed entity as per the last audited financial statements of the listed entity, whichever is lower.

In view of the above, approval of the Shareholders is sought for the following proposed Material Related Party Transactions:

Particulars	Details of Transactions								
Name of Related Party and its relationship with the Bank	Assam Gramin Vikash Bank (Associate)	Bangiya Gramin Vikash Bank (Associate)	Himachal Pradesh Gramin Bank (Associate)	Manipur Rural Bank (Associate)	Punjab Gramin Bank (Associate)	Prathama UP Gramin Bank (Associate)	Tripura Gramin Bank (Associate)	Dakshin Bihar Gramin Bank (Associate)	Sarva Haryana Gramin Bank (Associate)
Type of Transaction	Inter-Bank Participation Certificate (IBPC) Transactions								
Material terms and particulars of the proposed transaction	IBPC transactions will be undertaken at the prices decided by the Competent Authority as per the Bank guidelines and shall be carried out on an arm's length basis.								
Nature of concern or interest of the related party (financial or otherwise)	Financial								
Value of the proposed transaction (₹ in Crore)	6000.00	6000.00	2000.00	2000.00	2000.00	10000.00	2000.00	2000 .00	2000 .00
Percentage of Bank's Annual Consolidated Turnover, for the immediately preceding financial year, represented by the value of the proposed transaction (Based on Consolidated Total Income of the Bank for FY ended 31.03.2023)	6.06%	6.06%	2.02%	2.02%	2.02%	10.10%	2.02%	2.02%	2.02%
Transactions relating to any loans, inter-corporate deposits, advances or investments made or given by the Bank or its subsidiary viz.:									

विवरण	लेनदेन का विवरण								
(i) की गई वित्तीय ऋणग्रस्तता का विवरण इस तरह के लेनदेन करने के लिए बैंक कोई विशिष्ट वित्तीय ऋण नहीं लेगा। धन का उपयोग बैंकिंग के सामान्य कार्यप्रणाली से किया जाएगा।									
ii)कार्यकाल वित्तीय	वर्ष 2023–24 के दौरान लेनदेन किए जाने का प्रस्ताव है। ऋण सुविधा की अवधि बैंक की नीति नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार मंजूरी का शर्तों के अनुसार होगी।								
iii) लागू शर्तें जिनमें शामिल हैं अनुबंध, कार्यकाल, ब्याज दर और अनुसूची सहित पुनर्भुगतान हेतु लागू शर्तें, चाहे प्रतिभूति हों या प्रतिभूति न हों; यदि प्रतिभूति है, तो प्रतिभूति की प्रकृति।	आईबीपीसी लेनदेन बैंक दिशानिर्देशों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित कीमतों पर किया जाएगा। इस तरह के लेनदेन पहुँच के भीतर किए जाएंगे।								
iv) जिस उद्देश्य के लिए आरपीटी के अनुसार ऐसी निधियों के अंतिम लाभार्थी द्वारा निधियों का उपयोग किया जाएगा।	निधि का उपयोग केवल जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है, उनके इच्छित उद्देश्य के लिए किया जा सकता है।								
आरपीटी बैंक के हित में क्यों है इसका औचित्य।	ये लेनदेन प्रचलित बाजार दरों और बैंक के नीति दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के ऋण निर्णय के अनुसार किए जाते हैं। बैंक आवश्यक नियामक अनुपातों के रखरखाव और कारोबार के विकास के अवसरों के लिए इस तरह के लेनदेन में सक्रिय रूप से संलग्न है और इसलिए यह बैंक के हित में है।								
मूल्यांकन या अन्य बाहरी पक्ष की रिपोर्ट	लागू नहीं								

एक तरफ बैंक के बीच प्रस्तावित लेनदेन का मूल्य और दूसरी तरफ उपरोक्त संबंधित पार्टियों में से प्रत्येक का मूल्य ₹ 1000 करोड़ से अधिक है यथार्थात सेबी लिस्टिंग विनियमों के अंतर्गत 'सामग्री से संबंधित पक्ष की लेनदेन' की सीमा से ऊपर अर्थात ₹ 1000 करोड़ या बैंक के अंतिम लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार बैंक के वार्षिक समेकित कारोबार का 10%, जो भी न्यूनतम हो.। लेन–देन संबंधित पक्षों के साथ स्वतंत्र संव्यवहार के आधार पर और बैंक के सामान्य कारोबार में निष्पादित किए जाएंगे।

कोई भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और उनके रिश्तेदार, बैंक में और ऊपर उल्लिखित किसी भी संस्था में, यदि कोई हो, उनकी शेयरधारिता/निर्देशन, यदि कोई हो, को छोड़कर, उपरोक्त संकल्प में संबंधित/रुचि रखते हैं।

बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति ने उपरोक्त महत्त्वपूर्ण संबंधी पक्षों की लेनदेन के लिए अनुमोदन प्रदान किया है।
बोर्ड ने यह भी संस्तुति की है कि प्रस्तावित महत्त्वपूर्ण से संबंधित पक्षों की लेनदेन को मद संख्या 5 में रखा गया है, जिसे शेयरधारकों की स्वीकृति के लिए एजीएम में सामान्य संकल्प के रूप में रखा जाना चाहिए।

शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि, सेबी लिस्टिंग विनियमों के प्रावधानों के अनुसार, कोई भी संबंधित पक्ष हेतु सूचना के मद संख्या 5 में सामान्य संकल्प को अनुमोदित करने के लिए मतदान नहीं करेंगे।

- **मद संख्या 6:**

सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियम 23(4) के अनुसार, सभी महत्त्वपूर्ण से संबंधित पक्ष की लेनदेन के लिए एक सामान्य संकल्प के माध्यम से शेयरधारकों की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है, इस तथ्य के बावजूद कि ये स्वतंत्र संव्यवहार के आधार पर और व्यापार सामान्य प्रक्रिया में हैं। एक संबंधित पक्ष की लेनदेन को 'सामग्री' के रूप में माना जाता है यदि लेनदेन को व्यक्तिगत रूप से दर्ज किया जाता है या पिछले लेनदेन के

Particulars	Details of Transactions
(i) Details of Financial Indebtedness incurred	The Bank will not incur any specific financial indebtedness in order to undertake such transactions. Funds will be utilized from normal course of Banking
(ii) Tenure	The transactions are proposed to be undertaken during FY 2023.-24. The tenure of the credit facility will be as per the terms of sanction in accordance with the Bank's Policy / regulatory Guidelines.
(iii) Applicable terms, including covenants, tenure, interest rate and repayment schedule, whether secured or unsecured; if secured, the nature of security.	IBPC transactions will be carried out at the prices decided by the Competent Authority as per the Bank's Guidelines. Such transactions shall be on an arm's length basis.
(iv) The purpose for which the funds will be utilized by the ultimate beneficiary of such funds pursuant to the RPT.	The funds will be utilized solely for intended purpose which has been approved by the Competent Authority.
Justification as to why the RPT is in the interest of the Bank.	These transactions are undertaken as per the credit decision of the Bank according to the prevalent Market rates and Bank's Policy Guidelines. The Bank actively engages in such transactions for maintenance of required regulatory ratios and for business growth opportunities and is therefore in the interest of the Bank.
Valuation or other external party report	Not applicable

The value of the proposed transactions between the Bank on one side and each of the aforementioned Related Parties, on the other side, is more than ₹1000 Crore [i.e. above the threshold of 'material related party transactions' under the SEBI Listing Regulations i.e. ₹1000 Crore or 10% of the Annual Consolidated Turnover of the Bank as per the last audited financial statements of the Bank, whichever is lower]. The transactions will be executed with the Related Parties on an arm's length basis and in the ordinary course of business of the Bank.

None of the Directors, Key Managerial Personnel and their relatives, other than to the extent of their shareholding/directorships, if any, in the Bank and in any of the entities mentioned above, if any, are concerned/interested in the above resolution.

The Audit Committee of the Board has accorded approval for the aforesaid Material Related Party Transactions.

The Board has also recommended that the proposed material related party transactions placed at Item No. 5, be placed before the shareholders as Ordinary Resolution at the AGM for seeking their approval.

The Shareholders may please note that, in terms of provisions of the SEBI Listing Regulations, no related party(ies) shall vote to approve the Ordinary Resolution at Item No. 5 of the Notice.

- **Item No.6:**

In terms of Regulation 23(4) of SEBI Listing Regulations, all material related party transactions require prior approval of shareholders by way of an ordinary resolution, notwithstanding the fact that the same are at an arm's length basis and in the ordinary course of business. A related party transaction is considered as 'material' if the transaction to be entered into individually

साथ एक वित्तीय वर्ष के दौरान एक साथ लिया जाता है, जो पिछले लेखा परीक्षित सूचीबद्ध इकाई की वित्तीय सूचीबद्ध विवरणी के अनुसार सूचीबद्ध इकाई के वार्षिक समेकित कारोबार का 1000 करोड़ या 10% से अधिक है, जो भी न्यूनतम हो।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित प्रस्तावित सामग्री संबंधित पार्टी लेनदेन के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन मांगा गया है:

विवरण	लेनदेन का विवरण	
संबंधित पक्ष का नाम और बैंक के साथ इसके संबंध	पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड (सहायक)	पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (सहायक)
लेनदेन का प्रकार	चालू खाता जमाराशि	
प्रस्तावित लेनदेन की महत्त्वपूर्ण शर्तें और विवरण	बैंक के नीति दिशानिर्देशों के अनुरूप विभिन्न सेवाओं के लिए बैंक ग्राहकों के चालू खातों पर सामान्य बैंकिंग शुल्क लगाता है। वर्तमान में, ग्राहकों द्वारा रखे गए चालू खाते की शेष राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता है।	
प्रस्तावित लेनदेन का मूल्य (₹ करोड़ में)	एक बार चालू खाता खोलने के बाद, यह पूरी तरह से ग्राहक के विवेक पर निर्भर करता है कि वह खाते में कितनी राशि डालना चाहता है। इसलिए, लेनदेन का मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है। हालांकि, लेनदेन का मूल्य ₹1000.00 करोड़ से अधिक हो सकता है।	
संबंधित पार्टी के सरोकार या हित की प्रकृति (वित्तीय या अन्यथा)	वित्तीय	
तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के वार्षिक समेकित कारोबार का प्रतिशत, प्रस्तावित लेनदेन के मूल्य द्वारा दर्शाया गया है (31.03.2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए	लागू नहीं है, क्योंकि इस समय राशि की गणना नहीं की जा सकती है।	
बैंक की समेकित कुल आय के आधार पर) बैंक या उसकी सहायक कंपनी द्वारा दिए गए या दिए गए किसी भी ऋण, अंतर–कॉर्पोरेट जमा, अग्रिम या निवेश से संबंधित लेनदेन के अन्य विवरण जैसे:	लागू नहीं	
(i) किए गए वित्तीय ऋण का विवरण (ii) कार्यकाल (iii) प्रतिज्ञापत्र, कार्यकाल, ब्याज दर और अनुसूची सहित लागू पुनर्भुगतान की शर्तें, चाहे प्रतिभूति हो या प्रतिभूति न होय यदि प्रतिभूति है, तो प्रतिभूति की प्रकृति। (iv) उद्देश्य जिसके लिए आरपीटी के अनुसार ऐसी निधियों के अंतिम लाभार्थी द्वारा निधियों का उपयोग किया जाएगा।	लागू नहीं	

or taken together with previous transactions during a financial year exceeds ₹1000 Crore or 10% of the annual consolidated turnover of the listed entity as per the last audited financial statements of the listed entity, whichever is lower.

In view of the above, approval of the Shareholders is sought for the following proposed Material Related Party Transactions:

Particulars	Details of Transactions	
Name of Related Partyand its relationship with the Bank	PNB Gilts Limited (Subsidiary)	PNB Housing Finance Limited (Associate)
Type of Transaction	Current Account Deposits	
Material terms and particulars of the proposed transaction	The Bank levies normal banking charges on the current accounts of Customers for various services in line with the Bank's Policy Guidelines. Currently, no interest is paid on current account balance maintained by the customers.	
Value of the proposed transaction (₹ in Crore)	Once a current account is opened, it is entirely up to the discretion of the customer as to how much amount it seeks to place in the account. Hence, the value of the transaction is not determinable. However, the value of transaction may exceed ₹1000.00 crore.	
Nature of concern or interest of the related party (financial or otherwise)	Financial	
Percentage of Bank's Annual Consolidated Turnover, for the immediately preceding financial year, represented by the value of the proposed transaction (Based on Consolidated Total Income of the Bank for FY ended 31.03.2023)	Not applicable, as the amount cannot be calculated at this point of time.	
Other details of Transaction relating to any loans, inter-corporate deposits, advances or investments made or given by the Bank or its subsidiary viz.:	Not applicable	
(i) Details of Financial Indebtedness Incurred (ii) Tenure (iii) Applicable terms, including covenants, tenure, interest rate and repayment schedule, whether secured or unsecured; if secured, the nature of security. (iv) Purpose for which the funds will be utilized by the ultimate beneficiary of such funds pursuant to the RPT.	Not Applicable	

विवरण	लेनदेन का विवरण
आरपीटी बैंक के हित में क्यों है इसका औचित्य	अपने ग्राहकों के साथ बैंक के बैंकिंग कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए लेनदेन करने का प्रस्ताव है, जिसमें बैंक के संबंधित पक्ष शामिल हो सकते हैं।
मूल्यांकन या अन्य बाहरी पार्टी रिपोर्ट	लागू नहीं

एक तरफ बैंक के बीच प्रस्तावित लेनदेन का मूल्य और दूसरी तरफ उपरोक्त संबंधित पक्षों में से प्रत्येक का मूल्य ₹1000 करोड़ से अधिक है ख्अर्थात सेबी लिस्टिंग विनियमों के अंतर्गत 'सामग्री से संबंधित पक्ष की लेनदेन' की सीमा से ऊपर अर्थात ₹1000 करोड़ या बैंक के अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार बैंक के वार्षिक समेकित कारोबार का 10%, जो भी न्यूनतम हो,। लेन–देन संबंधित पक्षों के साथ स्वतंत्र संव्यवहार के आधार पर और बैंक के सामान्य कारोबार में निष्पादित किए जाएंगे।

कोई भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और उनके रिश्तेदार, बैंक में और ऊपर उल्लिखित किसी भी संस्था में, यदि कोई हो, उनकी शेयरधारिता/निर्देशन, यदि कोई हो, को छोड़कर, उपरोक्त संकल्प में संबंधित/रुचि रखते हैं।

बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति ने उपरोक्त सामग्री संबंधी पक्ष की लेनदेन के लिए अनुमोदन प्रदान किया है।

बोर्ड ने यह भी संस्तुति की है कि प्रस्तावित सामग्री से संबंधित पक्ष की लेनदेन को मद संख्या 6 में रखा गया है, जिसे शेयरधारकों की स्वीकृति के लिए वार्षिक आम बैठक में सामान्य संकल्प के रूप में रखा जाना चाहिए।

शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि, सेबी लिस्टिंग विनियमों के प्रावधानों के अनुसार, कोई भी संबंधित पक्ष हेतु सूचना के मद संख्या 6 पर सामान्य संकल्प को अनुमोदित करने के लिए मतदान नहीं करेंगे।

- **मद संख्या 7:**

सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियम 23(4) के अनुसार, सभी सामग्री से संबंधित पक्ष की लेनदेन के लिए एक सामान्य संकल्प के माध्यम से शेयरधारकों की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है, इस तथ्य के बावजूद कि वे स्वतंत्र संव्यवहार के आधार पर और व्यापार सामान्य प्रक्रिया में हैं। एक संबंधित पक्ष की लेनदेन को 'भौतिक' माना जाता है यदि लेनदेन को व्यक्तिगत रूप से दर्ज किया जाता है या पिछले लेनदेन के साथ एक वित्तीय वर्ष के दौरान एक साथ लिया जाता है, जो पिछले लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार सूचीबद्ध इकाई के वार्षिक समेकित कारोबार का ₹1000 करोड़ या 10% से अधिक है, सूचीबद्ध इकाई के विवरण, जो भी न्यूनतम हो।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित प्रस्तावित मटेरियल संबंधित पक्ष की लेनदेन के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन मांगा गया है:

Particulars	Details of Transactions
Justification as to why the RPT is in the interest of the Bank	The transactions are proposed to be undertaken in furtherance of the banking business of the Bank with its customers, which may include related parties of the Bank.
Valuation or other external party report	Not applicable

The value of the proposed transactions between the Bank on one side and each of the aforementioned Related Parties, on the other side, is more than ₹1000 Crore [i.e. above the threshold of 'material related party transactions' under the SEBI Listing Regulations i.e. ₹1000 Crore or 10% of the Annual Consolidated Turnover of the Bank as per the last audited financial statements of the Bank, whichever is lower]. The transactions will be executed with the Related Parties on an arm's length basis and in the ordinary course of business of the Bank.

None of the Directors, Key Managerial Personnel and their relatives, other than to the extent of their shareholding/ directorships, if any, in the Bank and in any of the entities mentioned above, if any, are concerned/interested in the above resolution.

The Audit Committee of the Board has accorded approval for the aforesaid Material Related Party Transactions.

The Board has also recommended that the proposed material related party transactions placed at Item No. 6, be placed before the shareholders as Ordinary Resolution at the AGM for seeking their approval.

The Shareholders may please note that, in terms of provisions of the SEBI Listing Regulations, no related party(ies) shall vote to approve the Ordinary Resolution at Item No. 6 of the Notice.

- **Item No.7:**

In terms of Regulation 23(4) of SEBI Listing Regulations, all material related party transactions require prior approval of shareholders by way of an ordinary resolution, notwithstanding the fact that the same are at an arm's length basis and in the ordinary course of business. A related party transaction is considered as 'material' if the transaction to be entered into individually or taken together with previous transactions during a financial year exceeds ₹1000 Crore or 10% of the annual consolidated turnover of the listed entity as per the last audited financial statements of the listed entity, whichever is lower.

In view of the above, approval of the Shareholders is sought for the following proposed Material Related Party Transactions:

विवरण	लेनदेन का विवरण	
संबंधित पक्ष का नाम और बैंक के साथ इसके संबंध	ड्रक पीएनबी बैंक लिमिटेड (अंतर्राष्ट्रीय सहायक)	एवरेस्ट बैंक लिमिटेड (अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त उद्यम)
लेन–देन का प्रकार	नोस्ट्रो खातों में लेनदेन	
प्रस्तावित लेनदेन की मटेरियल शर्तें और विवरण	दो बैंकों के बीच ग्राहकों के फंड ट्रांसफर की सुविधा के लिए मानक नियमों और शर्तों के अनुसार।	
प्रस्तावित लेनदेन का मूल्य (₹ करोड़ में)	लेन–देन की मात्रा ग्राहक केंद्रित है इसलिए मूल्य और मात्रा निर्धारित नहीं है और मूल्य वर्ष के किसी भी समय के दौरान ₹ 1000.00 करोड़ से अधिक हो सकता है।	
संबंधित पक्ष के सरोकार या हित की प्रकृति (वित्तीय या अन्यथा)	वित्तीय	
तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के वार्षिक समेकित कारोबार का प्रतिशत, प्रस्तावित लेनदेन के मूल्य द्वारा दर्शाया गया है (31.03.2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक की समेकित कुल आय के आधार पर)	लागू नहीं है, क्योंकि इस समय राशि की गणना नहीं की जा सकती है।	
बैंक या उसकी सहायक कंपनी द्वारा लिए गए या दिए गए किसी भी ऋण, अंतर–कॉर्पोरेट जमा, अग्रिम या निवेश से संबंधित लेनदेन के अन्य विवरण जैसे		

Particulars	Details of Transactions	
Name of Related Party and its relationship with the Bank	Druk PNB Bank Limited (International Subsidiary)	Everest Bank Limited (International Joint Venture)
Type of Transaction	Transactions in the Nostro Accounts	
Material terms and particulars of the proposed transaction	As per standard terms & conditions for facilitating funds transfer of customers between two Banks.	
Value of the proposed transaction (₹ in Crore)	The volume of transactions depends on the customer, therefore value and volume is not determinable. However, the value may exceed ₹1000.00 crore during any point of time of the year.	
Nature of concern or interest of the related party (financial or otherwise)	Financial	
Percentage of Bank's Annual Consolidated Turnover, for the immediately preceding financial year, represented by the value of the proposed transaction (Based on Consolidated Total Income of the Bank for FY ended 31.03.2023)	Not applicable, as the amount cannot be calculated at this point of time.	
Other details of Transaction relating to any loans, inter-corporate deposits, advances or investments made or given by the Bank or its subsidiary viz.:		

विवरण	लेनदेन का विवरण
(i) किए गए वित्तीय ऋण का विवरण (ii) कार्यकाल (iii) लागू शर्तें जिसमें शामिल है। प्रतिज्ञापत्र, कार्यकाल, ब्याज दर और पुनर्भुगतान अनुसूची सहित लागू शर्तें, चाहे सुरक्षित हो या असुरक्षित। यदि सुरक्षित है, तो सुरक्षा की प्रकृति। (iv) उद्देश्य जिसके लिए आरपीटी के अनुसार ऐसी निधियों के अंतिम लाभार्थी द्वारा निधियों का उपयोग किया जाएगा।	लागू नहीं
आरपीटी बैंक के हित में क्यों है इसका औचित्य	ये लेनदेन ग्राहकों के साथ बैंक के कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए किए जाने का प्रस्ताव है जिसमें बैंक के संबंधित पक्ष शामिल हो सकते हैं।
मूल्यांकन या अन्य बाहरी पक्ष की रिपोर्ट	लागू नहीं

एक तरफ बैंक के बीच प्रस्तावित लेनदेन का मूल्य और दूसरी तरफ उपरोक्त संबंधित पार्टियों में से प्रत्येक का मूल्य ₹ 1000 करोड़ से अधिक है ख्अर्थात सेबी लिस्टिंग विनियमों के अंतर्गत 'सामग्री से संबंधित पक्ष की लेनदेन' की सीमा से ऊपर अर्थात ₹1000 करोड़ या बैंक के अंतिम लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार बैंक के वार्षिक समेकित कारोबार का 10%, जो भी न्यूनतम हो। लेन–देन संबंधित पक्षों के साथ स्वतंत्र संव्यवहार के आधार पर और बैंक के सामान्य कारोबार में निष्पादित किए जाएंगे।

कोई भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और उनके रिश्तेदार, बैंक में और ऊपर उल्लिखित किसी भी संस्था में, यदि कोई हो, उनकी शेयरधारिता / निदेशन, यदि कोई हो, को छोड़कर, उपरोक्त संकल्प में संबंधित / रुचि रखते हैं।

बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति ने उपरोक्त सामग्री संबंधी पक्ष की लेनदेन के लिए अनुमोदन प्रदान किया है।

बोर्ड ने यह भी संस्तुति की है कि प्रस्तावित सामग्री से संबंधित पक्ष की लेनदेन को मद संख्या 7 में रखा जाए, जिसे शेयरधारकों की स्वीकृति के लिए वार्षिक आम बैठक में सामान्य संकल्प के रूप में रखा जाए।

शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि, सेबी लिस्टिंग विनियमों के प्रावधानों के अनुसार, कोई भी संबंधित पक्ष हेतु सूचना के मद संख्या 7 पर साधारण संकल्प को अनुमोदित करने के लिए मतदान नहीं करेंगे।

Particulars	Details of Transactions
(I)Details of Financial Indebtedness incurred (ii)Tenure (iii) Applicable terms, including covenants, tenure, interest rate and repayment schedule, whether secured or unsecured; if secured, the nature of security. (iv) Purpose for which the funds will be utilized by the ultimate beneficiary of such funds pursuant to the RPT.	Not Applicable
Justification as to why the RPT is in the interest of the Bank	These transactions are proposed to be undertaken in furtherance of the business of the Bank with customers which may include related parties of the Bank.
Valuation or other external party report	Not applicable

The value of the proposed transactions between the Bank on one side and each of the aforementioned Related Parties, on the other side, is more than ₹1000 Crore [i.e. above the threshold of 'material related party transactions' under the SEBI Listing Regulations i.e. ₹1000 Crore or 10% of the Annual Consolidated Turnover of the Bank as per the last audited financial statements of the Bank, whichever is lower]. The transactions will be executed with the Related Parties on an arm's length basis and in the ordinary course of business of the Bank.

None of the Directors, Key Managerial Personnel and their relatives, other than to the extent of their shareholding/directorships, if any, in the Bank and in any of the entities mentioned above, if any, are concerned/interested in the above resolution.

The Audit Committee of the Board has accorded approval for the aforesaid Material Related Party Transactions.

The Board has also recommended that the proposed material related party transactions placed at Item No. 7, be placed before the shareholders as Ordinary Resolution at the AGM for seeking their approval.

The Shareholders may please note that, in terms of provisions of the SEBI Listing Regulations, no related party(ies) shall vote to approve the Ordinary Resolution at Item No. 7 of the Notice.

मद स. 8 से मद स.13: बैंक के बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति/नामांकन के लिए अनुमोदन 01.01.2022 से प्रभावी:

सेबी (एलओडीआर) विनियमों के विनियम 17(1सी) के संदर्भ में, 01.01.2022 से प्रभावी, सूचीबद्ध इकाई(ओं) को बोर्ड में किसी व्यक्ति की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। निदेशकों की या प्रबंधक के रूप में अगली आम बैठक में या नियुक्ति की तारीख से तीन महीने की समयावधि के भीतर, जो भी पहले हो, लिया जाता है। इसके बाद, सेबी ने सेबी (एलओडीआर) (संशोधन) विनियम 2023 दिनांक 17.01.2023 के माध्यम से, पूर्वोक्त विनियम में इस आशय का एक प्रावधान जोड़ा कि एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि किसी व्यक्ति की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति के लिए शेयरधारकों की स्वीकृति निदेशक मंडल में या प्रबंधक के रूप में अगली आम बैठक में लिया जाता है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) के मामले में, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 के प्रावधानों के अनुसार, शेयरधारक निदेशकों को छोड़कर बैंक के बोर्ड के सभी निदेशकों को केंद्र सरकार द्वारा बोर्ड में नियुक्त/नामित किया जाता है।

सेबी द्वारा हाल के अनौपचारिक मार्गदर्शन के मद्देनजर, विनियम 17(1C) की आवश्यकता बैंक पर लागू होती है और परिणामस्वरूप, निदेशक मंडल में किसी व्यक्ति की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन अनिवार्य रूप से बैंक की अगली आम बैठक में लिया जाना आवश्यक है।

तदनुसार, निदेशकों के संबंध में शेयरधारकों की स्वीकृति मांगी जा रही है जिन्हें 01.01.2022 से लागू होने वाले SEBI (LODR) विनियमों में संशोधन के बाद बैंक के बोर्ड में नियुक्त/नामित किया गया है।

- <u>मद संख्या 8:</u>

श्री अतुल कुमार गोयल को भारत सरकार की अधिसूचना संख्या ईएफ.सं.4/1/2021–बीओ.आई दिनांक 28 दिसंबर, 2021, के माध्यम से 01 फरवरी, 2022 से तथा उनकी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने की तिथि (अर्थात, 31.12.2024), या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो भारत सरकार द्वारा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ए) के अंतर्गत बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17(1सी) के पहले प्रावधान के अनुसार, निदेशकों की नियुक्ति को बैंक के शेयरधारकों की बैठक में अनुमोदित की गई है।

अतः, भारत सरकार द्वारा निर्धारित समान नियमों और शर्तों पर बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में श्री अतुल कुमार गोयल की नियुक्ति के लिए शेयरधारकों की स्वीकृति मांगी गई है।

श्री अतुल कुमार गोयल का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है:

श्री अतुल कुमार गोयल ने दिनांक 01.02.2022 से बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण किया। इससे

Item No.8 to Item No.13: Approval for appointment/nomination of Directors on the Board of the Bank with effect from 01.01.2022:

In terms of the Regulation 17(1C) of the SEBI (LODR) Regulations, with effect from 01.01.2022, the listed entity(ies) are required to seek approval of the shareholders for appointment or re-appointment of a person on the Board of Directors or as a manager at the next general meeting or within a time period of three months from the date of appointment, whichever is earlier. Subsequently, SEBI vide SEBI (LODR) (Amendment) Regulations 2023 dated 17.01.2023, inserted a Proviso to the aforesaid Regulation to the effect that a *public sector company shall ensure that the approval of the shareholders for appointment or re-appointment of a person on the Board of Directors or as a Manager is taken at the next general meeting.*

In the case of Public Sector Banks (PSBs), all the Directors on the Board of the Bank, except Shareholder Directors, are appointed/nominated on the Board by the Central Government in accordance with the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.

In view of the recent Informal Guidance by SEBI, the requirement of Regulation 17(1C) is applicable to the Bank and consequently, approval of the shareholders for appointment or re-appointment of a person on the Board of the Directors is mandatorily required to be taken at the next general meeting of the Bank.

Accordingly, the approval of the shareholders is being sought in respect of Directors who have been appointed/nominated on the Board of the Bank post amendment in the SEBI (LODR) Regulations coming into effect from 01.01.2022.

- <u>Item No.8:</u>

Mr. Atul Kumar Goel was appointed by the Government of India as the Managing Director & Chief Executive Officer of the Bank under Section 9(3)(a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, vide Government of India's Notification no. eF.No.4/1/2021-BO.I dated 28th December, 2021 with effect from 01st February, 2022 and up to the date of his attaining the age of superannuation (i.e., 31.12.2024), or until further orders, whichever is earlier.

In terms of the First Proviso to Regulation 17(1C) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the appointment of directors has to be approved at the meeting of shareholders of the Bank.

Therefore, the approval of shareholders is sought for the appointment of Mr. Atul Kumar Goel as Managing Director & Chief Executive Officer of the Bank on the same terms and conditions as determined by the Government of India.

The brief profile of Shri Atul Kumar Goel is as under:

Sh. Atul Kumar Goel assumed the charge as Managing Director & CEO of the Bank w.e.f. 01.02.2022. Prior to this, he was the

पूर्व वह यूको बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ थे। यूको बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में पदोन्नति से पहले, वह 15.09.2016 से 01.11.2018 तक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कार्यपालक निदेशक थे।

श्री गोयल को तीन बैंकों में अर्थात इलाहाबाद बैंक (अब इंडियन बैंक), यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक में लगभग तीन दशकों का कारोबारी बैंकिंग अनुभव है। एक योग्य चार्टर्ड एकाउंटेंट के रूप में, उनके पास सहायता सेवा, कारोबार प्रक्रिया परिवर्तन, अनुपालन आदि के अलावा बड़े कॉर्पोरेट, ट्रेजरी प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन, वित्तीय योजना और निवेशक संबंध जैसे बैंकिंग के सभी प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक अनुभव, विवेक और विशेषज्ञता है। यूको बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में, उन्होंने यूको बैंक को भारत में अग्रणी बैंकों में से एक बनाने की कल्पना की और बैंक को 5 वर्ष के लगातार नुकसान के बाद वित्त वर्ष 2020–21 में लाभप्रदता में वापस लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह 01.10.2019 से 31.12.2021 तक न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बोर्ड में निदेशक थे। वह गवर्निंग काउंसिल के सदस्य और भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान (आईआईबीएफ) की कार्यपालक समिति के अध्यक्ष भी हैं।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्य करते हुए, बैंक के बड़े कॉर्पोरेट और लेखा और वित्त प्रभाग में उनका योगदान उनके समृद्ध ज्ञान और अनुभव के माध्यम से अतुलनीय था। उन्होंने स्टार यूनियन दाई–इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनियन ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के बोर्ड में निदेशक के रूप में कार्य किया।

श्री गोयल ने 27.03.1992 को पूर्ववर्ती इलाहाबाद बैंक (अब इंडियन बैंक) में स्केल II में विशेषज्ञ अधिकारी के रूप में चार्टर्ड एकाउंटेंट के रूप में शामिल हुए थे और उन्हें महाप्रबंधक के स्तर तक पदोन्नत हुए। उन्होंने बैंकिंग परिचालन के विशाल स्पेक्ट्रम को कवर करने वाले प्रमुख क्षेत्रों को, विशेष रूप से मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) और पूर्ववर्ती इलाहाबाद बैंक के मुंबई अंचल के प्रमुख के रूप में संभाला। उन्होंने ऑल बैंक फाइनेंस लिमिटेड के निदेशक के रूप में भी कार्य किया।

श्री गोयल ने प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया है। उन्होंने सीएएफआरएएल के तत्वावधान में विदेशों में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी भाग लिया है।

उन्होंने 'लेखा मानक और कराधान पर स्थायी समिति' और 'भारतीय बैंक संघ की रिटेल बैंकिंग पर स्थायी समिति' (आईबीए) के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। 14.10.2021 को आईबीए की प्रबंध समिति ने श्री गोयल को आईबीए का अध्यक्ष चुना।

सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 36(3) के संदर्भ में अन्य विवरण निम्नानुसार हैं:

ए. बैंक के कारोबार के संदर्भ में कौशल/विशेषज्ञता/क्षमताओं की पहचान भारत सरकार द्वारा की जाती है और तदनुसार, बैंक के बोर्ड में निदेशक की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है।

बी. निदेशकों के बीच कोई पारस्परिक संबंध नहीं है

सी. श्री गोयल पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पीएनबीएचएफएल) के बोर्ड में गैर–कार्यपालक निदेशक हैं। वह नामांकन और पारिश्रमिक

Managing Director & CEO of UCO Bank. Before his elevation as the Managing Director & CEO of UCO Bank, he was Executive Director in Union Bank of India from 15.09.2016 to 01.11.2018.

Shri Goel has around three decades of Professional Banking Experience in three Banks viz. Allahabad Bank (now Indian Bank), Union Bank of India & UCO Bank. As a qualified Chartered Accountant, he has vast experience, exposure & expertise in all major areas of Banking including Large Corporate, Treasury Management, Risk Management; Financial Planning & Investor Relations apart from Support Service, Business Process Transformation, Compliance etc. As a Managing Director & Chief Executive Officer of UCO Bank, he envisioned UCO Bank to be one of the leading Banks in India and was instrumental in bringing the Bank back to profitability in FY 2020-21 after 5 years of consecutive losses. He was a Director on the Board of the New India Assurance Co. Ltd from 01.10.2019 to 31.12.2021. He is also the member of Governing Council & Chairman of Executive Committee of Indian Institute of Banking & Finance (IIBF).

While working as Executive Director at Union Bank of India, his contribution to Large Corporate and Accounts and Finance Division of the Bank was immeasurable through his rich knowledge and experience. He served as a Director on the Boards of Star Union Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd. & Union Trustee Company Private Limited.

Shri Goel joined erstwhile Allahabad Bank (now Indian Bank) on 27.03.1992 as a Chartered Accountant in Specialist Officer in Scale II and was elevated up to the level of General Manager. He handled key areas covering vast spectrum of Banking operations, most importantly as Chief Financial Officer (CFO) and Head of Mumbai Zone of erstwhile Allahabad Bank. He also served as Director of All Bank Finance Limited.

Shri Goel has attended various training programmes conducted by prestigious Institutions. He has also undergone training programme held abroad conducted under aegis of CAFRAL.

He has also acted as the Chairman of 'Standing Committee on Accounting Standards & Taxation' and 'Standing Committee on Retail Banking of Indian Banks' Association (IBA). On 14.10.2021, the Managing Committee of IBA elected Shri Goel as Chairman of IBA.

Other details in terms of Regulation 36(3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 are as under:

a. The skills/expertise/capabilities as required in the context of business of the Bank are identified by the Government of India and accordingly, appointment of the Director on the Board of the Bank is made by the Government of India.

b. There is no inter-se relationship between Directors

c. Shri Goel is a Non-Executive Director on the Board of PNB Housing Finance Limited PNBHFL He is a member of the Nomination & Remuneration Committee and the

समिति और पीएनबीएचएफएल के बोर्ड की हितधारक संबंध समिति और बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति के सदस्य हैं।

डी. उन सूचीबद्ध संस्थाओं के नाम जिनमें श्री गोयल का पिछले तीन वर्षों में निदेशक का कार्यकाल समाप्त हुआ: (i) द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और (ii) यूको बैंक।

ई. पंजाब नैशनल बैंक में शेयरधारिता: 15 शेयर

श्री अतुल कुमार गोयल को छोड़कर, कोई भी निदेशक, बैंक के प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति और उनके रिश्तेदार किसी भी तरह से इस संकल्प में रुचि या संबंध नहीं रखते हैं।

बोर्ड ने संस्तुति की है कि उनकी नियुक्ति के प्रस्ताव को एजीएम में सामान्य संकल्प के रूप में शेयरधारकों के समक्ष उनकी स्वीकृति के लिए रखा जाए।

- मद संख्या 9:

श्री अनिल कुमार मिश्रा को भारत सरकार की अधिसूचना सं. ईएफ.सं. 6/3/2011–बीओ.आई दिनांक 25 फरवरी, 2022 और अगले आदेश तक बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) 1970, के अधिनियम की धारा 9(3)(बी) के अंतर्गत 25 फरवरी, 2022 से बैंक के बोर्ड में भारतीय रिजर्व बैंक की संस्तुति पर केंद्र सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17(1C) के पहले प्रावधान के अनुसार, निदेशकों की नियुक्ति को बैंक के शेयरधारकों की बैठक में अनुमोदित किया गया है।

अतः, भारत सरकार द्वारा समान निर्धारित नियमों और शर्तों पर भारतीय रिजर्व बैंक की संस्तुति पर केंद्र सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में श्री अनिल कुमार मिश्रा की नियुक्ति के लिए शेयरधारकों की स्वीकृति मांगी गई है।

श्री अनिल कुमार मिश्रा का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है:

श्री अनिल कुमार मिश्रा को 25.02.2022 से बैंक के बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

श्री मिश्रा भारतीय रिजर्व बैंक में एक कार्यपालक निदेशक थे, जो बैंकिंग के साथ–साथ गैर–बैंकिंग वित्तीय संस्थानों के पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी थे। वह जुलाई, 2018 में आरबीआई से सेवानिवृत्त हुए।

1982 से सेंट्रल बैंकर के रूप में उनके करियर अनुभव में मुद्रा प्रबंधन, विदेशी मुद्रा, भुगतान प्रणाली, बैंकिंग और गैर–बैंकिंग क्रेडिट मध्यवर्ती के विनियमन और पर्यवेक्षण, वित्तीय समावेशन और रिजर्व बैंक में जोखिम निगरानी के क्षेत्र शामिल हैं।

उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बोर्ड में निदेशक के रूप में कार्य किया है और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के बोर्ड के सदस्य थे।

उनके अंतर्राष्ट्रीय अनुभव में एक वित्तीय क्षेत्र स्थिरता सलाहकार के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ और निधि वित्तीय क्षेत्र आकलन कार्यक्रम (एफएसएपी) टीम के सदस्य के रूप में अपने सदस्य क्षेत्राधिकार

Stakeholders Relationship Committee of the Board of PNBHFL

d. Name of listed entities in which Shri Goel has ceased to be director in the past three years: (i) The New India Assurance Co. Ltd. and (ii) UCO Bank.

e. Shareholding in Punjab National Bank: 15 Shares

Except Shri Atul Kumar Goel, none of the Directors, Key Managerial Persons of the Bank and their relatives is in any way, interested or concerned in the Resolution.

The Board has recommended that the proposal for his appointment, be placed before the shareholders as Ordinary Resolution at the AGM, for seeking their approval.

- Item No. 9:

Shri Anil Kumar Misra was appointed as Director nominated by the Central Government on the recommendation of the Reserve Bank of India on the Board of the Bank under Section 9(3)(b) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, vide Government of India's Notification no. eF.No.6/3/2011-BO.I dated 25th February, 2022 with effect from 25th February, 2022 and until further orders.

In terms of the First Proviso to Regulation 17(1C) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the appointment of Directors has to be approved at the meeting of shareholders of the Bank.

Therefore, the approval of shareholders is sought for the appointment of Shri Anil Kumar Misra as Director nominated by the Central Government on the recommendation of the Reserve Bank of India on the same terms and conditions as determined by the Government of India.

The brief profile of Shri Anil Kumar Misra is as under:

Shri Anil Kumar Misra was appointed as Director on the Board of the Bank with effect from 25.02.2022.

Shri Misra was an Executive Director in the Reserve Bank of India, responsible for supervision of Banking as well as non-Banking Financial Institutions. He retired from RBI in July, 2018.

As a career central banker since 1982, his experience encompasses the areas of currency management, foreign exchange, payment systems, regulation and supervision of banking & non-banking credit intermediaries, financial inclusion and risk monitoring in the Reserve Bank.

He has served as a Director on the Boards of the Jammu & Kashmir Bank Limited, Union Bank of India, Export Credit and Guarantee Corporation of India Limited and was a member of the Board of National Bank for Agriculture and Rural Development.

His international experience includes association with the International Monetary Fund as a Financial Sector Stability Advisor and as a member of the Fund's Financial Sector

के बैंकिंग–क्षेत्र मूल्यांकन के लिए सहयोग शामिल है। श्री मिश्रा का वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी, बासेल, स्विट्जरलैंड में स्थित) था, जो वैश्विक वित्तीय क्षेत्र के मुद्दों और नीतिगत सुधारों से निपटने के लिए जी20 शाखा है, में सचिवालय के सदस्य के रूप में साढ़े चार साल का कार्यकाल रहा है।

एफएसबी में, वह एफएसबी के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सूचना विनिमय पहल के शुभारंभ में, 65 से अधिक देशों के छह विश्वव्यापी क्षेत्रीय सलाहकार समूहों के माध्यम से इसकी वैश्विक आउटरीच रणनीति और इसके शासन सुधारों के साथ निकटता से जुड़े थे, जिसके कारण एफएसबी में कुछ संरचनात्मक परिवर्तन हुए। श्री मिश्रा के पास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यूएसए) और बिजनेस मैनेजमेंट (बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी) में मास्टर डिग्री है।

सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 36(3) के संदर्भ में अन्य विवरण निम्नानुसार हैं:

ए. बैंक के कारोबार के संदर्भ में कौशल/विशेषज्ञता/क्षमताओं की पहचान भारत सरकार द्वारा की जाती है और तदनुसार, बैंक के बोर्ड में निदेशक की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है।

बी. निदेशकों के बीच कोई पारस्परिक संबंध नहीं है

सी. अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशक: शून्य

डी. उन सूचीबद्ध संस्थाओं के नाम जिनमें श्री मिश्रा का पिछले तीन वर्षों में निदेशक का कार्यकाल समाप्त हुआ: शून्य

इ. पंजाब नेशनल बैंक में शेयरधारिता: शून्य

श्री अनिल कुमार मिश्रा को छोड़कर, कोई भी निदेशक, बैंक के प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति और उनके रिश्तेदार किसी भी तरह से इस संकल्प में रुचि या संबंध नहीं रखते हैं।

बोर्ड ने संस्तुति की है कि उनकी नियुक्ति के प्रस्ताव को एजीएम में सामान्य संकल्प के रूप में शेयरधारकों के समक्ष उनकी स्वीकृति के लिए रखा जाए।

• मद सं.10

श्री पंकज शर्मा को बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(सी) के अंतर्गत बैंक के बोर्ड में भारत सरकार द्वारा भारत सरकार की अधिसूचना सं ईएफ.सं.6/2/2022–बीओ.आई दिनांक 11 अप्रैल, 2022 के माध्यम से दिनांक 11 अप्रैल 2022 से और अगले आदेश तक भारत सरकार के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं, 2015 के विनियम 17(1C) के पहलेवाक्यांश के अनुसार, निदेशकों की नियुक्ति को बैंक के शेयरधारकों की बैठक में अनुमोदित किया जाना है।

इसलिए, श्री पंकज शर्मा को भारत सरकार द्वारा नामित नियमों और शर्तों के अधीन भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में नियुक्त करने के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन मांगा गया है।

श्री पंकज शर्मा का संक्षिप्त परिचय निम्नानुसार है:

Assessment Program (FSAP) Team for the banking-sector assessment of its member jurisdictions. Shri Misra also had a four-and-a-half year stint as a Member of Secretariat at the Financial Stability Board (FSB, located in Basel, Switzerland), which is the G20 arm for dealing with the global financial sector issues and policy reforms.

At the FSB, he was closely involved with the roll out of the FSB's International Cooperation and Information Exchange Initiative, its global outreach strategy via the six worldwide Regional Consultative Groups comprising over 65 Countries and its governance reforms, which led to certain structural changes in the FSB. Shri Misra holds Master's degrees in Public Administration (Harvard University, USA) and in Business Management (Banaras Hindu University).

Other details in terms of Regulation 36(3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 are as under:

a. The skills/expertise/capabilities as required in the context of business of the Bank are identified by the Reserve Bank of India and accordingly, appointment of the Director on the Board of the Bank is made by the Government of India.
b. There is no inter-se relationship between Directors
c. Directorship in other listed entities: Nil
d. Name of listed entity in which Shri Misra has ceased to be director in the past three years: Jammu & Kashmir Bank Ltd.
e. Shareholding in Punjab National Bank: Nil

Except Shri Anil Kumar Misra, none of the Directors, Key Managerial Persons of the Bank and their relatives is in any way, interested or concerned in the Resolution.

The Board has recommended that the proposal for his appointment, be placed before the shareholders as Ordinary Resolution at the AGM, for seeking their approval.

• <u>Item No. 10:</u>

Shri Pankaj Sharma was appointed as the Government of India Nominee Director on the Board of the Bank under Section 9(3)(c) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, vide Government of India's Notification no. eF.No.6/2/2022-BO.I dated 11th April, 2022 with effect from 11th April, 2022 and until further orders.

In terms of the First Proviso to Regulation 17(1C) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the appointment of Directors has to be approved at the meeting of shareholders of the Bank.

Therefore, the approval of shareholders is sought for the appointment of Shri Pankaj Sharma as Government of India Nominee Director on the same terms and conditions as determined by the Government of India.

The brief profile of Shri Pankaj Sharma is as under:

श्री पंकज शर्मा को दिनांक 11 अप्रैल 2022 से पंजाब नेशनल बैंक के बोर्ड में भारत सरकार के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

श्री पंकज शर्मा वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। आपको सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में लगभग दो दशकों का अनुभव है। आपको राजकोषीय नीति, वित्तीय रिपोर्टिंग, सूचना प्रणाली के आंतरिक नियंत्रण और लेखापरीक्षा आदि क्षेत्रों में व्यापक अनुभव है। अपने करियर के दौरान, आपने ग्रामीण विकास और पंचायती राज एवं वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्रों में काम किया है। आप वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष के निर्माण के संबंध में वित्त मंत्रालय द्वारा गठित समिति और वित्तीय सुदृढ़ीकरण के लिए रोडमैप तैयार करने के लिए समिति के साथ सम्बद्धता से जुड़े हुए थे। आपके कार्य अनुभव में विश्व बैंक के साथ एक कार्यकाल शामिल है।

भारतीय सिविल लेखा सेवा के एक अधिकारी, श्री शर्मा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर से इंजीनियरिंग स्नातक हैं और आपने ली कुआन यू स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, नैशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर से लोक प्रशासन में स्नातकोत्तर किया है। आपने वित्त विशेषज्ञता के साथ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स की डिग्री भी हासिल की है। पर्यावरण विनियमन के अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आपकी रुचि है।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं, 2015 के विनियम 36(3) के संदर्भ में अन्य विवरण निम्नानुसार हैं:

ए. बैंक के कारोबार के संदर्भ में श्री शर्मा के कौशल/विशेषज्ञता/क्षमताओं की पहचान भारत सरकार द्वारा की जाती है और तदनुसार, भारत सरकार द्वारा बैंक के बोर्ड में निदेशक की नियुक्ति की जाती है।

बी. निदेशकों के बीच कोई पारस्परिक संबंध नहीं है

सी. अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशक: शून्य

डी. सूचीबद्ध संस्थाओं के नाम जिसमें श्री शर्मा का पिछले तीन वर्षों में निदेशक का कार्यकाल समाप्त हुआ: शून्य

ई. पंजाब नैशनल बैंक में शेयरधारिता: शून्य

श्री पंकज शर्मा के अलावा, कोई भी निदेशक, बैंक के प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति और उनके रिश्तेदार किसी भी तरह से संकल्प में रुचि या संबंध नहीं रखते हैं।

बोर्ड ने अनुशंसा की है कि उनकी नियुक्ति के प्रस्ताव को एजीएम में सामान्य संकल्प के रूप में शेयरधारकों के समक्ष उनकी स्वीकृति के लिए रखा जाए।

- **मद सं. 11**

श्री बिनोद कुमार को बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ए) के अंतर्गत बैंक के बोर्ड में भारत सरकार द्वारा भारत सरकार की अधिसूचना सं ईएफ.सं. 4/6/2021–बीओ आई दिनांक 21 नवंबर, 2022 के माध्यम से 21 नवंबर, 2022 से या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

Shri Pankaj Sharma was appointed as the Government of India Nominee Director on the Board of Punjab National Bank with effect from 11.04.2022.

Shri Pankaj Sharma serves as Joint Secretary in Department of Financial Services, Ministry of Finance. He has experience of nearly two decades in the area of Public Financial Management. He has extensive experience in the areas of fiscal policy, financial reporting, internal control and audit of information systems, etc. During his career, he has worked in the sectors of Rural development and Panchayati Raj and Scientific research. He was closely involved with the Ministry of Finance constituted Committee regarding creation of Senior Citizens Welfare Fund and Committee for preparation of roadmap for fiscal consolidation. His work experience includes a stint with World Bank.

An officer of Indian Civil Account Services, Shri Sharma is an Engineering graduate from Indian Institute of Technology, Kanpur and has done Masters in Public Administration from Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore. He also holds degree of Masters in Business Administration with Finance Specialisation. He has interest in the field of economics of environmental regulation.

Other details in terms of Regulation 36(3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 are as under:

a. The skills/expertise/capabilities as required in the context of business of the Bank are identified by the Government of India and accordingly, appointment of the Director on the Board of the Bank is made by the Government of India.

b. There is no inter-se relationship between Directors

c. Directorship in other listed entities: Nil

d. Names of listed entity in which Shri Sharma has ceased to be Director in the past three years: Nil

e. Shareholding in Punjab National Bank: Nil

Except Shri Pankaj Sharma, none of the Directors, Key Managerial Persons of the Bank and their relatives is in any way, interested or concerned in the Resolution.

The Board has recommended that the proposal for his appointment, be placed before the shareholders as Ordinary Resolution at the AGM, for seeking their approval.

- **Item No. 11**

Mr. Binod Kumar was appointed by the Government of India as the Executive Director of the Bank under Section 9(3)(a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, vide Government of India's Notification no. eF.No.4/6/2021-BO. I dated 21st November, 2022 with effect from 21st November, 2022, or until further orders, whichever is earlier.

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं, 2015 के विनियम 17(1C) के पहले वाक्यांश के अनुसार, निदेशकों की नियुक्ति को बैंक के शेयरधारकों की बैठक में अनुमोदित किया जाना है।

इसलिए, भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री बिनोद कुमार की नियुक्ति के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन मांगा गया है।

श्री बिनोद कुमार का संक्षिप्त परिचय निम्नानुसार है:

श्री बिनोद कुमार ने 21 नवंबर, 2022 को बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया।

श्री बिनोद कुमार, रांची विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक और एनआईबीएम से बैंकिंग एवं वित्त में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, जीएआरपी (यूएसए) से वित्तीय जोखिम प्रबंधक (एफआरएम) और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स (सीएआईआईबी) के प्रमाणित सहयोगी सदस्य हैं।

श्री कुमार ने भारतीय बैंकिंग एवं वित्त संस्थान (IIBF) से ट्रेजरी निवेश एवं जोखिम प्रबंधन, बैंकिंग एवं वित्त में डिप्लोमा किया है और भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) बैंगलोर से नेतृत्व कौशल विकास कार्यक्रम पाठ्यक्रम किया है।

श्री कुमार ने वर्ष 1994 में पंजाब नैशनल बैंक में प्रबंधन प्रशिक्षु के रूप में अपनी बैंकिंग यात्रा शुरू की और पिछले 28 वर्षों तक बैंक की सेवा की। आपके पास 28 से अधिक वर्षों का बैंकिंग का समृद्ध एवं विविध अनुभव है, जिनमें शाखा और प्रशासनिक कार्यालय से लेकर जोखिम प्रबंधन, ऋण आदि शामिल हैं। आपने शाखा कार्यालय: डीआईएफसी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में भी काम किया है और इससे पूर्व मुख्य महाप्रबंधक के रूप में कॉर्पोरेट ऋण प्रभाग, प्रधान कार्यालय, पंजाब नैशनल बैंक का नेतृत्व कर रहे थे।

आपने पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड और आईएसएआरसी (इंडिया एसएमई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड) के बोर्ड में पीएनबी की ओर से नामित निदेशक के रूप में भी कार्य किया है।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं, 2015 के विनियम 36(3) के संदर्भ में अन्य विवरण निम्नानुसार हैं:

ए. बैंक के कारोबार के संदर्भ में कौशल/विशेषज्ञता/क्षमताओं की पहचान भारत सरकार द्वारा की जाती है और तदनुसार, भारत सरकार द्वारा बैंक के बोर्ड में निदेशक की नियुक्ति की जाती है।

बी. निदेशकों के बीच कोई पारस्परिक संबंध नहीं है

सी. अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशक: शून्य

डी. उन सूचीबद्ध संस्थाओं के नाम जिनमें बिनोद कुमार का पिछले तीन वर्षों में निदेशक का कार्यकाल समाप्त हुआ: शून्य

ई. पंजाब नैशनल बैंक में शेयरधारिता: 6350 शेयर

श्री बिनोद कुमार के अलावा, कोई भी निदेशक, बैंक के प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति और उनके रिश्तेदार किसी भी तरह से संकल्प में रुचि या संबंध नहीं रखते हैं।

In terms of the First Proviso to Regulation 17(1C) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the appointment of Directors has to be approved at the meeting of shareholders of the Bank.

Therefore, the approval of shareholders is sought for the appointment of Shri Binod Kumar as Executive Director of the Bank on the same terms and conditions as determined by the Government of India.

The brief profile of Shri Binod Kumar is as under:

Shri Binod Kumar assumed charge as Executive Director of the Bank on 21.11.2022.

Shri Binod Kumar is a Graduate in science from Ranchi University and holds Post Graduate Diploma in Banking & Finance from NIBM, Financial Risk Manager (FRM) from GARP (USA) and is a Certified Associate Member of Indian Institute of Bankers (CAIIB).

Shri Kumar also holds Diploma in Treasury Investment & Risk Management, Banking & Finance by IIBF and Leadership Skill Development Program from IIM Bangalore.

Shri Kumar started his banking journey in Punjab National Bank as Management Trainee in the year 1994 and has served the bank for last 28 years. He has rich and diversified banking experience of over 28 years, ranging from Branch and Administrative Office to Risk Management, Credit etc. He has also headed BO: DIFC as Chief Executive Officer and was previously heading the Corporate Credit Division, Head Office of Punjab National Bank as Chief General Manager.

He has also served as the Nominee Director on behalf of PNB on the Board of PNB Housing Finance Limited & ISARC (India SME Asset Reconstruction Company Limited).

Other details in terms of Regulation 36(3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 are as under:

a. The skills/expertise/capabilities as required in the context of business of the Bank are identified by the Government of India and accordingly, appointment of the Director on the Board of the Bank is made by the Government of India.

b. There is no inter-se relationship between Directors

c. Directorship in other listed entities: Nil

d. Names of listed entity in which Shri Binod Kumar has ceased to be Director in the past three years: PNB Housing Finance Ltd.

e. Shareholding in Punjab National Bank: 6350 shares.

Except Shri Binod Kumar, none of the Directors, Key Managerial Persons of the Bank and their relatives is in any way, interested or concerned in the Resolution.

बोर्ड ने अनुशंसा की है कि उनकी नियुक्ति के प्रस्ताव को एजीएम में सामान्य संकल्प के रूप में शेयरधारकों के समक्ष उनकी स्वीकृति के लिए रखा जाए।

- <u>मद सं. 12</u>

श्री एम. परमशिवम को बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ए) के अंतर्गत बैंक के बोर्ड में भारत सरकार द्वारा भारत सरकार की अधिसूचना सं ईएफ.सं. 4/6/2021–बीओ आई दिनांक 21 नवंबर, 2022 के माध्यम से 01.12.2022 से तीन साल की अवधि या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं, 2015 के विनियम 17(1C) के पहले वाक्यांश के अनुसार, निदेशकों की नियुक्ति को बैंक के शेयरधारकों की बैठक में अनुमोदित किया जाना है।

इसलिए, भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री एम. परमशिवम की नियुक्ति के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन मांगा गया है।

श्री एम. परमशिवम का संक्षिप्त परिचय निम्नानुसार है:

श्री एम.परमशिवम ने 1 दिसंबर, 2022 को बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया।

श्री परमशिवम, एक कृषि स्नातक, ने केनरा बैंक में कृषि विस्तार अधिकारी के रूप में वर्ष 1990 में अपनी यात्रा शुरू की और वीएलबी के शाखा प्रमुख के रूप में विभिन्न क्षेत्रीय और मंडल कार्यालयों के क्षेत्रीय और मंडल प्रमुख के रूप में विभिन्न क्षमताओं में पिछले 32 वर्षों से बैंक की सेवा की है और प्रधान कार्यालय, केनरा बैंक में प्राथमिकता प्राप्त ऋण शाखा के प्रमुख भी रहे।

शाखा बैंकिंग, ऋण, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, विदेशी मुद्रा और व्यापार वित्त, अनुपालन आदि के विविध कार्यक्षेत्रों में आपका अनुभव और योगदान व्यापक रहा है। प्रधान कार्यालय, केनरा बैंक में प्राथमिकता प्राप्त ऋण विंग में विंग प्रमुख के रूप में आपके कार्यकाल के दौरान, नाबार्ड (NABARD) और कर्नाटक राज्य सरकार के समन्वयन में फ्रूट्स (FRUITS) पोर्टल शुरू किया गया था। ईज–3 मानदंडों के अनुसार कृषि ऋण केंद्रों की शुरुआत में भी आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

श्री परमशिवम ने बैंक बोर्ड ब्यूरो और भारतीय बैंक संघ द्वारा आयोजित नेतृत्व विकास कार्यनीति कार्यक्रम में भी प्रतिभागिता की है।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं, 2015 के विनियम 36(3) के संदर्भ में अन्य विवरण निम्नानुसार हैं:

ए. बैंक के कारोबार के संदर्भ में कौशल/विशेषज्ञता/क्षमताओं की पहचान भारत सरकार द्वारा की जाती है और तदनुसार, भारत सरकार द्वारा बैंक के बोर्ड में निदेशक की नियुक्ति की जाती है।

बी. निदेशकों के बीच कोई पारस्परिक संबंध नहीं है

The Board has recommended that the proposal for his appointment, be placed before the shareholders as Ordinary Resolution at the AGM, for seeking their approval.

- <u>Item No. 12</u>

Shri M. Paramasivam was appointed by the Government of India as the Executive Director of the Bank under Section 9(3)(a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, vide Government of India's Notification no. eF.No.4/6/2021-BO.I dated 21st November, 2022 for a period of three years with effect from 01st December, 2022, or until further orders, whichever is earlier.

In terms of the First Proviso to Regulation 17(1C) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the appointment of Directors has to be approved at the meeting of shareholders of the Bank.

Therefore, the approval of shareholders is sought for the appointment of Shri M. Paramasivam as Executive Director of the Bank on the same terms and conditions as determined by the Government of India.

The brief profile of Shri M. Paramasivam is as under:

Shri M. Paramasivam assumed charge as Executive Director of the Bank on 01.12.2022.

Shri Paramasivam, an agriculture graduate, started his journey in Canara Bank as Agricultural Extension Officer in the year 1990 and served the Bank for last 32 years in various capacities as Branch Head of VLBs, as circle and regional head of various circle and regional offices and also headed Priority Credit Wing at Head Office, Canara Bank.

His experience and contribution is spread across multiple domains of Branch Banking, Credit, Priority Sector, Forex and Trade Finance, Compliance, among others. During his tenure as Head at Priority Credit Wing at Head Office, Canara Bank, FRUITS portal was started in coordination with NABARD and Karnataka State Government. He was also instrumental in commencement of Agri Credit Centres in terms of EASE-3 norms.

Shri Paramasivam has also undertaken Leadership Development Strategy Program organised by Banks Board Bureau and Indian Banks' Association.

Other details in terms of Regulation 36(3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 are as under:

a. The skills/expertise/capabilities as required in the context of business of the Bank are identified by the Government of India and accordingly, appointment of the Director on the Board of the Bank is made by the Government of India.

b. There is no inter-se relationship between Directors

सी. अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशक: शून्य

डी. सूचीबद्ध संस्थाओं के नाम जिनसे श्री एम.परमशिवम का पिछले तीन वर्षों में निर्देशक का कार्यकाल समाप्त हुआ: शून्य

ई. पंजाब नैशनल बैंक में शेयरधारिता: 25 शेयर

श्री एम.परमशिवम के अलावा, कोई भी निदेशक, बैंक के प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति और उनके रिश्तेदार किसी भी तरह से संकल्प में रुचि या संबंध नहीं रखते हैं।

बोर्ड ने अनुशंसा की है कि उनकी नियुक्ति के प्रस्ताव को एजीएम में सामान्य संकल्प के रूप में शेयरधारकों के समक्ष उनकी स्वीकृति के लिए रखा जाए।

- **मद सं. 13**

श्री के. जी. अनंतकृष्णन को भारत सरकार द्वारा अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक के साथ–साथ बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 के अनुच्छेद 5(1) और 9(2)(बी) के साथ पठित धारा 9(3)(एच) के अंतर्गत भारत सरकार की अधिसूचना सं. ईएफ.सं. 6/9/2022–BO.I दिनांक 7 नवंबर, 2022 के माध्यम से 7 नवंबर, 2022 से तीन साल की अवधि तक, या अगले आदेश तक, के लिए जो भी पहले हो, बैंक के बोर्ड में गैर–कार्यपालक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र एफ.सं. 6/20/2019-BO.I दिनांक 30 अगस्त, 2019, बशर्ते कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 स्वतंत्र निदेशकों को परिभाषित नहीं करता है, हालांकि, अधिनियम की धारा 9 की उप–धारा (3) के खंड (जी) और (एच) के तहत नामित गैर–सरकारी निदेशक, राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन और विविध) के खंड 5(1) के तहत नियुक्त गैर–कार्यपालक अध्यक्ष सहित प्रावधान) योजना, 1970/1980, प्रकृति में समान हैं और कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के तहत स्वतंत्र निदेशकों के लिए उसी तरह कार्य करने की परिकल्पना की गई है।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं, 2015 के विनियम 25(2ए) और विनियम 17(1सी) के पहले वाक्यांश के अनुसार, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति को बैंक के शेयरधारकों की बैठक में विशेष संकल्पके रूप में अनुमोदित किया जाना है।

इसलिए, भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन बैंक के बोर्ड में अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक के साथ–साथ गैर–कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में श्री अनंतकृष्णन की नियुक्ति हेतु शेयरधारकों का अनुमोदन मांगा गया है।

श्री अनंतकृष्णन ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं, 2015 के विनियम 16(1)(बी) के अंतर्गत "स्वतंत्र निदेशक" शब्द की परिभाषा के अनुसार स्वतंत्रता की घोषणा प्रस्तुत की है।

c. Directorship in other listed entities: Nil

d. Names of listed entity in which Shri M. Paramasivam has ceased to be director in the past three years: Nil

e. Shareholding in Punjab National Bank: 25 shares.

Except Shri M. Paramasivam, none of the Directors, Key Managerial Persons of the Bank and their relatives is in any way, interested or concerned in the Resolution.

The Board has recommended that the proposal for his appointment, be placed before the shareholders as Ordinary Resolution at the AGM, for seeking their approval.

- **Item No. 13**

Shri K. G. Ananthakrishnan was appointed by the Government of India as Part-Time Non-Official Director and Non-Executive Chairman on the Board of the Bank under Section 9(3)(h) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 read with Paragraph 5(1) and 9(2)(b) of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, vide Government of India's Notification no. eF.No. 6/9/2022-BO.I dated 7th November, 2022 for a term of three years with effect from 7th November, 2022, or until further orders, whichever is earlier.

The Department of Financial Services, Ministry of Finance, Govt. of India letter F.No. 6/20/2019-BO.I dated August 30, 2019, provided that the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 does not define independent directors, however, non-official directors nominated under clauses (g) and (h) of sub-section (3) of section 9 of the Act, including Non-Executive Chairman appointed under clause 5(1) of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970/1980, are similar in nature and are envisaged to function in a manner similar to that for independent directors under the provisions of the Companies Act.

Pursuant to Regulation 25(2A) and the First Proviso to Regulation 17(1C) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the appointment of Independent Directors has to be approved at the meeting of shareholders of the Bank by way of Special Resolution.

Therefore, the approval of shareholders is sought for the appointment of Shri Ananthakrishnan as Part-Time Non-Official Director and Non-Executive Chairman on the Board of the Bank on the same terms and conditions as determined by the Government of India.

Shri Ananthakrishnan, has furnished declaration of Independence as enunciated in the definition of the term "Independent Director" under Regulation 16(1)(b) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

श्री के. जी. अनंतकृष्णन का संक्षिप्त परिचय निम्नानुसार है:

श्री के. जी. अनंतकृष्णन को दिनांक 07.11.2022 से पंजाब नैशनल बैंक के बोर्ड में अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक के साथ–साथ गैर–कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।

श्री अनंतकृष्णन को औषधि उद्योग में 40 से अधिक वर्षों का प्रगतिशील नेतृत्व अनुभव है। आपको एक उद्योग विचारक नेतृत्वकर्ता, रणनीतिक विचारक और लीक से हटकर (out-of-the-box) समस्या का समाधान करने वाले के रूप में देखा जाता है। आपको अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बाजारों में उच्च प्रदर्शन करने वाली संस्था बनाने, सफलता प्राप्त करने, राजस्व और लाभ में वृद्धि करने तथा उसे कायम रखने के लिए पहचाना जाता है।

आपके पास रणनीतिक योजना, साझेदारी निर्माण, राजस्व एवं लाभ अनुकूलन, कायापलट प्रबंधन, बिक्री तथा विपणन नेतृत्व, नीति विकास, ब्रांड निर्माण, वित्त, बजट और लागत प्रबंधन के क्षेत्रों में व्यापक अनुभव और विशेषज्ञता है।

श्री अनंतकृष्णन के पास विपणन प्रबंधन में परास्नातक की डिग्री (जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, मुंबई) और विज्ञान में स्नातक की डिग्री (उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद) है।आपने व्हार्टन बिजनेस स्कूल, यूएसए द्वारा संचालित कार्यकारी विकास कार्यक्रम और इनसीड (INSEAD), फ्रांस द्वारा संचालित फाइनेंस फौर नॉन फाइनेंस प्रोग्राम में सहभागिता की है।

आपने वर्ष 1976 में नोवार्टिस इंडिया लिमिटेड के साथ अपने करियर की शुरुआत की (बिक्री में) और पूरे भारत में विविध उत्पाद पोर्टफोलियो और ब्रांड मार्केटिंग कार्यों को संभाला। बाद में, आप फार्माशिया इंडिया में उपाध्यक्ष – बिक्री एवं विपणन के रूप में शामिल हुए और फिर फाइजर इंडिया लिमिटेड में यरिष्ठ निदेशक – औषधि के रूप में कार्य किया। इसके बाद, आपने फुलफोर्ड (इंडिया) लिमिटेड में मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में शामिल हुए और एमएसडी फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ फुलफोर्ड (इंडिया) लिमिटेड और ऑर्गन (इंडिया) लिमिटेड के परिचालन के सफल एकीकरण में आपका योगदान रहा है। एमएसडी के उपाध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, दक्षिण एशिया क्षेत्र, के रूप में, आपने सबसे तेजी से बढ़ती औषधि कंपनियों में से एक बनने के लिए संयुक्त इकाई की बेहतरी के लिए सुधार करना सुनिश्चित किया.

आपने भारत के औषधि उत्पादक संगठन (ओपीपीआई) के महानिदेशक और भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई–फार्मा समिति) के सह–अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और कई महत्वपूर्ण नीतिगत पहलों के विकास में योगदान दिया।

आप वर्तमान में हेल्थकेयर टेक्नोलॉजी स्टार्ट अप में परामर्शदाता हैं। इसके अतिरिक्त, आप इंडियन एजुकेशन सोसाइटी फार्मास्युटिकल मैनेजमेंट प्रोग्राम के सलाहकार पैनल के सदस्य हैं और एसेंट मेडिटेक लिमिटेड के बोर्ड के सदस्य भी हैं। आपको भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों में प्रमुख प्रबंधन संस्थानों द्वारा अतिथि वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया।

The brief profile of Shri K.G. Ananthakrishnan is as under:

Shri K G Ananthakrishnan was appointed as Part-Time Non-Official Director as well as Non-Executive Chairman on the Board of the Bank w.e.f. 07.11.2022.

Shri Ananthakrishnan has more than 40 years of progressive leadership experience in pharmaceuticals industry. He is regarded as an industry thought leader, strategic thinker and is recognized for creating high performance organizations, driving success, improving access, delivering and sustaining revenue and profit growth in highly competitive markets.

He has vast experience and expertise in areas of general management, strategic planning, partnership building, revenue and profit optimization, turnaround management, sales and marketing, policy development.

Shri Ananthakrishnan holds Master's degree in Marketing Management (Jamnalal Bajaj Institute of Management Studies, Mumbai) and Bachelor's degree in Science (Osmania University, Hyderabad). He has undergone Executive Development Program conducted by Wharton Business School, USA and Finance for Non-Finance Program conducted by INSEAD, France.

He commenced his career in 1976 with Novartis India Limited (in sales) and handled diverse product portfolio. He joined Pharmacia India in 1999 as Vice President – Sales & Marketing and transitioned to Pfizer India Ltd. as Senior Director – Pharmaceuticals. Thereafter, he joined Fulford (India) Ltd. as Chief Operating Officer and was part of successful integration of the operations of Fulford (India) Ltd. and Organon (India) Ltd. with MSD Pharmaceuticals Pvt. Ltd. As Vice President and Managing Director, South Asia Region, MSD, he ensured transformation of the combined entity to become one of the fastest growing pharmaceutical companies.

He served as Director General, Organization of Pharmaceutical Producers of India (OPPI) and Co-Chair (Pharma Committee) – Confederation of Indian Industry (CII), and contributed in development of several important policy initiatives.

He is presently mentoring Healthcare Technology Start Ups. Further, he is an Advisory Panel member of Indian Education Society Pharmaceutical Management Program and also a member on the Board of Ascent Meditech Limited. He has been invited as guest speaker by leading management institutions both in India and USA.

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं, 2015 के विनियम 36(3) के संदर्भ में अन्य विवरण निम्नानुसार हैं:

ए. बैंक के कारोबार के संदर्भ में कौशल/विशेषज्ञता/क्षमताओं की पहचान भारत सरकार द्वारा की जाती है और तदनुसार, भारत सरकार द्वारा बैंक के बोर्ड में निदेशक की नियुक्ति की जाती है।

बी. निदेशकों के बीच कोई पारस्परिक संबंध नहीं है

सी. अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशक: शून्य

डी. सूचीबद्ध संस्थाओं के नाम जिनसे श्री के जी अनंतकृष्णन का पिछले तीन वर्षों में निदेशक के रूप में कार्यकाल समाप्त हुआ: शून्य

ई. पंजाब नैशनल बैंक में शेयरधारिता: 2000 शेयर

श्री के. जी. अनंतकृष्णन के अलावा, कोई भी निदेशक, बैंक के प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति और उनके रिश्तेदार किसी भी तरह से संकल्प में रुचि या संबंध नहीं रखते हैं।

बोर्ड ने अनुशंसा की है कि उनकी नियुक्ति के प्रस्ताव को एजीएम में विशेष संकल्प के रूप में शेयरधारकों के समक्ष उनकी स्वीकृति के लिए रखा जाए।

- **मद सं.14**

निदेशक मंडल ने पंजाब नैशनल बैंक शेयर खरीद योजना (पीएनबी–ईएसपीएस) के माध्यम से एक या एक से अधिक किश्तों में बैंक के कर्मचारियों को ₹ 2.00 प्रत्येक के अंकित मूल्य के 15 करोड़ नए इक्विटी शेयरों की पेशकश करने का निर्णय लिया है, जो कि भारत सरकार / सेबी / अन्य नियामक एजेंसियों आदि के अनिवार्य / नियामक के अधीन अनुमोदन जो इस तरह से कि भारत सरकार की हिस्सेदारी 52.00% से कम न हो।

सेबी (एसबीईबी और एसई) विनियम, 2021 के अनुपालन में, बैंक पंजाब नैशनल बैंक कर्मचारी शेयर खरीद योजना ('पीएनबी–ईएसपीएस') नामक एक योजना तैयार कर रहा है।

योजना 'मुआवजा समिति' द्वारा प्रशासित की जाएगी और लागू कानूनों के अनुपालन के अधीन होगी।

पीएनबी–ईएसपीएस के अंतर्गत जारी किए जाने के लिए प्रस्तावित नए इक्विटी शेयर बैंक द्वारा घोषित लाभांश, यदि कोई हो, के भुगतान सहित बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के साथ सभी तरह से समान रैंक वाले होंगे।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं, 2015 के विनियम 41(4) और सेबी (एसबीईबी और एसई) विनियमों के विनियम 6 के अनुपालन में, बैंक पात्र कर्मचारियों को नए इक्विटी शेयर जारी करने और आबंटित करने के लिए विशेष संकल्प प्रस्तावित कर रहा है।

जारी करने का उद्देश्य, दीर्घकालिक संसाधनों को बढ़ाने के अलावा, कर्मचारियों को प्रेरित करना और कर्मचारियों के बीच अपनेपन और

Other details in terms of Regulation 36(3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 are as under:

a. The skills/expertise/capabilities as required in the context of business of the Bank are identified by the Government of India and accordingly, appointment of the Director on the Board of the Bank is made by the Government of India.

b. There is no inter-se relationship between Directors.

c. Directorship in other listed entities: Nil

d. Names of listed entity in which Shri Ananthakrishnan has ceased to be Director in the past three years: Nil

e. Shareholding in Punjab National Bank: 2000 shares.

Except Shri K.G. Ananthakrishnan, none of the Directors, Key Managerial Persons of the Bank and their relatives is in any way, interested or concerned in the Resolution.

The Board has recommended that the proposal for his appointment, be placed before the shareholders as Special Resolution at the AGM, for seeking their approval.

- **Item No. 14**

The Board of Directors has decided to offer upto 15 crore new equity shares of face value of ₹2.00 each to employees through Punjab National Bank Employee Stock Purchase Scheme (PNB-ESPS) in one or more tranches subject to mandatory/ regulatory approvals from the GoI/SEBI/Other regulatory agencies etc. in such a way that the Government of India holding does not fall below 52.00%.

In compliance with SEBI (SBEB & SE) Regulations, 2021, the Bank is formulating a Scheme namely Punjab National Bank Employee Stock Purchase Scheme ("PNB-ESPS").

The Scheme will be administered by the 'Compensation Committee' and shall be subject to compliance with the applicable laws.

The new equity shares proposed to be issued under the PNB-ESPS shall rank pari passu in all respects with the existing equity stock of the Bank including payment of dividend, if any, declared by the Bank.

In compliance with Regulation 41(4) of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Regulation 6 of SEBI (SBEB & SE) Regulations, the Bank is proposing the special resolution for issuance and allotment of new equity shares to eigible employees.

The object of the Issue, apart from raising of long term resources is to motivate the employees and strengthen the

स्वामित्व की भावना को मजबूत करना और बैंक के दीर्घकालिक लक्ष्यों के साथ उनके हितों को संरेखित करते हुए उनके अंशदान के लिए उन्हें पुरस्कृत करना है।

ए. योजना का संक्षिप्त विवरण:

बैंक कर्मचारियों को बैंक के ₹ 2/– अंकित मूल्य के 15 (पंद्रह) करोड़ नए इक्विटी शेयरों की पेशकश करने का प्रस्ताव करता है जैसा कि सेबी (एसबीईबी और एसई) विनियमों के विनियम 2(1)(i) के तहत परिभाषित किया गया है, पीएनबी ईएसपीएस के तहत, लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अधीन, उचित प्रीमियम के साथ प्रस्ताव बनाते समय 'मुआवजा समिति' के रूप में नामित 'बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति' द्वारा तय किया जाएगा, ऐसे में इस तरह से भारत सरकार की होल्डिंग 52.00% से कम नहीं होती है।

बी. विकल्पों की कुल संख्या, एसएआर, शेयर या लाभ, जैसा भी मामला हो, की पेशकश की जा सकती है और दी जा सकती है:

पीएनबी ईएसपीएस के अंतर्गत कुल मिलाकर 15,00,00,000 (पंद्रह करोड़) नए इक्विटी शेयरों को कर्मचारियों को सेबी (एसबीईबी और एसई) विनियमों के विनियम 2(1)(i) के अंतर्गत परिभाषित, प्रस्तावित किया गया है।

सी. योजना में भाग लेने के लिए पात्र कर्मचारियों की पहचान 'मुआवजा समिति' द्वारा तय किए जाने वाले मानदंडों के अनुसार की जाएगी:

योजना में भाग लेने के लिए पात्र कर्मचारियों की पहचान 'मुआवजा समिति' द्वारा तय किए जाने वाले मानदंडों के अनुसार की जाएगी।

डी. निहित करने की आवश्यकताएं और अवधि:

लागू नहीं।

ई. अधिकतम अवधि [सेबी (एसबीईबी और एसई) विनियमों के विनियम 18(1) और 24(1) के अधीन, जैसा भी मामला हो] जिसके भीतर विकल्प/एसएआरएस/लाभ निहित होंगे:

लागू नहीं।

एफ. प्रयोग मूल्य, एसएआर मूल्य, खरीद मूल्य या मूल्य निर्धारण सूत्र:

योजना के तहत आवंटित किए जाने वाले शेयरों का प्रस्ताव मूल्य/खरीद मूल्य ऐसे नियमों और शर्तों पर होगा जैसा कि पेशकश के समय 'मुआवजा समिति' द्वारा तय किया जा सकता है।

जी. प्रयोग की अवधि/प्रस्ताव की अवधि और प्रयोग की प्रक्रिया/प्रस्ताव की स्वीकृति:

जिस अवधि के दौरान 'मुआवजा समिति' के निर्णय के अनुसार जारीकरण खुला रहता है, वह प्रयोग अवधि होगी। प्रयोग की प्रक्रिया/स्वीकृति की प्रक्रिया में, अन्य बातों के साथ–साथ, कर्मचारियों

sense of belongingness and ownership amongst the employees and to reward them for their contribution while also aligning their interests with the long term goals of the Bank.

A. Brief Description of the Scheme:

The Bank proposes to offer upto 15 (Fifteen) crore new equity shares of face value of ₹2/- each of the Bank to the Employees [as defined under Regulation 2(1)(i) of SEBI (SBEB & SE) Regulations] under PNB ESPS, subject to applicable laws, Rules, Regulations and Guidelines, with appropriate premium to be decided by the 'Nomination and Remuneration Committee of the Board' designated as the 'Compensation Committee' at the time of making the offer, in such a way that the Government of India holding does not reduce below 52.00%.

B. The total number of options, SARs, shares or benefits, as the case may be, to be offered and granted:

Up to 15,00,00,000 (Fifteen crore) new equity shares in aggregate are proposed to be offered to the Employees [as defined under Regulation 2(1)(i) of SEBI (SBEB & SE) Regulations] under the PNB ESPS.

C. Identification of Classes of Employees entitled to participate and be beneficiaries in the PNB ESPS:

The eligible employees for participation in the Scheme shall be identified as per the criteria to be decided by the 'Compensation Committee'.

D. Requirements of vesting and period of vesting:

Not Applicable.

E. Maximum period [subject to regulation 18(1) and 24(1) of the SEBI (SBEB & SE) Regulations, as the case may be] within which the options/SARS/benefits shall be vested:

Not Applicable.

F. Exercise Price, SAR Price, Purchase Price or Pricing Formula:

The Offer Price/Purchase Price of the shares to be allotted under the Scheme shall be on such terms and conditions as may be decided by the 'Compensation Committee', at the time of the Offer.

G. Exercise Period/ Offer Period and Process of Exercise/ Acceptance of Offer:

The period during which the issue remains open as per decision of the 'Compensation Committee' shall be the Exercise Period. The process of exercise/acceptance of Offer would, inter-alia, include the offer made to

को दिया गया प्रस्ताव, आवेदन की प्राप्ति और सदस्यता राशि और योजना के अनुसार शेयरों का आवंटन शामिल होगा।

एच. योजना के लिए कर्मचारियों की पात्रता निर्धारित करने के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया:

योग्य कर्मचारी, मुआवजा समिति द्वारा अनुमोदित मानदंडों के अनुसार, पेशकश की तिथि के अनुसार, लागू नियामक आवश्यकताओं और दिशानिर्देशों के अधीन भाग लेने के हकदार होंगे।

आई विकल्प, एसएआरएस, शेयरों की अधिकतम संख्या, जैसा भी मामला हो, प्रति कर्मचारी और कुल मिलाकर, यदि कोई हो, की पेशकश की जा सकती है और जारी की जा सकती है:

योजना के अंतर्गत जारी किए जाने वाले प्रस्तावित प्रति कर्मचारी नए इक्विटी शेयरों की अधिकतम संख्या मुआवजा समिति द्वारा तय की जाएगी। बैंक कुल मिलाकर अधिकतम 15,00,00,000 (पंद्रह करोड़) नए इक्विटी शेयर जारी करने का प्रस्ताव करता है।

जे. योजना के अंतर्गत प्रति कर्मचारी प्रदान किए जाने वाले लाभों की अधिकतम मात्रा:

योजना के अंतर्गत कर्मचारियों को जारी किए गए इक्विटी शेयरों के अलावा जैसा कि ऊपर पैरा (I) में बताया गया है, कर्मचारियों को कोई अन्य लाभ प्रदान करने का प्रस्ताव नहीं है।

के. क्या योजना को सीधे बैंक द्वारा या ट्रस्ट के माध्यम से कार्यान्वित और प्रशासित किया जाना है:

प्रस्तावित योजना को सीधे बैंक द्वारा कार्यान्वित और प्रशासित किया जाएगा।

एल. क्या इस योजना में बैंक द्वारा शेयर जारी करना या ट्रस्ट द्वारा द्वितीयक अर्जन या दोनों शामिल हैं:

प्रस्तावित योजना के अंतर्गत, बैंक सीधे कर्मचारियों को नए इक्विटी शेयर जारी करेगा।

एम. बैंक द्वारा न्यास को योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रदान की जाने वाली ऋण की राशि, उसकी अवधि, उपयोगिता, चुकौती की शर्तें, आदि:

प्रस्तावित योजना के अंतर्गत, बैंक के नए इक्विटी शेयर सीधे कर्मचारियों को जारी करने का प्रस्ताव है और इस तरह, ट्रस्ट का गठन या ट्रस्ट को ऋण प्रदान करना लागू नहीं है।

एन. द्वितीयक अर्जन का अधिकतम प्रतिशत (विनियमों के अंतर्गत निर्दिष्ट सीमाओं के अधीन) जो योजना के प्रयोजनों के लिए ट्रस्ट द्वारा किया जा सकता है:

लागू नहीं।

ओ. इस आशय का एक वक्तव्य कि बैंक सेबी (एसबीईबी और एसई) विनियमों के विनियम 15 में निर्दिष्ट लेखांकन नीतियों के अनुरूप होगा:

बैंक सेबी (एसबीईबी और एसई) विनियम, 2021 के विनियम 15 में निर्दिष्ट लेखांकन नीतियों के अनुरूप होगा।

the Employees, receipt of application and subscription amount and allotment of shares pursuant to the Scheme.

H. The appraisal process for determining the eligibility of Employees for the Scheme:

Eligible Employees, as per the criteria approved by the Compensation Committee, as on the date of offering, will be entitled to participate, subject to the applicable regulatory requirements and guidelines.

I. Maximum Number of Options, SARS, Shares, as the case may be, to be offered and issued per Employee and in aggregate, if any:

The maximum number of new equity shares per employee proposed to be issued under the Scheme shall be decided by the Compensation Committee. The Bank proposes to issue maximum of 15,00,00,000 (Fifteen crore) new equity shares in aggregate.

J. Maximum quantum of benefits to be provided per employee under the Scheme:

Other than equity shares issued to the Employees under the Scheme as indicated in para (I) above, no other benefit is proposed to be provided to the Employees.

K. Whether the Scheme is to be implemented and administered directly by the Bank or through a Trust:

The proposed Scheme will be implemented and administered directly by the Bank.

L. Whether the Scheme involves new issue of shares by the Bank or secondary acquisition by the Trust or both:

Under the proposed Scheme, the Bank will issue new equity shares directly to the Employees.

M. The amount of loan to be provided for implementation of the scheme by the Bank to the Trust, its tenure, utilization, repayment terms, etc.:

Under the proposed Scheme, the new equity shares of the Bank are proposed to be issued directly to the Employees and as such, the formation of the Trust or providing loan to the Trust is Not Applicable.

N. Maximum percentage of secondary acquisition (subject to limits specified under the regulations) that can be made by the Trust for the purposes of the Scheme:

Not Applicable.

O. A Statement to the effect that the Bank shall conform to the Accounting Policies specified in Regulation 15 of SEBI (SBEB & SE) Regulations:

The Bank will conform to the accounting policies specified in Regulation 15 of SEBI (SBEB & SE) Regulations, 2021.

पी. बैंक अपने विकल्पों या एसएआर के मूल्यांकन के लिए जिस पद्धति का उपयोग करेगा:

प्रस्तावित योजना के अंतर्गत, बैंक नए इक्विटी शेयर जारी करने का प्रस्ताव करता है और इस प्रकार, विकल्प या एसएआर का मूल्यांकन लागू नहीं होता है।

क्यू. निम्नलिखित कथन, यदि लागू हो:

यदि बैंक आंतरिक मूल्य का उपयोग करते हुए शेयर आधारित कर्मचारी लाभों के व्यय का विकल्प चुनता है, तो कर्मचारी क्षतिपूर्ति लागत और कर्मचारी क्षतिपूर्ति लागत के बीच का अंतर, जिसे उचित मूल्य का उपयोग करने पर मान्यता दी जाएगी, निदेशकों के समक्ष प्रकट किया जाएगा।' रिपोर्ट और बैंक के मुनाफे और प्रति शेयर आय ("ईपीएस") पर इस अंतर का प्रभाव भी निदेशकों की रिपोर्ट में प्रकट किया जाएगा।

यदि लागू हो तो बैंक उपरोक्त आवश्यकताओं का अनुपालन करेगा।

आर. लॉक-इन की अवधि:

वर्तमान ईएसपीएस के अंतर्गत जारी किए जाने वाले प्रस्तावित नए इक्विटी शेयर सेबी (एसबीईबी और एसई) विनियमों के अनुसार आवंटन की तारीख से कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए लॉक–इन रहेंगे।

अनुलग्नक

लाभांश पर टीडीएस की कटौती पर निर्देश

आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) के अनुसार, वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा संशोधित, 1 अप्रैल, 2020 के बाद बैंक द्वारा भुगतान या वितरित लाभांश शेयरधारकों के लिए कर योग्य होगा। इसलिए बैंक को शेयरधारकों को उक्त लाभांश का भुगतान करते समय अधिनियम की धारा 194 या अधिनियम की धारा 195 के अंतर्गत निर्धारित दरों पर स्रोत पर कर (टीडीएस) की कटौती करनी होगी। टीडीएस की दर शेयरधारक की आवासीय स्थिति और उनके द्वारा जमा किए गए और बैंक द्वारा स्वीकार किए गए दस्तावेजों के आधार पर भिन्न होगी। इसके अलावा, टीडीएस की उच्च दर लागू होगी यदि अधिनियम की धारा 206एए के अनुसार वैध स्थायी खाता संख्या (पैन) शेयरधारक द्वारा प्रदान नहीं किया गया या अधिनियम की धारा 206एबी के अनुसार एक निर्दिष्ट व्यक्ति है।

एक निर्दिष्ट व्यक्ति वह है जिसने पिछले एक वर्ष से आयकर रिटर्न दाखिल करने का अनुपालन नहीं किया है और पिछले एक वर्ष में टीडीएस/टीसीएस ₹ 50,000 या अधिक का रहा है। भारत में स्थायी स्थापना जिसपर नहीं रखने वाले अनिवासी को एक निर्दिष्ट व्यक्ति के रूप में नहीं माना जाता है।

तदनुसार, बैंक द्वारा अंतिम लाभांश का भुगतान स्रोत पर कर की कटौती के बाद किया जाएगा, जैसा कि यहां स्पष्ट किया गया है।

ए. निवासी शेयरधारक

1. निवासी शेयरधारकों के लिए, लाभांश की राशि पर 10% टीडीएस लागू होगा। यदि वैध पैन प्रदान नहीं किया गया है या शेयरधारक एक निर्दिष्ट व्यक्ति है, तो टीडीएस लाभांश की राशि पर 20% लागू

P. The method which the Bank shall use to value its options or SARs:

Under the proposed Schemve, the Bank proposes to issue new equity shares and as such, the valuation of Options or SARs is Not Applicable.

Q. The following statement, if applicable:

In case the Bank opts for expensing of share based employee benefits using the intrinsic value, the difference between the employee compensation cost so computed and the employee compensation cost that shall have been recognized if it had used the fair value, shall be disclosed in the Directors' Report and the impact of this difference on profits and on earnings per share ("EPS") of the Bank shall also be disclosed in the Directors' Report.

The Bank will comply with the above requirements, if applicable.

R. Period of Lock-in:

The new equity shares proposed to be issued under the present ESPS shall be locked-in for a minimum period of one year from the date of allotment as per SEBI (SBEB & SE) Regulations.

Annexure

Instructions on Deduction of Tax at Source on Dividend

As per the Income-tax Act, 1961 (the Act), as amended by the Finance Act, 2020, dividend paid or distributed by Bank after April 1, 2020 shall be taxable in the hands of the shareholders. The Bank shall therefore be required to deduct tax at source (TDS) under section 194 of the Act or section 195 of the Act at the prescribed rates at the time of making the payment of the said dividend to shareholders. The TDS rate would vary depending on the residential status of the shareholder and the documents submitted by them and accepted by the Bank. Further, higher rate of TDS would be applicable if pursuant to section 206AA of the Act valid permanent account number (PAN) has not been provided by shareholder or pursuant to section 206AB of the Act, shareholder being a specified person.*

*A specified person is one who has not complied with filing of income tax returns for last one year and is having TDS and/or Tax Collection at Source (TCS) of ₹50,000 or more in last one year. A non-resident not having permanent establishment in India is not considered as a specified person.

Accordingly, the final dividend will be paid by the Bank after deducting tax at source, as applicable, as explained herein.

A. Resident Shareholders

1. For Resident Shareholders, TDS will be applicable at 10% on the amount of dividend. In case, valid PAN is not provided or shareholder is a specified person, then the TDS will be applicable at 20% of the amount of dividend. Accordingly, shareholders who have not provided their

होगा। तदनुसार, जिन शेयरधारकों ने अपना पैन प्रदान नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे इसे बैंक या उसके रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (एसटीए) अर्थात बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज (प्राइवेट) लिमिटेड, बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (एसटीए) (भौतिक रूप में धारित शेयरों के संबंध में) या डिपॉजिटरी भागीदार (इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित शेयरों के संबंध में) को तत्काल प्रदान करें।

देय लाभांश पर कोई कर नहीं काटा जाएगा यदि नीचे दी गई दो शर्तों में से कोई एक पूरी की जाती है:

- एक निवासी व्यक्तिगत शेयरधारक को देय कुल लाभांश ₹5,000 प्रति वर्ष से अधिक नहीं है।
- शेयरधारक ने वैध पैन के साथ विधिवत भरा और हस्ताक्षरित फॉर्म 15G (कंपनी या फर्म के अलावा किसी भी व्यक्ति के लिए लागू) / फॉर्म 15H (60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति के लिए लागू) प्रदान किया है और बशर्ते कि वह सभी आवश्यक पात्रता शर्तें पूर्ण करता हो।

2. निम्नलिखित कर निवासी शेयरधारक बैंक की संतुष्टि के अधीन नीचे उल्लिखित दस्तावेज बैंक को उपलब्ध कराने पर टीडीएस की शून्य/कम दर के लिए पात्र होना होगा:

क. सं.	विवरण	टीडीएस की लागू दर	आवश्यक दस्तावेज
ए)	बीमा कंपनियां	शून्य	• घोषणापत्र कि यह अधिनियम की धारा 194 के प्रावधान के अंतर्गत निर्दिष्ट एक बीमा कंपनी है • आईआरडीएआई के साथ पंजीकरण के प्रमाण पत्र की स्व–सत्यापित प्रति • पैन कार्ड की स्व–सत्यापित प्रति
बी)	सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), केंद्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अंतर्गत स्थापित विशिष्ट निगम जिनकी आय कर से मुक्त है, और अधिनियम की धारा 10 (23डी) के अंतर्गत निर्दिष्ट म्यूचुअल फंड	शून्य	• घोषणापत्र कि यह जारी परिपत्रों के साथ पठित अधिनियम की धारा 196 (iii) के अंतर्गत आता है। • प्रासंगिक पंजीकरण दस्तावेजों की स्व–सत्यापित प्रति • पैन कार्ड की स्व–सत्यापित प्रति

PAN are requested to provide the same to the Bank or its Registrar and Share Transfer Agent (STA) viz. Beetal Financial & Computer Services (Pvt.) Ltd., (in respect of shares held in physical form) or to the Depository Participant (in respect of shares held in electronic form), immediately.

No tax shall be deducted on the dividend payable if either of the below two conditions are fulfilled:

- Total dividend payable to a resident individual shareholder does not exceed ₹5,000 per year OR
- The shareholder has provided duly filled and signed Form 15G (applicable to any Person other than a company or a Firm)/ Form 15H (applicable to an Individual above the age of 60 years) with valid PAN and provided that all the required eligibility conditions are met.

2. The following Tax Resident Shareholders should be eligible for Nil/Lower Rate of TDS upon providing the documents to the Bank mentioned hereunder to the satisfaction of the Bank:

Sr. No.	Particulars	Applicable Rate of TDS	Documents Required
a)	Insurance Companies	Nil	• Declaration that it is an Insurance Company as specified under Proviso to section 194 of the Act • Self-attested copy of certificate of registration with IRDAI • Self-attested copy of PAN card
b)	Government, Reserve Bank of India (RBI), Specified Corporations established by or under Central Act whose Income is exempt from tax, and Mutual Funds specified under section 10(23D) of the Act	Nil	• Declaration that it is covered by section 196(iii) of the Act read with the Circulars issued thereunder • Self-attested copy of relevant registration documents • Self-attested copy of PAN card

क्र. सं.	विवरण	टीडीएस की लागू दर	आवश्यक दस्तावेज
सी)	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के साथ पंजीकृत श्रेणी – I और II वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ)	शून्य	• घोषणापत्र कि इसकी आय अधिनियम की धारा 10 (23FBA) के अंतर्गत छूट प्राप्त है और वे श्रेणी I या श्रेणी II एआईएफ के रूप में सेबी के नियमों द्वारा शासित हैं • सेबी एआईएफ पंजीकरण प्रमाण पत्र की स्व–सत्यापित प्रति • पैन कार्ड की स्व–सत्यापित प्रति
डी)	शेयरधारकों को अधिनियम या सीबीडीटी परिपत्र या अधिसूचना के किसी भी प्रावधान के संदर्भ में टीडीएस प्रावधानों से छूट दी गई है	शून्य	• घोषणापत्र कि सीबीडीटी परिपत्र या अधिसूचना के अंतर्गत आता हो • अधिनियम या सीबीडीटी परिपत्र या अधिसूचना के किसी भी प्रावधान के संदर्भ में छूट की स्थिति का समर्थन करने वाले दस्तावेजी साक्ष्य • पैन कार्ड की स्व–सत्यापित प्रति
ई)	सभी निवासी शेयरधारक आयकर विभाग द्वारा जारी न्यून कटौती प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट दर		• अधिनियम की धारा 197 के अंतर्गत प्रमाण पत्र की स्व–सत्यापित प्रति

बी. अनिवासी शेयरधारक

1. अनिवासी संस्थागत शेयरधारकों के लिए विदेशी संस्थागत निवेशक / विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफआईआई / एफपीआई) होने के नाते, टीडीएस अधिनियम की धारा 196डी के अंतर्गत 20% पर या किसी भी लागू दोहरा कर बचाव समझौता (कर संधि) में दिए गए दर के अनुसार, नीचे उल्लिखित दस्तावेजों को जमा करने पर, जो भी कम हो, देय लाभांश की राशि पर लागू होगा।

2. अन्य अनिवासी शेयरधारकों के लिए, टीडीएस अधिनियम की धारा 195 के प्रावधानों के अनुसार लागू दरों पर जो वर्तमान में 20% है या नीचे उल्लिखित दस्तावेजों को जमा करने पर किसी भी लागू

Sr. No.	Particulars	Applicable Rate of TDS	Documents Required
c)	Category - I & II Alternative Investment Funds (AIF) registered with the Securities and Exchange Board of India (SEBI)	Nil	• Declaration that their income is exempt under section 10 (23 FBA) of the Act and they are governed by SEBI regulations as Category I or Category II AIF • Self-attested copy of SEBI AIF registration certificate • Self-attested copy of the PAN card
d)	Shareholders exempted from TDS provisions in terms of any provisions of the Act or CBDT Circular or notification	Nil	• Declaration that it is covered by CBDT circular or Notification • Documentary evidence supporting the exemption status in terms of any provisions of the Act or CBDT Circular or notification • Self-attested copy of PAN card
e)	All resident shareholders	Rate specified in the low deduction certificate issued by the income tax department	• Self-attested copy of certificate under section 197 of the Act

B. Non-Resident Shareholders

1. For Non-resident institutional shareholders being Foreign Institutional Investors/ Foreign Portfolio Investor (FII/FPI), TDS will be applicable under section 196D of the Act, at 20% or as per the rate in any applicable Double Tax Avoidance Agreement (tax treaty) on submission of documents mentioned below, whichever is lower, on the amount of dividend payable.

2. For other Non-resident shareholders, TDS will be applicable in accordance with the provisions of section 195 of the Act, at the rates in force which is currently

कर संधि में दिए दर के अनुसार, जो भी कम हो, देय लाभांश की राशि पर लागू होगा।

3. अनिवासी शेयरधारक जिनके पास भारत में स्थायी स्थापना है और एक निर्दिष्ट व्यक्ति है, उन पर लागू टीडीएस की दर से दोगुना के लिए उत्तरदायी होगा।

4. यदि अधिनियम की धारा 197 / 195 के अंतर्गत अनिवासी शेयरधारकों द्वारा करों की कम/शून्य रोक के लिए प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाता है, तो उक्त प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट दर पर उसी की स्व–सत्यापित प्रति प्रस्तुत करने के आधार पर विचार किया जाएगा।

अधिनियम की धारा 90(2) के अनुसार, अनिवासी शेयरधारकों (एडीआर के लिए डिपॉजिटरी के अलावा) के पास भारत और उनके कर निवास वाले देशों के बीच कर संधि का लाभ उठाने का विकल्प है, जिसके लिए ऐसे अनिवासी शेयरधारक को बैंक की संतुष्टि के अधीन निम्नलिखित दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे:

1. भारतीय आयकर प्राधिकरण द्वारा आवंटित पैन की स्व–सत्यापित प्रति यदि पैन आवंटित नहीं किया गया है, तो कृपया स्व–घोषणा प्रस्तुत करें।

2. जिस देश का शेयरधारक निवासी है, उसके कर प्राधिकरण से प्राप्त टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट (टीआरसी) (वित्त वर्ष 2022–23 के लिए) की स्व–सत्यापित प्रति। यदि टीआरसी अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में प्रस्तुत किया जाता है, तो उक्त टीआरसी का ऐसी अन्य भाषा से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करना होगा और उसके बाद टीआरसी की विधिवत नोटरीकृत और प्रमाणित (एपोस्टील) प्रति प्रदान करनी होगी।

3. वित्त वर्ष 2022–23 के लिए फॉर्म 10एफ में स्व–घोषणा यदि इस फॉर्म में आवश्यक सभी विवरण टीआरसी में उल्लिखित नहीं हैं।

4. अनिवासी शेयरधारक द्वारा स्व–घोषणा के रूप में:
   - शेयरधारक की कर आवासीय स्थिति के आधार पर कर संधि लाभों का दावा करने की पात्रताय
   - प्रासंगिक वर्ष के दौरान किसी भी समय शेयरधारक के पास लागू कर संधि के अनुसार भारत में स्थायी स्थापनाधनिश्चित आधार नहीं थाय
   - शेयरधारक इक्विटी शेयरों पर प्राप्त होने वाली लाभांश आय का लाभकारी स्वामी है।

कृपया ध्यान दें कि अनिवासी शेयरधारकों के मामले में कर संधि लाभों का दावा करने के लिए या/और अधिनियम की धारा 206AB के अनुसार अधिक टीडीएस से बचने के लिए कोई स्थायी स्थापना और लाभकारी स्वामित्व की स्व–घोषणा शेयरधारक के लेटरहेड पर होनी चाहिए।

कृपया ध्यान दें कि बैंक अपने एकमात्र और पूर्ण विवेकाधिकार में किसी भी अधिक जानकारी के लिए कॉल करने और/या टीडीएस के लिए डोमेस्टिक कानून/कर संधि लागू करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

सामान्य निर्देश:

1. उपरोक्त सभी संदर्भित टीडीएस दरों में जहां भी लागू हो, लागू अधिभार और उपकर द्वारा विधिवत वृद्धि की जाएगी। हालांकि, यदि डीटीएए के अनुसार टीडीएस दर लागू होती है, तो कोई अधिभार या उपकर नहीं लगाया जाता है।

20% or as per the rate in any applicable tax treaty on submission of documents mentioned below, whichever is lower, on the amount of dividend payable.

3. The non-resident shareholders who has a permanent establishment in India and is a specified person would be liable for twice the rate of TDS as applicable to them.

4. If certificate under section 197/195 of the Act is obtained by non-resident shareholders for lower/Nil withholding of taxes, rate specified in the said certificate shall be considered based on submission of self-attested copy of the same.

Pursuant to section 90(2) of the Act, non-resident shareholders (other than Depository for ADRs) have the option to avail the benefit of tax treaty between India and the countries of their tax residence for which such non-resident shareholders will have to provide the following documents, to the satisfaction of the Bank:

1. Self-attested copy of the PAN allotted by the Indian Income Tax Authorities; If the PAN is not allotted, please submit self-declaration.

2. Self-attested copy of Tax Residency Certificate (TRC) (for FY 2022-23) obtained from the tax authorities of the country of which the shareholder is resident. In case, the TRC is furnished in a language other than English, the said TRC would have to be translated from such other language to English language and thereafter duly notarized and apostilled copy of the TRC would have to be provided.

3. Self-declaration in Form 10F for FY 2022-23 if all the details required in this Form are not mentioned in the TRC.

4. Self-declaration by the non-resident shareholder as to:
   - Eligibility to claim tax treaty benefits based on the tax residential status of the shareholder;
   - The shareholder did not at any time during the relevant year have permanent establishment/fixed base in India in accordance with the applicable tax treaty;
   - Shareholder being the beneficial owner of the dividend income to be received on the equity shares.

Please note that in case of non-resident shareholders Self Declaration of No Permanent Establishment and Beneficial ownership should be on the letterhead of the shareholder for claiming tax treaty benefits or/and to avoiding higher TDS as per section 206AB of the Act.

Please note that the Bank in its sole and absolute discretion reserves the right to call for any further information and/or to apply domestic law/tax treaty for TDS.

General Instructions:

1. All the above referred TDS rates shall be duly enhanced by applicable surcharge and cess, wherever applicable. However, if the TDS rate as per DTAA is applied, no surcharge or cess is leviable.

2. डीमैटीरियलाइज्ड मोड में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपने रिकॉर्ड जैसे कर आवासीय स्थिति, पैन, पता, बैंक खाता विवरण, ईमेल पते और मोबाइल नंबर अपडेट करें। भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपना विवरण बैंक या बैंक के एसटीए को प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान दें कि लागू टीडीएस प्रावधानों का अनुपालन करने के उद्देश्य से, बैंक डिपॉजिटरी/बैंक के एसटीए के पास उपलब्ध विवरण के अनुसार रिकॉर्ड तिथि अर्थात 23 जून, 2023 को उपर्युक्त जानकारी पर निर्भर करेगा।

3. फॉर्म/घोषणापत्र वेबसाइट www.pnbindia.co.in से डाउनलोड की जा सकती हैं। बैंक को उचित कर दर निर्धारित करने में सक्षम बनाने के लिए, जिस पर अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत स्रोत पर कर की कटौती की जानी है, शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे लागू होने वाले दस्तावेज दिनांक 23.06.2023 या उससे पहले hosd@pnb.co.in / beetalrta@gmail.com पर प्रदान/प्रस्तुत करें।

4. लाभांश का भुगतान स्रोत पर कर की कटौती के बाद किया जाएगा जैसा कि संबंधित शेयरधारकों द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेजों के आधार पर निर्धारित किया जायेगा है और अधिनियम के अनुसार पूर्ण और संतोषजनक पाया जायेगा। बैंक शेयरधारक को टीडीएस प्रमाणपत्र भेजने की व्यवस्था करेगा।

5. उक्त लाभांश के संबंध में कर निर्धारण/कटौती पर कोई संचार उपर्युक्त तिथि और समय के बाद स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि यदि उपरोक्त विवरण/दस्तावेजों की प्राप्ति के अभाव में उक्त लाभांश पर कर की उच्च दर से कटौती की जाती है, तब भी शेयरधारक के पास आय की विवरणी दाखिल करने और उचित धन वापसी दावा करने का एक विकल्प उपलब्ध होगा, यदि पात्र हो। इसके अलावा, कृपया ध्यान दें कि ऐसे कर की कटौती के लिए बैंक के खिलाफ कोई दावा नहीं होगा।

6. इस संबंध में सभी संचार/प्रश्न बैंक/बैंक के एसटीए hosd@pnb.co-in/beetal@beetalfinancial.com पर भेजे जाने चाहिए।

7. शेयरधारक(यों) द्वारा प्रदान की गई/प्रदान की जाने वाली जानकारी की किसी भी गलत बअर्थात, अशुद्धि या चूक से उत्पन्न होने वाली किसी भी आयकर मांग (ब्याज, जुर्माना, आदि सहित) की स्थिति में, ऐसे शेयरधारक बैंक को क्षतिपूर्ति करने के लिए जिम्मेदार होंगे और साथ ही, बैंक को सभी जानकारी/दस्तावेज और किसी भी कार्यवाई में सहयोग प्रदान करेंगे।

8. इस संचार को बैंक की सलाह के रूप में नहीं माना जाएगा। शेयरधारकों को अपने कर मामलों से संबंधित कर सलाह कर पेशेवर से प्राप्त करनी चाहिए।

9. बैंक आयकर अनुपालन निश्चित करके आयकर वेबसाइट पर उपलब्ध कार्यक्षमता या सुविधा से सत्यापित जानकारी पर भरोसा करेगा, जिसके लिए अधिनियम की धारा 206AB के अंतर्गत टीडीएस की उच्च दर लागू होगी।

2. Shareholders holding shares in dematerialized mode, are requested to update their records such as tax residential status, PAN, address, bank account details, email addresses and mobile numbers with their depository participants. Shareholders holding shares in physical mode are requested to furnish their details to the Bank or Bank's STA.

Please note that for the purpose of complying with the applicable TDS provisions, the Bank will rely on the above-mentioned information as on record date i.e. 23rd June, 2023 as per the details available with the Depositories/ Bank's STA.

3. The Forms/Declarations can be downloaded from the website: www.pnbindia.co.in. In order to enable the Bank to determine the appropriate tax rate at which tax has to be deducted at source under the respective provisions of the Act, Shareholders are requested to provide/submit the documents as applicable to them on or before 23.06.2023 at beetalrta@gmail.com/hosd@pnb.co.in

4. The dividend will be paid after deduction of tax at source as determined on the basis of the documents provided by the respective shareholders as applicable to them and being found to be complete and satisfactory in accordance with the Act. The Bank shall arrange to dispatch the TDS certificate to the shareholder.

5. No communication on the tax determination/ deduction in respect of the said dividend shall be entertained post the above mentioned date and time. It may be further noted that in case the tax on said dividend is deducted at a higher rate in absence of receipt of the aforementioned details/documents, there would still be an option available with the Shareholder to file the return of income and claim an appropriate refund, if eligible. Further, it may kindly be noted that no claim shall lie against the Bank for such taxes deducted.

6. All communications/queries in this respect should be sent to the Bank/Bank's STA at beetalrta@gmail.com/hosd@pnb.co.in

7. In the event of any income tax demand (including interest, penalty, etc.) arising from any misrepresentation, inaccuracy or omission of information provided/to be provided by the Shareholder(s), such Shareholder(s) will be responsible to indemnify the Bank and also, provide the Bank with all information/documents and co-operation in any proceedings.

8. This communication shall not be treated as an advice from the Bank. Shareholders should obtain tax advice related to their tax matters from a tax professional.

9. The Bank will be relying on the information verified from the functionality or facility available on the Income Tax website for ascertaining the income tax compliance for whom higher rate of TDS shall be applicable under section 206AB of the Act.

निदेशकों की रिपोर्ट
Directors' Report

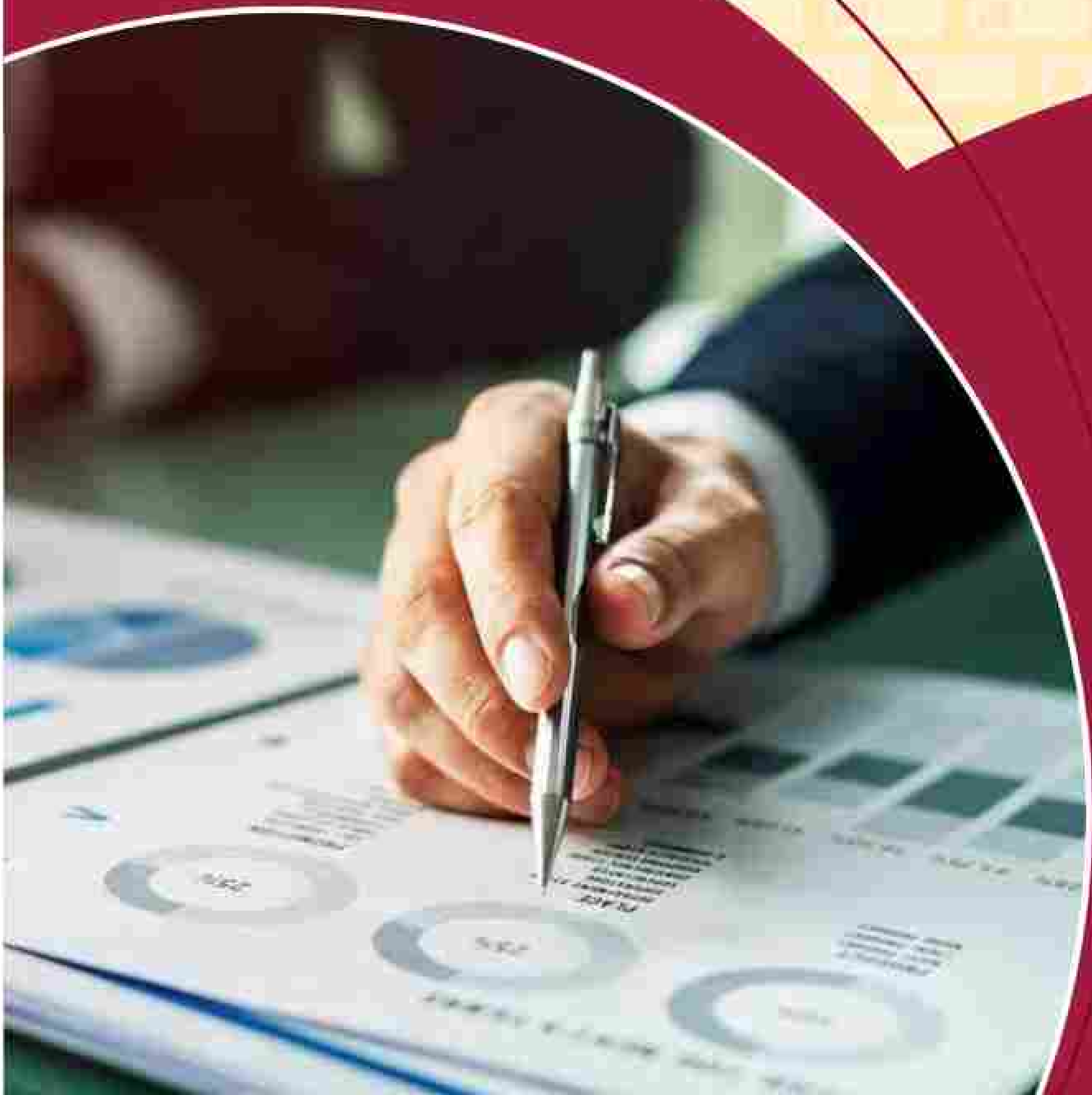

प्रगति एक नजर में / PROGRESS AT A GLANCE

(रु. करोड़ में) (Rs. Crore)

क्र.सं. S. No	पैरामीटर / PARAMETERS	स्टैंडअलोन पीएनबी STANDALONE PNB#			समामेलित पीएनबी AMALGAMATED PNB#	
		वित्त वर्ष 19 FY' 19	वित्त वर्ष 20 FY' 20	वित्त वर्ष 21 FY' 21	वित्त वर्ष 22 FY' 22	वित्त वर्ष 23 FY' 23
1	शेयर पूंजी/Share Capital	921	1348	2096	2202	2202
2	आरक्षित निधियां एवं अधिशेष/Reserves & Surplus	43866	61010	88842	93285	97653
3	कुल व्यवसाय/Total Business	1182224	1220775	1845739	1931322	2165844
4	जमाराशियां/Deposits	676030	703846	1106332	1146219	1281163
5	सकल अग्रिम/Gross Advances	506194	516929	739407	785104	884681
6	निवल अग्रिम/Net Advances	458249	411828	674230	728186	830834
7	निवेश/Investment	202128	240466	392983	372168	395996
8	कुल आस्तियां/Total Assets	774949	830666	1260633	1314805	1461831
9	शाखाएं (सं)/Branches (No.)	6989	7040	10769	10098	10076
10	एटीएम नेटवर्क (संख्या) ATM Network (No.)	9255	9168	13781	13350	12898
11	कारोबार प्रतिनिधि (संख्या) Business Correspondents (No)	8143	7500	12518	15719	24227
12	परिचालन लाभ/ Operating Profit	12995	14739	22159	20762	22529
13	कुल प्रावधान/Total Provisions	22971	14402	20138	17305	20022
14	निवल लाभ/Net Profit	-9975	336	2022	3457	2507
15	व्यवसाय प्रति कर्मचारी Business per Employee	16.80	18.21	18.85	19.41	21.64
16	जमाराशि की वैश्विक लागत (%) Global Cost of Deposit (%)	5.14	5.16	4.44	3.99	4.10
17	अग्रिमों पर वैश्विक प्रतिफल (%) Global Yield on Advances (%)	7.72	7.82	7.53	6.79	7.16
18	निवेश पर वैश्विक प्रतिफल (%) Global Yield on Investment (%)	7.41	7.13	6.48	6.29	6.57
19	वैश्विक निवल ब्याज मार्जिन (%) Global Net Interest Margin (%)	2.41	2.30	2.88	2.71	3.06
20	आस्तियों पर प्रतिलाभ (%) Return on Assets (%)	-1.25	0.04	0.15	0.26	0.18
21	इक्विटी पर प्रतिलाभ (%) Return on Equity (%)	Negative	0.59	3.88	5.96	3.94
22	आय अनुपात की लागत (%) Cost to Income Ratio (%)	47.03	44.82	47.82	49.38	51.69
23	सकल एनपीए (%) /Gross NPAs (%)	15.50	14.21	14.12	11.78	8.74
24	निवल एनपीए (%)/Net NPAs (%)	6.56	5.78	5.73	4.80	2.72
25	पूंजी पर्याप्तता अनुपात (%) Capital Adequacy Ratio (%)	9.73	14.14	14.32	14.50	15.50
26	टियर 1 अनुपात (%)/Tier 1 Ratio (%)	7.49	11.90	11.50	11.73	12.69

आंकड़े पूर्व-समामेलन अवधि के लिए स्टैंडअलोन पंजाब नैशनल बैंक वित्तीय परिणामों से संबंधित है, इसलिए 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए समामेलन पश्चात वित्तीय परिणामों के साथ तुलनीय नहीं है।

Figures are related to standalone Punjab National Bank Financial results for pre-amalgamation period, hence not comparable with post amalgamation financial results for the year ended March 31, 2022.

प्रमुख वित्तीय स्थिति
समामेलित पीएनबी से संबंधित मार्च 21, मार्च 22 और मार्च 23 के आंकड़े

KEY FINANCIAL POSITION
MARCH 21, MARCH 22 AND MARCH 23 FIGURES PERTAIN TO AMALGAMATED PNB

कुल व्यवसाय (रु. लाख करोड़ में)
Total Business (Rs. Lakh Crore)

सकल अग्रिम (रु. लाख करोड़ में)
Gross Advances (Rs. Lakh Crore)

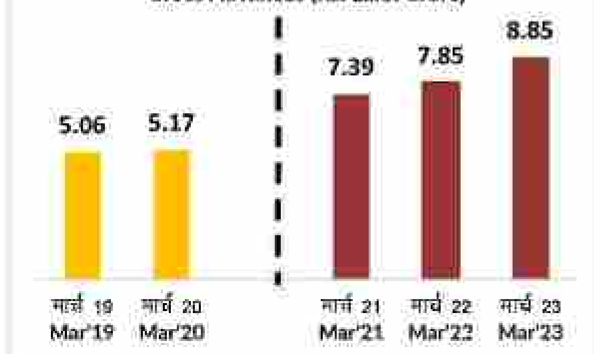

कुल जमाराशियाँ (रु. लाख करोड़ में)
Total Deposits (Rs. Lakh Crore)

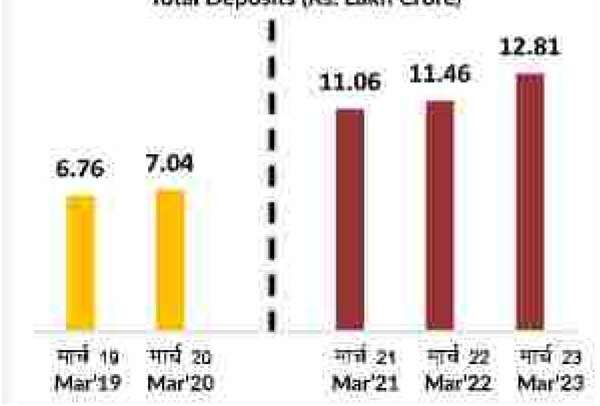

खुदरा ऋण (रु. लाख करोड़ में)
Retail Credit (Rs. Lakh Crore)

कासा शेयर (%)
CASA Deposits (%)

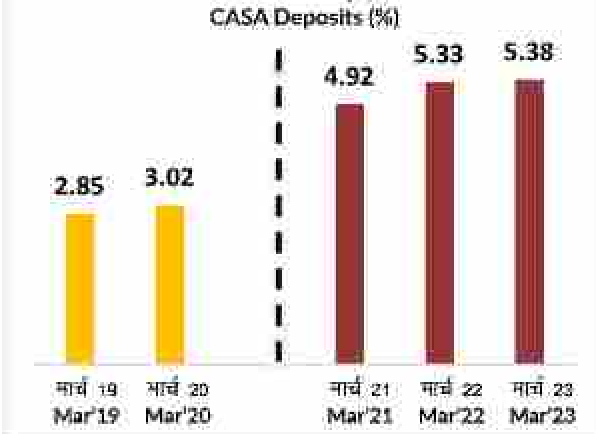

रैम शेयर (%)
RAM Share (%)

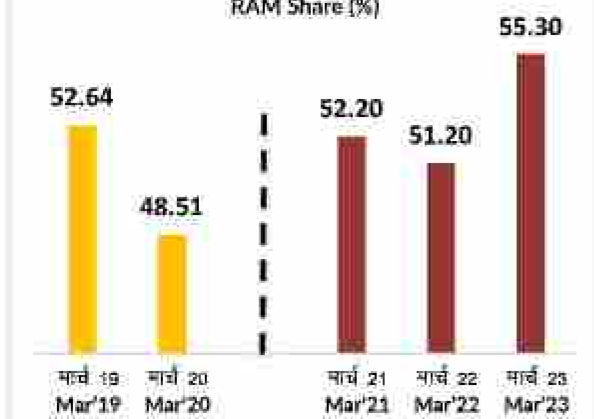

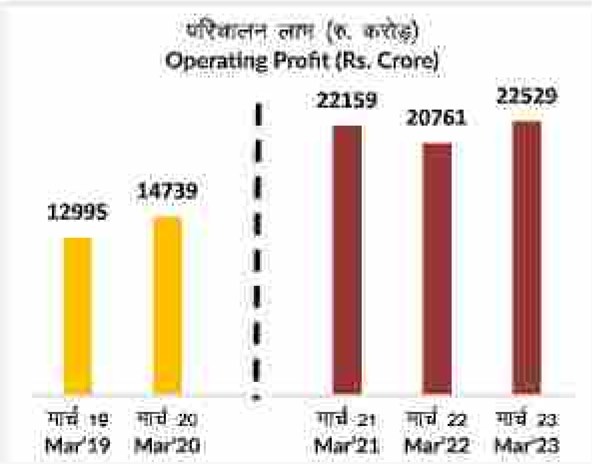
परिचालन लाभ (रु. करोड़)
Operating Profit (Rs. Crore)
12995
14739
22159
20761
22529
मार्च 19 Mar'19
मार्च 20 Mar'20
मार्च 21 Mar'21
मार्च 22 Mar'22
मार्च 23 Mar'23

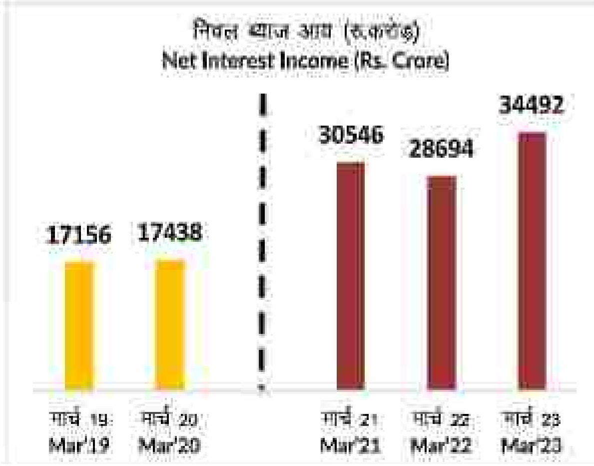
निवल ब्याज आय (रु.करोड़)
Net Interest Income (Rs. Crore)
17156
17438
30546
28694
34492
मार्च 19 Mar'19
मार्च 20 Mar'20
मार्च 21 Mar'21
मार्च 22 Mar'22
मार्च 23 Mar'23

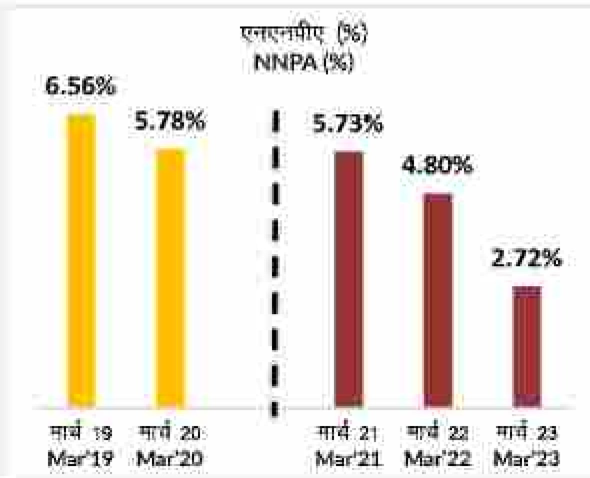
एनएनपीए (%)
NNPA (%)
6.56%
5.78%
5.73%
4.80%
2.72%
मार्च 19 Mar'19
मार्च 20 Mar'20
मार्च 21 Mar'21
मार्च 22 Mar'22
मार्च 23 Mar'23

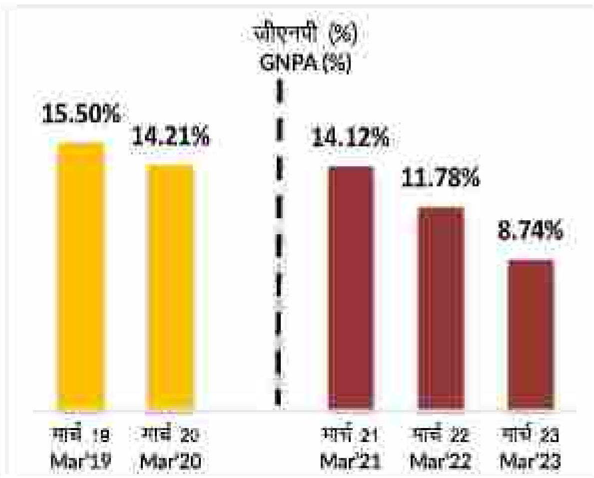
जीएनपी (%)
GNPA (%)
15.50%
14.21%
14.12%
11.78%
8.74%
मार्च 19 Mar'19
मार्च 20 Mar'20
मार्च 21 Mar'21
मार्च 22 Mar'22
मार्च 23 Mar'23

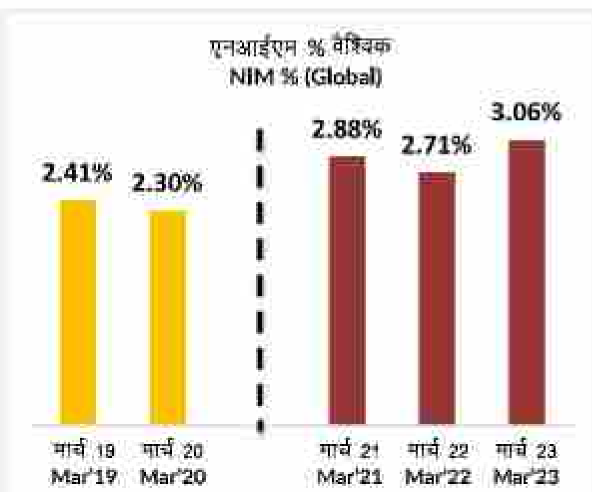
एनआईएम % वैश्विक
NIM % (Global)
2.41%
2.30%
2.88%
2.71%
3.06%
मार्च 19 Mar'19
मार्च 20 Mar'20
मार्च 21 Mar'21
मार्च 22 Mar'22
मार्च 23 Mar'23

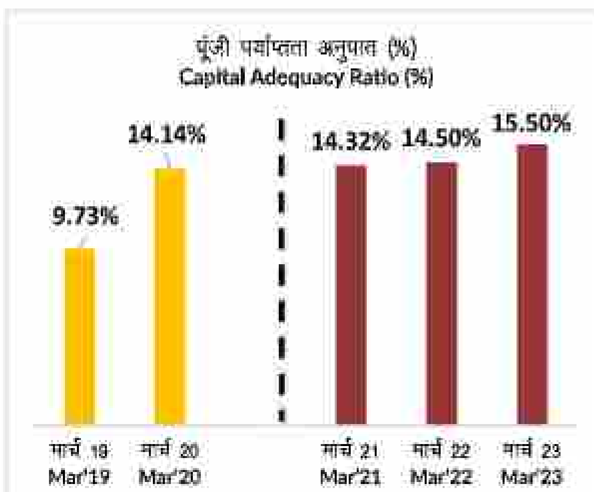
पूंजी पर्याप्तता अनुपात (%)
Capital Adequacy Ratio (%)
9.73%
14.14%
14.32%
14.50%
15.50%
मार्च 19 Mar'19
मार्च 20 Mar'20
मार्च 21 Mar'21
मार्च 22 Mar'22
मार्च 23 Mar'23

निदेशक रिपोर्ट

प्रिय शेयरधारक,

वित्त वर्ष 2022–23 में भू–राजनीतिक संघर्षों, बढ़ती मुद्रास्फीति एवं केंद्रीय बैंकों द्वारा परिणामी दरों में बढ़ोतरी के जोखिम के बावजूद वैश्विक अर्थव्यवस्था तथा आपूर्ति श्रृंखला वित्तपोषण में सुधार की संभावना दिखाई दी है।

भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, यह सुधार एवं विकास का वर्ष था। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी किए गए दूसरे अग्रिम अनुमान (एसएई) ने वित्त वर्ष 2022–23 में प्रमुख रूप से निजी खपत एवं सार्वजनिक निवेश द्वारा संचालित भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि को 7.2 प्रतिशत पर रखा है। उद्योग ने ऋण एवं जमा वृद्धि के मामले में वापसी की है। वित्त वर्ष 2022–23 में अनुकूल कारोबारी परिस्थितियों एवं कॉरपोरेट बैलेंस–शीट का साक्षी रहा है। कुल जमा लगभग रु.180 लाख करोड़ था एवं क्रेडिट जमा अनुपात 75.8 प्रतिशत के साथ ऋण रु.137 लाख करोड़ का था, जमा में पिछले वर्ष की तुलना में 9.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो पिछले वर्ष 8.9 प्रतिशत थी। बैंकों द्वारा जमाराशियों को बढ़ाने के लिए ब्याज दरों में वृद्धि ने इस प्रयास में मदद की। ऋण वृद्धि 15.0 प्रतिशत रही जो पिछले वर्ष 11.2 प्रतिशत थी। ऐसा आर्थिक गतिविधियों में सुधार के कारण हुआ।

पंजाब नैशनल बैंक ने अपने हितधारकों की अपेक्षाओं के अनुरूप अच्छा कार्यनिष्पादन किया है एवं वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान सुदृढ़ कार्यनिष्पादन किया है। पिछले वर्ष की तुलना में रुपये 2.35 लाख करोड़ की मात्रात्मक वृद्धि के साथ बैंक का कारोबार रुपये 21.66 लाख करोड़ के स्तर पर पहुंच गया। जमा और सकल अग्रिम दोनों ने दहाई अंकों में वृद्धि दर्शाई। 31 मार्च 2023 तक, जमा राशि रुपये 12.81 लाख करोड़ थी जबकि अग्रिम रुपये 8.85 लाख करोड़ था।

अग्रिम, रिटेल, कृषि एवं एमएसएमई (रैम) ने 20.85 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जबकि रिटेल ने वर्ष–दर–वर्ष आधार पर 41.62 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। रिटेल सेगमेंट में आवास ऋण, वाहन ऋण एवं व्यक्तिगत ऋण में क्रमशः 10.92 प्रतिशत, 30.62 प्रतिशत एवं 48.87 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

डिजिटलीकरण बैंक का केन्द्रीय क्षेत्र बना रहा क्योंकि बैंक ने बेहतर ग्राहक अनुभव एवं बेहतर टर्न अराउंड टाइम (टीएटी) की दिशा में 35 से ज्यादा डिजिटल सुविधाओं की शुरूआत की इस तरह की कुछ सुविधाओं में प्री–अप्रूव्ड पर्सनल लोन, प्री–अप्रूव्ड पेंशनर लोन, प्री–क्वालिफाइड क्रेडिट कार्ड, प्री–अप्रूव्ड ई–मुद्रा लोन आदि शामिल हैं। इसने बैंक को उद्योग में अपने प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त प्रदान की एवं ग्राहकों के लिए बेहतर डिलीवरी का अनुभव प्रदान किया। ग्राहक

Directors' Report

Dear Shareholders,

Financial Year 2022-23 has seen green shoots of recovery in the global economy and improved supply chain financing despite risk of geo-political conflicts, rising inflation and consequent rate hikes by central banks.

For Indian Economy, it was a year of recovery and growth .The second advance estimates (SAE) released by the National Statistical Office (NSO) placed India's real gross domestic product (GDP) growth at 7.2 per cent in FY 2022-23 majorly driven by private consumption and public investment. The Industry experienced come back in terms of credit and deposits growth. FY 2022-23 experienced favorable business conditions and deleveraging of corporate balances-sheets. The overall size of deposits was around Rs.180 Lakh Crore and credit Rs.137 Lakh Crore yielding a credit deposit ratio of 75.8 per cent Growth in deposits at 9.6 per cent was higher than that of last year which was 8.9 per cent. The increase in interest rates by banks to mop up deposits helped in this effort. The growth in credit remained 15.0 per cent which was 11.2 percent last year. It was due to improvement of economic activities.

Punjab National Bank performed well up to the expectations of its stakeholders and exhibited reinforced performance during FY 2022-23. The Bank's Business reached the level of Rs. 21.66 Lakh Crore with a quantum increase of Rs. 2.35 Lakh Crore over previous year. Total deposits and Gross Advances both showed the double digit growth. As on 31st March, 2023, Deposits stood at Rs. 12.81 Lakh Crore while Gross Advances stood at Rs. 8.85 Lakh Crore.

Amongst Advances, Retail, Agriculture and MSME (RAM) Advances registered the growth of 20.85 per cent wherein Retail showed the growth of 41.62 per cent on YoY basis. In Retail Segment, Housing Loan, Vehicle Loan and Personal Loan exhibited the growth of 10.92 per cent, 30.62 per cent and 48.87 per cent respectively.

Digitalization remained the focus area of the Bank as Bank came up with 35+ Digital journeys towards better customer experience and improved Turn Around Time (TAT). Some of such journeys included Pre-approved Personal Loan, Pre Approved pensioner Loan, Pre Qualified Credit cards, Pre Approved e-mudra Loans, etc. This provided Bank an edge over its competitors in the industry and enhanced delivery experience for the customers. Customer services remainedz

सेवाएं बैंक के एजेंडे में शीर्ष पर रहीं एवं प्रतिस्पर्धी एवं बढ़ते रहने के लिए डिजिटलीकरण ने इसमें सुधार के लिए गति बढ़ाई गई।

वसूली एवं हामीदारी अंकन मानकों के प्रति बैंक द्वारा अपनाए गए कई उपायों के माध्यम से वर्ष के दौरान बैंक की आस्ति गुणवत्ता में सुधार हुआ है। बैंक का जीएनपीए प्रतिशत 31 मार्च, 2022 को 11.78 प्रतिशत से घटकर 31 मार्च, 2023 को 8.74 प्रतिशत हो गया। निवल एनपीए प्रतिशत भी 31 मार्च 2023 को 3 प्रतिशत से घटकर 2.72 प्रतिशत हो गया जो 31 मार्च, 2022 को 4.80 प्रतिशत था। बैंक का प्रावधान कवरेज अनुपात 31 मार्च, 2022 के 81.60 प्रतिशत से बढ़कर 31 मार्च, 2023 को 86.90 प्रतिशत हो गया।

पीएनबी में, संगठन की सफलता में मानव संसाधन को महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। वित्त वर्ष 2022–23 मानव संसाधन के दृष्टिकोण से बैंक के लिए महत्वपूर्ण वर्ष था क्योंकि बैंक ने मानव संसाधन परिवर्तन को अपनाया। यह एक ऐसा उपकरण है जो कुशल कर्मचारियों को उपयुक्त स्थान पर तैनात करके अपने मानव संसाधन का कुशलतापूर्वक उपयोग करने में बैंक की सहायता करेगा। इसके अलावा, यह उपकरण बैंक को कार्य निष्पादक और गैर– कार्य निष्पादक के बीच अंतर करने में मदद करेगा और प्रदर्शन में सुधार करने के लिए कार्यनिष्पादक को उपयुक्त पारितोषिक एवं उचित कौशल प्रशिक्षण तथा शिक्षण प्रदान करेगा।

"इस पृष्ठभूमि में, आपके निदेशक मंडल को 31 मार्च, 2023 (वित्तीय वर्ष 2022–23) को समाप्त वर्ष के लिए आपके बैंक की वार्षिक रिपोर्ट को इसके लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों के साथ प्रस्तुत करने में प्रसन्नता हो रही है"।

<u>बैंक का कार्यनिष्पादन</u>

I. 31 मार्च, 2023 को वित्तीय कार्यनिष्पादन

1. शीर्ष कार्यनिष्पादन

क. **कुल कारोबार** रुपये 19,31,322 करोड़ की तुलना में रुपये 21,65,844 करोड़ रहा, जिसमें वर्ष–दर–वर्ष 12.14 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

ख. **कुल जमा** राशि 31 मार्च, 2022 को रुपये 11,46,218 करोड़ की तुलना में 31 मार्च, 2023 को रुपये 12,81,163 करोड़ थी, जो 11.77 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।

ग. **कासा डिपॉजिट** 31 मार्च, 2023 को रुपये 5,38,015 करोड़ था, जबकि 31 मार्च, 2022 को यह रुपये 5,33,654 करोड़ था।

i. 31 मार्च, 2023 को **चालू जमा** राशियां रुपये 74,028 करोड़ थीं

on top of the agenda of the Bank and digitalization added pace to improve the same in order to remain competitive and growing.

Asset quality of the Bank improved during the year through number of measures adopted by the Bank towards recovery and underwriting standards. The Bank's GNPA per cent came down to 8.74 per cent as on 31st March, 2023 from 11.78 per cent as on 31st March, 2022. Net NPA per cent also went below 3 per cent to 2.72 per cent as on 31st March, 2023 from 4.80 per cent as on 31st March, 2022. Provision Coverage Ratio of the Bank improved to 86.90 per cent as on 31st March, 2023 from 81.60 per cent as on 31st March, 2022.

At PNB, Human resources is considered as important ingredient in the success of the organization. FY2022-23 was landmark year for the bank from HR perspective as the bank adopted HR Transformation. It's a tool that will aid the bank in efficiently utilizing its human resource by deploying the skilled staff at the appropriate place. Also, tool will help the bank in differentiating between performer and non performer and provide adequate rewards to the performer and proper skill training and learning to improve performance.

"Against this backdrop, your Board of Directors have pleasure in presenting the Annual Report of your Bank for the year ended 31st March, 2023 (FY 2022-23) along with its audited Annual Financial Statements".

<u>BANK'S PERFORMANCE</u>

I. FINANCIAL PERFORMANCE AS ON 31st March, 2023

1. Topline

a. **Total Business** stood at Rs. 21,65,844 Crore vis-à-vis Rs. 19,31,322 Crore, registering YoY growth of 12.14 per cent.

b. **Total Deposits** stood at Rs. 12,81,163 Crore as on 31st March, 2023 as against Rs. 11,46,218 Crore as on 31st March, 2022, showing the growth of 11.77 per cent.

c. **CASA Deposits** was at Rs.5,38,015 Crore as on 31st March 2023 as against Rs. 5,33,654 Crore as on 31st March, 2022.

i. **Current Deposits** was at Rs.74,028 Crore as on 31st March, 2023

ii. 31 मार्च, 2023 को **बचत जमा** राशि 4,63,987 करोड़ रुपये थी

घ. **सकल अग्रिम** 31 मार्च, 2023 को रुपये 8,84,681 करोड़ रहा, जबकि 31 मार्च, 2022 को यह 7,85,104 करोड़ रुपये था, इसने 12.68 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है।

ङ. **रिटेल कृषि एमएसएमई (रैम)** अग्रिम 31 मार्च, 2023 को रुपये 4,69,981 करोड़ था, जबकि 31 मार्च, 2022 को यह रुपये 3,88,910 करोड़ था, जो वर्ष–दर–वर्ष आधार पर 20 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्शाता है।

i. **रिटेल अग्रिम** 31.03.2023 को रुपये 1,97,698 करोड़ था, जिसमें वर्ष–दर–वर्ष आधार पर 41.62 प्रतिशत की भारी वृद्धि दर्ज की गई।

ii. **कृषि अग्रिम** 31.03.2023 को रुपये 1,46,105 करोड़ था, जिसमे वर्ष–दर–वर्ष आधार पर 14.34 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

iii. **एमएसएमई अग्रिम** 31.03.2023 को रु.1,30,178 करोड़ था।

iv. **कॉर्पोरेट और अन्य खंड** 31.03.2023 को रु. 3,79,785 करोड़ था।

v. **घरेलू अग्रिमों के संबंध में** रैम की हिस्सेदारी 31 मार्च, 2023 को 55.3 प्रतिशत थी, जबकि 31 मार्च, 2022 को यह 51.2 प्रतिशत थी।

2. बॉटम लाइन

ए. बैंक का **परिचालन लाभ** वित्तीय वर्ष 2022–23 में रुपये 22,529 करोड़ था, जो 8.5 प्रतिशत की वर्ष–दर–वर्ष वृद्धि दर्शाता है। वित्त वर्ष 2021–22 में यह रुपये 20761 करोड़ रहा।

बी. वित्त वर्ष 2022–23 में बैंक का निवल लाभ रुपए 2507 करोड़ था।

सी. **निवल ब्याज** आय वित्त वर्ष 2022–23 में 28,694 करोड़ रुपये की तुलना में रुपये 34,492 करोड़ थी, जो साल–दर–साल आधार पर 20.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करती है।

3. आस्ति गुणवत्ता

ए. बैंक का **सकल एनपीए** सुधरकर 31 मार्च, 2023 को रुपये 77,328 करोड़ रहा, जो 31 मार्च, 2022 के रुपये 92,448 करोड़ के स्तर पर हो गया।

बी. **सकल एनपीए प्रतिशत** ने 31 मार्च, 2022 को 11.78 प्रतिशत के स्तर से 304 बीपीएस की गिरावट प्रदर्शित की

ii. **Savings Deposits** was at Rs. 4,63,987 Crore as on 31st March, 2023

d. **Gross Advances** stood at Rs. 8,84,681 Crore as on 31st March, 2023 against Rs. 7,85,104 Crore as on 31st March 2022, recording the growth of 12.68 per cent.

e. **Retail Agriculture MSME (RAM)** Advances was at Rs.4,69,981 Crore as on 31st March, 2023 vis-à-vis Rs. 3,88,910 Crore as on 31st March, 2022, showing the growth of more than 20 per cent on YoY basis,

i. **Retail Advances** was at Rs. 1,97,698 Crore as on 31.03.2023 registered the massive growth of 41.62 per cent on YoY basis.

ii. **Agriculture Advances** was at Rs. 1,46,105 Crore as on 31.03.2023 with growth on 14.34 per cent on YoY basis.

iii. **MSME Advances** was at Rs.1,30,178 Crore as on 31.03.2023.

iv. **Corporate and other segment** was at Rs. 3,79,785 Crore on 31.03.2023

v. **Share of RAM w.r.t. Domestic Advances** was at 55.3 per cent as on 31st March, 2023 vis-à-vis 51.2 per cent as on 31st March, 2022.

2. Bottom Line

a. **Operating Profit** of the Bank was at Rs. 22,529 Crore in FY 2022-23 showing YoY growth of 8.5 per cent. It stood at Rs. 20761 Crore. In FY 2021-22.

b. **Net Profit** of the Bank was at Rs. 2507 Crore in

FY 2022-23.

c. **Net Interest Income** was at Rs. 34,492 Crore in FY 2022-23 vis-à-vis Rs. 28,694 Crore, registering the growth of 20.2 per cent on YoY basis.

3. Asset Quality

a. **Gross NPA** of the Bank stood at Rs. 77,328 Crore as on 31st March, 2023, improving from the level of Rs 92,448 Crore as on 31st March, 2022.

b. **Gross NPA %** exhibited the decline of 304 bps from a level of 11.78 per cent as on 31st March, 2022 and

और 31 मार्च, 2023 को 8.74 प्रतिशत पर रहा।

सी. बैंक का **निवल एनपीए** 31 मार्च, 2022 को रुपये 34,909 करोड़ के उच्च स्तर से घटकर 31 मार्च, 2023 को रुपये 22,585 करोड़ हो गया।

डी. **निवल एनपीए प्रतिशत** 31 मार्च, 2022 को 4.80 प्रतिशत के स्तर से 208 बीपीएस घटकर 31 मार्च, 2023 को 2.72 प्रतिशत पर आ गया।

4. प्रमुख अनुपात

ए. **निवल ब्याज मार्जिन** वित्त वर्ष 2021–22 के 2.71 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2022–23 में 3.06 प्रतिशत हो गया।

बी. **जमा लागत** वित्त वर्ष 2021–22 में 3.99 प्रतिशत की तुलना में वित्त वर्ष 2022–23 में 4.10 प्रतिशत थी।

सी. **अग्रिमों पर प्रतिफल** वित्त वर्ष 2021–22 के 6.79 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2022–23 में 7.16 प्रतिशत हो गया।

डी. **निवेश पर प्रतिफल** वित्त वर्ष 2021–22 के 6.29 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2022–23 में 6.57 प्रतिशत हो गया।

ई. वित्त वर्ष 2022–23 में **औसत आस्तियों** पर रिटर्न 0.18 प्रतिशत रहा।

एफ. **प्रति कर्मचारी कारोबार** 31 मार्च, 2022 के 19.41 करोड़ रुपये से बढ़कर 31 मार्च, 2023 को 21.64 करोड़ रुपये हो गया।

जी. **प्रति शाखा कारोबार** 31 मार्च, 2022 को 187.73 करोड़ रुपये से बढ़कर 31 मार्च, 2023 को 209.53 करोड़ रुपये हो गया।

5. पूंजी की स्थिति

बैंक ने पूंजी जुटाने एवं लाभप्रदता में सुधार के कारण वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक की पूंजी पर्याप्तता में सुधार हुआ है। वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, बैंक ने टियर–II बाण्ड के माध्यम से रु.4000 करोड़ एवं एटी–1 बाण्ड के माध्यम से रु. 4214 करोड़ जुटाए हैं। बैंक ने कम जोखिम प्रोफाइल वाले बेहतर रेटिंग वाले उधारकर्ताओं को लक्षित करके सतत कारोबार विकास पर अपना ध्यान केंद्रित करना जारी रखा है। आगे बढ़ते हुए, बैंक अर्थव्यवस्था की बढ़ती ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रणनीतिक रूप से अच्छी स्थिति में है।

प्रमुख बिंदु

ए. 31 मार्च, 2023 तक बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 100 बीपीएस की वृद्धि के साथ 15.50 प्रतिशत पर पहुंच गया, जिसमें एटी–1 पूंजी 1.47 प्रतिशत और कॉमन इक्विटी टियर–1 (सीईटी–1) 11.22 प्रतिशत था।

stood at 8.74 per cent as on 31st March, 2023.

c. **Net NPA** of the Bank improved from as high as Rs. 34,909 Crore as on 31st March, 2022 to Rs. 22,585 Crore as on 31st March, 2023.

d. **Net NPA %** declined by 208 bps from a level of 4.80 per cent as on 31st March, 2022 and stood at 2.72 per cent as on 31st March, 2023.

4. **Key Ratios**

a. **Net Interest Margin** improved to 3.06 per cent in FY 2022-23 from 2.71 per cent in FY 2021-22.

b. **Cost of Deposits** was at 4.10 per cent in FY 2022-23 as against 3.99 per cent in FY 2021-22.

c. **Yield on Advances** increased to 7.16 per cent in FY 2022-23 from 6.79 per cent in FY 2021-22.

d. **Yield on Investment** increased to 6.57 per cent in FY 2022-23 from 6.29 per cent in FY 2021-22.

e. **Return on Average Assets** was at 0.18 per cent in FY 2022-23

f. **Business per employee** improved to Rs 21.64 Crore as on 31st March, 2023 from Rs. 19.41 Crore in 31st March, 2022.

g. **Business per branch** improved to Rs. 209.53 Crore as on 31st March, 2023 from Rs. 187.73 Crore as on 31st March, 2022.

5. **Capital Position**

The capital adequacy of the Bank improved during the financial year on account of capital raising by the Bank coupled with improved profitability. During FY 2022-23, Bank has raised Rs.4000 Crore through Tier -II Bonds and Rs. 4214 Crore through AT-1 Bonds. The Bank continued with its focus on sustainable business growth by targeting better rated borrowers with low risk profile. Going forward, the Bank is strategically well placed to meet the growing credit needs of the economy.

Key Highlights

a. The Capital Adequacy Ratio of the Bank recorded increase by 100 bps to reach at 15.50 per cent, as of 31st March, 2023, with AT-1 capital at 1.47 per cent and Common Equity Tier-1 (CET-1) at 11.22 per cent.

बी. बैंक की जोखिम भारित आस्तियों (आरडब्ल्यूए) को 31 मार्च, 2023 तक रुपये 6,58,982 करोड़ तक अनुकूलित किया गया था, जो कि बेहतर रेटिंग वाले खातों पर ध्यान केंद्रित करने और बैंक के पोर्टफोलियो के मंथन और इसी अवधि के दौरान अग्रिमों की प्रतिशत वृद्धि 12.68 प्रतिशत की तुलना में 9.68 प्रतिशत की वर्ष–दर–वर्ष वृद्धि दर्ज करने के कारण था।

II. परिचालन बिंदु

1. प्रमुख डिजिटल पहलें एवं उपलब्धियां

पीएनबी ने एक महत्वाकांक्षी डिजिटल परिवर्तन कार्यक्रम शुरू किया है। पीएनबी ने ऋण (रिटेल, एसएसएमई, कृषि एवं कॉर्पोरेट), देनदारियों, तृतीय पक्ष के उत्पादों एवं आस्ति गुणवत्ता में 40 से अधिक डिजिटल पहलों को डिजाइन किया है। इनमें से, बैंक निम्नलिखित डिजिटल पहलों में ''इंडस्ट्री लीडर'' है:

ए. **ई–ओटीएस (एक्सप्रेस–वन टाइम सेटलमेंट)** – रुपये 10 लाख तक के बकाया राशि वाले एनपीए खातों के लिए संपूर्ण डिजिटल निपटान अनुमोदन प्रक्रिया ।

बी. **न्यू टू बैंक (एनटीबी) क्रेडिट कार्ड के लिए डिजिटल सुविधा:** एनटीबी ग्राहकों के लिए क्रेडिट कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए वेब–आधारित इंटरफेस

सी. **यूपीआई से क्रेडिट कार्ड लिंकेज:** वर्चुअल पेमेंट एड्रेस (वीपीए) के माध्यम से यूपीआई से क्रेडिट कार्ड लिंकेज को सक्षम करना

डी. **फिक्स्ड डिपॉजिट पर क्रेडिट कार्ड:** एफडी पर क्रेडिट कार्ड की सुविधा का लाभ उठाने के लिए मौजूदा बैंक (ईटीबी) ग्राहकों के लिए संपूर्ण डिजिटल सुविधा

ई. **को–लेंडिंग पोर्टल:** कम एपीआई क्षमता वाली एनबीएफसी के साथ सहयोग वाली सरलीकृत स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग (एसटीपी) आधारित समाधान

एफ. **मोबाइल ऐप पीएनबी वन पर आधार आधारित पंजीकरण:** 'सेल्फ–रजिस्टर' पद्धति से ग्राहक आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से पीएनबी वन पर पंजीकरण की अनुमति।

जी. **फिनटेक ऑन–टैप पोर्टल:** यह एक एकीकृत डिजिटल इंटरफेस पर फिनटेक का मूल्यांकन एवं पैनल बनाने के लिए मंच।

एच. **ऋण ईएमआई के लिए भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस):** भीम ऐप एवं अन्य बीबीपीएस समर्थित ऐप जैसे जीपे, पेटीएम, फोनपे आदि का उपयोग करके ईएमआई की चुकौती।

आई. **नया टीआईएन (टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर) 2.0 प्लेटफॉर्म** : हम 1 दिसंबर, 2022 से केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के नए टिन 2.0 प्लेटफॉर्म पर लाइव होने वाले पहले बैंकों में से एक हैं।

b. Risk Weighted Assets (RWA) of the Bank were optimized to Rs. 6,58,982 Crore as on 31st March, 2023 on account of focus on better rated accounts and churning of portfolio of the Bank and registered Y-o-Y growth of 9.68 per cent as against 12.68 per cent growth of advances during same period.

II. OPERATIONAL HIGHLIGHTS

1. Key Digital Initiatives & Achievements

PNB has embarked upon an ambitious digital transformation program. PNB has designed more than 35 digital initiatives across lending (Retail, MSME, Agri and Corporate), liabilities, Third-party products, and Asset Quality. Of these, The Bank is "Industry Leader" in the following digital initiatives

a. **E-OTS (Express-One Time Settlement)** for E2E digital settlement approval process for NPA Accounts having o/s balance upto Rs. 10 Lakh.

b. **Digital journey for New To Bank (NTB) Credit Card:** Web-based interface for NTB customers to apply for Credit Card online

c. **Credit Card Linkage to UPI:** Enablement of Credit Card linkage to UPI through Virtual Payment Address (VPA)

d. **Credit Card against Fixed Deposit:** E2E digital journey for Existing to Bank (ETB) customers to avail the facility of Credit Card against FD

e. **Co-Lending portal:** Simplified Straight Through Processing (STP) based solution aiding collaboration with NBFCs having low API capabilities

f. **Aadhar-based registration on Mobile App PNB ONE:** 'Self-register' method allowing customers to register on PNB One via Aadhar authentication

g. **Fintech on-tap portal:** Platform to evaluate and empanel FinTechs on a unified digital interface

h. **Bharat Bill Payment System (BBPS) for loan EMI:** EMI repayment using BHIM App and other BBPS supported apps like GPay, PayTM, PhonePe, etc.

i. **New TIN (Tax Identification Number) 2.0 platform:** We are one of the first banks to go live on the new TIN 2.0 platform of Central Board of Direct Taxes (CBDT) from 1st December, 2022.

2. प्रमुख संरचनात्मक एवं लागत सुव्यवस्थीकरण पहल

ए. ग्राहक अर्जन, रिटेल देयता कारोबार एवं क्रेडिट कार्ड एवं मर्चेंट एक्वायरिंग कारोबार जैसे तीन प्रभागों को देयता पक्ष के कारोबार के अधिग्रहण एवं बैंक के उत्पादों एवं सेवाएं के विपणन पर केंद्रित दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए कारोबार अर्जन एवं संपर्क प्रबंधन प्रभाग (बीए एवं आरएम प्रभाग) बनाने के लिए विलय कर दिया गया है। डिजिटलाइजेशन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए डिजिटल बैंकिंग ट्रांसफॉर्मेशन जैसा नया वर्टिकल भी बनाया गया था।

बी. लागत–कुशल प्रशासनिक संरचना प्राप्त करने के लिए 2 अंचल कार्यालयों, 23 मंडल कार्यालयों का सुव्यवस्थीकरण ।

सी. 431 लाभहीन ऑफसाइट एटीएम को युक्तिसंगत बनाने का काम पूरा; अन्य 500 से अधिक की योजना बनाई गई है।

डी. वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान 140 शाखा कार्यालयों का सुव्यवस्थीकरण

ई. ऊपरी लागत को कम करने के लिए 20 करोड़ से अधिक मासिक एसएमएस का सुव्यवस्थीकरण ।

3. मानव संसाधन रूपांतरण–प्रमुख पहलें

सेवा प्रदान करने वाले किसी भी संगठन के लिए मानव संसाधन सबसे महत्वपूर्ण आस्ति है एवं इसलिए यह आवश्यक है कि संगठन, अपने समग्र विकास के लिए उन्नयन, कौशल उन्नयन, पुनः उन्नयन मानव आस्ति की दक्षता बढ़ाने के लिए कदम उठाए। बैंक इसे अत्यधिक महत्व देता है एवं समय–समय पर भूमिकाओं एवं नवीन तथा उत्तरदायित्वों को निभाने के लिए मानव संसाधनों का विकास करने के लिए विभिन्न पहल करता है।

इस दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए, बैंक ने एक व्यापक मानव संसाधन रूपांतरण प्रक्रिया शुरू की है, जिसमें कर्मचारी उत्पादकता में सुधार, विभिन्न प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं को प्रणाली संचालित डेटा एवं उपकरणों के माध्यम से निम्नलिखित तरीकों से मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है:

ए. प्रत्येक शाखा के लिए बाजार से जुड़े लक्ष्य एवं अच्छी तरह से परिभाषित, मानक प्रमुख उत्तरदायित्व क्षेत्रों (केआरए) के साथ प्रत्येक कर्मचारी से भूमिकाओं एवं अपेक्षाओं की स्पष्टता।

बी. कार्यात्मक एवं व्यवहारिक पहलुओं पर भविष्य के बैंक नेतृत्व को तैयार करने के लिए व्यापक नेतृत्व विकास कार्यक्रम।

सी. कार्यात्मक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए वैयक्तिकृत, भूमिका–आधारित प्रशिक्षण हस्तक्षेप एवं योगदानकर्ताओं को स्वीकार करने एवं प्रेरित करने के लिए कार्यनिष्पादन से जुड़े पुरस्कार।

4. लाभांश:

बैंक के निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए रु. 2/– के अंकित मूल्य के प्रति इक्विटी शेयर (32.5 प्रतिशत) पर 0.65 रुपये के लाभांश की संस्तुति की है, जो बैंक की 22वीं वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की घोषणा/अनुमोदन के अधीन है।

2. Key Structural and Cost Rationalization Initiatives

a. Three Divisions such as Customer Acquisition, Retail Liability Business and Credit Card & Merchant Acquiring Business have been merged to form Business Acquisition and Relationship Management Division (BA and RM Division) to provide focused approach on acquisition of liability side Business and Marketing of Bank's Products and Services. New vertical like Digital Banking Transformation was also formed to give focused attention to digitalization.

b. Rationalization of 2 Zonal Offices, 23 Circle Offices to achieve cost-efficient admin structure.

c. Rationalization of 431 unprofitable offsite ATMs completed; another 500+ planned.

d. Rationalization of more than 140 branch offices during FY' 2022-23

e. Rationalization of 20 cr+ monthly SMSs to reduce cost overhead.

3. HR Transformation-Key Initiatives

Human resource is the most important asset for any organization involved in providing service and therefore it is essential that organization undertakes steps for skilling, upskilling, reskilling, increasing efficiency of human assets for overall growth of the organization. The Bank assigns high importance to the same and takes up various initiatives from time to time to develop the human resources for taking up higher and newer roles and responsibilities.

Taking a step further in this direction, a comprehensive HR Transformation process has been initiated in the Bank with the focus on improving employee productivity, strengthening various systems and procedures through system driven data & tools in the following ways:

a. Market-linked targets for each branch and Clarity of roles & expectations from each employees with well-defined, measurable Key Responsibility Areas (KRA).

b. Comprehensive leadership development program to prepare future Bank leaders on functional and behavioral aspects.

c. Personalized, role-based training interventions to upskill functional capabilities and Performance linked rewards to acknowledge & motivate contributors.

4. DIVIDEND

Board of Directors of the Bank has recommended a dividend of Rs.0.65 per equity share (32.5 per cent) of face value of Rs.2/- each for FY 2022-23, subject to declaration/approval of the shareholders at the 22nd Annual General Meeting of the Bank.

III. आस्ति गुणवत्ता

बैंक सकल एनपीए को 31 मार्च, 2022 को रुपये 92,448 करोड़ के स्तर से घटाकर 31 मार्च, 2023 को रुपये 77,328 करोड़ करने में सक्षम रहा है। आस्ति गुणवत्ता पर ध्यान देना बैंक की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। 31 मार्च, 2023 तक टीडब्ल्यूओ सहित प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) 86.90 प्रतिशत के संतोषजनक स्तर पर बना रहा।

1. **वसूली एवं उन्नयन:** वित्त वर्ष 2021–22 में रुपये 21,041 करोड़ से वित्त वर्ष 2022–23 के लिए कुल वसूली बढ़कर 24,576 करोड़ रुपये हो गई। इसमें से, वित्त वर्ष 2021–22 के रुपये 15,788 करोड़ से वित्त वर्ष 2022–23 के लिए कुल नकद वसूली (नकद वसूली, टीडब्ल्यूओ+ वसूली, आरआई) बढ़कर रुपये 19,806 करोड़ हो गई।

2. **समाधान प्रणाली के माध्यम से उन्नयन :** राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के मामलों में विशेष रूप से एनपीए खातों के पुनर्गठन / समाधान एवं वसूली से निपटने के लिए समाधान प्रकोष्ठ बनाया गया था। इससे संबंधित विवरण इस प्रकार है

पुनर्गठित खाते (राशि करोड़ रुपये में)		
	कुल स्वीकृत	
	खातों की संख्या	राशि
वित्त वर्ष 2022–23	09	1129.06

इसके अलावा, एनसीएलटी में आईबीसी के अंतर्गत एनपीए खातों में 3,206 करोड़ रुपये की राशि वसूल की गई।

3. **मेगा ई–नीलामी:** वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान 23,315 संपत्तियाँ ई–बिक्रय पोर्टल पर अपलोड की गई थी जिसमें से 1,657 अचल संपत्तियां (आईपी) सफलतापूर्वक नीलाम की गई।

4. **आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एआरसी) को आस्तियों की बिक्री:** आस्ति पुनर्निर्माण के लिए प्रतिभूतिकरण / पुनर्निर्माण कंपनी (एससी / आरसी) को बेची गई वित्तीय आस्तियों का विवरण निम्नानुसार है:

(राशि ₹ करोड़ में)

मदें		वित्तीय वर्ष 2022–23
i.	एआरसी को बेचे गए खातों की संख्या	7
ii.	बेचे गए खातों की बकाया बही	1409.12
iii.	कुल प्राप्त प्रतिफल	617.71

5. **वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान आस्ति गुणवत्ता में सुधार के लिए की गई पहलें**

ए. एनपीए के विरुद्ध युद्ध स्तर पर अभियान

i. एनपीए उधारकर्ताओं के लिए समर्पित टेली–कॉलिंग अभियान और अत्यधिक फील्ड में संपर्क।

ii. फील्ड पदाधिकारी लक्षित वसूली कार्यों में शामिल रहते है।

iii. वसूली बढ़ाने के लिए कार्यनीति और सुनियोजित प्रक्रियाओं

III. ASSET QUALITY

The Bank was able to reduce Gross NPA from the level of Rs.92,448 Crore as on 31st March, 2022 to Rs.77,328 Crore as on 31st March, 2023. Focus on asset quality continues to be one of the top priorities for the Bank. Provision Coverage Ratio (PCR) including TWO continued at satisfactory level of 86.90 per cent as on 31st March, 2023.

1. Recovery & Upgradation: Total Recoveries improved to Rs. 24,576 Crore for FY 2022-23 from Rs. 21,041 Crore in FY 2021-22. Of this, total Cash Recoveries (Cash Recovery+ Recovery in TWO+ RI) improved to Rs. 19,806 Crore for FY 2022-23 from Rs. 15,788 Crore in FY 2021-22.

2. Upgradation through Resolution Mechanism: The Resolution Cell was created to exclusively deal with Restructuring/Resolution of NPA accounts and recovery in National Company Law Tribunal (NCLT) cases. The details regarding the same is as under:

Restructured Accounts (Amount Rs. in Crore)		
	Total Sanctioned	
	No. of A/c's	Amount
FY 2022-23	09	1129.06

Further, a sum of Rs.3,206 Crore was recovered in NPA accounts under IBC in NCLT.

3. **Mega E-auctions:** During FY 2022-23, 23,315 properties were uploaded on e-Bikray portal. Out of which, 1,657 Immovable Properties (IPs) were auctioned successfully.

4. **Sale of Assets to Asset Reconstruction Company (ARC):** Details of financial assets sold to Securitization/ Reconstruction Company (SC/RC) for Asset Reconstruction is as under:

(Amount Rs. in Crore)

Items		FY 2022-23
i.	Number of Accounts sold to ARCs	7
ii.	Book Outstanding of Accounts sold	1409.12
iii.	Aggregate Consideration received	617.71

5. **Initiatives taken to Improve Asset Quality during FY 2022-23**

a. War against NPA campaign

i. Dedicated tele-calling campaigns and rigorous field visits to NPA borrowers

ii. Field functionaries are Involved for targeted recovery actions

iii. Launched 21 SASTRA booklets containing strategy and tactical procedures to increase recovery

वाली 21 सस्त्र पुस्तिकाओं का विमोचन किया गया।

बी. वसूली के प्रयासों का डिजिटलीकरण

i. 10 लाख रुपये तक के पात्र खातों के लिए एनपीए वसूली के लिए उद्योग–प्रथम (इंडस्ट्री फर्स्ट) डिजिटल ओटीएस की पेशकश।

ii. वसूली पोर्टल – समर्थ विकास प्रक्रियाधीन है।

सी. सशक्त वसूली के लिए डिजिटल ई–ओटीएस अनुभव – यह तत्कार और आसान ऋण चुकौती विकल्प प्रदान करता है।

i. ई–ओटीएस 10 लाख रुपये तक की बकाया राशि वाले फिल्टर किए गए एनपीए खातों पर एक डिजिटल ओटीएस अनुमोदन प्रक्रिया है, जिसमें ओटीएस के लिए आवेदन करने से लेकर ओटीएस की मंजूरी और उसके बाद के चरणों को स्वचालित किया जाता है। पीएनबी की आधिकारिक वेबसाइट और पीएनबी वन ऐप के माध्यम से समाधान शुरू किया गया है।

ii. पीएनबी इस तरह की ऑनलाइन स्वचालित ओटीएस अनुमोदन प्रक्रिया शुरू करने वाला पहला बैंक है।

iii. उपलब्ध विशेष एकमुश्त समझौते (एसओटीएस) का दायरा बढ़ाने और छोटे एनपीए खातों को लक्षित करने के लिए, ई–ओटीएस वसूली प्रक्रिया में एक बहुत प्रभावी साधन साबित हो सकता है।

iv. छोटे ऋण एनपीए खातों के लिए निपटान अनुमोदन प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी और ओटीएस अनुमोदन टीएटी में काफी कमी आएगी।

v. इस प्रक्रिया के माध्यम से जनरेट की गई वसूली का बैंक की समग्र लाभप्रदता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, विशेष रूप से डीबी3 और हानि खातों में।

vi. ई–ओटीएस प्रक्रिया के अंतर्गत पात्र एनपीए खाता उधारकर्ताओं की सुविधा के लिए, स्वीकृति पत्र और बकाया नहीं होने का प्रमाण पत्र ऑनलाइन तैयार किया जाएगा।

डी. आउटबाउंड कॉल सेंटर का निरीक्षण

i. दक्षता बढ़ाने के लिए आउटबाउंड कॉल सेंटरों की प्रौद्योगिकी और प्रक्रिया को सक्षम बनाना।

ii. एसएमए 0, एसएमए 1 और एसएमए 2 कॉलिंग के लिए एजेंट रैंप–अप और सुदृढ़ मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)।

IV. सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और डिजिटलीकरण

डिजिटल बैंकिंग में प्रगति

(संख्या लाख में)

चैनल	31.03.22	31.03.23	वृद्धि	
			सम्पूर्ण	%
इंटरनेट बैंकिंग उपयोगकर्ता	340	392	52	15.3
मोबाईल बैंकिंग उपयोगकर्ता	338	406	68	20.1

b. Digitization of recovery efforts

i. Launch of industry-first digital OTS offering for NPA recovery for eligible a/cs upto Rs 10 lakh.

ii. Recovery portal - SAMARTH under development

c. Digital e-OTS journey for robust recovery- This provide instant and easy loan repayment option.

i. e-OTS is a digital OTS approval process on filtered NPA Accounts having outstanding amount up to Rs.10 Lakh, in which all the steps from applying for OTS to sanctioning of OTS & steps involved thereafter are automated. The solution has been rolled out through PNB official website & PNB ONE App.

ii. PNB is the first Bank to launch such kind of an online automated OTS approval process.

iii. To enhance the outreach of available Special One Time Settlement Scheme (SOTS) and to target small NPA Accounts, e-OTS can prove to be a very effective tool in the recovery process.

iv. Settlement approval process shall be expedited for small loan NPA accounts and OTS approval TAT will get reduced substantially.

v. The recovery generated through this process, will have a positive impact on the overall profitability of the Bank, especially in DB3 and Loss accounts.

vi. Convenience to eligible NPA Account borrowers as under e-OTS process, Sanction Letter and No Dues Certificate shall be generated online.

d. Overhaul of Outbound Call Center

i. Technology and process enablement of outbound Call Centres to increase efficiency.

ii. Agent ramp-up & robust Standard Operating Procedure (SOP) for SMA 0, SMA 1, and SMA 2 calling.

IV. INFORMATION TECHNOLOGY (IT) AND DIGITALIZATION

Progress in Digital Banking

(Number in Lakh)

Channels	31.03.22	31.03.23	Growth	
			Absolute	%
Internet Banking Users	340	392	52	15.3
Mobile Banking Users	338	406	68	20.1

डिजिटल पहल और अनुभव : बेहतर ग्राहक अनुभव और प्रक्रिया उत्कृष्टता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित पहल की गई।

देयता:

1. टीएटी को कम करने और ग्राहक सेवा में सुधार करने के लिए, बैंक ने देयता के अंतर्गत निम्नलिखित तीन उत्पाद पेश किए हैं:

   ए. टैब आधारित बचत खाता (एसए) खोलना

   बी. त्वरित बचत बैंक (एसए) खाता

   सी. टैब आधारित चालू खाता (सीए) खोलना

2. सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली पीएफएमएस 2.0 को पीएफएमएस बाह्य प्रणाली मॉडल 1 के साथ एकीकरण
3. **एफआईपी (वित्तीय सूचना प्रदाता) खाता एग्रीगेटर:** पीएनबी के लिए खाता एग्रीगेटर सेवा को सक्षम करना।
4. बीसी लोकेशन पर आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण में फिंगर प्रिंट इमेज रिकॉग्निशन (एफआईआर), फिंगर मिनिएचर रिकॉर्ड (एफएमआर) का कार्यान्वयन।
5. **एनईएफटी के माध्यम से पीपीएफ खातों में जमा:** ग्राहकों को एनईएफटी के जरिए पीपीएफ खाते में जमा करने की नई सुविधा दी गई है।
6. बीसी लोकेशन के माध्यम से तत्काल ईकेवाईसी के लिए एकल एपीआई कॉल को अनुकूलित करना।
7. **सीकेवाईसी बल्क ई–मेल:** अब ग्राहक पीएमएलए (रिकॉर्डस का रखरखाव) नियम, 2005 के अनुसार अपना सीकेवाईसी विवरण सूचित करने वाले अपने पंजीकृत ईमेल पर मेल प्राप्त करते हैं।
8. लॉकर मॉड्यूल में प्रतीक्षा सूची वाले ग्राहक को एसएमएस भेजने का कार्यान्वयन
9. कैश डिपॉजिट ऑफ–अस सुविधा को लाइव कर दिया गया है और इस सुविधा के माध्यम से हमारे बैंक ग्राहक नकद जमा करने के लिए दूसरे बैंक के बीसी लोकेशन पर जाते हैं और इसी प्रकार विपरीत क्रम में भी।
10. वर्ल्ड ट्रैवल कार्ड और प्रीपेड कार्ड के मामले में ग्रीन पिन कार्यक्षमता का कार्यान्वयन
11. **ग्राहकों के लिए एसएमएस अलर्ट का मानकीकरण:** जब हमारे बैंक ग्राहक नकद जमा करने के लिए अन्य बैंकों के बीसी लोकेशन पर जाते हैं एसएमएस अलर्ट भेजे जाते हैं और इसके विपरीत क्रम में भी।

रिटेल

1. **इंटरनेट बैंकिंग और पीएनबी वन में मौजूदा ग्राहकों (केंद्र** सरकार/राज्य सरकार/पीएसयू/निजी कर्मचारी) को

Digital initiatives and journeys: For delivering superior customer experience and process excellence following initiative were taken.

LIABILITY:

1. In order to reduce TAT and improve customer service, the Bank introduced the following three products:

   a. Tab Based Saving Account (SA) Opening

   b. Insta Saving Bank (SA) Account

   c. Tab based Current Account (CA) Opening

2. Public Financial Management System (PFMS) 2.0 Integration with PFMS External System Model 1
3. **FIP (Financial Information Provider) Account Aggregator:** Enablement of account aggregation service for PNB.
4. Implementation of Finger Print Image Recognition (FIR) + Finger Miniature Record (FMR) in Aadhaar based biometric authentication at BC Location.
5. **Deposits in PPF accounts through NEFT:** A new facility has been provided to customers for depositing in PPF account through NEFT.
6. Customize single API call for Instant eKYC through BC location
7. **CKYC bulk email:** Now the customers receive mails on their registered email ids intimating their CKYC details as per PMLA (Maintenance of Records) Rules, 2005.
8. Implementation of SMS to waitlist customer in Locker Module
9. Cash Deposit off-us facility has been made live and through this facility our bank customer visits other bank's BC location for depositing cash & vice versa.
10. Implementation of Green PIN functionality in case of World Travel Card and Prepaid cards
11. **Standardization of SMS Alerts to customers:** SMS alerts be sent when our bank customer visits other banks BC location for depositing cash & vice versa.

RETAIL

1. **Pre-Approved Personal Loan to existing customers (Central Govt. /State Govt. / PSU / PVT.**

पूर्व–अनुमोदित व्यक्तिगत ऋण: बैंक के मौजूदा वैतनभोगी (सरकारी कर्मचारी/पीएसयू) ग्राहकों को उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए वित्तीय सहायता।

2. **मौजूदा आवास ऋण/वाहन ऋण/व्यक्तिगत ऋण उधारकर्ताओं को कुल संबंध मूल्य (टीआरवी), तिमाही औसत शेष राशि (क्यूएबी) के आधार पर पूर्व–स्वीकृत व्यक्तिगत ऋण की और टॉप अप डिजिटल व्यक्तिगत ऋण की डिजिटल प्रक्रिया:** डिजिटल ऋण को बढ़ावा देने के लिए, मौजूदा ग्राहकों (केंद्र सरकार/राज्य सरकार /पीएसयू/ निजी कर्मचारी और पेंशनभोगी) को पूर्व–स्वीकृत व्यक्तिगत ऋण सुविधा के अलावा, "मौजूदा कार ऋण, गृह ऋण और व्यक्तिगत ऋण उधारकर्ताओं के लिए पूर्व–स्वीकृत व्यक्तिगत ऋण" के नए प्रकार का शुभारम्भ बैंक द्वारा किया गया है।

3. **पूर्व–अनुमोदित पेंशनर ऋण:** बैंक के उन ग्राहकों को वित्तीय सहायता (व्यक्तिगत ऋण के माध्यम से) जिनकी पेंशन हमारे बैंक के माध्यम से आहरित की जाती है।

4. **पूर्व–अनुमोदित क्रेडिट कार्ड प्रक्रिया:** हमारे क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलियो को सशक्त और व्यापक बनाने के लिए और हमारे डिजिटल उत्पादों का विस्तार करने के प्रयास में, बैंक ने पूर्व–अनुमोदित क्रेडिट कार्ड शुरू किया, जिसके माध्यम से पीएनबी के चुनिंदा ग्राहक कुछ ही क्लिक में पीएनबी क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।

5. **ऑफलाइन एफडी के एवज में ई–ओडी:** पीएनबी वन के माध्यम से ऑफलाइन सावधि जमा के एवज में भी ऑनलाइन ओवरड्राफ्ट सुविधा (ई–ओडी)।

6. क्रेडिट कार्ड डिजिटल ऑन–बोर्डिंग

7. **डेबिट कार्ड ईएमआई (अभी खरीदें बाद में भुगतान करें):** पीओएस मशीन पर डेबिट कार्ड ईएमआई (ऑफलाइन)।

8. पीएनबी रक्षक प्लस योजना हेतु पीएनबी अग्नि–रक्षक – एसबीएआरके को लाइव किया गया।

एमएसएमई

1. **पूर्व–अनुमोदित ई–मुद्रा ऋण:** बैंक के मौजूदा ग्राहकों/उद्यमियों को अधिकतम रु. 50,000/– की वित्तीय सहायता।

2. **पूर्व–अनुमोदित कारोबार ऋण:** स्ट्रेट डिजिटल उधार के माध्यम से कारोबार ऋण के अंतर्गत रु. 1.00 लाख से रु. 10 लाख तक ऋण सुविधाएं प्रदान करना।

3. **पीएनबी ई–मुद्रा योजना:** 1.00 लाख रुपये तक के शुरू से अंत तक डिजिटल ऋण की शुरुआत की गई है।

Employees) in Internet Banking & PNB ONE: Financial assistance to the Bank's existing customers who are salaried (Govt. employees /PSU's) for their personal needs.

2. **Pre-Approved Personal Loan on the basis of Total Relationship Value (TRV), Quarterly Average Balance (QAB) and Top Up Digital Personal Loan to existing Housing Loan/Vehicle Loan/Personal Loan Borrowers:** In order to give boost to digital lending, new variant of "Pre-Approved Personal loan to existing Car loan, Home loan and Personal loan borrowers, in addition to Pre-Approved Personal Loan facility to existing customers (Central Govt./ State Govt./PSU/PVT. Employees and Pensioners) has been launched by the Bank

3. **Pre-Approved Pensioner Loan:** Financial assistance (through Personal Loan) to the Bank's Customers whose pension is drawn through our Bank.

4. **Pre-Qualified Credit Card :** To strengthen and broaden our credit card portfolio and also in an endeavor to extend our digital products, the Bank launched Pre-Qualified Credit Card through which selected customers of PNB can apply PNB Credit Card in just few clicks

5. **e-OD against offline FD:** Online Overdraft Facility (e- OD) through PNB ONE against offline fixed Deposit also.

6. Credit Card Digital On-boarding

7. **Debit Card EMI (Buy now Pay Later):** Debit Card EMI (Offline) on POS machine

8. PNB Agni-Rakshak for PNB Rakshak Plus scheme-SBARK made live.

MSME

1. **Pre-approved e-Mudra loans:** Financial assistance to the Bank's existing customers/entrepreneur with Maximum Amount of Rs. 50,000/-

2. **Pre-approved Business Loan:** To offer straight through digital lending loan facilities above Rs. 1.00 Lac to Rs. 10 Lakh under Business Loan

3. **PNB e-Mudra Scheme:** End to end digital lending upto Rs.1.00 Lakh has been launched.

कृषि

1. **कृषि ऋण खंड की डिजिटल प्रक्रिया: केसीसी नवीकरण <1.6 लाख रुपये:** केसीसी का डिजिटल नवीकरण निम्नलिखित चैनलों पर भी शुरू किया गया है:

   ए. एसएमएस/मिस्ड कॉल/आउटबाउंड इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस (ओआईवीआर) के माध्यम से

   बी. **पीएनबी वन ऐप** पीएनबी इंटरनेट बैंकिंग और पीएनबी कॉरपोरेट वेबसाइट एक्सपोजर के माध्यम से।

2. **10.00 लाख रुपये तक का आसान नवीकरण:** 10.00 लाख रुपये तक के जोखिम वाले सभी पात्र उधारकर्ताओं के लिए एंड टू एंड डिजिटल नवीकरण किया जाएगा।

3. **पीएनबी किसान तत्काल ऋण योजना की डिजिटल प्रक्रिया:** पीएनबी किसान तत्काल ऋण योजना के लिए शुरू से अंत तक डिजिटल प्रक्रिया ताकि छोटे किसान उधारकर्ताओं को परेशानी मुक्त डिजिटल अनुभव और सुविधा हो।

4. **जनसमर्थ पोर्टल के माध्यम से डिजिटल केसीसी प्रक्रिया:** बैंक ग्राहक जनसमर्थ पोर्टल के माध्यम से 1.60 लाख रुपये तक के केसीसी ऋण का लाभ उठा सकते हैं। ऋण आवेदन से लेकर केसीसी खाता खोलने तक की पूरी ऋण प्रक्रिया जनसमर्थ पोर्टल पर कागज रहित और परेशानी मुक्त तरीके से पूरी होती है।

आस्ति गुणवत्ता एवं वसूली

1. **कॉरपोरेट वेबसाइट के माध्यम से ऋण चुकौती:** पीएनबी कॉर्पोरेट वेबसाइट के माध्यम से सावधि ऋण ईएमआई चुकौती की सुविधा के लिए, ग्राहक पीएनबी कॉर्पोरेट वेबसाइट पर जा सकते हैं, लिंक पर क्लिक करें और ऋण खाता संख्या एवं भुगतान की जाने वाली राशि दर्ज करें और भुगतान करें।

2. **एक्सप्रेस वन टाइम सेटलमेंट (ई–ओटीएस) पोर्टल:** बैंक ने 10 लाख रुपये तक के एनपीए खातों में ओटीएस प्रक्रिया को स्वचालित करने पर ध्यान केंद्रित करके अपनी तरह का पहले एंड टू एंड प्री–अप्रूव्ड वन टाइम सेटलमेंट (पीएओटीएस) सिस्टम की शुरुआत की है।

3. **ऋणसेतु को–लेंडिंग डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म (सीएलडीपी) पोर्टल:** वेब पोर्टल विकसित किया गया है जिसके माध्यम से विभिन्न सह–उधार भागीदारों के माध्यम से लीड जनरेट किए जाते हैं, और ऋण स्वीकृत करने के लिए उन लीड्स को इस पोर्टल के माध्यम से संसाधित किया जाएगा।

सरकारी कारोबार

1. पीपीएफ खातों की परिपक्वता तिथि की सूचना देने के लिए ग्राहकों को एसएमएस अलर्ट

2. पासबुक प्रिंटिंग इंटरनेट बैंकिंग/पीएनबी वन के माध्यम से

AGRICULTURE

1. **Digital Journey of Agriculture Loan Segment: KCC Renewal < Rs.1.6 Lakh:** Digital Renewal of KCC has been started on the following channels also:

   a. Through SMS/Missed Call/ Outbound Interactive Voice Response (OIVR)

   b. **Through PNB ONE App;** PNB Internet Banking & PNB Corporate Website.

2. **Easy Renewal upto Rs 10.00 Lakh :** End to end digital renewal will be done for all eligible borrowers having exposure upto Rs.10.00 lakh.

3. **Digital Journey of PNB Kisan Tatkal Rin Yojana:** End to end Digital Journey for PNB Kisan Tatkal Rin Yojana to give hassle free digital experience and ease to small farmer borrowers.

4. **Digital KCC journey through Jansamarth Portal:** Bank customers can avail KCC loan up to Rs. 1.60 Lakh through Jansamarth Portal. Entire loan journey from loan application till KCC account opening completes within Jansamarth portal in a paperless and hassle free manner.

ASSET QUALITY & RECOVERY

1. **Loan Repayment through Corporate Website:** To facilitate Term Loan EMI Repayment through PNB Corporate Website, customer can visit PNB Corporate website, click on link and enter loan account number and amount to be paid and make payment.

2. **Express One Time Settlement (e-OTS) Portal:** The Bank launched first of its kind End to End Pre-Approved One Time Settlement (PAOTS) system with focus to automate the OTS process in NPA Accounts up to Rs.10 Lakh.

3. **RinnSetu Co-Lending Development Platform (CLDP) Portal:** Web Portal has been developed through which leads are going to be generated through various Co-Lending partners, and those leads shall be processed through this portal for sanctioning of loans.

GOVERNMENT BUSINESS

1. SMS alerts to Customers for informing date of maturity of PPF accounts

2. 24*7 deposit in Public Provident Fund (PPF) &

सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) और सुकन्या समृद्धि खाता (एसएसए) में 24x7 जमा सुविधा अतिरिक्त लेनदेन जानकारी के साथ।

विदेशी मुद्रा

1. दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर (डीआईएफसी): विदेशी शाखा–पीएनबी दुबई के लिए बनाई गई अलग वेबसाइट– https://pnbdubai.com
2. बैंक के आईवीआर का उपयोग करने वाले ग्राहकों के अनुरोध पर टीडीएस प्रमाणपत्र (26क्यू) बनाने के लिए नई सुविधा लागू की गई है।
3. ऑनलाइन और ओवर द काउंटर (ओटीसी) भुगतान प्रणाली के लिए टीआईएन 2.0 (कर सूचना नेटवर्क) का कार्यान्वयन।
4. बल्क मेल समाधान के माध्यम से ग्राहक को ईमेल में भुगतान सूचना भेजने के लिए सीबीएस कारोबार वित्त मॉड्यूल: सीबीएस में बिलों की वसूली पर और प्रेषण स्वचालित रूप से मेल के माध्यम से भुगतान सूचना को लिंक करने के लिए मौजूदा प्रणाली में परिवर्तन किए गए हैं।

मोबाईल बैंकिंग (पीएनबी वन) एवं इंटरनेट बैंकिंग

1. **डेबिट कार्ड के बिना पीएनबी वन पंजीकरण:** इस वैकल्पिक ऑन बोर्डिंग प्रक्रिया की शुरुआत के साथ, ग्राहक बिना किसी बाधा के पीएनबी वन की सुविधा ले सकते हैं और कहीं से भी बैंकिंग सेवाओं का आनंद ले सकते हैं।
2. **पीएनबी वन में – आईएफएससी एवं खाता संख्या का उपयोग करके स्कैन और पे तथा यूपीआई भुगतान:** त्वरित भुगतान करने की ग्राहकों की उभरती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, उपयोगकर्ताओं को पीएनबी वन के माध्यम से क्यूआर कोड – भारत क्यूआर कोड और यूपीआई क्यूआर कोड का उपयोग करके लेन–देन करने की अनुमति देने के लिए स्कैन और भुगतान सुविधा प्रदान की गई है।
3. **आधार ओटीपी का उपयोग कर पीएनबी वन के लिए ऑनबोर्डिंग:** पीएनबी वन को अपनाने की संख्या में वृद्धि करने और ग्राहकों को सुविधा प्रदान करने के लिए, पीएनबी वन में स्वयं पंजीकरण के लिए अतिरिक्त प्रमाणीकरण माध्यम के रूप में "आधार ओटीपी" पेश किया गया है।
4. **पीएनबी वन के लिए लेन–देन पासवर्ड को ट्रांजैक्शन पिन (टीपिन) से बदलना:** पीएनबी वन को और यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए ट्रांजैक्शन पासवर्ड को 4 अंकों के ट्रांजैक्शन पिन (टीपिन) से बदल दिया गया है।
5. **कैश @ पीएनबी– कार्ड रहित नकद निकासी:** कार्ड रहित नकद निकासी एक ऐसी सेवा है जो ग्राहक को पीएनबी एटीएम

Sukanya Samridhi Accounts (SSA) through internet banking/PNB ONE Passbook Printing with Additional Transaction Information.

FOREX

1. Dubai International Financial Centre(DIFC): Separate website created for overseas branch- PNB Dubai Website- https://pnbdubai.com
2. New facility has been implemented for TDS certificate (26Q) generation on request of customers using the Bank's IVR.
3. Implementation of TIN 2.0 (Tax Information Network) for Online and Over The Counter (OTC) Mode of Payments.
4. CBS Trade Finance module for sending payment advice in the email to customer through Bulk mail solution: Changes has been made in existing system to link the payment advice through mail automatically on realization of Bills & Remittance in CBS.

MOBILE BANKING (PNB ONE) & INTERNET BANKING

1. **PNB ONE Registration Without Debit Card:** With introduction of this alternate on boarding process, customers can avail PNB ONE without any hindrance and can enjoy banking services from anywhere
2. **In PNB ONE – Scan & Pay and UPI Payment Using IFSC & Account Number:** Keeping in view of emerging need of customers for quick payment, Scan & Pay feature has been provided to allow users to transfer money using QR code – Bharat QR code & UPI QR code through PNB ONE.
3. **Onboarding for PNB ONE Using Aadhaar OTP:** To increase the adoption of PNB ONE and further facilitate the customers, "Aadhaar OTP" as additional authentication medium for Self Registration in PNB One has been introduced.
4. **Replacement of Transaction Password with Transaction Pin (TPIN) For PNB ONE:** To make PNB One more user friendly, Transaction Password has been replaced with 4-digit Transaction PIN (TPIN).
5. **CASH @ PNB- CARDLESS cash Withdrawal:** Card-less Cash Withdrawal is a service which

से बिना किसी भौतिक या वर्चुअल कार्ड के नकद निकासी में सक्षम बनाती है। यह सुविधा आईबीएस और पीएनबी वन के लिए पंजीकृत ग्राहकों के लिए उपलब्ध है।

6. **पीएनबी वन में स्कैन एंड पे के अंतर्गत 5000/– रुपये तक ओटीपी छूट:** ग्राहक की सुविधा और पीएनबी वन के उपयोग को बढ़ाने के लिए, 5000/– रुपये तक के सभी क्यूआर भुगतान केवल टीपिन और ओटीपी दोनों के बजाय 4–अंकीय लेनदेन पिन (टीपिन) का उपयोग करके किए जा सकते है।

7. **भारत बिल भुगतान सेवा (बीबीपीएस) और पीएनबी कॉरपोरेट वेबसाइट के माध्यम से ऋण चुकौती सुविधा:** नए जोड़े गए इन दो चैनलों से एक ग्राहक अन्य बैंकों के खातों से भी सावधि ऋण चुका सकता है।

8. **रिटेल इंटरनेट बैंकिंग और पीएनबी वन में एकमात्र मालिक का ऑनलाइन स्व–पंजीकरण:** ग्राहकों के लिए डिजिटल सेवाओं को बढ़ाने के लिए, यह सुविधा प्रोपराइटरशिप फर्म को भी प्रदान की गई है।

9. **रिटेल इंटरनेट बैंकिंग में ई–मेल पर ओटीपी:** हमारे ग्राहकों की सुविधा के लिए, रिटेल इंटरनेट बैंकिंग के उपयोगकर्ता ई–मेल पर ओटीपी प्राप्त करते हैं।

10. **पीएनबी वन और इंटरनेट बैंकिंग में सुरक्षा कवच:** यह ग्राहक को सभी डिजिटल चैनलों के माध्यम से सावधि जमा खातों की कुल राशि से धन की अधिकतम निकासी की सीमा निर्धारित करने में सक्षम बनाता है। एक बार सीमा निर्धारित हो जाने के बाद, सावधि जमा को ग्राहक द्वारा निर्धारित सीमा से परे आईबीएस/एमबीएस के माध्यम से सावधि जमा के एवज में ऋण/निकासी/उपयोग नहीं किया जा सकता, जब तक कि इसके लिए कोई संशोधन नहीं किया जाता है।

11. ग्राहक अब अपनी केवाईसी स्थिति जैसे केवाईसी तिथि, सीकेवाईसी संख्या और केवाईसी अद्यतित देय तिथि की जांच पीएनबी वन के माध्यम से कर सकते हैं।

12. **पीएनबी वन/ इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आईएफएससी और खाता संख्या का उपयोग करके तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस) या त्वरित फंड ट्रांसफर:** पीएनबी वन/इंटरनेट बैंकिंग अब आईएमपीएस–एनएमआईडी और बैंक के भीतर लाभार्थी को जोड़े बिना त्वरित फंड ट्रांसफर की अनुमति देता है। प्रत्येक लेनदेन के लिए अधिकतम रु. 10,000/– के साथ प्रति दिन तीन लेनदेन की अनुमति है।

13. ग्राहकों की सुविधा के लिए आईबीएस/एमबीएस में नामांकित कार्यक्षमता को जोड़ना/अद्यतन करना।

14. ग्राहक की सुरक्षा के लिए एक सुरक्षा उपाय के रूप में (आईबीएस/एमबीएस) के माध्यम से खाते को डेबिट फ्रीज करना।

enables customer to withdraw cash at PNB ATMs without holding any physical or virtual card. The facility is available to customers registered for IBS and PNB One.

6. **OTP Waiver upto Rs. 5000/- in SCAN and PAY in PNB One:** For customer's ease & to increase use of PNB One, all QR payments up to Rs.5000/- can be done using 4-digit Transaction PIN (TPIN) only instead of TPIN & OTP both.

7. **Loan repayment facility through Bharat Bill Payment Services (BBPS) and PNB corporate website:** With these two newly added channels a customer can repay the Term Loan from accounts of other banks also.

8. **Online Self Registration of Sole Proprietor in Retail Internet Banking & PNB One:** To enhance digital services to customers, the facility has been extended to proprietorship concern also.

9. **OTP on E-MAIL in Retail Internet Banking:** To facilitate our customers, users of Retail Internet Banking get OTP over E-mail

10. **SAFETY RING in PNB One & Internet Banking:** This enables a customer to set limit on maximum withdrawal of funds from total amount of Term Deposit accounts through all digital channels. Once the limit is set, the Term Deposits will not be broken/withdrawn/used for loan against Term Deposits through IBS/MBS beyond the limit set by the customer, unless a modification for the same is done.

11. Customer can now check his/her KYC Status like KYC Date, CKYC Number and KYC Due Date through PNB One.

12. **Immediate Payment Service (IMPS) or Quick Fund Transfer using IFSC and account number through PNB One /Internet Banking:** PNB One/ Internet Banking now allows Quick Fund Transfer up to Rs. 10,000/- without adding beneficiary using IMPS-IFSC & within Bank.

13. Addition/Updation of Nominee functionality in IBS/MBS for convenience of customers.

14. Debit Freezing of Account through IBS/MBS as a security measure for safety of customer.

15. कार्पोरेट आईबीएस ग्राहकों के लिए त्वरित भुगतान सेवा (आईएमपीएस)

16. पीएनबी वन में एक टैब में आपातकालीन सेवाएं प्रदर्शित होना।

ए. **पूर्व की सेवाएं:** हॉटलिस्ट डेबिट कार्ड, स्टॉप चेक, ग्रीन पिन जनरेट करना।

बी. **अतिरिक्त:** खोए हुए क्रेडिट कार्ड की रिपोर्ट करना, सीमा निर्धारित करना, यूपीआई को ब्लॉक करना, डेबिट फ्रीज करना, ई–ओडी के लिए एफडी को प्रतिबंधित करना।

17. **पीएनबी वन और इंटरनेट बैंकिंग में पीएनबी शॉपी (ई–मार्केट प्लेस):** बैंक ने पीएनबी वन और इंटरनेट बैंकिंग में पीएनबी शॉपी की शुरुआत की। पीएनबी खाताधारक अब अपनी दैनिक खरीदारी जरूरतों के लिए अतिरिक्त रिवार्ड्स अर्जित कर सकेंगे

18. **पीएनबी वन और रिटेल इंटरनेट बैंकिंग के जरिए क्यूआर कोड जेनरेशन:** पीएनबी वन और रिटेल इंटरनेट बैंकिंग में क्यूआर कोड जेनरेशन सुविधा शुरू की गई है। ग्राहक अब यूपीआई के माध्यम से तुरंत भुगतान प्राप्त करने के लिए क्यूआर कोड प्रदर्शित कर सकते हैं।

19. **व्हाट्सएप के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं:** बैंक ने सबसे लोकप्रिय एप्लिकेशन में से एक – व्हाट्सएप (हिंदी और अंग्रेजी भाषा में) के माध्यम से बैलेंस पूछताछ, अंतिम 5 लेनदेन, चेक बुक पंजीकरण और स्टॉप चेक सुविधा जैसी सुविधाओं के साथ बैंकिंग सेवाएं शुरू की हैं।

यूपीआई

1. **यूपीआई पर क्रेडिट** – मर्चेंट भुगतान करने के लिए रुपे क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक करने में सक्षम करना।
2. **यूपीआई लाइट**– ग्राहक ऑन–डिवाइस "वॉलेट" का उपयोग करके रु. 200/– तक का छोटा भुगतान कर सकते हैं।
3. **आधार ओटीपी का उपयोग करके यूपीआई में ऑनबोर्डिंग** – यूपीआई पर ग्राहक ऑन–बोर्डिंग के लिए डेबिट कार्ड के बदले में प्रमाणीकरण। डेबिट कार्ड के बदले ग्राहक अब बैंक में पंजीकृत आधार संख्या का उपयोग कर यूपीआई पिन सेट कर सकते हैं।
4. **डेबिट कार्ड के बदले आधार+ओटीपी आधारित ऑन–बोर्डिंग:** ग्राहक आधार नंबर और ओटीपी का इस्तेमाल कर यूपीआई पिन सेट कर सकते हैं।
5. **एकीकृत विवाद और समस्या समाधान (यूडीआईआर)**–सभी यूपीआई उपयोगकर्ताओं के लिए शिकायत से निपटने और समाधान प्रक्रिया को बढ़ाना: यूडीआईआर के कार्यान्वयन के साथ, ग्राहक (टी+1) दिन पर

15. Immediate Payment Service (IMPS) for Corporate IBS Customers.

16. Showing emergency Services in one Tab in PNB One.

a. **Earlier services:** Hotlist Debit Card, Stop Cheque, Generate Green Pin.

b. **Addition:** Report Lost Credit Card, Set Limits, Block UPI, Debit Freeze, Restrict FD for e-OD.

17. **PNB SHOPPE (E-market place) in PNB One and Internet Banking:** Bank introduced PNB Shoppe in PNB One and Internet Banking. PNB Account holders will now be able to earn extra rewards for their day to day shopping needs

18. **QR code generation through PNB One and Retail Internet Banking:** QR Code Generation facility has been introduced in PNB One and Retail Internet Banking. Customers can now display QR Code to receive payments instantly through UPI

19. **Banking Services through WhatsApp:** Bank has introduced Banking Services through one of the most popular application – WhatsApp (in Hindi & English Language) with features such as Balance Inquiry, Last 5 Transactions, Cheque Book Registration and Stop Cheque Facility.

UPI

1. **Credit on UPI-** Enable linking of RuPay Credit Card on UPI for making merchant payments.
2. **UPI Lite-**The customers can make small payments of up to Rs.200/- using on-device "wallet".
3. **Onboarding in UPI Using Aadhar OTP-** Authentication In lieu of Debit Card for Customer On-boarding on UPI. In lieu of debit card, customers can now set UPI pin using Aadhaar number registered in bank.
4. **Aadhaar + OTP Based On-boarding in lieu of Debit Cards:** Customers can set UPI pin using Aadhaar number and OTP.
5. **Unified Dispute and Issue Resolution (UDIR)- Enhancing complaint handling & resolution process for all UPI users:** With Implementation of UDIR, customers can initiate status enquiry & online settlement for UPI suspect/time-out transaction instead of waiting for reconciliation on

मिलान की प्रतीक्षा करने के बजाय यूपीआई संदिग्ध/टाइम–आउट लेनदेन के लिए स्थिति पूछताछ और ऑनलाइन निपटान शुरू कर सकते हैं।

6. **वर्चुअल डेबिट कार्ड के जरिए यूपीआई पिन सेट करना:** ग्राहक फिजिकल डेबिट कार्ड और आधार के अलावा वर्चुअल डेबिट कार्ड के जरिए भी यूपीआई पिन सेट कर सकते हैं।

7. ऑपरेटिंग सर्कुलर (ओसी)–153 का कार्यान्वयन: भीम पीएनबी ऐप में जियो–लोकेशन कैप्चरिंग।

8. **भीम 2.0:** भीम पीएनबी ऐप में आवर्ती अधिदेश का कार्यान्वयन।

9. **आईवीआर के जरिए यूपीआई को ब्लॉक करना:** ग्राहक बैंक के आईवीआर नंबर के जरिए यूपीआई को ब्लॉक कर सकते हैं

10. **आदिवासी कल्याण विभाग, त्रिपुरा के लिए ई–रूपी:** विभिन्न डीबीटी योजनाओं के लिए ई–रूपी वाउचर जारी करने की सरकारी पहल के अनुसार, बैंक ने आदिवासी छात्रों को छात्रावास आवास के लिए सहायता प्रदान करने के लिए आदिवासी कल्याण विभाग, त्रिपुरा के साथ भागीदारी की है।

11. **यूपीआई 123पे:** ग्राहक आईवीआर आधारित चैनल के माध्यम से यूपीआई का उपयोग कर सकते हैं, जिससे फीचर फोन उपयोगकर्ताओं और कम कनेक्टिविटी वाले ग्राहकों को लाभ होगा।

12. **भीम पीएनबी ऐप में ऑटो–पे कार्यक्षमता:** ग्राहक निर्धारित/आवर्ती भुगतानों के लिए भीम पीएनबी ऐप के माध्यम से आवर्ती मैंडेट बना सकते हैं।

13. **भीम 2.0** — भीम पीएनबी ऐप में आवर्ती शासनादेश का कार्यान्वयन।

नकद प्रबंधन सेवाएं (सीएमएस)

कॉर्पोरेट और संस्थागत ग्राहकों के लिए एकीकृत भुगतान और संग्रह सेवाएं (आईपीएसीएस): लाइव होने वाला आईपीएसीएस सिस्टम का पहला मॉड्यूल एकीकृत भुगतान सेवा है जो कॉर्पोरेट फ्रंट–एंड के माध्यम से फाइल–अपलोड के माध्यम से या समर्पित होस्ट–टू–होस्ट (एच2एच) इंटरफेस (सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल (एसएफटीपी) और एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) आधारित दोनों) के माध्यम से पूरी प्रक्रिया को स्वचालित करके) उनके एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) सिस्टम के साथ कॉर्पोरेट/संस्थागत ग्राहकों को विभिन्न तरीकों से थोक भुगतान लेनदेन शुरू करने में सक्षम बनाता है।

फिनटेक पोर्टल

वेब आधारित फिनटेक पोर्टल फिनटेक को बैंक में पैनल में शामिल करने के लिए अनुरोध करने में सक्षम बनाता है: फिनटेक कंपनियां चयन मानदंडों के अनुसार बैंक के फिनटेक

T+1 day.

6. **Set UPI PIN through Virtual Debit Card:** Customers can set UPI PIN through virtual debit card, in addition to physical debit card and Aadhaar.

7. Implementation of Operating Circular (OC)-153: Geo-location capturing in BHIM PNB App.

8. **BHIM 2.0:** Implementation of recurring mandates in BHIM PNB App.

9. **Blocking UPI through IVR:** Customers can block UPI through bank's IVR number

10. **e-RUPI for Department of Tribal Welfare, Tripura:** As per government initiative to issue E-RUPI vouchers for various DBT schemes, bank has partnered with Department of Tribal Welfare, Tripura for providing assistance to tribal students for hostel accommodation.

11. **UPI 123PAY:** Customers can use UPI through IVR based channel, which would benefit the feature phone users and customers in low connectivity zone

12. **Auto-Pay functionality in BHIM PNB app:** Customers can create recurring mandates through BHIM PNB app for scheduled/recurring payments

13. **BHIM 2.0–** Implementation of recurring mandates in BHIM PNB app.

Cash Management Services (CMS)

Integrated payments and collection services (iPaCS) for corporate and institutional customers: The first module of iPaCS system to go live is the Integrated Payments services which enables the corporate/ institutional customers to initiate bulk payment transactions through various modes by way of a file-upload through the Corporate Front-end or by automating the entire process by way of dedicated Host-to-Host (H2H) interface (both Secure File Transfer Protocol (SFTP) and Application Programming Interface (API) based) with their Enterprise Resource Planning (ERP) systems.

Fintech Portal

Web based Fintech portal enabling fintechs to request for empanelment in bank: Fintech companies to register on Bank's Fintech portal as

पोर्टल पर पंजीकरण करती हैं और हमारे बैंक में सूचीबद्धता के लिए अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करती हैं। यह सुविधा बैंक को विभिन्न सेगमेंट्स/डोमेन में बैंक की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पैनल प्रक्रिया के माध्यम से और टैप आधार पर नई फिनटेक कंपनियों के साथ जुड़ने में मदद करेगी।

V. प्रबंधन सूचना प्रणाली प्रभाग

प्रबंधन सूचना प्रणाली एनालिटिक्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (एसीओई): बैंक बड़े डेटा और छोटे डेटा दोनों की शक्ति का उपयोग करने में विश्वास करता है, न केवल निर्णय लेने और परिचालन उत्कृष्टता को चलाने के लिए बल्कि ग्राहकों की खुशी बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत अनुभव प्रदान करने के लिए भी। बैंक का उद्देश्य बैंक में विश्लेषणात्मक कार्य स्थापित करना और डेटा–संचालित संगठन की ओर बढ़ना है।

पीएनबी की वर्तमान और भविष्य की रणनीतिक व्यावसायिक आवश्यकताओं के साथ तालमेल बिठाने के लिए, प्रतिस्पर्धा में बढ़त हासिल करने और बैंक के लिए उन्नत डिजिटल क्षमताएं बनाने की जरूरतों को पूरा करने के लिए, विभिन्न व्यक्तिगत सेगमेंट पर मॉडल आधारित बिजनेस लीड तैयार किए जा रहे हैं।

एंटरप्राइज–वाइड डेटा वेयरहाउस (ईडीडब्ल्यू): बैंक के पास विभिन्न विश्लेषणात्मक/सांविधिक/विनियामक और रिपोर्टिंग/डेश–बोर्डिंग आवश्यकताओं को पूरा करने वाली एंटरप्राइज डेटा वेयरहाउस परियोजना है, जिसमें 60 से अधिक स्रोत सिस्टम से डेटा ईडीडब्ल्यू में एकीकृत किया जा रहा है। सभी डाउनस्ट्रीम एप्लिकेशन ईडीडब्ल्यू के माध्यम से डेटा प्राप्त कर रहे हैं और विभिन्न डिजिटल यात्राओं के लिए सभी डेटा आवश्यकताओं को भी पूरा किया जाता है।

डेटा एनालिटिक्स: बैंक ने अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए विश्लेषणात्मक कार्य स्थापित करने के उद्देश्य से डेटा एनालिटिक्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) की स्थापना की है। नए मूल्य–निर्माण, क्रॉस–सेल और अप–सेल अवसर, बढ़ते राजस्व, लागत में कमी, उत्पाद वृद्धि, चैनल अनुकूलन, डिफॉल्ट ऋण भविष्यवाणी, डिजिटल फुटप्रिंट को अधिकतम करना और ग्राहक आधार की जोखिम रूपरेखा में सुधार करने के उद्देश्य से मोटे तौर पर तीन वर्टिकल– व्यवसाय, नियंत्रण और समर्थन पर विश्लेषण किया जा रहा है। डेटा एनालिटिक्स ने बैंक में विश्लेषणात्मक कार्यों की स्थापना की दिशा में भी कदम उठाए हैं, जिन्हें व्यापार रणनीति के साथ जोड़ा जाना है। एनालिटिक्स 360 आज के कारोबारी निर्णय लेने में अंतर्दृष्टि लाने की दिशा में एक कदम है। स्टेटमेंट एनालाइजर, कस्टमर का प्रोपेंसिटी स्कोर, कस्टमर का डिजिटल प्रोफाइल स्कोर और कलेक्शन प्रोपेंसिटी स्कोर कुछ प्रारंभिक उपयोग के मामले हैं जिन्हें विकसित किया जा रहा है। एनालिटिक्स संचालित विभिन्न डिजिटल कदम उठाएं गए हैं जैसे प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन

per selection criteria and submit their proposal for empanelment in our Bank. This facility will help bank to engage with new FinTech Companies by onboarding them via empanelment process and on tap basis to cater to bank's requirement in various segments/domains.

V. MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

Analytics Centre of Excellence (ACoE): Bank believes in harnessing the power of both big data and small data not only to drive decision-making and operational excellence but also to provide personalized experiences to increase customer delight. Bank also aims to set-up analytical function in the Bank and move towards data-driven organization.

To align with the present and future strategic business requirements of PNB, to gain competitive edge and to cater to the needs of creating advanced digital capabilities for Bank, Model based business leads are being generated on various personal segment.

Enterprise-Wide Data Warehouse (EDW): The Bank has operational Enterprise Data Warehouse project catering various analytical/statutory/ regulatory and reporting/ dash-boarding requirement with data from 60 plus source systems being integrated into EDW. All downstream applications are receiving data through EDW and also all data requirements for various digital journeys are catered.

Data Analytics: The Bank has set up a Data Analytics Centre of Excellence (CoE) with an objective of setting-up analytical function to provide insights. Analytics is being conducted on broadly three verticals- Business, Control and Support, with objective of new value-creation, cross-sell and up-sell opportunity, increasing revenue, cost reduction, product enhancement, channel optimization, default loan prediction, maximizing digital footprint and improve risk profiling of the customer base. Data Analytics has also initiated steps towards setting up of analytical functions in the bank which is to be aligned with business strategy. Analytics 360 is a step towards bringing insights in day to day business decision making. Statement analyzer, Customer's propensity score, customer's digital profile score & collection propensity score are few initial use cases being developed. Analytics driven various digital journey have been undertaken such as Pre Approved Personal Loans (PAPL), Pre Approved Business Loan (PABL), Debit Card EMI, e-

(पीएपीएल), प्री अप्रूव्ड बिजनेस लोन (पीएबीएल), डेबिट कार्ड ईएमआई, ई–नवीनीकरण, ई–जीएसटी एक्सप्रेस, प्री क्वालिफाइड क्रेडिट कार्ड (पीक्यूसीसी) आदि।

अगले स्तर के सुधार: ईडीडब्ल्यू के साथ, बैंक पीएसबी में अगले स्तर के सुधारों के अंतर्गत कार्रवाई बिंदुओं को प्राप्त करने के लिए अच्छी तरह से तैयार है, जैसे डिजिटल परिवर्तन और वृद्धि, बिग डेटा एनालिटिक्स, बैंकिंग प्रौद्योगिकी में परिवर्तन को अपनाने, केंद्रित फिन–टेक का उपयोग और एनालिटिक्स के माध्यम से कर्मचारी जुड़ाव में सुधार।

VI. शाखा नेटवर्क

1. **घरेलू उपस्थिति:** 31 मार्च, 2023 तक शाखाओं की संख्या 10,076 थी। जनसंख्या–समूहवार शाखाओं के साथ–साथ प्रतिशत हिस्सा निम्नानुसार दिया गया है:

RENEWAL, e-GST EXPRESS, Pre Qualified Credit Card (PQCC) etc.

Next Level Reforms: With EDW in Place, the Bank is well prepared to achieve the Action Points under next level reforms in PSBs for short Term and Long-Term targets like digital transformation & enhancement, Big Data Analytics, adoption of change in Banking Technology, focused use of Fin-Tech and improvement in Employee engagement through Analytics.

VI. BRANCH NETWORK

1. **Domestic Presence:** As on 31st March, 2023, the number of branches were at 10,076. The population-group wise branches along-with the percentage share are given as under:

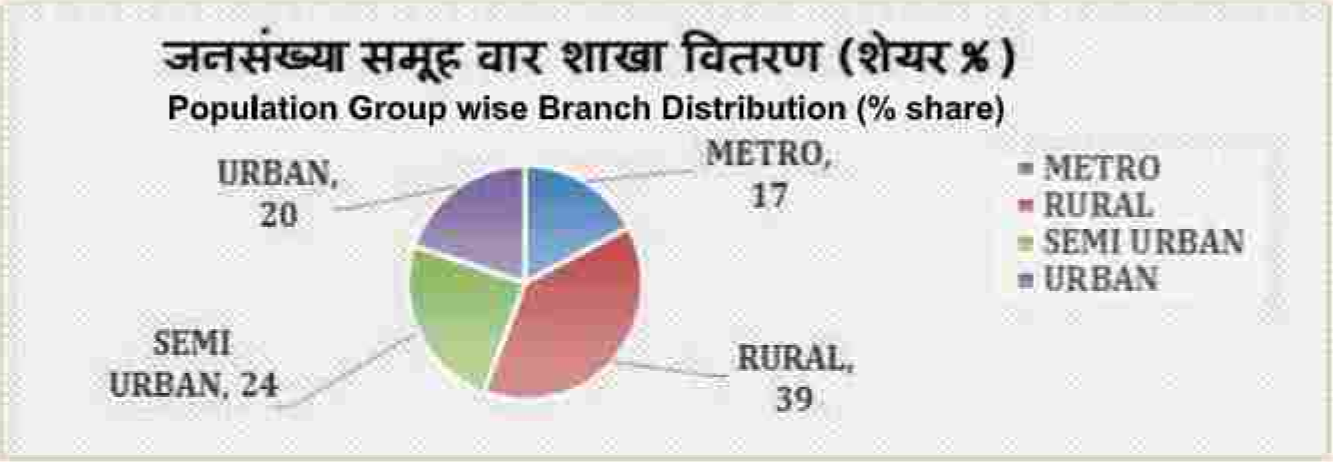

2. **अंतरराष्ट्रीय उपस्थितिः** 31 मार्च, 2023 तक, दुबई में 1 शाखा के माध्यम से बैंक की 6 देशों में वैश्विक उपस्थिति है (गिफ्ट सिटी गुजरात में एक अन्य शाखा भी बैंक के अंतरराष्ट्रीय व्यापार को पूरा करती है), 2 सहायक कंपनियां (लंदन–यूके) और भूटान), 1 संयुक्त उद्यम (नेपाल), 2 प्रतिनिधि कार्यालय (म्यांमार और बांग्लादेश)।

VII. अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग

31 मार्च, 2023 तक, नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई में विदेशी मुद्रा व्यापार को संभालने के लिए अधिकृत 233 शाखाएं और 4 व्यापार वित्त केंद्र कार्यरत है, जो सभी आवक प्रेषणों के लिए व्यापार लेनदेन और अंतर्राष्ट्रीय सेवा शाखा के केंद्रीकृत संचालन के लिए विशेषीकृत है। विदेशी पर्यटकों/एनआरआई द्वारा विदेशी मुद्रा मुद्रा नोटों के नकदीकरण की सुविधा के लिए बैंक के पास महत्वपूर्ण पर्यटन केंद्रों पर 6 विनिमय ब्यूरो हैं।

1. **घरेलू कारोबार**

बैंक ने वित्त वर्ष 2022–23 के लिए 1,39,990 करोड़ रुपये (निर्यात और आयात एक साथ) का विदेशी मुद्रा कारोबार दर्ज किया, जिसमें वर्ष–दर–वर्ष 11 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

समग्र रूप से बैंक के आवक विप्रेषणों को संभालने के लिए नई दिल्ली में हमारी एक अंतरराष्ट्रीय सेवा शाखा (आईएसबी) कार्यरत है। वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, बैंक ने 67,805 करोड़ रुपये का रेमिटेंस कारोबार संभाला।

हमारे बैंक ने एनआरआई से प्रेषण की सुविधा के लिए 13 विनिमय गृहों (खाड़ी में 7, सिंगापुर में 1, संयुक्त राज्य अमेरिका में 2, यूके, कनाडा और सेशेल्स में प्रत्येक में 1) के साथ रुपया आहरण व्यवस्था (आरडीए) की है।

बैंक ने ट्रांसफास्ट फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और रिया मनी ट्रांसफर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम (एमटीएसएस) के अंतर्गत प्रेषण व्यवस्था भी की है।

2. **विदेशी व्यापार**

बैंक का विदेशी कारोबार 31 मार्च, 2023 को 37 प्रतिशत की वर्ष–दर–वर्ष वृद्धि दर्ज करते हुए 64,440 करोड़ रुपये रहा। विदेशी शाखाएं लाभप्रदता में सुधार के लिए कम क्रेडिट जोखिम भार के साथ एक विविध ऋण पोर्टफोलियो बनाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली मध्यम/दीर्घावधि आस्तियों पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं।

3. **विदेशी मुद्रा व्यापार वृद्धि के लिए आरंभ किए गए कदमः**

2. **International Presence:** As on 31st March, 2023, Bank has its overseas presence in 6 Countries by way of 1 branch at Dubai (another 1 branch at GIFT City Gujarat also caters to the international business of the bank), 2 Subsidiaries (London-UK and Bhutan), 1 Joint Venture (Nepal), 2 Representative Offices (Myanmar and Bangladesh).

VII. INTERNATIONAL BANKING

As on 31st March, 2023, there were 233 branches authorized to handle Foreign Exchange Business and 4 Trade Finance Centers functioning at New Delhi, Chennai, Kolkata & Mumbai specialized for centralized handling of trade transactions and International Service branch for all Inward remittances. The Bank has 6 Exchange Bureaus at important tourist centers to facilitate encashment of Foreign Exchange Currency Notes by foreign tourists/NRIs.

1. **Domestic Business**

The Bank registered a Foreign Exchange Business Turnover of Rs.1,39,990 Crore (Exports and Imports together) for the FY 2022-23 registering YOY growth of 11 per cent.

We have an International Service Branch (ISB) functioning at New Delhi for handling Inward Remittances of the Bank as a whole. During FY 2022-23, Bank handled remittance business of Rs.67,805 Crore.

Our Bank has Rupee Drawing Arrangements (RDA) with 13 exchange Houses (7 in the Gulf, 1 in Singapore, 2 in the USA, 1 each in UK, Canada and Seychelles) to facilitate remittance from NRIs.

The Bank also has remittance arrangement under Money Transfer Service Scheme (MTSS) with Transfast Financial services Pvt. Ltd. and Ria Money transfer services Pvt. Ltd.

2. **Overseas Business**

Overseas business of the Bank stood at Rs.64,440 Crore as on 31st March, 2023 registering YOY growth of 37 per cent. Overseas branches are focusing on High Quality Medium/ Long term Assets to build a diversified loan portfolio with low Credit Risk Weight to improve profitability.

3. **Steps Initiated for Forex Business growth:**

ए. **वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान पैन इंडिया आधार पर 87 निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसी)** का दौरा किया गया है। इसके अलावा, सभी अंचल कार्यालय नए संबंध स्थापित करने के लिए निर्यात संवर्धन परिषदों के साथ संपर्क बनाए रखते हैं।

बी. वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान विदेशी मुद्रा व्यापार के संबंध में उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए पैन इंडिया के आधार पर **153 निर्यातक / आयातक बैठकें** आयोजित की गईं।

सी. **व्यापार वित्त उत्पादों के लिए व्यापार वित्त पोर्टल:** निर्यातक और आयातक पोर्टल के माध्यम से सभी प्रकार के व्यापार वित्त अनुरोध प्रस्तुत कर सकते हैं।

डी. **नेट–बैंकिंग के माध्यम से निवासी व्यक्तियों के लिए जावक प्रेषण सुविधा:** बैंक ने निवासी व्यक्तियों के लिए इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से एलआरएस के अंतर्गत धन भेजने के लिए जावक प्रेषण सुविधा शुरू की है। यह खुदरा ग्राहकों को उपहार, दान, यात्रा (व्यवसाय, तीर्थयात्रा, चिकित्सा उपचार और शिक्षा) और करीबी रिश्तेदारों के रखरखाव के उद्देश्य से भुगतान करने में आसानी प्रदान करता है।

इ. आवक विप्रेषण के संबंध में ग्राहकों को सीधे सूचना भेजने की सुविधा शुरू की गई है। अंतरराष्ट्रीय सेवा शाखा (आईएसबी) ने ग्राहकों को उनके आवक प्रेषण के संबंध में सीधे मेल भेजना शुरू कर दिया है जो आवक प्रेषण लेनदेन के टीएटी को कम करता है।

एफ. व्यापार वित्त ग्राहकों की सहायता के लिए समर्पित ग्राहक सेवा डेस्क सभी व्यापार वित्त केंद्रों (टीएफसी) में उपलब्ध कराए गए हैं। संपर्क विवरण पीएनबी कॉर्पोरेट वेबसाइट पर भी रखा गया है।

जी. एक समर्पित ई–मेल आईडी eximcust@pnb.co.in विशेष रूप से व्यापार वित्त ग्राहकों के लिए उनके विदेशी मुद्रा संबंधी परिचालन संबंधी मुद्दों के लिए बनाई गई है जिसे सीधे प्रधान कार्यालय में संभाला जा रहा है।

एच. **इंटरनेशनल बैंकिंग यूनिट (आईबीयू),** बैंक की गिफ्ट सिटी गांधीनगर शाखा 08.04.2022 को खोली गई थी। शाखा में पेश किए जाने वाले प्रमुख उत्पादों में नकद प्रबंधन सेवा, विदेशी मुद्रा सेवाएं, बाह्य वाणिज्यिक उधार, विदेशी मुद्रा सावधि ऋण, व्यापार वित्त आदि शामिल हैं। शाखा ने वित्त वर्ष 2022–23 में 28.85 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया।

VIII. व्यापार विविधीकरण

बीमा व्यवसाय

1. जीवन बीमा: बैंक निम्नलिखित जीवन बीमा के साथ कॉर्पोरेट

a. **87 Export Promotion Council (EPCs)** have been visited on Pan India basis during the FY 2022-23. Further, all the Zonal offices continue liasoning with Export promotion councils for sourcing new relationships.

b. **153 Exporter/ Importer meets** were conducted on Pan India basis to address their grievances in respect of Forex business during FY 2022-23.

c. **Trade Finance portal for Trade Finance Products:** Exporter and Importer can submit all types of trade finance request through the portal.

d. **Outward remittance facility for Resident Individuals through Net-Banking:** The Bank launched Outward Remittance Facility for resident individuals for remitting funds under LRS through Internet Banking. This gives ease to retails customers for remitting for the purpose of Gift, Donation, Travel (Business, Pilgrimage, Medical Treatment and Education) and Maintenance of close relatives.

e. A facility of sending direct intimation to customers in respect of Inward remittance was introduced. International Service Branch (ISB) has started sending mails directly to customers with respect to their inward remittances which reduces the TAT of inward remittance transactions.

f. **Dedicated customer care desks** are made available in all Trade Finance Centres (TFCs) to help trade finance customers. The contact details are also placed on PNB Corporate website.

g. A dedicated email ID eximcust@pnb.co.in has been created exclusively for trade finance customers for their forex related operational issues which is directly being handled at Head Office.

h. **International Banking Unit (IBU), GIFT City** Gandhinagar branch of the Bank was opened on 08.04.2022. The major products offers in the branch are Cash Management Service, Forex Services, External Commercial Borrowings, Foreign Currency Term Loan, Trade Finance etc., Branch booked profit of Rs.28.85 Crore in FY 2022-23.

VIII. BUSINESS DIVERSIFICATION

Insurance Business

एजेंसी समझौते के अंतर्गत जीवन बीमा व्यवसाय की मांग करता है

ए) पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (पीएमएलआई)

बी) भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी)

2. **गैर–जीवन बीमा:** बैंक निम्नलिखित बीमा कंपनियों के साथ कॉर्पोरेट एजेंसी समझौते के अंतर्गत गैर–जीवन बीमा व्यवसाय की मांग करता है:

ए द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (ओआईसीएल)

बी बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (बीएजीआईसी)

सी चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (चोलाएमएस)

डी केयर हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड (सीएचआईएल) स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एसएचआईसीएल)

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान बीमा कारोबार (जीवन और गैर–जीवन दोनों) से बैंक की कमीशन आय अनुमानित रूप से 428 करोड़ रुपये रही। वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, बैंक ने ऐसी आय में 8.6 प्रतिशत की वर्ष–दर–वर्ष वृद्धि दर्ज की।

3. **म्युचुअल फंड:** बैंक निम्नलिखित आस्ति प्रबंधन कंपनियों के म्युचुअल फंड उत्पादों का वितरक है:

ए मेसर्स सुंदरम एसेट मैनेजमेंट प्रा. लिमिटेड (पहले प्रिंसिपल एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के रूप में जाना जाता था)।

बी मैसर्स निप्पोन लाइफ एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड

सी मैसर्स यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड,

डी मेसर्स आदित्य बिड़ला सनलाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड

ई मैसर्स एलआईसी म्युचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड

एफ मैसर्स डीएसपी इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्रा. लिमिटेड

जी मैसर्स फ्रैंकलिन टेम्पलटन एसेट मैनेजमेंट (इंडिया) प्रा. लिमिटेड

एच एफआईएसडीएम केवल मौजूदा निवेशित ग्राहकों को एमएफ एग्रीगेटर एवं रोबो–सलाहकार सेवाएं प्रदान कर रहा है तथा राजस्व साझेदारी के आधार पर बैंक को कमीशन प्रदान कर रहा है।

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, 34.3 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 8.26 करोड़ रुपये की आय अर्जित की गई है।

1. **Life Insurance:** The Bank solicits Life Insurance Business under Corporate Agency Agreement with the following Life Insurance companies:

   a. PNB MetLife India Insurance Co. Ltd (PMLI)

   b. Life Insurance Corporation of India (LIC)

2. **Non-Life Insurance:** Bank solicits Non-Life Insurance Business under Corporate Agency Agreement with the following insurance companies:

   a. The Oriental Insurance Co. Ltd. (OICL)

   b. Bajaj Allianz General Insurance Co. Ltd. (BAGIC)

   c. Cholamandalam MS General Insurance Co. Ltd. (CHOLA MS)

   d. Care Health Insurance Ltd. (CHIL)Star Health & Allied Insurance Co. Ltd. (SHICL)

   Bank's commission income from insurance business (both life & non-life) stood at tentative Rs. 428 Crore during FY 2022-23. During FY 2022-23, Bank registered a YoY growth of 8.6 per cent in such income.

3. **Mutual Funds:** Bank is a distributor of Mutual Fund products of the following Asset Management Companies:

   a M/s Sundaram Asset Management Pvt. Ltd (previously known as Principal Asset Management Pvt. Ltd).

   b. M/s Nippon Life Asset Management Ltd.

   c. M/s UTI Asset Management Company Ltd.,

   d. M/s Aditya Birla Sunlife Asset Management Company Ltd.

   e. M/s LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.

   f. M/s DSP Investment Managers Pvt. Ltd.

   g. M/s Franklin Templeton Asset Management (India) Pvt. Ltd.

   h. FISDOM is also providing MF Aggregator and Robo-Advisory services to existing invested customers only and providing commission to the bank on revenue sharing basis.

   During FY 2022-23, Income of Rs. 8.26 Crore was earned with YoY growth was 34.3 percent

4. **डिपॉजिटरी सेवाएं**: एक डिपॉजिटरी प्रतिभागी के रूप में, बैंक ने वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान 15,314 डीमैट खाते खोले, जबकि वित्त वर्ष 2021–22 में 11,627 डीमैट खाते 31.7 प्रतिशत की वर्ष दर वर्ष वृद्धि के साथ और वित्त वर्ष 2022–23 में 18,538 ऑनलाइन ट्रेडिंग खाते वित्त वर्ष 2021–22 में 12,016 वर्ष– दर–वर्ष 54.27 प्रतिशत की वृद्धि के साथ के ऑनलाइन ट्रेडिंग खाते खोले गए।

   15,314 डीमैट खातों में से, लगभग 9466 अर्थात 62 प्रतिशत डी–मैट खाते डिजिटल रूप से आईबीएस और एमबीएस पर उपलब्ध इंस्टा–डीमैट के माध्यम से खोले गए थे।

   वित्त वर्ष 2022–23 में डिपॉजिटरी सेवाओं से अर्जित आय वित्त वर्ष 2021–22 में 3.48 करोड़ रुपये के मुकाबले 5.71 करोड़ रुपये थी।

5. **अवरुद्ध राशि (एएसबीए) और मर्चेंट बैंकिंग द्वारा समर्थित आवेदन**: बैंक के पास बैंकर टू इश्यू, डिबेंचर ट्रस्टी और मर्चेंट बैंकर के रूप में कार्य करने का लाइसेंस है। वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, वित्त वर्ष 2021–22 में 217 के मुकाबले 36.9 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 297 मामलों को निस्तारित किया गया है।

   वित्तीय वर्ष 2022–23 में एएसबीए के माध्यम से ब्लॉक की गई राशि 8211 करोड़ रुपये थी, जबकि वित्त वर्ष 2021–22 में 5442 करोड़ रुपये थी, जिसमें वर्ष–दर–वर्ष 50.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी और वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान 0.61 करोड़ रुपये की आय के मुकाबले वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान 2 करोड़ रुपये की आय अर्जित की गई थी।

6. नई पहल

   ए. **जीवन बीमा**: बैंक ने अपने उत्पादों में दो नए जीवन बीमा उत्पाद जोड़े हैं:

   i. पीएनबी मेटलाइफ ग्रैंड एश्योर्ड इनकम प्लान – ग्राहक को नियमित आय के लिए एक वार्षिकी उत्पाद।

   ii. पीएनबी मेटलाइफ मेरा टर्म प्लान प्लस – संपूर्ण जीवन जोखिम कवर के लिए एक निवल टर्म प्लान।

   बी. गैर–जीवन बीमा कारोबार

   i. प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) के आधार पर, दो कंपनियों के साथ नए समझौते को निष्पादित किया गया है, 3 वर्ष की अवधि के लिए स्वास्थ्य बीमा हेतु स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड तथा सामान्य बीमा कारोबार के लिए चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड।

   ii. भारत के भीतर यात्रा या यात्रा के दौरान बैंक के ग्राहकों को होने वाले वित्तीय नुकसान को कवर करने के लिए यात्रा बीमा उत्पाद लॉन्च किया गया है।

   iii. क्रेडिट लिंक्ड हेल्थ एंड ग्रुप व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा उत्पाद उधारकर्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करता है तथा गंभीर

4. **Depository Services:** As a Depository Participant, Bank opened 15,314 Demat Accounts during FY 2022-23 against 11,627 in FY 2021-22 with a YoY growth of 31.7 per cent and 18,538 Online Trading Accounts in FY 2022-23 against 12,016 in FY 2021-22 with YoY growth of 54.3 per cent.

   Out of 15,314 Demat Accounts, around 9466 i.e., 62 per cent of De-mat accounts was opened digitally through Insta-Demat available on IBS and MBS.

   Income earned in FY 2022-23 from Depository services was Rs. 5.71 Crore against Rs.3.48 Crore in FY 2021-22.

5. **Application Supported by Blocked Amount (ASBA) & Merchant Banking:** Bank has license to act as Banker to Issue, Debenture Trustee and Merchant Banker. During FY 2022-23, 297 number of issues were handled against 217 in FY 2021-22 with a YoY growth of 36.9 per cent.

   The amount blocked through ASBA was Rs.8211 Crore in FY 2022-23 against Rs.5442 Crore in FY 2021-22 with a YoY growth of 50.9 per cent and Income of Rs.2 Crore was earned during FY 2022-23 against Rs.0.61 Crore during FY 2021-22.

6. **New Initiatives**

   a. **Life Insurance:** Bank has added two new Life Insurance Products in its bouquet:

   i. PNB MetLife Grand Assured Income Plan – An annuity product for regular income to customer.

   ii. PNB MetLife Mera Term Plan Plus – A pure Term plan for complete Life risk cover.

   b. **Non-Life Insurance Business**

   i. On the basis of Request for Proposal (RFP), fresh Agreement with two companies has been executed, Star Health & Allied Insurance Co. Ltd for Health Insurance & Cholamandalam MS general Insurance Co Ltd for General Insurance business for a period of 3 years.

   ii. Launched Travel Insurance product covering the financial loss caused to the Bank customers during travel or journey within India.

   iii. Credit Linked Health & Group Personal Accident Insurance Product providing financial assistance to borrowers and protect the loan accounts

बीमारी या स्थायी कुल विकलांगता (पीटीडी) / व्यक्तिगत दुर्घटना, अस्पताल में भर्ती, नौकरी छूटना आदि जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं का पता लगाने के मामले में ऋण खाता धारकों को संपूर्ण बीमा राशि / ईएमआई को कवर करने वाले ऋण खातों की सुरक्षा करता है।

iv. मोटर बीमा उत्पाद "Pay as you consume" बीमाधारक को उपयोग के अनुसार अपनी निजी कार को कवर करने और सुरक्षित ड्राइविंग के लिए पुरस्कृत करने का विकल्प देता है।

v. आस्ति बीमा बैंक वित्तपोषित आस्तियों के सत्यापन के दौरान फिनैकल में "अपवाद जांच" का समावेश जिसमें गैर–भागीदार विकल्प का चयन किया गया है जिसने हमारे आस्ति बीमा कारोबार को लगभग 2 प्रतिशत बढ़ा दिया है।

vi. संभावित व्यावसायिक सृजन के लिए विभिन्न मापदंडों पर विश्लेषणात्मक लीड फील्ड में साझा किए जाते हैं।

सी. डिपॉजिटरी और एएसबीए कारोबारः

i. **डिस्काउंट ब्रोकरेजः** मैसर्स एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड के सहयोग से बैंक ने डिस्काउंट ब्रोकरेज सुविधा शुरू की है, जो वर्तमान ट्रेडिंग मार्केट में बहुत लोकप्रिय है। यह डिलीवरी के लिए जीरो ब्रोकरेज और इंट्रा–डे ट्रेडिंग के लिए फ्लेट रु.15 प्रदान करता है।

ii. **ऑनलाइन म्युचुअल फंड रूपांतरण और मोचनः** रिटेल आईबीएस और एमबीएस में एक सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया गया है, जिसके उपयोग से बैंक के एनएसडीएल डीमैट खाताधारक अपनी एकल धारित म्युचुअल फंड इकाइयों को डीमैट रूप में परिवर्तित कर सकते हैं तथा ग्राहक अपनी एकल धारिता को भुनाने का अनुरोध कर सकते हैं। ऑनलाइन डीमैट खातों में म्युचुअल फंड इकाइयां एक बार विकसित की गई सुविधा ऐसे अनुरोधों के लिए वर्तमान में उपलब्ध भौतिक म्युचुअल फंड रूपांतरण और मोचन अनुरोध प्रक्रिया की तुलना में परावर्तन काल को कम कर देगी।

डी. लीड मैनेजमेंट सिस्टमः फिनेकल–सीबीएस के माध्यम से ग्राहकों के अनुरोध को कैप्चर करने के लिए एक नया चैनल अर्थात ब्रांच वॉक–इन, वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान प्रभावी बनाया गया है, इस सुविधा के माध्यम से तृतीय पक्ष के उत्पादों में रुचि दिखाने वाले ग्राहकों की लीड ली जाती है।

बैंक ने नई सीआरएम प्रणाली (आरएफपी के माध्यम से) की खरीद की प्रक्रिया भी शुरू की है, जो अधिक उन्नत, सुविधाओं से युक्त होगी और उद्योग में उपयोग किए जाने वाले अन्य अनुप्रयोगों के बराबर होगी।

ई. रक्षा कारोबारः भारतीय सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक और पुलिस बलों के साथ पीएनबी के बैंकिंग कारोबार को मजबूत करने के

covering entire Sum assured/EMI to the loan account holders in case of detection of Critical Illness or unfortunate events such as Permanent Total Disability (PTD)/Personal accident, hospitalization, loss of job etc.

iv. Motor Insurance product "Pay as you consume" gives an option to the insured to cover their private car as per the usage and get rewarded for Safe Driving.

v. Incorporation of "Exception Check" in Finacle during verification of Asset Insurance Bank financed assets wherein non partner option is selected which has increased our Asset Insurance business by approx. 2 per cent.

vi. Analytical leads on various parameters for potential business generation is shared to field.

c. Depository & ASBA Business:

i. **Discount brokerage:** The Bank in coordination with M/s SMC Global Securities Limited has introduced discount brokerage facility, which is very popular in the present trading market. It offers Zero Brokerage for delivery and flat Rs.15 for Intra-day trading.

ii. **Online mutual fund conversion and redemption:** It has been proposed to make available a facility in retail IBS and MBS, using which Bank's NSDL Demat account holders can convert their singly held Mutual fund units to Demat form and Customers can request for redemption of their singly held Mutual Fund units in Demat accounts online. The facility once developed will reduce TAT for such requests, in comparison to presently available physical mutual fund conversion and redemption request process.

d. Lead Management System: A new channel i.e. Branch Walk-in for capturing customers request through Finacle-CBS, has been made effective during FY 2022-23, through this facility leads of customers who shows interest in Third Party Products are captured.

Bank has also initiated the process of procuring new CRM system (through RFP), which would be more advance, feature loaded and would be at par with other applications used in the industry.

e. Defence Business: Defence Business Cell (DBC) is established for strengthening PNB's banking

लिए रक्षा कारोबार सेल (डीबीसी) की स्थापना की गई है।

बैंक पहले ही सेवानिवृत्त मेजर जनरल को मुख्य रक्षा बैंकिंग सलाहकार के रूप में नियुक्त कर चुका है और प्रमुख रक्षा प्रतिष्ठानों के साथ मैप किए गए देश भर में विभिन्न स्थानों पर सलाहकारों के रूप में अधिक सेवानिवृत्त रक्षा अधिकारियों को नियुक्त करके डीबीसी का विस्तार किया जा रहा है।

पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान, बैंक ने पहली बार असम राइफल्स, भारतीय वायु सेना, हिमाचल प्रदेश पुलिस के साथ समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया है और रक्षा कर्मियों के लिए बैंक के प्रमुख उत्पादों का विस्तार करने के लिए भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय तट रक्षक के साथ समझौता ज्ञापनों का नवीकरण भी किया है।

बैंक अपने कार्यालयों के नेटवर्क और फील्ड में शर्तों के माध्यम से रक्षा बलों के कर्मियों और संगठनों से व्यापार की मांग करता है। वर्ष के दौरान, डिफेंस वर्टिकल से बैंक के कारोबार में निम्नानुसार लाभ हुआ:

i. बैंक की प्रमुख रक्षक प्लस योजना के अंतर्गत रक्षा वेतन/पेंशन खातों में वर्ष–दर–वर्ष आधार पर 2.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

ii. वास्तविक रूप से रक्षा खंड (वेतन/पेंशन) के अंतर्गत कारोबार का मूल्य वर्ष–दर–वर्ष आधार पर 2 प्रतिशत बढ़ा है।

iii. सकल संबंध मूल्य जिसमें वेतन/पेंशन के साथ–साथ संगठन खाते शामिल हैं, 31 मार्च, 2023 तक 3700 करोड़ से अधिक है।

IX. सरकारी कारोबार

केंद्र और राज्यों से विभिन्न लाभार्थियों को धन के हस्तांतरण में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने की दृष्टि से, बैंक के पास एक विशेष सरकारी कारोबार वर्टिकल (जीबीडी) है जो बैंक के कारोबार प्रभागों में से एक है। जीबीडी पेंशन, प्रसंस्करण और संवितरण, सरकार की लघु बचत योजनाओं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर संग्रह तथा मुद्रा तिजोरी प्रबंधन जैसे विभिन्न कार्यों को देखता है। समामेलन के बाद बैंक केंद्र सरकार के नौ अलग–अलग विभागों के लिए मान्यता प्राप्त बैंकर भी है। ये संख्याएं और बढ़ेंगी। बैंक अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों के साथ टाई–अप्स बढ़ा रहा है।

सरकारी कारोबार के अंतर्गत की गई प्रमुख पहलें निम्नानुसार हैं:

business with Indian Armed forces, Paramilitary and Police forces.

The Bank has already engaged retired Major General as Chief Defence Banking Advisor and expansion of DBC is underway by engaging more retired Defence Officials as advisors to be deputed at different locations across nation mapped with major defence establishments.

During the previous financial year, Bank has entered into MOU for the first time with Assam Rifles, Indian Air Force, Himachal Pradesh Police and also renewed MOUs with Indian Army, Indian Navy, Indian Coastguard for extending Banks flagship products for defence personnel.

The Bank solicits business from Defence Forces personnel and organizations through its network of offices and terms in the field. During the year, the bank's business from Defence Vertical gained as mentioned hereunder:

i. Defence salary/pension accounts under Bank's flagship Rakshak plus scheme grew 2.6 per cent on YoY basis.

ii. In real terms the value of business under the Defence Segment (Salary / Pension) grew by 2 percent on YoY basis.

iii. The gross relationship value which includes salary / pensions as well as organization accounts, is over 3700 crores as on 31st March, 2023.

IX. GOVERNMENT BUSINESS

With a view to play a more proactive role in the transfer of funds from Centre and States to various beneficiaries, the Bank has a an exclusive Government Business Division (GBD) which is one of the Business Divisions of the Bank. The GBD looks after various functions such as Pension, Processing & Disbursement, small savings schemes of the Government, Direct & Indirect Taxes Collections and Currency Chest Management. Bank is also accredited banker to nine different Central government departments post amalgamation. These numbers will further rise. Bank has been increasing tie-ups with various State governments to cater to their specific needs.

Key Initiatives taken up under Government Business are as under:

1. **फास्टैग:** राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह परियोजना लागू की गई है और सभी शाखाओं को फास्टैग जारी करने के लिए सक्षम बनाया गया है।

2. **टीन 2.0:** हम 1 दिसंबर, 2022 से केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के नए टीन 2.0 प्लेटफॉर्म पर लाइव होने वाले पहले बैंकों में से एक हैं। प्रत्यक्ष कर का भुगतान इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और ओवर द काउंटर (चेक/डीडी/कैश) के माध्यम से वेबसाइट https://eportal.incometax.gov.in पर किया जा सकता है।

3. बैंक ने इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से नए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के ई–पेमेंट प्लेटफॉर्म – भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज गेटवे (आईसीईजीएटीई) के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर (ईसीएल) के साथ एकीकृत किया है। इसे 1 अप्रैल, 2023 को लाइव किया गया था।

4. पुराने सरकारी कारोबार सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर (जीबीएसएस) को नए जीबीएसएस सिस्टम में अपग्रेड किया गया और इसे 15.03.2023 को लाइव कर दिया गया। पेंशन प्रसंस्करण के लिए बड़ी मात्रा में डेटा को संभालने के लिए नया जीबीएसएस काफी मजबूत है।

5. हमारा बैंक लगभग 8.5 लाख पेंशनभोगियों अर्थात केंद्र सरकार, रक्षा, रेलवे, दूरसंचार और राज्य सरकार की पेंशन वितरित कर रहा है।

6. **राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस):** हमारे बैंक की सभी शाखाएं एनपीएस लेनदेन के लिए सक्षम हैं। एनपीएस पंजीकरण और योगदान के लिए ऑनलाइन सुविधाएं हमारी वेबसाइट (https://www.pnbindia.in/nps.html) के साथ–साथ पीएनबी वन ऐप के माध्यम से भी उपलब्ध हैं। 31 मार्च, 2023 तक हमारे बैंक से जुड़े एनपीएस ग्राहकों की कुल संख्या 116825 है। बैंक कॉर्पोरेट मॉडल के अंतर्गत 27 कॉरपोरेट्स को एनपीएस सुविधाएं भी प्रदान कर रहा है।

7. **सरकार ई–मार्केट प्लेस (जीईएम):** बैंक वेंडरों, अर्थात विक्रेताओं और खरीदारों को सेवाएं प्रदान करने के लिए जीईएम पोर्टल पर उपलब्ध होने वाला राष्ट्रीयकृत बैंकों में पहला बैंक है। इन सेवाओं में जीईएम पूल खाता, ई–पीबीजी (कार्यनिष्पादन बैंक गारंटी) और ई–ईएमडी (बयाना राशि जमा) शामिल हैं।

8. **सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस):** बैंक ने पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत समय पर लगभग 66 लाख लाभार्थियों को करीब 3704 करोड़ रु. संवितरित किए हैं।

9. वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान सक्रिय मार्केटिंग के माध्यम से 80861 पीपीएफ, 69596 सुकन्या समृद्धि खाते और 48981 वरिष्ठ नागरिक बचत खाते खोले गए हैं।

1. **Fastag:** National Electronic Toll Collection Project has been implemented and all branches have been enabled for issuance of Fastags.

2. **TIN2.0:** We are one of the first banks to go live on the new TIN 2.0 platform of Central Board of Direct Taxes (CBDT) from December 1, 2022. Direct Taxes can be paid on the website https://eportal.incometax.gov.in through Internet Banking, Debit Card and Over the Counter (Cheque/DD/Cash).

3. Bank has integrated with the new Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) e-payment platform - Electronic Cash Ledger (ECL) of Indian Customs Electronic Data Interchange Gateway (ICEGATE), through Internet Banking. It was made live on 1st April, 2023.

4. Old Government Business Solution Software (GBSS) upgraded to new GBSS system and it was made live on 15.03.2023. The new GBSS is robust enough to handle large volume of data for pension processing.

5. Our Bank is disbursing pension of approximately 8.5 lakh pensioners i.e. Central Govt, Defense, Railways, Telecom and state Government.

6. **National Pension System (NPS):** All the Branches of our Bank are enabled for NPS transactions. Online facilities for NPS Registration and Contribution is also available through our website (https://www.pnbindia.in/nps.html) as well as PNB ONE App. Total number of NPS subscribers associated with our Bank as on 31st March, 2023 is 116825. The Bank is also providing NPS facilities to 27 corporates under Corporate Model.

7. **Govt. e-Market Place (GeM):** The Bank is providing facilities of GeM pool account, e-PBG (Performance Bank Guarantee) & e-EMD (Earnest Money Deposit) on Government e-market place to sellers and purchasers.

8. **Public Financial Management System (PFMS):** The Bank has timely disbursed funds of approximately Rs. 3704 Crore to about 66 lakh beneficiaries under PM Kisan Samman Nidhi.

9. Through active marketing, more than 80861 PPF, 69596 Sukanya Samridhi Accounts and 48981 Senior Citizen Saving accounts were opened during the FY 2022-23.

10. भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड सब्सक्रिप्शन की चार श्रृंखलाओं का हमारी शाखाओं द्वारा विपणन किया गया और 683 किलोग्राम की बिक्री की गई है।

11. हम विभिन्न राज्यों के साथ एकीकरण कर रहे हैं और उनके साइबर ट्रेजरी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन और ऑफलाइन कर एकत्र कर रहे है तथा वैट का संग्रह 19 राज्यों में किया जाता है।

12. पैन इंडिया आधार पर करों (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष) का संग्रह ऑफलाइन और ऑनलाइन के माध्यम से किया जा रहा है। हम केंद्र और राज्य सरकार के लिए करों के प्रमुख संग्राहकों में से एक हैं।

X ट्रेजरी परिचालन

बैंकिंग प्रणाली में वित्त वर्ष 2022–23 में तरलता ज्यादातर आरामदायक रही। हालाँकि, बढ़ती मुद्रास्फीति को रोकने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मई, 22 में एनडीटीएल के 4.00 प्रतिशत से नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) को बढ़ाकर 4.50 प्रतिशत कर दिया है। इसके अतिरिक्त, आरबीआई ने वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट (वीआरआरआर) जैसे विभिन्न साधनों के माध्यम से सिस्टम से तरलता को अवशोषित किया है। उसी समय, आरबीआई हमेशा तरलता को बढ़ाने के लिए मौजूद था, जब भी, परिवर्तनीय रेपो दर नीलामी के माध्यम से इसकी आवश्यकता होती थी।

हमारा सकल घरेलू निवेश 31 मार्च, 2023 को वर्ष–दर–वर्ष 6.6 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 3,99,830 करोड़ रुपये था।

बैंक ने पूरे वित्तीय वर्ष में एसएलआर और गैर–एसएलआर प्रतिभूतियों में सक्रिय रूप से कारोबार किया है। वित्त वर्ष 2022–23 के लिए कुल ट्रेडिंग लाभ 1047 करोड़ रुपये था।

1. निश्चित आय (एसएलआर / एनएसएलआर)

महामारी की अवधि के दौरान दुनिया भर में आसान मौद्रिक नीतियां और रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष, जिसने आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित किया और ऊर्जा और अन्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि का कारण बना, ने दुनिया भर की मुद्रास्फीति को केंद्रीय बैंकों की लक्षित सीमा से ऊपर बनाए रखा।

इसने दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों को नीतिगत दरों में वृद्धि करके वित्तीय स्थितियों को सुदृढ़ प्रबंधन करने के लिए मजबूर किया। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) कोई अपवाद नहीं था। अस्थिर मुद्रास्फीति से निपटने के लिए, आरबीआई ने वित्त वर्ष 2022–23 में रेपो दर को 250 आधार अंकों से बढ़ाकर 4.00 प्रतिशत से 6.50 प्रतिशत कर दिया, जिसने आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष की शुरुआत की तरलता लगभग रु.7 लाख करोड़ को घटाकर वित्तीय वर्ष के अंत तक 1 लाख करोड़ रुपये कर दिया। जिसके परिणामस्वरूप टी बिल 7.48 प्रतिशत के उच्चतम स्तर पर पहुंचने तथा 10 जी–सेक को 10 वर्षों के मानक का 7.62 प्रतिशत के उच्चतम स्तर पर पहुंचने पर प्रतिफल में कमी आई है।

10. Four Series of Sovereign Gold Bond subscription launched by Government of India were marketed by our branches and 683 Kgs were sold.

11. We are having integration with various states and collecting online and offline taxes through their Cyber Treasury Portal and collection of VAT is done in 19 States.

12. Collection of taxes (Direct & Indirect) is being done through offline and online on PAN India Basis. We are one of the major collectors of taxes for Central & State Government.

X. TREASURY OPERATIONS

The liquidity remained mostly comfortable in FY 2022-23 in the Banking system. However, to contain the rising inflation, Reserve Bank of India (RBI) has increased the Cash Reserve Ratio (CRR) to 4.50 per cent from 4.00 per cent of NDTL in May'22. Further, RBI has also absorbed liquidity from the system through various tools such as Variable Reverse Repo Rate (VRRR). At the same time, RBI was always there to infuse liquidity, whenever, it was required through variable repo rate auction.

Our Gross Domestic Investments stood at Rs.3,99,830 crore as on 31st March, 2023 with YoY growth of 6.6 per cent.

The Bank actively traded in SLR and Non-SLR securities throughout the financial year. Total Trading Profit for FY 2022-23 was Rs.1047 Crore.

1. Fixed Income (SLR/NSLR)

Easy monetary policies across the globe during the pandemic period and the conflict between Russia and Ukraine, which disrupted supply chains and caused a rise in energy and other commodity prices sent inflation rates worldwide above the Central Banks' targeted range.

This forced Central banks across the globe to tighten financial conditions by increasing policy rates. The Reserve Bank of India (RBI) was no exception. To combat sticky inflation, the RBI increased the repo rate by 250 basis points from 4.00 per cent to 6.50 per cent in FY 2022-23, which reduced liquidity from almost Rs.7 Lakh Crore in the beginning of Financial Year to Rs. 1 Lakh Crore by the end of Financial Year as per RBI data. This resulted in hardening of yields across the curve with 1-year T Bill reaching a high of 7.48 per cent and 10-year benchmark G-sec yields touched the high of 7.62 per cent.

वित्त वर्ष 2023–24 के केंद्रीय बजट में, केंद्र सरकार की अनुमानित सकल ऋण 15.43 लाख करोड़ रुपये घोषित की गई थी, जो काफी हद तक बाजार की उम्मीद के अनुरूप थी और सकल राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 5.9 प्रतिशत अनुमानित था। कुल मिलाकर, निवेश पर जोर देने के साथ–साथ 50 आधार अंकों का राजकोषीय समेकन हासिल किया गया है।

2. इक्विटी एवं म्युचुअल फंड

वित्त वर्ष 2022–23 इक्विटी बाजारों के लिए एक कठिन वर्ष साबित हुआ। इस अशान्ति के लिए ब्याज दर में बढ़ोतरी, तरलता की कमी, विदेशी निवेश के बहिर्गमन, भू–राजनीतिक तनाव और इसके परिणामस्वरूप ईंधन और खाद्य कीमतों में बढ़ोतरी को उत्तरदायी माना जा सकता है।

एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स 58,991.52 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 31 मार्च, 2023 को 17,359.75 पर बंद हुआ। पिछले एक साल में, एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स 0.72 प्रतिशत बढ़ा, जबकि निफ्टी 50 इसी अवधि के दौरान 0.6 प्रतिशत गिर गया।

3. विदेशी मुद्रा

वर्ष के दौरान अमरीकी डॉलर/भारतीय रुपये का कारोबार 76 से 83 प्रति डॉलर के दायरे में रहा। भू–राजनीतिक तनावों, बढ़ती मुद्रास्फीति को रोकने के लिए यूएस फेड द्वारा दरों में बढ़ोतरी, यूएस ट्रेजरी प्रतिफल में कमी के कारण वर्ष के दौरान यूएसडी के मुकाबले भारतीय रुपये का मूल्यह्रास हुआ, जिसके कारण भारतीय अर्थव्यवस्था से यूएसडी का बहिर्गमन हुआ। हालांकि, रुपये ने अन्य उभरती बाजार मुद्राओं की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया। यह अंततः 31 मार्च, 2023 को अमरीकी डॉलर/भारतीय रुपये 82.1750 पर बंद हुआ।

XI. ग्राहक सेवा

बैंक ग्राहक सेवा के महत्व को पूरी तरह से समझता है और ग्राहकों को त्वरित एवं दक्षतापूर्ण सेवा प्रदान करने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता देता रहता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु, बैंक ने ग्राहक अनुभव को बढ़ाने के लिए पिछले एक वर्ष में कई डिजिटल नवाचार जैसे ऑनलाइन डेबिट और क्रेडिट कार्ड, पूर्व अनुमोदित व्यक्तिगत ऋण, व्हाट्सएप बैंकिंग, कई अतिरिक्त सुविधाओं के साथ पीएनबी वन को नया रूप देना आदि शामिल हैं। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, ग्राहक सेवा पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए बैंक ने एक सुदृढ़ शिकायत निवारण नीति तैयार की है। बैंक उक्त नीति में निर्धारित ढांचे के भीतर ग्राहकों की शिकायतों का निवारण सुनिश्चित कर रहा है।

बैंक के पास एक ऑन–लाइन शिकायत निवारण प्रबंधन पोर्टल है जिसे केंद्रीकृत शिकायत निवारण प्रबंधन प्रणाली (सीजीआरएमएस) कहा जाता है, ये इन–हाउस पोर्टल है। इस प्रणाली के माध्यम से, ग्राहक को तत्काल पावती मिल जाती है

In the Union Budget for the FY 2023-24, estimated gross borrowing of the Central government was announced at Rs.15.43 Lakh Crore, largely in line with the market expectation and the gross fiscal deficit was estimated at 5.9 per cent of GDP. Overall, a fiscal consolidation of 50 basis points has been achieved, along with a push on investment.

2. Equity & Mutual Funds

FY 2022-23 proved to be a rough year for equity markets. The turbulence can be attributed to interest rate hikes, liquidity tightening, foreign investment outflows, geo political tension and the resulting soaring of fuel and food prices.

The S&P BSE Sensex closed at 58,991.52, while the Nifty 50 closed at 17,359.75 on 31st March, 2023. Over the past one year, the S&P BSE Sensex gained 0.72 per cent while the Nifty 50 declined 0.6 per cent during the same period.

3. Forex

USD/INR traded in the range of 76 to 83 per dollar during the year. The Indian Rupee depreciated against USD during the year on account of geo-political tensions, rate hikes by US FED to contain rising inflation, hardening US treasury yields, which led to outflows of USD from Indian economy. However, rupee performed better than most of the other emerging market currencies. It finally closed at USD/INR 82.1750 on 31st March, 2023.

XI. CUSTOMER CARE

The Bank fully realizes the importance of customer service and continues to lay utmost priority to render prompt and efficient service to customers. To achieve the objective, the bank has introduced many digital initiatives in the past year to enhance the customer experience like online debit and credit card, pre-approved personal loan, whatsapp banking, revamped PNB One with many added features etc. In order to achieve the desired objective, the Bank has formulated a robust Grievance Redressal Policy keeping in view the guidelines issued by Reserve Bank of India on Customer Service. The Bank is ensuring the redressal of the grievances of customers within the framework laid down in the said policy.

The Bank has an on-line Grievance Redressal Management Portal called Centralized Grievance Redressal Management System (CGRMS), which is in-house Portal. Through this system, the customer

और वह शिकायत का ट्रैक भी रख सकता है। ग्राहक अपने अनुरोध/शिकायतें बैंक की वेबसाइट, इंटरनेट बैंकिंग सेवा, मोबाइल बैंकिंग सेवा और मोबाइल ऐप के माध्यम से सीजीआरएमएस में दर्ज करा सकते हैं।

बैंक द्वारा प्राप्त शिकायतों की स्थिति की समीक्षा बोर्ड की एक उप–समिति द्वारा "बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति", तिमाही आधार पर की जाती है। समिति की बैठकों की अध्यक्षता प्रबंध निदेशक एवं सीईओ द्वारा की जाती है।

दामोदरन समिति की संस्तुतियों के अनुसार बैंक के पास एक आंतरिक लोकपाल है। यह प्रणाली बैंक द्वारा शिकायतों के निवारण में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करती है।

सभी शाखाओं और मंडल कार्यालयों में **ग्राहक सेवा समितियां** ग्राहक सेवा की गुणवत्ता की जांच करती हैं और ग्राहक सेवा में सुधार के लिए प्रतिक्रिया/सुझावों की बारीकी से जाँच करती हैं। ये समितियां माह में एक बार बैठक आयोजित करती हैं जहाँ कर्मचारी और आमंत्रित ग्राहक सेवा से संबंधित मुद्दों पर खुलकर बातचीत करती हैं।

प्रत्येक माह एक मासिक पत्रिका **"कस्टमर स्पीक्स"** प्रकाशित की जाती है जिसमें ग्राहकों द्वारा दर्ज की गई चुनिंदा शिकायतें और शिकायतकर्ताओं को प्रदान की गई कार्रवाई/समाधान का भी उल्लेख किया जाता है। बैंक के अधिकारियों की सेवा की सराहना करते हुए ग्राहकों द्वारा जारी किए गए प्रशंसा पत्र भी पत्रिका में प्रकाशित किए जाते हैं। फील्ड स्टाफ के लाभ के लिए ग्राहक सेवा, उत्पादों और सेवाओं से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर बैंक के दिशानिर्देशों को पत्रिका में हाइलाइट किया गया है।

बैंक के उत्पादों और सेवाओं के बारे में फील्ड स्टाफ के बीच जागरूकता बढ़ाने और उन्हें अति महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में जागरूक करने के लिए सभी शाखाओं में मासिक अंतराल पर थीम आधारित बैठकें पूर्व–निर्धारित तिथि और थीम पर आयोजित की जा रही हैं।

शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए बैंक ने समस्त अंचल कार्यालय/मंडल कार्यालय स्तर पर उप अंचल प्रबंधक/उप मंडल प्रमुख के पद वाले मुख्य ग्राहक कार्यपालक अधिकारी (सीसीईओ) को नामित किया है, जिससे ग्राहक अपनी शिकायत के निवारण के लिए संपर्क कर सकता है। मुख्य ग्राहक कार्यपालक अधिकारी (सीसीईओ) का संपर्क विवरण बैंक की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया गया है।

कॉल सेंटर में ग्राहक सेवा एजेंटों (सीएसए) के लिए नियमित प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाते है ताकि वे ग्राहकों की कॉल को अच्छी तरह से हैंडल कर सकें और ग्राहकों को

gets an immediate acknowledgement and can keep a track of the complaint also. Customers can lodge their requests/complaints in the CGRMS through Bank's website, Internet Banking Service, Mobile Banking Service and Mobile App.

The status of complaints received by the Bank is reviewed by "Customer Service Committee of the Board", a Sub-Committee of the Board, on quarterly basis. The meetings of the Committee are presided over by Managing Director & CEO.

The Bank has in place an Internal Ombudsman as per the recommendations of the Damodaran Committee. The system ensures greater transparency in the redressal of grievances by the Bank.

Customer Service Committees in all the branches and Circle Offices look into the quality of customer service rendered and critically examine the feedback/suggestions for improvement in customer service. These committees meet once in a month where staff and the invited customers interact freely on service-related issues.

A monthly magazine **"Customer Speaks"** is published in which selected complaints filed by customers and the action taken/resolution provided to the complainants are also mentioned. Appreciation letters issued by customers appreciating the service of officials of the bank are also published in the magazine. Bank's guidelines on important issues pertaining to customer service, products and services are highlighted in the magazine for the benefit of field staff.

Theme Based Meetings are being conducted at monthly intervals in all branches on a pre-decided date and theme to improve awareness among field staff about bank's products and services, and to sensitize them about the issues of maximum importance.

For faster resolution of complaints Bank has designated **Chief Customer Executive Officer (CCEO)** with the rank of Dy. Zonal Manager /Dy. Circle Head at all ZOs/COs level whom a customer can approach for redressal of his grievance. The contact details of CCEOs have also been displayed at Bank's website.

Regular training sessions are arranged at Call Centre for Customer Service Agents (CSAs) so that they can handle customers call properly & resolve their trivial

उत्पादों / सेवाओं के बारे में सही / नवीनतम जानकारी देकर उनकी छोटी छोटी समस्याओं का समाधान कर सके।

बैंक के पास दो अग्रणी सेवा प्रदाताओं के माध्यम से 24 x 7 x 365 आधार पर अपने ग्राहकों को टेली–बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए गुरुग्राम तथा नोएडा में अत्याधुनिक संपर्क केंद्र हैं। इन दो प्राथमिक केंद्रों के अतिरिक्त, बैंक ने 13 भाषाओं में अपने ग्राहकों को टेली–बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए देहरादून और भोपाल में दो अन्य संपर्क केंद्र भी स्थापित किए हैं।

ग्राहक की शिकायतें दो ऑनलाइन पोर्टलों अर्थात सीजीआरएमएस पोर्टल और संपर्क केंद्र के सीआरएम पोर्टल में प्राप्त और संग्रहित की जाती हैं। सीजीआरएमएस पोर्टल और सीआरएम पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों की प्रकृति क्रमशः गैर–डिजिटल और डिजिटल लेनदेन से संबंधित है

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान कुल 17,06,462 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 3,51,425 शिकायतों का समाधान इसकी प्राप्ति के टी+1 दिनों के भीतर कर दिया गया। ऐसे में इन्हें शिकायत नहीं माना गया है। इसलिए, वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या 13,55,037 है। इसका पोर्टल वार ब्रेक–अप निम्नानुसार है:

- वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, कुल 1,24,048 शिकायतों में से (अर्थात 31 मार्च, 2022 तक 907 लंबित शिकायतें और वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान प्राप्त 1,23,141 शिकायतें), सीजीआरएमएस पोर्टल में 31 मार्च, 2023 तक 1,22,805 शिकायतों का समाधान शिकायतकर्ता की संतुष्टि तक कर दिया गया था।
- इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, कुल 12,61,591 शिकायतों में से (अर्थात 31 मार्च, 2022 तक 29,695 लंबित शिकायतें और वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान प्राप्त 12,31,896 शिकायतें), ग्राहक संबंध प्रबंधन पोर्टल (सीआरएम) में 31 मार्च, 2023 तक 12,39,649 शिकायतों का समाधान शिकायतकर्ता की संतुष्टि तक कर दिया गया था।

ग्राहक सेवा में सुधार के लिए की गई पहल

1. संपर्क केंद्र की क्षमताओं को बढ़ाने और ग्राहकों हेतु स्वयं सेवा की सुविधा प्रदान करने के लिए, वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान आईवीआर के माध्यम से स्वयं सेवाओं की संख्या को बढ़ाकर 16 कर दिया गया है, जिसमें संदिग्ध और अनधिकृत लेनदेन और टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करने के मामले में उनके खाते को डेबिट–फ्रीज करने की सुविधा भी शामिल है।
2. बैंक ने सेवा के स्तर का आकलन करने के लिए शाखाओं का

issues by giving correct/latest information that customer wants about the products/services.

The Bank has **state-of-the-art Primary Contact Centers at Gurugram and Noida** to provide tele-banking services to its customers on 24 x 7 x 365 basis through two leading Service Providers. In addition to these two Primary Sites, the Bank has also established two Secondary Contact Centers at Dehradun and Bhopal to provide tele-banking services to its customers in 13 languages.

The customer's complaints are received and stored in two online portals i.e CGRMS Portal and Contact Centre's CRM Portal. The nature of complaints received at CGRMS Portal and CRM Portal are largely Non- Digital & Digital transaction related respectively

A total of 17,06,462 complaints were received during the FY 2022-23, out of which 3,51,425 complaints were resolved within T+1 days of its receipt. As such, these have not been treated as complaints. Therefore, the total number of reported complaints received during the FY 2022-23 is 13,55,037. The portal wise break-up of the same is as under:

- During FY 2022-23, out of a total number of 1,24,048 complaints (i.e., 907 complaints outstanding as on 31st March, 2022, and 1,23,141 complaints received during FY 2022-23), 1,22,805 complaints were resolved up to the satisfaction of the complainant, till 31st March, 2023 in CGRMS Portal.
- Further, during FY 2022-23, out of a total number of 12,61,591 complaints (i.e., 29,695 complaints outstanding as on 31st March, 2022, and 12,31,896 complaints received during FY 2022-23), 12,39,649 complaints were resolved up to the satisfaction of the complainant, till 31st March, 2023 in Customer Relationship Management Portal (CRM).

Initiatives undertaken for improvement in customer service

1. To augment the capabilities of Contact Centre and facilitate self-service for customers, the number of self-services through IVR have been increased to 16 during FY 2022-23 including facility of marking debit-freeze their account in case of suspicious & unauthorized transaction and issuance of TDS Certificate.
2. The Bank has constituted teams of officials at

औचक निरीक्षण करने हेतु प्रधान कार्यालय, अंचल कार्यालयों और मंडल कार्यालयों में ग्राहक सेवा केंद्र में अधिकारियों की टीमों का गठन किया है। वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, बैंक के अधिकारियों ने पूरे भारत में 18,562 औचक दौरे किए। दौरा करने वाले अधिकारियों द्वारा बताई गई कमियों को संबंधित शाखाओं/मंडल कार्यालयों के साथ सुधारात्मक कदम उठाने के लिए साझा किया जा रहा है।

3. इस संबंध में माह फरवरी–मार्च 2023 के दौरान सोशल मीडिया, संपर्क केन्द्रों, ईमेल एवं एसएमएस के माध्यम से नामांकन बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। ग्राहकों को नामांकन के बारे में जागरूक करने के लिए, सोशल मीडिया पर क्रिएटिव साझा किए जाते हैं, ऐसे खाताधारकों को एसएमएस भेजे जाते हैं और बैंक की वेबसाइट पर संदेश प्रदर्शित किया जाता है और ईमेल के माध्यम से खाता विवरण भेजा जाता है।

4. ग्राहक को बैंक सेवा के बारे में शिक्षित करने के लिए नियमित रूप से सोशल मीडिया (फेसबुक और ट्विटर) पर क्रिएटिव प्रकाशित किए जाते हैं, जैसे मिस्ड कॉल पर बैलेंस पूछताछ, और धोखाधड़ी वाले कॉल पर अपनी क्रेडेंशियल साझा न करना और जमा खाते में नामांकन दर्ज करना।

5. ग्राहकों के लिए डोर स्टेप बैंकिंग सेवाओं की सुविधा प्रदान की गई है, जिसमें वे अपने घर बैठे ही सूचीबद्ध वित्तीय/गैर–वित्तीय बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।

XII. बैंक में राजभाषा हिंदी का कार्यान्वयन

पंजाब नैशनल बैंक राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन में सदैव अग्रणी रहा है। आपके बैंक ने राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, संसदीय राजभाषा समिति और वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय से प्राप्त निर्देशों का अनुपालन करने के सार्थक प्रयास जारी रखे। आपके बैंक ने राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी वित्तीय वर्ष 2022–23 के वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित अधिकांश लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है।

हम सहर्ष सूचित करते हैं कि वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान आपके बैंक को "क" क्षेत्र के लिए भारत सरकार के सर्वोच्च "राजभाषा कीर्ति" पुरस्कार के अंतर्गत द्वितीय पुरस्कार तथा नराकास दिल्ली, जिसका संयोजन पंजाब नैशनल बैंक के पास है, को "राजभाषा कीर्ति" प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। गृह मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय से बैंक के विभिन्न कार्यालयों को कुल 11 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। साथ ही विभिन्न सरकारी संस्थाओं से कुल 26 से अधिक पुरस्कार हमारे बैंक के विभिन्न कार्यालयों/स्टाफ सदस्यों द्वारा प्राप्त किए गए हैं।

Customer Care Centre at Head Office, Zonal Offices and Circle Offices to pay surprise visits to branches to assess standard of service. During FY 2022-23, officials of the Bank made 18,562 surprise visits across India. Deficiencies pointed out by the visiting officials are being shared with the concerned branches/Circle Offices for taking corrective steps.

3. Special Campaign for increasing nomination in accounts was launched through social media, Contact Centre's, Email & SMS, during the month of Feb-Mar 2023. In order to make customers aware about nomination, creatives are shared on Social Media, SMS are sent to such account holders and message is displayed at Bank's website and on Statement of account being sent through email.

4. Creatives are published at Social Media (Facebook &Twitter) on regular basis to educate customer about Banks service such as, Balance enquiry on Missed Call, and not to share their credentials over fraudulent calls and for registering nomination in deposit account.

5. Facility of Door Step Banking Services has been extended to customers, wherein they can avail the listed financial/non-financial banking services at the convenience of their home.

XII. IMPLEMENTATION OF OFFICIAL LANGUAGE

Punjab National Bank has always been pioneer in implementation of Official language Hindi. Your Bank continued to make concerted efforts to comply with the instructions received from Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Government of India, Committee of Parliament on Official Language and Department of Financial Services, Ministry of Finance. Your Bank has achieved most of the targets prescribed in annual programme for the Financial Year 2022-23 issued by Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Government of India.

We are pleased to inform that during FY 2022-23, your Bank has been awarded 2nd Prize under the highest "Rajbhasha Kirti" award of the Government of India for "A" Region and Delhi Bank Narakas, Whose convener is Punjab National Bank, was given first prize "Rajbhasha Kirti" award. A total of 11 award have been received by various offices of the bank from the Regional Implementation Office of the Ministry of Home Affairs. Also, more than 265 awards from various institution have been received by various offices/staff members of our Bank.

1. राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में किए गए विशेष कार्य:

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, पंजाब नेशनल बैंक ने बैंक में राजभाषा के प्रगामी प्रयोग को और बढ़ाने के लिए कारगर प्रयास जारी रखे।

ए. गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रम और बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित राजभाषा कॉरपोरेट कार्य योजना में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए गहन निगरानी की गई। बैंक की राजभाषा नीति बोर्ड द्वारा अनुमोदित की गई।

बी. बैंक में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए लाला लाजपत राय शील्ड योजना, अन्य प्रोत्साहन योजनाओं तथा हिंदी प्रतियोगिताओं के विजेता कार्यालयों/कर्मचारियों को पुरस्कार प्रदान किए गए।

सी. बैंक की त्रैमासिक गृह पत्रिका "पीएनबी प्रतिभा" और अंचल कार्यालयों की अर्धवार्षिक हिंदी पत्रिकाएं नियमित रूप से प्रकाशित की गईं। विभिन्न स्तरों पर स्थापित हिंदी पुस्तकालय में हिंदी पुस्तकें उपलब्ध कराई गई।

डी. पीएनबी ने देश भर में 28 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के संयोजक की जिम्मेदारी का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया है। इन समितियों की अर्धवार्षिक बैठकें नियमित रूप से आयोजित की गईं और वर्ष के दौरान हिंदी प्रतियोगिताएं, हिंदी कार्यशालाएं, हिंदी सेमिनार आदि आयोजित किए गए।

ई. अखिल भारतीय स्तर पर अंतर बैंक हिंदी निबंध प्रतियोगिता "आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में एमएसएमई का योगदान" विषय पर आयोजित की गई।

एफ. बैंक द्वारा वर्ष 2022–23 के दौरान मौलिक पुस्तक लेखन योजना (कार्यरत एवं सेवानिवृत्त स्टाफ के लिए) के अंतर्गत कुल 8 पुस्तकों को पुरस्कृत किया गया।

जी. पीएनबी के पात्र कार्यालयों को राजभाषा विभाग 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत भारत सरकार के राजपत्र में अधिसूचित करवाया गया।

एच. बैंक की योजनाओं और उत्पादों से संबंधित प्रचार और प्रचार अभियानों में हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग किया गया।

आई. मई 2022 में वित्त मंत्रालय के निर्देशन में दिल्ली स्थित सभी बैंकों व वित्तीय संस्थाओं/बीमा कंपनियों के लिए एकदिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

जे. बैंक के सेवारत कर्मचारियों के लिए हिंदी में उच्चतर योग्यता प्राप्त करने पर प्रोत्साहन योजना लागू की गई।

1. Special works done in the field of official language implementation:

During the FY 2022-23, Punjab National Bank continued to make effective efforts to further increase the progressive use of official language in the bank.

a. Intensive monitoring was done to achieve the targets prescribed in the Annual Program of Department of Official Language, Ministry of Home Affairs and Rajbhasha Corporate Action Plan duly approved by the Board.

b. Awards were given to winner offices/employees of Lala Lajpat Rai Rajbhasha Shield Scheme, other incentive schemes and Hindi competitions to increase the use of Hindi in the bank.

c. Bank's quarterly home magazine **"PNB Pratibha"** and half yearly Hindi magazines of Zonal Offices were published regularly. Hindi books were made available in Hindi libraries established at various level.

d. PNB has efficiently discharged the responsibility of convener of 28 Town Official Language Implementation Committees across the country. Half yearly meetings of these committees were organized regularly and Hindi competitions, Hindi workshops, Hindi seminars etc. were organized during the year.

e. All India level Inter Bank Hindi Essay Competition was organized on the subject "Contribution of MSMEs in building Atmanirbhar Bharat".

f. A total of 8 books were awarded by the Bank under the Original Book Writing Scheme (for working and retired staff) during the FY 2022-23.

g. The eligible offices of PNB were notified in the Government of India Gazette under Rule 10(4) of the Official Language Rules, 1976.

h. Hindi and regional languages were used in publicity and promotional campaigns related to the Bank's schemes and products.

i. In May 2022, under the direction of the Ministry of Finance, one day workshop was organized for all the banks and financial institutions/insurance companies located in Delhi.

j. An incentive scheme was implemented on obtaining higher degree in Hindi for working employees of the bank.

2. बाह्य निरीक्षण /राजभाषा संगोष्ठी / सम्मेलनः

ए. श्रीमती अंशुली आर्य, (आईएएस), सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय ने दिनांक 22.12.2022 को बैंक के एसटीसी में दिल्ली बैंक नराकासों के वार्षिक समारोह में सदस्य बैंकों/संस्थानों के विजेता को पुरस्कृत किया और बैंक द्वारा हिंदी में किए गए कार्यों की सराहना की।

बी. वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रधान कार्यालय और मदुरै शाखा के निरीक्षण के दौरान राजभाषा के कार्यान्वयन की सराहना की गई।

सी. संसदीय राजभाषा समिति की आलेख एवं साक्ष्य उपसमिति द्वारा सोनीपत मुख्य शाखा का राजभाषाई निरीक्षण किया गया।

डी. संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप समिति द्वारा बैंक की शाखा: रूद्रप्रयाग, मंडल कार्यालय: श्रीनगर, मंडल कार्यालयः उदयपुर एवं अंचल कार्यालयः भोपाल के निरीक्षण के दौरान हिंदी में किए गए कार्य की सराहना की गई।

ई. बैंक में हिंदी दिवस व हिंदी माह उत्साह पूर्वक मनाया गया। प्रधान कार्यालय में आयोजित मुख्य राजभाषा समारोह में माननीय प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय एवं कार्यपालक निदेशकगण द्वारा श्रेष्ठ राजभाषा कार्यान्वयन हेतु विजेताओं को लाला लाजपत राय शील्ड प्रदान की गई। तत्पश्चात आयोजित कवि सम्मेलन में प्रख्यात कवि श्री सुरेन्द्र शर्मा एवं कवियित्री प्रो. सीता सागर द्वारा प्रस्तुति दी गई।

एफ. बैंक के राजभाषा अधिकारियों का अखिल भारतीय सम्मेलन सह समीक्षा बैठक का आयोजन क्षेत्र 'क' 'ख' एवं 'ग' के लिए क्रमशः लखनऊ, चंडीगढ़ एवं चेन्नई में किया गया। सभी कार्यालयों का राजभाषा निरीक्षण एवं वार्षिक समीक्षा बैठकों के द्वारा गहन मॉनिटरिंग की गई।

3. सूचना प्रौद्योगिकी में हिंदी के प्रयोग में हुई प्रगतिः

ए. एचआरएमएस में हिंदी ज्ञान रोस्टर का ऑनलाइन मॉड्यूल जोड़ा गया।

बी. हिंदी में कार्य सुगमता पूर्वक करने के लिए विभिन्न विभागों से संबंधित दैनिक पत्रों/कार्यालय टिप्पणियों के "मानक ड्राफ्ट" बैंक के ई-पोर्टल पर उपलब्ध है।

सी. बैंक द्वारा ग्राहकों को प्रदान किए जा रहे नए उत्पाद व्हाट्सएप बैंकिंग को ग्राहकों की ही भाषा में प्रस्तुत करने हेतु व्हाट्सएप बैंकिंग का हिंदी संस्करण जारी किया गया है।

2. External Inspection/Official Language Seminar/ Conference:

a. Smt. Anshuli Arya, (IAS), Secretary, Rajbhasha Vibhag, Ministry of Home Affairs awarded the winner of Member Banks/Institutions on 22.12.2022 in Annual Function of Delhi Bank Narakas in Bank's STC and appreciated the work done in Hindi by the Bank.

b. Implementation of official language was appreciated by officials of Ministry of Finance, Department of Financial Services during inspections of Head Office and Madurai Branch.

c. The official language inspection of Sonepat main branch was done by the Draft and Evidence sub-committee of the Parliamentary Committee on Official Language.

d. The work done in Hindi was appreciated by The Third Sub-Committee of the Parliamentary Committee on Official Language during the inspections of Bank's branch: Rudraprayag, Circle Office: Srinagar, Circle Office: Udaipur and Zonal Office: Bhopal.

e. Hindi Day and Hindi Month were celebrated enthusiastically in the Bank. Lala Lajpat Rai Shield was given to the winners by Managing Director and Chief Executive Officer and Executive Directors in the main official language function organized at Head office. Kavi Sammelan was also organized, which was graced by renowned poet Surendra Sharma and poetess Prof. Sita Sagar.

f. All India Conference cum Review Meeting of Official Language Officers of the Bank was organized for Zone 'A', 'B' and 'C' at Lucknow, Chandigarh and Chennai respectively. Intensive monitoring was done through official language inspections and annual review meetings of all the offices.

3. Progress made in the use of Hindi in Information Technology:

a. Online module of Hindi Knowledge Roster added in HRMS.

b. **"Standard Draft"** of routine letters/office notes related to various department for easily doing work in Hindi is available on Bank's e-portal.

c. Hindi version of new product WhatsApp Banking has been launched to provide the facility of doing banking in Hindi to the customers.

डी. एटीएम में हिंदी व क्षेत्रीय भाषा उपलब्ध है।

ई. ग्राहकों को उनके द्वारा चुनी गई भाषा (हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषाओं) में एसएमएस अलर्ट भेजे गए।

एफ. बैंक की वेबसाइट हिंदी और अंग्रेजी द्विभाषी रूप में उपलब्ध है। 'पीहू चैटबोट' हिंदी में भी उपलब्ध है।

जी. सभी शाखाओं, मंडलों, अंचलों और प्रधान कार्यालय के प्रभागों की ऑनलाइन हिंदी रिपोर्टिंग 'राजभाषा वेब पोर्टल' पर की गई।

एच. फिनेकल और एचआरएमएस का द्विभाषीकरण लिंग्विफाई सॉफ्टवेयर के अद्यतन वर्जन के माध्यम से किया गया, जिसके माध्यम से ग्राहक पासबुक, सीडीआर / एफडीआर आदि हिंदी में भी प्राप्त कर सकते हैं।

आई. स्टाफ सदस्यों को कम्प्यूटर पर हिन्दी में कार्य करने हेतु ई–टूल्स का प्रशिक्षण दिया गया।

जे. बैंक के मोबाइल बैंकिंग ऐप "पीएनबी वन" को हिंदी सहित विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में नए स्वरूप में लागू किया गया।

के. इंटरनेट बैंकिंग हिंदी के साथ क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध है।

एल. बैंकिंग विषयों पर प्रतिदिन एक पॉडकॉस्ट हिंदी में जारी किया जा रहा है।

एम. कर्मचारियों के लिए बैंक के ई–लर्निंग पोर्टल पीएनबी यूनिव पर हिंदी के 3 ऑनलाइन कोर्स जारी किए गए, जिन्हें पास करने पर कर्मचारियों को कार्यनिष्पादन मूल्यांकन में अंक दिए जाते हैं।

एन. ग्राहकों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले फार्म हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध है।

XIII. पीएनबी के सहायक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

1. घरेलू

ए. पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड: वित्त वर्ष 2022–23 को अधिकांश वर्ष के लिए प्रतिफल में मजबूती के साथ चिन्हित किया है, और वर्ष के अंत में कुछ नरमी देखी गई। कच्चे तेल की बढ़ी हुई कीमतें और लगातार मुद्रास्फीति के दबाव के बीच प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में मौद्रिक नीति के कड़े होने के कारण बेंचमार्क प्रतिफल में 61 बीपीएस की सख्ती के साथ वर्ष की शुरुआत हुई। वित्त वर्ष 2022–23 की दूसरी तिमाही के अंत के दौरान, अमेरिकी मौद्रिक नीति पर फेड अधिकारियों की आक्रामक टिप्पणी के कारण प्रतिफल में रुक–रुक कर वृद्धि

d. Hindi and regional language are available in ATM.

e. SMS alerts have been sent to customers in their preferred language (Hindi and regional language).

f. The Bank's website is available bilingually in Hindi and English. **"Pihu Chatbot"** is also available in Hindi.

g. Online Hindi reporting of all the Branches, Circles, Zones and Divisions of the Head Office was done on the 'Rajbhasha web portal'.

h. Bilingualization of Finacle and HRMS was done through Linguify software updated version, through which customers can get passbook, CDR/FDR etc. in Hindi also.

i. Staff members were given training of e-tools to work in Hindi on computer.

j. **PNB ONE'** was implemented in the new revamped look in various regional languages including Hindi.

k. Internet Banking available in Hindi as well as in regional languages.

l. A daily Hindi podcast is being released on banking subject.

m. For the employees, 3 online Hindi courses were introduced on the bank's e-learning portal PNB Univ, on passing which the employees are given marks in Performance Appraisal.

n. Forms to be used by customers are available in Hindi and regional languages.

XIII. PNB'S SUBSIDIARIES AND REGIONAL RURAL BANKS

1. DOMESTIC

a. **PNB Gilts Ltd.:** FY 2022-23 was characterized by firming up of yields for most of the year, and witnessed some moderation while approaching towards the end. The year began with hardening of the benchmark yield by 61 bps due to higher crude oil prices and monetary policy tightening across the major global economies amid persisting inflationary pressure. During the end of Q2 FY 2022-23, yields increased intermittently on the back of hawkish commentary by Fed officials on US monetary

हुई, हालांकि, कच्चे तेल की कीमतों में आसानी और वैश्विक बॉन्ड सूचकांकों में भारत के बाण्ड को शामिल करने की बढ़ती उम्मीदों से ऑफसेट किया गया। दूसरी छमाही के दौरान, जी–सेक प्रतिफल शुरुआत में सख्त हो गई, यूएस फेड द्वारा 75 बीपीएस दर वृद्धि और इसके हौकिश मार्गदर्शन के बाद रिज़र्व बैंक द्वारा नीतिगत रेपो दर में वृद्धि की गई। इसके बाद, जेपी मॉर्गन द्वारा अपने व्यापक रूप से ट्रैक किए गए इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड इंडेक्स में भारत सरकार के बॉन्ड को शामिल करने से रोके जाने के बाद भी बाजार की धारणा प्रभावित हुई। तीसरी तिमाही के अंत में, बॉन्ड प्रतिफल ने अमेरिकी ट्रेजरी प्रतिफल में कमी और अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के साथ नरमी का रुख बढ़ाया। पिछली तिमाही में मध्य और दीर्घ दिनांकित सेगमेंट में रेंज बाउंड ट्रेडिंग चिह्नित की गई, जबकि कम दिनांकित प्रतिफल में निरंतर दर वृद्धि की उम्मीदों के कारण काफी वृद्धि हुई। मार्च 2023 में, बैंक के पतन के बाद अमेरिकी प्रतिफल से संकेत लेते हुए प्रतिफल में नरमी आई, जिसने निवेशकों को सुरक्षित संपत्ति की ओर आकर्षित किया, जिसका भारतीय प्रतिफल पर भी लाभकारी प्रभाव पड़ा।

वर्ष के दौरान, 10–वर्षीय बेंचमार्क प्रतिफल क्रमशः 7.62 प्रतिशत और 6.84 प्रतिशत के उच्च और निम्न स्तर को पार रहा और 31 मार्च, 2023 को 7.32 प्रतिशत पर बंद हुआ।

बिगड़ती बाजार परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में, पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड ने प्राथमिक और द्वितीयक बाजार दोनों में आरबीआई द्वारा अनिवार्य प्राथमिक डीलर के रूप में अपने सभी दायित्वों को पूरा करना जारी रखा। वित्त वर्ष 2021–22 के पीबीटी के दौरान 210.15 करोड़ के पीबीटी की तुलना में वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान कंपनी ने कर पश्चात लाभ (पीएटी) रु. (85.07) करोड़ रुपये दिया। वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान कोर 165.71 करोड़ की तुलना में वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान कर पश्चात लाभ (पीएटी) की राशि कोर रु. (77.22) करोड़ रुपये रही। पूंजी पर्याप्तता प्राथमिक डीलरों (पीडी) के लिए न्यूनतम 15 प्रतिशत के नियामक न्यूनतम से काफी ऊपर जो 31 मार्च, 2023 को 31.83 प्रतिशत पर अपने जोखिम भारित संपत्ति अनुपात (सीआरएआर) मजबूत स्थिति में है।

बी. पीएनबी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज लिमिटेड (पीएनबीआईएसएल): कंपनी अपने संचालन के पहले वर्ष से ही लाभ कमाने वाली कंपनी है। 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने 7.35 करोड़ रुपये की परिचालन (शुल्क–आधारित) आय और 9.59 करोड़ रुपये की शुल्क–आधारित आय और कुल आय की तुलना में 9.98 करोड़ रुपये की कुल आय दर्ज की। 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए 12.10 करोड़ रुपये था।

policy, which was however, offset by ease in crude oil prices and rising expectations over likely inclusion of India's bond in global bond indices. During the second half, G-sec yields hardened in the beginning, taking cues from the sharp surge in US treasury yields following the 75 bps rate hike by the US Fed and its hawkish forward guidance, followed by the policy repo rate hike by the Reserve Bank. Subsequently, the market sentiment was also dented after JP Morgan held off the inclusion of Indian government bonds in its widely tracked emerging market bond index. Towards the end of the third quarter, bond yields extended a softening bias in tandem with the easing of US treasury yields and the decline in international crude oil prices. The last quarter marked the range bound trading in the mid and longer dated segment, while shorter dated yields firmed up significantly due to continued rate hike expectations. In March 2023, the yields softened, taking cues from US yields following bank collapses, which drove investors to safe assets, which had a salutary impact on Indian yields as well.

During the year, the 10-yr benchmark yield touched a high and low of 7.62 per cent and 6.84 per cent respectively and closed at 7.32 per cent as on 31st March, 2023.

Against the backdrop of deteriorating market conditions, PNB Gilts Ltd continued to fulfill all its obligations as a Primary Dealer mandated by RBI both in Primary and Secondary market. Company posted a Profit Before Tax (PBT) of Rs. (85.07) Crore during FY 2022-23 vis-à-vis PBT of Rs. 210.15 Crore during FY 2021-22. Profit after Tax (PAT) amounted to Rs. (77.22) Crore during FY 2022-23 as against Rs. 165.71 Crore during FY 2021-22. Capital adequacy remains strong with its Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) at 31.83 per cent as on 31st March, 2023 well above the regulatory minimum of 15 per cent for Primary Dealers (PDs).

b. PNB Investment Services Limited (PNBISL): The Company is a profit-making company from the very first year of its operations. During the year ended as on 31st March, 2023, the Company registered operational (fee-based) income of Rs.7.35 Crore and total income of Rs.9.98 Crore as against a fee- based income of Rs.9.59 Crore

31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के दौरान कर पूर्व लाभ 31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के 6.10 करोड़ रुपये की तुलना में 4.85 करोड़ रुपये था।

and total income of Rs.12.10 Crore for the year ended as on 31st March, 2022. Profit before Tax during the period ended as on 31st March 2023 was Rs.4.85 Crore as against Rs.6.10 Crore for the period ended as on 31st March, 2022.

कंपनी तीन वर्टिकल में काम करती है, जैसे कॉर्पोरेट एडवाइजरी, मर्चेंट बैंकिंग और सिक्योरिटी ट्रस्टी। कॉर्पोरेट एडवाइजरी वर्टिकल में, वर्ष के दौरान पीएनबीआईएसएल ने ऋण सिंडिकेशन, ऋण समाधान और अन्य कॉर्पोरेट सलाहकार असाइनमेंट सहित विभिन्न लेनदेन पर कई प्रमुख व्यावसायिक समूहों और कॉर्पोरेट ग्राहकों को सलाह दी। इन–हाउस विशेषज्ञता और चुनिंदा क्षेत्रों की गहरी समझ के साथ, पीएनबीआईएसएल ने अपने ग्राहकों को विश्वसनीय तकनीकी–आर्थिक व्यवहार्यता (टीईवी) रिपोर्ट तैयार की और वितरित की।

The company operates in three verticals, namely Corporate Advisory, Merchant Banking and Security Trustee. In the Corporate Advisory Vertical, during the year PNBISL advised many marquees business groups and corporate clients on various transactions, including debt syndication, debt resolution and other corporate advisory assignments. With in-house expertise and deep understanding of select sectors, PNBISL prepared and delivered credible Techno-Economic Viability (TEV) reports to its clients.

मर्चेंट बैंकिंग वर्टिकल में, पीएनबीआईएसएल ने एआरसीआईएल हिस्सेदारी बिक्री लेनदेन के वित्तीय समापन में सक्रिय रूप से भाग लिया। इक्विटी कैपिटल मार्केट टीम ने टीयर 1 बॉन्ड इश्यू और एनसीडी इश्यू के बैंकों / एनबीएफसी के लिए 1000 करोड़ से अधिक धन प्लेसमेंट में भी भाग लेना शुरू किया। कंपनी ने पहली बार छोटे स्तर पर इस प्लेसमेंट की शुरुआत की थी। कंपनी ने सेबी के पास एक आईपीओ (लगभग रु. 130– रुपये 150 करोड़), बीएसई के साथ राइट्स इश्यू (लगभग रु. 25 करोड़) और वर्ष के दौरान एक ओपन ऑफर असाइनमेंट उचित राजस्व उत्पन्न करता है।

In Merchant Banking Vertical, PNBISL actively participated in financial closure of ARCIL stake sale Transaction. The Equity Capital Market team also commenced participating in placement of Tier 1 Bonds Issuances and NCDs Issuances mobilizing Rs. 1000 Crore plus funds for Banks/NBFCs. The Company had commenced this placement for the first time in a small way. The company also filed with SEBI an IPO (approx Rs. 130- Rs. 150 Crore), Rights Issue (approx. Rs. 25 Crore) with BSE and an open offer assignment during the year generating reasonable revenues.

ट्रस्टीशिप व्यवसाय में, पीएनबीआईएसएल मध्यम स्तर के व्यवसायों को भी अपनी सेवाएं प्रदान करने वाले दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों में प्रवेश करने में सक्षम था। अपनी त्वरित और गुणवत्तापूर्ण सेवा के साथ–साथ बाजार की आवश्यकता के साथ कार्ड दरों को फिर से व्यवस्थित करने के साथ, कंपनी नए ग्राहकों को जोड़ना जारी रखती है और अग्रणी बैंकों और कॉरपोरेट्स का एक विश्वसनीय भागीदार बनने के लिए अपनी रणनीति का निर्माण करती है।

In the Trusteeship business, PNBISL was able to permeate into the second & third Tier cities offering its services to medium scale businesses as well. With its prompt and quality service as also realigning the card rates with market requirement, the company continues to add on new clients and build on its strategy to be a trusted partner of leading banks and corporates.

आगे बढ़ते हुए, कंपनी मूल बैंक और उसके सभी हितधारकों को अधिक मूल्य प्रदान करने के लिए क्रेडिट मूल्यांकन और ऋण सिंडिकेशन सेवाओं, टीईवी परामर्श, मर्चेंट बैंकिंग सेवाओं और सुरक्षा ट्रस्टीशिप सेवाओं जैसे व्यावसायिक कार्यक्षेत्रों में अपनी क्षमताओं का निर्माण करने के लिए प्रतिबद्ध है।

Going forward, the company is committed to build on its capabilities across business verticals such as credit appraisal & debt syndication services, TEV consultancy, Merchant Banking services and Security Trusteeship services to offer greater value to the parent bank and all its stake holders.

सी. **पीएनबी कार्ड्स एंड सर्विसेज लिमिटेड (पीएनबीसीएसएल) :** पीएनबीसीएसएल, पंजाब नैशनल बैंक (पीएनबी) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जिसे 16 मार्च, 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन पत्र दिनांक 7 दिसंबर, 2020 के अनुसार पंजाब नैशनल बैंक के क्रेडिट कार्ड व्यवसाय से संबंधित गैर–वित्तीय सहायता

c. **PNB Cards and Services Limited (PNBCSL):** PNBCSL is a wholly-owned subsidiary of Punjab National Bank (PNB) incorporated on March 16, 2021 in terms of RBI approval letter dated December 7, 2020 to undertake the non-financial support services related to credit card business of the Punjab National Bank.

सेवाओं को शुरू करने के लिए शामिल किया गया था।

पीएनबीसीएसएल संभावित बाजार में क्रेडिट कार्ड की सोर्सिंग के लिए अपने बिक्री अधिकारियों के साथ फुट–ऑन–स्ट्रीट मॉडल पर काम करता है। कंपनी बेहतर ग्राहक अनुभव के लिए डिजिटल ऑनबोर्डिंग प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल कर रही है।

कंपनी अपने कारोबार में पहले वर्ष से ही लाभ में रही है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2022–23 के लिए 1.20 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2021–22 के लिए 0.13 करोड़ रुपये के करों के बाद निवल लाभ की सूचना दी। इससे पता चलता है कि कंपनी सही रास्ते पर है और भविष्य में बढ़ने के लिए अच्छी तरह से तैनात है।

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी के बोर्ड ने कंपनी के व्यवसाय के विविधीकरण के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। आरबीआई ने 13 जनवरी, 2023 के पत्र के माध्यम से पीएनबीसीएसएल द्वारा अतिरिक्त गैर–वित्तीय सहायता सेवाएं शुरू करने के लिए पीएनबी को अपनी मंजूरी दे दी है। उनके अनुमोदन के अनुसार, पीएनबीसीएसएल निम्नलिखित गैर–वित्तीय सहायता सेवाएं प्रदान कर सकता है। पंजाब नैशनल बैंक की सोर्सिंग, मार्केटिंग, प्रचार, प्रचार, विज्ञापन, वितरण जमा (चालू और बचत खाते आदि) और खुदरा ऋण उत्पाद (आवास ऋण, संपत्ति के बदले ऋण, वाहन ऋण, शिक्षा ऋण, व्यक्तिगत ऋण आदि) का अनुरोध करना।

पीएनबीसीएसएल के लिए आरबीआई की मंजूरी एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। यह कंपनी को सेवाओं के बड़े विकल्प के साथ मूल संस्था व्यवसाय को विकसित करने और पूरक करने में सक्षम करेगा। कंपनी क्रेडिट कार्ड, आवास ऋण, वाहन ऋण और जमा उत्पादों सहित विभिन्न व्यावसायिक कार्यक्षेत्रों की सेवा के लिए कई स्थानों पर नए क्षेत्रीय कार्यालय खोलकर अपनी भौगोलिक पहुंच में वृद्धि करेगी। पीएनबीसीएसएल उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं प्रदान करने के लिए समर्पित है और यह मंजूरी कंपनी को अपने उद्देश्यों को हासिल करने में मदद करेगी।

2. अंतरराष्ट्रीय

ए. **पीएनबी इंटरनैशनल लिमिटेड (पीएनबीआईएल):** पंजाब नैशनल बैंक (इंटरनैशनल) लिमिटेड को 13 अप्रैल, 2006 को यूके में शामिल किया गया था और इंग्लैंड और वेल्स में कंपनी हाउस के साथ पंजीकृत किया गया था। बैंक प्रूडेंशियल रेगुलेशन अथॉरिटी (पीआरए) द्वारा प्राधिकृत है और यूके में बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी ('एफसीए') द्वारा विनियमित है।

PNBCSL operates on a feet-on-street model with its sales executives for sourcing of credit cards in the potential market. The company is also using digital onboarding platforms for better customer experience.

The Company has been profitable since the very first year it has been in business. The company reported a net profit after taxes of Rs. 1.20 Crore for the FY 2022-23 and Rs. 0.13 Crore for the FY 2021-22. This shows that the company is on the right track and is well-positioned to grow in the future.

During the current Financial Year, the Board of the Company has accorded its approval for diversification of Business of the company. RBI vide letter dated January 13, 2023, has conveyed their approval to PNB for undertaking additional non-financial support services by PNBCSL. As per their approval, PNBCSL may provide the following non-financial support services viz. sourcing, marketing, promoting, publicizing, advertising, soliciting distributing Deposit (Current and Saving Accounts etc.) & Retail Loan Products (Housing Loan, Loan against property, Vehicle Loan, Education loan, Personal loan etc.) of Punjab National Bank.

The approval from RBI is a significant development for PNBCSL. It will enable the company to grow and compliment Parent Bank business with a larger choice of services. The Company will increase its geographic reach by opening new Territory offices at multiple locations to serve the various business verticals, including Credit Card, Housing Loan, Vehicle Loan and Deposit Products. PNBCSL is dedicated to offering consumers high-quality services, and this approval will assist the Company in achieving its objectives.

2. **INTERNATIONAL**

a. **PNB International Limited (PNBIL):** Punjab National Bank (International) Limited was incorporated in the UK on April 13, 2006 and registered with the Companies House in England & Wales. The Bank is authorized by the Prudential Regulation Authority ('PRA') and regulated by Financial Conduct Authority ('FCA') to conduct banking Business in UK.

कुल जमा 31 मार्च, 2022 को 6471 करोड़ रुपये से बढ़कर 31 मार्च, 2023 को 6644 करोड़ रुपये हो गए, 2.7 प्रतिशत की वृद्धि दिखा रहा है। निवल अग्रिम 31 मार्च 2023 को 31 मार्च, 2022 की तुलना में 5153 करोड़ रुपये से बढ़कर 5411 करोड़ रुपये हो गया, जिसमें 5.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वित्त वर्ष 2022–23 में, पीएनबीआईएल ने 136.34 करोड़ रुपये का निवल लाभ दर्ज किया, जो पिछले वित्तीय वर्ष के 103.22 करोड़ रुपये के निवल लाभ की तुलना में 32.1 प्रतिशत की वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है।

पीएनबीआईएल का मुख्य व्यवसाय यूके के भीतर भारतीय समुदाय पर ध्यान देने के साथ ग्राहकों के विभिन्न वर्गों को वाणिज्यिक और खुदरा बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना है। इसमें खुदरा और कॉर्पोरेट ग्राहकों दोनों से जमा स्वीकार करना शामिल है। खुदरा, एसएमई और कॉर्पोरेट ग्राहकों को ऋण देनाय और लेनदेन बैंकिंग सेवाएं जैसे मुद्रा प्रेषण। जमा उत्पादों में मुख्य रूप से चालू, बचत, सावधि जमा और व्यक्तिगत बचत खाते शामिल हैं। इनमें से कुछ उत्पाद जैसे आईएसए और फिक्स्ड डिपॉजिट का यूके में व्यापक दर्शकों द्वारा लाभ उठाया जा रहा है। ऋण देने वाले उत्पादों में रियल एस्टेट ऋण देना, जैसे कि घर खरीदने के लिए– आवासीय, वाणिज्यिक, विकास ऋण और हॉटल तथा हॉस्पिटलिटी, एसएमई को उधार और एसबीएलसी द्वारा समर्थित सावधि ऋण शामिल है।

बी. **ड्रुक पीएनबी बैंक लिमिटेड (डीपीएनबीएल):** ड्रुक पीएनबी बैंक लिमिटेड, भूटान, बैंकिंग कंपनी जिसका कॉर्पोरेट कार्यालय थिम्फू, भूटान में है। इसने 27 जनवरी, 2010 को भूटान में देश के चौथे वाणिज्यिक बैंक के रूप में, बैंकिंग क्षेत्र में एफडीआई और संयुक्त उद्यम दोनों के एक घटक के साथ अपना परिचालन शुरू किया। वर्तमान में, बैंक की देश भर में 9 शाखाएं और 30 एटीएम हैं। डीपीएनबीएल का कुल कारोबार 31 मार्च, 2023 को बढ़कर 4,627 करोड़ रुपये हो गया, जो 31 मार्च, 2022 को 3,125 करोड़ रुपये था, जो साल–दर–साल 48.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।31 मार्च, 2023 को बैंक का कासा अनुपात 43.3 प्रतिशत था। बैंक का लाभ 31 मार्च, 2022 को 22.30 करोड़ रुपये से बढ़कर 31 मार्च, 2023 को 32.53 करोड़ रुपये हो गया। 31 मार्च, 2023 को बैंक की प्रदत्त पूंजी 84 करोड़ रुपये है।

3. **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी):** 31 मार्च, 2023 तक, बैंक द्वारा प्रायोजित 9 आरआरबी हैं, अर्थात् दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक (डीबीजीबी), पटना; सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक (एसएचजीबी), रोहतक; हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक (एचपीजीबी) मंडी; पंजाब ग्रामीण बैंक (पीजीबी), कपूरथला; प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक (पीयूपीजीबी), मुरादाबाद; असम ग्रामीण

The total deposits increased from Rs. 6471 Crore as on 31st March, 2022 to Rs. 6644 Crore as on 31st March, 2023, showing growth of 2.7 per cent. The net advance increased from Rs. 5153 Crore as on 31st March, 2022 to Rs. 5411 Crore as on 31st March, 2023, showing growth of 5.0 per cent. In the FY 2022-23, PNBIL recorded a Net Profit of Rs. 136.34 Crore, representing a growth of 32.1 per cent compared to the previous financial year's net profit of Rs. 103.22 Crore.

PNBIL's main business is to provide commercial and retail banking services to different segments of customers, with a focus on the Indian community within the UK. This includes accepting deposits from both retail and corporate clients; lending to retail, SME's, and corporate clients; and transaction banking services such as currency remittances. The deposit products primarily include current, savings, term deposits and Individual Saving Accounts. Some of these products such as ISAs and Fixed deposits are also being availed by a wider audience in the UK. The lending products includes real estate lending i.e., Buy to Let-Residential, Commercial, Development Loans and Hotels & Hospitalities, lending to SME and Term loans backed by SBLCs.

b. **Druk PNB Bank Ltd (DPNBL):** Druk PNB Bank Ltd, Bhutan, Banking Company having its corporate office at Thimphu, Bhutan. It started its operation on 27th January, 2010, in Bhutan as the country's fourth commercial Bank, with a component of both FDI and joint venture in the Banking Sector. Presently, the Bank has 9 branches and 30 ATMs spread across the country. Total Business of the DPNBL increased to Rs.4,627 Crore as on 31st March, 2023 from Rs.3,125 Crore as on 31st March, 2022 showing YoY growth of 48.1 per cent. CASA Ratio of the Bank stood at 43.3 per cent as on 31st March, 2023. Profit of the Bank has increased to Rs.32.53 Crore as on 31st March, 2023 from Rs.22.30 Crore as on 31st March 2022. Paid up capital of the Bank as on 31st March, 2023 is Rs.84 Crore.

3. **REGIONAL RURAL BANKS (RRBs):** As on 31st March, 2023, there are 9 RRBs sponsored by the bank namely Dakshin Bihar Gramin Bank (DBGB), Patna; Sarva Haryana Gramin Bank (SHGB), Rohtak; Himachal Pradesh Gramin Bank (HPGB); Mandi; Punjab Gramin Bank (PGB), Kapurthala; Prathama UP Gramin Bank

विकास बैंक (एजीवीबी), गुवाहाटी; बंगिया ग्रामीण विकास बैंक (बीजीवीबी), बेरहामपुर; त्रिपुरा ग्रामीण बैंक (टीजीबी), अगरतला और मणिपुर ग्रामीण बैंक (एमआरबी), इंफाल।

4. ये 9 आरआरबी 9 राज्यों बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर और त्रिपुरा में 4642 शाखाओं के नेटवर्क के साथ 185 जिलों में काम कर रहे हैं।

ए. 31 मार्च, 2023 तक प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कुल कारोबार रु 2,04,907 करोड़ में 8.71 प्रतिशत की वर्ष–दर–वर्ष वृद्धि दर्ज की गई।

बी. आरआरबी की 31 मार्च, 2023 को जमा राशि रु 1,30,369 करोड़ सकल जमाराशियों ने 7.16 प्रतिशत की वर्ष–दर–वर्ष वृद्धि दर्ज की।

सी. 31 मार्च, 2023 को आरआरबी का अग्रिम रुपये 74, 537 करोड़ 11.53 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ था।

डी. आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार आरआरबी के लिए 9 प्रतिशत सीआरएआर की नियामक आवश्यकता को पूरा करना अनिवार्य है। नियामक आवश्यकता से अधिक सीआरएआर प्राप्त करने वाले आरआरबी टीजीबी (26.77 प्रतिशत), पीजीबी (15.61 प्रतिशत), पीयूपीजीबी (14.64 प्रतिशत), एसएचजीबी (14.17 प्रतिशत) और बीजीवीबी (11. 63 प्रतिशत) हैं। नियामक आवश्यकता से कम सीआरएआर वाले आरआरबी डीबीजीबी (–0.27 प्रतिशत), एमआरबी (6. 93 प्रतिशत), एजीवीबी (7.82 प्रतिशत) और एचपीजीबी (8. 24 प्रतिशत) हैं। केंद्र / राज्यों / प्रायोजक बैंक द्वारा आरआरबी को पुनर्पूंजीकरण सहायता और परिचालन दक्षता में सुधार के परिणामस्वरूप इन आरआरबी को आने वाले वर्षों में 9 प्रतिशत का सीआरएआर हासिल करने की उम्मीद है।

ई. प्रायोजित आरआरबी लाभ में हैं (डीबीजीबी पटना, एजीवीबी गुवाहाटी और एमआरबी इंफाल को छोड़कर)। कुल मिलाकर आरआरबी का परिचालन लाभ 15 प्रतिशत की वर्ष–दर–वर्ष वृद्धि के साथ 31 मार्च 2023 तक रु. 2527 करोड़।

एफ. आरआरबी ने 31 मार्च, 2023 तक पीएमएमवाई / मुद्रा के अंतर्गत संचयी रूप से रु 2760.30 करोड़ का संवितरण 24. 32 प्रतिशत की वर्ष दर वर्ष वृद्धि के साथ।

जी. आरआरबी ने प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के अंतर्गत 31 मार्च, 2023 तक संचयी रूप से 2,18,10,978 खाते खोले हैं।

XIV. पुरस्कार और प्रशंसा

बैंक के प्रयासों को विभिन्न मंचों पर सराहा गया है। वित्तीय वर्ष

(PUPGB), Moradabad; Assam Gramin Vikas Bank (AGVB), Guwahati; Bangiya Gramin Vikas Bank (BGVB), Berhampore; Tripura Gramin Bank (TGB), Agartala and Manipur Rural Bank (MRB), Imphal.

4. These 9 RRBs are operating in 9 states namely Bihar, Haryana, Himachal Pradesh, Punjab, Uttar Pradesh, West Bengal, Assam, Manipur and Tripura covering 185 districts with a network of 4642 branches.

   a. Total Business of sponsored RRBs as on 31st March, 2023 is Rs. 2,04,907 Crore registering a YoY growth of 8.71 per cent.

   b. Deposits of RRBs are at Rs. 1,30,369 Crore as on 31st March, 2023. Aggregate Deposits registered a YoY growth of 7.16 per cent.

   c. The Advances of the RRBs as on 31st March, 2023 stood at Rs. 74, 537 Crore with a YoY growth of 11.53 per cent.

   d. As per RBI guidelines it is mandatory for RRBs to meet the regulatory requirement of CRAR of 9 per cent. The RRBs attaining CRAR over and above the regulatory requirement are TGB (26.77 per cent), PGB (15.61 per cent), PUPGB (14.64 per cent), SHGB (14.17 per cent) and BGVB (11.63 per cent). The RRBs having CRAR less than the regulatory requirement are DBGB (-0.27 per cent), MRB (6.93 per cent), AGVB (7.82 per cent) and HPGB (8.24 per cent). As an outcome of recapitalization assistance to the RRBs by Centre/ States / Sponsor Bank and improvement in operational efficiency these RRBs are expected to achieve CRAR of 9 per cent in the coming years.

   e. The sponsored RRBs are in profit (except DBGB Patna, AGVB Guwahati and MRB Imphal). Operating profit of RRBs as a whole stood at Rs. 2527 Crore as on 31st March, 2023 with YoY growth of 15.0 per cent.

   f. The RRBs have cumulatively disbursed Rs. 2760.30 Crores under PMMY/ MUDRA as on 31st March, 2023, with YoY growth of 24.32 per cent under disbursement.

   g. The RRBs have cumulatively opened 2,12,04,663 accounts under Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) as on 31st March, 2023.

XIV. AWARDS AND ACCOLADES

The Bank's efforts have been recognized at various

2022–23 के लिए विभिन्न क्षेत्रों में की गई पहलों के लिए बैंक को निम्नलिखित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है

1. बैंक सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (सीजीटीएमएसई) के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए बैंक को "उत्कृष्ट गारंटी कवरेज (संख्या)" के लिए उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

2. बैंक पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा वित्त वर्ष 2022–23 के लिए एनपीएस रिवॉर्ड रिकॉग्निशन प्रोग्राम (नए अभिदाता पंजीकरण की अधिकतम संख्या) में बैंक तीसरे स्थान पर रहा।

3. बैंक को इकोनॉमिक्स टाइम्स द्वारा ईटी बेस्ट बीएफएसआई ब्रांड्स से सम्मानित किया गया

4. बैंक को भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल (एसोचैम) द्वारा 9वें एमएसएमई उत्कृष्टता पुरस्कार और शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ एमएसएमई बैंक (उपविजेता) से सम्मानित किया गया।

5. चैंबर ऑफ इंडियन माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज (सीआईएमएसएमई) द्वारा आयोजित एमएसएमई बैंकिंग एक्सीलेंस अवार्ड 2022 समारोह में बैंक को सर्वश्रेष्ठ एमएसएमई बैंक, एमएसएमई फ्रेंडली बैंक, सरकारी योजनाओं को लागू करने वाले बैंक और कोविड से संबंधित योजना बैंक के कार्यान्वयन से सम्मानित किया गया।

6. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत उत्कृष्ट योगदान के लिए बैंक को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

7. पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा अटल पेंशन योजना नामांकन के लिए पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा शुरू किए गए उत्कृष्टता अभियान के क्षेत्र में बैंक ने उत्कृष्टता पुरस्कार जीता।

8. बैंक को आईबीए द्वारा 18 वें वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन, एक्सपो और पुरस्कार 2022 में, बैंक को सम्मानित किया गया

   ए. फिनटेक सहयोग के लिए उपविजेता पुरस्कार

   बी. सर्वश्रेष्ठ एआई और एमएल बैंक के लिए विशेष पुरस्कार।

9. एनसीडीईएक्स ने पंजाब नैशनल बैंक को ई–एनडब्ल्यूआर स्पेस में उभरते बैंकों के रूप में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया।

platforms. The Bank has been conferred the following awards for initiatives taken in various fields for FY 2022-23

1. The Bank was awarded with achievement award for "Excellent Guarantee Coverage (number)" for FY 2022-23 by Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE).

2. The Bank stood Third in NPS Reward Recognition Programme (Maximum number of fresh Subscriber Registration) for FY 2022-23 by Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA).

3. The Bank was felicitated with ET Best BFSI Brands by Economic Times.

4. The Bank was felicitated with Best MSME Bank (Runner UP) at 9th MSME Excellence Awards and Summit Associated Chambers of Commerce & Industry of India (ASSOCHAM).

5. The Bank was awarded Best MSME Bank, MSME Friendly Bank, Government Schemes implementing Bank and Implementing COVID related scheme Bank in MSME Banking Excellence Award 2022 ceremony organized by Chamber of Indian Micro, Small and Medium Enterprises (CIMSME).

6. The Bank awarded first prize for outstanding contribution under Prime Minister's Employment Generation Program in Uttar Pradesh by Government of Uttar Pradesh.

7. The Bank won Award of Excellence award in circle of excellence campaign launched for APY enrolment by Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA).

8. At the 18th Annual Banking Technology Conference, Expo and Awards 2022, the Bank was felicitated by IBA with

   a. Runner-up award for the Best Fintech Collaboration

   b. Special award for Best AI & ML Bank.

9. NCDEX felicitated Punjab National Bank for their contribution as an emerging Banks in the e-NWR space.

10. राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार से वित्त वर्ष 2021–22 के लिए "राजभाषा कीर्ति" द्वितीय पुरस्कार

11. वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से बैंक को 2 थीम के अंतर्गत इज 4.0 पुरस्कारों के लिए विजेता घोषित किया गया।

    ए. टेक इनेबल्ड बैंकिंग– प्रथम उपविजेता

    बी. गवर्नेंस एंड एचआर– प्रथम उपविजेता

12. सर्वश्रेष्ठ कोर बैंकिंग सिस्टम पहल–13 वां वार्षिक रिटेल बैंकर इंटरनैशनल ट्रेलब्लेजर पुरस्कार में प्रथम पुरस्कार

13. "अत्यधिक अनुशंसित–सर्वाधिक नवोन्मेषी शाखा पेशकश" – 13 वां वार्षिक रिटेल बैंकर इंटरनैशनल ट्रेलब्लेजर पुरस्कार

14. वित्त वर्ष 2022–23 की चौथी तिमाही के लिए त्रैमासिक पुरस्कार मान्यता कार्यक्रम में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत प्रदर्शन के लिए पीएफआरडीए द्वारा मान्यता प्राप्त।

15. एमएसएमई क्षेत्र के संवर्धन और विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए बैंकों को राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार–2022 में एमएसएमई मंत्रालय से तृतीय पुरस्कार विजेता।

XV. बैंक की भावी कारोबारी योजना

बैंक के पास अपने भविष्य के लक्ष्यों को निर्धारित करने और प्राप्त करने के लिए सावधानीपूर्वक तैयार की गई कार्यनीति है। कार्यनीतियां कारोबार, लाभप्रदता और आस्ति गुणवत्ता के लिए विशिष्ट औसत दर्ज के मानदंड निर्धारित करती हैं, जिन पर लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कड़ी निगरानी रखी जाती है।

बैंक पारंपरिक और डिजिटल बैंकिंग के माध्यम से कारोबार सृजन पर ध्यान देना जारी रखेगा। कम लागत वाली जमाराशि जुटाना बैंक के लिए एक फोकस क्षेत्र बना हुआ है। वित्त वर्ष 2023–24 के लिए चालू खातों का संग्रहण प्रमुख क्षेत्र होगा। बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि बैंक की सभी व्यावसायिक इकाइयां बैंक के लाभ केंद्र के रूप में कार्य करें। बैंक सिस्टम में खोई हुई हिस्सेदारी को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करेगा और नए ग्राहक अर्जन की दिशा में प्रयास करना जारी रखेगा। बैंक हर कदम पर उत्पाद विभेदीकरण और मूल्य संवर्धन के माध्यम से ग्राहक सेवा पर ध्यान देना जारी रखेगा। उत्पादों और सेवाओं का डिजिटलीकरण भी इसमें योगदान देगा और इसे प्राथमिकता दी जाएगी।

आस्ति गुणवत्ता के क्षेत्र में, बैंक स्लिपेज को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेगा और स्लिपेज की वसूली को दोगुना करने का

10. "Rajbhasha Kirti" 2nd prize for the FY 2021-22 by Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Government of India.

11. The Bank was declared winner under 2 Themes of EASE 4.0 awards by DFS, Ministry of Finance, Government of India.

    - Tech Enabled Banking- 1st Runner Up
    - Governance and HR- 1st Runner Up

12. First Prize-Best Core Banking System Initiative-13th Annual Retail Banker International Trailblazer Awards by Retail Banker International.

13. "Highly Recommended-Most Innovative Branch Offering"-13th Annual Retail Banker International Trailblazer Awards

14. Recognized by PFRDA for performance under National Pension System (NPS) in Quarterly Award Recognition Programme for Q4 FY 2022-23.

15. National MSME Awards-2022 to Banks for Outstanding Contribution in the Promotion and Development of MSME Sector - 3rd Prize Winner by Ministry of MSME.

XV. FUTURE BUSINESS PLAN OF THE BANK

The Bank has a carefully prepared strategy to define & achieve its future goals. Strategies lay down specific measurable parameters on day to business, profitability & Asset Quality that is being strictly monitored against targets.

The Bank will continue to focus on building Business through traditional and digital banking. Mobilization of Low-Cost Deposits remain a focus area. Mobilization of Current Accounts will be the area of thrust for FY 2023-24. The Bank will ensure that all the Business units of the Bank function as the profit centers for the Bank. The Bank will strive to regain the lost share in the system and continue to make efforts towards new customer acquisition. The Bank will continued focus on customer service through product differentiation & value addition at every step. Digitalisation of products & services will also contribute to that effect and will be prioritized.

In the area of Asset Quality, the Bank will deploy all the out effort to arrest slippage and will aim at

लक्ष्य रखेगा।

सरकारी योजनाओं और वित्तीय समावेशन को लागू करने के माध्यम से राष्ट्र निर्माण बैंक की भावना रही है। अब तक, पीएनबी सरकार और व्यापक रूप से समाज विशेषकर रूप से वंचित वर्गों की अपेक्षाओं पर खरा उतरा है।

बाजार में बैंक के लिए सकारात्मक धारणा है। इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अब तक कोई और दर वृद्धि कार्रवाई नहीं करने के अनुमान के साथ, हम सर्वाधिक ब्याज दरों के इस चक्र के चरम तक पहुँच सकते हैं। वित्त वर्ष 2023–24 में जमा राशि में वृद्धि अधिक होनी चाहिए, जबकि ऋण में यह थोड़ी कम होनी चाहिए, जो तरलता की स्थिति को धीमा करे। बैंक निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा।

कुल मिलाकर, सकारात्मक व्यावसायिक भावनाओं के विकास की उम्मीदें हैं जो बैंक के कारोबार विकास के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान कर सकती हैं। इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अब तक कोई और दर वृद्धि कार्रवाई नहीं करने की प्रत्याशा के साथ, इसलिए हम सर्वोच्च ब्याज दरों के इस चक्र के अंत तक पहुंच सकते हैं। वित्त वर्ष 2023–24 में जमा राशि में वृद्धि अधिक होनी चाहिए, जबकि ऋण में यह मामूली रूप से कम होनी चाहिए, जिससे तरलता की स्थिति में कमी आनी चाहिए। इसलिए, यह देखते हुए कि वित्त वर्ष 2023–24 के लिए मुद्रास्फीति के अनुमान 5.5 प्रतिशत के दायरे में हैं, दरों के ऊपर की ओर जाने की बजाय नीचे की ओर जाने की प्रवृत्ति के साथ तस्वीर स्थिर होनी चाहिए।

XVI. निदेशक मंडल

1. श्री पंकज जैन, सरकार द्वारा नामित निदेशक, 11.04.2022 से निदेशक नहीं रहेंगे।
2. श्री पंकज शर्मा को 11.04.2022 से बैंक के सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
3. श्री स्वरूप कुमार साहा, कार्यपालक निदेशक को 03.06.2022 से पंजाब और सिंध बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया गया।
4. श्री के.जी. अनंतकृष्णन को 07.11.2022 से बैंक के गैर–कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।
5. श्री बिनोद कुमार को 21.11.2022 से बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
6. श्री संजय कुमार, कार्यपालक निदेशक ने 30.11.2022 को अपना कार्यकाल पूरा किया।

doubling recoveries over the amount of slippage.

Nation building by way of implementing Government Schemes & Financial Inclusion been the spirit of the Bank. As of now, PNB has lived up to the expectations of the Government and of the society at large particularly the underprivileged sections.

The markets are buoyant with positive sentiments for the Bank. Further, with the anticipation of RBI not taking any further rate hike action as of now, we may have reached the end of this cycle of peak interest rates. In FY 2023-24 growth in deposits should be higher while that in credit marginally lower which should assuage the liquidity situation. The Bank will continue on sustained growth trajectory.

All in all, there are expectations of evolution of positive business sentiments which may provide ample opportunities for business growth of the Bank. Further with the anticipation of RBI not taking any further rate hike action as of now hence we may have reached the end of this cycle of peak interest rates. In FY 2023-24 growth in deposits should be higher while that in credit marginally lower which should assuage the liquidity situation. Therefore, the picture should be steady going ahead with rates probably tending to move downwards than upwards given that inflation projections for FY 2023-24 are in the 5.5 percent band.

XVI. BOARD OF DIRECTORS

1. Shri Pankaj Jain, Govt. Nominee Director, ceased to be director w.e.f. 11.04.2022.
2. Shri Pankaj Sharma has been appointed as Govt. Nominee Director of the Bank w.e.f 11.04.2022.
3. Shri Swarup Kumar Saha, Executive Director, was elevated to MD & CEO of Punjab and Sind Bank on 03.06.2022
4. Shri K. G. Ananthakrishnan has been appointed as Non-Executive Chairman of the Bank w.e.f. 07.11.2022.
5. Shri Binod Kumar has been appointed as Executive Director of the Bank w.e.f. 21.11.2022.
6. Shri Sanjay Kumar, Executive Director, completed his tenure on 30.11.2022.

7. श्री एम. परमशिवम को बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में 01.12.2022 को नियुक्त किया गया है।

XVII. निदेशक उत्तरदायित्व विवरणी

निदेशक पुष्टि करते हैं कि 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक खातों की तैयारी में:

1. महत्वपूर्ण विसंगतियों, यदि कोई हो, से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है;
2. भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार की गई लेखांकन नीतियां लगातार लागू की गईं;
3. उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान लगाए गए ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में बैंक के मामलों की स्थिति और 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लाभ का सही और निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत किया जा सके।
4. भारत में बैंकों को नियंत्रित करने वाले लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की गई थी, और;
5. लेखाओं को "कार्यशील संस्था" के सिद्धांत के आधार पर तैयार किया गया है।

XVIII. आभार

निदेशक मंडल शेयरधारकों, मूल्यवान ग्राहकों, शुभचिंतकों और अन्य हितधारकों को उनकी सद्भावना, संरक्षण और समर्थन के लिए धन्यवाद देता है।

बैंक के बहुमूल्य सहयोग एवं सतत संरक्षण प्रदान करने हेतु बोर्ड भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, केंद्रीय सतर्कता आयोग, स्टॉक एक्सचेंजों और बैंक के सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों के मार्गदर्शन और समर्थन के लिए आभार व्यक्त करता है।

बोर्ड ने सभी स्तरों पर बैंक के कर्मचारियों के सदस्यों द्वारा किए गए बहुमूल्य योगदान के लिए अपनी प्रशंसा दर्ज की और भविष्य के लक्ष्यों को प्राप्त करने में उनकी निरंतर भागीदारी की आशा की।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

अतुल कुमार गोयल

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

7. Shri M. Paramasivam has been appointed as Executive Director of the Bank w.e.f. 01.12.2022.

XVII. DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

The Directors confirm that in the preparation of the annual accounts for the year ended 31st March, 2023:

1. The applicable Accounting Standards have been followed along with proper explanation relating to material departures, if any;
2. The accounting policies, framed in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India, were consistently applied;
3. Reasonable and prudent judgment and estimates were made so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit of the Bank for the year ended 31st March, 2023.
4. Proper and sufficient care was taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws governing banks in India, and;
5. The accounts have been prepared based on the principle of "going concern".

XVIII. ACKNOWLEDGEMENT

The Board of Directors thank the shareholders, valued customers, well-wishers and other stakeholders for their goodwill, patronage and support.

The Board acknowledges with gratitude for the guidance and support of Government of India, Reserve Bank of India, Securities & Exchange Board of India, Insurance Regulatory and Development Authority of India, Central Vigilance Commission, Stock Exchanges and Statutory Central Auditors of the Bank, in the functioning of the Bank.

The Board also placed on record its appreciation for the valuable contribution made by the members of the Bank's staff at all levels and looks forward to their continued involvement in achieving the future goals.

For and on behalf of Board of Directors

Atul Kumar Goel

Managing Director & CEO

BLANK PAGE

प्रबंधन परिचर्चा एवं विश्लेषण
Management Discussion and Analysis

प्रबंधन परिचर्चा एवं विश्लेषण

I. उद्योग संरचना और विकास

वित्त वर्ष 2022–23 में वैश्विक अर्थव्यवस्था ने खाद्य कीमतों में कमी, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान को कम करने, अपेक्षा से अधिक खपत एवं निवेश और एक तेजी से बढ़ते श्रम बाजार के कारण लचीलेपन के संकेत दिखाए। यह रूस–यूक्रेन युद्ध के बाद भू–राजनीतिक संघर्षों, अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति द्वारा प्रमुख केंद्रीय बैंकों द्वारा दरों में बढ़ोतरी और अमेरिकी बैंकिंग क्षेत्र में तनाव के कारण उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद है। आईएमएफ के विश्व आर्थिक आउटलुक के अनुसार, 2022 के लिए वैश्विक विकास दर 3.4 प्रतिशत अनुमानित है।

वैश्विक विपरीत परिस्थितियों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत आधार पर टिकी रही। वित्त वर्ष 2022–23 में 7.2 प्रतिशत की अनंतिम अनुमानित विकास दर (राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, एनएसओ के अनुसार) के साथ भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था रही, जो प्रचलित दर और अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि से अधिक थी। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, कृषि, सेवाओं, खपत, स्थिर कॉर्पोरेट प्रदर्शन और सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय में वृद्धि के कारण वित्त वर्ष 2023–24 में अर्थव्यवस्था के 6.5 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है। भारत वर्तमान में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और 2027–28 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की आकांक्षा रखता है।

भारत की अंतर्निहित विकास क्षमता मौलिक रूप से सशक्त है और व्यापक आर्थिक संकेतक स्थिर हैं। चालू खाता घाटा मामूली है और मुद्रास्फीति भी स्थिर हो रही है। वित्तीय क्षेत्र अच्छी तरह से पूंजीकृत और मजबूत है। इसके अलावा, भारतीय मुद्रा काफी हद तक स्थिर रही। दिसंबर तिमाही के अंत में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) अनुपात में बाहरी ऋण वर्तमान में 19.1 प्रतिशत है, यह घट रहा है और विदेशी मुद्रा भंडार पर्याप्त है।

प्रतिकूल वैश्विक वित्तीय वातावरण और हाल ही में मौद्रिक तंगी के बावजूद, भारतीय बैंकिंग प्रणाली पर्याप्त पूंजी बफर और मध्यम स्तर के गैर–निष्पादित ऋणों के साथ लचीली बनी हुई है। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के बैंक बढ़ती ब्याज दर परिदृश्य की पृष्ठभूमि पर संघर्ष कर रहे हैं, अमेरिका के कुछ प्रमुख बैंक धराशायी हो रहे हैं, लेकिन बेहतर विनियामक तंत्र एवं नीतियों द्वारा भारतीय बैंक मजबूत स्थिति में हैं। भारतीय बैंकिंग प्रणाली की अपनी अंतर्निहित ताकत है और यह अधिक प्रभावित नहीं होगी।

वित्त वर्ष 2022–23 में बैंकों ने संपत्ति की गुणवत्ता में सुधार, उच्च पूंजी और प्रावधान बफर्स, लाभप्रदता में वृद्धि और सुदृढ़ तुलन पत्र देखा। महामारी के बाद अर्थव्यवस्था में उछाल के साथ, वित्त वर्ष 2022–23 में ऋण वृद्धि दशक के उच्च स्तर पर पहुंच गई।

MANAGEMENT DISCUSSION & ANALYSIS

I. Industry Structure & Developments

The global economy in FY 2022-23 showed signs of resilience due to the lower food prices, easing supply chain disruptions, stronger than expected consumption and investment and a buoyant labour market. This is despite the challenges thrown up by the geo political conflicts post Russia-Ukraine War, inflation in majority of the economies leading to rate hikes by major central banks and stress in the US banking sector. As per World Economic Outlook of IMF, the global growth for 2022 is estimated at 3.4 per cent.

The Indian economy held strong grounds amidst the global headwinds. India was the fastest growing economy in FY 2022-23 with provisional estimated growth rate of 7.2 per cent (as per National Statistics Office, NSO), higher than the trend rate and the growth of the other major economies. As per the Economic Survey, the economy is expected to grow at the rate of 6.5 per cent in FY 2023-24 on the back of robust revival of agriculture, services, consumption, stable corporate performance and increased capital expenditure by the government. India is currently 5th largest economy in the globe and aspires to be the 3rd largest economy by 2027-28.

India's underlying growth potential is fundamentally strong and macroeconomic indicators are stable. The current account deficit is modest and inflation is also stabilizing. The financial sector is well-capitalized and sound. Further, Indian currency remained largely stable. The external debt to Gross Domestic Product (GDP) ratio i.e. currently 19.1 per cent at the end of December quarter, is declining and foreign exchange reserves are adequate.

Despite a hostile global financial environment and recent monetary tightening, the Indian banking system has remained resilient with adequate capital buffers and moderate levels of non-performing loans. The banks in USA and Europe are struggling on the backdrop of the rising interest rate scenario, with some of the US major banks collapsing but Indian banks continue to be on strong footing through good regulatory mechanisms and policies. Indian banking system has its inherent strengths and will not be impacted much.

Banks in FY 2022-23 witnessed improved asset quality, higher capital and provision buffers, increased profitability and stronger balance sheets. With the rebound in the economy post-pandemic, the credit growth accelerated to decadal high levels in FY 2022-23.

अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में ऋण वृद्धि देखी गई। तीन वर्षों तक एकल अंकों में बने रहने के बाद, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) द्वारा ऋण वृद्धि (वर्ष–दर–वर्ष) पूरे वित्त वर्ष 2022–23 में दोहरे अंकों में रही, सितंबर 2022 में 17.5 प्रतिशत की उच्चतम वृद्धि दर्ज की गई और मार्च 2023 में थोड़ा कम होकर भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 15 प्रतिशत रही खुदरा, एमएसएमई और कृषि ऋण वृद्धि के क्षेत्र रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में जमाराशियों के संचयन ने बैंकों को बढ़ती हुई ऋण मांग को वित्तपोषित करने में सक्षम बनाया है।

अर्थव्यवस्था में बढ़ती ब्याज दरों के बावजूद ऋण वृद्धि की गति जारी रही। हालांकि, बैंकों को वर्तमान ऋण मांग का समर्थन करने के लिए धन जुटाने में दबाव का सामना करना पड़ा। धन की कमी थी और जमा राशि जुटाने के लिए बैंकों में कड़ी प्रतिस्पर्धा थी। जमाराशियों को अधिक आकर्षक बनाने के लिए ब्याज दरों में वृद्धि की गई।

वित्त वर्ष 2022–23 में, बैंकों में सावधि जमा में तेज वृद्धि देखी गई और साथ ही साथ चालू खाता और बचत खाता (कासा) जमा वृद्धि में कमी आई क्योंकि सावधि जमा और कासा के बीच ब्याज का अंतर बढ़ गया और निधियों को कासा से सावधि जमा में स्थानांतरित कर दिया गया।

हमारे अनुमानों के अनुसार, अगले 3–4 महीनों में जीडीपी वृद्धि में नरमी के कारण ऋण वृद्धि के 13–14 प्रतिशत तक कम होने की उम्मीद है, मुद्रास्फीति के दबाव में कमी आएगी जिससे कार्यशील पूंजी की जरूरत और आधार प्रभाव कम हो जाएगा। ऊंची ब्याज दरों की वजह से जमा वृद्धि 9–10 फीसदी के दायरे में रहेगी। यह जमा और ऋण वृद्धि के बीच के अंतर को कम करेगा और इस तरह बैंकों में चलनिधि की कमी को कम करेगा।

दिसंबर 2022 के अंत तक बैंकों की सकल गैर–निष्पादित आस्ति (जीएनपीए) 2018 के उच्च स्तर से लगभग आधी होकर 5.8 प्रतिशत हो गई है, और आरबीआई के ताजा आकड़ों के अनुसार बैंकों ने 70 प्रतिशत से अधिक का मजबूत प्रावधान कवरेज अनुपात बनाया है।

उच्च शुद्ध ब्याज आय और खराब आस्तियों के लिए कम प्रावधान के कारण बैंकों ने वर्ष भर रिकॉर्ड स्तर का मुनाफा कमाना जारी रखा। बढ़ती ब्याज दरों के कारण, बैंकों के परिसंपत्ति पक्ष यानी ऋणों को ज्यादातर पुनर्मूल्यांकित किया गया जबकि जमाराशियों को परिपक्वता पर ही अंतराल के साथ पुनर्मूल्यांकित किया जा रहा है। आस्ति और देयताओं के पुनर्मूल्यांकन में परिणामी अंतर के कारण मार्जिन में वृद्धि हुई है। ऋण लागत ने भी सभी बैंकों में गिरावट का रुख बनाए रखा, जिससे लाभप्रदता में वृद्धि हुई।

The credit growth was witnessed in all the segments of the economy. After remaining in single digits for three years, credit growth (YoY) by Scheduled Commercial Banks (SCBs) stayed in double digits throughout FY 2022-23, recording the highest growth of 17.5 per cent in September 2022 and in March 2023 slightly moderated to 15 per cent, as per the Reserve Bank of India (RBI) data. Retail, MSME and Agriculture have been the key segments for credit growth. Accumulation of deposits in the past few years has enabled banks to fund the growing credit demand.

The credit growth momentum continued even in the face of rising interest rates in the economy. However, Banks faced pressures in mobilising funds to support the ongoing credit demand. There was a dearth of funds and banks were in a stiff competition to raise the deposits. The interest rates on deposits were increased to make them more attractive.

In FY 2022-23, a sharp rise in Term Deposits was witnessed across the banks and simultaneously Current Account & Savings Account (CASA) deposits growth tapered as the interest differential between the term deposits and CASA widened and funds were shifted from CASA to Term Deposits.

As per our estimates, the credit growth is expected to tame down to 13-14 per cent in the next 3-4 months due to moderating GDP growth, ebbing inflationary pressures which will reduce the working capital needs and base effect. Deposit growth will stay in the range of 9-10 per cent due to higher interest rates. This will reduce the gap between the deposit and the credit growth and thereby ease the liquidity constraints on banks.

The Gross Non-Performing Assets (GNPA) of banks have almost halved to 5.8 per cent as at the end of December 2022 from the highs of 2018, and banks have built up a strong provisioning coverage ratio of more than 70 per cent, as per latest data of RBI.

The banks throughout the year continued to post record level profits on the back of higher net interest income and lower provisioning for bad assets. Due to rising interest rates, the asset side of the banks i.e. loans, were repriced immediately while the deposits are being repriced mostly at maturity with a lag. The resulting gap in repricing of assets and liabilities has led to widening of margins. Credit costs also maintained a downward trend across all banks, thus boosting profitability.

सभी एससीबी अच्छी तरह से पूंजीकृत हैं और हितधारकों द्वारा किसी और पूंजी प्रवाह के अभाव में भी व्यापक आर्थिक झटकों को झेलने में सक्षम हैं।

डिजिटल बैंकिंग को वित्तीय वर्ष 2022–23 में बैंकों में बहुत बढ़ावा मिला। यूपीआईई लेनदेन वित्तीय वर्ष में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। वित्त वर्ष 2022–23 में यूपीआई नेटवर्क के माध्यम से भुगतान लेनदेन 82.2 प्रतिशत बढ़ गया और 139 लाख करोड़ कुल 8,376 लेनदेन हुए, जो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2021–22 की तुलना में 65.3 प्रतिशत अधिक है। तकनीकी नवाचारों ने वित्तीय सेवाओं के विस्तार में दक्षता, उत्पादकता, गुणवत्ता, प्रतिस्पर्धात्मकता में विशेष रूप से डिजिटल ऋण देने और वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार किए हैं।

भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को और बढ़ावा देने, वित्तीय समावेशन को बढ़ाने और देश में मौद्रिक प्रणाली को और अधिक कुशल बनाने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) यानी डिजिटल रुपये को थोक और खुदरा प्रारूप में लॉन्च किया। सीबीडीसी का उद्देश्य वर्तमान प्रकार के धन का पूरक है और उपयोगकर्ताओं को अतिरिक्त भुगतान विकल्प प्रदान करने की परिकल्पना की गई है।

चूंकि आर्थिक सुधार जोर पकड़ रहा था, इसलिए 2022–23 के दौरान चलनिधि प्रबंधन का ध्यान गैर–विघटनकारी तरीके से समायोजन को वापस लेने पर केंद्रित हो गया। इसके अलावा, विनियमित संस्थाओं (आरई) और उनके ग्राहकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कोविड पश्चात नीति समर्थन और नियमों को वापस लिया गया और सभी आरई द्वारा सूक्ष्म वित्त ऋण देने के लिए एक समान नियामक ढांचा शुरू करने, सुरक्षा प्राप्तियों में निवेश के लिए प्रावधान की आवश्यकता, एलसीआर और एनएसएफआर के लिए लघु व्यवसाय ग्राहकों की परिभाषा की समीक्षा जैसे उपाय किए गए। भारतीय रिज़र्व बैंक ने सुरक्षित और स्थिर वित्तीय बाजारों को विकसित करने की दृष्टि से सरकार और अन्य हितधारकों के साथ समन्वय में बाजार सुधार और नियामक नीति में बदलाव किए, उदाहरण के लिए, भारतीय रुपये में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निपटान (आईएनआर), वाह्य वाणिज्यिक उधार की उदारीकरण (ईसीबी) नीति।

II. अवसर

भारतीय अर्थव्यवस्था क्रमिक विकास के शिखर पर है और बैंकिंग क्षेत्र भारत के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। बैंकों के पास सशक्त आधारभूत सिद्धांत हैं और वे अपनी भूमिका निभाने के लिए अच्छी स्थिति में हैं।

All the SCBs are well capitalised and capable of absorbing macroeconomic shocks, even in the absence of any further capital infusion by stakeholders.

The digital banking received a major thrust across the banks in FY 2022-23. UPI transactions hit record levels in the financial year. Payments transactions via the UPI network surged 82.2 per cent in FY 2022-23 to a total of 8,376 Crore transactions aggregating Rs. 139 Lakh Crore, 65.3 per cent higher compared with FY 2021-22, according to data by the National Payments Corporation of India (NPCI). Technological innovations have led to marked improvements in efficiency, productivity, quality, competitiveness in extension of financial services, especially in the area of digital lending and financial inclusion.

To further boost India's digital economy, deepen financial inclusion and make the monetary system in the country more efficient, the Reserve Bank of India (RBI) launched the Central Bank Digital Currency (CBDC) i.e. Digital rupee in wholesale and retail format. CBDC is aimed to complement current forms of money and envisaged to provide an additional payment avenue to users.

As economic recovery was gaining traction the focus of liquidity management during 2022-23 moved to withdrawal of accommodation in a non-disruptive manner. Besides, withdrawal of post-COVID policy support and regulations was done keeping in mind the needs of regulated entities (REs) and their customers and taken measures like introduction of uniform regulatory framework for microfinance lending by all REs, Provisioning requirement for investment in Security Receipts (SRs), review of definition of Small Business Customers for LCR and NSFR. The Reserve Bank of India also introduced market reforms and regulatory policy changes in coordination with the Government and other stakeholders with a view to developing safe and stable financial markets for eg. International Trade Settlement in Indian Rupees (INR), Liberalization of External Commercial Borrowing (ECB) Policy.

II. Opportunities

Indian economy is at the cusp of sequential growth and banking sector is pivotal to the economic growth of India. Banks have strong fundamentals and are well positioned to play the part.

वित्त वर्ष 2022–23 में ऋण वृद्धि अच्छी रही है और यह प्रवृत्ति वित्त वर्ष 2023–24 में भी जारी रहने की उम्मीद है, हालांकि गति धीमी हो सकती है। घरों और कारों की बढ़ती मांग और बढ़ते वेतनभोगी वर्ग के साथ खुदरा ऋण बढ़ने की उम्मीद है।

आरबीआई के मार्च 2023 के क्षेत्रीय ऋण डेटा के अनुसार, कृषि ऋण ने 15.4 प्रतिशत की वर्ष दर वर्ष वृद्धि दिखाई है, सूक्ष्म और लघु उद्योगों ने 12.3 प्रतिशत की वर्ष दर वर्ष वृद्धि देखी है, जबकि मध्यम उद्योगों ने 19.6 प्रतिशत की वर्ष दर वर्ष वृद्धि दर्ज की है। खुदरा ऋणों ने 20.6 प्रतिशत की वर्ष–दर–वर्ष वृद्धि दर्ज की। इस प्रकार, आंकड़े वित्त वर्ष 2022–23 में रैम क्रेडिट में चौंका देने वाली वृद्धि को उजागर करते हैं।

थोक ऋण देने में भी उत्साहजनक संकेत मिले हैं, विशेष रूप से बुनियादी ढांचे, उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन से संबंधित क्षेत्रों, नवीकरणीय ऊर्जा और एमएसएमई में। जैसे–जैसे अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ेगा वैसे–वैसे कॉरपोरेट ऋण में भी तेजी आने की उम्मीद है। कॉरपोरेट्स भी अपनी अनुपलब्ध कार्यशील पूंजी सीमाओं का उपयोग कर रहे हैं।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को ऋण की मांग और आपूर्ति के बीच निरंतर अंतर रहा है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 30 प्रतिशत, इसके विनिर्माण उत्पादन में 45 प्रतिशत और निर्यात में 48 प्रतिशत का योगदान देता है। इसे बैंकों द्वारा अवसर के एक क्षेत्र के रूप में देखा जाना चाहिए।

बड़े उधारकर्ताओं के लिए 'आस्ति आधारित उधार' की तुलना में उधारकर्ता की 'नकदी प्रवाह' पर आधारित 'लेनदेन आधारित उधार' की ओर धीरे–धीरे संक्रमण ऋण वितरण तंत्र के रूप में 'नकदी ऋण प्रणाली' पर कम निर्भरता के साथ उभरेगा।

नई, कुशल प्रौद्योगिकियों की शुरुआत के साथ बैंकों की प्रणालियों का डिजिटलीकरण और आधुनिकीकरण इस क्षेत्र के लिए विकास के नए मार्ग प्रशस्त कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और क्लाउड टेक्नोलॉजी जैसी तकनीकों का लाभ उठाकर बैंक अपनी परिचालन दक्षता बढ़ा सकते हैं। इससे ग्राहकों की त्वरित डिजिटल ऑन–बोर्डिंग और त्वरित ऋण वितरण होगा। इन तकनीकों को ग्राहकों के व्यवहार संबंधी पहलुओं की जाँच करने के लिए निर्णय लेने वाले साधनों के रूप में नियोजित किया जाएगा। ऋण मूल्यांकन में एआई और मशीन लर्निंग का उपयोग ऋण वितरण तंत्र और धोखाधड़ी को कम करने में मदद करेगा।

केंद्रीय बजट 2023–24 के अनुसार, देश में डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल भुगतान नवाचारों का तेजी से विकास हुआ है। इस एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए, सरकार ने दस्तावेजों को सुरक्षित रूप

The credit growth in FY 2022-23 has been robust and the trend is expected to continue in FY 2023-24 as well, though the momentum may slow down. The retail credit is expected to grow with rising demand for houses and cars and the burgeoning salaried class.

As per March 2023 sectoral credit data of RBI, Agriculture credit has shown a YoY growth of 15.4 per cent, Micro & Small Industries witnessed a YoY growth of 12.3 per cent while Medium Industries registered a YoY growth of 19.6 per cent. Retail Loans registered a YoY growth of 20.6 per cent. Thus, numbers highlight the staggering growth in RAM credit in FY 2022-23.

There have been encouraging signs in wholesale lending as well, especially in infrastructure, Production Linked Incentive-related sectors, renewable energy, and MSMEs. The corporate credit is also expected to pick up as the investments in the economy rises. The Corporates are also utilising their unavailed working capital limits.

There has been a consistent gap between the demand and supply of credit to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) sector contributes around 30 per cent to India's GDP, 45 per cent to its manufacturing output and 48 per cent to exports. This has to be seen as an area of opportunity by the banks.

Gradual transition to 'Transaction based lending' based on 'cash flows' of the borrower as against 'Asset Based Lending' for the large borrowers will emerge with lesser reliance on 'Cash Credit System' as a credit delivery mechanism.

The digitisation and modernization of the systems of banks with the introduction of new, agile technologies is carving out new paths of growth for the sector. Banks can augment their operational efficiency by leveraging the technologies like Artificial Intelligence, Machine Learning, and cloud technologies. These would lead to accelerated digital on-boarding of customers and quick loan disbursals. These technologies will be employed as decision-making tools to judge the behavioural aspects of customers. Usage of AI and machine learning in credit appraisal will also help in credit delivery mechanism and will help reduce frauds.

As per the Union Budget 2023-24, digital banking, digital payment innovations have grown at a rapid pace in the country. Taking forward this agenda,

से ऑनलाइन स्टोर और साझा करने के लिए एमएसएमई, बड़े व्यवसायों और धर्मार्थ ट्रस्टों के लिए इकाई डिजीलॉकर शुरू किया है। वर्तमान में भारत में अधिकांश बैंक डिजिटल परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं। आरबीआई ने दक्षता, उच्च लागत बचत और टीएटी में कमी के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) ऋण को डिजिटल बनाने के लिए एक पायलट लॉन्च किया है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ऋण के प्रवाह में बदलाव की उम्मीद है।

यूपीआई की सफलता, अकाउंट एग्रीगेटर (एए) ढांचे के कार्यान्वयन और डिजिटल बैंकिंग सेवाओं को बड़े पैमाने पर अपनाने के साथ, भारत नए व्यापार मॉडल का उदय देख रहा है। नए युग के सेवा प्रदाताओं के साथ सहयोग के लिए अधिक से अधिक बैंक खुल रहे हैं ताकि ग्राहकों को अपने डेटा का बेहतर उपयोग करने और सेवाओं के व्यापक और समृद्ध सेट का लाभ उठाने की सुविधा मिल सके।

बैंकिंग में ब्लॉकचेन को अपनाने से एक प्रभावी और मजबूत टिकाऊ संरचना बनाने के लिए प्रक्रियाओं, पद्धतियों और आंतरिक नियंत्रणों की समीक्षा करने में मदद मिलेगी। जैसे–जैसे तकनीकी और संस्थागत परिवर्तनों की लहरें गति पकड़ेंगी, ब्लॉकचेन का अभिग्रहण क्रमिक और स्थायी होगा।

अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप पर्यावरण, सामाजिक और अभिशासन (ईएसजी) उद्देश्यों की पूर्ति हेतु संसाधनों को आवंटित करने के प्रयास के साथ हरित और सतत बैंकिंग साथ–साथ चलने वाला प्रमुख विषय होगा। बैंक अधिक से अधिक पर्यावरण अनुकूल उत्पाद प्रदान कर रहे हैं, जैसे वर्चुअल डेबिट और क्रेडिट कार्ड जो उपयोग करने में बहुत आसान और कुशल हैं और उपयोग के लिए ग्राहक के लिए आसानी से उपलब्ध हैं।

बैंकों को ज्ञात हो रहा है कि ईएसजी और डिजिटल परिवर्तन दोनों का अनुसरण करने से पारस्परिक रूप से सुदृढ़ प्रभाव पड़ सकता है, जिससे दोनों क्षेत्रों में एक साथ प्रगति हो सकती है। हालांकि डिजिटल और ईएसजी दोनों परिवर्तन करने की चुनौती विकट दिखाई दे सकती है, बैंकों को इस तथ्य से आश्वासन मिल सकता है कि दोनों एजेंडा के बीच ओवरलैप के पर्याप्त क्षेत्र हैं। इसके अलावा, जो बैंक दोनों क्षेत्रों में परिपक्वता की एक उचित डिग्री प्राप्त कर सकते हैं, उनके पास बाजार में एक विशिष्ट प्रतिस्पर्धात्मक लाभ होगा, कुछ प्रतिद्वंद्वियों के साथ उनके व्यापक प्रस्तावों से मिलान करने में सक्षम होंगे। दोहरे परिवर्तन के सफल कार्यान्वयन के लिए बैंकों को न केवल अपनी प्रौद्योगिकी प्रणालियों और व्यवसाय प्रथाओं का आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता होगी, बल्कि उनके कार्यबल, संस्कृति, संगठनात्मक संरचना और कुछ मामलों में, उनके मूलभूत मूल्यों में भी बदलाव को प्रभावित करना होगा।

Government has introduced Entity DigiLocker for MSMEs, large businesses and charitable trusts to store and share documents online securely. Currently majority of the banks in India are undergoing digital transformation. RBI has launched a pilot to digitalize Kisan Credit Card (KCC) lending in a bid for efficiency, higher cost savings, and reduction of TAT. This is expected to transform the flow of credit in the rural economy.

With the success of UPI, implementation of the account aggregator (AA) framework and the mass adoption of digital banking services, India is witnessing an emergence of new business models. More and more banks are opening up for collaboration with new age service providers for facilitating customers to make better use of their data and avail a wider and richer set of services.

Adoption of Blockchain in banking will enable revisiting of processes, procedures and internal controls, to create an effective and robust sustainable structure. Adoption of block chain will be gradual and steady, as waves of technological and institutional changes gain momentum.

Green and Sustainable Banking with an endeavour to allocate resources towards avenues that lead to Environment, Social and Governance (ESG) objectives, in line with international standards will be a major theme going forward. Banks are increasingly providing more environment friendly products, like virtual debit and credit cards that are also very easy and efficient to use and are readily available to the customer for usage.

Banks are discovering that pursuing both ESG and digital transformation can have a mutually reinforcing effect, driving progress in both areas simultaneously. Although the challenge of undertaking both digital and ESG transformations may appear formidable, banks can find reassurance in the fact that there are substantial areas of overlap between the two agendas. Moreover, banks that can achieve a reasonable degree of maturity in both areas will have a distinct competitive advantage in the market, with few rivals capable of matching their comprehensive offerings. The successful implementation of dual transformation would require banks to not only modernize their technology systems and business practices, but also to affect a shift in their workforce, culture, organizational structure and in certain cases, their fundamental values.

शहरी और ग्रामीण भारत द्वारा वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता और उपयोग में भारी अंतर ऐसी ही एक चुनौती है। यह हमें एक विशाल अवसर प्रदान करता है क्योंकि वित्तीय समावेशन का उद्देश्य केवल बचत और ऋण तक पहुंच प्रदान करना नहीं है, यह व्यक्तियों को उनकी वास्तविक क्षमता का एहसास करने और एक संपन्न अर्थव्यवस्था में योगदान करने के लिए सशक्त बनाने के विषय में है। मजबूत और नागरिक–केंद्रित डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा वित्तीय समावेशन, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा, डिजिटल लेनदेन और ऋण तक आसान पहुंच हासिल करने में प्रमुख भूमिका निभाता के साथ ही एक उत्पादक, लचीले और न्यायसंगत समाज के निर्माण के लिए बिल्डिंग ब्लॉक प्रदान करता है, जिससे एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण होगा।

सोशल मीडिया लाखों ग्राहकों तक पहुंचने का एक वैकल्पिक मंच है। सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। सोशल मीडिया के उपयोग के विश्लेषण में बैंकों को ग्राहक विभाजन, ग्राहक अर्जन और वित्तीय समावेशन योजनाओं को आगे बढ़ाने के संदर्भ में अपनी कार्यनीतियों की समीक्षा करने में मदद करने की क्षमता है। सोशल मीडिया का उपयोग ग्राहक शिकायत निवारण प्रबंधन में भी किया जा सकता है।

III. संकट

जैसाकि वित्त वर्ष 2023–24 में ऋण वृद्धि का दृष्टिकोण सकारात्मक दिख रहा है, किन्तु हाल ही में तेजी से दरों में बढ़ोतरी का ऋण मांग पर प्रभाव पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त, अल–नीनो कारक का कृषि क्षेत्र पर प्रभाव पड़ने की संभावना है। साथ ही, वैश्विक मंदी को देखते हुए, निर्यात पर एवं कॉर्पोरेट्स की अपर्याप्त क्षमता का उपयोग पर इसका प्रभाव पड़ सकता है जो भविष्य में इसके विस्तार को बाधित कर सकता है तथा पूंजी व्यय चक्र में देरी से इसकी गति कम हो सकती है।

बैंकों को जमा के मोर्चे पर भी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि बैंक ऋण वृद्धि को वित्तपोषित करने के लिए जमा प्राप्त करने हेतु एक–दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। निधियां, कासा से सावधि जमा में स्थानांतरित हो रहीं हैं क्योंकि परवर्ती उन्हें उच्च ब्याज दर प्रदान किया जा रहा है। परिणामस्वरूप, अधिकांश बैंक पिछली कुछ तिमाहियों में अपने कासा अनुपात में गिरावट के साक्षी रहे हैं। भारतीय बैंकिंग के लिए प्रमुख चुनौती मार्जिन पर समझौता किए बिना आवश्यक जमा राशि जुटाना होगा।

आगे चलकर, बैंकों को अपने ब्याज मार्जिन पर भी दबाव का सामना करना पड़ेगा क्योंकि बैंक की जमाराशियों को उच्च दर पर परिपक्वता पर पुनर्मुद्रित किया जाएगा। इस प्रकार बैंकों को अपने मार्जिन को बनाए रखने के लिए अपने जमा एवं ऋण पोर्टफोलियो को समायोजित करने में अग्रसक्रिय होना होगा।

The huge gap in availability and utilisation of financial services by the urban and rural India is one such challenge. This gives us an immense opportunity as the objective of financial inclusion is not just about giving access to thrift and credit, it is about empowering individuals to realise their true potential and contribute to a thriving economy. Robust and citizen-centric digital public infrastructure plays major role in achieving financial inclusion, social security, health insurance, digital transactions and easy access to credit while providing the building blocks for a productive, resilient and equitable society that will lead to robust nation building.

Social media is an alternative platform for reaching millions of customers. The number of social media users has been growing steadily. The analysis of social media use has the potential to help banks in reviewing their strategies in terms of customer segmentation, customer acquisition and furthering financial inclusion plans. Social media can also be used in customer grievance redressal management.

III. Threats

Even as the outlook of credit growth looks positive in FY 2023-24, the recent rapid rate hikes may have a dampening impact on credit demand. Further, the El-Nino factor is likely to have an impact on the agriculture sector. Also, given the global downturn, its effect on exports and inadequate capacity utilisation of corporates that inhibits future expansion and a delayed pick-up in the capex cycle may possibly impair its momentum.

Banks are also facing challenge on deposit front as banks are competing against each other to garner deposits to fund the credit growth. The funds are shifting from CASA to term deposits as the latter is offering higher interest rate. Consequently, majority of the banks have witnessed a dip in their CASA ratios in the past few quarters. The key challenges for Indian banking will be to mobilize required deposits without compromising on margins.

Going ahead, banks will also face pressure on their interest margins as the deposits of the bank upon maturity will be repriced at the higher rate. Thus banks will have to be proactive in adjusting their deposit and lending portfolios so as to maintain their margins.

बैंकों को तेजी से बढ़ते फिनटेक एवं डिजिटल ऋण देने वाले ऐप से बढ़ती प्रतिस्पर्धा का भी सामना करना पड़ रहा है जो ग्राहकों को तत्काल ऋण प्रदान कर रहे हैं एवं उच्च जोखिम लेने को तैयार हैं। बैंकों को ऐसे प्लेटफॉर्मों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए उनकी प्रणाली एवं प्लेटफॉर्म को यथाशीघ्र अपनाना होगा।

वृहद टेक फर्म भी बैंकों के लिए बढ़ते संकट के रूप में सामने आ रही है। वास्तव में, फिनटेक कंपनियां भुगतान के क्षेत्र में बहुत कुछ नया कर रहे हैं विशेष रूप से व्यापारियों एवं किराना स्टोरों के लिए । इसलिए, नए उभरते अवसरों को प्राप्त करने के लिए बैंकों को निरंतर तकनीक में आगे रहना होगा, क्योंकि जीएसटी रिटर्न एवं नियमनिष्ठता ने भुगतान, बचत, निवेश एवं ऋण देने के लिए एक नया बाजार तैयार किया है।

जैसा कि अधिक से अधिक वित्तीय सेवा प्रदाता बाजार में प्रवेश कर रहे हैं एवं हर दूसरे दिन नए उत्पाद लॉन्च किए जा रहे हैं, ग्राहक प्रतिधारण एक बड़ी चुनौती बन गया है। आज का उपभोक्ता पहले से कहीं अधिक स्मार्ट, समझदार एवं अधिक सूचित है एवं अपने बैंकिंग अनुभव से उच्च स्तर के निजीकरण एवं सुविधा की अपेक्षा करता है। बैंकिंग ग्राहकों की प्रत्येक नई पीढ़ी के साथ प्रौद्योगिकी की अधिक सहज समझ आती है एवं इसके परिणामस्वरूप, डिजीटल अनुभवों की अपेक्षा में वृद्धि होती है। जबकि पुरानी पीढ़ी, अभी भी मानवीय संपर्क को प्राथमिकता देती है। इस प्रकार, बैंकों को आज एक हाइब्रिड मॉडल में काम करना है जो डिजिटल अनुभवों को पारंपरिक बैंक शाखाओं में एकीकृत करता है।

ग्राहकों की बदलती जनसांख्यिकी एवं अपेक्षाओं की पृष्ठभूमि में, ग्राहक प्रतिधारण एक बड़ी चुनौती है। इसके लिए उत्कृष्ट ग्राहक सेवा कुंजी है। यदि ग्राहक की खुशी को ध्यान में रखते हुए ग्राहक सेवा दी जाती है, तो ग्राहक बैंक के साथ व्यवहार करने में प्रसन्न होंगे एवं अधिकतम सेवाओं का उपयोग करेंगे। साथ ही, यदि कोई ग्राहक खुश है, तो बैंक ग्राहक को उत्पाद बेचने में सक्षम होगा एवं ग्राहक के साथ दीर्घकालिक संबंध विकसित करेगा।

साइबर सुरक्षा बैंकिंग क्षेत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण अज्ञात जोखिम है। कई कारक साइबर सुरक्षा खतरों को बढ़ा रहे हैं जैसे – बैंकों एवं फिनटेक द्वारा उपयोग किए जाने वाले सहयोगात्मक दृष्टिकोण ने सिस्टम को तीसरे पक्ष की जांच के लिए उजागर किया है, डिजिटल बैंकिंग का विस्तार, धोखेबाजों ने अपनी कार्यप्रणाली को बहुत बार बदल दिया है ताकि स्थिति अधिक यथार्थवादी दिखनी चाहिए, अभाव ग्राहकों के बीच जागरूकता, डार्क वेब आदि।

साइबर अपराधों से बैंक को वित्तीय नुकसान, गोपनीय जानकारी का उल्लंघन, कानूनी, प्रतिष्ठित एवं परिचालन जोखिम होता है।

Banks are also facing an increased competition from the burgeoning FinTechs and digital lending apps that are providing instant credit to the customers and are willing to take higher risks. Banks will have to quickly adapt their systems and platforms to compete with such platforms.

Large tech firms are also presenting an increasing threat to banks. In fact, the fintechs are innovating a lot in the payments space especially for merchants and kirana stores. So, the banks have to continuously stay ahead of tech to capture the new emerging opportunities, as GST returns and formalisation have created a new market for payments, savings, investments and lending.

As more and more financial service providers are entering the market and new products being launched every other day, customer retention poses a major challenge. Today's consumer is smarter, savvier, and more informed than ever before and expects a high degree of personalization and convenience out of their banking experience. With each new generation of banking customers comes a more innate understanding of technology and, as a result, an increased expectation of digitized experiences. While the older generation, still prefers human interaction. Thus, banks today have to operate in a hybrid model that integrates digital experiences into traditional bank branches.

On the backdrop of changing customer demographics and expectations, customer retention poses a major challenge. For this, excellent customer service is the key. If customer service is given keeping customer delight in mind, customers will be happy to deal with the bank and will utilize maximum services. Also, if a customer is happy, the bank will be able to cross sell the products to the customer and develop a long term relation with the customer.

Cybersecurity is the most significant unknown risk to the banking sector. Many factors are leading to increased Cyber Security threats like - collaborative approach used by banks and fintechs has exposed the system to third-party scrutiny, expansion of digital banking, fraudsters changing their modus operandi very often so that the situation should look more realistic, lack of awareness amongst customers, dark web etc.

Cyber crimes lead to financial loss, infringement of confidential information, legal, reputational and operational risks to the bank.

भारत में बैंकों ने साइबर–अपराधों को कम करने के लिए कई उपाय किए हैं, लेकिन साइबर सुरक्षा के खतरे निरंतर विकसित हो रहे हैं, एवं संगठनों को खुद को बचाने के लिए नवीनतम रुझानों एवं तकनीकों के साथ अप–टू–डेट रहने की आवश्यकता है। इसमें नए सुरक्षा समाधानों में निवेश करना एवं उनकी साइबर सुरक्षा नीतियों एवं प्रक्रियाओं की नियमित रूप से समीक्षा करना एवं उन्हें अपडेट करना शामिल है।

यूएस और यूरोप में बैंकों के हालिया पतन ने बैंकों में सर्वोत्तम जोखिम प्रबंधन उपायों के तर्क को मजबूत किया। बैंकों को अनिवार्य रूप से बैलेंस शीट मॉडलिंग, दबाव परीक्षण और परिदृश्य विश्लेषण क्षमताओं का निर्माण करने की आवश्यकता है जो संगठनात्मक जोखिम और बैलेंस शीट साइलो से अलग हैं और उनकी रणनीतिक योजना प्रक्रिया से जुड़ते हैं। बैंकों को न केवल ऋण पोर्टफोलियो के लिए बल्कि अपने जमा पोर्टफोलियो में भी संकेंद्रण जोखिम (उद्योग, भौगोलिक और मूलरूप) का आकलन करना चाहिए और, परिणामस्वरूप, बाजार के दबाव के समय में निवल चलनिधि बहिर्गमन धारणाओं को और अधिक आक्रामक रूप से चुनौती देता है। विनियामक और वैधानिक दिशानिर्देशों के गैर–अनुपालन के लिए शून्य सहनशीलता होनी चाहिए, क्योंकि इससे बैंक की प्रतिष्ठा जोखिम पर प्रभाव पड़ता है।

भारत में बैंकों को भी बढ़ती ब्याज दरों के परिदृश्य के कारण एमएसएमई, और रिटेल ऋणों के कारण बहियों में दबाव के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता है। बैंकों को दबाव को पहचानने एवं कार्रवाई करने में सक्रिय होना होगा।

IV. आउटलुक

भारतीय अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2023–24 में सशक्त खपत, सरकारी पूंजी व्यय में वृद्धि और मजबूत मैक्रो फंडामेंटल के आधार पर दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है।

बैंकिंग क्षेत्र के लिए 2023–24 का दृष्टिकोण व्यापक रूप से सकारात्मक है, जिसमें दरों में कमी एवं बैंकों की ऋण वृद्धि के विकास चक्र को जारी रखने एवं संपत्ति की गुणवत्ता में सुधार की संभावना है। भारत का बैंकिंग क्षेत्र स्थिर बना हुआ है एवं आर्थिक विकास एवं बेहतर वित्तीय स्थिति से समर्थित है। बैंक विभिन्न सरकारी योजनाओं का सहयोग करना जारी रखेंगे एवं सरकारी कारोबारी गतिविधियों को अंजाम देंगे एवं इस प्रकार राष्ट्र निर्माण में सहयोग करेंगे।

कॉरपोरेट क्षेत्र में तेजी देखने को मिल सकती है क्योंकि इस क्षेत्र पर सरकार द्वारा बल देने के कारण बुनियादी ढांचे पर ध्यान फिर से शुरू होगा। विनिर्माण, निर्यात, नवीकरणीय, बैटरी एवं इलेक्ट्रिक वाहन खंड प्रमुख विकास संचालक होने की संभावना है। कृषि स्टार्टअप के कारण ग्रामीण क्षेत्र में भी सुधार देखा जा रहा है , जो एसएमई वैल्यू चेन के साथ दक्षता में सुधार पर ध्यान केंद्रित कर

Banks in India have undertaken various measures to curtail cyber-crimes but Cybersecurity threats are constantly evolving, and organizations need to stay up-to-date with the latest trends and technologies to protect themselves. This includes investing in new security solutions and regularly reviewing and updating their cybersecurity policies and procedures.

The recent fallout of banks in US and Europe, cemented the argument of best risk management practices at the banks. Banks need to urgently build balance sheet modeling, stress testing, and scenario analysis capabilities that transcend organizational risk and balance sheet silos and link to their strategic planning process. Banks must assess the concentration risk (industries, geographies and archetypes) not just for loan portfolios but also in their deposit portfolios and, as a result, more aggressively challenge net liquidity outflow assumptions in times of market stress. There should be zero tolerance for non-compliance of regulatory and statutory guidelines, as the same has spill over effect over reputational risk of the bank.

Banks in India also need to be watchful of the stress in books due to MSME and Retail Loans, due to rising interest rates scenario. Banks will have to be proactive in recognizing stress and taking actions.

IV. Outlook

The Indian economy is poised to be the fastest growing economy in the world in FY 2023-24 on the back of robust consumption, increased government capex and strong macro fundamentals.

The outlook for 2023-24 for the banking sector is largely positive, with room for easing rates and continuing the growth cycle for banks' credit growth and improving asset quality. India's banking sector remains stable and is supported by economic growth and improved financials. Banks will continue to support the various Government scheme and carry out government business activities and thus support nation building.

The corporate sector is likely to see a pick-up as the focus on infrastructure will revive owing to the Government's push on the sector. The manufacturing, export, renewables, batteries and Electric Vehicle segments are likely to be the key growth drivers. The rural sector is also witnessing an improvement due to Agri startups, which, along with

रहे हैं। कुल मिलाकर, वित्त वर्ष 2023–24 में ऋण वृद्धि के मौजूदा स्तर 15–16 प्रतिशत से घटकर 12–13 प्रतिशत रहने की संभावना है।

वित्त वर्ष 2022–23 में बैंक की लाभप्रदता चरम पर हो सकती है एवं वित्त वर्ष 2023–24 में इसके मध्यम एवं स्थिर होने की उम्मीद है। बैंकों की पूंजी, फंडिंग एवं लिक्विडिटी स्थिर होगी एवं क्रेडिट ग्रोथ को सहयोग करेगी।

हालांकि, वैश्विक स्तर पर निरंतर बढ़ती ब्याज दर परिदृश्य के साथ, निरंतर उच्च मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति एवं वैश्विक मंदी के विस्तार के कुछ ऐसे जोखिम कारक हैं जिन पर नजर रखी जानी चाहिए।

V. खंड–वार या उत्पाद–वार प्रदर्शन

बैंक के प्रमुख कारोबारी क्षेत्रों के प्रदर्शन का विश्लेषण निम्नलिखित है:

1. संसाधन जुटाना

बैंक की घरेलू जमा राशि मार्च 2023 के अंत तक 11.26 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ बढ़कर रु . 12 ,51,708 करोड़ हो गई । बचत जमा बढ़कर रु . 4 ,63,987 करोड़ , जबकि कासा बढ़कर रु. 5,38,015 करोड़ हो गया। मार्च 2023 के अंत तक घरेलू जमा में कासा जमा की हिस्सेदारी 43.0 प्रतिशत थी।

बढ़ती प्रतिस्पर्धा के वर्तमान बैंकिंग परिदृश्य में, रिटेल बैंकिंग उत्पाद बैंक के कारोबार विकास को बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए, बैंक ने सहायक उत्पादों की पहचान की है एवं सेगमेंट के अंतर्गत अधिक कारोबार जुटाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। ग्राहक विशिष्ट खंड अर्थात पीएनबी पावर बचत खाता (महिलाओं के लिए) के अंतर्गत जमा राशि 16 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ बढ़कर रु. 9,871 करोड़, सेना कर्मियों के लिए 3 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ पीएनबी रक्षक बढ़कर रु. 2,092 करोड़ हो गया।

इसके अतिरिक्त, सावधि जमा के अंतर्गत, पीएनबी सुगम सावधि जमा योजना को एक सहायक उत्पाद के रूप में पहचाना गया है, जहां जमा 16 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ बढ़कर रु . 2,94,417 करोड़ हो गया ।

नई योजनाएं

बैंक ने समाज के विभिन्न वर्गों के लिए निम्नलिखित नई जमा योजनाएं शुरू की हैं:

ए. **एसबी इलीट योजना :** पीएनबी इलीट बचत निधि योजना चार रूपों में – प्रीमियम, एक्जीक्यूटिव, ग्रैंड एवं रॉयल के साथ शुरू

SME value chains, are focusing on improving the efficiency. Overall, loan growth is likely to moderate from the current level of 15-16 per cent to 12-13 per cent in FY 2023-24.

Bank's profitability might have peaked in FY 2022-23 and is expected to moderate and stabilise in FY 2023-24. Banks' capital, funding and liquidity will be stable and supportive of credit growth.

However, with continuous rising interest rate scenario globally, persistent high inflationary tendencies and spillovers from the global slowdown are some of the risk factors to be watchful of.

V. **Segment-wise or Product wise Performance**

The performance of major business segments of the Bank is analyzed below:

1. **Resource Mobilization**

The Domestic deposits of the Bank increased to Rs. 12,51,708 Crore as at end of March 2023 with YoY growth of 11.26 per cent. Savings deposits increased to Rs. 4,63,987 Crore, while CASA increased to Rs. 5,38,015 Crore. The share of CASA deposit to Domestic deposit stood at 43.0 per cent as at end of March 2023.

In the current banking scenario of mounting competition, Retail banking products play a major role in enhancing the business growth of the Bank. In order to remain competitive, the Bank has identified anchor products and special focus is given to mobilize more business under the segment. The deposit under customer specific segment viz. PNB Power savings account (for women) increased to Rs. 9,871 Crore with YoY growth of 16 per cent, PNB Rakshak for army personnel increased to Rs. 2,092 Crore with YoY growth of 3 per cent.

Further, under Term deposit, PNB Sugam Term Deposit scheme has been identified as an anchor product, where the deposit increased to Rs. 2,94,417 Crore with YoY growth of 16 per cent.

New Schemes

Bank has launched following new deposit schemes for various segments of the society:

a. **SB ELITE scheme:** PNB Elite Saving Fund Scheme with four variants namely - Premium,

की गई। योजना की शुरूआत महत्वपूर्ण जमा राशि जुटाने में क्षेत्र को सक्षम करेगी, क्योंकि एचएनआई खंड में पर्याप्त क्षमता है। इसके अतिरिक्त बैंक के अन्य उत्पादों की क्रॉस सेल / अपसेल के लिए भी इस सेगमेंट का दोहन किया जा सकता है।

बी. पीएनबी माईसैलरी योजना के अंतर्गत नया संस्करण "ब्रोंज" यह योजना केंद्र / राज्य सरकार / पीएसयू / अर्ध –सरकारी संगठनों द्वारा काम पर रखे गए अनुबंधित कर्मचारियों के लिए शुरू की गई है। इसमें रु.10 लाख का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा शामिल है ।

सी. एसबी आरोग्य योजना : संपूर्ण बैंकिंग सुविधा एवं वित्तीय पैकेज के साथ हमारे ग्राहकों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज का विशेष लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से, बैंक ने केयर हेल्थ इंश्योरेंस के साथ पीएनबी "आरोग्य" बचत योजना (आयु समूह 18 – 60 वर्ष) शुरू की है। योजना का लाभ बैंक के मौजूदा ग्राहकों द्वारा भी उठाया जा सकता है।

डिजिटल पहल

व्यापक संपूर्ण डिजिटल उत्पाद शुरू किए गए हैं जिससे ग्राहकों के अनुभव को बढ़ाने में मदद मिली:

ए. टैब आधारित चालू खाता (व्यक्तिगत) खोलना

बी. मौजूदा ग्राहको के टैब आधारित बचत खातें खोलना

सी. पीएनबी वन के माध्यम से नामांकन में परिवर्तन

डी. दावों का ऑनलाईन प्रस्तुतिकरण (मृतक मामलों में)

2. ऋण परिनियोजन एवं वितरण

बैंक का सकल घरेलू अग्रिम मार्च 2023 में रु. 8,49,766 करोड़ रहा जिसमें वर्ष दर वर्ष 11.93 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। स्वीकृतियों का एक बड़ा हिस्सा बाह्य रेटिंग "ए" और उससे ऊपर वाले नए कॉर्पोरेट स्वीकृतियों की हैं। इसी तरह, बैंक ने अपने एक्सपोज़र की गुणवत्ता में सुधार किया है, जैसा कि वैश्विक अग्रिमों पर कुल जोखिम भारित संपत्ति के प्रतिशत में मार्च 2022 के 76.5 प्रतिशत से मार्च 2023 तक 74.5 प्रतिशत की गिरावट से संकेत मिलता है।

कॉर्पोरेट क्रेडिट संगठनात्मक संरचना कुशल कर्मचारियों से सुसज्जित 2 स्तरीय संरचना के माध्यम से ऋण वितरण पर केंद्रित है और समग्र टीएटी को कम करने के लिए, मूल्यांकन की दक्षता में सुधार करने के लिए, सेवा वितरण प्रदान के लिए

Executive, Grand and Royal is launched. Introduction of the Scheme will enable field in mobilizing significant deposit, as HNI segment has adequate potential. Further this segment can also be tapped for cross sell/upsell of other products of the Bank.

b. New Variant "BRONZE" under PNB MYSALARY scheme: The Scheme is introduced for the Contractual employees hired by Central/State Govt./PSU/Semi-Govt organizations. It covers Personal Accidental Insurance of Rs. 10 Lakh.

c. SB AROGYA Scheme: With the objective to provide exclusive benefit of Health Insurance coverage to our customers along with a complete banking convenience and financial package, the Bank has launched PNB "AROGYA" saving scheme (Age Group 18 - 60 years) with Care Health Insurance. The benefits of the scheme may be availed by the existing customers of the Bank also.

Digital Initiatives

Comprehensive end to end digital products were introduced which helped in enhancing customer experiences:

a. Opening of current account (individual) through TAB Banking.

b. Opening of savings account in TAB, of existing customers.

c. Change of nomination through PNB One.

d. Online submission of claim (Deceased cases).

2. Credit Deployment and Delivery

Gross Domestic Advances of the Bank stood at Rs. 8,49,766 Crore in March 2023 registering a YoY growth of 11.93 per cent. Fresh Corporate Sanctions with external rating 'A' and above formed a major part of the sanctions. Similarly, Bank has improved its quality of exposures as indicated by a decline in the percentage of Total Risk Weighted Asset over Global Advances to 74.5 per cent as on March 2023 from 76.5 per cent as on March 2022.

Corporate Credit organizational structure focused on delivery of credit through 2 tier structure equipped with skilled staff and is functioning to reduce overall TAT, to improve efficiency of appraisal, provide scope for focused monitoring of

कार्य कर रही है साथ–साथ खातों की केंद्रित निगरानी के लिए गुंजाइश प्रदान करती है। इस 2 स्तरीय संरचना को देश के विभिन्न हिस्सों में 2 अतिरिक्त बड़ी कॉर्पोरेट शाखाओं (एलसीबी) / 13 बड़ी कॉर्पोरेट शाखाओं (ईएलसीबी) द्वारा पूरा किया जा रहा है। ईएलसीबी (दिल्ली एवं मुंबई) का नेतृत्व महाप्रबंधक (जीएम) करते हैं एवं बाकी एलसीबी का नेतृत्व उप महाप्रबंधक (डीजीएम) करते हैं। ये 15 ईएलसीबी/एलसीबी कुल घरेलू ऋण का लगभग 50 प्रतिशत हैं।

3. रिटेल ऋण

कुल मिलाकर आर्थिक स्थिति में सुधार से ग्राहकों में अधिक खर्च करने का भरोसा बढ़ रहा है। तकनीकी मदद से डिजिटलीकरण ग्राहकों के बीच वन टच एवं सरल तरीके से रिटेल ऋण की पैठ बढ़ा रहा है। इसके परिणामस्वरूप ग्राहक सुविधा एवं रिटेल ऋण पोर्टफोलियो में वृद्धि हुई है। साथ ही, रिटेल लोन काउंसलर/मार्केटिंग कंसल्टेंट/हाउस बिल्डर्स/कार डीलर्स/शिक्षा संस्थानों के साथ सहयोग जैसी मार्केटिंग रणनीतियां रिटेल क्रेडिट पोर्टफोलियो को बढ़ाने के प्रयासों में योगदान दे रही हैं।

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, बैंक का कुल रिटेल ऋण पोर्टफोलियो बढ़कर रु.1,97,698 करोड़ के साथ इसने 41.62 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर्ज की। इसमें से कोर रिटेल क्रेडिट वित्त वर्ष 2022–23 में बढ़कर रु. 1,37,335 करोड़ के साथ 15.21 प्रतिशत की वर्ष दर वर्ष वृद्धि प्रदर्शित कर रहा है।

कोर रिटेल क्रेडिट पोर्टफोलियो के अंतर्गत आवास ऋण बढ़कर रु.73,805 करोड़ से रु. 81,863 करोड़, कार/वाहन ऋण बढ़कर रु. 12,615 करोड़ से रुपये 16,478 करोड़ तथा व्यक्तिगत ऋण 12,193 करोड़ रुपये से रुपये 18,152 करोड़ हुआ है।

नई पहलः

ए. बैंक गृह ऋण, वाहन ऋण, शिक्षा ऋण और व्यक्तिगत ऋण जैसे विभिन्न रिटेल सेगमेंट में ब्याज की सर्वोत्तम दरों में से एक की पेशकश कर रहा है।

बी. लीड जनरेशन के लिए प्रतिष्ठित बिल्डरों और प्रोपर्टी सर्च साइटों के साथ टाई–अप।

सी. वाहन ऋण, के लिए वाहन ऋण, काउंसलर्स (मार्केटिंग एसोसिएट्स (एमए) / मार्केटिंग कंसल्टेंट्स (एमसी)/रिटेल ऋण काउंसलर (आरएलसी)) की ऑनबोर्डिंग से अधिकतम आवास ऋण कारोबार बिजनेस बढ़ता है।

डी. शिक्षा ऋण बढ़ाने के लिए, प्रमुख शिक्षा संस्थानों के साथ संपर्क और एडमिशन के दौरान पूरे जोश के साथ अभियान आयोजित करने पर ध्यान दिया जाता है। साथ ही, संपूर्ण डिजिटल शिक्षा ऋण प्रक्रियाधीन है।

accounts along with service delivery. This 2 tier structure is being catered by 2 Extra Large Corporate Branches (ELCBs) / 13 Large Corporate Branches (LCBs) in different parts of the country. ELCBs (Delhi & Mumbai) are headed by General Managers (GMs) & rest LCBs are headed by Deputy General Managers (DGMs). These 15 ELCB/LCB constitute approx. 50 per cent of total Domestic credit.

3. Retail Credit

Overall improvement in economic condition are fuelling confidence in customers to spend more. Digitization with technological help is driving penetration of retail credit among customers in one touch & hassle-free manner. This is resulting in increased customer convenience and retail credit portfolio. Also, marketing strategies such as association with Retail Loans Counsellors/Marketing Consultant/House Builders/Car Dealers/Education Institutes are adding to the efforts in increasing retail credit portfolio.

During the FY 2022-23, Total Retail Credit portfolio of the Bank increased to Rs.1,97,698 Crore registering a robust growth of 41.62 per cent. Out of this, the Core Retail Credit has increased to Rs. 1,37,335 Crore in FY 2022-23 showing a YOY growth of 15.21 per cent.

Within the Core Retail Credit Portfolio, Housing Loan increased to Rs. 81,863 Crore from Rs. 73,805 Crore, Car/Vehicle Loan increased to Rs. 16,478 Crore from Rs. 12,615 Crore and the Personal Loan was at Rs. 18,152 Crore from Rs. 12,193 Crore.

New Initiatives

a. The Bank is offering one of the best-in-class rates of interests in various retail segments like Home loans, Vehicle loans, Education loans and Personal loans.

b. Tie-ups with reputed builders and property search sites for lead generation.

c. Onboarding of Home Loan Counsellors (Marketing Associates (MAs) / Marketing Consultants (MCs) / Retail Loan Counsellors (RLCs)) for Home Loan leads to garner maximum Home Loan business.

d. For enhancing education loans, liasoning with premier education institutes, and organising aggressive campaigns during admission seasons are taken into account. Also, end to end digital education loan is under process.

ई. आकर्षक ब्याज दर और लंबी चुकौती अवधि की पेशकश करते हुए एक नई योजना पीएनबी ग्रीन कार शुरू की गई है।

एफ. प्रमुख कार निर्माताओं के साथ कार ऋण के लिए बैंक का गठजोड़ है, जो कार बिक्री बाजार के लिए 85 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी को कवर करता है।

जी. गोल्ड लोन बकेट बढ़ाने के लिए, ब्याज दर (आरओआई) को प्रतिस्पर्धी बनाया गया है।

डिजिटल पहल

ए. डिजिटल रूप से हमारे मौजूदा ग्राहकों की आपात जरूरतों को पूरा करने के लिए, बैंक ने डिजिटल पूर्व–अनुमोदित व्यक्तिगत ऋण (पीएपीएल) के विभिन्न प्रकार लॉन्च किए हैं। पेंशनरों को पूर्व–अनुमोदित व्यक्तिगत ऋण पूरी तरह से डिजिटल कर दिया गया है।

बी. 1 जुलाई, 2022 तक, पूर्व–अनुमोदित व्यक्तिगत ऋण के अंतर्गत बकाया 57 करोड़ रुपये था उसके बाद पीएपीएल को नया रूप दिया गया और 31 मार्च, 2023 तक बकाया बढ़कर 3,000 करोड़ रुपये से अधिक हो गया। 1.4 लाख से अधिक ग्राहकों ने पूर्व–अनुमोदित व्यक्तिगत ऋण का लाभ उठाया।

सी. ऑनलाइन के साथ–साथ ऑफलाइन सावधि जमा रसीदों (एफडीआर) के विरुद्ध ई–ओवरड्राफ्ट (ई–ओडीएफडी) को पूरी तरह से डिजिटल का शुभारम्भ कर दिया गया है।

4. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र

सामाजिक बैंकिंग की जिम्मेदारी निभाते हुए, बैंक ने इस वर्ष भी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के सभी लक्ष्यों को पार कर लिया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022–23 के अनुसार, भारत में कृषि क्षेत्र पिछले छह वर्षों के दौरान 4.6 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ा है और इस क्षेत्र को वित्त प्रदान करके इस विकास में बैंक का बड़ा योगदान है।

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार प्राथमिकता–प्राप्त क्षेत्र, कृषि और उप–क्षेत्रों की बकाया स्थिति निम्नानुसार है–

राष्ट्रीय लक्ष्यों में पीएनबी की उपलब्धियां

(राशि ₹करोड़ में)

बकाया स्थिति	लाभार्थियों की संख्या	31.03.2023	प्राथमिकता–प्राप्त क्षेत्र के लक्ष्य	समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) की उपलब्धि का %
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण	65,62,344	2,82,322	40.00%	41.22%
जिसमें से:				
कृषि क्षेत्र को ऋण	46,48,669	1,24,347	18.00%	18.16%
छोटे और सीमांत किसानों को ऋण	36,49,832	65,476	9.50%	9.56%
सूक्ष्म उद्यमों को ऋण	12,10,405	52,536	7.50%	7.67%
कमजोर वर्गों को ऋण	45,41,875	90,813	11.50%	13.26%

e. A new scheme PNB Green Car has been launched offering attractive rate of interest and longer repayment period.

f. The Bank is having Tie Ups for Car loans with major Car manufacturers which covered 85 per cent of market share for Car sales market.

g. In order to increase Gold Loan bucket, Rate of Interest (RoI) has been made competitive.

Digital Initiatives

a. In order to meet the emergent needs of our existing customers digitally, the Bank has launched different variants of Digital Pre approved personal loan (PAPL). End to end digital journey of pre-approved Personal Loan to Pensioners have been started.

b. As on 1st July, 2022, outstanding under PAPL was Rs. 57 Crore then PAPL was revamped and outstanding increased to more than Rs. 3,000 Crore as on 31st March, 2023. More than 1.4 Lakh customers availed PAPL.

c. End to end digital journey of e-Overdraft (e-ODFD) against online as well as offline Fixed Deposit Receipts (FDRs) launched.

4. Priority Sector

Shouldering the responsibility of social banking, the Bank has surpassed all the Priority Sector goals this year too. As per the Economic Survey 2022-23, the agriculture sector in India has grown at an average annual growth rate of 4.6 per cent during the last six years. And the Bank has major contribution in this development through providing finance to this sector.

The outstanding position of Priority Sector, Agriculture and sub-sectors as on 31st March, 2023 on quarterly average basis is as under:

PNB's achievement of national goals.

(Amt. in ₹ Crore)

Outstanding Position	No. of Beneficiaries	31.03.2023	PSL Target	% Achievement to Adjusted Net Bank Credit (ANBC)
Priority Sector Credit	65,62,344	2,82,322	40.00%	41.22%
Out of which:				
Loan to Agriculture Sector	46,48,669	1,24,347	18.00%	18.16%
Loan to Small & Marginal farmers	36,49,832	65,476	9.50%	9.56%
Loan to Micro enterprises	12,10,405	52,536	7.50%	7.67%
Loan to Weaker Sections	45,41,875	90,813	11.50%	13.26%

वित्त वर्ष 2022–23 की प्रदर्शन हाइलाइट्स

ए. मार्च 2023 तक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण रु. 2,82,322 करोड़ रहें। एएनबीसी को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों के 40 प्रतिशत के निर्धारित राष्ट्रीय लक्ष्य के मुकाबले 41.22 प्रतिशत है।

बी. मार्च 2023 तक कृषि क्षेत्र के लिए ऋण रु. 1,24,347 करोड़ रहे। एएनबीसी को कृषि अग्रिम का 18 प्रतिशत के निर्धारित राष्ट्रीय लक्ष्य के मुकाबले 18.16 प्रतिशत है।

सी. मार्च 2023 तक छोटे / सीमांत किसानों (एसएफ / एमएफ) को ऋण रु. 65,476 करोड़ रहें। एएनबीसी को एसएफ / एमएफ किसानों को अग्रिम का 9.50 प्रतिशत के निर्धारित राष्ट्रीय लक्ष्य के मुकाबले 9.56 प्रतिशत है।

डी. मार्च 2023 तक सूक्ष्म (पीएस) उद्यमों को ऋण 52,536 करोड़ रुपये थे। माइक्रो (पीएस) उद्यमों को एएनबीसी के लिए अग्रिम का 7.50 प्रतिशत के निर्धारित राष्ट्रीय लक्ष्य के मुकाबले 7.67 प्रतिशत है।

ई. मार्च 2023 तक कमजोर तबके के लिए अग्रिम रु. 90,813 करोड़ रहे। एएनबीसी के 11.50 प्रतिशत के राष्ट्रीय लक्ष्य के मुकाबले उपलब्धि 13.26 प्रतिशत है।

भारत सरकार समय–समय पर किसानों के लाभ के लिए विभिन्न कार्यक्रम चला रही है। केसीसी संतृप्ति अभियान फरवरी 2020 में शुरू किया गया था। भारत सरकार ने 2020 में आत्म निर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत विभिन्न योजनाएं भी शुरू की हैं। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ), पशुपालन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (एएचआईडीएफ) जैसी योजनाएं सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना (पीएमएफएमई) और मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (एफआईडीएफ) का प्रधान मंत्री औपचारिककरण ने कृषि ऋण और फसल कटाई से पहले और बाद के प्रबंधन के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के अंतर्गत लक्ष्यीकरण और वित्तपोषण में बैंकों की मदद की है। चूँकि, ये सभी योजनाएँ कृषि और प्राथमिकता क्षेत्र का हिस्सा हैं, इनसे प्राथमिकता क्षेत्र के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी मदद मिली है। इसके अलावा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) आदि जैसे कई अन्य कार्यक्रम भी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं।

कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ)

मूल्य समर्थन के माध्यम से किसानों को रिटर्न की निश्चितता सुनिश्चित करने, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने और बाजार

Performance Highlights of FY 2022-23

a. Credit to Priority Sector stood at Rs. 2,82,322 Crore as on March 2023. The percentage of Priority Sector Advances to ANBC is 41.22 per cent as against the prescribed National Goal of 40 per cent.

b. Credit to Agriculture sector stood at Rs. 1,24,347 Crore as on March 2023. The percentage of Agriculture Advances to ANBC is 18.16 per cent against the prescribed National Goal of 18 per cent.

c. Loans to Small/Marginal Farmers (SF/MF) stood at Rs. 65,476 Crore as on March 2023. The percentage of advances to SF/MF farmers to ANBC is 9.56 per cent as against the prescribed National Goal of 9.50 per cent.

d. Credit to Micro (PS) Enterprises stood at Rs.52,536 crore as on March 2023. The percentage of advance to Micro (PS) Enterprises to ANBC is 7.67 per cent as against the prescribed National Goal of 7.50 per cent.

e. Advances to Weaker Section stood at Rs. 90,813 Crore as on March 2023. The achievement is 13.26 per cent as against National goal of 11.50 per cent of ANBC.

Government of India is launching various programmes for the benefit of farmers from time to time. KCC Saturation campaign was launched in February 2020. Govt. of India has also launched various schemes under Atma Nirbhar Bharat package in 2020. The schemes like Agriculture Infrastructure Fund (AIF), Animal Husbandry Infrastructure Development Fund (AHIDF), Pradhan Mantri Formalisation of Micro Food Processing Enterprises Scheme (PMFME) and Fisheries and Aquaculture Infrastructure Development Fund (FIDF) has helped Banks in targeting and financing under various activities under Farm credit and pre and post-harvest management. Since, all these schemes are part of Agriculture and priority sector these have helped in achieving Priority Sector targets also. In addition to this various other programmes like National Rural Livelihoods Mission (NRLM), National Urban Livelihoods Mission (NULM), etc. are also helping in increasing the Priority sector advances.

Agriculture Infrastructure Fund (AIF)

To ensure certainty of returns to the farmers through price support, promote crop diversification and

के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए, सरकार कृषि बुनियादी ढांचा निधि के माध्यम से बुनियादी सुविधाओं में निवेश पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

इस योजना के अंतर्गत 27,440 परियोजनाओं के साथ कुल 22,618 करोड़ रुपये के वित्तपोषण को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें से पीएनबी ने 31 मार्च, 2023 तक 2,098 परियोजनाओं को रु. 2,288 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की है।

किसान क्रेडिट कार्ड योजना (केसीसी)

केसीसी सुविधा का लाभ उठाने के दायरे में सभी किसानों को लाने के लिए, भारत सरकार (जीओआई) ने 1 फरवरी, 2020 से केसीसी–संतृप्ति अभियान शुरू किया है। 31 मार्च, 2023 तक केसीसी–संतृप्ति के अंतर्गत बैंक द्वारा स्वीकृत कुल खाते 13,80,360 हैं जिनकी राशि रुपये 18,582 करोड़ है।

कृषि ऋण बढ़ाने की रणनीतियाँ:

ए. कृषि निवेश ऋण के अंतर्गत व्यवसाय को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है.

i. कोल्ड स्टोरेज इकाइयां

ii. खाद्य और कृषि इकाइया

iii. कस्टम हायरिंग

iv. ई–एनडब्ल्यूआर (इलेक्ट्रोनिक नेगोशियबल वेयर हाउस रसीद) के अंतर्गत वित्त पोषण

v. आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत विभिन्न योजनाएँ व्यवसाय की खरीद में मदद करेंगी

बी. लीड जनरेशन के लिए बिजनेस करिस्पॉडेंट (बीसी) एजेंटों का उपयोग: लीड्स की सोर्सिंग के लिए बीसी एजेंटों का उपयोग कृषि के अंतर्गत किया जाएगा। वर्तमान में, बैंक के पास बीसी एजेंटों के माध्यम से व्यापार करने की अच्छी गुंजाइश है क्योंकि हमारे साथ लगभग 25,000 बीसी जुड़े हुए हैं।

सी. क्षेत्र आधारित वित्त पोषण: क्षेत्र आधारित और गतिविधि आधारित समूहों की क्षमता और भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार पहचान की जाती है। उस क्षेत्र में क्षमता के आधार पर क्षेत्रों की पहचान की गई है, उदाहरण के लिए दक्षिणी राज्यों में गोल्ड लोन, उत्तर पूर्व में एसएचजी और कोल्ड स्टोरेज, और तदनुसार लक्षित किया जाएगा।

डी. एसएचजी फाइनेंसिंग: एसएचजी का क्रेडिट लिंकेज एक और बढ़ता हुआ सेगमेंट है। हाल ही में, आरबीआई ने एनआरएलएम योजना में संशोधन किया है और पहली बार दो डोज़ की सीमा बढ़ा दी है। पीएनबी में एसएचजी पोर्टफोलियो 31 मार्च, 2022 को 3,66,393 खातों में 4,886

improve market infrastructure, Government is focussing on investment in infrastructure facilities through Agriculture Infrastructure Fund.

27,440 projects with aggregate sanction of Rs. 22,618 Crore were financed under the scheme, out of which PNB sanctioned 2,098 projects amounting Rs. 2,288 Crore upto 31st March, 2023.

Kisan Credit Card Scheme (KCC)

In order to bring all the farmers under the ambit of availing KCC facility, Government of India (GOI) launched KCC-Saturation drive w.e.f. 1st February, 2020. The Total accounts sanctioned by the Bank till 31st March, 2023 under KCC-Saturation is 13,80,360 accounts amounting to Rs. 18,582 Crore.

Strategies to enhance Agriculture Credit:

a. To augment business under Agriculture investment credit, following schemes are being focussed:

   i. Cold Storage Units

   ii. Food and Agro Units

   iii. Custom Hiring

   iv. Financing under e-NWR (Electronic Negotiable Warehouse Receipt)

   v. The various scheme under Aatmanirbhar Bharat Package will help in procuring business.

b. Utilization of Business Correspondent (BC) agents for lead generation: Utilization of BC Agents for sourcing of leads, will be leveraged under Agriculture. Presently, the Bank is having good scope of garnering business through BC agents since we have approx. 25,000 BCs attached with us.

c. Area Based Financing : Area based and activity based Clusters are identified as per the potential and geographical area. The areas have been identified on the basis of potential in that area for example gold loan in Southern States, SHG and cold storage in North East, and will be targeted accordingly.

d. SHG Financing: Credit linkage of SHG is another growing segment. Recently, RBI has modified NRLM scheme and increased limit for 1st and 2nd doze. SHG portfolio in PNB stood at Rs. 6,111 Crore in 3,85,646 accounts as on 31st March, 2023 as against Rs. 4,886 Crore in 3,66,393 as

करोड़ रुपये के मुकाबले 31 मार्च, 2023 को 3,85,646 खातों में 6,111 करोड़ रुपये हो गया।

डिजिटल पहल या डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऋण देना

ए. 50,000 रुपये तक के ऋण के लिए मौजूदा केसीसी ग्राहकों के लिए डिजिटल यात्रा के रूप में कृषि तत्काल ऋण का लाभ उठाना।

बी. गोल्ड लोन का डिजिटलीकरण "पीएनबी डिजिटल गोल्ड लोन" – कृषि गोल्ड लोन और रिटेल गोल्ड लोन योजना की संयुक्त डिजिटलीकरण की परिकल्पना की गई है।

सी. कर्नाटक राज्य में जन समर्थ पोर्टल के माध्यम से रु. 1.60 लाख तक केसीसी की एसटीपी यात्रा।

कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर गतिविधियाँ):

ए. **किसान प्रशिक्षण केंद्र (एफटीसी):** बैंक ने 12 किसान प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए हैं। एफटीसी कृषि और संबद्ध गतिविधियों पर प्रशिक्षण प्रदान करते हैं जिसमें जैविक खेती, उर्वरक प्रबंधन, मधुमक्खी पालन, डेयरी फार्मिंग, मशरूम उत्पादन, ट्रैक्टर का रखरखाव और अन्य कृषि मशीनरी, फलों और सब्जियों का प्रसंस्करण और संरक्षण, कंप्यूटर पाठ्यक्रम, ब्यूटी पार्लर, मोमबत्ती और साबुन बनाना, पापड़ बनाना, मुलायम खिलौने बनाना, कटाई, सिलाई और कढ़ाई आदि शामिल है। इन प्रशिक्षण केंद्रों को मोबाइल वैन से सुसज्जित किया गया है जिसमें किसानों के खेतों में मिट्टी परीक्षण की सुविधा है और किसानों को सूचनात्मक वीडियो क्लिप के ऑडियो विजुअल डिस्प्ले के लिए एलईडी है। वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान बैंक ने इसके अंतर्गत 326.54 लाख रुपए खर्च किए। स्थापना के बाद से, एफटीसी ने 57,912 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करके 17,31,070 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया है।

on 31st March, 2022.

Digital Initiatives or Lending through Digital Platform

a. Leveraging of Krishi Tatkal Rin as end to end digital journey for existing KCC customers for loan upto Rs. 50,000.

b. Digital journey of gold loan "PNB DIGITAL GOLD LOAN" – Joint journey of Agriculture Gold Loan & Retail Gold Loan Scheme is conceptualized.

c. STP journey of KCC upto Rs. 1.60 Lakh through Jan Samarth portal in Karnataka State.

Corporate Social Responsibility (CSR) Activities

a. **Farmers Training Centres (FTCs):** Bank has established 12 Farmers Training Centres. FTCs provide training on agriculture & allied activities which include organic farming, fertilizer management, bee keeping, dairy farming, mushroom production, maintenance of tractor and other farm machineries, processing and preservation of fruits and vegetables, computer courses, beauty parlour, candle and soap making, papad making, making of soft toys, cutting, tailoring & embroidery, etc. These Training Centres have been equipped with the Mobile Van having Soil testing facilities at the farmers' fields and LED for audio visual display of informative video clips to the farmers. The Bank spent Rs. 326.54 Lakh under this during FY 2022-23. Since inception, FTCs have imparted training to 17,31,070 persons by conducting 57,912 training programs.

श्री. पीएनबी किसान प्रशिक्षण केंद्र, पिल्लयारपट्टी से प्रशिक्षण में भाग लेने वाले एम. सोमालिंगम ने कहा, "मैंने अपने गृह नगर में एक बकरी फार्म शुरू करने के लिए बकरी पालन तकनीक और आत्मविश्वास सीखा ... और वित्तीय सहायता के लिए पंजाब नैशनल बैंक से ऋण प्राप्त किया।

Shri. M.Somalingam who attended Training from PNB Farmers Training Centre, Pillayarpatti quoted "I learned goat rearing technique and confidence to start a goat farm in my home town... and for financial support got loan from Punjab National Bank."

बी. **ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई):** भारत में 76 ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) के तत्वावधान में) और 2 ग्रामीण विकास केंद्र (पीएनबी उपक्रम) चल रहे हैं, जो कि ग्रामीण आबादी और उनके परिवारों को स्व–रोजगार उद्यम / रोजगार चलाने हेतु कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने में लगे हुए हैं । वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, इन केंद्रों में 51,618 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया था, जिनमें से 36,911 बीपीएल परिवारों से सम्बद्ध थे और 40,810 महिलाएं थी। स्थापना के बाद से प्रशिक्षित उम्मीद्वारों की कुल संख्या 5,44,067 हैं, जिनमें से 2,43,152 बीपीएल परिवारों से और 3,56,666 महिलाएं थी। हमारे आरएसईटीआई समावेशी विकास पर पर्याप्त ऋण सुनिश्चित करके प्रतिभागियों को बसाने के लिए ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।स्थापना के बाद से कुल 3,69,207 उम्मीदवार बसाए गए हैं। बैंक ने वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान इसके अंतर्गत ₹3,321.57 लाख व्यय किए है।

b. **Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs):** There are 76 RSETIs (under aegis of MoRD) and 2 Rural Development Centres (PNB initiatives) operating in India which are engaged in providing training to rural population and their families for skill upgradation to undertake self-employment ventures/jobs. During the FY 2022-23, 51,618 persons were trained in these centers out of which 36,911 belong to BPL families and 40,810 were women. Total number of trained candidates since inception is 5,44,067 out of which 2,43,152 were from BPL families and 3,56,666 were women. Our RSETIs are focusing on settlement of participants by ensuring adequate credit for inclusive growth. Total settled candidates are 3,69,207 since inception. The Bank spent Rs. 3,321.57 Lakh under this during FY2022-23.

श्री दिव्यज्योति सैकिया, पीएनबी आरसेटी डिब्रूगढ़ के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने 10 दिनों का प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किया और पोल्ट्री फार्म शुरू करने में उनकी मदद की।
Shri. Dibyajyoti Saikia is thankful to PNB RSETI Dibrugarh which imparted a 10 days training program and helped him in starting a poultry farm

सी. **वित्तीय साक्षरता केंद्र:** बैंक के पास 175 वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफएलसी) हैं। 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 की अवधि के दौरान की गई पूछताछ की कुल संख्या 2,21,762 है। एफएलसी द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के लक्षित समूह किसान, स्वयं सहायता समूह, सूक्ष्म और लघु उद्यमी, वरिष्ठ नागरिक आदि हैं। 1 अप्रैल से वित्तीय शिक्षा, निवारक परामर्श और ग्राहक अधिकारों पर एफएलसी द्वारा आयोजित सेमिनारों / कार्यक्रमों / शिविरों की कुल संख्या, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक 7,653 है और इन कार्यक्रमों में भाग लेने वालों की संख्या 3,08,680 है।

c. **Financial Literacy Centres:** Bank has 175 Financial Literacy Centers (FLCs). Total number of enquiries made during the period from 1st April, 2022 to 31st March, 2023 is 2,21,762. The Target groups of the programmes conducted by FLCs are Farmers, Self Help Groups, Micro and Small Entrepreneurs, Senior Citizens etc. Total number of seminars/ programmes/camps conducted by FLCs on Financial Education, Preventive Counselling and Customer Rights from 1st April, 2022 to 31st March, 2023 is 7,653 and number of persons attended these programs are 3,08,680.

5. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई)

एमएसएमई क्षेत्र हमारे औद्योगिक क्षेत्र की रीढ़ है और

5. Micro, Small and Medium Enterprises (MSME)

The MSME sector forms the backbone of our

अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण विकास इंजन है जो उद्यमिता को बढ़ावा देता है, नवाचार को प्रेरित करता है और रोजगार सृजन को बढ़ावा देता है।

मार्च 2023 के अंत तक, एमएसएमई खंड का ऋण 1,30,178 करोड़ रुपये था। सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए अग्रिम रु. 1,02,557 करोड़ था, जिसमें सूक्ष्म खंड में रु. 55,936 करोड़ था।

मुद्राः वित्त वर्ष 2022–23 के लिए पीएमएमवाई के अंतर्गत आवंटित संवितरण बजट रुपये 19,700 करोड़ था। जिसके विरुद्ध बैंक ने 20,367 करोड़ रुपये का वितरण किया है और अपने वार्षिक बजट का 103.39 प्रतिशत हासिल किया है।

ए. एमएसएमई व्यवसाय को प्रोत्साहित करने के लिए की जा रही पहलों का विवरण

i. **क्लस्टर आधारित वित्तपोषणः** बैंक ने क्लस्टर आधारित उधार दृष्टिकोण को अपनाया है और 90 क्लस्टरों को पहले से ही रियायती मूल्य निर्धारण, सेवा शुल्क, ऋण देने के मानदंडों में ढील आदि के साथ अनुकूलित योजनाओं के साथ अनुमोदित किया गया है। 31 मार्च, 2023 तक कुल 1,114 खाते रुपये 3,935 करोड़ के मंजूर किए गए हैं।

ii. **साझेदारी के अंतर्गत होने वाली वृद्धिः** बैंक विभिन्न बाजार सहभागियों के साथ साझेदारी समझौते में प्रवेश करके बाजार में उपस्थिति बढ़ाने और आउटरीच का विस्तार करने का प्रयास कर रहा है। विवरण नीचे उल्लिखित हैं:

- **वाणिज्यिक वाहन/निर्माण उपकरण (सीवी/सीई) के लिए ओईएम (मूल उपकरण निर्माताओं) के साथ टाई– अप :** बैंक ने 16 प्रतिष्ठित वाणिज्यिक वाहन/निर्माण उपकरण निर्माताओं के साथ टाई–अप व्यवस्था की है ताकि बैंक को ग्राहकों को वित्तपोषित करने के लिए पसंदीदा फाइनेंसर के रूप में स्थापित किया जा सके। उपरोक्त कंपनियों के वाहन खरीदें। इसके अलावा, बैंक ऐसी और टाई–अप व्यवस्था करने की प्रक्रिया में है। 31 मार्च, 2023 तक 2,847 खातों में वाणिज्यिक वाहन और वाणिज्यिक उपकरण (सीवी/सीई) के लिए ओईएम के साथ गठजोड़ के अंतर्गत रु.190 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

- **आरएमसी (प्रतिष्ठित निर्माण कंपनियों) के डीलरों को आपूर्ति श्रृंखला वित्तपोषण के लिए टाई–अप व्यवस्थाः** बैंक ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अशोक लेलैंड लिमिटेड, एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट

industrial sector and is an important growth engine for the economy that promotes entrepreneurship, inspires innovation and boosts employment generation.

As at the end of the March 2023, credit to MSME segment stands at Rs.1,30,178 Crore. The advance to Micro and Small Enterprises stood at Rs.1,02,557 Crore with outstanding in Micro segment at Rs. 55,936 Crore.

Mudra: The Disbursement budget allotted under PMMY for FY 2022-23 was Rs. 19,700 Crore against which the Bank has disbursed Rs. 20,367 Crore and achieved 103.39 per cent of its annual budget.

a. Details of initiatives being taken to boost MSME business

i. **Cluster Based Financing:** The Bank has adopted the Cluster based lending approach and 90 clusters have already been approved with customized schemes having concessional pricing, service charges, relaxed lending norms etc. As on 31st March, 2023 total 1,114 accounts of Rs. 3,935 Crore has been sanctioned.

ii. **Partnership-led growth:** The Bank is endeavouring to increase market presence and expand the outreach through entering into partnership agreement with different market players. The details are mentioned below:

- **Tie-Ups with OEMs (Original Equipment manufacturers) for Commercial Vehicle/ Construction Equipment (CV/CE):** The Bank has tie-up arrangement with 16 reputed Commercial Vehicle/Construction Equipment Manufacturers to position the Bank as preferred financier for financing customers intending to purchase the vehicles of the aforementioned companies. Further, the Bank is under process of having more such tie up arrangements. As on 31st March, 2023, 2,847 accounts for Rs. 190 Crore have been sanctioned under Tie-Ups with OEMs for Commercial Vehicle & Commercial Equipment (CV/CE).

- **Tie-up arrangement for Supply Chain financing to the dealers of RMCs (Reputed Manufacturing Companies):** The Bank has made tie up arrangement with major corporates namely, Indian Oil Corporation

लिमिटेड (एसीईएल), पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड, डेमलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जैसे प्रमुख कॉरपोरेट्स के साथ गठजोड़ किया है। 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार 1572 खातों में रु. 1195 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं । इसके अलावा, बैंक ऐसे और गठजोड़ करने की प्रक्रिया में है।

- **फिन–टेक कंपनियों के साथ टाई–अपः** एंड–टू–एंड लेंडिंग (संग्रह और वसूली के लिए स्त्रोत) के लिए, बैंक ने संयुक्त देयता समूह के लिए मैसर्स अत्याति टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ और पीएम स्वनिधि के लिए मैसर्स इंटेग्रा माइक्रो सिस्टम प्रा. लिमिटेड के साथ टाई–अप किया है।

iii. **टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऋण देनाः** हमारा बैंक टीआरईडीएस के सभी तीन प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहा है अर्थात (1) आरएक्सआईएल (2) एम1 एक्सचेंज और (3) ए. टीआरईडीएस कॉर्पोरेट और अन्य खरीदारों सरकारी विभाग और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) से एमएसएमई के व्यापार प्राप्तियों के वित्तपोषण के लिए स्थापित एक संस्थागत तंत्र है। टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म पर प्रभावी ढंग से संचालन करने के लिए दिल्ली में केंद्रीकृत हब की स्थापना की गई है। 31 मार्च, 2023 तक कुल 2,060 बिलों की राशि रु. 852 करोड़ टीआरईडीएस पर बकाया है।

iv. **कैश फ्लो आधारित वित्तापोषण – जीएसटी एक्सप्रेसः** यह योजना जीएसटी पंजीकृत व्यावसायिक उद्यमों को कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए परेशानी मुक्त क्रेडिट प्रदान करती है। योजना की अनूठी विशेषता यह है कि वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता नहीं है और अनुमत ऋण की मात्रा रुपये 10 लाख से रु 200 लाख से अधिक है।

योजना के अंतर्गत, सिस्टम एक घंटे से भी कम समय में विभिन्न स्रोतों जैसे आईटी रिटर्न, जीएसटी डेटा, बैंक स्टेटमेंट, एमसीए 21 आदि से डेटा बिंदुओं को पढ़ने और विश्लेषण करने के लिए परिष्कृत एल्गोरिदम का उपयोग करता है, जबकि उपलब्ध दस्तावेजों से स्मार्ट एनालिटिक्स का उपयोग करके बुनियादी विवरण कैप्चर करता है।

प्रणाली बैंक अधिकारियों के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया को सरल बनाती है क्योंकि अंतिम आउटपुट वास्तविक समय के आधार पर उपयोगकर्ता के अनुकूल डैशबोर्ड पर प्राप्त वित्तीय जानकारी का सारांश प्रदान करता है।

31 मार्च, 2023 तक योजना के अंतर्गत 9,735 खातों में रु. 5,094 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

Ltd, Ashok Leyland Limited, Action Construction Equipment Limited (ACEL), Patanjali Ayurved Ltd, Daimler India Commercial Vehicle Limited and Steel Authority of India limited. As on 31st March, 2023, 1572 accounts for Rs. 1195 Crore has been sanctioned. Further, the Bank is under process of entering into more such tie ups.

- **Tie-up with Fin-Tech Companies:** For end-to-end lending (sourcing to collection & recovery), the Bank has Tie-ups with M/s Atyati Technologies Private Ltd. for Joint Liability Group and with M/s Integra Micro System Pvt. Ltd for PM SVANidhi.

iii. **Lending through TReDS Platform:** Our Bank is using all the three platform of TReDS i.e. (1) RXIL (2) M1xchange & (3) A.TReDS, an institutional mechanism set up for financing of trade receivables of MSMEs from corporate and other buyers including Government Departments and Public Sector Undertakings (PSUs). Centralized Hub at Delhi has been established to undertake operations on TReDS platform effectively. As on 31st March, 2023, total 2,060 bills amounting Rs. 852 Crore is outstanding on TReDS.

iv. **Cash Flow based Financing - GST Express:** The scheme provides hassle free credit to meet working capital requirement to GST registered business enterprises. Unique feature of the scheme is that there is no requirement of submitting financial statements and the quantum of loan permitted is above Rs. 10 Lakh to Rs. 200 Lakh.

Under the scheme, the system uses sophisticated algorithms to read and analyse data points from various sources such as IT returns, GST data, Bank statement, MCA 21 etc. in less than an hour, while capturing the basic details using smart analytics from available documents.

The system simplifies the decision making process for bank officials as the final output provides a summary of financials captured on a user friendly dashboard on real time basis.

As on 31st March, 2023, 9,735 accounts for Rs. 5,094 Crore is sanctioned under the scheme.

Further, the Bank is in a process to launch the

इसके अलावा, बैंक निम्नानुसार उत्पाद को डिजिटल रूप से लॉन्च करने की प्रक्रिया में है –

- **ई–जीएसटी** : प्रस्तावित मॉड्यूल 10 लाख से 1 करोड़ रुपये तक की ऋण राशि वाले एसटीपी उत्पाद के पास हैं, जिसमें जीएसटी रिटर्न (जीएसटीआर–3बी) में दर्ज बिक्री के 25 प्रतिशत के आधार पर नकद ऋण सुविधा की अनुमति होगी। या पिछले एक वर्ष (पिछले 12 महीनों) में चालू खातों में व्यापार संबंधी क्रेडिट योग जो भी कम हो।

- **जीएसटी सहाय** : प्रस्तावित मॉड्यूल एक ऐप आधारित ऋण समाधान है जो 2 लाख प्रति चालान और प्रति उधारकर्ता 10 लाख रुपये तक का चालान आधारित वित्तपोषण प्रदान करता है। ऑनलाइन सिस्टम आधारित बिजनेस रूल इंजन (बीआरई) खाता विवरण, क्रेडिट ब्यूरो स्कोर, उधारकर्ता के जीएसटी रिटर्न का विश्लेषण करेगा और जहां सभी बीआरई पैरामीटर का पालन किया जाएगा, चालान राशि का 85 प्रतिशत वित्तपोषित किया जाएगा।

v. **पीएनबी तत्काल:** यह योजना व्यावसायिक गतिविधि या व्यवसाय के विस्तार से संबंधित वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1 लाख रुपये से 25 लाख रुपये तक परेशानी मुक्त ऋण प्रदान करती है, जिसमें "www.pslbloansin59minutes.com" पोर्टल के माध्यम से प्रस्तावों को अनिवार्य रूप से भेजा जाता है और उधारकर्ता को 59 मिनट में सैद्धांतिक मंजूरी मिलती है।

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान योजना के अंतर्गत 1,934 खातों में रु 306 करोड़ स्वीकृत है।

vi. **एमएसएमई प्राइम प्लस:** चार एमएसएमई योजनाओं, पीएनबी उद्योग योजना, पीएनबी सेवा योजना, पीएनबी व्यापार योजना और पीएनबी ठेकेदार योजना को समेकित करके एमएसएमई प्राइम प्लस के नाम से एक फ्लैग शिप योजना शुरू की गई है।

बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी और स्वीकार्य होने के लिए, बैंक ब्याज की रियायती दर और सेवा शुल्क, शिथिल संपार्श्विक मानदंड और मार्जिन मानदंड, एमएसएमई विशेष (कार्यशील पूंजी सीमाओं की स्वतः वृद्धि) जैसी सुविधाओं की पेशकश कर रहा है। ओपन टर्म लोन (एक प्री–अप्रूव्ड टर्म लोन सुविधा जो व्यक्तिगत उपयोग के लिए फर्म/कंपनी के नाम पर कार लोन और बैंक से क्रेडिट सुविधाओं का आनंद लेने वाली अच्छी मौजूदा इकाइयों को लचीलापन प्रदान करती है।)

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान योजना के अंतर्गत 15,413 करोड़ रुपये के 10,902 खातों को मंजूरी दी गई है।

product digitally as under -

- **e-GST**: The proposed module is a near to STP product having loan amount Rs.10 Lakh to 1 Crore, wherein Cash Credit Facility shall be allowed based on 25 per cent of the sales reported in the GST returns (GSTR-3B) or the trade related credit summation in current accounts in the last one year (last 12 months) whichever is lower.

- **GST Sahay**: The proposed module is an App based Lending solution to provide invoice based financing upto 2 Lakhs per invoice and Rs. 10 Lakh per borrower. Online system based Business Rule Engine (BRE) will analyse the Account Statement, Credit Bureau Score, GST return of the Borrower and where all BRE parameters will be complied, 85 per cent of the invoice amount will be financed.

v. **PNB Tatkal:** The scheme provides hassle free credit from Rs. 1 Lakh to Rs. 25 Lakh to meet financial requirements related to business activity or expansion of business wherein proposals are invariably routed through "www.pslbloansin59minutes.com" portal and borrower gets in-principle sanction in 59 minutes.

During FY 2022-23, 1,934 accounts for Rs. 306 Crore is sanctioned under the scheme.

vi. **MSME Prime Plus:** A flag ship scheme under the name of MSME Prime Plus has been launched by consolidating four MSME schemes namely, PNB Udyog Scheme, PNB Seva Scheme, PNB Vyapar Scheme and PNB Contractor Scheme.

To be more competitive and acceptable in the market, the Bank is offering Concessional Rate of Interest and Service Charges, relaxed collateral norms and margin criteria, features like MSME Vishesh (Auto increase of Working Capital Limits), Open Term Loan (A pre-approved term loan facility which provides flexibility to the good existing units enjoying credit facilities from the Bank and Car Loan in the name of Firm/Company for personal use).

During FY 2022-23, 10,902 accounts for Rs. 15,413 Crore are sanctioned under the scheme.

vii. नई योजनाओं/क्षेत्र विशिष्ट योजनाओं का सरलीकरण/शुरुआत जैसेः

- स्वास्थ्य देखभाल खंड
  - पीएनबी जीवन रक्षक
  - कोविड प्रभावित क्षेत्र के लिए ऋण गारंटी योजना (एलजीएससीएएस)
  - संजीवनी
- **होटल उद्योगः** पीएनबी सत्कार योजना भूमि और भवन खरीदने और/या होटल, रेस्तरां, लॉज आदि के व्यवसाय के लिए इकाई की स्थापना/नवीनीकरण के लिए ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए।
- **पीएनबी राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई राज्य विशिष्ट योजनाओं के माध्यम से भी जनता की जरूरतों को पूरा कर रहा है :**
  - **कश्मीर घाटी के लिए पीएनबी शिकारा और हाउसबोट योजना** – यह योजना केवल जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों में विभिन्न क्रेडिट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लागू है, जैसे लघु अवधि के साथ–साथ एमएसएमई के लिए लंबी अवधि, विशेष रूप से होटल उद्योग, यात्रा और यात्रा, परिवहन के लिए, विनिर्माण उद्योग, माल और सेवाओं का निर्यात, जहाज/नाव/शिकारा उद्योग, आदि।
  - **उत्तराखंड राज्य के लिए मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना** – यह योजना उत्तराखंड सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने और राज्य के समग्र विकास में उद्यमशील युवाओं, प्रवासियों और किसानों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को विकसित करने के लिए शुरू की गई है।
  - **मध्य प्रदेश के लिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना** – यह योजना मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार/स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। इस योजना का लक्ष्य विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में नई इकाई स्थापित कर आत्मनिर्भर बनने के लिए स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है।

vii. Simplification/Launching of new schemes/ Sector specific schemes such as:

- **Health Care Segment**
  - PNB Jeevan Rakshak
  - Loan Guarantee Scheme for Covid Affected Sector (LGSCAS)
  - Sanjeevani
- **Hotel Industry:** PNB Satkar Scheme to meet credit requirements to purchase land & building and/or set up/renovate unit for business of Hotels, Restaurants, Lodge etc.
- **PNB is also catering to the populace through State specific schemes launched by State Government:**
  - **PNB Shikara & Houseboat Scheme for Kashmir valley** – The Scheme is applicable only in Union Territories of Jammu & Kashmir and Ladakh to meet various credit requirements i.e. short term as well as long term for the MSMEs, specifically for Hotel Industries, Tour & Travel, Transport, Manufacturing Industries, Export of goods and services, Ship/Boat /Shikara Industry, etc.
  - **Mukhya Mantri Saur Swarojgar Yojana for Uttarakhand State** – The scheme is launched by the Government of Uttarakhand to meet energy needs of rural areas and develop alternate sources of energy with the aim of providing self-employment opportunity to the entrepreneurial youths, migrants & farmers and for overall development of the State.
  - **Mukhya Mantri Udyam Kranti Yojana for Madhya Pradesh** - The scheme is launched by the Government of Madhya Pradesh to provide employment/self-employment opportunities to unemployed youths of Madhya Pradesh. The target of this scheme is to provide self-employment opportunities for becoming self-reliant by setting new unit in manufacturing and service sector.

- **मध्य प्रदेश के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता** – मध्य प्रदेश सरकार ने शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पीएम स्वनिधि योजना की तर्ज पर एक नई योजना शुरू की है, जिसका नाम 'मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना' है, जो काम करने वालों को प्रदान करने के लिए एक विशेष माइक्रो क्रेडिट सुविधा योजना है। ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले रेहड़ी–पटरी वालों को पूंजी ऋण, ताकि वे अपने व्यवसाय को फिर से शुरू करने में मदद कर सकें जो कोविड–19 महामारी और परिणामी लॉकडाउन के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं।

- **राजस्थान राज्य के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना** – राजस्थान सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में रोजगार / स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने और व्यावसायिक जरूरतों के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने के लिए यह योजना शुरू की गई है और यह योजना पूरे राजस्थान राज्य में लागू की गई है।

- **उत्तराखंड राज्य के लिए "पंडित दीन दयाल गृह आवास (होमस्टे) योजना – पीडीडीजीएवाई"** – उत्तराखंड सरकार ने राज्य के स्थानीय लोगों को आवासीय घर को सुसज्जित और पुनर्विकास करके रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए योजना शुरू की है जिसका उपयोग विभिन्न शहरों से आने वाले पर्यटकों के ठहरने की व्यवस्था प्रदान करने के लिए किया जाएगा।

- **मध्य प्रदेश के लिए संत रविदास स्वरोजगार योजना** – अनुसूचित जाति (एससी) श्रेणी के अंतर्गत आने वाले मध्य प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए , मध्य प्रदेश सरकार, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग ने एक नई योजना "संत रविदास स्वरोजगार योजना (एसआरएसवाई)" शुरू की है। जो पूरे मध्य प्रदेश राज्य में लागू की जाएगी।

- **मध्य प्रदेश के लिए डॉ. भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना** – अनुसूचित जाति (एससी) श्रेणी के अंतर्गत आने वाले मध्य प्रदेश के युवाओं को

- **Mukhya Mantri Gramin Path Vikreta for Madhya Pradesh -** The Government of Madhya Pradesh has launched a new scheme on the lines of PM SVANidhi scheme for urban street vendors, namely 'Mukhya Mantri Gramin Path Vikreta Yojana', a special micro credit facility scheme for providing working capital loan to street vendors working in rural areas to help them resume their business that have been adversely affected due to Covid-19 pandemic and consequent lockdown.

- **Indira Gandhi Urban Credit Card Scheme for Rajasthan State –** The scheme is launched by the Government of Rajasthan to provide employment/self-employment opportunities in urban areas and to provide financial resources for business needs and the scheme is implemented across the State of Rajasthan.

- **"Pandit Deen Dayal Griha Awas (Homestay) Yojana - PDDGAY" for the state of Uttarakhand -** Uttarakhand Government has launched the scheme for providing employment opportunities to local people of the State by furnishing and re-developing the residential house which will be used to provide accommodation to tourists coming from different cities.

- **Sant Ravidas Swarozgar Yojana for Madhya Pradesh -** To provide self-employment opportunities to youths of Madhya Pradesh falling under Schedule Caste (SC) category, Government of Madhya Pradesh, Schedule Caste Welfare Department has launched a new scheme "Sant Ravidas Swarozgar Yojana" (SRSY) to be implemented across the State of Madhya Pradesh.

- **Dr. Bhimrao Ambedkar Arthik Kalyan Yojana for Madhya Pradesh -** To provide self-employment opportunities to youths of Madhya

स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए, मध्य प्रदेश सरकार, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग ने एक नई योजना "डॉ. भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना "(बीएएकेवाई) शुरू की है जो पूरे मध्य प्रदेश राज्य में लागू की जाएगी।

- **मध्य प्रदेश के लिए भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना–** अनुसूचित जनजाति (एसटी) श्रेणी के अंतर्गत आने वाले मध्य प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए, मध्य प्रदेश सरकार, जनजातीय कार्य विभाग ने एक नई योजना "भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना" (बीबीएमएसआई) शुरू की है जिसे पूरे मध्य प्रदेश राज्य में लागू किया जाएगा।
- **मध्य प्रदेश के लिए टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना–** अनुसूचित जनजाति (एसटी) श्रेणी के अंतर्गत आने वाले मध्य प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए, मध्य प्रदेश सरकार, जनजातीय कार्य विभाग ने एक नई योजना "टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना" (टीएमएकेवाई) शुरू की है, जिसे पूरे मध्य प्रदेश राज्य में लागू किया जाएगा।

viii. पूर्व–स्वीकृत कारोबार ऋण (पीएबीएल): यह मॉड्यूल सीधे एमएसएमई खंड को कारोबार ऋण के अंतर्गत डिजिटल उधार के माध्यम से हमारे ग्राहकों को, जिनका चालू खाता हमारे बैंक में है, को 1 लाख रुपये से अधिक से लेकर 10 लाख रुपये तक की ऋण सुविधा प्रदान करता है और यह पूरी तरह से प्रणाली द्वारा संचालित होगा। ऋण मूल्यांकन पिछले 12 महीनों में ऋण योग और पीएबीएल स्कोर के माध्यम से चालू खातों में कारोबार संबंधित ऋण (टीआरसी) पर आधारित होगा। पीएपीएल की सफलता को ध्यान में रखते हुए, इस मॉड्यूल के अंतर्गत अच्छी संख्या में कारोबार होने की उम्मीद है।

Pradesh falling under Schedule caste (SC) category, Government of Madhya Pradesh, Schedule Caste Welfare Department has launched a new scheme "Dr. Bhimrao Ambedkar Arthik Kalyan Yojana" (BAAKY) to be implemented across the State of Madhya Pradesh.

- **Bhagwan Birsa Munda Swarozgar Yojana for Madhya Pradesh** - To provide self-employment opportunities to youths of Madhya Pradesh falling under Schedule Tribe (ST) category, Government of Madhya Pradesh, Department of Tribal Work has launched a new scheme "BHAGWAN BIRSA MUNDA SWAROZGAR YOJANA" (BBMSY) to be implemented across the State of Madhya Pradesh.
- **Tantya Mama Arthik Kalyan Yojana for Madhya Pradesh -** To provide self-employment opportunities to youths of Madhya Pradesh falling under Schedule Tribe (ST) category, Government of Madhya Pradesh, Department of Tribal Work has launched a new scheme "Tantya Mama Arthik Kalyan Yojana" (TMAKY) to be implemented across the State of Madhya Pradesh.

viii. Pre-approved Business Loan (PABL): This module is a straight through digital lending to MSME segment to provide loan facility above Rs.1 Lakh to Rs. 10 Lakh under Business loan to our customers who are maintaining current account with us and it will be completely system driven. Loan assessment will be based on Trade Related Credits (TRC) arrived in current accounts through credit summation in last 12 months and the PABL Score. Keeping in view of the success of PAPL, it is expected to garner a good number of business under this module.

ix ई–नवीकरण योजनाः मूल्यांकन प्रक्रिया की दक्षता बढ़ाने, टीएटी को कम करने और छोटे कर्जदारों को सुविधा प्रदान करने के लिए ई–नवीकरण योजना लागू की गई है। यह 10 लाख रुपये तक के जोखिम वाली कार्यशील पूंजी सीमा के स्वतः नवीकरण की एक प्रक्रिया है।

इसके अलावा, आसान नवीकरण की स्ट्रेट–थ्रू प्रोसेस कार्यक्षमता लागू की गई है जहां ग्राहक केवल एसएमएस के माध्यम से अपनी सहमति देगा और पूरी प्रक्रिया बिना किसी शाखा की भागीदारी के डिजिटल रूप से पूरी की जाएगी।

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान कुल 1,628 करोड़ रुपये के 51011 खातों का नवीकरण किया गया।

x. पीएनबी ई–मुद्रा योजनाः डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सूक्ष्म और लघु उद्यमी की ऋण आवश्यकता को पूरा करने के लिए, स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस के माध्यम से, 1,00,000 रुपये तक के ऋण के लिए ई–मुद्रा योजना को लागू किया गया है और जुलाई, 2022 में लाइव कर दिया गया है। मॉड्यूल नियम आधारित प्रक्रिया और स्वीकृति है, जो पूरी तरह से प्रणाली द्वारा संचालित है।

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, कुल 25 खातों में रु. 24 लाख आबंटित किए गए।

xi. एनबीएफसी के साथ ऋण सह–उधारः बैंक ने सह–उधार देने के लिए मैसर्स लैंडिंगकार्ट फाइनेंस लिमिटेड, मैसर्स पैसालो डिजिटल लिमिटेड, मैसर्स वेदिका क्रेडिट कैपिटल लिमिटेड और मैसर्स आईआईएफएल के साथ टाई–अप किया है।

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, कुल 3,784 खातों में रु. 170. 52 करोड़ स्वीकृत किए गए।

xii. पीएनबी लेंस का व्यापक उपयोगः बैंक ने आईटी आधारित समाधान अर्थात पीएनबी लेंस – ऋण प्रबंधन के लिए ऋण समाधान विकसित /अनुकूलित किया है। ऋण प्रबंधन प्रणाली (एलएमएस) के कार्यान्वयन के बाद, मूल्यांकन प्रक्रिया को मानकीकृत किया गया है जो ऋण हामीदारी को सशक्त बनाता है। 25 करोड़ रुपये तक के सभी मुद्रा और एमएसएमई ऋण (नया/नवीकरण/वृद्धि/समीक्षा) पीएनबी लेंस का उपयोग करके संसाधित किए जा सकते हैं। 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक 70,406 करोड़ रुपये की राशि के कुल 2,34,283 आवेदन (एमएसएमई + मुद्रा) स्वीकृत किए गए हैं।

बी. सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएं

भारत में कोविड –19 महामारी से लड़ने के लिए माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के अंतर्गत 20 लाख करोड़

ix. **e-RENEWAL Scheme:** To increase efficiency of the appraisal process, reduce TAT and to provide ease to small borrowers, e-RENEWAL Scheme has been implemented. It is a process of automatic renewal of working capital limit having exposure up to Rs. 10 Lakh.

Further, a functionality of straight through process of easy renewal has been implemented where customer will give his/her consent through SMS only and the entire journey will be completed digitally without any Branch involvement.

During the FY 2022-23, total 51,011 accounts for Rs. 1,628 Crore were renewed.

x. **PNB e-Mudra Scheme:** To meet out credit need of the Micro and Small entrepreneur through Digital platform, a straight through process, e-Mudra Scheme for loan up to Rs. 1,00,000 has been implemented and made live in July 2022. The module is rule based processing & sanctioning, which is completely system driven.

During FY 2022-23, total 25 accounts were disbursed for Rs. 24 Lakh.

xi. **Co-lending of loans with NBFCs:** Bank has tie up arrangement with M/s Lendingkart Finance Ltd, M/s Paisalo Digital Ltd, M/s Vedika Credit Capital Ltd. and M/s IIFL for co-lending.

During FY 2022-23, total 3,784 accounts for Rs. 170.52 Crore were sanctioned.

xii. **Extensive use of PNB LenS:** Bank had developed/customized IT based solution i.e. PNB LenS – The Lending Solution for loan management. After implementation of LMS, assessment process is standardized which has strengthened the credit underwriting. Now, the module for processing of the application under Mudra and MSME loans (fresh/renewal/enhancement/review) upto Rs. 25 Crore are available through PNB LenS. Total 2,34,283 applications (MSME + Mudra) have been sanctioned amounting Rs. 70,406 Crore from 1st April, 2022 to 31st March, 2023.

b. **Government Sponsored Schemes**

Special economic and comprehensive package of Rs. 20 Lakh Crore to fight COVID-19 pandemic in India was announced by Hon'ble Prime Minister under the

रुपये के विशेष आर्थिक और व्यापक पैकेज की घोषणा की गई थी।

रोजगार को बनाए रखने और देनदारियों को पूरा करने में मदद करके तनावग्रस्त क्षेत्रों को राहत प्रदान करने के लिए, बैंक ने एमएसएमई को अपने व्यापार की निरंतरता को त्वरित संबोधित करने और संकट के दौरान आत्मनिर्भर रहने और उन्हें इसके बाद आगे बढ़ने में सक्षम बनाने के लिए कई पहल की हैं, जैसे:

i. **गारंटीकृत आपातकालीन ऋण व्यवस्था (जीईसीएल) सुविधा:** यह योजना कोविड –19 महामारी से प्रभावित विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों का समर्थन करने के लिए 4 चरणों (जीईसीएल 1.0, 2.0, 3.0 और 4.0) में क्रियान्वित की गई थी।

31.03.2023 के अनुसार बैंक ने रु. 21,872 करोड़ की राशि के 4,52,098 खातों को स्वीकृति दी है, जिसमें से रु. 19,198 करोड़ की राशि के 2,03,928 खातों का वितरण किया जा चुका है।

ii. **दबावग्रस्त एमएसएमई के लिए गौण ऋण हेतु क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएसएसडी):** एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार ने सीजीटीएमएसई के माध्यम से तनावग्रस्त एमएसएमई के प्रवर्तकों को व्यवसाय में इक्विटी/अर्ध इक्विटी के रूप में निवेश के लिए व्यक्तिगत ऋण प्रदान करने हेतु "गौण ऋण हेतु क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएसएसडी)" शुरू की, जो दबावग्रस्त एमएसएमई अग्रिमों के पुनर्गठन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार पुनर्गठन हेतु पात्र हैं।

वित्त वर्ष 2022–2023 के दौरान, बैंक ने रु. 21 करोड़ की राशि के 274 खातों को मंजूरी दी है, जिसमें से 158 खातों में 16.37 करोड़ रुपये संवितरित किए गए।

iii. **पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि):** यह आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू की गई केन्द्र सरकार की एक योजना है, जिसे स्ट्रीट वेंडर को 10,000 रुपये तक का वित्त प्रदान करने के लिए बनाया गया है, जो इस क्षेत्र लिए आर्थिक वृद्धि के नए द्वार खोलेगी। यह योजना 2 जुलाई, 2020 को शुरू की गई थी और यह 24 मार्च, 2020 को या उससे पहले शहरी क्षेत्रों में बिक्री में लगे सभी सड़क विक्रेताओं के लिए उपलब्ध है। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत ऋण को दिसंबर 2024 तक बढ़ाया गया है। सभी ऋणों पर क्रेडिट गारंटी और ब्याज सब्सिडी के दावों का भुगतान मार्च 2028 तक

'Aatma Nirbhar Bharat Abhiyan'.

To provide relief to stressed sectors by helping sustaining the employment and meet liabilities, Bank has taken various initiatives to enable MSMEs to promptly address their business continuity and remain firmly on their feet during the crisis and also enable them to move forward in its aftermath, such as:

i. **Guaranteed Emergency Credit Line (GECL) scheme:** The scheme was implemented in 4 phases (GECL 1.0, 2.0, 3.0 and 4.0) to support the various business activities affected by Covid-19 pandemic.

As on 31st March, 2023, the Bank has sanctioned 4,52,098 accounts amounting to Rs. 21,872 Crore, out of which 2,03,928 accounts for Rs. 19,198 Crore were disbursed.

ii. **Credit Guarantee Scheme for Subordinate Debt for Stressed MSMEs:** Ministry of MSME, Govt. of India through CGTMSE has introduced "Credit Guarantee Scheme for Subordinate Debt (CGSSD) to provide personal loan to the promoters of Stressed MSMEs for infusion as equity/quasi equity in the business, eligible for restructuring as per RBI guidelines for restructuring of stressed MSME advances".

During FY 2022-2023, the Bank has sanctioned 274 accounts amounting to Rs. 21 Crore, out of which 158 accounts for Rs.16.37 Crore were disbursed.

iii. **PM Street Vendor's Atma Nirbhar Nidhi (PM SVANidhi):** This is a Central Government Scheme launched by Ministry of Housing and Urban Affairs formalized for Street vendors providing finance upto Rs 10,000 which opened up new opportunities for this section to move up the economic ladder. For a country like India, where the informal sector still employs a large chunk of the employable population, this scheme mainly aimed at informal sector to become popular. The scheme was launched on 2nd July, 2020 and it is available to all street vendors engaged in urban areas as on or before 24th March, 2020. Lending under the PM SVANidhi Scheme is extended till December 2024. Credit Guarantee and interest Subsidy claims on all

किया जाएगा।

इसके अलावा, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने पीएम स्वनिधि लाभार्थियों को बढ़ा हुआ ऋण (20,000 रुपये की दूसरी किश्त और 50,000 रुपये की तीसरी किश्त) देने के लिए मौजूदा योजना का लाभ प्रदान किया है ताकि वे पीएम स्वनिधि के अंतर्गत पहले के ऋण को समय पर पुनर्भुगतान कर सकें।

31 मार्च, 2023 के अनुसार 3,30,080 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 3,07,990 (93.31 प्रतिशत) ऋण संवितरित किए जा चुके हैं।

iv. **अग्रिमों की पुनर्गठन:** आरबीआई दिशानिर्देश दिनांक 1 जनवरी, 2019, 11 फरवरी, 2020, 6 अगस्त, 2020 और आरबीआई दिशानिर्देश दिनांक 5 मई, 2021 के अंतर्गत समाधान ढांचा 2.0 के अनुसार, बैंक ने आरबीआई द्वारा निर्धारित उन सभी पात्र इकाइयों में जो एमएसएमई के अंतर्गत दबाव में हैं, जिनके पास 50 करोड़ रुपये तक का ऋण जोखिम है,'वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग' और समाधान ढांचा 2.0 के लिए दिशानिर्देशों को मंजूरी दी थी।

सभी पात्र इकाइयों में दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन के माध्यम से कुल 1,22,886 खातों में रु. 6,688 करोड़ राशि का पुनर्गठन किया गया है।

v. **Psbloansin59minutes.com के माध्यम से संपर्क रहित ऋण:** 59 मिनट के भीतर 5 करोड़ रुपये तक के एमएसएमई ऋणों के लिए सैद्धांतिक मंजूरी के लिए Psbloansin59minutes.com के नाम से एक पोर्टल मौजूद है। बैंक इस पोर्टल का उपयोग कर रहा है और इसे लाइव कर दिया गया है। इसके अलावा, बैंक मुद्रा ऋण के लिए मैसर्स ऑनलाइन पीएसबी लोन्स लिमिटेड द्वारा शुरू किए गए मुद्रा पोर्टल पर भी है। कारोबार के इस खंड के अंतर्गत बैंक का प्रदर्शन अच्छा रहा है। सैद्धांतिक स्वीकृति को अधिकतम करने के लिए हमने इस पोर्टल पर अपने सभी प्रमुख एमएसएमई उत्पादों को पहले ही शामिल कर दिया है।

31 मार्च, 2023 तक एमएसएमई और मुद्रा ऋण के लिए प्राप्त 56,403 आवेदनों में से 53,536 आवेदनों का निपटान किया जा चुका है।

सी. तिमाही के दौरान प्राप्त पुरस्कार

i. **9 वें एमएसएमई उत्कृष्टता पुरस्कारों हेतु सर्वश्रेष्ठ एमएसएमई बैंक में पीएनबी (उपविजेता):** पंजाब नैशनल बैंक को 21 मार्च, 2023 को एसोचैम द्वारा आयोजित 9 वें एमएसएमई उत्कृष्टता पुरस्कार और शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ एमएसएमई बैंक

loans will be paid till March 2028.

In addition to this, Ministry of Housing and Urban Affairs has extended the benefit of existing scheme to provide enhanced loan (2nd tranche of Rs. 20,000 and 3rd tranche of Rs. 50,000) to PM SVANidhi beneficiaries on timely repayment of earlier loan under PM SVANidhi Scheme.

As on 31st March, 2023, 3,30,080 applications have been sanctioned out of which 3,07,990 (93.31 per cent) have been disbursed.

iv. **Restructuring of Advances:** In terms of RBI guidelines dated 1st January, 2019, 11th February, 2020, 6th August, 2020 and Resolution Framework 2.0 under RBI's guidelines dated 5th May, 2021, the Bank had approved the guidelines prescribed by RBI for 'One Time Restructuring' & Resolution Framework 2.0 in all the eligible units which are under stress in MSMEs having borrower exposure upto Rs. 50 Crore.

Through implementation of guidelines in all the eligible units, total 1,22,886 accounts for Rs. 6,688 Crore were restructured.

v. **Contactless loan through Psbloansin59minutes.com:** A portal for in-principle approval for MSME loans upto Rs. 5 Crore within 59 minutes is in place in the name of psbloansin59minutes.com. The Bank has on-boarded this portal and it has been made live in PNB. Further, the Bank has also on boarded Mudra loans on the Mudra Portal launched by M/s Online PSB Loans Ltd. Performance under this segment of business has remained good for the Bank. We have already configured all our flagship MSME products on this portal to maximize in-principle sanctions.

As on 31st March, 2023, total 53,536 applications were disposed off, out of 56,403 applications received for MSME & MUDRA loans.

c. Awards received during the quarter

i. **PNB won Best MSME Bank (Runner Up) for 9th MSME Excellence Awards:** Punjab National Bank was felicitated with Best MSME Bank (Runner Up) at 9th MSME Excellence Awards and Summit

(उपविजेता) के रूप में पुरस्कृत किया गया।

ii. **उत्तर प्रदेश में पीएमईजीपी में उत्कृष्ट योगदान हेतु पीएनबी को प्रथम पुरस्कार** : बैंक को 10–12 फरवरी, 2023 को लखनऊ में आयोजित वैश्विक निवेशक सम्मेलन उत्तर प्रदेश (यूपीजीआईएस) 2023 के दौरान उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

iii. **चैंबर ऑफ इंडियन माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज (सीआईएमएसएमई), नई दिल्ली द्वारा आयोजित एमएसएमई बैंकिंग उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 समारोह:** चैंबर ऑफ इंडियन माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज (सीआईएमएसएमई), नई दिल्ली द्वारा आयोजित एमएसएमई बैंकिंग उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 समारोह में पंजाब नैशनल बैंक को निम्नलिखित श्रेणियों के लिए सम्मानित किया गया है:

- सर्वश्रेष्ठ एमएसएमई बैंक
- एमएसएमई फ्रेण्डली बैंक
- सरकारी योजनाओं को कार्यान्वित करने वाला बैंक
- कोविड संबंधी योजनाओं को लागू करना

6. **वित्तीय समावेशन**

बैंक वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में नई पहलें करने में अग्रणी रहा है।बैंक 2012 से कारोबार प्रतिनिधि (बीसी) सेवाएं प्रदान कर रहा है और उप सेवा क्षेत्र (एसएसए) तथा गैर एसएसए क्षेत्र में बीसी के प्रभावी उपयोग के माध्यम से व्यापक वित्तीय समावेशन कार्यक्रम लागू कर रहा है। एसएसए कुछ गांवों का समूह है और बैंक की एक मूल शाखा से जुड़ा हुआ है।

ए) बैंक ने अखिल भारतीय आधार पर बीसी के माध्यम से प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) और अन्य वित्तीय समावेशन सेवाओं को लागू किया है। पीएमजेडीवाई खातों में 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधाएं पात्र खाताधारकों (आयु वर्ग 18–65) को उपलब्ध करवाई गई है।

बी) बीसी लोकेशन पर बायोमेट्रिक आधारित ईकेवाईसी खाते खोलना और आधार सीडिंग।

सी) बीसी स्थलों के साथ–साथ शाखाओं और इंटरनेट बैंकिंग/मोबाईल बैंकिंग के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा योजना अर्थात प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) सुविधाएं, उपलब्ध हैं। 31 मार्च, 2023 तक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की प्रगति निम्नानुसार है:

organized by Assocham on 21st March, 2023.

ii. **PNB won First Prize for Outstanding Contribution to PMEGP in Uttar Pradesh:** The Bank has been awarded first prize for outstanding contribution under Prime Minister's Employment Generation Program in Uttar Pradesh during Uttar Pradesh Global Investors Summit (UPGIS) 2023 held in Lucknow, 10th-12th February, 2023.

iii. **MSME Banking Excellence Award 2022 ceremony organized by Chamber of Indian Micro, Small and Medium Enterprises (CIMSME), New Delhi:** Punjab National Bank has been awarded in MSME Banking Excellence Award 2022 Ceremony organized by Chamber of Indian Micro, Small and Medium Enterprises (CIMSME), New Delhi for the following categories:

- Best MSME Bank
- MSME Friendly Bank
- Government Schemes implementing Bank
- Implementing Covid related Schemes

6. **Financial Inclusion**

The Bank has been the pioneer in taking initiative in the area of financial inclusion. The Bank is providing Business Correspondents (BCs) services since 2012 & implementing comprehensive Financial Inclusion Program through effective utilization of BCs in Sub Service Area (SSA) & non SSA area. SSA is a cluster of few villages and is linked to one base branch of the Bank.

a. The Bank has implemented Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) and other financial inclusion services through BCs on PAN India basis. Overdraft facilities up to Rs. 10,000 in PMJDY accounts provided to eligible account holders (age group 18-65).

b. Biometric based eKYC account opening and Aadhar seeding at BC Locations.

c. Social security schemes, i.e. Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY), Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) and Atal Pension Yojana (APY) facilities, are available at BC locations as well as branches and through Internet Banking/Mobile Banking. The Progress of Social Security Schemes till 31st March, 2023 is as under:

i. पीएमजेजेबीवाई: 54.98 लाख ग्राहकों का नामांकन किया गया।

ii. पीएमएसबीवाई: 210.66 लाख ग्राहकों का नामांकन किया गया।

iii. एपीवाई: 28.11 लाख ग्राहकों ग्राहकों का नामांकन किया गया।

31 मार्च, 2023 के अनुसार बैंक, ग्रामीण, अर्ध–शहरी, शहरी और मेट्रो केंद्रों में 24,227 बीसी प्रतिनिधि / बैंक मित्र (संपूर्ण देश में) के माध्यम से बैंक की आवश्यकता के आधार पर बुनियादी बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रहा है। बीसी प्रतिनिधि / बैंक मित्र बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए माइक्रो एटीएम / लैपटॉप / डेस्कटॉप / मोबाइल / टैब आदि का उपयोग करते हैं। वर्तमान में कियोस्क बैंकिंग समाधान के माध्यम से बीसी स्थानों पर वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) के ईज एजेंडा के अनुसार निम्नलिखित सेवाएं उपलब्ध हैं.

ए. बचत खाता खोलना

बी. सावधि जमा रसीद (टीडीआर) / आवर्ती जमा (आरडी) खोलना, टीडी /आरडी का नवीकरण

सी. नकद जमा (अपना बैंक)

डी. नकद निकासी (हमारे साथ), नकद निकासी (हमसे अलग)

ई. निधि अंतरण (अपना बैंक), निधि अंतरण (अन्य बैंक – आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस) / रुपे कार्ड)

एफ. त्वरित भुगतान सेवा (आईएमपीएस), राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी), भारत–नेपाल धन–प्रेषण

जी. शेष पूछताछ (अपना बैंक), शेष पूछताछ (अन्य बैंक)

एच. रुपे डेबिट कार्ड के लिए आवेदन करना, डेबिट कार्ड को ब्लॉक करना

आई. सामाजिक सुरक्षा योजनाओं अर्थात सूक्ष्म दुर्घटना मृत्यु बीमा (पीएमएसबीवाई), सूक्ष्म जीवन बीमा (पीएमजेजेबीवाई), पेंशन योजना (एपीवाई) के लिए नामांकन करना

जे. आधार दर्ज करना

के. स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) एवं संयुक्त देयता समूह (जेएलजी): क्रेडिट लिंकेज सहित गठन तथा प्रचार के लिए

एल. पासबुक अपडेट, मिनी स्टेटमेंट

एम. चेक संग्रहण

एन. नई चेक बुक का अनुरोध, चेक का भुगतान रोकना, चेक की स्थिति की जांच करना

ओ. एसएमएस अलर्ट / ई–मेल स्टेटमेंट (पंजीकृत मोबाइल नंबर / ई–मेल) के लिए अनुरोध।

i. PMJJBY: 54.98 Lakh customers enrolled.

ii. PMSBY: 210.66 Lakh customers enrolled.

iii. APY: 28.11 Lakh customers enrolled.

As on 31st March, 2023, Bank is providing basic banking services through 24,227 BC Agents/Bank Mitras (PAN India) in Rural, Semi-Urban, Urban and Metro centres depending upon the requirement of the Bank. The BC Agents/Bank Mitras use Micro ATM/Laptop/Desktop/Mobile/Tab etc. for providing the banking services. At present following services as per EASE agenda of Department of Financial Services (DFS) is available at BC locations through Kiosk Banking Solution:

a. Savings Account Opening

b. Term Deposit Receipt (TDR)/ Recurring Deposit (RD) opening, Renew TD/RD

c. Cash Deposit (own bank)

d. Cash Withdrawal (on us), Cash withdrawal (off us)

e. Fund transfer (own bank), Fund transfer (other Bank—Aadhaar Enabled Payment System (AEPS)/RuPay card)

f. Immediate Payment Service (IMPS), National Electronic Funds Transfer (NEFT), Indo-Nepal Remittance

g. Balance enquiry (own bank), Balance enquiry (other bank)

h. Apply for RuPay debit cards, Block debit card

i. Enroll for social security schemes i.e. micro accidental death insurance (PMSBY), micro life insurance (PMJJBY), pension scheme (APY)

j. Aadhaar seeding

k. Self Help Group (SHG) & Joint Liability Group (JLG): For formation & promotion, including credit linkage

l. Passbook update, Mini statement

m. Cheque collection

n. Request new cheque book, Stop payment of cheque, Cheque status enquiry

o. Request for SMS alert / email statement (registered mobile number/email).

पी. भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस)

क्यू. बैंक द्वारा अनुमोदित सीमा तक वसूली / संग्रहण।

आर. रिटेल / मुद्रा / कृषि के लिए ऋण अनुरोध प्रारंभ करना

एस. चालू खाता खोलने के लिए अनुरोध प्रारंभ करना

टी. तृतीय पक्ष उत्पादों के लिए अनुरोध प्रारंभ करना

यू. बीसी एजेंटों के माध्यम से पीएनबी वन का अंगीकरण

VI. जोखिम एवं मामले

जोखिम बैंक के व्यवसाय संचालन का अभिन्न अंग है। बैंक प्रमुख जोखिमों जैसे ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालन जोखिम, तरलता जोखिम एवं ब्याज दर जोखिम के संपर्क में है और उन जोखिमों को प्रबंधित करने और कम करने के लिए उपायों, नीतियों, प्रणालियों और प्रक्रियाओं को लागू किया है। इन जोखिमों के अतिरिक्त, बैंक के पास प्रतिष्ठित जोखिम, सामरिक जोखिम, आईटी जोखिम, साइबर जोखिम, अनुपालन जोखिम, ईएसजी जोखिम, आचरण जोखिम और अन्य अवशिष्ट जोखिमों जैसे वास्तविक जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए एक विश्वसनीय आंतरिक नियंत्रण वातावरण है। बैंक के निदेशक मंडल ने रणनीतिक महत्व के विभिन्न क्षेत्रों को देखने के लिए बोर्ड की विभिन्न उप–समितियों और / या कार्यात्मक समितियों का गठन किया है।

ऋण जोखिम प्रबंधन

बैंक के पास एक मजबूत ऋण जोखिम प्रबंधन की रूपरेखा है और बैंक ने व्यापक जोखिम स्कोरिंग / रेटिंग प्रणाली विकसित की है जो एक सुसंगत तरीके से ऋण निर्णय लेने के लिए प्रतिपक्षों के विविध जोखिम कारकों के एकल बिंदु संकेतक के रूप में कार्य करती है। बैंक के पास उधारकर्ताओं के जोखिम मूल्यांकन के लिए इन–हाउस ऋण जोखिम रेटिंग मॉडल हैं और रिटेल अग्रिमों एवं एमएसएमई तथा कृषि क्षेत्र के अग्रिमों के संबंध में स्कोरिंग मॉडल भी विकसित और कार्यान्वित किए हैं। इसके अतिरिक्त, बैंक ने पीएनबी संपत्ति, पीएनबी जीएसटी एक्सप्रेस ऋण, प्री–अप्रूव्ड पर्सनल लोन स्कीम, ई–मुद्रा एवं को–लेंडिंग के अंतर्गत लेंडिंग जैसे किसी विशेष खंड के लिए डिजाइन की गई विशिष्ट ऋण योजनाओं की विशिष्ट उधार की विशेषता को जानने हेतु एनबीएफसी के साथ व्यवस्था के अंतर्गत अलग क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल विकसित किए हैं।

बैंक अपनी प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए ऋण जोखिम रेटिंग एवं स्कोरिंग मॉडलों के आवधिक सत्यापन का कार्य करता है। बैंक अपने ऋण जोखिम रेटिंग मॉडल के सुदृढ़ीकरण का परीक्षण करने के लिए प्रवासन और डिफॉल्ट दर विश्लेषण का कार्य भी करता है। ऋण रेटिंग और स्कोरिंग मॉडल का आउटपुट निर्णय लेने से जुड़ा हुआ है जिसमें ऋण स्वीकृति,

p. Bharat Bill Payment System (BBPS)

q. Recovery/Collection up to bank approved limits

r. Loan request initiation for Retail/Mudra/Agriculture

s. Request initiation for Current account opening

t. Request initiation for Third Party Products

u. PNB ONE adoption through BC Agents

VI. Risks & Concerns

Risk is integral part of the Bank's business operations. The Bank is exposed to major risks namely credit risk, market risk, operational risk, liquidity risk and interest rate risk and has put in place measures, policies, systems, and procedures to manage and mitigate those risks. Apart from these risks, the Bank has a reliable internal controlling environment to manage materials risks such as Reputational risk, Strategic Risk, IT Risk, Cyber Risk, Compliance Risk, ESG Risk, Conduct Risk and other residual risks. The Board of Directors of the Bank has constituted various Sub-Committees of Board and/or Functional Committees to look into different areas of strategic importance.

Credit Risk Management

The Bank has a robust Credit Risk management framework and has developed comprehensive risk scoring/rating system that serves as a single point indicator of diverse risk factors of counterparties for taking credit decisions in a consistent manner. Bank has in-house credit risk rating models for risk assessment of borrowers and has also developed and implemented scoring models in respect of Retail advances and MSME & Farm sector advances. In addition, the Bank has developed separate credit scoring models to capture the peculiarity of specific lending schemes designed for a particular segment such as PNB Sampatti, PNB GST express loan, Pre-Approved Personal Loan scheme, e-Mudra and lending under co-lending arrangements with NBFCs.

The Bank undertakes periodic validation exercise of its credit risk rating and scoring models to ensure their efficacy. The Bank also conducts migration and default rate analysis to test robustness of its credit risk rating models. Output of credit rating and scoring models is linked to decision making which

मूल्य निर्धारण, ऋण देने की शक्ति के अतिरिक्त ऋण पोर्टफोलियो की लेखा परीक्षा, समीक्षा और निगरानी शामिल है। बैंक ने ऋण जोखिम प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं को कवर करने वाली कई नीतियां लागू की हैं ताकि प्रभावी उधार प्रथाओं की एक श्रेणी हो।

प्रक्रियाओं के स्वचालन और बढ़ते अनुपालन के व्यापक उद्देश्य के अनुसरण में, बैंक ने विभिन्न ग्राहक खंडों को लक्षित करने वाले विभिन्न डिजिटल रिटेल ऋण उत्पाद लॉन्च किए हैं। ये उत्पाद नियम–आधारित प्रसंस्करण और स्वीकृति पर आधारित हैं, जो एंड–टू–एंड या लगभग एंड–टू–एंड सिस्टम संचालित होंगे तथा इन उत्पादों के जोखिम का आकलन करने के लिए अलग–अलग स्कोरकार्ड विकसित किए गए हैं।

बैंक ने ई–नवीकरण योजना भी शुरू की है, जो एक निश्चित सीमा तक जोखिम वाली कार्यशील पूंजी ऋण सुविधाओं के नवीकरण के लिए एक स्वचालित/सीधे माध्यम से प्रक्रिया (एसटीपी) है।

बैंक के पास 1 करोड़ रुपये से अधिक के अग्रिमों की प्रभावी निगरानी के लिए तथा उधार खातों के परिचालन में गिरावट का शीघ्र पता लगाने हेतु प्रारंभिक चेतावनी निगरानी उपकरण 'पीएनबी सजग' (प्रारंभिक चेतावनी संकेत + निवारक निगरानी प्रणाली) है। सिस्टम 136 प्रारंभिक चेतावनी संकेतों पर खातों की निगरानी करता है जिसमें आरबीआई द्वारा निर्धारित 42 सिग्नल, वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) द्वारा निर्धारित 84 सिग्नल और 10 बैंक विशिष्ट सिग्नल शामिल हैं।

ईडब्ल्यूएस तंत्र में सुधार के लिए, बैंक ने पीएनबी सजग 2.0 के नाम से पूरी तरह से स्वचालित अर्ली वार्निंग सिग्नल (ईडब्ल्यूएस) और इंटेलिजेंट ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम (आईटीएमएस) लागू किया है, जिसे कई डेटा स्रोतों (आंतरिक, बाहरी और साथ ही सिस्टम विश्लेषण) के साथ एकीकृत किया गया है। डेटा प्रवाह को स्वचालित करने के लिए इस प्रणाली का चरण–I (ओईएम का मानक समाधान) पायलट आधार पर 24 नवम्बर, 2022 से पहले ही शुरू हो चुका है। बैंक की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित आवेदन (चरण– II) पैन इंडिया आधार पर लाइव होने की प्रक्रिया में है।

बैंक ने एक अलग उद्योग अनुसंधान डेस्क वर्टिकल स्थापित किया है, जो उद्योगों के इन–हाउस जोखिम मूल्यांकन करता है तथा वह गणना किए गए उद्योग जोखिम स्कोर के आधार पर 150 से अधिक उद्योगों के लिए उद्योग दृष्टिकोण तैयार करता है। उद्योग जोखिम मूल्यांकन अभ्यास का आउटपुट उद्योग हैंडआउट में अनुवादित किया गया है जो कार्यकारी सारांश और विभिन्न उद्योग जोखिम मापदंडों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करता है। इसके अतिरिक्त, उद्योग आउटलुक में 'अप' 'स्टेबल' एवं 'डाउन' रुझान भी तिमाही के दौरान उद्योगों में महत्वपूर्ण विकास को समाहित करके प्रदान किया गया है।

includes credit sanctioning, pricing, loaning powers besides audit, review & monitoring of credit portfolio. The Bank has put in place several policies covering various aspects of credit risk management to have a uniform set of effective lending practices.

In pursuance of overarching objective of automation of processes and increased compliance, the Bank has launched various digital retail lending products targeting different customer segments. These products are based on rule-based processing & sanctioning, which shall be end-to-end or near end-to-end system driven and separate scorecards have been developed to assess the risks for these products.

The Bank has also launched e-Renewal Scheme, an automatic/Straight through Process (STP) for renewal of working capital credit facilities having exposure up to a certain threshold.

The Bank has in place an Early Warning monitoring tool 'PNB SAJAG' (Early Warning Signal+ Preventive Monitoring System) for effective monitoring of advances above Rs. 1 Crore and early detection of deterioration in health of borrowal accounts. The system monitors the accounts on 136 Early Warning Signals including 42 signals prescribed by RBI, 84 signals prescribed by Department of Financial Services (DFS) and 10 bank specific signals.

To improve the EWS mechanism, the Bank has implemented a fully automated Early Warning Signal (EWS) and Intelligent Transaction Monitoring system (ITMS) in the name of PNB SAJAG 2.0 which has been integrated with multiple data sources (internal, external as well as system analyzed) to automate the dataflow. Phase-I of this system (OEM's standard solution) has already been rolled out w.e.f. 24th November, 2022 on pilot basis. The customized application (Phase-II) as per the Bank's requirements is on course of making live on Pan India basis.

The Bank has established a separate Industry Research Desk vertical, which carries out in-house risk assessment of industries and prepares industry outlooks for more than 150 industries based on calculated industry risk scores. Output of industry risk assessment exercise is translated into Industry Handout which presents executive summary and brief of various industry risk parameters. Further, 'Up', 'Stable' and 'Down' trends in Industry Outlook is also provided by encapsulating significant developments in industries during the quarter.

मालेगाम समिति की सिफारिशों के अनुपालन में, बैंक के एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रभाग के भीतर एक समर्पित बाजार आसूचना इकाई बनाई गई है। यह इकाई निश्चित सीमा से ऊपर के उधारकर्ताओं के विभिन्न वर्गों पर बाजार आसूचना रिपोर्ट प्रदान करती है।

ये प्रक्रियाएं ऋण की त्वरित और सटीक सुपुर्दगी और निगरानी करने में सहायता करती हैं, मूल्यांकन में एकरूपता लाती हैं एवं डेटा के भंडारण तथा उसके विश्लेषण की सुविधा प्रदान करती हैं।

बाजार जोखिम और आस्ति देयता प्रबंधन

बैंक में बाजार जोखिम प्रबंधन कार्यों के लिए एक सुपरिभाषित संगठनात्मक संरचना मौजूद है जो बाजार जोखिम के अर्थात ब्याज दर जोखिम, इक्विटी मूल्य जोखिम और विदेशी मुद्रा जोखिम के समग्र प्रबंधन की प्रक्रिया की देखरेख करती है और इसके मापने एवं निगरानी की कार्यप्रणाली निवेश पोर्टफोलियो को सुदृढ़ तथा तरल रखने के लिए लागू करता है।

मिड–ऑफिस (ट्रेजरी ऑपरेशंस का), बैंक के निवेश पोर्टफोलियो के बाजार जोखिम पर निगरानी रखता है और समूह मुख्य जोखिम अधिकारी (जीसीआरओ) को रिपोर्ट करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ट्रेजरी ऑपरेशंस से इसके कामकाज की स्वतंत्रता सुनिश्चित हो। इसके अतिरिक्त, बाजार जोखिम प्रबंधन समिति (एमआरएमसी) बैंक की एक कार्यात्मक समिति है, जो बाजार जोखिम के समग्र प्रबंधन की देखभाल करती है।

मिड–ऑफिस निवेश पोर्टफोलियो को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए वीएआर, दबाव परीक्षण, जोखिम सीमा जैसे एम–अवधि, पीवी01, एक्सपोजर सीमा आदि जैसे सांख्यिकीय उपकरणों के माध्यम से विभिन्न जोखिम स्थितियों की निगरानी करता है। निगरानी को मजबूत और प्रणाली संचालित बनाने के लिए, बाजार जोखिम की बेहतर निगरानी और प्रबंधन हेतु फिनेकल ट्रेजरी एप्लिकेशन में उपकरणों/सीमाएं स्वचालित की गई हैं। इसके अतिरिक्त, विभिन्न देशों में जोखिम के प्रभाव को शामिल करने के लिए, प्रभावी मूल्य निर्धारण के लिए देश जोखिम प्रीमियम को मूल्य निर्धारण संरचना में शामिल किया गया है।

बैंक का एक अलग आस्ति देयता प्रबंधन प्रकोष्ठ है जो चलनिधि जोखिम और ब्याज दर जोखिम का सक्रिय रूप से प्रबंधन एवं निगरानी करता है। अल्पकालिक लचीलेपन के लिए चलनिधि जोखिम का आकलन करने हेतु, बैंक दैनिक आधार पर चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) की गणना और निगरानी करता है। दीर्घावधि लचीलेपन के लिए, बैंक मासिक आधार पर निवल स्थिर निधि अनुपात (एनएसएफआर) की गणना तथा निगरानी करता है।

In compliance to Malegam Committee's recommendations, a dedicated Market Intelligence Unit is created within Integrated Risk Management Division of the Bank. The unit provides Market Intelligence Report on different classes of borrowers above certain threshold.

These processes help to achieve quick & accurate delivery and monitoring of credit, bring uniformity in the appraisal and facilitate storage of data & analysis thereof.

Market risk and Asset Liability Management

The Bank has in place a well-defined organizational structure for market risk management which looks into the process of overall management of market risk viz. interest rate risk, equity price risk and foreign exchange risk, and implements methodologies for measuring and monitoring the same to keep the investment portfolio healthy and liquid.

Mid-Office (of Treasury Operations), looks after market risk of the investment Portfolio of the Bank and reports to Group Chief Risk Officer (GCRO) to ensure the independence of its functioning from treasury operations. Further, Market Risk Management Committee (MRMC) a functional committee of the Bank, is also in place to look after the overall management of Market Risk.

Mid-Office monitors various risk positions through statistical tools like VaR, stress tests, risk limits like M-Duration, PV01, exposure limit etc. to effectively manage the investment portfolio. In order to make the monitoring robust and system driven, tools/limits have been automated in Finacle treasury application for better monitoring and management of Market Risk. Further, in order to incorporate the impact of riskiness of exposure in different countries, Country Risk Premium has been incorporated in the pricing structure for effective pricing.

The Bank has a separate Asset Liability Management Cell that manages and monitors liquidity risk and interest rate risk proactively. To assess funding liquidity risk for short term resilience, the Bank computes and monitors Liquidity Coverage Ratio (LCR) on daily basis. For long term resilience, the Bank computes and monitors Net Stable Funding Ratio (NSFR) on monthly basis.

बैंक वैश्विक बाजारों में विकास पर कड़ी नजर रखता है तथा इस तरह की जोखिम वाली घटनाओं से खुद को बचाने के लिए नियमित रूप से अपने पोर्टफोलियो को स्कैन करता है। वैश्विक बैंकों की हालिया विफलता के बाद, बैंक ने अपनी निवेश बही अर्थात बैंकिंग बुक (एचटीएम श्रेणियां) एवं ट्रेडिंग बुक (एएफएस और एचएफटी) का विस्तृत दबाव परीक्षण किया है। दोनों पोर्टफोलियो गंभीर लेकिन प्रशंसनीय परिदृश्यों का उपयोग करके दबाव परीक्षण के अधीन है। और पूंजी पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन निम्न, मध्यम और उच्च दबाव परिदृश्य के अंतर्गत किया गया था। इस प्रकार, बैंक ने भी चलनिधि दबाव परीक्षण किया और एलसीआर पर प्रभाव का आकलन किया गया तथा उसके बाद चलनिधि की कमी से निपटने के लिए आकस्मिक निधि योजना तैयार की गई है। बैंक हर समय तरलता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निरंतर आधार पर अपनी आस्तियों का प्रबंधन करता है।

बैंक 17 फरवरी, 2023 को आरबीआई के नए दिशानिर्देश के अनुसार जून, 2023 को समाप्त होने वाली तिमाही से बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी) को लागू करने की प्रक्रिया में है। आईआरआरबीबी ब्याज दरें जो इसकी बैंकिंग बुक स्थिति को प्रभावित करती हैं में प्रतिकूल गतिविधियों से बैंक की पूंजी एवं आय अर्जन के लिए वर्तमान एवं भावी जोखिम को संदर्भित करता है।

परिचालन जोखिम प्रबंधन

परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन कार्यों के लिए बैंक के पास सुपरिभाषित संगठनात्मक ढांचा एवं रुपरेखा मौजूद है। बैंक उपकरणों के माध्यम से परिचालन जोखिम की पहचान, माप, निगरानी और नियंत्रण/शमन कर रहा है। आंतरिक/बाहरी हानि डेटा, मिस इवेंट्स के पास, जोखिम नियंत्रण और स्व–मूल्यांकन सर्वेक्षण (आरसीएसए), प्रमुख जोखिम संकेतक (केआरआई), धन–शोधन एवं आतंकवादी वित्तपोषण जोखिम तथा परिदृश्य विश्लेषण के लिए जोखिम आधारित आकलन करता है। विभिन्न स्तरों पर अनुमोदन के माध्यम से मौजूदा प्रक्रियाओं को शुरू करने/संशोधित करने से पहले उत्पाद/गतिविधियों/प्रक्रियाओं और प्रणालियों में परिचालन जोखिम का विश्लेषण करने के लिए बैंक के पास मजबूत तंत्र है। वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग से उत्पन्न होने वाले जोखिम के प्रभावी निरीक्षण, समुचित सावधानी तथा प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए बैंक के पास मजबूत व्यावसायिक व्यवधान से निपटने के लिए व्यवसाय निरंतरता योजना के साथ तैयार रहने के लिए ठोस और उत्तरदायी प्रथाएं हैं। बैंक का संपूर्ण परिचालन जोखिम बैंक ने एंटरप्राइज वाइड डेटा वेयरहाउस प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक ऑनलाइन ऑपरेशनल रिस्क सॉल्यूशन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर

The Bank keeps a close eye on development in the global markets and scan its portfolio on regular basis to protect itself from similar kind of risk incidents. Post recent failure of global banks, the Bank carried out detailed stress testing of its investments book i.e. banking book (HTM categories) and trading book (AFS and HFT). Both the portfolio were subjected to stress test using severe but plausible scenarios and its impact on capital was assessed under low, medium and high stress scenario. Similarly, the Bank also conducted liquidity stress testing and impact on LCR was assessed followed by preparing of Contingency Funding Plan to tide over liquidity crunch if at all it arises. The Bank manages its assets on a continuous basis in a way to withstand liquidity requirements at all times.

The Bank is in the process to implement Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB) from quarter ending June 2023 as per new RBI guideline dated 17th February, 2023. IRRBB refers to current and prospective risk to banks' capital and earnings arising from adverse movement in interest rates that affects its banking book position.

Operational Risk Management

The Bank has in place a well-defined organizational structure and framework for operational risk management functions. The Bank is identifying, measuring, monitoring and controlling/mitigating the operational risk through tools viz. Internal/External Loss Data, Near Miss Events, Risk Control & Self-Assessment surveys (RCSAs), Key Risk Indicators (KRIs), Risk Based Assessment for Money Laundering & Terrorist Financing Risk and Scenario Analysis. The Bank has robust mechanism in place to analyse the operational risk in product/activities/process and systems before introducing/modifying existing processes through approvals at various levels. The Bank has in place sound and responsive practices to ensure effective oversight, due diligence and management of risk arising from outsourcing of financial services along with Business Continuity Plan to be in readiness to tackle serious business disruption. The Bank has implemented Statistical Analysis Software (SAS), an online Operational Risk Solution under Enterprise wide Data Warehouse Project and placed it on central server to take care of various aspects of data

(एसएएस) को लागू किया है और प्रबंधन के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न स्तरों पर डेटा कैप्चरिंग और प्रबंधन सूचना प्रणाली के विभिन्न पहलुओं की देखभाल के लिए इसे केंद्रीय सर्वर पर रखा है।

आंतरिक पूंजी पर्याप्तता आकलन प्रक्रिया (आईसीएएपी) और दबाव परीक्षण

बैंक ने आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) पर एक व्यापक नीति बनाई है, जिसकी वार्षिक समीक्षा की जाती है और आईसीएएपी दस्तावेज को छमाही आधार पर बोर्ड के सामने प्रस्तुत किया जाता है। आईसीएएपी स्तंभ– I और स्तंभ– II दोनों जोखिमों को संबोधित करता है और विभिन्न जोखिमों के प्रभाव का एक समग्र दृष्टिकोण रखने के लिए, जो बैंक के सामने आते हैं, ऐसे सभी जोखिमों की मात्रा / मूल्यांकन करने के लिए कार्य किया जाता है। जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं को आईसीएएपी दस्तावेज में विस्तृत रूप से शामिल किया गया है। दस्तावेज समूह स्तर पर एकल और समेकित दोनों आधार पर तैयार किया जाता है।

बैंक ने प्रतिकूल लेकिन प्रशंसनीय परिदृश्यों के अंतर्गत कमजोरियों की पहचान करने और पूंजी / चलनिधि आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए दबाव परीक्षण पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्यापक नीति भी तैयार की है। ऋण जोखिम बाजार जोखिम, परिचालन जोखिम, संकेंद्रण जोखिम, आईआरआरबीबी, चलनिधि जोखिम, देश जोखिम, समूह जोखिम पेंशन दायित्व जोखिम आदि जैसे जोखिमों की संपूर्ण श्रेणी में दबाव परीक्षण नियमित आधार पर किए जाते हैं। बैंक ने हाल ही में अनुमानों को अधिक सटीक, भविष्योन्मुखी और विस्तृत बनाने के लिए दबाव परीक्षण ढांचे को उन्नत किया है। खुदरा और एमएसएमई पोर्टफोलियो को आगे 1000 जोखिम सजातीय सूक्ष्म समूहों (खाता विशेषताओं, जनसांख्यिकी आदि के आधार पर) में अलग किया गया है और समष्टि आर्थिक (मैक्रो–इकोनॉमिक) परिवर्ती के साथ जोड़ा गया है।

जोखिम क्षमता ढांचा

बैंक के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्यापक जोखिम क्षमता ढांचा मौजूद है। फ्रेमवर्क बैंक के भीतर इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए शासन और निगरानी तंत्र के साथ–साथ जोखिम उठाने की क्षमता का विवरण निर्धारित करता है। जोखिम लेने की क्षमता को प्रत्येक पैरामीटर के लिए जोखिम सीमा और जोखिम सीमा स्तर के साथ–साथ विभिन्न प्रमुख जोखिम मापदंडों के संदर्भ में परिभाषित किया गया है। वास्तविक जोखिम स्तरों की निरंतर आधार पर अनुमोदित सीमाओं के विरुद्ध निगरानी की जाती है।

capturing and management Information system at various levels to provide technological support for managing entire Operational Risk of the Bank.

Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) & Stress Testing

The Bank has put in place a comprehensive policy on Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP), which is reviewed annually and ICAAP document is put up to Board on half yearly basis. ICAAP addresses both the Pillar-I and Pillar-II risks and to have a holistic view of impact of various risks which the Bank is exposed to, an exercise is carried out to quantify/assess all such risks. The risk management processes are covered at length in the ICAAP document. The document is prepared on both solo and consolidated basis at the group level.

The Bank also has put in place Board approved comprehensive Policy on Stress Test to identify the vulnerabilities and assess capital/liquidity requirements under adverse but plausible scenarios. Stress tests are conducted across whole gamut of risks namely Credit risk, Market risk, Operational risk, Concentration risk, IRRBB, Liquidity risk, Country risk, Group risk Pension Obligation risk, etc. on a regular basis. The Bank has recently upgraded the stress testing framework to make the estimates more accurate, forward looking and granular. The retail and MSME portfolios have been further segregated into 1000+ risk homogeneous micro clusters (based on account characteristics, demographics etc.) and linked with macro-economic variables.

Risk Appetite Framework

The Bank has a Board approved comprehensive Risk Appetite Framework in place. The Framework sets out the Risk Appetite Statement along with governance and monitoring mechanism for its effective implementation within the Bank. Risk Appetite has been defined in terms of different key risk parameters along with the Risk limit and Risk threshold level for each parameter. Actual risk levels are monitored against the approved limits on an ongoing basis.

समूह जोखिम

समूह स्तर पर जोखिम प्रबंधन समूह के हिस्से के रूप में बैंक के जोखिमों का प्रबंधन करना और बैंक के समग्र जोखिम प्रोफाइल पर अन्य समूह संस्थाओं के संभावित प्रभाव का आकलन करना है। बैंक के पास समूह जोखिम प्रबंधन ढांचा है जो पिरामिड दृष्टिकोण पर आधारित है, जो शीर्ष पर समूह जोखिम नीति से शुरू होता है और जोखिम क्षमता, अभिशासन, प्रक्रियाओं और जोखिम रिपोर्टिंग के माध्यम से आगे बढ़ता है। समूह जोखिम के प्रभावी प्रबंधन के लिए बैंक ने समूह जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया है। सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यम (जेवी) के समूह जोखिम मूल्यांकन, समेकित स्तर पर सहायक कंपनियों और विदेशी शाखाओं के तनाव परीक्षण का प्रभाव, समूह तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर), समेकित विवेकपूर्ण रिपोर्ट (सीपीआर), विवेकपूर्ण सीमा और आकस्मिक निधि योजना (सीएफपी) के माध्यम से चलनिधि जोखिम प्रबंधन सहित सभी समूह संस्थाओं का बैंक के पास एक मजबूत समूह जोखिम निरीक्षण है। इसके अलावा ग्रुप आईसीएएपी उन विभिन्न जोखिमों (स्तंभ I और स्तंभ II दोनों) का आकलन करने के लिए तैयार है, जिनसे समूह प्रभावित होता है कैसे बैंक इन जोखिमों को और इन जोखिमों के अनुरूप पूंजी पर्याप्तता की आंतरिक रूप से गणना किए गए स्तर पर पहुंचने हेतु कम करता है।

ईएसजी जोखिम

बैंक ईएसजी और जलवायु जोखिमों की आवश्यकता और महत्व को समझता है और जिम्मेदार बैंकिंग की ओर बढ़ने के व्यापक उद्देश्य के साथ इन जोखिमों के प्रबंधन के लिए प्रतिबद्ध है। हरित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए, बैंक ने विभिन्न वित्तपोषण योजनाएं शुरू की हैं, जैसे पीएनबी सौर ऊर्जा योजना (पीएनबी सौर ऊर्जा योजना), ई–रिक्शा के वित्तपोषण की योजना – 'पीएनबी ग्रीन राइड', बायो–गैस इकाइयों की स्थापना के वित्तपोषण की योजना, सौर पॉवर प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, मृदा संरक्षण, सौर जल पम्पिंग सिस्टम की स्थापना के लिए योजनाएं आदि। बैंक ने सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और हाइड्रो पॉवर जैसी स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन करने वाली इकाइयों के वित्तपोषण पर दिशानिर्देश भी जारी किए हैं जो स्वच्छ पर्यावरण के लिए अग्रणी उत्सर्जन ग्रीनहाउस गैसों (जीएचजी) को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। बैंक ने ओज़ोन क्षयकारी पदार्थों (ओडीएस) का उपयोग / उत्पादन करने वाली नई इकाइयों की स्थापना के लिए वित्त प्रदान करने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

बैंक के पास विस्तृत ढाँचे, नीतियां और प्रथाएं हैं, जैसे ग्राहक अधिकार नीति, शिकायत निवारण नीति, अधिकारियों की पदोन्नति / भर्ती आदि पर ग्राहक मुआवज़ा नीति, जो यह निर्धारित करती है कि बैंक अपने विभिन्न हितधारकों की अपेक्षाओं को कैसे बनाए रखता है और प्रबंधित करता है।

Group Risk

Risk Management at Group Level is to manage the risks of the Bank as part of the group and assess the potential impact of other group entities on the overall risk profile of the Bank. The Bank has group risk management framework which is based on pyramid approach, starting with Group risk Policy at top and progressing through risk appetite, governance, processes and risk reporting. The Bank has formed a Group Risk Management Committee for effective management of group risk. The Bank has a strong Group Risk oversight of all the group entities, including the group risk assessment of Subsidiaries, Associates and Joint Venture (JVs), Impact of stress testing of subsidiaries and overseas branches on consolidated level, Liquidity Risk Management through Group Liquidity Coverage Ratio (LCR), Consolidated Prudential Report (CPR), Prudential limit and Contingency Funding Plan (CFP). Further Group ICAAP is prepared to assess the various risks (both Pillar I and Pillar II) to which the group is exposed to, how the bank mitigates these risks, and to arrive at an internally computed level of capital adequacy consistent with these risks.

ESG Risk

The Bank recognizes the need and importance of ESG and climate risks and is committed to managing these risks with the overarching aim of moving towards responsible banking. To promote green economy, the Bank has introduced various financing schemes viz. PNB Saur Urja Yojana (PNB Solar Energy Scheme), Scheme for Financing e-Rickshaws – 'PNB GREEN RIDE', Scheme for Financing Setting Up of Bio-Gas Units, Solar Power Project Financing, soil conservation, schemes for installation of solar water pumping system, etc. The Bank has also issued guidelines on financing units producing clean energy such as solar power, wind power and hydro power which help in containing the Greenhouse Gases (GHG) emissions leading to clean environment. The Bank has put restrictions on extending finance for setting up of new units consuming/producing the Ozone Depleting Substances (ODS).

The Bank has elaborate frameworks, policies and practices viz. customer rights policy, grievance redressal policy, Customer Compensation Policy on Promotion/Recruitment of Officers etc which dictate how the Bank maintains and manages the expectations of its various stakeholders.

जोखिम प्रबंधन समिति बैंक की ईएसजी पहलों को संचालित करती है और ईएसजी के विकास, क्षमताओं को मजबूत करने और जोखिम प्रबंधन प्रथाओं में जलवायु विचार के एकीकरण को गति देने में बोर्ड का समर्थन करती है।

इसके अलावा, बैंक जलवायु जोखिम मूल्यांकन ढांचे को विकसित करने की प्रक्रिया में है जिसमें जोखिम प्रबंधन ढांचे में जलवायु जोखिम को एकीकृत करने के तरीके शामिल होंगे और संक्रमण और भौतिक जोखिमों के लिए ऋण देने वाले पोर्टफोलियो के लचीलेपन का परीक्षण किया जाएगा।

विनियामक दिशानिर्देश: बैंक ने बासेल III मानदंडों के तहत जोखिम भारित संपत्ति (आरडब्ल्यूए) की गणना के लिए ऋण जोखिम हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण, बाजार जोखिम के लिए मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण और परिचालन जोखिम के लिए बुनियादी संकेतक दृष्टिकोण को अपनाया है।

बैंक ने नियामक से अनुमोदन के अधीन ऋण, बाजार और परिचालन जोखिमों के लिए आरडब्ल्यूए / पूंजी प्रभार की गणना के लिए उन्नत दृष्टिकोणों पर माइग्रेट करने की भी योजना बनाई है। बैंक तिमाही आधार पर आरबीआई को विदेशी निवेश समीक्षा बोर्ड (एफआईआरबी) के अनुसार अपनी पूंजी और आरडब्ल्यूए की रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा है। बैंक ने क्रेडिट जोखिम के लिए उन्नत आंतरिक रेटिंग आधारित (एआईआरबी) दृष्टिकोण और बाजार जोखिम के लिए आंतरिक मॉडल दृष्टिकोण (आईएमए) को अपनाने के लिए एक औपचारिक आशय पत्र प्रस्तुत किया है। इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

बैंक भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) –109 के तहत अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) की गणना भारतीय रिजर्व बैंक के ड्राफ्ट दिशानिर्देशों के अनुसार तिमाही आधार पर कर रहा है और परिणाम निर्धारित प्रोफार्मा पर भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत किए जाते हैं।

बैंक ने रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल (आरएआरओसी) फ्रेमवर्क विकसित किया है जो क्रेडिट निर्णयों को सक्षम करने के लिए क्रेडिट प्रस्ताव के लिए पूंजी पर रिटर्न की तुलना करने के लिए बैंक को एकल पैमाना प्रदान करता है। ढांचा यह आकलन करने में मदद करता है कि व्यापार प्रस्ताव द्वारा उत्पन्न रिटर्न कथित जोखिम के अनुरूप है या नहीं जिससे शेयरधारक की इक्विटी के मूल्य को अधिकतम किया जा सके।

VII. साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र (सीसीओई)

बैंक में साइबर सुरक्षा स्थिति में सुधार करने और संचालन में दक्षता लाने के लिए, साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र (सीसीओई) की स्थापना 12 अप्रैल, 2023 को बैंक के डेटा सेंटर, दिल्ली में की गई थी। सीसीओई टीम को सुरक्षा अलर्ट की निगरानी के लिए समर्पित सुरक्षा विश्लेषण केंद्र (सीएसएसी) के साथ–साथ साइबर सुरक्षा खतरों का पता लगाने, रोकने और निगरानी

Risk Management Committee drives the ESG initiatives of the Bank and supports the Board on ESG developments, stringing capabilities and speed up integration of climate consideration into risk management practices.

Further, the Bank is in the process of developing climate risk assessment framework which would include methods to integrate climate risk in the risk management framework and testing the resilience of the lending portfolio to transition and physical risks.

Regulatory Guidelines: The Bank has adopted Standardized Approach for Credit Risk, Standardized Duration Approach for Market Risk and Basic Indicator Approach for Operational Risk for computation of Risk Weighted Assets (RWA) under Basel III norms.

The Bank also plans to migrate to advanced approaches for computation of RWA/Capital charge for Credit, Market and Operational Risks subject to approval from the regulator. The Bank is reporting its capital and RWA as per Foreign Investment Review Board (FIRB) to RBI on quarterly basis. The Bank has submitted a formal Letter of Intent for adoption of Advanced Internal Rating Based (AIRB) Approach for Credit Risk and Internal Models Approach (IMA) for Market risk. Necessary actions required in this regard have been initiated.

The Bank is calculating Expected Credit Loss (ECL) under Indian Accounting Standard (Ind AS)-109 as per the draft guidelines of Reserve Bank of India on quarterly basis and the results are submitted to the Reserve Bank of India on prescribed Proforma.

The Bank has developed Risk Adjusted Return on Capital (RAROC) framework which provides the Bank with a single scale for comparing the return on capital for a credit proposal to enable credit decisions. The framework helps in assessing whether returns generated by the business proposition are commensurate with the risk perceived thereby maximizing the value of shareholder's equity.

VII. Cyber Security Centre of Excellence (CCoE)

With a view to improve the cyber security posture in Bank and to bring in efficiency in operations, Cyber Security Centre of Excellence (CCoE) was setup on 12th April, 2023 at Bank's Data Center, Delhi. The CCoE team is entrusted to manage more than 30 end to end security technology product for detecting, preventing and monitoring cyber security threats,

करने के लिए 30 से अधिक सुरक्षा प्रौद्योगिकी उत्पाद का प्रबंधन करने का काम सौंपा गया है। ऐसे उपकरणों का प्रबंधन आरबीआई परिपत्र के अनुरूप है और उच्च स्तरीय तकनीकी समामेलन समिति द्वारा अनुशंसित है।

इस नए सेटअप में, बैंक के साइबर सुरक्षा सेटअप को निम्नलिखित 5 विंगों में विभाजित किया गया है:

1. साइबर सुरक्षा नियतंण और संचालन नियंत्रण केंद्र (सीसीओसी),
2. साइबर सुरक्षा विश्लेषिकी केंद्र (सीएसएसी),
3. सुरक्षा सह कार्यात्मक लेखापरीक्षा केंद्र (एससीएफएसी),
4. अनुपालन, लेखापरीक्षा और रिपोर्टिंग केंद्र (सीएआरसी), और
5. साइबर सुरक्षा जागरूकता और नवाचार केंद्र (सीएआईसी)।

उत्कृष्टता प्राप्त करने, संचालन में दक्षता और बैंक में अपनी साइबर सुरक्षा स्थिति को बढ़ाने के लिए, चालू वर्ष के दौरान नए साइबर सुरक्षा उत्पादों को लागू करने की योजना बनाई जा रही है। इसके अलावा, प्रमुख परियोजनाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के साथ नेक्स्ट जेनरेशन (एनजी–एसओसी), मशीन लर्निंग (एमएल) और डेटा लेक सुविधा, परिधि सुरक्षा का उन्नयन (आंतरिक और बाहरी दोनों), मैसर्स ई एंड वाई द्वारा रेड टीम एक्सरसाइज, ई–मेल सुरक्षा समाधान का कार्यान्वयन, बढ़ी हुई सुरक्षा और रिपोर्टिंग सुविधा के साथ सक्रिय निर्देशिका प्रणाली का उन्नयन शामिल है।

साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र (सीसीओई) अपनी शाखाओं के साथ, बैंक अधिकारियों और उद्योग के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों दोनों के मिश्रण से 24x7x365 आधार पर निगरानी कार्य करेगा।

सीसीओई की प्रमुख भूमिकाओं में निम्नलिखित शामिल होंगे:

1. साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र (सीसीओई) अपने कमांड और ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर (सीसीओसी) के माध्यम से बैंक के साइबर सुरक्षा घटकों के कार्यान्वयन, फाइन ट्यूनिंग, निगरानी और बैंक की आईटी अवसंरचना सुरक्षा के लिए उन्नत/ऑन–बोर्ड उन्नत तकनीकों को जारी रखने पर ध्यान केंद्रित करेगा।
2. साइबर सिक्योरिटी एनालिटिक्स सेंटर (सीएसएसी) सुरक्षा एनालिटिक्स को मजबूत करने, अटैक सरफेस की निगरानी, थ्रेट इंटेल ऑपरेशन और सक्रिय निगरानी, सुरक्षा घटना प्रबंधन और प्रतिक्रिया पर ध्यान केंद्रित करेगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के साथ अगली पीढ़ी (एनजी–एसओसी) मशीन लर्निंग (एमएल) और डेटा लेक

along with dedicated Cyber Security Analytics Center (CSAC) for monitoring security alerts. Management of such devices is in line with RBI Circular and recommended by high level technical amalgamation committee.

In this new setup, the Bank's cyber security setup is divided into following 5 wings:

1. Cyber Security Command and Operation Control Centre (CCOC),
2. Cyber Security Analytics Centre (CSAC),
3. Security Cum Functional Audit Center (SCFAC),
4. Compliance, Audit and Reporting Center (CARC), and
5. Cyber Security Awareness and Innovation Centre (CAIC).

In pursuit to achieve excellence, efficiency in operations and to enhance its cyber security posture in the Bank, new cyber security products are being planned to be implemented during the current year. Amongst others, the major projects include Next Generation (NG-SOC) with Artificial Intelligence (AI), Machine learning (ML) and data lake facility, upgradation of Perimeter Security (both Internal and External), Red Team Exercise by M/s E&Y, implementation of E-Mail security solution, upgradation of Active Directory System with enhanced security and reporting feature.

Cyber Security Centre of Excellence (CCoE) with its wings, shall carry out monitoring activity on 24x7x365 basis by mix of both Bank officials and cyber security experts from the industry.

The major roles of CCoE shall include the following:

1. Cyber Security Centre of Excellence (CCoE) through its Command and Operation Control Centre (CCOC) will focus on implementation, fine tuning, monitoring of the cyber security components of the Bank and continuing to upgrade/on-board advanced technologies for safe guarding Bank's IT infrastructure.
2. Cyber Security Analytics Centre (CSAC) shall focus on strengthening Security Analytics, monitoring of Attack surface monitoring, Threat Intel operation and proactive monitoring, Security Incident Management and Response and implement Next Generation (NG-SOC) with Artificial Intelligence (AI) Machine learning (ML)

सुविधा को लागू करेगा।

3. अनुपालन, लेखा परीक्षा और रिपोर्टिंग केंद्र (सीएआरसी), विशिष्ट नीतियों, प्रक्रियाओं और प्रक्रियाओं में सूचना सुरक्षा प्रबंधन ढांचे के अनुपालन और मैपिंग पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिसे बैंक में लागू किया जाएगा और आरबीआई के परिपत्रों, सलाह और विभिन्न एजेंसियों राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केन्द्र (एनसीआईआईपीसी) कम्प्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम (सीईआरटी) इत्यादि द्वारा जारी एडवायज़री एवं अलर्ट का अनुपालन किया जाएगा।

4. गो–लाइव से पहले एप्लीकेशन के लिए आईएस ऑडिट कराकर और साइबर सुरक्षा को बढ़ाया जाएगा और इसे सीसीओई के वर्टिकल कम फंक्शनल ऑडिट सेंटर (एससीएफएसी) के जरिए हासिल किया जाएगा।

5. साइबर सुरक्षा जागरूकता और नवाचार केंद्र के माध्यम से साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में ग्राहक जागरूकता और नवीनतम तकनीकों की पहचान पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

VIII. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

1. आंतरिक लेखापरीक्षा

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, 8,994 शाखाओं/कार्यालयों में जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए) आरंभ/संचालित की गई। वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान 1,592 शाखाओं/कार्यालयों में आंतरिक/बाहरी लेखा परीक्षकों (सीए फर्म और पैनलबद्ध सेवानिवृत्त अधिकारियों) द्वारा समवर्ती/सतत लेखापरीक्षा की गई, जिसमें 31 मार्च, 2022 तक बैंक के कुल कारोबार का 49.88 प्रतिशत शामिल था।

सूचना 225 कार्यालयों/इकाइयों में सुरक्षा (आईएस) लेखापरीक्षा की गई। फेमा लेखापरीक्षा 238 योग्य शाखाओं/कार्यालयों यानी अधिकृत डीलर (एडी) शाखाओं और व्यापार वित्त केंद्रों में आयोजित की गई। सभी शाखाएं राजस्व लेखापरीक्षा के अधीन थीं।

2. ऑफसाइट निगरानी

शाखाओं/कार्यालयों की ऑफसाइट मॉनिटरिंग को मजबूत करने के लिए, बैंक ने एक अलर्ट सिस्टम यानी ऑफसाइट सर्विलांस सिस्टम (ओएसएस) लागू किया है और डेटा एनालिटिक्स टीम यानी ऑफसाइट सर्विलांस यूनिट (ओएसयू) भी बनाई है।

ए. ऑफसाइट सर्विलांस सिस्टम (ओएसएस): पीएनबी और ऑफसाइट सर्विलांस सिस्टम (ओएसएस) के आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यों को आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली में निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता, पारदर्शिता और नवीनता लाने के लिए एक ऑनलाइन एप्लिकेशन यानी ईटीएचआईसी के माध्यम से स्वचालित किया गया है।

and data lake facility.

3. Compliance, Audit and Reporting Center (CARC), shall focus on compliances and mapping Information Security management framework into specific policies, processes and procedures which shall be implemented in the Bank and compliance of RBI Circulars, advisories & alerts issued by various agencies like National Critical Information Infrastructure Protection Centre (NCIIPC), Computer Emergency Response Team (CERT) etc.

4. Cyber Security shall be enhanced by conducting and getting IS Audit conducted for applications before Go-Live and this will be achieved through Security Cum Functional Audit Center (SCFAC) vertical of CCOE.

5. Focus of Customer Awareness and identification of latest technologies in Cyber Security world shall be achieved through Cyber Security Awareness and Innovation Centre.

VIII. Internal Control System

1. Internal Audit

During FY 2022-23, Risk Based Internal Audit (RBIA) was commenced/conducted in 8,994 branches/offices. Concurrent/Continuous audit was conducted in 1,592 branches/offices during FY 2022-23, by Internal/External Auditors (CA Firms & Empanelled Retired Officers), covering 49.88 per cent of the total business of the Bank as at 31st March, 2022.

Information Security (IS) Audit was conducted in 225 office/units. FEMA Audit was conducted in 238 eligible branches/offices i.e. Authorized Dealer (AD) branches & Trade Finance Centres. All branches were subject to revenue audit.

2. Offsite Monitoring

For strengthening of Offsite Monitoring of branches/offices, the Bank has implemented an Alert System i.e. Offsite Surveillance System (OSS) & also formed Data Analytics team i.e. Offsite Surveillance Unit (OSU).

a. Offsite Surveillance System (OSS): Internal audit functions of PNB and Offsite Surveillance System (OSS), have been automated through an online application i.e. eTHIC to bring out fairness, objectivity, transparency and innovation in the Internal Audit System.

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, ओएसएस के तहत, बैंक द्वारा प्रधान कार्यालय के स्तर पर 63 परिदृश्यों की पहचान की गई है, जो ग्राहकों के लिए लेनदेन के रूप में सीबीएस में सभी सोल के अधिकारियों द्वारा कार्यालय खातों के रूप में की जा रही विभिन्न गतिविधियों पर आधारित है।

बी. ऑफसाइट सर्विलांस यूनिट (ओएसयू): ओएसयू एक समर्पित डेटा एनालिटिक्स टीम है जो नियमित आधार पर डेटा डंप विश्लेषण कर रही है और पहचान किए गए परिचालन जोखिम को कम करने के लिए सिस्टम और प्रक्रिया में वृद्धि का सुझाव दे रही है।

3. प्रशासनिक कार्यालयों की जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए)

बैंक ने अपने प्रशासनिक कार्यालयों की लेखापरीक्षा करने के लिए जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली निर्धारित की है।

लेखापरीक्षा निर्णय लेने की प्रक्रिया, संचार प्रणाली, कुशल संसाधन उपयोग और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले तरीकों आदि सहित प्रशासनिक कार्यालयों के कामकाज के विभिन्न क्षेत्रों में निहित जोखिम धारणाओं को पकड़ता है। प्रशासनिक कार्यालयों के आरबीआईए के दायरे में आने वाले सभी प्रशासनिक कार्यालयों का वार्षिक आधार पर लेखापरीक्षा की जाती है। कम रेटिंग वाले कार्यालयों को छोड़कर (प्रधान कार्यालय प्रभागों और बैंक की सहायक कंपनियों के अलावा), जो दो साल में एक बार लेखापरीक्षा के अधीन हैं।

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, अनुमोदित वार्षिक योजना के आधार पर, निरीक्षण और लेखापरीक्षा प्रभाग (आईएडी) ने 186 कार्यालयों का लेखापरीक्षा की, जिसमें 149 मंडल कार्यालय, 24 अंचल कार्यालय, 9 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 2 विदेशी अनुषंगी और 2 घरेलू सहायक शामिल थे।

4. ऋण लेखापरीक्षा एवं समीक्षा

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, सभी घरेलू और विदेशी दोनों तरह के पात्र ऋण खातों हेतु ऋण लेखापरीक्षा आरंभ की गई थी। ऋण समीक्षा तंत्र (एलआरएम) नीति के संदर्भ में, वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान एक वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक की नीति की आवश्यकता को कम से कम 30– 40 प्रतिशत के विरुद्ध 31 मार्च, 2022 को बैंक के कुल ऋण पोर्टफोलियो का लेखापरीक्षा कवरेज 56.59 प्रतिशत है। बैंक ने ऋण लेखापरीक्षा ऑनलाइन कार्यक्रम (क्रेडिट ऑडिट मॉड्यूल) के तहत ऋण लेखापरीक्षा प्रक्रिया को भी डिजिटलीकृत कर दिया है इसी के अंतर्गत जो ऋण लेखापरीक्षा का एक पेपरलेस, प्रभावी, सटीक और समय बचाने वाला साधन है।

During FY 2022-23, under OSS, 63 scenarios have been identified by the bank at the Head Office level based on various activities being undertaken by the officials at all SOLs in CBS in the form of transactions for customers as well as Office accounts.

b. Offsite Surveillance Unit (OSU): OSU is a dedicated Data Analytics Team which is conducting data dump analysis on regular basis and suggesting enhancement in system & procedure for mitigating the identified operational risk.

3. Risk Based Internal Audit (RBIA) of Administrative Offices

The Bank has prescribed Risk Based Internal Audit system for conducting audit of its Administrative Offices.

The audit captures risk perceptions inherent in various areas of functioning of administrative offices including decision making process, communication system, efficient resource utilization and ways & means used to achieve the goals, etc. All administrative offices under the scope of RBIA for administrative offices are audited on annual basis except Low rated offices (other than Head Office divisions and Bank's subsidiaries), which are subject to audit once in two years.

During FY 2022-23, based on approved Annual Plan, Inspection & Audit Division (IAD) conducted audit of 186 offices comprising 149 Circle Offices, 24 Zonal Offices, 9 Regional Rural Banks, 2 overseas subsidiaries and 2 domestic subsidiaries.

4. Credit Audit and Review

During FY 2022-23, Credit Audit has been undertaken for all eligible loan accounts both domestic and overseas. In terms of Loan Review Mechanism (LRM) Policy, during FY 2022-23, the coverage of audit is 56.59 per cent of Bank's total credit portfolio as on 31st March, 2022 against Reserve Bank of India and Bank's policy requirement of at least 30-40 per cent in a year. The Bank has also digitalized Credit Audit process under Credit Audit Online Program (Credit Audit Module) under eTHIC which is a paperless, effective, accurate and time saving tool of Credit Audit.

5. अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)/धन शोधन निवारण (एएमएल)

नए ग्राहकों तथा मौजूदा ग्राहकों के साथ लेनदेन करते समय सभी शाखाओं/कार्यालयों द्वारा सावधानीपूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित तथा अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)पारदर्शी नीति लागू की है। केवाईसी से संबंधित विभिन्न मापदंडों जैसे केवाईसी अद्यतनीकरण, लाभार्थी स्वामियों की पहचान, यूसीआईसी, सीकेवाईसी आदि पर भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों को पूर्णरूपेण लागू किया गया है। मौजूदा केवाईसी दिशानिर्देशों के सख्त अनुपालन के लिए, बचत और चालू खातों को केंद्रीकृत रूप से खोलने के लिए कासा बैक ऑफिस स्थापित किए गए हैं। साथ ही, ग्राहक दस्तावेजों के डिजिटलीकरण के लिए दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली (डीएमएस) की खरीद की गई है। एएमएल अलर्ट के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग के नजरिए से ग्राहकों के लेनदेन की निगरानी और विभिन्न प्रतिबंध सूची के खिलाफ ग्राहकों को स्कैन करने के लिए बैंक में एक एएमएल सिस्टम लागू किया गया है। एएमएल अलर्ट के माध्यम से धन शोधन के नजरिए से ग्राहकों के लेनदेन की निगरानी और विभिन्न प्रतिबंध सूचियों पर ग्राहकों को स्कैन करने के लिए बैंक में एक एएमएल प्रणाली लागू की गई है।

केवाईसी और एएमएल/सीएफटी अनुपालन के बारे में बैंक कर्मचारियों के बीच अधिक जागरूकता लाने के लिए, शाखाओं में स्टाफ सदस्यों के लिए 'पीएनबी यूनिव' में केवाईसी पर ऑनलाइन बुनियादी पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया गया है और प्रशिक्षण केंद्रों पर प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम में केवाईसी/एएमएल पर एक सत्र अनिवार्य रूप से लिया जाता है।

डिजिटल पहल

वी–सीआईपी एप्लिकेशन के माध्यम से केवाईसी अपडेशन के लिए एक ऑनलाइन सुविधा बैंक की इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं और पीएनबी वन मोबाइल बैंकिंग सेवाओं में उन व्यक्तिगत ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराई गई है जो आवधिक केवाईसी अद्यतनीकरण के लिए देय हैं या जो केवाईसी का पालन नहीं करते हैं। पात्र ग्राहकों को आईबीएस और पीएनबी वन में दिए गए केवाईसी अद्यतन के लिए लिंक पर क्लिक करने पर आईबीएस और पीएनबी वन से वी–सीआईपी चैनल पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा। यह ग्राहकों को बिना बैंक जाए अपना केवाईसी ऑनलाइन अपडेट कराने का अवसर प्रदान करेगा।

6. सतर्कता

पंजाब नैशनल बैंक का मानना है कि एक संगठन उतना ही मजबूत और ईमानदार होता है जितना कि उसके लोग। कर्मचारी संगठन का चेहरा हैं और बैंक अपने सभी हितधारकों को आश्वस्त करता है कि पीएनबी की पूरी टीम सभी प्रकार के आधिकारिक लेनदेन और आचरण में सत्यनिष्ठा और इमानदारी के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है।

5. Know Your Customer (KYC)/Anti Money Laundering (AML)

To ensure meticulous compliance by all Branches/Offices while dealing with new as well as existing customers, the Bank has put in place a Board approved and transparent Know Your Customer (KYC) Policy. RBI guidelines on various KYC related parameters such as KYC Updation, Identification of Beneficial Owners, UCIC, CKYC etc. are implemented in form and content. For strict compliance of extant KYC guidelines, CASA Back offices have been established for centralized opening of Savings & Current accounts. Further, Document Management System (DMS) has been procured for digitalization of customer documents. An AML System has been implemented in Bank for monitoring of customer's transactions from money laundering perspective through AML alerts and for scanning customers against various sanctions lists.

To bring greater awareness amongst the Bank staff about KYC and AML/CFT compliances, Online basic course on KYC in 'PNB UNIV' has been made mandatory for staff members at branches and one session is mandatorily taken on KYC/AML in every training program at training centres.

Digital Initiative

An online facility for KYC updation through V-CIP application has been made available in Internet Banking Services and PNB One Mobile Banking Services of the Bank for those individual customers who are due for periodic KYC updation or who are KYC non-compliant. The eligible customers shall be redirected from IBS and PNB One to V-CIP channel on clicking link for KYC updation given in IBS and PNB One. This shall provide customers an opportunity to get their KYC updated online without visiting the Bank.

6. Vigilance

Punjab National Bank believes that an organisation is only as strong and honest as its people. The employees are the face of the organisation and the Bank assures all its stakeholders that the entire team of PNB is committed to work with integrity and probity in all types of official dealings and conducts.

पंजाब नैशनल बैंक अपने सभी कार्यों में ईमानदारी के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है, जो इसकी नीतियों, प्रक्रियाओं और प्रथाओं में परिलक्षित हो सकता है, जो यह सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं कि बैंक हर समय अखंडता और पारदर्शिता के उच्चतम मानक के साथ काम करता है।

निवारक सतर्कता उपायों, प्रभावी निगरानी तंत्र और मामलों पर पर्यवेक्षी निरीक्षण के माध्यम से प्राप्त दक्षता के कारण, बैंक मार्च 2022 तक बकाया 172 मामलों में से 154 मामलों, अर्थात 89.53 प्रतिशत मामलों का निपटान करने में सक्षम है।

उपरोक्त के अलावा, बैंक ने वित्तीय वर्ष 2022–23 में सतर्कता प्रबंधन की दक्षता में सुधार के लिए विभिन्न पहलें की हैं जैसे:

ए. सतर्कता संबंधी मामलों के लिए रेडी रेकनर के रूप में सीवीसी दिशानिर्देशों के अनुरूप सतर्कता नियमावली 2022 की शुरूआत।

बी. सतर्कता डैशबोर्ड का निर्माण, जो प्रभावी नियंत्रण और पर्यवेक्षण तंत्र के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारी के स्तर तक सतर्कता विभाग के सभी अधिकारियों के लिए प्रभावी उपकरण प्रदान करने की संभावना है।

सी. बैंक के निरीक्षण और लेखापरीक्षा प्रभाग ने देरी को कम करने, प्रौद्योगिकी के उपयोग से दक्षता और सटीकता में सुधार करने और सतर्कता प्रशासन की अनिवार्यताओं को प्राप्त करने के लिए सम्पूर्ण स्टाफ जवाबदेही प्रक्रिया के लिए एक पोर्टल विकसित किया है।

उपरोक्त के अलावा, अखिल भारतीय स्तर पर आधार पर विभिन्न प्रशिक्षण सत्र / सेमिनार आयोजित किए गए हैं जिनमें मुख्य सतर्कता अधिकारी साथ ही सतर्कता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने सतर्कता संवाद करने के लिए सहभागिता की है। प्रबंधन प्रशिक्षुओं और मध्य–कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रमों को शामिल करने के लिए निवारक सतर्कता सत्रों को हिस्सा बनाया गया है। पिछले एक वर्ष में निवारक / दंडात्मक सतर्कता पर कुल 304 प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए हैं।

बैंक का सतर्कता विभाग एक ई–पत्रिका, "पीएनबी विजिल" प्रकाशित कर रहा है और महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में गहन जागरूकता के लिए कर्मचारियों के लिए निवारक सतर्कता पर ऑनलाइन मासिक प्रश्नोत्तरी आयोजित कर रहा है जिससे परिचालन में दक्षता आती है और इस प्रकार ग्राहकों की संतुष्टि और संगठन में बेहतर अनुपालन संस्कृति में मूल्य जुड़ता है।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह (वीएडब्ल्यू) 2022 को पंजाब नैशनल बैंक द्वारा 31 अक्टूबर 2022 से 6 नवंबर 2022 तक " एक विकसित राष्ट्र के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत " विषय के

Punjab National Bank is committed towards maintaining the highest standards of integrity in all its operations, which can be reflected in its policies, procedures, and practices, which are designed to ensure that Bank operates with the highest standard of integrity and transparency at all times.

Due to efficiency achieved through preventive Vigilance measures, effective monitoring mechanism and supervisory oversight over cases, the Bank is able to dispose-off 154 cases out of 172 cases outstanding as on March 2022, i.e., 89.53 per cent cases.

In addition to the above, the Bank has taken various initiatives to improve the efficiency of Vigilance Administration in the FY 2022-23 like:

a. Launching of Vigilance Manual 2022 in line with the CVC guidelines as a ready reckoner for Vigilance related matters.

b. Formulation of Vigilance Dashboard, which is likely to provide effective tool for all officials of vigilance department upto the level of Chief Vigilance Officer for effective control and supervision mechanism.

c. Bank's Inspection and Audit Division has developed a portal for an end-to-end Staff Accountability Process to curtail the delay, improve efficiency and accuracy by use of technology and to achieve the imperatives of Vigilance Administration.

In addition, various training sessions/seminars have been organized on Pan-India basis wherein the Chief Vigilance Officer, as well senior officials from Vigilance Department have participated to interact on Vigilance matters. Preventive Vigilance Sessions are made part of induction of Management Trainees and Mid-Career training programmes. Total of 304 training sessions have been conducted on preventive/punitive vigilance in the last one year.

The Vigilance Department of the Bank has been publishing an e-magazine, "PNB Vigil", and is conducting online monthly quiz on preventive vigilance for staff for deeper awareness of issues of importance leading to efficiency in operations and thereby adding value to the customer satisfaction and better compliance culture in the organisation.

Vigilance Awareness Week (VAW) 2022 was observed by Punjab National Bank from 31st October

साथ जागरूकता को बढ़ावा देने के साथ–साथ अखंडता और पारदर्शिता के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को बढ़ावा देने के लिए मनाया गया। वीएडब्ल्यू के दौरान बैंक द्वारा कुल लगभग 4.50 लाख सत्यनिष्ठा शपथ दिलाई गई और विभिन्न जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया जिसमें ग्राम सभा, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम, ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं, सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से जागरूकता और स्कूलों और कॉलेजों में विभिन्न अन्य ऑनलाइन जागरूकता गतिविधियां शामिल हैं, जिनमें लगभग 6.50 लाख लोगों ने सक्रिय रूप से भाग लिया है। उपरोक्त के अलावा, इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन, मोबाइल बैंकिंग, एसएमएस और सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से वीएडब्ल्यू के दौरान बैंक लगभग 2.82 करोड़ लोगों तक पहुंचने में सफल रहा।

IX. सूचना का अधिकार अधिनियम

1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 की अवधि के दौरान, पंजाब नैशनल बैंक को 6,797 आरटीआई आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 5,575 आवेदनों का सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार विधिवत निस्तारण किया गया। इसके अलावा, दिनांक 24 मई, 2023 तक 67 आवेदन निस्तारण के लिए लंबित हैं।

X. परिचालन निष्पादन के सन्दर्भ में वित्तीय निष्पादन पर चर्चा

31 मार्च, 2023 के अंत तक, सकल वैश्विक अग्रिम रु 8,84,681 करोड़ और सकल वैश्विक जमा रु 12,81,163 के साथ बैंक का सकल वैश्विक कारोबार रु 21,65,844 करोड़ रहा। चालू और बचत जमा (कासा) रु 43.0 प्रतिशत के घरेलू कासा शेयर के साथ रु 5,38,015 करोड़ रहा। इसके साथ, वित्तीय वर्ष 2022–23 में रु 2,507 करोड़ निवल लाभ के साथ बैंक का परिचालन लाभ रु 22,529 करोड़ था।

XI. मानव संसाधन/नियोजित किए गए कर्मचारियों की जानकारी संख्या सहित औद्योगिक संबंध में आए महत्वपूर्ण बदलाव

1. मानव संसाधन प्रबंधन

कर्मचारियों की कुल संख्या: निम्नलिखित तालिका में दी गई स्टाफ संख्या / कर्मचारी संख्या पीएनबी हेतु मार्च 2022 और मार्च 2023 में सहायक कंपनियों में प्रतिनियुक्त कर्मचारी शामिल हैं।

2022 to 6th November 2022 with the theme "Corruption Free India For a Developed Nation" to promote awareness as well as commitment of Bank towards integrity and transparency. During the VAW total of approx. 4.50 Lakh Integrity Pledges were administered by Bank and various awareness activities conducted which includes Gram Sabhas, Financial Literacy Programmes, Online Quiz Competitions, Awareness through Social Media Handles and various other online awareness activities at Schools and Colleges wherein approx. 6.50 Lakh people have actively participated. In addition to the above, the Bank was able to reach approx. 2.82 Crore public during the VAW, through Internet Banking logins, Mobile Banking, SMS's and Social Media Handles.

IX. Right to Information Act

During the period from 1st April, 2022 to 31st March, 2023, Punjab National Bank received 6,797 RTI applications, out of these 5,575 applications were duly disposed of as per the provisions of Right to Information Act, 2005. Further, 67 applications are pending for disposal as on date i.e. 24th May, 2023.

X. Discussion on Financial performance with respect to operational performance

As at the end of 31st March, 2023, Bank's Gross Global Business stood at Rs. 21,65,844 Crore with Gross Global Advances at Rs. 8,84,681 Crore and Gross Global Deposit at Rs. 12,81,163 Crore. Current and Saving Deposits (CASA) was at Rs. 5,38,015 Crore with domestic CASA share at 43.0 per cent. In addition, Bank's Operating Profit was at Rs. 22,529 Crore with the Net Profit of Rs. 2,507 Crore for the FY 2022-23.

XI. Material Developments in Human Resources/ Industrial Relations front including number of people employed

1. Human Resources Management

Total number of employees: Staff strength/ Employees given in the following table are for PNB for March 2022 and for March 2023 including those on deputation in the subsidiaries.

Cadre-wise Staff Strength

Cadre	March 2022 (31.03.2022)		March 2023 (31.03.2023)	
	Number	% of Total Staff	Number	% of Total Staff
Officer	51812	50.23%	51309	49.28%
Clerks	29881	28.97%	28984	27.84%
Sub Staff (incl. PTS)	21451	20.79%	23827	22.88%
Total	**103144**	**100.0%**	**104120**	**100.0%**

Reservation Policy

The Bank follows the reservation policy for SCs, STs, OBCs and PWD as prescribed by Government of India from time to time. Besides as per norms the bank has taken various steps like maintaining reservation roster, separate liasoning officer etc.

Strength of SC/ST/OBC/PWD Employees

(in numbers)

Cadre		March 2022				March 2023		
	SC	ST	OBC	PWD	SC	ST	OBC	PWD
Officer	10383	3992	12273	923	10256	3956	12749	1064
Clerks	6104	1686	7683	715	5845	1684	7641	732
SubStaff	8465	1448	5007	432	9042	1639	5949	559
Total	24952	7126	24963	2070	25143	7279	26339	2355

Age Profile of the Employees

The average age of overall employees has come down over the years. The movement of cadre-wise average age in the last five years is as under:

(Average age in years)

Average Age as on	Officer	Clerical	Sub Staff	Over All
March 2019	42.70	38.27	36.90	39.67
March 2020	40.58	39.05	37.13	39.30
March 2021	39.34	38.90	39.69	39.28
March 2022	39.24	38.28	38.03	38.71
March 2023	39.23	38.40	36.86	38.46

Standalone PNB for March 2019 & 2020 and amalgamated PNB for March 2021, 2022 & 2023.

Industrial relations

Industrial Relations in the bank continued to be cordial with workmen union/Officer's association. Due to COVID Pandemic various physical meetings including IRM/MRM were not held with representatives of majority Officers' Association/Workmen during the year. However, issues raised by union/association have been resolved promptly.

2. Training Activities

The rapidly changing dynamics in banking sector and the constant challenges it poses makes it imperative to continuously enhance and improve knowledge and skill sets among the workforce. Recognizing the importance of skill upgradation and acquiring new skillsets in the constantly evolving business environment, Training vertical has built strong capabilities in training and development to build competencies across various segments. Trainings are imparted through 'Phygital' training programs (classroom as well as online trainings) and internet-based training modules (self-paced e-learning modules). Special programs on functional training and leadership development are also conducted to build knowledge as well as management ability at a dedicated training facility. These training programs are monitored through Planning and monitoring desk which identifies target participants for a program in consultation with HO Divisions/Verticals/Zones. Efficacy of Training Programs is gauged through entry-exit tests for the participants in programs of duration 2 days or more. Training programs are evaluated for content and faculty feedback, both on qualitative and quantitative aspects with a view to ensure relevance and enhancements in co-ordination with owner Divisions.

संवर्गवार स्टाफ की संख्या

संवर्ग	मार्च 2022 (31.03.2022)		मार्च 2023 (31.03.2023)	
	संख्या	कुल स्टाफ का %	संख्या	कुल स्टाफ का %
अधिकारी	51812	50.23%	51309	49.28%
लिपिक	29881	28.97%	28984	27.84%
अधीनस्थ कर्मचारी (पीटीएस सहित)	21451	20.79%	23827	22.88%
कुल	**103144**	**100.0%**	**104120**	**100.0%**

आरक्षण नीति

बैंक भारत सरकार द्वारा निर्धारित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और पीडब्ल्यूडी के संबंध में समय–समय पर निर्धारित आरक्षण नीति का अनुसरण करता है। मानदंडों के अलावा बैंक ने आरक्षण रोस्टर बनाने, अलग संपर्क अधिकारी आदि जैसे कई कदम उठाए हैं।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों की संख्या (अंकों में)

संवर्ग	मार्च 2022				मार्च 2023			
	एससी	एसटी	ओबीसी	पीडब्ल्यूडी	एससी	एसटी	ओबीसी	पीडब्ल्यूडी
अधिकारी	10383	3992	12273	923	10256	3956	12749	1064
लिपिक	6104	1686	7683	715	5845	1684	7641	732
अधीनस्थ कर्मचारी	8465	1448	5007	432	9042	1639	5949	559
कुल	24952	7126	24963	2070	25143	7279	26339	2355

कर्मचारियों की आयु प्रोफाइल

पिछले कुछ वर्षों में समग्र कर्मचारियों की औसत आयु में कमी आई है। पिछले पांच वर्षों में संवर्गवार औसत आयु का विवरण निम्नानुसार है:

(औसत आयु वर्षों में)

को औसत आयु	अधिकारी	लिपिक	अधीनस्थ कर्मचारी	सर्व सम्मिलित
मार्च 2019	42.70	38.27	36.90	39.67
मार्च 2020	40.58	39.05	37.13	39.30
मार्च 2021	39.34	38.90	39.69	39.28
मार्च 2022	39.24	38.28	38.03	38.71
मार्च 2023	39.23	38.40	36.86	38.46

मार्च 2019 और 2020 के लिए स्टैंडअलोन पीएनबी और मार्च 2021, 2022 और 2023 के लिए समामेलित पीएनबी।

औद्योगिक संबंध

बैंक में कर्मचारी यूनियन/अधिकारी संगठनों के साथ औद्योगिक संबंध पहले की भांति सौहार्दपूर्ण है। कोविड महामारी के कारण वर्ष के दौरान आईआरएम/एमआरएम सहित विभिन्न भौतिक बैठकें बहुसंख्यक अधिकारी संघ/कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित नहीं की गईं। हालांकि, यूनियन/संघ द्वारा उठाए गए मुद्दों का तुरंत हल कर दिया गया है।

2. प्रशिक्षण गतिविधियाँ

बैंकिंग क्षेत्र में तेजी से बदलती गतिशीलता और इससे उत्पन्न होने वाली निरंतर चुनौतियां कार्यबल के बीच ज्ञान और कौशल सेट को लगातार बढ़ाने और सुधारने के लिए अनिवार्य बनाती हैं। कौशल उन्नयन के महत्व को स्वीकार करते हुए और लगातार विकसित हो रहे कारोबारी माहौल में नए कौशल प्राप्त करने के लिए, प्रशिक्षण वर्टिकल (एलकेएमसी) ने विभिन्न क्षेत्रों में दक्षताओं का निर्माण करने के लिए प्रशिक्षण और विकास में मजबूत क्षमताओं का निर्माण किया है। प्रशिक्षण 'फिजिटल' प्रशिक्षण कार्यक्रमों (कक्षा के साथ–साथ ऑनलाइन प्रशिक्षण) और इंटरनेट–आधारित प्रशिक्षण मॉड्यूल (स्व–गतिशील ई–लर्निंग मॉड्यूल) के माध्यम से प्रदान किया जाता है। कार्यात्मक प्रशिक्षण और नेतृत्व विकास पर विशेष कार्यक्रम भी एक समर्पित प्रशिक्षण सुविधा में ज्ञान के साथ–साथ प्रबंधन क्षमता का निर्माण करने के लिए आयोजित किए जाते हैं। एलकेएमसी में योजना और निगरानी डेस्क के माध्यम से इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की निगरानी की जाती है, जो प्र०का० प्रभागों/वर्टीकलों/अंचलों के परामर्श से एक कार्यक्रम के लिए लक्षित प्रतिभागियों की पहचान करता है। 2 दिन या उससे अधिक अवधि के कार्यक्रमों में प्रतिभागियों के लिए प्रवेश–निकास परीक्षणों के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का आकलन किया जाता है। ओनर डिवीजनों के साथ समन्वय में प्रासंगिकता और वृद्धि सुनिश्चित करने की दृष्टि से गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों पहलुओं पर सामग्री और संकाय प्रतिक्रिया के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का मूल्यांकन किया जाता है।

वर्ष के दौरान, बैंक ने बेहतर सीखने के अनुभव के निरंतर सुपुर्दगी को सुनिश्चित करते हुए कार्यबल के बीच सीखने और विकास को बढ़ावा देने के लिए कई अभिनव उपाय किए हैं। प्रशिक्षण प्रणाली को रणनीतिक रूप से दीर्घकालिक कॉर्पोरेट लक्ष्यों के साथ जोड़ा गया है, जो वैश्विक, वित्तीय और आर्थिक परिदृश्य की पृष्ठभूमि में प्रकट होता है।

कार्यबल के सम्पूर्ण विकास को बढ़ावा देने के लिए, वित्तीय वर्ष 2022–23 में सीखने को एक सतत और अधिक आकर्षक अनुभव बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए ताकि उत्पादकता में वृद्धि हो सके:

ए. नई भूमिकाओं के लिए तैयार करने में सहायक

i. नए कार्यग्रहण करने वाले स्टाफ के लिए संगठन के विहंगम दृश्य को दर्शाने वाली स्वागत पुस्तिकाओं वाली ज्वाइनिंग किट तैयार की गई है।

ii. पहली बार मंडल प्रमुखों और पहली बार शाखा प्रमुखों के लिए रेडी रेकनर तैयार किए गए ताकि उन्हें कॉर्पोरेट अपेक्षाओं के अनुसार अपनी नई जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में सुविधा हो। इससे उन्हें नई भूमिकाओं में निर्बाध रूप से परिवर्तन करने में सहायता मिली।

बी. अनुभवात्मक शिक्षा को बढ़ावा देना

i. अनुभवात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में वितरण संलग्नता को सुविधाजनक बनाने के लिए, प्रशिक्षण कार्यक्रमों में समूह चर्चा, प्रस्तुतियाँ, रोल प्ले, केस स्टडी, सिमुलेशन आदि को शामिल किया गया है। यह व्यावहारिक एक्सपोजर और अधिक उत्पादक प्रशिक्षण अनुभव सुनिश्चित करता है।

सी. प्रबंधन / नेतृत्व विकास

i. नेतृत्व स्तर पर सकारात्मक बदलाव लाने के लिए विशेषज्ञ प्रशिक्षकों के सहयोग से स्केल IV-VI में नए पदोन्नत अधिकारियों के लिए प्रबंधन विकास कार्यक्रम और नेतृत्व विकास कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। 17 बैचों में आयोजित कार्यक्रमों के माध्यम से 806 अधिकारियों को नेतृत्व और प्रबंधन विकास प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इसके अलावा, स्केल VII और VIII में 40 नए पदोन्नत अधिकारियों को भी एसबीआईएल कोलकाता द्वारा संचालित सीनियर लीडरशिप प्रोग्राम के लिए भेजा गया था।

ii. सीवीसी की सिफारिश के अनुरूप भावी की भूमिकाओं के लिए अधिकारियों को तैयार करने के लिए स्केल IV और V के 14–21 वर्ष की सेवा अवधि वाले 39 अधिकारी जिनकी न्यूनतम अवशिष्ट सेवा 10 वर्ष और उससे अधिक की थी, के

During the year, the Bank took a slew of innovative measures to promote learning and development among workforce while ensuring consistent delivery of an enhanced learning experience. The training system has been strategically aligned with the long term corporate goals, manifested in the backdrop of global, financial and economic scenario.

To promote all round development of the workforce, following measures were taken in the FY 2022-23 to make learning a continuous and more engaging experience so as to enhance productivity:

a. Enablers to prepare for new roles

i. Joining kits containing welcome booklets illustrating bird's eye view of organization were prepared for new inductees.

ii. Ready Reckoners for First Time Circle Heads and First Time Branch Heads were prepared to facilitate them in discharging their newly assumed responsibilities as per corporate expectations. This helped their transition to new roles seamlessly.

b. Promoting experiential learning

i. In order to promote experiential learning and facilitate delivery engagement in training programs, Group Discussions, presentations, role plays, case studies, simulations etc. have been included in training programs. This ensures practical exposure and more productive training experience.

c. Management/Leadership Development

i. To make a positive difference at the leadership level, Management Development Program and Leadership Development Programs are conducted for the newly promoted officers in Scale IV-VI in-house in collaboration with expert trainers. 806 executives were imparted Leadership and Management Development Trainings through programs conducted in 17 batches. Further, 40 newly promoted executives in Scale VII and VIII were also sent for Senior Leadership Program conducted by SBIL Kolkata.

ii. Mid-Career Program for officers in Scale IV and V having service length of 14-21 years, with residual service of minimum 10 years and above, in line with recommendation from CVC was also conducted for the first time ever for 39 officers to

लिए पहली बार मिड–कैरियर कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था।

iii. मंडल प्रमुख किसी भी व्यावसायिक कमांड क्षेत्र के लिए केंद्र बिंदु होने के नाते,मंडल प्रमुखों के लिए यह आवश्यक है कि वे ऐसे व्यवसायों को चलाने में सक्षम हों जो टिकाऊ और लाभदायक दोनों हों। इस दिशा में, हैंडहोल्डिंग के लिए, 41 पहली बार मंडल प्रमुखों के लिए पिछले साल एक कार्यशाला आयोजित की गई थी। कार्यशाला ने मंडल प्रमुखों को अपनी चिंताओं को व्यक्त करने के लिए एक मंच भी प्रदान किया और शीर्ष प्रबंधन चर्चा मंच में व्यापार वृद्धि का समर्थन करने के लिए उनके द्वारा दिए गए फीडबैक पर चर्चा की गई और व्यवहार्य विचारों को लागू भी किया गया।

डी. व्यवहार कौशल और डिजिटल उत्पादों पर जोर

i. व्यवहार कौशल किसी भी संगठन के कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण हैं,लेकिन सेवा उद्योग में जहां दैनिक आधार पर ग्राहकों से प्रत्यक्ष संपर्क होता है, इस दिशा में काम करने के लिए यह एक सर्वोत्कृष्ट कौशल बन जाता है, वित्तीय वर्ष 2022–23 में सॉफ्ट स्किल्स और डिजिटल उत्पादों पर कैप्सूल कार्यक्रम आयोजित किए गए थे ताकि बेहतर ग्राहक अनुभव के लिए फ्रंटलाइन कर्मचारियों के व्यवहार में बदलाव लाया जा सके। शिकायत प्रवण शाखाओं में ऑन लोकेशन कार्यक्रम (ओएलपी) भी आयोजित किए गए। सॉफ्ट स्किल्स और ग्राहक सेवा पर कर्मचारियों को जागरूक करने के लिए कुल 169 ओएलपी आयोजित किए गए।सॉफ्ट स्किल्स, ग्राहक सेवा और व्यवहार कौशल को 24 प्रशिक्षण कार्यक्रमों (दोनों विशेष कार्यक्रमों या अन्य कार्यक्रमों के एक भाग के रूप में) में शामिल किया गया था, जिसके माध्यम से 46,285 कर्मचारियों को कई बैचों में प्रशिक्षित किया गया था।

ii. बैंक ने डिजिटल परिवर्तन का मार्ग अपनाया है और कई डिजिटल नवाचारों के साथ, हम 'डिजिटल' क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में सक्षम हुए हैं। हमने अपनी डिजिटल यात्रा को ऋण प्लेटफॉर्म के साथ जोड़कर अपने ऋण देने के अनुभव को समृद्ध बनाया है। हाल ही में, हमने अपने प्रमुख मोबाइल ऐप 'पीएनबी वन' को नया रूप दिया है। इन डिजिटल नवाचारों की पहुंच को बेहतर बनाने के लिए फ्रंटलाइन कर्मचारियों को डिजिटल उत्पादों पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण का प्रभाव पिछले साल पीएनबी वन अपनाने में बड़ी वृद्धि में दिखाई दे रहा था। पीएनबी वन के औसत दैनिक सक्रिय उपयोगकर्ता 31 मार्च, 2022 को 3.3 लाख से बढ़कर 31 मार्च, 2023 को 6.3 लाख हो गए। पिछले वित्तीय वर्ष में डिजिटल लेनदेन 69 प्रतिशत से बढ़कर 85 प्रतिशत हो गया। इसके अलावा, डिजिटल पहल पर सभी कर्मचारियों के लिए ई–लर्निंग मॉड्यूल भी

prepare them for future roles.

iii. Circle Heads being the focal point for any business command area, it is necessary that they should be able to drive businesses that are both sustainable and profitable. Towards this end, for handholding, a Workshop was conducted last year for 41 first time Circle Heads. The Workshop also gave a platform to Circle Heads to voice their concerns and the feedback given by them to support business growth were discussed in the Top Management discussion forum and feasible ideas were implemented as well.

d. Emphasis on Behavioral Skills and Digital Products

i. Behavioral skills are vital for employees of any organisation, but in service industry where there is direct customer dealing on daily basis, this becomes a quintessential skill to work upon and towards this end, capsule programs on Soft Skills and Digital Products were conducted in FY 2022-23 to inculcate attitudinal change in frontline staff for enhanced customer experience. On Location Programs (OLPs) were also conducted at Complaint Prone Branches. A total of 169 OLPs were conducted sensitizing employees on soft skills and customer service. Soft Skills, customer service and behavioural skills were covered in 24 training programs (both exclusive programs or as a part of other programs) through which 46,285 employees were trained in several batches.

ii. The Bank has taken the path of Digital Transformation and with many digital innovations in our kitty, we have been able to register our presence in the 'Digital' sphere. We have enhanced our lending experience by coupling our Digital Journeys with the lending platforms. Recently, we have revamped 'PNB One'- our flagship mobile app. To improve the outreach of these digital initiatives, frontline staff is being imparted trainings on Digital products. The impact of trainings was visible in the strong growth in PNB One adoption last year. Average daily active users of PNB One increased from 3.3 Lakh as on 31st March, 2022 to 6.3 Lakh as on 31st March, 2023. Digital transactions as a whole increased from 69 per cent to 85 per cent in last Financial Year. Further, e-learning modules are also available for all staff

उपलब्ध हैं, ताकि उन्हें बैंक में होने वाले नवीनतम परिवर्तनों के बारे में अपडेट किया जा सके।

इ. समावेशिता को बढ़ावा देना

i. लर्निंग एंड डेवलपमेंट वर्टिकल का एजेंडा न केवल कर्मचारियों के व्यवहारिक शिक्षण को पूरा करने के लिए है;बल्कि कार्यबल को प्रेरित करने के लिए सेमिनार भी प्रशिक्षण एजेंडे का एक हिस्सा है। पिछले साल (वित्त वर्ष 2022–23) ऐसी ही एक पहल के रूप में बैंक की महिला अधिकारियों के लिए महिला सम्मेलन आयोजित करके की गई थी। सम्मेलन का उद्देश्य महिला अधिकारियों को करियर में प्रगति के लिए प्रेरित करना था। इस पहल के तहत 297 वरिष्ठ महिला अधिकारियों सहित 812 महिला अधिकारियों को शामिल किया गया। ऐसे सम्मेलन में स्त्री रोग विशेषज्ञों को स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर महिलाओं को जागरूक करने के लिए बुलाया गया था।

ii. बैंक दिव्यांग कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करके 'अक्षमता में क्षमता' खोजने की पहल के तहत अलग–अलग दिव्यांग कर्मचारियों को उनके कौशल का सम्मान करके अधिक उत्पादक बनाने के तरीकों पर भी विचार कर रहा है। ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम कारोबार वृद्धि में बैंक के मानव संसाधन के अधिकतम योगदान को सुनिश्चित करते हैं। 'अनियमित ऋण खातों के लिए अनुवर्ती' कार्यक्रम में 2 बैचों में कुल 174 दिव्यांग (दृष्टिबाधित और अस्थि) कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया था। समूह ने प्रति कार्य दिवस औसतन 10,000 से अधिक प्रतिदिन 8,000 से 12,000 कॉल किए। वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान कुल 25,00,000 से अधिक कॉल किए गए इस समूह द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई के परिणामस्वरूप, एसएमए 0 और एसएमए 1 खातों को नियमित किया गया। दिव्यांगों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से, बैंक उत्पादों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 21 भाषण और श्रवण बाधित कर्मचारियों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था।

iii. वैधानिक आवश्यकता के अनुसार वित्त वर्ष 2022–23 में 16,629 पात्र कर्मचारियों को पदोन्नति पूर्व प्रशिक्षण दिया गया।

एफ. पारंपरिक व्याख्यान/मॉड्यूल आधारित शिक्षा की सीमाओं में परिवर्तन

i. डिजिटलाइजेशन पर बैंक के बढ़ते फोकस और कई डिजिटल यात्राओं की शुरुआत के साथ, एलकेएमसी ने कर्मचारियों के साथ–साथ ग्राहकों के बीच इसकी विशेषताओं की बेहतर समझ को बढ़ावा देने के लिए 36 परस्पर संवादात्मक डू इट योरसेल्फ (डीआईवाई) और शिक्षाप्रद वीडियो तैयार किए हैं।

ii. प्रशिक्षण वर्टिकल ने पिछले वित्त वर्ष में समेकित दिशानिर्देशों/एसओपी/ अक्सर पूछे जाने वाले

on Digital initiatives to keep them updated of the latest changes happening in the Bank.

e. Promoting inclusivity

i. Agenda of Learning & Development vertical is not just to cater to functional learning of staff, but also to motivate the workforce by different methods such as seminars as a part of training agenda. One such initiative taken last year (FY 2022-23) was conducting Women's Conclave for lady executives in the Bank. The Workshop was aimed at motivating the female officers on career progression. 812 female officers were covered under the initiative including 297 senior lady officers. Gynaecologists were called in such Workshops to sensitize women on health issues.

ii. Bank is also looking at ways to make differently abled staff more productive by honing their skills under initiative of finding 'ability in disability' by conducting training programs for specially-abled staff. Such training programs ensure maximum contribution of human resource of the Bank in business growth. A total of 174 specially-abled (Visually Impaired and Orthopedically Challenged) employees were trained in 2 batches in program for 'Follow-up for Irregular loan accounts'. The group made 8,000 to 12,000 calls per working day averaging more than 10,000 each day. The total calls were more than 25,00,000 during the financial year 2022-23. As a result of follow-ups by this group, SMA 0 & SMA 1 accounts were regularized. With an objective to empower the specially-abled, a training program to create awareness about Bank Products was also conducted for 21 Speech and Hearing impaired staff.

iii. As per statutory requirement, pre-promotion training was imparted to 16,629 eligible employees in FY 2022-23.

f. Transcending the limits of traditional lecture/ module based learning

i. With Bank's increasing focus on Digitalization and many Digital journeys being introduced, LKMC has prepared 36 interactive Do It Yourself (DIY) and educative videos to promote better understanding of its features amongst staff as well as customers.

ii. Training vertical has also taken initiative of curating booklets in the past FY for facilitating

प्रश्नों /रिकवरी कार्यों में सामान्य त्रुटियों के साथ फील्ड पदाधिकारियों की सुविधा के लिए पुस्तिकाओं को प्रकाशित करने की पहल की है। इसके अलावा, लॉन्च की जा रही डिजिटल यात्राओं के लिए एसओपी पुस्तिकाएं भी बैंक के प्रशिक्षण वर्टिकल द्वारा तैयार की गई थीं। फील्ड पदाधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए कुल 36 पुस्तिकाएं तैयार की गईं। वित्त वर्ष 2022–23 में डिजिटल लाभ उठाने वाले प्रमुख व्यावसायिक मैट्रिक्स में त्वरित ज्ञान प्रसार के प्रभाव को अच्छी स्थिति में देखा जा सकता है।

iii. साइबर सुरक्षा पर ग्राहकों को जागरूक करने और जालसाजों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली कार्यप्रणाली से उन्हें अवगत कराने के लिए साइबर सुरक्षा पर एक पुस्तिका भी तैयार की गई जो हमारे ग्राहकों की सुविधा के लिए कॉर्पोरेट वेबसाइट पर उपलब्ध है।

भावी दिशा

आगे चलकर, बैंकिंग की दुनिया में अधिक सहयोगी होने के साथ–साथ प्रतिस्पर्धी होने की उम्मीद है, जिसमें नए खिलाड़ी नवाचार वित्तीय उत्पादों की पेशकश कर रहे हैं। फिनटेक फर्मों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के बजाय, बैंक निकट भविष्य में साझेदारी की तलाश करेंगे, जो बैंकों को लागत कम करने, परिचालन क्षमता बढ़ाने और बेहतर ग्राहक अनुभव बनाने में सक्षम बनाएगी। बैंकों को भी उचित व्यवसाय मॉडल, स्थिरता, स्थिरता और उपभोक्ता केंद्रीयता पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए गतिशील वातावरण का सामना करने के लिए खुद को तैयार करने की आवश्यकता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि सुशासन सफलता की बुनियाद है और इससे समझौता नहीं किया जाना चाहिए। हितधारकों को डिजिटल धोखाधड़ी, डेटा उल्लंघनों और साइबर अपराधों से बचाने के लिए उचित सावधानी बरतने की आवश्यकता है।

सबसे महत्वपूर्ण कारक जो बैंकों का भविष्य तय करेगा, ग्राहक अनुभव और सेवा होगी। वास्तविक समय समर्थन प्रदान करना, व्यक्तिगत अनुभव प्रदान करना, ग्राहकों की प्रतिक्रिया का अनुरोध करना, डिजिटल अनुभवों को पुनर्जीवित करना आदि कुछ ऐसे प्रमुख मापदंड होंगे जो ग्राहक के पलायन और उन्हें जोड़े रखने में सक्रिय भूमिका निभाएंगे।

बैंकिंग क्षेत्र मंथन के दौर से गुजर रहा है। बैंकिंग का भविष्य बैंकिंग उद्योग से बढ़ी हुई अपेक्षाओं के साथ ग्राहकों की पसंद और प्राथमिकताओं में एक बड़ा बदलाव देखेगा। भविष्य के लिए तैयार होने के लिए, बैंकों और वित्तीय संस्थानों को अपने वर्तमान और भावी ग्राहकों का विश्वास अर्जित करने की आवश्यकता है। प्रौद्योगिकी के आगमन के कारण अर्थव्यवस्था के अधिक खुलेपन और पूंजी प्रवाह एवं सूचना के तेजी से प्रसारण के साथ, यह भी आवश्यक हो गया है कि प्रणाली में विश्वसनीयता और भरोसा सुनिश्चित किया जाए और व्यावसायिक नैतिकता को एक अनुरूप तरीके से बनाए रखा जाए।

field functionaries with consolidated guidelines/SOPs/FAQs/common errors in Recovery Functions. Further, booklets with SOPs for the Digital Journeys being launched were also prepared by the Training vertical of the Bank. A total of 36 booklets were prepared to guide the field functionaries. The impact of quick knowledge dissemination can be seen in strong progress across key business metrics leveraging digital in FY 2022-23.

iii. To sensitize the customers on Cyber Security and to make them aware of modus operandi used by fraudsters, a booklet on Cyber Security was also prepared which is available on Corporate Website for the benefit of our customers.

WAY FORWARD

Going ahead, the world of banking is expected to be more collaborative as well as competitive, with newer players offering innovative financial products. Instead of competing with the fintech firms, banks will look for partnerships in the near future, which will enable banks to reduce costs, increase operating efficiency, and create better customer experiences. Banks also need to prepare themselves for facing the dynamic environment, while keeping their focus on appropriate business models, sustainability, stability and consumer centrality. More importantly, good governance remains fundamental to success and should not be compromised. Due care needs to be taken to protect the stakeholders from digital frauds, data breaches and cybercrimes.

The most important factor which will decide the future of the banks would be Customer Experience and Service. Providing real time supports, delivering personalized experiences, soliciting customer feedbacks, revitalizing digital experiences, etc., would be some of the key parameters which will play the active roles in customer attrition and retention.

The banking sector is going through a period of churning. The future of banking would witness a major shift in customers' choices and preferences with enhanced expectations from the banking industry. To be future ready, banks and financial institutions need to earn the trust of their current as well as prospective customers. With greater openness of the economy and faster transmission of information and capital flows on account of advent of technology, it has become even more necessary to ensure credibility and confidence in the system and uphold business ethics in a compliant manner.

यह उम्मीद की जाती है कि अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क वैकल्पिक ऋण मॉडल के विकास को गति देगा। यह स्ट्रीट वेंडर सहित छोटे व्यवसायों को ऋण प्राप्त करने में सक्षम करेगा, जिनके पास पारंपरिक संपार्श्विक नहीं होता है। जैसे–जैसे तकनीक आगे बढ़ती जा रही है, हम उम्मीद करते हैं कि और अधिक नवीन मॉडल उभर कर सामने आएंगे जो डेटा, ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लाभ उठाकर ऋण परिदृश्य को बदल देंगे।

पंजाब नैशनल बैंक में, "अच्छे का परिणाम अच्छा होता है " केवल एक मुहावरा नहीं है। हम दृढ़ता से मानते हैं कि बैंक की सफलता उन समुदायों से उपजती है जो इसकी सेवा कर रहे हैं। बैंक अपने नवाचार उत्पादों के माध्यम से वित्तीय समावेशन के उद्देश्य को पूरा करना जारी रखेगा।

आगे बढ़ते हुए, पंजाब नैशनल बैंक उद्योग में सबसे अच्छा बैंक होने और पसंद का नियोक्ता बनने के अपने विज़न को प्राप्त करने के लिए विकास और नवाचार करना जारी रखेगा। बैंक प्रौद्योगिकी में निवेश करना जारी रखेगा और ग्राहकों को सहज अनुभव प्रदान करने के लिए नई डिजिटल यात्रा शुरू करेगा। इसके अलावा, बैंक मानता है कि डिजिटलीकरण केवल तकनीक के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे काम करने और अपने ग्राहकों के साथ बातचीत करने के तरीके को बदलने के बारे में भी है। तदनुसार, बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि हमारे ग्राहक नवीनतम डिजिटल तकनीकों और समाधानों से लाभान्वित हों और उन्हें वास्तव में विश्व स्तरीय बैंकिंग अनुभव प्रदान करें। बैंक अपने अंतिम लक्ष्य के रूप में केवल वित्तीय राजस्व बढ़ाने के बजाय नैतिक बैंकिंग पर अधिक ज़ोर देगा, जिससे समाज और पर्यावरण को भी महत्व मिलेगा।

संपत्ति की गुणवत्ता में सुधार के लिए बैंक सुदृढ़ ऋण हामीदारी और मजबूत वसूली उपायों को लागू करना जारी रखेगा। इन उपायों से व्यापार में सतत विकास और बैंक की लाभप्रदता बढ़ेगी। सभी कर्मचारियों के निरंतर लक्षित प्रयासों से ब्रांड वैल्यू में सुधार होगा और पंजाब नैशनल बैंक को "भरोसे का प्रतीक " के रूप में सशक्त बनेगा।

उपरोक्त सभी कारक बैंक को ग्राहकों , अन्य हितधारकों और कर्मचारियों के लिए अवसरों के मूल्य सृजित करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर गुणवत्तापूर्ण वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के अपने मिशन को प्राप्त करने में बैंक की मदद करेंगे और इस प्रकार, राष्ट्र के आर्थिक विकास में योगदान देने के अपने दृष्टिकोण को पूरा करने के अपने मिशन "ग्राहक केंद्रित नवाचारों के माध्यम से विश्वस्तरीय विश्वसनीय बैंकिंग भागीदार,कर्मचारियों को सशक्त बनाना और सभी हितधारकों के जीवन को समृद्ध बनाना" को प्राप्त करने में योगदान देंगे।

It is expected that Account Aggregator framework would accelerate the development of alternative lending models. This would enable small businesses, including street vendors that may not have traditional collateral, to secure a loan. As technology continues to advance, we expect more innovative models to emerge that leverage data, automation, and artificial intelligence to transform the lending landscape.

At Punjab National Bank, "Doing well by doing good" is more than just a phrase. We strongly believe that the Bank's success stems from communities it is serving. The Bank will continue to cater to the cause of financial inclusion through its innovative products.

Going forward, Punjab National Bank shall continue to evolve and innovate to achieve its vision of being the best bank in the industry and being the employer of choice. The Bank will continue to invest in technology and launch new digital journeys to provide a seamless experience to the customers. Furthermore, the Bank recognises that digitisation is not just about technology, but also about changing the way we work and interact with our customers. Accordingly, the Bank is committed to ensure that our customers benefit from the latest digital technologies and solutions and provide them with a truly world-class banking experience. The Bank will put more emphasis on ethical Banking, thereby giving importance to society and environment as well, instead of only increasing financial revenue as its end target.

The Bank will keep implementing robust credit underwriting and strong recovery measures to improve the asset quality. These measures will lead to sustainable growth in business and profitability of the Bank. The continuous targeted efforts of all the employees will improve the brand value and will reinforce Punjab National Bank as "the name you can Bank upon".

All the above factors will help the Bank to achieve its mission of offering "quality financial services by leveraging technology to create value for customers and other stakeholders, opportunities for employees and thus, contributing to the economic growth of nation" and fulfilling its vision of becoming "a globally trusted banking partner through customer-centric innovations, empowering employees and enriching lives of all stakeholders."

कॉर्पोरेट अभिशासन पर लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र

पंजाब नैशनल बैंक के सदस्यगण

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 ("सूचीबद्धता विनियम") के विनियम 17 से 27 और विनियम 46 के उप–विनियम (2) के खंड (b) से (i) [एवं (t)] और अनुसूची V के पैरा C, D और E में जैसा निर्धारित किया गया है, संबंधित वर्ष के दौरान जैसा लागू है, हमने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए पंजाब नैशनल बैंक द्वारा कॉरपोरेट अभिशासन के निबंधनों के अनुपालन की जांच की है।

कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन का उत्तरदायित्व प्रबंधन का है। हमारी जांच भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी कॉर्पोरेट अभिशासन के प्रमाणन पर मार्गदर्शी नोट के अनुसार की गई है और कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बैंक द्वारा अपनाई गई उनकी कार्यपद्धतियों तथा उनके कियान्वयन तक ही सीमित थीं। यह बैंक की वित्तीय विवरणियों की न तो लेखापरीक्षा है और न ही उनके बारे में अभिमत की अभिव्यक्ति की है।

हमारे अभिमत में तथा हमारी जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने निम्नलिखित को छोड़कर सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में, ऊपर उल्लिखित सेबी विनियमन में निर्धारित कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन इस सीमा में किया है कि इससे बैंकिंग विनियमन अधिनियम,1949 और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम,1970 का खंडन न हो।

- बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970, की धारा 9(3)(e), 9(3) (f) और 9(3) (g) के अंतर्गत एक–एक निदेशक की स्थिति बैंक के बोर्ड में रिक्त थी।
- लेखापरीक्षा समिति के दो–तिहाई सदस्य स्वतंत्र नहीं थे – जैसा कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ((सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 18(1)(बी) और बैंकों में कॉरपोरेट अभिशासन– निदेशकों की नियुक्ति और बोर्ड की समितियों का गठन दिनांक 26 अप्रैल 2021 पर भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश के अंतर्गत निर्धारित किया गया है।

उपयोग पर प्रतिबंध – यह प्रमाणपत्र केवल बैंक के सदस्यों को कॉर्पोरेट प्रशासन से संबंधित सूचीबद्धता विनियमों की अपेक्षाओं को समझने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से संबंधित और प्रदान किया जाता है, और इसका उपयोग किसी अन्य व्यक्ति या किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए। तदनुसार, किसी अन्य उद्देश्य के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिसे यह प्रमाण पत्र दिखाया गया है या जिसके हाथों में यह लिखित रूप में हमारी पूर्व सहमति के बिना आ सकता है, के लिए हम किसी भी दायित्व या विधिक उत्तरदायित्व को स्वीकार या मान्य नहीं करते हैं। इस प्रमाणपत्र की तिथि के पश्चात् होने वाली किसी भी घटना या परिस्थितियों के लिए इस प्रमाणपत्र को अपडेट करने का हमारा कोई उत्तरदायित्व नहीं है।

हम यह भी सूचित करते हैं कि हितधारक संबंध समिति द्वारा अनुरक्षित अभिलेख के अनुसार बैंक के विरुद्ध एक माह से अधिक की अवधि के लिए कोई निवेशक शिकायत लंबित नहीं है।

हम यह भी सूचित करते हैं कि इस प्रकार का अनुपालन न तो बैंक की भावी व्यवहार्यता और ना ही कार्यकुशलता अथवा प्रभावशीलता का आश्वासन है, जिसके साथ प्रबंधन ने बैंक के कार्यों का संचालन किया है।

कृते एस एन धवन एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्मरजि.न. 000050N/N500045

सीए सुरिंदर कु. खट्टर
भागीदार
(एम.नं. 084993)
यूडीआईएन: 23084993BGYUTP3409

कृते एस आर गोयल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म रजि.न. 001537C

सीए अनुराग गोयल
भागीदार
(एम.नं. 412538)
यूडीआईएन: 23412538BGXIDF2932

कृते पीएसएमजी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म रजि.न.: 008567C

सीए प्रबुद्ध गुप्ता
भागीदार
(एम.नं.400189)
यूडीआईएन:23400189BHALGV7297

कृते एससी बापना एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म रजि.न.: 115649

सीए जय प्रकाश गुप्ता
भागीदार
(एम.नं. 088903)
यूडीआईएन: 23088903BGYNXT8656

कृते डी के छाजर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म रजि.न.: 304138E

सीए नन्द किशोर सर्राफ
भागीदार
(एम.नं. 510708)
यूडीआईएन:23510708BGQHQB1249

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 19.05.2023

AUDITORS' CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

To the Members of Punjab National Bank

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Punjab National Bank for the year ended on March 31, 2023, as stipulated in Regulations 17 to 27 and clauses (b) to (i) [and (t)] of sub regulation (2) of regulation 46 and para C, D and E of Schedule V of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), as applicable during the relevant year.

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was carried out in accordance with the Guidance Note on Certification of Corporate Governance, issued by the Institute of Chartered Accountants of India, and was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the Bank has, in all material aspects, complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned SEBI Regulations to the extent these do not contradict the Banking Regulation Act, 1949 and Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, except for the following:

- The position of one Director each under Section 9(3)(e), 9(3)(f), 9(3)(g) and 9(3)(h) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, were vacant on the Board of the Bank.
- The two-thirds of the members of the Audit Committee were not Independent- as stipulated under Regulation 18(1)(b) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and the RBI Guidelines on Corporate Governance in Banks - Appointment of Directors and Constitution of Committees of the Board dated 26th April 2021.

Restriction on Use -This certificate is addressed to and provided to the members of the Bank solely for the purpose of enabling them to understand the requirements of the Listing Regulations related to Corporate Governance, and it should not be used by any other person or for any other purpose. Accordingly, we do not accept or assume any liability or any duty of care for any other purpose or to any other person to whom this certificate is shown or into whose hands it may come without our prior consent in writing. We have no responsibility to update this Certificate for any events or circumstances occurring after the date of this Certificate.

We state that no investor grievance is pending for a period exceeding one month against the Bank as per the records maintained by the Stakeholders Relationship Committee.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the Bank.

For S.N. Dhawan & Co. LLP
Chartered Accountants
FRN: 000050N/N500045

CA Surinder Kr. Khattar
Partner
(M.No. 084993)
UDIN: 23084993BGYUTP3409

For S R Goyal & Co.
Chartered Accountants
FRN: 001537C

CA Anurag Goyal
Partner
(M.No. 412538)
UDIN: 23412538BGXIDF2932

For PSMG & Associates
Chartered Accountants
FRN: 008567C

CA Prabuddha Gupta
Partner
(M.No. 400189)
UDIN: 23400189BHALGV7297

For S C Bapna & Associates
Chartered Accountants
FRN: 115649W

CA Jai Prakash Gupta
Partner
(M.No. 088903)
UDIN: 23088903BGYNXT8656

For D K Chhajer & Co.
Chartered Accountants
FRN: 304138E

CA Nand Kishore Sarraf
Partner
(M.No. 510708)
UDIN: 23510708BGQHQB1249

Place: New Delhi
Date: 19.05.2023

कॉर्पोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट

1. कॉर्पोरेट अभिशासन का सिद्धांत

बैंक निवेशकों एवं अन्य हितधारकों का विश्वास बढ़ाने, पारदर्शिता का उच्च मानक निर्धारित करने, कार्यक्षमता में सुधार हेतु नैतिक मूल्यों व संगठन की प्रगति में विश्वास करता है। बैंक पारदर्शिता, व्यावसायिकता व उत्तरदायित्व पर आधारित सर्वोत्तम कॉर्पोरेट अभिशासन के नियमों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है।

हमारा कॉर्पोरेट ढांचा, कारोबार, परिचालन और प्रकटीकरण कार्यशैली उक्त कॉर्पोरेट शासन के सिद्धांत के पूर्णतया अनुरूप है।

बैंक, बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत एक कॉर्पोरेट निकाय है और यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित होता है। तथापि, सूचीबद्ध इकाई होते हुए यह सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के प्रावधानों का पालन बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और विविध प्रावधान) योजना, 1970 के प्रावधानों का तथा इस संबंध में भारत सरकार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा–निर्देशों, निदेशों आदि का उल्लंघन न किए जाने की सीमा तक करता है।

बैंक का निदेशक मंडल सभी हितधारकों जैसे शेयरधारकों, कर्मचारियों, ग्राहकों और व्यापक समाज के लिए मूल्यों का वर्धन करने का प्रयास करता है।

2. निदेशक मण्डल

बैंक के बोर्ड का गठन बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970, के अनुसार किया गया है।

2.1 31.03.2023 के अनुसार निदेशक मंडल की संरचना उनकी नियुक्ति तिथि, श्रेणी, अन्य समितियों की सदस्यता इत्यादि, निदेशकों के कौशल/विशेषज्ञता/क्षमता का निर्धारण करने वाले चार्ट/मैट्रिक्स के साथ निम्नवत दी गई है:

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 के अनुसार एक निदेशक के पास कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, सहकारिता, अर्थशास्त्र, वित्त, विधि, लघु उद्योग आदि जैसे एक या अधिक विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए।

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	नियुक्ति तिथि	योग्यता	निदेशक की श्रेणी	अनुभव	कौशल/विशेषज्ञता/क्षमता	बैंक के निदेशक मंडल की समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता	एसीबी और कंपनियों में शेयरधारक संबंध समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता (पीएनबी के अलावा)	31.03.2023 को निदेशकों द्वारा धारित शेयरों की सं.
1	के. जी. अनंतकृष्णन	07.11.2022	बी.एससी. एम.एमएस	गैर–कार्यपालक अध्यक्ष	फार्मास्यूटिकल्स उद्योग में 40 वर्षों से अधिक का प्रगतिशील नेतृत्व का अनुभव।	सामान्य प्रबंधन, विपणन प्रबंधन और जोखिम प्रबंधन	1. 1.00 करोड़ रुपये और उससे अधिक की राशि वाले धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई करने हेतु बोर्ड की विशेष समिति–अध्यक्ष 2. प्रदर्शन मूल्यांकन समिति – अध्यक्ष 3. बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति 4. आईटी रणनीति समिति 5. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति		2000
2	अतुल कुमार गोयल	01.02.2022	बी.कॉम, सीए, सीएआइ–आईबी	एमडी एवं सीईओ	राष्ट्रीयकृत बैंकों में 31 वर्षों से अधिक का अनुभव	बैंकिंग, ऑडिट और अकाउंटस	1. बोर्ड की प्रबंधन समिति–अध्यक्ष 2. ग्राहक सेवा समिति – अध्यक्ष 3. निदेशकों की पदोन्नति समिति – अध्यक्ष 4. सतर्कता और गैर–सतर्कता अनुशासनात्मक मामलों की समीक्षा करने के लिए निदेशकों की समिति – अध्यक्ष 5. बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति – अध्यक्ष	1. दी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एसीबी – सदस्य) 2. पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एसआरसी–सदस्य)	15

Report on Corporate Governance

1. Corporate Governance Philosophy

The Bank believes in enhancing investor and other stakeholders' confidence and setting high standards of transparency, ethical values for improving efficiency and growth of the organization. The Bank is committed to following best Corporate Governance practices based on transparency, professionalism and accountability.

Our corporate structure, business, operations and disclosure practices have been strictly aligned to the above Corporate Governance philosophy.

The Bank is a body corporate under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and is regulated by the Reserve Bank of India. Being a listed entity, the Bank complies with the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 to the extent it does not violate the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 and the Guidelines, Directives, etc. issued by the Government of India and the Reserve Bank of India in this regard.

The Board of the Bank strives to optimize value for all stakeholders like shareholders, employees, customers and the society at large.

2. Board of Directors

The Board of the Bank is constituted in accordance with the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970.

2.1 Composition of the Board of Directors as on 31.03.2023 with date of their appointment, category, membership of other Committees etc. along with the Chart/Matrix setting out the skills/expertise/competence of the Directors is given below:

As per the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, a Director shall possess special knowledge or practical experience in respect of one or more of the matters namely agriculture and rural economy, banking, co-operation, economics, finance, law, small scale industry etc.

Sr. No.	Name of Director Shri/Smt.	Date of Appoi-ntment	Qualification	Category of Director	Experience	Skills/Expertise / Competence	Membership/ Chairmanship of Committees of Board of the Bank	Membership/ Chairmanship of ACB and Stakeholders Relationship Committees in Companies (other than PNB)	No. of Shares of PNB held by Directors as on 31.03.2023
1	K. G. Ananthakrishnan	07.11.2022	B.Sc., M. MM	Non-Executive Chairman	Over 40 years of progressive leadership experience in pharmaceuticals industry.	General Management, Marketing Management and Risk Management	1. Special Committee of Board to monitor and follow up fraud cases involving Rs.1.00 crore and above – Chairman 2. Performance Evaluation Committee – Chairman 3. Risk Management Committee of the Board 4. IT Strategy Committee 5. Nomination and Remuneration Committee	1. Ascent Meditech Limited (ACB-Member)	2000
2	Atul Kumar Goel	01.02.2022	B.Com., CA, CAIIB	MD&CEO	Over 31 years of experience in Nationalized Banks	Banking, Audit & Accounts	1. Management Committee of the Board – Chairman 2. Customer Service Committee – Chairman 3. Directors' Promotion Committee – Chairman 4. Committee of Directors to Review Vigilance and Non Vigilance Cases – Chairman 5. Credit Approval Committee of the Board – Chairman	1. The Oriental Insurance Company Limited (ACB-Member) 2. PNB Housing Finance Limited (SRC-Member)	15

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री/ श्रीमती)	नियुक्ति तिथि	योग्यता	निदेशक की श्रेणी	अनुभव	कौशल/ विशेषज्ञता /क्षमता	बैंक के निदेशक मंडल की समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता	एसीबी और कंपनियों में शेयरधारक संबंध समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता (पीएनबी के अलावा)	31.03.2023 को निदेशकों द्वारा धारित शेयरों की सं.
							6. शेयरधारक निदेशकों का चुनाव हु सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा मतदान – अध्यक्ष 7. वसूली में प्रगति की निगरानी के लिए बोर्ड की समिति – अध्यक्ष 8. इरादतन चूककर्ताओं और असहयोगी उधारकर्ताओं के वर्गीकरण की पहचान की समीक्षा के लिए समिति–अध्यक्ष 9. मानव संसाधन पर बोर्ड की संचालन समिति – अध्यक्ष 10. व्यवसाय समीक्षा समिति–अध्यक्ष 11. पूंजी जुटाव समिति – अध्यक्ष 12. रु.1.00 करोड़ और उससे अधिक की राशि वाले धोखाधड़ी मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई करने हेतु बोर्ड की विशेष समिति 13. बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति 14. हितधारक संबंध समिति		
3	विजय दुबे	01.04.2020	एमबीए एमएससी (सांख्यिकी) सीएआईआईबी सीनियर इन्शोरेंसी परीक्षा में प्रमाणपत्र, वित्तीय सेवाओं में जोखिम में प्रमाणन (तीसरे स्तर का अवार्ड)	कार्यपालक निदेशक	राष्ट्रीयकृत बैंकों में 37 से अधिक वर्षों का अनुभव	बैंकिंग, जोखिम प्रबंधन	1. बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति 2. बोर्ड की प्रबंधन समिति 3. ग्राहक सेवा समिति 4. आईटी रणनीति समिति 5. रु.1.00 करोड़ और उससे अधिक की राशि वाले धोखाधड़ी मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई करने हेतु बोर्ड की विशेष समिति 6. सतर्कता और गैर–सतर्कता मामलों की समीक्षा करने के लिए निदेशकों की समिति 7. बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति 8. शेयरधारक निदेशकों का चुनाव – सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा मतदान 9. वसूली में प्रगति की निगरानी के लिए बोर्ड की समिति 10. व्यवसाय समीक्षा समिति 11. बोर्ड की पूंजी जुटाव समिति	शून्य	8568

Sr. No.	Name of Director Shri/Smt.	Date of Appoi-ntment	Qualifica tion	Category of Director	Experience	Skills/Expertise / Competence	Membership/ Chairmanship of Committees of Board of the Bank	Membership/ Chairmanship of ACB and Stakeholders Relationship Committees in Companies (other than PNB)	No. of Shares of PNB held by Directors as on 31.03.2023
							6. Election of Shareholder Directors - Voting by Public Sector Banks – Chairman 7. Committee of the Board to monitor the progress in Recovery - Chairman 8. Committee for Review of Identification of Wilful Defaulters and Non Cooperative Borrowers Classification – Chairman 9. Steering Committee of the Board on HR – Chairman 10. Business Review Committee – Chairman 11. Capital Raising Committee – Chairman 12. Special Committee of Board to monitor and follow up fraud cases involving Rs.1.00 crore and above 13. Risk Management Committee of the Board 14. Stakeholders Relationship Committee		
3	Vijay Dube	01.04.2020	MBA, M.Sc. (Statistics), CAIIB, Certificati on in Limited Insolvency Examina-tion, Certifica-tion in Risk in Financial Services (Level 3 Award)	Executive Director	Over 37 years of experience in Nationalized Banks.	Banking, Risk Management	1. Risk Management Committee of the Board 2. Management Committee of the Board 3. Customer Service Committee 4. IT Strategy Committee 5. Special Committee of Board to monitor and follow up fraud cases involving Rs.1.00 crore and above 6. Committee of Directors to Review Vigilance and Non Vigilance Cases 7. Credit Approval Committee of the Board 8. Election of Shareholder Directors - Voting by Public Sector Banks 9. Committee of the Board to monitor the progress in Recovery 10. Business Review Committee 11. Capital Raising Committee	Nil	8568

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	नियुक्ति तिथि	योग्यता	निदेशक की श्रेणी	अनुभव	कौशल/विशेषज्ञता/क्षमता	बैंक के निदेशक मंडल की समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता	एसीबी और कंपनियों में शेयरधारक संबंध समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता (पीएनबी के अलावा)	31.03.2023 को निदेशकों द्वारा धारित शेयरों की सं.
4	कल्याण कुमार	21.10.2021	एम. एससी, सीएआई–आईबी	कार्यपालक निदेशक	राष्ट्रीयकृत बैंकों में 28 से अधिक वर्षों का अनुभव	बैंकिंग, मानव संसाधन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन	1. मानव संसाधन पर बोर्ड की संचालन समिति 2. बोर्ड की प्रबंधन समिति 3. ग्राहक सेवा समिति 4. आईटी रणनीति समिति 5. रु.1.00 करोड़ और उससे अधिक की राशि वाले धोखाधड़ी मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई करने हेतु बोर्ड की विशेष समिति 6. सतर्कता और गैर–सतर्कता मामलों की समीक्षा करने के लिए निदेशकों की समिति 7. बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति 8. शेयरधारक निदेशकों का चुनाव – सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा मतदान 9. वसूली में प्रगति की निगरानी के लिए बोर्ड की समिति 10. व्यवसाय समीक्षा समिति 11. पूंजी जुटाव समिति	शून्य	0
5	बिनोद कुमार	21.11.2022	बीएससी, पीजीडी–बीएफ, सीएआई–आईबी, एफआरएम	कार्यपालक निदेशक	राष्ट्रीयकृत बैंकों में 28 से अधिक वर्षों का अनुभव	बैंकिंग, जोखिम प्रबंधन	1. हितधारक संबंध समिति 2. बोर्ड की प्रबंधन समिति 3. ग्राहक सेवा समिति 4. आईटी रणनीति समिति 5. रु. 1.00 करोड़ और उससे अधिक की राशि वाले धोखाधड़ी मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई करने हेतु बोर्ड की विशेष समिति 6. सतर्कता और गैर–सतर्कता मामलों की समीक्षा करने के लिए निदेशकों की समिति 7. बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति 8. शेयरधारक निदेशकों का चुनाव – सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा मतदान 9. वसूली में प्रगति की निगरानी के लिए बोर्ड की समिति 10. व्यवसाय समीक्षा समिति 11. पूंजी जुटाव समिति	शून्य	6350
6	एम. परमशिवम	01.12.2022	बीएससी (कृषि)	कार्यपालक निदेशक	राष्ट्रीयकृत बैंकों में 28 से अधिक वर्षों का अनुभव	बैंकिंग, कृषि	1. बोर्ड की प्रबंधन समिति 2. ग्राहक सेवा समिति 3. आईटी रणनीति समिति 4. रु. 1.00 करोड़ और उससे अधिक की राशि वाले धोखाधड़ी मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई करने हेतु बोर्ड की विशेष समिति	शून्य	25

Sr. No.	Name of Director Shri/Smt.	Date of Appoi-ntment	Qualification	Category of Director	Experience	Skills/Expertise / Competence	Membership/ Chairmanship of Committees of Board of the bank	Membership/ Chairmanship of ACB and Stakeholders Relationship Committees in Companies (other than PNB)	No. of Shares of PNB held by Directors as on 31.03.2023
4	Kalyan Kumar	21.10.2021	M.Sc., CAIIB	Executive Director	Over 28 years of experience in Nationalized Banks.	Banking, HR and Digital Transformation	1. Steering Committee of the Board on HR 2. Management Committee of the Board 3. Customer Service Committee 4. IT Strategy Committee 5. Special Committee of Board to monitor and follow up fraud cases involving Rs.1.00 crore and above 6. Committee of Directors to Review Vigilance and Non Vigilance Cases 7. Credit Approval Committee of the Board 8. Election of Shareholder Directors - Voting by Public Sector Banks 9. Committee of the Board to monitor the progress in Recovery 10. Business Review Committee 11. Capital Raising Committee	Nil	0
5	Binod Kumar	21.11.2022	B.Sc., PGDBF, CAIIB, FRM	Executive Director	Over 28 years of experience in Nationalized Banks	Banking, Risk Management	1. Stakeholders Relationship Committee 2. Management Committee of the Board 3. Customer Service Committee 4. IT Strategy Committee 5. Special Committee of Board to monitor and follow up fraud cases involving Rs.1.00 crore and above 6. Committee of Directors to Review Vigilance and Non Vigilance Cases 7. Credit Approval Committee of the Board 8. Election of Shareholder Directors – Voting by Public Sector Banks 9. Committee of the Board to monitor the progress in Recovery 10. Business Review Committee 11. Capital Raising Committee	Nil	6350
6	M. Paramasivam	01.12.2022	B.Sc. (Agri)	Executive Director	Over 28 years of experience in Nationalized Banks	Banking, Agriculture	1. Management Committee of the Board 2. Customer Service Committee 3. IT Strategy Committee 4. Special Committee of Board to monitor and follow up fraud cases involving Rs.1.00 crore and above	Nil	25

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	नियुक्ति तिथि	योग्यता	निदेशक की श्रेणी	अनुभव	कौशल/विशेषज्ञता/क्षमता	बैंक के निदेशक मंडल की समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता	एसीबी और कंपनियों में शेयरधारक संबंध समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता (पीएनबी के अलावा)	31.03.2023 को निदेशकों द्वारा धारित शेयरों की सं.
							5. सतर्कता और गैर-सतर्कता मामलों की समीक्षा करने के लिए निदेशकों की समिति 6. बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति 7. शेयरधारक निदेशक का चुनाव-सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा मतदान 8. वसूली में प्रगति की निगरानी के लिए बोर्ड की समिति 9. व्यवसाय समीक्षा समिति 10. पूंजी जुटाव समिति		
7	पंकज शर्मा	11.04.2022	बी.टेक, एमबीए, एमए (लोक प्रशासन)	भारत सरकार के नामिती निदेशक	लोक वित्त प्रबंधन में 14 वर्ष से अधिक का अनुभव।	अर्थशास्त्र और वित्त	1. बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति 2. निदेशकों की पदोन्नति समिति 3. रु.1.00 करोड़ और उससे अधिक की राशि वाले धोखाधड़ी मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई करने हेतु बोर्ड की विशेष समिति 4. अपीलीय प्राधिकारी और समीक्षा प्राधिकारी 5. सतर्कता और गैर-सतर्कता मामलों की समीक्षा करने के लिए निदेशकों की समिति 6. मानव संसाधन पर बोर्ड की संचालन समिति 7. प्रदर्शन मूल्यांकन समिति	शून्य	शून्य
8	अनिल कुमार मिश्रा	25.02.2022	एमबीए, एमए	निदेशक (भा.रि.बैं की अनुशंसा पर भारत सरकार द्वारा नामित)	भा.रि.बैं और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्थानों में विभिन्न क्षमताओं में काम किया। भा.रि.बैं से कार्यपालक निदेशक पद से सेवानिवृत्त।	बैंकिंग और अनुपालन	1. बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति 2. बोर्ड की प्रबंधन समिति 3. निदेशकों की पदोन्नति समिति 4. सतर्कता और गैर-सतर्कता मामलों की समीक्षा करने के लिए निदेशकों की समिति	शून्य	शून्य
9	पंकज जोशी	21.12.2021	बी.कॉम, सीए	अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	लेखे और लेखापरीक्षा में 18 वर्षों से अधिक का पेशेवर अनुभव	लेखापरीक्षा और लेखे	1. प्रदर्शन मूल्यांकन समिति 2. बोर्ड की प्रबंधन समिति 3. ग्राहक सेवा समिति 4. व्यवसाय समीक्षा समिति 5. पूंजी जुटाव समिति 6. हितधारक संबंध समिति 7. इरादतन चूककर्ताओं और असहयोगी उधारकर्ताओं के वर्गीकरण की पहचान की समीक्षा के लिए समिति	शून्य	शून्य

Sr. No	Name of Director Shri/Smt.	Date of Appoi-ntment	Qualific ation	Category of Director	Experience	Skills/ Expertise/ Competence	Membership/ Chairmanship of Committees of Board of the Bank	Membership/ Chairmanship of ACB and Stakeholders Relationship Committees in Companies (other than PNB)	No. of Shares of PNB held by Directors as on 31.03.2023
							5. Committee of Directors to Review Vigilance and Non Vigilance Cases 6. Credit Approval Committee of the Board 7. Election of Shareholder Directors – Voting by Public Sector Banks 8. Committee of the Board to monitor the progress in Recovery 9. Business Review Committee 10. Capital Raising Committee		
7	Pankaj Sharma	11.04.2022	B. Tech, MBA, M. A. (Pub. Adm.)	Govt. of India Nominee Director	More than 14 years of experience in Public Finance Management	Economics and Finance	1. Audit Committee of the Board 2. Directors' Promotion Committee 3. Special Committee of Board to monitor and follow up fraud cases involving Rs.1.00 crore and above 4. Appellate Authority and Reviewing Authority 5. Committee of Directors to Review Vigilance and Non Vigilance Cases 6. Steering Committee of the Board on HR 7. Performance Evaluation Committee	Nil	Nil
8	Anil Kumar Misra	25.02.2022	MBA, M.A.	Director (Nominated by the Central Govt. on the recommend-ation of the RBI)	Worked in various capacities at RBI and Institutions of International repute. Retired as Executive Director RBI.	Banking and Compliance	1. Audit Committee of the Board 2. Management Committee of the Board 3. Directors' Promotion Committee 4. Committee of Directors to Review Vigilance and Non Vigilance Cases	Nil	Nil
9	Pankaj Joshi	21.12.2021	B.Com, CA	Part-Time Non-Official Director	Over 16 years of professional experience in audit and accounts	Audit and Accounts	1. Performance Evaluation Committee 2. Management Committee of the Board 3. Customer Service Committee 4. Business Review Committee 5. Capital Raising Committee 6. Stakeholders Relationship Committee 7. Committee for Review of Identification of Willful Defaulters and Non Cooperative Borrowers Classification	Nil	Nil

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	नियुक्ति तिथि	योग्यता	निदेशक की श्रेणी	अनुभव	कौशल/विशेषज्ञता/क्षमता	बैंक के निदेशक मंडल की समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता	एसीबी और कंपनियों में शेयरधारक संबंध समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता (पीएनबी के अलावा)	31.03.2023 को निदेशकों द्वारा धारित शेयरों की सं.
10	राजीव कुमार सिंघल	21.12.2021	बी.कॉम, सीएमए, सीए, एलएलबी, पीजीडी–एफएम, डीआईएसए, आईआरएन और फॉरेंसिक ऑडिट में डिप्लोमा	अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक	लेखे और लेखापरीक्षा में 27 वर्षों से अधिक का पेशेवर अनुभव एवं सूचना प्रणाली, ईआरपी और आईटी एप्लीकेशन्स में सुरक्षा और आंतरिक नियंत्रण की समीक्षा में 18 वर्षों से अधिक का अनुभव	लेखापरीक्षा और लेखे आईटी तथा जोखिम प्रबंधन विधि	1. बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति–अध्यक्ष 2. आईटी रणनीति समिति 3. बोर्ड की लेखा–परीक्षा समिति 4. वसूली में प्रगति की निगरानी के लिए बोर्ड की समिति 5. इरादतन चूककर्ताओं और असहयोगी उधारकर्ताओं के वर्गीकरण की पहचान की समीक्षा के लिए समिति 6. नामांकन और पारिश्रमिक समिति 7. अपीलीय प्राधिकारी और समीक्षा प्राधिकारी	शून्य	शून्य
11	गौतम गुहा	18.03.2021	एमए (ऑनर्स), भूतपूर्व सर्टिफाइड इनफर्मेशन सिस्टम ऑडिटर (सीआईएसए)	शेयरधारक निदेशक	लोक प्रशासन तथा वित्त, बैंकिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, लेखाशास्त्र और लेखा–परीक्षा में 34 वर्षों का पेशेवर अनुभव	वित्त (लेखे–परीक्षा और लेखा) तथा आईटी	1. बोर्ड की लेखा–परीक्षा समिति – अध्यक्ष 2. अपीलीय प्राधिकारी और समीक्षा प्राधिकारी–अध्यक्ष 3. प्रदर्शन मूल्यांकन समिति 4. बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति 5. वसूली की प्रगति की निगरानी के लिए बोर्ड की समिति 6. रू.1.00 करोड़ और उससे अधिक की राशि वाले धोखाधड़ी मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई करने हेतु बोर्ड की विशेष समिति 7. इरादतन चूककर्ताओं और असहयोगी उधारकर्ताओं के वर्गीकरण की पहचान की समीक्षा के लिए समिति 8. व्यवसाय समीक्षा समिति 9. पूंजी जुटाव समिति 10. नामांकन और पारिश्रमिक समिति	शून्य	500
12	डॉ. रेखा जैन	12.09.2021	बीएससी (ऑनर्स), एमएससी, एमफिल, पीएच.डी.	शेयरधारक निदेशक	सूचना प्रौद्योगिकी, भुगतान और निपटान प्रणाली, व्यवसाय प्रबंधन और जोखिम प्रबंधन में 35 वर्षों से अधिक का विविध अनुभव। अहमदाबाद से प्रोफेसर के पद से सेवानिवृत्त	सूचना प्रौद्योगिकी, जोखिम प्रबंधन, व्यवसाय प्रबंधन, भुगतान और निपटान प्रणाली	1. आईटी रणनीति समिति – अध्यक्ष 2. हितधारक संबंध समिति–अध्यक्ष 3. नामांकन और पारिश्रमिक समिति – अध्यक्ष 4. बोर्ड की प्रबंधन समिति 5. ग्राहक सेवा समिति 6. बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति 7. मानव संसाधन पर बोर्ड की संचालन समिति 8. अपीलीय प्राधिकारी और समीक्षा प्राधिकारी	गुजरात गैस लिमिटेड (एसीबी और एसआरसी के सदस्य)	250

Sr. No	Name of Director Shri/Smt.	Date of Appoi-ntment	Qualific ation	Category of Director	Experience	Skills/ Expertise/ Competence	Membership/ Chairmanship of Committees of Board of the Bank	Membership/ Chairmanship of ACB and Stakeholders Relationship Committees in Companies (other than PNB)	No. of Shares of PNB held by Directors as on 31.03.2023
10	Sanjeev Kumar Singhal	21.12.2021	B.Com, CMA, CA, LLB PGDFM, Diploma in IRM and Forensic Audit	Part-Time Non-Official Director	Over 27 years of professional experience in audit and accounts & Over 15 years of experience in review of security and internal controls in Information systems, ERPs & IT Applications	Audit and Accounts, IT & Risk Management, Law	1. Risk Management Committee of the Board - Chairman 2. IT Strategy Committee 3. Audit Committee of the Board 4. Committee of the Board to monitor the progress in recovery 5. Committee for Review of Identification of Wilful Defaulters and Non Cooperative Borrowers Classification 6. Nomination & Remuneration Committee 7. Appellate Authority and Reviewing Authority	Nil	Nil
11	Gautam Guha	18.03.2021	M.A. (English), Former Certified Informa-tion Systems Auditor (CISA)	Shareholder Director	34 years of professional experience in Public Administration and Finance, Banking, Information Technology, Accountancy and Auditing	Finance (Audit & Accounts) and IT	1. Audit Committee of the Board - Chairman 2. Appellate Authority and Reviewing Authority - Chairman 3. Performance Evaluation Committee 4. Risk Management Committee of the Board 5. Committee of the Board to monitor the progress in Recovery 6. Special Committee of Board to monitor and follow up fraud cases involving Rs.1.00 crore and above 7. Committee for Review of Identification of Wilful Defaulters and Non Cooperative Borrowers Classification 8. Business Review Committee 9. Capital Raising Committee 10. Nomination & Remuneration Committee	Nil	500
12	Dr. Rekha Jain	12.09.2021	B.Sc. (Hons.), M.Sc., M.Phil., Ph.D.	Shareholder Director	Over 38 years of diverse experience in Information Technology, Payment & Settlement systems, Business Management and Risk Management. Retired as Professor from IIM, Ahmedabad	Information Technology, Risk Management, Business Management, Payment & settlement systems	1. IT Strategy Committee - Chairperson 2. Stakeholders Relationship Committee - Chairperson 3. Nomination & Remuneration Committee - Chairperson 4. Management Committee of the Board 5. Customer Service Committee 6. Risk Management Committee of the Board 7. Steering Committee of the Board on HR 8. Appellate Authority and Reviewing Authority	Gujarat Gas Limited (Member of ACB and SRC)	250

Note: The name of the Committees in which the Director is a member has been mentioned and the Chairmanship has been specifically indicated wherever applicable.

नोटः उन समितियों के नाम, जिनमें निदेशक सदस्य हैं, का उल्लेख किया गया है और जहां कहीं लागू हो, अध्यक्षता का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है।

2.2 वर्ष के दौरान निम्नलिखित सदस्य निदेशकों का कार्यकाल समाप्त हुआः

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री / श्रीमती)	निदेशक की श्रेणी	समापन तिथि	कारण
1	पंकज जैन	सरकार द्वारा नामित निदेशक	11.04.2022	अवधि समाप्त
2	स्वरूप कुमार साहा	कार्यपालक निदेशक	03.06.2022	पंजाब एंड सिंध बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में नियुक्ति
3	संजय कुमार	कार्यपालक निदेशक	30.11.2022	सेवा–निवृत्ति

2.3 अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं के बोर्ड / समितियों में निदेशकों की सदस्यता / अध्यक्षता का विवरणः

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री / श्रीमती)	अन्य सूचीबद्ध संस्था का नाम जिसमें निदेशक बोर्ड का सदस्य है	अन्य सूचीबद्ध संस्थान के बोर्ड/समिति का नाम जहां निदेशक अध्यक्ष / सदस्य हैं		अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशक पद की श्रेणी
1	के.जी. अनंतकृष्णन	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
2	अतुल कुमार गोयल	पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड	बोर्ड नामांकन और पारिश्रमिक समिति हितधारक संबंध समिति	सदस्य	गैर–कार्यपालक
3	विजय दुबे	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
4	कल्याण कुमार	पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड	बोर्ड	अध्यक्ष	गैर–कार्यपालक अध्यक्ष
5	बिनोद कुमार	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
6	एम. परमशिवम	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
7	पंकज शर्मा	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
8	अनिल कुमार मिश्रा	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
9	पंकज जोशी	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
10	संजीव कुमार सिंघल	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
11	गौतम गुहा	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
12	डॉ. रेखा जैन	गुजरात गैस लिमिटेड	बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति बोर्ड की हितधारक संबंध समिति	सदस्य	स्वतंत्र निदेशक

2.2 The following members ceased to be the Directors during the year:

Sr. No.	Name of Director (Shri)	Category of Director	Date of Cessation	Reason
1.	Pankaj Jain	Government Nominee Director	11.04.2022	Completion of Tenure
2.	Swarup Kumar Saha	Executive Director	03.06.2022	Appointment as MD & CEO of Punjab & Sind Bank
3.	Sanjay Kumar	Executive Director	30.11.2022	Superannuation

2.3 Details of Membership/Chairmanship of Directors in the Board/Committees of other listed entities:

Sr. No.	Name of Director (Shri/Smt.)	Name of other Listed Entity in which the Director is a Member of the Board	Name of the Board/Committee in other listed entity where the Director is Chairman/member		Category of Directorship in other listed entities
1	K. G. Ananthakrishnan	Nil	Nil	Nil	Nil
2	Atul Kumar Goel	PNB Housing Finance Limited	Board Nomination & Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee	Member	Non-Executive
3	Vijay Dube	Nil	Nil	Nil	Nil
4	Kalyan Kumar	PNB Gilts Ltd.	Board	Chairman	Non-Executive Chairman
5	Binod Kumar	Nil	Nil	Nil	Nil
6	M. Paramasivam	Nil	Nil	Nil	Nil
7	Pankaj Sharma	Nil	Nil	Nil	Nil
8	Anil Kumar Misra	Nil	Nil	Nil	Nil
9	Pankaj Joshi	Nil	Nil	Nil	Nil
10	Sanjeev Kumar Singhal	Nil	Nil	Nil	Nil
11	Gautam Guha	Nil	Nil	Nil	Nil
12	Dr. Rekha Jain	Gujarat Gas Limited	Board, Audit Committee of Board, Nomination & Remuneration Committee of Board, Risk Management Committee of Board and Stakeholders Relationship Committee of Board	Member	Independent Director

2.4 वर्ष के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों का विवरण:

क्र. सं.	बैठक की तिथि	निदेशक मंडल में निदेशकों की कुल संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
1	29.04.2022	11	11
2	11.05.2022	11	10
3	27.05.2022	11	10
4	28.06.2022	10	10
5	10.07.2022	10	8
6	28.07.2022	10	10
7	26.08.2022	10	10
8	28.09.2022	10	10
9	01.11.2022 (प्रातः 11:00 –दोपहर 01:40)	10	9
10	01.11.2022 (दोपहर– 02:10 सायं 06:15)	10	9
11	25.11.2022	12	12
12	28.12.2022	12	12
13	29.12.2022	12	10
14	30.01.2023	12	12
15	31.01.2023	12	11
16	28.02.2023	12	11
17	29.03.2023	12	12

2.5 वित्तीय वर्ष के दौरान बोर्ड की बैठकों तथा गत वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में निदेशकों की उपस्थिति की संख्या इस प्रकार है:

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री / श्रीमती)	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकें	बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति	पिछली आम वार्षिक बैठक में उपस्थिति
1	के.जी. अनंतकृष्णन	07	07	लागू नहीं
2	अतुल कुमार गोयल	17	17	नहीं
3	संजय कुमार	11	11	हां
4	विजय दुबे	17	17	हां
5	स्वरूप कुमार साहा	03	02	लागू नहीं

2.4 Details of Board Meetings held during the year:

Sr. No	Date of the Meeting	Total Number of Directors on the Board	Number of Directors present in the Meeting
1	29.04.2022	11	11
2	11.05.2022	11	10
3	27.05.2022	11	10
4	28.06.2022	10	10
5	10.07.2022	10	8
6	28.07.2022	10	10
7	26.08.2022	10	10
8	28.09.2022	10	10
9	01.11.2022 (11:00 AM - 01:40 PM)	10	9
10	01.11.2022 (02:10 PM - 06:15 PM)	10	9
11	25.11.2022	12	12
12	28.12.2022	12	12
13	29.12.2022	12	10
14	30.01.2023	12	12
15	31.01.2023	12	11
16	28.02.2023	12	11
17	29.03.2023	12	12

2.5 The total number of Board meetings and the last Annual General Meeting (AGM) attended by Directors during the Financial Year are as under:

Sr. No.	Name of Directors (Shri/Smt.)	Board Meetings held during their tenure	Board Meetings attended	Attendance in last AGM
1	K. G. Ananthakrishnan	07	07	N.A.
2	Atul Kumar Goel	17	17	No
3	Sanjay Kumar	11	11	Yes
4	Vijay Dube	17	17	Yes
5	Swarup Kumar Saha	03	02	N.A.

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री / श्रीमती)	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकें	बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति	पिछली आम वार्षिक बैठक में उपस्थिति
6	कल्याण कुमार	17	17	नहीं
7	बिनोद कुमार	07	07	लागू नहीं
8	एम. परमशिवम	06	06	लागू नहीं
9	पंकज जैन	0	0	लागू नहीं
10	पंकज शर्मा	17	14	नहीं
11	अनिल कुमार मिश्रा	17	15	नहीं
12	पंकज जोशी	17	16	हाँ
13	संजीव कुमार सिंघल	17	16	नहीं
14	गौतम गुहा	17	15	हाँ
15	डॉ. रेखा जैन	17	17	हाँ

नोट : लागू नहीं यह दर्शाता है कि अवधि के दौरान निदेशक नहीं थे।

2.6 वित्तीय वर्ष के दौरान नियुक्त/नामित किए गए निदेशकों की संक्षिप्त प्रोफाइल निम्नानुसार है:

i. श्री पंकज शर्मा, भारत सरकार नामित निदेशक:

श्री पंकज शर्मा को दिनांक 11 अप्रैल 2022 से पंजाब नैशनल बैंक के बोर्ड में भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

श्री पंकज शर्मा वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। आपको सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में लगभग दो दशकों का अनुभव है। आपको राजकोषीय नीति, वित्तीय रिपोर्टिंग, सूचना प्रणाली के आंतरिक नियंत्रण और लेखापरीक्षा आदि क्षेत्रों में व्यापक अनुभव है। अपने करियर के दौरान, आपने ग्रामीण विकास और पंचायती राज एवं वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्रों में काम किया है। आप वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष के निर्माण के संबंध में वित्त मंत्रालय द्वारा गठित समिति और वित्तीय सुदृढ़ीकरण के लिए रोडमैप तैयार करने के लिए समिति के साथ सन्नद्धता से जुड़े हुए थे। आपके कार्य अनुभव में विश्व बैंक के साथ एक कार्यकाल शामिल है।

भारतीय सिविल लेखा सेवा के एक अधिकारी, श्री शर्मा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर से इंजीनियरिंग स्नातक हैं और आपने ली कुआन यू स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर से लोक प्रशासन में स्नातकोत्तर किया है। आपने वित्त विशेषज्ञता के साथ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स की डिग्री भी हासिल की है। पर्यावरण विनियमन के अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आपकी रुचि है।

Sr. No.	Name of Directors (Shri/Smt.)	Board Meetings held during their tenure	Board Meetings attended	Attendance in last AGM
6	Kalyan Kumar	17	17	No.
7	Binod Kumar	07	07	N.A.
8	M. Paramasivam	06	06	N.A.
9	Pankaj Jain	0	0	N.A.
10	Pankaj Sharma	17	14	No
11	Anil Kumar Misra	17	15	No
12	Pankaj Joshi	17	16	Yes
13	Sanjeev Kumar Singhal	17	16	No
14	Gautam Guha	17	15	Yes
15	Dr. Rekha Jain	17	17	Yes

Note: N.A. indicates not a Director during the relevant period.

2.6 Brief Profile of Directors appointed/nominated during the financial year:

i. Shri Pankaj Sharma, Government of India Nominee Director:

Shri Pankaj Sharma has been appointed as the Government of India Nominee Director on the Board of Punjab National Bank with effect from 11.04.2022.

Shri Pankaj Sharma serves as Joint Secretary in Department of Financial Services, Ministry of Finance. He has experience of nearly two decades in the area of Public Financial Management. He has extensive experience in the areas of fiscal policy, financial reporting, internal control and audit of information systems, etc. During his career, he has worked in the sectors of Rural development and Panchayati Raj and Scientific research. He was closely involved with the Ministry of Finance constituted Committee regarding creation of Senior Citizens Welfare Fund and Committee for preparation of roadmap for fiscal consolidation. His work experience includes a stint with World Bank.

An officer of Indian Civil Account Services, Shri Sharma is an Engineering graduate from Indian Institute of Technology, Kanpur and has done Masters in Public Administration from Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore. He also holds degree of Masters in Business Administration with Finance Specialisation. He has interest in the field of economics of environmental regulation.

ii. श्री के. जी. अनंतकृष्णन, गैर–कार्यपालक अध्यक्ष:

श्री के. जी. अनंतकृष्णन को 07.11.2022 से पंजाब नैशनल बैंक के बोर्ड पर अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक के साथ–साथ गैर–कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।

श्री अनंतकृष्णन को फार्मास्यूटिकल्स उद्योग में 40 से अधिक वर्षों के प्रगतिशील नेतृत्व का अनुभव है। उन्हें एक उद्योग विचारक, रणनीतिक विचारक के रूप में जाना जाता है और उच्च प्रदर्शन वाले संगठनों को बनाने, सफलता हासिल करने, पहुंच में सुधार करने, अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बाजारों में राजस्व और लाभ वृद्धि को बनाए रखने के लिए पहचाना जाता है।

उनके पास सामान्य प्रबंधन, रणनीतिक योजना, साझेदारी निर्माण, राजस्व और लाभ अनुकूलन, टर्नअराउंड प्रबंधन, बिक्री और विपणन, नीति विकास के क्षेत्रों में व्यापक अनुभव और विशेषज्ञता है।

श्री अनंतकृष्णन के पास विपणन प्रबंधन में मास्टर डिग्री (जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, मुंबई) और विज्ञान में स्नातक की डिग्री (उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद) है। उन्होंने व्हार्टन बिजनेस स्कूल, यूएसए द्वारा संचालित कार्यकारी विकास कार्यक्रम और इनसीड, फ्रांस द्वारा संचालित गैर–वित्त कार्यक्रम के लिए वित्त में भाग लिया है।

उन्होंने 1976 में नोवार्टिस इंडिया लिमिटेड (सेल्स में) के साथ अपने करियर की शुरुआत की और विविध उत्पाद पोर्टफोलियो को संभाला है। वह 1999 में फार्माशिया इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट – सेल्स एंड मार्केटिंग के रूप में शामिल हुए और फाइजर इंडिया लिमिटेड में वरिष्ठ निदेशक – फार्मास्युटिकल्स बने । इसके बाद, वह फुलफोर्ड (इंडिया) लिमिटेड में मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में शामिल हुए और एमएसडी फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट के साथ फुलफोर्ड (इंडिया) लिमिटेड और ऑर्गेनॉन (इंडिया) लिमिटेड के संचालन के सफल एकीकरण का हिस्सा रहे। एमएसडी प्रायवेट लिमिटेड के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, दक्षिण एशिया क्षेत्र, एमएसडी के रूप में, उन्होंने सबसे तेजी से बढ़ती दवा कंपनियों में से एक बनने के लिए संयुक्त इकाई का परिवर्तन सुनिश्चित किया।

उन्होंने डायरेक्टर जनरल, ऑर्गनाइजेशन ऑफ फार्मास्युटिकल प्रोड्यूसर्स ऑफ इंडिया (ओपीपीआई) और सह–अध्यक्ष (फार्मा कमेटी) – भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के रूप में कार्य किया, और कई महत्वपूर्ण नीतिगत पहलों के विकास में योगदान दिया। वह वर्तमान में हेल्थकेयर टेक्नोलॉजी स्टार्ट अप्स को सलाह दे रहे हैं। इसके अलावा, वह इंडियन एजुकेशन सोसाइटी फार्मास्युटिकल मैनेजमेंट प्रोग्राम के सलाहकार पैनल के सदस्य हैं और एसेंट मेडिटेक लिमिटेड के बोर्ड के सदस्य भी हैं। उन्हें भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों में अग्रणी प्रबंधन संस्थानों द्वारा अतिथि वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया था।

ii. Shri K.G. Ananthakrishnan, Non-Executive Chairman:

Shri K. G. Ananthakrishnan has been appointed as part-time Non-Official Director as well as Non-Executive Chairman on the Board of Punjab National Bank w.e.f. 07.11.2022.

Shri Ananthakrishnan has more than 40 years of progressive leadership experience in pharmaceuticals industry. He is regarded as an industry thought leader, strategic thinker and is recognized for creating high performance organizations, driving success, improving access, delivering and sustaining revenue and profit growth in highly competitive markets.

He has vast experience and expertise in areas of general management, strategic planning, partnership building, revenue and profit optimization, turnaround management, sales and marketing, policy development.

Shri Ananthakrishnan holds Master's degree in Marketing Management (Jamnalal Bajaj Institute of Management Studies, Mumbai) and Bachelor's degree in Science (Osmania University, Hyderabad). He has undergone Executive Development Program conducted by Wharton Business School, USA and Finance for Non-Finance Program conducted by INSEAD, France.

He commenced his career in 1976 with Novartis India Limited (in sales) and handled diverse product portfolio. He joined Pharmacia India in 1999 as Vice President - Sales & Marketing and transitioned to Pfizer India Ltd. as Senior Director - Pharmaceuticals. Thereafter, he joined Fulford (India) Ltd. as Chief Operating Officer and was part of successful integration of the operations of Fulford (India) Ltd. and Organon (India) Ltd. with MSD Pharmaceuticals Pvt. Ltd. As Vice President and Managing Director, South Asia Region, MSD, he ensured transformation of the combined entity to become one of the fastest growing pharmaceutical companies.

He served as Director General, Organization of Pharmaceutical Producers of India (OPPI) and Co-Chair (Pharma Committee) - Confederation of Indian Industry (CII), and contributed in development of several important policy initiatives. He is presently mentoring Healthcare Technology Start Ups. Further, he is an Advisory Panel member of Indian Education Society Pharmaceutical Management Program and also a member on the Board of Ascent Meditech Limited. He has been invited as guest speaker by leading management institutions both in India and USA.

iii. श्री बिनोद कुमार, कार्यपालक निदेशक

श्री बिनोद कुमार ने 21 नवंबर, 2022 को बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया।

श्री बिनोद कुमार, रांची विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक और एनआईबीएम से बैंकिंग एवं वित्त में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, जीएआरपी (यूएसए) से वित्तीय जोखिम प्रबंधक (एफआरएम) और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स (सीएआईआईबी) के प्रमाणित सहयोगी सदस्य हैं।

श्री कुमार ने वर्ष 1994 में पंजाब नैशनल बैंक में प्रबंधन प्रशिक्षु के रूप में अपनी बैंकिंग यात्रा शुरू की और पिछले 28 वर्षों तक बैंक की सेवा की। आपके पास 28 से अधिक वर्षों का बैंकिंग का समृद्ध एवं विविध अनुभव है, जिनमें शाखा और प्रशासनिक कार्यालय से लेकर जोखिम प्रबंधन, ऋण आदि शामिल हैं। आपने शाखा कार्यालय: डीआईएफसी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में भी काम किया है और इससे पूर्व मुख्य महाप्रबंधक के रूप में कॉर्पोरेट ऋण प्रभाग, प्रधान कार्यालय, पंजाब नैशनल बैंक का नेतृत्व कर रहे थे।

श्री. कुमार ने भारतीय बैंकिंग एवं वित्त संस्थान (आईआईबीएफ) से ट्रेजरी निवेश एवं जोखिम प्रबंधन, बैंकिंग एवं वित्त में डिप्लोमा किया है और भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) बैंगलोर से नेतृत्व कौशल विकास कार्यक्रम पाठ्यक्रम किया है।

आपने पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड और आईएसएआरसी (इंडिया एसएमई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड) के बोर्ड में पीएनबी की ओर से नामित निदेशक के रूप में भी कार्य किया है।

iv. श्री एम. परमशिवम, कार्यपालक निदेशक:

श्री एम परमशिवम ने 1 दिसंबर, 2022 को बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है।

श्री परमशिवम, एक कृषि स्नातक, ने केनरा बैंक में कृषि विस्तार अधिकारी के रूप में वर्ष 1990 में अपनी यात्रा शुरू की और वीएलबी के शाखा प्रमुख के रूप में विभिन्न क्षेत्रीय और मंडल कार्यालयों के क्षेत्रीय और मंडल प्रमुख के रूप में विभिन्न क्षमताओं में पिछले 32 वर्षों से बैंक की सेवा की है और प्रधान कार्यालय, केनरा बैंक में प्राथमिकता प्राप्त ऋण शाखा के प्रमुख भी रहे।

शाखा बैंकिंग, ऋण, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, विदेशी मुद्रा और व्यापार वित्त, अनुपालन आदि के विविध कार्यक्षेत्रों में आपका अनुभव और योगदान व्यापक रहा है। प्रधान कार्यालय, केनरा बैंक में प्राथमिकता प्राप्त ऋण विंग में विंग प्रमुख के रूप में आपके कार्यकाल के दौरान, नाबार्ड (NABARD) और कर्नाटक राज्य सरकार के समन्वयन में फ्रूट्स पोर्टल शुरू किया गया

iii. Shri Binod Kumar, Executive Director:

Shri Binod Kumar assumed charge as Executive Director of the Bank on 21.11.2022.

Shri Binod Kumar, a Graduate in science from Ranchi University and holds Post Graduate Diploma in Banking & Finance from NIBM, Financial Risk Manager (FRM) from GARP (USA) and a Certified Associate Member of Indian Institute of Bankers (CAIIB).

Shri Kumar started his banking journey in Punjab National Bank as Management Trainee in the year 1994 and has served the bank for last 28 years. He has rich and diversified banking experience of over 28 years, ranging from Branch and Administrative Office to Risk Management, Credit etc. He has also headed BO: DIFC as Chief Executive Officer and was previously heading the Corporate Credit Division, Head Office of Punjab National Bank as Chief General Manager.

Shri. Kumar has Diploma in Treasury Investment & Risk Management, Banking & Finance by IIBF and Leadership Skill Development Program from IIM Bangalore.

He has also served as the Nominee Director on behalf of PNB on the Board of PNB Housing Finance Limited & ISARC (India SME Asset Reconstruction Company Limited).

iv. Shri M. Paramasivam, Executive Director:

Shri M. Paramasivam assumed charge as Executive Director of the Bank on 01.12.2022.

Shri Paramasivam, an agriculture graduate, started his journey in Canara Bank as Agricultural Extension Officer in the year 1990 and served the Bank for last 32 years in various capacities as Branch Head of VLBs, as Regional and Circle head of various regional and circle offices and also headed Priority Credit Wing at Head Office, Canara Bank.

His experience and contribution is spread across multiple domains of Branch Banking, Credit, Priority Sector, Forex and Trade Finance, Compliance, among others. During his tenure as Wing Head at Priority Credit Wing at Head Office, Canara Bank, FRUITS portal was started in coordination with NABARD and Karnataka State Government. He was also instrumental in

था। ईज–3 (EASE-3) मानदंडों के अनुसार कृषि ऋण केंद्रों की शुरुआत में भी आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

श्री परमशिवम ने बैंक बोर्ड ब्यूरो और भारतीय बैंक संघ द्वारा आयोजित नेतृत्व विकास कार्यनीति कार्यक्रम में भी प्रतिभागिता की है।

3. बोर्ड की समितियां

बैंक के निदेशक मंडल ने भारतीय रिजर्व बैंक/भारत सरकार/सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार रणनीतिक महत्व के विभिन्न क्षेत्रों को देखने के लिए निदेशकों और/या कार्यपालक अधिकारियों की विभिन्न समितियों का गठन किया है।

3.1 बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी)

संक्षिप्त विवरण और विचारार्थ विषय:

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति का गठन आरबीआई की पत्र संख्या 5/16/13.100/94 दिनांक 09.04.1994, संख्या बीसी/एडीएमएन/919/16.13.100/95 दिनांक 26.09.1995 और सं. डीओएस. संख्या बीसी/3/08.91.020/97 दिनांक 20.01.1997 में निहित दिशानिर्देशों तथा संख्या आरबीआई/2021–22/24 डीओआर.जीओवी.आरईसी. 8/29.67.001/2021–22 दिनांक 26.04.2021, भारतीय रिजर्व बैंक के अन्य मौजूदा दिशानिर्देश और सेबी (एलओडीआर) विनियमावली, 2015 के विनियम 18 के तहत आवश्यक दिशा–निर्देशों के अनुसार किया गया है। समिति के मुख्य कार्य निम्नानुसार हैं:–

- संगठन, संचालन, आंतरिक लेखा परीक्षा और निरीक्षण की गुणवत्ता नियंत्रण सहित बैंक के लेखा परीक्षा कार्यों को दिशा प्रदान करना और उसका पर्यवेक्षण करना तथा बैंक की सांविधिक/बाह्य लेखा परीक्षा कार्यों एवं भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षण के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई करना।
- तिमाही/वार्षिक वित्तीय विवरण व रिपोर्टों के अनुमोदन के संबंध में केन्द्रीय सांविधिक लेखा परीक्षकों से विचार–विमर्श करना और लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट में उठाए गए समस्त मामलों पर अनुवर्ती कार्रवाई करना।
- बैंक के आंतरिक निरीक्षण/लेखापरीक्षा कार्य – प्रणाली, इसकी गुणवत्ता और अनुवर्ती कार्रवाई की प्रभावशीलता की समीक्षा करना।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय है, बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी और इसकी वित्तीय सूचनाओं का प्रकटीकरण।
- वार्षिक वित्तीय विवरणों और उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, बोर्ड को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने से पूर्व, प्रबंधन के साथ उसकी समीक्षा करना एवं लेखांकन नीतियों में परिवर्तन करना।

commencement of Agri Credit Centres in terms of EASE-3 norms.

Shri Paramasivam has also undertaken Leadership Development Strategy Program organised by Banks Board Bureau and Indian Banks' Association.

3. Committees of the Board

The Board of Directors of the Bank has constituted various Committees of Directors and / or Executives to look into different areas of strategic importance in terms of Reserve Bank of India/ Government of India/SEBI Guidelines.

3.1 Audit Committee of the Board (ACB)

Brief description and terms of reference:

The Audit Committee of the Board has been constituted in terms of RBI Guidelines contained in its Letter No.5/16/13.100/94 dated 09.04.1994, No.BC/ADMN/919/16.13.100/95 dated 26.09.1995, No.DOS.No.BC/3/08.91.020/97 dated 20.01.1997 & No. RBI/2021-22/24 DOR.GOV.REC.8 /29.67.001/2021-22 dated 26.04.2021, other extant guidelines of RBI and as required under Regulation 18 of SEBI (LODR) Regulations, 2015. The main functions of the Committee are as under: -

- Providing direction and overseeing the audit function of the Bank including the organization, operationalization, quality control of internal audit and inspection including its review and follow up on the statutory/external audit of the Bank and inspections of RBI.
- To interact with Statutory Central Auditors in respect of approval of quarterly/annual Financial Statements & Reports and also follow up on all the issues raised in the Long Form Audit Report.
- To review the internal inspection/Audit function of the Bank - the system, its quality and effectiveness in terms of follow up.
- Overseeing the Bank's financial reporting process and the disclosure of its financial information to ensure that the financial statements are correct, sufficient and credible.
- To review with the Management, the Annual Financial Statements and Auditors' Report thereon before submission to the Board for approval and also the changes in the Accounting Policies.
- To review Related Party Transactions.

- संबंधित पक्ष के लेनदेन की समीक्षा।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर लागू सीमा तक सेबी (एलओडीआर) विनियमावली, 2015 की शर्तों के अनुसार कार्य करना।

बैंक के कंपनी सचिव सेबी (एलओडीआर) विनियमावली, 2015 के विनियम 18 (1) (ई) की शर्त के अनुसार समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

31.03.2023 की स्थिति के अनुसार समिति की संरचना:

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	
1	गौतम गुहा	शेयरधारक निदेशक, अध्यक्ष
2	पंकज शर्मा	भारत सरकार के नामिती निदेशक, सदस्य
3	अनिल कुमार मिश्रा	निदेशक, सदस्य
4	संजीव कुमार सिंघल	अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक, सदस्य
आमंत्रित (सुश्री/श्री): विजय दुबे कल्याण कुमार बिनोद कुमार एम। परमशिवम		 कार्यपालक निदेशक कार्यपालक निदेशक कार्यपालक निदेशक कार्यपालक निदेशक

श्री पंकज शर्मा, भारत सरकार के नामिती निदेशक को श्री पंकज जैन के स्थान पर 12.04.2022 से समिति का सदस्य बनाया गया।

वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों के विवरण:

क्र. सं.	बैठक की तिथि	समिति के निदेशकों की कुल संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
1	29.04.2022	4	3
2	11.05.2022	4	4
3	24.05.2022	4	3
4	28.06.2022	4	4
5	28.07.2022	4	4
6	26.08.2022	4	4
7	27.09.2022	4	4
8	31.10.2022	4	3
9	01.11.2022	4	3
10	25.11.2022	4	4
11	14.12.2022	4	4
12	16.01.2023	4	4

- To carry out the functions as stipulated in the SEBI (LODR) Regulations, 2015 to the extent applicable to Public Sector Banks.

The Company Secretary of the Bank acts as the Secretary to the Committee in terms of Regulation 18 (1)(e) of SEBI (LODR) Regulations, 2015.

Composition of the Committee as on 31.03.2023:

Sr. No.	Name of the Director (S/Shri)	
1.	Gautam Guha	Shareholder Director, Chairman
2.	Pankaj Sharma	Government Nominee Director, Member
3.	Anil Kumar Misra	Director, Member
4.	Sanjeev Kumar Singhal	Part Time Non-Official Director, Member
Invitees (S/Shri): Vijay Dube Kalyan Kumar Binod Kumar M. Paramasivam		 Executive Director Executive Director Executive Director Executive Director

Shri Pankaj Sharma, Government Nominee Director, was made member of the Committee in place of Shri Pankaj Jain with effect from 12.04.2022.

Details of meetings held during the financial year:

Sr. No.	Date of Meeting	Total No. of Directors of the Committee	No of Directors Present in the Meeting
1	29-04-2022	4	3
2	11-05-2022	4	4
3	24-05-2022	4	3
4	28-06-2022	4	4
5	28-07-2022	4	4
6	26-08-2022	4	4
7	27-09-2022	4	4
8	31-10-2022	4	3
9	01-11-2022	4	3
10	25-11-2022	4	4
11	14-12-2022	4	4
12	16-01-2023	4	4

क्र. सं.	बैठक की तिथि	समिति के निदेशकों की कुल संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
13	30.01.2023	4	4
14	14.02.2023	4	3
15	13.03.2023	4	3

वित्तीय वर्ष के दौरान सदस्य–निदेशकों द्वारा बैठकों में भाग लेने की संख्या:

क्र. सं.	निदेशक का नाम श्री/सुश्री	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1	गौतम गुहा	15	15
2	पंकज जैन	शून्य	शून्य
3	पंकज शर्मा	15	9
4	संजीव कुमार सिंघल	15	15
5	अनिल कुमार मिश्रा	15	15

3.2 जोखिम प्रबंधन समिति

संक्षिप्त विवरण और विचारार्थ विषय:

जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) का गठन जोखिम प्रबंधन पर भा.रि. बैंक पत्र सं. डीबीओडी सं. बीपी–520/21.04.103/2002–03 दिनांक 12.10.2002 एवं आरबीआई अधिसूचना आरबीआइ/2021–22/24 डीओआर.जीओवी.आरईसी.8/29.67.001/2021–22 दिनांक 26.04.2021 और सेबी (एलओडीआर) विनियमावली, 2015 के विनियम 21 के अनुसार किया गया है। ऋण, बाजार और परिचालन जोखिम, जोखिम एकीकरण, सर्वोत्तम जोखिम प्रबंधन प्रथाओं के कार्यान्वयन और बैंक की विभिन्न जोखिम सीमाएं स्थापित करने तथा बैंक के साइबर सुरक्षा की समीक्षा करने सहित बैंक के संपूर्ण जोखिम की प्रबंधन नीति तैयार करने की संपूर्ण जिम्मेदारी समिति के पास है।

31.03.2023 की स्थिति के अनुसार समिति की संरचना.

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	
1	संजीव कुमार सिंघल	अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक, अध्यक्ष
2	के.जी. अनंतकृष्णन	गैर–कार्यपालक अध्यक्ष, सदस्य
3	अतुल कुमार गोयल	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सदस्य
4	विजय दुबे	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
5	गौतम गुहा	शेयरधारक निदेशक, सदस्य
6	डॉ. रेखा जैन	शेयरधारक निदेशक, सदस्य
आमंत्रित (सुश्री/श्री): कल्याण कुमार बिनोद कुमार एम.परमशिवम		कार्यपालक निदेशक कार्यपालक निदेशक कार्यपालक निदेशक

Sr. No.	Date of Meeting	Total No. of Directors of the Committee	No of Directors Present in the Meeting
13	30-01-2023	4	4
14	14-02-2023	4	3
15	13-03-2023	4	3

No. of meetings attended by Member-Directors during the financial year:

Sr. No.	Name of Director (S/Shri)	Meetings held during their tenure	Meetings attended
1	Gautam Guha	15	15
2	Pankaj Jain	Nil	Nil
3	Pankaj Sharma	15	9
4	Sanjeev Kumar Singhal	15	15
5	Anil Kumar Misra	15	15

3.2 Risk Management Committee

Brief description and terms of reference:

Risk Management Committee (RMC) has been constituted as per RBI letter DBOD No. BP-520/21.04.103/2002-03 dated 12.10.2002 on risk management, RBI Notification No. RBI/2021-22/24 DOR.GOV.REC.8/29.67.001/2021-22 dated 26.04.2021 and Regulation 21 of SEBI (LODR) Regulations 2015. The Committee has the overall responsibility of managing entire risk of the Bank, devising suitable risk management policy including credit, market and operational risks, risk integration, implementation of best risk management practices, setting up various risk limits and review of the cyber security of the Bank.

Composition of the Committee as on 31.03.2023:

Sr. No.	Name of the Director (S/Shri)	
1	Sanjeev Kumar Singhal	Part Time Non-Official Director, Chairman
2	K. G. Ananthakrishnan	Non-Executive Chairman, Member
3	Atul Kumar Goel	MD & CEO, Member
4	Vijay Dube	Executive Director, Member
5	Gautam Guha	Shareholder Director, Member
6	Dr. Rekha Jain	Shareholder Director, Member
Invitees (S/Shri): Kalyan Kumar Binod Kumar M. Paramasivam		Executive Director Executive Director Executive Director

श्री के.जी. अनंतकृष्णन, गैर–कार्यपालक अध्यक्ष को दिनांक 25.11.2022 से समिति का सदस्य बनाया गया।

Shri K. G. Ananthakrishnan, Non-Executive Chairman, was made a member of the Committee with effect from 25.11.2022.

वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों के विवरण:

क्र. सं.	बैठक की तिथि	समिति के निदेशकों की कुल संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
1	28.04.2022	5	5
2	27.06.2022	5	4
3	25.08.2022	5	5
4	31.10.2022	5	5
5	13.12.2022	6	6
6	21.01.2023	6	4
7	13.02.2023	6	5
8	14.03.2023	6	6

Details of meetings held during the financial year:

Sr. No.	Date of Meeting	Total No. of Directors of the Committee	No of Directors Present in the Meeting
1	28-04-2022	5	5
2	27-06-2022	5	4
3	25-08-2022	5	5
4	31-10-2022	5	5
5	13-12-2022	6	6
6	21-01-2023	6	4
7	13-02-2023	6	5
8	14-03-2023	6	6

वित्तीय वर्ष के दौरान सदस्य–निदेशकों द्वारा बैठकों में भाग लेने की संख्या:

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1	संजीव कुमार सिंघल	8	7
2	के.जी. अनंतकृष्णन	4	3
3	अतुल कुमार गोयल	8	7
4	विजय दुबे	8	8
5	गौतम गुहा	8	7
6	डॉ. रेखा जैन	8	8

No. of meetings attended by Member-Directors during the financial year:

Sr. No.	Name of Director (Shri/Smt.)	Meetings held during their tenure	Meetings attended
1	Sanjeev Kumar Singhal	8	7
2	K. G. Ananthakrishnan	4	3
3	Atul Kumar Goel	8	7
4	Vijay Dube	8	8
5	Gautam Guha	8	7
6	Dr. Rekha Jain	8	8

3.3 हितधारक संबंध समिति

संक्षिप्त विवरण और विचारार्थ विषय:

सेबी (एलओडीआर) विनियमावली, 2015 के विनियम 20 और पंजाब नैशनल बैंक (शेयर और बैठकें) विनियमावली, 2000 की शर्तानुसार समिति का गठन किया गया है। समिति की भूमिका में शामिल हैं:

- बैंक के शेयरधारकों की शिकायतों की निगरानी और अन्य प्रतिभूति धारकों की शिकायतों का समाधान, जिसमें शेयरों के अंतरण/संचरण, वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त न होना, घोषित लाभांश की प्राप्ति न होने, नए/डुप्लीकेट प्रमाणपत्र जारी करने, आम बैठकें आदि से संबंधित अनुरोध/शिकायतें शामिल हैं।
- शेयरधारकों द्वारा मतदान अधिकारों के प्रभावी प्रयोग के लिए किए गए उपायों की समीक्षा।
- रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण प्रतिनिधि द्वारा प्रदान की जा रही

3.3 Stakeholders' Relationship Committee

Brief description and terms of reference:

The Committee has been constituted in terms of Regulation 20 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 and Punjab National Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2000. The Role of the Committee includes:

- Monitoring the grievances of the shareholders and other security holders of the Bank including requests/complaints related to transfer/transmission of shares, non-receipt of annual report, non-receipt of declared dividends, issue of new/duplicate certificates, general meetings etc.
- Reviewing the measures taken for effective exercise of voting rights by shareholders.
- Reviewing the adherence to the service standards

विभिन्न सेवाओं के संबंध में बैंक द्वारा अपनाए गए सेवा मानकों के पालन की समीक्षा।

- अदावी लाभांश की मात्रा को कम करने और बैंक के शेयरधारकों द्वारा लाभांश वारंट/वार्षिक रिपोर्ट सांविधिक नोटिस की समय पर प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा किए गए विभिन्न उपायों और पहलों की समीक्षा।

31.03.2023 की स्थिति के अनुसार समिति की संरचना:

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	
1	डॉ. रेखा जैन	शेयरधारक निदेशक, अध्यक्ष
2	अतुल कुमार गोयल	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सदस्य
3	बिनोद कुमार	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
4	पंकज जोशी	अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक

दिनांक 30.11.2022 को श्री संजय कुमार, कार्यपालक निदेशक की सेवानिवृत्ति के पश्चात उनके स्थान पर श्री बिनोद कुमार, कार्यपालक निदेशक को दिनांक 25.11.2022 से समिति का सदस्य बनाया गया।

बैठक की आवृत्ति वार्षिक है या जब भी आवश्यकता हो।

वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों के विवरण:

क्र. सं.	बैठक की तिथि	समिति के निदेशकों की कुल संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
1	27.09.2022	4	4

वित्तीय वर्ष के दौरान सदस्य–निदेशकों द्वारा बैठकों में भाग लेने की संख्या:

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1	डॉ. रेखा जैन	1	1
2	अतुल कुमार गोयल	1	1
3	संजय कुमार	1	1
4	बिनोद कुमार	शून्य	शून्य
5	पंकज जोशी	1	1

वित्तीय वर्ष के दौरान शेयरधारकों से प्राप्त शिकायतों की स्थिति :

वर्ष 2022–23 के दौरान प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या – 38

शेयरधारकों की संतुष्टि के अनुरूप शिकायतों का निपटान न होने की संख्या – शून्य

दिनांक 31.03.2023 को लम्बित शिकायतों की संख्या – शून्य

सुश्री एकता पसरीचा, कंपनी सचिव, सेबी (एलओडीआर) विनियमावली, 2015 के विनियम 6 के अनुसार बैंक की अनुपालन अधिकारी हैं।

adopted by the Bank in respect of various services being rendered by the Registrar & Share Transfer Agent.

- Review the various measures and initiatives taken by the Bank for reducing the quantum of unclaimed dividend and ensuring timely receipt of dividend warrants/annual reports/statutory notices by the shareholders of the Bank.

Composition of the Committee as on 31.03.2023:

Sr. No.	Name of the Director (Shri/Smt.)	
1	Dr. Rekha Jain	Shareholder Director, Chairperson
2	Atul Kumar Goel	MD & CEO, Member
3	Binod Kumar	Executive Director, Member
4	Pankaj Joshi	Part Time Non-Official Director

Shri Binod Kumar, Executive Director, was inducted as member of the Committee with effect from 25.11.2022 in place of Shri Sanjay Kumar, Executive Director, who superannuated on 30.11.2022.

The frequency of the meeting is annual or as and when required.

Details of meeting held during the financial year:

Sr. No.	Date of Meeting	Total No. of Directors of the Committee	No of Directors Present in the Meeting
1	27.09.2022	4	4

No. of meetings attended by Member-Directors during the financial year:

Sr. No.	Name of Director (Shri/Smt.)	Meetings held during their tenure	Meetings attended
1	Dr. Rekha Jain	1	1
2	Atul Kumar Goel	1	1
3	Sanjay Kumar	1	1
4	Binod Kumar	Nil	Nil
5	Pankaj Joshi	1	1

Status of Shareholders' Complaints received during the year:

Total number of complaints received during FY 2022-23 - 38

Number of complaints not resolved to the satisfaction of shareholders - Nil

Number of complaints pending as on 31.03.2023 - Nil

Ms. Ekta Pasricha, Company Secretary, is the Compliance Officer of the Bank in terms of Regulation 6 of SEBI (LODR) Regulations, 2015.

3.4 नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

संक्षिप्त विवरण और विचारार्थ विषय:

समिति का गठन आरबीआई मास्टर निदेश दिनांक 02.08.2019, आरबीआई अधिसूचना संख्या आरबीआई/2021–22/24 डीओआर.जीओवी.आरईसी. 8/29.67.001/2021–22 दिनांक 26.04.2021 और सेबी (एलओडीआर) विनियमावली 2015 के विनियम 19 के तहत यथा अपेक्षित अनुसार किया गया है। समिति का गठन बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप धारा 3 के खंड (i) के तहत निदेशक के रूप में चुने जाने वाले व्यक्तियों की "उपयुक्त और उचित मानदंड" निर्धारित करने के लिए समुचित सावधानी प्रक्रिया अपनाने के लिए किया गया है। इसके अलावा, भारत सरकार ने अपनी अधिसूचना दिनांक 30.08.2019 के माध्यम से आरबीआई द्वारा अपने मास्टर निदेश दिनांक 02.08.2019 यथा संसोधित के द्वारा यथा निर्दिष्ट संरचना के अनुसार नामांकन और पारिश्रमिक समिति दोनों के कार्यों को पूरा करने के लिए एक एकल नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन करने का निर्देश दिया था।

31.03.2023 की स्थिति के अनुसार समिति की संरचना:

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	
1	डॉ. रेखा जैन	शेयरधारक निदेशक, अध्यक्ष
2	के.जी. अनंतकृष्णन	गैर–कार्यपालक अध्यक्ष
3	संजीव कुमार सिंघल	अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक, अध्यक्ष
4	गौतम गुहा	शेयरधारक निदेशक, सदस्य

श्री के.जी. अनंतकृष्णन, गैर–कार्यपालक अध्यक्ष को दिनांक 25.11.2022 से श्री पंकज जोशी, अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक के स्थान पर समिति का सदस्य बनाया गया। इसके अलावा, डॉ. रेखा जैन, शेयरधारक निदेशक, को दिनांक 25.11.2022 को समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया।

वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों के विवरण:

क्र. सं.	बैठक की तिथि	समिति के निदेशकों की कुल संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
1	14.03.2023	4	4

वित्तीय वर्ष के दौरान सदस्य–निदेशकों द्वारा बैठकों में भाग लेने की संख्या:

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1	डॉ. रेखा जैन	1	1
2	के.जी. अनंतकृष्णन	1	1
3	पंकज जोशी	शून्य	शून्य
4	संजीव कुमार सिंघल	1	1
5	गौतम गुहा	1	शून्य

3.4 Nomination & Remuneration Committee

Brief description and terms of reference:

The Committee has been constituted as per RBI Master Directions dated 02.08.2019, RBI Notification No. RBI/2021-22/24 DOR.GOV.REC.8/29.67.001/2021-22 dated 26.04.2021 and as required under Regulation 19 of SEBI (LODR) Regulation 2015. The Committee is constituted for undertaking due diligence to determine the "Fit and Proper" criteria of the persons to be elected as Directors under clause (i) of sub section 3 of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970. Further, the Govt. of India vide its Notification dated 30.08.2019 directed to constitute a single Nomination and Remuneration Committee for carrying out the functions of both Nomination and Remuneration Committee with the composition as specified by RBI vide its Master Directions dated 02.08.2019, as amended.

Composition of the Committee as on 31.03.2023:

Sr. No.	Name of the Director (Shri/Smt.)	
1	Dr. Rekha Jain	Shareholder Director, Chairperson
2	K. G. Ananthakrishnan	Non-Executive Chairman, Member
3	Sanjeev Kumar Singhal	Part Time Non-Official Director, Member
4	Gautam Guha	Shareholder Director, Member

Shri K. G. Ananthakrishnan, Non-Executive Chairman, was made member of the Committee w.e.f. 25.11.2022 in place of Shri Pankaj Joshi, Part time Non-Official Director. Further, Dr. Rekha Jain, Shareholder Director, was designated as Chairperson of the Committee w.e.f. 25.11.2022.

Details of meeting held during the financial year:

Sr. No.	Date of Meeting	Total No. of Directors of the Committee	No of Directors Present in the Meeting
1	14.03.2023	4	4

No. of meetings attended by Member-Directors during the financial year:

Sr. No.	Name of Director (Shri/Smt.)	Meetings held during their tenure	Meetings attended
1	Dr. Rekha Jain	1	1
2	K. G. Ananthakrishnan	1	1
3	Pankaj Joshi	Nil	Nil
4	Sanjeev Kumar Singhal	1	1
5	Gautam Guha	1	NIL

3.5 प्रबंधन समिति (एमसी)

संक्षिप्त विवरण और विचारार्थ विषय:

राष्ट्रीयकृत बैंकों की (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 / 1980 के खंड 13 के अनुसार समिति गठित की गई है। समिति निम्नलिखित मदों, जोकि एमडी एवं सीईओ / प्र.का.ऋण अनुमोदन समिति (एचओसीएसी) – ||| के विवेकाधीन अधिकारों से परे हैं, पर विचार करती है।

- ऋण प्रस्तावों की स्वीकृति (निधि एवं गैर–निधि आधारित)
- ऋण समझौता / बट्टे खातों के प्रस्ताव
- पूँजी और राजस्व व्यय के अनुमोदनार्थ प्रस्ताव
- परिसरों का अधिग्रहण एवं किराए पर लेने के प्रस्ताव जिसमें अधिग्रहण एवं किराए पर लेने संबंधी मानदंडों में विचलन भी शामिल है।
- मुकदमा / अपील दायर करने से संबंधित प्रस्ताव, उनका बचाव करना इत्यादि
- सरकारी एवं अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों, कंपनियों के शेयरों और ऋण पत्रों में निवेश एवं हामीदारी अंकन का प्रस्ताव
- दान से संबंधित प्रस्ताव
- निदेशक मंडल द्वारा संदर्भित कोई अन्य मामला

31.03.2023 की स्थिति के अनुसार समिति की संरचना:

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री / श्रीमती)	
1	अतुल कुमार गोयल	प्रबंधक निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अध्यक्ष
2	विजय दुबे	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
3	कल्याण कुमार	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
4	बिनोद कुमार	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
5	एम. परमशिवम	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
6	अनिल कुमार मिश्रा	निदेशक, सदस्य
7	पंकज जोशी	अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक, सदस्य
8	डॉ. रेखा जैन	शेयरधारक निदेशक, सदस्य

श्री स्वरूप कुमार साहा, कार्यपालक निदेशक दिनांक 03.06.2022 से समिति की सदस्यता से कार्यमुक्त हो गए। श्री बिनोद कुमार, कार्यपालक निदेशक को दिनांक 25.11.2022 से समिति का सदस्य बनाया गया। श्री संजय कुमार, कार्यपालक निदेशक दिनांक 30.11.2022 से समिति की सदस्यता से कार्यमुक्त हो गए। श्री एम. परमशिवम, कार्यपालक निदेशक, को दिनांक 28.12.2022 से समिति का सदस्य बनाया गया है।

वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों का विवरण:

क्र. सं.	बैठक की तिथि	समिति के निदेशकों की कुल संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
1	18.04.2022	8	7

3.5 Management Committee (MC)

Brief description and terms of reference:

The Committee has been constituted in terms of Clause 13 of Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1970/1980. The Committee considers following matters which are beyond the discretionary powers of MD & CEO/Head Office Credit Approval Committee (HOCAC) III:-

- Sanctioning of credit proposals (Fund based & Non-Fund based)
- Loan compromise/write-off proposals
- Proposal for approval of capital and revenue expenditure
- Proposals relating to acquisition and hiring of premises including deviation from norms for acquisition and hiring of premises
- Proposals relating to filing of suits/appeals, defending them etc.
- Proposals for Investments in Government and other approved securities, shares and debentures of companies including underwriting
- Proposals relating to Donations
- Any other matter referred by the Board.

Composition of the Committee as on 31.03.2023:

Sr. No.	Name of the Director (Shri/Smt.)	
1	Atul Kumar Goel	MD & CEO, Chairman
2	Vijay Dube	Executive Director, Member
3	Kalyan Kumar	Executive Director, Member
4	Binod Kumar	Executive Director, Member
5	M. Paramasivam	Executive Director, Member
6	Anil Kumar Misra	Director, Member
7	Pankaj Joshi	Part Time Non-Official Director, Member
8	Dr. Rekha Jain	Shareholder Director, Member

Shri Swarup Kumar Saha, Executive Director, ceased to be member of the Committee with effect from 03.06.2022. Shri Binod Kumar, Executive Director, was made member of the Committee with effect from 25.11.2022. Shri Sanjay Kumar, Executive Director, ceased to be member of the Committee with effect from 30.11.2022. Shri M. Paramasivam, Executive Director, was made member of the Committee with effect from 28.12.2022.

Details of Meetings held during the financial year:

Sr. No.	Date of Meeting	Total No. of Directors of the Committee	No of Directors Present in the Meeting
1	18.04.2022	8	7

क्र. सं.	बैठक की तिथि	समिति के निदेशकों की कुल संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
2	26.04.2022	8	8
3	12.05.2022	8	7
4	26.05.2022	8	7
5	08.06.2022	7	7
6	27.06.2022	7	7
7	14.07.2022	7	7
8	27.07.2022	7	7
9	10.08.2022	7	6
10	25.08.2022	7	7
11	13.09.2022	7	7
12	21.09.2022	7	7
13	27.09.2022	7	7
14	21.10.2022	7	7
15	14.11.2022	7	7
16	24.11.2022	7	7
17	13.12.2022	7	7
18	27.12.2022	8	7
19	16.01.2023	8	8
20	01.02.2023	8	7
21	13.02.2023	8	7
22	27.02.2023	8	7
23	14.03.2023	8	8
24	24.03.2023	8	7
25	29.03.2023	8	8

Sr. No.	Date of Meeting	Total No. of Directors of the Committee	No of Directors Present in the Meeting
2	26.04.2022	8	8
3	12.05.2022	8	7
4	26.05.2022	8	7
5	08.06.2022	7	7
6	27.06.2022	7	7
7	14.07.2022	7	7
8	27.07.2022	7	7
9	10.08.2022	7	6
10	25.08.2022	7	7
11	13.09.2022	7	7
12	21.09.2022	7	7
13	27.09.2022	7	7
14	21.10.2022	7	7
15	14.11.2022	7	7
16	24.11.2022	7	7
17	13.12.2022	7	7
18	27.12.2022	8	7
19	16.01.2023	8	8
20	01.02.2023	8	7
21	13.02.2023	8	7
22	27.02.2023	8	7
23	14.03.2023	8	8
24	24.03.2023	8	7
25	29.03.2023	8	8

वित्तीय वर्ष के दौरान सदस्य निदेशकों द्वारा बैठकों में उपस्थिति की संख्या:

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1	अतुल कुमार गोयल	25	25
2	संजय कुमार	16	16
3	विजय दुबे	25	23
4	स्वरूप कुमार साहा	04	03

Meetings attended by Member- Directors during the financial year:

Sr. No.	Name of Director (Shri/Smt.)	Meetings held during their tenure	Meetings attended
1	Atul Kumar Goel	25	25
2	Sanjay Kumar	16	16
3	Vijay Dube	25	23
4	Swarup Kumar Saha	04	03

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री / श्रीमती)	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
5	कल्याण कुमार	25	22
6	बिनोद कुमार	09	09
7	एम.परमशिवन	07	06
8	अनिल कुमार मिश्रा	25	23
9	पंकज जोशी	25	25
10	डॉ. रेखा जैन	25	25

3.6 प्रधान कार्यालय ऋण अनुमोदन समिति (स्तर – III) (प्र.का.ऋ.अ.स–III)

संक्षिप्त विवरण और विचारार्थ विषय:

प्र.का. ऋण अनुमोदन समिति स्तर III का गठन, राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 तथा वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस), वित्त मंत्रालय (एमओएफ) अधिसूचना संख्या 13/1/2006 दिनांक 05.12.2011 के अनुसार किया गया है।

समिति आठ सौ करोड़ रुपये तक के ऋण प्रस्तावों पर विचार करती है, यदि बैंक का कुल कारोबार दस लाख करोड़ रुपये (हमारे बैंक पर लागू) से अधिक है। यह समिति एमडी एवं सीईओ को पूर्व में निहित शक्तियों की सीमा तक ओटीएस / समझौता / बट्टा खाता प्रस्तावों पर भी विचार करती है।

31.03.2023 की स्थिति के अनुसार समिति की संरचना:

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री / श्रीमती)	
1	अतुल कुमार गोयल	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अध्यक्ष
2	विजय दुबे	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
3	कल्याण कुमार	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
4	बिनोद कुमार	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
5	एम. परमशिवन	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
6	मुख्य महाप्रबंधक / महाप्रबंधक (ऋण)	सदस्य
7	मुख्य महाप्रबंधक / महाप्रबंधक (वित्त)	सदस्य
8	मुख्य महाप्रबंधक / महाप्रबंधक (जोखिम प्रबंधन)	सदस्य

श्री स्वरुप कुमार साहा, कार्यपालक निदेशक दिनांक 03.06.2022 से समिति के सदस्य नहीं है। श्री बिनोद कुमार, कार्यपालक निदेशक को दिनांक 25.11.2022 से समिति का सदस्य बनाया गया। श्री संजय कुमार, कार्यपालक निदेशक दिनांक 30.11.2022 से समिति के सदस्य नहीं हैं। श्री एम. परमशिवन, कार्यपालक निदेशक को दिनांक 28.12.2022 से समिति का सदस्य बनाया गया है।

Sr. No.	Name of Director (Shri/Smt.)	Meetings held during their tenure	Meetings attended
5	Kalyan Kumar	25	22
6	Binod Kumar	09	09
7	M. Paramasivam	07	06
8	Anil Kumar Misra	25	23
9	Pankaj Joshi	25	25
10	Dr. Rekha Jain	25	25

3.6 Head Office Credit Approval Committee (Level - III) (HOCAC- III)

Brief description and terms of reference:

The HO Credit Approval Committee Level III has been constituted in terms of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 and Department of Financial Services (DFS), Ministry of Finance (MoF) Notification No.13/1/2006 dated 05.12.2011.

The Committee considers the credit proposals of up to Rupees Eight Hundred Crore, in case of Banks having total business of more than Rupees Ten Lakh Crore (applicable to our Bank). The Committee also considers OTS/Compromise/Write off proposals to the extent of powers earlier vested with MD & CEO.

Composition of the Committee as on 31.03.2023:

Sr.No.	Name of the Director (Shri/Smt.)	
1	Atul Kumar Goel	MD & CEO, Chairman
2	Vijay Dube	Executive Director, Member
3	Kalyan Kumar	Executive Director, Member
4	Binod Kumar	Executive Director, Member
5	M. Paramasivam	Executive Director, Member
6	Chief General Manager/ General Manager (Credit)	Member
7	Chief General Manager/ General Manager (Finance)	Member
8	Chief General Manager/ General Manager (Risk Management)	Member

Shri Swarup Kumar Saha, Executive Director, ceased to be member of the Committee with effect from 03.06.2022. Shri Binod Kumar, Executive Director, was made member of the Committee with effect from 25.11.2022. Shri Sanjay Kumar, Executive Director, ceased to be member of the Committee with effect from 30.11.2022. Shri M. Paramasivam, Executive Director, was made member of the Committee with effect from 28.12.2022.

वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों का विवरण:

क्र. सं.	बैठक की तिथि	समिति के निदेशकों की कुल संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
1	07.04.2022	5	4
2	13.04.2022	5	5
3	20.04.2022	5	5
4	27.04.2022	5	3
5	04.05.2022	5	5
6	07.05.2022	5	5
7	12.05.2022	5	4
8	19.05.2022	5	5
9	25.05.2022	5	5
10	01.06.2022	5	5
11	08.06.2022	4	4
12	15.06.2022	4	3
13	23.06.2022	4	3
14	24.06.2022	4	3
15	30.06.2022	4	3
16	06.07.2022	4	4
17	13.07.2022	4	4
18	19.07.2022	4	4
19	26.07.2022	4	4
20	02.08.2022	4	4
21	10.08.2022	4	3
22	17.08.2022	4	4
23	24.08.2022	4	4
24	31.08.2022	4	3
25	06.09.2022	4	3
26	13.09.2022	4	3
27	15.09.2022	4	4
28	21.09.2022	4	4
29	26.09.2022	4	4
30	29.09.2022	4	4
31	06.10.2022	4	4
32	17.10.2022	4	4

Details of meetings held during the financial year:

Sr. No.	Date of Meeting	Total No. of Directors of the Committee	No of Directors Present in the Meeting
1	07.04.2022	5	4
2	13.04.2022	5	5
3	20.04.2022	5	5
4	27.04.2022	5	3
5	04.05.2022	5	5
6	07.05.2022	5	5
7	12.05.2022	5	4
8	19.05.2022	5	5
9	25.05.2022	5	5
10	01.06.2022	5	5
11	08.06.2022	4	4
12	15.06.2022	4	3
13	23.06.2022	4	3
14	24.06.2022	4	3
15	30.06.2022	4	3
16	06.07.2022	4	4
17	13.07.2022	4	4
18	19.07.2022	4	4
19	26.07.2022	4	4
20	02.08.2022	4	4
21	10.08.2022	4	3
22	17.08.2022	4	4
23	24.08.2022	4	4
24	31.08.2022	4	3
25	06.09.2022	4	3
26	13.09.2022	4	3
27	15.09.2022	4	4
28	21.09.2022	4	4
29	26.09.2022	4	4
30	29.09.2022	4	4
31	06.10.2022	4	4
32	17.10.2022	4	4

क्र. सं.	बैठक की तिथि	समिति के निदेशकों की कुल संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
33	25.10.2022	4	4
34	26.10.2022	4	4
35	31.10.2022	4	4
36	04.11.2022	4	3
37	09.11.2022	4	3
38	16.11.2022	4	4
39	21.11.2022	4	3
40	30.11.2022	5	4
41	07.12.2022	4	3
42	13.12.2022	4	4
43	20.12.2022	4	3
44	26.12.2022	4	3
45	29.12.2022	5	5
46	31.12.2022	5	5
47	09.01.2023	5	5
48	17.01.2023	5	3
49	23.01.2023	5	4
50	27.01.2023	5	5
51	03.02.2023	5	3
52	08.02.2023	5	3
53	15.02.2023	5	5
54	22.02.2023	5	5
55	01.03.2023	5	5
56	07.03.2023	5	5
57	15.03.2023	5	4
58	17.03.2023	5	5
59	22.03.2023	5	5
60	29.03.2023	5	5
61	31.03.2023	5	5

Sr. No.	Date of Meeting	Total No. of Directors of the Committee	No of Directors Present in the Meeting
33	25.10.2022	4	4
34	26.10.2022	4	4
35	31.10.2022	4	4
36	04.11.2022	4	3
37	09.11.2022	4	3
38	16.11.2022	4	4
39	21.11.2022	4	3
40	30.11.2022	5	4
41	07.12.2022	4	3
42	13.12.2022	4	4
43	20.12.2022	4	3
44	26.12.2022	4	3
45	29.12.2022	5	5
46	31.12.2022	5	5
47	09.01.2023	5	5
48	17.01.2023	5	3
49	23.01.2023	5	4
50	27.01.2023	5	5
51	03.02.2023	5	3
52	08.02.2023	5	3
53	15.02.2023	5	5
54	22.02.2023	5	5
55	01.03.2023	5	5
56	07.03.2023	5	5
57	15.03.2023	5	4
58	17.03.2023	5	5
59	22.03.2023	5	5
60	29.03.2023	5	5
61	31.03.2023	5	5

वित्तीय वर्ष के दौरान सदस्य–निदेशकों द्वारा बैठकों में उपस्थिति की संख्या:

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री / श्रीमती)	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1	अतुल कुमार गोयल	61	61
2	संजय कुमार	40	37
3	विजय दुबे	61	52
4	स्वरूप कुमार साहा	10	9
5	कल्याण कुमार	61	51
6	बिनोद कुमार	22	19
7	एम. परमशिवम	17	16

3.7 वसूली में प्रगति की निगरानी करने के लिए बोर्ड की विशेष समिति

संक्षिप्त विवरण और विचारार्थ विषय:

समिति का गठन वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय पत्र एफ.सं. 7 / 112 / 2012–बीओए दिनांक 21.11.2012 और एफ.सं. 7 / 2 / 2015–वसूली दिनांक 01.01.2016 के अनुसार किया गया है:

- एनपीए प्रबंधन में सुधार लाने हेतु विधियों एवं रणनीतियों की समीक्षा तथा वसूली में तेजी लाने हेतु विभिन्न टूलों के प्रभावी उपयोग।
- विवेक सम्मत बट्टे खातों सहित एनपीए वसूली में हुई प्रगति की निगरानी।
- डीआरटी / डीआरएटी में लंबित मामलों / आरसी की स्थिति की समीक्षा।
- क्रेडिट निगरानी तंत्र और अनियमित / कमजोर खातों की स्थिति और एनपीए की रोकथाम के लिए किए गए उपायों की समीक्षा करना।

31.03.2023 की स्थिति के अनुसार समिति की संरचना:

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री / श्रीमती)	
1	अतुल कुमार गोयल	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अध्यक्ष
2	विजय दुबे	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
3	कल्याण कुमार	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
4	बिनोद कुमार	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
5	एम. परमशिवम	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
6	संजीव कुमार सिंघल	अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक, सदस्य
7	गौतम गुहा	शेयरधारक निदेशक, सदस्य

श्री स्वरूप कुमार साहा, कार्यपालक निदेशक दिनांक 03.06.2022 से समिति के सदस्य नहीं है। श्री बिनोद कुमार, कार्यपालक निदेशक दिनांक 25.11.2022 से समिति के सदस्य बने। श्री संजय कुमार, कार्यपालक निदेशक दिनांक 30.11.2022 से समिति के सदस्य नहीं है। श्री एम. परमशिवम, कार्यपालक निदेशक को दिनांक 28.12.2022 से समिति का सदस्य बनाया गया है।

No. of Meetings attended by Member-Directors during the financial year:

Sr. No.	Name of Director (Shri/Smt.)	Meetings held during their tenure	Meetings attended
1	Atul Kumar Goel	61	61
2	Sanjay Kumar	40	37
3	Vijay Dube	61	52
4	Swarup Kumar Saha	10	9
5	Kalyan Kumar	61	51
6	Binod Kumar	22	19
7	M. Paramasivam	17	16

3.7 Special Committee of the Board to monitor the progress of Recovery

Brief description and terms of reference:

The Committee has been constituted in terms of DFS, MoF letter F.No.7/112/2012-BOA dated 21.11.2012 and F.No.7/2/2015-Recovery dated 01.01.2016 to:

- Review the ways and strategies to improve NPA management and effective utilization of various tools to expedite recovery.
- Monitor the progress of recovery in NPAs including prudential written-off accounts.
- Review the status of cases/RCs pending at DRTs/DRATs.
- Review the credit monitoring mechanism and status of irregular/weak accounts and the measures taken for prevention of NPAs.

Composition of the Committee as on 31.03.2023

Sr. No.	Name of the Director (Shri/Smt.)	
1	Atul Kumar Goel	MD & CEO, Chairman
2	Vijay Dube	Executive Director, Member
3	Kalyan Kumar	Executive Director, Member
4	Binod Kumar	Executive Director, Member
5	M. Paramasivam	Executive Director, Member
6	Sanjeev Kumar Singhal	Part Time Non-Official Director, Member
7	Gautam Guha	Shareholder Director, Member

Shri Swarup Kumar Saha, Executive Director, ceased to be member of the Committee with effect from 03.06.2022. Shri Binod Kumar, Executive Director, was made member of the Committee with effect from 25.11.2022. Shri Sanjay Kumar, Executive Director, ceased to be member of the Committee with effect from 30.11.2022. Shri M. Paramasivam, Executive Director, was made member of the Committee with effect from 28.12.2022.

वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों का विवरण:

क्र. सं.	बैठक की तिथि	समिति के निदेशकों की कुल संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
1	27.06.2022	6	5
2	28.09.2022	6	6
3	24.11.2022	6	6
4	13.03.2023	7	7

वित्तीय वर्ष के दौरान सदस्य – निदेशकों द्वारा बैठकों में उपस्थिति की संख्या:

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री / श्रीमती)	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1	अतुल कुमार गोयल	4	4
2	संजय कुमार	3	3
3	विजय दुबे	4	4
4	स्वरूप कुमार साहा	शून्य	शून्य
5	कल्याण कुमार	4	4
6	बिनोद कुमार	1	1
7	एम. परमशिवम	1	1
8	संजीव कुमार सिंघल	4	3
9	गौतम गुहा	4	4

3.8 इरादतन चूककर्ताओं और असहयोगी उधारकर्ताओं के वर्गीकरण के पहचान की समीक्षा के लिए समिति

संक्षिप्त विवरण और विचारार्थ विषय :

समिति का गठन भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर परिपत्र संख्या 01.07.2014 और पत्र दिनांक 07.01.2015 के अनुसार समिति आदेशों की समीक्षा करने हेतु किया गया है, जिसमें इरादतन चूककर्ताओं की पहचान की जाती है। इसके अतिरिक्त, आरबीआई अधिसूचना सं. डीबीआर सं. सीआईडी.बीसी. 54/20.16.064/2014–15 दिनांक 22.12.2014 के अनुसार यह 'असहयोगी उधारकर्ता वर्गीकरण समिति' के निर्णय की भी समीक्षा करती है।

डीएफएस दिशानिर्देश एफ.सं. 16/19/2019–बीओ. एल दिनांक 19 नवंबर, 2019 के अनुसार दो अलग–अलग समितियों असहयोगी उधारकर्ता वर्गीकरण समिति और इरादतन चूककर्ताओं की पहचान की समीक्षा के लिए समिति के स्थान पर एक एकल समिति का गठन किया गया है।

31.03.2023 की स्थिति के अनुसार समिति की संरचना:

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री / श्रीमती)	
1	अतुल कुमार गोयल	प्रबंधक निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अध्यक्ष

Details of meetings held during the financial year:

Sr. No.	Date of Meeting	Total No. of Directors of the Committee	No of Directors Present in the Meeting
1	27.06.2022	6	5
2	28.09.2022	6	6
3	24.11.2022	6	6
4	13.03.2023	7	7

No. of meetings attended by Member-Directors during the financial year:

Sr. No.	Name of Director (Shri/Smt.)	Meetings held during their tenure	Meetings attended
1	Atul Kumar Goel	4	4
2	Sanjay Kumar	3	3
3	Vijay Dube	4	4
4	Swarup Kumar Saha	Nil	Nil
5	Kalyan Kumar	4	4
6	Binod Kumar	1	1
7	M. Paramasivam	1	1
8	Sanjeev Kumar Singhal	4	3
9	Gautam Guha	4	4

3.8 Committee for Review of Identification of Wilful Defaulters and Non Cooperative Borrowers Classification

Brief description and terms of reference:

The Committee has been constituted in terms of RBI Master Circular dated 01.07.2014 and letter dated 07.01.2015 to review the orders of the Committee which has identified willful defaulters. Further, in terms of RBI notification no. DBR.No.CID.BC.54/20.16.064/2014-15 dated 22.12.2014, it also reviews the decision of 'Non-Cooperative Borrower Classification Committee'.

As per. DFS Guidelines vide F.No. 16/19/2019-BO.I dated 19th November 2019, in place of two separate committees of Non-Cooperative Borrower Classification Committee and Committee for review of identification of Wilful Defaulters, a single committee was constituted.

Composition of the Committee as on 31.03.2023:

Sr. No.	Name of the Director (Shri/Smt.)	
1	Atul Kumar Goel	MD & CEO, Chairman

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	
2	पंकज जोशी	अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक, सदस्य
3	संजीव कुमार सिंघल	अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक, सदस्य
4	गौतम गुहा	शेयरधारक निदेशक, सदस्य

वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों का विवरण:

क्र. सं.	बैठक की तिथि	समिति के निदेशकों की कुल संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
1	29.04.2022	4	4
2	27.06.2022	4	3
3	28.09.2022	4	4
4	13.12.2022	4	3
5	28.03.2023	4	4

वित्तीय वर्ष के दौरान सदस्य – निदेशकों द्वारा बैठकों में उपस्थिति की संख्या:

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1	अतुल कुमार गोयल	5	5
2	पंकज जोशी	5	5
3	संजीव कुमार सिंघल	5	3
4	गौतम गुहा	5	5

3.9 रु.1.00 करोड़ और उससे अधिक की धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई हेतु बोर्ड की विशेष समिति

संक्षिप्त विवरण और विचारार्थ विषय:

समिति का गठन भारतीय रिजर्व बैंक पत्र संख्या आरबीआई/2004.15 डीबीएस.एफजीवी(एफ) सं./1004/23.04.01ए/2003–04 दिनांक 14.01.2004 के अनुसार रु.1.00 करोड़ तथा इससे अधिक की धोखाधड़ी तथा राशि पर विचार किए बिना साइबर धोखाधड़ी के मामलों, की निगरानी तथा समीक्षा हेतु किया गया है, ताकि:

- प्रणालीगत त्रुटियों की पहचान और उन्हें दूर करने के लिए उपाय प्रस्तुत किए जाएं।
- सीबीआई/पुलिस जांच की प्रगति, वसूली एवं स्टाफ दायित्व की निगरानी।
- धोखाधड़ी की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उठाए गए सुधारात्मक कदमों की प्रभावशीलता की समीक्षा।
- निवारक तंत्र को मजबूत करने के लिए प्रासंगिक समझे जाने वाले अन्य उपायों को प्रस्तुत करना।

Sr. No.	Name of the Director (Shri/Smt.)	
2	Pankaj Joshi	Part Time Non-Official Director, Member
3	Sanjeev Kumar Singhal	Part Time Non-Official Director, Member
4	Gautam Guha	Shareholder Director, Member

Details of meetings held during the financial year:

Sr. No.	Date of Meeting	Total No. of Directors of the Committee	No of Directors Present in the Meeting
1	29.04.2022	4	4
2	27.06.2022	4	3
3	28.09.2022	4	4
4	13.12.2022	4	3
5	28.03.2023	4	4

No. of meetings attended by Member-Directors during the financial year:

Sr. No.	Name of Director (Shri/Smt.)	Meetings held during their tenure	Meetings attended
1	Atul Kumar Goel	5	5
2	Pankaj Joshi	5	5
3	Sanjeev Kumar Singhal	5	3
4	Gautam Guha	5	5

3.9 Special Committee of the Board to monitor and follow up Fraud Cases involving Rs.1.00 crore and above

Brief description and terms of reference:

The Committee has been constituted in terms of RBI Notification no. RBI/2004.15 DBS.FGV(F) No./1004/23.04.01A/2003-04 dated 14.01.2004 for monitoring and reviewing all fraud cases of Rs.1.00 crore and above, as well as cyber frauds irrespective of the amount, so as to:

- Identify the systemic lacunae and put in place measures to plug the same.
- Monitor progress of CBI/Police investigation, recovery & staff accountability.
- Review the efficacy of the remedial action taken to prevent recurrence of frauds.
- Put in place other measures as may be considered relevant to strengthen the preventive mechanism.

31.03.2023 की स्थिति के अनुसार समिति की संरचना:

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	
1	के.जी.अनंतकृष्णन	गैर–कार्यपालक अध्यक्ष, अध्यक्ष
2	अतुल कुमार गोयल	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सदस्य
3	विजय दुबे	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
4	कल्याण कुमार	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
5	बिनोद कुमार	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
6	एम. परमशिवम	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
7	पंकज शर्मा	सरकार द्वारा नामित निदेशक, सदस्य
8	गौतम गुहा	शेयरधारक निदेशक, सदस्य

श्री पंकज शर्मा, भारत सरकार के नामित निदेशक, को दिनांक 12.04.2022 से श्री पंकज जैन, भारत सरकार के नामित निदेशक के स्थान पर समिति का सदस्य बनाया गया है। श्री स्वरूप कुमार साहा, कार्यपालक निदेशक दिनांक 03.06.2022 से समिति के सदस्य नहीं है। श्री के. जी.अनंतकृष्णन गैर–कार्यपालक अध्यक्ष, को दिनांक 25.11.2022 से श्री अतुल कुमार गोयल के स्थान पर अध्यक्ष बनाया गया है तथा श्री अतुल कुमार गोयल समिति के सदस्य के रूप में कायम है। श्री बिनोद कुमार, कार्यपालक निदेशक को समिति का सदस्य बनाया गया एवं श्री संजीव कुमार सिंघल, अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक दिनांक 25.11.2022 से समिति के सदस्य नहीं हैं। श्री संजय कुमार, कार्यपालक निदेशक दिनांक 30.11.2022 से समिति के सदस्य नहीं हैं। श्री एम. परमशिवम, कार्यपालक निदेशक को दिनांक 28.12.2022 से समिति का सदस्य बनाया गया है।

वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों का विवरण:

क्र. सं.	बैठक की तिथि	समिति के निदेशकों की कुल संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
1	27.05.2022	8	7
2	28.06.2022	7	7
3	28.07.2022	7	7
4	25.08.2022	7	7
5	28.09.2022	7	6
6	25.11.2022	7	7
7	27.12.2022	7	7
8	31.01.2023	8	7
9	28.02.2023	8	8
10	28.03.2023	8	8

वित्तीय वर्ष के दौरान सदस्य–निदेशकों द्वारा बैठकों में उपस्थिति की संख्या:

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1	के.जी.अनंतकृष्णन	04	04

Composition of the Committee as on 31.03.2023:

Sr. No.	Name of the Director (Shri/Smt.)	
1	K. G. Ananthakrishnan	Non-Executive Chairman, Chairman
2	Atul Kumar Goel	MD & CEO, Member
3	Vijay Dube	Executive Director, Member
4	Kalyan Kumar	Executive Director, Member
5	Binod Kumar	Executive Director, Member
6	M. Paramasivam	Executive Director, Member
7	Pankaj Sharma	Govt. Nominee Director, Member
8	Gautam Guha	Shareholder Director, Member

Shri Pankaj Sharma, GoI Nominee Director, was made member of the Committee in place of Shri Pankaj Jain, GoI Nominee Director, with effect from 12.04.2022. Shri Swarup Kumar Saha, Executive Director, ceased to be member of the Committee with effect from 03.06.2022. Shri K. G. Ananthakrishnan, Non-Executive Chairman, was made Chairman of the Committee with effect from 25.11.2022 in place of Shri Atul Kumar Goel who continued as member of the Committee. Shri Binod Kumar, Executive Director, was made member of the Committee and Shri Sanjeev Kumar Singhal, part-time non official Director ceased to be member of the Committee with effect from 25.11.2022. Shri Sanjay Kumar, Executive Director, ceased to be member of the Committee with effect from 30.11.2022. Shri M. Paramasivam, Executive Director, was made member of the Committee with effect from 28.12.2022.

Details of meetings held during the financial year:

Sr. No.	Date of Meeting	Total No. of Directors of the Committee	No of Directors Present in the Meeting
1	27.05.2022	8	7
2	28.06.2022	7	7
3	28.07.2022	7	7
4	25.08.2022	7	7
5	28.09.2022	7	6
6	25.11.2022	7	7
7	27.12.2022	7	7
8	31.01.2023	8	7
9	28.02.2023	8	8
10	28.03.2023	8	8

No. of meetings attended by Member-Directors during the financial year:

Sr. No.	Name of Director (Shri/Smt.)	Meetings held during their tenure	Meetings attended
1	K.G. Ananthakrishnan	04	04

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री / श्रीमती)	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
2	अतुल कुमार गोयल	10	10
3	संजय कुमार	06	06
4	विजय दुबे	10	10
5	स्वरूप कुमार साहा	01	01
6	कल्याण कुमार	10	10
7	बिनोद कुमार	04	04
8	एम. परमशिवम	03	03
9	पंकज जैन	शून्य	शून्य
10	पंकज शर्मा	10	08
11	संजीव कुमार सिंघल	06	06
12	गौतम गुहा	10	09

3.10 सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति

संक्षिप्त विवरण और विचारार्थ विषय:

समिति का गठन आरबीआई के परिपत्र सं. आरबीआई / 2010–11 / 494 / डीबीएस.सीओ.आईटीसी.बीसी.सं.6 / 31.02.008 / 2010–11 दिनांकित 29.04.2011 के अनुसार किया गया है। बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी समिति के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं:

- सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति और नीति दस्तावेज का अनुमोदन करना।
- यह सुनिश्चित करना कि प्रबंधन ने एक प्रभावी कार्यनीति योजना प्रक्रिया लागू की है।
- समीक्षा करना कि सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति वास्तविक रूप से कारोबार कार्यनीति के अनुरूप है।
- यह सुनिश्चित करना कि आईटी संगठन संरचना कारोबार मॉडल और उसकी दिशा का पूरक है।
- यह सुनिश्चित करना कि प्रबंधन ने ऐसी प्रक्रियाओं और व्यवहारों को लागू किया है जो यह सुनिश्चित करती हैं कि आईटी कारोबार में योगदान प्रदान करती है।
- सुनिश्चित करना कि आईटी बजट में दिए गए आईटी निवेश स्वीकार्य हैं।
- कार्यनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक आईटी संसाधनों को निर्धारित करने और आईटी संसाधनों की सोर्सिंग और उपयोग के लिए उच्च–स्तरीय मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त पद्धति की निगरानी करना।
- बैंक के सतत विकास के लिए आईटी निवेश का उचित संतुलन सुनिश्चित करना।

Sr. No.	Name of Director (Shri/Smt.)	Meetings held during their tenure	Meetings attended
2	Atul Kumar Goel	10	10
3	Sanjay Kumar	06	06
4	Vijay Dube	10	10
5	Swarup Kumar Saha	01	01
6	Kalyan Kumar	10	10
7	Binod Kumar	04	04
8	M. Paramasivam	03	03
9	Pankaj Jain	Nil	Nil
10	Pankaj Sharma	10	08
11	Sanjeev Kumar Singhal	06	06
12	Gautam Guha	10	09

3.10 I.T. Strategy Committee

Brief description and terms of reference:

The Committee has been constituted as per RBI Circular No. RBI/2010-11/494/DBS.CO.ITC.BC.No.6/31.02.008/2010-11 dated 29.04.2011. The broad functions of the IT Strategy Committee of the Board are:

- Approving IT Strategy and policy document.
- Ensuring that the Management has put an effective strategic planning process in place.
- Reviewing that the business strategy is indeed aligned with IT strategy.
- Ensuring that the IT Organization structure complements the business model and its direction.
- Ascertaining that Management has implemented processes and practices that ensure that IT delivers value to the business.
- Ensuring IT investments represented in the IT budgets are acceptable.
- Monitoring the method that Management uses to determine the IT resources needed to achieve strategic goals and provide high-level direction for sourcing and use of IT resources.
- Ensuring proper balance of IT investments for sustained growth of the Bank.

- आईटी जोखिमों एवं नियंत्रणों के एक्सपोजर के बारे में जागरूक करना और आईटी जोखिमों के प्रबंधन की निगरानी का प्रभावी मूल्यांकन करना।
- आईटी कार्यनीतियों को लागू करने के लिए उच्च प्रबंधन के कार्यनिष्पादन का आंकलन करना।
- उच्च स्तरीय नीति दिशानिर्देश जारी करना (अर्थात जोखिम, वित्त पोषण अथवा सोर्सिंग कार्यों से संबंधित)
- यह पुष्टि करना कि क्या आईटी या व्यावसायिक ढांचा तैयार किया जाए, ताकि बैंक स्तर पर आईटी के कुल वित्त पोषण को देखते हुए आईटी से अधिकतम कारोबार मूल्य प्राप्त किया जा सके और यह पता लगाना कि क्या प्रबंधन के पास आईटी जोखिमों के उचित प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए संसाधन हैं।
- आईटी प्रदर्शन मापन और कारोबार लक्ष्यों में आईटी के योगदान की समीक्षा करना।

31.03.2023 की स्थिति के अनुसार समिति की संरचना:

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री / श्रीमती)	
1	डॉ. रेखा जैन	शेयरधारक निदेशक, अध्यक्ष
2	के.जी.अनंतकृष्णन	गैर–कार्यपालक अध्यक्ष, सदस्य
3	विजय दुबे	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
4	कल्याण कुमार	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
5	बिनोद कुमार	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
6	एम. परमशिवम	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
7	संजीव कुमार सिंघल	अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक, सदस्य
8	सीआईओ (सीजीएम–आईटी)	सदस्य
9	आमंत्रित : आई.टी. सलाहकार	

श्री स्वरूप कुमार साहा, कार्यपालक निदेशक दिनांक 03.06.2022 से समिति के सदस्य नहीं हैं। श्री के.जी.अनंतकृष्णन, गैर–कार्यपालक अध्यक्ष एवं श्री बिनोद कुमार, कार्यपालक निदेशक को दिनांक 25.11.2022 से समिति के सदस्य बनाए गए। श्री संजय कुमार, कार्यपालक निदेशक दिनांक 30.11.2022 से समिति के सदस्य नहीं हैं। श्री एम. परमशिवम, कार्यपालक निदेशक को दिनांक 28.12.2022 से समिति का सदस्य बनाया गया है।

वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों का विवरण:

क्र. सं.	बैठक की तिथि	समिति के निदेशकों की कुल संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
1	28.04.2022	6	6
2	14.07.2022	5	5
3	14.11.2022	5	5

- Being aware about exposure towards IT risks and controls and evaluating effectiveness of Management's monitoring of IT risks.
- Assessing Senior Management's performance in implementing IT strategies.
- Issuing high level policy guidance (e.g. related to risk, funding and sourcing tasks).
- Ensuring whether IT or business architecture is to be designed, so as to derive the maximum business value from IT overseeing the aggregate funding of IT at Bank level and ascertaining, if the Management has resources to ensure the proper management of IT risks.
- Reviewing IT performance and contribution of IT to business goals.

Composition of the Committee as on 31.03.2023:

Sr. No.	Name of the Director (Shri/Smt.)	
1	Dr. Rekha Jain	Shareholder Director, Chairperson
2	K. G. Ananthakrishnan	Non-Executive Chairman, Member
3	Vijay Dube	Executive Director, Member
4	Kalyan Kumar	Executive Director, Member
5	Binod Kumar	Executive Director, Member
6	M. Paramasivam	Executive Director, Member
7	Sanjeev Kumar Singhal	Part Time Non-Official Director, Member
8	CIO (CGM-IT)	Member
9	Invitees: I.T. Advisor	

Shri Swarup Kumar Saha, Executive Director, ceased to be member of the Committee with effect from 03.06.2022. Shri K. G. Ananthakrishnan, Non-Executive Chairman and Shri Binod Kumar, Executive Director were made members of the Committee with effect from 25.11.2022. Shri Sanjay Kumar, Executive Director, ceased to be member of the Committee with effect from 30.11.2022. Shri M. Paramasivam, Executive Director, was made member of the Committee with effect from 28.12.2022.

Details of meetings held during the financial year:

Sr. No.	Date of Meeting	Total No. of Directors of the Committee	No of Directors Present in the Meeting
1	28.04.2022	6	6
2	14.07.2022	5	5
3	14.11.2022	5	5

क्र. सं.	बैठक की तिथि	समिति के निदेशकों की कुल संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
4	13.12.2022	6	6
5	01.02.2023	7	7
6	14.03.2023	7	7

वित्तीय वर्ष के दौरान सदस्य–निदेशकों द्वारा बैठकों में उपस्थिति की संख्या:

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री / श्रीमती)	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1	डॉ. रेखा जैन	6	6
2	के.जी.अनंतकृष्णन	3	3
3	संजय कुमार	3	3
4	विजय दुबे	6	6
5	स्वरूप कुमार साहा	1	1
6	कल्याण कुमार	6	6
7	बिनोद कुमार	3	3
8	एम. परमशिवम	2	2
9	संजीव कुमार सिंघल	6	6

3.11 ग्राहक सेवा समिति

संक्षिप्त विवरण और विचारार्थ विषय:

आरबीआई के पत्र दिनांक 14.08.2004 एवं आरबीआई मास्टर परिपत्र दिनांक 01 जुलाई, 2015 के अनुसरण में तिमाही आधार पर समीक्षा हेतु बैंक ने ग्राहक सेवा समिति का गठन किया है।

31.03.2023 की स्थिति के अनुसार समिति की संरचना:

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री / श्रीमती)	
1	अतुल कुमार गोयल	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अध्यक्ष
2	विजय दुबे	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
3	कल्याण कुमार	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
4	बिनोद कुमार	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
5	एम. परमशिवम	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
6	पंकज जोशी	अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक, सदस्य
7	डॉ. रेखा जैन	शेयरधारक निदेशक, सदस्य
8	आमंत्रित : i) ग्राहक सेवा – विशेषज्ञ ii) ग्राहक प्रतिनिधि	

Sr. No.	Date of Meeting	Total No. of Directors of the Committee	No of Directors Present in the Meeting
4	13.12.2022	6	6
5	01.02.2023	7	7
6	14.03.2023	7	7

No. of meetings attended by Member-Directors during the financial year:

Sr. No.	Name of Director (Shri/Smt.)	Meetings held during their tenure	Meetings attended
1	Dr. Rekha Jain	6	6
2	K. G. Ananthakrishnan	3	3
3	Sanjay Kumar	3	3
4	Vijay Dube	6	6
5	Swarup Kumar Saha	1	1
6	Kalyan Kumar	6	6
7	Binod Kumar	3	3
8	M. Paramasivam	2	2
9	Sanjeev Kumar Singhal	6	6

3.11 Customer Service Committee

Brief description and terms of reference:

The Committee has been constituted in terms of RBI letter dated 14.08.2004 and RBI Master Circular dated July 01, 2015 to review customer service of the Bank on quarterly basis.

Composition of the Committee as on 31.03.2023:

Sr. No.	Name of the Director (Shri/Smt.)	
1	Atul Kumar Goel	MD & CEO, Chairman
2	Vijay Dube	Executive Director, Member
3	Kalyan Kumar	Executive Director, Member
4	Binod Kumar	Executive Director, Member
5	M. Paramasivam	Executive Director, Member
6	Pankaj Joshi	Part Time Non-Official Director, Member
7	Dr. Rekha Jain	Shareholder Director, Member
8	Invitees: (i) Customer Service - Specialist (ii)Customer Representative	

श्री स्वरूप कुमार साहा, कार्यपालक निदेशक, पंजाब एंड सिंध बैंक के प्रबंधक निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में पदोन्नति के कारण 03.06.2022 से समिति की सदस्यता समाप्त। श्री बिनोद कुमार, कार्यपालक निदेशक, को 25.11.2022 से समिति का सदस्य बनाया गया है। श्री संजय कुमार, कार्यपालक निदेशक, 30.11.2022 से समिति की सदस्यता समाप्त। श्री एम. परमशिवम, कार्यपालक निदेशक, को 28.12.2022 से समिति का सदस्य बनाया गया है।

वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों का विवरण:

क्र. सं.	बैठक की तिथि	समिति के निदेशकों की कुल संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
1	28.04.2022	7	7
2	27.07.2022	6	6
3	14.11.2022	6	6
4	27.02.2023	7	7

वित्तीय वर्ष के दौरान सदस्य–निदेशकों द्वारा बैठकों में भाग लेने की संख्या:

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1	अतुल कुमार गोयल	4	4
2	संजय कुमार	3	3
3	विजय दुबे	4	4
4	स्वरूप कुमार साहा	1	1
5	कल्याण कुमार	4	4
6	बिनोद कुमार	1	1
7	एम परमशिवम	1	1
8	पंकज जोशी	4	4
9	डॉ. रेखा जैन	4	4

3.12 सतर्कता और गैर–सतर्कता/अनुशासनात्मक कार्रवाई मामलों की समीक्षा हेतु निदेशकों की समिति

संक्षिप्त विवरण और विचारार्थ विषय:

समिति का गठन आर्थिक मामलों के विभाग, बैंकिंग प्रभाग–सतर्कता अनुभाग, एमओएफ संचार संख्या 10/12/90/वीआईजी/सीवीओ दिनांक 24.10.1990 के संदर्भ में किया गया है और यह समिति सतर्कता और गैर–सतर्कता अनुशासनात्मक कार्रवाई मामलों की समीक्षा करती है।

31.03.2023 की स्थिति के अनुसार समिति की संरचना:

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	
1	अतुल कुमार गोयल	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अध्यक्ष
2	विजय दुबे	कार्यपालक निदेशक, सदस्य

Shri Swarup Kumar Saha, Executive Director, ceased to be member of the Committee with effect from 03.06.2022 on account of his elevation as MD & CEO of Punjab & Sind Bank. Shri Binod Kumar, Executive Director, was made member of the Committee w.e.f. 25.11.2022. Shri Sanjay Kumar, Executive Director, ceased to be member of the Committee with effect from 30.11.2022. Shri M. Paramasivam, Executive Director, was made member of the Committee with effect from 28.12.2022.

Details of meetings held during the financial year:

Sr. No.	Date of Meeting	Total No. of Directors of the Committee	No of Directors Present in the Meeting
1	28.04.2022	7	7
2	27.07.2022	6	6
3	14.11.2022	6	6
4	27.02.2023	7	7

No. of meetings attended by Member-Directors during the Financial Year:

Sr. No.	Name of Director (Shri/Smt.)	Meetings held during their tenure	Meetings attended
1	Atul Kumar Goel	4	4
2	SanjayKumar	3	3
3	Vijay Dube	4	4
4	Swarup Kumar Saha	1	1
5	Kalyan Kumar	4	4
6	Binod Kumar	1	1
7	M. Paramasivam	1	1
8	Pankaj Joshi	4	4
9	Dr. Rekha Jain	4	4

3.12 Committee of the Directors to review Vigilance and Non-Vigilance/ Disciplinary Action Cases

Brief description and terms of reference:

The Committee has been constituted in terms of Department of Economic Affairs, Banking Division -Vigilance Section, MoF communication no. 10/12/90/VIG/CVOs dated 24.10.1990 and reviews vigilance and non-vigilance disciplinary action cases.

Composition of the Committee as on 31.03.2023:

Sr. No.	Name of Director (Shri/Smt.)	
1	Atul Kumar Goel	MD & CEO, Chairman
2	Vijay Dube	Executive Director, Member

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	
3	कल्याण कुमार	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
4	बिनोद कुमार	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
5	एम परमशिवम	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
6	पंकज शर्मा	सरकारी नामित निदेशक, सदस्य
7	अनिल कुमार मिश्रा	निदेशक, सदस्य

श्री पंकज शर्मा, भारत सरकार नामित निदेशक, को श्री पंकज जैन, भारत सरकार नामित निदेशक के स्थान पर दिनांक 12.04.2022 से समिति का सदस्य बनाया गया। श्री स्वरूप कुमार साहा, कार्यपालक निदेशक, 03.06.2022 से समिति की सदस्यता समाप्त। श्री बिनोद कुमार, कार्यपालक निदेशक, को 25.11.2022 से समिति का सदस्य बनाया गया था। श्री संजय कुमार, कार्यपालक निदेशक, 30.11.2022 से समिति की सदस्यता समाप्त। श्री एम. परमशिवम, कार्यपालक निदेशक, को 28.12.2022 से समिति का सदस्य बनाया गया।

वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों का विवरण:

क्र. सं.	बैठक की तिथि	समिति के निदेशकों की कुल संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
1	27.05.2022	7	7
2	26.08.2022	6	6
3	27.12.2022	6	6
4	13.02.2023	7	6

वित्तीय वर्ष के दौरान सदस्य–निदेशकों द्वारा बैठकों में भाग लेने की संख्या:

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1	अतुल कुमार गोयल	4	4
2	संजय कुमार	2	2
3	विजय दुबे	4	3
4	स्वरूप कुमार साहा	1	1
5	कल्याण कुमार	4	4
6	बिनोद कुमार	2	2
7	एम परमशिवम	1	1
8	पंकज जैन	शून्य	शून्य
9	पंकज शर्मा	4	4
10	अनिल कुमार मिश्रा	4	4

Sr. No.	Name of the Director (Shri/Smt.)	
3	Kalyan Kumar	Executive Director, Member
4	Binod Kumar	Executive Director, Member
5	M. Paramasivam	Executive Director, Member
6	Pankaj Sharma	Govt. Nominee Director, Member
7	Anil Kumar Misra	Direcor, Member

Shri Pankaj Sharma, GoI Nominee Director, was made member of the Committee in place of Shri Pankaj Jain, GoI Nominee Director, w.e.f. 12.04.2022. Shri Swarup Kumar Saha, Executive Director, ceased to be member of the Committee w.e.f. 03.06.2022. Shri Binod Kumar, Executive Director, was made member of the Committee w.e.f. 25.11.2022. Shri Sanjay Kumar, Executive Director, ceased to be member of the Committee w.e.f. 30.11.2022. Shri M. Paramasivam, Executive Director, was made member of the Committee w.e.f. 28.12.2022.

Details of meetings held during the financial year:

Sr. No.	Date of Meeting	Total No. of Directors of the Committee	No of Directors Present in the Meeting
1	27.05.2022	7	7
2	26.08.2022	6	6
3	27.12.2022	6	6
4	13.02.2023	7	6

No. of meetings attended by Member-Directors during the financial year:

Sr. No.	Name of Director (Shri/Smt.)	Meetings held during their tenure	Meetings attended
1	Atul Kumar Goel	4	4
2	Sanjay Kumar	2	2
3	Vijay Dube	4	3
4	Swarup Kumar Saha	1	1
5	Kalyan Kumar	4	4
6	Binod Kumar	2	2
7	M. Paramasivam	1	1
8	Pankaj Jain	Nil	Nil
9	Pankaj Sharma	4	4
10	Anil Kumar Misra	4	4

3.13 निदेशकों की पदोन्नति समिति

संक्षिप्त विवरण और विचारार्थ विषय:

समिति का गठन भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामलों का विभाग पत्र सं. एफ.सं.4/1/10/96–आईआर दिनांक 19.11.1997 के संदर्भ में किया गया है। इसके अलावा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग ने पत्र संख्या 4/3/1/2012–आईआर दिनांक 16.04.2019 के माध्यम से स्केल VI से स्केल VII में पदोन्नति के लिए चयन समिति की संरचना के संबंध में दिशा–निर्देश जारी किए।

हालांकि, रुपये 10 लाख करोड़ से अधिक के कारोबार वाले बड़े बैंकों में सीजीएम (स्केल VIII) स्तर की शुरूआत के साथ, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग ने पत्र सं. एफ.सं.4/3/1/2012–आईआर दिनांक 10.03.2021 के माध्यम से सूचित किया कि दिनांक 16.04.2019 और 30.08.2019 के पत्रों द्वारा निर्दिष्ट चयन समिति बैंक के बोर्ड से नीचे के उच्चतम स्तर पर अधिकारियों की पदोन्नति के लिए चयन समिति होगी (पंजाब नैशनल बैंक के मामले में स्केल VII से स्केल VIII में पदोन्नति के लिए)।

इसके अलावा, एकरूपता लाने के लिए, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग ने पत्र संख्या एफ.सं.4/3/1/2012– आईआर दिनांक 01.02.2023 द्वारा सूचित किया कि चयन समिति ने दिनांक 16.04.2019, 30.08.2019 और 10.03.2021 के पत्र के माध्यम से निर्दिष्ट किया है कि स्केल VI (DGM) से स्केल VII (GM) और स्केल VII (GM) से स्केल VIII (CGM) के अधिकारियों की पदोन्नति के लिए चयन समिति होगी।

31.03.2023 की स्थिति के अनुसार समिति की संरचना:

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	
1	अतुल कुमार गोयल	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अध्यक्ष
2	पंकज शर्मा	सरकारी नामिती निदेशक, सदस्य
3	अनिल कुमार मिश्रा	निदेशक, सदस्य
4	आमंत्रित: दो विशेषज्ञ	

श्री पंकज शर्मा, भारत सरकार नामिती निदेशक को श्री पंकज जैन, भारत सरकार नामिती निदेशक के स्थान पर दिनांक 12.04.2022 से समिति का सदस्य बनाया गया।

वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों का विवरण:

क्र. सं.	बैठक की तिथि	समिति के निदेशकों की कुल संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
1	04.03.2023	3	3
2	18.03.2023	3	3
3	19.03.2023	3	3

3.13 Directors Promotion Committee

Brief description and terms of reference:

The Committee has been constituted in terms of Govt. of India, MoF, Department of Economic Affairs Letter No. F.No. 4/1/10/96-IR dated 19.11.1997. Further, Govt. of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services vide Letter No. 4/3/1/2012-IR dated 16.04.2019 issued guidelines regarding composition of Selection Committee for promotion from Scale VI to Scale VII.

However, with the introduction of CGM (Scale VIII) level in large Banks having business of more than Rs.10 lakh crore, Govt. of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services vide Letter No. F.No. 4/3/1/2012-IR dated 10.03.2021 conveyed that the Selection Committee specified vide letters dated 16.04.2019 and 30.08.2019 shall be the Selection Committee for promotion of Officers to the highest level below the Bank's Board (in case of Punjab National Bank - for promotion from Scale VII to Scale VIII).

Further, in order to bring uniformity, Govt. of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services vide Letter No. F.No. 4/3/1/2012-IR dated 01.02.2023 conveyed that the Selection Committee specified vide letters dated 16.04.2019, 30.08.2019 and 10.03.2021 shall be the Selection Committee for promotion of Officers from Scale VI (DGM) to Scale VII (GM) and from Scale VII (GM) to Scale VIII (CGM).

Composition of the Committee as on 31.03.2023:

Sr. No.	Name of the Director (Shri/Smt.)	
1	Atul Kumar Goel	MD & CEO, Chairman
2	Pankaj Sharma	Govt. Nominee Director, Member
3	Anil Kumar Misra	Director, Member
4	Invitees: Two Experts	

Shri Pankaj Sharma, GoI Nominee Director, was made member of the Committee in place of Shri Pankaj Jain, GoI Nominee Director, with effect from 12.04.2022.

Details of meetings held during the financial year:

Sr. No.	Date of Meeting	Total No. of Directors of the Committee	No of Directors Present in the Meeting
1	04.03.2023	3	3
2	18.03.2023	3	3
3	19.03.2023	3	3

वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित सदस्य-निदेशकों द्वारा बैठकों में भाग लेने की संख्या:

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री / श्रीमती)	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1	अतुल कुमार गोयल	3	3
2	पंकज जैन	शून्य	शून्य
3	पंकज शर्मा	3	3
4	अनिल कुमार मिश्रा	3	2

3.14 अपील प्राधिकारी और समीक्षा प्राधिकारी समिति

संक्षिप्त विवरण और विचारार्थ विषय:

पीएनबी अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) विनियमन, 1977 के अनुसार अपीलीय प्राधिकारी / समीक्षा प्राधिकारी के रूप में अपील और समीक्षा मामलों पर विचार करने के लिए समिति का गठन किया गया है।

31.03.2023 की स्थिति के अनुसार समिति की संरचना:

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री / श्रीमती)	
1	गौतम गुहा	शेयरधारक निदेशक, अध्यक्ष
2	पंकज शर्मा	सरकार नामित निदेशक, सदस्य
3	संजीव कुमार सिंघल	अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक, सदस्य
4	डॉ. रेखा जैन	शेयरधारक निदेशक, सदस्य

श्री पंकज शर्मा, भारत सरकार नामित निदेशक, को श्री पंकज जैन, भारत सरकार नामित निदेशक के स्थान पर 12.04.2022 से समिति का सदस्य बनाया गया। श्री स्वरूप कुमार साहा, कार्यपालक निदेशक, 03.06.2022 से समिति के सदस्यता समाप्त। दिनांक 28.09.2022 से श्री अतुल कुमार गोयल के स्थान पर श्री गौतम गुहा, शेयरधारक निदेशक को समिति का अध्यक्ष बनाया गया। दिनांक 28.09.2022 से कार्यपालक निदेशक श्री संजय कुमार, श्री विजय दुबे और श्री कल्याण कुमार के स्थान पर श्री संजीव कुमार सिंघल और डॉ. रेखा जैन को समिति का सदस्य बनाया गया।

वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों का विवरण:

क्र. सं.	बैठक की तिथि	समिति के निदेशकों की कुल संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
1	27.07.2022	5	5
2	13.12.2022	4	4
3	28.03.2023	4	4

No. of meetings attended by Member-Directors during the financial year:

Sr. No.	Name of Director (Shri/Smt.)	Meetings held during their tenure	Meetings attended
1	Atul Kumar Goel	3	3
2	Pankaj Jain	Nil	Nil
3	Pankaj Sharma	3	3
4	Anil Kumar Misra	3	2

3.14 Appellate Authority & Reviewing Authority Committee

Brief description and terms of reference:

The Committee has been constituted to consider Appeal and Review cases as Appellate Authority/Reviewing Authority in terms of PNB Officer Employees' (Discipline and Appeal) Regulations, 1977.

Composition of the Committee as on 31.03.2023:

Sr. No.	Name of the Director (Shri/Smt.)	
1	Gautam Guha	Shareholder Director, Chairman
2	Pankaj Sharma	Govt. Nominee Director, Member
3	Sanjeev Kumar Singhal	Part Time Non-Official Director, Member
4	Dr. Rekha Jain	Shareholder Director, Member

Shri Pankaj Sharma, GoI Nominee Director, was made member of the Committee in place of Shri Pankaj Jain, GoI Nominee Director, with effect from 12.04.2022. Shri Swarup Kumar Saha, Executive Director, ceased to be member of the Committee with effect from 03.06.2022. Shri Gautam Guha, Shareholder Director, was made Chairman of the Committee in place of Shri Atul Kumar Goel with effect from 28.09.2022. Shri Sanjeev Kumar Singhal and Dr. Rekha Jain were made members of the Committee in place of Shri Sanjay Kumar, Shri Vijay Dube and Shri Kalyan Kumar, Executive Directors, with effect from 28.09.2022.

Details of meetings held during the financial year:

Sr. No.	Date of Meeting	Total No. of Directors of the Committee	No of Directors Present in the Meeting
1	27.07.2022	5	5
2	13.12.2022	4	4
3	28.03.2023	4	4

वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित सदस्य-निदेशकों द्वारा बैठकों में भाग लेने की संख्या:

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री / श्रीमती)	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1	अतुल कुमार गोयल	1	1
2	संजय कुमार	1	1
3	विजय दुबे	1	1
4	स्वरूप कुमार साहा	शून्य	शून्य
5	कल्याण कुमार	1	1
6	पंकज जैन	शून्य	शून्य
7	पंकज शर्मा	3	3
8	संजीव कुमार सिंघल	2	2
9	गौतम गुहा	2	2
10	डॉ. रेखा जैन	2	2

3.15 मानव संसाधन पर बोर्ड की संचालन समिति

संक्षिप्त विवरण और विचारार्थ विषय:

समिति का गठन डीएफएस के पत्र एफ.सं.9/18/2009-आईआर दिनांक 21.10.2011 के अनुसार किया गया था जिसमें भारत सरकार द्वारा गठित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मानव संसाधन मुद्दों पर खंडेलवाल समिति की सिफारिशें शामिल थीं।

31.03.2023 की स्थिति के अनुसार संरचना:

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री / श्रीमती)	
1	अतुल कुमार गोयल	प्रबंधक निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अध्यक्ष
2	कल्याण कुमार	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
3	पंकज शर्मा	सरकारी नामिती निदेशक, सदस्य
4	डॉ. रेखा जैन	शेयरधारक निदेशक, सदस्य
5	बाह्य मानव संसाधन विशेषज्ञ	सदस्य
आमंत्रित (श्री / श्रीमती): विजय दुबे बिनोद कुमार एम परमशिवम		कार्यपालक निदेशक कार्यपालक निदेशक कार्यपालक निदेशक

श्री पंकज शर्मा, भारत सरकार नामित निदेशक, को श्री पंकज जैन, भारत सरकार नामित निदेशक के स्थान पर 12.04.2022 से समिति का सदस्य बनाया गया। श्री संजय कुमार, कार्यपालक निदेशक, 30.11.2022 से समिति की सदस्यता समाप्त। श्री कल्याण कुमार, कार्यपालक निदेशक को 28.12.2022 से समिति का सदस्य बनाया गया।

वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों का विवरण:

क्र. सं.	बैठक की तिथि	समिति के निदेशकों की कुल संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
1	27.05.2022	4	4
2	25.08.2022	4	4
3	28.08.2022	4	4

No. of meetings attended by Member-Directors during the financial year:

Sr. No.	Name of Director (Shri/Smt.)	Meetings held during their tenure	Meetings attended
1	Atul Kumar Goel	1	1
2	Sanjay Kumar	1	1
3	Vijay Dube	1	1
4	Swarup Kumar Saha	Nil	Nil
5	Kalyan Kumar	1	1
6	Pankaj Jain	Nil	Nil
7	Pankaj Sharma	3	3
8	Sanjeev Kumar Singhal	2	2
9	Gautam Guha	2	2
10	Dr. Rekha Jain	2	2

3.15 Steering Committee of the Board on HR

Brief description and terms of reference:

The Committee was formed as per the DFS letter F.No.9/18/2009-IR dated 21.10.2011 containing the recommendations of the Khandelwal Committee on Human Resources Issues of the Public Sector Banks formed by the Govt. of India.

Composition as on 31.03.2023:

Sr. No.	Name of the Director (Shri/Smt.)	
1	Atul Kumar Goel	MD & CEO, Chairman
2	Kalyan Kumar	Executive Director, Member
3	Pankaj Sharma	Govt. Nominee Director, Member
4	Dr. Rekha Jain	Shareholder Director, Member
5	Outside HR Expert	Member
Invitees: (S/Shri): Vijay Dube Binod Kumar M. Paramasivam		Executive Director Executive Director Executive Director

Shri Pankaj Sharma, GoI Nominee Director, was made member of the Committee with effect from 12.04.2022 in place of Shri Pankaj Jain, GoI Nominee Director. Shri Sanjay Kumar, Executive Director, ceased to be member of the Committee with effect from 30.11.2022. Shri Kalyan Kumar, Executive Director was made member of the Committee with effect from 28.12.2022.

Details of meetings held during the financial year:

Sr. No.	Date of Meeting	Total No. of Directors of the Committee	No of Directors Present in the Meeting
1	27.05.2022	4	4
2	25.08.2022	4	4
3	26.09.2022	4	4

क्र. सं.	बैठक की तिथि	समिति के निदेशकों की कुल संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
4	24.11.2022	4	4
5	27.12.2022	4	4
6	27.02.2023	4	4

वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित सदस्य–निदेशकों द्वारा बैठकों में भाग लेने की संख्या:

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री / श्रीमती)	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1	अतुल कुमार गोयल	6	6
2	संजय कुमार	4	4
3	कल्याण कुमार	1	1
4	पंकज जैन	शून्य	शून्य
5	पंकज शर्मा	6	6
6	डॉ. रेखा जैन	6	6

3.16 शेयरधारक निदेशकों के चुनाव पर विचार करने के लिए समिति–सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा मतदान

संक्षिप्त विवरण और विचारार्थ विषय:

भारत सरकार, डीएफएस के पत्र दिनांक 03.04.2012 के अनुसार गठित समिति, उम्मीदवारों की प्रोफाइल और पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए उन संस्थाओं में निदेशक के रूप में चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करती है जिनमें बैंक की हिस्सेदारी है।

31.03.2023 की स्थिति के अनुसार समिति की संरचना:

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री / श्रीमती)	
1	अतुल कुमार गोयल	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अध्यक्ष
2	विजय दुबे	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
3	कल्याण कुमार	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
4	बिनोद कुमार	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
5	एम परमशिवम	कार्यपालक निदेशक, सदस्य

श्री स्वरूप कुमार साहा, कार्यपालक निदेशक, 03.06.2022 से समिति की सदस्यता समाप्त। श्री बिनोद कुमार, कार्यपालक निदेशक, को 25.11.2022 से समिति का सदस्य बनाया गया। श्री संजय कुमार, कार्यपालक निदेशक, 30.11.2022 से समिति की सदस्यता समाप्त। श्री एम. परमशिवम, कार्यपालक निदेशक, को 28.12.2022 से समिति का सदस्य बनाया गया।

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान समिति की कोई भी बैठक आयोजित नहीं हुई।

Sr. No.	Date of Meeting	Total No. of Directors of the Committee	No of Directors Present in the Meeting
4	24.11.2022	4	4
5	27.12.2022	4	4
6	27.02.2023	4	4

No. of meetings attended by Member-Directors during the financial year:

Sr. No.	Name of Director (Shri/Smt.)	Meetings held during their tenure	Meetings attended
1	Atul Kumar Goel	6	6
2	Sanjay Kumar	4	4
3	Kalyan Kumar	1	1
4	Pankaj Jain	Nil	Nil
5	Pankaj Sharma	6	6
6	Dr. Rekha Jain	6	6

3.16 Committee to consider election of Shareholder Directors - Voting by Public Sector Banks

Brief description and terms of reference:

The Committee, constituted in terms of GoI, DFS letter dated 03.04.2012, decides on the candidates for election as Directors in entities in which Bank is holding a stake considering the profile and background of Candidates.

Composition of the Committee as on 31.03.2023:

Sr. No.	Name of the Director (Shri/Smt.)	
1	Atul Kumar Goel	MD & CEO, Chairman
2	Vijay Dube	Executive Director, Member
3	Kalyan Kumar	Executive Director, Member
4	Binod Kumar	Executive Director, Member
5	M. Paramasivam	Executive Director, Member

Shri Swarup Kumar Saha, Executive Director, ceased to be member of the Committee with effect from 03.06.2022. Shri Binod Kumar, Executive Director, was made member of the Committee with effect from 25.11.2022. Shri Sanjay Kumar, Executive Director, ceased to be member of the Committee with effect from 30.11.2022. Shri M. Paramasivam, Executive Director, was made member of the Committee with effect from 28.12.2022.

No meeting of the Committee was held during FY 2022-23.

3.17. प्रदर्शन मूल्यांकन समिति

समिति का गठन डीएफएस अधिसूचना एफ/9/5/2009–आईआर दिनांक 30.08.2019, एफ/9/5/2009–आईआर दिनांक 14.11.2019 और डीएफएस अधिसूचना सं. 9/5/2009–आईआर (पीटी II) दिनांक 23.03.2021 के अनुसार किया गया है। समिति, गुणात्मक और मात्रात्मक मुख्य प्रदर्शन सूचकों (केपीआईएस) को स्थापित करके महाप्रबंधकों, मुख्य महाप्रबंधकों एवं कार्यपालक निदेशकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करती है। इसके अलावा, समिति, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ के प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए बोर्ड (केपीआई) को भी प्रस्तावित करती है।

31.03.2023 के अनुसार संरचना:

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	
1	के.जी. अनंतकृष्णन	गैर कार्यपालक अध्यक्ष, अध्यक्ष
2	पंकज शर्मा	सरकारी नामित निदेशक, सदस्य
3	पंकज जोशी	अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक, सदस्य
4	गौतम गुहा	शेयरधारक निदेशक, सदस्य

श्री पंकज शर्मा, भारत सरकार के नामित निदेशक को श्री पंकज जैन, भारत सरकार के नामित निदेशक के स्थान पर 12.04.2022 से समिति का सदस्य बनाया गया। श्री के.जी. अनंतकृष्णन, गैर–कार्यपालक अध्यक्ष को श्री पंकज जोशी, अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक के स्थान पर 25.11.2022 से समिति का अध्यक्ष बनाया गया, जो समिति के सदस्य बने रहे। इसके अलावा, डॉ. रेखा जैन 25.11.2022 से समिति की सदस्य नहीं रहेंगी।

वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों का विवरण:

क्र. सं.	बैठक की तिथि	समिति के निदेशकों की कुल संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
1	24.11.2023	4	4
2	28.03.2023	4	4

वित्तीय वर्ष के दौरान सदस्य – निदेशकों की उपस्थिति वाली बैठकों की संख्या :

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1	के.जी. अनंतकृष्णन	1	1
2	डॉ. रेखा जैन	1	1
3	पंकज जैन	शून्य	शून्य
4	पंकज शर्मा	2	2
5	पंकज जोशी	2	2
6	गौतम गुहा	2	2

3.18 व्यवसाय समीक्षा समिति

समिति का गठन बोर्ड द्वारा आयोजित उनकी बैठक दिनांक 19.03.2020

3.17 Performance Evaluation Committee

The Committee has been formed as per DFS notification F/9/5/2009-IR dated 30.08.2019, F/9/5/2009-IR dated 14.11.2019 and DFS notification No. 9/5/2009-IR (Pt. II) dated 23.03.2021. The Committee evaluates the performance of General Managers/Chief General Managers and Executive Directors by setting up qualitative and quantitative Key Performance Indicators (KPIs). Also, the Committee proposes the KPIs for evaluation of performance of the Managing Director and CEO to the Board of Directors.

Composition of the Committee as on 31.03.2023:

Sr. No.	Name of the Director (Shri/Smt.)	
1	K. G. Ananthakrishnan	Non-Executive Chairman, Chairman
2	Pankaj Sharma	Govt. Nominee Director, Member
3	Pankaj Joshi	Part Time Non-Official Director, Member
4	Gautam Guha	Shareholder Director, Member

Shri Pankaj Sharma, GoI Nominee Director was made member of the Committee in place of Shri Pankaj Jain, GoI Nominee Director with effect from 12.04.2022. Shri K. G. Ananthakrishnan, Non-Executive Chairman was made Chairman of the Committee with effect from 25.11.2022 in place of Shri Pankaj Joshi, Part time non official Director who continued to be member of the Committee. Further, Dr. Rekha Jain ceased to be member of the Committee with effect from 25.11.2022.

Details of meetings held during the financial year:

Sr. No.	Date of Meeting	Total No. of Directors of the Committee	No of Directors Present in the Meeting
1	24.11.2023	4	4
2	28.03.2023	4	4

No. of meetings attended by Member-Directors during the Financial Year:

Sr. No.	Name of Director (Shri/Smt.)	Meetings held during their tenure	Meetings attended
1	K. G. Ananthakrishnan	1	1
2	Dr. Rekha Jain	1	1
3	Pankaj Jain	Nil	Nil
4	Pankaj Sharma	2	2
5	Pankaj Joshi	2	2
6	Gautam Guha	2	2

3.18 Business Review Committee

The Committee has been formed as per the direction given by

द्वारा दिए गए दिशा–निर्देशानुसार के अनुसार किया गया था एवं समिति को बैंक के सभी व्यवसाय वर्टिकल की बोर्ड स्तर की समीक्षा सौंपी गई है।

31.03.2023 के अनुसार समिति की संरचना:

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	
1	अतुल कुमार गोयल	प्रबंधक निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अध्यक्ष
2	विजय दुबे	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
3	कल्याण कुमार	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
4	बिनोद कुमार	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
5	एम परमशिवम	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
6	पंकज जोशी	अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक, सदस्य
7	गौतम गुहा	शेयरधारक निदेशक, सदस्य

श्री स्वरूप कुमार साहा, कार्यपालक निदेशक, 03.06.2022 से समिति की सदस्यता समाप्त। श्री बिनोद कुमार, कार्यपालक निदेशक, को 25.11.2022 से समिति का सदस्य बनाया गया। श्री संजय कुमार, कार्यपालक निदेशक, 30.11.2022 से सदस्यता समाप्त। श्री एम. परमशिवम, कार्यपालक निदेशक, को 28.12.2022 से समिति का सदस्य बनाया गया था।

वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों का विवरण:

क्र. सं.	बैठक की तिथि	समिति के निदेशकों की कुल संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
1	28.04.2022	7	7
2	27.07.2022	6	6
3	24.11.2022	6	6
4	27.02.2023	7	7

वित्तीय वर्ष के दौरान सदस्य – निदेशकों की उपस्थिति वाली बैठकों की संख्या :

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1	अतुल कुमार गोयल	4	4
2	संजय कुमार	3	3
3	विजय दुबे	4	4
4	स्वरूप कुमार साहा	1	1
5	कल्याण कुमार	4	4
6	बिनोद कुमार	1	1
7	एम परमशिवम	1	1
8	पंकज जोशी	4	4

Board in its meeting held on 19.03.2020 and has been entrusted with the Board level review of all Business Verticals of the Bank.

Composition of the Committee as on 31.03.2023:

Sr. No.	Name of the Director (Shri/Smt.)	
1	Atul Kumar Goel	MD & CEO, Chairman
2	Vijay Dube	Executive Director, Member
3	Kalyan Kumar	Executive Director, Member
4	Binod Kumar	Executive Director, Member
5	M. Paramasivam	Executive Director, Member
6	Pankaj Joshi	Part Time Non-Official Director, Member
7	Gautam Guha	Shareholder Director, Member

Shri Swarup Kumar Saha, Executive Director, ceased to be member of the Committee with effect from 03.06.2022. Shri Binod Kumar, Executive Director, was made member of the Committee with effect from 25.11.2022. Shri Sanjay Kumar, Executive Director, ceased to be member of the Committee with effect from 30.11.2022. Shri M. Paramasivam, Executive Director, was made member of the Committee with effect from 28.12.2022.

Details of meetings held during the financial year:

Sr. No.	Date of Meeting	Total No. of Directors of the Committee	No of Directors Present in the Meeting
1	28.04.2022	7	7
2	27.07.2022	6	6
3	24.11.2022	6	6
4	27.02.2023	7	7

No. of meetings attended by Member-Directors during the financial year:

Sr. No.	Name of Director (Shri/Smt.)	Meetings held during their tenure	Meetings attended
1	Atul Kumar Goel	4	4
2	Sanjay Kumar	3	3
3	Vijay Dube	4	4
4	Swarup Kumar Saha	1	1
5	Kalyan Kumar	4	4
6	Binod Kumar	1	1
7	M. Paramasivam	1	1
8	Pankaj Joshi	4	4

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री / श्रीमती)	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
9	गौतम गुहा	4	4

3.19 बोर्ड की पूंजी जुटाने वाली समिति

समिति का गठन बोर्ड द्वारा 09.07.2020 को हुई उनकी बैठक में दिए गए निर्देश के अनुसार पूंजी जुटाने से संबंधित विभिन्न मामलों पर निर्णय लेने के लिए किया गया है, लेकिन इन तक सीमित नहीं है:

- इक्विटी शेयरों का निर्गमन और आबंटन: निर्गमन का प्रकार, अनुपात, निर्गमन का समय और मूल्य, प्रमुख प्रबंधकों, कानूनी सलाहकारों, हामीदारों की नियुक्ति (जैसा आवश्यक हो) और ऐसी सभी एजेंसियां जो इक्विटी शेयरों की पेशकश में शामिल या संबंधित हो सकती हैं और ऐसी एजेंसियों के साथ ऐसी सभी व्यवस्था/करार आदि करना और निष्पादित करना और जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं वहां स्टॉक एक्सचेंजों पर जारी किए गए इक्विटी शेयरों की सूचीबद्धता तलाश करना।
- एक या एक से अधिक किश्तों, कूपन, परिपक्वता, क्रय विकल्प, समय, आबंटन का आधार, आबंटन तिथि और सभी पूर्व जारी / जारी करने के बाद की औपचारिकताओं, बांड जारी करने, रेटिंग एजेंसी/ट्रस्टी, प्रबंधकों/सलाहकार और रजिस्ट्रार की नियुक्ति के लिए नियम और शर्तों में संशोधन बासेल III अनुपालन एटी 1/टीयर II बांड के माध्यम से जुटाई जाने वाली पूंजी की मात्रा को अंतिम रूप देना/अनुमोदित करना।

31.03.2023 के अनुसार समिति की संरचना:

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री / श्रीमती)	
1	अतुल कुमार गोयल	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अध्यक्ष
2	विजय दुबे	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
3	कल्याण कुमार	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
4	बिनोद कुमार	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
5	एम. परमशिवम	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
6	पंकज जोशी	अंशकालिक गैर- सरकारी सदस्य
7	गौतम गुहा	शेयरधारक निदेशक, सदस्य

श्री स्वरुप कुमार साहा, कार्यपालक निदेशक 03.06.2022 से समिति की सदस्यता समाप्त। श्री बिनोद कुमार, कार्यपालक निदेशक को 25.11.2022 से समिति का सदस्य बनाया गया। श्री संजय कुमार, कार्यपालक निदेशक, 30.11.2022 से सदस्यता समाप्त। श्री एम. परमशिवम, कार्यपालक निदेशक को 28.12.2022 से समिति का सदस्य बनाया गया।

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान समिति की कोई बैठक नहीं हुई।

Sr. No.	Name of Director (Shri/Smt.)	Meetings held during their tenure	Meetings attended
9	Gautam Guha	4	4

3.19 Capital Raising Committee of Board

The Committee has been constituted as per the direction of Board in its meeting held on 09.07.2020 for deciding on various matters relating to raising of capital including but not limited to:

- Issue and allotment of equity shares: type of issue, proportion, timing and price of issue, appointment of Lead Managers, Legal Advisors, Underwriters (as may be necessary) and all such Agencies as may be involved or concerned in such offering of Equity Shares and also to enter into and execute all such arrangement/agreements etc., with such Agencies and to seek the listing of Equity shares issued on the Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed.
- Finalizing/approving the quantum of capital to be raised through Basel III Compliant AT1/Tier II Bonds in one or more tranches, coupon, maturity, call option, timing, basis of allotment, allotment date and all pre-issue/post-issue formalities, modification in terms and conditions for the issuance of Bonds, appointment of Rating Agency/Trustee, Arrangers/Advisors and Registrar to the Issue.

Composition of the Committee as on 31.03.2023:

Sr. No.	Name of the Director (Shri/Smt.)	
1	Atul Kumar Goel	MD & CEO, Chairman
2	Vijay Dube	Executive Director, Member
3	Kalyan Kumar	Executive Director, Member
4	Binod Kumar	Executive Director, Member
5	M. Paramasivam	Executive Director, Member
6	Pankaj Joshi	Part Time Non-Official Director, Member
7	Gautam Guha	Shareholder Director, Member

Shri Swarup Kumar Saha, Executive Director, ceased to be member of the Committee with effect from 03.06.2022. Shri Binod Kumar, Executive Director, was made member of the Committee with effect from 25.11.2022. Shri Sanjay Kumar, Executive Director, ceased to be member of the Committee with effect from 30.11.2022. Shri M. Paramasivam, Executive Director, was made member of the Committee with effect from 28.12.2022.

No meeting of the Committee was held during FY 2022-23.

4. निदेशकों का पारिश्रमिक:

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी और कार्यपालक निदेशकों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमानुसार वेतनमान के माध्यम से पारिश्रमिक दिया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान पूर्णकालिक निदेशकों दिए गए पारिश्रमिक का विवरण इस प्रकार है

क्र. सं.	नाम (श्री)	पदनाम	भुगतान राशि (₹ में)*	पीएफ का अंशदान (₹ में)	मेडिकल (₹ में)
1	अतुल कुमार गोयल	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी	3709332.00	259280.00	856233.07
2	कल्याण कुमार	कार्यपालक निदेशक	3200390.08	223231.91	121871.43
3	विजय दुबे	कार्यपालक निदेशक	3802432.00	237060.00	47719.20
4	विनोद कुमार	कार्यपालक निदेशक	1155338.00	83719.99	86638.00
5	एम. परमशिवम	कार्यपालक निदेशक	1068464.00	77280.00	18051.00
6	संजय कुमार	कार्यपालक निदेशक	8777932.00	157460.00	177753.86
7	स्वरूप कुमार साहा	कार्यपालक निदेशक	541513.60	39223.99	695868.45

*सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युइटी और छुट्टी नकदीकरण शामिल है
$दिनांक 30.11.2022 से निदेशक पद से कार्यमुक्त
#दिनांक 03.06.2022 से निदेशक पद से कार्यमुक्त

सेवा अनुबंधों और नोटिस अवधि सहित नियुक्ति की शर्तें, सरकार के दिशा–निर्देशानुसार हैं। किसी भी निदेशक को कोई विच्छेद शुल्क देय नहीं है। वित्त वर्ष 2022–23 के लिए पूर्णकालिक निदेशकों को निष्पादन आधारित प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं किया गया था। इसके अलावा, बैंक द्वारा किसी भी निदेशक को कोई स्टॉक विकल्प जारी नहीं किया गया है।

बैंक गैर कार्यपालक निदेशकों को बोर्ड और उनकी समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार बोर्ड द्वारा अनुमोदित शुल्क के अलावा कोई अन्य पारिश्रमिक नहीं देता है। देय शुल्क निम्नानुसार हैं:–

क्र. सं.	बैठक	प्रत्येक बैठकों में भाग लेने के लिये देय शुल्क (₹)
(ए)	बोर्ड	70,000/–
(बी)	बोर्ड की समिति	35,000/–
(सी)	बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता के लिए	20,000/– (उपरोक्त (ए) के अतिरिक्त)
(डी)	बोर्ड समिति की बैठक की अध्यक्षता के लिए	10,000/– (उपरोक्त (बी) के अतिरिक्त)

वर्ष 2022–23 के दौरान गैर–कार्यपालक निदेशकों को भाग लेने के लिए कुल सिटिंग फीस का भुगतान निम्नानुसार है:

क्र. सं.	निदेशक के नाम (श्री/श्रीमती)	प्रदत्त बैठक शुल्क (₹ में)
1	के.जी. अनंतकृष्णन	11,00,000/-
2	अनिल कुमार मिश्रा	25,00,000/-
3	पंकज जोशी	25,00,000/-
4	संजीव कुमार सिंघल	25,00,000/-
5	गौतम गुहा	25,00,000/-
6	डॉ. रेखा जैन	25,00,000/-

नोटः वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्णकालिक निदेशकों और निदेशकों को कोई बैठक शुल्क नहीं दिया गया।

4. Remuneration of Directors:

The Managing Director & CEO and the Executive Directors are being paid remuneration by way of salary as per rules framed by the Government of India. The details of remuneration paid to Whole Time Director(s) during the F.Y. 2022-23 are as under:

Sr. No	Name (Shri)	Designation	Emoluments paid (₹)*	PF Contribution (₹)	Medical (₹)
1	Atul Kumar Goel	MD & CEO	3709332.00	259280.00	655233.07
2	Kalyan Kumar	Executive Director	3200390.06	223231.91	121871.43
3	Vijay Dube	Executive Director	3802432.00	237060.00	47719.20
4	Binod Kumar	Executive Director	1155338.00	83719.99	86638.00
5	M. Paramasivam	Executive Director	1066464.00	77280.00	18051.00
6	Sanjay Kumar$	Executive Director	8777932.00	157460.00	177753.86
7	Swarup Kumar Saha#	Executive Director	541513.60	39223.99	695868.45

*includes Gratuity and Leave Encashment on retirement

$ Ceased to be director on 30.11.2022

Ceased to be director on 03.06.2022

Terms of appointment including service contracts and notice period are as per Government guidelines. No severance fee is payable to any Director. No performance linked incentive was paid to the whole-time directors during financial year 2022-23. Further, no stock options have been issued by the Bank to any of the Director.

The Bank does not pay remuneration to the Non-Executive Directors except sitting fees approved by the Board in terms of Government of India guidelines, for attending the meetings of the Board and its Committees. The fees payable is as under:

Sr. No	Meeting	Sitting Fees payable per Meeting (₹)
(a)	Board	70,000/-
(b)	Committee of Board	35,000/-
(c)	For Chairing Board Meeting	20,000/- (in addition to (a) above)
(d)	For Chairing meeting of Committees	10,000/- (in addition to (b) above)

The total Sitting Fee paid to the Non-Executive Directors during the Year 2022-23 is as under:

Sr. No	Name of the Director (Shri/Smt.)	Sitting Fee paid (₹)
1	K. G. Ananthakrishnan	11,00,000/-
2	Anil Kumar Misra	25,00,000/-
3	Pankaj Joshi	25,00,000/-
4	Sanjeev Kumar Singhal	25,00,000/-
5	Gautam Guha	25,00,000/-
6	Dr. Rekha Jain	25,00,000/-

Note: No sitting fee was paid to Whole-time Directors and Director representing the Government of India during the Financial Year 2022-23.

5. विवेकाधीन अपेक्षाओं का अनुपालन

क्र. सं.	गैर अनिवार्य अपेक्षाएं	कार्यान्वयन की स्थिति
ए	बोर्ड – गैर–कार्यपालक अध्यक्ष कंपनी के व्यय पर अध्यक्ष के कार्यालय का रखरखाव करने के लिए पात्र हो सकते हैं।	बैंक के बोर्ड में गैर कार्यपालक अध्यक्ष हैं जिन्हें बैंक के व्यय पर एक कार्यालय प्रदान किया जाता है तथा उन्हें संबंधित दिशानिर्देशों और विनियमन के अनुसार अन्य व्ययों की अनुमति है।
बी	शेयरधारकों के अधिकार– पिछले छह महीनों में महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के सार सहित वित्तीय प्रदर्शन की अर्ध–वार्षिक घोषणा प्रत्येक शेयरधारक को भेजी जा सकती है।	तिमाही/वार्षिक वित्तीय परिणाम, एनएसई/बीएसई को भेजे जाते हैं, समाचार पत्रों में प्रकाशित किये जाते हैं तथा बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित किये जाते हैं। सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार वार्षिक रिपोर्ट एजीएम से पहले शेयरधारकों को भी भेजी जाती है।
सी	लेखापरीक्षा रिपोर्ट में संशोधित मत – सूचीबद्ध इकाई असंशोधित लेखापरीक्षा मत के साथ वित्तीय विवरणी की व्यवस्था की ओर बढ़ सकती है।	बैंक की वार्षिक वित्तीय विवरणी बिना शर्त है। महत्वपूर्ण लेखा नीतियों एवं लेखों पर टिप्पणियाँ अनुसूचियों में दी गई हैं जो व्याख्यात्मक प्रकृति की हैं।
डी	आंतरिक लेखापरीक्षक की रिपोर्टिंग – आंतरिक लेखा परीक्षक सीधे लेखा परीक्षा समिति को रिपोर्ट कर सकते हैं।	मुख्य महाप्रबंधक (निरीक्षण एवं लेखा परीक्षा), बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति को आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य की रिपोर्ट करते हैं।

6. कॉर्पोरेट अभिशासन अपेक्षाओं के अनुपालन का प्रकटीकरण

विषय सं.	शीर्षक/संक्षिप्त विवरण	अनुपालन की स्थिति
17	निदेशक मंडल	बैंक बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 के तहत गठित एक कॉर्पोरेट निकाय है। निदेशक मंडल की संरचना अधिनियम की धारा 9 (3) के प्रावधानों द्वारा शासित होती है, जहां केंद्र सरकार के अतिरिक्त शेयरधारकों के बीच से चुने गए दो निदेशकों को छोड़कर सभी निदेशकों को भारत सरकार द्वारा नियुक्त/नामांकित किया जाता है। इसके अलावा, बोर्ड की उप–समितियों की संरचना और दायरा भारतीय रिज़र्व बैंक/सेबी/भारत सरकार और अन्य लागू मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार है जो समरेखा रिपोर्ट में वर्णित है। बोर्ड की चर्चाओं/विचार–विमर्श का महत्वपूर्ण समय बैंक की व्यावसायिक कार्यनीति और निष्पादन, अनुपालन, शासन और जोखिम प्रोफाइल की चर्चा पर लगाया जाता है। बोर्ड की कार्यपद्धति में पारदर्शिता और स्वतंत्रता सुनिश्चित की जाती है।
18	लेखापरीक्षा समिति	पंजाब नेशनल बैंक के बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति की संरचना और विचारार्थ विषय आरबीआई के निर्देशों/दिशानिर्देशों के माध्यम से नियंत्रित होते हैं। बैंक सेबी (एलओडीआर) विनियम 18(1) बी का अनुपालन करने में असमर्थ है क्योंकि बैंक के बोर्ड में पाँच स्वतंत्र निदेशक हैं, जिनमें से दो स्वतंत्र निदेशक बोर्ड प्रबंधन समिति (एमसी) के सदस्य हैं, जो डीएफएस दिशानिर्देशों के अनुसार एसीबी के सदस्य नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा, भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, बोर्ड के गैर–कार्यकारी अध्यक्ष को बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति के सदस्य के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता है। साथ ही, आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, एसीबी की बैठक में भाग लेने वाले कम से कम दो–तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होंगे। चूंकि एसीबी के चार में से केवल दो सदस्य स्वतंत्र निदेशक हैं, आरबीआई के दिशानिर्देशों का भी बैंक द्वारा अनुपालन नहीं किया जा रहा है।
19	नामांकन और पारिश्रमिक समिति	अनुपालन किया गया
20	हितधारक संबंध समिति	अनुपालन किया गया
21	जोखिम प्रबंधन समिति	अनुपालन किया गया
22	सतर्कता तंत्र	अनुपालन किया गया
23	संबंधित पक्षों का लेनदेन	अनुपालन किया गया
24	सूचीबद्ध इकाई की सहायक कंपनी के संबंध में कॉर्पोरेट अभिशासन अपेक्षाएं	अनुपालन किया गया
24ए	सचिवीय लेखा परीक्षा	अनुपालन किया गया

5. Compliance of discretionary requirements

Sr. No.	Non Mandatory requirements	Status of implementation
A	**The Board** - A Non-Executive Chairman may be entitled to maintain a Chairman's office at the company's expense.	The Board of the Bank has a Non-Executive Chairman who is provided with an office at Bank's expense and he is allowed other expenses as per related guidelines and regulations.
B	**Shareholders' Rights** - A half-yearly declaration of financial performance including summary of the significant events in last six-months, may be sent to each household of shareholders.	The Quarterly/Annual Financial Results are submitted to NSE/BSE, published in the newspapers and placed on the Bank's website. Annual reports are also sent to the shareholders before the AGM in accordance with SEBI guidelines.
C	**Modified opinion(s) in Audit Report** - The listed entity may move towards a regime of financial statements with unmodified audit opinion.	The Bank's Annual Financial Statements are unqualified. Significant Accounting Policies and Notes to Accounts are contained in schedules, which are explanatory in nature.
D	**Reporting of Internal Auditor** - The internal auditor may report directly to the Audit Committee.	Chief General Manager (Inspection & Audit) heading the Internal Audit function reports to the Audit Committee of Board.

6. Disclosure of compliance with Corporate Governance Requirements:

Regulation No.	Title/Brief Description	Compliance Status
17	Board of Directors	The Bank is a body corporate constituted under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970. The composition of the Board of Directors is governed by the provisions of Section 9(3) of the Act, where all the Directors are appointed / nominated by the Govt. of India except the directors elected from amongst the shareholders, other than Central Government. Further, the constitution and scope of the Committees of the Board is as per extant RBI/ SEBI/GoI Guidelines and other applicable guidelines as detailed in the Report above. Significant time of the Board discussions/deliberations is spent on business strategy and execution, compliance, governance and risk management of the Bank. Transparency and independence in functioning of the Board is ensured.
18	Audit Committee	The composition & terms of reference of the Audit Committee of the Board is governed by RBI's Directives/ Guidelines. The Bank is unable to comply with Regulation 18(1)(b) of SEBI (LODR) Regulations as the Board of the Bank has five Independent Directors, out of which two Independent Directors are members of the Management Committee of Board who cannot be members of ACB as per DFS Guidelines. Further in terms of extant guidelines of the Reserve Bank of India, the Non-Executive Chairman of the Board cannot be inducted as member of the Audit Committee of the Board. Also, as per RBI guidelines, at least two-third of the members attending the meeting of the ACB shall be independent Directors. As only two out of four members of ACB are Independent Directors, RBI guidelines are also not being complied by the Bank.
19	Nomination and Remuneration Committee	Complied With
20	Stakeholders Relationship Committee	Complied With
21	Risk Management Committee	Complied With
22	Vigil Mechanism	Complied With
23	Related Party Transactions	Complied With
24	Corporate governance requirements with respect to subsidiary of listed entity	Complied With
24A	Secretarial Audit	Complied With

विषय सं.	शीर्षक / संक्षिप्त विवरण	अनुपालन की स्थिति
25	स्वतंत्र निदेशकों के संबंध में दायित्व	अनुपालन किया गया
26	वरिष्ठ प्रबंधन, प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों, निदेशकों और प्रवर्तकों सहित कर्मचारियों के विषय में दायित्व	अनुपालन किया गया
27	अन्य कॉर्पोरेट अभिशासन अपेक्षाएं	अनुपालन किया गया
46 (2) (बी) से (i) तक	वेबसाइट	अनुपालन किया गया

7. आम सभा की बैठकें

शेयरधारकों की पिछले तीन वर्षों के दौरान हुई वार्षिक आम बैठकों (एजीएम) का विवरण इस प्रकार है :

बैठक का प्रकार	दिन, दिनांक एवं समय	स्थान	उद्देश्य
19वीं एजीएम	मंगलवार, 04 अगस्त, 2020 प्रात 10.00 बजे	बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो विज़ुअल साधनों के माध्यम से बुलाई गई थी, जिसमें माना गया स्थल बैंक का प्रधान कार्यालय है।	– 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लेखा परीक्षित तुलन पत्र एवं लाभ–हानि लेखे पर परिचर्चा करना, अनुमोदन करना एवं अपनाना। – बैंक के शेयर प्रीमियम खाते से ₹ 29707.92 करोड़ की संचित हानियों का विनियोग। (विशेष संकल्प के माध्यम से पारित) – क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (क्यूआईपी) / फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर (एफपीओ) / राइट्स इश्यू या बाजार की स्थितियों के आधार पर इस प्रकार के अन्य अनुमत माध्यमों, जैसा भी उचित हो, लागू कानूनों/दिशानिर्देशों के अनुसार और अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त होने के अधीन (विशेष संकल्प से पारित) ₹ 7000.00 करोड़ तक की राशि के लिए इक्विटी शेयर पूंजी जुटाना
20वीं एजीएम	सोमवार, 26 जुलाई 2021 प्रात: 11.00 बजे	बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो विज़ुअल साधनों के माध्यम से बुलाई गई थी, जिसमें माना गया स्थल बैंक का प्रधान कार्यालय है।	– 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लेखा परीक्षित तुलन पत्र एवं लाभ–हानि लेखे पर परिचर्चा करना, अनुमोदन करना एवं अपनाना।
21वीं एजीएम	गुरुवार, 30 जून, 2022 प्रात: 11.00 बजे।	बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो विज़ुअल साधनों के माध्यम से बुलाई गई थी, जिसमें माना गया स्थल बैंक का प्रधान कार्यालय है।	– 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लेखा परीक्षित तुलन पत्र एवं लाभ–हानि लेखे पर परिचर्चा करना, अनुमोदन करना एवं अपनाना। – वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए बैंक के इक्विटी शेयरों पर लाभांश घोषित करना। – एकमुश्त प्रतिभूतियों के लेन–देन (प्रतिभूतियों की बिक्री / खरीद), मनी मार्केट लेनदेन, प्रतिभूतियों की प्रारंभिक सदस्यता, ईबीपी के माध्यम से पीएनबी एनसीडी निर्गमन में सुरक्षा व्यवस्था सेवाओं और ऐसे अन्य लेनदेन के लिए महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेनदेन पर विचार करना और अनुमोदन करना, जैसा कि पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड (सहायक), पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एसोसिएट), पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एसोसिएट) के साथ संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले नोट में प्रकट किया जा सकता है।

Regulation No.	Title/Brief Description	Compliance Status
25	Obligations with respect to Independent Directors	Complied With
26	Obligations with respect to employees including Senior Management, Key Managerial Persons, Directors and Promoters	Complied With
27	Other corporate governance requirements	Complied With
46 (2) (b) to (i)	Website	Complied With

7. General Body Meetings

The details of Annual General Meetings (AGM) of shareholders during the last three years are as follows:

Type of Meeting	Day, Date & Time	Venue	Purpose
19th AGM	Tuesday, August 04, 2020 at 10.00 a.m.	The meeting was convened through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means with the deemed venue being the Head Office of the Bank	- To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet and Profit & Loss Account of the Bank for year ended 31.03.2020. - Appropriation of accumulated losses of ₹28707.92 Crore from Share Premium Account of the Bank. (passed through special resolution) - Raising of Equity Share Capital for an amount upto ₹7000.00 Crore through Qualified Institutional Placement (QIP)/ Further Public Offer (FPO) Rights Issue or such other permitted mode as may be deemed appropriate depending upon market conditions, pursuant to applicable laws/guidelines and subject to receipt of requisite approvals. (passed through special resolution).
20th AGM	Monday, July 26, 2021 at 11.00 a.m.	The meeting was convened through Video Conferencing (VC)/Other Audio Visual Means with the deemed venue being the Head Office of the Bank	- To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet and Profit & Loss Account of the Bank for year ended 31.03.2021.
21st AGM	Thursday, June 30, 2022 at 11.00 a.m.	The meeting was convened through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means with the deemed venue being the Head Office of the Bank	- To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet and Profit & Loss Account of the Bank for year ended 31.03.2022. - To declare dividend on the equity shares of the Bank for the financial year 2021-22. - To consider and approve the Material Related Party Transaction for outright securities transactions (sale/ purchase of securities), Money Market transactions, Primary subscription of securities, Security Arranger services in PNBs NCD issuances through EBP and also such other transactions as may be disclosed in the notes forming part of the Financial Statements for the relevant Financial Year with PNB Gilts Limited (Subsidiary), PNB Housing Finance Ltd. (Associate), PNB Metlife India Insurance Company Ltd. (Associate).

बैठक का प्रकार	दिन, दिनांक एवं समय	स्थान	उद्देश्य
			– पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड (सहायक) और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एसोसिएट) के साथ ऋण और अग्रिमों के लिए महत्वपूर्ण संबंधी पक्ष लेनदेन पर विचार करना और अनुमोदन करना। – क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (एसोसिएट्स) के साथ आईबीपीसी लेनदेन के लिए महत्वपूर्ण संबंधी पक्ष लेनदेन पर विचार करना और अनुमोदन करना। – पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड (सहायक) और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एसोसिएट) के साथ चालू खातों में महत्वपूर्ण संबंधी पक्ष लेनदेन पर विचार करना और अनुमोदन करना। – यूके पीएनबी बैंक लिमिटेड (अंतर्राष्ट्रीय सहायक) और एवरेस्ट बैंक लिमिटेड (अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त उद्यम) के साथ नोस्ट्रो खाते में महत्वपूर्ण संबंधी पक्ष लेनदेन पर विचार करना और अनुमोदन करना।

असाधारण आम बैठक – 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान, बैंक के शेयर धारकों की कोई असाधारण आम बैठक आयोजित नहीं की गई।

डाक से मताधिकार का प्रयोग (पोस्टल बैलट) – बैंक ने वित्तीय वर्ष के दौरान डाक के माध्यम से मतदान का कोई कार्य नहीं किया और वर्तमान में कोई भी कार्य पोस्टल बैलट के माध्यम से कराया जाना प्रस्तावित नहीं है।

8. सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 की अनुसूची V(C)(10) के अनुसार अन्य प्रकटीकरण

8.1 वर्ष के दौरान ऐसी कोई सम्बन्धी पक्ष महत्वपूर्ण लेनदेन नहीं हुआ है जिससे कि बैंक के हितों का संभावित टकराव हो।

8.2 भारतीय रिजर्व बैंक / आईसीएआई के दिशा निर्देशों के अनुसार बैंक के सम्बन्धी पक्ष लेन–देन 31.03.2023 की स्थिति अनुसार तुलनपत्र के लेखों पर टिप्पणियों (अनुसूची 18) में दर्शाए गये हैं। संबंधित पक्ष के साथ लेन–देन करने की नीति बैंक की वेबसाइट https://www.pnbindia.in/Policies.html पर दी गयी है। यह बैंक में एक प्रमाणिक व्यवस्था है कि निदेशक बोर्ड की तथा अन्य समितियों के विचार–विमर्श में भाग नहीं लेते हैं, जब उनसे या उनके रिश्तेदारों से संबंधित मामलों पर चर्चा की जाती है।

8.3 विगत तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से संबंधित मामलों के संबंध में गैर–अनुपालन के लिए सेबी / स्टॉक एक्सचेंज द्वारा बैंक पर लगाए गए जुर्माने का विवरण निम्नानुसार हैं:

2020–21	शून्य
2021–22	शून्य
2022–23	शून्य

8.4 बैंक ने व्हीसल ब्लोअर पॉलिसी स्थापित की है और किसी भी व्यक्ति को लेखा परीक्षा समिति से संपर्क करने से नहीं रोका गया है।

8.5 विवेकाधीन और अनिवार्य अपेक्षाओं के अनुपालन की स्थिति क्रमशः बिंदु 5 और 6 पर विस्तार से दी गई है।

8.6 बैंक ने निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए एक आचार संहिता अपनाई है, जिसका विवरण बैंक की वेबसाइट_चदइपदकपं.पद पर उपलब्ध है। सभी निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन ने समीक्षा के तहत वर्ष के दौरान आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है और अनुपालन की पुष्टि के लिए रिपोर्ट के अंत में एक प्रमाणपत्र दिया है।

8.7 महत्वपूर्ण सहायक निर्धारण तथा संबंधित पक्ष लेन–देन से निपटने के लिए नीति हेतु वेब लिंक बैंक की वेबसाइट https://www.pnbindia.in/Policies.html पर उपलब्ध है।

Type of Meeting	Day, Date & Time	Value	Purpose
			- To consider and approve the Material Related Party Transactions for Loans and Advances with PNB Gilts Ltd. (Subsidiary) and PNB Housing Finance Ltd. (Associate). - To consider and approve the Material Related Party Transactions for IBPC Transactions with Regional Rural Banks (Associates). - To consider and approve the Material Related Party Transactions in the Current Accounts with PNB Gilts Ltd. (Subsidiary) and PNB Housing Finance Ltd. (Associate). - To consider and approve the Material Related Party Transactions in the Nostro Account with Druk PNB Bank Ltd. (International Subsidiary) & Everest Bank Ltd. (International Joint Venture).

Extra Ordinary General Meeting - During the financial year ended 31st March, 2023, no Extraordinary General Meeting of the shareholders of the Bank was held.

Postal Ballot - Bank has not conducted any business by way of postal ballot, during the financial year and at present no business is proposed to be conducted through postal ballot.

8. Other Disclosures as per Schedule V [C(10)] of SEBI (LODR) Regulations, 2015

8.1 There has been no significant related party transaction during the year that may have had potential conflict of interest with the Bank.

8.2 The Related Party Transactions of the Bank as per RBI/ICAI guidelines are disclosed in the Notes on Accounts (in Schedule 18) of the Balance Sheet as on 31st March, 2023. The Policy on Related Party Transactions is available on the Bank's website at https://www.pnbindia.in/Policies.html. It is customary that the Directors recuse themselves from the agenda of the Board and other Committees of the Board, when matters relating to them or their relatives are discussed.

8.3 Details of penalties imposed on the Bank by SEBI/Stock Exchanges for non-compliance in respect of matters related to Capital Market during the last three years are as under:

2020-21	Nil
2021-22	Nil
2022-23	Nil

8.4 The Bank has in place a Whistle Blower Policy and no person has been denied access to the Audit Committee.

8.5 The status of compliance of Discretionary and Mandatory requirements is detailed at Points 5 & 6, respectively.

8.6 The Bank has adopted a Code of Conduct for the Board of Directors and Senior Management, the text of which is available on the website of the Bank www.pnbindia.in. All the Directors and Senior Management have affirmed their compliance of Code of Conduct during the year under review and a Certificate affirming the same is given at the end of the Report.

8.7 The 'Policy for determination of material Subsidiary' and 'Policy on Related Party Transactions' is available on the website of the Bank at https://www.pnbindia.in/Policies.html

8.8 पण्य मूल्य जोखिम तथा पण्य हेजिंग गतिविधियाँ शून्य है।

8.9 वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान बैंक ने कोई इक्विटी पूंजी नहीं जुटाई है।

8.10 हमने व्यवहारत: कंपनी सचिव से एक प्रमाण पत्र प्राप्त किया है कि सेबी/कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय या किसी भी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा बैंक के बोर्ड में किसी भी निदेशक को कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने या बने रहने से रोका या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

8.11 यह पुष्टि की जाती है कि ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जहां बोर्ड ने बोर्ड की किसी भी समिति की सिफारिश को स्वीकार नहीं किया है, जो वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान अनिवार्यत: आवश्यक है।

8.12 बैंक और इसकी सहायक कंपनियों के सांविधिक लेखा परीक्षकों को सभी सेवाओं के लिए कुल शुल्क निम्नानुसार है:

क्र. सं.	कंपनी/सहायक कंपनियों का नाम	राशि (रु. लाख में)
1	पंजाब नैशनल बैंक	4348.92
2	पीएनबी इंटरनेशनल लिमिटेड	343.17
3	पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड	42.48
4	पीएनबी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज लिमिटेड	1.98
5	ड्रुक पीएनबी बैंक लिमिटेड	2.25
6	पीएनबी कार्ड्स एवं सेवाएँ लिमिटेड	2.85

8.13 कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के संबंध में प्रकटीकरण:

ए	वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या	16
बी	वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	13
सी	वित्तीय वर्ष 2022–23 के अंत तक लंबित शिकायतों की संख्या	3

8.14 बैंक, सेबी (एलओडीआर) विनियमों की अनुसूची V के उप–परिच्छेद (2) से (10) की कॉर्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट की आवश्यकता के अनुपालन की पुष्टि करता है।

8.15 हम पुष्टि करते हैं कि वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान बैंक की प्रतिभूतियों को ट्रेडिंग से निलंबित नहीं किया गया था।

8.16 इसके अतिरिक्त यह पुष्टि की जाती है कि:

i) बोर्ड की राय में, स्वतंत्र निदेशक सेबी एलओडीआर विनियमों में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं और प्रबंधन से स्वतंत्र होते हैं।

ii) कोई भी निदेशक आपस में संबंधित नहीं है।

iii) बैंक अपने स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचय कार्यक्रम प्रदान करता है, जिसका विवरण बैंक की वेबसाइट अर्थात https://www.pnbindia.in/ Disclosures-in-terms-of-Regulation.html पर उपलब्ध है।

8.17 किसी भी स्वतंत्र निदेशक के कार्यकाल की समाप्ति से पहले इस्तीफे देने का कोई मामला नहीं था।

8.8 Commodity Price Risks and Commodity hedging activities are Nil.

8.9 The Bank has not raised any equity capital during FY 2022-23.

8.10 A certificate from the Company Secretary in Practice has been obtained certifying that none of the Directors on the Board of the Bank have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of companies by the SEBI/Ministry of Corporate Affairs or any such Statutory Authority.

8.11 It is confirmed that there was no instance where the Board did not accept any recommendation of any Committee of the Board which is mandatorily required during the financial year 2022-23.

8.12 The total fees for all services to Statutory Auditors of the Bank and its subsidiaries is as under:

Sr. No.	Name of the Entity	Amount (Rs. in Lakhs)
1	Punjab National Bank	4348.92
2	PNB International Limited	343.17
3	PNB Gilts Limited	42.48
4	PNB Investment Services Limited	1.98
5	Druk PNB Bank Limited	2.25
6	PNB Cards and Services Ltd.	2.85

8.13 Disclosures in relation to the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013:

a.	Number of complaints filed during FY 2022-23	16
b.	Number of complaints disposed off during FY 2022-23	13
c.	Number of complaints pending as on end of the FY2022-23	3

8.14 It is confirmed that Bank is complying with the disclosure requirements in respect of Corporate Governance Report as per sub-paras (2) to (10) of Schedule V of SEBI (LODR) Regulations.

8.15 The securities of the Bank were not suspended from trading during FY 2022-23.

8.16 Further it is confirmed that:

(i) In the opinion of the Board, the Independent Directors fulfill the conditions specified in SEBI LODR Regulations and are independent of the Management.

(ii) None of the Directors are related inter-se.

(iii) The Bank imparts familiarization programmes for its Independent Directors, details of which are available on the website of the Bank i.e. at https://www.pnbindia.in/ Disclosures-in-terms-of-Regulation.html

8.17 There was no case of resignation of any Independent Director before the expiry of his/her tenure.

9. बैंक की चार घरेलू सहायक कंपनियाँ हैं, यथा:

i) पीएनबी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज लि.
ii) पीएनबी कार्ड्स एवं सेवाएं लि.
iii) पीएनबी गिल्ट्स लि.
iv) पीएनबी इंश्योरेंस ब्रोकिंग प्राइवेट लि.*

*पीएनबी इंश्योरेंस ब्रोकिंग कंपनी स्वैच्छिक परिसमापन में थी और पूंजी समाप्त हो गई थी एवं परिसमापक, समापन प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करेगा।

पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड एक सूचीबद्ध इकाई है जहां बैंक ने कंपनी के बोर्ड में दो निदेशकों को नामित किया है।

इसके अतिरिक्त, बैंक की दो अंतर्राष्ट्रीय सहायक कंपनियाँ हैं, यथा:

i) पंजाब नैशनल बैंक (इंटरनेशनल) लिमिटेड (पीएनबीआईएल), यूके
ii) ड्रुक पीएनबी बैंक लि., भूटान।

बैंक की कोई मटेरियल सहायक कंपनी नहीं है।

10. संचार माध्यम

तिमाही/वार्षिक वित्तीय परिणामों को स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई एंड बीएसई) में प्रचार के लिए भेजा जाता है। इसके अलावा, वित्तीय परिणाम प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से समाचार विज्ञप्ति के द्वारा से हितधारकों को भी सूचित किए जाते हैं।

शेयरधारकों के पत्राचार/सूचनाएं एवं वित्तीय परिणाम इत्यादि को किन्हीं दो (अंग्रेजी व हिन्दी) अत्यधिक परिचालन वाले समाचार पत्रों मुख्यतः टाईम्स ऑफ इंडिया, हिन्दुस्तान टाईम्स, बिजनेस स्टैन्डर्ड, फाइनैंशियल एक्सप्रेस, इकनॉमिक्स टाईम्स, नवभारत टाइम्स, हिन्दुस्तान, बिजनेस स्टैन्डर्ड (हिन्दी), दैनिक जागरण और जनसत्ता में प्रकाशित किए जाते हैं।

तिमाही/वार्षिक वित्तीय परिणाम और संस्थागत निवेशकों/विश्लेषकों को दिए गये प्रस्तुतियों को बैंक की वेबसाइट (www.pnbindia.in) के अतिरिक्त स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.nseindia.com और www.bseindia.com पर दर्शाया जाता है।

सेबी परिपत्र सं. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 दिनांक 13.05.2022 को ध्यान में रखते हुए वित्तीय वर्ष 2021–22 की वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतिलिपि के साथ–साथ एजीएम की सूचना केवल ईमेल के माध्यम से शेयरधारकों को भेजी गई थी और इसे स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों के अलावा बैंक की वेबसाइट पर भी दर्शाया गया था। सेबी परिपत्र सं. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 दिनांक 13.05.2022 एवं SEBI/HO/CFD/PoD&2/P/CIR/2023/4 दिनांक 05.01.2023 के अनुसरण में, वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए वार्षिक रिपोर्ट को ई–मेल के माध्यम से केवल उन शेयरधारकों को भेजी जाएगी जिन्होंने अपने ई–मेल आईडी को पंजीकृत किया है।

11. आम शेयरधारकों के लिए सूचना

11.1 बैंक के शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक:

9. The Bank has four domestic Subsidiaries, namely:

i) PNB Investment Services Ltd.
ii) PNB Cards and Services Ltd.
iii) PNB Gilts Ltd.
iv) PNB Insurance Broking Pvt. Ltd.*

*PNB Insurance Broking Company is in voluntary liquidation and capital stands extinguished and liquidator shall be completing the necessary formalities to conclude the winding up procedure.

PNB Gilts Ltd. is a listed entity where the Bank has nominated two Directors on the Board of the Company.

Further, the Bank has two international subsidiaries, namely:

i) Punjab National Bank (International) Limited (PNBIL), UK
ii) Druk PNB Bank Ltd., Bhutan.

The Bank has no material subsidiary.

10. Means of Communication

The Quarterly/Annual Financial Results are submitted to the Stock Exchanges (NSE & BSE) for dissemination. Further, the Financial Results are also communicated to the stakeholders via print and electronic media.

Shareholder communications/notices and financial Results etc. are also published in widely circulated English and Hindi newspapers viz. Times of India, Hindustan Times, Business Standard, Financial Express, Economic Times, Navbharat Times, Hindustan, Business Standard (Hindi), Dainik Jagran and Jansatta.

The Quarterly/Annual Financial Results and presentations made to Institutional Investors/Analysts are also placed on the website of the Bank (www.pnbindia.in) besides the websites of Stock Exchanges viz. www.nseindia.com and www.bseindia.com.

The electronic copies of Annual Report for FY 2021-22 interalia containing the Notice of AGM were sent to the shareholders only through email in view of SEBI Circular No.: SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated 13.05.2022 and was also hosted on the Bank's website, besides the websites of the Stock Exchanges. The Annual Report for FY 2022-23 shall be sent by email to those shareholders who have registered their email ids pursuant to SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated 13.05.2022 and SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated 05.01.2023.

11. General Shareholders' Information

11.1 Annual General Meeting of the shareholders of the Bank:

22 वीं वार्षिक आम बैठक का कार्यक्रम इस प्रकार है

दिन, तिथि व समय : एजीएम नोटिस दिए गए विवरण के अनुसार
स्थान

11.2 वित्तीय कैलेण्डर

वित्तीय वर्ष	01 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक
31 मार्च, 2023 को समाप्त तिमाही / वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के लेखा परीक्षित वित्तीय परिणामों को मंजूरी देने हेतु एवं विचार करने के लिए बोर्ड की बैठक।	शुक्रवार, 19 मई, 2023
22 वीं एजीएम की तिथि और समय	शुक्रवार, 30 जून, 2023 पूर्वाह्न 11.00 बजे।
रिकॉर्ड की गई तिथि	शुक्रवार, 23 जून, 2023
बही समापन तिथि	शनिवार, 24 जून, 2023 से शुक्रवार, 30 जून, 2023 तक (दोनों दिन सम्मिलित)
ई–वोटिंग के लिए कट–ऑफ की दिनांक	शुक्रवार, 23 जून, 2023
ई–वोटिंग की अवधि	मंगलवार, 27 जून, 2023 (सुबह 9:00 बजे) और गुरुवार, 29 जून, 2023 (शाम 5:00 बजे) को समाप्त होगी।

11.3 वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए लाभांश का ब्यौरा –

(i) लाभांश – बैंक के निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए ₹ 0.65 प्रति इक्विटी शेयर ₹2/– के लाभांश की सिफारिश की है, जो कि बैंक की चुकता इक्विटी पूंजी का 32.5% है।

(ii) लाभांश वितरण नीति:– बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक/ भारत सरकार/ सेबी के दिशानिर्देशों के आधार पर एक लाभांश वितरण नीति तैयार की है जो बैंक की वेबसाइट https://www.pnbindia.in/Regulatory.html पर उपलब्ध है।

11.4 स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीकरण

बैंक के शेयर निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध हैं–

स्टॉक एक्सचेंज	स्टॉक कोड	सूचीकरण की आरंभिक तिथि
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि.(एनएसई) बान्द्रा – कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई	पीएनबी	24.04.2002
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड.(बीएसई) पी.जे. टॉवर्स , दलाल स्ट्रीट, मुंबई	532461	25.04.2002

11.5 सूचीकरण शुल्क

आज की तिथि तक एनएसई तथा बीएसई को वार्षिक सूचीकरण शुल्क का भुगतान किया गया है।

The following is the schedule of the 22nd Annual General Meeting:

Day, Date , Time & Venue : As per details given in AGM Notice

11.2 Financial Calendar

Financial Year	01st April 2022 to 31st March, 2023
Board Meeting for inter alia considering and approving the Audited Financial Results of the Bank for the quarter/financial year ended 31st March, 2023	Friday, 19th May, 2023
Date & Time of the 22nd AGM	Friday, 30th June, 2023 at 11.00 a.m.
Record Date	Friday, 23rd June, 2023
Book Closure Dates	From Saturday, 24th June, 2023 to Friday, 30th June, 2023 (both days inclusive)
Cut-off Date for E-voting	Friday, 23rd June, 2023
E- voting period	Tuesday, 27th June, 2023 (9:00 a.m.) and ends on Thursday, 29th June, 2023 (5:00 p.m.)

11.3 Dividend details - Financial Year 2022-23

(i) Dividend: - The Board of Directors of the Bank has recommended a dividend of Rs.0.65 per equity share of ₹ 2/- each i.e. 32.5% of the paid up equity capital of the Bank for FY 2022-23.

(ii) Dividend Distribution Policy: - The Bank has formulated a Dividend Distribution Policy based on RBI/Government of India / SEBI Guidelines which is available at Bank's website at https://www.pnbindia.in/Policies.html

11.4 Listing on Stock Exchanges:

The shares of the Bank are listed on the following Stock Exchanges:

Stock Exchanges	Stock Code	Date of Initial Listing
National Stock Exchange of India Ltd. (NSE) Bandra - Kurla Complex, Mumbai	PNB	24.04.2002
Bombay Stock Exchange Ltd. (BSE) P. J. Towers, Dalal Street, Mumbai	532461	25.04.2002

11.5 Payment of Listing Fee

The annual listing fee to NSE & BSE has been paid up to date.

11.6 बही बन्दी करने की तिथियाँ – एजीएम नोटिस में दिए गए विवरण के अनुसार

11.7 बाजार मूल्य (₹)डाटा:बैंक के शेयरों का प्रदर्शन

माह	एनएसई			बीएसई			संयुक्त मात्रा
	उच्च	न्यून	मात्रा	उच्च	न्यून	मात्रा	
अप्रैल –22	38.50	34.80	646982401	38.45	34.80	59496028	706458429
मई –22	36.45	28.45	909076394	36.45	28.50	85900456	994976850
जून –22	32.25	28.05	440130993	32.25	28.05	38671346	478802339
जुलाई –22	33.45	28.75	474425267	33.40	28.75	40673543	515098810
अगस्त –22	36.50	31.35	738400844	36.50	31.35	59330227	797731071
सितम्बर –22	41.65	34.25	1421313309	41.60	34.25	120319143	1541632452
अक्टूबर –22	44.80	35.35	1262485458	44.80	35.35	102530053	1365015511
नवम्बर –22	55.65	38.00	2676861899	55.65	38.95	165184990	2842046889
दिसंबर –22	62.00	49.15	3229375945	62.05	49.10	231999201	3461375146
जनवरी –23	59.45	49.10	1818718513	59.45	49.15	138352467	1957070980
फरवरी –23	54.40	47.20	1207501921	54.40	47.20	92499379	1300001300
मार्च –23	52.45	44.40	910030287	52.41	44.41	67797310	967827597
कुल			15736283231			1222754142	16958037374

*स्रोत – एनएसई / बीएसई वेबसाइट (www-nseindia-com / www-bseindia-com)

वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक के शेयर का मूल्य न्यूनतम ₹28.05 तथा अधिकतम ₹62.05 के बीच ट्रेड हुआ तथा शेयर के फ्लोटिंग स्टॉक 295.69 करोड़ की तुलना में एनएसई एवं बीएसई में कारोबार की कुल मात्रा 1695.80 करोड़ शेयर रही।

11.8 बैंक निफ्टी की तुलना में बैंक के शेयर मूल्य का प्रदर्शन:

बैंक निफ्टी की तुलना में बैंक के शेयर का ग्राफ के रूप में चित्रण नीचे दिया गया है.

11.6 Dates of Book Closure - As per details given in the AGM Notice

11.7 Market Price (₹) Data / Performance of Bank's shares*

Month	NSE			BSE			COMBINED VOLUME
	HIGH	LOW	VOLUME	HIGH	LOW	VOLUME	
Apr-22	38.50	34.80	646982401	38.45	34.80	59496028	706468429
May-22	36.45	28.45	909076394	36.45	28.50	85900458	994976890
Jun-22	32.25	28.05	440130993	32.25	28.05	38671346	478802339
Jul-22	33.45	28.75	474425267	33.40	28.75	40673543	515098810
Aug-22	38.50	31.35	738400844	38.50	31.35	59330227	797731071
Sep-22	41.65	34.25	1421313309	41.60	34.25	120319143	1541632452
Oct-22	44.80	35.35	1262485458	44.80	35.35	102530053	1365015511
Nov-22	55.65	38.00	2676861899	55.65	38.95	165184990	2842046889
Dec-22	62.00	49.15	3229375945	62.05	49.10	231998201	3461375146
Jan-23	59.45	49.10	1818718513	59.45	49.15	138352467	1957070980
Feb-23	54.40	47.20	1207501921	54.40	47.20	92499379	1300001300
Mar-23	52.45	44.40	910030287	52.41	44.41	87797310	997827597
TOTAL			15736283231			1222754143	16958037374

*Source - NSE/BSE website (www.nseindia.com / www.bseindia.com)

The shares of the Bank were traded between a low of ₹28.05 and high of ₹62.05 during the financial year and total volume traded at NSE & BSE was 1695.80 Crore shares as against the floating stock of 295.69 Crore shares.

11.8 Performance of Bank's share price in comparison with Bank Nifty.

The graphical depiction of performance of Bank's share vis-à-vis Bank Nifty is given below:

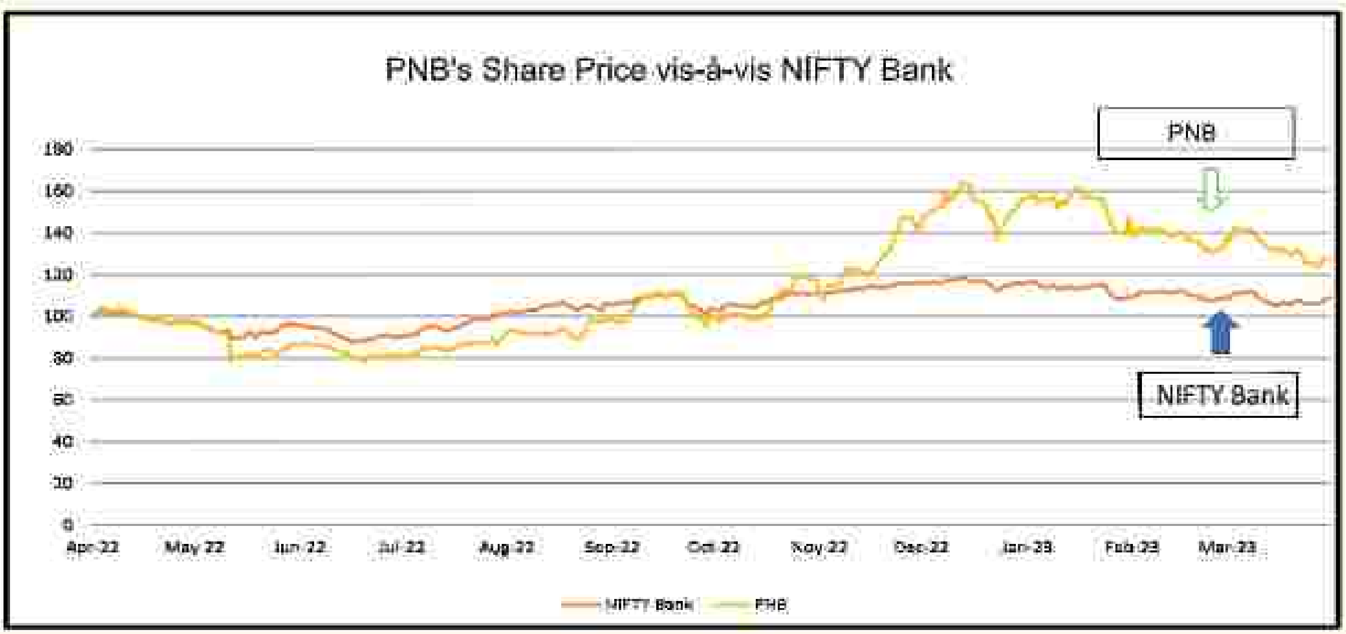

11.9 प्रति शेयर आंकड़ा:

	2020–21	2021–22	2022–23
अंकित मूल्य (₹)	2/–	2/–	2/–
31 मार्च की समाप्ति पर एनएसई (₹)	36.65	35.05	48.60
आय प्रति शेयर(₹)	2.06	3.16	2.28
2/– रु. प्रति इक्विटी शेयर पर लाभांश	शून्य	0.64	0.65
लाभांश (₹)	शून्य	32%	32.5%
बही मूल्य (₹)	53.07	54.77	60.70
प्रदत्त लाभांश (निवल लाभ का%)	शून्य	20.39%	28.55%

11.10 शेयर अंतरण एजेंट (एसटीए)

मैसर्स बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज (प्रा.) लि. एक सेबी पंजीकृत रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट है, बैंक के शेयर अंतरण एजेंट के रूप में 01.01.2013 से नियुक्त किए गए हैं। एसटीए का सम्पर्क विवरण निम्नानुसार है:

बीटल फाइनेंसियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज (प्रा.) लि. (यूनिट : पीएनबी)
'बीटल हाउस', तृतीय तल,
99, मदनगीर, स्थानीय शॉपिंग सेंटर के पीछे,
नई दिल्ली – 110062
दूर. सं. – 011–29961281 / 82 / 83, फैक्स : 011–29961284
ई–मेल – beetalrta@gmail.com

11.11 शेयर अंतरण पद्धति

(i) भारतीय विनिमय और प्रतिभूति बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमन, 2015 के विनियम 40(1) यथा संशोधित के अनुसार, 01 अप्रैल, 2019 से प्रतिभूतियों का अंतरण केवल अमूर्तिकृत रूप में ही किया जा सकता है, प्रतिभूतियों के प्रेषण (ट्रांसमिशन) या पक्षांतरण (ट्रांसपोजीशन) के अनुरोध के मामलों को छोड़कर। जिन शेयरधारकों के पास भौतिक रूप में शेयर हैं उनसे अपनी शेयर होल्डिंग को अमूर्त रूप में बदलने पर विचार करने का अनुरोध किया जाता है।

(ii) भौतिक शेयरों का प्रेषण या पक्षांतरण लागू कानूनों / दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया था।

(iii) इलेक्ट्रॉनिक रूप में इक्विटी शेयरों का अंतरण बैंक की भागीदारी के बिना निक्षेपागारों अर्थात् राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (एनएसडीएल) और केन्द्रीय प्रतिभूति सेवाएं लिमिटेड (सीडीएसएल) के माध्यम से किया जाता है।

(iv) शेयरधारकों से अमूर्त रूप में रखे गए शेयरों के लिए पते और / या बैंक शासनादेश (बैंक का नाम, पता, खाता संख्या, माइकर कोड इत्यादि) में किसी भी परिवर्तन के मामले में रिकॉर्ड अद्यतित करने के लिए अपने निक्षेपागार सहभागी (डीपी) को सीधे सूचित करने का अनुरोध किया जाता है।

11.9 Per Share Data:

	2020–21	2021–22	2022–23
Face Value (₹)	2/-	2/-	2/-
Closing as on 31st March -NSE (₹)	36.65	35.05	48.60
Earnings per share (₹)	2.06	3.16	2.28
Dividend per Equity Share of ₹2/- each	Nil	0.64	0.65
Dividend (₹)	Nil	32%	32.5%
Book Value (₹)	53.07	54.77	60.70
Dividend payout (% of Net Profit)	Nil	20.39%	28.55%

11.10 Share Transfer Agent (STA)

M/s Beetal Financial & Computer Services (P) Ltd., a SEBI registered Registrar and Share Transfer Agent is the STA of the Bank since 01.01.2013. The contact details of the STA are given below:

Beetal Financial & Computer Services (P) Limited (Unit: PNB)
'Beetal House', 3rd Floor
99, Madangir, Behind Local Shopping Centre
New Delhi - 110062
Tel. No. 011-29961281/82/83, Fax: 011-29961284
e-mail: beetalrta@gmail.com

11.11 Share Transfer System

(i) In terms of Regulation 40(1) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, as amended, securities can be transferred only in dematerialized form w.e.f. April 1, 2019, except in case of request received for transmission or transposition of securities. Shareholders holding shares in physical form are requested to convert their holdings to dematerialized form.

(ii) The transmission or transposition of physical shares was effected in accordance with the applicable laws/guidelines.

(iii) Transfer of equity shares in electronic form is effected through the Depositories i.e. National Securities Depository Ltd. (NSDL) and the Central Depository Services Ltd. (CDSL) with no involvement of the Bank.

(iv) For shares held in dematerialized form, shareholders are requested to inform their Depository Participant(s) (DP) directly for updating the records in case of any change in address and/or Bank mandate (Name of Bank, Address, Account No, MICR Code etc.).

(v) सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने भौतिक रूप में बैंक के शेयर रखने वाले शेयरधारकों को उनके संपर्क विवरण, बैंक खाते के विवरण, नामांकन आदि को अद्यतन करने के अनुरोध के साथ आवश्यक प्रपत्रों सहित पत्र भेजे हैं।

11.12 इलेक्ट्रानिक वोटिंग:

शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपना नवीनतम ईमेल आईडी अपने डिपाजिटरी सहभागी या एसटीए, जैसी भी स्थिति हो, के पास पंजीकृत करवा लें ताकि वे रिमोट ई–वोटिंग सुविधा के लिए सक्षम हो सकें।

11.13 पीएनबी अदावी शेयर (उचंत) खाते: सेबी (एलओडीआर) विनियमन 2015 के अनुसार अदावी शेयरों का ब्यौरा निम्नानुसार है:–

क्र. सं.	विवरण	एफपीओ (2005)		आईपीओ (2002)		समामेलन के अनुसरण में दावा न किए गए शेयर		कुल	
		शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या
1	वर्ष के प्रारम्भ अर्थात 01.04.2022 को बकाया (अंकित मूल्य रु.2/- प्रत्येक)	381	59975	58	33500	54	1323	493	94798
2	वर्ष के दौरान शेयर अंतरण के लिए संपर्क करने वाले शेयरधारकों की संख्या	-	-	-	-	-	-	-	-
3	वर्ष के दौरान शेयरधारकों की संख्या जिनको शेयर अंतरित किए गए	-	-	-	-	-	-	-	-
4	वर्ष के अंत अर्थात 31.03.2023 (1–3) को बकाया	381	59975	58	33500	54	1323	493	94798

#शेयर पूर्ववर्ती ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स और पूर्ववर्ती यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के पास पड़े अदावी शेयरों से संबंधित हैं और 01.04.2020 को पंजाब नेशनल बैंक में दोनों बैंकों के समामेलन पर पीएनबी द्वारा जारी किए गए हैं।

*यह प्रमाणित किया जाता है कि इन शेयरों पर वोटिंग अधिकार तब तक फ्रीज रहेगा जब तक कि इन शेयरों का असली स्वामी दावा नहीं करता।

(v) In accordance with SEBI Guidelines, the Bank has sent letters along with the requisite forms to the shareholders holding shares of the Bank in physical form with a request to update their contact details, Bank account details, nomination etc.

11.12 Electronic Voting:

Shareholders are requested to register their latest email IDs with their Depository Participant(s) or the STA, as the case may be, for enabling remote e-voting facility.

11.13 PNB-Unclaimed Shares (Suspense) A/c: The details of unclaimed shares as per SEBI (LODR) Regulations, 2015 is as under: -

Sr. No	Particulars	FPO (2005)		IPO (2002)		Unclaimed shares issued pursuant to Amalgamation#		TOTAL	
		No. of Share-Holders	No. of Shares	No. of Share-Holders	No. of Shares	No. of Share-Holders	No. of Shares	No. of Share-Holders	No. of Shares
1	Opening at the beginning of the year i.e. 01.04.2022 (Face Value Rs. 2/- each)	381	59975	58	33500	54	1323	493	94798
2	No. of shareholders who approached for transfer of shares during the year	-	-	-	-	-	-	-	-
3	No. of shareholders to whom shares were transferred during the year	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Outstanding at the end of the year i.e. 31.03.2023 (1-3)	381	59975	58	33500	54	1323	493	94798

These shares relate to the unclaimed shares lying with the erstwhile Oriental Bank of Commerce and erstwhile United Bank of India and issued by PNB pursuant to amalgamation of both the Banks into Punjab National Bank on 01.04.2020.

It is certified that the voting rights on these shares remain frozen till the rightful owner claims the said shares.

11.14 दिनांक 31 मार्च 2023 की स्थिति अनुसार शेयरधारिता तथा वितरण पैटर्न:

(i) शेयरधारिता पैटर्न

शेयरधारकों की श्रेणी	धारित इक्विटी शेयर का %
भारत के राष्ट्रपति	73.15
एफआईआई/एफआईआई/ओसीबी	1.95
बैंक/वित्तीय संस्थाएं/बीमा कम्पनियां	8.90
म्युचुअल फण्ड	4.63
घरेलू कम्पनियां/ट्रस्ट	0.70
भारतीय जनसाधारण/निवासी व्यक्ति/एचयूएफ	10.55
समाशोधन सदस्य	0.12
कुल	100.00

(ii) दिनांक 31.03.2023 को शेयरधारकों की संख्या: 21, 20,814

(iii) प्रत्येक इक्विटी शेयर का सांकेतिक मूल्य (₹) 2/—

iv) वितरण पैटर्न:

शेयरधारकों की संख्या	कुल का प्रतिशत	अंकित मूल्य की शेयरधारिता (रु. में)	इक्विटी शेयरों की संख्या	राशि (रु. में)	कुल का प्रतिशत
2039724	96.1785	5000 तक	480752043	961504086	4.3661
49529	2.3354	5001 से 10000	177087350	354174700	1.6083
18102	0.8535	10001 से 20000	132731973	265463946	1.2054
5048	0.2380	20001 से 30000	62718150	125436300	0.5695
2849	0.1343	30001 से 40000	50454131	100908262	0.4582
1356	0.0639	40001 से 50000	31113474	62226948	0.2826
2424	0.1143	50001 से 100000	85825223	171650446	0.7794
1782	0.0840	100001 एवं इससे अधिक	9990333214	19980666428	90.7304
कुल 2120814	100.00		11011015558	22022031116	100.00

v) दिनांक 31.03.2023 को भौगोलिक आधार पर शेयरधारकों की स्थिति:

	इलैक्ट्रॉनिक				भौतिक रूप में				कुल			
शहर का नाम	धारक	प्रतिशत	शेयर	प्रतिशत	धारक	प्रतिशत	शेयर	प्रतिशत	धारक	प्रतिशत	शेयर	प्रतिशत
अहमदाबाद	62331	2.51	38004296	0.35	677	2.07	98321	1.13	63008	2.50	38182617	0.35
बैंगलोर	50335	2.41	35857034	0.33	678	2.08	210236	2.41	51013	2.41	36067270	0.33
चेन्नई	37288	1.79	33034847	0.30	897	2.75	386441	4.43	38185	1.80	33424528	0.30
दिल्ली	140458	6.73	8200554273	74.54	4510	13.82	1006985	11.53	144968	6.84	8201561258	74.49
हैदराबाद	34128	1.63	26132977	0.24	627	1.92	184100	2.11	34755	1.64	26317077	0.24
कोलकाता	62989	3.02	73120767	0.66	1263	3.87	306617	3.51	64252	3.03	73427384	0.67
मुम्बई	142748	6.84	1852020609	16.83	2406	7.37	588059	6.74	145154	6.84	1852608668	16.83
एनसीआर (अन्य)	64304	3.08	65806019	0.60	917	2.81	221362	2.54	65221	3.08	660027381	0.60
अन्य	1503606	72.01	677691069	6.16	20652	63.30	5727906	65.61	1524258	71.87	683418975	6.21
कुल	2088187	100.00	11002285531	100.00	32627	100.00	8730027	100.00	2120814	100.00	11011015558	100.00

11.14 Shareholding and Distribution Pattern as on 31st March 2023:

I) Shareholding Pattern

Shareholders' Category	Percentage of Equity shares held
President of India	73.15
FIIs/NRIs/OCBs	1.96
Banks/Financial Institutions/ Insurance Companies	8.90
Mutual Funds	4.63
Domestic Companies/Trusts	0.70
Indian Public/Resident Individuals/HUF	10.55
Clearing Members	0.12
Total	100.00

ii) Number of shareholders as on 31.03.2023 21,20,814

iii) Nominal value of each equity share (₹) 2/-

iv) Distribution Pattern:

No. of Shareholders	Percentage of Total	Shareholding of Nominal Value of (₹)	No. of Equity Shares	Amount (₹)	Percentage to Total
2039724	96.1785	upto 5000	480752043	961504086	4.3661
49529	2.3354	5001 to 10000	177087350	354174700	1.6083
18102	0.8535	10001 to 20000	132731973	265463946	1.2054
5048	0.2380	20001 to 30000	62718150	125436300	0.5695
2849	0.1343	30001 to 40000	50454131	100908262	0.4582
1356	0.0639	40001 to 50000	31113474	62226948	0.2826
2424	0.1143	50001 to 100000	85825223	171650446	0.7794
1782	0.0840	100001 and above	9990333214	19980666428	90.7304
Total 2120814	100.00		11011015558	22022031116	100.00

v) Geographical spread of shareholders as on 31.03.2023:

	ELECTRONIC				PHYSICAL				TOTAL			
CITY NAME	HOLDERS	%	SHARES	%	HOLDERS	%	SHARES	%	HOLDERS	%	SHARES	%
AHMEDABAD	52331	2.51	38084296	0.35	677	2.07	98321	1.13	53008	2.50	38182617	0.35
BANGALORE	50335	2.41	35857034	0.33	678	2.08	210236	2.41	51013	2.41	36067270	0.33
CHENNAI	37288	1.79	33034847	0.30	897	2.75	386441	4.43	38185	1.80	33424528	0.30
DELHI	140458	6.73	8200554273	74.54	4510	13.82	1006985	11.53	144968	6.84	8201561258	74.49
HYDERABAD	34128	1.63	26132577	0.24	627	1.92	184100	2.11	34755	1.64	26317077	0.24
KOLKATA	62989	3.02	73120767	0.66	1263	3.87	306617	3.51	64252	3.03	73427384	0.67
MUMBAI	142748	6.84	1852020609	16.83	2406	7.37	588059	6.74	145154	6.84	1852608658	15.83
NCR (OTHERS)	64304	3.08	65806019	0.60	917	2.81	221362	2.54	65221	3.08	66027381	0.60
OTHERS	1503606	72.01	677691069	6.16	20652	63.30	5727906	65.61	1524258	71.87	683418975	6.21
TOTAL	**2088187**	**100.00**	**11002285531**	**100.00**	**32627**	**100.00**	**8730027**	**100.00**	**2120814**	**100.00**	**11011015558**	**100.00**

vi) दिनांक 31.03.2023 को शेयरधारकों द्वारा भौतिक रूप में तथा डीमेट रूप में धारित शेयरों का विवरण:

क्र. सं.	विवरण	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का %
1	भौतिक रूप में	32627	8730027	0.08
2	डीमेट रूप में	2088187	11002285531	99.92
i)	एनएसडीएल	661816	2308127853	20.96
ii)	सीडीएसएल	1426371	8694157678	78.96
	कुल (1+2)	2120814	11011015558	100.00

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान बैंक ने कोई भी जीडीआर / एडीआर / वारंट अथवा कोई भी परिवर्तनीय लिखत जारी नहीं किया है तथा 31.03.2023 को कोई जीडीआर / एडीआर / वारंट या कोई परिवर्तनीय लिखत बकाया नहीं है।

11.15 पण्य कीमत जोखिम शून्य है। विदेशी विनिमय जोखिम व हैजिंग से संबंधित गतिविधियों के संबंध में:

- बैंक में एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रभाग (आईआरएमडी), मिड ऑफिस द्वारा बनाए गए विवेकपूर्ण दिशानिर्देश बैंक के दिशानिर्देश के समानांतर बोर्ड द्वारा अनुमोदित निवेश नीति है जोकि विभिन्न सीमाओं जैसे कट लॉस / लाभ सीमाएं अपनाना (डीलर / करेंसी आधारित) ओवरनाइट / फॉर्वर्ड ओपन स्थिति इत्यादि को निर्धारित करके संभावित भावी हानि को परिभाषित करती है। दिन के दौरान ओपन स्थिति के साथ डे लाइट ओपन स्थिति सीमा निर्धारित करके विनिमय जोखिम का समाधान भी किया जाता है। विभिन्न परिपक्वता अवधि में विदेशी मुद्रा नकदी प्रवाह में अंतर के कारण उत्पन्न विदेशी विनिमय जोखिम का समाधान आईजीएल, एजीएल और वीएआर जैसी सीमाओं द्वारा किया जाता है तथा मिड ऑफिस, आईआरएमडी द्वारा उनकी निगरानी की जाती है।
- सभी मर्चेंट (आयात / निर्यात / आवक प्रेषण / जावक प्रेषण) आधारित लेनदेन अंतर बैंक बाजार में ओटीसी व्युत्पन्नी (स्वैप व फॉरवर्ड) के माध्यम से रक्षित किए जाते हैं।
- एफसीएनआर / ईईएफसी / आरएफसी के माध्यम से सृजित यूएसडी निधि को स्वाभाविक रूप से रक्षित किया जाता है, जैसे ही उसी मुद्रा में निधियों का आगमन और बहिर्गमन होता है। यूएसडी के अलावा उपर्युक्त जमाएं मुद्रा स्वैप तंत्र के माध्यम से यूएसडी में परिवर्तित होती हैं और स्वैप लागत को ध्यान में रखते हुए लाभ के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।
- बैंक के पास एक सुदृढ़ व सुपरिभाषित एमआईएस है जिसके माध्यम से दैनिक गतिविधियों को प्रत्येक दिन सभी स्तर पर उच्च प्रबन्धन के समक्ष रखा जाता है, जिसे निवेश नीति में परिभाषित किया गया है।

11.16 प्लांट का स्थान: लागू नहीं

11.17 इक्विटी संबंधी मामलों में पत्राचार हेतु पता:

कम्पनी सचिव
पंजाब नैशनल बैंक
शेयर विभाग, द्वितीय तल, पश्चिम विंग, प्लॉट सं.4, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075
दूरभाष सं. 011- 28044857
ई-मेल : hosd@pnb.co.in

vi) Details of shares held by the Shareholders in Physical & Dematerialized form as on 31.03.2023

Sr. No.	Particulars	No. of Shareholder	No. of Shares	Percentage of Shareholding
1	Physical	32627	8730027	0.08
2	Dematerialized	2088187	11002285531	99.92
i)	NSDL	661816	2308127853	20.96
ii)	CDSL	1426371	8694157678	78.96
	Total (1+2)	2120814	11011015558	100.00

The Bank has not issued any GDRs/ADRs/Warrants or any convertible instruments during the financial year 2022-23 and there are no outstanding GDRs/ADRs/Warrants or any convertible instruments as on 31.03.2023.

11.15 Commodity Price Risk is Nil. As regards foreign exchange risk and hedging activities:

- The Bank has in place a Board approved Investment Policy in line with the prudential guidelines/ Bank's Guidelines framed by Mid Office, Integrated Risk Management Division (IRMD) which defines potential future losses by fixing various limits such as cut loss/take profit limits (Dealer wise/ Currency wise), Overnight/forward open positions etc. Exchange risk associated with intraday open position is also addressed by fixing Daylight Open Position limit. Foreign Exchange risk arising due to mismatch of foreign currency cash flow in different maturity buckets are addressed by limits such as IGL, AGL and VaR fixed and monitored by Mid Office, IRMD.
- All merchant (Export/Import/ Inward remittance/ Outward remittance) based transactions are hedged through OTC derivatives (swap and forward) in Interbank market.
- USD funds generated through FCNR/EEFC/RFC are naturally hedged as inflow and outflow of fund takes place in the same currency. Aforesaid deposits other than USD are converted into USD through currency swap mechanism and deployed profitably after taking swap cost into account.
- Bank has a robust and well defined MIS through which activities are placed before Top Management at all levels every day which has been defined in the Investment Policy.

11.16 Plant Location: N.A.

11.17 Address for Correspondence in respect of equity related issues:

The Company Secretary
Punjab National Bank
Share Department, 2nd Floor,
West Wing, Plot No.4, Sector-10, Dwarka, New Delhi - 110075
Tel. No. 011- 28044857
E-mail id: hosd@pnb.co.in

11.18 ऑनलाईन शिकायत निवारण प्रणाली:

बैंक शेयरधारकों के प्रश्नों / शिकायतों के समाधान के लिए एक ऑनलाइन पूछताछ / परिवाद / शिकायत निवारण प्रणाली प्रदान करता है। प्रणाली के अंतर्गत, शेयरधारक बैंक की वेबसाईट www.pnbindia.in पर उपलब्ध कराए गए पोर्टल के माध्यम से Investor info - > others - > Online Shareholder queries/requests/grievances के अंतर्गत अपनी पूछताछ / शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शेयरधारक दर्ज करने की तिथि से लेकर उसके निपटान की तिथि तक शिकायत की स्थिति को देख सकते हैं।

11.19 सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

वित्त वर्ष 2022–23 हेतु सचिवीय लेखा परीक्षा के लिए, बैंक ने मैसर्स एसजीएस एसोसिएट्स एलएलपी (प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, नई दिल्ली) को नियुक्त किया था। सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट को कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट के अंत में संलग्न किया गया है।

11.20 डिबेंचर न्यासी (यों) : बैंक द्वारा जारी बॉन्ड के लिए डिबेंचर न्यासी निम्नलिखित हैं:

i) आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड:
यूनिवर्सल इंश्योरेंस बिल्डिंग, भूतल,
सर पी एम रोड, फोर्ट,
मुंबई – 400001
टेली : (91) (22) 40807000
ईमेल आईडी: itsl@idbitrustee.com
वेबसाईट: www.idbitrustee.com

ii) एसबीआईकैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड:
मिस्त्री भवन, चतुर्थ तल, 122 दिनशॉ वच्छा रोड,
चर्चगेट, मुंबई– 400020,
टेली. (91) (22) 4302 5503
ईमेल आईडी: corporate@sbicaptrustee.com
वेबसाईट: www.sbicaptrustee.com

iii) एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड:
रूबी, दूसरी मंजिल, एस डब्लू,
29, सेनापति बापट मार्ग, दादर पश्चिम,
मुंबई– 400 028.
टेली: (91) (22) 6230 0451
वेबसाईट: www.axistrustee.in

11.21. संशोधन के साथ सभी क्रेडिट रेटिंग्स की सूची:

I) बैंक की क्रेडिट रेटिंग:

रेटिंग एजेंसी	रेटिंग
मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विसेज	Baa3/P-3/Stable
फिच रेटिंग्स	BBB-/F3/Stable

11.18 Online grievance redressal system:

The Bank provides an online query/grievance/complaint redressal system for resolving the shareholders' queries/grievances. Under this system, the shareholder may log in their query/complaint through the Portal provided on Bank's website www.pnbindia.in under Investor info - > others - > Online Shareholder queries/requests/grievances. The shareholder will be able to view status of the same from the date of lodging till its resolution.

11.19 Secretarial Audit Report:

For conducting the Secretarial Audit for FY 2022-23, the Bank has appointed M/s SGS Associates LLP (Practicing Company Secretary, New Delhi). The Secretarial Audit Report is annexed at the end of the Corporate Governance Report.

11.20 Debenture Trustee(s): The following are the Debenture Trustee(s) for the Bonds issued by the Bank

i) IDBI Trusteeship Services Ltd:
Universal Insurance Building, Ground Floor,
Sir P M Road, Fort,
Mumbai - 400001
T: (91) (22) 40807000
Email id: itsl@idbitrustee.com
Website: www.idbitrustee.com

ii) SBICAP Trustee Company Ltd:
Mistry Bhavan, 04th Floor, 122 Dinshaw Vachha Road,
Churchgate, Mumbai- 400020
T: (91) (22) 4302 5503
Email id: corporate@sbicaptrustee.com
Website: www.sbicaptrustee.com

iii) Axis Trustee Services Ltd.:
The Ruby, 2nd Floor, SW, 29,
Senapati Bapat Marg, Dadar West,
Mumbai - 400028
T: (91) (22) 6230 0451
Website: www.axistrustee.in

11.21 List of all credit ratings along with revisions thereto:

I) Credit Rating of the Bank:

Rating Agency	Rating
Moody's Investors Services	Baa3/P-3/Stable
Fitch Ratings	BBB-/F3/Stable

ii) वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान सभी घरेलू ऋण लिखत (सावधि जमा को छोड़कर) के लिए बैंक द्वारा लिए गए क्रेडिट रेटिंग का विवरण

(ii) Details of Credit Rating obtained by the bank during FY 2022-23 for all domestic debt instruments (other than Fixed Deposits)

क्र. सं. Sr. No.	लिखित/ Instrument	श्रृंखला/ Series	आईएसआईएन/ ISIN	केयर/ CARE	आईसीआरए/ ICRA		इंडिया रेटिंग / INDIA RATING				ब्रिकवर्क / BRICKWORK		क्रिसिल /CRISIL
				22-11-2022	08-06-2022	22-11-2022	22-06-2022	08-09-2022	09-11-2022	25-11-2022	16-05-2022	17-11-2022	22-06-2022
1	एटी/AT-1	श्रृंखला/ Series VII	INE160A08076	AA/ Positive			AA+/ Stable	AA+/ Stable	AA+/ Stable	AA+/ Stable	AA+/ Stable		
2	एटी/AT-1	श्रृंखला/ Series XII	INE160A08183	AA/ Positive			AA+/ Stable	AA+/ Stable	AA+/ Stable	AA+/ Stable	AA+/ Stable	AA+/ Stable	
3	एटी/AT-1	श्रृंखला/ Series XIII	INE160A08209		AA/ Positive	AA/ Positive	AA+/ Stable	AA+/ Stable	AA+/ Stable	AA+/ Stable	AA+/ Stable		AA/ Stable
4	एटी/AT-1	श्रृंखला/ Series XIV	INE160A08217				AA+/ Stable	AA+/ Stable	AA+/ Stable	AA+/ Stable	AA+/ Stable		AA/ Stable
5	एटी/AT-1	श्रृंखला/ Series XV	INE160A08225					AA+/ Stable	AA+/ Stable	AA+/ Stable	AA+/ Stable		AA/ Stable
6	एटी/AT-1	श्रृंखला/ Series XVI	INE160A08233			AA+/ Stable			AA+/ Stable	AA+/ Stable	AA+/ Stable		
7	एटी/AT-1	श्रृंखला/ Series XVII	INE160A08258	AA/ Positive						AA+/ Stable	AA+/ Stable		
8	एटी/AT-1	श्रृंखला/ Series XVIII	INE160A08266	AA/ Positive							AA+/ Stable		
9	टीयर/ Tier II बेसल Basel - III	श्रृंखला/ Series XIV	INE160A08019		AA+/ Stable	AA+/ Stable							AA+/ Stable
10	टीयर/ Tier II बेसल/ Basel -III	श्रृंखला/ Series XV	INE160A08027				AAA/ Stable	AAA/ Stable	AAA/ Stable	AAA/ Stable	AAA/ Stable		AA+/ Stable
11	टीयर/ Tier II बेसल/ Basel -III	श्रृंखला/ Series XVI	INE160A08035				AAA/ Stable	AAA/ Stable	AAA/ Stable	AAA/ Stable	AAA/ Stable		AA+/ Stable
12	टीयर/ Tier II बेसल/ Basel - III	श्रृंखला/ Series XVII	INE160A08043				AAA/ Stable	AAA/ Stable	AAA/ Stable	AAA/ Stable	AAA/ Stable		AA+/ Stable
13	टीयर/ Tier II बेसल/ Basel - III	श्रृंखला/ Series XVIII	INE160A08050				AAA/ Stable	AAA/ Stable	AAA/ Stable	AAA/ Stable	AAA/ Stable		AA+/ Stable
14	टीयर/ Tier II बेसल/ Basel - III	श्रृंखला/ Series XIX	INE160A08092	AA+/ Stable			AAA/ Stable	AAA/ Stable	AAA/ Stable	AAA/ Stable	AAA/ Stable		

क्र. सं. Sr. No.	लिखित/ Instrument	श्रृंखला/ Series	आईएसआईएन/ ISIN	केयर/ CARE	आईसीआरए/ ICRA		इंडिया रेटिंग / INDIA RATING				ब्रिकवर्क / BRICKWORK		क्रिसिल /CRISIL
				23-11-2022	08-06-2022	22-11-2022	22-06-2022	08-09-2022	09-11-2022	25-11-2022	16-02-2023	17-11-2022	22-06-2022
15	टीयर/ Tier II बेसल/ Basel - III	श्रृंखला/ Saires XX	INE160A08142				AAA/ Stable	AAA/ Stable	AAA/ Stable	AAA/ Stable	AAA/ Stable		AA+/ Stable
16	टीयर/ Tier II बेसल/ Basel - III	श्रृंखला/ Seires XXI	INE160A08159				AAA/ Stable	AAA/ Stable	AAA/ Stable	AAA/ Stable	AAA/ Stable		AA+/ Stable
17	टीयर/ Tier II बेसल/ Basel - III	श्रृंखला/ Seires XXII	INE160A08167				AAA/ Stable	AAA/ Stable	AAA/ Stable	AAA/ Stable	AAA/ Stable		AA+/ Stable
18	टीयर/ Tier II बेसल/ Basel - III	श्रृंखला/ Series XXIII	INE160A08175				AAA/ Stable	AAA/ Stable	AAA/ Stable	AAA/ Stable	AAA/ Stable		AA+/ Stable
19	टीयर/ Tier II बेसल/ Basel - III	श्रृंखला/ Series-VIII	INE695A09103						AAA/ Stable	AAA/ Stable	AAA/ Stable	AA+/ Stable	AA+/ Stable
20	टीयर/ Tier II बेसल/ Basel - III	27.10.2014	INE141A08019	AA+/ Positive	AA+/ Stable	AA+/ Stable							
21	टीयर/ Tier II बेसल/ Basel & III	26.10.2015	INE141A08035	AA+/ Positive	AA+/ Stable	AA+/ Stable							
22	टीयर/ Tier II बेसल/ Basel- III	श्रृंखला/ Series XXIV	INE160A08191				AAA/ Stable	AAA/ Stable	AAA/ Stable	AAA/ Stable	AAA/ Stable		AA+/ Stable
23	टीयर/ Tier II बेसल/ Basel - III	श्रृंखला/ Series XXV	INE160A08241	AA+/ Positive						AAA/ Stable	AAA/ Stable		
24	दीर्घावधि बांड / Long Term Bond	श्रृंखला/ Series 1	INE160A08068	AA+/ Positive			AAA/ Stable	AAA/ Stable	AAA/ Stable	AAA/ Stable	AAA/ Stable		AA+/ Stable
25	दीर्घावधि बांड /Long Term Bond	श्रृंखला/ Series 2	INE160A08084	AA+/ Positive	AA+/ Stable	AA+/ Stable							AA+/ Stable
26	जमा प्रमाणपत्र/ Certificate of Deposit			A1+	A1+	A1+	A1+	A1+	A1+	A1+	A1+		A1+

नोट: (i) *जुलाई, अगस्त, सितंबर, नवंबर और दिसंबर 2022 के महीने में ISIN INE160A08134] INE695A08030] INE695A08048] INE695A08063] INE695A09095 वाले बांड के लिए क्रय विकल्पों का प्रयोग किया गया था। इन बांडों की रेटिंग वापस ले ली गई है।

क्रय विकल्प के प्रयोग से पहले ISIN INE160A08134 वाले बांड को BWR AA] IND AA+] CRISIL AA] रेटिंग दी गई थी, ISIN INE695A08030 वाले बॉन्ड को BWR AA+] CRISIL AA+] रेटिंग दी गई थी, ISIN INE695A08048 वाले बॉन्ड को CRISIL AA+ रेटिंग दी गई थी, ISIN INE695A08063 वाले बॉन्ड को CRISIL AA+ रेटिंग दी गई थी और ISIN INE695A09095 वाले बॉन्ड को CARE AA] CRISIL AA+ रेटिंग दी गई थी।

(ii) *ISIN INE141A09132 वाले बॉन्ड को ICRA AA+] CARE AA+ रेटिंग दी गई थी जो 30.11.2022 को परिपक्व हुआ था।

कृते पंजाब नैशनल बैंक

(अतुल कुमार गोयल)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 19.05.2023

Note: (i) *Call options was exercised for bonds having ISIN INE160A08134, INE695A08030, INE695A08048, INE695A08063, INE695A09095 in the month of July, Aug, Sept, Nov & Dec 2022 respectively. Rating of these bonds stands withdrawn.

The bond having ISIN INE160A08134 was rated BWR AA, IND AA+, CRISIL AA, bonds having ISIN INE695A08030 was rated BWR AA+, CRISIL AA+, bonds having ISIN INE695A08048 was rated CRISIL AA+, bonds having ISIN INE695A08063 was rated CRISIL AA+ & bonds having ISIN INE695A09095 was rated CARE AA, CRISIL AA+ latest before exercise of call option.

(ii) *The bond having ISIN INE141A09132 was rated ICRA AA+, CARE AA+ matured on 30.11.2022.

For Punjab National Bank

(Atul Kumar Goel)
Managing Director & CEO

Place: New Delhi
Date: 19.05.2023

घोषणा

सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 की अनुसूची V (डी) के अनुसार,

बैंक ने सभी बोर्ड सदस्यों तथा बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन वर्ग के अधिकारियों के लिए आचार संहिता तैयार की है, जिसे बैंक की वेबसाइट 'जजचेरू चदइपदकपंण्पदध्उवकमस–बवकम–वि–बवदकनबजण्ीजउस पर उपलब्ध है।

बोर्ड के सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन ने सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के खंड 26 (3) के अनुसार आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

कृते पंजाब नैशनल बैंक

(अतुल कुमार गोयल)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 19.05.2023

Declaration

[As per Schedule V (D) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015]

The Bank has laid down a Code of Conduct for all the Board Members and Senior Management Personnel of the Bank, which is available on the website of the Bank i.e. https://www.pnbindia.in/model-code-of-conduct.html

The Board Members and Senior Management have affirmed compliance to the Code of Conduct in accordance with Clause 26(3) of SEBI (LODR) Regulations, 2015.

For Punjab National Bank

(Atul Kumar Goel)
Managing Director & CEO

Place: New Delhi
Date: 19.05.2023

सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

(सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ), विनियमन 2015 के विनियम 24 ए के अनुसरण में)

सेवा में,
सदस्यगण,
पंजाब नैशनल बैंक

हमने पंजाब नैशनल बैंक (जिसे यहाँ आगे "बैंक" कहा गया है) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छे कॉर्पोरेट सिद्धांतों के पालन का सचिवीय ऑडिट किया है। सचिवीय ऑडिट इस तरीके से किया गया था कि इससे हमें कॉरपोरेट आचरण / संवैधानिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर राय व्यक्त करने का उचित आधार मिला।

सचिवीय ऑडिट करने के दौरान बैंक की बहियों, कागजात, कार्यवृत्त बहियों, फॉर्म्स एवं दाखिल की गई विवरणियों और बैंक द्वारा रखे गए अन्य रिकॉर्ड के सत्यापन तथा बैंक, इसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई और उपलब्ध सूचना के आधार पर, हम एतद्द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में बैंक ने 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष को कवर करने वाली ऑडिट अवधि के दौरान, यहां सूचीबद्ध संवैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि बैंक के पास उचित बोर्ड प्रक्रियाएं और अनुपालन– व्यवस्था है,जो इस तरीके से और यहाँ की गई रिपोर्टिंग के अधीन है:

हमने 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए बैंक की बहियों, कागजात, कार्यवृत्त बहियों, फॉर्म्स एवं दाखिल की गई विवरणियों और बैंक द्वारा रखे गए अन्य रिकॉर्ड की जांच निम्न प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार की है:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') और इसके तहत बनाए गए नियम (लागू सीमा तक)।

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ("SCRA") और इसके तहत बनाए गए नियम।

(iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और उसके तहत बनाए गए विनियम और उपनियम– लागू सीमा तक।

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, अपतटीय प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी वाणिज्यिक ऋणों की सीमा के तहत बनाए गए नियम और विनियम।

(v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के तहत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश अर्थात:

ए) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमन, 2015

बी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011

सी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015

डी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2018–लागू सीमा तक

SECRETARIAL AUDIT REPORT

FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31st MARCH 2023

(Pursuant to Regulation 24A of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015)

To,
The Members,
Punjab National Bank.

We have conducted the Secretarial Audit of the Compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good Corporate Practices by Punjab National Bank (hereinafter called the "The Bank"). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing opinion thereon.

Based on our verification of the Bank's books, papers, Minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank and also the information provided by the Bank, its officers, agents and authorized representatives and information available during the conduct of secretarial audit, we hereby report that in our opinion, the Bank has, during the audit period covering the financial year ended on 31st March, 2023 complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Bank has proper Board processes and Compliance mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank for the financial year ended on 31st March, 2023 according to the relevant provisions of:

(i) The Companies Act, 2013 ('the Act') and the rules made there under (to the extent Applicable).

(ii) The Securities Contracts (Regulations) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made thereunder,

(iii) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Byelaws framed thereunder – to the extent applicable.

(iv) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings.

(v) The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'):

(a) The Securities & Exchange Board of India (Listings Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

(b) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011.

(c) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015.

(d) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018- to the extent applicable.

(e) The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity)

ई) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021 (समीक्षा अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)

एफ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (गैर–परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2021

जी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) विनियम, 1993 कंपनी अधिनियम और ग्राहक के साथ व्यवहार से संबंधित–लागू सीमा तक

एच) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) विनियम, 2021–अवधि के दौरान लागू नहीं

आई) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड प्रतिभूतियों की वापसी खरीद (बाय–बैक) विनियम, 2018; (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं है)

जे) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम 2018

(vi) निम्नलिखित अधिनियम/विनियम विशेष रूप से बैंक पर लागू होते हैं

(ए) पूंजी बाजार मध्यस्थों, मर्चेंट बैंकरों, निर्गम बैंकरों, डिबेंचर न्यासियों पर यथा लागू सेबी द्वारा जारी दिशानिर्देश, विनियम

(बी) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970

(सी) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970

(डी) पंजाब नैशनल बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2000;

(ई) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934

(एफ) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय–समय पर जारी किए गए मास्टर निदेश, अधिसूचनाएं और दिशानिर्देश

(जी) भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007

हमने निम्नलिखित के अनुपालन की भी जांच की है:

ए) इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी समय–समय पर यथासंशोधित सचिवीय मानक लागू नहीं।

बी) स्टॉक एक्सचेंज के साथ बैंक द्वारा किए गए सूचीबद्धता समझौते।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, बैंक ने सामान्यतः ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों आदि के प्रावधानों का, लागू सीमा तक, निम्नलिखित टिप्पणियों के अधीन अनुपालन किया है:

1. बैंक के बोर्ड में निम्नलिखित पद रिक्त थे:

(i) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ई) के तहत एक निदेशक, जो बैंक के ऐसे कर्मचारियों में से होना चाहिए जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (एस) के अंतर्गत कामगार हैं, जिसे केंद्र सरकार द्वारा इस तरह से नामित किया जाना था,

Regulations, 2021 (Not applicable to the Bank during the Review Period).

(f) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021

(g) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding the Companies Act and dealing with client- to the extent applicable.

(h) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021- not applicable during the period

(i) The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 2018 (Not applicable to the Bank during the Audit Period).

(j) The Securities and Exchange Board of India (Depository & Participants) Regulations 2018.

(vi) The following Acts/Regulations specifically applicable on the Bank:

(a) Guidelines, Regulations issued by SEBI as applicable to Capital Market Intermediaries, Merchant Bankers, Bankers to an Issue, Debenture Trustees

(b) The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970;

(c) The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970;

(d) Punjab National Bank (Shares & Meeting) Regulations, 2000;

(e) The Reserve Bank of India Act, 1934

(f) The Banking Regulation Act, 1949 and the Master Directions, Notifications and Guidelines issued by RBI from time to time.

(g) Payment and Settlement Systems Act, 2007

We have also examined compliance of the following:

(a) Secretarial Standards, as amended from time to time, issued by the Institute of Company Secretaries of India-Not Applicable.

(b) The Listing Agreements entered into by the Bank with the Stock Exchange(s).

During the period under review, the Bank has generally complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, etc. mentioned above, to the extent applicable, subject to the following observations:

1. The following positions were vacant on the Board of the Bank:

(i) One Director under Section 9(3)(e) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, from among such of the employees of the Bank who are workmen under clause (s) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), to be nominated by the Central Government in such manner as may be specified in a scheme made under Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.

जैसा कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 के तहत बनाई गई योजना में निर्दिष्ट किया जाए।

(ii) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(एफ) के तहत एक निदेशक, जो बैंक के कर्मचारियों में से होना चाहिए, जिसे औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (डी) के अंतर्गत कामगार नहीं है, जिसे रिजर्व बैंक से परामर्श के बाद केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाना है।

(iii) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(जी) के तहत एक निदेशक जो कम से कम पंद्रह साल से चार्टर्ड एकाउंटेंट रहा हो, रिजर्व बैंक से परामर्श के बाद केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाना है।

(iv) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(एच) के तहत एक निदेशक जिसे केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाना है।

2. बोर्ड में मौजूदा रिक्तियों के कारण, लेखापरीक्षा समिति के दो–तिहाई सदस्य स्वतंत्र नहीं थे – जैसा कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 एवं विनियम 18 और बैंकों में कॉर्पोरेट अभिशासन पर आरबीआई के दिशानिर्देश – निदेशकों की नियुक्ति और बोर्ड की समितियों का गठन दिनांक 26 अप्रैल 2021 के तहत निर्धारित किया गया है।

हम आगे सूचित करते हैं कि बैंक, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत निगमित कॉरपोरेट निकाय है, और कॉरपोरेट अभिशासन एवं बोर्ड की संरचना हेतु तथा बैंक पर लागू होने से संबंधित प्रावधान राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 और अन्य लागू दिशानिर्देशों के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 में दिए गए हैं।

बैंक के बोर्ड में बारह (12) निदेशक हैं जिनमें एक (1) प्रबंध निदेशक एवं सीईओ और चार (4) कार्यपालक निदेशक, दो (2) गैर–कार्यपालक निदेशक, जिनमें एक निदेशक केंद्र सरकार का अधिकारी होने के नाते केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाता है और एक निदेशक भारतीय रिजर्व बैंक की अनुशंसा पर केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाता है। बोर्ड में तीन (3) अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक (गैर–कार्यपालक–(स्वतंत्र)), गैर–कार्यकारी अध्यक्ष और दो (2) शेयरधारक निदेशक (गैर– कार्यपालक–(स्वतंत्र)) भी शामिल हैं। जैसा की ऊपर वर्णित है बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 के तहत यथा अपेक्षित बैंक के निदेशक मंडल में निर्दिष्ट निदेशकों की गैर–नियुक्ति / नामांकन की आवश्यक संख्या को छोड़कर बैंक के निदेशक मंडल का विधिवत गठन किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान हुए निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन पूर्व कथित कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।

सामान्यतः, सभी निदेशकों को बोर्ड की बैठकें निर्धारित करने के लिए पर्याप्त नोटिस दिया जाता है, कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत नोट कम से कम सात दिन पहले भेज दिए जाते हैं, केवल अत्यावश्यक कार्यसूची मदों को छोड़कर, जो बोर्ड / समिति के अध्यक्ष की सहमति से बोर्ड / समितियों को अल्प नोटिस पर भेजे गए थे, बोर्ड बैठक से पहले कार्यसूची मदों पर और जानकारी एवं स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

(ii) One Director under Section 9(3)(f) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, from among the employees of the Bank who are not workmen under clause(s) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947, (14 of 1947) to be nominated by the Central Government after consultation with the Reserve Bank.

(iii) One Director under Section 9(3)(g) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 who has been a Chartered Accountant for not less than fifteen years to be nominated by the Central Government after consultation with the Reserve Bank.

(iv) One Director under Section 9(3)(h) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, to be nominated by the Central Government.

2. Due to the existing vacancies on the Board, two–thirds of the members of the Audit Committee were not Independent- as stipulated under Regulation 18 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and the RBI Guidelines on Corporate Governance in Banks - Appointment of Directors and Constitution of Committees of the Board dated 26th April 2021.

We further report that the Bank is a body corporate incorporated under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and the provisions related to corporate governance and composition of Board as applicable to the Bank are provided in the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 read with The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 and other applicable guidelines.

There are twelve (12) Directors on the Board of the Bank comprising of one (1) Managing Director & CEO and four (4) Executive Directors, two (2) Non-Executive Directors – One Director being an official of the Central Government nominated by the Central Government and one Director nominated by the Central Government on the recommendation of the Reserve Bank of India. The Board also includes three (3) Part-Time Non- Official Directors (Non-Executive – Independent) including the Non-Executive Chairman and Two (2) Shareholders Directors (Non-Executive –Independent). The Board of Directors of the Bank is duly constituted except for non-appointment/nomination of requisite number of specified Directors on the Board of Directors of the Bank as required under Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 as mentioned above. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the aforesaid Laws.

Generally, adequate notice is given to all Directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent at least seven days in advance except. In case of exigent agenda items, which were sent at a shorter notice to the Board/Committee(s) of the Board with consent of the Chairman of the Board/ Committee, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

बोर्ड के निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं जबकि असंतुष्ट सदस्यों के विचारों को, यदि कोई हो, बैठक के कार्यवृत्त के एक भाग के रूप में दर्ज और अभिलेखबद्ध किया जाता है।

हम आगे सूचित करते हैं कि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक के आकार और संचालन के अनुरूप बैंक में पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं हैं।

हम आगे सूचित करते हैं कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक ने एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड में अपनी पूरी 10.01% हिस्सेदारी बेच दी है।

31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान, बैंक ने निजी प्लेसमेंट के आधार पर निम्नलिखित ऋण लिखत जारी किए हैं:

(i) 06.07.2022 को प्रत्येक रु.1 करोड़ के अंकित मूल्य के कुल रु. 2000 करोड़ के बेसल III अनुपालक अतिरिक्त टियर I बॉण्ड
(ii) 21.09.2022 को प्रत्येक रु.1 करोड़ के अंकित मूल्य के कुल रु.658 करोड़ के बासेल III अनुपालक अतिरिक्त टीयर I बॉण्ड
(iii) 01.12.2022 को प्रत्येक रु.1 करोड़ के अंकित मूल्य के कुल रु. 4000 करोड़ के बासेल III अनुपालक टीयर II बॉण्ड
(iv) 23.12.2022 को प्रत्येक रु.1 करोड़ के अंकित मूल्य के कुल रु.582 करोड़ के बेसल III अनुपालक अतिरिक्त टियर I बॉण्ड
(v) 27.03.2023 को प्रत्येक 1 करोड़ के अंकित मूल्य के कुल रु. 974 करोड़ के बासेल III अनुपालक अतिरिक्त टियर I बॉण्ड

नोट: इस रिपोर्ट को हमारे इसी तिथि के पत्र के साथ पढ़ा जाए जो "अनुलग्नक ए" के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है।

कृते एसजीएस एसोसिएट्स एलएलपी
कंपनी सचिव
एफआरएन – L2021DE011600

सीएस डीपी गुप्ता
प्रबंध भागीदार
एफसीएस 2411 सीपी 1509
आईसीएसआई पीआर नंबर 1194 / 2021
आईसीएसआई यूडीआईएन: F002411E000325987

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 17.05.2023

The decision of the Board is carried through majority while the dissenting members' views are captured and recorded as part of the Minutes, if any.

We further report that there are adequate systems and processes in the Bank commensurate with the size and operations of the Bank to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

We further report that during the period under review the Bank has sold its entire 10.01% shareholding in Asset Reconstruction Company (India) Limited (ARCIL).

During the financial year ended March 31, 2023, the Bank has issued the following Debt Instruments on private placement basis:

(i) Basel III Compliant Additional Tier I Bonds of face value of Rs.1 crore each aggregating to Rs.2000 crore on 06.07.2022
(ii) Basel III Compliant Additional Tier I Bonds of face value of Rs.1 crore each aggregating to Rs.658 crore on 21.09.2022
(iii) Basel III Compliant Tier II Bonds of face value of Rs.1 crore each aggregating to Rs.4000 crore on 01.12.2022
(iv) Basel III Compliant Additional Tier I Bonds of face value of Rs.1 crore each aggregating to Rs.582 crore on 23.12.2022
(v) Basel III Compliant Additional Tier I Bonds of face value of Rs.1 crore each aggregating to Rs.974 crore on 27.03.2023

Note: This report is to be read with our letter of even date which is annexed as Annexure-A and forms an integral part of the Report.

For SGS Associates LLP
Company Secretaries
FRN – L2021DE011600

CS D P Gupta
Managing Partner
FCS 2411 CP 1509
ICSI PR No. 1194/2021
ICSI UDIN: F002411E000325987

Place: New Delhi
Date: 17.05.2023

अनुलग्नक–ए'

सेवा में,
सदस्यगण,
पंजाब नैशनल बैंक

इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए।

1. सचिवीय रिकॉर्ड के रखरखाव बैंक के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी लेखापरीक्षा हेतु हमारे समक्ष प्रस्तुत किए गए अभिलेखों के हमारे निरीक्षण के आधार पर इन सचिवीय रिकॉर्ड पर अपना मत प्रस्तुत करना है।

2. हमने लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं एवं प्रथाओं का पालन किया है जो सचिवीय रिकॉर्ड की विषयवस्तु की सत्यता के संबंध में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थे। सत्यापन परीक्षण के आधार पर किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सचिवीय रिकॉर्ड में सही तथ्य परिलक्षित हो रहे हैं। हम मानते हैं कि हमारे द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाएं एवं प्रथाएं, हमें हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करती हैं।

3. हमने बैंक के वित्तीय रिकॉर्ड और खाता–बहियों की सत्यता तथा उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया और हमारी रिपोर्ट में अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा उल्लिखित विसंगतियों / टिप्पणियों / कमियों को शामिल नहीं किया गया है।

4. जहां कहीं भी आवश्यक हो, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों तथा घटनाओं के घटित होने आदि के अनुपालन के संबंध में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।

5. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन, पूंजी प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी और हमारी राय देने के लिए बैंक के पास उचित बोर्ड प्रक्रियाएं और अनुपालन तंत्र मौजूद हैं या नहीं।

6. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो बैंक की भावी अर्थक्षमता का और न ही क्षमता या प्रभावशीलता का आश्वासन है, जिसके साथ प्रबंधन ने बैंक के कार्य किए हैं।

कृते एसजीएस एसोसिएट्स एलएलपी
कंपनी सचिव
एफआरएन – L2021DE011600

सीएस डी पी गुप्ता
प्रबंध भागीदार
एफसीएस 2411 सीपी 1509
आईसीएसआई पीआर नंबर 1194 / 2021
आईसीएसआई यूडीआईएन: F002411E000325987

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 17.05.2023

Annexure – A'

To,
The Members,
Punjab National Bank.

Our report of even date is to be read along with this letter.

1. Maintenance of secretarial records is the responsibility of the Management of the Bank. Our Responsibility is to express an opinion on these secretarial records, based on our inspection of records produced before us for Audit.

2. We have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the secretarial records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial records. We believe that the processes and practices, we followed provide a reasonable basis for our opinion.

3. We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the Bank and our report is not covering observations/comments weaknesses already pointed out by the other Auditors.

4. Wherever required, we have obtained the Management representation about the compliance of laws, rules and regulations, happening of events, etc.

5. The Compliance of the provisions of corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards is the responsibility of Management. Our examination was limited to the verification of procedures on test basis and to give our opinion whether Bank has proper Board processes and Compliance-mechanism in place or not.

6. The Secretarial Audit Report is neither an assurance as to future viability of the Bank nor of the efficacy or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the Bank.

For SGS Associates LLP
Company Secretaries
FRN – L2021DE011600

CS D P Gupta
Managing Partner
FCS 2411 CP 1509
ICSI PR No. 1194/2021
ICSI UDIN: F002411E000325987

Place: New Delhi
Date: 17.05.2023

निदेशकों की गैर–अयोग्यता का प्रमाण पत्र

(सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं)

विनियम, 2015 के विनियम 34(3) और अनुसूची V पैरा-सी खंड (10)(i) के अनुसार)

सेवा में,
सदस्यगण
पंजाब नैशनल बैंक
प्रधान कार्यालय: प्लॉट नंबर 4, सेक्टर–10,
द्वारका, नई दिल्ली – 110075

हमने पंजाब नैशनल बैंक जिसका प्रधान कार्यालय प्लॉट नंबर 4, सेक्टर –10, द्वारका, नई दिल्ली – 110075 (जिसे यहाँ आगे 'बैंक' कहा गया है) में स्थित है, के निदेशकों से प्राप्त प्रासंगिक रजिस्टरों, अभिलेखों, प्रपत्रों, रिटर्न और प्रकटीकरण की जांच की है, जिसे बैंक द्वारा हमारे समक्ष भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 की अनुसूची V अनुच्छेद–सी उप खंड 10 (i) के साथ पठित विनियम 34(3) के अनुसार यह प्रमाणपत्र जारी किए जाने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है।

हमारे अभिमत में तथा हमारी सही जानकारी के अनुसार तथा यथावश्यक सत्यापन जैसा आवश्यक समझा जाए (पोर्टल www.mca.gov.in) में निदेशक पहचान संख्या (DIN) की स्थिति सहित) और बैंक एवं इसके अधिकारियों द्वारा प्रदत्त स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम एतदद्वारा प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के निम्नलिखित निदेशकों में से किसी भी निदेशक को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, या ऐसे किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त होने या बने रहने से विवर्जित या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	डीआईएन	बैंक में नियुक्ति की तारीख
1	श्री के.जी. अनंतकृष्णन	00019325	07.11.2022
2	श्री अतुल कुमार गोयल	07266897	01.02.2022
3	श्री विजय दुबे	09107884	01.04.2020
4	श्री कल्याण कुमार	09631251	21.10.2021
5	श्री बिनोद कुमार	07361689	21.11.2022
6	श्री एम. परमशिवम	-	01.12.2022
7	श्री पंकज शर्मा	-	11.04.2022
8	श्री अनिल कुमार मिश्रा	08066460	25.02.2022
9	श्री पंकज जोशी	06385037	21.12.2021
10	श्री संजीव कुमार सिंघल	00162680	21.12.2021
11	श्री गौतम गुहा	06894434	18.03.2021
12	डॉ. रेखा जैन	01586668	12.09.2021

बोर्ड में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति/बने रहने के लिए पात्रता सुनिश्चित करना बैंक के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व है कि हम अपने सत्यापन के आधार पर, इन पर अपना अभिमत व्यक्त करें। यह प्रमाण पत्र न तो बैंक की भावी व्यवहार्यता का और न ही उसकी दक्षता या प्रभावशीलता का आश्वासन है, जिसके साथ प्रबंधन ने बैंक का कार्य किया है।

कृते एसजीएस एसोसिएट्स एलएलपी
कंपनी सचिव
एफआरएन एल2021DE011600

(सीएस डी.पी. गुप्ता)
एफसीएस: 2411
एम.सं.: 1509
आईसीएसआई पीआर: 1194/2021
आईसीएसआई यूडीआईएन: F002411E000281668

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 10 मई, 2023

CERTIFICATE OF NON-DISQUALIFICATION OF DIRECTORS

(Pursuant to Regulation 34(3) and Schedule V Para C clause (10)(i) of
the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015)

To,
The Members of
Punjab National Bank
Head Office: Plot No. 4, Sector-10,
Dwarka, New Delhi - 110075

We have examined the relevant registers, records, forms, returns and disclosures received from the Directors of Punjab National Bank having its Head Office at Plot No. 4, Sector-10, Dwarka, New Delhi - 110075 (hereinafter referred to as 'the Bank'), produced before us by the Bank for the purpose of issuing this Certificate, in accordance with Regulation 34(3) read with Schedule V Para-C Sub clause 10(i) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

In our opinion and to the best of our information and according to the verifications (including Directors Identification Number (DIN) status at the portal www.mca.gov.in) as considered necessary and explanations furnished to us by the Bank & its officers, we hereby certify that none of the Directors of the Bank as stated below for the Financial Year ending on 31st March, 2023 have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of companies by the Securities and Exchange Board of India, Ministry of Corporate Affairs, or any such other Statutory Authority:-

Sr. No.	Name of the Director	DIN	Date of appointment in the Bank
1	Sh. K. G. Ananthakrishnan	00019325	07.11.2022
2	Sh. Atul Kumar Goel	07266897	01.02.2022
3	Sh. Vijay Dube	09107884	01.04.2020
4	Sh. Kalyan Kumar	09631251	21.10.2021
5	Sh. Binod Kumar	07361689	21.11.2022
6	Sh. M. Paramasivam	-	01.12.2022
7	Sh. Pankaj Sharma	-	11.04.2022
8	Sh. Anil Kumar Misra	08066460	25.02.2022
9	Sh. Pankaj Joshi	06385037	21.12.2021
10	Sh. Sanjeev Kumar Singhal	00162680	21.12.2021
11	Sh. Gautam Guha	06894434	18.03.2021
12	Dr. Rekha Jain	01586688	12.09.2021

Ensuring the eligibility of the appointment/continuity of every Director on the Board is the responsibility of the Management of the Bank. Our responsibility is to express an opinion on these, based on our verification. This certificate is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor of the efficiency or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the Bank.

For SGS ASSOCIATES LLP
Company Secretaries
FRN L2021DE011600

(CS D.P. GUPTA)
FCS: 2411
M.NO: 1509
ICSI PR: 1194/2021
ICSI UDIN: F002411E000281668

Place: New Delhi
Date: May 10, 2023

कारोबार उत्तरदायित्व रिपोर्ट
Business Responsibility Report

अनुलग्नक –I

कारोबार उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्टिंग

खंड ए : सामान्य प्रकटीकरण

I- सूचीबद्ध इकाई का विवरण

1. सूचीबद्ध इकाई की कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन): पीयूएनबी (केवल ईपीएफ फार्म को भरने के सीमित उद्देश्य हेतु)
2. सूचीबद्ध संस्था का नाम : पंजाब नैशनल बैंक
3. स्थापना का वर्ष - लागू नहीं (बैंक की स्थापना बैंकिंग कंपनी (अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत की गई है।
4. पंजीकृत कार्यालय का पता: लागू नहीं
5. कॉर्पोरेट पता - पंजाब नैशनल बैंक, कॉर्पोरेट कार्यालय, प्लॉट नंबर 4, सेक्टर –10, द्वारका, नई दिल्ली –110075
6. ई– मेल: eicsmead@pnb.co.in
7. टेलीफोन : 011–28044436
8. वेबसाइट: www.pnbindia.in
9. वित्तीय वर्ष जिसकी रिपोर्टिंग की जा रही है: वित्त वर्ष 2022–23
10. स्टाक एक्सचेंज का नाम जहां शेयर सूचीबद्ध हैं : बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड।
11. प्रदत्त पूंजी: रु. 2202 करोड़
12. उस व्यक्ति का नाम और संपर्क विवरण (टेलीफोन, ईमेल पता) जिससे बीआरएसआर रिपोर्ट पर किसी भी प्रश्न के मामले में संपर्क किया जा सकता है

    नाम : प्रेम कुमार अग्रवाल
    पदनाम: महाप्रबंधक, कार्यनीति प्रबंधन एवं आर्थिक परामर्श प्रभाग
    टेलीफोन नंबर: 011–28044436

    ई–मेल आईडी: eicsmead@pnb.co.in
13. रिपोर्टिंग सीमा क्या इस रिपोर्ट के तहत प्रकटीकरण स्टैंडअलोन आधार पर (यानी केवल इकाई के लिए) या एक समेकित आधार पर (यानी इकाई और सभी संस्थाओं के लिए जो इसके समेकित वित्तीय विवरणों का एक हिस्सा बनते हैं, एक साथ लिया जाता है)।

    स्टैंडअलोन आधार

II- उत्पाद / सेवाएं

14. व्यावसायिक गतिविधियों का विवरण (टर्नओवर के 90% के लिए लेखांकन)

क्र.सं.	मुख्य गतिविधि का विवरण	व्यावसायिक गतिविधि का विवरण	इकाई के टर्नओवर का%
1	वित्तीय सेवा	जमा, अग्रिम और तृतीय पक्ष सेवाएं	100%

Annexure I

BUSINESS RESPONSIBILITY & SUSTAINABILITY REPORTING

SECTION A: GENERAL DISCLOSURES

I. Details of the listed entity

1. **Corporate Identity Number (CIN) of the Listed Entity:** PUNB (Only for Limited Purpose of filing EPF forms)
2. **Name of the Listed Entity:** Punjab National Bank
3. **Year of Incorporation:** Not Applicable (The Bank is incorporated under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970
4. **Registered office address:** Not Applicable
5. **Corporate address:** Punjab National Bank, Corporate Office, Plot No 4, Sector-10, Dwarka, New Delhi -110075
6. **E-mail:** eicsmead@pnb.co.in
7. **Telephone :** 011-28044436
8. **Website:** www.pnbindia.in
9. **Financial year for which reporting is being done:** FY 2022-23
10. **Name of the Stock Exchange(s) where shares are listed:** Bombay Stock Exchange, National Stock Exchange of India Ltd.
11. **Paid-up Capital:** Rs. 2202 Crore
12. **Name and contact details (telephone, email address) of the person who may be contacted in case of any queries on the BRSR report**
    Name: Prem Kumar Agarwal
    Designation: General Manager, Strategic Management and Economic Advisory Division
    Telephone number: 011-28044436
    E-mail id: eicsmead@pnb.co.in
13. **Reporting boundary - Are the disclosures under this report made on a standalone basis (i.e. only for the entity) or on a consolidated basis (i.e. for the entity and all the entities which form a part of its consolidated financial statements, taken together).**

    Standalone Basis

II. Products/services

14. **Details of business activities (accounting for 90% of the turnover):**

S. No.	Description of Main Activity	Description of Business Activity	% of Turnover of the entity
1	Financial Service	Deposits, Advances and Third Party Services	100%

15. इकाई द्वारा बेचे गए उत्पाद/सेवाएं (इकाई के टर्नओवर का 90% भाग):

क्र सं	उत्पाद/सेवा	एनआईसी कोड	योगदान टर्नओवर का कुल %
1	जमा–बचत जमा, चालू जमा, सावधि जमा, आवर्ती जमा अग्रिम –कृषि ऋण, एमएसएमई ऋण, खुदरा ऋण कॉर्पोरेट ऋण तृतीय पक्ष सेवाएं	64191	100%

III- परिचालन

16. उन स्थानों की संख्या जहां इकाई के संयंत्र और/या परिचालन/कार्यालय स्थित हैं:

जगह	संयंत्र की संख्या	कार्यालयों संख्या	कुल
राष्ट्रीय	लागू नहीं*	10076 शाखाएं, 12898 एटीएम, 24227 कारोबार प्रतिनिधि	47201 टच प्वाइंट
अंतरराष्ट्रीय	लागू नहीं*	शाखाएं: दुबई और गिफ्ट सिटी, अहमदाबाद अनुषंगी कंपनियां लंदन (यूके) और भूटान संयुक्त उद्यम: नेपाल प्रतिनिधि कार्यालय म्यांमार और बांग्लादेश	6

*एक वित्तीय सेवा संस्था होने के नाते यह खंड लागू नहीं है

17. इकाई द्वारा सेवाएं प्रदत्त बाजार :

a- स्थानों की संख्या

स्थान	संख्या
राष्ट्रीय (राज्य की संख्या)	सभी केंद्र शासित प्रदेशों सहित 35 (लक्षद्वीप को छोड़कर)
अंतरराष्ट्रीय (देश की संख्या)	6 (2 अनुषंगी, 1 संयुक्त उद्यम, 2 प्रतिनिधि कार्यालय और 1 शाखा)

b- इकाई के कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में निर्यात का योगदान क्या है?

लागू नहीं

c- ग्राहकों के संक्षिप्त प्रकार

एक वित्तीय सेवा संगठन होने के नाते बैंक ग्राहकों की एक विविध श्रेणी को पूरा करता है: व्यक्तिगत, संस्थागत, सरकार, एमएसएमई, बड़े कॉर्पोरेट आदि।

15. Products/Services sold by the entity (accounting for 90% of the entity's Turnover):

S. No.	Product/Service	NIC Code	% of total Turnover contributed
1	Deposits-Saving Deposits, Current Deposits, Term Deposits, Recurring Deposits Advances -Agriculture lending, MSME Lending, Retail lending, Corporate lending Third party services	64191	100%

III. Operations

16. Number of locations where plants and/or operations/ offices of the entity are situated:

Location	No. of plants	No. of offices	Total
National	Not Applicable *	10076 Branches, 12898 ATMs, 24227 Business Correspondents	47201 Touch Points
International	Not Applicable*	Branches at: Dubai and Gift City, Ahmedabad Subsidiaries: London (UK) and Bhutan Joint Venture: Nepal Representative Offices: Myanmar and Bangladesh	6

* Being a financial service entity this section is Not Applicable

17. Markets served by the entity:

a. Number of locations

Locations	No.
National (No. of States)	35 including all Union Territories (except Lakshadweep)
International (No. of Countries)	6 (2 Subsidiaries, 1 Joint Venture, 2 Representative Office and 1 Branch)

b. What is the contribution of exports as a percentage of the total turnover of the entity?

Not Applicable

c. A brief on types of customers

Being a financial service organization the Bank caters to a diverse range of customers: Individuals, Institutional, Government, MSME, Large corporates etc.

IV. कर्मचारी

18. वित्त वर्ष के अंत में विवरण

a- कर्मचारी और श्रमिक (दिव्यांग सहित):

क्र. सं	विवरण	कुल(ए)	पुरुष		महिला	
			संख्या (बी)	%(बी/ए)	संख्या (सी)	%(सी/ए)
कर्मचारी						
1.	स्थायी (डी)	104120	79054	75.92%	25066	24.08%
2.	स्थायी के अलावा(इ)	लागू नहीं				
3.	कुल कर्मचारी (डी + ई)	104120	79054	75.92%	25066	24.08%
श्रमिक						
4.	स्थायी (एफ)	लागू नहीं				
5.	स्थायी के अलावा(जी)					
6.	कुल श्रमिक (एफ + जी)					

b- दिव्यांग कर्मचारी और श्रमिक:

क्र. सं	विवरण	कुल (ए)	पुरुष		महिला	
			संख्या (बी)	%(बी/ए)	संख्या (सी)	%(सी/ए)
1.	स्थायी (डी)	2795	2306	82.5%	489	17.5%
2.	स्थायी के अलावा (इ)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
3.	पूरी तरह से दिव्यांग कर्मचारी (डी+इ)	2795	2306	82.5%	489	17.5%
दिव्यांग श्रमिक						
4.	स्थायी (एफ)	लागू नहीं				
5.	स्थायी के अलावा(जी)					
6.	पूरी तरह से दिव्यांग श्रमिक (एफ+जी)					

IV. Employees

18. Details as at the end of Financial Year:

a. Employees and workers (including differently abled):

S. No.	Particulars	Total (A)	Male		Female	
			No. (B)	% (B/A)	No. (C)	% (C/A)
Employees						
1.	Permanent (D)	104120	79054	75.92%	25066	24.08%
2.	Otherthan Permanent (E)	Not Applicable				
3.	Total employees (D+E)	104120	79054	75.92%	25066	24.08%
Workers						
4.	Permanent (F)	Not Applicable				
5.	Otherthan Permanent (G)					
6.	Total workers (F+G)					

b. Differently abled employees and workers:

S. No.	Particulars	Total (A)	Male		Female	
			No. (B)	% (B/A)	No. (C)	% (C/A)
1.	Permanent (D)	2795	2306	82.5%	489	17.5%
2.	Otherthan Permanent (E)	NA	NA	NA	NA	NA
3.	Total differently abled employees (D + E)	2795	2306	82.5%	489	17.5%
Differently Abled Workers						
4.	Permanent (F)	Not Applicable				
5.	Other than permanent (G)					
6.	Total differently abled workers(F + G)					

19. महिलाओं की भागीदारी/समावेशन/प्रतिनिधित्व

	कुल(ए)	महिलाओं की संख्या और प्रतिशत	
		संख्या (बी)	% (बी / ए)
निदेशक मंडल	12	1	8.33%
प्रमुख प्रबंधन कार्मिक	7	1	14.28%

20. स्थायी कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए टर्नओवर दर (पिछले 3 वर्षों के रुझानों का प्रकटीकरण करें)

	(वित्त वर्ष 2022–23 में टर्नओवर दर)			(वित्त वर्ष 2021–22 में टर्नओवर दर)			(वित्त वर्ष 2020–21 में टर्नओवर दर)		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
स्थायी कर्मचारी	4.48%	3.21%	4.17%	5.24%	3.77%	4.89%	5.32%	3.78%	4.80%
स्थायी कर्मचारी	लागू नहीं								

* टर्नओवर दर – एक वित्तीय वर्ष में पुरुष/महिला कर्मचारियों की कुल संख्या से विभाजित पुरुष/महिला कर्मचारियों की संख्या।

V- होल्डिंग, अनुषंगी और सहयोगी कंपनियां/संयुक्त उद्यम

21. (ए) होल्डिंग/अनुषंगी/सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के नाम

क्र. सं.	होल्डिंग का नाम/अनुषंगी/सहयोगी कंपनियां/संयुक्त उद्यम (ए)	इंगित करें कि क्या होल्डिंग/अनुषंगी/सहयोगी/संयुक्त उद्यम है	सूचीबद्ध इकाई द्वारा धारित शेयरों का%	क्या कॉलम ए में दर्शाई गई इकाई सूचीबद्ध इकाई की व्यावसायिक उत्तरदायित्व पहल में भाग लेती है? (हां/नहीं)
1	पीएनबी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज लिमिटेड	अनुषंगी	100.00	नहीं
2	पीएनबी कार्ड्स एंड सर्विसेज लिमिटेड	अनुषंगी	100.00	नहीं
3	पीएनबी (इंटरनैशनल) लिमिटेड	अनुषंगी	100.00	नहीं
4	पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड	अनुषंगी	74.07	नहीं

19. Participation/ Inclusion/ Representation of women

	Total (A)	No. and percentage of Females	
		No. (B)	% (B / A)
Board of Directors	12	1	8.33%
Key Management Personnel	7	1	14.28%

20. Turnover rate for permanent employees and workers (Disclose trends for the past 3 years)

	(Turnover rate in FY 2022-23)			(Turnover rate in FY 2021-22)			(Turnover rate in FY 2020-21)		
	Male	Female	Total	Male	Female	Total	Male	Female	Total
Permanent Employees	4.48%	3.21%	4.17%	5.24%	3.77%	4.89%	5.32%	3.78%	4.90%
Permanent Employees	Not Applicable								

* Turnover rate - Number of Male/Female employees left divided by Total number of Male/Female employees in a financial year.

V. Holding, Subsidiary and Associate Companies / Joint Ventures

21. (a) Names of holding / subsidiary / associate companies / joint ventures

S. No.	Name of the holding/ subsidiary/ associate companies/ joint ventures (A)	Indicate whether holding/ Subsidiary/ Associate/ Joint Venture	% of shares held by listed entity	Does the entity indicated at column A participate in the Business Responsibility initiatives of the listed entity? (Yes/ No)
1	PNB Investment Services Ltd.	Subsidiary	100.00	No
2	PNB Cards And Services Limited	Subsidiary	100.00	No
3	PNB (International) Ltd.	Subsidiary	100.00	No
4	PNB Gilts Ltd	Subsidiary	74.07	No

क्र. सं.	होल्डिंग का नाम/ अनुषंगी/ सहयोगी कंपनियां/ संयुक्त उद्यम (ए)	इंगित करें कि क्या होल्डिंग/ अनुषंगी/ सहयोगी / संयुक्त उद्यम है	सूचीबद्ध इकाई द्वारा धारित शेयरों का %	क्या कॉलम ए में दर्शाई गई इकाई सूचीबद्ध इकाई की व्यावसायिक उत्तरदायित्व पहल में भाग लेती है? (हां/ नहीं)
5	डीआरयूके पीएनबी बैंक लिमिटेड	अनुषंगी	51.00	नहीं
6	पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड	सहयोगी	32.52	नहीं
7	पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	सहयोगी	30.00	नहीं
8	केनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	सहयोगी	23.00	नहीं
9	इंडिया एसएमई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड	सहयोगी	20.90	नहीं
10	एवरेस्ट बैंक लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	20.02	नहीं

VI- कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व विवरण

22. (I) क्या सीएसआर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार लागू है: (हां / नहीं)

नहीं, प्रावधान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर लागू नहीं है, क्योंकि ये कंपनी अधिनियम के तहत कंपनियों के रूप में पंजीकृत नहीं हैं। एक सामाजिक रूप से जिम्मेदार बैंक होने के नाते और बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ सामाजिक संबंधों को मजबूत करने के लिए, हमारी सीएसआर गतिविधियों के पीछे बैंक का प्रमुख उद्देश्य 'समाज को वापस देना' है।

(II) टर्नओवर (रु. में)

(III) नेटवर्थ (रु. में) 90,784 करोड़ रु

S. No.	Name of the holding/ subsidiary/ associate companies/ joint ventures (A)	Indicate whether holding/ Subsidiary/ Associate/ Joint Venture	% of shares held by listed entity	Does the entity indicated at column A participate in the Business Responsibility initiatives of the listed entity? (Yes/ No)
5	DRUK PNB Bank Limited	Subsidiary	51.00	No
6	PNB Housing Finance Ltd.	Associate	32.52	No
7	PNB MetLife India Insurance Co Ltd.	Associate	30.00	No
8	Canara HSBC Life Insurance Co. Ltd.	Associate	23.00	No
9	India SME Asset Reconstruction Company Ltd.	Associate	20.90	No
10	Everest Bank Ltd.	Joint Venture	20.02	No

VI. Corporate Social Responsibility Details

22. (i) Whether CSR is applicable as per section 135 of Companies Act, 2013: (Yes/No)

No, these provisions are not applicable to Public Sector Banks, as these are not registered as companies under the Companies Act. Being a socially responsible bank and to strengthen social ties with the community at large, 'Giving back to the Society' is the prime motive of the Bank behind our CSR activities.

(ii) Turnover (in Rs.) -

(iii) Net worth (in Rs.) Rs 90,784 Cr

VII- पारदर्शिता और प्रकटीकरण अनुपालन

23. उत्तरदायी व्यावसायिक आचार पर राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के तहत किसी भी सिद्धांत (सिद्धांत 1 से 9) पर शिकायतें/परिवाद:

हितधारक समूह जिससे शिकायत प्राप्त हुई है	शिकायत निवारण तंत्र मौजूद है (हां/नहीं)	वित्त वर्ष 2022–23			वित्त वर्ष 2021–22		
	(यदि हां, तो शिकायत निवारण नीति के लिए वेब–लिंक प्रदान करें)	वर्ष के दौरान दायर की गई शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में समाधान लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में समाधान लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणियां
समुदाय	शून्य						
निवेशक (शेयरधारकों के अलावा)	शून्य						
शेयरधारकों	www.pnbindia.in	38	0	शून्य	19	0	शून्य
कर्मचारी	आंतरिक	2879	0		6242	0	
मूल्य श्रृंखला भागीदार	लागू नहीं						
अन्य (ग्राहकों सहित)*	www.pnbindia.in	123141	1243	–	139584	907	–

*गैर-डिजिटल

24. इकाई के महत्वपूर्ण जिम्मेदार व्यावसायिक आचार मुद्दों का अवलोकन

कृपया निम्नलिखित के अनुसार पर्यावरण और सामाजिक मामलों से संबंधित महत्वपूर्ण जिम्मेदार व्यावसायिक आचार और स्थिरता के मुद्दों को इंगित करें जो आपके व्यवसाय के लिए एक जोखिम या एक अवसर पेश करते हैं, उसी की पहचान करने के लिए तर्क और इसके वित्तीय निहितार्थ के साथ–साथ जोखिम को अनुकूलित करने या कम करने के दृष्टिकोण प्रस्तुत करते रहें।

क्र. सं.	महत्वपूर्ण समस्या जिसकी पहचान की गई	इंगित करें कि क्या जोखिम या अवसर (आर/ओ)	जोखिम/अवसर की पहचान करने का तर्क	जोखिम के मामले में, अनुकूलन या कम करने के लिए दृष्टिकोण	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक आशय इंगित करें)
1	जलवायु परिवर्तन	जोखिम	प्राथमिक और साथ ही संपार्श्विक प्रतिभूतियों दोनों के रूप में बैंक का जलवायु संवेदनशील संपत्तियों के लिए महत्वपूर्ण जोखिम है। जलवायु परिवर्तन व्यवसायों की व्यवहार्यता और बैंक द्वारा वित्तपोषित संपत्तियों की सुरक्षा के लिए एक चुनौती पेश करता है।	बैंक जलवायु जोखिम को एक महत्ता जोखिम के रूप में पहचानता है और उसी बैंक की महत्ता का आकलन करने के लिए प्रमुख जलवायु जोखिम चालकों के परिदृश्य और संवेदनशीलता विश्लेषण सहित जलवायु जोखिम मूल्यांकन ढांचे को विकसित करने पर काम कर रहा है।	नकारात्मक
2	जलवायु वित्त	अवसर	ऊर्जा के नवीकरणीय/स्वच्छ रूप पर सरकार के जोर के कारण निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के साथ, बैंक ने जलवायु वित्त में एक महत्वपूर्ण अवसर की परिकल्पना की है। बैंक विकसित स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहा है और जलवायु वित्त की विशिष्ट आवश्यकता को पूरा करने वाले उत्पादों और सेवाओं को विकसित करने के मामले में खुद को तैयार कर रहा है।	लागू नहीं	सकारात्मक

VII. Transparency and Disclosures Compliances

23. Complaints/Grievances on any of the principles (Principles 1 to 9) under the National Guidelines on Responsible Business Conduct:

Stakeholder group from whom complaint is received	Grievance Redressal Mechanism in Place (Yes/No)	FY 2022-23			FY 2021-22		
	(If Yes, then provide web-link for grievance redress policy)	No. of complaints filed during the year	No. of complaints pending resolution at close of the year	Remarks	No. of complaints filed during the year	No. of complaints pending resolution at close of the year	Remarks
Communities	NIL						
Investors (other than shareholders)	NIL						
Shareholders	www.pnbindia.in	38	0	Nil	19	0	Nil
Employees	Internal	2879	0		6242	0	
Value Chain Partners	Not Applicable						
Other (including Customers) *	www.pnbindia.in	123141	1243	-	139584	907	-

*non-digital

24. Overview of the entity's material responsible business conduct issues

Please indicate material responsible business conduct and sustainability issues pertaining to environmental and social matters that present a risk or an opportunity to your business, rationale for identifying the same, approach to adapt or mitigate the risk along-with its financial implications, as per the following format

S. No.	Material issue identified	Indicate whether risk or opportunity (R/O)	Rationale for identifying the risk/ opportunity	Incase of risk, approach to adapt or mitigate	Financial implications of the risk or opportunity (Indicate positive or negative implications)
1	Climate Change	Risk	The Bank is having significant exposure to climate sensitive assets both in the form of primary as well as collateral securities. Climate change pose a challenge to the viability of the businesses and safety of the assets so financed by the bank.	The Bank identifies climate risk as a material risk and in order to assess the materiality of the same, Bank is working on developing a climate risk assessment framework including scenario and sensitivity analysis of key climate risk drivers.	Negative
2	Climate Finance	Opportunity	With Transition to low carbon economy set in motion on the back of government thrust on renewable/cleaner form of energy, the Bank envisage a significant opportunity in climate finance. The Bank is closely monitoring the evolving situation and readying itself in terms of developing products and services catering to specific requirement of climate finance.	NA	Positive

खंड बी: प्रबंधन और प्रक्रिया प्रकटीकरण

इस खंड का उद्देश्य कारोबारों को उत्तरदायित्वपूर्ण आचरण (एनजीआरबीसी) सिद्धांत और मूल तत्व पर राष्ट्रीय दिशानिर्देशों को अपनाने की दिशा में स्थापित संरचनाओं, नीतियों और प्रक्रियाओं को प्रदर्शित करने में मदद करना है।

प्रकटीकरण प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
नीति और प्रबंध प्रक्रियाओं									
1. ए. क्या आपकी संस्था की नीति/ नीतियां एनजीआरबीसी के प्रत्येक सिद्धांत और उसके मूल तत्वों को कवर करती हैं। (हां नहीं)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
बी. क्या नीति को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है? (हां नहीं)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
सी. नीतियों का वेब लिंक, यदि उपलब्ध हो	नीतियां बैंक की वेबसाइट www.pnbindia.in पर उपलब्ध है । हालाँकि, कुछ नीतियां आंतरिक नीतियां है और केवल आंतरिक हितधारकों के लिए उपलब्ध है।								
2. क्या संस्था ने नीति को प्रक्रियाओं में परिवर्तित किया है। (हां नहीं)	हां, नीतियों को प्रक्रियाओं में परिवर्तित किया गया है।								
3. क्या सूचीबद्ध नीतियां आपके मूल्य श्रृंखला भागीदारों तक विस्तारित हैं? (हां नहीं)	नहीं								
4. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कोड/प्रमाणीकरण/लेबल/ मानक (जैसे फॉरेस्ट स्टीवर्डशिप काउंसिल, फेयरट्रेड, रेनफॉरेस्ट एलायंस, ट्रस्टिया) मानकों (जैसे SA 8000, OHSAS, ISO, BIS) के नाम आपकी संस्था द्वारा अपनाया गया है और प्रत्येक सिद्धांत के लिए मैप किया गया है।	लागू नहीं								
5. निर्धारित समय सीमा के साथ इकाई द्वारा निर्धारित विशिष्ट प्रतिबद्धताएं, ध्येय और लक्ष्य, यदि कोई हो।	नीतियों के तहत कोई खास लक्ष्य तय नहीं किया जा रहा है।								
6. विशिष्ट प्रतिबद्धताओं, ध्येय और लक्ष्यों के लिए संस्था का कार्यनिष्पादन और साथ ही कारण भी हैं/यदि प्राप्त नहीं हुए	बैंक के अलग–अलग विभाग हैं जो नीति की प्रतिबद्धताओं, ध्येय और लक्ष्यों की निगरानी करते हैं। बोर्ड समय–समय पर कार्यनिष्पादन की समीक्षा भी करता है।								

अभिशासन, नेतृत्व और पर्यवेक्षण

7.	कारोबार उत्तरदायित्व रिपोर्ट के लिए उत्तरदायी निदेशक द्वारा वक्तव्य, ईएसजी से संबंधित चुनौतियों, लक्ष्यों और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया (इस प्रकटीकरण के स्थापन के संबंध सूचीबद्ध संस्था में लचीलापन है)एक सशक्त ईएसजी ढांचा सतत विकास के प्रति संगठन की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बैंक का मानना है कि जलवायु परिवर्तन आज सबसे अधिक दबाव वाली वैश्विक चुनौती है। बैंक ने यह सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न पहलें की हैं कि हमारे परिचालन एक स्थायी हरित भविष्य की ओर संचालित हैं। उधार देते समय हम नवीकरणीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा और हरित वित्तपोषण पर जोर देते हैं। समाज को वापस देना उद्देश्य रहा है और बैंक हमारी विभिन्न सीएसआर गतिविधियों और ग्रामीण प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से समाज के वंचित वर्गों की सहायता करने में सबसे आगे है। बैंक अखंडता, कॉर्पोरेट अभिशासन और नियामक अनुपालन के नैतिक मानकों के उच्चतम स्तर को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। ये मापदंड हमारी कॉर्पोरेट अभिशासन नीति का आधार बनाते हैं। हमने सक्रिय रूप से अभिशासन प्रथाओं को बरकरार रखा है और अपने मानकों को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं।

8. कारोबार उत्तरदायित्व नीतियों के कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार उच्चतम प्राधिकारी का विवरण।	श्री कल्याण कुमार कार्यपालक निदेशक
9. क्या संस्था के पास स्थिरता से संबंधित मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए उत्तरदायी बोर्ड/निदेशक की एक निर्दिष्ट समिति है? (हां नहीं)। यदि हां, तो विवरण दें।	आरएमसी (जोखिम प्रबंधन समिति– बोर्ड की एक उपसमिति) को ईएसजी विकास पर बोर्ड का सहयोग करने और जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं में जलवायु विकास के एकीकरण को गति देने के लिए ईएसजी नवाचारों को संचालित करने का काम सौंपा गया है।

SECTION B: MANAGEMENT AND PROCESS DISCLOSURES

This section is aimed at helping businesses demonstrate the structures, policies and processes put in place towards adopting the National Guidelines on Responsible Business Conduct (NGRBC) Principles and Core Elements.

Disclosure Questions	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9
Policy and management processes									
1. a. Whether your entity's policy/policies cover each principle and its core elements of the NGRBCs. (Yes/No)	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
b. Has the policy been approved by the Board? (Yes/No)	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
c. Web Link of the Policies, if available	The policies are available on the Bank's website www.pnbindia.in. However, some policies are internal policies and available to only internal stakeholders.								
2. Whether the entity has translated the policy into procedures. (Yes / No)	Yes, the policies have been translated into procedures.								
3. Do the enlisted policies extend to your value chain partners? (Yes/No)	No								
4. Name of the national and international codes/certifications/labels/standards (e.g. Forest Stewardship Council, Fairtrade, Rainforest Alliance, Trustea) standards (e.g. SA 8000, OHSAS, ISO, BIS) adopted by your entity and mapped to each principle.	Not Applicable								
5.Specific commitments, goals and targets set by the entity with defined timelines, if any.	No specific target is being set under the policies.								
6. Performance of the entity against the specific commitments, goals and targets along-with reasons in case the same are not met.	The Bank has separate departments that monitors the commitments, goals and targets of the policy. The Board also reviews the performance periodically from time to time.								

Governance, leadership and oversight

7.	Statement by director responsible for the business responsibility report, highlighting ESG related challenges, targets and achievements (listed entity has flexibility regarding the placement of this disclosure) A strong ESG framework is reflective of the organization's commitment toward sustainable growth. The Bank believes that climate change is the most pressing global challenge today. The Bank has taken various initiatives to ensure that our operations are directed towards a sustainable green future. While lending we emphasize lending to renewable energy, solar power and Green financing. Giving back to the society has been the purpose and the Bank is at the forefront in supporting underprivileged sections of the society through our various CSR activities and rural training centers. The Bank is committed to maintaining the highest levels of ethical standards of integrity, corporate governance and regulatory compliance. These parameters form the bedrock of our corporate governance policy. We have proactively upheld good governance practices and are constantly striving to enhance our standards.

8. Details of the highest authority responsible for implementation and oversight of the Business Responsibility policy (ies) .	Shri Kalyan Kumar Executive Director
9. Does the entity have a specified Committee of the Board/ Director responsible for decision making on sustainability related issues? (Yes / No) . If yes, provide details.	RMC (Risk Management Committee- a Subcommittee of Board) is entrusted to drive the ESG initiative to support the Board on ESG developments and speed up integration of climate consideration into risk management processes.

10. कंपनी द्वारा एनजीआरबीसी की समीक्षा का विवरण:

विषय के लिए समीक्षा	बताएं कि क्या समीक्षा निदेशक/बोर्ड की समिति/किसी अन्य समिति द्वारा की गई थी									आवृत्ति (वार्षिक/अर्धवार्षिक/त्रैमासिक/कोई अन्य – कृपया निर्दिष्ट करें)								
	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
उपरोक्त नीतियों का कार्य निष्पादन और अनुवर्ती कार्रवाई	सक्षम अधिकारी समय-समय पर नीतियों की समीक्षा करते हैं। समीक्षा के बाद नीति में आवश्यक परिवर्तन लागू किए जाते हैं।																	
सिद्धांतों की प्रासंगिकता की वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन और किसी भी गैर-अनुपालन में सुधार	बैंक सभी लागू मौजूदा नियमों का अनुपालन करता है।																	

11. क्या संस्था ने किसी बाहरी एजेंसी द्वारा अपनी नीतियों की कार्यप्रणाली का स्वतंत्र मूल्यांकन करवाया है? (हां/नहीं)। यदि हां, तो एजेंसी का नाम बताएं।	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
	नहीं								

12. यदि उपरोक्त प्रश्न (1) का उत्तर "नहीं" है अर्थात सभी सिद्धांत एक नीति के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो कारण बताएं: लागू नहीं

खंड सी: सिद्धांतवार कार्यनिष्पादन प्रकटीकरण

इस खंड का उद्देश्य संस्थाओं को प्रमुख प्रक्रियाओं और निर्णयों के साथ सिद्धांतों और मूल तत्वों को एकीकृत करने में उनके प्रदर्शन को प्रदर्शित करने में मदद करना है। मांगी गई जानकारी को "आवश्यक" और "नेतृत्व" के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जबकि इस रिपोर्ट को दर्ज करने के लिए अनिवार्य प्रत्येक इकाई द्वारा आवश्यक संकेतकों का खुलासा किए जाने की उम्मीद है, नेतृत्व संकेतक स्वेच्छा से उन संस्थाओं द्वारा प्रकट किए जा सकते हैं जो सामाजिक, पर्यावरणीय और नैतिक रूप से उत्तरदायी बनने के अपने अन्वेषण में उच्च स्तर तक प्रगति करने की इच्छा रखते हैं।

सिद्धांत 1 व्यवसायों को ईमानदारी के साथ और नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से संचालन और खुद को नियंत्रित करना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा प्रतिशत कवरेज:

खंड	आयोजित प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या*	प्रशिक्षण के अंतर्गत आने वाले विषय/सिद्धांत और उसका प्रभाव	जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा कवर किए गए संबंधित वर्ग में व्यक्तियों का प्रतिशत
निदेशक मंडल	3	सिद्धांत 1 सिद्धांत 4 सिद्धांत 9	6 प्रतिभागी
प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति	1	सिद्धांत 4	1 प्रतिभागी
निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति के अलावा अन्य कर्मचारी	186 कार्यक्रम (601 बैच)	सिद्धांत 1 सिद्धांत 2	16433 प्रतिभागी (15.78%)
निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति के अलावा अन्य कर्मचारी	29 कार्यक्रम(29 बैच)	सिद्धांत 3	2461 प्रतिभागी (2.36%)
निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति के अलावा अन्य कर्मचारी	160 कार्यक्रम (894 बैच)	सिद्धांत 9	46285 प्रतिभागी (44.45%)
श्रमिक	शून्य		

*बैंक द्वारा आंतरिक प्रशिक्षण के आधार पर

2. वित्तीय वर्ष में नियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों के साथ कार्यवाहियों (संस्था द्वारा या निदेशकों/ प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति द्वारा) में भुगतान किए गए जुर्माने/अधिनिर्णय/सजा/यौगिक शुल्क/निपटान राशि का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में (नोट: इकाई महत्ता के आधार पर प्रकटीकरण करेगी जैसा कि सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण दायित्व) विनियम, 2015 के विनियम 30 में निर्दिष्ट है और जैसा कि संस्था की वेबसाइट पर प्रकट किया गया है):

10. Details of Review of NGRBCs by the Company:

Subject for Review	Indicate whether review was undertaken by Director / Committee of the Board/ Any other Committee									Frequency (Annually/ Half yearly/ Quarterly/ Any other – please specify)								
	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9
Performance against Above policies and follow up action	The competent authorities review the policies periodically. The necessary changes in the policy are implemented post review.																	
Compliance with statutory requirements of relevance to the principles and rectification of any non-compliances	The Bank is in compliance with the extant regulations as applicable.																	

11. Has the entity carried out independent assessment/ evaluation of the working of its policies by an external agency? (Yes/No) . If yes, provide name of the agency.	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9
	No								

12. **If answer to question (1) above is "No" i.e. not all Principles are covered by a policy, reasons to be stated:** Not Applicable

SECTION C: PRINCIPLE WISE PERFORMANCE DISCLOSURE

This section is aimed at helping entities demonstrate their performance in integrating the Principles and Core Elements with key processes and decisions. The information sought is categorized as "Essential" and "Leadership". While the essential indicators are expected to be disclosed by every entity that is mandated to file this report, the leadership indicators may be voluntarily disclosed by entities which aspire to progress to a higher level in their quest to be socially, environmentally and ethically responsible.

PRINCIPLE 1 Businesses should conduct and govern themselves with integrity, and in a manner that is Ethical, Transparent and Accountable.

Essential Indicators

1. **Percentage coverage by training and awareness programmes on any of the Principles during the financial year:**

Segment	Total No. of training and awareness programmes* held	Topics/principles covered under the training and its impact	% age of persons in respective category covered by the awareness programmes
Board of Directors	3	Principle 1 Principle 4 Principle 9	6 Participants
Key Managerial Person	1	Principle 4	1 Participant
Employees other than BoD and KMPs	186 Programs (601 Batch)	Principle 1 Principle 2	16433 Participants (15.78%)
Employees other than BoD and KMPs	29 Programs (29 Batch)	Principle 3	2461 Participants (2.36%)
Employees other than BoD and KMPs	160 Programs (894 Batch)	Principle 9	46285 Participants (44.45%)
Workers	NIL		

*Based on in-house training by the Bank

2. **Details of fines / penalties /punishment/ award/ compounding fees/ settlement amount paid in proceedings (by the entity or by directors / KMPs) with regulators/ law enforcement agencies/ judicial institutions, in the financial year, in the following format (Note: the entity shall make disclosures on the basis of materiality as specified in Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Obligations) Regulations, 2015 and as disclosed on the entity's website) :**

मौद्रिक					
	एनजीआरबीसी सिद्धांत	नियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों के नाम	राशि (रू. में)	मामले का संक्षिप्त विवरण	क्या अपील दायर की गई है? (हां/ नहीं)
दंड/जुर्माना	स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किए जाने हेतु अपेक्षित घटनाओं/सूचनाओं की महत्ता का निर्धारण करने के लिए बैंक की नीति के अनुसार, वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत करने के लिए ऐसी कोई घटना हमें सूचित नहीं की गई है।				
समझौता					
शमन शुल्क					
गैर–मौद्रिक					
कारावास	स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किए जाने के लिए आवश्यक घटनाओं/सूचनाओं की भौतिकता का निर्धारण करने के लिए बैंक की नीति के अनुसार, वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत करने के लिए ऐसी कोई घटना हमें सूचित नहीं की गई है।				
सजा					

3. ऊपर दिए गए प्रश्न 2 में बताए गए उदाहरणों में से, उन मामलों में अपील/पुनरीक्षण का विवरण जहां मौद्रिक या गैर–मौद्रिक कार्रवाई की अपील की गई हो।

मामले का विवरण	नियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों के नाम
लागू नहीं	

4. क्या संस्था के पास भ्रष्टाचार विरोधी या रिश्वतखोरी विरोधी नीति है? यदि हां, तो संक्षेप में विवरण दें और यदि उपलब्ध हो, तो नीति का वेब–लिंक प्रदान करें।

बैंक की व्हिसल ब्लोअर नीति है। बैंक निवेशक और अन्य हितधारकों के विश्वास को बढ़ाने और संगठन की दक्षता और विकास में सुधार के लिए पारदर्शिता, नैतिक मूल्यों के उच्च मानकों को स्थापित करने में विश्वास करता है। बैंक पारदर्शिता, व्यावसायिकता और जवाबदेही के आधार पर सर्वोत्तम कॉर्पोरेट प्रशासन प्रथाओं का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है।

नीति और रिपोर्ट वेबसाइट www.pnbindia.in पर मौजूद है

5. निदेशकों/केएमपी/कर्मचारियों/कामगारों की संख्या जिनके विरुद्ध रिश्वतखोरी/भ्रष्टाचार के आरोपों के लिए किसी कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई:

	वित्त वर्ष 2022–23	वित्त वर्ष 2021–22
निदेशक	शून्य	शून्य
प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति	शून्य	शून्य
कर्मचारी	शून्य	शून्य
कामगार	शून्य	शून्य

6. हितों के टकराव के संबंध में शिकायतों का विवरण:

	वित्त वर्ष 2022–23		वित्त वर्ष 2021–22	
	संख्या	टिप्पणियां	संख्या	टिप्पणियां
निदेशकों के हितों के टकराव के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या	शून्य	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं
प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति के हितों के टकराव के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या	शून्य	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं

7. भ्रष्टाचार और हितों के टकराव के मामलों में जुर्माने/दंड/नियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित मुद्दों पर की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

लागू नहीं

नेतृत्व संकेतक

1. वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर मूल्य श्रृंखला भागीदारों के लिए आयोजित जागरूकता कार्यक्रम:

आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय/सिद्धांत	जागरूकता कार्यक्रमों के तहत शामिल किए गए मूल्य श्रृंखला भागीदारों (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य के अनुसार) का प्रतिशत।
शून्य		

	Monetary				
	NGRBC Principle	Name of the regulatory/ enforcement agencies/ judicial institutions	Amount (In INR)	Brief of the Case	Has an appeal been preferred? (Yes/No
Penalty/ Fine	In terms of the Bank's Policy for determining materiality of events/ information required to be reported to Stock Exchanges, no such instance has been reported to us for onward submission to the Stock Exchanges during the FY 2022-23				
Settlement					
Compounding fee					
Non-Monetary					
Imprisonment	In terms of the Bank's Policy for determining materiality of events/ information required to be reported to Stock Exchanges, no such instance has been reported to us for onward submission to the Stock Exchanges during the FY 2022-23				
Punishment					

3. **Of the instances disclosed in Question 2 above, details of the Appeal/ Revision preferred in cases where monetary or non-monetary action has been appealed.**

Case Details	Name of the regulatory/ enforcement agencies/ judicial institutions
Not Applicable	

4. **Does the entity have an anti-corruption or anti-bribery policy? If yes, provide details in brief and if available, provide a web-link to the policy.**

   The Bank has a Whistle Blower Policy. The Bank believes in enhancing investor and other stakeholders' confidence and setting high standards of transparency, ethical values for improving efficiency and growth of the organization. The Bank is committed to following best Corporate Governance practices based on transparency, professionalism and accountability.

   The policy and the report are present on the website www.pnbindia.in

5. **Number of Directors/KMPs/employees/workers against whom disciplinary action was taken by any law enforcement agency for the charges of bribery/ corruption:**

	FY 2022-23	FY 2021-22
Directors	NIL	NIL
KMPs	NIL	NIL
Employees	NIL	NIL
Workers	NIL	NIL

6. **Details of complaints with regard to conflict of interest:**

	FY 2022-23		FY 2021-22	
	No.	Remarks	No.	Remarks
No. of complaints received in relation to issues of Conflict of Interest of the Directors	Nil	Not Applicable	Nil	Not Applicable
No. of complaints received in relation to issues of Conflict of Interest of the KMPs	Nil	Not Applicable	Nil	Not Applicable

7. **Provide details of any corrective action taken or underway on issues related to fines / penalties / action taken by regulators/ law enforcement agencies/ judicial institutions, on cases of corruption and conflicts of interest.**

   Not Applicable

Leadership Indicators

1. **Awareness programs conducted for value chain partners on any of the Principles during the financial year:**

Total no. of awareness programmes held	Topics / principles covered under the training	%age of value chain partners covered (by value of business done with such partners) under the awareness programmes
NIL		

2. क्या संस्था के पास बोर्ड के सदस्यों सहित हितों के टकराव से बचने/उसे प्रबंधित करने के लिए प्रक्रियाएँ हैं? (हां/नहीं) यदि हां, तो उसका विवरण दें।

बोर्ड के सभी सदस्यों के लिए आदर्श आचार संहिता में बोर्ड के सदस्यों सहित हितों के टकराव से बचने/उसे प्रबंधित करने की प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है। आदर्श आचार संहिता के पालन के संबंध में निदेशकों से नियुक्ति के समय और उसके बाद वार्षिक आधार पर पुष्टि प्राप्त की जाती है।

सिद्धांत 2 कारोबार को इस तरीके से सामान और सेवाएं प्रदान करनी चाहिए जो टिकाऊ और सुरक्षित हो

1. उत्पाद और प्रक्रियाओं के पर्यावरण और सामाजिक प्रभावों में सुधार के लिए विशिष्ट प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान और विकास और पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) निवेश का प्रतिशत क्रमशः संस्था द्वारा किए गए कुल अनुसंधान और विकास और कैपेक्स निवेश।

	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2021-22	पर्यावरण और सामाजिक प्रभावों में सुधार का विवरण
अनुसंधान एवं विकास	लागू नहीं		
पूंजी व्यय			

2. ए. क्या संस्था के पास टिकाऊ स्त्रोत के लिए प्रक्रियाएँ मौजूद हैं? (हां/नहीं)

जैसा कि बैंक वित्तीय सेवा क्षेत्र में है, कागज के अलावा परिचालन के लिए सामग्री की खरीद महत्वपूर्ण नहीं है। उपकरणों की खरीद के लिए, बैंक सुनिश्चित करता है कि कंप्यूटर, लैपटॉप, लाइटिंग डिवाइस, एसी आदि जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की खरीद के दौरान ऊर्जा दक्षता के साथ-साथ टिकाऊ मानकों पर विचार किया जाए।

बी. यदि हां, तो कितने प्रतिशत निविष्टियों को स्थायी रूप से प्राप्त किया गया?

लागू नहीं

3. (ए) प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित) (बी) ई-कचरा (सी) खतरनाक अपशिष्ट और (डी) अन्य कचरे के लिए, जीवन के अंत में पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण और निपटान के लिए अपने उत्पादों को सुरक्षित रूप से पुनः प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का वर्णन करें।

बैंक हमारे परिचालन से उत्पन्न कचरे के स्थायी प्रबंधन की दिशा में उत्तरोत्तर काम कर रहा है। बैंक तीन प्रकार के गैर-खतरनाक कचरे से निपटता है – ई-कचरा, सूखा कचरा (पेपर कचरा) और गीला कचरा (कैफेटेरिया, सीवेज), जिनमें से ई-कचरा अधिकृत रिसाइकलरों के माध्यम से निपटाया जाता है। बैंक प्लास्टिक की बोतलों के उपयोग को कम करने की दिशा में भी उत्साह से काम कर रहा है। प्रधान कार्यालय से एकल उपयोग वाली प्लास्टिक की बोतलों को पहले ही हटा दिया गया है और हमने सभी बैठक और

2. Does the entity have processes in place to avoid/ manage conflict of interests involving members of the Board? (Yes/No) If yes, provide details of the same.

Processes to avoid / manage conflicts of interests involving members of the Board are included in the Model Code of Conduct for all members of the Board. Confirmation with regard to adherence to the Model Code of Conduct is obtained from the Directors at the time of joining and thereafter, on annual basis

PRINCIPLE 2 Businesses should provide goods and services in a manner that is sustainable and safe

1. Percentage of Research and Development and capital expenditure (capex) investments in specific technologies to improve the environmental and social impacts of product and processes to total R&D and capex investments made by the entity, respectively.

	FY 2022-23	FY 2021-22	Details of improvements in environmental and social impacts
R&D	Not Applicable		
Capex			

2. a. Does the entity have procedures in place for sustainable sourcing? (Yes/No)

As the Bank is in the Financial Services sector, material purchase for operations is not significant except for paper. For procurement of equipment, the Bank ensures that energy efficiency as well as sustainable standards are considered during the purchase of electronic equipment such as computers, laptops, lighting devices, AC's etc.

b. If yes, what percentage of inputs were sourced sustainably?

Not Applicable

3. Describe the processes in place to safely reclaim your products for reusing, recycling and disposing at the end of life, for (a) Plastics (including packaging) (b) E-waste (c) Hazardous waste and (d) other waste.

The Bank is working progressively towards sustainable management of waste generated from our operations. The Bank deals with three types of non-hazardous waste – e-waste, dry waste (paper waste) and wet waste (cafeteria, sewage) , of which e-waste is disposed through authorized recyclers. The Bank is also aggressively working towards minimizing the use of plastic bottles. Single use plastic bottles have already been phased out from head office and we have replaced multiple use plastic water bottles

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्षों में बहु-उपयोग वाली प्लास्टिक की पानी की बोतलों को कांच के जार से बदल दिया है। जेनरेटर सेटों में उपयोग किए जाने वाले डीजल/ईंधन तेल से उत्पन्न होने वाला खतरनाक अपशिष्ट हमारे यहाँ में नगण्य है।

4. क्या विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) इकाई की गतिविधियों पर लागू होता है (हां/नहीं)। यदि हां, तो क्या अपशिष्ट संग्रह योजना प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को प्रस्तुत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) योजना के अनुरूप है? यदि नहीं, तो इसके समाधान के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दें।

लागू नहीं

नेतृत्व संकेतक

1. क्या संस्था ने अपने किसी उत्पाद (विनिर्माण उद्योग के लिए) या अपनी सेवाओं (सेवा उद्योग के लिए) के लिए जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य/मूल्यांकन (LCA) किया है? यदि हाँ, तो निम्नलिखित प्रारूप में विवरण दें?

लागू नहीं

2. यदि आपके उत्पादों/सेवाओं के उत्पादन या निपटान से उत्पन्न कोई महत्वपूर्ण सामाजिक या पर्यावरणीय चिंता और/या जोखिम हैं, जैसा कि जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य/मूल्यांकन (एलसीए) में या किसी अन्य माध्यम से पहचाना गया है, उसका संक्षेप में वर्णन करें और साथ इसे कम करने के लिए इसका संक्षेप में वर्णन करें।

लागू नहीं

3. उत्पादन (निर्माण उद्योग के लिए) या सेवा प्रदान करने (सेवा उद्योग के लिए) में उपयोग की जाने वाली कुल सामग्री (मूल्य द्वारा) में रिसाईकिल या पुनः उपयोग की गई इनपुट सामग्री का प्रतिशत।

लागू नहीं

4. उत्पादों के उपयोग क्षमता की समाप्ति पर पुनः प्राप्त किए गए उत्पादों और पैकेजिंग में से, राशि (मीट्रिक टन में) का पुनश्च उपयोग, पुनर्नवीनीकरण और सुरक्षित रूप से निपटान।

गैर-खतरनाक नगरपालिका ठोस अपशिष्ट को एकत्र किए गए कुल अपशिष्ट का 80 प्रतिशत -85 प्रतिशत पुनर्नवीनीकरण किया जाता है। शेष गैर-पुनर्नवीनीकरण योग्य और डिस्पोजेबल भाग को भारतीय प्रदूषण नियंत्रण संघ द्वारा प्रमाणित अधिकृत भूमि-भरण स्थल पर निपटाया जाता है।

5. प्रत्येक उत्पाद श्रेणी के लिए पुनश्च दावा किए गए उत्पाद और उनकी पैकेजिंग सामग्री (बेचे गए उत्पादों के प्रतिशत के रूप में)।

लागू नहीं

सिद्धांत 3 व्यवसायों को अपने कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों के कल्याण का सम्मान करना चाहिए और उनकी भलाई को बढ़ावा देना चाहिए।

with glass jars across all meeting and video conferencing rooms. Hazardous waste within our scope, arising from diesel/fuel oil used in generator sets, is negligible.

4. **Whether Extended Producer Responsibility (EPR) is applicable to the entity's activities (Yes / No) . If yes, whether the waste collection plan is in line with the Extended Producer Responsibility (EPR) plan submitted to Pollution Control Boards? If not, provide steps taken to address the same.**

Not Applicable

Leadership Indicators

1. **Has the entity conducted Life Cycle Perspective / Assessments (LCA) for any of its products (for manufacturing industry) or for its services (for service industry) ? If yes, provide details in the following format?**

Not Applicable

2. **If there are any significant social or environmental concerns and/or risks arising from production or disposal of your products / services, as identified in the Life Cycle Perspective / Assessments (LCA) or through any other means, briefly describe the same along-with action taken to mitigate the same.**

Not Applicable

3. **Percentage of recycled or reused input material to total material (by value) used in production (for manufacturing industry) or providing services (for service industry) .**

Not Applicable

4. **Of the products and packaging reclaimed at end of life of products, amount (in metric tonnes) reused, recycled, and safely disposed.**

Non-hazardous municipal solid waste are recycled 80 percent-85 percent of the total waste collected. Rest non-recyclable and disposable part is disposed of at authorized land-fill site as certified by Indian Pollution Control Association.

5. **Reclaimed products and their packaging materials (as percentage of products sold) for each product category.**

Not Applicable

PRINCIPLE 3 Businesses should respect and promote the well-being of all employees, including those in their value chains

आवश्यक संकेतक

1. कर्मचारियों के कल्याण के लिए किए गए उपायों का विवरण:

	द्वारा कवर किए गए कर्मचारियों का %										
वर्ग	कुल (ए)	स्वास्थ्य बीमा		दुर्घटना बीमा		मातृत्व लाभ		पितृत्व लाभ		डे केयर सुविधाएं	
		स.(बी)	% (बी/ए)	स. (सी)	% (सी/ए)	संख्या (डी)	% (डी/ए)	स. (ई)	% (ई/ए)	संख्या (एफ)	% (एफ/ए)
स्थायी कर्मचारी											
पुरुष	79054	79054	100	79054	100	0	0	79054	100	0	0
महिला	25066	25066	100	25066	100	25066	100	0	0	95	0.38
कुल	104120	104120	100	104120	100	25066	100	79054	100	95	0.09
स्थायी कर्मचारियों के अलावा											
पुरुष	लागू नहीं										
महिला											
कुल											

बी. कर्मचारियों के कल्याण के लिए किए गए उपायों का विवरण: लागू नही

2. वित्तीय वर्ष 2022–23 और वित्तीय वर्ष 2021–22 वित्तीय वर्ष के लिए सेवानिवृत्ति लाभों का विवरण।

लाभ	वित्त वर्ष 2022-23			वित्त वर्ष 2021-22		
	कुल कर्मचारियों के % के रूप में कवर किए गए कर्मचारियों की संख्या	कुल श्रमिकों के% के रूप में कवर किए गए श्रमिकों की संख्या	कटौती कर प्राधिकरण के पास जमा किया गया (हाँ/नहीं/लागू नहीं)	कुल कर्मचारियों के % के रूप में कवर किए गए कर्मचारियों की संख्या	कुल श्रमिकों के% के रूप में कवर किए गए श्रमिकों की संख्या	कटौती कर प्राधिकरण के पास जमा किया गया (हाँ/नहीं/लागू नहीं)
पीएफ*	0.23	लागू नहीं	नहीं	0.29	लागू नहीं	हाँ
ग्रेच्युटी	100	लागू नहीं	लागू नहीं	100	लागू नहीं	लागू नहीं
ईएसआई	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
अन्य – पेंशन	24.43	लागू नहीं	नहीं *	28.16	लागू नहीं	हाँ
अन्य – एनपीएस	75.34	लागू नहीं	नहीं *	71.55	लागू नहीं	हाँ

* बैंक के स्वयं के पीएफ और पेंशन ट्रस्ट में कटौती और जमा

3. कार्यस्थलों की पहुंच क्या दिव्यांगजन के अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार संस्था के परिसर/कार्यालय अलग-अलग दिव्यांग कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए सुलभ हैं? यदि नहीं, तो क्या संस्था द्वारा इस संबंध में कोई कदम उठाए जा रहे हैं।

हां, संस्था के परिसर/कार्यालय अलग–अलग दिव्यांग कर्मचारियों के लिए सुलभ है। शाखाओं में दिव्यांग कर्मचारियों के लिए रैंप और सभी आवश्यक बुनियादी ढांचे हैं।

4. क्या संस्था के पास दिव्यांगजन के अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार समान अवसर नीति है? यदि ऐसा है, तो नीति के लिए एक वेब–लिंक प्रदान करें।

हां, बैंक की एक ग्राहक अधिकार नीति है जो दिव्यांगजन को समान अवसर प्रदान करती है।
बैंक की समान अवसर नीति सभी दिव्यांग कर्मचारियों पर लागू होती है और बैंक रोजगार के अवसर पैदा करता है और उन्हें एक अनुकूल वातावरण प्रदान करता है।

Essential Indicators

1. **Details of measures for the well-being of employees:**

	% of employees covered by										
Category	Total (A)	Health insurance	Accident insurance		Maternity benefits			Paternity Benefits		Day Care facilities	
		No. (B)	% (B/A)	No. (C)	% (C/A)	No. (D)	% (D/A)	No. (E)	% (E/A)	No. (F)	% (F/A)
Permanent employees											
Male	79054	79054	100	79054	100	0	0	79054	100	0	0
Female	25066	25066	100	25066	100	25066	100	0	0	95	0.38
Total	104120	104120	100	104120	100	25066	100	79054	100	95	0.09
Other than Permanent employees											
Male	Not Applicable										
Female											
Total											

b. **Details of measures for the well-being of workers:** Not Applicable

2. **Details of retirement benefits, for FY 2022-23 and FY 2021-22 Financial Year.**

Benefits	FY 2022-23			FY 2021-22		
	No. of employees covered as a % of total employees	No. of workers covered as a % of total workers	Deducted and deposited with the authority (Y/N/N.A.)	No. of employees covered as a % of total employees	No. of workers covered as a % of total workers	Deducted and deposited with the authority (Y/N/ N.A.)
PF*	0.23	NA	N	0.29	NA	Y
Gratuity	100	NA	NA	100	NA	NA
ESI	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Others – Pension	24.43	NA	N*	28.16	NA	Y
Others – NPS	75.34	NA	N*	71.55	NA	Y

*Deducted and deposited in Bank's own PF and Pension Trust

3. **Accessibility of workplaces Are the premises / offices of the entity accessible to differently abled employees and workers, as per the requirements of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016? If not, whether any steps are being taken by the entity in this regard.**

Yes, the premises/Offices of the entity are accessible to differently abled employees. The branches have ramps and all necessary infrastructure for differently- abled employees.

4. **Does the entity have an equal opportunity policy as per the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016? If so, provide a web-link to the policy.**

Yes, the Bank has a Customer Rights policy which gives equal opportunity to disabled persons.

The Equal opportunity policy of the Bank is applicable to all differently abled employees and the Bank creates employment opportunities and provide them with a conducive environment.

5. काम पर वापसी और स्थायी कर्मचारियों तथा श्रमिकों की प्रतिधारण दरें वह भी पैतृक अवकाश पर।

	स्थायी कर्मचारी		स्थायी श्रमिक	
लिंग	काम पर वापसी दर	अवधारण दर	काम पर वापसी दर	अवधारण दर
पुरुष	100	94.71%	लागू नहीं	
महिला	100	96.08%		
कुल	100	95.07%		

*उन कर्मचारियों को ध्यान में रखते हुए जिनका मातृत्व/पितृत्व अवकाश वित्त वर्ष 2021–22 में समाप्त हो गया और वित्त वर्ष 2022–23 में (किसी कारणवश) बैंक छोड़ दिया गया।

6. क्या कर्मचारियों और श्रमिकों की निम्नलिखित श्रेणियों के लिए शिकायतें प्राप्त करने और उनका निवारण करने हेतु कोई तंत्र उपलब्ध है? यदि हाँ, तो तंत्र का संक्षेप में विवरण दें।

	हां/नहीं (यदि हां, तो तंत्र का संक्षेप में विवरण दें)
स्थायी श्रमिक	लागू नहीं
स्थायी श्रमिकों के अलावा	लागू नहीं
स्थायी कर्मचारी	हां, बैंक के कर्मचारियों के सामने आने वाली विभिन्न शिकायतों/समस्याओं के निवारण के लिए बैंक के पास एक औपचारिक मंच "पीएनबी समाधान" है, जिसमें सभी कर्मचारियों के लिए कार्यक्षमता प्रदान की गई है ताकि वे एचआरएमएस के माध्यम से अपनी समस्याओं/शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज कर सकें। पीएनबी समाधान सेवारत कर्मचारियों के सामने आने वाली सभी कार्य संबंधी और व्यक्तिगत समस्याओं को कवर करता है। अन्य मामलों पर विचार किया जा सकता है यदि कर्मचारियों को लगता है कि नियमों का उल्लंघन हुआ है या अन्याय या उत्पीड़न का स्पष्ट मामला है।
स्थायी कर्मचारियों के अलावा	लागू नहीं

7. सूचीबद्ध संस्था द्वारा मान्यता प्राप्त संघों या संघों में कर्मचारियों और श्रमिकों की सदस्यता%

वर्ग	वित्त वर्ष 2022–23			वित्त वर्ष 2021–22		
	संबंधित श्रेणी में कुल कर्मचारी/श्रमिक(ए)	संबंधित श्रेणी में कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या, जो एसोसिएशन या यूनियन का हिस्सा है(बी)	% (बी/ए)	संबंधित श्रेणी में कुल कर्मचारी/श्रमिक(सी)	संबंधित श्रेणी में कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या, जो एसोसिएशन या यूनियन का हिस्सा है(डी)	% (डी/सी)
कुल स्थायी कर्मचारी	104120	100075	96.12%	103144	97611	94.64%
पुरुष	79054	75887	95.99%	78857	74484	94.45%
महिला	25066	24188	96.50%	24287	23127	95.22%
कुल स्थायी श्रमिक	लागू नहीं					
पुरुष						
महिला						

5. Return to work and Retention rates of permanent employees and workers that too parental leave.

	Permanent employees		Permanent workers	
Gender	Return to work rate	Retention rate	Return to work rate	Retention rate
Male	100	94.71%	Not Applicable	
Female	100	96.08%		
Total	100	95.07%		

* Considering those employees whose maternity Paternity leave ended in FY 2021-22 and Left the Bank (Because of any reason) in FY 2022-23

6. Is there a mechanism available to receive and redress grievances for the following categories of employees and worker? If yes, give details of the mechanism in brief.

	Yes/No (If Yes, then give details of the mechanism in brief)
Permanent Workers	Not Applicable
Other than Permanent Workers	Not Applicable
Permanent Employees	Yes, Bank has "PNB Samadhaan" a formal platform for redressal of various grievances/ problems faced by the employees of the Bank, for which a functionality has been provided in HRMS for all the employees to enable them to lodge their grievances/ complaints online through HRMS. PNB SAMADHAAN covers all work related and personal problems faced by serving staff members. Other matters may be considered if the employees feel there is violation of rules or that there is a clear cut case of injustice or victimization.
Other than Permanent Employees	Not Applicable

7. Membership of employees and worker in association (s) or Unions recognised by the listed entity:

Category	FY 2022-23			FY 2021-22		
	Total employees/ workers in respective category (A)	No. of employees / workers in respective category, who are part of association (s) or Union (B)	% (B/A)	Total employees / workers in respective category (C)	No. of employees / workers in respective category, who are part of association (s) or Union (D)	% (D/C)
Total Permanent Employees	104120	100075	96.12%	103144	97611	94.64%
Male	79054	75887	95.99%	78857	74484	94.45%
Female	25066	24188	96.50%	24287	23127	95.22%
Total Permanent Workers	Not Applicable					
Male						
Female						

8. कर्मचारियों एवं श्रमिकों को दिये गये प्रशिक्षण का विवरण:

वर्ग	वित्त वर्ष 2022–23					वित्त वर्ष 2021–22				
	कर्मचारियों की कुल संख्या (ए)	स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों पर		कौशल उन्नयन पर*		कर्मचारियों की कुल संख्या (डी)	स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों पर		कौशल उन्नयन पर*	
		सं.(बी)	% (बी / ए)	संख्या (सी)	% (सी / ए)		सं. (ई)	%(ई / डी)	संख्या (एफ)	% (एफ / डी)
कर्मचारी										
पुरुष	79054	1813	2.29%	56810	71.86%	78857	1273	1.61%	46085	58.44%
महिला	25066	648	2.59%	17453	69.63%	24287	300	1.24%	11542	47.52%
कुल	104120	2461	2.36%	74263	71.32%	103144	1573	1.53%	57627	55.87%
कामगार										
पुरुष	लागू नहीं									
महिला										
कुल										

* बैंक द्वारा आयोजित आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर आधारित। उपरोक्त के अतिरिक्त, 1255 कर्मचारियों को बाहरी संस्था के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया।

9. कर्मचारियों और कामगारों के प्रदर्शन और आजीविका विकास समीक्षा का विवरण

वर्ग	वित्त वर्ष 2022–23			वित्त वर्ष 2021–22		
	कुल (ए)*	सं.(बी)	% (बी / ए)	कुल (सी)	सं.(डी)	% (डी / सी)
कर्मचारी						
पुरुष	प्रक्रियाधीन	प्रक्रियाधीन	प्रक्रियाधीन	78857	38234	48.49%
महिला	प्रक्रियाधीन	प्रक्रियाधीन	प्रक्रियाधीन	24287	12263	50.49%
कुल	प्रक्रियाधीन	प्रक्रियाधीन	प्रक्रियाधीन	103144	50497	48.96%
श्रमिक						
पुरुष	लागू नहीं					
महिला						
कुल						

* वित्त वर्ष 2022–23 वर्ष के लिए प्रदर्शन और आजीविका विकास अभी भी प्रगति पर है।

10. स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली:

ए क्या संस्था द्वारा एक व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है? (हां / नहीं) यदि हां, तो ऐसी व्यवस्था का कवरेज?

एक वित्तीय सेवा संगठन होने के नाते कोई व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा जोखिम नहीं है।

हालांकि, कोविड–19 के दौरान बैंक के सभी कर्मचारियों को टीकाकरण अभियान के तहत कवर किया गया था। बैंक ने कर्मचारियों को कोविड–19 के दौरान किसी भी आपात स्थिति को कवर करने के लिए ब्याज मुक्त ऋण भी प्रदान किया। बैंक ने कोविड–19 के कारण सेवा के दौरान कर्मचारी की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के मामले में उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को भुगतान किए जाने वाले 20 लाख रुपये के मुआवजे को भी मंजूरी दी।

8. **Details of training given to employees and workers:**

Category	FY 2022-23					Total No of Employees (D)	FY 2021-22			
	Total No of Employees (A)	On Health and safety measures		On Skill up-gradation*			On Health and safety measures		On Skill upgradation*	
		No. (B)	% (B/A)	No. (C)	% (C/A)		No. (E)	% (E/D)	No. (F)	% (F/D)
Employees										
Male	79054	1813	2.29%	56810	71.86%	78857	1273	1.61%	46085	58.44%
Female	25066	648	2.59%	17453	69.63%	24287	300	1.24%	11542	47.52%
Total	104120	2461	2.36%	74263	71.32%	103144	1573	1.53%	57627	55.87%
Workers										
Male	Not Applicable									
Female										
Total										

* Based on in-house training programmes conducted by the bank. In addition to above, 1255 employees were trained through outside institution.

9. **Details of performance and career development reviews of employees and worker**

Category	FY 2022-23			FY 2021-22		
	Total (A)*	No. (B)	% (B/A)	Total (C)	No. (D)	% (D/C)
Employees						
Male	Undergoing	Undergoing	Undergoing	78857	38234	48.49%
Female	Undergoing	Undergoing	Undergoing	24287	12263	50.49%
Total	Undergoing	Undergoing	Undergoing	103144	50497	48.96%
Workers						
Male	Not Applicable					
Female						
Total						

* Performance and career development for the FY 2022-23 year is still in progress.

10. **Health and safety management system:**

a. **Whether an occupational health and safety management system has been implemented by the entity? (Yes/ No) . If yes, the coverage such system?**

Being a financial service organization there are no occupational health and safety risks.

However, during Covid-19 all the employees of the Bank were covered under the vaccination drive. The Bank also provided interest free loan to employees to cover up any exigencies during Covid-19. The Bank also approved compensation of Rs. 20 lakhs to be paid to the legal heirs of the employee in case of his / her unfortunate death while in service due to Covid-19,

बी. कार्य से संबंधित खतरों की पहचान करने और संस्था द्वारा नियमित और गैर–नियमित आधार पर जोखिमों का आकलन करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाएं क्या हैं?

बैंक ने यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रासंगिक उपाय किए कि महामारी के दौरान संक्रमण का खतरा न फैले। सभी स्तरों पर कार्यरत कर्मचारियों की संख्या को घटाकर 50% कर दिया गया, सामाजिक दूरी बनाए रखी गई और कार्यालयों का नियमित रूप से सैनिटाइजेशन किया गया। सरकार द्वारा जारी निर्देशों का सख्ती से पालन किया गया और बैंक ने समय–समय पर सलाह जारी की।

सी. क्या आपके पास काम से संबंधित खतरों की रिपोर्ट करने और स्वयं को ऐसे जोखिमों से दूर करने के लिए कर्मचारियों के लिए प्रक्रियाएं हैं। (हाँ/नहीं)

कोविड से प्रभावित व्यक्तियों को विशेष अवकाश दिया गया, दिव्यांगजनों, गर्भवती महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम दिया गया। सभी प्रशासनिक कार्यालयों ने कर्मचारियों व आश्रितों के लिए टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया था।

डी. क्या संस्था के कर्मचारियों/कामगारों की गैर व्यावसायिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच है? (हां/नहीं)

बैंक के सभी कर्मचारी समूह बीमा पॉलिसी के अंतर्गत आते हैं।

बीमित राशि से ऊपर के खर्च कॉर्पोरेट बफर के तहत कवर किए जाते हैं। बैंक के पास एक नई समूह व्यक्तिगत दुर्घटना (जीपीए) बीमा पॉलिसी भी है।

11. सुरक्षा संबंधी घटनाओं का विवरण, निम्नलिखित प्रारूप में:

सुरक्षा घटना/संख्या	वर्ग	वित्त वर्ष 2022–23	वित्त वर्ष 2021–22
लॉस्ट टाइम इंजरी फ्रीक्वेंसी रेट (LTIFR) (प्रति दस लाख व्यक्ति घंटे काम किया)	कर्मचारी	शून्य	शून्य
	कामगार		
कुल रिकॉर्ड करने योग्य कार्य से संबंधित चोटें	कर्मचारी	शून्य	शून्य
	कामगार	शून्य	शून्य
मरने वालों की संख्या	कर्मचारी	शून्य	शून्य
	कामगार	शून्य	शून्य
उच्च परिणाम कार्य–संबंधी चोट या अस्वस्थता (मृत्यु को छोड़कर)	कर्मचारी	शून्य	शून्य
	कामगार	शून्य	शून्य

12. एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए संस्था द्वारा किए गए उपायों का वर्णन करें।

कर्मचारी समूह बीमा पॉलिसी के अंतर्गत आते हैं, कोविड महामारी के दौरान सभी आवश्यक प्रोटोकॉल का पालन किया गया।

बैंक की अग्नि सुरक्षा नीति का उद्देश्य आग की घटनाओं के कारणों को खत्म करना, आग से होने वाली जान–माल की हानि को रोकना और बैंक में अग्नि सुरक्षा नियामक और वैधानिक दायित्वों का पालन करना है।

b. What are the processes used to identify work-related hazards and assess risks on a routine and non-routine basis by the entity?

The Bank undertook all relevant measures to ensure that the risk of infection did not spread during the pandemic. The working staff strength was reduced to 50% at all levels, social distancing was maintained and sanitization of offices were done regularly. The directives issued by the Government were strictly followed and the Bank issued advisories periodically.

c. Whether you have processes for workers to report the work related hazards and to remove themselves from such risks. (Y/N)

Special leaves were granted to persons effected by Covid, disabled persons, pregnant women were given Work from Home. All administrative offices had organized vaccination camps for the employees and dependents.

d. Do the employees/ worker of the entity have access to non-occupational medical and healthcare services? (Yes/ No)

All employees of the Bank are covered under the Group Insurance policy.

Expenses incurred above the sum insured are covered under the corporate buffer. The Bank also has a New Group Personal Accidental (GPA) Insurance Policy.

11. Details of safety related incidents, in the following format:

Safety Incident/No.	Category	FY 2022-23	FY 2021-22
Lost Time Injury Frequency Rate (LTIFR) (per one million-person hours worked)	Employees	NIL	NIL
	Workers		
Total recordable work-related injuries	Employees	NIL	NIL
	Workers	NIL	NIL
No. of fatalities	Employees	NIL	NIL
	Workers	NIL	NIL
High consequence work-related injury or ill-health (excluding fatalities)	Employees	NIL	NIL
	Workers	NIL	NIL

12. Describe the measures taken by the entity to ensure a safe and healthy work place.

The employees are covered under the group insurance policy; all the necessary protocols were followed during the Covid pandemic.

The fire safety Policy of the Bank is aimed to eliminate causes of fire incident, prevent loss of life and property by fire and to comply with fire safety regulatory and statutory obligations in the bank.

जबकि भौतिक सुरक्षा नीति का उद्देश्य नकद हानि की घटनाओं, दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं और प्राकृतिक आपदा के प्रभाव को कम करके बैंक की सभी शाखाओं और कार्यालयों को एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है।

13. निम्नलिखित पर कर्मचारियों और श्रमिकों द्वारा की गई शिकायतों की संख्या:

	वित्त वर्ष 2022-23			वित्त वर्ष 2021-22		
	वर्ष के दौरान दाखिल की गई	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान दाखिल की गई	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणियां
काम करने की स्थिति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
स्वास्थ्य और सुरक्षा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

14. वर्ष के लिए आकलन:

	मूल्य श्रृंखला भागीदारों का % (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य द्वारा) जिनका मूल्यांकन किया गया था
स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाएं	लागू नहीं
काम करने की स्थिति	

15. सुरक्षा से संबंधित घटनाओं (यदि कोई हो) को संबोधित करने के लिए और स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाओं और कार्य स्थितियों के आकलन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं पर की गई या प्रक्रियाधीन किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

आग लगने जैसी घटनाओं के दौरान सुरक्षित निकासी के संबंध में बैंक नियमित रूप से अपने कर्मचारियों को सूचित करता है और उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करता है। बैंक के कार्यालय अग्नि सुरक्षा उपकरण से लैस हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए नियमित ऑडिट किया जाता है कि ऐसी कोई घटना न हो।

नेतृत्व संकेतक

1. क्या संस्था (ए) कर्मचारियों (हां/नहीं) (बी) श्रमिकों (हां/नहीं) की मृत्यु की स्थिति में कोई जीवन बीमा या कोई क्षतिपूर्ति पैकेज प्रदान करती है?

   हाँ, बैंक मृत कर्मचारी के परिजनों को एकमुश्त अनुग्रह राशि का भुगतान प्रदान करता है। अनुकंपा नियुक्ति मृत कर्मचारी के जीवनसाथी/आश्रित को दी जाती है। कर्मचारी के टर्मिनल लाभों का निपटान प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है।

2. यह सुनिश्चित करने के लिए कि मूल्य श्रृंखला भागीदारों द्वारा वैधानिक देय राशि काट ली गई है और जमा कर दी गई है। संस्था द्वारा किए गए उपायों को प्रदान करें:

   हाँ

3. उन कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या प्रदान करें जिन्हें काम से संबंधित गंभीर चोट/बीमारी/मृत्यु का सामना करना पड़ा

While the Physical Security Policy aims to provide a safe and secure environment to all the Branches and Offices of the Bank by minimizing impact of cash loss incidents, unfortunate incidents and the natural disaster.

13. **Number of Complaints on the following made by employees and workers:**

	FY 2022-23			FY 2021-22		
	Filed during the year	Pending resolution at the end of year	Remarks	Filed during the year	Pending resolution at the end of year	Remarks
Working Conditions	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Health& Safety	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

14. **Assessments for the year:**

	% of value chain partners (by value of business done with such partners) who were assessed
Health and safety practices	Not Applicable
working conditions	

15. **Provide details of any corrective action taken or underway to address safety-related incidents (if any) and on significant risks / concerns arising from assessments of health & safety practices and working conditions.**

The Bank regularly communicates and provides training to its employees regarding safe evacuation during instances such as fire. The Bank's offices are equipped with fire safety instrument and regular audit is done to ensure that no such incident happens.

Leadership Indicators

1. **Does the entity extend any life insurance or any compensatory package in the event of death of (A) Employees (Y/N) (B) Workers (Y/N) .**

   Yes the Bank offers Payment of Lumpsum Ex-gratia amount to the kins of the deceased employee. Compassionate Appointment is offered to the spouse/dependent of the deceased employee. Terminal benefits of the employee are settled on a priority basis.

2. **Provide the measures undertaken by the entity to ensure that statutory dues have been deducted and deposited by the value chain partners.**

   Yes

3. **Provide the number of employees / workers having suffered high consequence work-related injury / ill-**

है (जैसा कि ऊपर आवश्यक संकेतकों के प्रश्न 11 में बताया गया है), जिनका पुनर्वास किया गया है और उन्हें उपयुक्त रोजगार में रखा गया है या जिनके परिवार के सदस्यों को उपयुक्त रोजगार पर रखा गया है:

	प्रभावित कर्मचारियों / कामगारों की कुल संख्या		उन कर्मचारियों / कामगारों की संख्या जिनका पुनर्वास किया गया है और उन्हें उपयुक्त रोजगार में रखा गया है या जिनके परिवार के सदस्यों को उपयुक्त रोजगार में रखा गया है।	
	वित्त वर्ष 2022–23	वित्त वर्ष 2021–22	वित्त वर्ष 2022–23	वित्त वर्ष 2021–22
कर्मचारी	लागू नहीं			
कामगार				

4. क्या संस्था सेवानिवृत्ति या रोजगार की समाप्ति के परिणामस्वरूप निरंतर रोजगार और आजीविका के समाप्ति के प्रबंधन की सुविधा के लिए संक्रमण सहायता कार्यक्रम प्रदान करती है? (हां / नहीं)

   बैंक द्वारा ऐसा कोई प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया जाता है।

5. मूल्य श्रृंखला भागीदारों के मूल्यांकन पर विवरण:

	मूल्य श्रृंखला भागीदारों का % (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य से) जिनका मूल्यांकन किया गया था
स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाएं	लागू नहीं
कार्य स्थितियां	

6. स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाओं के आकलन और मूल्य श्रृंखला भागीदारों की कार्य स्थितियों से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों / चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या प्रक्रियाधीन किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

   लागू नहीं

सिद्धांत 4: व्यवसायों को अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. इकाई के प्रमुख हितधारक समूहों की पहचान करने की प्रक्रियाओं का वर्णन करें।

   बैंक के पास प्रमुख हितधारकों की पहचान करने की प्रक्रिया नहीं है। हालांकि, आंतरिक और बाहरी हितधारकों की पहचान बैंक द्वारा उनके साथ हमारे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संबंधों के आधार पर की गई है और उनमें इसके शेयरधारक, निवेशक, ग्राहक, कर्मचारी, सरकार और नियामक एजेंसियां शामिल हैं।

health / fatalities (as reported in Q11 of Essential Indicators above), who have been are rehabilitated and placed in suitable employment or whose family members have been placed in suitable employment:

	Total nos. of affected employees/ workers		No. of employees/workers that are rehabilitated and placed in suitable employment or whose family members have been placed in suitable	
	FY 2022-23	FY 2021-22	FY 2022-23	FY 2021-22
Employees	Not Applicable			
Workers				

4. **Does the entity provide transition assistance programs to facilitate continued employability and the management of career endings resulting from retirement or termination of employment? (Yes/ No)**

   No such training provided by the Bank.

5. **Details on assessment of value chain partners:**

	% of value chain partners (by value of business done with such partners) that were assessed
Health and safety practices	**Not Applicable**
Working Conditions	

6. **Provide details of any corrective actions taken or underway to address significant risks / concerns arising from assessments of health and safety practices and working conditions of value chain partners.**

   Not Applicable

PRINCIPLE 4: Businesses should respect the interests of and be responsive to all its stakeholders

Essential Indicators

1. **Describe the processes for identifying key stakeholder groups of the entity.**

   The Bank does not have processes to identify the key stakeholders. However, the internal and external stakeholders have been identified by the Bank on the basis direct and indirect relationships that we have with them and they include its shareholders, investors, customers, employees, Government and regulatory agencies.

2. आपकी संस्था के लिए कुंजी के रूप में पहचान किए गए हितधारक समूहों की सूची बनाएं और प्रत्येक हितधारक समूह के साथ व्यवसाय की आवृत्ति।

हितधारक समूह	क्या कमजोर और उपेक्षित समूह के रूप में पहचाना गया है (हां/नहीं)	संचार के चैनल (ई-मेल, एसएमएस, समाचार पत्र, पैम्फलेट, विज्ञापन, सामुदायिक बैठकें, नोटिस बोर्ड, वेबसाइट), अन्य	व्यवसाय की आवृत्ति(वार्षिक/अर्धवार्षिक/त्रैमासिक/अन्य – कृपया निर्दिष्ट करें)	व्यवसाय के दौरान उठाए गए प्रमुख विषयों और चिंताओं सहित व्यवसाय का उद्देश्य और दायरा
शेयरधारक	नहीं	ई-मेल, समाचार पत्र, पत्र, नोटिस, वेबसाइट, स्टॉक एक्सचेंज प्रकटीकरण, वेबकास्ट/ऑडियो कॉल, निवेशक सम्मेलन, आम बैठकें	त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक और जब भी आवश्यक हो।	लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों, लाभांश की घोषणा, शेयरधारक निदेशक के चुनाव, इक्विटी पूंजी की स्थापना, संबंधित पार्टी लेनदेन के लिए अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आयोजित आम बैठक के दौरान शेयरधारकों के साथ व्यवसाय। सामान्य बैठकों के दौरान उठाए गए प्रश्नों/चिंताओं का समयबद्ध तरीके से समाधान किया जाता है। शिकायतों और अनुरोधों को शीघ्रता से हल किया जाता है/प्रतिक्रिया दी जाती है। निवेशकों/विश्लेषकों आदि के साथ भी समय-समय पर बातचीत की जाती है और विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार सभी शेयरधारकों के लाभ के लिए इसके संबंध में आवश्यक प्रकटीकरण किए जाते हैं।
कर्मचारी	नहीं	ई-मेल, समाचार पत्र, पत्र, नोटिस, वेबसाइट, स्टॉक एक्सचेंज प्रकटीकरण, वेबकास्ट/ऑडियो कॉल, निवेशक सम्मेलन, आम बैठकें	बार-बार	–
ग्राहकों	नहीं	ई-मेल, समाचार पत्र, पत्र, वेबसाइट	बार-बार	बेहतर सेवाएं और मार्केटिंग
सरकार	नहीं	ई-मेल, पत्र, बैठकें	नियमित आधार पर नियुक्ति और जब भी आवश्यक हो बैठक आयोजित की जाती है।	बैंक का प्रदर्शन।दिशा-निर्देशों का अनुपालन
रेगुलेटर	नहीं	ई-मेल, पत्र, बैठकें, ऑफसाइट और ऑनसाइट निगरानी	नियमित आधार पर नियुक्ति और जब भी आवश्यक हो बैठक आयोजित की जाती है।	बैंक का प्रदर्शन।दिशा-निर्देशों का अनुपालन

2. List stakeholder groups identified as key for your entity and the frequency of engagement with each stakeholder group.

Stakeholder Group	Whether identified as Vulnerable & Marginalized Group (Yes/No)	Channels of communication (Email, SMS, Newspaper, Pamphlets, Advertisement, Community Meetings, Notice Board, Website), Other	Frequency of engagement (Annually/ Half yearly/ Quarterly / others – please specify)	Purpose and scope of engagement including key topics and concerns raised during such engagement
Shareholders	No	Emails, Newspapers, Letters, Notices, Website, Stock Exchange Disclosures, Webcast / Audio Calls, Investor Conferences, General Meetings	Quarterly, Half yearly, Annually and as and when required.	Engagement with shareholders during General Meetings held for seeking approval for the Audited Financial Results, Declaration of Dividend, Election of Shareholder Director, Raising of Equity Capital, Related Party Transactions. The queries / concern raised during the General Meetings are addressed in a time bound manner. Complaints and Requests are resolved/ responded to expeditiously. Interactions with Investors/ Analysts etc. are also held from time to time and requisite disclosures in respect thereof are made for the benefit of all shareholders in accordance with regulatory guidelines.
Employees	No	Emails, Newspapers, Letters, Notices, Website, Stock Exchange Disclosures, Webcast / Audio Calls, Investor Conferences, General Meetings	Frequently	-
Customers	No	Emails, Newspapers, Letters, Website,	Frequently	Better services and marketing
Government	No	Emails, Letters, Meetings	Engagement on regular basis and meeting are conducted as and when required.	Performance of the Bank, Compliance of guidelines
Regulator	No	Emails, Letters, Meetings, Offsite and Onsite monitoring	Engagement on regular basis and meeting are conducted as and when required.	Performance of the bank, Compliance of guidelines

नेतृत्व संकेतक

1. हितधारकों एवं बोर्ड के बीच आर्थिक, पर्यावरण एवं सामाजिक विषयों पर परामर्श के लिए प्रक्रियाएं प्रदान करें या यदि परामर्श प्रत्यायोजित किए जाते हैं, तो बोर्ड को ऐसे परामर्शों से फीडबैक कैसे प्रदान किया जाता है।

कार्यसूची की मदों यथा लेखा परीक्षित वित्तीय परिणामों का अनुमोदन, लाभांश की घोषणा, इक्विटी पूंजी की उत्थापन, शेयरधारक निदेशक का चुनाव, पार्टी संबंधित सामग्री लेनदेन आदि पर आम बैठक में शेयरधारकों के साथ विचार–विमर्श किया जाता है जिसमें बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष, हितधारक संबंध समिति तथा नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति सहित बैंक के निदेशक भी उपस्थित रहते हैं तथा शेयरधारकों से प्राप्त फीडबैक को अभिलेखित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, शेयरधारकों के निर्णय के प्रकटीकरण (वोटिंग परिणाम) की सूचना स्टॉक एक्सचेंजों को दी जाती है तथा बैंक की वेबसाइट पर भी प्रस्तुत किया जाता है।

2. क्या पर्यावरण एवं सामाजिक विषयों की पहचान एवं प्रबंधन का सहयोग करने के लिए हितधारक परामर्श का उपयोग किया जाता है (हां/नहीं)। यदि ऐसा है, तो दृष्टान्तों का विवरण प्रदान करें कि कैसे इन विषयों पर हितधारकों से प्राप्त इनपुट को संस्था की नीतियों एवं गतिविधियों में शामिल किया गया है।

बैंक की वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ वित्तीय विवरण, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट आदि शामिल हैं, को नियामक दिशानिर्देशों के अनुपालन में वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की तिथि से कम से कम 21 पूर्ण दिन पूर्व शेयरधारकों को भेजी जाती है। एजीएम में विचार–विमर्श के दौरान शेयरधारकों से प्राप्त फीडबैक को संज्ञान में रखा जाता है एवं जहां आवश्यक हो, आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

3. कमजोर/ वंचित हितधारक समूहों की चिंताओं को दूर करने के लिए किए गए कार्यों के साथ संबद्धता के उदाहरणों का विवरण प्रदान करें।

बैंक समाज के वंचित, बैंकिंग सुविधाओं से रहित एवं आर्थिक रूप से अपवर्जित वर्गों को सक्षम बनाने में मदद करता है ताकि वे अर्थव्यवस्था में अपने हिस्से का योगदान कर सकें। इन सीमांत वर्गों को सशक्त बनाने तथा उनके सामाजिक एवं आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए वित्तीय सेवाओं तक पहुंच अत्यंत महत्वपूर्ण है। बैंक विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे पीएमजेडीवाई, पीएमएमवाई, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, डीआरआई, पीएमएवाई, पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई, एपीवाई, एसएसवाई आदि में सक्रिय भागीदारी कर रहा है तथा विशेष रूप से वंचित एवं सीमांत हितधारकों के लिए उत्पादों एवं सेवाओं को प्रस्तुत कर रहा है।

सिद्धांत 5 कारोबार द्वारा मानवाधिकार को सम्मान एवं प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

Leadership Indicators

1. **Provide the processes for consultation between stakeholders and the Board on economic, environmental, and social topics or if consultation is delegated, how is feedback from such consultations provided to the Board.**

Interactions are held with the shareholders on agenda items viz. approval of the Audited Financial Results, Declaration of Dividend, Raising of Equity Capital, Election of Shareholder Director, Material Related Party Transactions, etc. at the General Meetings wherein the Directors of the Bank including the Chairman of Audit Committee of the Board, Stakeholders Relationship Committee and the Nomination & Remuneration Committee are also present and the feedback received from the shareholders is taken on record. Further, the disclosure of the decision of the shareholders (Voting Results) is intimated to the Stock Exchanges and also hosted on the website of the Bank.

2. **Whether stakeholder consultation is used to support the identification and management of environmental, and social topics (Yes / No) . If so, provide details of instances as to how the inputs received from stakeholders on these topics were incorporated into policies and activities of the entity.**

The Annual Report of the Bank inter alia containing the Financial Statements, Corporate Social Responsibility Report, etc., is sent to the shareholders at least 21 clear days before the date of Annual General Meeting (AGM) in compliance of the Regulatory Guidelines. The feedback received from the shareholders during the interactions at the AGM is taken into account and necessary action is taken, wherever required.

3. **Provide details of instances of engagement with, and actions taken to, address the concerns of vulnerable/ marginalized stakeholder groups.**

Bank helps the marginalized, unbanked and financially excluded sections of the society to enable them to contribute their share to the economy. Access to financial services is of utmost importance to strengthen these marginalized sections and make a significant contribution to their social and economic development. Bank has been an active participant in various Government schemes such as PMJDY, PMMY, Stand Up India, Start Up India, DRI, PMAY, PMJJBY, PMSBY, APY, SSY, etc. and comes out with products and services specifically for disadvantaged and marginalized stakeholders.

PRINCIPLE 5 Businesses should respect and promote human rights

Essential Indicators

1. कार्मिक एवं कर्मचारी जिन्हें मानव अधिकारों के मुद्दों एवं संस्था की नीति(यों) पर निम्नलिखित प्रारूप में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है:

वर्ग	वित्त वर्ष 2022—23			वित्त वर्ष 2021—22		
	कुल (ए)	कार्मिक कर्मचारियों की संख्याकवर (बी)	% (बी/ ए)	कुल (सी)	कार्मिक कर्मचारियों की संख्याकवर (डी)	%(डी/ सी)
कार्मिक						
स्थायी	शून्य					
स्थायी से अन्य	शून्य					
कुल कर्मचारी	शून्य					
कर्मचारी						
स्थायी	लागू नहीं					
स्थायी से अन्य						
कुल कामगार						

2. निम्नलिखित प्रारूप में कर्मचारी एवं कामगार को भुगतान किया गया न्यूनतम वेतन का विवरण:

वर्ग	कुल (ए)	वित्त वर्ष 2022—23				कुल (डी)	वित्त वर्ष 2021—22			
		न्यू. वेतन के बराबर		न्यू. वेतन से अधिक			न्यू. वेतन के बराबर		न्यू. वेतन से अधिक	
		सं.(बी)	%(बी/ ए)	सं. (सी)	%(सी/ए)		सं.(इ)	%(ई/डी)	सं.(एफ)	%(एफ/ डी)
कार्मिक										
स्थायी	कार्मिकों को द्विपक्षीय निपटान/संयुक्त नोट के अनुसार भुगतान किया जाता है एवं बैंक में ऐसा कोई न्यूनतम वेतन नहीं है									
पुरुष										
महिला										
स्थायी से अन्य	लागू नहीं									
पुरुष										
महिला										
कर्मचारी										
स्थायी	लागू नहीं									
पुरुष										
महिला										
स्थायी से अन्य										
पुरुष										
महिला										

3. निम्नलिखित प्रारूप में पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी का विवरण:

	पुरुष		महिला	
	सं.	संबंधित श्रेणी का मध्यवर्ती पारिश्रमिक/ मजदूरी वेतन	सं.	संबंधित श्रेणी का मध्यवर्ती पारिश्रमिक/ मजदूरी वेतन
बोर्ड निदेशक(बीओडी)*	5	रु.208000	1	रु. 208000
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक^	7	रु.272721	01	रु. 163915
बीओडी एवं केएमपी के अलावा अन्य कार्मिक	79053	रु.70452	25065	रु. 76071
कर्मचारी	लागू नहीं			

*वर्ष 2022—23 के दौरान गैर–कार्यपालक निदेशकों को भुगतान किए गए बैठक शुल्क के आधार पर

^बेसिक एवं डीए पर आधारित

Category	FY 2022-23			FY 2021-22		
	Total (A)	No. of employees workers covered (B)	% (B/A)	Total (C)	No. of employees workers covered (D)	% (D/C
Employees						
Permanent	NIL					
Other than permanent	NIL					
Total Employees	NIL					
Workers						
Permanent	Not Applicable					
Other than permanent						
Total Workers						

2. **Details of minimum wages paid to employees and workers, in the following format:**

Category	FY 2022-23					FY 2021-22				
	Total (A)	Equal Min. Wage		More than Min. Wage		Total (D)	Equal Min. Wage to		More than Min. Wage	
		No. (B)	% (B/A)	No. (C)	% (C/A)		No. (E)	% (E/D)	No. (F)	% (F/D)
Employees										
Permanent	Employees are paid in line with Bipartite Settlement/Joint Note and there are no such minimum wages in Bank									
Male										
Female										
Other than Permanent	Not Applicable									
Male										
Female										
Workers										
Permanent	Not Applicable									
Male										
Female										
Other than Permanent										
Male										
Female										

3. **Details of remuneration/salary/wages, in the following format:**
1. **Employees and workers who have been provided training on human rights issues and policy (ies) of the entity, in the following format:**

	Male		Female	
	No.	Median remuneration/ salary/ wages of respective category	No.	Median remuneration/ salary/ wages of respective category
Board of Directors (BoD) *	5	Rs. 208000	1	Rs. 208000
Key Managerial Personnel^	7	Rs. 272721	01	Rs. 163915
Employees other than BoD and KMP^	79053	Rs. 70452	25065	Rs. 76071
Workers	Not Applicable			

*based on the Sitting Fee paid to the Non-Executive Directors during the year 2022-23

^based on Basic and DA

4. क्या आपके पास कारोबार द्वारा मानवाधिकारों को प्रभावित करने या इसके कारण उत्पन्न या इससे जनित मुद्दों का समाधान करने के लिए उत्तरदायी कोई केन्द्रित बिंदु (व्यक्तिगत/समिति) है? (हां नहीं)

हाँ, ऐसी शिकायतों से निपटने के लिए प्रधान कार्यालय–मानव संसाधन विकास (प्रका–एचआरडी) (आरक्षण प्रकोष्ठ) में एक प्रकोष्ठ है।

5. मानवाधिकारों के मुद्दों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए आंतरिक तंत्र का वर्णन करें।

बैंक के पास कर्मचारियों हेतु एक ऑनलाइन पोर्टल "समाधान" है जहां मानवाधिकार संबंधी शिकायतों सहित सभी शिकायतें की जा सकती हैं।

6. कार्मिकों एवं कर्मचारियों द्वारा निम्नलिखित पर की गई शिकायतों की संख्या%

	वित्त वर्ष 2022–23			वित्त वर्ष 2021–22		
	वर्ष के दौरान दाखिल	वर्ष की समाप्ति पर लंबित समाधान	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान दाखिल	वर्ष की समाप्ति पर लंबित समाधान	टिप्पणियां
यौन उत्पीड़न	16	03	–	13	03	चूंकि हल किया गया
कार्यस्थल पर भेदभाव	27	00	–	42	04	चूंकि हल हो गया
बाल श्रम	शून्य					
बलपूर्वक श्रम/अनैच्छिक श्रम	शून्य					
वेतन	शून्य					
अन्य मानव अधिकार संबंधित मुद्दे	शून्य					

7. भेदभाव एवं उत्पीड़न के मामलों में शिकायतकर्ता के प्रतिकूल परिणामों को रोकने के लिए तंत्र।

बैंक ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/पीडब्ल्यूबीडी/भूतपूर्व सैनिकों/ईडब्ल्यूएस कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए तथा भेदभाव एवं उत्पीड़न में शिकायतकर्ता को प्रतिकूल परिणामों को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

i. "पीएनबी समाधान", बैंक के कर्मचारियों द्वारा विभिन्न शिकायतों/समस्याओं के निवारण के लिए एक औपचारिक मंच है एवं एचआरएमएस या सभी कर्मचारियों को एचआरएमएस के माध्यम से अपनी शिकायतों/परिवादों को ऑनलाइन दर्ज करने में सक्षम

4. **Do you have a focal point (Individual/ Committee) responsible for addressing human rights impacts or issues caused or contributed to by the business? (Yes/No)**

Yes, Cell at Head Office-Human Resource Development (HO-HRD) (Reservation Cell) deals with such complaints.

5. **Describe the internal mechanisms in place to redress grievances related to human rights issues.**

The Bank has an online portal "Samadhaan" for employees where all complaints including Human rights related complaints may be made.

6. **Number of Complaints on the following made by employees and workers:**

	FY 2022-23			FY 2021-22		
	Filed during the year	Pending resolution at the end of year	Remarks	Filed during the year	Pending resolution at the end of year	Remarks
Sexual Harassment	16	03	-	13	03	Since Resolved
Discrimination at workplace	27	00	-	42	04	Since resolved
Child Labour	NIL					
Forced Labour/ Involuntary Labour	NIL					
Wages	NIL					
Otherhuman Rights related issues	NIL					

7. **Mechanisms to prevent adverse consequences to the complainant in discrimination and harassment cases.**

Bank has undertaken following steps to safeguard interest of SC/ST/OBC/PwBD/Ex-Servicemen/EWS employees and prevent adverse consequence to the complainant in discrimination and harassment :

I. "PNB SAMADHAAN", a formal platform for redressal of various grievences/ problems faced by the employees of the Bank is available and a functionality has been provided in HRMS or all the employees to enable them to lodge their grievances/ complaints

बनाने के लिए एक कार्यक्षमता प्रदान की गई है। पीएनबी समाधान में सेवारत कर्मचारियों के समक्ष आने वाली सभी कार्य संबंधी एवं व्यक्तिगत समस्याओं को शामिल करता है, जिससे उनके काम पर असर पड़ता है। अन्य मामलों पर तब विचार किया जा सकता है जब कर्मचारियों को लगता है कि नियमों का उल्लंघन हुआ है या अन्याय या उत्पीड़न का स्पष्ट मामला है।

ii- प्रधान कार्यालय स्तर पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक, ईडब्ल्यूएस एवं पीडब्ल्यूबीडी से संबंधित कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए मुख्य संपर्क अधिकारी महाप्रबंधक स्तर का नियुक्त किया गया है। इसके अलावा, अंचल कार्यालय के साथ-साथ अंचल कार्यालय स्तर पर भी संपर्क अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।

iii- अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों की शिकायतों को देखने के लिए प्रधान कार्यालय एवं प्रत्येक मंडल कार्यालय/ अंचल कार्यालय में एक आरक्षण प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है।

iv- प्रधान कार्यालय एवं प्रत्येक मंडल कार्यालयों एवं अंचल कार्यालयों में यौन उत्पीड़न की शिकायतों को देखने के लिए आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है।

8. क्या मानवाधिकारों की आवश्यकताएं आपके कारोबारी समझौतों एवं अनुबंधों का हिस्सा हैं? (हां/नहीं)

हां, हम यह सुनिश्चित करते हैं कि बैंक का व्यावसायिक समझौता एवं अनुबंध उन हितधारकों के साथ है जो मानवाधिकारों का पालन करते हैं।

9. वर्ष के लिए आकलन:

	आपके संयंत्रों एवं कार्यालयों का % जिनका मूल्यांकन किया गया था (संस्था या वैधानिक प्राधिकरणों या तृतीय पक्षों द्वारा)
बाल श्रम	लागू नहीं
बलपूर्वक/ अनैच्छिक श्रम	
यौन उत्पीड़न	
कार्यस्थल पर भेदभाव	
वेतन	
अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	

10. उपर्युक्त प्रश्न 9 में किए गए आकलन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

लागू नहीं

नेतृत्व संकेतक

online through HRMS. PNB SAMADHAAN covers all work related and personal problems faced by serving staff members which have a bearing on their work. Other matters may be considered if the employees feel there is violation of rules or that there is clear cut case of injustice or victimization.

ii. The Chief Liaison Officer for SC/ST and OBC has been appointed in the rank of General Manager to safeguard the interest of employees belonging to SC/ST, OBC, Ex-Servicemen, EWS and PwBD at Head Office level. Further, Liaison Officer have also been appointed at Circle Office as well as Zonal Office level.

iii. A reservation cell has been set up at Head Office and every Circle Office/ Zonal Office to look into the grievances of SC/ ST and OBC employees.

iv. Internal Complaint Committee has been set up to look into the sexual harassment complaints at Head Office and every Zonal Offices and Circle Offices.

8. Do human rights requirements form part of your business agreements and contracts? (Yes/No)

Yes, we ensure that the Bank's business agreement and contracts are with stakeholders who comply with human rights.

9. Assessments for the year:

	% of your plants and offices that were assessed (by entity or statutory authorities or third parties)
Child labour	Not Applicable
Forced/involuntary labour	
Sexual harassment	
Discrimination at workplace	
Wages	
Others – please specify	

10. Provide details of any corrective actions taken or underway to address significant risks / concerns arising from the assessments at Question 9 above.

Not Applicable

Leadership Indicators

1. मानवाधिकार शिकायतों / परिवादों का निस्तारण करने के परिणामस्वरूप संशोधित / शुरू की जा रही कारोबारी प्रक्रिया का विवरण।

   मानवाधिकार शिकायतों / परिवादों के अंतर्गत कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

2. किसी भी किए गए मानवाधिकार सम्यक उद्यम की संभाव्यता एवं कवरेज का विवरण

   बैंक अपने सभी कर्मचारियों को समान अवसर प्रदान करता है एवं लिंग, आयु, धर्म, जाति एवं शारीरिक क्षमता के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है।

3. क्या दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार संस्था का परिसर / कार्यालय अलग–अलग दिव्यांग आगंतुकों के लिए सुलभ है?

   हां, विशेष आवश्यकता वाले ग्राहकों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक एवं आईबीए की बैंकर्स गाइड, बैंक का मार्गदर्शन करती है। बैंक बिना किसी भेदभाव के नेत्रहीनों सहित दिव्यांग ग्राहकों को अपनी सभी बैंकिंग सेवाओं एवं उत्पादों को ऑफर करने के लिए प्रतिबद्ध है। परिसर विकलांग व्यक्तियों के लिए सुलभ है।

4. मूल्य श्रृंखला भागीदारों के मूल्यांकन पर विवरण:

	मूल्य श्रृंखला भागीदारों (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए कारोबार के मूल्य से) का % जिनका मूल्यांकन किया गया था
यौन उत्पीड़न	ऐसा कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है
कार्यस्थल पर भेदभाव	
बाल श्रम	
बलपूर्वक श्रम / अनैच्छिक श्रम	
वेतन	
अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	

5. ऊपर दिए गए प्रश्न 4 के आकलन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों / चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

   लागू नहीं

   सिद्धांत 6: कारोबार को पर्यावरण का ध्यान रखने, संरक्षण करने एवं इसे बहाल करने के प्रयास करने चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. निम्नलिखित प्रारूप में कुल ऊर्जा खपत (जूल या गुणकों में) एवं ऊर्जा तीव्रता का विवरण:

1. **Details of a business process being modified / introduced as a result of addressing human rights grievances/ complaints.**

   No complaints have been received under human rights grievances/complaints

2. **Details of the scope and coverage of any Human rights due-dilligence conducted.**

   The Bank provides equal opportunity to all its employees and no discrimination is made based on gender, age, religion, caste and physical ability.

3. **Is the premise/office of the entity accessible to differently abled visitors, as per the requirements of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016?**

   Yes, the Reserve Banks of India and IBA's Banker's guide for customers with special needs guide the Bank. Bank is committed to offer all its banking services and products to customers with disabilities including visually impaired without discrimination. The premises are accessible to disabled persons.

4. **Details on assessment of value chain partners:**

	% of value chain partners (by value of business done with such partners) that were assessed
Sexual Harassment	No such assessment done
Discrimination at workplace	
Child Labour	
Forced Labour/Involuntary Labour	
Wages	
Others – please specify	

5. **Provide details of any corrective actions taken or underway to address significant risks / concerns arising from the assessments at Question 4 above.**

   Not Applicable

   PRINCIPLE 6: Businesses should respect and make efforts to protect and restore the environment

Essential Indicators

1. **Details of total energy consumption (in Joules or multiples) and energy intensity, in the following format:**

पैरामीटर	(वर्तमान वित्तीय वर्ष)	(पिछला वित्तीय वर्ष)
कुल विद्युत उपभोग (ए)	लागू नहीं	
कुल ईंधन उपभोग (बी)		
अन्य स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा की खपत (सी)		
कुल ऊर्जा खपत (ए+बी+सी)		
टर्नओवर का ऊर्जा तीव्रता प्रति रुपए (कुल ऊर्जा खपत / टर्नओवर में रुपये)		
ऊर्जा तीव्रता (वैकल्पिक)–संस्था द्वारा उपयुक्त मीट्रिक चयनित की जा सकती है		

टिप्पणी: इंगित करें कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आंकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम बताएं।

बैंक मूल्यांकन एवं योजना के लिए फील्ड से डेटा को सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया तैयार कर रहा है। इसके अलावा, ऊर्जा उपयोग को अनुकूलित करने एवं इसे स्थिरता की ओर आगे बढ़ाने एवं पर्यावरणीय जोखिमों को कम करने के लिए बैंक द्वारा उठाए गए विभिन्न कदम हैं: –

- नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करने के लिए बैंक के भवनों की छत पर सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना और बैंक की भावी इमारतों के लिए भी इसकी योजना बनाई गई है।
- ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) स्टार रेटेड विद्युत उपकरणों यथा एलईडी लाइट फिक्चर, एसी इत्यादि की खरीद।
- बैंक के स्वामित्व/ पट्टे पर लिए गए प्रशासनिक कार्यालयों में ऊर्जा की बचत के लिए ऑक्युपेंसी सेंसर लगाना।
- बैंक विद्युत से चलने वाले वाहनों (ईवी) का उपयोग करने एवं प्रधान कार्यालय में पायलट आधार के रूप में ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की संभावनाएं तलाश रहा है।

2. क्या संस्था के पास भारत सरकार के कार्यनिष्पादन, उपलब्धि और कारोबार (पीएटी) योजना के अंतर्गत अपशिष्ट प्रबंधन (डीसी) के रूप में पहचानी गई कोई साइट/ सुविधाएं हैं? (हां/नहीं) यदि हां, तो प्रकट करें कि क्या पीएटी योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया गया है। यदि लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया गया है, तो की गई उपचारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो, प्रदान करें।

   लागू नहीं

3. जल से संबंधित निम्नलिखित प्रकटीकरण का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में उपलब्ध कराएं:

Parameter	(Current FY)	(Previous FY)
Total electricity consumption (A)	Not Applicable	
Total fuel consumption (B)		
Energy consumption through other sources (C)		
Total energy consumption (A+B+C)		
Energy intensity per rupee of turnover (Totalenergyconsumption / turnover in rupees)		
Energy intensity (optional) – the relevant metric may be selected by the entity		

Note: Indicate if any independent assessment / evaluation / assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) If yes, name of the external agency.

Bank is formulating the procedures for cataloguing the data from the field for assessment and planning. Further, in order to optimize the energy usage and incline it further towards sustainability and to mitigate environmental risks various steps undertaken by the Bank are: -

- Installation of roof top solar energy plants on Bank's own buildings for utilising renewable energy and the same has been planned for Bank's upcoming buildings also.
- Procurement of Bureau of Energy Efficiency (BEE) star rated electrical equipments viz. LED light fixtures, ACs etc.
- Installation of occupancy sensors for saving energy in Bank's own / leased administrative offices.
- Bank is also exploring possibility for using electricity powered vehicles (EVs) and setting up of EV charging station as pilot basis at Head Office.

2. **Does the entity have any sites / facilities identified as waste management (DCs) under the Performance, Achieve and Trade (PAT) Scheme of the Government of India? (Y/N) If yes, disclose whether targets set under the PAT scheme have been achieved. In case targets have not been achieved, provide the remedial action taken, if any.**

   Not Applicable.

3. **Provide details of the following disclosures related to water, in the following format:**

पैरामीटर	(वर्तमान वित्तीय वर्ष)	(पिछला वित्तीय वर्ष)
स्रोत द्वारा जल निकासी (किलोलीटर में)		
(i) भू-पृष्ठ जल	बैंक ने भविष्य में उपयोग के लिए वर्षा जल (भू-पृष्ठ जल) के अपवाह को रोकने के लिए अपने अधिकांश भवनों में वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) प्रणाली स्थापित की है। वर्षा जल (भू-पृष्ठ जल) प्रवाह के अधिकतम समेकन/संग्रह के लिए सभी आगामी/निर्माणाधीन भवनों की व्यापक रूप से योजना बनाई गई है।	
(ii) भूजल	स्थानीय वैधानिक प्राधिकरण से जल का कनेक्शन प्राप्त करने पर जल की आवश्यकता पूरी होती है..	
(iii) थर्ड पार्टी वॉटर	लागू नहीं	लागू नहीं
(iv) समुद्री जल/अलवणीकृत जल	लागू नहीं	लागू नहीं
(v) अन्य	लागू नहीं	लागू नहीं
जल निकासी का कुल आयतन (किलोलीटर में) (i + ii + iii + iv + v)	लागू नहीं	
जल उपभोग का कुल आयतन (किलोलीटर में)		
जल की तीव्रता प्रति रुपएटर्नओवर (उपभोग जल/टर्नओवर)		
जल की तीव्रता (वैकल्पिक)– संस्था द्वारा संबंधित मीट्रिक का चयन किया जा सकता है		

बैंक मूल्यांकन और योजना के लिए क्षेत्र से डेटा को सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया तैयार कर रहा है

4. क्या कंपनी ने जीरो लिक्विड डिस्चार्ज के लिए कोई तंत्र लागू किया है? यदि हां, तो इसके कवरेज और कार्यान्वयन का विवरण दें।

   बैंक के प्रधान कार्यालय में जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित है। इसके अलावा, अन्य प्रमुख भवनों के साथ-साथ निर्माणाधीन/ बनने वाली इमारतों को शून्य तरल निर्वहन के साथ योजना बनाई गई है।

Parameter	(Current FY)	(Previous FY)
Water withdrawal by source (in kiloliters)		
(i) Surface water	Bank has installed Rain Water Harvesting (RWH) system is majority of its owned buildings to arrest the rainwater (surface water) run-off for future usage. All upcoming / under-construction buildings have been extensively planned for maximum consolidation/ collection of rainwater (surface water) run-off.	
(ii) Groundwater	Water requirement is fulfilled upon obtaining water connection from the local statutory authority..	
(iii) Third party water	Not Applicable	
(iv) Seawater / desalinated water		
(v) Others		
Total volume of water withdrawal (in kiloliters) (i + ii + iii + iv + v)		
Total volume of water consumption (in kiloliters)		
Water intensity per rupee of turnover (Water consumed / turnover)		
Water intensity (optional) – the relevant metric may be selected by the entity		

Bank is formulating the procedures for cataloguing the data from the field for assessment and planning.

4. **Has the entity implemented a mechanism for Zero Liquid Discharge? If yes, provide details of its coverage and implementation.**

   The Bank's Head Office is installed with a zero liquid discharge Sewage Treatment Plant. Further, other major buildings as well as under construction/ to-be-constructed buildings have been planned with zero liquid discharge.

5. कृपया निम्नलिखित प्रारूप में संस्था द्वारा वायु उत्सर्जन (जीएचजी उत्सर्जन के अलावा) का विवरण प्रदान करें:

पैरामीटर	कृपया संस्था निर्दिष्ट करें	वित्त वर्ष 2022–23	वित्त वर्ष 2021–22
नाइट्रोजन ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड	लागू नहीं		
पार्टिकुलेट मैटर (पीएम)			
स्थायी जैविक प्रदूषक (पीओपी)			
वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (वीओसी)			
संकटजनक वायु प्रदूषक (एचएपी)			
अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें			

टिप्पणी: इंगित करें कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम बताएं।

6. ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन) और इसकी तीव्रता का विवरण निम्न प्रारूप में उपलब्ध कराएं:

पैरामीटर	संस्था	वित्त वर्ष 2022–23	वित्त वर्ष 2021–22
कुल स्कोप 1 उत्सर्जन (CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3 में जीएचजी का ब्रेक-अप, यदि उपलब्ध हो)	मीट्रिक टन CO2 के बराबर	लागू नहीं	
कुल स्कोप 2 उत्सर्जन (CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3, में जीएचजी का ब्रेक-अप यदि उपलब्ध हो)	मीट्रिक टन CO2 के बराबर		
कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन प्रति रुपया			
कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता (वैकल्पिक)– संस्था द्वारा प्रासंगिक मीट्रिक चयनित किया जा सकता है			

टिप्पणी: इंगित करें कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम बताएं।

5. Please provide details of air emissions (other than GHG emissions) by the entity, in the following format:

Parameter	Please specify unit	FY 2022-23	FY 2021-22
Nitrogen Oxide Sulphur Oxide	Not Applicable		
Particulate matter (PM)			
Persistent organic pollutants (POP)			
Volatile organic compounds (VOC)			
Hazardous air pollutants (HAP)			
Others – please specify			

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/ assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) If yes, name of the external agency.

6. **Provide details of greenhouse gas emissions (Scope 1 and Scope 2 emissions) & its intensity, in the following format:**

Parameter	Unit	FY 2022-23	FY 2021-22
Total Scope 1 emissions (Break-up of the GHG into CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3, if available)	Metric tonnes of CO2 equivalent	Not Applicable	
Total Scope 2 emissions (Break-up of the GHG into CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3, if availaple)	Metric tonnes of CO2 equivalent		
Total Scope 1 and Scope 2 emissions per rupee of turnover			
Total Scope 1 and Scope 2 emission intensity (optional) – the relevant metric may be selected by the entity			

Note: Indicate if any independent assessment evaluation assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) If yes, name of the external agency.

7. क्या संस्था के पास ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से संबंधित कोई परियोजना है? यदि हाँ, तो विवरण दें।

लागू नहीं

8. संस्था द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

पैरामीटर	(वर्तमान वित्तीय वर्ष)	(पिछला वित्तीय वर्ष)
कुल उत्पन्न अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
प्लास्टिक अपशिष्ट(ए)	लागू नहीं	
ई–कचरा (बी)		
जैव–अपशिष्ट (सी)		
निर्माण एवं विध्वंस (डी)		
बैटरी अपशिष्ट (इ)		
रेडियोधर्मी अपशिष्ट (एफ)		
अन्य संकटजनक अपशिष्ट। कृपया निर्दिष्ट करें अगर कोई हो। (जी)		
अन्य गैर–संकटजनक राजस्व आय (एच)कृपया निर्दिष्ट करें, यदि कोई हो। (संरचना द्वारा ब्रेक–अप अर्थात क्षेत्र से संबंधित सामग्री द्वारा)		
कुल (ए+बी+सी+डी+इ+एफ+जी+एच)		
उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग या अन्य पुनर्प्राप्ति कार्यों (मीट्रिक टन में) के माध्यम से प्राप्त कुल अपशिष्ट		
अपशिष्ट की श्रेणी		
(i) पुनर्चक्रण (रिसाईकल)		
(ii) पुनः उपयोग		
(iii) अन्य वसूली परिचालन		
कुल		
उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, निपटान पद्धति की प्रकृति द्वारा निपटाया गया कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
अपशिष्ट की श्रेणी	लागू नहीं	
(i) भस्मीकरण		
(ii) भस्मीकरण		
(iii) अन्य निपटान परिचालन		
कुल		

टिप्पणी: इंगित करें कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आंकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हां/नहीं) यदि हां तो बाहरी एजेंसी का नाम बताएं।

नगरपालिका गैर–संकटजनक ठोस अपशिष्ट को एकत्र किए गए कुल अपशिष्ट का 80%–85% पुनर्नवीनीकरण किया जाता है। शेष

7. Does the entity have any project related to reducing Green House Gas emission? If Yes, then provide details.
Not Applicable

8. Provide details related to waste management by the entity, in the following format:

Parameter	(Current FY)	(Previous FY)
Total Waste generated (in metric tonnes)		
Plastic waste (A)	Data Not Available	
E-waste (B)		
Bio-medical waste (C)	Not Applicable	
Construction and demolition waste (D)		
Battery waste (E)		
Radioactive waste (F)		
Other Hazardous waste. Please specify, if any. (G)		
Other Non-hazardous waste generated (H) . Please specify, if any. (Break-up by composition i.e. by materials relevant to the sector)		
Total (A+B + C + D + E + F + G + H)		
For each category of waste generated, total waste recovered through recycling, re-using or other recovery operations (in metric tonnes)		
Category of waste		
(i) Recycled		
(ii) Re-used		
(iii) Other recovery operations		
Total		
For each category of waste generated, total waste disposed by nature of disposal method (in metric tonnes)		
Category of waste		
(i) Incineration	Not Applicable	
ii) Landfilling		
(iii) Other disposal operations		
Total		

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) If yes, name of the external agency.

Non-hazardous municipal solid waste are recycled 80%-85% of the total waste collected. Rest non-recyclable and disposable

गैर-पुनर्नवीनीकरण योग्य और डिस्पोजेबल भाग को भारतीय प्रदूषण नियंत्रण संघ द्वारा प्रमाणित अधिकृत लैंडफिल साइट पर निपटाया जाता है।

बैंक मूल्यांकन और योजना के लिए क्षेत्र से डेटा को सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया तैयार कर रहा है।

9. आपके प्रतिष्ठानों में अपनाई जाने वाली अपशिष्ट प्रबंधन प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन करें। अपने उत्पादों और प्रक्रियाओं में खतरनाक एवं जहरीले रसायनों के उपयोग को कम करने के लिए आपकी कंपनी द्वारा अपनाई गई रणनीति तथा ऐसे अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए अपनाई गई प्रक्रियाओं का वर्णन करें।

   बैंक अपने परिचालन कार्यों से उत्पन्न अपशिष्ट के स्थायी प्रबंधन की दिशा में उत्तरोत्तर काम कर रहा है। बैंक तीन प्रकार के गैर-संकटजनक अपशिष्ट से निपटता है – ई-कचरा, सूखा कचरा (पेपर कचरा) और गीला कचरा (कैफेटेरिया, सीवेज), जिनमें से ई-कचरा अधिकृत रिसाइकलरों के माध्यम से निपटाया जाता है। बैंक प्लास्टिक की बोतलों के उपयोग को कम करने की दिशा में भी आक्रामक रूप से काम कर रहा है। पूरे भारत में प्रधान कार्यालय से एकल उपयोग वाली प्लास्टिक की बोतलों को पहले ही हटा दिया गया है, और हमने सभी बैठक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्षों में बहु-उपयोग वाली प्लास्टिक की पानी की बोतलों को कांच के जार से बदल दिया है। जेनरेटर सेटों में उपयोग किए जाने वाले डीजल/ईंधन तेल से उत्पन्न होने वाला खतरनाक अपशिष्ट हमारे कार्यक्षेत्र में नगण्य है

10. यदि संस्था के पास पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (जैसे राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों, बायोस्फीयर रिजर्व, वेटलैंड्स, जैव विविधता हॉटस्पॉट, जंगलों, तटीय विनियमन क्षेत्रों आदि) में/के आसपास संचालन/कार्यालय हैं, जहां पर्यावरणीय अनुमोदन/स्वीकृति की आवश्यकता है, तो कृपया निम्नलिखित प्रारूप में विवरण निर्दिष्ट करें:

    बैंक वित्तीय सेवाएं प्रदान करने का काम करता है और इसलिए जैव विविधता पर हमारा सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है। हालांकि, नए बैंक भवनों का निर्माण करने से पहले, जैव-विविधता पर किसी भी प्रभाव को कम करने के लिए संबंधित स्थानीय सांविधिक प्राधिकरण यथा पर्यावरण मूल्यांकन प्राधिकरण, वन विभाग, खनन आदि से सभी अनुमति/ अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किए जाते हैं। ।

11. वर्तमान वित्त वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर संस्था द्वारा किए गए परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का विवरण।

    लागू नहीं

12. क्या संस्था भारत में लागू पर्यावरणीय कानून/नियमों/ दिशानिर्देशों जैसे कि जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम एवं उसके अंतर्गत नियमों का अनुपालन करती है (हाँ/नहीं)। यदि नहीं तो ऐसे सभी गैर अनुपालन का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें.

    लागू नहीं

part is disposed of at authorized landfill site as certified by Indian Pollution Control Association.

Bank is formulating the procedures for cataloguing the data from the field for assessment and planning.

9. **Briefly describe the waste management practices adopted in your establishments. Describe the strategy adopted by your company to reduce usage of hazardous and toxic chemicals in your products and processes and the practices adopted to manage such wastes.**

   The Bank is working progressively towards sustainable management of waste generated from our operations. The Bank deals with three types of non-hazardous waste – e-waste, dry waste (paper waste) and wet waste (cafeteria, sewage) , of which e-waste is disposed through authorised recyclers. The Bank is also aggressively working towards minimising the use of plastic bottles. Single use plastic bottles have already been phased out from head office pan-India, and we have replaced multiple use plastic water bottles with glass jars across all meeting and video conferencing rooms. Hazardous waste within our scope, arising from diesel/fuel oil used in generator sets, is negligible.

10. **If the entity has operations/offices in/around ecologically sensitive areas (such as national parks, wildlife sanctuaries, biosphere reserves, wetlands, biodiversity hotspots, forests, coastal regulation zones etc.) where environmental approvals / clearances are required, please specify details in the following format:**

    The Bank deals in providing financial services and as such we do not have direct impacts on biodiversity. However, prior to undertaking construction of new Bank buildings, all permissions / no-objection certificates from the relevant local statutory authority are obtained viz. Environmental Assessment Authority, Forest Department, Mining etc. to mitigate any impact on bio-diversity.

11. **Details of environmental impact assessments of projects undertaken by the entity based on applicable laws, in the current financial year.**

    Not Applicable

12. **Is the entity compliant with the applicable environmental law/ regulations/ guidelines in India; such as the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, Air (Prevention and Control of Pollution) Act, Environment protection act and rules thereunder (Y/N) . If not, provide details of all such non-compliances, in the following format:**

    Not Applicable

नेतृत्व संकेतक

1. नवीकरणीय ऊर्जा से खपत की गई कुल ऊर्जा (जूल या गुणकों में) का ब्रेक-अप प्रदान करें एवं गैर-नवीकरणीय स्रोत, निम्नलिखित प्रारूप में:

पैरामीटर	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2021-22
नवीकरणीय स्रोतों से		
कुल बिजली खपत (ए)	लागू नहीं	
कुल ईंधन खपत (बी)		
अन्य स्रोत के माध्यम से ऊर्जा की खपत (सी)		
नवीकरणीय स्रोत से कुल ऊर्जा की खपत(ए+बी+सी)		
कुल बिजली खपत (डी)		
कुल ईंधन खपत (ई)	लागू नहीं	
अन्य स्रोत के माध्यम से ऊर्जा की खपत (एफ)		
गैर-नवीकरणीय स्रोतों से खपत कुल ऊर्जा (डी+ई+एफ)		

टिप्पणी: इंगित करें कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आंकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम बताएं।

बैंक मूल्यांकन एवं योजना के लिए क्षेत्र से डेटा को सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया तैयार कर रहा है। इसके अलावा, ऊर्जा उपयोग को अनुकूलित करने एवं इसे स्थिरता की ओर आगे बढ़ाने एवं पर्यावरणीय जोखिमों को कम करने के लिए बैंक द्वारा उठाए गए विभिन्न कदम इस प्रकार हैं: -

- नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करने के लिए बैंक के अपने भवनों की छत पर सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना और बैंक की आगामी इमारतों के लिए भी इसकी योजना बनाई गई है।
- ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) स्टार रेटेड बिजली के उपकरणों अर्थात एलईडी लाइट फिक्स्चर, एसी इत्यादि की खरीद।
- बैंक के स्वामित्व/पट्टे पर लिए गए प्रशासनिक कार्यालयों में ऊर्जा की बचत के लिए ऑक्युपैंसी सेंसर लगाना।

बैंक विद्युत वाहनों (ईवी) का उपयोग करने और प्रधान कार्यालय में पायलट आधार के रूप में ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की संभावना तलाश रहा है।

Leadership Indicators

1. **Provide break-up of the total energy consumed (in Joules or multiples) from renewable and non-renewable sources, in the following format:**

Parameter	FY 2022-23	FY 2021-22
From renewable sources		
Total electricity consumption (A)	Not Applicable	
Total fuel consumption (B)		
Energy consumption through other sources (C)		
Total energy consumed from renewable sources (A+B+C)		
From non-renewable sources		
Total electricity consumption (D)		
Total fuel consumption (E)	Not Applicable	
Energy consumption through other sources (F)		
Total energy consumed from non-renewable sources (D+E+F)		

Note: Indicate if any independent assessment evaluation assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) If yes, name of the external agency.

Bank is formulating the procedures for cataloguing the data from the field for assessment and planning. Further, in order to optimize the energy usage and incline it further towards sustainability and to mitigate environmental risks various steps undertaken by the Bank are: -

- Installation of roof top solar energy plants on Bank's own buildings for utilising renewable energy and the same has been planned for Bank's upcoming buildings also.
- Procurement of Bureau of Energy Efficiency (BEE) star rated electrical equipments viz. LED light fixtures, ACs etc.
- Installation of occupancy sensors for saving energy in Bank's own / leased administrative offices.

Bank is also exploring possibility for using electricity powered vehicles (EVs) and setting up of EV charging station as pilot basis at Head Office.

2. जल स्राव से संबंधित निम्नलिखित विवरण प्रदान करें:

पैरामीटर	(वर्तमान वित्तीय वर्ष)	(पिछला वित्तीय वर्ष)
स्रोत से जल स्राव होना एवं शोधन का स्तर (किलोलीटर में)		
(i) भू-पृष्ठ जल	बैंक ने भविष्य में उपयोग के लिए वर्षा जल (भू-पृष्ठ जल) के प्रवाह को रोकने के लिए अपने अधिकांश स्वामित्व वाली इमारतों में वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) प्रणाली स्थापित की है। वर्षा जल (भू-पृष्ठ जल) अपवाह के अधिकतम जमाव/संग्रहण के लिए सभी आगामी/निर्माणाधीन भवनों की व्यापक रूप से योजना बनाई गई है।	
– कोई शोधन नहीं	लागू नहीं	
– शोधन के साथ – कृपया शोधन के स्तर का उल्लेख करें		
(ii) भूजल को	स्थानीय सांविधिक प्राधिकरण से पानी का कनेक्शन प्राप्त करने तक पानी की आवश्यकता को पूरा किया जाता है।	
– कोई शोधन नहीं	लागू नहीं	
– शोधन के साथ – कृपया शोधन के स्तर का उल्लेख करें		
(iii) समुद्री जल को		
– कोई शोधन नहीं		
– शोधन के साथ – कृपया शोधन के स्तर का उल्लेख करें		
(iv) तृतीय पक्ष द्वारा प्रेषित		
– कोई शोधन नहीं		
– शोधन के साथ – कृपया शोधन के स्तर का उल्लेख करें		
(V) अन्य		
– कोई शोधन नहीं		
– शोधन के साथ – कृपया शोधन के स्तर का उल्लेख करें		
कुल जल स्राव (किलोलीटर में)	हमारे प्रधान कार्यालय में जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित है। इसके अलावा, अन्य प्रमुख भवनों के साथ-साथ निर्माणाधीन/बनने वाली इमारतों को शून्य तरल स्राव योजना बनाई गई है।	

टिप्पणी: इंगित करें कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम बताएं।

2. Provide the following details related to water discharged:

Parameter	(Current FY)	(Previous FY)
Water discharge by destination and level of treatment (in kilolitres)		
(i) To Surface water	Bank has installed Rain Water Harvesting (RWH) system in majority of its owned buildings to arrest the rain water (surface water) run-off for future usage. All upcoming under-construction buildings have been extensively planned for maximum consolidation / collection of rain water (surface water) run-off.	
-No treatment	Not Applicable	
-With treatment – please specify level of treatment		
(ii) To Groundwater	Water requirement is fulfilled upon obtaining water connection from the local statutory authority.	
-No treatment	Not Applicable	
-With treatment – please specify level of treatment		
(iii) To Seawater		
-No treatment		
-With treatment – please specify level of treatment		
(iv) Sent to third-parties		
-No treatment		
-With treatment – please specify level of treatment		
(v) Others		
-No treatment		
-With treatment – please specify level of treatment		
Total water discharged (in kilolitres)	Our Head Office is installed with a zero liquid discharge Sewage Treatment Plant. Further, other major buildings as well as under construction / to-be-constructed buildings have been planned with zero liquid discharge.	

Note: Indicate if any independent assessment / evaluation/assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) If yes, name of the external agency.

3. पानी की कमी वाले क्षेत्रों में पानी की निकासी, खपत और डिस्चार्ज (किलोलीटर में): लागू नहीं

4. कृपया निम्नलिखित प्रारूप में कुल स्कोप 3 उत्सर्जन और इसकी तीव्रता का विवरण प्रदान करें:

पैरामीटर	संस्था	वित्त वर्ष 2022–23	वित्त वर्ष 2021–22
कुल क्षेत्र 3 उत्सर्जन (ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) का सीओ 2, सीएच 4, एन2ओ, एचएफसीएस, पीएफसीएस, एसएफ 6, एनएफ 3 में विभाजन, यदि उपलब्ध हो)	मीट्रिक टन CO2 बराबर	लागू नहीं	
कुल क्षेत्र 3 उत्सर्जन प्रति रुपयाकारोबार			
कुल क्षेत्र 3 उत्सर्जन तीव्रता (वैकल्पिक) – संस्था द्वारा प्रासंगिक मीट्रिक का चयन किया जा सकता है:			

टिप्पणी: इंगित करें कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आंकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम बताएं।

5. उपरोक्त आवश्यक संकेतकों के प्रश्न 10 में रिपोर्ट किए गए पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के संबंध में, रोकथाम और उपचारात्मक गतिविधियों के साथ-साथ ऐसे क्षेत्रों में जैव विविधता पर इकाई के महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव का विवरण प्रदान करें।

बैंक वित्तीय सेवाएं प्रदान करने का कार्य करता है और इसलिए जैव विविधता पर हमारा सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है। हालांकि, नए बैंक भवनों का निर्माण करने से पहले, जैव-विविधता पर किसी भी प्रभाव को कम करने के लिए संबंधित स्थानीय वैधानिक प्राधिकरण अर्थात पर्यावरण मूल्यांकन प्राधिकरण, वन विभाग, खनन आदि से सभी अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किए जाते हैं।

6. यदि संस्था ने कोई विशिष्ट पहल की है या संसाधन दक्षता में सुधार के लिए नवीन प्रौद्योगिकी या समाधान का उपयोग किया है, या उत्सर्जन/बहिःस्राव निर्वहन/अपशिष्ट उत्पन्न होने के कारण प्रभाव को कम किया है, तो कृपया ऐसी पहलों के विवरण और साथ ही उनका परिणाम बताएं:

क. सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिए बैंक के अपने भवनों की छत पर सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना और बैंक की आगामी इमारतों के लिए भी इसकी योजना बनाई गई है।

ख. बीईई स्टार रेटेड ऊर्जा कुशल विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की खरीद। बैंक के परिसर में 3 या अधिक स्टार रेटेड एसी का उपयोग किया जा रहा है जो कम ऊर्जा की खपत करते हैं।

3. **Water withdrawal, consumption and discharge in areas of water stress (in kilolitres) :** Not Applicable

4. **Please provide details of total Scope 3 emissions & its intensity, in the following format:**

Parameter	Unit	FY 2022-23	FY 2021-22
Total Scope 3 emissions (Break-up of the GHG into CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3, if available)	Metric tonnes of CO2 equivalent	Not Applicable	
Total Scope 3 emissions per rupee of turnover			
Total Scope 3 emission intensity (optional) – the relevant metric may be selected by the entity			

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/ assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) If yes, name of the external agency.

5. **With respect to the ecologically sensitive areas reported at Question 10 of Essential Indicators above, provide details of significant direct & indirect impact of the entity on biodiversity in such areas along-with prevention and remediation activities.**

The Bank deals in providing financial services and as such we do not have direct impacts on biodiversity. However, prior to undertaking construction of new Bank buildings, all permissions / no-objection certificates from the relevant local statutory authority are obtained viz. Environmental Assessment Authority, Forest Department, Mining etc to mitigate any impact on bio-diversity.

6. **If the entity has undertaken any specific initiatives or used innovative technology or solutions to improve resource efficiency, or reduce impact due to emissions / effluent discharge / waste generated, please provide details of the same as well as outcome of such initiatives:**

a. Installation of roof top solar energy plants on Bank's own buildings for utilising renewable energy and the same has been planned for Bank's upcoming buildings also.

b. Procurement of BEE star-rated energy efficient electrical & electronic equipment's. 3 or more star rated AC's are being used in bank's premise which consume less energy.

ग. इसके अलावा, एलईडी लाइट फिक्स्चर जो कि सबसे अधिक ऊर्जा कुशल फिक्स्चर है, बैंक के परिसर में उपयोग किए जा रहे हैं।

घ. बैंक के अपने प्रशासनिक भवनों में आक्यूपेंसी सेंसर लगाना।

ङ. भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुरूप बैंक के परिसरों में एसी के परिचालन तापमान को 24 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक बनाए रखने के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

च. इसके अलावा टाइमर सुविधा के साथ एलईडी ग्लो साइन बोर्ड भी लगाए जा रहे हैं जो दिन के उजाले में अपने आप बंद हो जाते हैं।

छ. बैंक इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग की संभावना तलाशने और प्रधान कार्यालय में ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की प्रक्रिया में भी है।

7. क्या संस्था के पास व्यवसाय निरंतरता और आपदा प्रबंधन योजना है? 100 शब्दों / वेब लिंक में विवरण दें।

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए व्यापार निरंतरता योजना के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति को लागू किया है जो परिचालन जोखिम के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए व्यापार निरंतरता योजना को एक महत्वपूर्ण पूर्व–आवश्यकता के रूप में निर्धारित करता है – व्यापार व्यवधान और सिस्टम विफलता। बैंक की बीसीपी और आपदा प्रबंधन योजना इसकी जोखिम प्रबंधन रणनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और व्यवसाय की निरंतरता सुनिश्चित करती है और व्यवधान के दौरान होने वाले नुकसान को कम करती है जिससे बैंक की परिचालन क्षमता मजबूत होती है।

बैंक बीसीपी व्यवधान के दौरान और बाद में व्यवसाय संचालन को बनाए रखने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं और कार्यविधि की एक व्यापक रूपरेखा देता है और आपदा प्रबंधन योजना व्यवधान के बाद महत्वपूर्ण डेटा और सिस्टम को बनाए रखने या पुनर्स्थापित करने पर केंद्रित है।

बैंक बीसीपी आईटी और गैर–आईटी गतिविधियों, संसाधनों सहित बैंक के सभी व्यावसायिक कार्यों पर लागू होता है। नीति में एक प्रभावी बीसीपी और परिचालन लचीलापन दृष्टिकोण, महत्वपूर्ण व्यवसाय की पहचान, संरचित जोखिम मूल्यांकन, डीआर अभ्यास आयोजित करने और बीसीपी / डीआरपी की समीक्षा करने के लिए शासन संरचना शामिल है।

नीति में व्यावसायिक प्रभाव विश्लेषण, परीक्षण, प्रशिक्षण और संकट प्रबंधन रणनीतियों जैसे आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना, बैकअप, वैकल्पिक साइट, पुनर्प्राप्ति व्यवस्था और संचार और अधिसूचना प्रक्रियाओं का उल्लेख है। इसलिए, बैंक की व्यवसाय निरंतरता और आपदा राहत योजना का विचार निरंतरता बनाए रखना, क्षति को कम करना और सफल राहत की संभावना को बढ़ाना है।

8. इकाई के मूल्य श्रृंखला से उत्पन्न होने वाले पर्यावरण पर किसी भी महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव का खुलासा करें। इस

c. Further LED light fixtures which are most energy efficient fixtures are being used in Bank's premises.

d. Installation of occupancy sensors in Bank's own administrative buildings.

e. Guidelines have been issued for maintaining the operational temperature of AC's across Bank's premises at 24° C or more in line with the Government of India guidelines.

f. Further LED glow sign boards are being installed with timer facility which automatically switches off at daylight.

g. Bank is also under process to explore the possibility of using electric vehicles and setting up EV charging station in the head office.

7. Does the entity have a business continuity and disaster management plan? Give details in 100 words/ web link.

Bank has in place Board approved Policy for Business Continuity Plan (BCP) for FY 2023-24 which stipulates Business Continuity planning as a key pre-requisite for minimising the adverse effects of one of the important areas of operational risk – business disruption and system failures. BCP and disaster management plan of the Bank play an important role in its risk management strategy and ensure business continuity and minimise losses during disruption thus strengthening Operational Resilience of the Bank.

Banks BCP gives a broader outline of procedures and processes to be followed to maintain business operation during and after a disruption and Disaster Management plan focuses on maintaining or restoring critical data and system following disruption.

Banks BCP is applicable to all the business operations of the Bank including IT & Non-IT activities, resources. Policy contains governance structure to establish, oversee and implement an effective BCP and operational resilience approach, identification of critical business, structured risk assessment, conducting DR drills and review of BCP/ DRP.

The policy mentions business impact analysis, testing, training and Crisis Management strategies such as emergency response plan, backup, alternate site, recovery arrangements and communication & notification procedures. Hence, the idea of the Banks business continuity and disaster recovery plan is to maintain continuity, minimise damage and increase the likelihood of successful recovery.

8. Disclose any significant adverse impact to the environment, arising from the value chain of the entity.

संबंध में इकाई द्वारा क्या शमन या अनुकूलन उपाय किए गए हैं।

पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं।

9. मूल्य श्रृंखला भागीदारों का प्रतिशत (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य से) जिनका पर्यावरणीय प्रभावों के लिए मूल्यांकन किया गया था।

लागू नहीं

सिद्धांत 7 सार्वजनिक और नियामक नीति को प्रभावित करने में लगे व्यवसायों को ऐसा ऐसे तरीके से करना चाहिए जो जिम्मेदार और पारदर्शी हो

आवश्यक संकेतक

1. क) व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों के साथ संबद्धता की संख्या।

व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों के साथ आठ (8) जुड़ाव हैं

बी) शीर्ष 10 व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों की सूची बनाएं (ऐसे निकाय के कुल सदस्यों के आधार पर निर्धारित) इकाई से सदस्य/संबद्ध है।

क्र. सं.	व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों के नाम	व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों की पहुंच(राज्य/राष्ट्रीय)
1	भारतीय बैंक संघ	राष्ट्रीय
2	इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स (आईसीसी)	राष्ट्रीय
3	एसोचैम	राष्ट्रीय
4	भारतीय उद्योग परिसंघ	राष्ट्रीय
5	दिल्ली उत्पादकता परिषद	राज्य
6	सार्वजनिक उद्यमों की स्थायी परिषद (स्कोप)	राष्ट्रीय
7	पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स	राष्ट्रीय
8	फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI)	राष्ट्रीय

2. नियामक प्राधिकरणों के प्रतिकूल आदेशों के आधार पर, इकाई द्वारा प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण से संबंधित किसी भी मुद्दे पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें

प्राधिकरण का नाम	मामले का संक्षिप्त विवरण	सुधारात्मक कार्रवाई की गई
शून्य		

What mitigation or adaptation measures have been taken by the entity in this regard.

No adverse impact on environment.

9. Percentage of value chain partners (by value of business done with such partners) that were assessed for environmental impacts.

Not Applicable

PRINCIPLE 7 Businesses, when engaging in influencing public and regulatory policy, should do so in a manner that is responsible and transparent

Essential Indicators

1. **a) Number of affiliations with trade and industry chambers/ associations.**

There are Eight (8) affiliations with trade and industry chambers/ associations

b) List the top 10 trade and industry chambers/ associations (determined based on the total members of such body) the entity is a member of/ affiliated to.

S. No.	Name of the trade and industry chambers/ associations	Reach of trade and industry chambers/ associations (State/ National)
1	Indian Banks' Association	National
2	International Chamber of Commerce (ICC)	National
3	ASSOCHAM	National
4	Confederation of Indian Industry	National
5	Delhi Productivity Council	State
6	Standing Council of Public Enterprises (SCOPE)	National
7	PHD Chamber of Commerce	National
8	Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry (FICCI)	National

2. **Provide details of corrective action taken or underway on any issues related to anti-competitive conduct by the entity, based on adverse orders from regulatory authorities**

Name of authority	Brief of the case	Corrective action taken
NIL		

नेतृत्व संकेतक

1. संस्था द्वारा समर्थित सार्वजनिक नीति पदों का विवरण:

क्र.सं.	समर्थित सार्वजनिक नीति	ऐसे समर्थन के लिए अपनाया गया तरीका	क्या जानकारी सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है? (हां नहीं)	बोर्ड द्वारा समीक्षा की आवृत्ति(वार्षिक / अर्धवार्षिक / त्रैमासिक / अन्य – कृपया निर्दिष्ट करें)	वेब लिंक, यदि उपलब्ध हो
1	केवाईसी–एएमएल नीति	बैंक की आंतरिक नीति	हाँ	वार्षिक	www.pnbindia.in
2	सरकारी कारोबार नीति				
3	चेक संग्रह नीति				
4	बैंक जमाओं पर नीति				
5	सुरक्षित जमा लॉकर पर नीति				
6	रिकॉर्ड रखरखाव नीति				

सिद्धांत 8 कारोबारियों द्वारा समावेशी विकास और समान विकास को बढ़ावा दिया जाना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. चालू वित्त वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर इकाई द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) का विवरण।
   लागू नहीं
2. निम्नलिखित प्रारूप में उन परियोजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करें जिनके लिए आपकी संस्था द्वारा चल रहे पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर एंड आर) किए जा रहे हैं:
   लागू नहीं
3. समुदाय से शिकायतें प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिए तंत्र का वर्णन करें।

   नीति के अनुसार लागू तंत्र।

Leadership Indicators

1. Details of public policy positions advocated by the entity:

S. No.	Public policy advocated	Method resorted for such advocacy	Whether information available in public domain? (Yes/No)	Frequency of Review by Board (Annually/ Half yearly/ Quarterly / Others – please specify)	Web Link, if available
1	KYC-AML Policy	Bank's internal policy	Yes	Annually	www.pnbindia.in
2	Government Business Policy				
3	Cheque Collection Policy				
4	Policy on Bank Deposits				
5	Policy on Safe Deposit Locker				
6	Record Maintenance Policy				

PRINCIPLE 8 Businesses should promote inclusive growth and equitable development

Essential Indicators

1. Details of Social Impact Assessments (SIA) of projects undertaken by the entity based on applicable laws, in the current financial year.
   Not Applicable
2. Provide information on project (s) for which ongoing Rehabilitation and Resettlement (R&R) is being undertaken by your entity, in the following format:
   Not Applicable
3. Describe the mechanisms to receive and redress grievances of the community.

   Mechanism applicable as per policy.

4. आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त इनपुट सामग्री का प्रतिशत (कुल इनपुट का इनपुट मूल्य):

	वर्तमान वित्तीय वर्ष	पिछला वित्त वर्ष
एमएसएमई/छोटे उत्पादकों से सीधे प्राप्त	लागू नहीं	
जिले और पड़ोसी जिलों से सीधे प्राप्त		

नेतृत्व संकेतक

1. सामाजिक प्रभाव आकलन में चिह्नित किसी भी नकारात्मक सामाजिक प्रभावों को कम करने के लिए की गई कार्रवाई का विवरण प्रदान करें। (संदर्भ: उपरोक्त आवश्यक संकेतकों का प्रश्न 1):

 कोई नकारात्मक सामाजिक प्रभाव रिपोर्ट नहीं किया गया।

2. सरकारी निकायों द्वारा चिह्नित नामित आकांक्षी जिलों में आपकी इकाई द्वारा शुरू की गई सीएसआर परियोजनाओं पर निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:

क्र. सं.	आकांक्षा जिला	राज्य	खर्च की गई राशि (भारतीय रुपये में)
1	चंदौली	उत्तर प्रदेश	48400
2	गढ़चिरोली	मुंबई	48000
3	बोकारो	झारखंड	65850
	गोड्डा		91911
	रांची		331386
4	जैसलमेर	राजस्थान	15553
5	उधम सिंह नगर	उत्तराखंड	183500
	हरिद्वार		122000
6	विशाखापत्तनम	आंध्र प्रदेश	60000
7	रायचुर	कर्नाटक	75000

3. ए) क्या आपके पास अधिमान्य खरीद नीति है जहां आप उपेक्षित/कमजोर समूहों वाले आपूर्तिकर्ताओं से खरीद को प्राथमिकता देते हैं? (हां नहीं)

 बैंक के पास एक बोर्ड द्वारा अनुमोदित खरीद नीति है जो मोटे तौर पर व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा परिचालित सामान्य वित्तीय नियमों पर आधारित है। इसके अलावा, नीति में एमएसएमई मंत्रालय द्वारा सूक्ष्म और सामाजिक उद्यम (एमएसई) के माध्यम से तरजीही खरीद के लिए जारी दिशानिर्देश भी शामिल हैं। इसके तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के एमएसई से खरीद के लिए भी कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। साथ ही बैंक की खरीद नीति में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा जारी खरीद वरीयता नीति शामिल है।

बी) आप किन सीमांत/कमजोर समूहों से खरीदारी करते हैं?

 सूक्ष्म और लघु उद्यम।

4. Percentage of input material (inputs to total inputs by value) sourced from suppliers:

	Current FY	Previous FY
Directly sourced from MSMEs/ small producers	Not Applicable	
Sourced directly from within the district and neighboring districts		

Leadership Indicators

1. **Provide details of actions taken to mitigate any negative social impacts identified in the Social Impact Assessments (Reference: Question 1 of Essential Indicators above) :**

 No negative social impact reported.

2. **Provide the following information on CSR projects undertaken by your entity in designated aspirational districts as identified by government bodies:**

S. No.	Aspirational District	State	Amount spent (In INR)
1	Chandauli	Uttar Pradesh	48400
2	Gadchiroli	Mumbai	48000
3	Bokaro	Jharkhand	65850
	Godda		91911
	Ranchi		331386
4	Jaisalmer	Rajasthan	15553
5	Udham Singh Nagar	Uttarakhand	183500
	Haridwar		122000
6	Visakhapatnam	Andhra Pradesh	60000
7	Raichur	Karnataka	75000

3. **a) Do you have a preferential procurement policy where you give preference to purchase from suppliers comprising marginalized /vulnerable groups? (Yes/No)**

 Bank has a Board approved Procurement Policy which is broadly based on General Financial rules circulated by department of Expenditure, Ministry Of Finance. Further, the policy also includes guidelines issued by MSME Ministry for Preferential Procurement through Micro and Social Enterprise (MSE's) . Under this certain targets are also fixed for procurement from MSE's of SC/ ST Entrepreneur. Also Bank's Procurement Policy includes Purchase Preference Policy issued by Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce & Industry.

b) From which marginalized /vulnerable groups do you procure?

 Micro and Small enterprises.

(सी) यह कुल खरीद (मूल्य से) का कितना प्रतिशत है?

लागू नहीं

4. पारंपरिक ज्ञान के आधार पर, आपकी संस्था (चालू वित्तीय वर्ष में) के स्वामित्व या अधिग्रहीत बौद्धिक संपदा से प्राप्त और साझा किए गए लाभों का विवरण:

लागू नहीं

5. बौद्धिक संपदा संबंधी विवादों में किसी प्रतिकूल आदेश के आधार पर की गई या की जा रही सुधारात्मक कार्रवाइयों का विवरण जिसमें पारंपरिक ज्ञान का उपयोग शामिल है।

लागू नहीं

6. सीएसआर परियोजनाओं के लाभार्थियों का विवरण: वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान

i. दिनांक 12.04.2022 को बैंक के 128वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर दिल्ली सरकार के 02 स्कूलों में सीएसआर गतिविधियों के लिए 3,25,000/- रुपये की स्वीकृति।

ii. उत्तराखंड सरकार के समग्र शिक्षा अभियान में 10.00 लाख रुपये का योगदान दिया गया

iii. तमिलनाडु मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (टीएनएमएससी), एग्मोर, चेन्नई के अंदर मनोरंजन हॉल के निर्माण के लिए 24.90 लाख रुपये का योगदान।

iv. अखिल भारतीय पिंगलवाड़ा चैरिटेबल सोसाइटी, अमृतसर को एम्बुलेंस प्रदान करके कल्याणकारी गतिविधियों में सहयोग किया।

v. चंडीगढ़, कोलकाता और मुंबई में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए।

vi. एसटीसी सिविल लाइन्स में पीएनबी प्रेरणा के सहयोग से कल्याणकारी गतिविधियों के लिए एनजीओ- 'द अर्थ सेवियर्स फाउंडेशन', हरियाणा को 30,000/- रुपये का योगदान।

vii. (1) स्वच्छ सर्वेक्षण (स्वच्छ पर्यावरण) और (2) माझी वसुंधरा (मेरी धरती माता) – बारामती नगर परिषद (बीएमसी), मुंबई के जन जागरूकता कार्यक्रमों में 15.00 लाख रुपये का योगदान।

viii. 'हर घर तिरंगा' कार्यक्रम में भाग लेने के लिए एसएचजी-क्लस्टर लेवल फेडरेशन (सीएलएफ) को समर्थन देने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सीएसआर के तहत 9.50 लाख रुपये।

ix. अंचल कार्यालय, चेन्नई द्वारा तिरुवनंतपुरम नगर निगम, केरल को एम्बुलेंस प्रदान करने के लिए (फोर्स बीएस6 टाइप-बी) के लिए 21,07,639/- रुपये स्वीकृत किए गए थे।

x. सीएसआर के तहत रुपये 4,94,085/- (सभी समावेशी) श्री नित्यानंद पद आश्रम, नैनीताल के लिए दैनिक रखरखाव, भोजन, आश्रम में आश्रय वाली 1300+ गायों के चिकित्सा व्यय के लिए स्वीकृत किए गए थे।

(c) What percentage of total procurement (by value) does it constitute?

Not Applicable

4. **Details of the benefits derived and shared from the intellectual properties owned or acquired by your entity (in the current financial year), based on traditional knowledge:**

Not Applicable

5. **Details of corrective actions taken or underway, based on any adverse order in intellectual property related disputes wherein usage of traditional knowledge is involved.**

Not Applicable

6. **Details of beneficiaries of CSR Projects: during FY 2022-23**

i. Sanction of Rs. 3,25,000/- for CSR activities with 02 Delhi Govt. Schools on the occasion of Bank's 128th Foundation Day event on 12.04.2022.

ii. Rs. 10.00 lakhs were contributed to Samagra Shiksha Abhiyan of Govt. of Uttrakhand

iii. Contribution of Rs. 24.90 lakhs towards construction of recreation hall inside Tamil Nadu Medical Services Corporation Limited (TNMSC), Egmore, Chennai.

iv. Welfare activities of All India Pingalwara charitable society, Amritsar were supported by providing an ambulance.

v. Blood Donation camps were organized at Chandigarh, Kolkata and Mumbai.

vi. Contribution of Rs. 30,000/- to NGO- 'The Earth saviours Foundation', Haryana for its welfare activities in collaboration with PNB Prerna at STC Civil lines.

vii. Rs. 15.00 lacs for Contribution to (1) Swachh Sarvekshan (Clean environment) & (2) Majhi Vasundhara (My Mother Earth) – Public Awareness programmes of Baramati Municipal Council (BMC), Mumbai.

viii. Rs. 9.50 lakhs under CSR for North Easter Region towards extending support to SHG- Cluster level federation (CLF) to participate in 'Har Ghar Tiranga' program.

ix. Rs. 21,07,639/- were approved for an ambulance (Force BS6 Type-B) provided to Thiruvananthapuram Municipal Corporation, Kerala by Zonal office Chennai.

x. Rs. 4,94,085/- (All inclusive) under CSR were approved for Shril Nityanand Pad Ashram, Nainital towards daily maintenance, feeding, medical expenses of 1300+ cows sheltered at the Ashram.

xi. सरकारी आयुर्विज्ञान संस्थान (जीआईएमएस), यूपी सरकार अस्पताल, नोएडा में रोगी देखभाल को बढ़ावा देने के लिए 3,40,000/– रुपये स्वीकृत किए गए।

xii. मध्य प्रदेश सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग की पहल 'आंगनवाड़ी गोद लें' के तहत अंचल कार्यालय भोपाल द्वारा 44 आंगनवाड़ी (दतिया के प्रत्येक जिले में 11 और जनजातीय क्षेत्रों–डिंडोरी, अलीराजपुर और बड़वानी में) को गोद लिया गया। इस पहल के लिए 22.00 लाख रुपये स्वीकृत किए गए।

xiii. तत्काल स्वास्थ्य जांच करने के लिए उत्तर प्रदेश के जिला सीतापुर में एक हेल्थ एटीएम कियोस्क स्थापित करने के लिए रु 4,22,160/–

xiv. आर्मी कैंट अहमदाबाद में पूर्व सैनिकों और आश्रितों के लिए मेडिकल कंटेनर डिस्पेंसरी की स्थापना के लिए रु 7,40,037/–।

xv. उत्तराखण्ड में विभिन्न विद्यालयों के छात्र–छात्राओं को 1500 स्वेटर वितरण हेतु सीएसआर के अन्तर्गत रू. 4,87,500/– (जीएसटी सहित) की स्वीकृति

xvi. अंचल कार्यालय, अमृतसर द्वारा सेना मुख्यालय 31 और मुख्यालय 15 कोर्प्स, बादामीबाग कैंट, श्रीनगर को 06 ई–रिक्शा और 02 यात्री ई–ऑटो रिक्शा की मांग।

xvii. शहरी स्थानीय निकाय, लखनऊ को 02 लैपटॉप और अन्य बाह्य उपकरणों के योगदान के लिए सीएसआर के तहत रु 3,00,000/– स्वीकृत किए गए।

xviii. हरियाणा के जिला नूंह में 60 गांवों में बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने के लिए दिल्ली स्थित बिसनौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान (बीएसजीएसएस) को एक वाहन के योगदान को मंजूरी दी गई।

xix. गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तराखण्ड के प्रवेश द्वार के जीर्णोद्धार हेतु रू. 10,20,523/– की स्वीकृति।

सोलापुर नगर निगम (एसएमसी), मुंबई के तहत स्कूल की छात्राओं को 100 साइकिल वितरण के लिए 5.00 लाख रुपये की स्वीकृति।

सिद्धांत 9 कारोबारियों को एक उत्तरदायी तरीके से अपने उपभोक्ताओं के साथ जुड़ना चाहिए और उन्हें सम्मान देना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. उपभोक्ता शिकायतों और प्रतिक्रिया को प्राप्त करने और उनका जवाब देने के लिए मौजूद तंत्र का वर्णन करें।

- वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, ग्राहक सेवा पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए बैंक ने एक मजबूत शिकायत निवारण नीति तैयार की है। बैंक उक्त नीति में निर्धारित ढांचे के भीतर ग्राहकों की शिकायतों का निवारण सुनिश्चित कर रहा है।

- बैंक के पास एक ऑन–लाइन शिकायत निवारण प्रबंधन पोर्टल है जिसे केंद्रीकृत शिकायत निवारण प्रबंधन प्रणाली (CGRMS) कहा जाता है, जो इनहाउस पोर्टल है। इस प्रणाली के माध्यम से, ग्राहक

xi. Rs. 3,40,000/- were approved towards promoting patient care at Govt. Institute of Medical sciences (GIMS), U.P Govt. Hospital at Noida.

xii. 44 Aanganwadis (11 in each District of Datia & in Tribal areas-Dindori, Alirajpur and Barwani) were adopted by Zonal Office Bhopal under "Adopt an Aanganwadi" initiative of Women and child development Deptt., Govt. of Madhya Pradesh. For this initiative, Rs. 22.00 lakhs were approved.

xiii. Rs. 4,22,160/- for setting up a Health ATM kiosk in Distt. Sitapur of Uttar Pradesh to offer instant health check-up

xiv. Rs. 7,40,037/- for setting up of a Medical Container Dispensary for ex-servicemen and dependents at Army Cantt. Ahmedabad.

xv. Approval of Rs. 4,87,500/- (inclusive of GST) under CSR in Uttarakhand For distribution of 1500 sweaters to students of different schools.

xvi. Requisition of 06 e-Rickshaw & 02 passenger e-auto rickshaw to Army HQ 31 & HQ 15 Corps, Badami Bagh Cantt. Srinagar by ZO Amritsar.

xvii. Rs. 3,00,000/- were approved under CSR for Contribution of 02 laptops and other peripherals to Urban Local Body, Lucknow.

xviii. Contribution of a vehicle to Bisnouli Sarvodaya Gramodyog Sewa Sansthan, (BSGSS) Based in Delhi was approved for providing better health care services in 60 villages in Distt. Nuh, Haryana.

xix. Approval of Rs. 10,20,523/- for renovation of entrance gate of Govind Ballabh Pant University of Agriculture & Technology, Uttarakhand.

Approval of Rs. 5.00 lakhs for distribution of 100 cycles to Girl students of school under Solapur Municipal Corporation (SMC), Mumbai.

PRINCIPLE 9 Businesses should engage with and provide value to their consumers in a responsible manner

Essential Indicators

1. Describe the mechanisms in place to receive and respond to consumer complaints and feedback.

- In order to achieve the desired objective, the Bank has formulated a robust Grievance Redressal Policy keeping in view the guidelines issued by Reserve Bank of India on Customer Service. The Bank is ensuring the redressal of the grievances of customers within the framework laid down in the said policy.

- The Bank has an on-line Grievance Redressal Management Portal called Centralized Grievance Redressal Management System (CGRMS), which is In-house Portal.

को तत्काल पावती मिलती है और वह शिकायत को ट्रैक भी कर सकता है। ग्राहक बैंक की वेबसाइट, इंटरनेट बैंकिंग सेवा, मोबाइल बैंकिंग सेवा और मोबाइल ऐप के माध्यम से सीजीआरएमएस में अपने अनुरोध/शिकायतें दर्ज करा सकते हैं।

- बैंक द्वारा प्राप्त शिकायतों की स्थिति की समीक्षा 'बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति', बोर्ड की एक उप-समिति द्वारा तिमाही आधार पर की जाती है। समिति की बैठकों की अध्यक्षता प्रबंध निदेशक एवं सीईओ द्वारा की जाती है।
- दामोदरन समिति की सिफारिशों के अनुसार बैंक में एक आंतरिक लोकपाल है। यह सिस्टम बैंक द्वारा शिकायतों के निवारण में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करता है।
- सभी शाखाओं और मंडल कार्यालयों में ग्राहक सेवा समितियाँ प्रदान की गई ग्राहक सेवा की गुणवत्ता को देखती हैं और ग्राहक सेवा में सुधार के लिए प्रतिक्रिया/सुझावों की गहनता से जाँच करती हैं। ये समितियाँ महीने में एक बार बैठक बुलाती हैं जहाँ कर्मचारी और आमंत्रित ग्राहक सेवा से संबंधित मुद्दों पर स्वतंत्र रूप से बातचीत करते हैं।

2. उन सभी उत्पादों/सेवाओं के टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में उत्पादों और/सेवाओं का टर्नओवर, जिनके बारे में जानकारी होती है:

	कुल टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में
उत्पाद के लिए प्रासंगिक पर्यावरण और सामाजिक पैरामीटर	लागू नहीं
सुरक्षित और उत्तरदायी उपयोग	
पुनर्चक्रण और/या सुरक्षित निपटान	

3. निम्नलिखित के संबंध में उपभोक्ता शिकायतों की संख्या :

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार शिकायतों की श्रेणी निम्नानुसार है:

शिकायतों के आधार, (अर्थात से संबंधित शिकायतें)	वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या में % वृद्धि/कमी	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	5 में से 30 दिनों से अधिक लंबित शिकायतों की संख्या
1	2	3	4	5	6
(सीजीआरएमएस)					
एटीएम/डेबिट कार्ड	49	12662	-48.08	34	0

Through this system, the customer gets an immediate acknowledgement and can keep a track of the complaint also. Customers can lodge their requests/complaints in the CGRMS through Bank's website, Internet Banking Service, Mobile Banking Service and Mobile App.

- The status of complaints received by the Bank is reviewed by "Customer Service Committee of the Board", a Sub-Committee of the Board, on quarterly basis. The meetings of the Committee are presided over by Managing Director & CEO.
- The Bank has in place an Internal Ombudsman as per the recommendations of the Damodaran Committee. The system ensures greater transparency in the redressal of grievances by the Bank.
- Customer Service Committees in all the branches and Circle Offices look into the quality of customer service rendered and critically examine the feedback/suggestions for improvement in customer service. These committees meet once in a month where staff and the invited customers interact freely on service-related issues.

2. **Turnover of products and/ services as a percentage of turnover from all products/service that carry information about:**

	As a percentage to total turnover
Environmental and social parameters relevant to the product	Not Applicable
Safe and responsible usage	
Recycling and/or safe disposal	

3. **Number of consumer complaints in respect of the following:**

The Category of the Grievances in terms of RBI guidelines is as under:

Grounds of complaints, (i.e. complaints relating to)	Number of complaints pending at the beginning of the year	Number of complaints received during the Year	% Increase/ decrease in the number of complaints received over the Previous year	Number of complaints pending at the end of the Year	Of 5, number of complaints pending beyond 30 days
1	2	3	4	5	6
(CGRMS)					
ATM/ Debit Cards	49	12662	-48.08	34	0

खाता खोलना / खातों के संचालन में कठिनाई	235	34976	3.02	303	3
इंटरनेट / मोबाइल / इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग	27	9208	−39.48	23	0
ऋण तथा अग्रिम	60	6270	23.57	128	3
वरिष्ठ नागरिकों / दिव्यांगों के लिए पेंशन और सुविधाएं	1	7002	147.68	106	0
अन्य	535	53023	−8.78	649	24
कुल	907	123141	−11.78	1243	30

4. सुरक्षा मुद्दों के कारण उत्पाद रिकॉल के उदाहरणों का विवरण:

	संख्या	रिकॉल के कारण
स्वैच्छिक रिकॉल	लागू नहीं	
बलपूर्वक रिकॉल		

5. क्या संस्था के पास साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता से संबंधित जोखिमों पर एक रूपरेखा / नीति है? (हां / नहीं) यदि उपलब्ध हो, तो नीति का वेब–लिंक प्रदान करें।

बैंक के बोर्ड ने 'साइबर सुरक्षा नीति' को मंजूरी दी है। यह साइबर सुरक्षा (सीएस) नीति आरबीआई के निर्धारित दिशानिर्देशों, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर तैयार की गई है। इसमें बैंक की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार साइबर सुरक्षा के संबंध में प्रबंधन के विचारों और स्थिति की घोषणा करते हुए बयानों की संक्षिप्त और व्यावहारिक श्रृंखला शामिल है।

6. विज्ञापन, और आवश्यक सेवाओं के वितरण से संबंधित मुद्दों पर की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें; साइबर सुरक्षा और ग्राहकों की डेटा गोपनीयता; उत्पाद रिकॉल के उदाहरणों की पुनरावृत्ति; उत्पादों / सेवाओं की सुरक्षा पर नियामक प्राधिकरणों द्वारा दंड / कार्रवाई।

बैंक की सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित साइबर सुरक्षा संबंधी पहलें की जा रही हैं।

ए) आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं मशीन लर्निंग (एआई / एमएल), एनजीएसओसी (नेक्स्ट जेनरेशन सिक्योरिटी ऑपरेशंस सेंटर): एआई / एमएल के साथ सुरक्षा सूचना और इवेंट मैनेजमेंट (एसआईईएम) के कार्यान्वयन के लिए आरएफपी प्रक्रिया शुरू की गई है और बैंक की डेटालेक क्षमता अधिक सक्रिय तरीके से साइबर सुरक्षा घटना का पता लगाने और निगरानी करने में सक्षम है।

Account opening/ difficulty in operation of accounts	235	34976	3.02	303	3
Internet/ Mobile/ Electronic Banking	27	9208	-39.48	23	0
Loans and advances	60	6270	23.57	128	3
Pension and facilities for senior citizens/differently abled	1	7002	147.68	106	0
Others	535	53023	-8.78	649	24
Total	907	123141	-11.78	1243	30

4. **Details of instances of product recalls on account of safety issues:**

	No.	Reasons for recall
Voluntary recalls	Not Applicable	
Forced recalls		

5. **Does the entity have a framework/ policy on cyber security and risks related to data privacy? (Yes/No) If available, provide a web-link of the policy.**

Bank has a Board approved "Cyber Security Policy". This Cyber Security (CS) Policy has been framed based on stipulated RBI guidelines, the Information Technology Act and International Standards. It consists of concise and practical series of statements, declaring the management's views and position regarding Cyber Security, according to Bank's specific requirements.

6. **Provide details of any corrective actions taken or underway on issues relating to advertising, and delivery of essential services; cyber security and data privacy of customers; re-occurrence of instances of product recalls; penalty / action taken by regulatory authorities on safety of products / services.**

Following cyber security related initiatives are underway to enhance the security posture of the Bank.

a) Artificial Intelligence and Machine Learning (AI/ ML), NGSOC (Next Generation Security Operations Center): RFP process has been initiated for implementation of Security Information and Event management (SIEM) with AI/ML and Datalake capability of Bank in detection and monitoring of Cyber Security Incident in more proactive manner.

बी) आंतरिक सुरक्षा, नवीनतम संस्करण के लिए सक्रिय निर्देशिका 2012 समाधान का पुनरुद्धार और आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए प्रॉक्सी सहित आंतरिक फायरवॉल और अतिरिक्त उपकरणों का नवीकरण पाइपलाइन में है।

ग) बैंक ने एंटी–फिशिंग, एंटी–रोग, डार्क वेब मॉनिटरिंग आदि सेवाओं की खरीद की है।

बैंक ने रेड टीम एक्सरसाइज आयोजित करने का आदेश दिया है जो भविष्य की सुरक्षा प्रथाओं के लिए रोड मैप खोजने में मदद करने के लिए विस्तृत विश्लेषण रिपोर्ट प्रदान करेगा।

नेतृत्व संकेतक

1. चैनल / प्लेटफॉर्म जहां इकाई के उत्पादों और सेवाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है (यदि उपलब्ध हो तो वेब लिंक प्रदान करें)।

   संस्थाओं के उत्पादों और सेवाओं को कॉर्पोरेट वेबसाइट (www-pnbindia.in), संपर्क केंद्रों, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप आदि से एक्सेस किया जा सकता है।

2. उपभोक्ताओं को उत्पादों और/या सेवाओं के सुरक्षित और उत्तरदायित्वपूर्ण उपयोग के बारे में सूचित करने और शिक्षित करने के लिए उठाए गए कदम।

   बैंक के विभिन्न उत्पादों और सेवाओं के सुरक्षित उपयोग के बारे में जानकारी विभिन्न चैनलों जैसे इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं, मोबाइल बैंकिंग सेवाओं, संपर्क केंद्र, सोशल मीडिया और समाचार पत्र / रेडियो, लोकप्रिय सार्वजनिक स्थानों पर बैनरों / होर्डिंग्स के माध्यम से ग्राहकों तक पहुंचाई जाती है।

3. आवश्यक सेवाओं में व्यवधान / बंद होने के किसी भी जोखिम के बारे में उपभोक्ताओं को सूचित करने के लिए तंत्र मौजूद हैं।

   आउटेज के संबंध में सूचना का प्रसार नियमित आधार पर किया जाता है।

4. क्या इकाई स्थानीय कानूनों के अनुसार अनिवार्य रूप से उत्पाद के बारे में उत्पाद जानकारी प्रदर्शित करती है?

   लागू नहीं

5. यदि हां, तो संक्षेप में विवरण प्रदान करें। क्या आपकी संस्था ने इकाई के प्रमुख उत्पादों / सेवाओं, इकाई के संचालन के महत्वपूर्ण स्थानों या समग्र रूप से इकाई से संबंधित उपभोक्ता संतुष्टि के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया? (हां नहीं)

   हां, बैंक नियमित आधार पर ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण आयोजित करता है। सर्वेक्षण के निष्कर्षों का विश्लेषण किया जाता है, जिसके आधार पर आवश्यक प्रणालीगत सुधार किए जाते हैं।

6. डेटा उल्लंघनों से संबंधित निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:

   a. प्रभाव सहित डेटा उल्लंघनों की घटनाओं की संख्या

      ऐसे किसी मामले की सूचना नहीं है।

   b. ग्राहकों की व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य जानकारी से जुड़े डेटा उल्लंघनों का प्रतिशत।

      ऐसे किसी मामले की सूचना नहीं है।

b) Internal security, revamp of Active Directory 2012 solution to the latest version and revamp of internal Firewall and additional devices including proxy for strengthening of internal security is in the pipeline.

c) Bank has procured services like anti-phishing, anti-rogue, dark web monitoring, etc. services.

Bank has placed an order for conducting Red team exercise which will provide detailed analysis report to help to find the road map for future security practices.

Leadership Indicators

1. **Channels / platforms where information on products and services of the entity can be accessed (provide web link, if available).**

   The products and services of the entities can be accessed from Corporate Website (www.pnbindia.in), Contact Centres, Social Media, WhatsApp etc

2. **Steps taken to inform and educate consumers about safe and responsible usage of products and/or services.**

   The information regarding Safe Usage of Bank's various products and services are disseminated to the Customer through various Channels such as Internet Banking Services, Mobile Banking Services, Contact Centre, Social Media and Newspaper/Radio, Banners/Hoardings at popular Public Places.

3. **Mechanisms in place to inform consumers of any risk of disruption/discontinuation of essential services.**

   Dissemination of information regarding outages are done on regular basis.

4. **Does the entity display product information on the product over and above what is mandated as per local laws?**

   Not Applicable

5. **If yes, provide details in brief. Did your entity carry out any survey with regard to consumer satisfaction relating to the major products / services of the entity, significant locations of operation of the entity or the entity as a whole? (Yes/No)**

   Yes, Bank conducts Customer Satisfaction Surveys on regular basis. The findings of the Survey are analyzed, based upon which necessary systemic improvements are carried out.

6. **Provide the following information relating to data breaches:**

   a. **Number of instances of data breaches along-with impact**

      No such instances reported.

   b. **Percentage of data breaches involving personally identifiable information of customers.**

      No such instances reported.

#just one app

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट 2022–23

Corporate Social Responsibility Report 2022-23

वार्षिक सीएसआर रिपोर्ट 2022–23 के लिए एमडी एवं सीईओ का संदेश
MD & CEO Message for Annual CSR Report 2022-23

प्रिय शेयरधारकों,

वित्त वर्ष 2022–23 के लिए पीएनबी की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) रिपोर्ट आपके साथ साझा करते हुए मुझे अपार संतोष हो रहा है। देश के अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, पंजाब नैशनल बैंक (पीएनबी) में हम "समाज को वापस देना" के आदर्श सिद्धांत पर चलते हैं और उन समुदायों के समावेशी और सतत विकास के लिए उनकी सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध हैं जिनके बीच हम कार्य करते हैं।

पीएनबी परिवर्तन के लिए एक उत्प्रेरक बनने की आकांक्षा रखता है जिससे वर्तमान और भावी पीढ़ियां लाभान्वित हों। वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सामाजिक कल्याण की स्थिरता और वृद्धि पीएनबी की सीएसआर गतिविधियों का एक अभिन्न हिस्सा रही है। इस प्रकार, हम अपने सभी हितधारकों, समाज और पर्यावरण के प्रति उत्तरदायी बनने में विश्वास रखते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े बैंकों में से एक होने के नाते, पीएनबी समाज में लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए स्थानीय और राष्ट्रीय प्रयासों का समर्थन करने में अपनी भूमिका को पूरी तरह से समझता है।

बैंक की सीएसआर नीति में सीएसआर के कई पहलू शामिल हैं जैसे कि साक्षरता का प्रसार, धर्मार्थ ट्रस्टों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, स्वास्थ्य और स्वच्छता को बढ़ावा देना, समाज के वंचित वर्गों को सहयोग प्रदान करना और विभिन्न अस्पतालों और स्कूलों को सहायता प्रदान करना आदि।

पिछले वर्ष में, पीएनबी ने स्वास्थ्य सेवा सहायता प्रदान कर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रणाली विकसित करने की दिशा में कमियों को पूरा करने तथा समुदायों में विश्वास बनाने के लिए सामाजिक कल्याण पर आधारित गतिविधियों का आयोजन कर लोगों के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। हम सीएसआर को समुदायों की समृद्धि के लिए वित्तीय सहयोग करते हुए हमारी व्यापार रणनीति का एक अभिन्न अंग मानते हैं।

भावी नेतृत्व का समर्थन

गत वर्ष बैंक ने भावी पीढ़ी को विकसित करने हेतु गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए अनुकूल वातावरण बनाने हेतु विभिन्न आवश्यकताओं का गहनता से मूल्यांकन किया और प्रभावी कदम उठाए।

पीएनबी ने विभिन्न राज्यों जैसे राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, यूपी और दिल्ली के ग्रामीण और अल्प सेवा वाले क्षेत्रों में स्थित शैक्षणिक संस्थानों की स्थिति में सुधार के लिए सहयोग दिया है।

स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना

बैंक को गर्व है कि वह देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं के तंत्र को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वंचित और सीमांत हितधारकों

Dear Shareholders,

It gives me immense satisfaction to share with you the Corporate Social Responsibility (CSR) report of PNB for FY 2022-23. Guided by the principle motto of "Giving back to the society", we at Punjab National Bank (PNB), the nation's leading public sector bank, are committed to drive inclusive and sustainable growth by supporting the communities within which we operate.

PNB aspires to be a catalyst for change that benefits present and future generations. Sustainability and growth of healthcare, education and social welfare were an integral part of PNB's CSR activities in FY 2022-23. Thus, we believe in being responsible to all our stakeholders, society and the environment. Being one of the largest public sector bank, PNB fully recognizes its role for supporting local and national efforts in order to make lives of the people in the society better.

Bank's CSR Policy covers a host of aspects under CSR such as spreading literacy, providing financial support to charitable trusts, promoting health & hygiene, supporting marginalized sections of the society and aiding various hospitals and schools, among others.

Over the past year, PNB has positively impacted lives by providing healthcare support, filling gaps towards developing quality education systems and conducting social welfare activities to build trust within the communities. We treat CSR not as a mandate but as an integral part of the business strategy by eventually sharing wealth for the prosperity of our communities.

Supporting Leaders of Tomorrow

The Bank closely evaluated various requirements and took nimble steps in the past year to create conducive environment related to quality education that nurtures the future generation.

PNB has extended support for improving the conditions of the educational institutes situated in the rural and under-served areas of Rajasthan, Gujarat, Uttarakhand, West Bengal, Telangana, UP and Delhi.

Boosting health and well-being

The Bank takes pride in being instrumental towards strengthening the healthcare ecosystem across the length and breadth of the

के लिए विशेष रूप से बनाई गई स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को व्यापक बनाने के लिए सरकार के नवाचारों में हम सक्रिय सहभागिता कर रहे हैं। इसी क्रम में, बैंक ने अमृतसर, जालंधर, तिरुवनंतपुरम और नोएडा में एम्बुलेंस सुविधाएं और रोगी देखभाल सहायता प्रदान की है। इसी तरह, बारामती नगर परिषद (बीएमसी), महाराष्ट्र के साथ मिलकर जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया।

स्वास्थ्य देखभाल उपायों में वृद्धि करते हुए, बैंक ने विकलांग व्यक्तियों और ग्रामीण आबादी महिलाओं को सशक्त बनाकर वंचित समुदाय के कल्याण के लिए सुदृढ़ सहयोग प्रदान किया।

पीएनबी ने वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान सेना छावनी, अहमदाबाद में मेडिकल कंटेनर डिस्पेंसरी स्थापित करने जैसे स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी अवसंरचना में सहयोग प्रदान कर रक्षा समुदाय के कल्याण की दिशा में भी कदम बढ़ाए हैं।

कल्याणकारी योजनाएँ

बैंक, पीएनबी विकास–ग्राम गोद लेने की योजना और 76 आरसेटी (ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान) तथा 12 किसान प्रशिक्षण केंद्र के माध्यम से सामाजिक–आर्थिक सशक्तिकरण जैसी कई कल्याणकारी योजनाएं चला रहा है। वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान आरसेटी केंद्रों में कुल 51618 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया, जिनमें से 36911 गरीबी रेखा से नीचे के (बीपीएल) परिवारों से हैं और 40810 महिलाएं शामिल हैं।

हमारे राष्ट्रीय खेल हॉकी को बढ़ावा देना भी बैंक का एक मुख्य केंद्र बिंदु रहा है। मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि गत वर्ष के दौरान, हमारी हॉकी टीम के चार वरिष्ठ सदस्यों ने हॉकी विश्व कप 2023, एफआईएच प्रो लीग और राष्ट्रमंडल खेलों आदि जैसे टूर्नामेंटों में हमारे देश का प्रतिनिधित्व किया।

कॉर्पोरेट स्वयंसेवा

सीएसआर के संबंध में पीएनबी अपने कर्मचारियों को यह संदेश देता है कि आज हम जो कुछ भी करेंगे, उसका प्रभाव आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा। हम स्टाफ सदस्यों और स्थानीय लोगों की सक्रिय भागीदारी के साथ सीएसआर गतिविधियां कर रहे हैं। इसके अलावा, हमारे प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए, बैंक की वरिष्ठ महिला अधिकारियों और वरिष्ठ बैंक अधिकारियों की पत्नियों का एक संघ– "पीएनबी प्रेरणा" इन सीएसआर गतिविधियों को आगे बढ़ाने में स्वेच्छा से शामिल है।

बैंक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर), को अपने हितधारकों के हितों को ध्यान में रखने के साथ–साथ आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण की दृष्टि से स्थायी तरीके से परिचालित करने की प्रतिबद्धता मानता है। इस रणनीति के केंद्र में, जीवंत समुदायों के निर्माण और उन्हें बनाए रखने के प्रति हमारे बैंक की अटूट प्रतिबद्धता निहित है। सामुदायिक विकास में निरंतर सहयोग देने और बढ़ावा देने के लिए संस्थानों और कार्यक्रमों में हमारे निवेश के माध्यम से, सीएसआर के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को व्यापक पहचान मिली है और इसे सराहा गया है।

बैंक जिम्मेदारी के साथ विकास करने, गहरे संबंध बनाने और अपने सभी हितधारकों के साथ सार्थक रूप से जुड़ने में विश्वास करता है। आने वाले समय में, हम एक बेहतर समाज के निर्माण के उद्देश्य से कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी के माध्यम से समुदाय की सहायता करना जारी रखेंगे। हम संवेदनशील और जिम्मेदार तरीके से कारोबार करना भी जारी रखेंगे। अंत में, मैं उन सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व को सफल बनाने में अपना योगदान दिया।

अतुल कुमार गोयल
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

country. We have been keen participants in government initiatives to widen the reach of healthcare services specially designed for underprivileged and marginalized stakeholders. In line with this, the bank has provided ambulance facilities & patient care support in Amritsar, Jalandhar, Thiruvananthapuram & Noida. Similarly, public awareness programme was carried out in collaboration with Baramati Municipal Council (BMC), Maharashtra.

Adding to the healthcare measures, the bank also extended a strong backing to the welfare of the marginalized society by empowering persons with disability and women of the rural population.

PNB also took steps for the welfare of the defence community by providing healthcare infrastructure support like setting up Medical Container Dispensary in Army Cantonment at Ahmedabad during the FY 2022-23.

Welfare schemes

PNB is running several welfare schemes such as PNB VIKAS-Village Adoption Scheme, socio-economic empowerment through setting up 76 RSETIs (Rural Self Employment Training Institutes) & 12 Farmers' Training Centers. During the FY 2022-23, a total of 51618 persons were trained in RSETI centers out of which 36911 belong to BPL families and 40810 were women.

Promoting our National Game Hockey has also been one of the focus area of the Bank. It gives me pleasure to inform that during the last year, four of our senior hockey team members represented our country in tournaments like Hockey World Cup 2023, FIH Pro League & Commonwealth games etc.

Corporate Volunteering

The message that PNB percolates to its staff regarding CSR is that whatever we do today, will have an impact on future generations. We have been undertaking CSR activities with active participation of staff members and the local populace. Further, to augment our efforts, an association comprising of senior women officials and the wives of senior bank officials – "*PNB PRERNA*", has been voluntarily involved in carrying forward these CSR activities of the Bank.

The Bank considers Corporate Social Responsibility (CSR) as a commitment to operate in an economically, socially and environmentally sustainable manner, while simultaneously recognizing the interests of its stakeholders. At the heart of this strategy, lies our bank's unwavering commitment for creating and sustaining vibrant communities. Through our investment in institutions and programs to support and enhance community development in a sustainable manner, our commitment to CSR is amply recognized and lauded.

The Bank believes in growing responsibly, forging deeper relationships and engaging meaningfully with all our stakeholders. Going forward, we will continue to support the society through active participation in programmes aimed at creating a better society. We will also continue to conduct business in a sensitive and responsible manner. In the end, I want to express my sincere thanks to all those who contributed towards making Corporate Social Responsibility, a success during the financial year 2022-23.

Atul Kumar Goel
Managing Director & CEO

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट 2022–23

पीएनबी सीएसआर रिपोर्ट 2022–23

पंजाब नैशनल बैंक का कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व दृष्टिकोण

1. पंजाब नैशनल बैंक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) को अपने हितधारकों जैसे निवेशकों, ग्राहकों, कर्मचारियों, कारोबार भागीदारों, स्थानीय समुदायों, पर्यावरण और समाज के हितों को बड़े पैमाने पर पहचानते हुए और सामाजिक जीवन की गुणवत्ता में योगदान करते हुए आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से स्थायी तरीके से संचालित करने की प्रतिबद्धता के रूप में देखता है। यह रणनीति जीवंतशील समुदायों के निर्माण के प्रति हमारे बैंक की अटूट प्रतिबद्धता पर केन्द्रित है। यह प्रतिबद्धता एक स्थायी तौर पर सामुदायिक विकास में सहयोग करने और बढ़ावा देने के लिए संस्थानों और कार्यक्रमों में हमारे निवेश के माध्यम से जीवंत होती है। वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, बैंक की सीएसआर गतिविधियां अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से अखिल भारतीय स्तर पर आम नागरिक के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल सशक्तिकरण कार्यक्रमों और समाज कल्याण गतिविधियों में सुधार करने पर केन्द्रित रहीं।

2. **बैंक अपनी सीएसआर रणनीति के तहत निम्नलिखित प्रतिबद्धताएं करता है:**

2.1 स्थिरता

पीएनबी परिवर्तन के लिए एक उत्प्रेरक बनने का इरादा रखता है जो वर्तमान और भावी पीढ़ियों को लाभान्वित करेगा हमारे मुख्य और अन्य कारोबार में स्थिरता पीएनबी की गतिविधियों का एक अभिन्न अंग है। इस प्रकार, हम अपने सभी हितधारकों, समाज और पर्यावरण के प्रति उत्तरदायी होने में विश्वास करते हैं।

Corporate Social Responsibility Report 2022-23

PNB CSR Report 2022-23

Punjab National Bank's Corporate Social Responsibility Approach

1. Punjab National Bank views Corporate Social Responsibility (CSR) as a commitment to operate in an economically, socially and environmentally sustainable manner, while recognizing the interests of its stakeholders such as investors, customers, employees, business partners, local communities, the environment and society at large and contribute to the quality of life of society. At the heart of this strategy is our bank's unwavering commitment to build vibrant communities. This commitment comes to life through our investment in institutions and programmes to support and enhance community development in a sustainable fashion. During FY 2022-23, focus of Bank's CSR activities was towards improving health, education, skill empowerment programmes to the public and social welfare activities on Pan India basis through its field offices.

2. **The Bank makes the following commitments as part of its CSR strategy:**

2.1 Sustainability

PNB intends to be a catalyst for change that benefits present and future generations. Sustainability is an integral part of PNB's activities – in our core business and beyond. Thus, we believe in being responsible to all our stakeholders, society and the environment.

श्री अतुल कुमार गोयल, एमडी एवं सीईओ अमृतसर में सीएसआर कार्यक्रम के दौरान स्वर्ण मंदिर में आने वाले तीर्थयात्रियों की सुविधा और कल्याण के लिए ई–रिक्शा, व्हीलचेयर और वाटर कूलर भेंट करते हुए।

Sh. Atul Kumar Goel, MD & CEO handed over e-Rickshaw, Wheelchairs and Water Coolers for the benefit and welfare of pilgrims visiting Golden Temple during CSR event at Amritsar

2.2 कॉर्पोरेट स्वयं– सेवा

हमारी सीएसआर गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य "समाज को वापस देना" है। सीएसआर के संबंध में हम अपने स्टाफ सदस्यों को जो संदेश देते हैं, वह यह है कि आज हम जो कुछ भी करेंगे, उसका प्रभाव आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा। इस प्रकार हम स्टाफ सदस्यों की सक्रिय भागीदारी और स्थानीय आबादी की भागीदारी के साथ सीएसआर गतिविधियां करते हैं।

2.2 Corporate Volunteering

"Giving back to the society" is the prime motive behind our CSR activities. The message that we give to our staff regarding CSR is that whatever we do today will have an impact on future generations. Thus, we undertake CSR activities with active participation of staff members and participation of local populace.

लखनऊ में एनजीओ–'दृष्टि सामाजिक संगठन' के लिए आयोजित एक सीएसआर कार्यक्रम में अंचल कार्यालय, लखनऊ के उच्चाधिकारियों के साथ उपस्थित श्री विजय दुबे (मध्य में) कार्यपालक निदेशक, पीएनबी।

Sh. Vijay Dube (Centre) Executive Director, PNB in a CSR event conducted for NGO-'Drishti Social Organization' in Lucknow along with Higher Officials of Zonal Office Lucknow.

2.3 सामाजिक निवेश

सामाजिक रूप से उत्तरदायी संस्था होने के नाते, हम किसान प्रशिक्षण केंद्रों और ग्रामीण स्वरोजगार तथा प्रशिक्षण संस्थानों, वित्तीय साक्षरता और ऋण परामर्श केंद्रों, पीएनबी प्रेरणा और अन्य पहलों के माध्यम से समाज सेवा में अपना योगदान देते हैं। हम वंचित समुदायों के भविष्य को संवारने के लिए शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से उनकी बेरोजगारी और गरीबी दूर करने में सहयोग करते हैं। इन सभी पहलों को सामाजिक निवेश के रूप में माना जाता है।

किसान प्रशिक्षण केंद्र (FTCs): बैंक ने 12 किसान प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए हैं, जो पीएनबी किसान कल्याण ट्रस्ट के दायरे में आते हैं, तथा ये प्रशिक्षण केंद्र कृषि और संबद्ध गतिविधियों और कंप्यूटर, कटाई और सिलाई/कढ़ाई और उद्यमिता विकास कार्यक्रमों पर नि: शुल्क प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। स्थापना के बाद से, एफटीसी द्वारा 57,912 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर 1731070 लोगों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इन प्रशिक्षण केंद्रों को मोबाइल वैन से सुसज्जित किया गया है जिसमें किसानों के खेतों में मिट्टी परीक्षण की सुविधा है और किसानों को सूचनात्मक वीडियो क्लिप दिखाने के लिए ऑडियो विजुअल एलईडी भी लगाई गई है। वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान बैंक ने इस पहल के तहत 326.54 लाख रुपये व्यय किए हैं।

वित्तीय वर्ष	कार्यक्रमों की संख्या	प्रशिक्षुओं की संख्या
2022-23	2895	86968

2.3 Social Investments

Being a socially responsible organization, we contribute to society through Farmers' Training Centers & Rural Self Employment & Training Institutes, Financial Literacy & Credit Counselling Centres, PNB Prerna and other initiatives. We help the underprivileged communities to overcome unemployment and poverty and shape their own future through education and skill development programmes. All these initiatives are considered as social investment.

Farmers' Training Centres (FTCs): Bank has established 12 Farmers' Training Centres which come under the ambit of PNB Farmers Welfare Trust which are providing free of cost training on agriculture & allied activities and for Computers, cutting & tailoring/embroidery and entrepreneurship development programs. Since inception, FTCs have imparted training to 1731070 persons by conducting 57,912 training programs. These Training Centres have been equipped with the Mobile Van having Soil testing facilities at the farmers' fields and LED for audio visual display of informative video clips to the farmers. The Bank spent Rs. 326.54 Lakhs under this initiative during FY 2022-23.

Financial Year	No. of Programs	No. of Trainees
2022-23	2895	86968

ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (RSETI): भारत में 76 आरसेटी (ग्रामीण विकास मंत्रालय के तत्वावधान में) और 2 ग्रामीण विकास केंद्र (पीएनबी की पहल) परिचालित हैं और ग्रामीण आबादी और उनके परिवारों को स्व–रोजगार उद्यम शुरू करने के लिए कौशल उन्नयन के लिए प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, इन केंद्रों में 51618 लोगों को प्रशिक्षित किया गया, जिनमें से 36911 बीपीएल परिवारों से थे और 40810 महिलाएं थी।

स्थापना के बाद से, आरसेटी द्वारा 544067 लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है जिनमें से 356730 महिलाएं और 169147 अनुसूचित जाति वर्ग और 32519 अनुसूचित जनजाति वर्ग के हैं।

स्व–रोजगार में आरसेटी का प्रभाव: स्थापना के बाद से, इन संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद 350519 लोगों ने स्वरोजगार प्राप्त किया। समीक्षित वर्ष (अप्रैल 2022–मार्च 2023) के दौरान किया गया कुल व्यय 3321.57 लाख रुपये था।

Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs): There are 76 RSETIs (under the aegis of MoRD) and 2 Rural Development Centers (PNB initiatives) operating in India and are engaged in providing training to rural population and their families for skill up-gradation to undertake self-employment ventures. During the FY 2022-23, 51618 persons were trained in these centers, out of which 36911 belong to BPL families and 40810 were women.

Since inception, RSETIs have trained 544067 persons, out of which 356730 are women and 169147 are of SC category and 32519 are of ST category.

Impact of RSETIs in Self-Employment: Since inception, 350519 people got self-employed after getting training from these institutions. Total expenditure done during review year (April 2022- March 2023) was Rs. 3321.57 Lakhs.

आरसेटी, गोलाघाट में 'फास्ट फूड स्टॉल उद्यमी' पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागी

Participants of Training program at RSETI Golaghat on 'Fast Food Stall Udyami'

आरसेटी, बदायूं, उत्तर प्रदेश में अपने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उपरांत उपस्थित लाभार्थी

Beneficiaries after their Training course at RSETI Badhaun, Uttar Pradesh

पीएनबी विकास योजना: बैंक की पीएनबी विकास योजना नामक एक योजना है जिसके तहत 305 गांवों को विभिन्न कल्याणकारी / विकासात्मक गतिविधियों के माध्यम से उनके समग्र विकास के लिए गोद लिया गया है। वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान योजना के तहत 78.31 लाख रुपये की राशि व्यय की गई।

2.4 स्वास्थ्य

हम इस विचार का पुरज़ोर समर्थन करते हैं कि समाज और राष्ट्र के समग्र विकास के लिए अच्छे वातावरण के साथ स्वस्थ दिमाग और स्वस्थ शरीर आवश्यक है। इस हेतु, हम ऐसे क्षेत्रों में निवेश करते हैं जो इस तरह की वृद्धि को बढ़ावा देते हैं। वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, बैंक ने आम जनता की भलाई के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में सीएसआर गतिविधियां की है।

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, बैंक ने केरल में नगर निगम को एक एम्बुलेंस प्रदान की, बिसनौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान (बीएसजीएसएस) को समाज के जरूरतमंद वर्गों के लिए उनकी स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में सहयोग करने के लिए वाहन प्रदान किया।

PNB VIKAS YOJANA: Bank has a scheme titled PNB VIKAS YOJANA under which 305 villages are adopted for their holistic development through various welfare/developmental activities. During FY 2022-23, an amount of Rs. 78.31 lakh was spent under the scheme.

2.4 Health

We strongly endorse the view that healthy mind and body in a healthy environment is essential for overall growth of the nation. Thus, we invest in areas that facilitate such enhancements. During FY 2022-23, the Bank has undertaken CSR activities in health sector for well-being of general public.

During FY 2022-23, Bank provided an ambulance to Municipal Corporation in Kerala, vehicle to Bisnouli Sarvodaya Gramodyog Seva Sansthan (BSGSS) to support their healthcare services for the needy sections of the society.

श्रीमती आर्य राजेंद्रन, मेयर, तिरुवनंतपुरम नगर निगम (टीएमसी) को एम्बुलेंस प्रदान करते हुए श्रीमती आर नित्यकल्याणी, मंडल प्रमुख, तिरुवनंतपुरम।

Ambulance provided to Smt. Arya Rajendran, Mayor, Thiruvananthapuram Municipal Corporation (TMC) by Smt. R Nithyakalyani, Circle Head, Thiruvananthapuram

पीएनबी ने गरीब और जरूरतमंद मरीजों के लिए जालंधर और अमृतसर में भी एंबुलेंस मुहैया कराई।

PNB also provided ambulances for the poor and needy patients in Jalandhar and Amritsar.

छायाचित्र 1: श्री अतुल कुमार गोयल (दाएं से दूसरे) एमडी एवं सीईओ, पीएनबी, जालंधर में एक कार्यक्रम में एंबुलेंस भेंट करते हुए।

Pic 1: Sh. Atul Kumar Goel (2nd from Right) MD & CEO, PNB in Ambulance handing over event at Jalandhar.

छायाचित्र 2: श्रीमती इंदरजीत कौर, अध्यक्षा, अखिल भारतीय पिंगलवाड़ा चैरिटेबल सोसाइटी, अमृतसर को एम्बुलेंस सौंपते हुए श्री प्रवीण गोयल, अंचल प्रमुख, अमृतसर।

Pic 2: Sh. Praveen Goyal, Zonal Head, Amritsar handing over Ambulance to Mrs. Inderjeet Kaur, President, All India Pingalwara Charitable Society, Amritsar.

2.5 हरित पहलें

बैंक मौजूदा इमारतों में वर्षा जल संचयन के लिए प्रयास कर रहा है और पर्यावरण के अनुकूल नए निर्माण को प्रोत्साहित कर रहा है तथा विभिन्न सोशल–मीडिया चैनलों के माध्यम से लोगों को जागरूक भी कर रहा है। समीक्षा अवधि के दौरान वृक्षारोपण अभियान, ई–रिक्शा के वितरण जैसी अन्य कई हरित पहलें की गई।

2.5 Green Initiatives

Bank is making efforts through awareness programmes on rain water harvesting in existing buildings and encourage environment friendly new constructions and spreading awareness among masses through our various social-media channels. Various other green initiatives like Tree plantations drive, distribution of e-rickshaws were carried out during the review period.

अमृतसर में वृक्षारोपण अभियान में वृक्षारोपण करते हुए बैंक के कार्यपालक निदेशकगण श्री संजय कुमार(तत्कालीन) और श्री बिनोद कुमार।

Bank's Executive Directors Sh. Sanjay Kumar (then) & Sh. Binod Kumar in a tree plantation drive at Amritsar

2.6 शिक्षा

बैंक अपनी सीएसआर गतिविधियों के माध्यम से समाज में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत है और इस प्रकार युवा पीढ़ी के लिए बेहतर भविष्य के निर्माण में निरंतर सहयोग करता है।

हरिद्वार जिले के विभिन्न विद्यालयों के लिए उत्तराखंड सरकार के 'समग्र शिक्षा अभियान' को बैंक द्वारा सहायता प्रदान की गई। राज्य के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शिक्षा के क्षेत्र में बैंक के सीएसआर प्रयासों की सराहना की।

2.6 Education

The Bank continuously strives for carrying its CSR activities towards promotion of education in the society and thus helping in preparing a better tomorrow for the young generation.

'Samagra Shiksha Abhiyan' of Govt. Of Uttarakhand for various schools of Haridwar District was supported by the Bank. Chief Minister of the state Sh. Pushkar Singh Dhami appreciated Bank's CSR efforts for the Education sector.

श्री पुष्कर सिंह धामी, माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखंड की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित एक सीएसआर कार्यक्रम में उपस्थित श्री संजय कांडपाल, अंचल प्रमुख (सेवानिवृत्त), देहरादून।

Sh. Sanjay Kandpal, Zonal Head (since Retd.), Dehradun during a CSR event in august presence of Sh. Pushkar Singh Dhami, Hon'ble Chief Minister, Uttarakhand state

राजकीय प्राथमिक विद्यालय, बजाज नगर, जयपुर के छात्रों को लेखन सामग्री वितरित करते हुए श्री एन. आर. बंजारा, उप अंचल प्रमुख, अंचल कार्यालय, जयपुर।

Stationary items were distributed among the students of Government Primary School, Bajaj Nagar, Jaipur by Mr. N.R Banjara, Deputy Zonal Head, Zonal Office, Jaipur

2.7 खेलों को बढ़ावा

बैंक हमारे राष्ट्रीय खेल हॉकी को निरंतर बढ़ावा दे रहा है। अप्रैल 2004 में, बैंक ने अपनी वरिष्ठ हॉकी टीम का गठन किया। वर्तमान में हमारी वरिष्ठ हॉकी टीम में कुल 23 खिलाड़ी हैं। वरिष्ठ हॉकी खिलाड़ी बैंक के कर्मचारी हैं।

खिलाड़ियों के पेशेवर कौशल को विकसित करने के लिए बैंक सभी लॉजिस्टिक सहायता और बुनियादी सुविधाएं प्रदान करता है। हॉकी टीम के वरिष्ठ खिलाड़ियों को खेल किट, आहार भत्ता, कोच, आहार विशेषज्ञ, फिजियोथेरेपिस्ट, एस्ट्रो टर्फ ग्राउंड, बीमा आदि प्रदान किए जाते हैं।

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान सीनियर हॉकी टीम और कोच की फीस पर ₹40.83 लाख की राशि व्यय की गई। समीक्षा अवधि के दौरान पीएनबी की टीम ने जिन हॉकी टूर्नामेंटों में भाग लिया उनका विवरण और उनमें हासिल उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	टूर्नामेंट की तिथि	टूर्नामेंट / चैंपियनशिप	पीएनबी हॉकी टीम की स्थिति
1	27/10/2022-04/11/2022	39वां इंडियन ऑयल सर्वो सुरजीत सिंह टूर्नामेंट	सेमी फाइनलिस्ट
2	02/12/2022-10/12/2022	द्वितीय हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष अंतर-विभागीय राष्ट्रीय चैंपियनशिप	सेमी फाइनलिस्ट
3	11/12/2022-18/12/2022	124वां अखिल भारतीय बेटन कप हॉकी टूर्नामेंट	रनर-अप (दूसरा स्थान)
4	01/01/2023-12/01/2023	58वां जवाहरलाल नेहरू सीनियर हॉकी टूर्नामेंट	सेमी फाइनलिस्ट
5	26/02/2023-08/03/2023	तृतीय हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष अंतर-विभागीय राष्ट्रीय चैंपियनशिप	क्वार्टर फाइनलिस्ट

2.7 Promotion of Sports

Bank is continuously promoting our National Sport i.e. Hockey. In April 2004, the Bank formed its Senior Hockey team. Presently our senior hockey team has 23 players. The senior players are employees of the Bank.

Bank provides all logistics support and infrastructure facilities to the players for developing professional skills. Senior Hockey team players are provided with playing kit, diet allowance, coach, dietician, physiotherapist's services, astro turf ground, insurance etc.

During the FY 2022-23, a sum of ₹40.83 lakhs incurred on Senior Hockey Team and coach fee. Performance Highlights and details of Hockey tournaments in which PNB team participated and its achievements during the review period are as below:

S. No.	Date of Tournament	Tournaments/ championships	PNB Hockey team Position
1	27/10/2022-04/11/2022	39th Indian Oil Servo Surjit Singh Tournament	Semi-Finalist
2	02/12/2022-10/12/2022	2nd Hockey India Senior Men Inter-departmental National Championship	Semi-Finalist
3	11/12/2022-18/12/2022	124th All India Beighton Cup Hockey Tournament	Runner-up (2nd Place)
4	01/01/2023-12/01/2023	58th Jawaharlal Nehru Sr. Hockey Tournament	Semi-Finalist
5	26/02/2023-08/03/2023	3rd Hockey Indian Sr. Men Inter-department National Championship	Quarter-Finalist

बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2022 के स्वर्ण पदक विजेता श्री अचिंता श्युली को सम्मानित करते हुए मुख्य महाप्रबंधक, श्री नबीन कुमार दाश।

Chief General Manager Shri Nabin Kumar Dash during felicitation event of Shri Achinta Sheuli, Gold Medal Winner, at Commonwealth Games 2022 held at Birmingham

हमारे बैंक की हॉकी टीम के चार खिलाड़ी श्री शमशेर सिंह, श्री अभिषेक, श्री मनदीप मोर और श्री सुखजीत सिंह भारतीय पुरुष हॉकी टीम के लिए खेलते हैं। श्री शमशेर सिंह टोकियो ओलम्पिक 2020 में कांस्य पदक जीतने वाली हॉकी टीम का हिस्सा थे।

Four of our Bank's Hockey team players Mr. Shamsher Singh, Mr. Abhishek, Mr. Mandeep Mor and Mr. Sukhjeet Singh played for Indian Men's Hockey team.Mr. Shamsher Singh was part of the Hockey team which won Bronze Medal at Tokyo Olympics 2020.

कोलकाता में दिनांक 11.12.2022 से 18.12.2022 तक आयोजित 124वें बेटन कप में पीएनबी हॉकी टीम ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया।

PNB Hockey team achieved 2nd position in 124th Beighton Cup held in Kolkata from 11.12.2022-18.12.2022

2.8 अन्य सीएसआर पहलें

2.8 Other CSR Initiatives

ए. पीएनबी प्रेरणा, बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों की जीवनसाथियों तथा बैंक की वरिष्ठ महिला अधिकारियों का एक संगठन है, जो बैंक की सीएसआर गतिविधियों का आयोजन करने / बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य बैंक की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहलों का समर्थन करना है।

A. PNB Prema, an association of the spouses of the senior officials of the Bank as well as senior lady officials of the Bank is performing a vital role in undertaking /promoting the Bank's CSR activities. The prime objective of the Association is to support the Corporate Social Responsibility initiatives of the Bank.

Smt. Poonam Goel -President (PNB Prerna), Smt. Sangeeta Kumar & Smt. Sadhana Kumari- Vice presidents (PNB Prerna) handed over book shelves, water dispensers and other items to Govt. School authorities in a CSR event organized by PNB Prerna.

पीएनबी प्रेरणा द्वारा आयोजित सीएसआर कार्यक्रम में सरकारी स्कूल के अधिकारियों को अलमीरा, पानी के डिस्पेंसर तथा अन्य सामान भेंट करती हुए श्रीमती पूनम गोयल–अध्यक्षा (पीएनबी प्रेरणा), श्रीमती संगीता कुमार और श्रीमती साधना कुमारी–उपाध्यक्षाएं (पीएनबी प्रेरणा)।

गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान पीएनबी प्रेरणा द्वारा आयोजित सीएसआर गतिविधि में उपस्थित श्रीमती पूनम गोयल– अध्यक्षा (पीएनबी प्रेरणा), श्रीमती साधना कुमारी और श्रीमती गौरी सिंह– उपाध्यक्षाएं (पीएनबी प्रेरणा)।

Smt. Poonam Goel –President (PNB Prerna), Smt. Sadhana Kumari and Smt. Gouri Singh–Vice Presidents (PNB Prerna) in a CSR activity during Republic Day Celebration organized by PNB Prerna.

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस समारोह के दौरान सीएसआर कार्यक्रम में सरकारी स्कूल के प्राधिकारियों को प्रिंटर, सीलिंग फैन, अलमारी आदि भेंट करते हुए श्रीमती पूनम गोयल–अध्यक्षा (पीएनबी प्रेरणा), श्रीमती साधना कुमारी और श्रीमती सुमति–उपाध्यक्षाएं (पीएनबी प्रेरणा)।

Smt. Poonam Goel –President (PNB Prerna), Smt. Sadhana Kumari & Smt. Sumathi – Vice presidents (PNB Prerna) handed over printers, ceiling fans, book shelves etc. to Govt. School authorities in a CSR event during International Women's Day Celebration.

बी. सशस्त्र सेना वयोवृद्ध, विधवाओं और आश्रितों के कल्याण के लिए योगदान:

B. Welfare of armed forces veterans, widows and dependents:

अहमदाबाद कैंट में रक्षा वयोवृद्धों की चिकित्सीय जरूरतों के लिए एक मेडिकल कंटेनर डिस्पेंसरी की स्थापना।

Setting up of a Medical Container Dispensary in Ahmedabad Cantt. for defence veterans for their medical needs

छायाचित्र में: दाएं से बाएं– श्री कृष्ण कुमार, उप अंचल प्रमुख, अहमदाबाद, ब्रिगेडियर श्री अनिल महादेव काकड़े, स्टेशन कमांडर, श्री दीपांकर महापात्र, अंचल प्रमुख अहमदाबाद

In picture: R to L – Sh. Krishan Kumar, DZH Ahmedabad, Brigadier Sh. Anil Mahadev Kakde, Station Commander, Sh. Dipankar Mahapatra, Zonal Head Ahmedabad

सी. दिव्यांगजनों के लिए कल्याणकारी गतिविधियों की मुख्य आकर्षण:

C. Highlights for welfare activities for the Specially-Abled:

'अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस' के अवसर पर मुख्य अतिथि श्री जॉर्ज अब्राहम, प्रेरणादायक वक्ता, संचारक, विकलांगता कार्यकर्ता और सीईओ (स्कोर फाउंडेशन) के साथ बैंक के कार्यपालक निदेशकगण श्री विजय दुबे, श्री कल्याण कुमार तथा श्री बिनोद कुमार।

Bank's Executive Directors Sh. Vijay Dube, Sh. Kalyan Kumar and Sh. Binod Kumar during 'International Day of Persons with Disability' with Chief Guest Sh. George Abraham, Inspirational Speaker, Communicator, Disability Activist & CEO (Score Foundation)

'अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस' के आयोजन के दौरान एनजीओ– नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड के साथ उपस्थित बैंक के कार्यपालक निदेशकगण श्री विजय दुबे, श्री कल्याण कुमार तथा श्री बिनोद कुमार।

Bank's Executive Directors Sh. Vijay Dube, Sh. Kalyan Kumar and Sh. Binod Kumar during observance of 'International Day of Persons with Disability' with NGO- National Association for the Blind'

अंचल कार्यालय, आगरा द्वारा आगरा में दिव्यांगजनों के लिए बैंक की सीएसआर गतिविधि

Bank's CSR activity in Agra for the Specially-Abled persons by Zonal Office, Agra

डी. सीएसआर के अंतर्गत अन्य कल्याणकारी गतिविधियां

D. Other Welfare activities under CSR

चंडीगढ़ में एनजीओ–संवेदना के साथ आयोजित एक सीएसआर कार्यक्रम में उपस्थित श्री अतुल कुमार गोयल (मध्य में) एमडी एवं सीईओ तथा अंचल कार्यालय, चंडीगढ़ के उच्चाधिकारीगण।

Sh. Atul Kumar Goel (Centre) MD & CEO, PNB during CSR event with NGO-Samvedna at Chandigarh along with Higher Officials of Zonal Office, Chandigarh.

हैदराबाद के चेवेल क्षेत्र में सरकारी स्कूलों में शौचालयों की सफाई के लिए 'न्यायमूर्ति माधव रेड्डी फाउंडेशन' को दो वाहन भेंट करते हुए बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री कल्याण कुमार।

Bank's Executive Director Sh. Kalyan Kumar handed over two vehicles to 'Justice Madhav Reddy Foundation' for toilets' cleaning in Govt. Schools in Chevelle area, Hyderabad.

तमिलनाडु मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (TNMSC) के कर्मचारियों के रिक्रिएशनल एंड वेलनेस सेंटर के लिए श्री दीपक जैकब, आईएएस, प्रबंध निदेशक, टीएनएमएससी को वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए श्री पी. महेंद्र, अंचल प्रमुख, चेन्नई।

Sh. P. Mahender, Zonal Head, Chennai contributed Financial Aid for Employees Recreational & Wellness Centre at Tamil Nadu Medical Services Corporation Ltd. (TNMSC) to Sh. Deepak Jacob, I.A.S, Managing Director, TNMSC

31.03.2023 को लिए बासेल III के अंतर्गत स्तम्भ–3 प्रकटीकरण (समेकित)

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए बासेल III (समेकित आधार पर और महत्वपूर्ण अनुपात अर्थात पूंजी, एनपीए और उद्योगवार प्रकटीकरण एकल आधार पर) फ्रेमवर्क के अंतर्गत स्तम्भ 3 का प्रकटीकरण बैंक की वेबसाईट पर अलग से प्रदर्शित किया गया है। विस्तृत ब्यौरे के लिए कृपया हमारी वेबसाईट: www.pnbindia.in >Regulatory Disclosures> Basel III Disclosures> Financial year 2022–2023 I

(वेब लिंक: https://www.pnbindia.in/Basel-III-Disclosures-html)

इस खण्ड में निम्नलिखित प्रकटीकरण सम्मिलित हैं:

क्र. सं.	तालिकाएं	विवरण
1.	तालिका DF – 1	प्रयोज्यता का दायरा
2.	तालिका DF – 2	पूंजी पर्याप्तता
3.	तालिका DF – 3	ऋण जोखिम: सामान्य प्रकटीकरण
4.	तालिका DF – 4	ऋण जोखिम: मानक दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो हेतु प्रकटीकरण
5.	तालिका DF – 5	ऋण जोखिम न्यूनीकरण : – मानक दृष्टिकोण हेतु प्रकटीकरण
6.	तालिका DF – 6	प्रतिभूतिकरण: मानक दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण
7.	तालिका DF – 7	ट्रेडिंग बही में बाजार जोखिम
8.	तालिका DF – 8	परिचालनगत जोखिम
9.	तालिका DF – 9	बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)
10.	तालिका DF – 10	प्रतिपक्षकार क्रेडिट जोखिम से सम्बन्धित एक्सपोजर के लिए सामान्य प्रकटीकरण
11.	तालिका DF – 11	पूंजी की संरचना
12.	तालिका DF – 12	पूंजी की संरचना – मिलान सम्बन्धी अपेक्षाएं
13.	तालिका DF – 13	विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएं
14.	तालिका DF – 14	विनियामक पूंजी लिखतों की पूर्ण शर्तें एवं नियम
15.	तालिका DF – 15	पारिश्रमिक के लिए प्रकटीकरण की आवश्यकताएं
16.	तालिका DF – 16	इक्विटीज – बैंकिंग बुक स्थिति के लिए प्रकटीकरण
17	तालिका DF – 17	लेखांकन आस्तियां बनाम लीवरेज अनुपात एक्सपोजर की संक्षिप्त तुलना
18	तालिका DF – 18	लीवरेज अनुपात सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट

Pillar-3 Disclosures under Basel III for 31.03.2023 (CONSOLIDATED)

Pillar 3 Disclosures under Basel III (Consolidated Basis and Important Ratios i.e. Capital, NPA and Industry Wise Exposure on Solo Basis) Framework for the Year ended March 31, 2023 as per guidelines of RBI have been disclosed separately on Bank's website. For details, please visit our website: www.pnbindia.in > Regulatory Disclosures > Basel III Disclosures > Financial year 2022-2023

(web link: https://www.pnbindia.in/Basel-III-Disclosures.html)

The section contains following disclosures: -

Sl. No.	Tables	Particulars
1.	Table DF - 1	Scope of Application
2.	Table DF - 2	Capital Adequacy
3.	Table DF - 3	Credit Risk: General Disclosures
4.	Table DF - 4	Credit Risk: Disclosures for Portfolios Subject to the Standardised Approach
5.	Table DF - 5	Credit Risk Mitigation: Disclosures for Standardised Approach
6.	Table DF - 6	Securitisation: Disclosure for Standardised Approach
7.	Table DF - 7	Market Risk in Trading Book
8.	Table DF - 8	Operational Risk
9.	Table DF - 9	Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB)
10.	Table DF - 10	General Disclosure for Exposures Related to Counterparty Credit Risk
11.	Table DF - 11	Composition of Capital
12.	Table DF - 12	Composition of Capital – Reconciliation Requirements
13.	Table DF - 13	Main features of Regulatory Capital Instruments
14.	Table DF - 14	Full Terms and Conditions of Regulatory Capital Instruments.
15.	Table DF - 15	Disclosure Requirements for Remuneration
16.	Table DF - 16	Equities – Disclosures for Banking Book Positions
17.	Table DF - 17	Summary Comparison of Accounting Assets vs Leverage Ratio Exposure Measure
18.	Table DF - 18	Leverage Ratio Common Disclosure Template

पंजाब नैशनल बैंक – 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार एकल तुलन पत्र
PUNJAB NATIONAL BANK- STANDALONE BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2023

(Rs.000 को छोड़ दिया गया है) (Rs. 000's omitted)

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	31.03.2023 को As on 31.03.2023	31.03.2022 को As on 31.03.2022
पूंजी एवं देयताएं **CAPITAL AND LIABILITIES**			
पूंजी Capital	1	2202,20,31	2202,20,31
आरक्षित निधियाँ और अधिशेष Reserves and Surplus	2	97653,45,61	93284,69,23
जमाराशियाँ Deposits	3	1281163,10,45	1146218,44,96
उधार Borrowings	4	51291,73,08	45681,40,93
अन्य देयताएं और प्रावधान Other liabilities and provisions	5	29520,86,78	27418,26,83
जोड़ **TOTAL**		**1461831,36,23**	**1314805,02,26**
आस्तियां **ASSETS**			
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष Cash and balances with Reserve Bank of India	6	78176,57,52	85736,11,66
बैंकों के पास शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Balances with banks and money at call and short notice	7	76932,23,31	46910,65,64
निवेश Investments	8	395996,71,63	372167,76,19
अग्रिम Advances	9	830833,98,13	728185,67,53
अचल आस्तियां Fixed Assets	10	12051,07,45	10673,61,39
अन्य आस्तियां Other Assets	11	67840,78,19	71131,19,85
जोड़ **TOTAL**		**1461831,36,23**	**1314805,02,26**
आकस्मिक देयताएं Contingent liabilities	12	644471,87,67	605180,05,46
उगाही बिल Bills for Collection		34377,59,61	37786,04,52

(Rs .000 को छोड़ दिया गया है) (Rs. 000's omitted)

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	31.03.2023 को As on 31.03.2023	31.03.2022 को As on 31.03.2022
प्रमुख लेखांकन नीतियां **Significant Accounting Policies**	17		
लेखों पर टिप्पणियां **Notes on Accounts**	18		

उपर्युक्त अनुसूचियां बैलेंस शीट अभिन्न अंग है
Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet

प्रबुद्ध शर्मा
Prabudh Sharma
सहायक महाप्रबंधक
Asstt. General Manager

मुकेश कुमार
Mukesh Kumar
सहायक महाप्रबंधक
Asstt. General Manager

आर के खीची
R K Khichi
उप महाप्रबंधक
Deputy General Manager

प्रवीण कुमार शर्मा
Praveen Kumar Sharma
महाप्रबंधक
General Manager

डी के जैन
D K Jain
मुख्य महाप्रबंधक और सीएफओ
Chief General Manager & CFO

एम परमशिवम
M Paramasivam
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

बिनोद कुमार
Binod Kumar
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

कल्याण कुमार
Kalyan Kumar
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

विजय दुबे
Vijay Dube
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

अतुल कुमार गोयल
Atul Kumar Goel
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
Managing Director & CEO

के जी अनंतकृष्णन
K G Ananthakrishnan
अध्यक्ष
Chairman

डॉ. रेखा जैन
Dr. Rekha Jain
निदेशक
Director

गौतम गुहा
Gautam Guha
निदेशक
Director

संजीव कुमार सिंघल
Sanjeev Kumar Singhal
निदेशक
Director

पंकज जोशी
Pankaj Joshi
निदेशक
Director

अनिल कुमार मिश्रा
Anil Kumar Misra
निदेशक
Director

पंकज शर्मा
Pankaj Sharma
निदेशक
Director

कृते एसएन धवन एंड कंपनी एलएलपी
For S N Dhawan & Co LLP
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन: 000050एन/एन500045
FRN: 000050N/N500045

कृते एस आर गोयल एंड कंपनी
For S R Goyal & Co
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन: 001537सी
FRN: 001537C

कृते पी एस एम जी एंड एसोसिएट्स
For P S M G & Associates
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन: 008567सी
FRN: 008567C

सनदी लेखाकार सुरिंदर कुमार खट्टर
CA Surinder Kr. Khattar
भागीदार
Partner
(सदस्य सं. 084993)
(M.No. 084993)

सनदी लेखाकार अनुराग गोयल
CA Anurag Goyal
भागीदार
Partner
(सदस्य सं. 412538)
(M.No. 412538)

सनदी लेखाकार प्रबुद्ध गुप्ता
CA Prabuddha Gupta
भागीदार
Partner
(सदस्य सं. 400189)
(M.No. 400189)

कृते एस सी बापना एंड एसोसिएट्स
For S C Bapna & Associates
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन: 115649डब्ल्यू
FRN: 115649W

सनदी लेखाकार जय प्रकाश गुप्ता
CA Jai Prakash Gupta
भागीदार
Partner
(सदस्य सं. 088903)
(M.No. 088903)

कृते डी के छाजड़ एंड कंपनी
For D K Chhajer & Co
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन: 304138ई
FRN: 304138E

सनदी लेखाकार नंद किशोर सर्राफ
CA Nand Kishore Sarraf
भागीदार
Partner
(सदस्य सं. 510708)
(M.No. 510708)

स्थान: नई दिल्ली
Place: New Delhi
दिनांक : 19 मई 2023
Date : May 19, 2023

पंजाब नैशनल बैंक – 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए एकल लाभ व हानि लेखा

PUNJAB NATIONAL BANK- STANDALONE PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2023

(Rs. 000 छोड़ दिया गया है) (Rs. 000's omitted)

	विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	31.03.2023 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2022	31.03.2022 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2022
I.	आय Income			
	अर्जित ब्याज Interest earned	13	85144,11,13	74879,53,69
	अन्य आय Other Income	14	12142,53,13	12319,95,79
	कुल **Total**		**97286,64,26**	**87199,49,48**
II.	व्यय Expenditure			
	खर्च किया गया ब्याज Interest expended	15	50652,47,47	46185,07,66
	परिचालन खर्च Operating expenses	16	24105,40,85	20252,59,51
	प्रावधान और आकस्मिकताएं Provisions and Contingencies		20021,55,45	17304,85,95
	कुल **Total**		**94779,43,77**	**83742,53,12**
III.	लाभ / हानि Profit/Loss			
	वर्ष के लिए निवल लाभ/(हानि)। **Net Profit/(Loss) for the year**		**2507,20,49**	**3456,96,36**
	जोड़ें: लाभ और हानि खाते में शेष Add: Balance in Profit and Loss A/c		0	0
	विनियोजन के लिए उपलब्ध लाभ **Profit available for Appropriation**		**2507,20,49**	**3456,96,36**
IV.	विनियोजन Appropriations			
	सांविधिक आरक्षित निधि में अंतरण Transfer to Statutory Reserves		626,80,13	864,24,09
	पूंजी आरक्षित निधि में अंतरण Transfer to Capital Reserves		52,15,39	700,92,63
	निवेश आरक्षित निधि में अंतरण Transfer to Investment Reserve		0	15,82,58
	निवेश उतार–चढ़ाव आरक्षित निधि में अंतरण Transfer to Investment Fluctuation Reserve		194,74,12	854,85,27
	आयकर अधिनियम के अनुसार विशेष आरक्षित निधि में अंतरण Transfer to Special Reserve as per Income Tax Act		250,00,00	100,00,00

पंजाब नैशनल बैंक – 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए एकल लाभ व हानि लेखा
PUNJAB NATIONAL BANK- STANDALONE PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2023

(Rs. 000 छोड़ दिया गया है) (Rs. 000's omitted)

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	31.03.2023 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2022	31.03.2022 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2022
प्रस्तावित लाभांश Proposed Dividend		715,71,60	704,70,50
अन्य आरक्षित निधियाँ Other Reserves		667,00,00	216,41,29
लाभ और हानि खाते में शेष Balance in Profit and Loss Account		79,25	0
कुल **Total**		**2507,20,49**	**3456,96,36**
प्रति शेयर अर्जन (रू.) (मूल / हासित) Earning per Share (Rs.) (Basic/Diluted) (अंकित मूल्य रू. 2 प्रति शेयर) (Nominal Value Rs.2 per share)		2.28	3.16
प्रमुख लेखांकन नीतियां Significant Accounting Policies	17		
लेखों पर टिप्पणियां Notes on Accounts	18		

उपर्युक्त अनुसूचियां लाभ व हानि लेखों का एक अभिन्न अंग है
Schedules referred to above form an integral part of the Profit and Loss Account

प्रबुद्ध शर्मा Prabudh Sharma सहायक महाप्रबंधक Asstt. General Manager	मुकेश कुमार Mukesh Kumar सहायक महाप्रबंधक Asstt. General Manager	आर के खीची R K Khichi उप महाप्रबंधक Deputy General Manager	प्रवीण कुमार शर्मा Praveen Kumar Sharma महाप्रबंधक General Manager

डी के जैन
D K Jain
मुख्य महाप्रबंधक और सीएफओ
Chief General Manager & CFO

एम परमशिवम M Paramasivam कार्यपालक निदेशक Executive Director	बिनोद कुमार Binod Kumar कार्यपालक निदेशक Executive Director	कल्याण कुमार Kalyan Kumar कार्यपालक निदेशक Executive Director	विजय दुबे Vijay Dube कार्यपालक निदेशक Executive Director

अतुल कुमार गोयल Atul Kumar Goel प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Managing Director & CEO	के जी अनंतकृष्णन K G Ananthakrishnan अध्यक्ष Chairman

पंजाब नैशनल बैंक – 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए एकल लाभ व हानि लेखा
PUNJAB NATIONAL BANK- STANDALONE PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2023

डॉ. रेखा जैन Dr. Rekha Jain निदेशक Director	गौतम गुहा Gautam Guha निदेशक Director	संजीव कुमार सिंघल Sanjeev Kumar Singhal निदेशक Director
पंकज जोशी Pankaj Joshi निदेशक Director	अनिल कुमार मिश्रा Anil Kumar Misra निदेशक Director	पंकज शर्मा Pankaj Sharma निदेशक Director
कृते एसएन धवन एंड कंपनी एलएलपी For S N Dhawan & Co LLP सनदी लेखाकार Chartered Accountants एफआरएन: 000050एन / एन500045 FRN: 000050N/N500045	कृते एस आर गोयल एंड कंपनी For S R Goyal & Co सनदी लेखाकार Chartered Accountants एफआरएन: 001537सी FRN: 001537C	कृते पी एस एम जी एंड एसोसिएटस For P S M G & Associates सनदी लेखाकार Chartered Accountants एफआरएन: 008567सी FRN: 008567C
सनदी लेखाकार सुरिंदर कुमार खट्टर CA Surinder Kr. Khattar भागीदार Partner (सदस्य सं. 084993) (M.No. 084993)	सनदी लेखाकार अनुराग गोयल CA Anurag Goyal भागीदार Partner (सदस्य सं. 412538) (M.No. 412538)	सनदी लेखाकार प्रबुद्ध गुप्ता CA Prabuddha Gupta भागीदार Partner (सदस्य सं. 400189) (M.No. 400189)

कृते एस सी बापना एंड एसोसिएटस For S C Bapna & Associates सनदी लेखाकार Chartered Accountants एफआरएन: 115649डब्ल्यू FRN: 115649W	कृते डी के छाजड़ एंड कंपनी For D K Chhajer & Co सनदी लेखाकार Chartered Accountants एफआरएन: 304138ई FRN: 304138E
सनदी लेखाकार जय प्रकाश गुप्ता CA Jai Prakash Gupta भागीदार Partner (सदस्य सं. 088903) (M.No. 088903)	सनदी लेखाकार नंद किशोर सर्राफ CA Nand Kishore Sarraf भागीदार Partner (सदस्य सं. 510708) (M.No. 510708)

स्थान: नई दिल्ली
Place: New Delhi
दिनांक : 19 मई 2023
Date : May 19, 2023

एकल लेखों की अनुसूची (पंजाब नैशनल बैंक)
SCHEDULES TO THE STANDALONE ACCOUNTS (PUNJAB NATIONAL BANK)

(Rs. 000 छोड़ दिया गया है) (Rs. 000's omitted)

विवरण Particulars		31.03.2023 को As on 31.03.2023		31.03.2022 को As on 31.03.2022
अनुसूची 1 –पूंजी **Schedule 1 - Capital**				
प्राधिकृत पूंजी **Authorised Capital**				
प्रत्येक रू. 2 के 1500,00,00,000 इक्विटी शेयर 1500,00,00,000 Equity Shares of Rs. 2 each (पिछले वर्ष प्रत्येक रू. 2 के 1500,00,00,000 इक्विटी शेयर) (Previous year 1500,00,00,000 Equity Shares of Rs. 2 each)		3000,00,00		3000,00,00
जारी एवं अभिदत्त **Issued and Subscribed**				
प्रत्येक रू. 2 के 1101,10,15,558 इक्विटी शेयर 1101,10,15,558 Equity Shares of Rs. 2 each (पिछले वर्ष प्रत्येक रू. 2 के 1101,10,15,558 इक्विटी शेयर) (Previous year 1101,10,15,558 Equity Shares of Rs. 2 each)		2202,20,31		2202,20,31
प्रदत्त पूंजी **Paid Up**				
प्रत्येक रू. 2 के 1101,10,15,558 इक्विटी शेयर 1101,10,15,558 Equity Shares of Rs. 2 each (पिछले वर्ष प्रत्येक रू. 2 के 1101,10,15,558 इक्विटी शेयर) (Previous year 1101,10,15,558 Equity Shares of Rs. 2 each)		2202,20,31		2202,20,31
[उपर्युक्त में प्रत्येक रू. 2 के 805,41,25,685 इक्विटी शेयर शामिल हैं (पिछले वर्ष प्रत्येक रू. 2 के 805,41,25,685 इक्विटी शेयर) केंद्र सरकार द्वारा धारित किए गए हैं] [The above includes 805,41,25,685 Equity Shares of Rs. 2 each (Previous year 805,41,25,685 Equity Shares of Rs. 2 each) held by the Central Government]				
कुल **Total**		2202,20,31		2202,20,31
अनुसूची 2 – आरक्षित निधियां और अधिशेष **Schedule 2 - Reserves and Surplus**				
I. सांविधिक आरक्षित निधियां **Statutory Reserves**				
प्रारंभिक शेष Opening Balance	15151,48,25		14287,24,16	
जोड़ें : लाभ व हानि विनियोजन खाते से अंतरित Add: Transfer from P&L Appropriation A/c	626,80,13		864,24,09	
		15778,28,38		15151,48,25

(Rs. 000 छोड़ दिया गया है) (Rs. 000's omitted)

विवरण Particulars		31.03.2023 को As on 31.03.2023		31.03.2022 को As on 31.03.2022
II. iwathxr vkjf{kr fuf/k;k Capital Reserves				
ए) पुनर्मूल्यन आरक्षित निधियाँ a) **Revaluation Reserve**				
प्रारम्भिक शेष Opening Balance	7048,62,41		7200,41,19	
वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	2113,65,84		7,47	
वर्ष के दौरान कटौती Deduction during the year	376,00,78		7,18,13	
अन्य आरक्षित निधियों से अंतरित Transfer from Other Reserve	0		7,20,62	
अन्य आरक्षित निधियों में अंतरित Transfer to Other Reserves	331,14,73		151,88,74	
		8455,12,74		7048,62,41
बी) अन्य b) **Others** (रू. 9268.29 करोड़ के समामेलन आरक्षित निधि सहित) (including Amalgamation Reserve of Rs. 9268.29 Crore)				
प्रारम्भिक शेष Opening Balance	16575,40,73		15874,48,10	
जोड़ें : लाभ-हानि विनियोजन खाते से अंतरित Add: Transfer from P&L Appropriation A/c	52,15,39		700,92,63	
		16627,56,12		16575,40,73
III. शेयर प्रीमियम **Share Premium**				
प्रारम्भिक शेष Opening Balance	46012,18,78		44325,80,27	
वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	0		1686,38,51	
		46012,18,78		46012,18,78
IV. राजस्व तथा अन्य आरक्षित निधियां **Revenue and Other Reserves**				
ए) निवेश आरक्षित निधियां a) Investment Reserve				
प्रारम्भिक शेष Opening Balance	386,34,51		370,51,93	
जोड़ें : लाभ-हानि विनियोजन खाते से अंतरित Add: Transfer from P&L Appropriation A/c	0		15,82,58	
		386,34,51		386,34,51
बी) निवेश में घट-बढ़ आरक्षित निधि b) **Investment Fluctuation Reserve**				
प्रारम्भिक शेष Opening Balance	1393,65,95		538,80,68	

(Rs. 000 छोड़ दिया गया है) (Rs. 000's omitted)

विवरण Particulars		31.03.2023 को As on 31.03.2023		31.03.2022 को As on 31.03.2022
जोड़ें : लाभ-हानि विनियोजन खाते से अंतरित Add: Transfer from P&L Appropriation A/c	194,74,12		854,85,27	
		1588,40,07		1393,65,95
सी) विनिमय घट-बढ आरक्षित निधि c) **Exchange Fluctuation Reserve**				
प्रारम्भिक शेष Opening Balance	419,43,44		392,20,19	
जोड़ें : वर्ष के दौरान वृद्धि Add: Addition during the year	95,85,08		31,52,99	
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौती Less: Deduction during the year	285,17,65		4,29,74	
		230,10,87		419,43,44
डी) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के तहत विशेष आरक्षित निधि d) **Special Reserve under Sec.36(1) (viii) of Income Tax Act, 1961**				
प्रारम्भिक शेष Opening Balance	3368,66,00		3268,66,00	
वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	250,00,00		100,00,00	
		3618,66,00		3368,66,00
ई) अन्य आरक्षित निधि e) **Other Reserve**				
प्रारम्भिक शेष Opening Balance	2928,89,16		2583,64,75	
वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	1028,95,00		1013,10,00	
जोड़ें : लाभ-हानि विनियोजन खाते से अंतरित Add: Transfer from P&L Appropriation A/c	667,00,00		216,41,29	
घटाएं : वर्ष के दौरान आहरण Less: Withdrawal during the year	0		1028,95,00	
जोड़ें पुनर्मूल्यन आरक्षित निधियों से अंतरण Add: Transfer from Revaluation Reserves	331,14,73		151,88,74	
घटाएं: पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि में अंतरण Less: Transfer to Revaluation Reserve	0		7,20,62	
		4955,98,89		2928,89,16
V. लाभ हानि खाते में शेष **Balance in Profit and Loss Account**				
प्रारम्भिक शेष Opening Balance	0		0	
वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	2507,20,49		3456,96,36	
घटाएं : लाभ-हानि की विवरणी के अनुसार विनियोजन Less : Appropriations as per Statement of Profit & Loss	2506,41,24		3456,96,36	
		79,25		0
कुल (I, II, III, IV तथा V) **Total (I, II, III, IV and V)**		**97653,45,61**		**93284,69,23**

(Rs. 000 छोड़ दिया गया है) (Rs. 000's omitted)

विवरण Particulars		31.03.2023 को As on 31.03.2023		31.03.2022 को As on 31.03.2022
अनुसूची 3 – जमाराशियाँ **Schedule 3 - Deposits**				
मॉंग जमाराशियाँ A.I. **Demand Deposits**				
बैंकों से (i) From Banks	3197,04,11		3494,29,87	
अन्य से (ii) From Others	70831,03,04	74028,07,15	78480,31,46	81974,61,33
बचत बैंक जमा राशियाँ II. **Savings Bank Deposits**		463987,24,88		451679,60,54
मीयादी जमा राशियाँ III. **Term Deposits**				
बैंकों से (i) From Banks	50980,03,15		31739,66,84	
अन्य से (ii) From Others	692167,75,27	743147,78,42	580824,56,25	612564,23,09
(I, II तथा III) **Total (I, II and III)**		1281163,10,45		1146218,44,96
बी. भारत में स्थित शाखाओं की जमा राशियां B. (i) Deposits of branches in India		1251708,09,19		1125049,19,27
भारत से बाहर स्थित शाखाओं की जमा राशियाँ (ii) Deposits of branches outside India		29455,01,26		21169,25,69
जोड़ **Total**		1281163,10,45		1146218,44,96
अनुसूची 4 – उधार राशियाँ **Schedule 4 - Borrowings**				
भारत में उधार राशियाँ I. **Borrowings in India**				
भारतीय रिज़र्व बैंक से (a) Reserve Bank of India		0		0
अन्य बैंकों से (b) Other Banks		55,80		49,45,64
अन्य संस्थाओं और एजेंसियों से (c) Other Institutions and Agencies		6921,49,34		11183,97,86

(Rs. 000 छोड़ दिया गया है) (Rs. 000's omitted)

विवरण Particulars		31.03.2023 को As on 31.03.2023		31.03.2022 को As on 31.03.2022
गैर-जमानती मोचनीय बॉण्ड (d) Unsecured Redeemable Bonds				
टीयर-I बॉण्ड (बेमियादी ऋण लिखत) (i) Tier-I Bonds (Perpetual Debt Instruments)	10180,00,00		7766,00,00	
अपर टीयर- II बॉण्ड (ii) Upper Tier-II Bonds	0		0	
टियर II पूंजी के लिए अधीनस्थ ऋण (iii) Subordinate debts for Tier II Capital	18913,00,00		16843,00,00	
दीर्घावधि इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड (iv) Long term infrastructure bonds	2800,00,00		2800,00,00	
	---------------	31893,00,00	---------------	27409,00,00
भारत से बाहर उधार राशियाँ II. Borrowings outside India		12476,67,94		7038,97,23
जोड़ (I और II) Total (I and II)		51291,73,08		45681,40,93
उपर्युक्त I एवं II में शामिल प्रतिभूत उधार Secured Borrowings included in I and II above		4765,86,00		7251,31,04

अनुसूची 5 – अन्य देयताएं और प्रावधान
Schedule 5 - Other Liabilities and Provisions

देय बिल I. Bills Payable	3673,81,79	3055,41,93
अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल) II. Inter-office adjustments (net)	1	568,41,34
उपचित ब्याज III. Interest accrued	3322,99,35	2705,58,69
आस्थगित कर देयता (निवल) IV. Deferred Tax Liability (Net)	0	0
अन्य (प्रावधानों सहित) V. Others (including provisions)	22524,05,63	21088,84,87
जोड़ Total	29520,86,78	27418,26,83

अनुसूची 6 – नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष
Schedule 6 - Cash and Balances with Reserve Bank of India

हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा करेंसी नोटों सहित) I. Cash in hand (including foreign currency notes)	3712,99,91	3491,54,63
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष II. Balance with Reserve Bank of India		
चालू खाते में (a) in Current Account	53337,57,61	53144,57,03
अन्य खातों में (b) in Other Accounts	21126,00,00	29100,00,00
जोड़ (I और II) Total (I and II)	78176,57,52	85736,11,66

(Rs. 000 छोड़ दिया गया है) (Rs. 000's omitted)

विवरण Particulars		31.03.2023 को As on 31.03.2023		31.03.2022 को As on 31.03.2022
अनुसूची 7– बैंकों के पास शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि **Schedule 7 - Balances with Banks and Money at Call and Short Notice**				
भारत में I. In India				
बैंकों के पास जमा शेष (i) Balances with Banks				
चालू खातों में (a) In Current Accounts	5,20,62		146,19,69	
अन्य जमा खातों में (b) In Other Deposit Accounts	16754,58,11	16759,78,73	15799,56,82	15945,76,51
मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि (ii) Money at Call and Short Notice				
बैंक के पास (a) with Banks	0		0	
अन्य संस्थाओं के पास (b) with Other Institutions	23057,66,37	23057,66,37	29,47,96	29,47,96
कुल (i एवं ii) **Total (i and ii)**		39817,45,10		15975,24,47
भारत से बाहर II. Outside India				
बैंकों के पास जमा शेष (i) Balances with Banks				
चालू खातों में (a) In Current Accounts	13517,99,50		9228,43,97	
अन्य जमा खातों में (b) In Other Deposit Accounts	23596,78,71	37114,78,21	21706,97,20	30935,41,17
मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि (ii) Money at Call and Short Notice		0		0
जोड़ (i एवं ii) **Total (i and ii)**		37114,78,21		30935,41,17
कुल जोड़ (I एवं II) **Grand Total (I and II)**		76932,23,31		46910,65,64
अनुसूची 8 – निवेश **Schedule 8 - Investments**				
भारत में निवेश I. **Investments in India in**				
सरकारी प्रतिभूतियां (i) Government securities		352415,23,18		323155,39,50

(Rs. 000 छोड़ दिए गए है) (Rs. 000's omitted)

विवरण Particulars	31.03.2023 को As on 31.03.2023	31.03.2022 को As on 31.03.2022
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां (ii) Other approved securities	15,00	15,00
शेयर (iii) Shares	3061,59,23	3264,81,13
डिबेंचर और बॉण्ड (iv) Debentures and Bonds	30622,26,57	33466,82,92
सहायक और/या संयुक्त उद्यम (v) Subsidiaries and/or joint ventures (प्रायोजित संस्थानों सहित) (including sponsored institutions)	1891,26,52	1715,28,02
अन्य (vi) Others म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, एआरसीआईएल वाणिज्यिक पत्र और जमा प्रमाणपत्र आदि। Mutual Funds, Venture Capital Funds, ARCIL Commercial Papers & Certificate of Deposits, etc.	1452,38,41	5568,97,99
जोड़ **Total**	389442,88,91	367171,44,56
भारत से बाहर निवेश **II. Investments outside India in**		
सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकारियों सहित) (i) Government securities (including local authorities)	3850,26,67	1792,59,61
विदेश में सहायक और/या संयुक्त उद्यम (ii) Subsidiaries and/or Joint ventures abroad	2145,86,75	2108,85,50
अन्य (iii) Others	557,69,30	1094,86,52
जोड़ **Total**	6553,82,72	4996,31,63
समग्र जोड़ (I एवं II) **Grand Total (I and II)**	395996,71,63	372167,76,19
भारत में निवेश **III. Investments in India**		
निवेश का सकल मूल्य (i) Gross value of investments	398450,62,35	374006,94,95
घटाएं: मूल्यह्रास के प्रावधानों का योग (ii) Less: Aggregate of provisions for depreciation	9007,73,44	6835,50,39
निवल निवेश (iii) Net investment	389442,88,91	367171,44,56
भारत से बाहर निवेश **IV. Investments outside India**		
निवेश का सकल मूल्य (i) Gross value of investments	6979,93,86	5386,11,76

(Rs. 000 छोड़ दिया गया है) (Rs. 000's omitted)

विवरण Particulars	31.03.2023 को As on 31.03.2023	31.03.2022 को As on 31.03.2022
घटाएं : मूल्यह्रास के प्रावधानों का योग (ii) Less: Aggregate of provisions for depreciation	426,11,14	389,80,13
निवल निवेश (iii) Net Investment	6553,82,72	4996,31,63
कुल जोड़ (III एवं IV) Grand Total (III and IV)	395996,71,63	372167,76,19

अनुसूची 9 – अग्रिम
Schedule 9 - Advances

खरीदे और भुनाये गये बिल A. (i) Bills purchased and discounted	3599,56,41	1309,04,78
नकद उधार, ओवरड्राफ्ट और मांग पर देय ऋण (ii) Cash credits, overdrafts and loans repayable on demand	479965,93,33	442585,36,07
मीयादी ऋण (iii) Term loans	347268,48,39	284291,26,68
कुल Total	830833,98,13	728185,67,53
मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत B. (i) Secured by tangible assets इसमें बही ऋणों पर दिए गये अग्रिम शामिल हैं) (Includes advances against Book Debts)	656973,71,10	545842,44,14
बैंक / सरकार की गारंटी द्वारा प्रतिभूत (ii) Covered by Bank/Government guarantees	22824,72,54	28475,67,46
अप्रतिभूत (iii) Unsecured	151035,54,49	153867,55,93
कुल Total	830833,98,13	728185,67,53
भारत में अग्रिम C.I. Advances in India		
प्राथमिकता क्षेत्र (i) Priority Sector	238476,43,81	234687,04,75
सार्वजनिक क्षेत्र (ii) Public Sector	166389,08,15	171957,31,76
बैंक (iii) Banks	0	2,36
अन्य (iv) Others	392660,21,11	297480,51,28
जोड़ Total	797525,73,07	704124,90,15

(Rs. 000 छोड़ दिए गए है) (Rs. 000's omitted)

विवरण Particulars		31.03.2023 को As on 31.03.2023		31.03.2022 को As on 31.03.2022
भारत से बाहर अग्रिम C.II. Advances outside India				
बैंकों से प्राप्य (i) Due from banks		15055,53,52		9091,98,74
अन्य से प्राप्य (ii) Due from others				
खरीदे और भुनाये गये बिल (a) Bills purchased and discounted		676,18,91		0
सामूहिक ऋण (b) Syndicated loans		5988,07,97		4466,84,84
अन्य (c) Others		11588,44,66		10501,93,80
जोड़ Total		33308,25,06		24060,77,38
कुल योग (C.I एवं C.II) Grand Total (C.I and C.II)		830833,98,13		728185,67,53

अनुसूची 10 – अचल आस्तियां
Schedule 10 - Fixed Assets

मूर्त आस्तियां A Tangible Assets				
परिसर I. Premises				
पिछले वर्ष के 31 मार्च की लागत / मूल्यांकन पर At cost / valuation as on 31st March of the preceding year	10500,01,33		10463,83,43	
जोड़ें : वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यन Add: Revaluation during the year	1737,65,06		0	
जोड़ें : अवधि के दौरान जोड़ Add: Addition during the period	25,83,73		37,08,11	
	12263,50,12		10500,91,54	
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौती Less: Deduction during the year	176,35,26		90,21	
	12087,14,86		10500,01,33	
घटाएं : अब तक मूल्यह्रास Less: Depreciation to date	1805,29,74		1603,32,81	
(पुनर्मूल्यांकित राशि सहित (Including on revalued amount)		10281,85,12		8896,68,52
अन्य अचल आस्तियाँ (फर्नीचर और फिक्सचर सहित) II. Other Fixed Assets (Including Furniture and Fixtures)				
पिछले वर्ष के 31 मार्च की लागत पर At cost as on 31st March of the preceding year	9142,42,92		8743,68,89	

(Rs. 000 छोड़ दिया गया है) (Rs. 000's omitted)

	विवरण Particulars		31.03.2023 को As on 31.03.2023		31.03.2022 को As on 31.03.2022
	जोड़ : अवधि के दौरान जोड़ Add: Addition during the period	656,12,19		411,07,71	
		9798,55,11		9154,76,60	
	घटाएं : अवधि के दौरान कटौती Less: Deduction during the period	11,25,62		12,33,68	
		9787,29,49		9142,42,92	
	घटाएं : vc rd eY;%l Less: Depreciation to date	8202,52,12		7654,73,32	
			1584,77,37		1487,69,60
III	पट्टे वाली आस्तियाँ **Leased Assets**				
	पिछले वर्ष के 31 मार्च की लागत/मूल्यांकन पर At cost as on 31st March of the preceding year	25,23,86		25,23,86	
	जोड़े अवधि के दौरान जोड़ / समायोजन Add: Addition/adjustment during the year	0		0	
		25,23,86		25,23,86	
	जोड़ें अवधि के दौरान कटौती Less: Deduction during the year	0		0	
		25,23,86		25,23,86	
	घटाएं : अब तक परिशोधन/पट्टा समायोजन Less: Amortisation /lease adjustment to date	25,23,86		25,23,86	
			0		0
	कुल (I, II, III) **Total (I, II and III)**		11866,62,49		10384,38,12
B	अमूर्त आस्तियाँ **Intangible Assets**				
	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर Computer Software				
	पिछले वर्ष की 31 मार्च तक की लागत पर At cost as on 31st March of the preceding year	1209,31,43		1102,91,20	
	जोड़ें : अवधि के दौरान जोड़ Add: Addition during the period	42,01,47		106,40,23	
		1251,32,90		1209,31,43	
	घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियां Less: Deduction during the year	0		0	
		1251,32,90		1209,31,43	

(Rs. 000 छोड़ दिया गया है) (Rs. 000's omitted)

विवरण Particulars		31.03.2023 को As on 31.03.2023		31.03.2022 को As on 31.03.2022
घटाएं: आज तक परिशोधित Less: Amortised to date	1066,87,94		920,08,16	
कुल Total		184,44,96		289,23,27
(A एवं B) का कुल योग Grand Total (A and B)		12051,07,45		10673,61,39

अनुसूची 11 – अन्य आस्तियां
Schedule 11 - Other Assets

		31.03.2023	31.03.2022
I.	अंतर– कार्यालय समायोजन (निवल) Inter-office adjustments (net)	0	0
II.	उपचित ब्याज Interest accrued	8757,89,78	7937,73,45
III.	अग्रिम अदा किया गया कर / स्रोत पर काटा गया कर Tax paid in advance/tax deducted at source	13166,93,48	12024,11,36
IV.	लेखन – सामग्री और स्टाम्प Stationery and stamps	6,15,44	4,81,66
V.	दावों के निपटान में प्राप्त गैर–बैंकिंग आस्तियां Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	26,44,97	50,20,97
VI.	आस्थगित कर आस्तियाँ (निवल) Deferred tax asset (net)	23761,16,30	25512,84,80
VII.	अन्य Others प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लक्ष्यों में कमी के कारण 13956,74,50 हजार रुपये पिछले वर्ष 15368,56,98 हजार रुपए नाबार्ड / सिडबी / एनएचबी आदि के साथ जमा राशि शामिल हैं।) (includes deposits with NABARD/SIDBI/NHB, etc. Rs.13956,74,50 thousands on account of shortfall in priority sector targets; Previous year Rs.15368,56,98 thousands)	22122,18,22	25601,47,61
	कुल Total	67840,78,19	71131,19,85

अनुसूची 12 – आकस्मिक देयताएं
Schedule 12 - Contingent Liabilities

			31.03.2023	31.03.2022
I.	(i)	बैंक के विरुद्ध ऐसे दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया है। Claims against the bank not acknowledged as debts	814,56,23	617,09,26
	(ii)	अपीलों, संदर्भों आदि के अधीन विवादित आय कर व ब्याज कर माँगें Disputed income tax and interest tax demands under appeals, references etc.	8687,76,12	11427,55,85
II.		आंशिक रूप से प्रदत्त निवेशों के लिए देयताएं Liability for partly paid investments	252,55,55	351,86,55

(Rs. 000 छोड़ दिया गया है) (Rs. 000's omitted)

विवरण **Particulars**	**31.03.2023 को As on 31.03.2023**	**31.03.2022 को As on 31.03.2022**
बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएं III. Liability on account of outstanding forward exchange contracts	558442,35,10	516739,35,20
ग्राहकों की ओर से दी गयी गारंटियां : IV. Guarantees given on behalf of constituents		
(a) भारत में (a) In India	49201,17,84	48174,00,53
(b) भारत से बाहर (b) Outside India	4633,63,80	2789,09,25
स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व V. Acceptances, endorsements and other obligations	16849,97,22	19631,58,62
ऐसी अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से जिम्मेदार है VI. Other Items for which the Bank is contingently liable	5589,85,81	5449,50,20
जोड़ **Total**	644471,87,67	605180,05,46

(Rs. 000 छोड़ दिया गया है) (Rs. 000's omitted)

विवरण Particulars		31.03.2023 को Year ended 31.03.2023		31.03.2022 को Year ended 31.03.2022
अनुसूची 13 – अर्जित ब्याज **Schedule 13 - Interest Earned**				
अग्रिमों / बिलों पर ब्याज I. Interest/discount on advances/bills		57319,23,00		48498,30,57
निवेशों से आय II. Income on investments		25142,86,15		23487,17,50
"भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा शेष और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज III. Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter-bank funds		1890,38,98		2285,53,50
अन्य IV. Others		791,63,00		608,52,12
जोड़ **Total**		**85144,11,13**		**74879,53,69**
अनुसूची 14 – अन्य आय **Schedule 14 - Other Income**				
कमीशन, विनिमय और दलाली I. Commission, exchange and brokerage		3927,69,46		3559,59,18
निवेशों की बिक्री से लाभ II. Profit on sale of Investments	1130,60,31		3339,48,40	
घटाएं: निवेशों की बिक्री से हानि Less: Loss on sale of Investments	83,88,89		170,41,79	
		1046,71,42		3169,06,61
निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ III. Profit on revaluation of investments	545,44,89		1079,52,25	
घटाएं: निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर हानि Less: Loss on revaluation of investments	2729,33,96		1313,50,08	
		-2183,89,07		-233,97,83
भूमि, भवन और अन्य संपत्तियों की बिक्री पर लाभ IV. Profit on sale of land, buildings and other assets	15,58,59		15,26,90	
घटाएं: भूमि, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री पर हानि Less: Loss on sale of land, buildings and other assets	13,03,01		92,15	
		2,55,58		14,34,75
विनिमय लेन–देन पर लाभ V. Profit on exchange transactions	863,93,29		907,65,57	
घटाएं: विनिमय लेनदेन पर हानि Less: Loss on exchange transactions	60,28,77		212,32,53	
		803,64,52		695,33,04
भारत और विदेशों में सहायक कंपनियों / कंपनियों और / या संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि के माध्यम से अर्जित आय VI. Income earned by way of dividends, etc. from subsidiaries/ companies and/or joint ventures abroad/in India		84,36,66		46,13,84
विविध आय VII. Miscellaneous Income		8461,44,56		5069,46,20
जोड़ **Total**		**12142,53,13**		**12319,95,79**

(Rs. 000 छोड़ दिया गया है) (Rs. 000's omitted)

विवरण Particulars	31.03.2023 को Year ended 31.03.2023	31.03.2022 को Year ended 31.03.2022
अनुसूची 15 – व्यय किया गया ब्याज **Schedule 15 - Interest Expended**		
I. जमाराशियों पर ब्याज Interest on Deposits	46845,98,85	43237,49,73
II. भारतीय रिज़र्व बैंक / अंतर –बैंक उधारों पर ब्याज Interest on Reserve Bank of India/Inter-bank borrowings	1149,08,89	516,30,71
III. अन्य Others	2657,39,73	2431,27,22
कुल **Total**	**50652,47,47**	**46185,07,66**
अनुसूची 16 – परिचालन व्यय **Schedule 16 - Operating Expenses**		
I. कर्मचारियों को भुगतान और उसके लिए प्रावधान Payments to and provisions for employees	14810,00,57	11841,00,68
II. किराया, कर और विद्युत Rent, taxes and lighting	1317,88,96	1286,25,07
III. मुद्रण और लेखन सामग्री Printing and stationery	159,39,18	155,84,06
IV. विज्ञापन और प्रचार Advertisement and publicity	98,19,68	83,75,31
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास Depreciation on bank's property	896,55,51	888,60,51
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते और खर्च Directors' fees, allowances and expenses	2,42,91	1,07,32
VII. लेखा–परीक्षकों की फीस और खर्च (शाखा लेखापरीक्षकों सहित) Auditors' fees and expenses (including branch auditors)	43,49,26	63,04,81
VIII. विधि प्रभार Law charges	120,74,95	75,06,72
IX. डाक, तार, टेलीफोन इत्यादि Postage, Telegrams, Telephones, etc.	330,51,04	330,71,76
X. मरम्मत और रख–रखाव Repairs and maintenance	778,79,29	558,16,26
XI. बीमा Insurance	1550,85,81	1521,55,14
XII. अन्य व्यय Other expenditure	3996,53,69	3447,51,87
कुल **Total**	**24105,40,85**	**20252,59,51**

अनुसूची 17: (एकल) वित्त वर्ष 2022–23
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. लेखे तैयार करने का आधार:

वित्तीय विवरणियां परम्परागत लागत के आधार पर तैयार की गई हैं तथा समस्त महत्वपूर्ण दृष्टियों से भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्तों (जीएएपी) के अनुरूप हैं, जब तक कि अन्यथा उल्लेखित न हो जिनमें लागू सांविधिक प्रावधान, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा निर्धारित विनियामक मानदण्ड, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्र तथा दिशानिर्देश, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानदण्ड (एएस) तथा ज्ञापन व भारत में बैंकिंग उद्योग में मौजूदा प्रथाएं भी शामिल हैं।

विदेशी कार्यालयों के सम्बन्ध में, संबंधित देशों में लागू सांविधिक प्रावधानों और प्रथाओं का पालन किया गया है, अन्यत्र यथा विनिर्दिष्ट के अतिरिक्त।

वित्तीय विवरणियों को उपचय अवधारणा के साथ कार्यशील संस्था आधार पर तैयार किया गया है तथा लेखांकन नीतियां एवं निरंतर अपनाई गई प्रथाओं के अनुरूप हैं, जब तक अन्यथा उल्लेखित न हो।

2. अनुमानों का उपयोग

वित्तीय विवरणियां तैयार करने के लिए प्रबंधन को वित्तीय विवरणियों की तिथि तक रिपोर्ट की गई आस्तियों एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) तथा रिपोर्टिंग अवधि के लिए रिपोर्ट किए गए आय और व्यय में विचारार्थ अनुमान तथा धारणाएं बनाने की आवश्यकता पड़ती है। प्रबंधन को विश्वास है कि वित्तीय विवरणियाँ तैयार करने में उपयोग किए गए अनुमान विवेक सम्मत और तर्कसंगत हैं।

भावी परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं। वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच के अंतर का निर्धारण उस अवधि में किया गया है जिसमें परिणाम ज्ञात / कार्यान्वित हुए हैं।

वर्तमान एवं भावी अवधि में लेखांकन अनुमानों में किसी प्रकार का संशोधन भविष्यलक्षी प्रभाव से माना जाता है जब तक कि अन्यथा उल्लेखित न हो।

3. राजस्व निर्धारण

3.1 आय / व्यय (पैरा 3.5 में संदर्भित मदों से भिन्न) को सामान्यतः उपचय आधार पर लेखांकित किया जाता है।

3.2 अग्रिमों और निवेशों को मिलाकर गैर निष्पादित आस्तियों (एनपीए) से आय का निर्धारण वसूली होने पर किया जाता है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक / विदेशी कार्यालयों के मामले में संबंधित देशों के विनियम (जिसे इसके पश्चात समेकित रूप से विनियामक प्राधिकरण कहा गया है) द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार है।

SCHEDULE 17: (STANDALONE) FY 2022-23
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. **BASIS OF PREPARATION:**

The financial statements have been prepared on historical cost basis and conform, in all material aspects, to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India unless otherwise stated encompassing applicable statutory provisions, regulatory norms prescribed by Reserve Bank of India (RBI), circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time, Banking Regulation Act 1949, Accounting Standards (AS) and pronouncements issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and prevailing practices in Banking Industry in India.

In respect of foreign offices, statutory provisions and practices prevailing in respective foreign countries are complied with except as specified elsewhere.

The financial statements have been prepared on going concern basis with accrual concept and in accordance with the accounting policies and practices consistently followed unless otherwise stated.

2. **USE OF ESTIMATES:**

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amounts of assets and liabilities (including contingent liabilities) as on the date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable.

Future results could differ from these estimates. Difference between the actual results and estimates is recognized in the period in which the results are known / materialized.

Any revision to the accounting estimates is recognized prospectively in the current and future periods unless otherwise stated.

3. **REVENUE RECOGNITION:**

3.1 Income & expenditure (other than items referred to in paragraph 3.5) are generally accounted for on accrual basis.

3.2 Income from Non- Performing Assets (NPAs), comprising of advances and investments, is recognized upon realization, as per the prudential norms prescribed by the RBI/ respective country regulators in the case of foreign offices (hereafter collectively referred to as Regulatory Authorities).

3.3 प्राथमिकता के क्रम में वसूली के विनियोग का तरीका निम्नानुसार होगाः

(ए) एनपीए खातों की वसूलियां (वसूली कार्रवाई की विधि / स्थिति / चरण पर विचार किये बिना) नीचे उल्लिखित मदों (बी) एवं (सी) के तहत कवर किए गए मामलों को छोड़कर निम्नलिखित प्राथमिकता क्रम में विनियोजित की जाएगी :

i. सरफेसी कार्रवाई के अधीन सहित वसूली हेतु किए गए व्यय / फुटकर खर्च (पूर्व में ज्ञापन देयों में रिकार्ड किये गये)

ii. अप्राप्त / उपचित ब्याज

iii. प्रमुख अनियमितताएं अर्थात खाते में बकाया एनपीए

उपरोक्त में किसी प्रकार की विसंगतियों पर एचओसीएसी–III (एचओसीएसी–III तक की विभिन्न समितियों की शक्तियों के अंतर्गत आने वाले प्रस्तावों के लिए) और प्रबंधन समिति द्वारा अपनी निहित शक्तियों के तहत प्रस्तावों पर विचार किया जा सकता है।

(बी) हालांकि, एनसीएलटी के माध्यम से समझौता एवं समाधान / निपटान के मामले में, वसूली संबंधित समझौता / समाधान निपटान की शर्तों के अनुसार विनियोजित की जाएँगी।

(सी) वाद दायर / डिक्री खातों के मामले में, वसूली निम्नानुसार विनियोजित की जाएगी

- संबंधित न्यायालय के निर्देशानुसार।
- न्यायालय के विशिष्ट निर्देशों के अभाव में, जैसा कि ऊपर बिंदु (ए) में बताया गया है।

3.4 एनपीए की बिक्री, को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों तथा पैरा 5.3 के अंतर्गत प्रकटीकरण के अनुसार लेखांकित किया गया है।

3.5 कमीशन, (सरकारी कारोबार, बीमा कारोबार, म्यूच्यूअल फंड कारोबार, साखपत्र एवं बैंक गारंटी को छोड़कर), विनिमय, लॉकर किराए, व्यापार बैंकिंग लेनदेनों से प्राप्त आय और 'व्यापार' के रूप में नामित रुपया व्युत्पन्नों पर आय वसूली होने पर और बीमा दावों को निपटान पर लेखांकित किया जाता है। अतिदेय देशी बिलों पर ब्याज को वसूली होने पर हिसाब में लिया जाता है और अतिदेय विदेशी बिल पर ब्याज को इसका क्रिस्टलीकरण होने तक क्रिस्टलीकरण पर तथा उसके बाद वसूली होने पर हिसाब में लिया जाता है।

3.6 वाद दायर खातों के मामले में संबंधित कानूनी और अन्य खर्चे लाभ – हानि लेखे में डाले जाते हैं और इसकी वसूली होने पर उनकी गणना तदनुसार की जाती है।

3.7 आयकर के रिफंड पर ब्याज से होने वाली आय को संबंधित प्राधिकारियों द्वारा पारित आदेश के वर्ष में लेखांकित किया जाता है।

3.8 ऑपरेटिंग पट्टे पर ली गई आस्तियों के लिए लागत वृद्धि सहित पट्टे का भुगतान पट्टे अवधि के ऊपर आईसीएआई द्वारा जारी एएस 19 (लीजेस) के अनुसार लाभ–हानि लेखे में लिया जाता है।

3.9 क्रेडिट कार्डों पर रिवार्ड प्वाइंट के लिए प्रावधान प्रत्येक श्रेणी में संचित बकाया प्वाइंटस पर आधारित है।

3.3 Mode of appropriation of recovery in order of priority will be as below:

(a) Recoveries in NPA accounts (irrespective of the mode / status / stage of recovery actions) are appropriated in the following order of priority except for the cases covered under below mentioned points (b) & (c):

I. Expenditure/ Out of Pocket Expenses incurred for Recovery, including under SARFAESI Action (Recorded in Memorandum Dues);

ii. Unrealized/accrued interest.

iii. Principal irregularities i.e. NPA outstanding in the account.

Any exceptions to the above may be considered by HOCAC-III (for proposals falling under the powers of various committees up to HOCAC-III) & Management Committee for proposals under its vested powers.

(b) However, in case of Compromise and Resolution/ Settlement through NCLT, recovery is appropriated as per the terms of respective compromise/ resolution settlement.

c) In case of suit filed/decreed accounts, recovery is appropriated as under:

- As per the directives of the concerned Court.
- In the absence of specific directives from the Court, as mentioned at point (a) above.

3.4 The sale of NPA is accounted as per guidelines prescribed by RBI and as disclosed under Para 5.3.

3.5 Commission (excluding on Government Business, Insurance Business, Mutual Fund Business, Letter of Credit and Bank Guarantee), exchange, locker rent and Income on Rupee Derivatives designated as 'Trading' are accounted for on realization and insurance claims are accounted for on settlement. Interest on overdue inland bills is accounted for on realization and interest on overdue foreign bill, till its crystallization is accounted for on crystallization and thereafter on realization.

3.6 In case of suit filed accounts, related legal and other expenses incurred are charged to Profit & Loss Account and on recovery, the same are accounted for as such.

3.7 Income from interest on refund of income tax is accounted for in the year the order is passed by the concerned authority.

3.8 Lease payments including cost escalation for assets taken on operating lease are recognized in the Profit and Loss Account over the lease term in accordance with the AS 19 (Leases) issued by ICAI.

3.9 Provision for Reward Points on Credit cards is made based on the accumulated outstanding points in each category.

3.10 सावधि जमा (टीडी) परिपक्व होता है और आय का भुगतान नहीं किया जाता है, बैंक के पास दावा न की गई राशि पर बचत खाते पर लागू ब्याज दर या परिपक्व मीयादी जमा पर ब्याज की अनुबंधित दर, जो भी कम हो, देय होगी।

3.11 लाभांश (अंतरिम लाभांश को छोड़कर) प्राप्त करने का अधिकार स्थापित होने पर लाभांश की गणना की जाती है।

4 निवेश:

4.1 प्रतिभूतियों में लेनदेन 'निपटान तिथि' को दर्ज किया जाता है।

4.2 निवेशों को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के फार्म ए में यथानिर्दिष्ट छह श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।

4.3 नीचे दिए गए भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप निवेशों को "परिपक्वता तक धारित", "बिक्री हेतु उपलब्ध" तथा "व्यापार हेतु धारित" श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है:

(ए) बैंक द्वारा परिपक्वता तक रखे जाने की मंशा से अर्जित प्रतिभूतियों को 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी में रखा गया है।

(बी) बैंक द्वारा अल्पावधि मूल्य/ब्याज दर उतार–चढ़ाव का लाभ उठाते हुए व्यापार हेतु रखे जाने की मंशा से अर्जित प्रतिभूतियों को 'व्यापार हेतु धारित' निवेशों में वर्गीकृत किया गया है।

(सी) जो प्रतिभूतियां उपर्युक्त दोनों श्रेणियों में नहीं आतीं उन्हें 'बिक्री हेतु उपलब्ध' श्रेणी के अधीन वर्गीकृत किया गया है।

4.4 समनुषंगियों, संयुक्त उपक्रमों और सहयोगी संस्थाओं में निवेश को एचटीएम के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

4.5 प्रतिभूतियों का अंतरण एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में अंतरण की तिथि को अधिग्रहण लागत/बही मूल्य/बाजार मूल्य में से न्यूनतर मूल्य पर किया जाता है। यदि ऐसे अंतरण पर कोई मूल्यह्रास हो तो उसके लिए पूरा प्रावधान किया गया है।

हालांकि एचटीएम श्रेणी से एएफएस श्रेणी में प्रतिभूतियों का अंतरण बही मूल्य पर किया जाता है। अंतरण के पश्चात ये प्रतिभूतियां तुरंत पुनर्मूल्यांकित की जाती हैं और परिणामस्वरूप मूल्यह्रास, यदि कोई है, का प्रावधान किया जाता है।

निवेश को उसकी खरीददारी के समय ही एचटीएम, एचएफटी या एएफएस के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और विभिन्न श्रेणियों के बीच तत्संबंधी अंतरण विनियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप किया जाता है।

4.6 किसी निवेश की अधिग्रहण लागत निर्धारित करने में:

(ए) प्रतिभूतियों के अधिग्रहण के सम्बन्ध में अदा की गई दलाली, कमीशन, प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) इत्यादि को अग्रिम राजस्व व्ययों के रूप में माना गया है और इसे लागत से बाहर रखा गया है।

3.10 Term Deposit (TD) matures and proceeds are unpaid, the amount left unclaimed with the bank attracts rate of interest as applicable to savings account or the contracted rate of interest on the matured TD, whichever is lower.

3.11 Dividend (excluding Interim Dividend) is accounted for as and when the right to receive the dividend is established.

4. **INVESTMENTS:**

4.1 The transactions in Securities are recorded on 'Settlement Date'.

4.2 Investments are classified into six categories as stipulated in Form A of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

4.3 Investments have been categorized into 'Held to Maturity', 'Available for Sale' and 'Held for Trading' in terms of RBI guidelines as under:

(a) Securities acquired by the Bank with an intention to hold till maturity are classified under 'Held to Maturity'.

(b) The securities acquired by the Bank with an intention to trade by taking advantages of short-term price/ interest rate movements are classified under 'Held for Trading'.

c) The securities, which do not fall within the above two categories, are classified under 'Available for Sale'.

4.4 Investments in subsidiaries, joint ventures and associates are classified as HTM.

4.5 Transfer of securities from one category to another is carried out at the lower of acquisition cost/ book value/ market value on the date of transfer. The depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.

However, transfer of securities from HTM category to AFS category is carried out on book value. After transfer, these securities are immediately revalued and resultant depreciation, if any, is provided.

An investment is classified as HTM, HFT or AFS at the time of its purchase and subsequent shifting amongst categories is done in conformity with regulatory guidelines.

4.6 In determining acquisition cost of an investment:

(a) Brokerage, commission, Securities Transaction Tax (STT), etc. paid in connection with acquisition of securities are treated as revenue expenses upfront and excluded from cost.

(बी) प्रतिभूतियों के अधिग्रहण/बिक्री की तारीख तक अर्जित ब्याज अर्थात् खंडित अवधि के लिए ब्याज को अधिग्रहण लागत/बिक्री के प्रतिफल से बाहर रखा गया है और इसकी गणना उपचित ब्याज लेकिन देय नहीं के रूप में की गई है।

(सी) निवेशों की सभी श्रेणियों के लिए लागत का निर्धारण भारित औसत लागत पद्धति के आधार पर किया गया है।

4.7 भारतीय रिज़र्व बैंक/एफआईएमएमडीए के दिशा-निर्देशानुसार निवेश का मूल्यांकन निम्नलिखित आधार पर किया गया है

परिपक्वता तक धारित :

(i) परिपक्वता तक धारित" श्रेणी के अधीन निवेशों को अर्जन लागत पर लिया गया है।

जहां भी अंकित मूल्य/मोचन मूल्य की तुलना में बही मूल्य अधिक होता है, प्रीमियम को परिपक्वता की शेष अवधि के लिए सीधी रेखा के आधार पर परिशोधित किया जाता है। प्रीमियम का ऐसा परिशोधन कटौती के रूप में निवेश पर आय के तहत अर्जित ब्याज में परिलक्षित होता है।

(ii) समनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों/सहयोगियों में अस्थायी निवेश से भिन्न प्रत्येक व्यक्तिगत निवेशों की प्रकृति में किये गये निवेश का मूल्यांकन रखाव लागत में से ह्रास को हटाकर किया गया है।

iii) प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेशों का मूल्यांकन रखाव लागत पर किया गया है।

iv) उद्यम पूंजी में निवेशों का मूल्यांकन रखाव लागत पर किया गया है।

v) एचटीएम श्रेणी में रखे गए इक्विटी शेयर का मूल्यांकन रखाव लागत पर किया गया है।

बिक्री हेतु उपलब्ध और व्यापार हेतु धारित :

(ए)	सरकारी प्रतिभूतियां i- केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां ii- राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां	फिक्स्ड इन्कम मनी मार्केट एण्ड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफआईएमएमडीए) फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्रा. लि. (एफबीआईएल) द्वारा यथा प्रकाशित बाजार मूल्यों/परिपक्वता आय पर। एफआईएमएमडीए/भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार उपयुक्त परिपक्वता आय आधार पर
(बी)	केंद्रीय/राज्य सरकारों द्वारा गारंटी वाली प्रतिभूतियां सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बाण्ड (अग्रिमों के स्वरूप में नहीं)	एफआईएमएमडीए/भारतीय रिज़र्व बैंक दिशानिर्देशों के अनुसार उपयुक्त परिपक्वता की आय आधार पर
(सी)	ट्रेज़री बिल	रखाव लागत पर
(डी)	इक्विटी शेयर	यदि कोट किया गया हो तो बाजार मूल्य पर अन्यथा नवीनतम तुलन-पत्र (जिस तिथि को नवीनतम तुलन-पत्र तैयार किया जाता है, वह मूल्यांकन की तिथि से 18 महीने से अधिक पहले नहीं होगी) के अनुसार शेयरों के ब्रेक-अप मूल्य पर। अन्यथा प्रति कंपनी रु. 1/-

(b) Interest accrued up to the date of acquisition/sale of securities i.e. broken- period interest is excluded from the acquisition cost/sale consideration and the same is accounted as interest accrued but not due.

(c) Cost is determined on the weighted average cost method for all categories of investments.

4.7 Investments are valued as per RBI/ FIMMDA guidelines, on the following basis:

Held to Maturity

(i) Investments under 'Held to Maturity' category are carried at acquisition cost.

Wherever the book value is higher than the face value/redemption value, the premium is amortized over the remaining period to maturity on straight line basis. Such amortization of premium is reflected in Interest Earned under the head 'Income on investments' as a deduction.

(ii) Investments in subsidiaries/joint ventures/associates are valued at carrying cost less diminution, other than temporary in nature for each investment individually.

(iii) Investments in sponsored regional rural banks are valued at carrying cost.

(iv) Investment in Venture Capital is valued at carrying cost.

(v) Equity shares held in HTM category are valued at carrying cost.

Available for Sale and Held for Trading:

(a)	Govt. Securities I. Central Govt. Securities II. State Govt. Securities	At market prices/YTM as published by Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA) / Financial Benchmark India Pvt. Ltd (FBIL). On appropriate yield to maturity basis as per FIMMDA/RBI guidelines.
(b)	Securities guaranteed by Central / State Government, PSU Bonds (not in the nature of advances)	On appropriate yield to maturity basis as per FIMMDA/RBI guidelines.
(c)	Treasury Bills	At carrying cost
(d)	Equity shares	At market price, if quoted, otherwise at breakup value of the Shares as per latest Balance Sheet. (The date as on which the latest balance sheet is drawn up shall not precede the date of valuation by more than 18 months), otherwise at Re.1 per company.

(ई)	अधिमानी शेयर	यदि कोट किया गया हो तो बाजार मूल्य पर अन्यथा भारतीय रिज़र्व बैंक/एफआईएमएमडीए मार्गनिर्देशों के अनुसार उपयुक्त परिपक्वता आय पर किंतु मोचन मूल्य से अधिक नहीं।
(एफ)	बॉण्ड और डिबेंचर (अग्रिमों के स्वरूप में नहीं)	यदि कोट किया गया हो तो बाजार मूल्य पर अन्यथा भारतीय रिज़र्व बैंक/एफआईएमएमडीए मार्गनिर्देशों के अनुसार, उपयुक्त परिपक्वता आय पर।
(जी)	म्यूचुअल फण्ड की यूनिट	यदि कोट किया गया हो तो स्टॉक एक्सचेंज के भाव के अनुसार और यदि कोट न किया गया हो, तो पुनर्खरीद मूल्य/एनएवी पर
(एच)	वाणिज्यिक पत्र	रखाव लागत पर
(आई)	जमा प्रमाणपत्र	रखाव लागत पर
(जे)	प्रतिभूति रसीद	एआरसी (आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां) द्वारा जारी एसआर (प्रतिभूति रसीद)/अन्य प्रतिभूतियों में उधारदाताओं द्वारा निवेश को समय-समय पर ऐसे लिखत के लिए प्राप्त वसूली रेटिंग के आधार पर एआरसी द्वारा घोषित निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) की गणना करके मूल्यांकित किया जाएगा। एनएवी के आधार पर प्राप्त एसआर के मोचन मूल्य और हस्तांतरण के समय हस्तांतरित दबावग्रस्त ऋण के शुद्ध बही मूल्य (एनबीवी) में से कम मूल्य पर, बैंक अपने खाते में निवेश को निरंतर आधार पर ले जाएगा, जब तक कि इसका हस्तांतरण या इसकी प्राप्ति नहीं हो जाती। यदि अंतरणकर्ता (बैंक) द्वारा हस्तांतरित ऋणों के लिए जारी किए गए एसआर में अंतरित आस्ति के प्रति जारी किए गए सभी एसआर के 10 प्रतिशत से अधिक है, तो अंतरणकर्ता की बहियों में एसआर का मूल्य निम्न से कम होगा: i) ऐसे लिखत के लिए प्राप्त वसूली रेटिंग के आधार पर एआरसी द्वारा घोषित निवल आस्ति मूल्य (एनएवी), और ii) एसआर का अंकित मूल्य लागू अनुमानित प्रावधान दर से घटाया गया यदि ऋण बैंक की बहियों में जारी था
(के)	उद्यम पूंजी निधियां	उद्यम पूंजी निधियों द्वारा की गई घोषणा के अनुसार आस्ति के निवल आस्ति मूल्य पर(एनएवी)
(एल)	अन्य निवेश	लागत में मूल्यह्रास को घटाकर रखाव लागत पर.

(e)	Preference shares	At market price, if quoted, or on appropriate yield to maturity basis not exceeding redemption value as per RBI/FIMMDA guidelines.
(f)	Bonds and debentures (not in the nature of advances)	At market price, if quoted, or on appropriate yield to maturity basis as per RBI/FIMMDA guidelines.
(g)	Units of mutual funds	As per stock exchange quotation, if quoted; at repurchase price/NAV, if unquoted
(h)	Commercial Paper	At carrying cost
(i)	Certificate of Deposits	At carrying cost
(j)	Security receipts	Investments by lenders in SRs (Security Receipts) / other securities issued by ARCs (Asset Reconstruction Companies) shall be valued periodically by reckoning the Net Asset Value (NAV) declared by the ARC based on the recovery ratings received for such instruments. The Bank shall carry the investment in its books, on an ongoing basis until its transfer or its realization, at lower of redemption value of SRs arrived based on NAV, and the Net Book Value (NBV) of the transferred stressed loan at the time of transfer. If the investment by the transferor (Bank) in SRs issued against loans transferred by it is more than 10 percent of all SRs issued against the transferred asset, then the valuation of the SRs on the books of the transferor shall be the lower of the following: i) Net Asset Value (NAV) declared by the ARC based on the recovery ratings received for such instruments; and ii) Face value of the SRs reduced by the notional provisioning rate applicable if the loans had continued on the books of the bank.
(k)	Venture Capital Funds	At net asset value (NAV) declared by the VCF
(l)	Other Investments	At carrying cost less diminution in value

बिक्री हेतु उपलब्ध तथा व्यापार हेतु धारित श्रेणी वर्ग में उपर्युक्त मूल्यांकन प्रत्येक स्क्रिप के लिए अलग-अलग तिमाही आधार पर किया जाता है तथा प्रत्येक वर्गीकरण के लिए मूल्यह्रास/वृद्धि जोड़ी जाती है। यदि निवल मूल्यह्रास है तो प्रत्येक वर्गीकरण के लिए प्रावधान किया जाता है जबकि निवल वृद्धि दर्शायी नहीं जाती है। मूल्यह्रास के लिए प्रावधान पर व्यक्तिगत प्रतिभूति का बही मूल्य बाजार हेतु चिह्नित करने के पश्चात् अपरिवर्तित रहता है।

प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेश का मूल्यांकन श्रेणी (एचटीएम और एएफएस) पर ध्यान दिए बिना रखाव लागत पर किया जाएगा।

The above valuation in category of Available for Sale and Held for Trading is done scrip wise on quarterly basis and depreciation/appreciation is aggregated for each classification. Net depreciation for each classification, if any, is provided for while net appreciation is ignored. On provision for depreciation, the book value of the individual security remains unchanged after marking to market.

Investments in sponsored regional rural banks shall be valued at carrying cost irrespective of Category (HTM & AFS)

4.8 भारतीय रिज़र्व बैंक के एनपीआई वर्गीकरण के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुरूप निवेश उपयुक्त प्रावधानीकरण तथा आय गैर-निर्धारण के अधीन हैं। गैर निष्पादित प्रतिभूतियों के संबंध में मूल्यह्रास / प्रावधान, अन्य निष्पादित प्रतिभूतियों के संबंध में वृद्धि के प्रति समंजन (सेट ऑफ) नहीं किया गया है।

एक ईकाई द्वारा प्राप्त की गई ऋण सुविधा यदि बैंक की बही में एनपीए है, तो उसी ईकाई द्वारा जारी प्रतिभूतियों में कोई भी निवेश एनपीआई के रूप में या इसके विपरीत क्रम में माना जाएगा। तथापि एनपीआई अधिमानी शेयरों के संबंध में जहां लाभांश का भुगतान नहीं किया जाता वहां तदनुरूपी ऋण सुविधा को एनपीए नहीं माना जाएगा।

प्रतिभूतियों अर्थात बांड, डिबेंचर आदि के मामले में जहां उधारकर्ताओं द्वारा ऋण सुविधाओं का लाभ उठाया गया है, वहां प्रावधान वाईटीएम या आईआरएसी मानदंड, जो भी अधिक हो, के आधार पर किया गया है।

4.9 किसी भी श्रेणी के निवेशों की बिक्री से हुए लाभ अथवा हानि को लाभ व हानि लेखे में ले जाया जाता है किंतु 'परिपक्वता हेतु धारित' श्रेणी के निवेशों की बिक्री से हुए लाभ के मामले में वर्ष के अंत में उसकी समतुल्य राशि (सांविधिक आरक्षित निधि में अंतरित की जाने वाली राशि और कर को घटाकर) 'पूंजी आरक्षित निधि' खाते में विनियोजित की जाती है।

एएफएस और एचएफटी श्रेणी में निवेश के मोचन पर लाभ या हानि अर्जित ब्याज आय से अतिरिक्त / कटौती के रूप में निवेश पर अर्जित ब्याज आय में परिलक्षित होता है।

4.10 वापस खरीद व्यवस्था के अन्तर्गत पुनःखरीदी / पुनः बेची गयी प्रतिभूतियों को उनकी मूल लागत पर लेखांकित किया जाता है ।

4.11 रेपो व रिवर्स रेपो के अंतर्गत बेची व खरीदी गई प्रतिभूतियों को संपार्श्विक उधार व उधारी लेन–देनों के तौर पर लिया जाता है। हालांकि सामान्य सीधी बिक्री / खरीद लेन–देन के मामले में प्रतिभूतियों को अंतरित किया जाता है तथा प्रतिभूतियों का ऐसा संचालन रेपो / रिवर्स रेपो खातों का प्रयोग करके और प्रति प्रविष्टियों में प्रदर्शित होता है। उक्त प्रविष्टियां परिपक्वता तिथि पर रिवर्स की जाती है। लागत व राजस्व को ब्याज व्यय / आय माना जाता है, जैसा भी मामला हो। रेपो खाते में शेष को अनुसूची 4 (उधारी) के अंतर्गत रखा जाता है।

4.12 व्युत्पन्न (डेरिवेटिव्स) लेन–देन व्यापार अथवा प्रतिरक्षा के प्रयोजन से किये गये हैं। व्यापारिक लेन–देन बाजार मूल्य पर है। भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशानुसार अदलाबदली की विभिन्न श्रेणियों का निम्नवत मूल्यन किया गया है :

बचाव अदला बदली (हेज स्वैप)
ब्याज दर अदला–बदली जो ब्याज वाहक आस्ति अथवा देयता की प्रतिरक्षा करती है, को उपचय आधार पर लेखांकित किया जाता है, किसी आस्ति अथवा देयता के साथ अभिहित अदलाबदली को छोड़कर जो वित्तीय विवरणी में बाजार मूल्य अथवा लागत में से कम कीमत पर लिया जाता है।

अदला बदली की समाप्ति पर लाभ या हानि को अदलाबदली की शेष संविदागत अवधि अथवा आस्ति / देयता की शेष अवधि में से जो भी

4.8 Investments are subject to appropriate provisioning/ de-recognition of income, in line with the prudential norms of Reserve Bank of India for NPI classification. The depreciation/provision in respect of non-performing securities is not set off against the appreciation in respect of the other performing securities.

If any credit facility availed by an entity is NPA in the books of the Bank, investment in any of the securities issued by the same entity would also be treated as NPI and vice versa. However, in respect of NPI preference share where the dividend is not paid, the corresponding credit facility is not treated as NPA.

In case of securities i.e. bonds, debentures, etc. where the credit facilities are availed by the borrowers, the provision has been made on the basis of YTM or IRAC norms whichever is higher.

4.9 Profit or loss on sale of investments in any category is taken to Profit and Loss account but, in case of profit on sale of investments in 'Held to Maturity' category, an equivalent amount (net of taxes and amount transferred to Statutory Reserve) is appropriated to 'Capital Reserve Account', at year end.

Profit or loss on redemption of investments in AFS & HFT category is reflected in interest earned income on investments, as an addition/deduction from interest income earned.

4.10 Securities repurchased/resold under buy back arrangement are accounted for at original cost.

4.11 The securities sold and purchased under Repo/Reverse Repo are accounted as Collateralized lending and borrowing transactions. However, securities are transferred as in the case of normal outright sale/purchase transactions and such movement of securities is reflected using the Repo/Reverse Repo Accounts and Contra entries. The above entries are reversed on the date of maturity. Costs and revenues are accounted as interest expenditure/income, as the case may be. Balance in Repo Account is classified under schedule 4 (Borrowings).

4.12 The derivatives transactions are undertaken for trading or hedging purposes. Trading transactions are marked to market. As per RBI guidelines, different categories of swaps are valued as under:

Hedge Swaps
Interest rate swaps with hedge interest bearing asset or liability are accounted for on accrual basis except the swaps designated with an asset or liability that are carried at lower of market value or cost in the financial statement.

Gain or losses on the termination of swaps are recognized over the shorter of the remaining contractual life of the swap or the remaining life of the asset/ liabilities.

कम हो, पर माना जाता है।

व्यापारिक अदला बदली (ट्रेडिंग स्वाप)

व्यापारिक अदलाबदली के लेन देन को वित्तीय विवरणियों में रिकार्ड किए गए परिवर्तनों सहित बाजार मूल्य पर चिह्नित किया जाता है।

व्यापारिक उद्देश्यों के लिए किए गए एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स, एक्सचेंज द्वारा दी गई दरों के आधार पर प्रचलित ब्याज दर पर मूल्यांकित किए जाते हैं और प्राप्त लाभों एवं हानियों को लाभ व हानि लेखे में लिया जाता है।

4.13 विदेशी मुद्रा विकल्प:

अन्य बैंक के साथ बैक टू बैक कान्ट्रेक्ट के रूप में बैंक द्वारा किया गया विदेशी मुद्रा विकल्प बाजार मूल्य पर नहीं है, क्योंकि इसमें बाजार जोखिम नहीं है।

प्राप्त प्रीमियम को देयता के रूप में रखा गया है और परिपक्वता/निरस्तीकरण पर लाभ व हानि लेखे में अन्तरित किया गया है।

5 ऋण/अग्रिम और इसके लिए प्रावधान

5.1 अग्रिमों का वर्गीकरण निष्पादित और गैर निष्पादित आस्तियों के रूप में किया जाता है और उनके लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार प्रावधान किया जाता है।

(ए) अग्रिमों को उधारकर्तावार मानक, अवमानक, संदिग्ध एवं हानि आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

(बी) अग्रिम विशिष्ट ऋण हानि प्रावधानों, पुनर्गठित अग्रिमों की उचित मूल्य में ह्रास के लिए प्रावधान को घटाकर उल्लेखित हैं।

5.2 विदेशी कार्यालयों के संबंध में ऋणों एवं अग्रिमों, का वर्गीकरण और एनपीए के लिए प्रावधान स्थानीय विनियमों या भा.रि.बैंक मानक, जो भी अधिक कठोर हो, के अनुसार किया गया है।

विदेशी शाखाओं में रखे ऋण एवं अग्रिम जो वसूली के रिकार्ड के अलावा अन्य कारणों के लिए मेजबान देश के विनियमों के अनुसार क्षति के रूप में चिन्हित हैं, किंतु जो भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशा–निर्देशों के अनुसार मानक हैं, को मेजबान देश में बकाया राशि की सीमा तक एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

5.3 बेची गई वित्तीय आस्तियों को निम्नलिखित रूप में माना गया है:

(ए) एससी/आरसी को बेची गई वित्तीय आस्तियों की बिक्री हेतु

(i) यदि एससी/आरसी को बिक्री निवल बही मूल्य (एनबीवी) (अर्थात बही मूल्य में से प्रावधान घटाकर) से कम कीमत पर की गई है तो उस वर्ष कमी को लाभ व हानि लेखे में डेबिट करना चाहिए। बैंक एनपीए की बिक्री पर अर्थात् जब बिक्री निवल बही मूल्य से कम कीमत पर की गई हो तो कमी को पूरा करने हेतु प्रतिचक्रीय/फ्लोटिंग प्रावधान भी कर सकता है।

(ii) यदि बिक्री निवल बही मूल्य की अपेक्षा उच्चतर मूल्यों पर की गई है, तो बैंक इस वर्ष इसके लाभ व हानि लेखों में प्राप्त राशि में से एनपीए की बिक्री पर अतिरिक्त प्रावधान वापस ले सकता है। तथापि, बैंक एनपीए

Trading Swaps

Trading swap transactions are marked to market with changes recorded in the financial statements.

Exchange Traded Derivatives entered into for trading purposes are valued at prevailing market rates based on rates given by the Exchange and the resultant gains and losses are recognized in the Profit and Loss Account.

4.13 Foreign Currency Options:

Foreign currency options written by the Bank with a back-to-back contract with another bank are not marked to market since there is no market risk.

Premium received is held as a liability and transferred to the Profit and Loss Account on maturity/cancellation.

5. LOANS / ADVANCES AND PROVISIONS THEREON:

5.1 Advances are classified as performing and non-performing assets; provisions are made in accordance with prudential norms prescribed by RBI.

(a) Advances are classified: Standard, Sub Standard, Doubtful and Loss assets borrower wise.

(b) Advances are stated net of specific loan loss provisions, provision for diminution in fair value of restructured advances.

5.2 In respect of foreign offices, the classification of loans and advances and provisions for NPAs are made as per the local regulations or as per the norms of RBI, whichever is more stringent.

Loans and advances held at the overseas branches that are identified as impaired as per host country regulations for reasons other than record of recovery, but which are standard as per the extant RBI guidelines, are classified as NPAs to the extent of amount outstanding in the host country.

5.3 Financial Assets sold are recognized as under:

(a) For Sale of financial assets sold to SCs/RCs

(i) If the sale to SCs/RCs is at a price below the Net Book Value (NBV), (i.e. Book Value less provisions held), the shortfall is debited to the Profit & Loss account. Bank can also use counter cyclical / floating provisions for meeting the shortfall on sale of NPAs i.e. when the sale is at a price below the NBV.

(ii) If the sale is for a value higher than the NBV, Bank can reverse the excess provision on sale of NPAs to its profit and loss account in the year, the amounts are received. However, Bank can reverse excess provision (when the sale is for a value higher than the NBV) arising out of sale of

की बिक्री से अतिरिक्त प्रावधान (जब बिक्री निवल बही मूल्य की अपेक्षा उच्च मूल्य पर की गई है) तभी रिवर्स कर सकता है, जब प्राप्त नकदी (प्रारम्भिक प्रतिफल और/अथवा एसआर/पीटीसी की छूट के माध्यम से) आस्तियों की एनबीवी से अधिक हो। इसके अलावा, अतिरिक्त प्रावधान का रिवर्सल उस सीमा तक सीमित होगा जिस सीमा तक प्राप्त नकदी आस्ति के एनबीवी से अधिक है।

(बी) अन्य बैंक/एनबीएफसी/एफआई इत्यादि को बिक्री की गई वित्तीय आस्तियों की बिक्री हेतु

(i) निवल बही मूल्य (एनबीवी) से कम कीमत पर बिक्री करने के मामले में अर्थात् बही मूल्य से प्रावधान घटा कर, कमी को उस वर्ष लाभ व हानि लेखे से डेबिट करना चाहिए।

(ii) यदि बिक्री निवल बही मूल्य (एनबीवी) से अधिक मूल्य पर है अर्थात बही मूल्य से प्रावधान घटा कर, अतिरिक्त प्रावधान प्रत्यावर्तित नहीं किया जाएगा किंतु अन्य गैर निष्पादित वित्तीय परिसम्पत्तियों की बिक्री खाते और कमी/हानि को पूरा करने के लिए उसका उपयोग किया जाएगा।

(iii) यदि बिक्री लेनदेन में अतिरिक्त प्रावधान से अधिक अधिशेष है तो अधिशेष राशि को लाभ और हानि लेखे में लिया जाएगा।

5.4 पुनःसंरचित आस्तियां :

अग्रिमों के पुनः संरचना/पुनः निर्धारण के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक के समय-समय पर जारी मार्गनिर्देशों के अनुसार प्रावधान किया जाता है। पुनर्संरचित खाते के उचित मूल्य में ह्रास के लिए आवश्यक प्रावधान किया गया है। पुनःसंरचित अग्रिमों के उचित मूल्य में ह्रास के लिए प्रावधान को उन खातों के लिए आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार निवल वर्तमान मूल्य शर्तों पर मापा जाता है जहां बैंक को कुल देय राशि एक करोड़ रुपये और उससे अधिक है। अन्य खातों के लिए, उचित मूल्य में ह्रास के प्रावधान की गणना भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के कुल जोखिम के 5% पर अनुमानित रूप से की जाती है।

5.6 एनपीए पर वर्गीकृत प्रावधानों के अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार मानक आस्तियों के लिए सामान्य प्रावधान भी किया गया है। ये प्रावधान तुलन-पत्र की अनुसूची 5 में "अन्य देयताएं व प्रावधान – अन्य" शीर्षक के अंतर्गत प्रदर्शित किए जाते हैं और निवल एनपीए निकालने के लिए इन पर विचार नहीं किया जाता है ।

5.6 भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार गैर निष्पादित अग्रिमों के लिए त्वरित प्रावधान किया गया जिसे बैंक द्वारा पूर्व में एसएमए-2 श्रेणी के अंतर्गत सेन्ट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफार्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट (सीआरआईएलसी) को विशेष वर्णित खाते के रूप में रिपोर्ट नहीं किया जाता था।

5.7 पूर्व वर्षों में बट्टे खाते ऋणों के विरूद्ध वसूल की गई राशि और प्रावधानों को उधारकर्ता की वर्तमान स्थिति के परिप्रेक्ष्य में विचार करना आवश्यक नहीं समझा गया है और इसे लाभ-हानि खाते में लिया जाता है।

5.8 देश एक्सपोजर के लिए प्रावधान

आस्ति वर्गीकरण स्थिति के अनुसार किए गए विशिष्ट प्रावधानों के अतिरिक्त किसी देश के एक्सपोजरों (अपने देश के अलावा अन्य) के

NPAs, only when the cash received (by way of initial consideration and/ or redemption of SRs / PTCs) is higher than the NBV of the asset. Further, reversal of excess provision will be limited to the extent to which cash received exceeds the NBV of the asset.

(b) For Sale of financial assets sold to Other Banks/NBFCs/FIs etc.

(i) In case the sale is at a price below the Net Book Value (NBV) i.e. Book Value less provision held, the shortfall should be debited to the Profit & Loss A/c of that year.

(ii) In case the sale is for a value higher than the Net Book Value (NBV) i.e. Book Value less provision held, the excess provision shall not be reversed but will be utilized to meet the shortfall / loss on account of sale of other Non Performing Financial Assets.

(iii) In case there is overall surplus over and above the excess provision in any of the sale transaction that surplus amount will be taken in the Profit & loss a/c.

5.4 Restructured Assets:

For restructured/rescheduled advances, provisions are made in accordance with guidelines issued by RBI from time to time. Provision for diminution in fair value of restructured advances is measured at net present value terms as per RBI guidelines for accounts where total dues to the bank are Rupees One Crore and above. For other accounts, the provision for diminution in fair value is computed notionally at 5% of total exposure to the bank as per RBI guidelines.

5.5 In addition to the specific provision on NPAs, general provisions are also made for standard assets as per extant RBI Guidelines. These provisions are reflected in Schedule 5 of the Balance Sheet under the head 'Other Liabilities & Provisions - Others' and are not considered for arriving at the Net NPAs.

5.6 In accordance with RBI guidelines, accelerated provision is made on non-performing advances which were not earlier reported by the Bank as Special Mention Account under 'SMA-2' category to Central Repository of Information on Large Credits (CRILC).

5.7 Amounts recovered against debts written-off in earlier years and provisions no longer considered necessary in the context of the current status of the borrower are recognized in the profit and loss account.

5.8 Provision for Country Exposure:

In addition to the specific provisions held according to the asset classification status, provisions are also made for individual country exposures (other than the home country). Countries are categorized into seven risk

लिए भी प्रावधान किया गया है। देशों को सात जोखिम श्रेणियों अर्थात मामूली, कम, कम मध्यम, मध्यम, उच्च, मध्यम उच्च और बहुत उच्च में वर्गीकृत किया गया है और प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशा–निर्देशों के अनुसार किया गया है। प्रत्येक देश के मामले में यदि बैंक का देश एक्सपोजर (निवल) कुल निधि पोषित आस्तियों की 1% से अधिक नहीं है तो ऐसे कंट्री एक्सपोजर में कोई प्रावधान नहीं किया जाता है। यह प्रावधान तुलन पत्र की अनुसूची 5 में 'अन्य देयताएं एवं प्रावधान 'अन्य'' के अंतर्गत प्रदर्शित किया जाता है।

5.9 भारतीय कम्पनियों की स्टेप डाउन अनुषंगियों के सभी एक्सपोजर का प्रतिनिधित्व करने वाली मानक आस्ति के विरुद्ध 2% का एक अतिरिक्त प्रावधान किया गया है (सभी ओवरसीज एक्सपोजरों पर लागू कंट्री जोखिम के अतिरिक्त) ताकि ढांचे की जटिलता होने से उत्पन्न अतिरिक्त जोखिम को कवर किया जा सके, विभिन्न क्षेत्राधिकार में विभिन्न मध्यवर्ती संस्थाओं की अवस्थिति होने से भारतीय कंपनी और उससे काफी हद तक राजनैतिक और विनियामक जोखिम के लिए बैंक एक्सपोजर हो सकता है। (आरबीआई परि.सं. आरबीआई / 2015.16 / 279 डीबीआर.आईबीडी.बीसी.संख्या. 68 / 23.37.001 / 2015–16 दिनांक 31.12.2015 के अनुसार)।

6. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

6.1 जिन परिसरों का पुनर्मूल्यन हो चुका है उन्हें छोड़कर संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को उनकी परम्परागत लागत में से संचित मूल्यह्रास / परिशोधन को घटाकर दिखाया जाता है पुनर्मूल्यन पर हुई वृद्धि को पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि में जमा किया जाता है और पुनर्मूल्यन राशि के कारण वृद्धिशील मूल्यह्रास को उसमें से कम कर दिया जाता है।

6.2 सॉफ्टवेयर को पूंजीकृत कर अमूर्त आस्तियों के साथ जोड़ दिया गया है।

6.3 खरीददारी की लागत सहित सभी खर्चे जैसे साइट तैयार करना, संस्थापना लागत, पूंजीकरण के समय तक आस्ति पर खर्च की गयी व्यावसायिक फीस लागत में शामिल है। आस्तियों पर खर्च किए गए परिवर्ती खर्चे केवल तभी पूंजीकृत किए जाते हैं जब ऐसी आस्तियों या उनकी कार्यक्षमता से भविष्य के लाभ में वृद्धि होती है।

6.4 मूल्यह्रास

ए. आस्तियों (भूमि सहित जहां कीमत अलग न की जा सकती हो) पर मूल्यह्रास के लिये प्रावधान आस्ति की प्रत्याशित आयु पर सीधी रेखा पद्धति के अनुसार किया जाता है। कम्प्यूटरों को छोड़कर जहां इसकी गणना भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दर पर सीधी रेखा पद्धति से की जाती है।

बी. ऐसी आस्तियों पर मूल्यह्रास निम्नलिखित दरों पर किया गया है :

विवरण	मूल्यह्रास की दर
परिसर	
फ्रीहोल्ड संपत्ति	
भूमि	शून्य

categories, namely, insignificant, low, moderately low, moderate, moderately high, high and very high, and provisioning made as per extant RBI guidelines. If the country exposure (net) of the Bank in respect of each country does not exceed 1% of the total funded assets, no provision is maintained on such country exposures. The provision is reflected in Schedule 5 of the Balance Sheet under the 'Other Liabilities & Provisions - Others'.

5.9 An additional provision of 2% (in addition to country risk provision that is applicable to all overseas exposures) against standard assets representing all exposures to step down subsidiaries of Indian Corporates has been made to cover the additional risk arising from complexity in the structure, location of different intermediary entities in different jurisdictions exposing the Indian Company, and hence the Bank, to a greater political and regulatory risk. (As per RBI Cir.No. RBI/ 2015.16/279 DBR. IBD.BC No. 68/ 23.37.001/ 2015-16 dated 31.12.2015).

6. PROPERTY, PLANT & EQUIPMENT:

6.1 Property, Plant & Equipment are stated at historical cost less accumulated depreciation/amortization, wherever applicable, except those premises, which have been revalued. The appreciation on revaluation is credited to revaluation reserve and incremental depreciation attributable to the revalued amount is deducted there from.

6.2 Software is capitalized and clubbed under Intangible assets.

6.3 Cost includes cost of purchase and all expenditure such as site preparation, installation costs and professional fees incurred on the asset till the time of capitalization. Subsequent expenditure/s incurred on the assets are capitalized only when it increases the future benefits from such assets or their functioning capability.

6.4 Depreciation:

A. Depreciation on assets (including land where value is not separable) is provided on straight-line method based on estimated life of the asset, except in respect of computers where it is calculated on the straight-line method, at the rates prescribed by RBI.

B. Depreciation on assets has been provided at the rates furnished below: -

Particulars	Rate of Depreciation
PREMISES	
Freehold Properties	
Land	NIL

निर्माण लागत पर प्रदान की जाने वाली मूल्यह्रास दर जहाँ भूमि की लागत को अलग किया जाता है और कुल लागत पर जहाँ भूमि की लागत सुनिश्चित नहीं की जा सकती और उसे अलग नहीं किया जा सकता है।	2.50% (40 वर्ष सीधी रेखा विधि या शेष आयु जो भी कम हो)
स्थायी पट्टे पर ली गई भूमि जहाँ पट्टे की अवधि का उल्लेख नहीं है	शून्य
पट्टे पर ली गई भूमि जहाँ पट्टे की अवधि का उल्लेख है	पट्टे की अवधि पर
भवन	
फ्री होल्ड और पट्टे वाली भूमि पर निर्मित, जहाँ पट्टे की अवधि 40 वर्ष से अधिक है	2.50%
पट्टे वाली भूमि पर निर्मित जहाँ पट्टे की अवधि 40 वर्ष से कम है	पट्टे की अवधि पर
परिसरों के अतिरिक्त अचल परिसंपत्तियां	
फर्नीचर और फिक्सचर्स – स्टील वस्तुएं	5.00%
फर्नीचर और फिक्सचर्स – लकड़ी की वस्तुएं	10.00%
गद्दे	20.00%
मोबाइल फोन उपकरण	33.33%
मशीनरी, बिजली की वस्तुएं और विविध वस्तुएं	15.00%
मोटर-कारें एवं साईकलें	15.00%
कम्प्यूटर, एटीएम और संबंधित वस्तुएं लैप टॉप, आईपैड आदि सर्वर, नेटवर्क, उपकरण एवं स्वचालित टेलर मशीन (कंप्यूटर हार्डवेयर का एक अनिवार्य भाग सॉफ्टवेयर निर्माण के सहित)	33.33%
कार्यालय की ₹25000/– से कम राशि की अचल संपत्तियां (कर्मचारियों को छोड़कर) और/अथवा जिनकी उपयोगिता अवधि अधिग्रहण की तिथि से 12 महीनों से कम है, को व्यय के रूप में माना जाना चाहिए। ₹25000/– तक के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम/डेटा बेस की लागत को राजस्व प्रभारित किया जाता है।	

सी. बैंक के अपने परिसर के अतिरिक्त नई आस्तियों पर मूल्यह्रास की दर उसी दिन से प्रदान की जाती है और वर्ष के दौरान बेची गई/निपटान की गई आस्तियों के मामले में जिस तारीख तक इसे बेचा/निपटान किया जाता है अर्थात दैनिक आधार पर मूल्यह्रास की दर प्रदान की जाती है।

डी. वर्ष के अंत में मौजूद बैंक के अपने स्वामित्व के परिसरों पर मूल्यह्रास पूरे वर्ष के लिये प्रभारित किया गया है। निर्माण लागत पर तभी मूल्यह्रास किया जाता है जब भवन सभी प्रकार से पूरा हो जाता है। जहां भूमि और भवन की लागत का अलग से पता नहीं लगाया जा सकता है, वहां मूल्यह्रास भवन पर लागू दर से समग्र लागत पर की जाती है।

Depreciation to be provided on Construction Cost where the land cost is segregated and on total cost where the land cost is not ascertainable and cannot be segregated	2.50% (40 years Straight Line Method or remaining life whichever is lower)
Land acquired on perpetual lease where no lease period is mentioned	NIL
Land acquired on lease where lease period is mentioned	Over lease period
Building	
Constructed on free hold land and on leased land, where lease period is above 40 years	2.50%
Constructed on leased land where lease period is below 40 years	Over lease period
FIXED ASSETS EXCEPT PREMISES	
Furniture and fixtures-Steel articles	5.00%
Furniture and fixtures-wooden articles	10.00%
Mattresses	20.00%
Mobile Phone Instruments	33.33%
Machinery, electrical and miscellaneous articles	15.00%
Motor cars and cycles	15.00%
Computers, ATMs and related items, laptop, I pad etc Servers, Network, Equipment & Automated Teller Machines (Including software forming an integral part of computer hardware)	33.33%
Items of office fixed assets (excepts to staff) amount less than Rs. 25,000/- and / or having useful life of less than 12 months from the date of acquisition are recognized as expense. Cost of Application Software - Operating System / Data base amounting up to Rs. 25,000/- are charged to revenue.	

C. Depreciation on fresh additions to assets other than Bank's own premises is provided from the day in which the assets are capitalized and in the case of assets sold/disposed off during the year, up to the date in which it is sold/ disposed off i.e. daily basis.

D. The depreciation on bank's own premises existing at the close of the year is charged for full year. The construction cost is depreciated only when the building is complete in all respects. Where the cost of land and building cannot be separately ascertained, depreciation is provided on the composite cost, at the rate applicable to buildings.

ई. पट्टाधारित परिसरों के संबंध में, पट्टा प्रीमियम यदि कोई है, पट्टे की संपूर्ण अवधि पर परिशोधित है और पट्टा किराया संबंधित वर्षों में प्रभारित किया जाता है ।

एफ. पुनर्मूल्यन आस्तियों के मूल्यह्रास की दर पुनर्मूल्यांकन के समय मूल्यांकन की गई आस्तियों की शेष उपयोगी आयु के आधार पर निश्चित की जाती है।

7. आस्तियों की अपसामान्यता :

आस्तियों की रखरखाव लागत की आंतरिक / बाह्य तथ्यों के आधार पर कोई अपसामान्यता दिखाई देने पर प्रत्येक तुलनपत्र तिथि को समीक्षित किया जाता है। एक अपसामान्य हानि तभी मानी जाती है जहां एक आस्ति की रखाव लागत इसकी वसूली राशि से ज्यादा होती है । वसूली योग्य राशि आस्ति की निवल बिक्री कीमत और उपयोगिता मूल्य से ज्यादा होती है । उपयोगिता मूल्य के निर्धारण में, अनुमानित भावी नकदी प्रवाह कर पूर्व छूट दर में प्रयुक्त उसके वर्तमान मूल्य को घटाया जाता है जो उस समय धन के वर्तमान बाजार मूल्य और आस्ति के वर्गीकृत जोखिमों को दर्शाता है।

अपसामान्यता के पश्चात, यदि कोई है, मूल्यह्रास आस्ति की शेष उपयोगी अवधि में संशोधित रखाव लागत पर किया जाता है । पूर्व में हुई अपसामान्यता हानि परिस्थितियों में परिवर्तन के आधार पर बढ़ाई या रिवर्स की जाती है । हालांकि, रिवर्सल के पश्चात रखाव मूल्य उस रखाव मूल्य से ऊपर नहीं बढ़ता है जो यदि कोई अपसामान्यता नहीं हुई हो तो सामान्य मूल्यह्रास प्रभारित करके विद्यमान होगा।

8. कर्मचारी लाभ :

भविष्य निधि :

भविष्य निधि एक सुपरिभाषित अंशदान योजना है क्योंकि बैंक पूर्व निर्धारित दरों पर निश्चित अंशदान का भुगतान करता है । बैंक का दायित्व ऐसे निश्चित अंशदान तक सीमित है । ये अंशदान लाभ व हानि लेखे में प्रभारित किए जाते हैं ।

उपदान :

उपदान देयता एक सुपरिभाषित लाभ दायित्व है और बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर दिया जाता है । यह योजना बैंक द्वारा वित्त पोषित है और एक अलग ट्रस्ट द्वारा चलाई जाती है ।

पेंशन :

पेंशन देयता एक सुपरिभाषित लाभ दायित्व है और बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर दी जाती है । यह योजना बैंक द्वारा वित्त पोषित है और एक अलग ट्रस्ट द्वारा चलाई जाती है ।

बैंक 01.04.2010 को और इसके बाद बैंक में कार्यग्रहण करने वाले सभी अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना (एनपीएस) चला रहा है। योजना के अनुसार, कवर किए गए कर्मचारी, बैंक से अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 10% के साथ–साथ अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 14% के अंशदान के साथ योजना में योगदान करते हैं। सम्बन्धित कर्मचारी की पूर्ण पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने तक ये अंशदान रखे जाते हैं। बैंक ऐसे अंशदान से पूरा वर्ष ब्याज

E. In respect of leasehold premises, the lease premium, if any, is amortized over the period of lease and the lease rent is charged in the respective year(s).

F. The Revalued assets is depreciated over the balance useful life of the asset as assessed at the time of revaluation.

7. **IMPAIRMENT OF ASSETS:**

The carrying costs of assets are reviewed at each Balance Sheet date if there is any indication of impairment based on internal/external factors an impairment loss is recognized wherever the carrying cost of an asset exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the greater of the assets net selling price and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and risks specific to the asset.

After impairment, if any, depreciation is provided on the revised carrying cost of the asset over its remaining useful life. A previously recognized impairment loss is increased or reversed depending on changes in circumstances. However, the carrying value after reversal is not increased beyond the carrying value that would have prevailed by charging usual depreciation if there was no impairment.

8. **EMPLOYMENT BENEFITS:**

PROVIDENT FUND:

Provident fund is a defined contribution scheme as the Bank pays fixed contribution at pre-determined rates. The obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contribution is charged to Profit & Loss A/c.

GRATUITY:

Gratuity liability is a defined benefit obligation and is provided for on the basis of an actuarial valuation. The scheme is funded by the Bank and is managed by a separate trust.

PENSION:

Pension liability is a defined benefit obligation and is provided for on the basis of an actuarial valuation. The scheme is funded by the Bank and is managed by a separate trust.

The Bank operates a New Pension Scheme (NPS) for all officers/ employees who have joined the Bank on or after 01.04.2010. As per the scheme, the covered employees contribute 10% of their basic pay plus dearness allowance to the scheme together with contribution of 14% of their basic pay plus dearness allowance from the Bank. Pending completion of the registration procedures of the employees concerned, these contributions are retained.

मानता है जिससे वह सम्बंधित है। स्थायी रिटायरमेंट खाता संख्या (पीआरएएन) प्राप्त होने पर समेकित योगदान राशि को एनपीएस ट्रस्ट में अंतरित कर दिया जाता है।

क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियां:

उपचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियां जैसे अर्जित छुट्टियां (पीएल) और बीमारी की छुट्टियां (अप्रयुक्त आकस्मिक छुट्टियां सहित) बीमांकिक मूल्यांकन आधार पर दी जाती हैं । अर्जित छुट्टी (पीएल) की योजना बैंक द्वारा वित्त पोषित है और एक अलग ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित की जाती है।

अन्य कर्मचारी लाभ:

अन्य कर्मचारी लाभ जैसे छुट्टी किराया रियायत (एलएफसी), सिल्वर जुबली अवार्ड इत्यादि बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर दिए जाते हैं।

जहां तक विदेश स्थित शाखाओं और कार्यालयों का संबंध है प्रतिनियुक्ति पर गए कर्मचारियों को दिए गए लाभों के अलावा अन्य सभी लाभ उन देशों में लागू कानूनों के अनुसार मूल्यांकित और लेखांकित किए गए हैं।

9. विदेशी मुद्रा से संबंधित लेनदेनों का परिवर्तन और शेष :

विदेशी विनिमय में शामिल लेनदेन लेखामानक 11 'विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन का प्रभाव' के अनुसार लेखांकित किए जाते हैं ।

9.1 पूर्ववर्ती लंदन शाखाओं के अग्रिमों को छोड़कर, जिनका भारत में अंतरण की तिथि को लागू विनिमय दरों के आधार पर लेखांकन किया जाता है, भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) के मार्गनिर्देशन के अनुसार तुलन पत्र तिथि पर विनिमय दरों के आधार पर अन्य सभी मौद्रिक आस्तियों तथा देयताओं, गारंटियों, स्वीकृतियों, पृष्ठांकनों व अन्य दायित्वों को प्रारंभिक रूप से कल्पित दर पर दर्ज किया जाता है और समतुल्य भारतीय रुपये में परिवर्तित किया जाता है ।

9.2 अचल आस्तियों जिन्हे परंपरागत दर पर रखा जाता है, के इतर गैर मौद्रिक मदों को लेन–देन की तिथि को प्रभावी विनिमय दरों पर परिवर्तित किया जाता है ।

9.3 बकाया वायदा विनिमय स्पॉट व वायदा संविदाओं को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ द्वारा तुलन पत्र तिथि पर अधिसूचित विनिमय दरों पर परिवर्तित किया जाता है और फलस्वरूप मूल्यांकन पर हुए लाभ / हानि को लाभ व हानि लेखे में दिखाया जाता है ।

विदेशी विनिमय स्पॉट / वायदा संविदा / डीलस (मर्चेंट व इंटर बैंक), जो कि ट्रेडिंग व मर्चेंट हैज के लिए नहीं किए गए हैं तथा ये तुलन पत्र की तिथि तक बकाया हैं, विनिमय लाभ पर पुनर्मूल्यांकन प्रभाव को हटाने के लिए फेडाई (एफईडीएआई) स्पॉट / फारवर्ड की समाप्ति पर रिवर्स पुनर्मूल्यांकित होते हैं। इस तरह के वायदा विनिमय संविदा के आरम्भ से उत्पन्न प्रीमियम अथवा छूट को संविदा की समयावधि में ब्याज व्यय या आय के रूप में परिशोधित किया गया है।

The Bank recognizes such annual contributions as an expense in the year to which they relate. Upon the receipt of the Permanent Retirement Account Number (PRAN), the consolidated contribution amounts are transferred to the NPS Trust.

COMPENSATED ABSENCES:

Accumulating compensated absences such as Privilege Leave (PL) and Sick Leave (including unavailed casual leave) are provided for based on actuarial valuation. The scheme for Privilege Leave (PL) is funded by the Bank and is managed by a separate trust.

OTHER EMPLOYEE BENEFITS:

Other Employee Benefits such as Leave Fare Concession (LFC), Silver Jubilee Award, etc. are provided for based on actuarial valuation.

In respect of overseas branches and offices, the benefits in respect of employees other than those on deputation are valued and accounted for as per laws prevailing in the respective countries.

9. TRANSLATION OF FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS & BALANCES:

Transactions involving foreign exchange are accounted for in accordance with AS 11, 'The Effect of Changes in Foreign Exchange Rates'.

9.1 Except advances of erstwhile London branches which are accounted for at the exchange rate prevailing on the date of parking in India, all other monetary assets and liabilities, guarantees, acceptances, endorsements and other obligations are translated in Indian Rupee equivalent at the exchange rates prevailing as on the Balance Sheet date as per Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI) guidelines.

9.2 Non-monetary items other than fixed assets which are carried at historical cost are translated at exchange rate prevailing on the date of transaction.

9.3 Outstanding Forward exchange spot and forward contracts are translated as on the Balance Sheet date at the rates notified by FEDAI and the resultant gain/loss on translation is taken to Profit & Loss Account.

Foreign exchange spot/forward contracts/deals (Merchant and Inter-bank) which are not intended for trading/Merchant Hedge and are outstanding on the Balance Sheet date, are reverse re-valued at the closing FEDAI spot/forward rate in order to remove revaluation effect on exchange profit. The premium or discount arising at the inception of such a forward exchange contract is amortized as interest expense or income over the life of the contract.

9.4 आय तथा व्यय की मदें लेन–देन की तारीख को प्रचलित विदेशी विनिमय दर पर परिवर्तित की जाती हैं ।

मौद्रिक मदों के निपटान पर उनसे भिन्न दरों पर उत्पन्न विनिमय अंतर जिन पर वे शुरूआत में दर्ज किए गए थे, उस अवधि के लिए जिनमें वे उत्पन्न हुए थे आय या व्यय के रूप में माने जाते हैं।

मुद्रा फ्यूचर व्यापार में खुली स्थिति के विनिमय दरों में परिवर्तन के कारण खाते में लाभ/हानि दैनिक आधार पर विनिमय समाशोधन गृहों के साथ निपटाए जाते हैं और ऐसे लाभ/हानि को लाभ व हानि खाते में लिया जाता है।

9.5 विदेशी शाखाएं/अपतटीय बैंकिंग इकाइयां:

i. विदेशी शाखाएं और अपतटीय बैंकिंग यूनिट के परिचालनों को "गैर समाकलित विदेशी परिचालन" में वर्गीकृत किया गया है और विदेश में प्रतिनिधि कार्यालयों के परिचालनों को "समाकलित विदेशी परिचालनों" के रूप में वर्गीकृत किया गया है ।

ii. समाकलित विदेश परिचालनों के विदेशी मुद्रा लेनदेनों को और गैर समाकलित विदेशी परिचालनों को लेखांकन मानक – 11 में दिए गए निर्धारण के अनुसार किया गया है ।

iii. गैर समाकलित परिचालनों के लाभ/हानि को विनिमय उतार–चढ़ाव प्रारक्षित निधि में जमा/नामे किया जाता है।

10. आय पर कर

आयकर व्यय बैंक न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) सहित वर्तमान कर, जहां लागू हो तथा आस्थगित कर व्यय की कुल राशि होता है । आयकर अधिनियम,1961 तथा लेखांकन मानक 22 के प्रावधानों के अनुसार ही वर्तमान कर व्यय तथा आस्थगित कर व्यय की गणना होती है। विदेश में स्थित कार्यालयों में भुगतान किए गए करों को शामिल करने के बाद आय पर कर के लिए लेखांकन किया जाता है जो कि सम्बन्धित क्षेत्राधिकार के कर नियमों पर आधारित होते हैं।

एमएटी क्रेडिट को एक परिसंपत्ति के रूप में तभी मान्यता दी जाती है जब विस्तार के लिए इस बात के ठोस प्रमाण हों कि आयकर अधिनियम, 1961 के तहत निर्दिष्ट अवधि के दौरान सामान्य आयकर का भुगतान किया जाएगा।

आस्थगित कर समायोजन में वर्ष के दौरान आस्थगित कर आस्ति या देयताओं में हुआ परिवर्तन शामिल है। आस्थगित कर आस्ति व देयता, वर्तमान वर्ष के लिए लेखांकन आय और कर योग्य आय के बीच के समय अंतराल के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए तय की जाती है। आस्थगित कर आस्ति व देयता की गणना कर की दर तथा कर नियमों का प्रयोग, जो कि तुलन पत्र तिथि में अधिनियमित या वास्तविक अधिनियमित किया गया हो, किया जाता है। आस्थगित कर आस्ति व देयता में परिवर्तन का प्रभाव लाभ व हानि खातों में दिखाई देता है। आस्थगित कर आस्ति को पहचाना जाता है तथा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर पुनः आकलित किया जाता है, जो प्रबन्धन के निर्णय पर आधारित होती है कि क्या उनकी वसूली यथोचित/वर्चुअली निश्चित मानी गई है।

9.4 Income and expenditure items are accounted for at the exchange rate prevailing on the date of transaction.

Exchange differences arising on the settlement of monetary items at rates different from those at which they were initially recorded are recognized as income or as expense in the period in which they arise.

Gains/Losses on account of changes in exchange rates of open position in currency futures trades are settled with the exchange clearing house on daily basis and such gains/losses are recognized in the Profit and Loss Account.

9.5 Offices outside India / Offshore Banking Units:

(i) Operations of foreign branches and off shore banking unit are classified as 'Non-integral foreign operations' and operations of representative offices abroad are classified as 'integral foreign operations'.

(ii) Foreign currency transactions of integral foreign operations and non-integral foreign operations are accounted for as prescribed by AS-11.

(iii) Exchange Fluctuation resulting into Profit / loss of non-integral operations is credited /debited to Exchange Fluctuation Reserve.

10. TAXES ON INCOME

Income tax expense is the aggregate amount of current tax including Minimum Alternate Tax (MAT), wherever applicable and deferred tax expense incurred by the Bank. The current tax and deferred tax are determined in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 and as per Accounting Standard 22 - Accounting for Taxes on Income respectively after taking into account taxes paid at the foreign offices, which are based on the tax laws of respective jurisdictions.

MAT credit is recognized as an asset only when and to the extent there is convincing evidence that there will be payment of normal income tax during the period specified under the Income Tax Act, 1961.

Deferred Tax adjustments comprises of changes in the deferred tax assets or liabilities during the year. Deferred tax assets and liabilities are recognized by considering the impact of timing differences between taxable income and accounting income for the current year, and carry forward losses. Deferred tax assets and liabilities are measured using tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted at the balance sheet date. The impact of changes in deferred tax assets and liabilities is recognized in the profit and loss account. Deferred tax assets are recognized and re-assessed at each reporting date, based upon management's judgment as to whether their realization is considered as reasonably/virtually certain.

11. प्रति शेयर आय

बैंक की प्रति शेयर आधारभूत और ह्रासित आय की आईसीएआई द्वारा जारी एएस 20 'प्रति शेयर आय' के अनुसार होती है। बेसिक आय प्रति शेयर की गणना वर्ष के लिए विशेषकर इक्विटी शेयरधारकों को कर के बाद शुद्ध लाभ को वर्ष के बकाया इक्विटी शेयर की भारित संख्या से भाग करके प्राप्त की जाती है।

प्रति शेयर ह्रासित आय संभावित कमजोर क्षमता को दर्शाता है जो तब हो सकता है जब वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर जारी करने के लिए प्रतिभूतियों या अन्य अनुबंधों का प्रयोग किया गया या परिवर्तित किया गया हो। प्रति शेयर ह्रासित आय की गणना इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और बकाया संभावित इक्विटी शेयरों का उपयोग करके की जाती है।

12. प्रावधान, आकस्मिक देयतायें तथा आकस्मिक आस्तियाँ

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी "एएस दू 29 प्रावधान आकस्मिक देयतायें तथा आकस्मिक आस्तियाँ" के अनुपालन में, बैंक प्रावधान को केवल तभी मान्यता देता है जब पूर्व घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व हो तथा जिसके परिणामतः धनों का सम्भावित बहिर्गमन हो, दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभ आवश्यक हो तथा जब दायित्व की विश्वसनीय राशि अनुमानित की जा सकती हो।

एक आकस्मिक देयता पैसे के संदर्भ में एक संभावित देयता है, जो अनिश्चित विशिष्ट घटना के परिणाम के आधार पर उत्पन्न हो सकती है। एक संभावित दायित्व जो भविष्य की घटना के प्रकट होने के आधार पर उत्पन्न हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, उसे आकस्मिक दायित्व के रूप में मान्यता दी गई है।

इसके अलावा, जो मामले बैंक के खिलाफ दर्ज किए गए हैं, लेकिन ऐसे मामले में बैंक पर किसी भी दायित्व के उत्पन्न होने की संभावना अल्प है, उन्हें आकस्मिक देयता में शामिल नहीं किया गया है।

वित्तीय विवरणी में आकस्मिक आस्तियों को नहीं लिया जाता है।

13. बुलियन ट्रांजेक्शनः

बैंक बुलियन का आयात करता है जिसमें ग्राहकों को प्रेषण आधार पर बेचने के लिए बहुमूल्य मेटल बार शामिल है। आयात विशेषतः बैंक – टू – बैंक आधार पर होता है तथा ग्राहक को उसका मूल्य सप्लायर द्वारा अंकित मूल्य पर देना होता है। इन बुलियन ट्रांजेक्शनों में बैंक शुल्क अर्जित करता है। शुल्क को कमीशन आय के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। बैंक स्वर्ण को जमा व उस पर ऋण देता है जिसे प्रदत्त / प्राप्त ब्याज के साथ ब्याज व्यय/आय के रूप में वर्गीकृत मामले के आधार पर जमाराशि / अग्रिम की तरह माना जाता है।

14. खंडवार रिपोर्टिंगः

बैंक, आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार तथा आईसीएआई द्वारा जारी एकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 की अनुपालना में बिजनेस खंड की पहचान प्राथमिक रिपोर्टिंग खंड तथा भौगोलिक खंड को द्वितीय रिपोर्टिंग खंड के रूप में करता है।

11. EARNINGS PER SHARE:

The Bank reports basic and diluted earnings per share in accordance with AS 20 - 'Earnings per Share' issued by the ICAI. Basic Earnings per Share is computed by dividing the Net Profit after Tax for the year attributable to equity shareholders by the weighted average number of equity shares outstanding for the year.

Diluted Earnings per Share reflects the potential dilution that could occur if securities or other contracts to issue equity shares were exercised or converted during the year. Diluted Earnings per Share is computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding.

12. PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS:

In conformity with AS 29, 'Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets', issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the Bank recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, and it is probable that outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

A Contingent Liability is a potential liability, in terms of money, which may arise depending on the outcome of an uncertain specific event. A possible obligation which may or may not arise depending on how a future event unfolds has been recognized as Contingent Liability.

Further, the cases which although have been filed against the Bank, but possibility of any obligation arising upon the Bank in those case is remote, have not been construed and included in Contingent Liability.

Contingent Assets are not recognized in the financial statements.

13. BULLION TRANSACTIONS:

The Bank imports bullion including precious metal bars on a consignment basis for selling to its customers. The imports are typically on a back-to-back basis and are priced to the customer based on price quoted by the supplier. The Bank earns a fee on such bullion transactions. The fee is classified under commission income. The Bank also accepts deposits and lends gold, which is treated as deposits/advances as the case may be with the interest paid / received classified as interest expense/income.

14. SEGMENT REPORTING:

The Bank recognizes the Business segment as the Primary reporting segment and Geographical segment as the Secondary reporting segment, in accordance with the RBI guidelines and in compliance with the Accounting Standard 17 issued by ICAI.

15. दिनांक 7 अप्रैल, 2016 के आरबीआई परिपत्र सं. FIDD.CO.Plan.BC.23/ 04.09.01 2015-16 के अनुसार बैंक, पीएसएलसी का विक्रय या क्रय कर प्राथमिकता क्षेत्र के पोर्टफोलियो में व्यापार करता है। इन लेनदेन में जोखिमों या ऋण आस्तियों का कोई अंतरण नहीं है। पीएसएलसी की खरीद के लिए भुगतान किया गया शुल्क 'व्यय' के रूप में माना जाता है और पीएसएलसी की बिक्री से प्राप्त शुल्क को 'अन्य आय' के रूप में माना जाता है।

16. नकद और नकद समकक्ष

नकद और नकद समतुल्य में शामिल है:-

ए) आरबीआई के पास नकद और जमा शेष, बैंकों के साथ जमा शेष और मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि।

बी) रिवर्स रेपो में शेष राशि आरबीआई द्वारा उनके परिपत्र दिनांक 19.05.2022 (अर्थात अनुसूची 6, अनुसूची 7 और अनुसूची 9 के तहत, जैसा लागू हो) द्वारा प्रदान किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार रिपोर्ट की जाती है। स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) के तहत बैंक द्वारा रखी गई शेष राशि को भी इसी तरह रिपोर्ट किया जाता है।

****

15. The Bank, in accordance with RBI Circular FIDD.CO.Plan.BC.23/ 04.09.01/ 2015-16 dated April 7, 2016, trades in Priority Sector portfolio by selling or buying PSLC. There is no transfer of risks or loan assets in these transactions. The fee paid for purchase of the PSLC is treated as an 'Expense' and the Fee received from sale of PSLCs is treated as 'Other Income'.

16. CASH & CASH EQUIVALENTS

Cash and cash equivalents include:

a) Cash and Balances with RBI, Balances with Bank and money at call and short notice.

b) The balances in Reverse Repo are reported as per the guidelines provided by RBI vide its circular dated 19.05.2022 (i.e. under schedule 6, schedule 7 and schedule 9, as applicable). The balance held by the Bank under Standing Deposit Facility (SDF) is also reported similarly.

****

अनुसूची 18 : लेखों से संबंधित टिप्पणियां (एकल) – 31.03.2023

1. विनियामक पूंजी

1. ए) नियामक पूंजी की संरचना (राशि ₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
i)	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी 1) (कटौती का शुद्ध, यदि कोई हो)	73927.95	63430.05
ii)	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी	9677.73	7027.87
iii)	टियर 1 पूंजी (i + ii)	83605.67	70457.92
iv)	टियर 2 पूंजी	18551.14	16652.74
v)	कुल पूंजी (टियर 1+ टियर 2)	102156.81	87110.66
vi)	कुल जोखिम भारित आस्तियां (आरडब्ल्यूए)	658981.51	600821.23
vii)	सीईटी 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में सीईटी 1)	11.22%	10.56%
viii)	टियर 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टीयर 1 पूंजी)	12.69%	11.73%
ix)	टियर 2 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टीयर 2 पूंजी)	2.81%	2.77%
x)	पूंजी से जोखिम भारित आस्तियों का अनुपात (सीआरएआर) (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में कुल पूंजी)	15.50%	14.50%
xi)	लीवरेज अनुपात	4.75%	4.27%
xii)	भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत	73.15%	73.15%
xiii)	वर्ष के दौरान जुटाई गई प्रदत्त इक्विटी पूंजी की राशि	शून्य	1793.05*
xiv)	वर्ष के दौरान जुटाई गई गैर-इक्विटी टियर 1 पूंजी की राशि, जिसमें: ए) बेसल III अनुरूप सतत गैर-संचयी अधिमानी शेयर, बी) बेसल III अनुरूप, सतत ऋण लिखत	4214.00 शून्य 4214.00	3971.00 शून्य 3971.00
xv)	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के दौरान जुटाई गई टियर 2 पूंजी की राशि, जिसमें से बेसल III के अनुरूप ए) टीयर 2 पूंजी के रूप में ऋण पूंजी लिखत बी) सतत संचयी अधिमानी शेयर सी) प्रतिदेय गैर-संचयी अधिमानी शेयर डी) प्रतिदेय संचयी अधिमान शेयर	4000.00 4000.00 शून्य शून्य शून्य	1919.00 1919.00 शून्य शून्य शून्य

(*क्यूआईपी के माध्यम से)

SCHEDULE 18: NOTES TO ACCOUNTS (STANDALONE) – 31.03.2023

1. Regulatory Capital

1. a) Composition of Regulatory Capital (Amount in ₹ Crore)

Sr. No.	Particulars	Current Year	Previous Year
i)	Common Equity Tier 1 capital (CET 1) (net of deductions, if any)	73927.95	63430.05
ii)	Additional Tier 1 capital	9677.73	7027.87
iii)	Tier 1 capital (i + ii)	83605.67	70457.92
iv)	Tier 2 capital	18551.14	16652.74
v)	**Total capital (Tier 1+Tier 2)**	**102156.81**	**87110.66**
vi)	Total Risk Weighted Assets (RWAs)	658981.51	600821.23
vii)	CET 1 Ratio (CET 1 as a percentage of RWAs)	11.22%	10.56%
viii)	Tier 1 Ratio (Tier 1 capital as a percentage of RWAs)	12.69%	11.73%
ix)	Tier 2 Ratio (Tier 2 capital as a percentage of RWAs)	2.81%	2.77%
x)	Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) (Total Capital as a percentage of RWAs)	15.50%	14.50%
xi)	Leverage Ratio	4.75%	4.27%
xii)	Percentage of the shareholding of Government of India	73.15%	73.15%
xiii)	Amount of paid-up equity capital raised during the Year	Nil	1793.05*
xiv)	Amount of non-equity Tier 1 capital raised during the Year, of which: a) Basel III compliant Perpetual Non-Cumulative Preference Shares, b) Basel III compliant, Perpetual Debt Instruments	4214.00 NIL 4214.00	3971.00 NIL 3971.00
xv)	Amount of Tier 2 capital raised during the Year, ended 31.03.2023, of which Basel III compliant: a) Debt Capital Instruments as Tier 2 Capital b) Perpetual Cumulative Preference Shares c) Redeemable Non-Cumulative Preference Shares d) Redeemable Cumulative Preference Shares	4000.00 4000.00 NIL NIL NIL	1919.00 1919.00 NIL NIL NIL

(* Through QIP)

31.03.2022 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएं जारी करना) विनियम, 2018, के प्रावधानों के अनुसार, मई 2021 में अर्हित संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी) के अनुसार योग्य पात्र खरीदारों को नकद के लिए, यथासंशोधित, ₹31.75 प्रतिशेयर के प्रीमियम पर कुल ₹1,800.00 करोड़ के प्रति ₹2 के अंकित मूल्य वाले 53,33,33,333 इक्विटी शेयर जारी किए हैं। इसके परिणामस्वरूप जारी और चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में ₹106.67 करोड़ और शेयर प्रीमियम खाते में ₹1,866.38 करोड़ (निर्गम व्यय का निवल) की वृद्धि हुई है।

नोट: सीईटी I पूंजी में ₹ 9268.29 करोड़ समामेलन निधियां शामिल हैं।

आरबीआई ने परिपत्र संख्या DOR.No.CAP.REC.3e21.06.201e2022-23 दिनांक 1 अप्रैल, 2022 के माध्यम से सीईटी–1 पूंजी अनुपात के रूप में पूंजी पर्याप्तता अनुपात की गणना के उद्देश्य से बैंकों को पुनर्मूल्यांकन रिजर्व, विदेशी मुद्रा ट्रांसलेशन रिजर्व और आस्थगित कर आस्ति पर विचार करने का विवेकाधिकार दिया है। बैंक ने उपरोक्त गणना में विकल्प का प्रयोग किया है।

1. बी) प्रारक्षित निधियों से राशि निकालना

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.सं.	प्रारक्षित निधि	आहरित राशि	प्रयोजन
1.	एक्सचेंज उता-चढ़ाव आरक्षित निधि	285.18 (4.30)	हांगकांग शाखा में परिचालन बंद होने के कारण निकासी
2.	पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधियां	376.01 (7.18)	पुनर्मूल्यांकित संपत्ति की वहन लागत में कमी
3.	अन्य आरक्षित निधियां	0.00 (1028.95)	धोखाधड़ी की रिपोर्ट किए गए खातों पर रियायत

During the year ended 31.03.2022 Bank had issued 53,33,33,333 equity shares having Face Value of Rs.2 each for cash to Qualified Eligible Buyers pursuant to Qualified Institutional Placement (QIP), in May 2021, in accordance with the provisions of Securities & Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, as amended, at a premium of ₹31.75 per share aggregating ₹1,800.00 Crore. This has resulted in an increase of Rs.106.67 Crore in the issued and paid up Equity Share Capital and ₹1,866.38 Crore (Net of share Issue Expenses) in Share Premium Account).

Note: CET I Capital includes Amalgamation Reserve ₹9268.29 Crore.

RBI vide circular no. DOR.No.CAP.REC.3/21.06.201/2022-23 dated 1st April, 2022 has given discretion to banks to consider Revaluation Reserve, Foreign Currency Translation Reserve and Deferred Tax Asset for purpose of computation of Capital Adequacy as CET-1 capital ratio. The Bank has exercised the option in the above computation.

1. b) Draw down from Reserves

(Amount in ₹ Crore)

Sr. No.	Reserves	Amount drawn	Purpose
1.	Exchange Fluctuation Reserve	285.18 (4.30)	Withdrawal on account of closure of operation at Hong Kong Branch
2.	Revaluation Reserves	376.01 (7.18)	Reduction in carrying cost of revalued property
3.	Other Reserves	0.00 (1028.95)	Dispensation on Fraud reported accounts

2. आस्ति देयता प्रबंधन

1. ए) आस्तियों और देयताओं की कुछ मदों के परिपक्वतास्वरूप

(राशि ₹ करोड़ में)

	जमाराशियाँ Deposits	अग्रिम Advance	निवेश (सकल) / Investments	उधार / Borrowings	विदेशी मुद्रा आस्तियां / Foreign Currency assests	विदेशी मुद्रा देयताएं / Foreign Currency liabilities
1 दिन	13519.24	9979.58	0.00	977.62	11891.37	34928.02
	(14555.40)	(2209.36)	(0.00)	(5622.46)	(8886.62)	(1508.48)
2 से 7 दिन	26725.83	14502.50	1026.87	780.65	4268.95	3853.94
	(25946.99)	(17764.11)	(943.37)	(0.31)	(2733.67)	(2024.12)
8 से 14 दिन	25535.79	14875.09	2588.48	629.81	2188.94	1840.57
	(11054.33)	(7989.58)	(289.68)	(192.94)	(2712.47)	(1302.17)
15 से 30 दिन	46173.15	70595.39	2110.34	1643.40	4693.79	6088.86
	(15387.37)	(25184.83)	(793.53)	(29.41)	(4013.43)	(790.03)
31 दिन से 2 माह	40611.38	48231.89	4646.06	1168.67	11128.81	10476.81
	(35843.86)	(33294.94)	(937.28)	(1506.98)	(12715.05)	(11840.79)
2 माह से अधिक और 3 माह तक	37209.54	44123.99	1694.28	1886.67	5410.40	7012.05
	(32754.19)	(48216.30)	(962.71)	(195.95)	(1752.82)	(4709.84)
3 माह से अधिक और 6 माह तक	68095.19	59038.95	2198.18	1275.63	10504.41	7216.06
	(59117.68)	(23407.53)	(7864.17)	(763.75)	(14013.11)	(3128.37)
6 माह से अधिक और 1 वर्ष तक	106622.66	55635.62	9592.29	5960.44	10998.42	7372.68
	(73490.83)	(53213.06)	(12422.43)	(2379.20)	(3550.94)	(1542.00)
1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	164915.71	170774.92	33549.94	15153.45	19260.06	12588.81
	(145582.01)	(122876.22)	(29161.45)	(13422.28)	(15991.13)	(12284.83)
3 से अधिक और 5 वर्ष तक	392696.69	222016.97	54102.41	17.47	13796.90	5875.23
	(384455.83)	(276319.46)	(51322.61)	(5326.06)	(15908.45)	(6717.89)
5 वर्ष से अधिक	359057.92	121059.08	293921.72	21797.92	2012.79	2283.10
	(348029.96)	(117710.39)	(274695.83)	(16243.07)	(2166.00)	(2757.34)
कुल	1281163.11	830833.98	405430.57	51291.73	96154.84	99536.14
	(1146218.45)	(728185.68)	(379391.06)	(45681.41)	(84442.69)	(48605.86)

2. Asset liability management

2. a) Maturity Pattern of certain items of assets and liabilities

(Amount in ₹ crore)

	Deposits	Advances	Investments (Gross)	Borrowings	Foreign Currency assets	Foreign Currency liabilities
Day 1	13519.24	9979.58	0.00	977.62	11891.37	34928.02
	(14555.40)	(2209.26)	(0.00)	(5622.46)	(8886.62)	(1508.48)
2 to 7 days	26728.83	14502.50	1026.87	780.65	4268.95	3853.94
	(25946.99)	(17764.11)	(943.37)	(0.31)	(2733.67)	(2024.12)
8 to 14 days	25536.79	14675.09	2566.48	629.61	2168.94	1640.57
	(11054.33)	(7989.58)	(289.68)	(192.94)	(2712.47)	(1302.17)
15 to 30 Days	46173.15	70595.39	2110.34	1643.40	4693.79	6088.86
	(15367.37)	(25184.63)	(793.53)	(29.41)	(4013.43)	(790.03)
31 days to 2 months	40611.38	48231.89	4646.06	1166.67	11128.81	10476.81
	(35643.86)	(33294.94)	(937.28)	(1506.98)	(12715.05)	(11840.79)
Over 2 months and to 3 months	37209.54	44123.99	1694.28	1686.67	5410.40	7012.05
	(32754.19)	(48216.30)	(962.71)	(195.95)	(1752.82)	(4709.84)
Over 3 months and up to 6 Months	68095.19	59038.95	2188.18	1275.63	10504.41	7218.06
	(69117.68)	(23407.53)	(7864.17)	(763.75)	(14013.11)	(3128.37)
Over 6 months and up to 1 year	106622.66	55635.62	9592.29	5960.44	10998.42	7372.88
	(73490.83)	(53213.06)	(12422.43)	(2379.20)	(3550.94)	(1542.00)
Over 1 year and up to 3 years	164915.71	170774.92	33549.94	15153.45	19260.06	12568.81
	(145582.01)	(122876.22)	(29161.45)	(13422.28)	(15991.13)	(12284.83)
Over 3 years and up to 5 years	392696.69	222016.97	54102.41	17.47	13796.90	5875.23
	(384455.83)	(276319.46)	(51322.61)	(6325.06)	(15908.45)	(6717.89)
Over 5 years	359057.92	121059.08	293921.72	21797.92	2012.79	2283.10
	(348029.96)	(117710.39)	(274695.63)	(16243.07)	(2165.00)	(2757.34)
Total	**1281163.11**	**830833.98**	**405430.57**	**51291.73**	**96154.84**	**99536.14**
	(1146218.45)	**(728185.68)**	**(379393.06)**	**(45681.41)**	**(84442.69)**	**(48605.86)**

2 बी) चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर)

चलनिधि कवरेज अनुपात पर गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक ने 1 जनवरी, 2015 से चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) पर आरबीआई के दिशानिर्देशों का क्रियान्वयन किया है।

एलसीआर मानक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक के पास पर्याप्त मात्रा में भार रहित उच्च गुणवत्ता पूर्ण चलनिधि आस्तियां रहीं जिससे कि चलनिधि दबावग्रस्त परिदृश्य के अंतर्गत 30 दिनों के लिए चलनिधि आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए कम हानि पर/बिना किसी हानि के पहुंचाते हुए आसानी से नकदी में परिवर्तित किया जा सके।

एलसीआर के दो घटक है:

i. उच्च गुणवत्ता पूर्ण चलनिधि आस्तियों के स्टॉक का मूल्य (एचक्यूएलए) –द न्यूमरेटर।
ii. कुल निवल नकदी प्रवाह: 30 दिनों के लिए दबाव परिदृश्य में कुल अनुमानित नकदी का बहिर्गमन घटाव कुल अनुमानित नकदी का आगमन (इनफ्लो) – द डिनोमिनेटर

एलसीआर की परिभाषा :

उच्च गुणवत्तापूर्ण चलनिधि आस्तियों का स्टॉक (एचक्यूएलएएस) / अगले 30 दिनों के पश्चात् कुल शुद्ध नकदी बहिर्गमन	≥100% (01.04.2021से प्रभावी)

नीचे दिए न्यूनतम आवश्यक स्तर की समय सीमा के साथ बैंक पर एलसीआर की आवश्यकता एक बाध्यता बन गई है:

	1 जनवरी, 2015	1 जनवरी, 2016	1 जनवरी, 2017	1 जनवरी, 2018	1 जनवरी, 2019
न्यूनतम एलसी. आर	60%	70%	80%	90%	100%

वित्तीय वर्ष 2022–23 की चतुर्थ तिमाही के लिए, 100% विनियामक अपेक्षाओं के समेकित स्तर पर दैनिक औसत एलसीआर 162.29% (दैनिक अवलोकनों के साधारण औसत पर आधारित) रहा।

बैंक के एलसीआर का मुख्य घटक: पर्याप्त उच्च गुणवत्ता पूर्ण चलनिधि आस्तियां हैं (एचक्यूएलए) जिससे हर समय बैंक की चलनिधि आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके तथा खुदरा एवं छोटे कारोबारी ग्राहकों को बुनियादी वित्तपोषण किया जा सके। बैंक के कुल जमा पोर्टफोलियो का लगभग 67.18% खुदरा और छोटे कारोबारी ग्राहक योगदान करते हैं जो 31.03.2023 को 5/10% का रन ऑफ फैक्टर आकर्षित करता है।

उच्च गुणवत्ता पूर्ण चल आस्ति की संरचना(एचक्यूएलए)

एचक्यूएलए में स्तर 1 व स्तर 2 आस्तियां समाविष्ट हैं। स्तर 2 आस्तियों को उनकी बाजार क्षमता और कीमत अस्थिरता को ध्यान में रखते हुए स्तर 2ए एवं स्तर 2 बी में विभाजित किया गया है।

स्तर 1 – आस्तियां वे आस्तियां हैं जो उच्चग्राही हैं। 31 मार्च, 2023 को समाप्त तिमाही के लिए स्तर 1 आस्तियों में हाथ में नकदी, अधिक सी.

2 b) Liquidity coverage ratio (LCR)

QUALITATIVE DISCLOSURE ON LIQUIDITY COVERAGE RATIO

The bank has implemented RBI guidelines on Liquidity Coverage Ratio (LCR) from 1st January 2015.

The LCR standard aims to ensure that a bank maintains an adequate level of unencumbered High Quality Liquid Assets (HQLAs) that can be readily converted into cash at little/no loss of value to meet its liquidity needs for a 30 calendar day time horizon under a liquidity stress scenario.

LCR has two components:

i. The value of the stock of High Quality Liquid Assets (HQLA)–The Numerator.
ii. Total Net Cash Outflows: Total expected cash outflows minus Total expected cash inflows, in stress scenario, for the subsequent 30 calendar days - The denominator.

Definition of LCR:

$$\frac{\text{Stock of high quality liquid assets (HQLAs)}}{\text{Total net cash outflows over the next 30 calendar days}} \geq \text{100\% (w.e.f 01.04.2021)}$$

The LCR requirement has become binding on the banks with the following minimum required level as per the time-line given below:

	Jan 1, 2015	Jan 1, 2016	Jan 1, 2017	Jan 1, 2018	Jan 1, 2019
Minimum LCR	60%	70%	80%	90%	100%

For Q4 FY'2022-23, the daily average LCR was 162.29% (based on simple average of daily observations) at consolidated level, as against the regulatory requirement of 100%.

The main drivers of LCR of the bank are High Quality Liquid Assets (HQLAs) to meet liquidity needs of the bank at all times and basic funding from retail and small business customers. The retail and small business customer's contribute about 67.18% of total deposit portfolio of the bank, which attracts low run-off factor of 5/10% as on 31.03.2023.

Composition of High Quality Liquid Assets (HQLA)

HQLAs comprises of Level 1 and Level 2 assets. Level 2 assets are further divided into Level 2A and Level 2B assets, keeping in view their marketability and price volatility.

Level-1assets are those assets which are highly liquid. For quarter ended March 31, 2023, the Level-1 asset of the bank includes Cash in Hand, Excess CRR, Government Securities in excess of minimum SLR, Marketable securities issued or guaranteed by foreign sovereign, MSF and FALLCR totalling to Rs. 286489.39 cr (based on simple average of daily observations).

आरआर का, न्यूनतम एसएलआर से अधिक सरकारी प्रतिभूतियाँ, विदेशी सॉवरेन द्वारा जारी या गारंटी प्रदत्त विपणन योग्य प्रतिभूतियाँएमएसएफ व एफएएलएलसीआर जिनका मूल्य 286489.39 करोड़ (दैनिक अवलोकनों के साधारण औसत पर आधारित) है।

स्तर 2ए व 2बी वे आस्तियां हैं जो न्यून प्रवाही हैं और जिनकी भार राशि ₹ 8772.41 करोड़ (दैनिक अवलोकनों के साधारण औसत पर आधारित) है। मार्च, 2023 को समाप्त तिमाही के दौरान दैनिक अवलोकन औसत एचक्यूएलए का अलग– अलग विवरण निम्नानुसार दिया गया है:

उच्च गुणवत्ता चलनिधि आस्तियाँ (एचक्यूएलए)	एचक्यूएलए में औसतन योगदान %
स्तर 1 आस्तियां	
हाथ में नकदी	3.06%
अतिरिक्त सीआरआर शेष	0.54%
आवश्यक न्यूनतम एसएलआर के अतिरिक्त सरकारी प्रतिभूतियाँ	24.31%
अनिवार्य आवश्यकताओं एसएलआर के भीतर सरकारी प्रतिभूतियाँ एमएसएफ के अंतर्गत आरबीआई द्वारा (वर्तमान में एनडीटीएल का 2 प्रतिशत की सीमा तक) स्वीकृत सीमा तक	7.60%
बेसल II मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत 0% जोखिम भार वाली विदेशी स्वायत्तों द्वारा जारी या गारंटी की गई विपणनयोग्य प्रतिभूतियाँ	0.77%
चलनिधि कवरेज अनुपात के लिए चलनिधि लेने की सुविधा – एफएएलएलसीआर (वर्तमान में एनडीटीएल के 16% तक)	60.75%
कुल स्तर 1 आस्तियाँ	97.03%
कुल स्तर 2ए आस्तियाँ	2.85%
कुल स्तर 2बी आस्तियाँ	0.12%
एचक्यूएलए का कुल स्टाक	100.00%

निधीयन स्रोतों का संकेन्द्रण

इस मैट्रिक में उन निधियों के स्रोतों जिनका आहरण चलनिधि जोखिमों के अधीन है, शामिल है। इसका उद्देश्य प्रत्येक महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष और प्रत्येक महत्वपूर्ण उत्पाद/लिखत से अपेक्षित इसके निधीयन की निगरानी द्वारा बैंक के निधीयन संकेन्द्रण को व्यक्त करना है. भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार "महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष/लिखत/उत्पाद" को एकल प्रतिपक्ष लिखत/उत्पाद या बैंक के कुल दायित्व का 1% से अधिक दायित्व वाले प्रतिपक्षों से जुड़े या सम्बद्ध समूह के रूप में परिभाषित किया गया है।

31.03.2023 तक बैंक के पास कोई महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष (जमा /उधार) नहीं है। बैंक के शीर्ष 20 जमाकर्ताओं का 31 मार्च 2023 तक बैंक की कुल देयता का 4.66% है। महत्वपूर्ण उत्पाद / साधन में बचत निधि, चालू जमाराशि, और स्थायी मियादी जमाराशि शामिल है जो कि व्यापक रूप से फैला हुआ है और बैंक के लिए संकेन्द्रण जोखिम को सृजित नहीं

Level-2A & 2B assets are those assets which are less liquid and their weighted amount comes to Rs. 8772.41 cr (based on simple average of daily observations). Break-up of daily observation Average HQLA during quarter ended Mar, 2023 is given hereunder:

High Quality Liquid Assets (HQLAs)	Average %age contribution to HQLA
Level 1 Assets	
Cash in hand	3.06%
Excess CRR balance	0.54%
Government Securities in excess of minimum SLR requirement	24.31%
Government securities within the mandatory SLR requirement, to the extent allowed by RBI under MSF (presently to the extent of 2 per cent of NDTL)	7.60%
Marketable securities issued or guaranteed by foreign sovereigns having 0% risk-weight under Basel II Standardized Approach	0.77%
Facility to avail Liquidity for Liquidity Coverage Ratio – FALLCR (presently to the extent of 16 per cent of NDTL)	60.75%
Total Level 1 Assets	**97.03%**
Total Level 2A Assets	**2.85%**
Total Level 2B Assets	**0.12%**
Total Stock of HQLAs	**100.00%**

Concentration of Funding Sources

This metric includes those sources of funding, whose withdrawal could trigger liquidity risks. It aims to address the funding concentration of bank by monitoring its funding requirement from each significant counterparty and each significant product/instrument. As per RBI guidelines, a "significant counterparty/Instrument/product" is defined as a single counterparty/Instrument/product or group of connected or affiliated counter-parties accounting in aggregate for more than 1% of the bank's total liabilities.

The bank has no significant counterparty (deposits/borrowings) as at 31.03.2023. Top 20 depositors of the bank constitute 4.66% of bank's total Deposit as on Mar 31, 2023. The significant product/instrument include Saving Fund, Current deposit and Core Term Deposit the funding from which are widely spread and cannot create concentration risk for the bank.

Derivative exposure

The bank has low exposure in derivatives having negligible

कर सकता है।

व्युत्पन्न एक्सपोजर

बैंक के पास व्युत्पन्न में कम एक्सपोजर है, जो कि फलस्वरूप तरलता पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं डालता है।

मुद्रा असंतुलन

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, मुद्रा महत्वपूर्ण मानी जाती है यदि उस मुद्रा की कुलदेयता बैंक की कुलदेयता का 5 प्रतिशत या इससे अधिक है। हमारे मामले में, इस मानक पर केवल यूएसडी (बैंक की कुल देयताओं का 18.11%) आती है जिसका एलसीआर होरिजन में कुल बाह्य प्रवाह पर प्रभाव प्रबंधित किया जा सकता है क्योंकि बैंक के तुलन पत्र के आकार को देखते हुए इसका प्रभाव बहुत ही कम है।

समूह की इकाइयों के बीच तरलता प्रबंधन और अंतः क्रिया के केंद्रीकरण का स्तर

समूह इकाइयाँ स्वयं तरलता का प्रबंधन कर रही हैं। बैंक ने तनाव की अवधि में समूह की तरलता की आवश्यकता का ध्यान रखने के लिए एक समूह-व्यापी आकस्मिक निधि योजना बनाई है।

impact on its liquidity position.

Currency Mismatch

As per RBI guidelines, a currency is considered as "significant" if the aggregate liabilities denominated in that currency amount to 5 per cent or more of the bank's total liabilities. In our case, only USD (18.11 % of bank's total liabilities) falls in this criteria whose impact on total outflows in LCR horizon can be managed easily as the impact is not large considering the size of balance sheet of the bank.

Degree of centralization of liquidity management and interaction between group's units

The group entities are managing liquidity on their own. However, the bank has put in place a group-wide contingency funding plan to take care of liquidity requirement of the group as a whole in the stress period.

चलनिधि कवरेज अनुपात पर मात्रात्मक प्रकटीकरण

(राशि ₹ करोड़ में)

		मार्च 23 को समाप्त तिमाही		दिसम्बर 22 को समाप्त तिमाही		सितम्बर 22 को समाप्त तिमाही		जून 22 को समाप्त तिमाही		मार्च 22 को समाप्त तिमाही	
		कुल अभारित मूल्य (औसत)*	कुल भारित मूल्य (औसत)*	कुल अभारित मूल्य (औसत)*	कुल भारित मूल्य (औसत)*	कुल अभारित मूल्य (औसत)*	कुल भारित मूल्य (औसत)*	कुल अभारित मूल्य (औसत)*	कुल भारित मूल्य (औसत)*	कुल अभारित मूल्य (औसत)*	कुल भारित मूल्य (औसत)*
	दैनिक आंकड़ों की साधारण औसत के आधार पर	60 डेटापाइंट		62 डेटापाइंट		65 डेटापाइंट		63 डेटापाइंट		62 डेटापाइंट	
उच्च गुणवत्तापूर्ण तरल आस्ति											
1	कुल उच्च गुणवत्तापूर्ण तरल आस्ति (एचक्यूएलए)		295234.55		283378.98		276290.74		279182.04		300316.25
नकद बहिर्वाह											
2	छोटे व्यवसाय के ग्राहकों से खुदरा जमा और जमा, जिनमें से	840710.12	79289.81	811581.31	76438.07	800019.92	75312.13	797079.41	74905.50	786357.93	73890.05
(i)	स्थिर जमा	95624.11	4781.21	95001.14	4750.06	94181.31	4709.07	95573.53	4777.41	95516.71	4775.84
(ii)	कम स्थिर जमा	745086.01	74508.60	716580.17	71658.01	705828.61	70607.06	701539.78	70222.65	690841.22	69084.12
3	अप्रतिभूत थोक निधियन, जिनमें से:	240182.41	129990.16	242188.13	128528.84	211104.69	110201.77	211697.34	109487.01	208070.77	104212.80
(i)	परिचालन जमा (सभी प्रतिपक्ष)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(ii)	गैर-परिचालन जमा (सभी प्रतिपक्ष)	240182.41	129990.16	242188.12	128528.84	211104.69	110201.77	211697.34	109487.01	208070.77	104212.80
(iii)	अप्रतिभूत ऋण	0	0	0.01	0	0	0	0	0	0	0
4	प्रतिभूत थोक निधि पोषण		0		0		0		0		0
5	अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिनमें से	52941.51	5650.03	85643.50	7068.07	101588.15	8381.01	91510.48	9049.17	90607.79	7730.60
(i)	व्युत्पन्न एक्सपोजर और अन्य संपार्श्विक आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्वाह	321.07	321.02	325.88	323.98	207.22	207.22	1036.11	1080.79	355.17	355.17
(ii)	ऋण उत्पादों पर वित्त पोषण की हानि से संबंधित बहिर्वाह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(iii)	ऋण और चलनिधि सुविधाएं	82015.69	5328.41	85318.34	5744.09	101380.93	8154.08	90480.37	7368.38	90252.33	7394.63
6	अन्य संविदात्मक वित्तपोषण दायित्व	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	अन्य आकस्मिक वित्तपोषण दायित्व	143738.78	8085.78	43582.55	2164.3	85418.4	4036.31	96938.13	3222.87	97196.33	3583.73
8	कुल नकदी का बहिर्गमन		223218.79		217290.20		187515.12		186798.45		186895.69
नकदी अंतर्वाह											
9	प्रतिभूत ऋण (जैसे रिवर्स रेपो)	3148.77	0	1001.37	0	2471.56	0	14580.60	0	35530.75	0
10	पूरी तरह से निष्पादन करने वाले जोखिम से अंतर्वाह	40855.09	33053.53	35684.9	30018.55	28710.43	24028.77	28632.03	23909.35	25408.4	22941.9
11	अन्य नकदी अंतर्वाह	8228.79	8228.79	7974.39	7974.39	4934.95	4934.95	3737.76	3737.35	3368.37	3368.37
12	कुल नकदी अंतर्वाह	52233.25	41282.32	44660.66	37992.94	36116.94	28963.72	46749.48	27646.6	64308.52	26311.27
13	कुल एचक्यूएलए		295234.55		283378.98		276290.74		279182.04		300316.25
14	कुल निवल नकदी बहिर्वाह		181933.47		179303.34		158380.40		159112.83		163294.82
15	चलनिधि कवरेज अनुपात (%)		162.28		158.04		174.45		175.47		183.91

*पिछली तिमाही की तुलना में दैनिक प्रेक्षणों का साधारण औसत।

QUANTITATIVE DISCLOSURE ON LIQUIDITY COVERAGE RATIO

(Amount in ₹ Crore)

		Quarter Ended March' 23		Quarter Ended December' 22		Quarter Ended September' 22		Quarter Ended June' 22		Quarter Ended March' 22	
		Total Unweighted Value (average)*	Total Weighted Value (average)*	Total Unweighted Value (average)*	Total Weighted Value (average)*	Total Unweighted Value (average)*	Total Weighted Value (average)*	Total Unweighted Value (average)*	Total Weighted Value (average)*	Total Unweighted Value (average)*	Total Weighted Value (average)*
	Based on the simple average of daily observations	83 Data Points		82 Data Points		85 Data Points		83 Data Points		82 Data Points	
	High Quality Liquid Assets										
1	Total High Quality Liquid Assets (HQLA)		295254.95		283376.98		276293.74		279152.54		300318.26
	Cash Outflows										
2	Retail deposits and deposits from small business customers of which :	840710.12	79389.81	811881.31	76436.07	800218.92	75312.13	787575.41	74999.50	785357.93	73859.98
(i)	Stable deposits	95624.11	4781.21	95331.14	4780.06	94191.31	4709.57	95575.63	4777.41	95516.71	4775.84
(ii)	Less stable deposits	745086.01	74508.60	716880.17	71688.01	706026.61	70602.66	701999.78	70222.09	690841.22	69084.12
3	Unsecured wholesale funding, of which	240182.41	129990.16	242188.13	128625.84	211104.69	110201.77	211697.34	108487.91	208070.77	104213.60
(i)	Operational deposits (all counterparties)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	Non-operational deposits (all counterparties)	240182.41	129990.16	242188.12	128625.84	211104.69	110201.77	211697.34	108487.91	208070.77	104212.60
(iii)	Unsecured debt	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Secured wholesale funding		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
5	Additional requirements, of which	52241.31	5850.03	85643.62	7068.07	101588.15	8361.91	92119.48	9049.17	96617.79	7760.80
(i)	Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	221.62	221.62	323.98	323.98	207.22	207.22	1639.11	1660.79	366.17	366.17
(ii)	Outflows related to loss of funding on debt products	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii)	Credit and liquidity facilities	52019.69	5628.41	85319.54	6744.09	101380.93	8154.69	90480.37	7388.38	96252.62	7394.63
6	Other contractual funding obligations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Other contingent funding obligations	143739.79	8086.79	93502.65	5184.3	86419.4	4039.31	90938.13	3222.87	87198.33	3063.73
8	Total Cash Outflows		223215.79		217206.38		197915.12		195759.45		188896.09
	Cash Inflows										
9	Secured lending (e.g. reverse repos)	3146.27	0.00	1002.37	0.00	3471.56	0.00	15861.65	0.00	35530.76	0.00
10	Inflows from fully performing exposures	40858.69	33053.53	36889.8	30016.55	29710.43	24629.77	28632.03	23909.35	25408.4	22641.9
11	Other cash inflows	8228.79	8228.79	7974.39	7974.39	4924.95	4924.95	3222.78	2737.25	2969.37	2969.37
12	Total Cash Inflows	52233.75	41282.32	44866.56	37990.94	38106.94	29554.72	47716.46	26646.6	64908.53	25611.27
13	TOTAL HQLA		295254.95		283378.89		276290.74		279152.34		300318.36
14	Total Net Cash Outflows		181933.47		179306.54		168360.40		169112.85		163284.82
15	Liquidity Coverage Ratio (%)		162.29		158.04		164.11		165.07		183.92

* Simple averages of Daily observations over previous quarter.

2. सी) निवल स्थिर निधियन अनुपात (एनएसएफआर)

निवल स्थिर निधियन अनुपात पर गुणात्मक प्रकटीकरण

निवल स्थिर निधियन अनुपात (एनएसएफआर) और चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) बासेल III सुधारों के महत्वपूर्ण घटक हैं। बैंक की चलनिधि प्रोफाइल के अल्पकालिक लचीलेपन को बढ़ावा देने वाले एलसीआर दिशानिर्देश 9 जून, 2014 के परिपत्र डीबीओडी.बीपी.बीसी. सं.120/21.04.098/2013–14 के माध्यम से जारी किए गए हैं। दूसरी ओर एनएसएफआर दिशानिर्देश भविष्य के वित्त पोषण दबाव के जोखिम को कम करने के लिए बैंकों को पर्याप्त रूप से स्थिर वित्त पोषण के स्रोतों के साथ अपनी गतिविधियों को वित्त पोषित करने की आवश्यकता के द्वारा दीर्घकालिक अवधि के दौरान वित्त पोषण जोखिम में कमी सुनिश्चित करते हैं।

भारतीय संदर्भ में, एनएसएफआर के दिशानिर्देश 1 अक्टूबर, 2021 से प्रभावी थे। एनएसएफआर को आवश्यक स्थिर निधियन की राशि के सापेक्ष उपलब्ध स्थिर निधियन की राशि के रूप में परिभाषित किया गया है। 'उपलब्ध स्थिर निधियन (एएसएफ) को पूंजी और देनदारियों के हिस्से के रूप में परिभाषित किया गया है जो एनएसएफआर द्वारा निर्धारित किए गए समय क्षितिज पर विश्वसनीय होने की उम्मीद है, जो एक वर्ष तक प्रदान की जाती है। किसी विशिष्ट संस्थान के लिए आवश्यक स्थिर निधियन (आवश्यक स्थिर निधियन)(आरएसएफ) की राशि उस संस्था द्वारा धारित विभिन्न परिसंपत्तियों की चलनिधि विशेषताओं और अवशिष्ट परिपक्वताओं के साथ–साथ इसकी तुलनपत्रेतर (ओबीएस) एक्सपोजर का एक कार्य है। विभिन्न श्रेणियों की देयताओं (अर्थात जमा, असुरक्षित और सुरक्षित थोक उधार), अनाहरित प्रतिबद्धताओं, व्युत्पन्नी–संबंधित एक्सपोजर, और उसी अवधि के भीतर परिपक्व होने वाली परिसंपत्तियों से निकलने वाले अंतर्वाह के साथ ऑफसेट के लिए तनावग्रस्त परिदृश्यों के लिए रन–ऑफ कारक आरबीआई द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। एकल बैंक के लिए और 1 अक्टूबर, 2021 से प्रभावी समूह के लिए आरबीआई के दिशानिर्देशों में निर्धारित न्यूनतम एनएसएफआर आवश्यकता 100% है।

पीएनबी ने 31 मार्च, 2023 को समेकित आधार पर ₹ 842086 करोड़ की आरएसएफ आवश्यकता के विरुद्ध ₹1256951 करोड़ की उपलब्ध स्थिर निधियन (एएसएफ) को बनाए रखा। 31 मार्च, 2023 को समाप्त तिमाही के लिए एनएसएफआर 149.16% था।

उपलब्ध स्थिर निधियन (एएसएफ) मुख्य रूप से आरबीआई द्वारा निर्धारित बासेल III पूंजी पर्याप्तता दिशानिर्देशों और खुदरा ग्राहकों, छोटे व्यवसाय ग्राहकों और गैर–वित्तीय कॉरपोरेट ग्राहकों से प्राप्त जमा राशियों के अनुसार कुल नियामक पूंजी द्वारा संचालित होता है। आवश्यक स्थिर निधियन(आरएसएफ) के तहत, प्राथमिक संचालक एक वर्ष या उससे अधिक की अवशिष्ट परिपक्वता के साथ ऋण मुक्त प्रदर्शन कर रहे हैं।

निवल स्थिर निधियन अनुपात पर मात्रात्मक प्रकटीकरण

समेकित											
एनएसएफआर प्रकटीकरण नमूना		31.03.2023				निर्धारित मूल्य	31.12.2022				
(₹ करोड़)		अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा अनिर्धारित मूल्य					अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा अनिर्धारित मूल्य				
		कोई परिपक्वता नहीं	< 6 माह	< माह से < 1वर्ष	≥ 1वर्ष		कोई परिपक्वता नहीं	< 6 माह	< माह से < 1वर्ष	≥ 1वर्ष	निर्धारित मूल्य
एएसएफ मद											
1	पूंजी: (2+3)	111138	0	0	29261	140398	99865	0	0	27760	127625
2	विनियामक पूंजी	111136	0	0	23230	134367	99865	0	0	23486	123351
3	अन्य पूंजी लिखत	0	0	0	6031	6031	0	0	0	4274	4274
4	छोटे व्यवसाय के ग्राहकों से खुदरा जमा और जमा: (5+6)	441613	30249	158713	318606	887185	435526	30069	199429	268038	870528
5	स्थिर जमा	47682	4186	15440	31677	95554	48924	4586	15738	105664	175228
6	कम स्थिर जमा	393631	26063	143273	285326	791631	386601	25503	179691	163774	695300
7	थोक वित्तपोषण: (8+9)	95403	101179	67114	97054	229368	81009	71411	76272	65092	144870
8	परिचालन जमा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	अन्य थोक वित्तपोषण	95405	101179	67114	97054	229368	81008	71411	76272	65092	144870
10	अन्य देयताएं: (11+12)	31873	8554	51	5	0	34612	40489	22	52166	7365
11	एनएसएफआर व्युत्पन्नी देनदारियां		0	0	5			5	0	0	

2. c) Net Stable Funding ratio (NSFR)

QUALITATIVE DISCLOSURE ON NET STABLE FUNDING RATIO

The Net Stable Funding Ratio (NSFR) and Liquidity Coverage Ratio (LCR) are significant components of the Basel III reforms. The LCR guidelines which promote short term resilience of a bank's liquidity profile have been issued vide circular DBOD.BP.BC. No.120/21.04.098/2013-14 dated June 9, 2014. **The NSFR guidelines on the other hand ensure reduction in funding risk over a longer time horizon by requiring banks to fund their activities with sufficiently stable sources of funding in order to mitigate the risk of future funding stress.**

In the Indian context, the guidelines for NSFR were effective from October 1, 2021. The NSFR is defined as the amount of available stable funding relative to the amount of required stable funding. "Available stable funding" (ASF) is defined as the portion of capital and liabilities expected to be reliable over the time horizon considered by the NSFR, which extends to one year. The amount of stable funding required ("Required stable funding") (RSF) of a specific institution is a function of the liquidity characteristics and residual maturities of the various assets held by that institution as well as those of its off-balance sheet (OBS) exposures. The run-off factors for the stressed scenarios are prescribed by the RBI, for various categories of liabilities (viz., deposits, unsecured and secured wholesale borrowings), undrawn commitments, derivative-related exposures, and offset with inflows emanating from assets maturing within the same time period. **The minimum NSFR requirement set out in the RBI guideline for the standalone Bank and for Group effective October 1, 2021 is 100%.**

The PNB on a consolidated basis at 31st March, 2023 maintained Available Stable Funding (ASF) of ₹ 1256951 Crore against the RSF requirement of ₹ 842686 crore. The NSFR for the quarter ended March 31, 2023 was at 149.16%.

The Available Stable Funding (ASF) is primarily driven by the total regulatory capital as per Basle III Capital Adequacy guidelines stipulated by RBI and deposits from retail customers, small business customers and non-financial corporate customers. Under the Required Stable Funding (RSF), the primary drivers are unencumbered performing loans with residual maturities of one year or more.

QUANTITATIVE DISCLOSURE ON NET STABLE FUNDING RATIO

Consolidated											
NSFR Disclosure as on		31.03.2023				Weighted value	31.12.2022				
(₹ in Crore)		Unweighted value by residual maturity					Unweighted value by residual maturity				
		No maturity	< 6 months	6 months to < 1yr	≥ 1yr		No maturity	< 6 months	6 months to < 1yr	≥ 1yr	Weighted value
ASF Item											
1	Capital: (2+3)	111138	0	0	29261	140398	99865	0	0	27760	127625
2	Regulatory capital	111138	0	0	23230	134367	99865	0	0	23486	123351
3	Other capital instruments	0	0	0	6031	6031	0	0	0	4274	4274
4	Retail deposits and deposits from small business customers: (5+6)	441613	30249	158713	316908	887185	435626	30099	199429	268938	870528
5	Stable deposits	47682	4166	15440	31577	95554	48824	4596	19738	105664	175228
6	Less stable deposits	393931	26083	143273	285328	791631	386801	25503	179691	163274	695300
7	Wholesale funding: (8+9)	98403	101179	87114	97054	229368	81006	71411	76272	66092	144870
8	Operational deposits	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Other wholesale funding	98403	101179	67114	97054	329368	81006	71411	76272	66092	144870
10	Other liabilities: (11+12)	31073	8554	51	5	0	34612	40469	22	52165	7365

समेकित											
एनएसएफआर प्रकटीकरण टेम्पलेट		31.03.2023					31.12.2022				
(₹ करोड़)		अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा अनिर्धारित मूल्य				निर्धारित मूल्य	अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा अनिर्धारित मूल्य				
		कोई परिपक्वता नहीं	< 6 माह	< माह से < 1वर्ष	≥ 1वर्ष		कोई परिपक्वता नहीं	< 6 माह	< माह से < 1वर्ष	≥ 1वर्ष	निर्धारित मूल्य
12	अन्य सभी देयताएं और इक्विटी जो उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं	31073	8584	51	0	0	34912	40483	22	82105	7305
13	कुल एएसएफ (1+4+7+10)					1266051					1150367
आरएसएफ मद											
14	कुल एनएसएफआर उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति (एचक्यूएलए)					17331					15633
15	परिचालन उद्देश्यों के लिए अन्य वित्तीय संस्थानों में जमाराशियां	13523	30	0	0	6776	10654	21	0	0	4956
16	निष्पादित ऋण और प्रतिभूतियां (17+18+19+21+23)	5370	55536	56367	734268	704935	5370	72043	43537	664046	674847
17	स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा सुरक्षित वित्तीय संस्थानों को ऋण देना	0	23080	0	0	2309	0	665	318	0	341
18	गैर-स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा प्रतिभूत वित्तीय संस्थानों के लिए कार्यशील ऋण और वित्तीय संस्थानों के लिए अप्रतिभूत कार्यशील ऋण	0	40808	11377	138006	150186	0	38516	5613	89423	98807
19	गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए कार्यशील ऋण, खुदरा और लघु व्यवसाय ग्राहकों को ऋण देना, और संप्रभु, केंद्रीय बैंकों और सार्वजनिक उपक्रमों को ऋण देना, जिनमें से	0	24283	54703	410472	415793	0	34934	26841	410472	430725
20	ऋण जोखिम के लिए बेसल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ	0	10895	14738	236616	187818	0	15062	11611	253441	177522
21	कार्यशील आवासीय बंधक, जिनमें से:	0	3273	4986	84704	61853	0	4026	2266	73576	54198
22	ऋण जोखिम के लिए बेसल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ	0	2735	4176	70561	49554	0	3343	2729	61323	43183

Consolidated											
NSFR Disclosure as on		31.03.2023					31.12.2022				
(₹ in Crore)		Unweighted value by residual maturity				Weighted value	Unweighted value by residual maturity				
		No maturity	< 6 months	6 months to < 1yr	≥ 1yr		No maturity	< 6 months	6 months to < 1yr	≥ 1yr	Weighted value
11	NSFR derivative liabilities		0	0	5			6	0	0	
12	All other liabilities and equity not included in the above categories	31073	8664	61	0	0	34812	40483	23	62165	7365
13	Total ASF (1+4+7+10)					1256851					1160387
RSF Item											
14	Total NSFR high-quality liquid assets (HQLA)					17331					15533
15	Deposits held at other financial institutions for operational purposes	13623	30	0	0	6776	10664	21	0	0	4956
16	Performing loans and securities: (17+18+19+21+23)	9370	95636	65367	724258	704935	9370	72043	43537	664045	674847
17	Performing loans to financial institutions secured by Level 1 HQLA	0	23890	0	0	2389	0	665	310	0	241
18	Performing loans to financial institutions secured by non-Level 1 HQLA and unsecured performing loans to financial institutions	0	40608	11377	139008	150788	0	28516	5813	88423	88607
19	Performing loans to non- financial corporate clients, loans to retail and small business customers, and loans to sovereigns, central banks, and PSEs, of which:	0	24263	34703	410472	416760	0	34934	29841	410472	430726
20	With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	0	10895	14738	238618	167818	0	15062	11811	252441	177622
21	Performing residential mortgages, of which:	0	3273	4989	84204	61853	0	4026	3288	73576	54199
22	With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	0	2736	4178	70681	49594	0	3343	2729	61323	43183

समेकित											
एनएसएफआर प्रकटीकरण टेम्पलेट		31.03.2023				निर्धारित मूल्य	31.12.2022				
(₹ करोड़)		अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा अनिर्धारित मूल्य					अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा अनिर्धारित मूल्य				
		कोई परिपक्वता नहीं	< 6 माह	6 माह से < 1 वर्ष	≥ 1 वर्ष		कोई परिपक्वता नहीं	< 6 माह	6 माह से < 1 वर्ष	≥ 1 वर्ष	निर्धारित मूल्य
23	प्रतिभूतियां जो डिफ़ॉल्ट रूप में नहीं हैं और एक्सचेंज-ट्रेडेड इक्विटी सहित एचक्यूएलए के रूप में योग्य नहीं हैं	9370	3702	4288	90574	74132	9370	3701	4288	90574	93075
24	अन्य आस्तियां: (25 से 29 पंक्तियों का योग)	83660	492	14	29066	109856	122744	511	15	70701	126108
25	सोने सहित भौतिक व्यापार वाली वस्तुएं	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	व्युत्पन्न अनुबंधों के लिए प्रारंभिक मार्जिन के रूप में पोस्ट की गई आस्तियां और सीसीपी के डिफॉल्ट फंड में योगदान	338	0	0	0	287	338	0	0	0	287
27	एनएसएफआर व्युत्पन्न आस्तियां	5	0	0	0	5	3	0	0	0	3
28	पोस्ट किए गए विभिन्न मार्जिन की कटौती से पहले एनएसएफआर व्युत्पन्न देयताएं	42	0	0	0	42	46	0	0	0	46
29	अन्य सभी आस्तियां उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं	83275	492	14	29065	109304	122357	511	15	70701	125772
30	तुलनपत्रेतर मद	0	820	42061	60064	3946	0	710	18837	51935	2435
31	कुल आरएसएफ					842099					823878.53
32	निवल स्थिर निधियन अनुपात (%)					149.16					139.63

समेकित											
एनएसएफआर प्रकटीकरण टेम्पलेट		30.09.2022				निर्धारित मूल्य	30.06.2022				
(₹ करोड़)		अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा अनिर्धारित मूल्य					अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा अनिर्धारित मूल्य				
		कोई परिपक्वता नहीं	< 6 माह	6 माह से < 1 वर्ष	≥ 1 वर्ष		कोई परिपक्वता नहीं	< 6 माह	6 माह से < 1 वर्ष	≥ 1 वर्ष	निर्धारित मूल्य
एएसएफ मद											
1	पूंजी: (2+3)	99982	0	0	25347	125329	99267	1500	0	26287	127053
2	विनियामक पूंजी	99982	0	0	19729	119710	99267	1500	0	17804	118570
3	अन्य पूंजी लिखत	0	0	0	5619	5619	0	0	0	8483	8483
4	छोटे व्यवसाय के ग्राहकों से खुदरा जमा और जमा: (5+6)	443201	30771	228402	231313	868841	434847	31030	237147	209786	846316
5	स्थिर जमा	51850	4763	23317	98070	172035	50708	11799	92140	89581	165139

Consolidated											
NSFR Disclosure as on		31.03.2023					31.12.2022				
(₹ in Crore)		Unweighted value by residual maturity				Weighted value	Unweighted value by residual maturity				
		No maturity	< 6 months	6 months to < 1yr	≥ 1yr		No maturity	< 6 months	6 months to < 1yr	≥ 1yr	Weighted value
23	Securities that are not in default and do not qualify as HQLA, including exchange- traded equities	8370	3702	4288	90574	74132	8370	3702	4288	90574	93075
24	Other assets: (sum of rows 25 to 29)	83660	492	14	29066	109698	122744	511	19	70701	126109
25	Physical traded commodities, including gold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Assets posted as initial margin for derivative contracts and contributions to default funds of CCPs	338	0	0	0	287	338	0	0	0	287
27	NSFR derivative assets	5	0	0	0	6	3	0	0	0	3
28	NSFR derivative liabilities before deduction of variation margin posted	42	0	0	0	42	46	0	0	0	46
29	All other assets not included in the above categories	83275	492	14	29066	109364	122357	511	19	70701	125772
30	Off-balance sheet items	0	820	42061	60084	3946	0	710	16937	61936	2436
31	Total RSF		842680					823878.53			
32	Net Stable Funding Ratio (%)		149.16					139.63			

Consolidated											
NSFR Disclosure as on		30.09.2022					30.06.2022				
(₹ in Crore)		Unweighted value by residual maturity				Weighted value	Unweighted value by residual maturity				
		No maturity	< 6 months	6 months to < 1yr	≥ 1yr		No maturity	< 6 months	6 months to < 1yr	≥ 1yr	Weighted value
ASF Item											
1	Capital: (2+3)	99982	0	0	25347	125329	99267	1500	0	28287	127053
2	Regulatory capital	99982	0	0	19729	118710	99267	1500	0	17804	118970
3	Other capital instruments	0	0	0	5619	5619	0	0	0	8483	8483
4	Retail deposits and deposits from small business customers (5+6)	443201	30771	228402	231313	856841	434847	31030	237147	209786	848315
5	Stable deposits	51850	4763	23317	96070	172035	50706	11799	92140	89591	165139

समेकित											
एनएसएफआर प्रकटीकरण बनावट		30.09.2022				निर्धारित मूल्य	30.06.2022				
		अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा अनिर्धारित मूल्य					अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा अनिर्धारित मूल्य				
(₹ करोड़)		कोई परिपक्वता नहीं	< 6 माह	6 माह से < 1 वर्ष	≥ 1 वर्ष		कोई परिपक्वता नहीं	< 6 माह	6 माह से < 1 वर्ष	≥ 1 वर्ष	निर्धारित मूल्य
6	कम स्थिर जमा	391351	28007	206085	135243	694806	384141	19231	145007	120195	681177
7	थोक वित्तपोषण: (8+9)	81247	78539	65888	50293	136412	81680	46506	60344	50428	127883
8	परिचालन जमा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	अन्य थोक वित्तपोषण	81247	78539	65888	50293	136412	81680	46506	60344	50428	127883
10	अन्य देयताएं (11+12)	30938	34847	1979	52165	7052	28424	53657	44	52165	2173
11	एनएसएफआर व्युत्पन्न देनदारियां		8	0	0			6	0	0	
12	अन्य सभी देयताएं और इक्विटी जो उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं	30938	34839	1979	52165	7052	29424	53651	44	52165	2173
13	कुल एएसएफ (1+4+7+10)					1135634					1103438
आरएसएफ मद											
14	कुल एनएसएफआर उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति (एचक्यूएलए)					15805					14876
15	परिचालन उद्देश्यों के लिए अन्य वित्तीय संस्थानों में जमाराशियां	5681	34	0	0	2847	5633	27	0	0	4330
16	निष्पादित ऋण और प्रतिभूतियां (17+18+19+21+23)	9370	66819	36474	656339	661046	9371	50337	45634	616810	761107
17	स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा सुरक्षित वित्तीय संस्थानों को ऋण देना	0	285	204	0	131	0	650	0	0	85
18	गैर-स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा प्रतिभूत वित्तीय संस्थानों के लिए कार्यशील ऋण और वित्तीय संस्थानों के लिए अप्रतिभूत कार्यशील ऋण	0	27085	8475	87687	94987	0	22180	8769	54727	62439
19	गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए कार्यशील ऋण, खुदरा और लघु व्यवसाय ग्राहकों को ऋण देना, और संप्रभु, केंद्रीय बैंकों और सार्वजनिक उपक्रमों को ऋण देना, जिनमें से:	0	31583	23030	410472	417703	1	18258	24188	410472	548374
20	ऋण जोखिम के लिए बेसल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ	0	14046	8928	239338	167057	0	7772	9980	237665	263885
21	कार्यशील आवासीय बंधक, जिनमें से:	0	3783	2477	59506	50330	0	5647	8389	51037	48720

Consolidated											
NSFR Disclosure as on		30.09.2022					30.06.2022				
(₹ in Crore)		Unweighted value by residual maturity				Weighted value	Unweighted value by residual maturity				
		No maturity	< 6 months	6 months to < 1yr	≥ 1yr		No maturity	< 6 months	6 months to < 1yr	≥ 1yr	Weighted value
6	Less stable deposits	391351	28007	205086	135343	684808	384141	59231	145007	120196	681177
7	Wholesale funding (8+9)	81247	78539	65869	50293	138412	81680	46506	60344	50428	127893
8	Operational deposits	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Other wholesale funding	81247	78539	65869	50293	138412	81680	46506	60344	50428	127893
10	Other liabilities: (11+12)	30938	34647	1979	52165	7052	28424	53857	44	52165	2173
11	NSFR derivative liabilities		8	0	0			6	0	0	
12	All other liabilities and equity not included in the above categories	30938	34639	1979	52165	7052	28424	53851	44	52165	2173
13	Total ASF (1+4+7+10)					1139634					1103436
RSF Item											
14	Total NSFR high-quality liquid assets (HQLA)					15805					14676
15	Deposits held at other financial institutions for operational purposes	5661	34	0	0	2847	8633	27	0	0	4330
16	Performing loans and securities (17+18+19+21+23)	9370	66619	35474	698339	661046	9371	50337	45634	616810	761107
17	Performing loans to financial institutions secured by Level 1 HQLA	0	283	204	0	131	0	650	0	0	65
18	Performing loans to financial institutions secured by non-Level 1 HQLA and unsecured performing loans to financial institutions	0	27085	6475	97667	94967	0	22180	8798	54727	52439
19	Performing loans to non- financial corporate clients, loans to retail and small business customers, and loans to sovereigns, central banks, and PSEs, of which:	0	31963	23030	410472	417203	1	18258	24188	410472	546374
20	With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	0	14046	8928	239338	167057	0	7772	9980	297665	263685
21	Performing residential mortgages, of which:	0	3783	2477	69606	50330	0	5547	8389	61037	48720

समेकित											
एनएसएफआर प्रकटीकरण बनावट		30.09.2022				भारित मूल्य	30.06.2022				
		अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा अभारित मूल्य					अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा अभारित मूल्य				
(₹ करोड़)		कोई परिपक्वता नहीं	< 6 माह	6 माह से < 1 वर्ष	≥ 1 वर्ष		कोई परिपक्वता नहीं	< 6 माह	6 माह से < 1 वर्ष	≥ 1 वर्ष	भारित मूल्य
22	ऋण जोखिम के लिए बेसल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ	0	3311	2188	61071	42885	0	4705	7115	51973	39858
23	प्रतिभूतियां जो डिफॉल्ट रूप में नहीं हैं और एक्सचेंज-ट्रेडेड इक्विटी सहित एचक्यूएलए के रूप में योग्य नहीं हैं	9370	3702	4288	90574	98395	9370	3702	4288	90574	101510
24	अन्य संपत्तियां: (25 से 29 पंक्तियों का योग)	135186	10046	14	70701	138484	4641	185	10	70701	3909
25	सोने सहित भौतिक व्यापार वाली वस्तुएं	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	व्युत्पन्न अनुबंधों के लिए प्रारंभिक मार्जिन के रूप में पोस्ट की गई संपत्तियां और सीसीपी के डिफॉल्ट फंड में योगदान	329	23	0	0	302	4455	0	0	0	386
27	एनएसएफआर व्युत्पन्न आस्तियां	14	18	0	0	32	42	9	0	0	51
28	पोस्ट किए गए भिन्नता मार्जिन की कटौती से पहले एनएसएफआर व्युत्पन्न देयताएं	67	0	0	0	67	97	0	0	0	97
29	अन्य सभी आस्तियां उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं	134756	10005	14	70701	138083	47	176	10	70701	3375
30	तुलनपत्रेतर मद	0	17010	0	50446	2364	0	19863	18	50955	2526
31	कुल आरएसएफ					820547					786749
32	निवल स्थिर निधियन अनुपात (%)					138.40					140.25

Consolidated											
NSFR Disclosure as on		30.09.2022				Weighted value	30.06.2022				
(₹ in Crore)		Unweighted value by residual maturity					Unweighted value by residual maturity				
		No maturity	< 6 months	6 months to < 1yr	≥ 1yr		No maturity	< 6 months	6 months to < 1yr	≥ 1yr	Weighted value
22	With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	0	3311	2168	61071	42685	0	4706	7118	51973	39958
23	Securities that are not in default and do not qualify as HQLA, including exchange-traded equities	9370	3702	4288	90574	98395	9370	3702	4288	90574	101610
24	Other assets: (sum of rows 25 to 29)	135168	10046	14	70701	138484	4641	185	10	70701	3809
25	Physical traded commodities, including gold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Assets posted as initial margin for derivative contracts and contributions to default funds of CCPs	329	23	0	0	302	4455	0	0	0	386
27	NSFR derivative assets	14	18	0	0	32	42	9	0	0	51
28	NSFR derivative liabilities before deduction of variation margin posted	67	0	0	0	67	97	0	0	0	97
29	All other assets not included in the above categories	134758	10005	14	70701	138083	47	176	10	70701	3375
30	Off-balance sheet items	0	17010	0	50446	2364	0	19883	18	50955	2526
31	Total RSF					820547					786749

3. निवेश

3. ए) निवेश पोर्टफोलियो की संरचना

31.03.2023 तक (चालू वित्तीय वर्ष)

(राशि ₹ करोड़ में)

	भारत में निवेश							भारत के बाहर निवेश				
	सरकारी प्रतिभूतियाँ	अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियाँ	शेयर	डिबेंचर और बांड	सहायक कंपनियाँ और/या संयुक्त उद्यम	अन्य	भारत में कुल निवेश	सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)	सहायक कंपनियाँ और/या संयुक्त उद्यम	अन्य	भारत के बाहर कुल निवेश	कुल निवेश
परिपक्वता के लिए धारित												
सकल	308287.81	0.15	5.13	4516.53	2188.11	223.42	315221.14	0.00	2487.46	0.20	2487.66	317708.80
घटाएं: अनर्जक निवेश (एनपीआई) के लिए प्रावधान	0.00	0.00	1.01	0.00	394.39	0.00	395.40	0.00	341.59	0.00	341.59	736.99
निवल	308287.81	0.15	4.12	4516.53	1793.71	223.42	314825.73	0.00	2145.87	0.20	2146.07	316971.80
बिक्री के लिए उपलब्ध												
सकल	44479.70	0.00	5674.10	30185.27	100.00	2660.63	83099.70	3895.23	0.00	597.06	4492.29	87591.99
घटाएं: मूल्यह्रास और एनपीआई के लिए प्रावधान	481.86	0.00	2616.63	4079.53	2.45	1431.67	8612.13	44.96	0.00	39.57	84.53	8696.65
निवल	43997.84	0.00	3057.47	26105.74	97.55	1228.97	74487.57	3850.27	0.00	557.49	4407.76	78895.33
ट्रेडिंग के लिए धारित												
सकल	129.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.79	0.00	0.00	0.00	0.00	129.79
घटाएं: मूल्यह्रास और एनपीआई के लिए प्रावधान	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
निवल	129.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.59	0.00	0.00	0.00	0.00	129.59
कुल निवेश	352897.29	0.15	5679.23	34701.80	2288.11	2884.05	398450.63	3895.23	2487.46	597.26	6979.95	405430.58
घटाएं: अनर्जक निवेश (एनपीआई) के लिए प्रावधान क	0.00	0.00	1.01	0.00	394.39	0.00	395.40	0.00	341.59	0.00	341.59	736.99
घटाएं: मूल्यह्रास और एनपीआई के लिए प्रावधान	482.06	0.00	2616.63	4079.53	2.45	1431.67	8612.33	44.96	0.00	39.57	84.53	8696.86
निवल	352415.23	0.15	3061.59	30622.27	1891.27	1452.38	389442.90	3850.27	2145.87	557.69	6553.83	395996.72

*केवल एमसीएफ

3. Investments

3. a) Composition of Investment Portfolio

As at 31.03.2023 (Current FY)

(Amount in ₹ Crore)

	Investments in India							Investments outside India				Total Investments
	Government Securities	Other Approved Securities	Shares	Debentures and Bonds	Subsidiaries and/or joint ventures	Others	Total investments in India	Government securities (including local authorities)	Subsidiaries and/or joint ventures	Others	Total Investments outside India	
Held to Maturity												
Gross	308287.81	0.15	5.13	4516.53	2188.11	223.42	315221.14	0.00	2487.46	0.20	2487.66	317708.80
Less: Provision for non- performing investments (NPI)	0.00	0.00	1.01	0.00	394.39	0.00	395.40	0.00	341.59	0.00	341.59	736.99
Net	308287.81	0.15	4.12	4516.53	1793.71	223.42	314825.73	0.00	2145.87	0.20	2146.07	316971.80
Available for Sale												
Gross	44479.70	0.00	5674.10	30186.27	100.00	2660.63	83099.70	3895.22	0.00	597.06	4492.28	87591.98
Less: Provision for depreciation and NPI	481.86	0.00	2616.63	4079.53	2.45	1431.67	8612.13	44.98	0.00	39.57	84.55	8696.66
Net	43997.84	0.00	3057.47	26106.74	97.55	1228.97	74487.57	3850.27	0.00	557.49	4407.76	78895.33
Held for Trading												
Gross	129.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.79	0.00	0.00	0.00	0.00	129.79
Less: Provision for depreciation and NPI	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
Net	129.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.58	0.00	0.00	0.00	0.00	129.58
Total Investments	352897.29	0.15	5679.23	34701.80	2288.11	2884.05	398450.62	3895.22	2487.46	597.26	6979.94	405430.56
Less: Provision for non- Performing investments (NPI)#	0.00	0.00	1.01	0.00	394.39	0.00	395.40	0.00	341.59	0.00	341.59	736.99
Less: Provision for depreciation and NPI	482.06	0.00	2616.63	4079.53	2.45	1431.67	8612.33	44.98	0.00	39.57	84.52	8696.86
Net	352415.23	0.15	3061.59	30622.27	1891.27	1452.38	389442.89	3850.27	2145.87	557.69	6553.83	395996.72

#HTM only

31.03.2022 तक (गत वित्तीय वर्ष)

(राशि ₹ करोड़ में)

	भारत में निवेश							भारत के बाहर निवेश				
	सरकारी प्रतिभूतियाँ	अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियाँ	शेयर	डिबेंचर और बांड	समनुषंगी और/या संयुक्त उद्यम	अन्य	भारत में कुल निवेश	सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)	समनुषंगी और/या संयुक्त उद्यम	अन्य	भारत के बाहर कुल निवेश	कुल निवेश
परिपक्वता के लिए धारित												
सकल	293175.38	0.16	5.13	5506.03	1564.16	154.88	300405.71	0.00	2450.46	0.20	2450.66	302856.38
घटाएं: अनर्जक निवेश (एनपीआई) के लिए प्रावधान	0.00	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00	1.11	0.00	341.58	0.00	341.58	342.70
निवल	293175.36	0.16	4.02	5506.03	1564.16	154.88	300404.60	0.00	2108.88	0.20	2109.08	302513.66
बिक्री के लिए उपलब्ध												
सकल	30311.94	0.00	6622.06	30265.97	151.12	6079.01	73430.10	1820.01	0.00	1115.46	2935.47	76365.57
घटाएं/ अनर्जक निवेश (एनपीआई) के लिए प्रावधान	303.03	0.00	3361.27	2305.18	0.00	664.91	6634.39	27.41	0.00	20.80	48.21	6682.60
निवल	30008.91	0.00	3260.79	27960.79	151.12	5414.10	66795.71	1792.60	0.00	1094.66	2887.26	69682.97
ट्रेडिंग के लिए धारित												
सकल	−28.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	−28.87	0.00	0.00	0.00	0.00	−28.87
घटाएं/ मूल्यह्रास और एनपीआई के लिए प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवल	−28.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	−28.87	0.00	0.00	0.00	0.00	−28.87
कुल निवेश	323458.45	0.16	6627.19	35772.00	1715.28	6233.89	373806.94	1820.01	2450.46	1115.66	5386.13	379193.06
घटाएं: अनर्जक निवेश (एनपीआई)# मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	0.00	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00	1.11	0.00	341.58	0.00	341.58	342.70
घटाएं: मूल्यह्रास और एनपीआई के लिए प्रावधान	303.03	0.00	3361.27	2305.18	0.00	664.91	6634.39	27.41	0.00	20.80	48.21	6682.60
निवल	323155.42	0.16	3264.81	33466.82	1715.28	5568.98	367171.44	1792.60	2108.88	1094.86	4996.32	372167.78

*केवल एचटीएम

As at 31.03.2022 (Previous FY)

(Amount in ₹ Crore)

	Investments in India							Investments outside India				Total Investments
	Government Securities	Other Approved Securities	Shares	Debentures and Bonds	Subsidiaries and/or joint ventures	Others	Total investments in India	Government securities (including local authorities)	Subsidiaries and/or joint ventures	Others	Total Investments outside India	
Held to Maturity												
Gross	293175.36	0.15	5.13	5606.03	1564.16	154.88	300405.71	0.00	2450.46	0.20	2450.66	302856.36
Less: Provision for non- performing investments (NPI)	0.00	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00	1.11	0.00	341.59	0.00	341.59	342.70
Net	293175.36	0.15	4.02	5606.03	1564.16	154.88	300404.60	0.00	2108.86	0.20	2109.06	302513.66
Available for Sale												
Gross	30311.94	0.00	6822.06	30265.97	151.12	6079.01	73630.10	1820.01	0.00	1115.46	2935.47	76565.57
Less: Provision for depreciation and NPI	303.03	0.00	3561.27	2305.18	0.00	664.91	6834.39	27.41	0.00	20.80	48.21	6882.60
Net	30008.91	0.00	3260.79	27960.79	151.12	5414.10	66795.71	1792.60	0.00	1094.66	2887.26	69682.97
Held for Trading												
Gross	-28.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28.87	0.00	0.00	0.00	0.00	-28.87
Less: Provision for depreciation and NPI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net	-28.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28.87	0.00	0.00	0.00	0.00	-28.87
Total Investments	323458.43	0.15	6827.19	35772.00	1715.28	6233.89	374006.94	1820.01	2450.46	1115.66	5386.12	379393.06
Less: Provision for non- Performing investments (NPI)#	0.00	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00	1.11	0.00	341.59	0.00	341.59	342.70
Less: Provision for depreciation and NPI	303.03	0.00	3561.27	2305.18	0.00	664.91	6834.39	27.41	0.00	20.80	48.21	6882.60
Net	323155.40	0.15	3264.81	33466.82	1715.28	5568.98	367171.44	1792.60	2108.86	1094.86	4996.32	372167.78

#HTM only

3. बी) मूल्यह्रास और निवेश अस्थिर रिजर्व के प्रावधानों का उतार–चढ़ाव

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण		चालू वर्ष	गत वर्ष
i) निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए धारित प्रावधानों में उतार–चढ़ाव			
ए)	प्रारम्भिक शेष	7225.30	7191.44
बी)	जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	2487.59	1643.55
सी)	जोड़ें: पुनर्गठन के कारण आनुपातिक प्रावधान को एनपीआई प्रावधान में स्थानांतरित कर दिया गया	1012.26	0.00
डी)	घटाएं: वर्ष के दौरान किए गए अधिक प्रावधान के लिए बट्टे खाते में डाली गयी/प्रतिलिखित राशि	65.13	1609.69
ई)	घटाएं: बेची/पुनर्गठित/बट्टे खाते में डाली गई प्रतिभूतियों के विरुद्ध प्रावधान	1206.18	0.00
एफ)	अंतिम शेष	9433.84	7225.30
ii) अस्थिर रिजर्व निवेश में उतार–चढ़ाव			
ए)	प्रारम्भिक शेष	1393.66	536.81
बी)	जोड़ें/ वर्ष के दौरान अंतरित राशि	194.74	854.85
सी)	घटाएं: गिरावट	0.00	0.00
डी)	अंतिम शेष	1588.40	1393.66
iii) एएफएस और एचएफटी/चालू श्रेणी (निवल) में निवेश के अंतिम शेष के प्रतिशत के रूप में आईएफआर में अंतिम शेष		2.01%	2.00%

3. b) Movement of Provisions for Depreciation and Investment Fluctuation Reserve

(Amount in ₹ crore)

Particulars		Current Year	Previous Year
i) Movement of provisions held towards depreciation on investments			
a)	Opening balance	7225.30	7191.44
b)	Add: Provision made during the year	2487.59	1643.65
c)	Add: Proportionate Provision transferred to NPI Provision on account of restructuring	1012.26	0.00
d)	Less: Write off / write back of excess provisions during the Year	65.13	1609.69
e)	Less: Provisions against securities sold/restructured/ write-off	1206.18	0.00
f)	Closing balance	9433.84	7225.30
ii) Movement of Investment Fluctuation Reserve			
a)	Opening balance	1393.66	536.81
b)	Add: Transfer from P&L Appropriation A/c	194.74	854.85
c)	Less: Drawdown	0.00	0.00
d)	Closing balance	1588.40	1393.66
iii) Closing balance in IFR as a percentage of closing balance of investments in AFS and HFT/Current category (Net)		2.01%	2.00%

3. सी) एचटीएम श्रेणी में /से बिक्री एवं अंतरण

1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 के दौरान आरबीआई मास्टर परिपत्र संख्या DOR-MRG 42/21.04.141/ 2021–22 दिनांक 25.08.2021 के अनुसार निवल अनुमत छूट के बाद एचटीएम श्रेणी में/से प्रतिभूतियों की बिक्री और अंतरण का दिनांक 31.03.2022 को एचटीएम श्रेणी में कुल मूल्य धारित निवेश के बही मूल्य के 5% से अधिक नहीं बढ़ा।

इसलिए आरबीआई के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार कोई प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

(गत वर्ष 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 के दौरान आरबीआई मास्टर सर्कुलर संख्या डीओआरएमआरजी.42/21.04.141/2021–22 दिनांक 25.08.2021 के अनुसार अनुमत बहिष्करण के बाद एचटीएम श्रेणी को/से प्रतिभूतियों की बिक्री और हस्तांतरण का कुल मूल्य 31.03.2021 को एचटीएम श्रेणी में आयोजित निवेश के बही मूल्य के 5% से अधिक नहीं है।

इसलिए आरबीआई के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार कोई प्रकटीकरण नहीं किया जाना है।)

3. डी) गैर–एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो

3. डी) i) अनर्जक गैर–एसएलआर निवेश

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
ए)	प्रारंभिक शेष	7027.26	5470.92
बी)	वर्ष के दौरान परिवर्धन	1818.17	3656.41
सी)	उपरोक्त अवधि के दौरान कमी	1842.85	2100.07
डी)	अंतिम शेष	7002.58	7027.26
ई)	कुल धारित प्रावधान	7001.51	6447.31

3. c) Sale and transfers to/from HTM category:

The total value of sales and transfers of securities to / from HTM category after netting permitted exclusions in terms of RBI Master Circular No. DOR.MRG.42/21.04.141/ 2021-22 dated 25.08.2021 during 1st April 2022 to 31st March 2023 has not exceeded 5% of the book value of investments held in HTM category as on 31.03.2022.

As such no disclosure is to be made in terms of extant RBI guidelines.

(Previous year: The total value of sales and transfers of securities to / from HTM category after netting permitted exclusions in terms of RBI Master Circular No. DOR. MRG.42/21.04.141/ 2021-22 dated 25.08.2021 during 1st April 2021 to 31st March 2022 has not exceeded 5% of the book value of investments held in HTM category as on 31.03.2021.

As such no disclosure is to be made in terms of extant RBI guidelines.)

3. d) Non-SLR investment portfolio

3. d).i) Non-performing non-SLR investments

(Amount in ₹ crore)

Sr. No.	Particulars	Current Year	Previous Year
a)	Opening balance	7027.26	5470.92
b)	Additions during the year	1818.17	3656.41
c)	Reductions during the above period	1842.85	2100.07
d)	Closing balance	7002.58	7027.26
e)	Total provisions held	7001.51	6447.31

3. डी) ii) गैर एसएलआर निवेशों की निर्गमकर्ता संरचना

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	निर्गमकर्ता	राशि		निजी स्थापन की मात्रा		"निवेश श्रेणी से नीचे" की प्रतिभूतियों की मात्रा		"बिना रेटिंग की" प्रतिभूतियों की मात्रा		"गैर सूचीबद्ध" प्रतिभूतियों की मात्रा	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	
		चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
ए)	पीएसयू	15,419.93	13385.85	8,573.05	8665.95	1249.87	265.56	0.00	0.00	2289.17	2577.10
बी)	एफआई	6,972.83	7622.74	4,794.56	5691.89	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
सी)	बैंक	5,340.74	6131.67	2234.06	3130.80	51.12	1863.00	0.00	0.00	0.00	0.00
डी)	निजी कॉर्पोरेट	8897.09	10063.10	7887.26	6719.08	4972.21	5505.16	0.00	0.00	0.00	0.00
ई)	अनुषंगियाँ / संयुक्त उद्यम	3388.55	3351.54	3388.55	3351.54	0.00	664.01	0.00	0.00	0.00	0.00
एफ)	अन्य	56,703.35	71767.61	5,907.33	10097.86	93.36	72.22	0.00	0.00	0.00	0.00
जी)	घटाएं मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	6,952.22	6922.28	8312.98	3126.31	4694.29	4497.05	0.00	0.00	0.00	0.00
	जोड़**	99770.27	105400.23	25442.03	36650.61	1715.47	3715.00	0.00	0.00	2289.17	2577.10

*अन्य में ₹ 56189.38 करोड़ (गत वर्ष ₹ 56386.01 करोड़) (मूल्यह्रास को घटाकर, यदि कोई हो) की विशेष सरकारी प्रतिभूतियां एवं अमेरिकी ट्रेजरी और चीन सरकार के बॉण्ड / स्थानीय सरकार के बॉण्ड शामिल हैं।

**उपरोक्त कॉलम में 4, 5, 6 और 7 के अंतर्गत दर्शायी गयी राशियाँ परस्पर अनन्य नहीं हो सकती।

3. ई) रेपो लेनदेन (अंकित मूल्य के संबंध में)

(राशि ₹ करोड़ में)

		वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	31.03.2023 को बकाया
i)	रेपो के अन्तर्गत बेची गई प्रतिभूतियां				
ए)	सरकारी प्रतिभूतियाँ	15.18	2022.08	254.20	0.00
		(35.00)	(21151.92)	(946.17)	(5110.84)
बी)	कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00
		(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
सी)	कोई अन्य प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00
		(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
ii)	रिवर्स रेपो के अन्तर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां				
ए)	सरकारी प्रतिभूतियाँ	10.08	11817.61	285.58	11817.61
		(10.00)	(27739.18)	(500.51)	(30.00)
बी)	कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00
		(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
सी)	कोई अन्य प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00
		(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)

3. d) ii) Issuer composition of non-SLR investments

(Amount in ₹ crore)

Sr. No.	Issuer	Amount		Extent of Private Placement		Extent of 'Below Investment Grade' Securities		Extent of 'Unrated' Securities		Extent of 'Unlisted' Securities	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	
		Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
a)	PSUs	15,419.93	13386.86	6,573.06	8696.96	1249.07	265.56	0.00	0.00	2289.17	2577.10
b)	FIs	6,972.83	7622.74	4,794.66	5681.89	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c)	Banks	5,340.74	6131.67	2234.06	3130.80	51.12	1662.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d)	Private Corporates	8897.09	10063.10	7867.26	8719.08	4972.21	5608.18	0.00	0.00	0.00	0.00
e)	Subsidiaries/ Joint Ventures	3388.55	3351.64	3388.65	3351.64	0.00	664.01	0.00	0.00	0.00	0.00
f)	Others*	68,703.35	71767.61	5,807.03	10097.86	93.36	72.22	0.00	0.00	0.00	0.00
g)	Less: Provision held towards depreciation	8,952.22	6922.28	8312.88	3126.31	4694.29	4497.05	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total **	99770.27	105400.23	25442.03	36856.81	1715.47	3715.00	0.00	0.00	2289.17	2577.10

*Others include special Govt. Securities of ₹ 58189.38 Crore (previous year ₹56388.01 Crore) [Net of depreciation, if any] and includes US Treasury and China govt. bonds/local govt. bond.

**Amounts reported under columns 4, 5, 6 and 7 above may not be mutually exclusive.

3. e) Repo transactions (in face value terms)

(Amount in ₹ crore)

		Minimum outstanding during the Year	Maximum outstanding during the Year	Daily average outstanding during the Year	Outstanding as on 31.03.2023
i) Securities sold under repo					
a)	Government securities	15.18	2022.08	254.20	0.00
		(35.00)	(21161.92)	(946.17)	(5110.84)
b)	Corporate debt securities	0.00	0.00	0.00	0.00
		(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
c)	Any other securities	0.00	0.00	0.00	0.00
		(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
ii) Securities purchased under reverse repo					
a)	Government securities	10.08	11617.61	265.58	11617.61
		(10.00)	(27739.18)	(500.51)	(30.00)
b)	Corporate debt securities	0.00	0.00	0.00	0.00
		(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
c)	Any other securities	0.00	0.00	0.00	0.00
		(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)

4. आस्ति गुणवत्ता

4. ए) अग्रिमों और धारित प्रावधानों का वर्गीकरण

(राशि ₹ करोड़ में)

	मानक	अनर्जक				कुल
	कुल मानक अग्रिम	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल अनर्जक अग्रिम	
सकल मानक अग्रिम और एनपीए						
प्रारम्भिक शेष	692656.32 (634984.01)	16401.47 (22979.98)	59009.16 (60327.67)	17037.39 (21115.77)	92448.04 (104423.42)	785104.36 (739407.43)
जोड़ेंः वर्ष के दौरान परिवर्धन					16028.92 (24743.67)	
घटाएंः वर्ष के दौरान कटौती					31149.29 (36718.05)	
अंतिम शेष	807353.02 (692656.32)	12226.61 (16401.47)	43413.63 (59009.16)	21687.43 (17037.39)	77327.67 (92448.04)	884680.69 (785104.36)
* के कारण सकल एनपीए में कमीः						
i) उन्नयन					4770.30 (5253.26)	4770.30 (5253.26)
ii) वसूली (उन्नयन खातों से वसूली को छोड़कर)					9800.99 (9466.65)	9800.99 (9466.65)
iii) तकनीकी / विवेकपूर्ण बट्टे खाते में डालना					13362.86 (18139.36)	13362.86 (18139.36)
iv) ऊपर (iii) के तहत के अलावा अन्य को बट्टे खाते में डालना					3215.14 (3859.78)	3215.14 (3859.78)

	मानक	अनर्जक				कुल
	कुल मानक अग्रिम	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल अनर्जक अग्रिम	
प्रावधान (उतार-चढ़ाव प्रावधानों को छोड़कर)						
धारित प्रावधानों का प्रारंभिक शेष	5986.96 (4755.91)	2649.76 (4089.89)	37253.77 (40003.31)	16953.10 (21034.65)	56856.63 (65127.85)	62843.59 (69883.76)
जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान					18660.80 (19938.02)	
घटाएं: अतिरिक्त प्रावधान रिवर्स्ड / बट्टे खाते में डाले गए ऋण					21893.64 (28209.24)	
धारित प्रावधानों का अंतिम शेष	7746.99 (5986.96)	1793"48 (2649.76)	30479.17 (37253.77)	21551.14 (16953.10)	53823.79 (56856.63)	61570.78 (62843.59)

4. Asset Quality

4. a) Classification of advances and provisions held

(Amount in ₹ crore)

	Standard	Non-Performing				Total
	Total Standard Advancesvv	Sub- standard	Doubtful	Loss	Total Non-Performing Advances	
Gross Standard Advances and NPAs						
Opening Balance	692656.32 (634984.01)	16401.47 (22979.98)	59009.18 (60327.67)	17037.39 (21115.77)	92448.04 (104423.42)	785104.36 (739407.43)
Add: Additions during the Year					16028.92 (24743.67)	
Less: Reductions during the Year *					31149.29 (36719.05)	
Closing balance	**807353.02 (692656.32)**	**12226.61 (16401.47)**	**43413.63 (59009.18)**	**21687.43 (17037.39)**	**77327.67 (92448.04)**	**884680.69 (785104.36)**
*Reductions in Gross NPAs due to:						
i) Upgradation					4770.30 (5253.26)	4770.30 (5253.26)
ii)Recoveries (excluding recoveries from upgraded accounts)					9800.99 (9466.65)	9800.99 (9466.65)
iii)Technical/ Prudential Write-offs					13362.86 (18139.36)	13362.86 (18139.36)
iv) Write-offs other than those under (iii) above					3215.14 (3859.78)	3215.14 (3859.78)

	Standard	Non-Performing				Total
	Total Standard Advances	Sub- standard	Doubtful	Loss	Total Non-Performing Advances	
Provisions (excluding Floating Provisions)						
Opening balance of provisions held	5986.96 (4755.91)	2649.76 (4089.89)	37253.77 (40003.31)	16953.10 (21034.65)	56856.63 (65127.85)	62843.59 (69883.76)
Add: Fresh provisions made during the Year					18660.80 (19938.02)	
Less: Excess provision reversed/ Write-off loans					21693.64 (28209.24)	
Closing balance of provisions held	**7746.99 (5986.96)**	**1793.48 (2649.76)**	**30479.17 (37253.77)**	**21551.14 (16953.10)**	**53823.79 (56856.63)**	**61570.78 (62843.59)**

	मानक	अनर्जक				जोड़
	कुल मानक अग्रिम	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल अनर्जक अग्रिम	
निवल एनपीए						
प्रारंभिक शेष		13751.71 (18890.10)	21072.72 (19604.48)	84.30 (81.12)	34908.73 (38575.70)	
जोड़ें: वर्ष के दौरान नए परिवर्धन					10852.35 (17580.49)	
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती'					23176.04 (21247.46)	
अंतिम शेष		10433.12 (13751.71)	12015.63 (21072.72)	136.29 (84.30)	22585.04 (34908.73)	22585.04 (34908.73)

	मानक	अनर्जक				कुल
	कुल मानक अग्रिम	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल अनर्जक अग्रिम	
अस्थिर प्रावधान						
प्रारंभिक शेष						0.00 (0.00)
जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान						0.00 (0.00)
घटाएं: वर्ष के दौरान आहरित राशि						0.00 (0.00)
अस्थिर प्रावधानों का अंतिम शेष						0.00 (0.00)

	मानक	अनर्जक				जोड़
	कुल मानक अग्रिम	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल अनर्जक अग्रिम	
तकनीकी बट्टे खाते में डालना और उस पर की गई वसूली						
तकनीकी/प्रूडेंशियल बट्टे खाते में डाले गए खातों का प्रारंभिक शेष						97300.75 (89799.69)
जोड़ें: वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते में डालना						13538.42 (18356.29)
घटाएं: वर्ष के दौरान पूर्व के तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते में डाले गए खातों से की गई वसूली						15716.62 (10855.23)
अंतिम शेष						95122.55 (97300.75)

	Standard	Non-Performing				Total
	Total Standard Advances	Sub- standard	Doubtful	Loss	Total Non-Performing Advances	
Net NPAs						
Opening Balance		13751.71 (16890.10)	21072.72 (19604.48)	84.30 (81.12)	34908.73 (36575.70)	
Add: Fresh additions during the year					10852.35 (17580.49)	
Less: Reductions during the year					23176.04 (21247.46)	
Closing Balance		**10433.12 (13751.71)**	**12015.63 (21072.72)**	**136.29 (84.30)**	**22585.04 (34908.73)**	**22585.04 (34908.73)**

	Standard	Non-Performing				Total
	Total Standard Advances	Sub- standard	Doubtful	Loss	Total Non-Performing Advances	
Floating Provisions						
Opening Balance						0.00 (0.00)
Add: Additional provisions made during the Year						0.00 (0.00)
Less: Amount drawn down during the Year						0.00 (0.00)
Closing balance of floating provisions						**0.00 (0.00)**

	Standard	Non-Performing				Total
	Total Standard Advances	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total Non-Performing Advances	
Technical write-offs and the recoveries made thereon						
Opening balance of Technical/ Prudential written-off accounts						97300.75 (89799.69)
Add: Technical/ Prudential write-offs during the Year						13538.42 (18356.29)
Less: Recoveries made from previously technical/ prudential written-off accounts during the Year						15716.62 (10855.23)
Closing balance						**95122.55 (97300.75)**

अनुपात (प्रतिशत में)	चालू वर्ष	गत वर्ष
सकल एनपीए से सकल अग्रिम	8.74%	11.78%
निवल एनपीए से निवल अग्रिम	2.72%	4.80%
प्रावधान कवरेज अनुपात	80.90%	81.60%

4. बी) क्षेत्रवार अग्रिम और सकल एनपीए

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.सं.	क्षेत्र	31.03.2023 को			31.03.2022 को		
		बकाया कुल अग्रिम	सकल एनपीए	सकल एनपीए का उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों का प्रतिशत	बकाया कुल अग्रिम	सकल एनपीए	सकल एनपीए का उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों का प्रतिशत
i)	प्राथमिकता क्षेत्र						
ए)	कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ	106547.99	25483.76	23.92%	105870.98	24354.60	23.00%
बी)	प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार के रूप में पात्र उद्योग क्षेत्र को अग्रिम	47236.18	7435.81	15.74%	45970.12	8005.11	17.41%
सी)	सेवाएं	81885.58	16833.41	20.56%	78632.45	18156.22	23.09%
डी)	व्यक्तिगत ऋण	33508.80	2156.37	6.44%	35188.85	2473.09	7.03%
	उप जोड़ (i)	269181.52	51909.35	19.28%	265662.39	52989.02	19.95%
ii)	गैर प्राथमिकता क्षेत्र						
ए)	कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ	35577.81	609.68	1.71%	18937.02	858.51	4.53%
बी)	उद्योग	126556.03	14313.59	11.31%	135356.14	22198.10	16.40%
सी)	सेवाएं	191433.12	2222.31	1.16%	143108.03	5567.89	3.89%
डी)	व्यक्तिगत ऋण	261931.60	8272.74	3.16%	221952.28	10834.48	4.88%
	उप जोड़ (ii)	615499.16	25418.32	4.13%	519441.97	39459.02	7.60%
	कुल (i+ii)	884680.68	77327.67	8.74%	785104.36	92448.04	11.78%

4. सी) विदेशी आस्तियां, एनपीए और राजस्व

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
कुल आस्तियां	61211.09	43561.22
कुल एनपीए	1676.66	1845.08
कुल राजस्व	2052.77	754.81

Ratios (in per cent)	Current Year	Previous Year
Gross NPA to Gross Advances	8.74%	11.78%
Net NPA to Net Advances	2.72%	4.80%
Provision Coverage Ratio	86.90%	81.60%

4. b) Sector-wise Advances and Gross NPAs

(Amount in ₹ Crore)

Sl. No.	Sector	AS ON 31.03.2023			AS ON 31.03.2022		
		Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector	Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector
i)	**Priority Sector**						
a)	Agriculture and allied activities	106547.99	25483.76	23.92%	105870.98	24354.60	23.00%
b)	Advances to industries sector eligible as priority sector lending	47239.16	7435.81	15.74%	45970.12	8005.11	17.41%
c)	Services	81885.58	16833.41	20.56%	78632.45	18156.22	23.09%
d)	Personal Loans	33508.80	2156.37	6.44%	35188.85	2473.09	7.03%
	Sub-total (i)	**269181.52**	**51909.35**	**19.28%**	**265662.39**	**52989.02**	**19.95%**
ii)	**Non Priority Sector**						
a)	Agriculture and allied activities	35577.81	609.68	1.71%	18937.52	858.55	4.53%
b)	Industry	126556.63	14313.59	11.31%	135356.14	22198.10	16.40%
c)	Services	191433.12	2222.31	1.16%	143186.03	5567.89	3.89%
d)	Personal Loans	261931.60	8272.74	3.16%	221962.28	10834.48	4.88%
	Sub-total (ii)	**615499.16**	**25418.32**	**4.13%**	**519441.97**	**39459.02**	**7.60%**
	Total (i+ii)	**884680.69**	**77327.67**	**8.74%**	**785104.36**	**92448.04**	**11.78%**

4. c) Overseas assets, NPAs and revenue

(Amount in ₹ Crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
Total Assets	61211.00	43561.22
Total NPAs	1678.86	1845.08
Total Revenue	2052.77	754.81

4. डी) समाधान योजना और पुनर्गठन का विवरण

4. डी) i) आरबीआई परिपत्र संख्या डीबीआर.संख्या.बीपी.बीसी.45/21.04.048/2018-19 दिनांक 07.06.2019 के अनुसार वर्ष के दौरान कार्यान्वित समाधान योजना से संबंधित प्रकटीकरण

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष		गत वर्ष	
	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि
पुनर्गठन आदि के अधीन ऋण आस्तियों की कुल राशि	10	3358.52	6	346.68
पुनर्गठन आदि के अधीन मानक आस्तियों की राशि।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
पुनर्गठन आदि के अधीन अवमानक आस्तियों की राशि।	10	3358.52	6	348.88
वर्ष के दौरान पुनर्गठन पर इक्विटी के रूपांतरण के कारण शेयरों का अधिग्रहण	4	82.07	1	1.54

4. डी) ii) दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचे पर 7 जून 2019 के आरबीआई परिपत्र डीबीआर नंबर बीपी बीसी 45/21.04.048/2018–19 के अनुसार, बैंक के पास 31 मार्च, 2023 को 18 खातों में 2371.03 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान है जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

(राशि ₹ करोड़ में)

आरबीआई परिपत्र से प्रभावित ऋणों की राशि	एनपीए के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले ऋण की राशि	एनपीए के रूप में वर्गीकृत (बी) में से 31.03.2023 को ऋण की राशि	31.03.2023 तक धारित प्रावधान
(ए)	(बी)	(सी)	(डी)
8794.28	3414.48	3414.48	2371.03

31.03.2022 (गत वर्ष)

बैंक के पास 31.03.2022 तक 20 खातों में ₹ 2007.22 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान था, जिसका विवरण नीचे दिया गया है

(राशि ₹ करोड़ में)

आरबीआई परिपत्र से प्रभावित ऋणों की राशि	एनपीए के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले ऋण की राशि	एनपीए के रूप में वर्गीकृत (बी) में से 31.03.2022 को ऋण की राशि	31.03.2022 तक धारित प्रावधान
(ए)	(बी)	(सी)	(डी)
5675.07	4817.39	4817.39	2007.22

4. d) Particulars of resolution plan and restructuring

4. d) i) Disclosure related to Resolution Plan implemented during the year in terms of RBI Circular No. DBR.No.BP.BC.45/21.04.048/2018-19 dated 07.06.2019

(Amount in ₹ Crore)

Particulars	Current Year		Previous Year	
	No. of Accts	Amount	No. of Accts	Amount
Total amount of Loan assets subjected to restructuring etc.	10	3358.52	6	346.68
The amount of standard assets subjected to restructuring etc.	NIL	NIL	NIL	NIL
The amount of Sub-standard assets subjected to restructuring etc.	10	3358.52	6	346.68
Acquisition of shares due to conversion of equity on re-structuring during the year	4	82.07	1	1.54

4. d) ii) In terms of RBI Circular DBR No. BP. BC 45/21.04.048/2018-19 dated June 7, 2019 on Prudential Framework for Resolution of Stressed Assets, the Bank is holding additional provision of Rs.2371.03 Crore as on March 31, 2023 in 18 accounts as detailed below:

(Amount in ₹ Crore)

Amount of loans impacted by RBI Circular (FB+NFB)	Amount of Loans to be classified as NPA (FB)	Amount of loans as on 31.03.2023 out of (b) classified as NPA (FB)	Provision held as on 31.03.2023
(a)	(b)	(c)	(d)
8794.28	3414.48	3414.48	2371.03

31.03.2022 (Previous Year)

Bank was holding additional provision of ₹2007.22 Crores as on 31.03.2022 in 20 accounts as detailed below:

(Amount in ₹ Crore)

Amount of loans impacted by RBI Circular	Amount of Loans to be classified as NPA	Amount of loans as on 31.03.2022 out of (b) classified as NPA	Provision held as on 31.03.2022
(a)	(b)	(c)	(d)
5675.07	4617.59	4617.59	2007.22

4. डी) iii). पुनर्गठित खातों का प्रकटीकरण

31.03.2023 (वर्तमान वर्ष)

Sl No	Type of Restructuring →		Under CDR Mechanism					Under SME Debt Restructuring Mechanism					Others					Total				
	Asset Classification →		Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total
	Details		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
1	Restructured Accounts as on April 1, 2022 (opening figures)	No. of borrowers	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Amount outstanding	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Provision thereon	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	Fresh restructuring during the year 2022-23 (plus addition in O/s in existing a/cs)	No. of borrowers	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Amount outstanding	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Provision thereon	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	Upgradations to restructured standard category during the FY 2022-23	No. of borrowers	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Amount outstanding	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Provision thereon	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	Restructured standard advances at the beginning of the FY 2022-23, which cease to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of the FY 2022-23 and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY	No. of borrowers	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Amount outstanding	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Provision thereon	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	Downgradations of restructured accounts during the FY 2022-23	No. of borrowers	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Amount outstanding	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Provision thereon	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	Write-offs of restructured accounts during the FY 2022-23 (Net)	No. of borrowers	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Amount outstanding	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Provision thereon	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	Restructured Accounts as on March 31, 2023 (closing figures)	No. of borrowers	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Total Amount outstanding	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Provision thereon	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

4. d) iii). Disclosure of Restructured Accounts

31.03.2023 (Current Year)

Sl No	Type of Restructuring →		Under CDR Mechanism					Under SME Debt Restructuring Mechanism					Others					Total				
	Asset Classification →		Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total
	Details		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
1	Restructured Accounts as on April 1 (Opening Figures)	No. of borrowers	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Amount outstanding	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Provision thereon	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	Fresh restructuring during the year 2022-23 [illegible]	No. of borrowers	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Amount outstanding	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Provision thereon	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	Upgradations to restructured standard category during the FY 2022-23	No. of borrowers	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Amount outstanding	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Provision thereon	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	Restructured standard advances at the beginning of the FY 2022-23, which cease to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of the FY 2022-23 and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY	No. of borrowers	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Amount outstanding	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Provision thereon	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	Downgradations of restructured accounts during the FY 2022-23	No. of borrowers	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Amount outstanding	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Provision thereon	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	Write-offs of restructured accounts during the FY 2022-23 (Exit)	No. of borrowers	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Amount outstanding	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Provision thereon	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	Restructured Accounts as on March 31, 2023 (Closing Figures)	No. of borrowers	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Total amount outstanding	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Provision thereon	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

31.03.2023 (वर्तमान वर्ष)

Sl. No.	Type of Restructuring →		Under CDR Mechanism					Under SME Debt Restructuring Mechanism					Others					Total				
	Asset Classification →		Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total
	Details		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
1	Restructured Accounts as on April 1, 2022 (Opening figures)	No. of borrowers	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Amount outstanding	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Provision thereon	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	Fresh restructuring during the year 2022-23 (incl. additions in the existing a/cs)	No. of borrowers	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Amount outstanding	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Provision thereon	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	Upgradations to restructured standard category during the FY 2022-23	No. of borrowers	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Amount outstanding	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Provision thereon	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	Restructured standard advances at the beginning of the FY 2022-23, which cease to attract higher provisioning and/or additional risk weight at the end of the FY 2022-23 and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY	No. of borrowers	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Amount outstanding	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Provision thereon	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	Downgradations of restructured accounts during the FY 2022-23	No. of borrowers	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Amount outstanding	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Provision thereon	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	Write-offs of restructured accounts during the FY 2022-23 (Exit)	No. of borrowers	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Amount outstanding	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Provision thereon	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	Restructured Accounts as on March 31, 2023	No. of borrowers	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	(closing figures)	Total amount outstanding	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Provision thereon	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

31.03.2023 (Current Year)

Sl No	Type of Restructuring →		Under CDR Mechanism					Under SME Debt Restructuring Mechanism					Others					Total				
	Asset Classification →		Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-Stan-dard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total
	Details		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
1	Restructured Accounts as on April 1, 2022 (opening figures)	No. of borrowers	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Amount outstanding	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Provision thereon	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	Fresh restructuring during the year 2022-23 (plus addition in the outstanding a/cs)	No. of borrowers	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Amount outstanding	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Provision thereon	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	Upgradations to restructured standard category during the FY 2022-23	No. of borrowers	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Amount outstanding	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Provision thereon	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	Restructured standard advances at the beginning of the FY 2022-23, which cease to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of the FY 2022-23 and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY	No. of borrowers	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Amount outstanding	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Provision thereon	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	Downgradations of restructured accounts during the FY 2022-23	No. of borrowers	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Amount outstanding	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Provision thereon	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	Write-offs of restructured accounts during the FY 2022-23 (Full)	No. of borrowers	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Amount outstanding	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Provision thereon	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	Restructured Accounts as on March 31, 2023	No. of borrowers	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	(closing figures)	Total Amount outstanding	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Provision thereon	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

4. डी) iv) 31.03.2023 को दबावग्रस्त आस्तियों (एस4ए) की धारणीय संरचना की योजना का प्रकटीकरण:

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	खातों की संख्या जहां एस4ए लागू किया गया है	कुल बकाया राशि	बकाया राशि		धारित प्रावधान
			भाग ए में	भाग बी में	
31.03.2023 को					
मानक के रूप में वर्गीकृत	2	146.54	48.95	97.59	50.52
एनपीए के रूप में वर्गीकृत	5	2359.25	934.12	1425.13	2336.42
31.03.2022 को					
मानक के रूप में वर्गीकृत	2	155.95	58.36	97.59	94.31
एनपीए के रूप में वर्गीकृत	7	3560.94	1939.40	1621.54	2894.88

4. डी) v) 31.03.2023 को रणनीतिक ऋण पुनर्संरचना योजना पर प्रकटीकरण (खाते जो वर्तमान में स्थिर अवधि के अंतर्गत हैं)

(राशि ₹ करोड़ में)

खातों की संख्या जहां एसडीआर लागू की गई है	रिपोर्टिंग तिथि को बकाया राशि		खाते जहां ऋण का इक्विटी में परिवर्तन लंबित है, उनके संबंध में रिपोर्टिंग तिथि को बकाया राशि		खाते जहां ऋण का इक्विटी में परिवर्तन हो गया है, उनके संबंध में रिपोर्टिंग तिथि को बकाया राशि	
	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत
वर्तमान वर्ष 31.03.2023: शून्य						
गत वर्ष 31.03.2022: शून्य						

4. डी) vi) रणनीतिक ऋण पुनर्संरचना योजना के बाहर स्वामित्व में परिवर्तन पर प्रकटीकरण (खाते जो वर्तमान में स्थिर अवधि के अंतर्गत हैं)

(राशि ₹ करोड़ में)

खातों की संख्या जहां बैंक ने स्वामित्व में परिवर्तन करने का निर्णय लिया है।	रिपोर्टिंग तिथि अर्थात् 31.03.2023 को बकाया राशि		खाते जहां ऋण से इक्विटी में परिवर्तन / इक्विटी शेयरों को गिरवी रखना लंबित है, के संबंध में रिपोर्टिंग तिथि को बकाया		खाते जहां ऋण से इक्विटी में परिवर्तन किया गया है / इक्विटी शेयरों को गिरवी रखा गया है, के संबंध में रिपोर्टिंग तिथि को बकाया		खाते जहां नए शेयर जारी करने या प्रवर्तकों के इक्विटी की बिक्री से स्वामित्व में परिवर्तन हुआ है, के संबंध में रिपोर्टिंग तिथि को बकाया राशि	
	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत
वर्तमान वर्ष 31.03.2023: शून्य								
गत वर्ष 31.03.2022: शून्य								

4.डी) vii) 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार मौजूदा ऋणों के लिए अस्थिर संरचना के अनुप्रयोग पर प्रकटीकरण:

(राशि ₹ करोड़ में)

अवधि	अस्थिर संरचना में लिए गए उधारकर्ताओं की संख्या	अस्थिर संरचना हेतु लिए गए ऋण की राशि		अस्थिर संरचना में लिए गए ऋणों की भा. सिम भारित औसत अवधि	
		मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	अस्थिर संरचना लागू करने से पहले	अस्थिर संरचना लागू करने के बाद
वर्तमान वर्ष 31.03.2023	शून्य				
गत वर्ष 31.03.2022	शून्य				

4.d) iv) Disclosures on the Scheme for Sustainable Structuring of Stressed Assets (S4A), as on 31.03.2023

(Amount in ₹ Crore)

Particulars	No. of accounts where S4A has been applied	Aggregate amount outstanding	Amount outstanding		Provision Held
			In Part A	In Part B	
As on 31.03.2023					
Classified as Standard	2	146.54	48.95	97.59	50.52
Classified as NPA	5	2359.25	934.12	1425.13	2336.42
As on 31.03.2022					
Classified as Standard	2	155.95	58.36	97.59	54.31
Classified as NPA	7	3560.94	1939.40	1621.54	2894.88

4.d) v) Disclosures on Strategic Debt Restructuring Scheme (Accounts which are currently under the stand-still period) as on 31.03.2023

(Amount in ₹ Crore)

No. of accounts where SDR has been invoked	Amount outstanding as on the reporting date		Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity is pending		Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity has been taken place	
	Classified as Standard	Classified as NPA	Classified as Standard	Classified as NPA	Classified as Standard	Classified as NPA
Current Year 31.03.2023: NIL						
Previous Year 31.03.2022: NIL						

4.d) vi) Disclosures on Change in ownership outside Strategic Debt Restructuring Scheme (accounts which are currently under the stand-still period):

(Amount in ₹ Crore)

No. of accounts where banks have decided to effect change in ownership	Amount outstanding as on the reporting date i.e. 31.03.2023		Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity/invocation of pledge of equity shares is pending		Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity/invocation of pledge of equity shares has taken place		Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where change in ownership is envisaged by issuance of fresh shares or sale of promoters equity	
	Classified as Standard	Classified as NPA	Classified as Standard	Classified as NPA	Classified as Standard	Classified as NPA	Classified as Standard	Classified as NPA
Current Year 31.03.2023 : NIL								
Previous Year 31.03.2022: NIL								

4.d) vii) Disclosures on application of Flexible Structuring to Existing Loans as on 31.03.2023:

(Amount in ₹ Crore)

Period	No. of borrowers taken up for flexibly structuring	Amount of loans taken up for flexible structuring		Exposure weighted average duration of loans taken up for flexible structuring	
		Classified as Standard	Classified as NPA	Before applying flexible structuring	After applying flexible structuring
Current Year 31.03.2023	NIL				
Previous Year 31.03.2022	NIL				

4. डी) viii) कार्यान्वयन के अंतर्गत परियोजनाओं के स्वामित्व में परिवर्तन पर प्रकटीकरण (खाते जो वर्तमान में स्टैंड-स्टिल अवधि के अंतर्गत हैं):

(राशि ₹ करोड़ में)

उन परियोजना ऋण खातों की संख्या जहां बैंकों ने स्वामित्व में परिवर्तन करने का निर्णय लिया है	रिपोर्टिंग तिथि अर्थात 31.03.2023 को बकाया राशि		
	मानक के रूप में वर्गीकृत	मानक पुनर्गठित के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत
चालू वर्ष: शून्य			
गत वर्ष: शून्य			

4. ई) आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान में विचलन

आरबीआई मास्टर दिशा-निर्देश सं.आरबीआई/डीओआर/2021-22/83 डीओआर.एसीसी.आरईसी.स. 45/21.04.018/2021-22 दिनांक 30 अगस्त, 2021(20 फरवरी, 2023 को अद्यतन) में उल्लिखित शर्तों के आधार पर 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए आरबीआई की वार्षिक पर्यवेक्षी प्रक्रिया के संबंध में एनपीए के लिए परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान में विचलन पर प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है।

(गत वर्ष: आरबीआई परिपत्र सं. डीबीआर.बीपीबीसी सं. 32/21.04.018/2018-19 दिनांक 1 अप्रैल, 2019 के अनुसार, आरबीआई द्वारा मूल्यांकन किए गए एनपीए के लिए अतिरिक्त प्रावधानीकरण के मामले में प्रावधानों और संबंधित अवधि के लिए आकस्मिकताओं से पहले सूचित लाभ का 10% से अधिक प्रावधान है और/या आरबीआई द्वारा चिन्हित अतिरिक्त सकल एनपीए संदर्भ अवधि के लिए प्रकाशित वृद्धिशील सकल एनपीए के 15% से अधिक है, तो बैंकों को आय मान्यता, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान पर विवेकपूर्ण मानदंडों से विचलन का खुलासा करना आवश्यक है।

उपरोक्त परिपत्र के संदर्भ में विचलन, ऊपर निर्दिष्ट सीमा के भीतर है, इसलिए वित्तीय वर्ष 2021 के लिए आरबीआई की वार्षिक पर्यवेक्षी प्रक्रिया के संबंध में किसी प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है)।

4. एफ) ऋण एक्सपोजर के हस्तांतरण का प्रकटीकरण: अन्य संस्थाओं से / को हस्तांतरित और प्राप्त किए गए ऋण की कुल राशि, जो चूक/दबाव ऋणों में नहीं है:

आरबीआई के परिपत्र संख्या डीओआर.एसटीआर.आरईसी. 51/21.04.048/2021-22 दिनांक 24 सितंबर, 2021 के अनुसार, 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान हस्तांतरित/अधिग्रहित ऋणों का विवरण नीचे दिया गया है:

4. एफ) i) ऋण जो चूक में नहीं, हस्तांतरित किए गए:

(राशि ₹ करोड़ में)

31.03.2023 – वर्तमान वर्ष	31.03.2022 – गत वर्ष
शून्य	शून्य

4.d)viii) Disclosures on Change in Ownership of Projects Under Implementation (accounts which are currently under the stand-still period):

(Amount in ₹ Crore)

No. of project loan accounts where banks have decided to effect change in ownership	Amount outstanding as on the reporting date i.e. 31.03.2023		
	Classified as Standard	Classified as Standard restructured	Classified as NPA
Current Year: NIL			
Previous Year: NIL			

4. e) Divergence in Asset Classification and Provisioning

Disclosure on divergence in Asset classification and provisioning for NPAs is not required w.r.t. RBI's annual supervisory process for the year ended March 31, 2022 based on conditions mentioned in RBI Master Direction no. RBI/DOR/2021-22/83 DOR.ACC.REC.No.45/21.04.018/2021-22 dated August 30, 2021 (Updated as on February 20, 2023).

(Previous year: As per RBI Circular No.DBR.BP.BC No.32/21.04.018/2018-19 dated April 1, 2019, in case the additional provisioning for NPA assessed by RBI exceeds 10% of the reported profit before provisions and contingencies for the reference period and /or additional gross NPAs identified by RBI exceed 15% of the published incremental Gross NPAs for the reference period, then the banks are required to disclose divergence from prudential norms on income recognition, assets classification and provisioning.

Divergences in terms of above circular, are within threshold limits as specified above, hence no disclosure is required with respect to RBI's annual supervisory process for FY 2021.

4. f) Disclosure of transfer of loan exposures: Total amount of loan not in default / stressed loans transferred and acquired to / from other entities:

In accordance with RBI circular no. DOR.STR.REC.51/21.04.048/2021-22 dated September 24, 2021, the details of loans transferred/acquired during the FY ended March 31, 2023 are given below:

4. f) i) Loans not in default transferred:

(Amount in ₹ crore)

31.03.2023 - Current year	31.03.2022 - Previous Year
NIL	NIL

ऐसे ऋण जो समनुदेशन के माध्यम से पूल बायआउट द्वारा डिफॉल्ट अधिग्रहित नहीं किए हैं:

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	वर्तमान वर्ष (01.04.2022 से 31.03.2023)	गत वर्ष (01.04.2021 से 31.03.2022)
ऋण की राशि	5222.55	शून्य
भारित औसत परिपक्वता (महीनों में)	57.94	शून्य
भारित औसत धारण अवधि (महीनों में)	14.33	शून्य
लाभकारी आर्थिक हितों की अवधारण (प्रवर्तक द्वारा)	10.00%	शून्य
मूर्त प्रतिभूति कवरेज	115.70%	शून्य
श्रेणीकृत ऋणों का श्रेणी वार वितरण	लागू नहीं	शून्य

Loans not in default acquired through pool buyout via assignment:

(Amount in ₹ Crore)

Particulars	Current Period (01.04.2022 to 31.03.2023)	Previous Period (01.04.2021 to 31.03.2022)
Amount of Loan	5222.55	Nil
Weighted average maturity (in months)	57.94	Nil
Weighted average holding period (in months)	14.33	Nil
Retention of beneficial economic interest (by originator)	10.00%	Nil
Tangible security coverage	115.70%	Nil
Rating wise distribution of rated loans	NA	Nil

4. एफ) ii) वर्ष के दौरान हस्तांतरित दबावग्रस्त ऋणों का विवरण – एसएमए के रूप में वर्गीकृत ऋण:

31.03.2023 चालू वर्ष

(कुल राशि ₹ करोड़ में)	एआरसी को	अनुमत अंतरितियों के लिए	अन्य अनुमत अंतरितियों के लिए
खातों की संख्या	शून्य	शून्य	शून्य
हस्तांतरित ऋणों का बकाया कुल मूलधन	शून्य	शून्य	शून्य
हस्तांतरित ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि	शून्य	शून्य	शून्य
हस्तांतरित ऋणों का निवल बही मूल्य (हस्तांतरण के समय)	शून्य	शून्य	शून्य
कुल प्रतिफल	शून्य	शून्य	शून्य
पूर्व के वर्षों में हस्तांतरित खातों के संबंध में अतिरिक्त प्रतिफल की वसूली	शून्य	शून्य	शून्य
दबावग्रस्त ऋणों की बिक्री के कारण लाभ और हानि खाते में वापस की गई अतिरिक्त प्रावधान की मात्रा	शून्य	शून्य	शून्य

4. f) ii) Details of stressed Loans transferred during the Year - loans classified as SMA:

31.03.2023 Current Year

(all Amount in ₹ crore)	To ARCs	To permitted transferees	To other transferees
No. of accounts	NIL	NIL	NIL
Aggregate principal outstanding of loans transferred	NIL	NIL	NIL
Weighted average residual tenor of the loans transferred	NIL	NIL	NIL
Net book value of loans transferred (at the time of transfer)	NIL	NIL	NIL
Aggregate consideration	NIL	NIL	NIL
Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	NIL	NIL	NIL
Quantum of excess Provision reversed to the Profit & Loss account on account of sale of stressed loans	NIL	NIL	NIL

31.03.2022 गत वर्ष

(कुल राशि ₹ करोड़ में)	एआरसी को	अनुमत अंतरितियों के लिए	अन्य अनुमत अंतरितियों के लिए (कृपया निर्दिष्ट करें)
खातों की संख्या	शून्य	शून्य	शून्य
हस्तांतरित ऋणों का बकाया कुल मूलधन	शून्य	शून्य	शून्य
हस्तांतरित ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि	शून्य	शून्य	शून्य
हस्तांतरित ऋणों का निवल बही मूल्य (हस्तांतरण के समय)	शून्य	शून्य	शून्य
कुल प्रतिफल	शून्य	शून्य	शून्य
पूर्व के वर्षों में हस्तांतरित खातों के संबंध में अतिरिक्त प्रतिफल की वसूली	शून्य	शून्य	शून्य
दबावग्रस्त ऋणों की बिक्री के कारण लाभ और हानि लेखे में वापस की गई अतिरिक्त प्रावधान की मात्रा	शून्य	शून्य	शून्य

4. एफ) iii) वर्ष के दौरान अर्जित दबावग्रस्त ऋणों का विवरण – एसएमए के रूप में वर्गीकृत ऋण:

31.03.2023 वर्तमान वर्ष

(कुल राशि ₹ करोड़ में)	हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (एचएफसी) सहित एससीबी, आरआरबी, यूसीबी, एसटीसीबी, डीसीसीबी, एआईएफ, एसएफबी और एनबीएफसी से	एआरसी से
अर्जित ऋणों का बकाया कुल मूलधन	शून्य	शून्य
भुगतान किया गया कुल प्रतिफल	शून्य	शून्य
अधिग्रहीत ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि	शून्य	शून्य

31.03.2022 Previous Year

(all Amount in ₹ crore)	To ARCs	To permitted transferees	To other transferees
No. of accounts	NIL	NIL	NIL
Aggregate principal outstanding of loans transferred	NIL	NIL	NIL
Weighted average residual tenor of the loans transferred	NIL	NIL	NIL
Net book value of loans transferred (at the time of transfer)	NIL	NIL	NIL
Aggregate consideration	NIL	NIL	NIL
Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	NIL	NIL	NIL
Quantum of excess Provision reversed to the Profit & Loss account on account of sale of stressed loans	NIL	NIL	NIL

4. f) iii) Details of stressed Loans acquired during the Year - loans classified as SMA:

31.03.2023 Current Year

(all Amount in ₹ crore)	From SCBs, RRBs, UCBs, StCBs, DCCBs, AIFs, SFBs and NBFCs including Housing Finance Companies (HFCs)	From ARCs
Aggregate principal outstanding of loans acquired	NIL	NIL
Aggregate consideration paid	NIL	NIL
Weighted average residual tenor of loans acquired	NIL	NIL

31.03.2022 गत वर्ष

(कुल राशि ₹ करोड़ में)	हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (एचएफसी) सहित एससीबी, आरआरबी, यूसीबी, एसटीसीबी, डीसीसीबी, एआईएफ, एसएफबी और एनबीएफसी से	एआरसी से
अर्जित ऋणों का बकाया कुल मूलधन	शून्य	शून्य
भुगतान किया गया कुल प्रतिफल	शून्य	शून्य
अधिग्रहीत ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि	शून्य	शून्य

4. एफ) iv) वर्ष के दौरान हस्तांतरित किए गए दबावग्रस्त ऋणों का विवरण – एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋण.

31.03.2023 वर्तमान वर्ष

(कुल राशि ₹ करोड़ में)	एआरसी को	अनुमत अंतरितियों के लिए	अन्य अनुमत अंतरितियों के लिए (कृपया निर्दिष्ट करें)
खातों की संख्या	7	शून्य	शून्य
हस्तांतरित ऋणों का बकाया कुल मूलधन	1409.12	शून्य	शून्य
हस्तांतरित ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि	शून्य	शून्य	शून्य
हस्तांतरित ऋणों का निवल बही मूल्य (हस्तांतरण के समय)	32.20	शून्य	शून्य
कुल प्रतिफल	617.71	शून्य	शून्य
पूर्व के वर्षों में हस्तांतरित खातों के संबंध में अतिरिक्त प्रतिफल की वसूली	95.62	शून्य	शून्य

31.03.2022 Previous Year

(all Amount in ₹ crore)	From SCBs, RRBs, UCBs, StCBs, DCCBs, AIFs, SFBs and NBFCs including Housing Finance Companies (HFCs)	From ARCs
Aggregate principal outstanding of loans acquired	NIL	NIL
Aggregate consideration paid	NIL	NIL
Weighted average residual tenor of loans acquired	NIL	NIL

4. f) iv) Details of stressed Loans transferred during the Year - loans classified as NPA:

31.03.2023 Current Year

(all Amount in ₹ crore)	To ARCs	To permitted transferees	To other transferees
No. of accounts	7	NIL	NIL
Aggregate principal outstanding of loans transferred	1409.12	NIL	NIL
Weighted average residual tenor of the loans transferred	NIL	NIL	NIL
Net book value of loans transferred (at the time of transfer)	32.20	NIL	NIL
Aggregate consideration	617.71	NIL	NIL
Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	95.62	NIL	NIL

31.03.2022 गत वर्ष

(कुल राशि ₹ करोड़ में)	एआरसी को	अनुमत अंतरितियों के लिए	अन्य अनुमत अंतरितियों के लिए (कृपया निर्दिष्ट करें)
दबावग्रस्त ऋणों की बिक्री के कारण लाभ और हानि लेखे में वापस की गई अतिरिक्त प्रावधान की मात्रा	585.51	शून्य	शून्य

(कुल राशि ₹ करोड़ में)	एआरसी को	अनुमत अंतरितियों के लिए	अन्य अनुमत अंतरितियों के लिए (कृपया निर्दिष्ट करें)
खातों की संख्या	4	शून्य	शून्य
हस्तांतरित ऋणों का बकाया कुल मूलधन	2421.42	शून्य	शून्य
हस्तांतरित ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि	शून्य	शून्य	शून्य
हस्तांतरित ऋणों का निवल बही मूल्य (हस्तांतरण के समय)	198.17	शून्य	शून्य
कुल प्रतिफल	1057.64	शून्य	शून्य
पूर्व के वर्षों में हस्तांतरित खातों के संबंध में अतिरिक्त प्रतिफल की वसूली	17.15	शून्य	शून्य
दबावग्रस्त ऋणों की बिक्री के कारण लाभ और हानि लेखे में वापस की गई अतिरिक्त प्रावधान की मात्रा	859.47	शून्य	शून्य

4. एफ) v) वर्ष के दौरान अर्जित दबावग्रस्त ऋणों का विवरण एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋण।

31.03.2023 वर्तमान वर्ष

31.03.2022 Previous Year

(all Amount in ₹ crore)	To ARCs	To permitted transferees	To other transferees
No. of accounts	4	NIL	NIL
Aggregate principal outstanding of loans transferred	2421.42	NIL	NIL
Weighted average residual tenor of the loans transferred	NIL	NIL	NIL
Net book value of loans transferred (at the time of transfer)	198.17	NIL	NIL
Aggregate consideration	1057.64	NIL	NIL
Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	17.15	NIL	NIL
Quantum of excess Provision reversed to the Profit & Loss account on account of sale of stressed loans	859.47	NIL	NIL

4. f) v) Details of stressed Loans acquired during the Year - loans classified as NPA:

31.03.2023 Current Year

(all Amount in ₹ crore)	From SCBs, RRBs, UCBs, StCBs, DCCBs, AIFs, SFBs and NBFCs including Housing Finance Companies (HFCs)	From ARCs
Aggregate principal outstanding of loans acquired	NIL	NIL
Aggregate consideration paid	NIL	NIL
Weighted average residual tenor of loans acquired	NIL	NIL

31.03.2022 गत वर्ष

(कुल राशि ₹ करोड़ में)	हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (एचएफसी) सहित एससीबी, आरआरबी, यूसीबी, एसटीसीबी, डीसीसीबी, एआईएफ, एसएफबी और एनबीएफसी से	एआरसी से
अर्जित ऋणों का बकाया कुल मूलधन	शून्य	शून्य
भुगतान किया गया कुल प्रतिफल	शून्य	शून्य
अधिग्रहीत ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि	शून्य	शून्य

4. एफ) vi) 31 मार्च, 2023 तक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा ऐसे एसआर को सौंपी गई वसूली रेटिंग की विभिन्न श्रेणियों में धारित एसआर का वितरण:

वसूली रेटिंग बैंड	बही मूल्य 31.03.2023	बही मूल्य 31.03.2022
आरआर1	28.72	0.00
आरआर 1	262.86	446.58
आरआर 2	94.66	354.76
आरआर 3	136.49	365.29
आरआर 4	443.44	434.70
आरआर 5	389.93	4.40
वापस ली गई रेटिंग	162.07	86.78
कुल	1518.19	1692.51

आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार 8 साल के बाद रेटिंग लागू नहीं होती है।

31.03.2022 Previous Year

(all Amount in ₹ crore)	From SCBs, RRBs, UCBs, StCBs, DCCBs, AIFs, SFBs and NBFCs including Housing Finance Companies (HFCs)	From ARCs
Aggregate principal outstanding of loans acquired	NIL	NIL
Aggregate consideration paid	NIL	NIL
Weighted average residual tenor of loans acquired	NIL	NIL

4. f) vi) Distribution of the SRs held across the various categories of Recovery Ratings assigned to such SRs by the credit rating agencies as on March 31, 2023:

(Amount in ₹ Crore

Recovery Rating Band	Book Value 31.03.2023	Book Value 31.03.2022
RR1+	28.72	0.00
RR1	262.86	446.58
RR2	94.66	354.76
RR3	136.49	365.29
RR4	443.44	434.70
RR5	389.93	4.40
Rating Withdrawn	162.07	86.78
Total	**1518.19**	**1692.51**

As per RBI guidelines post 8 years Rating is not applicable.

4. एफ) vii) प्रतिभूति रसीदों (एसआर) में निवेश:

₹

	विवरण	वर्तमान वर्ष (31.03.2023 को)			गत वर्ष (31.03.2022 को)		
		पिछले 5 वर्षों के भीतर जारी किए गए एसआर	5 से अधिक वर्ष पहले जारी किए गए एसआर लेकिन पिछले 8 वर्षों के भीतर	8 से अधिक वर्ष पहले जारी किए गए एसआर	पिछले 5 वर्षों के भीतर जारी किए गए एसआर	5 से अधिक वर्ष पहले जारी किए गए एसआर लेकिन पिछले 8 वर्षों के भीतर	8 से अधिक वर्ष पहले जारी किए गए एसआर
ए)	उन एसआर का बही मूल्य जहां बैंक द्वारा बेचे गए एनपीए अंतर्निहित हैं	87.99	1291.51	138.69	594.80	1016.98	80.73
	(ए) के प्रति किया गया प्रावधान	87.99	1291.51	138.69	287.29	384.38	80.73
बी)	उन एसआर का बही मूल्य जहां अन्य बैंकों / वित्तीय संस्थानों / गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बेचे गए एनपीए अंतर्निहित हैं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(बी) के प्रति किया गया प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल (ए)+(बी)		87.99	1291.51	138.69	594.80	1016.98	80.73

4. f) vii) Investments in Security Receipts (SRs):

(Amount in ₹ Crore)

	Particulars	Current Year (As on 31.03.2023)			Previous Year (As on 31.03.2022)		
		SRs issued within past 5 years	SRs issued more than 5 years ago but within past 8 years	SRs issued more than 8 years ago	SRs issued within past 5 years	SRs issued more than 5 years ago but within past 8 years	SRs issued more than 8 years ago
a)	Book value of SRs where NPAs sold by the bank are the underlying	87.99	1291.51	138.69	594.80	1016.98	80.73
	Provision held against (a)	87.99	1291.51	138.69	287.29	384.38	80.73
b)	Book value of SRs where NPAs sold by other banks / financial institutions / non-banking financial companies are the underlying	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Provision held against (b)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total (a) + (b)		87.99	1291.51	138.69	594.80	1016.98	80.73

4. जी) धोखाधड़ी खाते

			गत वर्ष
रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी की संख्या	उधार	165	142
	गैर उधार	124	289
	कुल	289	431
धोखाधड़ी में शामिल राशि (₹ करोड़)	उधार	1578.46	9553.81
	गैर उधार	230.64	25.99
	कुल	1809.10	9579.80
ऐसी धोखाधड़ी के लिए किए गए प्रावधान की राशि (₹ करोड़)	उधार	1578.46	8524.87
	गैर उधार	224.22	19.26
	कुल	1802.68	8544.13
वर्ष के अंत में 'अन्य आरक्षित निधियों' से आह. रित किए गए असंशोधित प्रावधान की राशि (₹ करोड़)	–	–	1028.95

4. एच) i) आरबीआई के परिपत्र सं बैविवि.सं.बीपी. बीसी.18 / 21.04.048 / 2018–19 दिनांक 01 जनवरी 2019,डीओआर. सं.बीपी.बीसी.34 / 21.4.048 / 2019–20 दिनांक फरवरी के अनुसार 11, 2020 और DOR.No.BP.BC / 21.04.048 / 2020–21 दिनांक 06 अगस्त, 2020 को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र – अग्रिम का पुनर्गठन' पर, एमएसएमई पुनर्गठित खातों का विवरण निम्नानुसार है:

(राशि ₹ करोड़ में)

पुनर्गठित खातों की संख्या	राशि	किया गया प्रावधान
7401	782.39	39.11

4. एच) ii) आरबीआई के परिपत्र सं डीओआर.एसटीआर. आरईसी.12 / 21.04.048 / 2021–22 दिनांक 05 मई, 2021 के अनुसार रिजॉल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 – सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के कोविड–19 संबंधित तनाव का समाधान पुनर्गठित खातों का विवरण निम्नानुसार है:

पुनर्गठित खातों की संख्या	राशि	किया गया प्रावधान
40393	2656.36	265.63

4.एच) iii) पपप) आरबीआई सर्कुलर RBI/2020-21/16 DOR. No.BP.BC/3/21.04.048/2020-21 दिनांक 06 अगस्त 2020 और त्प्क के अनुसार COVID 19 संबंधित तनाव के लिए रिजॉल्यूशन फ्रेमवर्क के तहत कार्यान्वित रिजॉल्यूशन प्लान का विवरण 2021–22ए31 डीओआर.एसटीआर.आरईसी.11 / 21.04.048 / 2021–22 दिनांक 5 मई, 2021 नीचे दिया गया है:

4.g) Fraud accounts

(Amount in ₹ Crore)

		Current Year	Previous Year
Number of frauds reported	Borrowal	165	142
	Non Borrowal	124	289
	TOTAL	**289**	**431**
Amount involved in fraud (₹ crore)	Borrowal	1578.46	8553.81
	Non Borrowal	230.64	25.99
	TOTAL	**1809.10**	**9579.80**
Amount of provision made for such frauds (₹ crore)	Borrowal	1578.46	8524.87
	Non Borrowal	224.22	19.26
	TOTAL	**1802.68**	**8544.13**
Amount of Un-amortised provision debited from 'other reserves' as at the end of the year. (₹ crore)	-	-	1028.95

4.h) i) In accordance with RBI circular no. DBR.No.BP. BC.18/21.04.048/2018-19 dated January 01, 2019, DOR.No.BP.BC.34/21.4.048/2019-20 dated February 11, 2020 and DOR.No.BP.BC/4/21.04.048/2020-21 dated August 06, 2020 on "Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) sector - Restructuring of Advance", the details of MSME restructured accounts is as under:

(Amount in ₹Crore)

No. of Accounts Restructured	Amount	Provision held
7401	782.39	39.11

4.h) ii) In accordance with RBI circular no. DOR.STR. REC.12/21.04.048/2021-22 dated May 05, 2021 on "Resolution Framework 2.0 - Resolution of Covid-19 related stress of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs)" the details of accounts restructured is as under:

(Amount in ₹Crore)

No. of Accounts Restructured	Amount	Provision held
40393	2656.36	265.63

4.h) iii) Details of resolution plan implemented under Resolution Framework for COVID 19 related stress as per RBI Circular RBI/2020-21/16 DOR.No.BP. BC/3/21.04.048/2020-21 dated August 06, 2020 and RBI/2021-22/31 DOR.STR.REC.11/21.04.048/2021-22 dated May 5, 2021 are given below:

(राशि ₹ करोड़ में)

उधारकर्ता का प्रकार	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों के लिए एक्सपोजर – 30.09.2022 (ए) के अनुसार स्थिति	(ए) का, कुल ऋण जो छमाही के दौरान एनपीए में चला गया	(ए) का, छमाही के दौरान बट्टे खाते में डाली गई राशि	(ए) का, छमाही के दौरान उधारकर्ताओं द्वारा भुगतान	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों के लिए एक्सपोजर – 31.03.2022 की स्थिति
वैयक्तिक ऋण	631.79	47.92	0.00	50.12	551.14
कॉर्पोरेट व्यक्ति*	2433.00	213.61	0.00	81.02	2268.60
जिनमें से एमएसएमई	350.96	0.00	0.00	18.58	332.54
अन्य	22.79	6.57	0.00	5.27	11.00
कुल ओटीआर 1.0	**3087.58**	**268.00**	**0.00**	**136.41**	**2830.74**
वैयक्तिक ऋण	4927.73	241.39	0.00	296.08	4326.63
कारोबार ऋण	148.49	13.10	0.00	15.98	128.31
छोटे कारोबार	850.87	64.05	0.00	86.48	648.53
कुल ओटीआर 2.0	**5927.09**	**318.54**	**0.00**	**394.53**	**5103.47**
कुल योग	**9014.67**	**586.54**	**0.00**	**530.94**	**7934.21**

240 उधारकर्ता खाते हैं, जिनका बैंक में कुल 17.81 करोड़ रुपये का एक्सपोजर है, जहां समाधान योजनाओं को लागू किया गया था और अब 5 मई, 2021 को आरबीआई के समाधान ढांचे 2.0 के तहत संशोधित किया गया है।

5. एक्सपोजर्स

5. ए. स्थावर संपदा क्षेत्र को एक्सपोजर

(राशि ₹ करोड़ में)

श्रेणी		चालू वर्ष	गत वर्ष
i)	**प्रत्यक्ष एक्सपोजर**		
ए)	आवासीय संपत्ति बंधक – आवासीय सम्पत्ति, जो ऋणी द्वारा अधिकार में ली गई है या ली जायेगी या किराये पर दी गई है, पर बंधक द्वारा पूर्णतः प्रतिभूत ऋण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत आवास ऋण अन्य आवासीय बंधक **कुल**	29491.37 68493.35 **97984.72**	27419.64 67774.36 **95194.00**
बी)	वाणिज्यिक स्थावर संपदा – वाणिज्यिक स्थावर संपदा (कार्यालय भवन, रिटेल स्पेस, बहुउद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या भंडारण स्पेस, भूमि अधिग्रहण, विकास और निर्माण, आदि) पर बंधक द्वारा प्रतिभूत ऋण निधि आधारित गैर निधि आधारित **कुल**	17679.28 626.41 **18305.69**	19747.38 951.08 **20698.46**
सी)	बंधक समर्थित प्रतिभूतियों (एम बी एस) और अन्य प्रतिभूत एक्सपोजर में निवेश –		
	i. आवासीय ii. वाणिज्यिक स्थावर संपदा	0.00 0.00	0.00 0.00
ii)	अप्रत्यक्ष एक्सपोजर		
	विदेशी कार्यालयों सहित राष्ट्रीय आवास बैंक (एन एच बी) और आवास वित्त कम्पनियों (एच एफ सी) हेतु निधि आधारित व गैर निधि आधारित एक्सपोजर बैंक द्वारा आवास कम्पनियों एवं कॉर्पोरेशन में किया गया निवेश **कुल**	45887.15 6251.82 **52138.97**	37277.39 6649.94 **43927.33**
	स्थावर संपदा क्षेत्र को कुल एक्सपोजर	**168429.38**	**159819.79**

(Amount in ₹Crore)

Type of borrower	Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan - Position as at 30.09.2022 (A)	Of (A), aggregate debt that slipped into NPA during the half-year	Of (A) amount written off during the half-year	Of (A) amount paid by the borrowers during the half year	Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan - Position as at 31.03.2023
Personal Loans	631.79	47.92	0.00	50.12	551.14
Corporate persons*	2433.00	213.51	0.00	81.02	2268.60
* Of which MSMEs	350.96	0.00	0.00	18.58	332.54
Others	22.79	6.57	0.00	5.27	11.00
Total OTR 1.0	**3087.58**	**268.00**	**0.00**	**136.41**	**2830.74**
Personal Loans	4927.73	241.39	0.00	298.08	4326.63
Business Loans	148.49	13.10	0.00	15.96	128.31
Small Business	850.87	64.05	0.00	80.49	648.53
Total OTR 2.0	**5927.09**	**318.54**	**0.00**	**394.53**	**5103.47**
Grand Total	**9014.67**	**586.54**	**0.00**	**530.94**	**7934.21**

There are 249 borrower accounts having aggregate exposure of Rs.17.81 Crore to the Bank where resolution plans had been implemented and now modified under RBI's resolution framework 2.0 dated May 5, 2021.

5. Exposures

5. a) Exposure to real estate sector

(Amount in ₹Crore)

	Category	Current Year	Previous Year
i)	**Direct Exposure**		
a)	Residential Mortgages– Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented. Housing loans classified as priority sector Others Residential Mortgages **Total**	 28491.37 69493.35 **97984.72**	 27419.64 67774.36 **95194.00**
b)	Commercial Real Estate– Lending secured by mortgages on commercial real estate (office buildings, retail space, multipurpose commercial premises, industrial or warehouse space, land acquisition, development and construction, etc.).; Fund Based Non Fund Based **Total**	 15679.28 626.41 **16305.69**	 19747.38 951.08 **20698.46**
c)	Investments in Mortgage-Backed Securities (MBS) and other securitized exposures–		
	i. Residential ii. Commercial Real Estate	0.00 0.00	0.00 0.00
ii)	**Indirect Exposure**		
	Fund based and non-fund-based exposures to National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies HFCs) Including Foreign Offices. Investments made by the Bank in Housing Companies and Corporations. **Total**	45887.15 6251.82 **52138.97**	37277.39 6649.94 **43927.33**
	Total Exposure to Real Estate Sector	**166429.38**	**159819.79**

5. b). Exposure to capital market

5. बी. पूँजी बाजार को एक्सपोजर

(राशि ₹ करोड़ में) / (Amount in ₹Crore)

	विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
i)	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बॉण्ड, परिवर्तनीय ऋण पत्रों और इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों में प्रत्यक्ष निवेश जो निगमित ऋण की मूल निधि में ही एक मात्र निवेश नहीं है	Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt.	2634.50	2915.47
ii)	शेयरों (आईपीओ / ईएसओपी सहित) परिवर्तनीय बॉन्डों, परिवर्तनीय ऋण पत्रों और इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों में निवेश के लिए व्यक्तियों को शेयरों/बॉण्डों/ऋण पत्रों या अन्य प्रतिभूतियों पर या प्रतिभूति के बिना अग्रिम	Advances against shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs / ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity oriented mutual funds;	5.66	1.16
iii)	किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम जहां शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्ड पत्रों या परिवर्तनीय ऋण पत्रों या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में रखा गया हो।	Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	शून्य NIL	शून्य NIL
iv)	किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम जहां शेयरों या परिवर्तनीय बांड, परिवर्तनीय डिबेंचर और इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों की संपार्श्विक प्रतिभूति तक प्रतिभूति दी गई हो अर्थात् जहां परिवर्तनीय बॉण्ड/परिवर्तनीय ऋण पत्रों/इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों से भिन्न प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिमों को पूरी तरह कवर नहीं करती है ।	Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares / convertible bonds / convertible debentures / units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;	432.84	634.60
v)	स्टॉक ब्रोकरों को प्रतिभूत तथा अप्रतिभूत अग्रिम और स्टॉक ब्रोकरों तथा मार्केट मेकरों की ओर से दी गई गारंटियां	Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stock brokers and market makers;	25.00	43.56
vi)	संसाधनों को जुटाने की संभावना में नयी कम्पनियों की इक्विटी में प्रवर्तकों के अंशदान की आवश्यकता को पूरा करने के लिए शेयरों/बॉन्डों/ऋण पत्रों या अन्य प्रतिभूतियों पर या प्रतिभूति के बिना निगमित कंपनियों को स्वीकृत ऋण	Loans sanctioned to corporates against the security of shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;	शून्य NIL	शून्य NIL

(राशि ₹ करोड़ में)/(Amount in ₹ Crore)

	विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
vii)	संभावित इक्विटी प्रवाहों/निर्गमों के प्रति कम्पनियों को पूरक ऋण	Bridge loans to companies against expected equity flows /issues:	शून्य NIL	शून्य NIL
viii)	शेयरों या परिवर्तनीय बंध पत्रों या परिवर्तनीय ऋण पत्रों या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों के प्राइमरी इश्यू के सम्बन्ध में बैंकों द्वारा जमानती प्रतिबद्धताएं	Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds:	शून्य NIL	शून्य NIL
ix)	मार्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टॉक ब्रोकरों को वित्त	Financing to stockbrokers for margin trading:	शून्य NIL	शून्य NIL
x)	वेंचर कैपिटल फंड्स के लिए सभी एक्सपोज़र (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों)	All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	659.37	716.41
	पूंजी बाजार को कुल एक्सपोज़र	Total exposure to capital market	3752.37	4314.20

5. सी) जोखिम श्रेणीवार–देश सम्बन्धी एक्सपोजर

31.03.2023 को कुल निवल वित्तपोषित एक्सपोजर ₹ 52,827.59 करोड़ है। 31.12.2022 को बैंक की कुल आस्ति ₹ 14,01,797 करोड़ थी, कुल आस्ति का 1% ₹ 14,017.97 करोड़ है। बैंक ने यूएसए के लिए जोखिम को ₹ 14,017.97 करोड़ से पार कर दिया है, अर्थात 31.12.2022 को बैंक की कुल आस्ति का 1% इसलिए 31.03.2023 को देश के जोखिम जोखिम के संबंध में ₹ 11.82 करोड़ का प्रावधान आवश्यक है।

(गत वर्ष: 31.03.2022 को कुल निवल वित्त पोषित एक्सपोजर ₹ 49214.90 करोड़ था। 31.12.2021 को बैंक की कुल आस्ति ₹ 1304849 करोड़ थी, कुल आस्ति का 1% ₹ 13048.49 करोड़ है। बैंक ने संयुक्त अरब अमीरात के जोखिम को ₹ 13048.49 से अधिक कर दिया अर्थात 31.12.2021 को बैंक की कुल आस्ति का 1%। इसलिए, 31.03.2022 तक देश के जोखिम जोखिम के संबंध में ₹ 28.94 करोड़ का प्रावधान आवश्यक है।

(राशि ₹ करोड़ में)

जोखिम श्रेणी	ईसीजीसी रेटिंग	31.03.2023 को निधिक एक्सपोजर (निवल) (चालू वर्ष)	31.03.2023 को धारित प्रावधान (चालू वर्ष)	31.03.2022 को निधिक एक्सपोजर (निवल) (गत वर्ष)	31.03.2022 को धारित प्रावधान (गत वर्ष)
नगण्य	ए1	30344.40	11.82	24187.89	0.00
कम	ए2	21812.89	0.00	24563.04	28.94
सामान्य से कम	बी1	275.02	0.00	418.66	0.00
सामान्य	बी2	394.25	0.00	14.60	0.00
सामान्य से उच्च	सी1	0.62	0.00	17.56	0.00
उच्च	सी2	0.41	0.00	13.13	0.00
अति उच्च	डी	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल		**52827.59**	**11.82**	**49214.90**	**28.94**

5. डी) अप्रतिभूत अग्रिम

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
बैंक के कुल अप्रतिभूत अग्रिम	151035.55	153867.56
उपरोक्त में से, अग्रिम की राशि जिसके लिए अमूर्त प्रतिभूतियाँ जैसे अधिकार, लाइसेंस, प्राधिकरण, आदि पर प्रभार लिया गया है।	6218.08	6128.09
ऐसी अमूर्त प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य	11002.90	7992.59

5. c) Risk category-wise country exposure

Total Net Funded Exposure as on 31.03.2023 is ₹52,827.59 Crores. Total assets of the Bank as on 31.12.2022 were ₹14,01,797 Crores, 1% of total asset is ₹14,017.97 Crore. Bank exceeded the exposure to USA beyond ₹14,017.97 Crores i.e. 1% of Total Assets of the Bank as on 31.12.2022. Hence, provision of ₹11.82 Crores is required with respect to country risk exposure as on 31.03.2023.

(Previous year: Total Net Funded Exposure as on 31.03.2022 was ₹49214.90 Crores. Total assets of the Bank as on 31.12.2021 were ₹1304849 Crores, 1% of total asset ₹13048.49 Crore. Bank exceeded the exposure to UAE beyond ₹13048.49 Crores i.e. 1% of Total Assets of the Bank as on 31.12.2021. Hence, provision of ₹28.94 Crores is required with respect to country risk exposure as on 31.03.2022.

(Amount in ₹ crore)

Risk Category	ECGC Rating	Funded Exposure (net) as on 31.03.2023 (Current Year)	Provision held as on 31.03.2023 (Current Year)	Funded Exposure (net) as on 31.03.2022 (Previous Year)	Provision held as on 31.03.2022 (Previous Year)
Insignificant	A1	30344.40	11.82	24187.89	0.00
Low	A2	21812.89	0.00	24563.04	28.94
Moderately Low	B1	275.02	0.00	418.66	0.00
Moderate	B2	394.25	0.00	14.60	0.00
Moderately High	C1	0.62	0.00	17.56	0.00
High	C2	0.41	0.00	13.13	0.00
Very High	D	0.00	0.00	0.00	0.00
Total		**52827.59**	**11.82**	**49214.90**	**28.94**

5.d) Unsecured advances

(Amount in ₹ crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
Total Unsecured Advances of the bank	151035.55	153867.56
Out of the above, amount of advances for which intangible securities such as charge over the rights, licenses, authority, etc. have been taken	6218.08	6128.09
Estimated value of such intangible securities	11002.90	7992.59

5. ई). फैक्टरिंग एक्सपोजर

फैक्टरिंग एक्सपोजर (टीआरईडीएस के अंतर्गत)

(राशि ₹ करोड़ में)

चालू वर्ष में बकाया शेष	गत वर्ष में बकाया शेष
827.88	776.39

5. एफ) इंट्रा–ग्रुप एक्सपोजर

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
i)	इंट्रा–ग्रुप एक्सपोजर की कुल राशि	8193.42	8494.13
ii)	शीर्ष 20 इंट्रा–ग्रुप एक्सपोजर की कुल राशि	8193.42	8494.13
iii)	उधारकर्ता/ग्राहकों पर बैंक के कुल एक्सपोजर के लिए इंट्रा–ग्रुप एक्सपोजर का प्रतिशत	0.71%	0.81%
iv)	इंट्रा–ग्रुप एक्सपोजर और नियामक कार्रवाई, यदि कोई हो, पर सीमा के उल्लंघन का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं

5.जी) अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर

बैंक ने मुद्रा उत्प्रेरित ऋण जोखिम के प्रबंधन के लिए एक नीति तैयार की है और इसे बैंक की ऋण प्रबंधन और जोखिम नीति 2022–23 में निम्नानुसार शामिल किया गया है.

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने मुद्रा प्रेरित ऋण जोखिम के प्रबंधन के लिए एक नीति तैयार की है और इसे बैंक की वर्तमान क्रेडिट प्रबंधन और जोखिम नीति में निम्नानुसार शामिल किया है

"आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ब्याज और मूल्यह्रास से पहले वार्षिक आय (ईबीआईडी) के साथ तिमाही के अंत में उधारकर्ताओं की बहियों में मुद्रा के अनुसार अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर की निगरानी करता है। वृद्धिशील प्रावधान (मानक परिसंपत्ति प्रावधान के ऊपर कुल ऋण एक्सपोजर का 0 से 80 बीपीएस तक) और पूंजी की आवश्यकताएं संभावित नुकसान (विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव के कारण) पर निर्भर करेगी, उधारकर्ताओं को उनके बहियों में उनके अरक्षित विदेशी एक्सपोजर के कारण जिनका सामना करना पड़ सकता है। बैंक अलग प्रभार रखता है और ऐसे एक्सपोजर के लिए जो उधारकर्ताओं की लागत को प्रभावित कर सकता है उनके प्रावधान की आवश्यकता होती है। बैंक के वित्तीय विवरणों में उचित प्रकटीकरण भी किया जाएगा।"

5. e). Factoring exposures

Factoring exposures (Under TReDS)

(Amount in ₹ Crore)

Balance Outstanding Current Year	Balance Outstanding Previous Year
827.88	776.39

5. f) Intra-group exposures

(Amount in ₹ Crore)

Sl. No.	Particulars	Current Year	Previous Year
i)	Total amount of intra-group exposures	8193.42	8494.13
ii)	Total amount of top 20 intra-group exposures	8193.42	8494.13
iii)	Percentage of intra-group exposures to total exposure of the Bank on borrower/customers	0.71%	0.81%
iv)	Details of breach of limits on intra-group exposures and regulatory action, if any	NA	NA

5.g) Unhedged foreign currency exposure

The Bank has framed a policy to manage Currency Induced Credit Risk and has been incorporated in Bank's Credit Management & Risk Policy 2022-23 as follows:

In terms of RBI guidelines, the Bank has framed a policy to manage currency induced credit risk and has incorporated the same in bank's current Credit Management & Risk Policy as follows:

"In terms of RBI guidelines, Bank monitors the currency wise Unhedged Foreign Currency Exposure in the books of borrowers at quarter ends along-with the Annualized Earnings before Interest & Depreciation (EBID). The incremental provision (ranging from 0 to 80 bps on total credit exposure, over and above the standard asset provisioning) and capital requirement will depend on likely loss (due to foreign currency fluctuation), that borrowers may face due to their un-hedged forex exposure in their books. Bank maintains separate charge and provisioning requirement on account of such exposures which may impact the cost to the borrowers. Appropriate disclosures in the financial statements of the bank shall also be made."

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष 31.03.2023	गत वर्ष 31.03.2022
वृद्धिशील प्रावधान(घरेलू)	127.42	85.48
वृद्धिशील प्रावधान (विदेशी)	4.93	–
कुल वृद्धिशील प्रावधान	132.35	85.48
जोखिम भारित आस्तियां (आरडब्ल्यूए)	949.47	1237.12
वृद्धिशील पूंजी धारित आरडब्ल्यूए (@11.50%)	109.19	142.27

बैंक ने आरबीआई परिपत्र डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी. 82/21.06.200/2013-14 दिनांक 15 जनवरी, 2014 के के अनुसार अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के लिए देयता का अनुमान लगाया है और 31.03.2023 को ₹132.35 करोड़ का प्रावधान रखा है (पिछले साल ₹ 85.48 करोड़)।

6. जमाराशियों, अग्रिमों, एक्सपोजरों और एनपीए का संकेंद्रण

6. ए) जमाराशियों का संकेंद्रण

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमा राशि	59620.75	42104.47
बैंक की कुल जमाराशियों में बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की जमाराशियों का प्रतिशत	4.86%	3.79%

नोट: उपरोक्त जमा आंकड़ों में बैंक द्वारा धारित अंतर बैंक जमा शामिल नहीं है।

6. बी) अग्रिमों का संकेंद्रण

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम	153898.47	139719.04
बैंक के कुल अग्रिमों में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को अग्रिमों का प्रतिशत	17.37%	17.80%

6. सी) एक्सपोजर का संकेंद्रण

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों का कुल एक्सपोजर	194823.45	162628.84
उधारकर्ताओं/ग्राहकों को बैंक के कुल एक्सपोजर में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों के एक्सपोजर का प्रतिशत	16.87%	15.68%

(Amount in ₹ Crore)

Particulars	Current Year 31.03.2023	Previous Year 31.03.2022
Incremental Provision (Domestic)	127.42	85.48
Incremental Provision (Overseas)	4.93	-
Total Incremental Provision	**132.35**	**85.48**
Risk Weighted Assets (RWA)	949.47	1237.12
Incremental Capital held RWA (@11.50%)	109.19	142.27

The Bank has estimated the liability for Unhedged Foreign Currency Exposure in terms of RBI Circular DBOD.NO.BP.BC.82/21.06.200/2013-14 dated January 15, 2014 and is holding a provision of ₹132.35 Crores as on 31.03.2023 (previous year ₹ 85.48 Crores).

6. Concentration of deposits, advances, exposures and NPAs

6. a) Concentration of deposits

(Amount in ₹ crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
Total deposits of the twenty largest depositors	59620.75	42104.47
Percentage of deposits of twenty largest depositors to total deposits of the bank	4.86%	3.79%

Note: The above deposit figures do not include Inter Bank deposit held by Bank.

6. b) Concentration of advances

(Amount in ₹ crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
Total advances to the twenty largest borrowers	153898.47	139719.04
Percentage of advances to twenty largest borrowers to total advances of the bank	17.37%	17.80%

6. c) Concentration of exposures

(Amount in ₹ crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
Total exposure to the twenty largest borrowers/customers	194823.45	162628.84
Percentage of exposures to the twenty largest borrowers/customers to the total exposure of the bank on borrowers/customers	16.87%	15.68%

6\. डी). अनर्जक आस्तियों का संकेंद्रण

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
शीर्ष बीस एनपीए खातों में कुल एक्सपोज़र	14311.77	19398.37
कुल सकल एनपीए में बीस सबसे बड़े एनपीए एक्सपोजर के एक्सपोजर का प्रतिशत।	18.51%	20.98%

7\. व्युत्पन्न

7\. ए) ब्याज दर की अदला-बदली (स्वैप)

(राशि ₹ करोड़ में)

	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
i)	अदलाबदली करारों का कल्पित सिद्धांत	745.00	385.00
ii)	यदि काउन्टर पार्टियां समझौतों के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहीं, उनसे होने वाला नुकसान	0.23	0.40
iii)	अदलाबदली में शामिल होने पर बैंकों द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक प्रतिभूति	शून्य	शून्य
iv)	अदलाबदली के कारण उत्पन्न ऋण जोखिम$	शून्य	शून्य
v)	अदलाबदली बही का उचित मूल्य@	-2.5804	-2.3859

$ ये सभी अदलाबदली सौदे बैंक और एफआई के साथ हैं

@ ये सभी स्वेप सौदे ट्रेडिंग स्वेप हैं और उचित मूल्य इसका मार्क टू मार्केट वैल्यू है

उपरोक्त ट्रेड इंटरबैंक के साथ ₹ 745.00 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 385.00 करोड़) और वित्तीय संस्थान के साथ ₹ शून्य (पिछले वर्ष ₹ शून्य) के लिए किए गए ब्याज दर स्वेप सौदे हैं।

चालू वर्ष के लिए क्रेडिट जोखिम (क्रेडिट एक्सपोजर) ₹ 4.08 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 2.70 करोड़) है।

कुल 40 डील की गई जिसमें से 0 डील बैक टू बैक डील, 2 डील जहाँ निश्चित संविदा दर पर भुगतान किया गया तथा फ्लोटिंग दर पर प्राप्त किया गया और शेष 38 डील में फ्लोटिंग दर पर भुगतान किया गया और निश्चित संविदा दर पर प्राप्त किया गया।

6. d). Concentration of NPAs

(Amount in ₹ crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
Total Exposure to the top twenty NPA accounts	14311.77	19398.37
Percentage of exposures to the twenty largest NPA exposure to total Gross NPAs.	18.51%	20.98%

7. Derivatives

7. a) Interest rate swap

(Amount in ₹ crore)

	Particulars	Current Year	Previous Year
i)	The notional principal of swap agreements	745.00	385.00
ii)	Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfil their obligations under the agreements	0.23	0.40
iii)	Collateral required by the bank upon entering into swaps	NIL	NIL
iv)	Concentration of credit risk arising from the swaps$	NIL	NIL
v)	The fair value of the swap book@	-2.5804	-2.3859

$All these swap deals are with Banks and FI.

@All these swaps deals are Trading swap and the fair value is its mark to market value

The above Trades are Interest rate Swap Deal done with Interbank for ₹745.00 Crores (previous year ₹385.00Crores) and with Financial Institution ₹ NIL (previous year ₹NIL).

Credit Risk (Credit Exposure) for Current Year is ₹4.08 Crore (previous year ₹2.70 Crore).

There are total 40 deals out of which 0 deals are Back to Back Deals. 2 Deals where payment is made at Fixed Contract rate and received at Floating rate and in remaining 38 deals, payment is made at Floating Rate and received at Fixed Contract rate".

7. बी) एक्सचेंज ट्रेडिंग वाले ब्याज दर व्युत्पन्न

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
i)	वर्ष के दौरान एक्सचेंज ट्रेडिंग वाले ब्याज दर व्युत्पन्न की अनुमानित मूल राशि (लिखतवार) ए) ब्याज दर वायदा	शून्य	शून्य
ii)	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार बकाया एक्सचेंज ट्रेडिंग वाले ब्याज दर व्युत्पन्न की अनुमानित मूल राशि (लिखतवार) ए) ब्याज दर वायदा	शून्य	शून्य
iii)	बकाया एक्सचेंज ट्रेडिंग वाले ब्याज दर व्युत्पन्न की अनुमानित मूल राशि तथा जो 'अत्यधिक प्रभावी' नहीं है (लिखतवार)	शून्य	शून्य
iv)	एक्सचेंज ट्रेडिंग वाले ब्याज दर डेरिवेटिव्ज की अनुमानित मूल राशि का बकाया बाजार भाव पर अंकित मूल्य (मार्क–टू–मार्केट) जो 'अत्यधिक प्रभावी' नहीं है (लिखतवार)	शून्य	शून्य

7. सी) व्युत्पन्नी में जोखिम एक्सपोज़र पर प्रकटीकरण

7. सी). i) गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक अपने स्वयं के तुलन पत्र मदों की बचाव–व्यवस्था तथा कारोबारी उद्देश्यों के लिए व्युत्पन्नी उत्पादों का उपयोग करता है। व्युत्पन्नी परिचालन का जोखिम प्रबंधन एक वरिष्ठ कार्यपालक के नेतृत्व में होता है, जो आनुक्रमिक कार्यों से स्वतंत्र, शीर्ष प्रबंधन को रिपोर्ट करता है। कारोबार की स्थिति को दैनिक आधार पर बाजार भाव पर अंकित किया जाता है।

व्युत्पन्नी नीति को एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रभाग द्वारा तैयार किया जाता है, जिसमें ऋण जोखिम एवं बाजार जोखिम का मापन शामिल है।

तुलन पत्र प्रबंधन के लिए बचाव–व्यवस्था वाले लेनदेन किए जाते हैं। जोखिमों की रिपोर्टिंग एवं निगरानी के लिए उचित प्रणाली विद्यमान है। बचाव–व्यवस्था के लिए नीति एवं उसकी निगरानी हेतु प्रक्रियाएं विद्यमान हैं।

बचाव–व्यवस्था एवं गैर– बचाव–व्यवस्था लेनदेन रिकॉर्ड करने के लिए लेखांकन नीति विद्यमान है, जिसमें आय, प्रीमियम एवं छूट की पहचान शामिल है।

बकाया अनुबंधों, प्रावधानीकरण, संपार्श्विक का मूल्यांकन एवं ऋण जोखिम का न्यूनीकरण किया जा रहा है।

7. b) Exchange traded interest rate derivatives

(Amount in ₹ crore)

Sr. No.	Particulars	Current Year	Previous Year
i)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the Year (instrument wise) a) Interest Rate Futures	NIL	NIL
ii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31st March 2022 (instrument wise) a) Interest Rate Futures	NIL	NIL
iii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not 'highly effective' (instrument wise)	NIL	NIL
iv)	Mark to market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not 'highly effective' (instrument wise)	NIL	NIL

7. c) Disclosures on risk exposure in derivatives

7.c). i). Qualitative disclosures

The Bank uses derivatives products for hedging its own balance sheet items as well as for trading purposes. The risk management of derivative operation is headed by a senior executive, who reports to top management, independent of the line functions. Trading positions are marked to market on daily basis.

The derivative policy is framed by Integrated Risk Management Division, which includes measurement of credit risk and market risk.

The hedge transactions are undertaken for balance sheet management. Proper system for reporting and monitoring of risks are in place. Policy for hedging and processes for monitoring the same is in place.

Accounting policy for recording hedge and non-hedge transactions are in place, which includes recognition of income, premiums and discounts.

Valuation of outstanding contracts, provisioning, collateral and credit risk mitigation are being done.

7. सी) ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण		वर्तमान वर्ष		पिछले वर्ष	
			मुद्रा डेरिवेटिव्ज़	ब्याज दर डेरिवेटिव्ज़	मुद्रा डेरिवेटिव्ज़	ब्याज दर डेरिवेटिव्ज़
ए	व्युत्पन्नी (अनुमानित मूलधन राशि)					
	i) बचाव–व्यवस्था के लिए		0.00	0.00	0.00	0.00
	ii) कारोबार के लिए		0.00	745.00	0.00	385.00
बी	बाजार की स्थिति के लिए चिह्नित					
	बचाव–व्यवस्था					
	i) आस्ति (+)		0.00	0.00	0.00	0.00
	ii) देयता (–)		0.00	0.00	0.00	0.00
	कारोबार					
	i) आस्ति (+)		0.00	0.00	0.00	0.00
	ii) देयता (–)		0.00	–2.5804	0.00	–2.3859
सी	ऋण एक्सपोज़र [1]		0.00	4.0817	0.00	2.7050
डी	ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभावित प्रभाव (100*PV01)					
	i) हेजिंग डेरिवेटिव्ज़ पर		0.00	0.00	0.00	0.00
	ii) कारोबार डेरिवेटिव्ज़ पर		0.00	2.13	0.00	2.53
ई	वर्ष के दौरान देखे गए अधिकतम और न्यूनतम 100* PV01					
	i) बचाव–व्यवस्था पर	अधिकतम	0.00	0.00	0.00	0.00
		न्यूनतम	0.00	0.00	0.00	0.00
	i) कारोबार पर	अधिकतम	0.00	3.94	0.00	0.30
		न्यूनतम	0.00	2.13	0.00	–2.70

[1]बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार व्युत्पन्नी उत्पादों के क्रेडिट एक्सपोज़र के मापन पर वर्तमान एक्सपोज़र पद्धति को अपनाया है।

7.c). ii) Quantitative disclosures

(Amount in ₹ crore)

Sr. No	Particulars		Current Year		Previous Year	
			Currency Derivatives	Interest rate derivatives	Currency Derivatives	Interest rate derivatives
a)	Derivatives (Notional Principal Amount)					
	i) For hedging		0.00	0.00	0.00	0.00
	ii) For trading		0.00	745.00	0.00	385.00
b)	Marked to Market Positions					
	Hedging					
	i) Asset (+)		0.00	0.00	0.00	0.00
	ii) Liability (-)		0.00	0.00	0.00	0.00
	Trading					
	i) Asset (+)		0.00	0.00	0.00	0.00
	ii) Liability (-)		0.00	-2.5804	0.00	-2.3859
c)	Credit Exposure [1]		0.00	4.0817	0.00	2.7050
d)	Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)					
	i) on hedging derivatives		0.00	0.00	0.00	0.00
	ii) on trading derivatives		0.00	2.13	0.00	2.53
e)	Maximum and Minimum of 100* PV01 observed during the year					
	i) on hedging	maximum	0.00	0.00	0.00	0.00
		minimum	0.00	0.00	0.00	0.00
	i) on trading	maximum	0.00	3.94	0.00	0.30
		minimum	0.00	2.13	0.00	-2.70

[1]Banks adopt the Current Exposure Method on Measurement of Credit Exposure of Derivative Products as per Reserve Bank of India instructions.

7. डी) ऋण चूक अदला–बदली

चूंकि बैंक ऋण चूक अदला–बदली (क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप) अनुबंधों के मूल्य निर्धारण के लिए किसी स्वामित्व वाले मूल्य निर्धारण मॉडल का उपयोग नहीं कर रहा है, एवं यह काउंटर अनुबंध (ओटीसी) पर आधारित है जिससे बाजार की गतिशीलता द्वारा कीमत निर्धारित की जाती है।

इस प्रकार, वर्तमान एवं पिछले वर्ष के लिए आरबीआई के मौजूदा दिशा निर्देशों के अनुसार कोई प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

8. प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटीकरण

(संख्या/राशि ₹ करोड़ में)

क्र सं.	विवरण	सरल, पारदर्शी एवं तुलनीय (एसटीसी)		गैर–एसटीसी लेनदेन	
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.	प्रवर्तक द्वारा उत्पन्न प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए आस्ति रखने वाले एसपीई की संख्या (यहां केवल बकाया प्रतिभूतिकरण जोखिमों से संबंधित एसपीवी को रिपोर्ट किया जाना है)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2.	एसपीई की बहियों के अनुसार प्रतिभूतिकृत आस्तियों की कुल राशि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	तुलन पत्र की तारीख को एमआरआर का अनुपालन करने के लिए प्रवर्तक द्वारा रखे गए एक्सपोज़र की कुल राशि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	ए) तुलन–पत्र में न आने वाले एक्सपोज़र • प्रथम हानि • अन्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	बी) तुलन–पत्र पर एक्सपोज़र प्रथम हानि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	एमआरआर के अलावा अन्य प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए जोखिम की राशि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	ए) तुलन–पत्र में न आने वाले एक्सपोज़र i) स्व– प्रतिभूतिकरण के लिए एक्सपोज़र • प्रथम हानि • अन्य ii) तृतीय पक्ष के प्रतिभूतिकरण के लिए एक्सपोज़र • प्रथम हानि • अन्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

7. d) Credit default swaps

Since the Bank is not using any proprietary pricing model for pricing Credit default swaps contracts, and it is over the counter contract (OTC), the price is determined by the market dynamics.

As such no disclosure is to be made in terms of extant RBI guidelines for Current & Previous year.

8. Disclosures relating to securitization

(Numbers / Amount in ₹ crore)

Sr. No	Particulars	Simple, Transparent and Comparable (STC)		Non-STC transactions	
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.	No of SPEs holding assets for securitization transactions originated by the originator (only the SPVs relating to outstanding securitization exposures to be reported here)	NIL	NIL	NIL	NIL
2.	Total amount of securitized assets as per books of the SPEs	NIL	NIL	NIL	NIL
3.	Total amount of exposures retained by the originator to comply with MRR as on the date of balance sheet	NIL	NIL	NIL	NIL
	a) Off-balance sheet exposures • First loss • Others	NIL	NIL	NIL	NIL
	b) On-balance sheet exposures • First loss • Others	NIL	NIL	NIL	NIL
4.	Amount of exposures to securitisation transactions other than MRR	NIL	NIL	NIL	NIL
	a) Off-balance sheet exposures i) Exposure to own securitisations • First loss • Others ii) Exposure to third party securitizations • First loss • Others	NIL	NIL	NIL	NIL

क्र सं.	विवरण	सरल, पारदर्शी एवं तुलनीय (एसटीसी)		गैर–एसटीसी लेनदेन	
		31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022
५.	प्रतिभूतिकृत आस्तियों के लिए प्राप्त बिक्री प्रतिफल एवं प्रतिभूतिकरण के कारण बिक्री पर लाभ/हानि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
६.	चलनिधि सहायता, पोस्ट–सिक्योरिटाइज़ेशन एसेट सर्विसिंग आदि के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं का स्वरूप एवं मात्रा (बकाया मूल्य)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
७.	प्रदान की गई सुविधा का कार्यनिष्पादन, कृपया प्रत्येक सुविधा जैसे ऋण वृद्धि, चलनिधि सहायता, सर्विसिंग एजेंट आदि के लिए अलग से विवरण प्रदान करें। प्रदान की गई सुविधा के कुल मूल्य के अनुसार कोष्ठक में प्रतिशत का उल्लेख करें।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
८.	विगत में देखे गए पोर्टफोलियो की औसत चूक दर। कृपया प्रत्येक आस्ति वर्ग अर्थात आरएमबीएस, वाहन ऋण आदि के लिए अलग से ब्रेकअप प्रदान करें।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
९.	समान अंतर्निहित आस्ति पर दिए गए अतिरिक्त/टॉप अप ऋण की राशि एवं संख्या। कृपया प्रत्येक आस्ति वर्ग यानी आरएमबीएस, वाहन ऋण आदि के लिए अलग से ब्रेकअप प्रदान करें।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
१०.	निवेशक की शिकायतें ए) प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त एवं बी) लंबित शिकायतें	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

Sr. No	Particulars	Simple, Transparent and Comparable (STC)		Non-STC transactions	
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	b) On-balance sheet exposures i) Exposure to own securitisations • First loss • Others ii) Exposure to third party securitizations • First loss • Others				
5.	Sale consideration received for the securitised assets and gain/loss on sale on account of securitisation	NIL	NIL	NIL	NIL
6.	Form and quantum (outstanding value) of services provided by way of liquidity support, post-securitisation asset servicing, etc.	NIL	NIL	NIL	NIL
7.	Performance of facility provided, please provide separately for each facility viz. Credit enhancement, liquidity support, servicing agent etc. Mention percent in bracket as of total value of facility provided. (a) Amount paid (b) Repayment received (c) Outstanding amount	NIL	NIL	NIL	NIL
8.	Average default rate of portfolios observed in the past. Please provide breakup separately for each asset class i.e. RMBS, Vehicle Loans etc.	NIL	NIL	NIL	NIL
9.	Amount and number of additional/top up loan given on same underlying asset. Please provide breakup separately for each asset class i.e. RMBS, Vehicle Loans etc.	NIL	NIL	NIL	NIL
10.	Investor complaints (a) Directly / Indirectly received and (b) Complaints out standing	NIL	NIL	NIL	NIL

9. ए) तुलन-पत्र में न आने वाले प्रायोजित एसपीवी (जिन्हें लेखांकन मानदंडों के अनुसार समेकित किया जाना आवश्यक है)

प्रायोजित एसपीवी का नाम			
वर्तमान वर्ष		पिछले वर्ष	
देशी	विदेशी	देशी	विदेशी
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

10. जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता कोष (डीईए फंड) में अंतरण

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
i)	डीईए फंड में अंतरित राशि का प्रारंभिक शेष	5069.32	4485.90
ii)	जोड़: वर्ष के दौरान डीईए कोष में अंतरित राशि	370.09	665.21
iii)	कमी: वर्ष के दौरान दावों के लिए डीईए फंड द्वारा प्रतिपूर्ति की गई राशि	93.44	81.69
iv)	डीईए फंड में अंतरित राशियों का अंतिम शेष	5345.97	5069.32

11. शिकायतों का प्रकटीकरण

ए) बैंक को एटीएम शिकायतों सहित ग्राहकों एवं लोकपाल के कार्यालयों से प्राप्त शिकायतों पर संक्षिप्त जानकारी

क्र. सं.		विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
		बैंक को अपने ग्राहकों से प्राप्त शिकायतें		
1.		वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या	4200	27282
2.		वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	493141	619507
3.		वर्ष के दौरान निपटारित शिकायतों की संख्या	494581	642589
	3.1	जिनमें से, बैंक द्वारा निरस्त की गई शिकायतों की संख्या	131745	149163
4.		वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	2760	4200
		बैंक को लोकपाल कार्यालय से प्राप्त की जाने वाली शिकायतें		
5.		बैंक को लोकपाल के कार्यालय से प्राप्त अनुरक्षणीय शिकायतों की संख्या	9384	16249
	5.1	5 में से, लोकपाल कार्यालय द्वारा बैंक के पक्ष में निपटाई गई शिकायतों की संख्या	3340	15183
	5.2	5 में से, लोकपाल कार्यालय द्वारा जारी सुलह/मध्यस्थता/परामर्शों के माध्यम से सुलझाई गई शिकायतों की संख्या	6042	765
	5.3	5 में से, बैंक के खिलाफ लोकपाल कार्यालय द्वारा निर्णय पारित करने के बाद हल की गई शिकायतों की संख्या	2	2
6.		निर्धारित समय के भीतर लागू नहीं किए गए निर्णयों की संख्या (अपील के अलावा)	0	0

नोट: अनुरक्षणीय शिकायतें एकीकृत लोकपाल योजना 2021 (पूर्ववर्ती बैंकिंग लोकपाल योजना 2006) में विशेष रूप से उल्लिखित आधारों पर शिकायतों को संदर्भित करती हैं एवं योजना के दायरे में आती हैं।

9. Off balance sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms)

Name of the SPV sponsored			
Current Year		Previous Year	
Domestic	Overseas	Domestic	Overseas
NIL	NIL	NIL	NIL

10. Transfers to Depositor Education and Awareness Fund (DEA Fund)

(Amount in ₹ crore)

Sr. No.	Particulars	Current Year	Previous Year
i)	Opening balance of amounts transferred to DEA Fund	5069.32	4485.90
ii)	Add: Amounts transferred to DEA Fund during the Year	370.09	665.21
iii)	Less: Amounts reimbursed by DEA Fund towards claims during the Year	93.44	81.69
iv)	Closing balance of amounts transferred to DEA Fund	**5345.97**	**5069.32**

11. Disclosure of complaints

a) Summary information on Complaints received by the bank from customers and from the Offices of Ombudsman, including ATM complaints.

Sr. No.		Particulars	Current Year	Previous Year
		Complaints received by the bank from its customers		
1.		Number of complaints pending at beginning of the year	4200	27282
2.		Number of complaints received during the Year	493141	619507
3.		Number of complaints disposed during the Year	494581	642589
	3.1	Of which, number of complaints rejected by the bank	131745	149163
4.		Number of complaints pending at the end of the Year	2760	4200
		Maintainable complaints received by the bank from Office of Ombudsman		
5.		Number of maintainable complaints received by the bank from Office of Ombudsman	9384	16249
	5.1	Of 5, number of complaints resolved in favour of the bank by Office of Ombudsman	3340	15183
	5.2	Of 5, number of complaints resolved through conciliation/mediation/ advisories issued by Office of Ombudsman	6042	765
	5.3	Of 5, number of complaints resolved after passing of Awards by Office of Ombudsman against the bank	2	2
6.		Number of Awards unimplemented within the stipulated time (other than those appealed)	0	0

Note: Maintainable complaints refer to complaints on the grounds specifically mentioned in Integrated Ombudsman Scheme, 2021 (Previously Banking Ombudsman scheme, 2006) and covered within the ambit of the scheme.

बी) बैंक को ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों के शीर्ष पांच आधार *

शिकायतों के आधार, (अर्थात निम्न से संबंधित शिकायतें)	वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या में : वृद्धि / कमी	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	5 में से 30 दिनों से अधिक लंबित शिकायतों की संख्या
1	2	3	4	5	6
वर्तमान वर्ष					
एटीएम / डेबिट कार्ड	3342	382382	−24.12	1551	0
खाता खोलना / खातों के परिचालन में कठिनाई	235	34976	3.02	303	3
इंटरनेट / मोबाइल / इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग	27	9208	−39.48	23	0
ऋण एवं अग्रिम	60	6270	23.57	129	3
वरिष्ठ नागरिकों / दिव्यांगों के लिए पेंशन एवं सुविधाएं	1	7002	147.68	108	0
अन्य	535	53303	−8.30	649	26
कुल	4200	493141	−20.40	2763	32
गत वर्ष					
एटीएम / डेबिट कार्ड	20904	504312	−57.92	3342	0
खाता खोलना / खातों के परिचालन में कठिनाई	2166	33950	21.42	235	0
इंटरनेट / मोबाइल / इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग	320	15216	2.21	27	0
ऋण एवं अग्रिम	380	5074	−6.35	60	0
वरिष्ठ नागरिकों / दिव्यांगों के लिए पेंशन एवं सुविधाएं	232	2827	−17.46	1	0
अन्य	3280	58128	3.38	535	2
कुल	**27282**	**619507**	**−52.57**	**4200**	**2**

*27 जनवरी, 2021 के परिपत्र CEPD.CO.PRD.Cir.No.01/13.01.013/2020.21 के परिशिष्ट 1 में प्रदान की गई शिकायतों के आधार की पहचान करने के लिए मास्टर सूची के अनुसार बैंकों के शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करना।

12. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाए गए जुर्माने का खुलासा

12.आई) बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949

क्रमांक	चालू वर्ष	गत वर्ष
1.	शून्य	बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47ए (1)(सी) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आरबीआई ने बैंक पर (आदेश दिनांक 07 जून, 2021) ए. धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग में देरी (2017−18 के दौरान 143 मामले और 2018−19 के दौरान 145 मामले); और बी. सीआरआईएलसी प्लेटफॉर्म पर / आरबीआई को डेटा जमा करते समय डेटा सटीकता और अखंडता सुनिश्चित नहीं करना (वर्ष 2017−18 के दौरान 42 मामले और 2018−19 के दौरान 48 मामले) के लिए।
2.		बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 46(4)(i) और 51(1) के साथ पठित धारा 47ए (1)(सी) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आरबीआई ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 19(2) के प्रावधानों जैसे चार (04) उधारकर्ता कंपनियों में शेयर रखने के लिए गिरवी रखे गए उन कंपनियों की पूंजी शेयर के 30% से अधिक की राशि के गिरवी के रूप में रखने के उल्लंघन में (आदेश दिनांक 15 दिसंबर 2021) बैंक पर कुल ₹ 1.80 करोड़ (एक करोड़ अस्सी लाख रुपए) का जुर्माना लगाया।

b) Top five grounds* of complaints received by the bank from customers

Grounds of complaints, (i.e. complaints relating to)	Number of complaints pending at the beginning of the year	Number of complaints received during the Year	% Increase/ decrease in the number of complaints received over the Previous year	Number of complaints pending at the end of the Year	Of 5, number of complaints pending beyond 30 days
1	2	3	4	5	6
Current Year					
ATM/ Debit cards	3342	382662	-24.12	1551	0
Account opening/ difficulty in operations of accounts	235	34976	3.02	303	3
Internet/ Mobile/ Electronic banking	27	9208	-39.48	23	0
Loans and Advances	60	6270	23.57	128	3
Pension and facilities for senior citizens/ differently abled	1	7002	147.68	106	0
Others	535	53023	-8.78	649	24
Total	**4200**	**493141**	**-20.40**	**2760**	**30**
Previous Year					
ATM/Debit cards	20905	504312	-57.92	3342	0
Account opening/ difficulty in operations of accounts	2165	33950	21.42	235	0
Internet/ Mobile/ Electronic banking	320	15216	2.21	27	0
Loans and Advances	360	5074	-5.35	60	0
Pension and facilities for senior citizens/ differently abled	232	2827	-17.46	1	0
Others	3280	58128	3.38	535	2
Total	**27282**	**619507**	**-52.57**	**4200**	**2**

*As per Master List for identifying grounds of complaints as provided in Appendix 1 to circular CEPD.CO.PRD.Cir. No.01/13.01.013/2020-21 dated January 27, 2021 on 'Strengthening the Grievance Redress Mechanism of Banks'.

12. Disclosure of penalties imposed by the Reserve Bank of India

12. i) Banking Regulation Act 1949

Sl. No.	Current Year	Previous Year
1.	NIL	In exercise of powers conferred under section 47A (1)(c) read with sections 46(4)(i) of the Banking Regulation Act 1949, RBI imposed an aggregate penalty of ₹2 crore (Rupees Two crore) (Order dated June 07, 2021) on Bank pertaining to ISE 2018 & 2019, for a. Delay in reporting of frauds (143 cases during 2017-18 & 145 cases during 2018-19); AND b. Not ensuring data accuracy and integrity while submitting data on CRILC platform / to RBI (42 instances during 2017-18 & 46 instances during 2018-19).
2.		In exercise of powers conferred under section 47A (1)(c) read with sections 46(4)(i) & 51(1) of the Banking Regulation act 1949, RBI imposed an aggregate penalty of ₹ 1.80 crore (Rupees one crore & eighty lakhs only) on bank for holding shares in four (04) borrower companies, as pledgee, of an amount exceeding 30% of paid-up share capital of those companies in contravention of provisions of section 19(2) of Banking Regulation Act ,1949 (Order dated December 15, 2021)

12. ii) भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007:

क्रमांक	चालू वर्ष	गत वर्ष
1.	शून्य	शून्य

12. iii) सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (एसजीएल की बाउंसिंग):

क्रमांक	चालू वर्ष	गत वर्ष
1.	शून्य	शून्य

12. (iv) रिवर्स रेपो लेनदेन के तहत चूक से संबंधित प्रकटीकरण:

(राशि ₹ करोड़ में)

	चालू वर्ष		गत वर्ष
उदाहरणों की संख्या	भारतीय रिज़र्व बैंक को भुगतान किए गए दंड की मात्रा	उदाहरणों की संख्या	भारतीय रिज़र्व बैंक को भुगतान किए गए दंड की मात्रा
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

13. पूर्णकालिक निदेशकों / मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पारिश्रमिक पर प्रकटीकरण:

(राशि ₹ करोड़ में)

नाम	पदनाम	चालू वर्ष	गत वर्ष
श्री अतुल कुमार गोयल	प्रबंध निदेशक तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी	0.48	0.10
श्री सीएच.एस. एस. मल्लिकार्जुन राव	पूर्व प्रबंध निदेशक तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी	0.00	0.84
श्री मुकेश कुमार जैन	भूतपूर्व बैंकों के पूर्व प्रबंध निदेशक और सीईओ	0.00	0.01
श्री अशोक कुमार प्रधान		0.00	0.01
श्री विजय दुबे	कार्यपालक निदेशक	0.42	0.32
श्री कल्याण कुमार	कार्यपालक निदेशक	0.35	0.14
श्री बिनोद कुमार	कार्यपालक निदेशक	0.13	0.00
श्री एम परमशिवम	कार्यपालक निदेशक	0.12	0.00
श्री संजय कुमार	पूर्व कार्यपालक निदेशक	0.91	0.32
श्री स्वरुप कुमार साहा	पूर्व कार्यपालक निदेशक	0.13	0.39
श्री राजेश कुमार यदुवंशी	पूर्व कार्यपालक निदेशक	0.00	0.01
श्री अज्ञेय कुमार आजाद	पूर्व कार्यपालक निदेशक	0.00	0.59

12. ii) Payment and Settlement System Act, 2007:

Sl. No.	Current Year	Previous Year
1.	NIL	NIL

12. iii) Government Securities Act, 2006 (Bouncing of SGL):

Sl. No.	Current Year	Previous Year
1.	NIL	NIL

12. (iv) Disclosure relating to default under reverse repo transaction:

(Amount in ₹ crore)

	Current Year		Previous Year
Number of instances	Quantum of penalty paid to Reserve Bank of India	Number of instances	Quantum of penalty paid to Reserve Bank of India
NIL	NIL	NIL	NIL

13. Disclosure on remuneration of Whole Time Directors/ Chief Executive Officer:

(Amount in ₹ crore)

Name	Designation	Current Year	Previous Year
Shri Atul Kumar Goel	Managing Director & CEO	0.48	0.10
Shri CH SS Mallikarjuna Rao	Ex- Managing Director & CEO	0.00	0.84
Shri Mukesh Kumar Jain	Ex- Managing Director & CEO of erstwhile Banks	0.00	0.01
Shri Ashok Kumar Pradhan		0.00	0.01
Shri Vijay Dube	Executive Director	0.42	0.32
Shri Kalyan Kumar	Executive Director	0.35	0.14
Shri Binod Kumar	Executive Director	0.13	0.00
Shri M Paramasivam	Executive Director	0.12	0.00
Shri Sanjay Kumar	Ex Executive Director	0.91	0.32
Shri Swarup Kumar Saha	Ex Executive Director	0.13	0.39
Shri Rajesh Kumar Yaduvanshi	Ex Executive Director	0.00	0.01
Shri Agyey Kumar Azad	Ex Executive Director	0.00	0.59

श्री बाल कृष्ण आल्से	पूर्ववर्ती बैंक के पूर्व कार्यपालक निदेशक	0.00	0.01
कुल		2.54	2.74

14. अन्य प्रकटीकरण

14. ए) व्यापार अनुपात

विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय	6.07%	5.69%
कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में गैर–ब्याज आय	0.87%	0.92%
जमा की लागत	4.10%	3.99%
निवल ब्याज मार्जिन	3.06%	2.71%
कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ	1.61%	1.55%
आस्तियों पर प्रतिलाभ	0.18%	0.26%
प्रति कर्मचारी व्यापार (जमा और अग्रिम) (₹ करोड़ में)	21.64	19.41
प्रति कर्मचारी लाभ (₹ करोड़ में)	0.03	0.04

14. बी) बैंकएश्योरेंस व्यापार

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
बैंक द्वारा किए गए बीमा ब्रोकिंग, एजेंसी और बैंकएश्योरेंस व्यवसाय के संबंध में अर्जित शुल्क/ब्रोकरेज का विवरण		
(i) जीवन बीमा व्यवसाय;		
(ii) गैर–जीवन बीमा व्यवसाय;	310.39	294.04
(iii) प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा	118.00	100.59
योजना (पीएमजेजेबीवाई);	5.63	10.66
(iv) प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना	1.86	2.90
कुल	435.88	408.19

14. सी) विपणन और वितरण

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
बैंक द्वारा किए गए विपणन और वितरण कार्य (बैंकएश्योरेंस व्यवसाय को छोड़कर) के संबंध में प्राप्त शुल्क/पारिश्रमिक का विवरण		
(i) म्यूचुअल फंड व्यापार	8.26	5.72
(ii) अटल पेंशन योजना (एपीवाई);	13.90	8.98
(iii) आधार पर आय/कमीशन;	3.32	6.28
(iv) पेंशन;	114.45	117.27
(v) कर और अन्य;	57.19	51.09
(vi) सरकारी जमा योजना;	17.78	18.68
(vii) करेंसी चेस्ट	2.96	1.68
कुल	217.86	209.70

Shri Bal Krishna Alse	Ex Executive Director of erstwhile Bank	0.00	0.01
Total		2.54	2.74

14. Other Disclosure

14. a) Business ratios

Particular	Current Year	Previous Year
Interest Income as a percentage to Working Funds	6.07%	5.69%
Non-interest income as a percentage to Working Funds	0.87%	0.92%
Cost of Deposits	4.10%	3.99%
Net Interest Margin	3.06%	2.71%
Operating Profit as a percentage to Working Funds	1.61%	1.55%
Return on Assets	0.18%	0.26%
Business (deposits plus advances) per employee (in ₹crore)	21.64	19.41
Profit per employee (in ₹crore)	0.03	0.04

14. b) Bancassurance business

(Amount in ₹ Crore)

Particular	Current Year	Previous Year
Details of Fees/ Brokerage earned in respect of Insurance broking, agency and bancassurance business undertaken by the bank		
(i) Life Insurance Business;	310.39	294.04
(ii) Non-life Insurance Business;	118.00	100.59
(iii) Prime Minister Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY);	5.63	10.66
(iv) Prime Minister Suraksha Bima Yojna	1.86	2.90
TOTAL	435.88	408.19

(Amount in ₹ Crore)

14. c) Marketing and distribution

Particular	Current Year	Previous Year
Details of Fee/remuneration received in respect of the marketing and distribution function (excluding bancassurance business) undertaken by the bank		
(i) Mutual Fund Business;	8.26	5.72
(ii) Atal Pension Yojna (APY);	13.90	8.98
(iii) Income / Commission on Aadhar;	3.32	6.28
(iv) Pension;	114.45	117.27
(v) Taxes & Others;	57.19	51.09
(vi) Govt. Deposit Scheme;	17.78	18.68
(vii) Currency Chest	2.96	1.68
TOTAL	217.86	209.70

14. डी) प्राथमिकता – प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाण पत्रों (पीएलएससी) के संबंध में प्रकटीकरण

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	पीएसएलसी के प्रकार	चालू वर्ष के दौरान खरीदा गया पीएसएलसी	चालू वर्ष के दौरान बेचा गया पीएसएलसी	गत वर्ष के दौरान खरीदा गया पीएसएलसी	गत वर्ष के दौरान बेचा गया पीएसएलसी
1	कृषि	8000.00	0.00	0.00	0.00
2	छोटे और सीमांत किसान	10500.00	0.00	6000.00	0.00
3	सूक्ष्म लघु उद्योग	0.00	2207.00	0.00	0.00
4	सामान्य	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल		18500.00	2207.00	6000.00	0.00
खरीदे गए पीएसएलसी के लिए भुगतान किया गया शुल्क (जीएसटी को छोड़कर)		175.50	10.51	133.94	शून्य

14. ई) प्रावधान और आकस्मिकताएं

(राशि ₹ करोड़ में)

	लाभ और हानि खाते में नामे किया गया प्रावधान	चालू वर्ष	गत वर्ष
i)	एनपीआई के लिए प्रावधान	173.22	348.50
ii)	एनपीए के लिए प्रावधान	15902.82	14156.59
iii)	आयकर के लिए किया गया प्रावधान (अनुषंगी लाभ कर और संपत्ति कर सहित)	1781.06	859.43
iv)	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	1779.06	1255.26
v)	अन्य प्रावधान और आकस्मिकताएं (विवरण के साथ)	385.39	683.08
	ब्यौरा / चालू वर्ष / गत वर्ष		
	मानक पुनर्रचित एफआईटीएल सहित / -474.94 / 389.27		
	अन्य / 860.33 / 293.81		
	कुल	20021.15	17304.86

14. एफ) आईएफआरएस अभिसरित भारतीय लेखा मानकों का कार्यान्वयन (इंड एएस)

इस संबंध में हुई प्रगति सहित इंड–एएस कार्यान्वयन की रणनीतियां:

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) बीमाकर्ताओं / बीमा कंपनियों और गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के

14. d) Disclosures regarding Priority Sector Lending certificates (PLSCs)

(Amount in ₹ Crores)

Sr. No.	Types of PSLCs	PSLC bought during the Current Year	PSLC sold during the Current Year	PSLC bought during the Previous Year	PSLC sold during the Previous Year
1	Agriculture	8000.00	0.00	0.00	0.00
2	Small and Marginal Farmers	10500.00	0.00	6000.00	0.00
3	Micro Enterprises	0.00	2207.00	0.00	0.00
4	General	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		18500.00	2207.00	6000.00	0.00
Fee Paid for PSLCs purchased (Excluding GST)		175.50	10.51	133.94	NIL

14. e) Provisions and contingencies

(Amount in ₹ Crores)

	Provision debited to Profit and Loss Account	Current Year	Previous Year
i)	Provisions for NPI	173.22	348.50
ii)	Provision towards NPA	15902.82	14156.59
iii)	Provision made towards Income Tax (including Fringe Benefit Tax & Wealth Tax)	1781.06	859.43
iv)	Provision towards Standard Assets	1779.06	1255.26
v)	Other Provisions and Contingencies (with details)	385.39	683.08
	Detail / Current Year / Previous Year		
	Standard Restructured including FITL / -474.94 / 389.27		
	Others / 860.33 / 293.81		
	TOTAL	20021.55	17304.86

14. f) Implementation of IFRS converged Indian Accounting Standards (Ind AS)

The strategy for Ind AS implementation, including the progress made in this regard:

IND AS roadmap for scheduled commercial banks (excluding regional rural banks), insurers/insurance companies and non-banking financial companies (NBFCs) was issued by Union

लिए इंड एएस रोडमैप को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा 18 जनवरी 2016 को प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जारी किया गया था। वित्तीय वर्ष 2018–19 से लागू इंडएएस को एमसीए प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, जिसे आरबीआई की प्रेस विज्ञप्ति (2017–18/2642) दिनांक 5 अप्रैल 2018 के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए स्थगित कर दिया गया था। आरबीआई ने अपने परिपत्र संख्या डीबीआर/बीपी/नं/29.21.07.001/2018–19 दिनांक 22.03.2019 के तहत अगली सूचना तक इंडएएस के कार्यान्वयन को और स्थगित कर दिया है। तदनुसार, बैंक ने इंड–एएस के कार्यान्वयन में सहायता के लिए एक सलाहकार की नियुक्ति की है।बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति को समय–समय पर की गई प्रगति से अवगत कराया जा रहा है। इंड–एएस के कार्यान्वयन के लिए बैंक की एक सुनियोजित रणनीति है और इस संबंध में पर्याप्त प्रगति की है। इसके अलावा, बैंक निर्धारित अवधि के अनुसार प्रोफार्मा इंड एएस वित्तीय विवरणी आरबीआई को प्रस्तुत कर रहा है।"

14. जी) डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रमांक	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
i)	डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान	1591.50	1522.35
ii)	डीआईसीजीसी प्रीमियम के भुगतान में बकाया	शून्य	शून्य

15. कुछ लेखा मानकों के संबंध में अन्य प्रकटीकरण

15.ए) लेखा मानक 5 – अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि, पूर्व अवधि की मदें और लेखा नीति में परिवर्तन

चालू और पिछले वर्ष के दौरान लेखा मानक 5 के अंतर्गत प्रकटीकरण की आवश्यकता वाली कोई वास्तविक पूर्व अवधि आय/व्यय मदें नहीं थीं।

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय परिणाम उन्हीं महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और प्रथाओं का पालन करते हुए तैयार किए गए हैं, जिनका पालन 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक वित्तीय विवरणों में किया गया था।

(गत वर्ष: 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय परिणाम उन्हीं लेखांकन नीतियों और प्रणालियों का पालन करते हुए तैयार किए गए हैं, जिनका पालन 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए, केवल साख पत्र और बैंक गारंटी पर कमीशन की मान्यता को छोड़कर वार्षिक वित्तीय विवरणों में किया गया था। 01 अप्रैल 2021 से साख पत्र और बैंक गारंटी पर कमीशन को अब तक प्राप्ति के आधार पर की गई मान्यता की तुलना में उस अवधि के लिए अर्जित राजस्व के रूप में मान्यता दी गई है। लेखांकन नीति में इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप 31 मार्च 2022 को समाप्त तिमाही के लिए कर पूर्व लाभ में ₹ 11.67 करोड़ और 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 207.64 करोड़ की कमी हुई है।

15. बी) लेखा मानक 9 – राजस्व मान्यता

आय की कुछ मदों का लेखा नीति संख्या 3.5 के अनुसार वसूली के

Ministry of Corporate Affairs (MCA) through press release dated 18 January 2016, IND AS was applicable to the Bank in accordance with the MCA press release from financial year 2018-19 which was deferred to financial year 2019-20 vide RBI's Press Release (2017-18/2642) dated 5 April 2018. RBI has further deferred implementation of IND AS till further notice vide its Circular no DBR.BP.BC.No. 29/21.07.001/2018-19 dated 22.03.2019. The Bank accordingly, has appointed a Consultant to assist in implementation of the Ind AS. The Audit Committee of the Board is being apprised of the progress made from time to time. The Bank has a well-planned strategy for Ind AS implementation and has made substantial progress in this regard. Further, Bank is submitting the Proforma Ind AS Financial Statements to the RBI as per prescribed periodicity.

14. g) Payment of DICGC Insurance Premium

(Amount in ₹ Crores)

Sr. No.	Particulars	Current Year	Previous Year
i)	Payment of DICGC Insurance Premium	1591.50	1522.35
ii)	Arrears in payment of DICGC premium	NIL	NIL

15. Other Disclosures with respect to certain Accounting Standards

15.a) Accounting Standard 5 - Net Profit or Loss for the period, Prior Period Items and Change in Accounting Policy:

During the Current and Previous year there were no material prior period income/expenditure items requiring disclosure under Accounting Standard 5.

The financial results for the year ended March 31, 2023 have been prepared following the same significant Accounting Policies and practices as those followed in the annual financial statements for the year ended March 31, 2022.

(Previous year: The financial results for the year ended March 31, 2022 have been prepared following the same Accounting Policies and practices as those followed in the annual financial statements for the year ended March 31, 2021, except recognition of commission on Letter of Credit and Bank Guarantee. With effect from April 01, 2021, the commission on Letter of Credit and Bank Guarantee is recognised as revenue to the extent accrued for the period as against recognition done on receipt basis hitherto. This change in accounting policy has resulted in decrease in profit before tax by ₹11.67 Crore for quarter ended March 31, 2022 and by ₹207.64 Crore for year ended March 31, 2022.

15. b) Accounting Standard 9 - Revenue Recognition

Certain items of income are recognized on realization basis as per Accounting Policy No. 3.5. However, the said income is not considered to be material. (Previous year: Certain items of

आधार पर मान्यता दी जाती है। हालांकि, उक्त आय को भौतिक नहीं माना जाता है। (पिछले वर्ष: आय की कुछ मदों को लेखा नीति संख्या 3.5 के अनुसार वसूली के आधार पर मान्यता दी जाती है। हालांकि, उक्त आय को भौतिक नहीं माना जाता है)।

15. सी) लेखा मानक 10 दूसंपतियां, संयंत्र और उपकरण।

31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए आस्तियों के प्रत्येक वर्ग के लिए किये गए कुल मूल्यह्रास का ब्यौरा:

(राशि ₹ करोड़ में)

संपत्ति का वर्ग	चालू वर्ष	गत वर्ष
परिसर	201.97	178.45
अन्य अचल संपत्ति	547.79	576.96
पट्टे पर दी गई संपत्ति	0	0.00
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	146.80	133.20
कुल	**896.56**	**888.61**

15. डी) लेखा मानक 11 –विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव:

एक्सचेंज रिजर्व में उतार–चढ़ाव

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	चालूवर्ष	गतवर्ष
प्रारंभिक जमा	419.43	392.20
वर्ष के दौरान लाभ और हानि खाते में परिवर्तन के कारण जोड़/कटौती	6.05	5.42
संपत्ति और देयताओं के अनुवाद के कारण वर्ष के दौरान जोड़/कटौती	79.98	21.81
कटौती: प्रारंभिक पूंजी/संग्रह/हांगकांग शाखा बंद होने पर विनियोग	–275.35	0
जमा शेष	**230.11**	**419.43**

income are recognized on realization basis as per Accounting Policy No. 3.5. However, the said income is not considered to be material).

15. c) Accounting Standard 10 - Properties, Plant and Equipment.

Break-up of total depreciation for the FY ended March 31, 2023 for each class of assets:

(Amount in ₹ Crore)

Class of assets	Current Year	Previous Year
Premises	201.97	178.45
Other fixed assets	547.79	576.96
Leased assets	0	0.00
Computer software	146.80	133.20
Total	**896.56**	**888.61**

15. d) Accounting Standard 11 –The Effects of Changes in foreign exchange rates:

Movement of Exchange Fluctuation Reserve

(Amount in ₹ Crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
Opening balance	419.43	392.20
Addition/Deduction during the year due to change in Profit & Loss account	6.05	5.42
Addition/Deduction during the year due to translation of Assets & Liabilities	79.98	21.81
Deduction: Seed Capital / Reserves/Appropriation of Hong Kong Branch Closure	-275.35	0
Closing Balance	**230.11**	**419.43**

15 ई) लेखा मानक 15 – कर्मचारी लाभ:

एएस–15(आर) के अनुसार प्रकटीकरण:						
लेखा नीति के अनुरूप और लेखा मानक – 15 (आर) के अनुसार, रोजगार लाभों की संक्षिप्त स्थिति निम्नानुसार है:						
ए. परिभाषित लाभ योजनाएं						
तालिका I – प्रमुख बीमांकिक अनुमान और इन मान्यताओं का आधार						
बीमांकिक अनुमान	पेंशन		उपदान		छुट्टी नकदीकरण	
	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022
बट्टा दर	7.45%	7.20%	7.45%	6.95%	7.45%	6.95%
योजना आस्तियों पर संभावित लाभ	7.45%	7.20%	7.45%	6.95%	7.45%	6.95%
वेतन में वृद्धि की दर	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%
क्षय दर	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%

(सभी राशि रुपए करोड़ में)

तालिका II – दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

		पेंशन		उपदान		छुट्टी नकदीकरण	
		31.03.2023	**31.03.2022**	**31.03.2023**	**31.03.2022**	**31.03.2023**	**31.03.2022**
	अवधि की शुरुआत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	48456.97	46355.35	4078.52	4398.78	3629.66	3446.03
जोड़ें	ब्याज लागत	3373.37	3085.43	251.26	254.87	211.89	187.67
जोड़ें	चालू सेवा लागत	375.38	488.52	224.09	247.10	366.95	331.28
जोड़ें	पिछली सेवा लागत	0.00	3083.95	0.00	0.00	0.00	0.00
घटाएं	प्रदत्त लाभ	−3719.34	−4002.18	−624.34	−899.49	−603.71	−735.42
	दायित्वों पर बीमांकिक हानि / (लाभ) (संतुलनकारी आंकड़ा)	691.14	−544.10	−93.95	77.26	186.84	400.10
	अवधि के अंत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य*	**49177.52**	**48456.97**	**3835.58**	**4078.52**	**3791.63**	**3629.66**

*मार्च,2023 को समाप्त अवधि के लिए दायित्व के वर्तमान मूल्य में प्रस्तावित वेतन संशोधन का आनुपातिक प्रभाव शामिल है।

तालिका III – योजना आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

		पेंशन		उपदान		छुट्टी नकदीकरण	
		31.03.2023	**31.03.2022**	**31.03.2023**	**31.03.2022**	**31.03.2023**	**31.03.2022**
	अवधि की शुरुआत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	48147.78	46721.79	4071.40	4502.08	3122.18	2779.82
जोड़ें	योजना आस्तियों पर संभावित प्रतिफल	3361.11	3091.21	258.55	269.73	189.37	145.48
जोड़ें	बैंक द्वारा प्रदत्त योगदान	207.83	1228.41	305.78	153.30	636.07	639.99
जोड़ें	पिछली सेवा लागत के लिए बैंक द्वारा प्रदत्त योगदान (पारिवारिक पेंशन देयता पर)	865.00	618.79	0.00	0.00	0.00	0.00
घटाएं	प्रदत्त लाभ	−3719.34	−4002.18	−624.34	−899.49	−603.71	−735.42
घटाएं	बीमांकिक (हानि) / योजनागत आस्तियों पर लाभ (उचित मूल्य)	191.18	479.76	31.39	45.78	70.39	92.52
	अवधि के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	48133.26	48147.78	4042.78	4071.40	3416.31	3122.19

15. e) Accounting Standard 15 – Employees Benefits:

DISCLOSURE IN ACCORDANCE WITH AS-15(R):

In line with the accounting policy and as per the Accounting Standard – 15(R), the summarized position of employment benefits is as under:

A. Defined benefit Plans

TABLE I - Principal Actuarial Assumptions and the basis of these assumptions

Actuarial Assumptions	PENSION		GRATUITY		LEAVE ENCASHMENT	
	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022
Discount Rate	7.45%	7.20%	7.45%	6.95%	7.45%	6.95%
Expected Return on Plan Assets	7.45%	7.20%	7.45%	6.95%	7.45%	6.95%
Rate of Escalation in salary	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%
Attrition Rate	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%

(All Amounts in Crores)

TABLE II - Changes in Present value of the obligation

		PENSION		GRATUITY		LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022
	Present value of Obligation at the beginning of period	48456.97	46355.35	4078.52	4398.78	3629.66	3446.03
Add:	Interest Cost	3373.37	3065.43	251.26	254.87	211.89	187.67
Add:	Current Service Cost	375.38	488.52	224.09	247.10	366.95	331.28
Add:	Past Service Cost	0.00	3093.95	0.00	0.00	0.00	0.00
Less:	Benefits paid	-3719.34	-4002.18	-624.34	-899.49	-603.71	-735.42
	Actuarial loss / (gain) on obligations (Balancing Figure)	691.14	-544.10	-93.95	77.26	186.84	400.10
	Present value of Obligation as at the end of the period*	**49177.52**	**48456.97**	**3835.58**	**4078.52**	**3791.63**	**3629.66**

**Present value of obligation for the period ended as on Mar'23 includes the proportionate impact of impending wage revision*

TABLE III - Changes in the FV of the Plan Assets

		PENSION		GRATUITY		LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022
	Fair value of Plan Assets, at the beginning of period	48147.78	46731.79	4071.40	4502.08	3122.19	2779.62
Add:	Expected return on Plan assets	3351.11	3091.21	258.55	269.73	189.37	145.48
Add:	Contributions paid by Bank	207.53	1228.41	305.76	153.30	638.07	839.99
Add:	Contributions paid by Bank for Past Service Cost (on Family Pension liability)	955.00	618.79	0.00	0.00	0.00	0.00
Less:	Benefits Paid	-3719.34	-4002.18	-624.34	-899.49	-603.71	-735.42
Less:	Actuarial (loss) / gain on Plan Assets (Balancing Figure)	191.18	479.76	31.39	45.78	70.39	92.52
	Fair value of Plan Assets as at the end of the period	**49133.26**	**48147.78**	**4042.76**	**4071.40**	**3416.31**	**3122.19**

तालिका IV – योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल

		पेंशन		उपदान		छुट्टी नकदीकरण	
		31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022
	योजना आस्तियों पर संभावित प्रतिफल	3351.11	3091.21	258.55	269.73	189.37	145.48
जोड़ें	बीमांकिक (हानि) / योजना आस्तियों पर लाभ	191.18	479.76	31.39	45.78	70.39	92.52
	योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ	**3542.29**	**3570.97**	**289.94**	**315.51**	**259.76**	**238.00**

तालिका V – शुद्ध बीमांकिक (लाभ) / हानि की मान्यता प्राप्त

		पेंशन		उपदान		छुट्टी नकदीकरण	
		31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022
	अवधि के लिए दायित्वों पर बीमांकिक हानि / (लाभ)	691.14	–544.10	–93.95	77.26	186.84	400.10
	अवधि के लिए योजना आस्तियों पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	–191.18	–479.76	–31.39	–45.78	–70.39	–92.52
	अवधि के लिए शुद्ध (लाभ) / हानि	499.96	–1023.86	–125.34	31.48	116.45	307.58
	अवधि में मान्य शुद्ध बीमांकिक (लाभ)/हानि	**499.96**	**–1023.86**	**–125.34**	**31.48**	**116.45**	**307.58**
	वर्ष के अंत में अनभिज्ञात बीमांकिक (लाभ) / हानि	–	–	–	–	–	–

तालिका VI – तुलन पत्र में मान्य राशि

		पेंशन		उपदान		छुट्टी नकदीकरण	
		31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022
	भावी लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	49177.52	48456.97	3835.58	4078.52	3791.63	3629.66
घटाएँ	योजना आस्तियों का उचित मूल्य	49133.26	48147.78	4042.76	4071.40	3416.31	3122.19
	घाटा / (अधिशेष)	44.26	309.19	–207.18	7.12	375.32	507.47
घटाएँ	गैर–मान्यता प्राप्त पिछली सेवा लागत (पारिवारिक पेंशन देयता पर)	0.00	1520.16	0.00	0.00	0.00	0.00
	शुद्ध देयता/(आस्ति)	**44.26**	**–1210.97**	**–207.18**	**7.12**	**375.32**	**507.47**
	तुलन पत्र में राशि	–	–	–	–	–	–
	तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त देयता	44.26	955.00	–207.18	7.12	375.32	507.47
	तुलन–पत्र में मान्यता प्राप्त संपत्ति (पारिवारिक पेंशन देयता पर)	–	–2165.97	–	–	–	–
	शुद्ध देयता/(आस्ति)	**44.26**	**–1210.97**	**–207.18**	**7.12**	**375.32**	**507.47**
	एएस–15 (आर) के पैरा 55 के अंतर्गत निर्धारित नकारात्मक राशि	–	–	–	–	–	–
	भावी अंशदानों में कटौती और उपलब्ध भावी कटौती का वर्तमान मूल्य	–	–	–	–	–	–
	एएस–15 (आर) के पैरा 59 (बी) के अनुसार मान्य आस्ति	–	2165.97	–	–	–	–

TABLE IV - Actual Return on Plan Assets

		PENSION		GRATUITY		LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022
	Expected return on Plan Assets	3351.11	3091.21	258.55	269.73	189.37	145.48
Add:	Actuarial (loss) / gain on Plan Assets	191.18	479.76	31.39	45.78	70.39	92.52
	Actual Return on Plan Assets	**3542.29**	**3570.97**	**289.94**	**315.51**	**259.76**	**238.00**

TABLE V - Net Actuarial (Gain) / loss recognized

		PENSION		GRATUITY		LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022
	Actuarial loss / (gain) for the period - Obligations	691.14	-544.10	-93.95	77.26	186.84	400.10
	Actuarial (gain)/ loss for the period - Plan Assets	-191.18	-479.76	-31.39	-45.78	-70.39	-92.52
	Total (gain) /loss for the period	499.96	-1023.86	-125.34	31.48	116.45	307.58
	Actuarial (gain) or loss recognized in the period	**499.96**	**-1023.86**	**-125.34**	**31.48**	**116.45**	**307.58**
	Unrecognized Actuarial (gain) / loss at the end of the year	-	-	-	-	-	-

TABLE VI - Amount recognized in Balance Sheet

		PENSION		GRATUITY		LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022
	Present value of Defined Benefit Obligation	49177.52	48456.97	3835.58	4078.52	3791.63	3629.66
Less	Fair value of Plan Assets	49133.26	48147.78	4042.76	4071.40	3416.31	3122.19
	Deficit/ (Surplus)	44.26	309.19	-207.18	7.12	375.32	507.47
Less	Unrecognized Past Service cost (on Family Pension liability)	0.00	1520.16	0.00	0.00	0.00	0.00
	Net Liability/ (Asset)	**44.26**	**-1210.97**	**-207.18**	**7.12**	**375.32**	**507.47**
	Amounts in the Balance Sheet	-	-	-	-	-	-
	Liability Recognized in the Balance Sheet	44.26	955.00	-207.18	7.12	375.32	507.47
	Assets Recognized in the Balance Sheet (on Family Pension liability)	-	-2165.97	-	-	-	-
	Net Liability/ (Asset)	**44.26**	**-1210.97**	**-207.18**	**7.12**	**375.32**	**507.47**
	Negative amount determined under Paragraph 55 of AS-15 (R)	-	-	-	-	-	-
	Present value of available refunds and reductions in future contributions	-	-	-	-	-	-
	Asset recognized as per Paragraph 59 (b) of AS-15 (R)	-	2165.97	-	-	-	-

तालिका VII – लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त व्यय

		पेंशन		उपदान		छुट्टी नकदीकरण	
		31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022
	वर्तमान सेवा लागत	375.38	498.52	224.09	247.10	366.95	331.28
जोड़ें	ब्याज लागत	3373.37	3065.43	251.26	254.86	211.89	187.67
घटाएँ	योजना संपत्ति पर संभावित लाभ	–3351.11	–3091.21	–256.56	–269.73	–109.37	–145.48
जोड़ें	वर्ष में मान्यता प्राप्त शुद्ध बीमांकिक (लाभ) / हानि	499.96	–1023.86	–125.34	31.48	116.45	307.58
जोड़ें	पिछली सेवा लागत–मान्यता प्राप्त (परिवर्तित पेंशन देयता पर)	1520.16	1573.79	–	–	–	–
	लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	**2417.76**	**1012.67**	**91.46**	**263.71**	**505.92**	**681.05**

तालिका VIII – बैलेंस शीट में पहचानी जाने वाली निवल देयता में उतार–चढ़ाव

		पेंशन		उपदान		छुट्टी नकदीकरण	
		31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022
	प्रारंभिक शुद्ध देयता	–1210.97	–376.44	7.12	–103.29	507.47	666.41
जोड़ें	लागत	2417.76	1012.67	91.46	263.71	505.92	681.05
घटाएँ	संदत्त अंशदान	–1162.53	–1847.20	–305.76	–153.30	–638.07	–839.99
घटाएँ	कंपनी द्वारा भुगतान किए गए लाभ	–	–	–	–	–	–
	अंतिम शुद्ध देयता (वर्तमान अवधि में तुलन पत्र में मान्य देयता)	**44.26**	**–1210.97**	**207.18**	**7.12**	**375.32**	**507.47**

तालिका IX – वर्तमान अवधि के लिए राशि

		पेंशन		उपदान		छुट्टी नकदीकरण	
		31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022
	दायित्वों का वर्तमान मूल्य	49177.52	46456.97	3835.58	4078.52	3791.83	3629.66
घटाएँ	योजना आस्तियों का उचित मूल्य	49133.26	46147.78	4042.76	4071.40	3416.31	3122.19
	अधिशेष / (घाटा)	**–44.26**	**–309.19**	**207.18**	**–7.12**	**–375.52**	**–507.47**
	योजना देयताओं में अनुभाविक समायोजन – (हानि) / लाभ	1763.45	1230.77	51.43	184.27	213.31	446.48
	योजना आस्तियों में अनुभाविक में समायोजन – (हानि) / लाभ	191.19	479.76	31.39	45.76	70.39	92.52

TABLE VII - Expense to be recognized in Profit and loss Account

		PENSION		GRATUITY		LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022
	Current Service Cost	375.38	488.52	224.09	247.10	366.95	331.28
Add:	Interest cost	3373.37	3065.43	251.26	254.86	211.89	187.67
Less	Expected return on Plan assets	-3351.11	-3091.21	-258.55	-269.73	-189.37	-145.48
Add:	Net Actuarial (gain) / loss recognized in year	499.96	-1023.86	-125.34	31.48	116.45	307.58
Add:	Past Service Cost-Recognized (on Family Pension liability)	1520.16	1573.79	-	-	-	-
	Expenses recognized in the statement of profit and loss	**2417.76**	**1012.67**	**91.46**	**263.71**	**505.92**	**681.05**

TABLE VIII- Movement in Net Liability to be recognized in Balance Sheet

		PENSION		GRATUITY		LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022
	Opening Net Liability	-1210.97	-376.44	7.12	-103.29	507.47	666.41
Add:	Expense	2417.76	1012.67	91.46	263.71	505.92	681.05
Less:	Contributions Paid	-1162.53	-1847.20	-305.76	-153.30	-638.07	-839.99
Less	Benefits Paid by the company	-	-	-	-	-	-
	Closing Net Liability/ (Asset) recognized in B/S in current period)	**44.26**	**-1210.97**	**-207.18**	**7.12**	**375.32**	**507.47**

TABLE IX -Amount for the current Period

		PENSION		GRATUITY		LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022
	Present value of Obligation	49177.52	48456.97	3835.58	4078.52	3791.63	3629.66
Less	Fair value of Plan Assets	49133.26	48147.78	4042.76	4071.40	3416.31	3122.19
	Surplus / (Deficit)	**-44.26**	**-309.19**	**207.18**	**-7.12**	**-375.32**	**-507.47**
	Experience Adjustments in Plan Liabilities -(loss) / Gain	1763.45	1230.77	31.43	199.27	213.31	446.48
	Experience Adjustments in Plan Assets (loss) / gain	191.18	479.76	31.39	45.78	70.39	92.52

तालिका X ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित योजना आस्तियों की प्रमुख श्रेणियाँ (कुल योजना आस्तियों का प्रतिशत)

(प्रतिशत में)

	पेंशन		उपदान		छुट्टी नकदीकरण	
	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022
भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ	3.00%	2.76%	5.00%	5.00%	0.00%	0.00%
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	10.06%	11.91%	6.00%	10.00%	0.00%	0.00%
उच्च किस्म के कॉर्पोरेट बॉण्ड	5.88%	5.38%	3.00%	3.00%	0.00%	0.00%
सूचीबद्ध कम्पनियों के इक्विटी शेयर / म्यूचुअल फण्ड निवेश	0.24%	0.28%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
संपत्ति	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
विशेष जमा योजनाएं एफडी/टीडीआर	2.47%	4.06%	4.00%	6.00%	0.00%	0.00%
बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधियाँ / जीवन बीमा कंपनियों में निवेश	75.61%	69.10%	72.00%	66.00%	100.00%	100.00%
अन्य जमाराशियाँ, उपार्जन आदि	2.98%	6.63%	10.00%	10.00%	0.00%	0.00%
कुल जोड़	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**

तालिका XI– आगामी वर्ष के दौरान उद्यम के अंशदान का श्रेष्ठतम अनुमान

	पेंशन (निधिक)		उपदान (निधिक)		छुट्टी नकदीकरण (निधिक)	
	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2023
आगामी वर्ष के दौरान बैंक का श्रेष्ठतम अंशदान का अनुमान	490.00	720.00	210.00	230.00	440.00	410.00

तालिका XII– अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ (गैर निधिक)

विवरण	बीमारी की छुट्टी तथा आकस्मिक नहीं ली गई छुट्टी		छुट्टी किराया रियायत (गैर निधिक)		सिल्वर जुबली बोनस (गैर निधिक)	
	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022
दायित्व का वर्तमान मूल्य	216.35	168.36	257.64	237.76	20.24	16.15
संक्रमणशील देयता का प्रारंभिक शेष	–	–	–	–	–	–
वर्ष के दौरान मान्य संक्रमणशील देयता	–	–	–	–	–	–
संक्रमणशील देयता का इतिशेष	–	–	–	–	–	–
तुलनपत्र में मान्य देयता	**216.35**	**168.36**	**257.64**	**237.76**	**20.24**	**16.15**

TABLE X -Major Categories of Plan Assets (as percentage of Total Plan Assets) as managed by Trust

(In Percentage)

		PENSION		GRATUITY		LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022
	Government of India Securities	3.00%	2.76%	5.00%	5.00%	0.00%	0.00%
	State Govt Securities	10.05%	11.91%	6.00%	10.00%	0.00%	0.00%
	High Quality Corporate Bonds	5.85%	5.36%	3.00%	3.00%	0.00%	0.00%
	Equity Shares of listed companies/ Mutual Fund Investments	0.24%	0.28%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Property	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Special deposit scheme/ FDRs	2.47%	4.06%	4.00%	6.00%	0.00%	0.00%
	Funds managed by Insurer / Investment in Life Insurance Companies	75.81%	69.10%	72.00%	66.00%	100.00%	100.00%
	Other Deposits, Accruals etc.	2.58%	6.53%	10.00%	10.00%	0.00%	0.00%
	TOTAL	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**

TABLE XI -ENTERPRISE'S BEST ESTIMATE OF CONTRIBUTION DURING NEXT YEAR

		PENSION		GRATUITY		LEAVE ENCASHMENT (FUNDED)	
		31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022
	Bank's best estimate of Contribution during next year	890.00	720.00	210.00	230.00	440.00	410.00

TABLE XII- Other Long Term employee benefits (Unfunded)

Particulars	Sick Leave & Un availed Casual leave (Unfunded)		Leave Fare concession (unfunded)		Silver Jubilee Bonus (unfunded)	
	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022
Present Value of Obligation	216.35	168.36	257.64	237.76	20.24	16.15
Opening Balance of Transitional Liability	-	-	-	-	-	-
Transitional Liability recognized in the year	-	-	-	-	-	-
Closing Balance Of Transitional Liability	-	-	-	-	-	-
Liability Recognized in balance Sheet	216.35	168.36	257.64	237.76	20.24	16.15

विवरण	धारणा का आधार
बट्टा दर	दायित्वों की अनुमानित अवधि तथा मुद्रा के अनुरूप अवधि के सरकारी बंध पत्रों (एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित) पर तुलन पत्र की तिथि का बाजार प्राप्तियों के अनुसार बट्टा दर निर्धारित की गयी है।
योजना आस्तियों पर प्रतिफल की संभावित दर	यह माना जाता है कि पेंशन, उपदान और छुट्टी नकदीकरण निधि से संबंधित योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रतिलाभ प्रति वर्ष 7.45% होगा।
वेतनवृद्धि दर (एसईआर)	आईबीए द्वारा प्रदान किए गए व्यापक मार्ग दर्शन के आधार पर, बैंक के लिए एसईआर को 6.00 प्रति वर्ष लिया गया है।
क्षय दर	पिछले अनुभव और स्वैच्छिक आहरण से संबंधित भविष्य के अनुभव के संदर्भ में पलायन दर 1 निर्धारित की गयी है।

15.ई) i) परिभाषित अंशदान योजनाएँ: –

बैंक ने 01.04.2010 को या उसके बाद बैंक में शामिल होने वाले सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए लागू अंशदान योजना को परिभाषित किया है। इस योजना का प्रबंधन एनपीएस ट्रस्ट द्वारा पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के तत्वावधान में किया जाता है। एनपीएस के लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (Protean eGov Technologies Limited) को सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है।

योगदान का विवरण इस प्रकार है–

वित्तीय वर्ष 2022–2023 के दौरान = 1220.32 करोड़ रुपये
(योगदान में बैंक, कर्मचारी अंशदान दोनों शामिल हैं)
वित्तीय वर्ष 2021–2022 के दौरान = 974.43 करोड़ रुपये
(योगदान में बैंक, कर्मचारी अंशदान दोनों शामिल हैं)

15.ई) ii) बैंक के कर्मचारियों को देय पारिवारिक पेंशन में संशोधन के अनुसार, 11वें द्वि–पक्षीय समझौते और 11 नवंबर, 2020 के संयुक्त नोट के तहत कवर किया गया, आरबीआई/2021–22/105 डीओआर.एसीसी. आरईसी.57/21.04.018/2021–22 दिनांक 04 अक्टूबर, 2021 के अनुसार बैंक ने रुपये 3093.95 करोड़ का अतिरिक्त देयता का अनुमान लगाया था जिसमें से वित्त वर्ष 2022 के दौरान रुपये 1573.79 करोड़ रुपये का परिशोधन किया गया और अपरिशोधित रुपये 1520.16 करोड़ को लाभ और हानि खाते में पूरी तरह से चार्ज किया गया है– अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन के कारण बैलेंस शीट में कोई अपरिशोधित व्यय नहीं है।

15. एफ) लेखा मानक 17 – खंडवार रिपोर्टिंग

खंड पहचान

I- प्राथमिक (कारोबार खंड):
बैंक के प्राथमिक कारोबारी खंड निम्नलिखित हैं–

i) ट्रेजरी: ट्रेजरी खंड में संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो और विदेशी मुद्रा अनुबंधों तथा व्युत्पन्न अनुबंधों में व्यापार शामिल है। ट्रेजरी खंड के राजस्व में मुख्य रूप से निवेश पोर्टफोलियो पर कारोबार

Particulars	Basis of assumption
Discount Rate	Discount Rate has been determined by reference to market yields at the balance Sheet date on Government bonds (published by FBIL) of term consistent with currency and estimated term of the obligations.
Expected Rate of Return on Plan Assets	It is assumed that return on the plan assets pertaining to the Pension, Gratuity and Leave Encashment fund will be 7.45% p.a.
Salary Escalation Rate (SER)	Based on the broad guidance provided by IBA, SER for the bank has been taken at 6.00% p.a.
Attrition Rate	Attrition rate is assumed at 1% taken with reference to past experience and expected future experience related to voluntary withdrawals.

15.e) i) Defined Contribution Plans: -

The Bank has Defined Contribution Plan applicable to all categories of employees joining the Bank on or after 01.04.2010. The scheme is managed by NPS trust under the aegis of the Pension Fund Regulatory and Development Authority. National Securities Depository Limited (Protean eGov Technologies Limited) has been appointed as the Central Record Keeping Agency for the NPS.

The detail of the contribution is as under-
During the Financial Year 2022-2023= Rs 1220.32 Crore
(Contribution Includes both Bank + Employee contribution)
During the Financial Year 2021-2022= Rs 974.43 Crore
(Contribution Includes both Bank + Employee contribution)

15.e)ii) Pursuant to the revision in family pension payable to the employees of the Bank, covered under 11th Bi- Partite Settlement and joint note dated November 11, 2020, the Bank had estimated additional liability of Rs.3093.95 Crore, of which a sum of Rs.1573.79 Crore was amortized during the financial year 2021-22, in terms of RBI Circular no. RBI/2021-22/105 DOR.ACC.REC.57/21.04.018/2021-22 dated October 04, 2021 and unamortized part of Rs.1520.16 Crore has been fully charged to the Profit & Loss Account during the FY 2022-23. There is no unamortized expenditure in the Balance Sheet on account of additional family pension.

15.f) Accounting Standard 17 – Segment Reporting

Segment Identification

I. **Primary (Business Segment):**

The following are the primary segments of the Bank:-

i) **Treasury:** The Treasury Segment includes the entire investment portfolio and trading in foreign exchange contracts and derivative contracts. The revenue of the treasury segment primarily consists of fees and gains or

परिचालन और ब्याज आय से शुल्क और लाभ या हानि शामिल है।

ii) **कॉरपोरेट/ थोक बैंकिंग**: भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश आरबीआई/2020–21/53, डीओआर.सं.बीपी.बीसी.23/21.06.201/2020–21, दिनांक 12 अक्टूबर 2020, के अनुसार कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग खंड में रु.7.50 करोड़ और उससे अधिक के जोखिम वाले उधारकर्ताओं की उधार गतिविधियां शामिल हैं।

iii) **रिटेल बैंकिंग**: रिटेल बैंकिंग खंड में उन उधारकर्ताओं के खातों को शामिल किया गया है जिनका एक्सपोजर रु.7.50 करोड़ से कम है।

iv) अन्य बैंकिंग परिचालन खंड जो उपरोक्त (i) से (iii) के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं हैं इस प्राथमिक खंड के अंतर्गत वर्गीकृत किए गए हैं।

II) द्वितीयक (भौगोलिक खंड)

i) **घरेलू परिचालन** – भारत में परिचालित शाखाएं/कार्यालय

ii) **विदेशी परिचालन** – भारत के बाहर परिचालित शाखाएं/कार्यालय और भारत में परिचालित विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित बैंकिंग इकाइयां।

III. आबंटन का आधार

ब्याज आय का आबंटन विभिन्न खंडों से प्राप्त वास्तविक ब्याज के आधार पर किया जाता है

थोक बैंकिंग/रिटेल बैंकिंग खंड/अन्य बैंकिंग खंड द्वारा अर्जित ब्याज आय के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से आरोपित नहीं होने वाले व्यय आबंटित किए जाते हैं।

प्रत्येक खंड के लिए नियोजित पूंजी की गणना उस विशेष खंड की आस्ति और देनदारियों के आधार पर की जाती है।

बैंक के पास कुछ आम आस्तियां और देनदारियां हैं, जिन्हें किसी भी खंड में आरोपित नहीं किया जा सकता है, और उन्हें गैर आबंटित माना जाता है।

भाग–ए व्यावसायिक खंड

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	समाप्ति वर्ष	
		31.03.2023 लेखापरीक्षित	31.03.2022 लेखापरीक्षित
1	खंड राजस्व		
	(a) ट्रेजरी परिचालन	26806.82	29530.09
	(b) कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग	40482.23	30646.03
	(c) रिटेल बैंकिंग	26872.68	24638.13
	1) डिजिटल बैंकिंग	0.02	
	2) अन्य रिटेल बैंकिंग	26872.66	24638.13
	(d) अन्य बैंकिंग परिचालन	3124.91	2385.24

losses from trading operations and interest income on the investment portfolio.

ii) **Corporate / Wholesale Banking**: As per the RBI guidelines RBI/2020-21/53, DOR.No.BP.BC.23/21.06.201/2020-21, dated 12th October 2020, the Corporate / Wholesale Banking segment comprises the lending activities of borrowers having exposure of ₹7.50Crores and above.

iii) **Retail Banking**: The Retail Banking Segment comprises of borrower accounts having exposure of less than ₹7.50Crores.

iv) **Other Banking Operations**: Segments not classified under (i) to (iii) above are classified under this primary segment.

II Secondary (Geographical Segment):

i) **Domestic Operations**- Branches/Offices having operations in India

ii) **Foreign Operations** - Branches/Offices having operations outside India and offshore banking units having operations in India.

III. Basis of allocation

The interest income is allocated on the basis of actual interest received from different segments

Expenses not directly attributable are allocated on the basis of Interest income earned by the wholesale banking / retail banking segment/other banking segment

Capital employed for each segment is calculated based on the assets and liabilities of that particular segment

The Bank has certain common assets and liabilities, which cannot be attributed to any segment, and the same are treated as unallocated.

PART A – BUSINESS SEGMENTS

(Rs. in Crores)

Sr. No.	Particulars	Year Ended	
		31.03.2023 Audited	31.03.2022 Audited
1	Segment Revenue		
	(a) Treasury Operations	26806.82	29530.09
	(b) Corporate/Wholesale Banking	40482.23	30646.03
	(c) Retail Banking	26872.68	24638.13
	1) Digital Banking	0.02	
	2) Other Retail Banking	26872.66	24638.13
	(d) Other Banking Operations	3124.91	2385.24

क्र. सं.	विवरण	समाप्ति वर्ष	
		31.03.2023 लेखापरीक्षित	31.03.2022 लेखापरीक्षित
	कुल राजस्व	**97286.64**	**87199.49**
2	**खंड परिणाम**		
	(a) ट्रेजरी परिचालन	6807.92	9022.82
	(b) कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग	−2966.67	−4174.61
	(c) रिटेल बैंकिंग	3853.99	3095.91
	1) डिजिटल बैंकिंग	−4.35	
	2) अन्य रिटेल बैंकिंग	3858.34	3095.91
	(d) अन्य बैंकिंग परिचालन	1149.12	647.96
	कुल राजस्व	**8844.36**	**8592.08**
	अनाबंटित व्यय	4556.1	4275.68
	कर के पूर्व लाभ	**4288.26**	**4316.4**
	कर हेतु प्रावधान	1781.06	859.44
	असामान्य मदें	–	–
	निवल लाभ	**2507.20**	**3456.96**
3	**आस्ति खंड**		
	(a) ट्रेजरी परिचालन	467011.82	423122.44
	(b) कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग	600703.68	542009.51
	(c) रिटेल बैंकिंग	299324.5	259162.1
	1) डिजिटल बैंकिंग	1.86	
	2) अन्य रिटेल बैंकिंग	299322.64	259162.1
	(d) अन्य बैंकिंग परिचालन	47728.85	44043.16
	(e) अनाबंटित	47062.51	46467.81
	कुल	**1461831.36**	**1314805.02**
4	**देयता खंड**		
	() ट्रेजरी परिचालन	449348	406533.55
	(ड) कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग	577983.22	520759.54
	(ब) रिटेल बैंकिंग	288003.13	249001.42
	1) डिजिटल बैंकिंग	6.09	
	2) अन्य रिटेल बैंकिंग	287997.04	249001.42
	(क) अन्य बैंकिंग परिचालन	45923.59	42316.4
	(न) अनाबंटित	717.76	707.22
	कुल	1361975.7	1219318.13
5	**नियोजित पूंजी**		
	(a) ट्रेजरी परिचालन	17663.82	16588.89
	(b) कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग	22720.46	21249.97

Sr. No.	Particulars	Year Ended	
		31.03.2023 Audited	31.03.2022 Audited
	Total Revenue	**97286.64**	**87199.49**
2	**Segment Results**		
	(a) Treasury Operations	6807.92	9022.82
	(b) Corporate/Wholesale Banking	-2966.67	-4174.61
	(c) Retail Banking	3853.99	3095.91
	1) Digital Banking	-4.35	
	2) Other Retail Banking	3858.34	3095.91
	(d) Other Banking Operations	1149.12	647.96
	Total	**8844.36**	**8592.08**
	Unallocated Expenditure	4556.1	4275.68
	Profit before Tax	4288.26	4316.4
	Provision for Tax	1781.06	859.44
	Extraordinary items	—	—
	Net profit	**2507.20**	**3456.96**
3	**Segment Assets**		
	(a) Treasury Operations	467011.82	423122.44
	(b) Corporate/Wholesale Banking	600703.68	542009.51
	(c) Retail Banking	299324.5	259162.1
	1) Digital Banking	1.86	
	2) Other Retail Banking	299322.64	259162.1
	(d) Other Banking Operations	47728.85	44043.16
	(e) Unallocated	47062.51	46467.81
	Total	**1461831.36**	**1314805.02**
4	**Segment Liabilities**		
	(a) Treasury Operations	449348	406533.55
	(b) Corporate/Wholesale Banking	577983.22	520759.54
	(c) Retail Banking	288003.13	249001.42
	1) Digital Banking	6.09	
	2) Other Retail Banking	287997.04	249001.42
	(d) Other Banking Operations	45923.59	42316.4
	(e) Unallocated	717.76	707.22
	Total	**1361975.7**	**1219318.13**
5	**Capital Employed**		
	(a) Treasury Operations	17663.82	16588.89
	(b) Corporate/Wholesale Banking	22720.46	21249.97

क्र. सं.	विवरण	समाप्ति वर्ष	
		31.03.2023 लेखापरीक्षित	31.03.2022 लेखापरीक्षित
	(c) रिटेल बैंकिंग	1 1321.37	10160.68
	1) डिजिटल बैंकिंग	–4.23	
	2) अन्य रिटेल बैंकिंग	11325.6	10160.68
	(d) अन्य बैंकिंग परिचालन	1805.26	1726.76
	(e) अनाबंटित	46344.75	45760.59
	नियोजित कुल पूंजी	99855.66	95486.89

भाग बी: भौगोलिक खंड

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	एकल	
		समाप्ति वर्ष	
		31.03.2023 लेखापरीक्षित	31.03.2022 लेखापरीक्षित
1	राजस्व		
	(a) घरेलू	95277.08	86712.97
	(b) अंतर्राष्ट्रीय	2009.56	486.52
	कुल	97286.64	87199.49
2	आस्तियां		
	(a) घरेलू	1400620.35	1271243.81
	(b) अंतर्राष्ट्रीय	61211.01	43561.21
	कुल	1461831.36	1314805.02

नोट:

1. खंडवार देयताएं उनकी संबंधित खंड आस्तियों के अनुपात में वितरित की गई हैं।
2. आरबीआई परिपत्र आरबीआई/2022–23/19 DOR-AUT-REC डीओआर.एयूटी.आरईसी 12/22.01.001/2022–23 दिनांक 07 अप्रैल, 2022 के अनुसार लेखा मानक 17, खंड रिपोर्टिंग के तहत प्रकटीकरण के उद्देश्य से, डिजिटल बैंकिंग सेगमेंट को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) द्वारा रिटेल बैंकिंग के तहत उप–खंड के रूप में माना गया है। 31 मार्च, 2023, को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान 8 (आठ) डिजिटल बैंकिंग इकाइयों (DBUs) का परिचालन शुरू कर दिया है और रिटेल बैंकिंग कार्यों के तहत डिजिटल बैंकिंग के रूप में प्रकटीकृत किया गया खंड जानकारी उक्त डिजिटल बैंकिंग इकाइयों (DBUs) से संबंधित है।
3. जहां कहीं आवश्यक समझा गया है पिछली अवधि के आंकड़ों को तुलनीय बनाने के लिए पुनः समूहबद्ध/पुनः वर्गीकृत किया गया है।

15. जी) लेखा मानक 18 – आईसीएआई (मूल कंपनी) : द्वारा जारी लेखा मानक – 18 के अनुसार संबंधित पार्टी का प्रकटीकरण:

Sr. No.	Particulars	Year Ended	
		31.03.2023 Audited	31.03.2022 Audited
	(c) Retail Banking	11321.37	10160.68
	1) Digital Banking	-4.23	
	2) Other Retail Banking	11325.6	10160.68
	(d) Other Banking Operations	1805.26	1726.76
	(e) Unallocated	46344.75	45760.59
	Total Capital Employed	**99855.66**	**95486.89**

PART B - GEOGRAPHICAL SEGMENTS

(Rs. in Crores)

Sr. No.	Particulars	STANDALONE	
		Year Ended	
		31.03.2023 Audited	31.03.2022 Audited
1	**Revenue**		
	(a) Domestic	95277.08	86712.97
	(b) International	2009.56	486.52
	Total	**97286.64**	**87199.49**
2	**Assets**		
	(a) Domestic	1400620.35	1271243.81
	(b) International	61211.01	43561.21
	Total	**1461831.36**	**1314805.02**

Notes:

1. Segment Liabilities are distributed in the ratio of their respective Segment Assets.
2. As per RBI Circular RBI/2022-23/19 DOR.AUT.REC. 12/22.01.001/2022-23 dated April 07, 2022, for the purpose of disclosure under Accounting Standard 17, Segment Reporting, Digital Banking Segment has been identified as sub-segment under Retail Banking by Reserve Bank of India (RBI). During the year ended March 31, 2023, 8 (eight) Digital Banking Units (DBUs) of the Bank have commenced operations and the segment information disclosed as Digital Banking under Retail Banking Operations is related to the said DBUs.
3. Figures of the previous period have been re-grouped/re-classified wherever necessary.

15. g) Accounting Standard 18 - Disclosure of Related Parties as per Accounting Standard – 18 issued by ICAI:

संबंधित पक्षों के नाम तथा बैंक के साथ उनके संबंध:

प्रबंधन के प्रमुख कार्मिक (केएमपी):

i) श्री अतुल कुमार गोयल, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
ii) श्री संजय कुमार, कार्यपालक निदेशक, दिनांक 30.11.2022* तक
iii) श्री विजय दुबे, कार्यपालक निदेशक
iv) श्री स्वरूप कुमार साहा, कार्यपालक निदेशक, दिनांक 03.06.2022** तक
v) श्री कल्याण कुमार, कार्यपालक निदेशक
vi) श्री बिनोद कुमार, कार्यपालक निदेशक, दिनांक 21.11.2022 से
vii) श्री एम. परमशिवम, कार्यपालक निदेशक, दिनांक 01.12.2022 से

***दिनांक 30.11.2022 को कार्यकाल समाप्त.**
****कार्यकाल 03.06.2022 तक**

सहायक:

i) पीएनबी गिल्ट्स लि.
ii) पीएनबी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज लि.
iii) पीएनबी कार्ड्स एंड सर्विसेज लि.
vi) पंजाब नेशनल बैंक (इंटरनेशनल) लि. यूके.
v) ड्रुक पीएनबी बैंक लि. भूटान.

सहयोगी:

i) पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इन्श्योरेन्स कंपनी लि*
ii) पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लि.
iii) जेएससी (टेंगरी बैंक), अल्माटी, कजाकिस्तान**
iiv) केनरा एचएसबीसी ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इन्श्योरेन्स कं. लि.
v) इंडिया एसएमई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कं. लि.
iv) एवरेस्ट बैंक लिमिटेड, काठमांडू, नेपाल
vii) दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, पटना
viii) हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, मण्डी
ix) पंजाब ग्रामीण बैंक, कपूरथला
x) सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, रोहतक
xi) प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक, मुरादाबाद
xii) असम ग्रामीण विकास बैंक, गुवाहाटी
xiii) बंगिया ग्रामीण विकास बैंक, पश्चिम बंगाल
xiv) मणिपुर ग्रामीण बैंक, इंफाल
xv) त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, अगरतला

*पीएनबी ने ब्रैंड इक्विटी के रूप में रु. 700.48 /– के प्रतिफल पर पीएनबी मेटलाइफ में 30% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है।

**एएफआर ने 18.09.2020 से जेएससी टेंगरी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया और यह परिसमापन के अधीन है।

अन्य:

i) पीएनबी शताब्दी ग्रामीण विकास ट्रस्ट

Names of the related parties and their relationship with the Bank:

Key Management Personnel (KMP):

i) Shri Atul Kumar Goel, Managing Director & CEO.
ii) Shri Sanjay Kumar, Executive Director, upto 30.11.2022*
iii) Shri Vijay Dube, Executive Director.
iv) Shri Swarup Kumar Saha, Executive Director, upto 03.06.2022**
v) Shri Kalyan Kumar, Executive Director
vi) Shri Binod Kumar, Executive Director with effect from 21.11.2022
vii) Shri M. Paramasivam, Executive Director 01.12.2022

*** Tenure completed on 30.11.2022.**
****Tenure up to 03.06.2022**

Subsidiaries:

i) PNB Gilts Ltd.
ii) PNB Investment Services Ltd.
iii) PNB Cards and Services Ltd.
iv) Punjab National Bank (International) Ltd., UK.
v) Druk PNB Bank Ltd, Bhutan.

Associates:

i) PNB Metlife India Insurance Company Ltd*
ii) PNB Housing Finance Limited
iii) JSC (Tengri Bank), Almaty, Kazakhstan**
iv) Canara HSBC Life Insurance Co. Ltd.
v) India SME Asset Reconstruction Co. Ltd.
vi) Everest Bank Limited, Kathmandu, Nepal
vii) Dakshin Bihar Gramin Bank, Patna
viii) Himachal Pradesh Gramin Bank, Mandi
ix) Punjab Gramin Bank, Kapurthala
x) Sarva Haryana Gramin Bank, Rohtak
xi) Prathama UP Gramin Bank, Moradabad
xii) Assam Gramin Vikas Bank, Guwahati
xiii) Bangiya Gramin Vikas Bank, West Bengal
xiv) Manipur Rural Bank, Imphal
xv) Tripura Gramin Bank, Agartala

*PNB has acquired 30% stake in PNB Metlife at a consideration of Rs. 700.48 as brand equity.

**AFR revoked license of JSC Tengri Bank w.e.f. 18.09.2020 and is under Liquidation.

Others:

i) PNB Centenary Rural Development Trust

संबन्धित पक्षों के साथ लेनदेन

मदें / संबंधित पार्टी	मूल* (स्वामित्व अथवा नियंत्रण के अनुसार)		अनुषंगियां*		सहयोगी / संयुक्त उद्यम		मुख्य प्रबंधन कार्मिक		मुख्य प्रबंधन कार्मिक के रिश्तेदार		कुल	
	वर्ष के अंत में बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि	वर्ष के अंत में बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि	वर्ष के अंत में बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि	वर्ष के अंत में बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि	वर्ष के अंत में बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि	वर्ष के अंत में बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि
पारिश्रमिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	–	–	2.54	–	–	–	2.54	–
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	–	–	(2.14)	–	–	–	(2.14)	–
ऋण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	25.00	25.01	–	–	–	–	25.00	25.01
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	(25.01)	(25.01)	–	–	–	–	(25.01)	(25.01)
जमाराशि	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	1090.36	1225.96	–	–	–	–	1090.36	1225.96
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	(124.06)	(167.80)	–	–	–	–	(124.06)	(167.80)
जमाराशियों का नियोजन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00	0.00	–	–	–	–	0.00	0.00
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	(0.00)	(0.00)	–	–	–	–	(0.00)	(0.00)
अन्य सेवाएं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	0.44	2.57	–	–	–	–	0.44	2.57
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	(0.01)	(1.52)	–	–	–	–	(0.01)	(1.52)
बैंकों के पास शेष राशि तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00	0.00	–	–	–	–	0.00	0.00
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	(0.00)	(0.00)	–	–	–	–	(0.00)	(0.00)
अग्रिम (आईबीपीसी उधार लेना)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00	0.00	–	–	–	–	0.00	0.00
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	(0.00)	(0.00)	–	–	–	–	(0.00)	(0.00)
अग्रिम (आईबीपीसी उधार देना)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00	0.00	–	–	–	–	0.00	0.00
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	(0.00)	(0.00)	–	–	–	–	(0.00)	(0.00)
अग्रिम (अन्य)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	4636.89	4661.70	–	–	–	–	4636.89	4661.70
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	(4128.89)	(4634.45)	–	–	–	–	(4128.89)	(4634.45)
निवेश	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	817.54	817.54	–	–	–	–	817.54	817.54
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	(817.54)	(817.54)	–	–	–	–	(817.54)	(817.54)
निवेश से निवल	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	–	–	–	–	–	–	–	–
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	–	–	–	–	–	–	–	–
अन्य दायित्व	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	111.43	152.03	–	–	–	–	111.43	152.03
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	(128.61)	(212.16)	–	–	–	–	(128.61)	(212.16)
गैर निधिक प्रतिबद्धताएं (एलसी/बीजी)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	7.63	7.63	–	–	–	–	7.63	7.63
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	(17.80)	(17.80)	–	–	–	–	(17.80)	(17.80)
ली गई लीजिंग/एचपी व्यवस्था	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	–	–	–	–	–	–	–	–
दी गई लीजिंग/एचपी व्यवस्था	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	–	–	–	–	–	–	–	–
अचल आस्तियों की खरीद	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	–	–	–	–	–	–	–	–
अचल आस्तियों की बिक्री	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	–	–	–	–	–	–	–	–
लेनदेन आईबीपीसी बिक्री सौदा मूल्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	–	–	–	–	–	–	–	–
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	–	–	–	–	–	–	–	–

Transactions with Related Parties:

(Amount in ₹ Crores)

Items/ Related Party	Parent** (as per ownership or control)		Subsidiaries**		Associates/ Joint ventures		Key Management Personnel		Relatives of Key Management Personnel		Total	
	Outstanding at year end	Maximum amount outstanding during the year	Outstanding at year end	Maximum amount outstanding during the year	Outstanding at year end	Maximum amount outstanding during the year	Outstanding at year end	Maximum amount outstanding during the year	Outstanding at year end	Maximum amount outstanding during the year	Outstanding at year end	Maximum amount outstanding during the year
Remuneration	N.A	N.A	N.A	N.A	-	-	2.54	-	-	-	2.54	-
	N.A	N.A	N.A	N.A	-	-	(2.74)	-	-	-	(2.74)	-
Borrowings	N.A	N.A	N.A	N.A	25.00	25.01	-	-	-	-	25.00	25.01
	N.A	N.A	N.A	N.A	(25.01)	(25.01)	-	-	-	-	(25.01)	(25.01)
Deposits	N.A	N.A	N.A	N.A	1080.36	1228.98	-	-	-	-	1080.36	1228.98
	N.A	N.A	N.A	N.A	(124.66)	(157.00)	-	-	-	-	(124.66)	(157.00)
Placement of Deposits	N.A	N.A	N.A	N.A	0.00	0.00	-	-	-	-	0.00	0.00
	N.A	N.A	N.A	N.A	(0.00)	(0.00)	-	-	-	-	(0.00)	(0.00)
Other Liabilities	N.A	N.A	N.A	N.A	0.44	2.57	-	-	-	-	0.44	2.57
	N.A	N.A	N.A	N.A	(0.61)	(1.52)	-	-	-	-	(0.61)	(1.52)
Balance with banks and Money at call and short notice	N.A	N.A	N.A	N.A	0.00	0.00	-	-	-	-	0.00	0.00
	N.A	N.A	N.A	N.A	(0.00)	(0.00)	-	-	-	-	(0.00)	(0.00)
Advances (IBPC borrowings)	N.A	N.A	N.A	N.A	0.00	0.00	-	-	-	-	0.00	0.00
	N.A	N.A	N.A	N.A	(0.00)	(0.00)	-	-	-	-	(0.00)	(0.00)
Advances (IBPC lending)	N.A	N.A	N.A	N.A	0.00	0.00	-	-	-	-	0.00	0.00
	N.A	N.A	N.A	N.A	(0.00)	(0.00)	-	-	-	-	(0.00)	(0.00)
Advances (Others)	N.A	N.A	N.A	N.A	4636.68	4651.76	-	-	-	-	4636.68	4651.76
	N.A	N.A	N.A	N.A	(4025.89)	(4634.45)	-	-	-	-	(4025.89)	(4634.45)
Investments	N.A	N.A	N.A	N.A	817.54	817.54	-	-	-	-	817.54	817.54
	N.A	N.A	N.A	N.A	(817.54)	(817.54)	-	-	-	-	(817.54)	(817.54)
Investments in Debentures	N.A	N.A	N.A	N.A	-	-	-	-	-	-	-	-
	N.A	N.A	N.A	N.A	-	-	-	-	-	-	-	-
Other Assets	N.A	N.A	N.A	N.A	111.43	152.03	-	-	-	-	111.43	152.03
	N.A	N.A	N.A	N.A	(129.81)	(212.15)	-	-	-	-	(129.81)	(212.15)
Non funded Commitments (LCs/BGs)	N.A	N.A	N.A	N.A	7.63	7.63	-	-	-	-	7.63	7.63
	N.A	N.A	N.A	N.A	(17.89)	(17.89)	-	-	-	-	(17.89)	(17.89)
Leasing/ HP arrangements availed	N.A	N.A	N.A	N.A	-	-	-	-	-	-	-	-
Leasing/ HP arrangements provided	N.A	N.A	N.A	N.A	-	-	-	-	-	-	-	-
Purchase of fixed assets	N.A	N.A	N.A	N.A	-	-	-	-	-	-	-	-
Sale of Fixed Assets	N.A	N.A	N.A	N.A	-	-	-	-	-	-	-	-
Transaction IBPC Sale Deal Value	N.A	N.A	N.A	N.A	-	-	-	-	-	-	-	-
	N.A	N.A	N.A	N.A	-	-	-	-	-	-	-	-

मदें / संबंधित पार्टी	मूल** (स्वामित्व अथवा नियंत्रण के अनुसार)		अनुषंगियां**		सहयोगी/संयुक्त उद्यम		मुख्य प्रबंधन कार्मिक		मुख्य प्रबंधन कार्मिक के रिश्तेदार		कुल	
	वर्ष के अंत में बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि	वर्ष के अंत में बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि	वर्ष के अंत में बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि	वर्ष के अंत में बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि	वर्ष के अंत में बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि	वर्ष के अंत में बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि
निपटान आईबीपीसी खरीद सौदा शुल्क	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	–	–	–	–	–	–	–	–
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	–	–	–	–	–	–	–	–
जमाराशियों पर भुगतान गया ब्याज	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं								
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	–	–	–	–	–	–	–	–
आईबीपीसी पर भुगतान गया ब्याज	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	–	–	–	–	–	–	–	–
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	–	–	–	–	–	–	–	–
अन्य पर भुगतान ब्याज	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	9.44	–	–	–	–	–	9.44	–
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	(4.71)	–	–	–	–	–	(4.71)	–
आईबीपीसी पर प्राप्त ब्याज	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	–	–	–	–	–	–	–	–
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	–	–	–	–	–	–	–	–
लाभांश आय – आय	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	887.07	–	–	–	–	–	887.07	–
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	(866.02)	–	–	–	–	–	(866.02)	–
सेवाएं प्राप्त करना	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	–	–	–	–	–	–	–	–
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	–	–	–	–	–	–	–	–
सेवाएं प्रदान करना	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	–	–	–	–	–	–	–	–
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	–	–	–	–	–	–	–	–
प्रबंधन संविदाएं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	0.54	–	–	–	–	–	0.54	–
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	(0.54)	–	–	–	–	–	(0.54)	–
प्राप्त लाभांश	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	15.70	–	–	–	–	–	15.70	–
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	–	–	–	–	–	–	–	–
बैंक प्रभार	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	1.15	–	–	–	–	–	1.15	–
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	(1.22)	–	–	–	–	–	(1.22)	–
बॉन्ड पर भुगतान गया ब्याज	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	–	–					–	–
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	–	–					–	–
प्राप्त कमीशन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	–	–	–	–	–	–	–	–
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	–	–	–	–	–	–	–	–
अन्य व्यय	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	5.42	–	–	–	–	–	5.42	–
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	(194.21)	–	–	–	–	–	(194.21)	–
अन्य आय	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	316.82	–	–	–	–	–	316.82	–
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	(288.90)	–	–	–	–	–	(288.90)	–

नोट: 1. **अनुषंगियों और कुछ सहयोगी संस्थाओं के साथ हुए लेनदेन का प्रकटीकरण लेखा मानक – 18 "संबंधित पार्टी प्रकटीकरण" के पैरा 9 के मद्देनजर नहीं किया गया है जो राज्य द्वारा नियंत्रित उद्यमों को उनकी ऐसी अन्य संबंधित पार्टियों, जो राज्य द्वारा नियंत्रित हों, के लेनदेन में कोई प्रकटीकरण करने से छूट देता है।

2. इसके अलावा, एएस 18 के पैरा 5 के अनुसार, बैंकर–ग्राहक संबंध के स्वरूप के लेन–देन, जिनमें प्रमुख प्रबंधन कार्मिक और प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के रिश्तेदारों के साथ किए गए लेन–देन भी शामिल हैं, का प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

3. रिपोर्ट की गई राशि प्रावधान का समायोजन है, यदि कोई हो।

4. जहाँ भी आंकड़े कोष्ठक में दिए गए पिछले वर्ष से संबंधित हैं और जहाँ भी आवश्यक हो, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहबद्ध/पुनर्व्यवस्थित/पुनः वर्गीकृत किया गया है।

Items/ Related Party	Parent** (as per ownership or control)		Subsidiaries**		Associates/ Joint ventures		Key Management Personnel		Relatives of Key Management Personnel		Total	
	Outstanding at year end	Maximum amount outstanding during the year	Outstanding at year end	Maximum amount outstanding during the year	Outstanding at year end	Maximum amount outstanding during the year	Outstanding at year end	Maximum amount outstanding during the year	Outstanding at year end	Maximum amount outstanding during the year	Outstanding at year end	Maximum amount outstanding during the year
Transaction IBPC Purchase Deal Value	N.A	N.A	N.A	N.A	-	-	-	-	-	-	-	-
	N.A	N.A	N.A	N.A	-	-	-	-	-	-	-	-
Interest paid on Deposits	N.A	N.A	N.A	N.A								
	N.A	N.A	N.A	N.A	-	-	-	-	-	-	-	-
Interest Paid on IBPC	N.A	N.A	N.A	N.A	-	-	-	-	-	-	-	-
	N.A	N.A	N.A	N.A	-	-	-	-	-	-	-	-
Interest Paid Others	N.A	N.A	N.A	N.A	0.45	-	-	-	-	-	0.45	-
	N.A	N.A	N.A	N.A	(4.70)	-	-	-	-	-	(4.70)	-
Interest received on IBPC	N.A	N.A	N.A	N.A	-	-	-	-	-	-	-	-
	N.A	N.A	N.A	N.A	-	-	-	-	-	-	-	-
Interest received, Others	N.A	N.A	N.A	N.A	557.07	-	-	-	-	-	557.07	-
	N.A	N.A	N.A	N.A	(566.62)	-	-	-	-	-	(566.62)	-
Receiving of Services	N.A	N.A	N.A	N.A	-	-	-	-	-	-	-	-
	N.A	N.A	N.A	N.A	-	-	-	-	-	-	-	-
Rendering of Services	N.A	N.A	N.A	N.A	-	-	-	-	-	-	-	-
	N.A	N.A	N.A	N.A	-	-	-	-	-	-	-	-
Management contracts	N.A	N.A	N.A	N.A	0.54	-	-	-	-	-	0.54	-
	N.A	N.A	N.A	N.A	(0.54)	-	-	-	-	-	(0.54)	-
Dividend received	N.A	N.A	N.A	N.A	15.70	-	-	-	-	-	15.70	-
	N.A	N.A	N.A	N.A	-	-	-	-	-	-	-	-
Bank Charges	N.A	N.A	N.A	N.A	1.15	-	-	-	-	-	1.15	-
	N.A	N.A	N.A	N.A	(0.22)	-	-	-	-	-	(0.22)	-
Interest Paid on Bonds	N.A	N.A	N.A	N.A	-	-					-	-
	N.A	N.A	N.A	N.A	-	-					-	-
Commission Received	N.A	N.A	N.A	N.A	-	-	-	-	-	-	-	-
	N.A	N.A	N.A	N.A	-	-	-	-	-	-	-	-
Other Expenditure	N.A	N.A	N.A	N.A	5.42	-	-	-	-	-	5.42	-
	N.A	N.A	N.A	N.A	(104.21)	-	-	-	-	-	(104.21)	-
Other Income	N.A	N.A	N.A	N.A	316.92	-	-	-	-	-	316.92	-
	N.A	N.A	N.A	N.A	(288.90)	-	-	-	-	-	(288.90)	-

Notes: 1. **The transactions with the subsidiaries and certain associates have not been disclosed in view of para-9 of AS-18 'Related Party Disclosure', which exempts state controlled enterprises from making any disclosures pertaining to their transactions with other related parties, which are also state controlled.

2. Further, in terms of Paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker-Customer relationship have not been disclosed including those with Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel.

3. The amounts reported are net of provision, if any.

4. Figures in brackets relate to previous year and have been regrouped / rearranged / reclassified wherever necessary.

15. एच) लेखा मानक एएस 19 – पट्टा

i. परिचालन पट्टे में मुख्य रूप से कार्यालय परिसर शामिल होते हैं, जो कि बैंक के विकल्प पर प्रत्येक 3 / 5 वें वर्ष के अंत में सामान्य रूप से नवीकरणीय होते हैं।

ii. उपलब्ध जानकारी के अनुसार 31.03.2023 को गैर–रद्द करने योग्य पट्टा: शून्य (गत वर्ष: शून्य)।

iii. परिचालन पट्टे के लिए लाभ और हानि लेखे में मान्यता प्राप्त पट्टा भुगतान की राशि निम्नानुसार है:

31.03.2023 को समाप्त चालू वर्ष		31.03.2022 को समाप्त गत वर्ष	
पट्टे / किराए के परिसर की संख्या	(राशि ₹ करोड़ में)	पट्टे / किराए के परिसर की संख्या	(राशि ₹ करोड़ में)
15813	798.92	15750	782.24

15. i) लेखा मानक 20 – प्रति शेयर अर्जन

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
ए	ईपीएस – मूल / डाइल्यूटेड (₹ में) (गैर वार्षिक)	2.28	3.16
बी	कर के पश्चात अंश के रूप में उपयोग की गई राशि पर लाभ(हानि) (₹ 000 में)	25072049	34569636
सी	शेयरों का अंकित मूल्य	प्रत्येक ₹ 2.00	प्रत्येक ₹ 2.00
डी	डिनोमिनेटर के रूप में प्रयोग किए गए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	11011015558	10946723321

15. जे) (i) लेखा मानक – 22 – आय पर करों के सम्बन्ध में लेखांकन

बैंक ने लेखा नीति सं. 10 के अनुसार आस्थगित कर आस्तियों और देयता की पहचान की है जिसके प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं:

(राशि ₹करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
आस्थगित कर आस्तियां		
छुट्टी नकदीकरण और अन्य के लिए प्रावधान	137.95	112.80
अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	24319.67	23821.41
कर योग्य हानि (आगे ले जाया गया)	0.00	2353.34
अन्य आकस्मिकताएं	248.00	162.16
कुल	24705.62	26449.71
आस्थगित कर देयताएं		
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	–304.80	–233.45
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि	1249.26	1170.31

15. h) Accounting Standard 19 – Lease

i. Operating lease primarily comprise office premises, which are renewable at the option of the bank normally at the end of every 3 / 5th years.

ii. As per information available, Non-Cancellable lease as on 31.03.2023: NIL (Previous year: NIL).

iii. Amount of lease payment recognized in P & L Account for operating lease is as under:

Current Year Ended 31.03.2023		Previous Year Ended 31.03.2022	
No. of lease / rented premises	(Amount in ₹Crore)	No. of lease / rented premises	(Amount in ₹Crore)
15813	798.92	15750	782.24

15. i) Accounting Standard 20 - Earnings per Share

Sl. No.	Particulars	Current Year	Previous Year
A	EPS - Basic / Diluted (in ₹) (Non Annualized)	2.28	3.16
B	Amount used as numerator Profit/ (Loss) after tax (₹ in 000)	25072049	34569636
C	Nominal value of share	₹2.00 each	₹2.00 each
D	Weighted average number of equity shares used as the denominator	11011015558	10946723321

15. j) (i) Accounting Standard 22- Accounting for taxes on Income

The Bank has recognized deferred tax assets and liability as per accounting policy no. 10. Major components of which are set out below:

(Amount in ₹Crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
Deferred Tax Assets		
Provision for Leave encashment & others	137.95	112.80
Provision for bad & doubtful debts	24319.67	23821.41
Taxable loss (carried forward)	0.00	2353.34
Other Contingencies	248.00	162.16
Total	**24705.62**	**26449.71**
Deferred Tax Liabilities		
Depreciation on fixed assets	-304.80	-233.45
Special Reserve u/s 36(1)(viii) of Income Tax Act 1961.	1249.26	1170.31

विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
आस्थगित कर आस्तियां		
कुल	944.46	936.86
आस्थगित कर आस्तियाँ (निवल)	23761.16	25512.85

31.03.2023 को समाप्त हुए वर्ष (वित्त वर्ष 2022–23) के लिए लाभ और हानि लेखे में आस्थगित कर आस्ति ₹ 1751.69 करोड़ (पिछले वर्ष: डेबिट ₹ 1541.35 करोड़) में नामे डाली गई है।

ii) **वर्तमान कर:** 31.03.2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक ने लाभ और हानि खाते में ₹ 29.38 करोड़ डेबिट किए हैं (पिछले वर्ष: डेबिट किए गए ₹ शून्य) पिछले वर्षों के ₹ 515.94 करोड़ के प्रावधान को उलटने के बाद वर्तमान कर के कारण। तदनुसार, वर्तमान कर और आस्थगित कर संपत्तियों के कारण कुल कर व्यय लाभ और हानि खाते में ₹ 1781.07 करोड़ है।

iii) "अन्य आस्तियों" के अंतर्गत आने वाले अग्रिम रूप से भुगतान किए गए कर/स्रोत पर कर कटौती में विभिन्न मूल्यांकन वर्षों के लिए कर मांगों के संबंध में विभाग: बैंक द्वारा समायोजित विवादित राशि शामिल है।

iv) ₹ 8475.38 करोड़ (गत वर्ष ₹ 11427.55 करोड़) की विवादित आयकर मांग के संबंध में कोई प्रावधान आवश्यक नहीं समझा गया है क्योंकि बैंक की राय, इन मुद्दों पर विशेषज्ञ की राय और/अथवा बैंक की अपीलों पर हुए निर्णय के अनुसमर्थन के अनुसार किए गए परिवर्धन/अस्वीकृतियां धारणीय नहीं है।

v) बैंक ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 115 बीएए के अंतर्गत उपलब्ध विकल्पों का मूल्यांकन किया है और आयकर अधिनियम 1961 के पूर्व प्रावधान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए आय पर करों को मान्यता देना जारी रखने का विकल्प चुना है।

vi) वर्तमान कर व्यय और आस्थगित कर व्यय का निर्धारण आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार और क्रमश: भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 22– 'आय पर करों के लिए लेखांकन' के अनुसार किया जाता है। भारत में वर्तमान कर की गणना विदेशी क्षेत्राधिकार में भुगतान किए गए करों के लिए उचित राहत लेने के बाद आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार की गई है।

15. के) लेखा मानक 23 – समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोगी संस्थाओं में निवेशों के लिए लेखांकन

चूंकि बैंक की अपनी सहयोगी संस्थाओं में सहभागी स्वरूप का निवेश है और बैंक को उनकी गतिविधियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने का अधिकार है, अतः बैंक की समेकित वित्तीय विवरणों में ऐसे निवेशों को मान्यता दी गई है। (गत वर्ष: चूंकि बैंक के अपने सहयोगियों में निवेश सहभागी स्वरूप का होता है और बैंक के पास उनकी गतिविधियों पर महत्वपूर्ण

Particulars	Current Year	Previous Year
Deferred Tax Assets		
Total	944.46	936.86
Deferred Tax Assets (Net)	23761.16	25512.85

The deferred tax assets ₹ 1751.69 Crore for the year ended 31.03.2023 (FY 2022-23) is debited to Profit & Loss Account (Previous year: Debited ₹ 1541.35 Crores).

ii) **Current Tax:** During the financial year ended 31.03.2023 the bank has debited ₹ 29.38 Crore to Profit & Loss Account (Previous Year: Debited ₹ Nil) on account of current tax after reversal of provision of earlier years of ₹ 515.94 Crore. Accordingly, the total tax expenses on account of current tax & deferred tax assets charged to Profit & Loss account amounts to ₹ 1781.07 Crore.

iii) Tax Paid in advance/Tax deducted at source appearing under "Other Assets" includes disputed amount adjusted by the department/paid by the Bank in respect of tax demands for various assessment years.

iv) No provision is considered necessary in respect of disputed Income Tax demands of ₹8475.38 Crore (Previous year ₹ 11427.55 Crore) as in the bank's view, duly supported by expert opinion and/or decision in bank's own appeals on same issues, additions / disallowances made are not sustainable.

v) The Bank has evaluated the options available under section 115BAA of Income Tax Act, 1961 and opted to continue to recognise the taxes on income for the financial year 2022-23 as per the earlier provisions of Income Tax Act, 1961.

vi) The current tax expenses and deferred tax expenses are determined in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 and as per the Accounting Standard 22- "Accounting for Taxes on Income" issued by the Institute of Chartered Accountants of India respectively. The current Tax in India has been calculated in accordance with the provisions of Income Tax Act 1961 after taking appropriate relief for taxes paid on foreign jurisdiction.

15. k) Accounting Standard 23 - Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements

Since Investments of the bank in its Associates are participative in nature and the Bank having the power to exercise significant influence on their activities, such Investments are recognized in the Consolidated Financial Statements of the Bank.

(Previous year: Since Investments of the bank in its Associates are participative in nature and the Bank having the

प्रभाव डालने की शक्ति होती है, ऐसे निवेशों को बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों में मान्यता दी गई है)।

power to exercise significant influence on their activities, such Investments are recognized in the Consolidated Financial Statements of the Bank).

15. एल) लेखा मानक 24– परिचालन बंद होना

दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2023 की अवधि के दौरान बैंक ने अपनी किसी भी शाखा का परिचालन बंद नहीं किया है जिसके परिणामस्वरूप देयताओं की शैडिंग और आस्तियों का भुगतान हुआ हो तथा किसी परिचालन को सम्पूर्ण रूप से समाप्त करने का ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है जिससे उक्त प्रभाव पड़े।

(गत वर्ष: दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2022 की अवधि के दौरान बैंक ने अपनी किसी भी शाखा का परिचालन बंद नहीं किया है, जिससे परिणामस्वरूप देयताओं की शैडिंग और आस्तियों की वसूली हुई हो, तथा किसी परिचालन को सम्पूर्ण रूप से समाप्त करने का ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है जिससे उक्त प्रभाव पड़े)।

15. l) Accounting Standard 24 – Discontinuing operations

During the period from 01.04.2022 to 31.03.2023, the bank has not discontinued operations of any of its branches, which resulted in shedding of liability and realization of assets and no decision has been finalized to discontinue an operation in its entirety which have the above effect.

(Previous year: During the period from 01.04.2021 to 31.03.2022, the bank has not discontinued operations of any of its branches, which resulted in shedding of liability and realization of assets and no decision has been finalized to discontinue an operation in its entirety which have the above effect).

15. एम. लेखा मानक 26 – अमूर्त आस्ति

विवरण	उपयोगी अवधि (वर्षों की संख्या)	प्रयुक्त की गई परिशोधन दरें	परिशोधन पद्धति
सॉफ्टवेयर	03	33.33%	सीधी रेखा विधि

15.m. Accounting Standard 26 – Intangible asset

Particulars	Useful life (No. of Years)	Amortization rates used	Amortization Method
Software	03	33.33%	Straight Line Method

अमूर्त संपत्ति

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	सकल ब्लॉक					परिशोधन				नेट ब्लॉक	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
सॉफ्टवेयर	1208.21	42.21	0.00	0.00	1251.39	921.28	146.79	0.00	1066.23	184.45	286.93
अन्य यदि कोई हो तो (कृपया उल्लेख करें)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
कुल	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
गत वित्तीय वर्ष 2021-22	1102.81	105.40	0.00	0.00	1208.21	750.99	170.29	0.00	921.28	286.93	लागू नहीं

Intangible Assets

(Amount in ₹ Crores)

Particulars	Gross Block					Amortization				Net Block	
	As at 01.04.2022	Additions	Other Adjustments	Reclassifications / Deletions	As at 31.03.2023	As at 01.04.2022	For the year	Reclassifications / Deletions	As at 31.03.2023	As at 31.03.2023	As at 31.03.2022
Software	1208.21	42.21	0.00	0.00	1251.39	921.28	146.79	0.00	1068.06	184.45	286.93
Other if any, please specify	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]
FY 2021-22	1102.81	105.40	0.00	0.00	1208.21	750.99	170.29	0.00	921.28	286.93	NA

15. एन) लेखा मानक 28 – आस्तियों का ह्रास

बैंक की आस्तियों में एक बड़ा हिस्सा 'वित्तीय आस्तियों' का है जिनपर लेखा मानक 28 'आस्तियों का ह्रास' लागू नहीं है। बैंक की राय में इन आस्तियों (जिन पर मानक लागू होता है) को उक्त मानक की शर्तों के अधीन अपेक्षित पहचान के लिए 31.03.2023 को किसी महत्वपूर्ण सीमा तक ह्रास नहीं है।

(गत वर्ष: बैंक की आस्तियों में एक बड़ा हिस्सा 'वित्तीय आस्तियों' का

15. n) Accounting Standard 28 – Impairment of assets

A substantial portion of the bank's assets comprises 'financial assets' to which Accounting Standard 28 'Impairment of Assets' is Not Applicable. In the opinion of the bank, there is no impairment of its assets (to which the standard applies) to any material extent as at 31.03.2023 requiring recognition in

है जिनपर लेखा मानक 28 'आस्तियों का ह्रास' लागू नहीं है। बैंक की राय में इन आस्तियों (जिन पर मानक लागू होता है) की उक्त मानक की शर्तों के अधीन अपेक्षित पहचान के लिए 31.03.2022 को किसी महत्वपूर्ण सीमा तक ह्रास नहीं है)।

15. ओ) लेखा मानक 29 - प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियाँ:

i) देयताओं के लिए प्रावधानों में उतार-चढ़ाव*

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	वेतन बकाया	कानूनी मामले / आकस्मिकताएं
प्रारंभिक शेष	0.00 (44.00)	83.51 (74.20)
वर्ष के दौरान जोड़ा गया / प्रदान किया गया	459.51 (0.00)	4.98 (11.81)
अवधि के दौरान प्रयुक्त राशियां	0.00 0.00	0.39 (0.23)
वर्ष की अवधि के दौरान रिवर्स	0.00 (44.00)	2.52 (2.27)
31.03.2023 को शेष	**459.51 (44.00)**	**85.58 (83.51)**
बहिर्वाह / अनिश्चितताओं का समय	वास्तविक भुगतान पर (वास्तविक भुगतान पर)	निपटान / क्रिस्टलीकरण पर बहिर्वाह (निपटान / क्रिस्टलीकरण पर बहिर्वाह)

*अन्य के लिए प्रावधान को छोड़कर

ii) आकस्मिक देयताओं पर अनुसूची – 12 देखें

क्रम संख्या (i),(ii), (iii), (iv), (v) व (vi) की ऐसी देयताएं अदालत / पंचाट / अदालत से बाहर समझौते के निष्कर्षों, अपीलों का निपटान, मांगी जा रही राशि, संविदागत दायित्वों की शर्तों, सम्बद्ध पार्टियों द्वारा की गयी मांगों पर क्रमशः आश्रित हैं।

अन्य प्रकटीकरण :

16. व्यक्तिगत / समूह उधारकर्ताओं के लिए आरबीआई द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण एक्सपोजर (एलई) ढांचे के अनुसार 31.03.2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु क्रेडिट एक्सपोजर जहां अधिक था, उसके संबंध में बैंक का प्रकटीकरण:

वित्तीय वर्ष 31.03.2023 के लिए टियर –1 पूंजी ₹ 60747.81 करोड़ के आधार पर व्यक्तिगत और समूह खातों के संबंध में बड़े एक्सपोजर (एलई) ढांचे के अनुसार उन खातों का विवरण नीचे दिया गया है, जहां बैंक ने विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमा को पार किया है –

terms of the said standard.

(Previous year: A substantial portion of the bank's assets comprises 'financial assets' to which Accounting Standard 28 'Impairment of Assets' is Not Applicable. In the opinion of the bank, there is no impairment of its assets (to which the standard applies) to any material extent as at 31.03.2022 requiring recognition in terms of the said standard).

15. o) Accounting Standard 29 - Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

i) Movement of provisions for liabilities*

(Amount in ₹Crore)

Particulars	Salary arrears	Legal cases/ contingencies
Opening Balance	0.00	83.51
	(44.00)	(74.20)
Addition / Provided during the Year	459.51	4.98
	(0.00)	(11.81)
Amounts used during the Year	0.00	0.39
	(0.00)	(0.23)
Reversed during the period Year	0.00	2.52
	(44.00)	(2.27)
Balance as at 31.03.2023	**459.51**	**85.58**
	(44.00)	**(83.51)**
Timing of outflow/ uncertainties	On actual Payment	Outflow on settlement / crystallization
	(On actual Payment)	(Outflow on settlement / crystallization)

*Excluding provisions for others

ii) Refer Schedule-12 on contingent liabilities

Such liabilities at S.No.(I), (II), (III), (IV), (V) & (VI) are dependent upon the outcome of Court / arbitration / out of court settlement, disposal of appeals, the amount being called up, terms of contractual obligations, devolvement and raising of demand by concerned parties, respectively.

Other Disclosures:

16. Bank's Disclosure in respect of Credit Exposures where the same had exceeded the Prudential Exposure limits as per Large Exposure (LE) framework prescribed by RBI for Individual/Group Borrowers for the Financial year ended 31.03.2023:

Details of accounts where Bank has exceeded prudential exposure ceilings as per Large Exposure (LE) framework in respect of any Individual and Group Accounts based on Tier – 1 Capital of ₹ 60747.81Crores for the financial year

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	उधारकर्ता का नाम	निर्धारित सीमा		एक्सपोज़र (31.03.2023 को)	31.03.2023 को टियर –1 पूंजी के % के रूप में कुल एक्सपोज़र	बकाया (31.03.2023 तक)	31.03.2023 को टीयर –1 पूंजी के % के रूप में एलई फ्रेमवर्क के अनुसार कुल बकाया एक्सपोज़र
व्यक्तिगत							
1.	भारतीय	₹ 12149.56		12735.80	20.97%	12686.13	$20.88%
	लघु उद्योग विकास बैंक	करोड़ (टियर –1 पूंजी का 20)					
	*समूह						
	शून्य						

(Amount in ₹ Crore)

S. No.	Name of the Borrower	Prescribed Ceiling	Exposure (as on 31.03.2023)	Total Exposure as % of Tier-1 Capital as on 31.03.2023	Outstanding (as on 31.03.2023)	Total Outstanding Exposure as per LE Framework as % of Tier – 1 Capital as on 31.03.2023
Individual						
1.	Small Industries Development Bank of India	₹12149.56 Crores (20% of Tier – I Capital)	12735.80	20.97%	12686.13	$20.88%
*Group						
NIL						

31.03.2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष (राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	उधारकर्ता का नाम	निर्धारित सीमा	एक्सपोज़र (31.03.2022 को)	31.03.2022 को टियर –1 पूंजी के % के रूप में कुल एक्सपोज़र	बकाया (31.03.2022 तक)	31.03.2022 को टीयर –1 पूंजी के % के रूप में एलई फ्रेमवर्क के अनुसार कुल बकाया एक्सपोज़र
व्यक्तिगत						
1.	भारतीय खाद्य निगम	₹ 12527.20 करोड़ (टियर – I पूंजी का 20)	14469.27	23.10%	14469.27	*23.10%
2	नाबार्ड		14052.66	22.44%	14052.66	*22.44%
	*समूह					
	शून्य					

(FY ended 31.03.2022)

(Amount in ₹ Crore)

S. No.	Name of the Borrower	Prescribed Ceiling	Exposure (as on 31.03.2022)	Total Exposure as % of Tier-1 Capital as on 31.03.2022	Outstanding (as on 31.03.2022)	Total Outstanding Exposure as per LE Framework as % of Tier – 1 Capital as on 31.03.2022
Individual						
1.	Food Corporation of India	₹ 12527.20 Crores (20% of Tier – I Capital)	14469.27	23.10%	14469.27	*23.10%
2.	NABARD		14052.66	22.44%	14052.66	*22.44%
*Group						
NIL						

आरबीआई के परिपत्र दिनांक 03.06.2019 ने बैंक की बोर्ड की शक्तियों के तहत एकल प्रतिपक्ष के 20% की सीमा के अतिरिक्त 5% का लीवरेज दिया है। बोर्ड ने दिनांक 28.03.2017 की अपनी बैठक में यह मंजूरी दी है कि बैंक असाधारण परिस्थितियों में बड़े एक्सपोज़र के रूप में वर्गीकृत एकल प्रतिपक्षकार के लिए एक्सपोज़र सीमा को 20% की उच्चतम सीमा के अतिरिक्त और 5% तक बढ़ाने पर विचार कर सकता है।

$इसे बोर्ड द्वारा दिनांक 04.06.2022 की बैठक में अनुमोदित किया गया था।

RBI Circular dated 03.06.2019 has given leverage of 5% over and above the ceiling of 20% of single counterparty under the Bank's Board Power. Board in its meeting dated 28.03.2017 has approved that bank may in exceptional circumstances consider enhancement of the exposure ceiling for single counterparty classified as Large Exposure upto 5% over and above ceiling of 20%.

$*The same was approved by the Board in its meeting dated 04.06.2022*

* बोर्ड की दिनांक 04.06.2021 की बैठक में इसे अनुमोदित किया गया

31.03.2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए व्यक्तिगत और समूह खातों (ऊपर यथा उल्लिखित को छोड़कर) के सभी एक्सपोज़र (छूट प्राप्त एक्सपोज़र के अलावा) एलई फ्रेमवर्क के अनुसार निर्धारित नियामक सीमाओं के भीतर हैं।

(गत वर्ष – 31.03.2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए व्यक्तिगत और समूह खातों (ऊपर यथा उल्लिखित को छोड़कर) के सभी एक्सपोज़र (छूट प्राप्त एक्सपोज़र के अलावा) एलई फ्रेमवर्क के अनुसार निर्धारित नियामक सीमाओं के भीतर हैं।)

17. प्रकटीकरण: चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी)

"बैंक ने यूनाइटेड किंगडम में नियामक, प्रूडेंशियल रेगुलेशन अथॉरिटी (PRA) को यूके स्थित अपनी अनुषंगी पंजाब नेशनल बैंक (इंटरनेशनल) लिमिटेड के संबंध में एक चुकौती आश्वासन पत्र जारी किया है, जिसमें यह आश्वासन दिया गया है कि यदि पंजाब नेशनल बैंक (इंटरनेशनल) लिमिटेड, यूके अपनी प्रतिबद्धताएँ पूरी न कर पाए तो बैंक उसे वित्तीय सहायता प्रदान करेगा"।

उक्त चुकौती आश्वासन पत्र दिनांक 15.03.2022 को हमारी अनुषंगी पीएनबीआईएल से संबंधित पीआरए के पक्ष में हमारे बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद नवीनीकृत किया गया है, जिसमें हमने अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। यह नवीनीकरण पीआरए और आरबीआई के निर्देश के अनुसार किया गया था। इसके अतिरिक्त एलओसी का वार्षिक मूल्यांकन भी दिनांक 28.02.2023 को बोर्ड की बैठक में रखे गए नोट दिनांक 20.02.2023 द्वारा किया गया था।

उपरोक्त के अलावा, बैंक ने समूह संस्थाओं (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को कोई चुकौती आश्वासन पत्र जारी नहीं किया है और इसलिए चुकौती आश्वासन पत्र के तहत कोई संचयी वित्तीय दायित्व नहीं है।

18. प्रकटीकरण: वचनपत्र

"बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) के विनियम 3(3) के अंतर्गत पीएनबी आईबीयू गिफ्ट सिटी शाखा के लिए वचन पत्र प्रदान किया है कि:

"इसके अलावा, बैंक इस बात की पुष्टि करता है कि वह इस तरह का समर्थन और सहायता प्रदान करेगा (जब भी आवश्यक हो, चलनिधि सहित) और संचालन के दौरान दायित्वों को पूरा करने में सक्षम करने के लिए विनियोजित हो सकता है।"

उपरोक्त के अलावा बैंक ने विदेशी शाखाओं के लिए कोई चुकौती आश्वासन पत्र जारी नहीं किया है और चुकौती आश्वासन पत्र के तहत कोई संचयी वित्तीय दायित्व नहीं है।

19. क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स

पीएनबी ग्लोबल क्रेडिट कार्ड धारक जब कभी अपने क्रेडिट कार्ड का

* The same was approved by the Board in its meeting dated 04.06.2021

All the exposure (other than exempted exposure) of Individual and Group Accounts (except as mentioned above) for the financial year ended 31.03.2023 are within the prescribed regulatory limits, as per LE Framework.

(Previous year- All the exposure (other than exempted exposure) of Individual and Group Accounts (except as mentioned above) for the financial year ended 31.03.2022 are within the prescribed regulatory limits, as per LE Framework).

17. Disclosure: Letter of Comfort (LoC) -

"The Bank has issued a Letter of Comfort to Prudential Regulation Authority (PRA), the regulator in United Kingdom, committing that the bank shall provide financial support to its subsidiary, Punjab National Bank (International) Ltd., UK so that it meets its financial commitments as and when they fall due".

The said letter of Comfort has been renewed on 15.03.2022 after seeking approval of our Board in favor of PRA w.r.t. our subsidiary PNBIL wherein we have reiterated our commitment. The renewal was done as per instruction of PRA and RBI. Further Annual assessment of LOC was also done vide note dated 20.02.2023 placed in Board meeting dated 28.02.2023.

Apart from the above, the Bank has not issued any Letter of Comfort to Group Entities (Excl. RRBs) and therefore, there are no cumulative financial obligations under Letter of Comfort.

18. Disclosure: Letter of Undertaking-

The Bank has provided a Letter of Undertaking for PNB IBU Gift City Branch under Regulation 3(3) of International Financial Service Centre Authority(IFSCA) that:

"Bank will provide support and assistance (including liquidity, whenever needed) and as may be appropriate to enable the banking unit to meet its obligations in the course of its obligation".

Apart from the above the Bank has not issued any Letter of Comfort for overseas branches and there are no cumulative financial obligations under Letter of Comfort.

19. Reward Points of Credit Card –

PNB Global Credit Card holders are rewarded as and when

प्रयोग करके ख़रीददारी करते हैं तो उन्हें रिवॉर्ड के अंक प्रदान किए जाते हैं। ये रिवार्ड के अंक मर्चेंट संस्थान पर कार्डधारक द्वारा क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते समय जारी किए जाते हैं। कार्डधारक इन एकत्रित अंकों को रिडीम कर सकता है। रिवॉर्ड अंकों के कारण देय राशि को दैनिक आधार पर लाभ व हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है और विविध प्रावधान खाते में क्रेडिट किया जाता है।

बकाया रिवॉर्ड अंकों (क्रेडिट कार्ड) तथा उनके संबंध में किए गए प्रावधान की स्थिति निम्नलिखित है:

विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
बकाया शेष रिवॉर्ड अंक	225980457	203815605
इन अंकों के लिए किया गया प्रावधान (₹ करोड़ में)	2.82	2.55

*क्रेडिट कार्ड के संबंध में रिवॉर्ड पॉइंट्स के प्रति 1 पॉइंट के लिए ₹. 0.50 का प्रावधान किया गया है। क्रेडिट कार्ड रिवार्ड पॉइंट्स के ट्रेंड एनालिसिस पर नवीनतम एक्चुअरी रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष की तरह अनुमानित आधार पर संचित रिवार्ड पॉइंट्स के 25% की दर से रिडेम्पशन का प्रावधान किया गया है।

20. गैर-बैंकिंग आस्तियों से संबंधित प्रकटीकरण

(राशि ₹ करोड़ में)

चालू वर्ष		पिछले वर्ष	
संपत्तियों की संख्या	बकाया शेष	संपत्तियों की संख्या	बकाया शेष
12	26.45	13	50.21

21. रेपो या रिवर्स रेपो लेनदेन के तहत उधार दी गई या अर्जित की गई कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ:

चालू वर्ष	पिछले वर्ष
शून्य	शून्य

22. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने अवरुद्ध खाते तैयार करने के लिए 5 वर्षों से अधिक समय से बकाया अंतर शाखा क्रेडिट प्रविष्टियों की राशि की गणना की। तदनुसार ₹ शून्य (पिछले वर्ष ₹ 0.00 करोड़) की राशि को किये गए [समायोजन को घटाकर अनुसूची –5 में "अन्य देयताएं–अन्य" के तहत शामिल किया गया है.]

23. परिसर में ₹ 3.72 करोड़ (लागत) की 10 संपत्तियां शामिल हैं। मूल्यह्रास राशि ₹ 2.27 करोड़ जो शीर्षक विलेखों के पंजीकरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

गत वर्ष: परिसर में ₹ 3.72 करोड़ (लागत) की संपत्ति और रुपये 2.20 करोड़ की मूल्यह्रास राशि शामिल है जो शीर्षक विलेखों के पंजीकरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

24. 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए परिसर में ₹ 42.37 करोड़ का

they make purchases through usage of Credit Card. Reward Points are generated at the time of usage of Credit Card by Cardholder at merchant Establishment. Card holder can redeem the accumulated reward points. The amount payable on account of reward points is charged to Profit and Loss account and credited to Sundry Provision Account on daily basis.

Position of outstanding reward points of Credit Cards and Provision thereon:

Particulars	Current Year	Previous Year
Balance Reward Points outstanding	225980457	203815605
Provision held for these points (₹ in Crore)*	2.82	2.55

*The provision held against Rewards points in respect of Credit Cards has been worked out at ₹0.50 for 1 point. As per latest actuary report on Trend Analysis of credit card rewards points redemption provision has been made @25% of accumulated Reward points on estimated basis as in the previous year.

20. Disclosure related to Non -Banking assets:

(Amount in ₹ Crore)

Current Year		Previous Year	
No. of Properties	Balance Outstanding	No. of Properties	Balance Outstanding
12	26.45	13	50.21

21. Corporate debt securities lent or acquired under repo or reverse repo transactions:

Current Year	Previous Year
NIL	NIL

22. As per RBI guidelines, the Bank worked out the amount of Inter Branch Credit entries outstanding for more than 5 years to create a Blocked Account. Accordingly, a sum of ₹0.00 Crores (previous year ₹0.00 Crores) [net of adjustments since carried out has been included under "Other Liabilities-others" in Schedule-5].

23. Premises includes 10 properties amounting to ₹3.72Crore (cost) & depreciation amount to Rs. 2.27 Crore are awaiting registration of title deeds.

Previous year: Premises includes properties amounting to ₹3.72Crore (cost) & depreciation amount to Rs. 2.20 Crore are awaiting registration of title deeds.

पूंजीगत कार्य शामिल है (पिछले वित्तीय वर्ष 2021–22 में ₹ 127.08 करोड़)।

25. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में दिए गए दिशा–निर्देशों का पालन मार्च 2023 (वित्त वर्ष 2022–23) को समाप्त बारह महीनों के दौरान की गई खरीद के लिए किया गया है और अधिनियम के अनुसार विक्रेताओं को समय पर भुगतान किया गया है। चूंकि भुगतान में कोई देरी नहीं हुई थी, मार्च, 2023 (वित्त वर्ष 2022–23) को समाप्त वर्ष के दौरान कोई दंडात्मक ब्याज लागू नहीं हुआ।

26. मार्च, 2023 को समाप्त चालू वित्तीय वर्ष के लिए परिसर के पुनर्मूल्यांकन भाग पर मूल्यह्रास ₹ 166.92 करोड़ (मार्च 2022 को समाप्त गत वर्ष ₹ 144.61 करोड़) है।

27. 31.03.2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान, बैंक ने 30.06.2022 को समाप्त तिमाही के दौरान बाहरी स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर अचल संपत्तियों (अनुसूची –10 का हिस्सा) का पुनर्मूल्यांकन किया है। 31.03.2023 तक पुनर्मूल्यांकन अधिशेष (निवल) 1737.65 करोड़ रुपये की राशि पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि में जमा किया है। (मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष 2021–22 में बैंक ने अचल संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

28. आरबीआई के पत्र सं. बीपीसी.7201/21.04.132/2017–18 दिनांक 08.02.2018 के अनुपालन में, बैंक ने पंजाब सरकार को दीर्घकालिक ऋण (एलटीएल) के लिए अग्रिम के संबंध में 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार ₹ 1871.68 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1979.11 करोड़) के मौजूदा बकाया का 5% होने के नाते ₹93.58 करोड़(पिछले वर्ष ₹ 98.95 करोड़) का प्रावधान किया है।

29. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के प्रावधानों के तहत शामिल किए गए खातों के लिए आरबीआई के पत्र संख्या डीबीआर.सं. बीपी.15199/21.04.048/2016–17 दिनांक 23 जून 2017 (आरबीआई सूची–1) और पत्र सं. डीबीआर.बीपी.1908 /21.04.048/2017–18 दिनांक 28 अगस्त, 2017 (आरबीआई सूची–2) के अनुसार, (आरबीआई सूची 1 और सूची 2 खातों का कुल प्रावधान) 31 मार्च, 2023 तक (सकल एनपीए अग्रिम का 100.00) बैंक के पास कुल ₹ 9297.46 करोड़ का प्रावधान है। (गत वर्ष ₹ 8,384.09 करोड़ (आरबीआई सूची 1 और सूची 2 खातों का कुल प्रावधान), सकल एनपीए अग्रिम का 99.78)।

30. निदेशक मंडल ने अपेक्षित अनुमोदन के अधीन 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए 0.65 रुपये प्रति इक्विटी शेयर (32.50%) के लाभांश की सिफारिश की है।

31. हांगकांग में शाखा के संचालन की समाप्ति के अनुसरण में, इसकी प्रमुख आस्तियों एवं देनदारियों का निपटान, बीज पूंजी तथा संचित लाभ को प्रत्यावर्तित किया गया है। इस शाखा में परिचालन बंद होने का बैंक के कारोबार पर कोई खास असर नहीं पड़ा है।

32. आरबीआई के परिपत्र संख्या डीओआर.एसीसी.आरईसी. संख्या

24. Premises includes Capital work in progress of ₹42.37 Crore for the year ended 31.03.2023 (in the previous Financial Year 2021-22, ₹127.08 Crore).

25. Guidelines given in Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006 have been complied with for purchases made during the twelve months ended March 2023 (FY 2022-23) and payments have been made to the Vendors in time as per Act. Since there had been no delay in payment, no penal interest applicable during year ended March, 2023 (FY 2022-23)

26. Depreciation on Revalued Portion of Premises for the current financial year ended March, 2023 is ₹166.92 Crores (Previous year ended March, 2022 ₹144.61 Crores).

27. During the Financial Year ended 31.03.2023 the Bank has Revalued Immovable Properties (forming part of Schedule -10) during the quarter ended 30.06.2022, based on the reports obtained from external independent valuers. As at 31.03.2023 the revaluation surplus (net) amounting to Rs. 1737.65 crore is credited to the revaluation reserves. (In the Previous financial year 2021-22 ended March, 2022 the Bank has not Revalued Immovable Properties.)

28. In compliance of RBI letter no. BPC.7201/21.04.132/2017-18 dated 08.02.2018, Bank has made a provision of ₹93.58 Crore (Previous year ₹98.95 Crore) being 5 % of the existing outstanding of ₹1871.68 Crore (Previous year ₹1979.11 Crore) as on 31.03.2023 in respect of Advance to Government of Punjab Long term Loan (LTL).

29. In terms of RBI Letter no. DBR. No.BP.15199/21.04.048/2016-17 dated June 23, 2017 (RBI List-1) and Letter no. DBR.BP.1908/21.04.048/2017-18 dated August 28, 2017 (RBI List-2) for the accounts admitted under the provisions of Insolvency & Bankruptcy Code (IBC), the Bank is holding total provision of ₹9297.46 Crore (Aggregate provision of RBI List 1 and List 2 accounts) as on March 31, 2023 (100.00% of Gross NPA advances). (Previous Year ₹8,384.09 Crore (Aggregate provision of RBI List 1 and List 2 accounts), 99.78% of Gross NPA advances).

30. The Board of Directors has recommended a dividend of Re.0.65 per equity share (32.50%) for the year ended March 31, 2023 subject to requisite approvals.

31. Pursuant to cessation of the operations of the branch at Hong Kong, disposal of its major assets and liabilities, the seed capital and accumulated profits have been repatriated. The impact of closure of operations in this branch on the business of the Bank is not significant.

32. In terms of RBI Circular no. DOR.ACC.REC.

91/21.04.018/2022-23 दिनांक 13.12.2022, के संदर्भ में कुल आय का एक प्रतिशत से अधिक 'अनुसूची 14 – अन्य आय' के अंतर्गत उपशीर्ष 'विविध आय' के तहत आइटम से संबंधित प्रकटीकरण इस प्रकार है:

राशि (करोड़ रु.में)

उप-शीर्ष के अंतर्गत मदें	चालू वर्ष	गत वर्ष
बट्टे खाते में डाले गए खातों में वसूली	6508.05	3440.64
एटीएम/किऑस्क प्रभार	984.73	913.17

ए) अनुसूची 16 में 'अन्य व्यय' के अंतर्गत कोई मद नहीं है: परिचालन व्यय जो कुल आय के 1% से अधिक हो।

बी) अनुसूची 5 में 'अन्य (प्रावधानों सहित)' के अंतर्गत कोई मद नहीं है: अन्य देयताएं और प्रावधान जो कुल संपत्ति के 1% से अधिक है।

सी) अनुसूची 11 में 'अन्य' के अंतर्गत कोई मद नहीं है: अन्य आस्तियां जो कुल आस्तियों के 1% से अधिक हैं।

33. I. पिछली अवधियों के आंकड़ों को वर्तमान अवधि के वर्गीकरण के अनुरूप बनाने के लिए जहां कहीं आवश्यक हो, पुनर्समूहित/पुनर्व्यवस्थित/पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

II. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े जहां कहीं दिए गए हैं गत वर्ष से संबंधित हैं।

No.91/21.04.018/2022-23 dated 13.12.2022, the disclosure relating to item under the subhead 'Miscellaneous Income' under the head 'Schedule 14 - Other Income' exceeding one percent of total income, is as under:

Amount (Rs. In Crore)

Items under the Sub-head	Current Year	Previous Year
Realisation in written off A/Cs	6508.05	3440.64
ATM / Kiosk Charges	984.73	913.17

a) There is no item under 'Other expenditure' in schedule 16: Operating Expenses that exceeds 1% of total income.

b) There is no item under 'Others (including provisions)' in schedule 5: Other Liabilities and Provisions that exceeds 1% of total assets.

c) There is no item under 'Others' in schedule 11: Other Assets that exceeds 1% of total assets.

33. **I.** Figures of the previous periods have been regrouped / rearranged / reclassified wherever necessary to conform to current period's classification.

II. Figures in the bracket wherever given relates to previous year.

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए एकल नकदी प्रवाह का विवरण
STATEMENT OF STANDALONE CASH FLOW FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2023

(Rs. 000 को छोड़ दिया गया है) (Rs. 000s omitted)

विवरण Particulars		31.03.2023 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2023	31.03.2022 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2022
ए. परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह **A. Cash Flow from Operating Activities**			
कर के पश्चात निवल लाभ/हानि Net Profit/Loss after Tax		2507,20,49	3456,96,36
कर के लिए प्रावधान Provision for Tax		1781,06,01	859,43,72
(I) कर से पूर्व निवल लाभ/(हानि) **Net Profit/ (Loss) before tax**	(i)	**4288,26,50**	**4316,40,08**
(II) निम्नलिखित के लिए समायोजन: **Adjustments for:**			
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास Depreciation on Fixed Assets		896,55,51	888,60,51
निवेश (निवल) पर मूल्यह्रास / (रिलीज) Depreciation/(Release) on Investments (Net)		2356,68,36	583,85,67
अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान Provisions for Non Performing Assets		15902,81,81	14158,58,55
मानक आस्तियों पर प्रावधान Provision on Standard Assets		1304,12,53	1644,53,52
अन्य प्रावधान (निवल) Other Provision (net)		860,32,69	293,80,62
समनुषंगी / अन्य से लाभांश Dividend from Subsidiary / Others		-84,36,66	-46,13,84
अचल आस्तियों की बिक्री से लाभ / हानि (निवल) Profit / Loss on sale of Fixed Assets (net)		-2,55,58	-14,34,75
बांड पर प्रदत्त ब्याज Interest paid on Bonds		2414,99,31	2202,25,20
उप-जोड़ **Sub Total**	(ii)	**23648,57,97**	**19711,15,48**
(III) निम्नलिखित के लिए समायोजन: **Adjustments for :**			
निवेशों में ह्रास/(वृद्धि) Decrease / (Increase) in Investments		-25575,80,06	20378,21,05
अग्रिमों में ह्रास/(वृद्धि) Decrease / (Increase) in Advances		-117522,17,41	-68130,03,06
अन्य आस्तियों में ह्रास/(वृद्धि) Decrease / (Increase) in Other Assets		2115,18,59	1208,52,11
जमा राशियों में वृद्धि/(ह्रास) Increase / (Decrease) in Deposits		134944,65,49	39885,97,68
उधारों में वृद्धि/(ह्रास)			

(Rs. 000 को छोड़ दिया गया है) (Rs. 000s omitted)

विवरण Particulars		31.03.2023 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2023	31.03.2022 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2022
Increase / (Decrease) in Borrowings		1126,32,15	391,09,86
अन्य देयताओं व प्रावधानों में वृद्धि / (ह्रास) Increase / (Decrease) in Other Liabilities & Provisions		-72,86,37	4252,69,88
उप-जोड़ **Sub Total**	(iii)	**-4984,67,61**	**-2013,52,48**
परिचालनों से उत्पन्न नकदी **Cash generated from Operations**	(i+ii+iii)	**22952,16,87**	**22014,03,08**
प्रदत्त प्रत्यक्ष कर(प्रतिदेय को घटाकर) Direct Taxes paid (net off refund)		-1172,19,62	-1550,41,47
परिचालन कार्यकलापों से निवल नकदी **Net Cash from Operating Activities**	(A)	**21779,97,25**	**20463,61,61**
बी. निवेश कार्यकलापों से नकदी प्रवाह **B. Cash Flow from Investing Activities**			
अचल आस्तियों की खरीद (बिक्री को घटाकर) Purchase of Fixed Assets (net off Sales)		-533,80,93	-534,08,08
समनुषंगी / अन्य से प्राप्त लाभांश Dividend recd from Subsidiary/Others		84,36,66	46,13,84
समनुषंगी / अन्य (निवल) में निवेश Investment in Subsidiary/Others (net)		-232,79,64	-719,40,50
निवेश कार्यकलापों में प्रयुक्त निवल नकदी **Net Cash used in Investing Activities**	(B)	**-682,23,91**	**-1207,34,74**
सी. वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह **C. Cash flow from Financing Activities**			
शेयर पूंजी / शेयर आवेदन राशि / शेयर प्रीमियम Share Capital/Share Application Money/Share Premium		0	1793,05,18
बॉण्डों (निवल) का निर्गम / (रिडेम्शन) Issue/(Redemption) of Bonds (net)		4484,00,00	2450,00,00
बॉण्डों पर प्रदत्त ब्याज Interest paid on Bonds		-2414,99,31	-2202,25,20
प्रदत्त लाभांश Dividend paid		-704,70,50	0
वित्तपोषण कार्यकलापों से निवल नकदी **Net Cash from Financing Activities**	(C)	**1364,30,19**	**2040,79,98**
डी. नकदी तथा नकदी तुल्य में निवल परिवर्तन **D. Net Change in Cash and Cash Equivalents**	(A+B+C)	**22462,03,53**	**21297,06,85**
वर्ष की शुरुआत में नकदी और नकदी तुल्य **Cash and Cash Equivalents at the beginning of the year**			
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी और शेष Cash and Balances with Reserve Bank of India		85736,11,66	71458,82,83

(Rs. 000 को छोड़ दिया गया है) (Rs. 000s omitted)

विवरण Particulars	31.03.2023 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2023	31.03.2022 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2022
बैंकों के पास शेष और मांग व अल्प सूचना पर देय राशि Balances with Banks & Money at Call & Short Notice	46910,65,64	39890,87,62
	132646,77,30	**111349,70,45**
वर्ष की समाप्ति पर नकदी और नकदी तुल्य **Cash and Cash Equivalents at the end of the year**		
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी और शेष राशि Cash and Balances with Reserve Bank of India	78176,57,52	85736,11,66
बैंकों के पास शेष राशि और मांग व अल्प सूचना पर देय राशि Balances with Banks & Money at Call & Short Notice	76932,23,31	46910,65,64
	155108,80,83	**132646,77,30**

टिप्पणियाँ–
Notes:

1. नकदी प्रवाह विवरण अप्रत्यक्ष विधि के तहत तैयार किया गया है और जहाँ कहीं आवश्यक समझा गया है, आँकड़ों को पुनर्समूहित किया गया है।
   Cash flow statement has been prepared under the Indirect Method and figures have been regrouped wherever considered necessary.
2. प्रत्यक्ष कराधान (प्रतिदेय को घटाकर) को परिचालन गतिविधियों से उद्भूत माना गया है तथा निवेश और वित्तीय कार्यकलापों के मध्य विभक्त नहीं किया गया है।
   Direct taxes paid (net off refund) are treated as arising from operating activities and are not bifurcated between investing and financing activities.
3. पिछली अवधि के आंकड़ों को वर्तमान अवधि के वर्गीकरण के अनुरूप आवश्यक समझे जाने पर पुनः समूहित किया गया है।
   Figures of previous period have been regrouped wherever considered necessary to conform current period classification.
4. नकद और नकद तुल्य में कैश ऑन हैंड, आरबीआई और अन्य बैंकों के पास शेष राशि और मांग व सूचना पर देय राशि शामिल है।
   Cash and Cash equivalents includes Cash on hand, Balance with RBI & Other Banks and Money at Call and Short Notice

प्रबुद्ध शर्मा Prabudh Sharma सहायक महाप्रबंधक Asstt. General Manager	मुकेश कुमार Mukesh Kumar सहायक महाप्रबंधक Asstt. General Manager	आर के खीची R K Khichi उप महाप्रबंधक Deputy General Manager	प्रवीण कुमार शर्मा Praveen Kumar Sharma महाप्रबंधक Gen eral Manager

डी के जैन
D K Jain
मुख्य महाप्रबंधक और सीएफओ
Chief General Manager & CFO

एम परमशिवम M Paramasivam कार्यपालक निदेशक Executive Director	बिनोद कुमार Binod Kumar कार्यपालक निदेशक Executive Director	कल्याण कुमार Kalyan Kumar कार्यपालक निदेशक Executive Director	विजय दुबे Vijay Dube कार्यपालक निदेशक Executive Director

अतुल कुमार गोयल Atul Kumar Goel प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Managing Director & CEO	के जी अनंतकृष्णन K G Ananthakrishnan अध्यक्ष Chairman

डॉ. रेखा जैन Dr. Rekha Jain निदेशक Director	गौतम गुहा Gautam Guha निदेशक Director	संजीव कुमार सिंघल Sanjeev Kumar Singhal निदेशक Director

पंकज जोशी
Pankaj Joshi
निदेशक
Director

अनिल कुमार मिश्र
Anil Kumar Misra
निदेशक
Director

पंकज शर्मा
Pankaj Sharma
निदेशक
Director

कृते एसएन धवन एंड कंपनी एलएलपी
For S N Dhawan & Co LLP
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन: 000050एन / एन500045
FRN: 000050N/N500045

सनदी लेखाकार सुरिंदर कुमार खट्टर
CA Surinder Kr. Khattar
भागीदार
Partner
(सदस्य सं. 084993)
(M.No. 084993)

कृते एस आर गोयल एंड कंपनी
For S R Goyal & Co
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन: 001537सी
FRN: 001537C

सनदी लेखाकार अनुराग गोयल
CA Anurag Goyal
भागीदार
Partner
(सदस्य सं. 412538)
(M.No. 412538)

कृते पी एस एम जी एंड एसोसिएट्स
For P S M G & Associates
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन: 008567सी
FRN: 008567C

सनदी लेखाकार प्रबुद्ध गुप्ता
CA Prabuddha Gupta
भागीदार
Partner
(सदस्य सं. 400189)
(M.No. 400189)

कृते एस सी बापना एंड एसोसिएट्स
For S C Bapna & Associates
सनदी लेखाकार ,
Chartered Accountants
एफआरएन: 115649डब्ल्यू
FRN: 115649W

सनदी लेखाकार जय प्रकाश गुप्ता
CA Jai Prakash Gupta
भागीदार
Partner
(सदस्य सं. 088903)
(M.No. 088903)

कृते डी के छाजड़ एंड कंपनी
For D K Chhajer & Co
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन: 304138ई
FRN: 304138E

सनदी लेखाकार नंद किशोर सर्राफ
CA Nand Kishore Sarraf
भागीदार
Partner
(सदस्य सं. 510708)
(M.No. 510708)

स्थान: नई दिल्ली
Place: New Delhi
दिनांक : 19 मई 2023
Date : May 19, 2023

लेखापरीक्षकों की स्वतंत्र रिपोर्ट

पंजाब नैशनल बैंक के सदस्यों के लिए

एकल वित्तीय विवरणियों की लेखा–परीक्षा पर रिपोर्ट

अभिमत

1. हमने संलग्न पंजाब नैशनल बैंक के एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2023 तक का तुलन पत्र और लाभ और हानि लेखा तथा समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य विवरणात्मक जानकारी के सारांश सहित एकल वित्तीय विवरणों के नोट्स शामिल हैं, जिसमें समाप्त वर्ष की इस तिथि के लिए हमारे द्वारा लेखापरीक्षित प्रधान कार्यालय, 22 अंचल कार्यालयों और

    i. हमारे द्वारा 20 घरेलू शाखाएं, 1 अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग इकाई, ट्रेजरी प्रभाग, क्रेडिट कार्ड प्रभाग तथा 40 अन्य कार्यालयों की लेखा परीक्षा की गई।

    ii. सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा 1763 भारतीय शाखाओं और अन्य कार्यालयों की लेखा परीक्षा की गई।

    iii. स्थानीय लेखा परीक्षकों द्वारा 1 विदेशी शाखा की लेखा परीक्षा की गई।

हमारे द्वारा तथा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित शाखाओं का चयन बैंक द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक को जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जाता है। तुलन–पत्र में लाभ और हानि लेखा एवं नकदी प्रवाह विवरण बैंक की 9490 शाखाओं और अन्य कार्यालयों की विवरणी, जो लेखा परीक्षा के आध्यधीन नहीं हैं, भी शामिल है। इन अलेखापरीक्षित शाखाओं में 25.01 प्रतिशत अग्रिम, 65.03 प्रतिशत जमा है, 19.03 प्रतिशत ब्याज आय और 61.87 प्रतिशत ब्याज व्यय होता है।

2. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी में तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपर्युक्त एकल वित्तीय विवरण बैंक के लिए अपेक्षित तरीके से बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 द्वारा अपेक्षित जानकारी प्रदान करता है और भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप है और:

    ए. दिए गए नोट्स के साथ पठित तुलन पत्र सभी आवश्यक विवरणों सहित एक पूर्ण और निष्पक्ष तुलन पत्र है, जिसमें आवश्यक विवरण दिए गए हैं और सही प्रकार से बनाया गया है ताकि 31 मार्च, 2023 को बैंक के मामलों की स्थिति के बारे में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदर्शित किया जा सके।

    बी. इस नोट के साथ पठित लाभ और हानि लेखा सही लाभ शेष (यथा लागू) दर्शाता है, तथा

    सी. उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण नकद प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करता है।

अभिमत का आधार

3. हमने आईसीएआई द्वारा लेखा परीक्षा पर जारी मानकों (एसए) के अनुसार लेखापरीक्षा की है। उन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियों को आगे हमारी रिपोर्ट के एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की उत्तरदायित्व खंड में वर्णित

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To the Members of Punjab National Bank

Report on Audit of the Standalone Financial Statements

Opinion

1. We have audited the accompanying standalone financial statements of Punjab National Bank ('the Bank'), which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2023, the Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows for the year then ended, and notes to financial statements including a summary of significant accounting policies and other explanatory information in which are included the returns for the year ended on that date of the Central Office, 22 Zonal Offices and

    i. 20 Domestic branches, 1 International Banking Unit, Treasury division, Credit Card division and 40 other offices audited by us.

    ii. 1763 Indian branches and other offices audited by statutory branch auditors.

    iii. 1 foreign branch audited by local auditors.

The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows are the returns from 9490 branches which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 25.01 percent of advances, 65.03 per cent of deposits, 19.03 percent of interest income and 61.87 percent of interest expenses.

2. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid standalone financial statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949 in the manner so required for bank and are in conformity with accounting principles generally accepted in India and:

    a. the Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Bank as at March 31, 2023;

    b. the Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of profit/loss (as applicable); and

    c. the Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

3. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by the ICAI. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the standalone Financial

किया गया है। भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए गए वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा, जिसमें आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधान और समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक ('आरबीआई') द्वारा जारी किए गए परिपत्र और दिशानिर्देश शामिल हैं, के लिए प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं सहित भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार हम बैंक से स्वतंत्र हैं, और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमें विश्वास है कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारे अभिमत के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं।

मुख्य लेखा परीक्षा मामले

4. लेखा परीक्षा के प्रमुख मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण रहे हैं। ये मामले एकल वित्तीय विवरण की हमारी लेखा परीक्षा के सन्दर्भ में समग्र रूप से देखे गए हैं, और हम ने इनमामलों पर अपना मत बनाने में अलग मत नहीं दिया है हमने अपनी रिपोर्ट में वर्णित किए जाने हेतु महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा मामलों के रूप में वर्णित निम्नलिखित मामलों को निर्धारित किया है।

मुख्य लेखा परीक्षा मामले	लेखा-परीक्षा में हमारे मामले को किस प्रकार से दर्शाया गया है
अग्रिम – वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण (लेखा नीति संख्या 5 के साथ पठित एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूची 9 का संदर्भ लें) अग्रिमों को निष्पादित और गैर-निष्पादित अग्रिमों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया है और भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार इन पर प्रावधानीकरण किया गया है। बैंक ने कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) के तहत एसएएससीएल एप्लीकेशन में अग्रिमों की पूर्ण प्रणाली द्वारा संचालित निर्धारण और उनके वर्गीकरण को लागू किया है। विवेकपूर्ण मानदंडों के तहत एनपीए के प्रावधानीकरण की सीमा मुख्य रूप से इसकी अवधि और अन्तर्निहित प्रतिभूति की वसूली योग्यता पर आधारित है। आवश्यकता के आधार पर इनकी मैन्युअल रूप से समीक्षा भी की जाती है। विवेकपूर्ण मानदंडों के किसी भी अनुचित उपयोग या प्रतिभूति के गलत मूल्य निर्धारण की स्थिति में, क्योंकि प्रतिभूति के मूल्य निर्धारण	हमारी लेखापरीक्षा पद्धति में आस्तियों के वर्गीकरण और इसके प्रावधानीकरण के संबंध में बैंक के सॉफ्टवेयर, परिपत्र, दिशा-निर्देश और भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेश और बैंक के आंतरिक निर्देश और प्रक्रियाओं को सम्मिलित किया गया और निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को अपनाया गया है। • अग्रिमों से संबंधित आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण के संबंध में प्रासंगिक आरबीआई के दिशानिर्देशों का पालन करने में बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन किया गया और समझा गया। • डिजाइन और कार्यान्वयन के साथ-साथ प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रणों और वास्तविक परीक्षण के संचालनात्मक प्रभावशीलता का जाँच परीक्षण किया गया, जिसमें अग्रिमों से संबंधित आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण के संबंध में मैनुअल प्रक्रिया के संचालन की जाँच भी शामिल है। • तर्क/डेटा की सटीकता को लागू करने/कार्यान्वयन में त्रुटियों और चूक और इसकी सुधारात्मक कार्रवाई की पहचान करने के लिए बैंक के निगरानी तंत्र की समीक्षा की। • किसी भी अग्रिम खाते में अनिश्चित अनैतिकतापूर्ण संचालन या जमी का पता लगाने के लिए बड़े और दबावग्रस्त अग्रिमों के जांच परीक्षण के आधार पर आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार अनियमितताओं, परिपालन/प्रदर्शन और अग्रिम खातों की

Statements section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements prepared in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by the ICAI, and provisions of section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ("RBI") from time to time and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key Audit Matters

4. Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the standalone financial statements for the year ended March 31, 2023. These matters were addressed in the context of our audit of the standalone financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a seperate opinion on these matters. We have determined the matters prescribed below to be the key audit matters to be communicated in our report.

Key Audit Matters	How our matter was addressed in the audit
Advances – classification and provisioning (Refer Schedule 9 to the Standalone Financial Statements, read with the Accounting Policy No.5) The advances are classified as performing and non-performing advances (NPA) and provisioning thereon is made in accordance with the prudential norms as prescribed by the Reserve Bank of India (RBI). The Bank has implemented complete system driven recognition of advances and their classification in SASCL Application under Core Banking Solution (CBS). The extent of provisioning of NPA under the prudential norms are mainly based on its ageing and recoverability of the underlined security. The same are also reviewed manually based on necessity. In the event of any improper application of the prudential norms or consideration of the	Our audit approach included an understanding of the Bank's software, circulars, guidelines and directives of the Reserve Bank of India and the Bank's internal instructions and procedures in respect of the assets classification and its provisioning and adopted the following audit procedures: • Evaluated and understood the Bank's internal control system in adhering to the Relevant RBI guidelines regarding income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances. • Test checked the design and implementation as well as operational effectiveness of relevant internal controls and substantive testing, including involvement of manual process in relation to income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances. • Reviewed the Bank's

मुख्य लेखा परीक्षा मामले	लेखा-परीक्षा में हमारे मामले को किस प्रकार से दर्शाया गया है
में उच्च स्तर का अनुमान और निर्णय शामिल होता है, अग्रिमों का वहन मूल्य व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से वस्तुतः गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है और एकल वित्तीय विवरणों में अग्रिमों की राशि की महत्ता को ध्यान में रखते हुए अग्रिमों का वर्गीकरण और इसके प्रावधानीकरण को हमारी लेखा-परीक्षा में मुख्य लेखा परीक्षा मामला माना गया है।	निगरानी की समीक्षा की गई, हमारे द्वारा लेखा-परीक्षित शाखाओं/संबंधित प्रभागों के संबंध में आरबीआई के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार वर्गीकरण की जांच की गई। शाखा सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं के संबंध में हमने उनकी रिपोर्टों पर भरोसा किया है। • 'एनपीए वर्गीकरण समाधान के लिए आधारभूत आवश्यकताओं' की समीक्षा सहित सीबीएस द्वारा उपयोग किए गए एसएएससीएल एप्लिकेशन (आय निर्धारण और आस्ति वर्गीकरण समाधान) की समीक्षा पर स्वतंत्र आईटी विशेषज्ञ की रिपोर्ट की समीक्षा की। • जांच परीक्षण के आधार पर किसी प्रतिकूल विशेषताओं / टिप्पणियों वाले अग्रिमों का पता लगाने के लिए ऋण लेखा-परीक्षा, निरीक्षण लेखा-परीक्षा, जोखिम आधारित आंतरिक लेखा-परीक्षा, समवर्ती लेखा-परीक्षा, नियामक लेखा-परीक्षा रिपोर्टों और बैंक सिस्टम से जारी रिपोर्टों की समीक्षा की। **हमारा परिणाम:** लेनदेन के महत्व को देखते हुए हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया के परिणाम उचित और संतोषजनक पाए गए।
निवेश – गैर-निष्पादित निवेश के लिए मूल्यांकन एवं पहचान तथा प्रावधानीकरण (लेखा नीति संख्या 4 के साथ पठित वित्तीय विवरणों की अनुसूची 8 का संदर्भ लें) बैंक के निवेश पोर्टफोलियो में	भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रों/निर्देशों के संदर्भ सहित निवेश के प्रति हमारे लेखा परीक्षा के दृष्टिकोण में आंतरिक नियंत्रण की संरचना, कार्यान्वयन, परिचालन प्रभाव का परीक्षण एवं समीक्षा शामिल की गई है और गैर-निष्पादित निवेशों की पहचान, वर्गीकरण, मूल्यांकन से संबंधित लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं, निवेशों से संबंधित प्रावधान/अवमूल्यन भारतीय रिज़र्व

Key Audit Matters	How our matter was addressed in the audit
incorrect value of the security, as the valuation of the security involves high degree of estimation and judgement, the carrying value of the advances could be materially misstated either individually or collectively, and in view of the significance of the amount of advances in the Standalone Financial Statements the classification of the advances and provisioning thereon has been considered as Key Audit Matter in our audit.	monitoring mechanisms to identify errors and omission in applying/ implementation of logic / data integrity and its corrective action. • Reviewed the documentations, operations / performance and monitoring of the advance accounts, on as per RBI guidelines basis of the large and stressed advances, to ascertain any overdue, unsatisfactory conduct or weakness in any advance account, examination of classification as per prudential norms of the RBI, in respect of the branches / relevant divisions audited by us. In respect of the branches audited by the branch statutory auditors, we have placed reliance on their reports. • Reviewed the report of independent IT Expert on review of SASCL Application (Income Recognition and Asset Classification solution) used by CBS including the review of "Baseline Requirements for the NPA classification Solution". • Reviewed on test check basis the reports of the credit audit, inspection audit, risk based internal audit, concurrent audit, regulatory audit to ascertain the advances having any adverse features / comments, and reviewed the reports generated from the Bank's system. **<u>Our Results:</u>** The results of our audit process were observed to be adequate and satisfactory considering the materiality of the transactions
Investments – valuation, and identification and provisioning for Non-Performing Investments (Refer Schedule 8 to the Standalone Financial Statements, read with the Accounting Policy No.4)	Our audit approach towards Investments with reference to the RBI circulars / directives included the review and testing of the design, implementation, operating effectiveness of internal controls and audit procedures in relation to

मुख्य लेखा परीक्षा मामले	लेखा–परीक्षा में हमारे मामले को किस प्रकार से दर्शाया गया है
सरकारी प्रतिभूतियों, बांडस, डिबेंचर, शेयरों, प्रतिभूति की रसीद और अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियों के निवेश शामिल है, जिन्हें परिपक्वता तक धारित, बिक्री के लिए उपलब्ध और व्यापार के लिए धारित इन तीन श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। आरबीआई के संबंधित परिपत्रों/दिशानिर्देशों/निर्देशों के अनुसार निवेशों का मूल्यांकन, गैर–निष्पादित निवेशों (एनपीआई) की पहचान और आय का अनुकूल गैर–निर्धारण और उस पर प्रावधान किया जाता है। उपर्युक्त प्रतिभूति के प्रत्येक श्रेणी (प्रकार) का मूल्यांकन आरबीआई द्वारा जारी परिपत्रों और निर्देशों में निर्धारित पद्धति के अनुसार किया जाना है, जिसमें एफबीआईएल दरें, बीएसई/एनएसई द्वारा उद्धृत दरें, गैर–सूचीबद्ध कंपनियों के वित्तीय विवरण, म्यूचुअल फंड के मामले में एनएवी (NAV) और प्रतिभूति रसीदें आदि जैसे विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आंकड़े/सूचना का संग्रह शामिल है। कुछ निवेश मूल्यांकन पद्धतियों पर आधारित होते हैं जिनमें अंतर्निहित धारणाओं सहित सांख्यिकीय मॉडल, वित्तीय विवरणों पर आधारित मूल्यांकन के लिए मूल्य का निर्धारण आदि शामिल होते हैं। इसलिए, इन निवेशों के मूल्यांकन के लिए निर्धारित की गई कीमत सही द्योतक नहीं हो सकती, लेकिन आज तक के निवेशों का एक निष्पक्ष निर्धारण ही सकता है। इसलिए निवेश के मूल्यांकन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और आगे वित्तीय विवरणों में निवेश की राशि के महत्व को देखते हुए, उक्त को हमारे लेखापरीक्षा में मुख्य लेखा परीक्षा मामला माना गया है।	बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार है। • हमने इन निवेशों का उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए विभिन्न स्रोतों से जानकारी एकत्र करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया की समीक्षा और मूल्यांकन किया है। • निवेश के चयनित नमूने के लिए (प्रतिभूति की प्रकृति के आधार पर निवेश की सभी श्रेणियों को कवर करते हुए) हमने आरबीआई मास्टर परिपत्रों और निर्देशों के साथ सटीकता और अनुपालन का परीक्षण किया है। • हमने एनपीआई की पहचान और आय के अनुकूल परिवर्तन और प्रावधान की व्यवस्था की प्रक्रिया का आकलन और मूल्यांकन किया है। **हमारा परिणाम:** लेनदेन के महत्व को देखते हुए हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया के परिणाम उचित और संतोषजनक पाए गए।
सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) का आकलन तैयार करते: आईआरएसी मानदंडों सहित आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुपालन में लेनदेन की रिकॉर्डिंग, विभिन्न रिपोर्ट तैयार करने के संबंध में आईटी नियंत्रण रखता है। नियामकों आदि के लिए अन्य अनुपालन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण भाग है। इस तरह की	**हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में निम्नलिखित शामिल हैं:–** विभिन्न श्रेणियों के ग्राहकों के लिए बैंक द्वारा अपनाए गए कोडिंग सिस्टम को समझना। • बैंक के आईटी नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और परिचालन प्रभावशीलता की समीक्षा की, जिसमें एप्लिकेशन, अभिगम नियंत्रण शामिल है, जो नमूना जांच के

Key Audit Matters	How our matter was addressed in the audit
Investment portfolio of the bank comprises of Investments in Government Securities, Bonds, Debentures, Shares, Security Receipts and other Approved Securities which are classified under three categories, Held to Maturity, Available for Sale and Held for Trade. Valuation of Investments, identification of Non performing Investments (NPI) and the corresponding non-recognition of income and provision thereon, is carried out in accordance with the relevant circulars / guidelines / directions of RBI. The valuation of each category (type) of aforesaid security is to be carried out as per the methodology prescribed in circulars and directives issued by the RBI which involves collection of data/ information from various sources such as FBIL rates, rates quoted on BSE/NSE, financial statements of unlisted companies, NAV in case of mutual funds & security receipts etc. Certain Investments are based on the valuation methodologies that include statistical models with inherent assumptions, assessment of price for valuation based on financial statements etc. Hence, the price discovered for the valuation of these Investments may not be the true representative but only a fair assessment of the Investments as on date. Hence the valuation of Investments requires special attention and further in view of the significance of the amount of Investments in the financial statements the same has been considered as Key Audit Matter in our audit.	valuation, classification, identification of Non-Performing Investments, provisioning / depreciation related to Investments as per RBI guidelines. • We reviewed and evaluated the process adopted for collection of information from various sources for determining fair value of these investments. • For selected sample of investments (covering all categories of investments based on nature of security) we tested accuracy and compliance with the RBI Master circulars and directions. • We assessed and evaluated the process of identification of NPIs, and corresponding reversal of income and creation of provision. **Our Results:** The results of our audit process were observed to be adequate and satisfactory considering the materiality.
Assessment of Information Technology (IT): IT controls with respect to recording of transactions, generating various reports in compliance with RBI guidelines including IRAC norms.	**Our audit approach included:-** • Understanding the coding system adopted by the Bank for various categories of customers. • Reviewed the design, implementation and operating

मुख्य लेखा परीक्षा मामले	लेखा–परीक्षा में हमारे मामले को किस प्रकार से दर्शाया गया है
रिपोर्टिंग कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर और अन्य संबद्ध प्रणालियों के प्रभावी रूप से कार्य करने पर निर्भर है। हमने इसे मुख्य लेखा परीक्षा के मामले में माना है क्योंकि नियंत्रण में किसी भी चूक, सत्यापन विफलताएं, गलत इनपुट डेटा और डेटा गलत निकालने के परिणामस्वरूप प्रबंधन और विनियामकों को डेटा की गलत रिपोर्टिंग हो सकती है।	आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए महत्वपूर्ण है। • सिस्टम में डेटा की फीडिंग को समझना और बैंक में मौजूद आईटी सिस्टम से वित्तीय जानकारी और विवरणों को निकालना। • बैंक के विनियमों/नीति में किसी भी बदलाव के कारण उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं की जाँच करना। • सिस्टम द्वारा नमूना आधार पर जनरेट रिपोर्टों की समीक्षा करना। • "एनपीए वर्गीकरण समाधान के लिए आधारभूत आवश्यकताओं" की समीक्षा सहित सीबीएस द्वारा उपयोग किए गए एसएएससीएल एप्लिकेशन (आय निर्धारण और संपत्ति वर्गीकरण समाधान) की समीक्षा पर स्वतंत्र आईटी विशेषज्ञ की रिपोर्ट की समीक्षा की। **हमारा परिणाम** निरंतर प्रगति हो रही है, फिर भी सिस्टम से इनपुट/आउटपुट डेटा में आ रही कमियों को नियंत्रित करने हेतु क्षमता को सशक्त बनाने की आवश्यकता है।
मुकदमेबाजी और आकस्मिक देयताएँ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर सहित कुछ मुकदमों के संबंध में आकस्मिक देयताओं का मूल्यांकन तथा बैंक पर अन्य पार्टियों द्वारा दायर विभिन्न दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। बैंक का मूल्यांकन, मामले के तथ्यों, उनके स्वयं के निर्णय, पूर्व अनुभव और कानूनी और स्वतंत्र कर सलाहकारों की सलाह, जहाँ भी आवश्यक समझा गया, द्वारा समर्थित है। तदनुसार, अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणाम बैंक के रिपोर्ट किए गए लाभ और तुलन पत्र को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं।	**हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में निम्न शामिल रहे :–** • कर मुकदमों और आकस्मिक देयताओं की वर्तमान स्थिति को जानना। • विभिन्न कर प्राधिकरणों/न्यायिक मंचों से प्राप्त आदेशों और/या संचार की जाँच करना और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई करना • उसमें प्रस्तुत किए गए आधारों के संदर्भ में और विचाराधीन विषय के गुण–दोष, उपलब्ध स्वतंत्र कानूनी/कर सलाह का मूल्यांकन करना, तथा • जहाँ भी आवश्यकता हुई, कानूनी और कर सलाहकारों की राय का सहारा लिया गया है।

Key Audit Matters	How our matter was addressed
Other compliances to regulators etc., is an important part of the process. Such reporting is highly dependent on the effective working of Core Banking Software and other allied systems. We have considered this as key audit matter as any control lapses, validation failures, incorrect input data and wrong extraction of data may result in wrong reporting of data to the management and regulators.	effectiveness of the Bank's IT controls including application, access controls that are critical to financial reporting on test check basis. • Understanding the feeding of the data in the system and going through the extraction of the financial information and statements from the IT system existing in the Bank. • Checking of the user requirements for any changes in the regulations/ policy of the Bank. • Reviewed the reports generated by the system on sample basis. • Reviewed the report of Independent IT Expert on review of SASCL Application (Income Recognition and Asset Classification solution) used by CBS including the review of "Baseline Requirements for the NPA classification Solution". **Our Results:** There is continuous progress, still the system needs to be strengthened for its efficacy to control deficiencies of input/ output data from the system.
Litigation & Contingent Liabilities Assessment of Contingent liabilities in respect of certain litigations including Direct and Indirect Taxes and various other claims filed by other parties upon the Bank not acknowledged as debts. The Bank's assessment is supported by the facts of matter, their own judgment, past experience, and advice from legal and independent tax consultants wherever considered necessary. Accordingly, unexpected adverse outcomes may significantly impact the Bank's reported profit and the Balance Sheet.	**Our audit approach included: -** • Going through the current status of the tax litigations and contingent liabilities; • Examining the orders and/or communication received from various Tax Authorities/ Judicial forums and follow up action thereon; • Evaluating the merits of the subject matter under consideration with reference to the grounds presented therein and available independent legal / tax advice; and • Wherever required, reliance is

मुख्य लेखा परीक्षा मामले	लेखा–परीक्षा में हमारे मामले को किस प्रकार से दर्शाया गया है
हमने उपर्युक्त क्षेत्र को मुकदमों के परिणाम से संबंधित अनिश्चितता के मद्देनजर एक मुख्य लेखापरीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया है, जिसे कानून की व्याख्या में निर्णय की प्रयोज्यता की आवश्यकता होती है। तदनुसार, हमारी लेखापरीक्षा तथ्यों का विश्लेषण करने और निर्णय/कानून की व्याख्या के अंतर्गत संबंधित विषय के विश्लेषण पर केंद्रित थी।	

एकल वित्तीय विवरण के अतिरिक्त अन्य जानकारी और उसपर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

5. अन्य जानकारी के लिए बैंक का निदेशक मंडल उत्तरदायी है। अन्य जानकारी में निदेशकों की रिपोर्ट अनुलग्नक सहित, कॉर्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट, कारोबारी उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट, तथा अन्य रिपोर्ट (किंतु इसमें वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है) शामिल है। एकल वित्तीय विवरणों पर हमारा अभिमत अन्य जानकारी शामिल नहीं करता है और हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करते हैं और न ही करेंगे।

एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारा उत्तरदायित्व अन्य सूचनाओं को पढ़ना और ऐसा करने में, यह विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी एकल वित्तीय विवरणों या लेखापरीक्षा में प्राप्त हमारी जानकारी के साथ वास्तविक रूप से असंगत है या अन्यथा वास्तविक रूप से गलत प्रतीत होती है।

यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्यनिष्पादन के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी के तथ्य गलत सामग्री है,तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। इस संबंध में हमारे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

एकल वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन तथा शासन प्रभारियों के उत्तरदायित्व

6. बैंक का निदेशक मंडल इन एकल वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में उत्तरदायी है जो लागू लेखा मानकों तथा बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों तथा समय–समय पर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी परिपत्रों तथा दिशानिर्देशों सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप बैंक की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यनिष्पादन तथा नकदी प्रवाह का सही एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण दर्शाते हैं। इस उत्तरदायित्व में बैंक के आस्तियों की सुरक्षा हेतु तथा धोखाधड़ी से बचाव एवं पता लगाने हेतु तथा अन्य अनियमितताओं हेतु, उचित लेखा नीतियों के चयन एवं आवेदन, निर्णय लेने तथा यह अनुमानित करना कि वे उचित एवं विवेकपूर्ण हैं, तथा डिजाइन, कार्यान्वयन एवं पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, जो लेखा अभिलेखों की सटीकता एवं पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से परिचालन कर रहे थे, जो एकल वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक है, जो सत्य एवं निष्पक्ष दृष्टि करता है तथा चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, त्रुटिपूर्ण विवरण से मुक्त हों, ऐसे अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रख रखाव भी शामिल हैं।

Key Audit Matters	How our matter was addressed
We determined the above area as a Key Audit Matter in view of associated uncertainty relating to the outcome of litigations which requires application of judgment in interpretation of law. Accordingly, our audit was focused on analysing the facts of subject matter under consideration and judgments/ interpretation of law involved.	placed on the opinion of legal and tax consultants.

Information Other than the Standalone Financial Statements and Auditor's Report thereon

5. The Bank's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the Directors' Report, including annexures, Corporate Governance Report, Business Responsibility and Sustainability report, and other reports (but does not include the financial statements and our auditor's report thereon). Our opinion on the Standalone Financial Statements does not cover the other information and we do not and will not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the Standalone Financial Statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the Standalone Financial Statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Standalone Financial Statements

6. The Bank's Board of Directors is responsible with respect to the preparation of these standalone financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Bank in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the applicable Accounting Standards, and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the standalone financial

एकल वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, प्रबंधन, एक लाभकारी संस्थान के रूप में बने रहने के लिए बैंक के सामर्थ्य के मूल्यांकन, प्रकटीकरण, जैसा लागू हो, लाभकारी संस्थान से संबंधित मामले तथा लेखा के आधार पर लाभकारी संस्थान को तब तक उपयोग करने जब तक प्रबंधन या तो बैंक को परिसमापन करने या संचालन को बंद करने का इरादा रखता है, या ऐसा करने के अलावा अन्य कोई वास्तविक विकल्प नहीं है, लेकिन ऐसा करने के लिए उत्तरदायी है।

एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हेतु लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

7. हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या एकल वित्तीय विवरण समग्र रूप से वास्तविक त्रुटिपूर्ण सामग्री से मुक्त है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारा अभिमत शामिल हो। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, परंतु यह गारंटी नहीं है कि लेखामानकों (SAs) के अनुसार की गई लेखा परीक्षा सदैव ही त्रुटिपूर्ण सामग्री का पता लगाएगी, यदि अस्तित्व में हो।

धोखाधड़ी या त्रुटि से त्रुटिपूर्ण विवरण सृजित हो सकता है तथा यदि वैयक्तिक रूप से या समग्र रूप से, इसे सही विवरणी माना जाता है, तो इन एकल वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों के प्रभावित होने की अपेक्षा की जा सकती है।

लेखामानकों (SAs) के अनुसार लेखा परीक्षा के एक हिस्से के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखा परीक्षा के दौरान पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। साथ ही हम:

- वित्तीय विवरणों के वास्तविक त्रुटिपूर्ण विवरण के जोखिमों की पहचान एवं मूल्यांकन करना, चाहे वो धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हों, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन एवं निष्पादित करना, एवं लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारे अभिमत के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त तथा उपयुक्त हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली त्रुटिपूर्ण विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि से उत्पन्न होने वाली अशुद्धि की तुलना में अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, इरादतन चूक, गलतबयानी या आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल हो सकती है।
- लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने हेतु लेखापरीक्षा के प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, जो परिस्थितियों में उपयुक्त हों।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों एवं संबंधित प्रकटीकरण की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन के आधार पर कार्यशील संस्थान के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष एवं, प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, किन्हीं घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई सामग्री में अनिश्चितता मौजूद है जो कार्यशील संस्था के रूप में जारी रखने की बैंक की क्षमता पर उल्लेखनीय संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक उल्लेखनीय अनिश्चितता मौजूद है, तो हमारे अभिमत को बदलने के लिए वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों या यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, के लिए हमारे लेखा परीक्षकों का ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण बैंक कार्यशील संस्था के रूप में जारी रखना बंद कर सकता है।

statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the standalone financial statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements

7. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the standalone financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists.

Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these standalone financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the bank to cease to continue as a going concern.

- प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना एवं सामग्री का मूल्यांकन करना, और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेनों तथा घटनाओं को इस तरह से दर्शाते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करते हैं।

वास्तविकता एकल वित्तीय विवरणों में त्रुटिपूर्ण विवरणों की महत्ता है, जो वैयक्तिक रूप से या समग्र रूप से, यह संभव बनाता है कि वित्तीय विवरणों की यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित कर सकते हैं। हम (i) हमारे लेखापरीक्षा कार्य की संभाव्यता की योजना बनाने और हमारे कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने और (ii) वित्तीय विवरणों में किसी पहचानी गई त्रुटिपूर्ण सामग्री के प्रभाव का मूल्यांकन करनेमें मात्रात्मक वास्तविकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं.

हम अन्य मामलों के मध्यआंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों सहित, जिन्हें हम अपनी लेखापरीक्षा के दौरान पहचानते हैं, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे एवं समय तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के विषय में शासन प्रभारियों के साथ संवाद करते हैं।

हम शासनप्रभारियों को यह विवरणी भी प्रदान करते हैं जो हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, एवं उनके साथ उन सभी संबंधों तथा अन्य मामलों के बारे में संवाद करने हेतु जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों पर तार्किक रूप से विचार कर सकते हैं।

शासनप्रभारियों के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि विधि या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणामों की यथोचित अपेक्षा की जाएगी। ऐसे संचार के सार्वजनिक हित लाभों से अधिक महत्वपूर्ण है।

अन्य मामले

8. हमने बैंक के वित्तीय विवरणों में शामिल 1763 (संख्या) शाखाओं और अन्य कार्यालयों और 1 विदेशी शाखा के एकल वित्तीय विवरणों / सूचनाओं की लेखा परीक्षा नहीं की, जिनके वित्तीय विवरण / वित्तीय जानकारी 31 मार्च, 2023 तक रु. 2,54,776.99 करोड़ और उक्त तिथि को समाप्त तिमाही के लिए रुपये 15,007.19 करोड़ का कुल राजस्व, जैसा कि एकल वित्तीय विवरणों में विचारार्थ है, की कुल संपत्ति दर्शाती है। 31 मार्च, 2023 को इन शाखाओं और अन्य कार्यालयों और विदेशी शाखाओं में अग्रिमों का 23.42%, जमा का 28.82% तथा अनर्जक आस्तियों का 33.06% और 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्वका 15.43% शामिल है। इन शाखाओं का वित्तीय विवरण / जानकारी शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित की गई है जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है, और हमारा अभिमत जहां तक शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित है, केवल ऐसे शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

इन मामलों के संबंध में हमारा अभिमत बदला नहीं गया है।

विधिक और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

9. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार तुलन पत्र एवं लाभ और हानि खाते तैयार किए हैं.

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality is the magnitude of the misstatements in the standalone financial statements that, individually or aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning of the scope of our audit work and evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatement in the financial statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other Matters

8. We did not audit the financial statements / information of 1763 (number) branches and other offices and 1 foreign branch included in the standalone financial statements of the Bank whose financial statements / financial information reflect total assets of Rs. 2,54,776.99 crores as at March 31, 2023 and total revenue of Rs. 15,007.19 crores for the year ended on that date, as considered in the standalone financial statements. These branches and other offices and foreign branches cover 23.42% of advances, 28.82% of deposits and 33.06% of non-performing assets as at March 31, 2023 and 15.43% of revenue for the year ended March 31, 2023. The financial statements / information of these branches has been audited by the branch auditors whose reports have been furnished to us, and our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of branches, is based solely on the report of such branch auditors.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

9. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been

10. उपर्युक्त 7 से 9 पैराग्राफ में इंगित लेखापरीक्षा की सीमाओं के अधीन तथा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 / 1980 की आवश्यकतानुसार और इसके अंतर्गत आवश्यक प्रकटीकरण की सीमाओं के भी अधीन, हम रिपोर्ट करते है कि:

   ए. हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के लिए आवश्यक थे और उन्हें संतोषजनक पाया गया है,

   बी. बैंक के लेन–देन, जो हमारे संज्ञान में आए हैं, बैंक की शक्तियों के अंतर्गत हुए हैं, और

   सी. बैंक के कार्यालयों एवं शाखाओं से प्राप्त रिटर्नों को हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के लिए पर्याप्त पाया गया है।

11. जैसा आवश्यक है पत्र संख्या डीओएस.एआरजी.स. 6270 / 08.91.001 / 2019–20 दिनांक 17 मार्च 2020 द्वारा "सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) की नियुक्ति – वित्त वर्ष 2019–20 से एससीए के लिए रिपोर्टिंग दायित्वों" पर, आरबीआई द्वारा 19 मई 2020 को जारी बाद के सूचित के साथ पठित, आवश्यक है। हम उपर्युक्त पत्र के पैराग्राफ 2 में निर्दिष्ट मामलों पर आगे रिपोर्ट करते हैं:

   ए. हमारे अभिमत में, उपर्युक्त एकल वित्तीय विवरण, आईसीएआई द्वारा जारी लागू लेखा मानकों का उस सीमा तक अनुपालन करते हैं जिस सीमा तक वे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं होते है।

   बी. वित्तीय लेनदेनों या मामलों पर ऐसा कोई अवलोकन या टिप्पणी नहीं है जिसका बैंक के कार्यक्षमता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।

   सी. चूंकि बैंक कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है, अतः कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उप–धारा (2) के अनुसार बैंक के निदेशक होने की अयोग्यता बैंक पर लागू नहीं होती है।

   डी. खातों के रखरखाव और उससे जुड़े अन्य मामलों से संबंधित कोई सीमा, प्रतिबंध नहीं है या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है।

   ई. वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट इस रिपोर्ट के अनुबंध A में दी गई है। हमारी रिपोर्ट, 31 मार्च 2023 को एकल वित्तीय विवरण के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक असंशोधित अभिमत व्यक्त करती है।

12. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

   ए. हमारे अभिमत में, बैंक ने विधि द्वारा अपेक्षित रूप से बहियों को रखा गया है। जैसा कि यह हमारी उन बहियों की जांच से प्रकट होता है और हमारे द्वारा संपर्क नहीं की गई शाखाओं से हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के लिए पर्याप्त उचित विवरणियां प्राप्त की गई हैं

   बी. इस रिपोर्ट द्वारा अवलोकित तुलन पत्र, लाभ एवं हानि खाता और नकदी प्रवाह की विवरणियां, लेखा बही के साथ और

drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949;

10. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraphs 7 and 9 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:

   a. We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;

   b. The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and

   c. The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

11. As required by letter No. DOS. ARG. No. 6270/08.91.001/ 2019-20 dated March 17, 2020 on "Appointment of Statutory Central Auditors (SCAs) in Public Sector Banks – Reporting obligations for SCAs from FY 2019-20", read with subsequent communication dated May 19, 2020 issued by the RBI, we further report on the matters specified in paragraph 2 of the aforesaid letter as under:

   a. In our opinion, the aforesaid Standalone Financial Statements comply with the applicable Accounting Standards issued by ICAI, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by the RBI.

   b. There are no observations or comments on financial transactions or matters which have any adverse effect on the functioning of the Bank.

   c. As the Bank is not registered under the Companies Act, 2013 the disqualification from being a director of the bank under sub-section (2) of section 164 of the Companies Act, 2013 do not apply to the Bank.

   d. There are no qualifications, reservations or adverse remarks relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith.

   e. Our audit report on the adequacy and operating effectiveness of the Bank's internal financial controls over financial reporting is given in **Annexure A** to this report. Our report expresses an unmodified opinion on the Bank's internal financial controls over financial reporting with reference to the Standalone Financial Statements as at March 31, 2023.

12. We further report that:

   a. In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us;

हमारे द्वारा संपर्क नहीं की गई शाखाओं से प्राप्त विवरणियों के साथ मेल खाती हैं;

सी. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अंतर्गत बैंक के शाखा लेखा–परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखा कार्यालयों के खातों की रिपोर्ट हमें भेज दी गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे द्वारा पर्याप्त ध्यान रखा गया है; और

डी. हमारे अभिमत में, तुलन पत्र, लाभ एवं हानि खाता और नकदी प्रवाह का विवरण लागू लेखांकन मानकों का उस सीमा तक अनुपालन करता है जब तक कि ये आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं होते।

b. the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows dealt with by this report are in agreement with the books of account and with the returns received from the branches not visited by us;

c. the reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and

d. In our opinion, the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI.

कृते एस आर गोयल एंड कं
For S R Goyal & Co
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन: 001537C
FRN: 001537C

सनदी लेखाकार अनुराग गोयल
CA Anurag Goyal
भागीदार
Partner
(सदस्य सं. 412538)
(M. No. 412538)
यूडीआईएन: 23412538BGXIDB1081
UDIN: 23412538BGXIDB1081

कृते एस एन धवन एंड कं एलएलपी
For S N Dhawan & Co LLP
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन: 000050N/N500045
FRN: 000050N/N500045

सनदी लेखाकार सुरिंदर कुमार खट्टर
CA Surinder Kr. Khattar
भागीदार
Partner
(सदस्य सं. 084993)
(M. No. 084993)
यूडीआईएन: 23084993BGYUTN8696
UDIN: 23084993BGYUTN8696

कृते पी एस एम जी एंड एसोसिएट्स
For P S M G & Associates
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन: 008567C
FRN: 008567C

सनदी लेखाकार प्रबुद्ध गुप्ता
CA Prabuddha Gupta
भागीदार
Partner
(सदस्य सं. 400189)
(M. No. 400189)
यूडीआईएन: 23400189BHALGR7267
UDIN: 23400189BHALGR7267

कृते डी के छाजेर एंड कं
For D K Chhajer & Co
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन: 304138E
FRN: 304138E

सनदी लेखाकार किशोर सर्राफ
CA Nand Kishore Sarraf
भागीदार
Partner
(सदस्य सं. 510708)
(M. No. 510708)
यूडीआईएन: 23510708BGQHPX2670
UDIN: 23510708BGQHPX2670

कृते एस सी बापना एंड एसोसिएट्स
For S C Bapna & Associates
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन: 115649W
FRN: 115649W

सनदी लेखाकार जय प्रकाश गुप्ता
CA Jai Prakash Gupta
भागीदार
Partner
(सदस्य सं. 088903)
(M. No. 088903)
यूडीआईएन: 23088903BGYNXR9838
UDIN: 23088903BGYNXR9838

स्थान: नई दिल्ली
Place: New Delhi
दिनांक: 19 मई, 2023
Date: May 19, 2023

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट हेतु अनुलग्नक 'ए'

(हमारी उस तिथि की रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' अनुभाग के तहत पैराग्राफ 11 (ई) में संदर्भित)

भारतीय रिजर्व बैंक ("आरबीआई") पत्र डीओएस.एआरजी सं. 6270/08.91.001/2019–20 दिनांक 17 मार्च 2020 (यथासंशोधित) ("आरबीआई संचार") द्वारा अपेक्षित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट।

हमने उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए जिसमें बैंक की शाखाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण सम्मिलित है। बैंक के एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ 31 मार्च 2023 तक की पंजाब नैशनल बैंक ('बैंक') की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को लेखापरीक्षित किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

बैंक प्रबंधन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने का उत्तरदायित्व है। इन उत्तरदायित्वों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रचना, क्रियान्वयन और रखरखाव जो बैंक की नीतियों के पालन सहित अपने कारोबार के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे और अपनी परिसम्पत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाना, लेखा रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों के तहत यथापेक्षित विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी निहित है।

लेखा परीक्षक के उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक मत व्यक्त करना है। हमने आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ('आईसीएआई') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग ('मार्गदर्शन नोट') पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट और आईसीएआई द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षक (एसएएस) पर मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाएँ और लेखा परीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखे गए थे और क्या ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से परिचालित होते हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्यनिष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आंकलन करना कि भौतिक कमी मौजूद है, और मूल्यांकन किये गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और जांच का परिचालन प्रभावशीलता का

ANNEXURE "A" TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

(Referred to in paragraph 11 (e) under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our report of even date)

Report on the Internal Financial Controls over Financial Reporting as required by the Reserve Bank of India (the "RBI") Letter DOS.ARG. No.6270/08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 (as amended) (the "RBI communication")

We have audited the internal financial controls over financial reporting of Punjab National Bank ("the Bank") as of March 31, 2023 in conjunction with our audit of the standalone financial statements of the Bank for the year ended on that date which includes internal financial controls over financial reporting of the Bank's branches.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Bank's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to the Bank's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Banking Regulation Act, 1949 and the circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Bank's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") issued by the Institute of Chartered Accountants of India (the "ICAI") and the Standards on Auditing (SAs) issued by the ICAI, to the extent applicable to an audit of internal financial controls. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting were established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures

परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के भौतिक चूक के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हम मानते हैं कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं और शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा प्राप्त अंकेक्षण साक्ष्य, नीचे दिए गए अन्य मामलों के पैराग्राफ में संदर्भित उनकी रिपोर्ट के अनुसार, वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के वित्तीय नियंत्रणों पर हमारी लेखापरीक्षा मत के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाह्य उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो (1) रिकॉर्डों के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विवरण में, बैंक की परिसंपत्तियों के लेनदेन और निपटान को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाती हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करना कि लेनदेन को आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए आवश्यकतानुसार दर्ज किया गया है, और बैंक की प्राप्तियां और व्यय केवल बैंक के प्रबंधन वर्ग और निदेशकों के प्राधिकरणानुसार किए जा रहे हैं; तथा (3) बैंक की संपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करना जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें गठबंधन की संभावना या नियंत्रण के अनुचित प्रबंधन अभिभाव शामिल हैं त्रुटि या धोखाधड़ी से हो सकते हैं और जिसका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या यह कि

नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन में गिरावट से विवरण में भौतिक चूक हो सकती है।

अभिमत

हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी में तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार और नीचे दिए गए अन्य मामलों के पैराग्राफ में संदर्भित शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार के आधार पर, बैंक के पास सभी महत्वपूर्ण मामलों के संबंध में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं जो 31 मार्च 2023तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ('आईसीएआई') द्वारा जारी मानदंडों के आधार पर पर्याप्त है।

अन्य मामले

हमारी पूर्वोक्त रिपोर्ट जहां तक 1798 शाखाओं/कार्यालयों की वित्तीय

selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained and the audit evidence obtained by the branch auditors, in terms of their reports referred to in the Other Matters paragraph below, is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Bank's internal financial controls over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A Bank's internal financial controls over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A Bank's internal financial controls over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Bank; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Bank are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the Bank; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the Bank's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial controls over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on the consideration of the reports of the branch auditors referred to in the Other Matters paragraph below, the Bank has, in all material respects, adequate internal financial controls over financial reporting that were operating effectively as at March 31, 2023, based on the criteria for internal financial control over financial reporting established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

Other Matters

Our aforesaid report in so far as it relates to the operating effectiveness of internal financial controls over financial reporting

रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता से संबंधित है, उन शाखाओं के संबंधित केंद्रीय सांविधिक लेखापरीक्षकों/शाखा लेखा परीक्षकों की संबंधित रिपोर्टों पर आधारित है।

इस मामले में हमारे मत में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

of 1785 branches/offices is based on the corresponding reports of the respective central statutory Auditors / branch auditors of those branches.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

कृते एस आर गोयल एंड कं
For S R Goyal & Co
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन: 001537C
FRN: 001537C

सनदी लेखाकार अनुराग गोयल
CA Anurag Goyal
भागीदार
Partner
(सदस्य सं. 412538)
(M. No. 412538)
यूडीआईएन:23412538BGXIDB1081
UDIN: 23412538BGXIDB1081

कृतेएस एन धवन एंड कं एलएलपी
For S N Dhawan & Co LLP
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन: 000050N/N500045
FRN: 000050N/N500045

सनदी लेखाकार सुरिंदर कुमार खट्टर
CA Surinder Kr. Khattar
भागीदार
Partner
(सदस्य सं. 084993)
(M. No. 084993)
यूडीआईएन: 23084993BGYUTN8696
UDIN: 23084993BGYUTN8696

कृते पी एस एम जी एंड एसोसिएट्स
For P S M G & Associates
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन: 008567C
FRN: 008567C

सनदी लेखाकार प्रबुद्ध गुप्ता
CA Prabuddha Gupta
भागीदार
Partner
(सदस्य सं. 400189)
(M. No. 400189)
यूडीआईएन: 23400189BHALGR7267
UDIN: 23400189BHALGR7267

कृते डी के छाजड़ एंड कं
For D K Chhajer & Co
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन:304138E
FRN: 304138E

सनदी लेखाकारनंद किशोर सर्राफ
CA Nand Kishore Sarraf
भागीदार
Partner
(सदस्य सं. 510708)
(M. No. 510708)
यूडीआईएन: 23510708BGQHPX2670
UDIN: 23510708BGQHPX2670

कृते एस सी बापना एंड एसोसिएट्स
For S C Bapna & Associates
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन:115649W
FRN: 115649W

सनदी लेखाकार जय प्रकाश गुप्ता
CA Jai Prakash Gupta
भागीदार
Partner
(सदस्य सं. 088903)
(M. No. 088903)
यूडीआईएन: 23088903BGYNXR9838
UDIN: 23088903BGYNXR9838

स्थान: नई दिल्ली
Place: New Delhi
दिनांक: 19 मई, 2023
Date: May 19, 2023

पंजाब नैशनल बैंक– समेकित बैलेंस शीट 31 मार्च, 2023
PUNJAB NATIONAL BANK - CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH 2023

(रू. करोड़ में) (Rs. in Crore)

विवरण **Particulars**	अनुसूची **Schedule**	**31.03.2023 को** **As on 31.03.2023**	**31.03.2022 को** **As on 31.03.2022**
पूंजी एवं देयताएं **CAPITAL AND LIABILITIES**			
पूंजी Capital	1	2202.20	2202.20
आरक्षित निधियां और अधिशेष Reserves and Surplus	2	100678.30	95379.72
अल्पांश ब्याज Minority Interest	2A	459.38	473.47
जमाराशियां Deposits	3	1290347.07	1154234.46
उधार Borrowings	4	70148.62	59371.67
अन्य देयताएं और प्रावधान Other Liabilities and Provisions	5	29813.37	27639.61
कुल / TOTAL		**1493648.94**	**1339301.13**
आस्तियां **ASSETS**			
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी और शेष राशि Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	78213.52	86127.84
बैंकों के पास शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि Balances with banks and money at call and short notice	7	79114.96	48066.04
निवेश Investments	8	416913.84	388585.82
अग्रिम Advances	9	837458.98	733765.83
अचल आस्तियां Fixed Assets	10	12083.96	10696.21
अन्य आस्तियां Other Assets	11	69863.68	72059.39
समेकन पर गुडविल Goodwill on Consolidation			
कुल / TOTAL		**1493648.94**	**1339301.13**
आकस्मिक देयताएं Contingent Liabilities	12	645263.22	606685.43
वसूली के लिए बिल Bills for Collection		34377.60	37786.05
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां एवं लेखों पर टिप्पणियां Significant Accounting Policies and Notes on Accounts	18		

1 से 18 तक की अनुसूचियां लेखों का अभिन्न अंग है।
The Schedules 1 to 18 form an integral part of the Accounts.

प्रबुद्ध शर्मा Prabudh Sharma सहायक महाप्रबंधक Asstt. General Manager	मुकेश कुमार Mukesh Kumar सहायक महाप्रबंधक Asstt. General Manager	आर के खींची R K Khichi उप महाप्रबंधक Deputy General Manager	प्रवीण कुमार शर्मा Praveen Kumar Sharma महाप्रबंधक General Manager

डी के जैन
D K Jain
मुख्य महाप्रबंधक और सीएफओ
Chief General Manager & CFO

एम परमशिवम M Paramasivam कार्यपालक निदेशक Executive Director	बिनोद कुमार Binod Kumar कार्यपालक निदेशक Executive Director	कल्याण कुमार Kalyan Kumar कार्यपालक निदेशक Executive Director	विजय दुबे Vijay Dube कार्यपालक निदेशक Executive Director

अतुल कुमार गोयल Atul Kumar Goel प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Managing Director & CEO	के जी अनंतकृष्णन K G Ananthakrishnan अध्यक्ष Chairman

डॉ. रेखा जैन Dr. Rekha Jain निदेशक Director	गौतम गुहा Gautam Guha निदेशक Director	संजीव कुमार सिंघल Sanjeev Kumar Singhal निदेशक Director
पंकज जोशी Pankaj Joshi निदेशक Director	अनिल कुमार मिश्रा Anil Kumar Misra निदेशक Director	पंकज शर्मा Pankaj Sharma निदेशक Director
कृते एस एन धवन एंड कंपनी एलएलपी For S N Dhawan & Co LLP सनदी लेखाकार Chartered Accountants एफआरएन: 000050एन / एन500045 FRN: 000050N/N500045	कृते एस आर गोयल एंड कंपनी For S R Goyal & Co सनदी लेखाकार Chartered Accountants एफआरएन: 001537सी FRN: 001537C	कृते पी एस एम जी एंड एसोसिएट्स For P S M G & Associates सनदी लेखाकार Chartered Accountants एफआरएन: 008567सी FRN: 008567C
सनदी लेखाकार सुरिंदर कुमार खट्टर CA Surinder Kr. Khattar भागीदार Partner (सदस्य सं. 084993) (M.No. 084993)	सनदी लेखाकार अनुराग गोयल CA Anurag Goyal भागीदार Partner (सदस्य सं. 412538) (M.No. 412538)	सनदी लेखाकार प्रबुद्ध गुप्ता CA Prabuddha Gupta भागीदार Partner (सदस्य सं. 400189) (M.No. 400189)

कृते एस सी बापना एंड एसोसिएट्स For S C Bapna & Associates सनदी लेखाकार Chartered Accountants एफआरएन: 115649डब्ल्यू FRN: 115649W	कृते डी के छाजेड़ एंड कंपनी For D K Chhajer & Co सनदी लेखाकार Chartered Accountants एफआरएन: 304138ई FRN: 304138E
सनदी लेखाकार जय प्रकाश गुप्ता CA Jai Prakash Gupta भागीदार Partner (सदस्य सं. 088903) (M.No. 088903)	सनदी लेखाकार नंद किशोर सर्राफ CA Nand Kishore Sarraf भागीदार Partner (सदस्य सं. 510708) (M.No. 510708)

स्थान: नई दिल्ली
Place: New Delhi
दिनांक : 19 मई 2023
Date : May 19, 2023

पंजाब नैशनल बैंक– 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ और हानि लेखा

PUNJAB NATIONAL BANK - CONSOLIDATED PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2023

(रू. करोड़ में) (Rs. in Crore)

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	31.03.2023 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2023	31.03.2022 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2022
I. आय **INCOME**			
अर्जित आय Interest earned	13	86845.29	76241.83
अन्य आय Other income	14	12239.59	12097.66
कुल TOTAL		**99084.88**	**88339.49**
II. व्यय **EXPENDITURE**			
खर्च किया गया ब्याज Interest expended	15	51816.99	46823.08
परिचालन खर्च Operating expenses	16	24335.68	20490.77
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं Provisions and contingencies		19862.87	17349.68
कुल TOTAL		**96015.54**	**84663.53**
सहयोगी संस्थाओं में अर्जन का अंश (निवल) Share of earnings in Associates (net)	17	289.44	231.63
अल्पांश ब्याज की कटौती से पहले वर्ष के लिए समेकित लाभ/(हानि) Consolidated Profit/(Loss) for the year before deducting Minorities' Interest		3358.78	3907.59
घटाएं : अल्पांश ब्याज Less : Minorities Interest		10.33	46.85
अवधि के लिए समूह का स्रोतजन्य समेकित लाभ/(हानि) **Consolidated Profit/(loss) for the period attributable to the group**		**3348.45**	**3860.74**
जोड़ें: समूह का स्रोतजन्य आगे लाया गया समेकित लाभ/(हानि) Add: Brought forward consolidated profit/(loss) attributable to the group		2538.54	1738.11
घटाएं: समायोजन Less: Adjustments		-	40.39
विनियोजन के लिए उपलब्ध लाभ **Profit available for Appropriation**		**5886.99**	**5639.24**

(रू. करोड़ में) (Rs. in Crore)

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	31.03.2023 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2023	31.03.2022 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2022
III. विनियोजन **III. APPROPRIATIONS**			
सांविधिक आरक्षित निधि को अंतरित Transfer to Statutory Reserves		626.80	899.84
पूंजी आरक्षित निधि को अंतरित Transfer to Capital Reserves		52.15	700.93
निवेश आरक्षित निधि को अंतरित Transfer to Investment Reserves		0.00	15.83
निवेश घट बढ़ आरक्षित निधि को अंतरित Transfer to Investment Fluctuation Reserves		194.74	854.85
अन्य आरक्षित निधि को अंतरित Transfer to Other Reserves		767.55	-175.45
आयकर अधिनियम के अनुसार विशेष आरक्षित निधि को अंतरित Transfer to Special Reserves as per Income Tax Act		250.00	100.00
प्रस्तावित लाभांश Proposed Dividend		715.72	704.71
समेकित तुलन पत्र में ले जाया गया जमा शेष Balance carried over to consolidated balance sheet		3280.03	2538.54
		5886.99	**5639.24**
प्रति शेयर अर्जन (रू. में) (मूल / डाईल्यूटेड) **Earnings per Share (In Rs.) (Basic/ Diluted)**		**3.04**	**3.53**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ तथा लेखा टिप्पणियाँ Significant Accounting Policies and Notes on Accounts	**18**		

प्रबुद्ध शर्मा Prabudh Sharma सहायक महाप्रबंधक Asstt. General Manager	मुकेश कुमार Mukesh Kumar सहायक महाप्रबंधक Asstt. General Manager	आर के खीची R K Khichi उप महाप्रबंधक Deputy General Manager	प्रवीण कुमार शर्मा Praveen Kumar Sharma महाप्रबंधक Genera l Manager

डी के जैन
D K Jain
मुख्य महाप्रबंधक और सीएफओ
Chief General Manager & CFO

एम परमसिवम M Paramasivam कार्यपालक निदेशक Executive Director	बिनोद कुमार Binod Kumar कार्यपालक निदेशक Executive Director	कल्याण कुमार Kalyan Kumar कार्यपालक निदेशक Executive Director	विजय दुबे Vijay Dube कार्यपालक निदेशक Executive Director

अतुल कुमार गोयल Atul Kumar Goel प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Managing Director & CEO	के जी अनंतकृष्णन K G Ananthakrishnan अध्यक्ष Chairman

डॉ. रेखा जैन
Dr. Rekha Jain
निदेशक
Director

गौतम गुहा
Gautam Guha
निदेशक
Director

संजीव कुमार सिंघल
Sanjeev Kumar Singhal
निदेशक
Director

पंकज जोशी
Pankaj Joshi
निदेशक
Director

अनिल कुमार मिश्रा
Anil Kumar Misra
निदेशक
Director

पंकज शर्मा
Pankaj Sharma
निदेशक
Director

कृते एसएन धवन एंड कंपनी एलएलपी
For S N Dhawan & Co LLP
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन: 000050एन/एन500045
FRN: 000050N/N500045

सनदी लेखाकार सुरिंदर कुमार खट्टर
CA Surinder Kr. Khattar
भागीदार
Partner
(सदस्य सं. 084993)
(M.No. 084993)

कृते एस आर गोयल एंड कंपनी
For S R Goyal & Co
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन: 001537सी
FRN: 001537C

सनदी लेखाकार अनुराग गोयल
CA Anurag Goyal
भागीदार
Partner
(सदस्य सं. 412538)
(M.No. 412538)

कृते पी एस एम जी एंड एसोसिएट्स
For P S M G & Associates
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन: 008567सी
FRN: 008567C

सनदी लेखाकार प्रबुद्ध गुप्ता
CA Prabuddha Gupta
भागीदार
Partner
(सदस्य सं. 400169)
(M.No. 400169)

कृते एस सी बापना एंड एसोसिएट्स
For S C Bapna & Associates
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन: 115649डब्ल्यू
FRN: 115649W

सनदी लेखाकार जय प्रकाश गुप्ता
CA Jai Prakash Gupta
भागीदार
Partner
(सदस्य सं. 088903)
(M.No. 088903)

कृते डी के छाजेड़ एंड कंपनी
For D K Chhajer & Co
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन: 304138ई
FRN: 304138E

सनदी लेखाकार नंद किशोर सर्राफ
CA Nand Kishore Sarraf
भागीदार
Partner
(सदस्य सं. 510708)
(M.No. 510708)

स्थान: नई दिल्ली
Place: New Delhi
दिनांक : 19 मई 2023
Date : May 19, 2023

समेकित लेखों की अनुसूची (पंजाब नैशनल बैंक)
SCHEDULES TO THE CONSOLIDATED ACCOUNTS (PUNJAB NATIONAL BANK)

(रू. करोड़ में) (Rs. In Crore)

विवरण Particulars		31.03.2023 को As on 31.03.2023		31.03.2022 को As on 31.03.2022
अनुसूची 1 – पूंजी **SCHEDULE 1 - CAPITAL**				
प्राधिकृत पूंजी **Authorised Capital**				
प्रत्येक रू. 2 के 1500,00,00,000 इक्विटी शेयर 1500,00,00,000 Equity shares of Rs. 2 each (पिछले वर्ष प्रत्येक रू. 2 के 1500,00,00,000 इक्विटी शेयर) (Previous year 1500,00,00,000 Equity shares of Rs. 2 each)		3000.00		3000.00
जारी पूंजी **Issued Capital**				
प्रत्येक रू. 2 के 1101,10,15,558 इक्विटी शेयर 1101,10,15,558 Equity shares of Rs. 2 each (पिछले वर्ष प्रत्येक रू. 2 के 1101,10,15,558 इक्विटी शेयर) (Previous Year 1101,10,15,558 Equity shares of Rs. 2 each)		2202.20		2202.20
प्रदत्त पूंजी **Paid up Capital**				
प्रत्येक रू. 2 के 1101,10,15,558 इक्विटी शेयर 1101,10,15,558 Equity shares of Rs. 2 each (पिछले वर्ष प्रत्येक रू. 2 के 1101,10,15,558 इक्विटी शेयर) (Previous Year 1101,10,15,558 Equity shares of Rs. 2 each)		2202.20		2202.20
[उपर्युक्त में प्रत्येक रू. 2 के 805,41,25,685 इक्विटी शेयर शामिल हैं (पिछले वर्ष प्रत्येक रू. 2 के 805,41,25,685 इक्विटी शेयर) केंद्र सरकार द्वारा धारित किए गए हैं] [The above includes 805,41,25,685 equity shares of Rs. 2 each (Previous Year 805,41,25,685 Equity shares of Rs. 2 each) held by Central Government]				
कुल **TOTAL**		**2202.20**		**2202.20**
अनुसूची 2 – आरक्षित निधियां और अधिशेष **SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS**				
I. सांविधिक आरक्षित निधियां **Statutory Reserves**				
प्रारंभिक शेष Opening Balance	15525.44		14627.22	
वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	626.80		899.84	
जोड़ें / (घटाएँ) : वर्ष के दौरान समायोजन Add/(Less) : Adjustment during the year	0.00	16152.24	-1.62	15525.44

(रू. करोड़ में) (Rs. in Crore)

विवरण Particulars		31.03.2023 को As on 31.03.2023		31.03.2022 को As on 31.03.2022
II. पूंजीगत आरक्षित निधियाँ **Capital Reserves**				
ए. पुनर्मूल्यांकन आरक्षित **a. Revaluation Reserve**				
प्रारंभिक शेष Opening Balance	7048.62		7200.41	
वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	2113.66		7.28	
वर्ष के दौरान कटौती Deduction during the year	376.01		159.07	
घटाएं: अन्य आरक्षित निधियों में अंतरित Less: Transfer to other reserves	331.15		0.00	
(संपत्ति के पुनर्मूल्यांकित भाग पर मूल्यह्रास के कारण) (being depreciation on revalued portion of property)		**8455.12**		**7048.62**
बी. अन्य **b. Others**				
(रू. 9268.29 करोड़ की समामेलन आरक्षित निधि सहित) (including Amalgamation Reserve of Rs. 9268.29 Crores)				
प्रारंभिक शेष Opening Balance	16629.36		15877.75	
वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	52.15	**16681.51**	751.61	**16629.36**
IIए. समेकन पर आरक्षित पूंजी (निवल) **IIA. Capital Reserve on consolidation (Net)**		**74.21**		**74.21**
III. शेयर प्रीमियम **Share Premium**				
प्रारंभिक शेष Opening Balance	46038.53		44352.14	
वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	-	**46038.53**	1686.39	**46038.53**
IV. राजस्व तथा अन्य आरक्षित निधियाँ **Revenue and Other Reserves**				
ए. निवेश आरक्षित निधियाँ **a. Investment Reserve**				
प्रारंभिक शेष Opening Balance	386.35		370.52	
वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	-	**386.35**	15.83	**386.35**
बी. निवेश घट बढ़ आरक्षित निधि **b. Investment Fluctuation Reserve**				
प्रारंभिक शेष Opening Balance	1440.32		585.47	
जोड़ें: वर्ष के दौरान वृद्धि Add: Addition during the year	194.74	**1635.06**	854.85	**1440.32**

(रु. करोड़ में) (Rs. in Crore)

विवरण Particulars		31.03.2023 को As on 31.03.2023		31.03.2022 को As on 31.03.2022
सी. अन्य आरक्षित निधि **c. Other Reserve**				
प्रारंभिक शेष Opening Balance	1321.59		1427.25	
वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	1697.16		930.50	
जोड़ें: पुनर्मूल्यन निधि को अंतरित Add: Transfer from Revaluation Reserve	331.15		7.21	
घटाएं: वर्ष के दौरान आहरण Less: Withdrawal during the year	-		1026.95	
जोड़ें / (घटाएं) : वर्ष के दौरान समायोजन Add/(Less) : Adjustment during the year	163.17	**3513.07**	0.00	**1321.59**
डी. विनिमय घट बढ़ आरक्षित निधि **d. Exchange Fluctuation Reserve**				
प्रारंभिक शेष Opening Balance	1008.10		917.05	
जोड़ें: वर्ष के दौरान वृद्धि (निवल) Add: Addition during the year (Net)	95.85		95.34	
जोड़ें / (घटाएं) : वर्ष के दौरान समायोजन Add/(Less) : Adjustment during the year	-260.43	**843.52**	-4.30	**1008.10**
ई. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के तहत विशेष आरक्षित निधि **e. Special Reserve under Sec.36 (1) (viii) of Income Tax Act,1961**				
प्रारंभिक शेष Opening Balance	3368.66		3268.66	
वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	250.00	**3618.66**	100.00	**3368.66**
V. लाभ व हानि खातों में शेष राशि **Balance in Profit & Loss Account**		**3280.03**		**2538.54**
कुल (I, II, III, IV और V) **Total (I, II, III, IV and V)**		**100678.30**		**95379.72**

अनुसूची 2ए – अल्पांश हित
Schedule 2A - Minority Interest

उस तिथि को अल्पांश हित जब मूल सहायक संस्था का संबंध अस्तित्व में आया Minority Interest at the date on which the parent subsidiary relationship came into existence	149.25	149.25
परवर्ती वृद्धि / कमी Subsequent increase/ decrease	310.13	324.21
तुलन पत्र की तिथि पर अल्पांश ब्याज **Minority Interest at the date of balance sheet**	**459.38**	**473.47**

(रू. करोड़ में) (Rs. in Crore)

विवरण Particulars		31.03.2023 को As on 31.03.2023		31.03.2022 को As on 31.03.2022
अनुसूची 3 – जमा राशियां **SCHEDULE 3 - DEPOSITS**				
ए.I मांग जमा राशियां **A.I Demand Deposits**				
(i) बैंकों से From Banks	3200.55		3455.67	
(ii) अन्य से From Others	72587.74	**75788.29**	79659.08	**83114.74**
II बचत बैंक जमा राशियां **Savings Banks Deposits**		**465153.67**		**453036.86**
III मीयादी जमा राशियां **Term Deposits**				
(i) बैंकों से From Banks	51083.07		31842.70	
(ii) अन्य से From Others	698322.04	**749405.11**	586240.15	**618082.85**
कुल (I, II तथा III) **TOTAL (I, II and III)**		**1290347.07**		**1154234.46**
बी. (i) भारत में स्थित शाखाओं की जमा राशि **B.** Deposits of branches In India		1251329.97		1124889.98
(ii) भारत के बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियां Deposits of branches outside India		39017.10		29344.48
कुल (I, II) **TOTAL (I, II)**		**1290347.07**		**1154234.46**
अनुसूची 4 – उधार **SCHEDULE 4 - BORROWINGS**				
I. भारत में उधार **I. Borrowings in India**				
(i) भारतीय रिजर्व बैंक Reserve Bank of India		0.00		0.00
(ii) अन्य बैंक Other Banks		1869.36		2704.49
(iii) अन्य संस्थान और एजेंसियां Other Institutions and Agencies		23803.18		22090.53
(iv) बॉड (टियर– I, टियर– II, गौण ऋण सहित) Bonds (including Tier-I, Tier-II, Subordinated Debts)		29199.40		24737.69
(v) दीर्घकालिक अवसंरचना बॉन्ड Long Term Infrastructure Bonds		2800.00		2800.00

(रु. करोड़ में) (Rs. in Crore)

विवरण Particulars		31.03.2023 को As on 31.03.2023		31.03.2022 को As on 31.03.2022
II. भारत के बाहर उधार **Borrowings outside India**		12476.68		7036.97
कुल (I तथा II) **TOTAL (I and II)**		**70148.62**		**59371.67**
उपरोक्त I और II में शामिल प्रतिभूति उधार **Secured Borrowings included in I and II above**		**21597.55**		**19038.01**

अनुसूची 5 — अन्य देयताएं और प्रावधान

SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

I. देय बिल Bills payable		3718.85		3081.71
II. अंतर–कार्यालय समायोजन (निवल) Inter-office adjustments (net)		0.05		584.48
III. उपचित ब्याज Interest accrued		3451.14		2782.66
IV. अन्य (प्रावधानों सहित) Others (including provisions)		22643.33		21190.76
I, II, III एवं IV का जोड़ **TOTAL OF I, II, III and IV**		**29813.37**		**27639.61**

अनुसूची 6 — भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी और शेष राशि

SCHEDULE 6 - CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

I. हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोटों सहित) Cash in hand (including foreign currency notes)		3735.22		3513.68
II. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष राशि Balance with Reserve Bank of India				
(i) चालू खातों में in Current account	53352.30		53514.16	
(ii) अन्य खातों में in Other Accounts	21126.00	74478.30	29100.00	82614.16
कुल (I तथा II) **TOTAL (I and II)**		**78213.52**		**86127.84**

(रू. करोड़ में) (Rs. in Crore)

विवरण Particulars		31.03.2023 को As on 31.03.2023		31.03.2022 को As on 31.03.2022
अनुसूची 7 – बैंकों के पास शेष राशि मांग और अल्प सूचना पर देय राशि **SCHEDULE 7- BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE**				
I. भारत में **In India**				
(i) बैंकों के पास शेष राशि Balance with Banks:				
चालू खातों में (a) In Current accounts	25.09		147.35	
अन्य जमा खातों में (b) In Other Deposit accounts	16754.71	16779.80	15799.70	15947.04
(ii) मांग और अल्प सूचना पर देय राशि Money at Call and Short Notice:				
बैंकों के पास (a) with Banks	0.00		0.00	
अन्य संस्थानों के पास (b) with Other Institutions	23057.66	23057.66	29.48	29.48
कुल (i एवं ii) **TOTAL (i and ii)**		39837.46		15976.52
II. भारत से बाहर **Outside India**				
(i) चालू खातों में In Current accounts	15405.09		10382.54	
(ii) चालू खातों में In Other Deposit accounts	23596.79		21706.97	
(iii) मांग और अल्प सूचना पर देय राशि Money at call and short notice	275.62		0.00	
कुल (i,ii एवं iii) **TOTAL (i,ii and iii)**		39277.50		32089.52
समग्र जोड़ (I एवं II) **GRAND TOTAL (I and II)**		79114.96		48066.04
अनुसूची 8 – निवेश **SCHEDULE 8 - INVESTMENTS**				
I. भारत में निवेश **Investments in India in**				
(i) सरकारी प्रतिभूतियां Government securities		369306.55		337053.29
(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां Other approved securities		0.15		0.15
(iii) शेयर Shares		3061.59		3264.81

(रु. करोड़ में) (Rs. in Crore)

विवरण Particulars	31.03.2023 को As on 31.03.2023	31.03.2022 को As on 31.03.2022
(iv) ऋण पत्र और बांड Debentures and Bonds	33153.84	35805.67
(v) एसोसिएट्स Associates	4304.70	3367.95
(vi) अन्य Others	1452.39	5568.98
म्युचुअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, एआरसीआईएल वाणिज्यिक पत्र, जमा प्रमाणपत्र आदि। Mutual Funds, Venture Capital Funds, ARCIL Commercial Papers , Certificate of Deposits, etc.		
I का कुल **TOTAL of I**	**411279.22**	**384860.85**
II. भारत से बाहर निवेश **Investments outside India in**		
(i) सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित) Government Securities (including local authorities)	4324.37	2020.78
(ii) एसोसिएट्स Associates	337.22	301.82
(iii) अन्य निवेश Other investments	973.03	1402.37
TOTAL of II	**5634.62**	**3724.97**
III. भारत में निवेश **Investments in India**		
(i) निवेश का सकल मूल्य Gross value of Investments	420441.66	391832.30
(ii) घटाएं: मूल्यह्रास के लिए प्रावधानों का जोड़ Less: Aggregate of provisions for depreciation	9162.44	6971.45
(iii) निवल निवेश Net Investment	**411279.22**	**384860.85**
IV. भारत से बाहर निवेश **Investments outside India**		
i) निवेश का सकल मूल्य: Gross value of Investments	6126.47	4175.40
ii) घटाएं: मूल्यह्रास के लिए प्रावधानों का जोड़: Less: Aggregate of provisions for depreciation	491.85	450.43
iii) निवल निवेश Net Investment	**5634.62**	**3724.97**
(I), (II) का समग्र जोड़ **GRAND TOTAL of (I), (II)**	**416913.84**	**388585.82**

(रू. करोड़ में) (Rs. in Crore)

विवरण Particulars	31.03.2023 को As on 31.03.2023	31.03.2022 को As on 31.03.2022
अनुसूची 9 — अग्रिम **SCHEDULE 9 - ADVANCES**		
ए. i) खरीदे और भुनाए गए बिल A. Bills purchased and discounted	3599.56	1309.05
ii) नकदी ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग पर देय ऋण Cash credits, overdrafts and loans repayable on demand	480421.64	442544.50
iii) मीयादी ऋण Term loans	353437.77	289912.28
कुल (i, ii तथा iii) **Total (i, ii and iii)**	**837458.98**	**733765.83**
बी. i) मूर्त संपत्ति द्वारा प्रतिभूत B. Secured by tangible assets (इनमें बही ऋणों पर दिए गए अग्रिम शामिल है) (including advances against book debts)	663558.23	551240.46
ii) बैंक / सरकारी गारंटियों द्वारा प्रतिभूत Covered by Bank/Government Guarantees	22824.73	28475.67
iii) अप्रतिभूत Unsecured	151076.02	154049.69
कुल (i, ii तथा iii) **Total (i, ii and iii)**	**837458.98**	**733765.83**
सी. (I) भारत में अग्रिम **C. (I) Advances in India**		
i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र Priority sector	238476.44	234687.05
ii) सार्वजनिक क्षेत्र Public sector	166389.08	171957.32
iii) बैंक Banks	0.00	110.27
iv) अन्य Others	393261.26	296510.96
कुल (i, ii, iii तथा iv) **Total (i, ii, iii and iv)**	**798126.78**	**703265.59**
सी. (II) भारत से बाहर अग्रिम **C. (II) Advances outside India**		
i) बैंकों से प्राप्य Due from banks	15055.54	9091.99
ii) अन्य से प्राप्य Due from others		
खरीदे और भुनाए गए बिल (a) Bills purchased and discounted	676.19	0.00
सामूहिक ऋण (b) Syndicated Loans	11068.44	9977.01
अन्य (c) Others	12532.03	11431.24
कुल (i तथा ii) **Total (i and ii)**	**39332.20**	**30500.24**
सी (I) और सी (II) का कुल योग **GRAND TOTAL of C (I) and C (II)**	**837458.98**	**733765.83**

(रू. करोड़ में) (Rs. in Crore)

विवरण Particulars		31.03.2023 को As on 31.03.2023		31.03.2022 को As on 31.03.2022
अनुसूची 10 – अचल आस्तियां **SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS**				
I. परिसर **Premises**				
पिछले वर्ष की 31 मार्च को लागत पर At Cost as on 31st March of preceeding year	10505.91		10469.73	
वर्ष के दौरान वृद्धि Additions during the year	25.84		37.08	
वर्ष के दौरान कटौती Deductions during the year	176.35		0.90	
वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यांकन Revaluation during the year	1737.65		0.00	
अब तक मूल्यह्रास Depreciation to date	1808.67	10284.37	1606.56	8899.35
II. अन्य अचल आस्तियां (फर्नीचर और फिक्स्चर सहित) **Other Fixed Assets (including furniture and fixtures)**				
पिछले वर्ष की 31 मार्च को लागत पर At Cost as on 31st March of preceeding year	9217.64		8818.44	
वर्ष के दौरान वृद्धि Additions during the year	661.18		412.94	
वर्ष के दौरान कटौती Deductions during the year	11.58		13.74	
अब तक मूल्यह्रास Depreciation to date	8266.57	1600.66	7716.78	1500.86
IIए. पट्टेवाली आस्तियां **Leased Assets**				
पिछले वर्ष की 31 मार्च को लागत पर At Cost as on 31st March of preceeding year	25.33		25.33	
वर्ष के दौरान वृद्धि Additions during the year	0.00		0.00	
वर्ष के दौरान कटौती Deductions during the year	0.00		0.00	
अब तक मूल्यह्रास Depreciation to date	25.29	0.04	25.28	0.06
IIबी. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर **IIB. Computer Software**				
पिछले वर्ष की 31 मार्च को लागत पर At Cost as on 31st March of preceeding year	1233.94		1127.54	
वर्ष के दौरान वृद्धि Additions during the year	53.78		106.40	
वर्ष के दौरान कटौती Deductions during the year	0.00		0.00	
अब तक परिशोधित Amortised to date	1088.84	198.89	937.99	295.95
I, II, II,IIबी का जोड़ **TOTAL OF I, II, IIA,IIB**		12083.96		10696.21

(रु. करोड़ में) (Rs. in Crore)

विवरण Particulars	31.03.2023 को As on 31.03.2023	31.03.2022 को As on 31.03.2022
अनुसूची 11 — अन्य आस्तियां **SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS**		
I. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) Inter office adjustment (Net)	0.00	0.00
II. उपचित ब्याज Interest accrued	9107.22	8229.84
III. अग्रिम अदा किया गया कर/स्रोत पर काटा गया कर Tax paid in advance/tax deducted at source	13171.92	12030.05
IV. स्टेशनरी और टिकट Stationery and stamps	6.43	5.00
V. दावों के निपटान से प्राप्त गैर बैंकिंग आस्तियां Non banking assets acquired in satisfaction of claims	26.45	50.20
VI. आस्थगित कर आस्ति (निवल) Deferred Tax asset (net)	23973.49	25703.30
VII. अन्य Others	23578.17	26041.00
I, II, III, IV, V, VI और VII का जोड़ **TOTAL of I, II, III, IV, V, VI and VII**	**69863.68**	**72059.39**
अनुसूची 12 — आकस्मिक देयताएं **SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES**		
I. (i) बैंक के विरुद्ध ऐसे दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया है Claims against the bank not acknowledged as debts	814.56	617.09
(ii) अपील, सन्दर्भों आदि के अधीन विवादित आयकर व ब्याज कर मांग Disputed income tax and interest tax demands under appeal, references, etc.	8691.13	11430.81
II. आंशिक रूप से प्रदत्त निवेशों के लिए देयताएं Liability for partly paid investments	252.56	351.87
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता Liability on account of outstanding forward exchange contracts	558916.88	517966.88
IV. ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटियां Guarantees given on behalf of constituents		
(a) भारत में In India	49507.22	48429.22
(b) भारत के बाहर Outside India	4644.20	2799.62
V. स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व Acceptance, Endorsements and Other obligations	16846.81	19640.63
VI. ऐसी अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से जिम्मेदार है Other items for which the Bank is contingently liable	5589.86	5449.51
कुल (I, II, III, IV, V तथा VI) **TOTAL (I, II, III, IV, V and VI)**	**645263.22**	**606685.43**

(रू. करोड़ में) (Rs. in Crore)

विवरण Particulars		31.03.2023 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2023		31.03.2022 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2022
अनुसूची 13 — अर्जित ब्याज **SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED**				
I. अग्रिम / बिलों पर ब्याज / छूट Interest/discount on advances/bills		57741.67		48874.12
II. निवेशों से आय (लाभांश सहित) Income on Investments (including dividends)		26401.79		24471.01
III. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास जमा शेष और अंतर–बैंक निधियों पर ब्याज Intt on balances with Reserve Bank of India and other inter-bank funds		1909.98		2287.88
IV. अन्य Others		791.85		608.82
कुल (I, II, III, IV, V तथा VI) **TOTAL (I, II, III and IV)**		**86845.29**		**76241.83**
अनुसूची 14 — अन्य आय **SCHEDULE 14 - OTHER INCOME**				
I. कमीशन, विनिमय और दलाली Commission, exchange and brokerage		3952.93		3592.50
II. भूमि, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री से लाभ Profit on sale of land, buildings and other assets	15.61		15.32	
घटाएं: भूमि, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री से हानि Less: Loss on sale of land, buildings and other assets	13.03	2.58	0.92	14.40
III. विदेशी मुद्रा विनिमय लेनदेन से लाभ Profit on exchange transaction	875.65		913.79	
घटाएं: विदेशी मुद्रा विनिमय लेनदेन से हानि Less: Loss on exchange transaction	60.29	815.37	212.33	701.46
IV. निवेशों की बिक्री से लाभ (निवल) Profit on sale of investments (net)	1137.77		3328.24	
घटाएं: निवेशों की बिक्री से हानि Less: Loss on sale of investments	356.68	781.09	424.92	2903.32
V. निवेशों के पुनर्मूल्यांकन से लाभ Profit on revaluation of investments	545.45		1079.52	
घटाएं: निवेश के पुनर्मूल्यांकन से हानि Less: Loss on revaluation of investments	2339.43	-1793.98	1313.50	-233.98
VI. विविध आय Miscellaneous Income		8481.61		5119.96
कुल (I, II, III, IV, V तथा VI) **TOTAL (I, II, III, IV, V and VI)**		**12239.59**		**12097.66**

(रु. करोड़ में) (Rs. in Crore)

विवरण Particulars		31.03.2023 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2023		31.03.2022 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2022
अनुसूची 15 – खर्च किया गया ब्याज **SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED**				
I. जमाराशियों पर ब्याज Interest on deposits		47018.04		43360.91
II. भारतीय रिज़र्व बैंक / अंतर–बैंक उधार पर ब्याज Interest on Reserve Bank of India/ inter-bank borrowings		1149.32		516.31
III. अन्य Others		3649.63		2945.87
कुल (I, II तथा III) **TOTAL (I, II and III)**		**51816.99**		**46823.08**
अनुसूची 16 – परिचालन व्यय **SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES**				
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान Payment to and provisions for employees		14942.59		11971.93
II. किराया, कर और बिजली Rent, taxes and lighting		1334.41		1301.52
III. मुद्रण और लेखन – सामग्री Printing and stationery		160.74		157.49
IV. विज्ञापन और प्रचार Advertisement and publicity		99.40		84.68
V. (क) पट्टे पर दी गई आस्ति के अलावा बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास (a) Depreciation on bank's property other than leased assets	904.87		896.17	
(ख) पट्टे पर दी गई आस्ति पर मूल्यह्रास (b) Depreciation on Leased assets	0.00	904.87	0.00	896.17
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय Directors' fees, allowances and expenses		3.08		1.55
VII. लेखापरीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखापरीक्षकों की फीस और व्यय सहित) Auditors' fees and expenses (including branch auditors' fees and expenses)		47.62		66.37
VIII. विधि प्रभार Law charges		137.59		95.99
IX. पोस्टेज, टेलीग्राम,दूरभाष, आदि। Postage,telegrams,telephones, etc.		335.33		334.58

(रू. करोड़ में) (Rs. in Crore)

विवरण **Particulars**	**31.03.2023 को समाप्त वर्ष** **Year ended 31.03.2023**	**31.03.2022 को समाप्त वर्ष** **Year ended 31.03.2022**
X. मरम्मत और रखरखाव Repairs and Maintenance	786.72	563.54
XI. बीमा Insurance	1552.84	1523.69
XII. अन्य व्यय Other expenditure	4030.49	3493.36
I से XII का जोड़ **TOTAL of I to XII**	**24335.68**	**20490.77**

अनुसूची 17 – सहायक संस्थाओं में अर्जन/हानि का हिस्सा

SCHEDULE 17 - SHARE OF EARNINGS/LOSS IN ASSOCIATES

(क) भारत में सहायक संस्थाओं में अर्जन का हिस्सा (a) Share of Earnings in Associates in India	244.89	210.51
(ख) भारत के बाहर सहायक संस्थाओं में अर्जन का हिस्सा (b) Share of Earnings in Associates outside India	44.55	21.12
(ए तथा बी) का जोड़ **TOTAL of (a and b)**	**289.44**	**231.63**

अनुसूची 18: समेकित वित्तीय विवरण 31.03.2023

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और लेखों पर टिप्पणियाँ

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. तैयार करने का आधार:

समेकित वित्तीय विवरणियां परम्परागत लागत के आधार पर तैयार की गई हैं तथा समस्त महत्वपूर्ण दृष्टिकोण से भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्तों (जीएएपी) के अनुरूप हैं, जिनमें लागू सांविधिक प्रावधान, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विनियामक मानदण्ड, आरबीआई द्वारा समय समय पर जारी परिपत्र तथा दिशानिर्देश, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, कम्पनी अधिनियम, 2013, लेखांकन मानदण्ड (एएस) तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी ज्ञापन व भारत में बैंकिंग उद्योग में मौजूदा प्रथाएं भी शामिल हैं।

विदेशी इकाइयों के सम्बन्ध में अन्यत्र के विनिर्दिष्ट के अतिरिक्त संबंधित विदेशी राष्ट्रों में लागू सांविधिक प्रावधानों और प्रथाओं का पालन किया गया है।

वित्तीय विवरणियों को उपचय अवधारणा के साथ कार्यशील संस्था के आधार पर तैयार किया गया है तथा लेखांकन नीतियों के अनुसार तथा निरंतर अपनाई गई प्रथाओं के अनुरूप हैं, जब तक अन्यथा उल्लेखित न हो।

अनुमानों का उपयोग

समेकित वित्तीय विवरणियां तैयार करने के लिए प्रबंधन को वित्तीय विवरणियों की तिथि तक रिपोर्ट की गई आस्तियों एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) तथा रिपोर्ट अवधि के लिए रिपोर्ट किए गए आय और व्यय में लिए गए अनुमान तथा धारणाएं बनाने की आवश्यकता पड़ती है। प्रबंधन को विश्वास है कि वित्तीय विवरणियां तैयार करने में उपयोग किए गए अनुमान विवेकसम्मत और तर्कसंगत हैं।

भविष्य के परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं।

वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच के अंतर को उस अवधि में स्वीकार किया गया है जिसमें परिणाम ज्ञात/कार्यान्वित हुए हैं।

लेखांकन अनुमानों में किसी भी संशोधन को वर्तमान और भविष्य की अवधियों में संभावित रूप से मान्यता दी जाती है जब तक कि अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो।

2. समेकन प्रक्रिया

सहायक संस्थाएं

i) पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड

SCHEDULE 18: CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31.03.2023

SIGNIFICANT ACCOUNT POLICIES AND NOTES TO ACCOUNTS

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. **BASIS OF PREPARATION:**

The consolidated financial statements have been prepared on historical cost basis and conform, in all material aspects, to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, unless otherwise stated, encompassing applicable statutory provisions, regulatory norms prescribed by Reserve Bank of India (RBI), circulars and guidelines issued by RBI from time to time, Banking Regulation Act 1949, Companies Act, 2013, Accounting Standards (AS) and pronouncements issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and prevailing practices in Banking industry in India.

In respect of foreign entities, statutory provisions and practices prevailing in respective foreign countries are complied with except as specified elsewhere.

The financial statements have been prepared on going concern basis with accrual concept and in accordance with the accounting policies and practices consistently followed unless otherwise stated.

USE OF ESTIMATES

The preparation of consolidated financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amounts of assets and liabilities (including contingent liabilities) as on date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable.

Future results could differ from these estimates.

Difference between the actual results and estimates is recognized in the period in which the results are known / materialized.

Any revision to the accounting estimates is recognized prospectively in the current and future periods unless otherwise stated.

2. **CONSOLIDATION PROCEDURES:**

Subsidiaries

i) PNB Gilts Ltd.

ii) पीएनबी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज लिमिटेड
iii) पीएनबी कार्ड्स एंड सर्विसेज लि.
iv) पंजाब नेशनल बैंक (इंटरनेशनल) लिमिटेड, यू.के.
v) ड्रुक पीएनबी बैंक लिमिटेड, भूटान

सहयोगी कंपनियां:

i) पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि*
ii) पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लि.
iii) जेएससी (टेंगरी बैंक) अल्माटी,कजाकिस्तान**
iv) केनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
v) इंडिया एसएमई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
vi) एवरेस्ट बैंक लिमिटेड, काठमांडू, नेपाल
vii) दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, पटना
viii) हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, मण्डी
ix) पंजाब ग्रामीण बैंक, कपूरथला
x) सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, रोहतक
xi) प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक, मुरादाबाद
xii) असम ग्रामीण विकास बैंक, गुवाहाटी
xiii) बंगिया ग्रामीण विकास बैंक, पश्चिम बंगाल
xiv) मणिपुर ग्रामीण बैंक, इंफाल
xv) त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, अगरतला

*पीएनबी ने ब्रांड इक्विटी के रूप में रु. 700.48/– के प्रतिफल पर पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में 30% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है।

**एएफआर ने जेएससी टेंगरी बैंक का लाइसेंस 18.09.2020 को रद्द कर दिया तथा यह परिसमापन की प्रक्रिया में है।

2.1 समूह की समेकित वित्तीय विवरणियां (ऊपर दिए गए विवरण के अनुसार 6 अनुषंगियां और 15 सहायक कंपनियां सम्मिलित हैं) निम्नलिखित आधार पर तैयार की गई हैं:

i. पंजाब नेशनल बैंक (मूल/बैंक) की लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणियां

ii. लेखा मानक 21 के अनुसार, मूल बैंक की सम्बन्धित मदों के साथ अनुषंगियों की मदों अर्थात आस्तियों, देयताओं, आय तथा व्ययों को परस्पर पंक्ति दर पंक्ति एकत्रित करते हुए तथा महत्वपूर्ण अन्तः शेषों समूह/लेनदेनों को हटाकर, उनके प्रबंधन द्वारा विधिवत लेखापरीक्षित प्राप्त आँकड़ों के आधार पर अप्राप्त लाभ/हानि को हटाने के पश्चात् तथा जहां कहीं जरूरी था वहां समान लेखांकन नीतियों के अनुरूप आवश्यक समायोजन करने के पश्चात् तैयार किए गए हैं। अनुषंगी कम्पनियों के वित्तीय विवरण मूल बैंक की रिपोर्टिंग तिथि अर्थात 31 मार्च, 2023 को ही तैयार किए गए हैं।

iii. विदेशी अनुषंगियों का विदेशी मुद्रा अंतरण निम्न आधार पर किया गया है:

(i) आय व व्यय – अवधि के दौरान प्रचलित भारित औसत दरों पर

(ii) आस्तियां व देयताएं – रिपोर्टिंग तिथि को लागू दरों पर विदेशी मुद्रा अंतरण के परिणामस्वरूप आय अंतर को चाहे वह लाभ अथवा हानि हो, आरक्षितियों और अधिशेष विदेशी मुद्रा अंतरण रिजर्व – के अधीन सम्मिलित किया गया है।

ii) PNB Investment Services Ltd.
iii) PNB Cards and Services Ltd.
iv) Punjab National Bank (International) Ltd., UK.
v) Druk PNB Bank Ltd. Bhutan.

Associates:

i) PNB Metlife India Insurance Company Ltd*
ii) PNB Housing Finance Limited
iii) JSC (Tengri Bank), Almaty, Kazakhstan**
iv) Canara HSBC Life Insurance Co. Ltd.
v) India SME Asset Reconstruction Co. Ltd.
vi) Everest Bank Limited, Kathmandu, Nepal
vii) Dakshin Bihar Gramin Bank, Patna
viii) Himachal Pradesh Gramin Bank, Mandi
ix) Punjab Gramin Bank, Kapurthala
x) Sarva Haryana Gramin Bank, Rohtak
xi) Prathama UP Gramin Bank, Moradabad
xii) Assam Gramin Vikas Bank, Guwahati
xiii) Bangiya Gramin Vikas Bank, West Bengal
xiv) Manipur Rural Bank, Imphal
xv) Tripura Gramin Bank, Agartala

*PNB has acquired 30% stake in PNB Metlife at consideration of Rs. 700.48 as brand equity.

**AFR revoked license of JSC Tengri Bank w.e.f. 18.09.2020 and is under Liquidation.

2.1 Consolidated financial statements of the Group (comprising of 5 Subsidiaries and 15 Associates as per detail given above) have been prepared on the basis of:

i. Audited financial statements of Punjab National Bank (Parent/the Bank).

ii. As per AS 21, line by line aggregation of like items of assets, liabilities, income and expenses of subsidiaries with the respective item of the parent after eliminating material intra-group balances/transactions, unrealized profit/losses and making necessary adjustments, wherever required , to conform to uniform accounting policies; based on data received from these subsidiaries, duly audited/ certified by their Management. The financial statements of the subsidiaries are drawn up to the same reporting date as that of the parent i.e. March 31, 2023.

iii. Foreign currency translation of overseas subsidiaries has been done as under:

(i). Income and Expenditure - at weighted average rates prevailing during the period.

(ii). Assets and Liabilities - at rates applicable at reporting date.

The resultant foreign currency translation difference, whether gain or loss, has been included under Reserves and Surplus - Foreign Currency Translation Reserve.

iv. जहां मताधिकार शक्ति में समूह का 20% और इससे अधिक अंश है, वहां सहायक संस्थाओं में निवेशों का लेखांकन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा–मानक – 23 के अनुसार इक्विटी पद्धति द्वारा किया गया है।

2.2 अनुषंगियों में इसके निवेश के समूह की लागत तथा समूह के अनुषंगियों की इक्विटी के भाग के बीच के अंतर को साख/पूंजी आरक्षित निधि माना गया है।

2.3 समेकित अनुषंगियों की निवल आस्तियों में अल्पांश हित में निम्नलिखित शामिल हैं:

ए) अनुषंगी में जिस तिथि को निवेश किया गया है उस तिथि को अल्पांश हित को देय इक्विटी की राशि; तथा

बी) मूल बैंक तथा अनुषंगी के मध्य संबंध निर्मित होने की तिथि से इक्विटी शेयर के परिचालनों में अल्पसंख्या के शेयर।

मूल बैंक द्वारा अपनाई गई महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां:

3. राजस्व मान्यता:

3.1 आय और व्यय (पैरा 3.5 में संदर्भित मदों से भिन्न) को सामान्यतः उपचय आधार पर लेखांकित किया जाता है।

3.2 अग्रिमों और निवेशों को मिलाकर गैर अनर्जक आस्तियों (एनपीए) की आय की पहचान भारतीय रिज़र्व बैंक/विदेशी कार्यालयों के मामले में संबंधित देशों (जिसे इसके पश्चात समेकित रूप से विनियामक प्राधिकारी कहा गया है) द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार वसूली के पश्चात की गई है।

3.3 प्राथमिकता के क्रम में वसूली के विनियोजन का तरीका निम्नानुसार होगा:

(ए) नीचे उल्लिखित मदों (बी) और (सी) के तहत कवर किए गए मामलों को छोड़कर एनपीए खातों की वसूलियां (वसूली कार्रवाई के विधि/स्थिति/चरण पर विचार किए बिना) निम्नलिखित प्राथमिकता के क्रम में विनियोजित की जाएगी:–

i. सरफेसी कार्रवाई के अधीन सहित वसूली हेतु किया गया व्यय/फुटकर खर्च (पूर्व में ज्ञापन देयों में रिकॉर्ड किए गए)

ii. अप्राप्त/उपचित ब्याज

iii. प्रमुख अनियमितताएं अर्थात् खाते में बकाया एनपीए

उपरोक्त में किसी प्रकार की विसंगतियों पर एचओसीएसी – III (एचओसीएसी –III तक की विभिन्न समितियों की शक्तियों के अंतर्गत आने वाले प्रस्तावों के लिए) और प्रबंधन समिति द्वारा अपनी निहित शक्तियों के तहत प्रस्तावों के लिए विचार किया जा सकता है।

(बी) हालांकि, एनसीएलटी के माध्यम से किए जाने वाले समझौते और समाधान/निपटान के मामले में, वसूली संबंधित समझौता/

iv. Investments in associates, where the group holds 20% or more of the voting power, have been accounted for using the equity method in terms of Accounting Standard – 23 issued by The Institute of Chartered Accountants of India.

2.2 The difference between cost to the Group of its investment in the subsidiaries and the group's portion of the equity of the subsidiaries is recognized as Goodwill/Capital Reserve.

2.3 Minority interest in the net assets of consolidated subsidiaries consists of:

a) The amount of equity attributable to the minority at the date on which investments in a subsidiary is made; and

b) The minority share of movements in equity since date of parent-subsidiary relationship came into existence.

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES FOLLOWED BY THE PARENT:

3. REVENUE RECOGNITION:

3.1 Income & expenditure (other than items referred to in paragraph 3.5) are generally accounted for on accrual basis.

3.2 Income from Non-Performing Assets (NPAs), comprising of advances and investments, is recognized upon realization, as per the prudential norms prescribed by the RBI/ respective country regulators in the case of foreign offices (here after collectively referred to as Regulatory Authorities).

3.3 Mode of appropriation of recovery in order of priority will be as below:

(a) Recoveries in NPA accounts (irrespective of the mode / status / stage of recovery actions) are appropriated in the following order of priority except for the cases covered under below mentioned points (b) & (c):

i. Expenditure/Out of Pocket Expenses incurred for Recovery, including under SARFAESI Action (Recorded in Memorandum Dues);

ii. Unrealized/accrued interest.

iii. Principal irregularities i.e. NPA outstanding in the account.

Any exceptions to the above may be considered by HOCAC-III (for proposals falling under the powers of various committees up to HOCAC-III) & Management Committee for proposals under its vested powers.

b) However, in case of Compromise and Resolution/ Settlement through NCLT, recovery is appropriated as per the terms of respective compromise/resolution settlement.

समाधान निपटान की शर्तों के अनुसार विनियोजित की जाएगी।

(सी) वाद दायर/डिक्री वाले खातों के मामले में, वसूली निम्नानुसार विनियोजित की जाएगी–

- संबंधित न्यायालय के निर्देशानुसार।
- न्यायालय से विशिष्ट निर्देशों के अभाव में, जैसा कि ऊपर बिंदु (ए) में उल्लेख किया गया है।

3.4 एनपीए की बिक्री, को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों तथा पैरा 5.3 के अंतर्गत खुलासे के अनुसार लेखांकित किया गया है।

3.5 कमीशन, (सरकारी कारोबार, बीमा कारोबार और म्युचुअल फंड कारोबार, साख पत्र और बैंक गारंटी को छोड़कर), विनिमय, लॉकर किराए, "व्यापार" के रूप में नामित रुपया व्युत्पन्नी पर आय वसूली और बीमा दावों को निपटान पर लेखांकित किया जाता है। अतिदेय देशी बिलों पर ब्याज की वसूली होने पर हिसाब लिया जाता है और अतिदेय विदेशी बिल पर ब्याज को इसका क्रिस्टलीकरण होने तक क्रिस्टलीकरण पर तथा उसके बाद वसूली होने पर ब्याज में लिया जाता है।

3.6 वाद दाखिल खातों के मामले में संबंधित कानूनी और अन्य खर्चे लाभ – हानि खाते में प्रभारित किए जाते हैं और इनकी वसूली होने पर उनकी गणना तदनुसार की जाती है।

3.7 आयकर के रिफंड पर ब्याज से होने वाली आय को संबंधित प्राधिकारियों द्वारा पारित आदेश के वर्ष में लेखांकित किया जाता है।

3.9 परिचालनगत पट्टे पर ली गई आस्तियों के लिए वृद्धि लागत सहित पट्टे का भुगतान पट्टे अवधि के ऊपर आईसीएआई द्वारा जारी एएस 19 (लीज़ेस) के अनुसार लाभ–हानि लेखे में लिया जाता है।

3.9 क्रेडिट कार्डों पर रिवार्ड प्वाइंट के लिए प्रावधान प्रत्येक श्रेणी में संचित बकाया प्वाइंटों पर आधारित है।

3.10 मियादी जमा (टीडी) परिपक्व हो जाती है और उसका भुगतान नहीं किया जाता है, बैंक के पास दावा न की गई राशि पर बचत खाते पर लागू ब्याज दर या परिपक्व टीडी पर ब्याज की अनुबंधित दर, जो भी कम हो, पर लागू होगा।

3.11 लाभांश (अंतरिम लाभांश को छोड़कर) की गणना लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित होने पर लाभांश की गणना की जाती है।

4. निवेश:

4.1 प्रतिभूतियों में लेनदेन "निपटान तिथि" को दर्ज किया जाता है।

4.2 निवेशों को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के फार्म ए में यथानिर्दिष्ट छह श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।

4.3 नीचे दिए गए भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप

(c) In case of suit filed/decreed accounts, recovery is appropriated as under:

- As per the directives of the concerned Court.
- In the absence of specific directives from the Court, as mentioned at point (a) above.

3.4 The sale of NPA is accounted as per guidelines prescribed by RBI and as disclosed under Para 5.3.

3.5 Commission (excluding on Government Business, Insurance Business, Mutual Fund Business, Letter of Credit and Bank Guarantee), exchange, locker rent and Income on Rupee Derivatives designated as 'Trading' are accounted for on realization and insurance claims are accounted for on settlement . Interest on overdue inland bills is accounted for on realization and interest on overdue foreign bill, till its crystallization is accounted for on crystallization and thereafter on realization.

3.6 In case of suit filed accounts, related legal and other expenses incurred are charged to Profit & Loss Account and on recovery, the same are accounted for as such.

3.7 Income from interest on refund of income tax is accounted for in the year the order is passed by the concerned authority.

3.8 Lease payments including cost escalation for assets taken on operating lease are recognized in the Profit and Loss Account over the lease term in accordance with the AS 19 (Leases) issued by ICAI.

3.9 Provision for Reward Points on Credit cards is made based on the accumulated outstanding points in each category.

3.10 Term Deposit (TD) matures and proceeds are unpaid, the amount left unclaimed with the bank attracts rate of interest as applicable to savings account or the contracted rate of interest on the matured TD, whichever is lower.

3.11 Dividend (excluding Interim Dividend) is accounted for as and when the right to receive the dividend is established.

4. INVESTMENTS:

4.1 The transactions in Securities are recorded on 'Settlement Date'.

4.2 Investments are classified into six categories as stipulated in Form A of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

4.3 Investments have been categorized into 'Held to Maturity', 'Available for Sale' and 'Held for Trading' in terms of RBI guidelines as under:

निवेशों को "परिपक्वता तक धारित", "बिक्री हेतु उपलब्ध" तथा "ट्रेडिंग हेतु धारित" श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।

ए) बैंक द्वारा परिपक्वता तक रखे जाने की मंशा से अर्जित प्रतिभूतियों को "परिपक्वता तक धारित" के श्रेणी में रखा गया है।

बी) बैंक द्वारा अल्पावधि मूल्य/ब्याज दर उतार–चढ़ाव का लाभ उठाते हुए व्यापार हेतु रखे जाने की मंशा से अर्जित प्रतिभूतियों को "व्यापार हेतु धारित" निवेशों में वर्गीकृत किया गया है।

सी) जो प्रतिभूतियां उपर्युक्त दोनों श्रेणियों में नहीं आती हैं उन्हें "बिक्री हेतु उपलब्ध" श्रेणी के अधीन वर्गीकृत किया गया है।

4.4 अनुषंगियों, संयुक्त उपक्रमों और सहयोगी संस्थाओं में निवेश को एचटीएम के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

4.5 प्रतिभूतियों का अंतरण एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में अंतरण की तिथि को अधिग्रहण लागत/बही मूल्य/बाजार मूल्य में से निम्न मूल्य पर किया जाता है। यदि ऐसे अंतरण पर कोई मूल्यह्रास हो तो उसके लिए पूरा प्रावधान किया गया है।

हालांकि प्रतिभूतियों का एचटीएम श्रेणी से एएफएस श्रेणी में अंतरण बही मूल्य पर किया जाता है। अंतरण के पश्चात ये प्रतिभूतियां तुरंत पुनर्मूल्यांकित की जाती है और परिणामस्वरूप मूल्यह्रास, यदि कोई है, प्रदान किया जाता है।

निवेश को उसकी खरीददारी के समय ही एचटीएम, एचएफटी या एएफएस के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और विभिन्न श्रेणियों के बीच तत्संबंधी शिफ्टिंग विनियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप की जाती है।

4.6 किसी निवेश की अधिग्रहण लागत निर्धारित करने में:

(ए) प्रतिभूतियों के अधिग्रहण के सम्बन्ध में संदत्त दलाली, कमीशन, प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) इत्यादि प्रारम्भिक राजस्व व्ययों के रूप में माना गया है और इसे लागत से बाहर रखा गया है।

(बी) प्रतिभूतियों के अधिग्रहण/बिक्री की तारीख तक अर्जित ब्याज अर्थात् खंडित अवधि के लिए ब्याज अधिग्रहण लागत/बिक्री के प्रतिफल से बाहर रखा गया है और इसकी गणना उपचित ब्याज में की गई है न कि देय खाते में।

(सी) निवेशों की सभी श्रेणियों के लिए लागत का निर्धारण भारित औसत लागत पद्धति के आधार पर किया गया है।

4.7 निवेश का मूल्यन भारतीय रिजर्व बैंक/एफआईएमएमडीए के दिशानिर्देशानुसार, निम्नलिखित आधार पर किया जाता है

परिपक्वता तक धारित

(a) Securities acquired by the Bank with an intention to hold till maturity are classified under 'Held to Maturity'.

(b) The securities acquired by the Bank with an intention to trade by taking advantages of short-term price/ interest rate movements are classified under 'Held for Trading'.

c) The securities, which do not fall within the above two categories, are classified under 'Available for Sale'.

4.4 Investments in subsidiaries, joint ventures and associates are classified as HTM.

4.5 Transfer of securities from one category to another is carried out at the lower of acquisition cost/ book value/ market value on the date of transfer. The depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.

However, transfer of securities from HTM category to AFS category is carried out on book value. After transfer, these securities are immediately revalued and resultant depreciation, if any, is provided.

An investment is classified as HTM, HFT or AFS at the time of its purchase and subsequent shifting amongst categories is done in conformity with regulatory guidelines.

4.6 In determining acquisition cost of an investment:

(a) Brokerage, commission, Securities Transaction Tax (STT), etc. paid in connection with acquisition of securities are treated as revenue expenses upfront and excluded from cost.

(b) Interest accrued up to the date of acquisition/sale of securities i.e. broken-period interest is excluded from the acquisition cost/sale consideration and the same is accounted as interest accrued but not due.

(c) Cost is determined on the weighted average cost method for all categories of investments.

4.7 Investments are valued as per RBI/ FIMMDA guidelines, on the following basis:

i) "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी के अधीन निवेशों को अर्जन लागत पर लिया गया है।

जहाँ कहीं अंकित मूल्य/प्रतिदान मूल्य से बही मूल्य अधिक हो तो प्रीमियम को परिपक्वता की शेष अवधि के लिए सीधी रेखा आधार पर परिशोधित किया जाता है। ऐसे प्रीमियम परिशोधन को निवेशों पर आय शीर्ष के अंतर्गत अर्जित ब्याज में कटौती के रूप में प्रदर्शित किया जाता है।

ii) अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों/सहयोगियों में निवेश का मूल्यांकन अस्थायी निवेश से भिन्न प्रत्येक व्यक्तिगत निवेशों की प्रकृति में किये गये निवेश का मूल्यांकन रखाव लागत में से ह्रास को हटाकर किया गया है।

iii) प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेशों का मूल्य रखाव लागत पर किया गया है।

iv) उद्यम पूंजी में निवेशों का मूल्य रखाव लागत पर किया गया है।

v) एचटीएम श्रेणी में रखे गए इक्विटी शेयरों का मूल्य रखाव लागत पर किया गया है।

बिक्री हेतु उपलब्ध और व्यापार हेतु धारित:

(ए)	सरकारी प्रतिभूतियां i. केंद्रीय सरकार प्रतिभूतियां ii. राज्य सरकार प्रतिभूतियां	फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एण्ड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफआईएमएमडीए)/फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्रा. लि. (एफबीआईएल) द्वारा यथा प्रकाशित बाजार मूल्यों/परिपक्वता पर आय
(बी)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बांड (अग्रिमों की प्रकृति के नहीं)	एफआईएमएमडीए/भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार उपयुक्त परिपक्वता आय आधार पर
(सी)	ट्रेजरी बिल	रखाव लागत पर
(डी)	इक्विटी शेयर	यदि कोट किया गया हो तो बाजार मूल्य पर अन्यथा नवीनतम तुलन-पत्र (जिस तारीख को नवीनतम बैलेंस शीट तैयार की जाती है, वह मूल्यांकन की तारीख से 18 महीने से अधिक पहले नहीं होगी) के अनुसार शेयरों के ब्रेक-अप मूल्य पर, अन्यथा प्रति कंपनी रु.1/- पर
(ई)	अधिमानी शेयर	यदि कोट किया गया हो तो बाजार मूल्य पर अन्यथा भारतीय रिज़र्व बैंक/एफआईएमएमडीए दिशानिर्देशों के अनुसार उपयुक्त परिपक्वता पर किंतु प्रतिदान मूल्य से अधिक नहीं
(एफ)	बांड और डिबेंचर (अग्रिमों की प्रकृति के नहीं)	यदि कोट किया गया हो तो बाजार मूल्य पर अन्यथा भारतीय रिज़र्व बैंक/एफआईएमएमडीए दिशानिर्देशों के अनुसार उपयुक्त परिपक्वता आय पर
(जी)	म्यूचुअल फंडों के यूनिट	यदि कोट किया गया हो तो स्टॉक एक्सचेंज के भाव के अनुसार और यदि कोट न किया गया हो तो पुनर्खरीद मूल्य/एनएवी पर
(एच)	वाणिज्यिक पेपर	रखाव लागत पर
(आई)	जमा प्रमाणपत्र	रखाव लागत पर

Held to Maturity

(i) Investments under 'Held to Maturity' category are carried at acquisition cost.

Wherever the book value is higher than the face value/ redemption value, the premium is amortized over the remaining period to maturity on straight line basis. Such amortization of premium is reflected in Interest Earned under the head 'Income on investments' as a deduction.

(ii) Investments in subsidiaries/joint ventures/associates are valued at carrying cost less diminution, other than temporary in nature for each investment individually.

(iii) Investments in sponsored regional rural banks are valued at carrying cost.

(iv) Investment in Venture Capital is valued at carrying cost.

(v) Equity shares held in HTM category are valued at carrying cost.

Available for Sale and Held for Trading:

(a)	Govt. Securities I. Central Govt. Securities II. State Govt. Securities	At market prices/YTM as published by Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA) / Financial Benchmark India Pvt. Ltd (FBIL). On appropriate yield to maturity basis as per FIMMDA/RBI guidelines.
(b)	Securities guaranteed by Central / State Government, PSU Bonds (not in the nature of advances)	On appropriate yield to maturity basis as per FIMMDA/RBI guidelines.
(c)	Treasury Bills	At carrying cost
(d)	Equity shares	At market price, if quoted, otherwise at breakup value of the Shares as per latest Balance Sheet. (The date as on which the latest balance sheet is drawn up shall not precede the date of valuation by more than 18 months), otherwise at Re.1 per company.
(e)	Preference shares	At market price, if quoted or on appropriate yield to maturity basis not exceeding redemption value as per RBI/FIMMDA guidelines.
(f)	Bonds and debentures (not in the nature of advances)	At market price, if quoted, or on appropriate yield to maturity basis as per RBI/FIMMDA guidelines.
(g)	Units of mutual funds	As per stock exchange quotation, if quoted; at repurchase price/NAV, if unquoted
(h)	Commercial Paper	At carrying cost
(i)	Certificate of Deposits	At carrying cost

(जे)	एआरसीआईएल की प्रतिभूति रसीदें	एआरसी (परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों) द्वारा जारी एसआर (प्रतिभूति रसीद) / अन्य प्रतिभूतियों में निवेशकों द्वारा निवेश का समय-समय पर ऐसे उपकरणों के लिए प्राप्त रिकवरी रेटिंग के आधार पर एआरसी द्वारा घोषित शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) को ध्यान करके मूल्यांकित किया जाएगा। एनएवी के आधार पर प्राप्त एसआर के मोचन मूल्य और हस्तांतरित दबावग्रस्त ऋणों के निवल बही मूल्य (एनबीवी) के कम होने पर बैंक अपनी बही में निवेश को निरंतर आधार पर तब तक ले जाएगा जब तक कि इसका हस्तांतरण या इसकी प्राप्ति नहीं हो जाती। i) ऐसे उपकरणों के लिए प्राप्त वसूली रेटिंग के आधार पर एआरसी द्वारा घोषित निवल आस्ति मूल्य (एनएवी), और ii) यदि बैंक की बही में ऋण जारी रहे, तो एसआर का अंकित मूल्य लागू अनुमानित प्रावधान दर से घटा दिया गया था।
के	उद्यम पूंजी निधियां	वीसीएफ द्वारा घोषित निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) पर
एल	अन्य निवेश	मूल्य ह्रास को घटाकर वहन लागत पर

बिक्री हेतु उपलब्ध तथा व्यापार हेतु धारित श्रेणी में उपर्युक्त मूल्यांकन प्रत्येक स्क्रिप के लिए अलग-अलग तिमाही आधार पर किया जाता है तथा प्रत्येक वर्गीकरण के लिए मूल्यह्रास/वृद्धि की जाती है। यदि निवल मूल्यह्रास है तो प्रत्येक वर्गीकरण के लिए प्रावधान किया जाता है जबकि निवल वृद्धि नहीं दर्शायी जाती। मूल्यह्रास के लिए प्रावधान पर व्यक्तिगत प्रतिभूति का बही मूल्य बाजार हेतु चिह्नित करने के पश्चात अपरिवर्तित रहता है।

प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेश को श्रेणी (HTM और AFS) पर ध्यान दिए बिना वहन लागत पर मूल्यांकित किया जाएगा।

4.8 भारतीय रिजर्व बैंक के एनपीआई वर्गीकरण के विवेकी मानदंडों के अनुरूप निवेश उपयुक्त प्रावधानीकरण/आय अमान्यीकरण के अधीन हैं। अनर्जक प्रतिभूतियों के संबंध में मूल्यह्रास/प्रावधान अन्य अर्जक प्रतिभूतियों के संबंध में वृद्धि के समक्ष समंजन (सेट ऑफ) नहीं किया गया है।

यदि किसी इकाई द्वारा प्राप्त की गई ऋण सुविधा बैंक की बही में एनपीए है तो उसी ईकाई द्वारा जारी प्रतिभूतियों में कोई भी निवेश एनपीआई के रूप में और इसके विलोमतः माना जाएगा। तथापि एनपीआई अधिमानी शेयरों के संबंध में जहां लाभांश का भुगतान नहीं किया जाता वहां तदनुरूपी क्रेडिट सुविधा को एनपीए नहीं माना जाएगा ।

प्रतिभूतियों अर्थात बांड, डिबेंचर आदि के मामले में, जहां उधारकर्ताओं द्वारा ऋण सुविधाओं का लाभ उठाया गया है प्रावधान वाईटीएम या आईआरएसी मानदंड, जो भी अधिक हो, के आधार पर किया गया है।

(j)	Security receipts	Investments by lenders in SRs (Security Receipts) / other securities issued by ARCs (Asset Reconstruction Companies) shall be valued periodically by reckoning the Net Asset Value (NAV) declared by the ARC based on the recovery ratings received for such instruments. The Bank shall carry the investment in its books, on an ongoing basis until its transfer or its realization, at lower of redemption value of SRs arrived based on NAV and the Net Book Value (NBV) of the transferred stressed loan at the time of transfer. If the investment by the transferor (Bank) in SRs issued against loans transferred by it is more than 10 percent of all SRs issued against the transferred asset, then the valuation of the SRs on the books of the transferor shall be the lower of the following: i) Net Asset Value (NAV), declared by the ARC based on the recovery ratings received for such instruments; and ii) Face value of the SRs reduced by the notional provisioning rate applicable if the loans had continued on the books of the bank.
(k)	Venture Capital Funds	At net asset value (NAV) declared by the VCF
(l)	Other Investments	At carrying cost less diminution in value

The above valuation in category of Available for Sale and Held for Trading is done scrip wise on quarterly basis and depreciation/appreciation is aggregated for each classification. Net depreciation for each classification, if any, is provided for while net appreciation is ignored. On provision for depreciation, the book value of the individual security remains unchanged after marking to market.

Investments in sponsored regional rural banks shall be valued at carrying cost irrespective of Category (HTM & AFS).

4.8 Investments are subject to appropriate provisioning/ de-recognition of income, in line with the prudential norms of Reserve Bank of India for NPI classification. The depreciation/provision in respect of non-performing securities is not set off against the appreciation in respect of the other performing securities.

If any credit facility availed by an entity is NPA in the books of the Bank, investment in any of the securities issued by the same entity would also be treated as NPI and vice versa. However, in respect of NPI preference share where the dividend is not paid, the corresponding credit facility is not treated as NPA.

In case of securities i.e. bonds, debentures, etc. where the credit facilities are availed by the borrowers, the provision has been made on the basis of YTM or IRAC norms whichever is higher.

4.9 किसी भी श्रेणी में निवेशों की बिक्री से हुए लाभ/हानि को लाभ व हानि खाते में ले जाया जाता है किंतु परिपक्वता तक रखे गये श्रेणी के निवेशों की बिक्री से हुए लाभ के मामले में उसके बराबर की राशि (टैक्स घटाकर तथा सांविधिक रिजर्व को अंतरित की जाने वाली राशि) "पूंजी प्रारक्षित निधि" खाते में विनियोजित की जाती है।

एएफएस और एचएफटी श्रेणी में निवेश के मोचन पर लाभ या हानि अर्जित ब्याज आय से अतिरिक्त/कटौती के रूप में निवेश पर अर्जित ब्याज आय में परिलक्षित होता है।

4.10 वापस खरीद व्यवस्था के अन्तर्गत पुनःखरीदी/पुनः बेची गयी प्रतिभूतियों को उनकी मूल लागत पर हिसाब में लिया जाता है।

4.11 रिपो/रिवर्स रिपो के अंतर्गत बेची व खरीदी गई प्रतिभूतियों को संपार्श्विक उधार व उधारी लेन–देनो के तौर पर लिया जाता है। हालांकि सामान्य सीधी बिक्री/खरीद लेन–देन के मामले में प्रतिभूतियों को अंतरित किया जाता है तथा प्रतिभूतियों का ऐसा संचालन रिपो/रिवर्स रिपो खातों का प्रयोग करके और प्रति प्रविष्टियों में प्रदर्शित होता है। उपरोक्त प्रविष्टियाँ परिपक्वता की तारीख को उलट दी जाती हैं। लागत और राजस्व को ब्याज व्यय/आय, जैसा भी मामला हो, के रूप में हिसाब में लिया जाता है। रेपो खाते में शेष राशि को अनुसूची 4 (उधार) के तहत वर्गीकृत किया गया है।

4.12 व्युत्पन्न (डेरिवेटिव्स) लेन–देन अथवा व्यापार अथवा प्रतिरक्षा के प्रयोजन से किये गये हैं। व्यापारिक लेन–देन बाजार मूल्य पर है। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार अदलाबदली की विभिन्न श्रेणियों का निम्नवत मूल्यन किया गया है।

हैज स्वैप

ब्याज दर अदला–बदली जो ब्याज वाहक आस्ति अथवा देयता की प्रतिरक्षा करती है, को उपचय आधार पर लेखांकित किया जाता है, किसी आस्ति अथवा देयता के साथ अभिहित अदलाबदली को छोड़कर जो वित्तीय विवरणी में बाजार मूल्य अथवा कम कीमत पर लिया जाता है।

अदला बदली की समाप्ति पर लाभ व हानियों को अदलाबदली के कमीतर बकाया संविदागत जीवन अथवा आस्ति/देयता की शेष अवधि पर माना जाता है।

ट्रेडिंग स्वैप

व्यापारिक अदला–बदली का लेन देन वित्तीय विवरणियों में रिकार्ड किए गए परिवर्तनों सहित बाजार मूल्य पर चिह्नित किया जाता है।

व्यापारिक उद्देश्यों के लिए प्रविष्ट किए गए विनिमय व्यापारिक व्युत्पन्नी, विनिमय द्वारा दी गई दरों के आधार पर प्रचलित ब्याज दर पर मूल्यांकित किया जाता है और प्राप्त लाभों एवं हानियों को लाभ व हानि खाते में लिया जाता है।

4.9 Profit or loss on sale of investments in any category is taken to Profit and Loss account but, in case of profit on sale of investments in 'Held to Maturity' category, an equivalent amount (net of taxes and amount transferred to Statutory Reserve) is appropriated to 'Capital Reserve Account', at year end.

Profit or loss on redemption of investments in AFS & HFT category is reflected in interest earned income on investments, as an addition/deduction from interest income eaned.

4.10 Securities repurchased/resold under buy back arrangement are accounted for at original cost.

4.11 The securities sold and purchased under Repo/Reverse Repo are accounted as Collateralized lending and borrowing transactions. However, securities are transferred as in the case of normal outright sale/purchase transactions and such movement of securities is reflected using the Repo/Reverse Repo Accounts and Contra entries. The above entries are reversed on the date of maturity. Costs and revenues are accounted as interest expenditure/income, as the case may be. Balance in Repo Account is classified under schedule 4 (Borrowings).

4.12 The derivatives transactions are undertaken for trading or hedging purposes. Trading transactions are marked to market. As per RBI guidelines, different categories of swaps are valued as under:

Hedge Swaps

Interest rate swaps with hedge interest bearing asset or liability are accounted for on accrual basis except the swaps designated with an asset or liability that are carried at lower of market value or cost in the financial statement.

Gain or losses on the termination of swaps are recognized over the shorter of the remaining contractual life of the swap or the remaining life of the asset/ liabilities.

Trading Swaps

Trading swap transactions are marked to market with changes recorded in the financial statements.

Exchange Traded Derivatives entered into for trading purposes are valued at prevailing market rates based on rates given by the Exchange and the resultant gains and losses are recognized in the Profit and Loss Account.

4.13 विदेशी मुद्रा विकल्प

अन्य बैंक के साथ बैक टू बैक कॉन्ट्रेक्ट के रूप में बैंक द्वारा किया गया विदेशी मुद्रा विकल्प बाजार मूल्य पर नहीं है, क्योंकि इसमें बाजार जोखिम नहीं है।

प्राप्त प्रीमियम को देयता के रूप में रखा गया है और परिपक्वता/निरस्तीकरण पर लाभ व हानि खाते में अंतरित किया गया है।

5. ऋण/अग्रिम और इसके लिए प्रावधान

5.1 अग्रिमों का वर्गीकरण अर्जक और अनर्जक आस्तियों के रूप में किया जाता है और उनके लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार प्रावधान किया जाता है।

(ए) अग्रिमों को उधारकर्तावार मानक, अवमानक, संदेहास्पद एवं हानि आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

(बी) अग्रिम विशिष्ट ऋण हानि प्रावधानों, पुनर्गठित अग्रिमों की उचित मूल्य में कमी के लिए प्रावधान को घटाकर उल्लेखित है।

5.2 विदेशी कार्यालयों के संबंध में ऋणों एवं अग्रिमों का वर्गीकरण और एनपीए के लिए प्रावधान स्थानीय विनियमों या भा.रि.बैंक के मानकों जो भी अधिक हो, के अनुसार किया गया है।

विदेशी शाखाओं में रखे ऋण एवं अग्रिमों जो वसूली के रिकार्ड के अलावा अन्य कारणों के लिए मेजबान देश के विनियमों के अनुसार हानि के रूप में चिह्नित हैं, किंतु जो भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशा–निर्देशों के अनुसार मानक हैं, मेजबान देश में मौजूदा बकाया राशि को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

5.3 बेची गई वित्तीय आस्तियों को निम्नलिखित रूप में माना गया है:

(ए) एससी/आरसी को बेची गई वित्तीय आस्तियों की बिक्री हेतु

(i) यदि एससी/आरसी को बिक्री निवल बही मूल्य (एनबीवी) (अर्थात बही मूल्य में से प्रावधान घटाकर) से नीचे की कीमत पर की गई है तो उस वर्ष कमी को लाभ व हानि खाते के नामे करना चाहिए। बैंक एनपीए की बिक्री पर अर्थात् जब बिक्री निवल बही मूल्य से कम कीमत पर की गई हो तो पाई गई कमी हेतु प्रतिचक्रीय/फ्लोटिंग प्रावधान भी कर सकता है।

(ii) यदि बिक्री निवल बही मूल्य की अपेक्षा उच्च मूल्य पर की गई है तो बैंक इस वर्ष इसके लाभ व हानि खाते में प्राप्त राशि में से एनपीए की बिक्री पर अतिरिक्त प्रावधान वापस ले सकता है। तथापि, बैंक अतिरिक्त प्रावधान (जब बिक्री निवल बही मूल्य की अपेक्षा उच्च मूल्य पर की गई है) एनपीए की बिक्री से तभी निकाल सकता है, केवल जब प्राप्त नकदी (प्रारम्भिक प्रतिफल और/अथवा एसआर/पीटीसी की छूट के माध्यम से) आस्तियों की एनबीवी से अधिक हो। आगे अतिरिक्त प्रावधान का रिवर्सल आस्ति के एनबीवी पर प्राप्त अतिरिक्त नकदी तक सीमित होगी।

4.13 Foreign Currency Options:

Foreign currency options written by the Bank with a back-to-back contract with another bank are not marked to market since there is no market risk.

Premium received is held as a liability and transferred to the Profit and Loss Account on maturity/cancellation.

5. LOANS / ADVANCES AND PROVISIONS THEREON:

5.1 Advances are classified as performing and non-performing assets; provisions are made in accordance with prudential norms prescribed by RBI.

(a) Advances are classified: Standard, Sub Standard, Doubtful and Loss assets borrower wise.

(b) Advances are stated net of specific loan loss provisions, provision for diminution in fair value of restructured advances.

5.2 In respect of foreign offices, the classification of loans and advances and provisions for NPAs are made as per the local regulations or as per the norms of RBI, whichever is more stringent.

Loans and advances held at the overseas branches that are identified as impaired as per host country regulations for reasons other than record of recovery, but which are standard as per the extant RBI guidelines, are classified as NPAs to the extent of amount outstanding in the host country.

5.3 Financial Assets sold are recognized as under:

(a) For Sale of financial assets sold to SCs/RCs

(i) If the sale to SCs/RCs is at a price below the Net Book Value (NBV), (i.e. Book Value less provisions held), the shortfall is debited to the Profit & Loss account. Bank can also use counter cyclical / floating provisions for meeting the shortfall on sale of NPAs i.e. when the sale is at a price below the NBV.

(ii) If the sale is for a value higher than the NBV, Bank can reverse the excess provision on sale of NPAs to its profit and loss account in the year, the amounts are received. However, Bank can reverse excess provision (when the sale is for a value higher than the NBV) arising out of sale of NPAs, only when the cash received (by way of initial consideration and/ or redemption of SRs/ PTCs) is higher than the NBV of the asset. Further, reversal of excess provision will be limited to the extent to which cash received exceeds the NBV of the asset.

(बी) अन्य बैंक/एनबीएफसी/एफआई इत्यादि को बिक्री की गई वित्तीय आस्तियों की बिक्री हेतु

(b) For Sale of financial assets sold to Other Banks/NBFCs/FIs etc.

i) निवल बही मूल्य (एनबीवी) से कम कीमत पर बिक्री करने के मामले में अर्थात् बही मूल्य से प्रावधान घटा कर कमी को उस वर्ष लाभ व हानि खातों के नामे करना चाहिए।

(i) In case the sale is at a price below the Net Book Value (NBV) i.e. Book Value less provision held, the shortfall should be debited to the Profit & Loss A/c of that year.

ii) यदि बिक्री निवल बही मूल्य (एनबीवी) से अधिक मूल्य पर है अर्थात बही मूल्य से प्रावधान घटाकर अतिरिक्त प्रावधान प्रत्यावर्तित नहीं किया जाएगा किंतु अन्य गैर निष्पादित वित्तीय परिसम्पत्तियों की बिक्री खातों पर होने वाली कमी/हानि पाए जाने पर उसका उपयोग किया जाएगा।

(ii) In case the sale is for a value higher than the Net Book Value (NBV) i.e. Book Value less provision held, the excess provision shall not be reversed but will be utilized to meet the shortfall / loss on account of sale of other Non Performing Financial Assets.

(iii) यदि किसी भी बिक्री लेनदेन में अतिरिक्त प्रावधान अधिक और कुल अधिशेष से ज्यादा है तो अधिशेष राशि को लाभ और हानि खाते में लिया जाएगा।

(iii) In case there is overall surplus over and above the excess provision in any of the sale transaction that surplus amount will be taken in the Profit & loss a/c.

5.4 पुनर्गठित आस्तियां :

5.4 Restructured Assets:

अग्रिमों के पुनरू संरचना/पुनर्निर्धारण के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक के समय–समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधान किया जाता है। पुनर्गठित/पुनर्निर्धारित अग्रिमों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रावधान किए गए हैं। पुनर्रचित अग्रिमों के उचित मूल्य में कमी के लिए प्रावधान को उन खातों के लिए आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य शर्तों पर मापा जाता है जहां बैंक को कुल देय राशि एक करोड़ रुपये और उससे अधिक है। अन्य खातों के लिए, उचित मूल्य में कमी के प्रावधान की गणना आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के कुल जोखिम के 5% पर की जाती है।

For restructured/rescheduled advances, provisions are made in accordance with guidelines issued by RBI from time to time. Provision for diminution in fair value of restructured advances is measured at net present value terms as per RBI guidelines for accounts where total dues to the bank are Rupees One Crore and above. For other accounts, the provision for diminution in fair value is computed notionally at 5% of total exposure to the bank as per RBI guidelines.

5.5 एनपीए पर वर्गीकृत प्रावधानों के अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशा–निर्देशों के अनुसार मानक आस्तियों के लिए किया गया है। ये प्रावधान तुलन–पत्र की अनुसूची 5 में "अन्य देयताएं व प्रावधान – अन्य" शीर्षक के अंतर्गत प्रदर्शित किया जाता है और निवल एनपीए निकालने के लिए इस पर विचार नहीं किया जाता है।

5.5 In addition to the specific provision on NPAs, general provisions are also made for standard assets as per extant RBI Guidelines. These provisions are reflected in Schedule 5 of the Balance Sheet under the head 'Other Liabilities & Provisions – Others' and are not considered for arriving at the Net NPAs.

5.6 भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देशों के अनुसार गैर निष्पादित अग्रिमों के लिए त्वरित प्रावधान किया गया जिसे बैंक द्वारा पूर्व में एसएमए–2 श्रेणी के अंतर्गत सेन्ट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफार्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट (सीआरआईएलसी) को विशेष वर्णित खाते में रिपोर्ट नहीं किया जाता था।

5.6 In accordance with RBI guidelines, accelerated provision is made on non-performing advances which were not earlier reported by the Bank as Special Mention Account under 'SMA-2' category to Central Repository of Information on Large Credits (CRILC).

5.7 पूर्व वर्षों में बट्टे खाते ऋणों के विरुद्ध वसूल की गई राशि और प्रावधानों को उधारकर्ता की वर्तमान स्थिति के परिप्रेक्ष्य में विचार करना आवश्यक नहीं समझा गया है और इसे लाभ–हानि खाते में लिया जाता है।

5.7 Amounts recovered against debts written-off in earlier years and provisions no longer considered necessary in the context of the current status of the borrower are recognized in the profit and loss account.

5.8 किसी देश में एक्सपोज़र के लिए प्रावधान

आस्ति वर्गीकरण स्थिति के अनुसार किए गए विशिष्ट प्रावधानों के अतिरिक्त किसी देश के एक्सपोज़रों (अपने देश के अलावा अन्य) के लिए भी प्रावधान किया गया है। देशों को सात जोखिम श्रेणियों अर्थात मामूली, कम, कम मध्यम, मध्यम, उच्च, बहुत उच्च, प्रतिबंधित ऑफ क्रेडिट में वर्गीकृत किया गया है और प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशा–निर्देशों के अनुसार किया गया है। प्रत्येक देश के मामले में यदि बैंक का देश एक्सपोज़र (निवल) कुल वित्त पोषित आस्तियों की 1% से अधिक नहीं है तो ऐसे देश एक्सपोज़र में कोई प्रावधान नहीं किया जाता है। प्रावधान तुलन पत्र की अनुसूची 5 में "अन्य देयताएं एवं प्रावधान – अन्य" के अंतर्गत प्रदर्शित किया जाता है।

5.9 भारतीय कंपनियों की उप–अनुषंगी संस्थाओं के सभी एक्सपोज़र का प्रतिनिधित्व करने वाली मानक आस्ति बनाने के विरुद्ध 2% का एक अतिरिक्त प्रावधान (सभी ओवरसीज एक्सपोज़रों पर लागू देश जोखिम के अतिरिक्त) ताकि ढांचे की जटिलता होने से उत्पन्न अतिरिक्त जोखिम को कवर किया जा सके, विभिन्न क्षेत्राधिकार में विभिन्न मध्यवर्ती संस्थाओं की अवस्थिति होने से भारतीय कम्पनी और उससे काफी हद तक राजनीतिक और नियामक जोखिम के लिए बैंक एक्सपोज़र हो सकता है। (आरबीआई परि.सं. RBI/2015.16/279 DBR-IBD-BC No-68/23.37.001/2015–16 दिनांक 31.12.2015) के अनुसार)।

6. **संपत्ति, संयंत्र, और उपकरण**

6.1 जिन परिसरों का पुनर्मूल्यन हो चुका है उन्हें छोड़कर संपत्ति, संयंत्र, और उपकरण को उनकी परम्परागत लागत में से संचित मूल्यह्रास / परिशोधन को घटाकर दिखाया जाता है पुनर्मूल्यन पर हुई वृद्धि को पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि में में जमा किया जाता है और पुनर्मूल्यन राशि के कारण वृद्धिशील मूल्यह्रास को उसमें से कम कर दिया जाता है।

6.2 सॉफ्टवेयर को पूंजीकृत कर अमूर्त आस्तियों के साथ जोड़ दिया गया है।

6.3 खरीददारी की लागत सहित सभी खर्चे जैसे साइट तैयारी, संस्थापना लागत, पंजीकरण के समय तक आस्ति पर खर्च की गयी व्यावसायिक फीस लागत में शामिल है। आस्तियों पर खर्च किए गए परिवर्ती खर्चे केवल तभी पूंजीकृत किए जाते हैं जब ऐसी आस्तियों या उनकी कार्यक्षमता से भविष्य के लाभ में वृद्धि होती है।

6.4 **मूल्यह्रास**

ए. आस्तियों (भूमि सहित जहां कीमत अलग न की जा सकती हो) पर मूल्यह्रास के लिये प्रावधान आस्ति की प्राक्कलित आयु पर सीधी रेखा पद्धति के अनुसार किया जाता है। कम्प्यूटरों को छोड़कर जहां इसकी गणना भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दर पर सीधी रेखा पद्धति से की जाती है।

बी. ऐसी आस्तियों पर मूल्यह्रास निम्नलिखित दरों पर प्रदान किया गया है:

5.8 Provision for Country Exposure:

In addition to the specific provisions held according to the asset classification status, provisions are also made for individual country exposures (other than the home country). Countries are categorized into seven risk categories, namely, insignificant, low, moderately low, moderate, moderately high, high and very high, and provisioning made as per extant RBI guidelines. If the country exposure (net) of the Bank in respect of each country does not exceed 1% of the total funded assets, no provision is maintained on such country exposures. The provision is reflected in Schedule 5 of the Balance Sheet under the 'Other Liabilities & Provisions – Others'.

5.9 An additional provision of 2% (in addition to country risk provision that is applicable to all overseas exposures) against standard assets representing all exposures to step down subsidiaries of Indian Corporates has been made to cover the additional risk arising from complexity in the structure, location of different intermediary entities in different jurisdictions exposing the Indian Company, and hence the Bank, to a greater political and regulatory risk. (As per RBI Cir.No. RBI/ 2015.16/279 DBR. IBD.BC No. 68/ 23.37.001/ 2015-16 dated 31.12.2015).

6. **PROPERTY, PLANT & EQUIPMENT:**

6.1 Property, Plant & Equipment are stated at historical cost less accumulated depreciation/amortization, wherever applicable, except those premises, which have been revalued. The appreciation on revaluation is credited to revaluation reserve and incremental depreciation attributable to the revalued amount is deducted there from.

6.2 Software is capitalized and clubbed under Intangible assets.

6.3 Cost includes cost of purchase and all expenditure such as site preparation, installation costs and professional fees incurred on the asset till the time of capitalization. Subsequent expenditure/s incurred on the assets are capitalized only when it increases the future benefits from such assets or their functioning capability.

6.4 Depreciation:

A Depreciation on assets (including land where value is not separable) is provided on straight-line method based on estimated life of the asset, except in respect of computers where it is calculated on the straight-line method, at the rates prescribed by RBI.

B **Depreciation on assets has been provided at the rates furnished below: -**

विवरण	मूल्यह्रास की दर
परिसर	
पूर्ण स्वामित्व वाली (फ्री होल्ड) संपत्ति	
भूमि	**शून्य**
निर्माण लागत पर प्रदान की जाने वाली मूल्यह्रास दर जहाँ भूमि की लागत को अलग किया जाता है और कुल लागत पर जहां भूमि की लागत सुनिश्चित नहीं की जा सकती और उसे अलग नहीं किया जा सकता है।	2.5% (40 वर्ष सीधी रेखा विधि या शेष आयु जो भी कम हो)
स्थायी पट्टे पर ली गई भूमि जहां पट्टे की अवधि का उल्लेख नहीं है	शून्य
पट्टे पर ली गई भूमि जहाँ पट्टे की अवधि का उल्लेख है	पट्टे की अवधि पर
भवन	
फ्री होल्ड और पट्टे वाली भूमि पर निर्मित, जहाँ पट्टे की अवधि 40 वर्ष से अधिक है	2.50%
पट्टे वाली भूमि पर निर्मित जहाँ पट्टे की अवधि 40 वर्ष से कम है	
परिसर के अतिरिक्त अचल आस्तियां	
फर्नीचर और फिक्सचर्स – स्टील वस्तुएं	5.00%
फर्नीचर और फिक्सचर्स – लकड़ी की वस्तुएं	10.00%
गद्दे	20.00%
मोबाइल फोन उपकरण	33.33%
मशीनरी, बिजली की और विविध वस्तुएं	15.00%
मोटर–कारें एवं साइकिलें	15.00%
कंप्यूटर, एटीएम और संबंधित वस्तुएं लैपटॉप, आईपैड आदि– सर्वर, नेटवर्क, उपकरण और स्वचालित टेलर मशीनें (कंप्यूटर हार्डवेयर के अभिन्न अंग सॉफ्टवेयर सहित)	33.33%
कार्यालय की रु.25000.00 से कम राशि की अचल संपत्तियाँ (कर्मचारियों को छोड़कर) और/अथवा जिनकी उपयोगिता अवधि अधिग्रहण की तिथि से 12 महीने से कम है, को व्यय के रूप में माना जाना चाहिए। रु. 25000.00 तक के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर/ऑपरेटिंग सिस्टम/डेटा बेस की लागत पर राजस्व प्रभारित किया जाता है।	

सी. बैंक के अपने परिसर के अतिरिक्त आस्तियों के नए एडिशन पर जिन आस्तियों को पूंजीकृत किया जा रहा है मूल्यह्रास की दर उसी दिन से प्रदान की जाती है और वर्ष के दौरान बेची गई/निपटान की गई आस्तियों के मामले में जिस तारीख तक इसे बेचा/निपटान किया जाता है अर्थात दैनिक आधार पर मूल्यह्रास की दर प्रदान की जाती है।

Particulars	Rate of Depreciation
PREMISES	
Freehold Properties	
Land	NIL
Depreciation to be provided on Construction Cost where the land cost is segregated and on total cost where the land cost is not ascertainable and cannot be segregated	2.50% (40 years Straight Line Method or remaining life whichever is lower)
Land acquired on perpetual lease where no lease period is mentioned	NIL
Land acquired on lease where lease period is mentioned	Over lease period
Building	
Constructed on free hold land and on leased land, where lease period is above 40 years	2.50%
Constructed on leased land where lease period is below 40 years	Over lease period
FIXED ASSETS EXCEPT PREMISES	
Furniture and fixtures- Steel articles	5.00%
Furniture and fixtures-wooden articles	10.00%
Mattresses	20.00%
Mobile Phone Instruments	33.33%
Machinery, electrical and miscellaneous articles	15.00%
Motor cars and cycles	15.00%
Computers, ATMs and related items, laptop, i pad etc Servers, Network, Equipment & Automated Teller Machines (Including software forming an integral part of computer hardware)	33.33%
Items of office fixed assets (excepts to staff) amount less than Rs. 25,000/- and / or having useful life of less than 12 months from the date of acquisition are recognized as expense. Cost of Application Software / Operating System / Data base amounting up to Rs. 25,000/- are charged to revenue.	

C. Depreciation on fresh additions to assets other than Bank's own premises is provided from the day in which the assets are capitalized and in the case of assets sold/ disposed off during the year, up to the date in which it is sold/ disposed off i.e. daily basis.

डी. वर्ष के अंत में मौजूद बैंक के अपने स्वामित्व के परिसरों पर मूल्यह्रास पूरे वर्ष के लिये प्रभारित किया गया है । निर्माण लागत को तभी मूल्यह्रास किया जाता है जब भवन सभी प्रकार से पूरा हो जाता है। जहां भूमि और भवन की लागत का अलग से पता नहीं लगाया जा सकता है,वहां मूल्यह्रास दर पर भवन पर लागू समग्र लागत पर प्रदान की जाती है।

ई. पट्टाधारित परिसरों के संबंध में, पट्टा प्रीमियम यदि कोई हो , पट्टे की संपूर्ण अवधि पर परिशोधित है और पट्टा किराया संबंधित वर्षों में प्रभारित किया जाता है।

एफ. पुनर्मूल्यन आस्तियों के मूल्यह्रास की दर पुनर्मूल्यांकन के समय मूल्यांकन की गई आस्तियों के शेष उपयोगी जीवन के आधार पर निश्चित की जाती है।

7. आस्तियों की अपसामान्यता:

संपत्ति की वहन लागत की समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख में की जाती है यदि आंतरिक/बाह्य कारकों के आधार पर हानि का कोई संकेत मिलता है तो किसी संपत्ति की वहन लागत इसकी वसूली योग्य राशि से अधिक होने पर हानि को मान्यता दी जाती है। वसूली योग्य राशि संपत्ति के शुद्ध बिक्री मूल्य और उपयोग में मूल्य से अधिक है। उपयोग में मूल्य का आकलन करने में, अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह को पूर्व–कर छूट दर का उपयोग करके उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है जो धन के समय मूल्य और परिसंपत्ति के लिए विशिष्ट जोखिमों के वर्तमान बाजार आकलन को दर्शाता है।

हानि के बाद, यदि कोई हो, मूल्यह्रास संपत्ति के शेष उपयोगी जीवन पर संशोधित वहन लागत पर प्रदान किया जाता है। परिस्थितियों में परिवर्तन के आधार पर पहले से मान्यता प्राप्त हानि बढ़ जाती है या उलट जाती है। हालांकि, उत्क्रमण के बाद वहन मूल्य को वहन मूल्य से अधिक नहीं बढ़ाया जाता है जो कि सामान्य मूल्यह्रास चार्ज करने से प्रबल होता अगर कोई हानि नहीं होती।

8. एम्प्लॉयमेंट लाभ:

भविष्य निधि:

भविष्य निधि एक सुपरिभाषित अंशदान योजना है क्योंकि बैंक पूर्व निर्धारित दरों पर निश्चित अंशदान का भुगतान करता है । बैंक का दायित्व ऐसे निश्चित अंशदान तक सीमित है । ये अंशदान लाभ व हानि खाते में चार्ज किए जाते हैं।

उपदान:

उपदान देयता एक सुपरिभाषित लाभ दायित्व है और बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर दिया जाता है । यह योजना बैंक द्वारा वित्त पोषित है और एक अलग ट्रस्ट द्वारा चलाई जाती है

पेंशन:

पेंशन देयता एक सुपरिभाषित लाभ दायित्व है और बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर दी जाती है । यह योजना बैंक द्वारा वित्त पोषित है और एक अलग ट्रस्ट द्वारा चलाई जाती है।

बैंक ने उन सभी अधिकारी/कर्मचारी जिन्होंने 01.04.2010 के बाद बैंक ज्वाईन किया है उनके लिए एक नई पेंशन योजना (एनपीएस) का

D. The depreciation on bank's own premises existing at the close of the year is charged for full year. The construction cost is depreciated only when the building is complete in all respects. Where the cost of land and building cannot be separately ascertained, depreciation is provided on the composite cost, at the rate applicable to buildings.

E. In respect of leasehold premises, the lease premium, if any, is amortized over the period of lease and the lease rent is charged in the respective year(s).

F. The Revalued assets is depreciated over the balance useful life of the asset as assessed at the time of revaluation.

7. IMPAIRMENT OF ASSETS:

The carrying costs of assets are reviewed at each Balance Sheet date if there is any indication of impairment based on internal/external factors an impairment loss is recognized wherever the carrying cost of an asset exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the greater of the assets net selling price and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and risks specific to the asset.

After impairment, if any, depreciation is provided on the revised carrying cost of the asset over its remaining useful life. A previously recognized impairment loss is increased or reversed depending on changes in circumstances. However, the carrying value after reversal is not increased beyond the carrying value that would have prevailed by charging usual depreciation if there was no impairment.

8. EMPLOYMENT BENEFITS:

PROVIDENT FUND:

Provident fund is a defined contribution scheme as the Bank pays fixed contribution at pre-determined rates. The obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contribution is charged to Profit & Loss A/c.

GRATUITY:

Gratuity liability is a defined benefit obligation and is provided for on the basis of an actuarial valuation. The scheme is funded by the Bank and is managed by a separate trust.

PENSION:

Pension liability is a defined benefit obligation and is provided for on the basis of an actuarial valuation. The scheme is funded by the Bank and is managed by a separate trust.

The Bank operates a New Pension Scheme (NPS) for all officers/ employees who have joined the Bank on or after 01.04.2010. As per the scheme, the covered employees contribute 10%

परिचालन किया है। इस योजना के अनुसार पात्र कर्मचारी बैंक के मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 14% के योगदान के साथ अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10% इस योजना में योगदान करते है। संबंधित कर्मचारी की पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने तक, इन योगदानों को बरकरार रखा जाता है। बैंक ऐसे वार्षिक योगदान को उस वर्ष के व्यय के रूप में मान्यता देता है जिससे वे संबंधित हैं। स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (पीआरएएन) प्राप्त होने पर, समेकित योगदान राशि को एनपीएस ट्रस्ट में अंतरित कर दिया जाता है।

of their basic pay plus dearness allowance to the scheme together with contribution of 14% of their basic pay plus dearness allowance from the Bank. Pending completion of the registration procedures of the employees concerned, these contributions are retained. The Bank recognizes such annual contributions as an expense in the year to which they relate. Upon the receipt of the Permanent Retirement Account Number (PRAN), the consolidated contribution amounts are transferred to the NPS Trust.

क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियां:

संचयन मूल्यांकन के आधार पर संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति जैसे विशेषाधिकार अवकाश (पीएल) और बीमारी अवकाश (अनुपलब्ध आकस्मिक अवकाश सहित) प्रदान की जाती है। विशेषाधिकार अवकाश (पीएल) की योजना बैंक द्वारा वित्त पोषित है और एक अलग ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित की जाती है।

COMPENSATED ABSENCES:

Accumulating compensated absences such as Privilege Leave (PL) and Sick Leave (including unavailed casual leave) are provided for based on actuarial valuation. The scheme for Privilege Leave (PL) is funded by the Bank and is managed by a separate trust.

अन्य कर्मचारी लाभ:

अन्य कर्मचारी लाभ जैसे छुट्टी किराया रियायत (एलएफसी), सिल्वर जुबली अवार्ड इत्यादि बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर दिए जाते हैं।

OTHER EMPLOYEE BENEFITS:

Other Employee Benefits such as Leave Fare Concession (LFC), Silver Jubilee Award, etc. are provided for based on actuarial valuation.

जहां तक विदेश स्थित शाखाओं और कार्यालयों का संबंध है प्रतिनियुक्ति पर गए कर्मचारियों को दिए गए लाभों के अलावा अन्य सभी लाभ उन देशों में लागू कानूनों के अनुसार मूल्यांकित और लेखांकित किए गए हैं।

In respect of overseas branches and offices, the benefits in respect of employees other than those on deputation are valued and accounted for as per laws prevailing in the respective countries.

9. विदेशी मुद्रा लेनदेन और शेष राशि का रूपांतरण:

9. TRANSLATION OF FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS & BALANCES:

विदेशी मुद्रा वाले लेन–देन का लेखा–जोखा एएस 11 'विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन का प्रभाव' के अनुसार किया जाता है।

Transactions involving foreign exchange are accounted for in accordance with AS 11, 'The Effect of Changes in Foreign Exchange Rates'.

9.1 फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (FEDAI) के दिशा–निर्देशों के अनुसार बैलेंस शीट की तारीख के अनुसार तत्कालीन लंदन शाखाओं के अग्रिमों को छोड़कर, जिनका भारत में पार्किंग की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर हिसाब लगाया जाता है, अन्य सभी मौद्रिक संपत्तियां और देनदारियां, गारंटियां, स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व प्रचलित विनिमय दरों के समतुल्य भारतीय रुपये में रूपांतरित किए जाते हैं।

9.1 Except advances of erstwhile London branches which are accounted for at the exchange rate prevailing on the date of parking in India; all other monetary assets and liabilities, guarantees, acceptances, endorsements and other obligations are translated in Indian Rupee equivalent at the exchange rates prevailing as on the Balance Sheet date as per Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI) guidelines.

9.2 अचल संपत्तियों के अतिरिक्त गैर–मौद्रिक आइटम जो ऐतिहासिक लागत पर किए जाते हैं, लेन–देन की तारीख पर प्रचलित विनिमय दर पर रूपांतरित होते हैं।

9.2 Non-monetary items other than fixed assets which are carried at historical cost are translated at exchange rate prevailing on the date of transaction.

9.3 बकाया फॉरवर्ड एक्सचेंज स्पॉट और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स को FEDAI द्वारा अधिसूचित दरों पर बैलेंस शीट तिथि के अनुसार रूपांतरित किया जाता है और रूपांतर पर परिणामी लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में लिया जाता है।

9.3 Outstanding Forward exchange spot and forward contracts are translated as on the Balance Sheet date at the rates notified by FEDAI and the resultant gain/ loss on translation is taken to Profit & Loss Account.

विदेशी मुद्रा स्पॉट/फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स/सौदे (मर्चेंट और इंटर–बैंक) जो ट्रेडिंग/मर्चेंट हेज के लिए अभिप्रेत नहीं हैं और बैलेंस शीट की तारीख पर बकाया हैं, विनिमय लाभ पर पुनर्मूल्यांकन प्रभाव को हटाने के लिए क्लोजिंग FEDAI स्पॉट/फॉरवर्ड रेट पर रिवर्स पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। इस तरह के फॉरवर्ड एक्सचेंज अनुबंध की शुरुआत में उत्पन्न होने

Foreign exchange spot/forward contracts/deals (Merchant and Inter-bank) which are not intended for trading/Merchant Hedge and are outstanding on the Balance Sheet date, are reverse re-valued at the closing FEDAI spot/ forward rate in order to remove revaluation effect on exchange profit. The premium or discount arising at the inception of such a forward

वाले प्रीमियम या छूट को अनुबंध के जीवन में ब्याज व्यय या आय के रूप में परिशोधित किया जाता है।

9.4 आय तथा व्यय की मदों को लेन–देन की तिथि को प्रचलित विदेशी विनिमय दर पर लेखाबद्ध किया जाता है।

मौद्रिक मदों के निपटान पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर, उन दरों से भिन्न होते हैं जिन पर उन्हें शुरू में दर्ज किया गया था, आय के रूप में या व्यय के रूप में उस अवधि में जिसमें वे उत्पन्न होते हैं, उनकी पहचान की जाती है।

करेंसी फ्यूचर्स ट्रेडों में खुली स्थिति की विनिमय दरों में परिवर्तन के कारण लाभ / हानि, दैनिक आधार पर एक्सचेंज क्लियरिंग हाउस के साथ निपटाए जाते हैं एवं ऐसे लाभ / हानि लाभ एवं हानि खाते में पहचान की जाती है।

9.5 भारत के बाहर के कार्यालय / विदेश स्थित बैंकिंग इकाइयां

(i) विदेशी शाखाओं एवं विदेश स्थित बैंकिंग इकाई के परिचालन को 'गैर–समाकलन विदेशी परिचालन' के रूप में वर्गीकृत किया गया है एवं विदेशों में प्रतिनिधि कार्यालयों के परिचालन को 'समाकलन विदेशी परिचालन' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(ii) समाकलन विदेशी परिचालनों एवं गैर– समाकलन विदेशी परिचालनों के विदेशी मुद्रा लेनदेनों को लेखा मानक–11 के अनुसार लेखाबद्ध किया जाता है।

(iii) विनिमय उतार–चढ़ाव के परिणामस्वरूप गैर– समाकलन परिचालनों का लाभ / हानि में एक्सचेंज उतार–चढ़ाव रिजर्व में क्रेडिट / डेबिट किया जाता है।

10. आय पर कर

आयकर व्यय न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी), जहां भी लागू हो, एवं बैंक द्वारा किए गए आस्थगित कर व्यय सहित वर्तमान कर की कुल राशि है। वर्तमान कर एवं आस्थगित कर, क्रमशः आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार एवं लेखांकन मानक 22 के अनुसार – आय पर करों के लिए लेखांकन के अनुसार विदेशी कार्यालयों में भुगतान किए गए करों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किए जाते हैं, जो संबंधित न्यायालयों के कर कानून पर आधारित होते हैं।

एमएटी क्रेडिट को एक संपत्ति के रूप में तभी मान्यता दी जाती है जब एवं उस सीमा तक इस बात के विश्वासप्रद साक्ष्य हों कि आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत निर्दिष्ट अवधि के दौरान सामान्य आयकर का भुगतान किया जाएगा।

आस्थगित कर समायोजन में वर्ष के दौरान आस्थगित कर आस्ति या देयता में परिवर्तन शामिल हैं। आस्थगित कर आस्ति एवं देयताओं को वर्तमान वर्ष के लिए कर योग्य आय एवं लेखा आय के बीच समय के अंतर के प्रभाव पर विचार करके एवं घाटे को अग्रेषित करके पहचाना जाता है। आस्थगित कर आस्ति एवं देयताओं को कर दरों एवं कर कानूनों का उपयोग करके मापा जाता है जिन्हें बैलेंस शीट की तिथि में अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित किया गया है। आस्थगित कर आस्ति एवं देयताओं में परिवर्तन के प्रभाव को लाभ एवं हानि खाते में पहचाना जाता है। आस्थगित कर संपत्तियों की पहचान एवं प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर की जाती है उनका पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, जो प्रबन्धन की विसम्मति पर आधारित होती है जैसे कि उनकी प्राप्ति यथोचित / वास्तव में निश्चित हो।

exchange contract is amortized as interest expense or income over the life of the contract.

9.4 Income and expenditure items are accounted for at the exchange rate prevailing on the date of transaction.

Exchange differences arising on the settlement of monetary items at rates different from those at which they were initially recorded are recognized as income or as expense in the period in which they arise.

Gains/Losses on account of changes in exchange rates of open position in currency futures trades are settled with the exchange clearing house on daily basis and such gains/losses are recognized in the Profit and Loss Account.

9.5 Offices outside India / Offshore Banking Units:

(i) Operations of foreign branches and off shore banking unit are classified as 'Non-integral foreign operations' and operations of representative offices abroad are classified as 'integral foreign operations'.

(ii) Foreign currency transactions of integral foreign operations and non-integral foreign operations are accounted for as prescribed by AS-11.

(iii) Exchange Fluctuation resulting into Profit / loss of non-integral operations is credited /debited to Exchange Fluctuation Reserve.

10. TAXES ON INCOME

Income tax expense is the aggregate amount of current tax including Minimum Alternate Tax (MAT), wherever applicable and deferred tax expense incurred by the Bank. The current tax and deferred tax are determined in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 and as per Accounting Standard 22 - Accounting for Taxes on Income respectively after taking into account taxes paid at the foreign offices, which are based on the tax laws of respective jurisdictions.

MAT credit is recognized as an asset only when and to the extent there is convincing evidence that there will be payment of normal income tax during the period specified under the Income Tax Act, 1961.

Deferred Tax adjustments comprises of changes in the deferred tax assets or liabilities during the year. Deferred tax assets and liabilities are recognized by considering the impact of timing differences between taxable income and accounting income for the current year, and carry forward losses. Deferred tax assets and liabilities are measured using tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted at the balance sheet date. The impact of changes in deferred tax assets and liabilities is recognized in the profit and loss account. Deferred tax assets are recognized and re-assessed at each reporting date, based upon management's judgment as to whether their realization is considered as reasonably/ virtually certain.

11. प्रति शेयर आय:

बैंक आईसीएआई द्वारा जारी एएस 20 – 'प्रति शेयर आय' के अनुसार प्रति शेयर बेसिक एवं डाइल्यूटेड आय की रिपोर्ट करता है। बेसिक आय प्रति शेयर की गणना वर्ष के लिए विशेषकर इक्विटी शेयरधारकों को टैक्स के बाद शुद्ध लाभ को वर्ष में बकाया इक्विटी शेयर की औसतन संख्या से भाग करके प्राप्त की जाती है।

प्रति शेयर डिलूटेड आय संभावित डिल्यूशन को दर्शाता है जो तब हो सकता है जब इक्विटी शेयर जारी करने के लिए प्रतिभूतियों या अन्य अनुबंधों का प्रयोग किया गया या वर्ष के दौरान परिवर्तित किया गया। प्रति शेयर डिलूटेड आय की गणना इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और वर्ष में बकाया संभावित इक्विटी शेयरों का उपयोग करके की जाती है।

12. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां:

इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी एएस 29 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां' के अनुरूप, बैंक इनके प्रावधान की पहचान केवल तभी करता है जब पूर्व घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व हो तथा जिसके परिणामतः संसाधनों का सम्भावित बहिर्गमन हो जो दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभ के लिए आवश्यक हो तथा जब दायित्व की विश्वसनीय राशि अनुमानित की जा सकती हो।

एक आकस्मिक देयता पैसे के संदर्भ में एक संभावित देयता है, जो अनिश्चित विशिष्ट घटना के परिणाम के आधार पर उत्पन्न हो सकती है। एक संभावित दायित्व जो भविष्य की घटना के प्रकट होने के आधार पर उत्पन्न हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, उसे आकस्मिक दायित्व के रूप में मान्यता दी गई है।

इसके अलावा, जो मामले बैंक के खिलाफ दर्ज किए गए हैं, लेकिन बैंक पर किसी भी दायित्व के उत्पन्न होने की संभावना है, वे मामले दूरस्थ हैं,उन्हें आकस्मिक देयता में शामिल नहीं किया गया है।

वित्तीय विवरणी में आकस्मिक देयताओं की पहचान नहीं होती है।

13: बुलियन लेनदेन :

बैंक बुलियन का आयात करता है जिसमें ग्राहकों को बेचने के लिए एक करार पर आधारित बहुमूल्य मेटल बार शामिल है। आयात बैक टू बैक पर विशेष रूप से आधारित है तथा ग्राहक को उसका मूल्य सप्लायर द्वारा अंकित मूल्य पर देना होता है। इन बुलियन ट्रांजेक्शनों में बैंक शुल्क अर्जित करता है। शुल्क को कमीशन आय के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। बैंक गोल्ड को जमा व उस पर ऋण देता है जिसे ब्याज व्यय/आय की तरह ब्याज भुगतान मामले के आधार पर क्लासीफाईड जमाराशि/उधार की तरह पेशकश किया जाता है

14 खंडवार रिपोर्टिंग

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार एवं आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 17 के अनुपालन में, बैंक व्यवसाय खंड को प्राथमिक रिपोर्टिंग खंड एवं भौगोलिक खंड को द्वितीयक रिपोर्टिंग खंड के रूप में मान्यता देता है।

11. EARNINGS PER SHARE:

The Bank reports basic and diluted earnings per share in accordance with AS 20 - 'Earnings per Share' issued by the ICAI. Basic Earnings per Share is computed by dividing the Net Profit after Tax for the year attributable to equity shareholders by the weighted average number of equity shares outstanding for the year.

Diluted Earnings per Share reflects the potential dilution that could occur if securities or other contracts to issue equity shares were exercised or converted during the year. Diluted Earnings per Share is computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding.

12. PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS:

In conformity with AS 29, 'Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets', issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the Bank recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, and it is probable that outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

A Contingent Liability is a potential liability, in terms of money, which may arise depending on the outcome of an uncertain specific event. A possible obligation which may or may not arise depending on how a future event unfolds has been recognized as Contingent Liability.

Further, the cases which although have been filed against the Bank, but possibility of any obligation arising upon the Bank in those case is remote, have not been construed and included in Contingent Liability.

Contingent Assets are not recognized in the financial statements.

13. BULLION TRANSACTIONS:

The Bank imports bullion including precious metal bars on a consignment basis for selling to its customers. The imports are typically on a back-to-back basis and are priced to the customer based on price quoted by the supplier. The Bank earns a fee on such bullion transactions. The fee is classified under commission income. The Bank also accepts deposits and lends gold, which is treated as deposits/advances as the case may be with the interest paid / received classified as interest expense/income.

14. SEGMENT REPORTING:

The Bank recognizes the Business segment as the Primary reporting segment and Geographical segment as the Secondary reporting segment, in accordance with the RBI guidelines and in compliance with the Accounting Standard 17 issued by ICAI.

15. 7 अप्रैल, 2016 को आरबीआई परिपत्र सं. FIDD.CO.Plan. BC.23/04.09-01/2015.16 के अनुसार बैंक, पीएसएलसी का विक्रय या क्रय कर प्राथमिकता क्षेत्र के पोर्टफोलियो में व्यापार करता है। इन लेनदेन में जोखिमों या ऋण आस्तियों का कोई अंतरण नहीं है। पीएसएलसी की खरीद के लिए भुगतान किया गया शुल्क व्यय के रूप में माना जाता है और पीएसएलसी की बिक्री से प्राप्त शुल्क को 'अन्य आय' के रूप में माना जाता है।

16. नकद एवं नकद समतुल्य

नकद एवं नकद समतुल्यों में शामिल हैं:

ए) आरबीआई के पास नकद एवं शेष, बैंक के पास शेष एवं कॉल एवं शॉर्ट नोटिस पर मुद्रा।

बी) आरबीआई द्वारा इसके परिपत्र दिनांक 19.05.2022 (अर्थात अनुसूची 6, अनुसूची 7 एवं अनुसूची 9 के अंतर्गत, जो भी लागू हो) द्वारा प्रदान किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार रिवर्स रेपो में शेष राशि की रिपोर्ट की जाती है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी (एसडीएफ) के अंतर्गत बैंक द्वारा रखी गई शेष राशि को भी इसी तरह रिपोर्ट किया जाता है।

15. The Bank, in accordance with RBI Circular FIDD. CO.Plan.BC.23/ 04.09.01/ 2015-16 dated April 7, 2016, trades in Priority Sector portfolio by selling or buying PSLC. There is no transfer of risks or loan assets in these transactions. The fee paid for purchase of the PSLC is treated as an 'Expense' and the Fee received from sale of PSLCs is treated as 'Other Income'.

16. CASH & CASH EQUIVALENTS

Cash and cash equivalents include:

a) Cash and Balances with RBI, Balances with Bank and money at call and short notice.

b) The balances in Reverse Repo are reported as per the guidelines provided by RBI vide its circular dated 19.05.2022 (i.e. under schedule 6, schedule 7 and schedule 9, as applicable). The balance held by the Bank under Standing Deposit Facility (SDF) is also reported similarly.

लेखों पर टिप्पणियां

1. समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में 05 अनुषंगी एवं 15 सहयोगी (जो पंजाब नैशनल बैंक के साथ, मूल, समूह का गठन करते हैं) पर विचार किया गया है:

(% में)

क्र. सं	अनुषंगी कंपनी का नाम	निगमन का देश	की वोटिंग पावर के रूप में धारित %	
			चालू वर्ष	गत वर्ष
1.	पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड[3]	भारत	74.07	74.07
2.	पीएनबी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज लिमिटेड	भारत	100.00	100.00
3.	पीएनबी कार्ड्स एंड सर्विसेज लिमिटेड[2]	भारत	100.00	100.00
4.	पंजाब नैशनल बैंक (इंटरनेशनल) लिमिटेड यूके	यूनाइटेड किंगडम	100.00	100.00
5.	ड्रुक पीएनबी बैंक लिमिटेड भूटान*	भूटान	51.00	51.00

पीएनबी समूह के समेकित वित्तीय विवरण तैयार करते समय गैर-अंकेक्षित वित्तीय लिया गया है।

कंपनी के वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम 2013 के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा पूरक लेखा परीक्षा और उनकी रिपोर्ट की प्राप्ति के अधीन है।

ड्रुक पीएनबी बैंक लिमिटेड भूटान का लेखा वर्ष मूल वर्ष से अलग है।

2. समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल किए गए सहयोगी निम्नानुसार हैं:

(% में)

क्र. सं.	एसोसिएट्स	निगमन देश	को स्वामित्व प्रतिशत के रूप में अनुपात	
			वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
1.	पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड *	भारत	30.00	30.00
2.	पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड	भारत	32.52	32.57
3.	जेएससी (टेंगरी बैंक), अल्माटी, कजाकिस्तान**	कजाकिस्तान	41.64	41.64
4	केनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	भारत	23.00	23.00

NOTES TO ACCOUNTS

1. The 05 Subsidiaries and 15 Associates (which along with **Punjab National Bank, the parent, constitute the Group) are considered in the preparation of the consolidated financial statements are as under:**

(in %)

Sl. No.	Name of the Subsidiary Company	Country of Incorporation	% Voting power held as at	
			Current Year	Previous Year
1.	PNB Gilts Limited[3]	India	74.07	74.07
2.	PNB Investment Services Ltd. *	India	100.00	100.00
3.	PNB Cards and Services Ltd.[2]	India	100.00	100.00
4.	Punjab National Bank (International) Ltd.UK[3]	United Kingdom	100.00	100.00
5.	Druk PNB Bank Ltd. Bhutan[4]	Bhutan	51.00	51.00

[1]Un-Audited Financials have been taken while preparing consolidated financial statements of PNB group.

[2]The financial statements of the company is subject to Supplementary Audit by the Comptroller & Audit General of India, under the Companies Act, 2013 and receipt of their report.

[4]Druk PNB Bank Ltd. Bhutan follows accounting year different from that of the parent.

2. **Associates considered in consolidated financial statements are as under:**

(in %)

Sl. No.	Associates	Country of Incorporation	Proportion of ownership percentage as at	
			Current Year	Previous Year
1.	PNB Metlife India Insurance Company Ltd*	India	30.00	30.00
2.	PNB Housing Finance Limited	India	32.52	32.57
3.	JSC (Tengri Bank) , Almaty, Kazakhstan**	Kazakhstan	41.64	41.64
4.	Canara HSBC Life Insurance Co. Ltd.	India	23.00	23.00

क्र. सं.	एसोसिएट्स	निगमन देश	को स्वामित्व प्रतिशत के रूप में अनुपात	
			वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
5.	भारत एसएमई आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड	भारत	20.90	20.90
6.	एवरेस्ट बैंक लिमिटेड***	नेपाल	20.03	20.03
7.	दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, पटना	भारत	35.00	35.00
8.	हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, मंडी	भारत	35.00	35.00
9.	पंजाब ग्रामीण बैंक, कपूरथला	भारत	35.00	35.00
10.	सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, रोहतक	भारत	35.00	35.00
11.	प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक, मुरादाबाद	भारत	35.00	35.00
12.	असम ग्रामीण विकास बैंक, गुवाहाटी	भारत	35.00	35.00
13.	बंगीय ग्रामीण विकास बैंक, (पश्चिम बंगाल)	भारत	35.00	35.00
14.	मणिपुर ग्रामीण बैंक, इंफाल	भारत	35.00	35.00
15.	त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, अगरतला	भारत	35.00	35.00

$पीएनबी समूह के समेकित वित्तीय विवरण तैयार करते समय गैर–लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण लिया गया है।

*पीएनबी ने ब्रांड इक्विटी के रूप में 700.48 रुपये के प्रतिफल पर पीएनबी मेटलाइफ में 30% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है।

**18.09.2020 एएफआर ने जेएससी टेंगरी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है एवं परिसमापन के अधीन है।

***एवरेस्ट बैंक लिमिटेड मूल वर्ष से अलग लेखांकन वर्ष का अनुसरण करता है।

3.1 आरक्षित पूंजी

(राशि रुपये में करोड़)

विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
समेकन पर आरक्षित पूंजी (निवल)	74.21	74.21

3.2 स्थायी बांड/अधीनस्थ ऋण टियर I और टियर II पूंजी के रूप में वर्धित राशि:

Sl. No.	Associates	Country of Incorporation	Proportion of ownership percentage as at	
			Current Year	Previous Year
5.	India SME Asset Reconstruction Co. Ltd.	India	20.90	20.90
6.	Everest Bank Ltd.$***	Nepal	20.03	20.03
7.	Dakshin Bihar Gramin Bank, Patna	India	35.00	35.00
8.	Himachal Pradesh Gramin Bank, Mandi	India	35.00	35.00
9.	Punjab Gramin Bank, Kapurthala	India	35.00	35.00
10.	Sarva Haryana Gramin Bank, Rohtak	India	35.00	35.00
11.	Prathama UP Gramin Bank, Moradabad	India	35.00	35.00
12.	Assam Gramin Vikas Bank, Guwahati	India	35.00	35.00
13.	Bangiya Gramin Vikas Bank, (West Bengal)	India	35.00	35.00
14.	Manipur Rural Bank, Imphal	India	35.00	35.00
15.	Tripura Gramin Bank, Agartala	India	35.00	35.00

$Un-Audited Financials have been taken while preparing consolidated financial statements of PNB group.

*PNB has acquired 30% stake in PNB Metlife at consideration of Rs. 700.48 as brand equity.

**AFR revoked license of JSC Tengri Bank w.e.f. 18.09.2020 and is under Liquidation.

***Everest Bank Ltd. Follows accounting year different from that of the parent.

3.1 Capital Reserve

(Amount in Rs Crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
Capital Reserve on Consolidation (Net)	74.21	74.21

(राशि रुपये में करोड़)

विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
वर्ष के दौरान अधीनस्थ ऋण न्यूनतम टियर– II पूंजी के रूप में वर्धित राशि	4101.98	2012.63
वर्ष के दौरान स्थायी बांड न्यूनतम टियर– I पूंजी के रूप में वर्धित राशि	4214.00	3971.00

3.3 बैंक समूह का पूंजी पर्याप्तता अनुपात (बेसल III के अनुसार) निम्नानुसार है:

(राशि रुपये में करोड़)

क्र सं.	विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
i)	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी 1) (कटौती का निवल, यदि कोई हो)	75580.00	64911.43
ii)	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी	9972.33	7285.67
iii)	टियर 1 पूंजी (i + ii)	85552.33	72197.10
iv)	टियर 2 पूंजी	18910.34	16943.49
v)	कुल पूंजी (टियर 1+टियर 2)	104462.67	89140.59
vi)	कुल जोखिम भारित आस्तियां (आरडब्ल्यूए)	672297.09	611984.12
vii)	सीईटी 1 अनुपात (सीईटी 1 आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में)	11.24%	10.61%
viii)	टियर 1 अनुपात (टियर 1 पूंजी आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में)	12.73%	11.80%
ix)	टियर 2 अनुपात (टियर 2 पूंजी आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में)	2.81%	2.77%
x)	पूंजी से जोखिम भारित आस्तियों का अनुपात (सीआरएआर) (कुल पूंजी आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में)	15.54%	14.57%
xi)	लीवरेज अनुपात	4.77%	4.31%

नोट: सीईटी I पूंजी में समामेलन आरक्षित निधि ₹9268.29 करोड़ शामिल है।

आरबीआई ने परिपत्र सं. DOR-No-CAP-REC-3/21.06.201/2022–23 दिनांक 1 अप्रैल, 2022 के माध्यम से सीईटी–1 पूंजी अनुपात के रूप में पूंजी पर्याप्तता की गणना के उद्देश्य से बैंकों को आस्थगित निधि के पुनर्मूल्यन, विदेशी मुद्रा ट्रांसलेशन रिजर्व और आस्थगित कर आस्तियों

3.2 Perpetual bonds/sub-ordinated debt raised as Tier I and Tier II Capital:

(Amount in Rs Crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
Amount of sub-ordinated debt raised as Tier-II Capital during the period	4101.98	2012.63
Amount of perpetual bonds raised as Tier-I Capital during the period	4214.00	3971.00

3.3 The capital adequacy ratio (as per Basel III) of the bank group is as under:

(Amount in Rs Crore)

Sr. No.	Particulars	Current Year	Previous Year
i)	Common Equity Tier 1 capital (CET 1) (net of deductions, if any)	75580.00	64911.43
ii)	Additional Tier 1 capital	9972.33	7285.67
iii)	Tier 1 capital (i + ii)	85552.33	72197.10
iv)	Tier 2 capital	18910.34	16943.49
v)	Total capital (Tier 1+Tier 2)	104462.67	89140.59
vi)	Total Risk Weighted Assets (RWAs)	672297.09	611984.12
vii)	CET 1 Ratio (CET 1 as a percentage of RWAs)	11.24%	10.61%
viii)	Tier 1 Ratio (Tier 1 capital as a percentage of RWAs)	12.73%	11.80%
ix)	Tier 2 Ratio (Tier 2 capital as a percentage of RWAs)	2.81%	2.77%
x)	Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) (Total Capital as a percentage of RWAs)	15.54%	14.57%
xi)	Leverage Ratio	4.77%	4.31%

Note: CET I Capital includes Amalgamation Reserve ₹9268.29Crore.

RBI vide circular no. DOR.No.CAP.REC.3/21.06.201/2022-23 dated 1st April, 2022 has given discretion to banks to consider

पर विचार करने के लिए विवेकाधिकार दिया है। बैंक ने उपरोक्त गणना में इस विकल्प का प्रयोग किया है।

4. लेखा मानक द्वारा अपेक्षित प्रकटीकरण

4.1 लेखा मानक 5 – अवधि के लिए निवल लाभ या हानि, पूर्व अवधि की मदें और लेखा नीतियों में परिवर्तन

वर्तमान एवं पिछले दौरान लेखा मानक 5 के तहत प्रकटीकरण की आवश्यकता वाली कोई वास्तविक पूर्व अवधि आय/व्यय मदें नहीं थी।

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय परिणाम उन्हीं लेखा नीतियों एवं रीतियों का पालन करते हुए तैयार किए गए हैं, जिनका पालन 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक वित्तीय विवरणों में किया गया था।

(गत वर्ष: 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय परिणाम उन्हीं लेखा नीतियों एवं रीतियों का पालन करते हुए तैयार किए गए हैं, जैसा कि 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक वित्तीय विवरणों में किया गया था, साख पत्र एवं बैंक गारंटी पर कमीशन की मान्यता को छोड़कर। 01 अप्रैल, 2021 से, साख पत्र एवं बैंक गारंटी पर कमीशन को उस अवधि के लिए अर्जित सीमा तक राजस्व के रूप में मान्यता दी गई है, जो अब तक प्राप्ति के आधार पर की गई मान्यता के विरुद्ध है। लेखा नीति में इस बदलाव के परिणामस्वरूप 31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही के लिए कर पूर्व लाभ ₹11.67 करोड़ एवं 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए ₹207.64 करोड़ कमी आई है।)

4.2 लेखा मानक 9 - राजस्व पहचान

जिस आय का वसूली के आधार पर लेखांकित किया गया है, उसे महत्वपूर्ण नहीं माना गया है। (पिछला वर्ष: जिस आय का वसूली के आधार पर लेखांकित किया गया है, उसे महत्वपूर्ण नहीं माना गया है।)

4.3 लेखा मानक 10 - संपत्ति, संयंत्र और उपकरण।

आस्ति के प्रत्येक वर्ग के लिए अवधि/वित्त वर्ष हेतु कुल मूल्यह्रास का ब्रेक–अप

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण (संपत्ति वर्ग)	चालू वर्ष	गत वर्ष
परिसर	202.12	178.60
अन्य अचल आस्तियां	551.95	581.68
पट्टाकृत आस्तियां	0.01	0.01
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	150.79	135.88
कुल	904.87	896.17

4.4 लेखा मानक 11–विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव

विदेशी मुद्रा उतार–चढ़ाव रिजर्व का संचलन

Revaluation Reserve, Foreign Currency Translation Reserve and Deferred Tax Asset for purpose of computation of Capital Adequacy as CET-1 capital ratio. The Bank has exercised the option in the above computation.

4. Disclosures required by Accounting Standards

4.1 Accounting Standard 5 – Net Profit or Loss for the Period, Prior Period items and Change in Accounting Policies

During the Current and Previous year there were no material prior period income/expenditure items requiring disclosure under Accounting Standard 5.

The financial results for the year ended March 31, 2023 have been prepared following the same Accounting Policies and practices as those followed in the annual financial statements for the year ended March 31, 2022.

(Previous year: The financial results for the year ended March 31, 2022 have been prepared following the same Accounting Policies and practices as those followed in the annual financial statements for the year ended March 31, 2021, except recognition of commission on Letter of Credit and Bank Guarantee. With effect from April 01, 2021, the commission on Letter of Credit and Bank Guarantee is recognised as revenue to the extent accrued for the period as against recognition done on receipt basis hitherto. This change in accounting policy has resulted in decrease in profit before tax by ₹11.67 Crore for quarter ended March 31, 2022 and by ₹207.64 Crore for year ended March 31, 2022).

4.2 Accounting Standard 9 - Revenue Recognition

The income which has been accounted for on realization basis is not considered to be material. (Previous year: The income which has been accounted for on realization basis is not considered to be material).

4.3 Accounting Standard 10 – Properties, Plant and Equipment.

Break-up of total depreciation for the period/ FY for each class of assets

(Amount in Rs Crore)

Particulars (Class of Assets)	Current Year	Previous Year
Premises	202.12	178.60
Other fixed assets	551.95	581.68
Leased assets	0.01	0.01
Computer software	150.79	135.88

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
प्रारंभिक जमा	1006.10	917.05
लाभ और हानि लेखा में परिवर्तन के कारण वित्तीय वर्ष के दौरान जोड़/कटौती	8.05	69.24
आस्ति और देयताओं के ट्रांसलेशन के कारण वित्तीय वर्ष के दौरान जोड़/कटौती	79.26	21.81
प्रारंभिक जमा	−249.89	0.00
अंतिम शेष	**843.52**	**1006.10**

4.5 लेखा मानक 15 (संशोधित) - कर्मचारी लाभ%

लेखा मानक–15 (संशोधित) के अनुसार प्रकटीकरण%						
लेखांकन नीति के अनुरूप एवं लेखा मानक – 15 (आर) के अनुसार, रोजगार लाभों की संक्षिप्त स्थिति निम्नानुसार है:						
A. परिभाषित लाभ योजनाएं						
तालिका I – प्रधान बीमांकिक मान्यता तथा इन मान्यताओं का आधार (मूल कंपनी)						
बीमांकिक अनुमान	**पेंशन**		**उपदान**		**छुट्टी नकदीकरण**	
	31.03.23	31.03.22	31.03.23	31.03.22	31.03.23	31.03.22
बट्टा दर	7.45%	7.20%	7.45%	6.95%	7.45%	6.95%
योजनागत आस्तियों पर संभावित लाभ	7.45%	7.20%	7.45%	6.95%	7.45%	6.95%
वेतन में वृद्धि की दर	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%
संघर्षण दर	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%

(सभी राशि करोड़ में)

तालिका II – दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

		पेंशन		उपहार		नकदीकरण छोड़ें	
		31.03.23	**31.03.22**	**31.03.23**	**31.03.22**	**31.03.23**	**31.03.22**
	अवधि की शुरुआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	48456.97	46388.36	4296.87	4687.12	3729.21	3464.49
जोड़ें	ब्याज लागत	3373.37	3065.43	287.04	287.54	214.83	187.71
जोड़ें	चालू सेवा लागत	376.38	488.52	256.63	270.31	516.43	482.36
जोड़ें	पूर्व सेवा लागत	0.00	3093.96	0.00	0.00	0.00	0.00
जमा	प्रदत्त लाभ	−3719.34	−4002.18	−625.96	−902.00	−721.88	−814.83
	दायित्वों पर बीमांकिक हानि/ (लाभ) (मिलान आंकड़े)	691.14	−344.1	−73.71	73.90	163.76	439.49
	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य*	**49177.52**	**48456.97**	**4120.05**	**4296.87**	**3901.55**	**3729.21**

* मार्च 23 को समाप्त अवधि के लिए दायित्व के वर्तमान मूल्य में आसन्न वेतन संशोधन का अनुमानित प्रभाव शामिल है।

तालिका III – योजना आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

		पेंशन	उपदान	छुट्टी नकदीकरण

Total	904.87	896.17

4.4 **Accounting Standard 11- The effects of Changes in Foreign Exchange rates:**

Movement of Foreign Currency Fluctuation Reserve

(Amount in Rs Crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
Opening Balance	1008.10	917.05
Addition/Deduction during the FY due to change in Profit & Loss account	6.05	69.24
Addition/Deduction during the FY due to translation of Assets & Liabilities	79.26	21.81
Other Adjustment	-249.89	0.00
Closing Balance	**843.52**	**1008.10**

4.5 **Accounting Standard 15 (Revised) – Employees Benefits:**

DISCLOSURE IN ACCORDANCE WITH AS-15 (R) :
In line with the accounting policy and as per the Accounting Standard – 15 (R) , the summarized position of employment benefits is as under:
A. Defined benefit Plans

TABLE I - Principal Actuarial Assumptions and the basis of these assumptions (Parent Company)

Actuarial Assumptions	PENSION		GRATUITY		LEAVE ENCASHMENT	
	31.03.23	31.03.22	31.03.23	31.03.22	31.03.23	31.03.22
Discount Rate	7.45%	7.20%	7.45%	6.95%	7.45%	6.95%
Expected Return on Plan Assets	7.45%	7.20%	7.45%	6.95%	7.45%	6.95%
Rate of Escalation In salary	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%
Attrition Rate	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%

TABLE II - Changes in Present value of the obligation

(ALL AMOUNTS IN CRORES)

		PENSION		GRATUITY		LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.23	31.03.22	31.03.23	31.03.22	31.03.23	31.03.22
	Present value of Obligation at the beginning of period	48456.97	46355.35	4296.87	4587.12	3729.21	3464.49
Add:	Interest Cost	3373.37	3065.43	267.04	267.54	214.83	187.71
Add:	Current Service Cost	375.38	488.52	255.83	270.31	315.43	452.35
Add:	Past Service Cost	0.00	3093.95	0.00	0.00	0.00	0.00
Less:	Benefits paid	-3719.34	-4002.18	-625.98	-902.00	-721.68	-814.83
	Actuarial loss / (gain) on obligations (Balancing Figure)	691.14	-544.1	-73.71	73.90	163.76	439.49

		31.03.23	31.03.23	31.03.23	31.03.22	31.03.23	31.03.22
	अवधि की शुरुआत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	48147.78	46731.79	4339.25	4718.68	3122.19	2979.62
जोड़ें	योजना आस्तियों पर संभावित प्रतिफल	3351.11	3091.21	279.59	285.80	189.37	145.48
जोड़ें	बैंक द्वारा प्रदत्त योगदान	207.63	1228.41	353.59	197.78	638.07	639.99
जोड़ें	पिछली सेवा लागत के लिए बैंक द्वारा प्रदत्त योगदान (पारिवारिक पेंशन देयता पर)	955.00	616.79	0.00	0.00	0.00	0.00
घटाएँ	प्रदत्त लाभ	−3719.34	−4002.18	−626.00	−901.70	−603.71	−735.42
घटाएँ	बीमांकिक (हानि) / योजनागत आस्तियों पर लाभ (उचित मूल्य)	191.16	479.76	26.44	38.69	70.39	92.52
	अवधि के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	**49133.26**	**48147.78**	**4372.87**	**4339.25**	**3416.31**	**3122.19**

तालिका IV – योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल

		पेंशन		उपदान		छुट्टी नकदीकरण	
		31.03.23	31.03.22	31.03.23	31.03.22	31.03.23	31.03.22
	योजना आस्तियों पर संभावित प्रतिफल	3351.11	3091.21	279.59	285.80	189.37	145.48
जोड़ें	बीमांकिक (हानि) / योजना आस्तियों पर लाभ	191.16	479.76	26.44	45.78	70.39	92.52
	योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ	3542.29	3570.97	306.03	315.51	259.76	238.00

तालिका V – शुद्ध बीमांकिक (लाभ) / हानि की मान्यता प्राप्त

		पेंशन		उपदान		छुट्टी नकदीकरण	
		31.03.23	31.03.22	31.03.23	31.03.22	31.03.23	31.03.22
	अवधि के लिए दायित्वों पर बीमांकिक हानि / (लाभ)	691.14	−544.10	−73.70	73.90	163.76	439.49
	अवधि के लिए योजना आस्तियों पर बीमांकिक (लाभ) / हानि	−191.16	−479.76	−26.44	−38.69	−70.39	−92.52
	अवधि के लिए कुल (लाभ) / हानि	499.96	−1023.86	−100.14	35.21	93.37	346.97
	अवधि में मान्य शुद्ध बीमांकिक (लाभ) / हानि	**499.96**	**−1023.86**	**−100.14**	**35.21**	**93.37**	**346.97**
	वर्ष के अंत में अमान्यीकृत बीमांकिक (लाभ) / हानि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

तालिका VI - तुलन पत्र में मान्य राशि

	Present value of Obligation as at the end of the period*	**49177.52**	**48456.97**	4120.05	**4296.87**	3901.55	**3729.21**

***Present value of obligation for the period ended as on Mar'23 includes the proportionate impact of impending wage revision.**

TABLE III - Changes in the FV of the Plan Assets

		PENSION		GRATUITY		LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.23	31.03.22	31.03.23	31.03.22	31.03.23	31.03.22
	Fair value of Plan Assets, at the beginning of period	48147.78	46731.79	4339.25	4718.68	3122.19	2779.62
Add:	Expected return on Plan assets	3351.11	3091.21	279.59	285.80	189.37	145.48
Add:	Contributions paid by Bank	207.53	1228.41	353.59	197.78	638.07	839.99
Add:	Contributions paid by Bank for Past Service Cost (on Family Pension liability)	955.00	618.79	0.00	0.00	0.00	0.00
Less:	Benefits Paid	-3719.34	-4002.18	-626.00	-901.70	-603.71	-735.42
Less:	Actuarial (loss) / gain on Plan Assets (Balancing Figure)	191.18	479.76	26.44	38.69	70.39	92.52
	Fair value of Plan Assets as at the end of the period	49133.26	48147.78	4372.87	4339.25	3416.31	3122.19

TABLE IV - Actual Return on Plan Assets

		PENSION		GRATUITY		LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.23	31.03.22	31.03.23	31.03.22	31.03.23	31.03.22
	Expected return on Plan Assets	3351.11	3091.21	279.59	285.80	189.37	145.48
Add:	Actuarial (loss) / gain on Plan Assets	191.18	479.76	26.44	45.78	70.39	92.52
	Actual Return on Plan Assets	**3542.29**	**3570.97**	**306.03**	315.51	**259.76**	**238.00**

TABLE V - Net Actuarial (Gain) / loss recognized

		PENSION		GRATUITY		LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.23	31.03.22	31.03.23	31.03.22	31.03.23	31.03.22
	Actuarial loss / (gain) for the period - Obligations	691.14	-544.10	-73.70	73.90	163.76	439.49
	Actuarial (gain) / loss for the period - Plan Assets	-191.18	-479.76	-26.44	-38.69	-70.39	-92.52
	Total (gain) /loss for the period	499.96	-1023.86	-100.14	35.21	93.37	346.97
	Actuarial (gain) or loss recognized in the period	**499.96**	**-1023.86**	**-100.14**	35.21	**93.37**	**346.97**

		पेंशन		उपदान		छुट्टी नकदीकरण	
		31.03.23	31.03.22	31.03.23	31.03.22	31.03.23	31.03.22
	मान्य लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	49177.52	48456.97	4120.06	4296.87	3901.55	3729.21
घटाएं:	योजना आस्तियों का उचित मूल्य	49133.26	48147.78	4373.25	4339.25	3416.31	3122.19
	अंतर	44.26	309.19	−253.19	−42.38	485.24	607.02
घटाएं:	गैर–मान्यता प्राप्त पिछली सेवा लागत (पारिवारिक पेंशन देयता पर)	0.00	1520.16	0.00	0.00	0.00	0.00
	शुद्ध देयता / (आस्ति)	44.26	−1210.97	−253.19	−42.38	485.24	607.02
	तुलन पत्र में राशि	–	–	0.00	0.00	0.00	0.00
	तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त देयता	44.26	955	−253.19	−42.38	485.24	607.02
	तुलन–पत्र में मान्यता प्राप्त संपत्ति (पारिवारिक पेंशन देयता पर)	0.00	−2165.97	0.00	0.00	0.00	0.00
	शुद्ध देयता / (आस्ति)	44.26	−1210.97	−253.19	−42.38	485.24	607.02
	एएस–15 (आर) के पैरा 55 के अंतर्गत निर्धारित नकारात्मक राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	एएस–15 (आर) के पैरा 55 के अंतर्गत निर्धारित नकारात्मक राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	एएस–15 (आर) के पैरा 59 (बी) के अनुसार मान्य आस्ति	0.00	2165.97	0.00	0.00	0.00	0.00

तालिका VII – लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त व्यय

		पेंशन		उपदान		छुट्टी नकदीकरण	
		31.03.23	31.03.22	31.03.23	31.03.22	31.03.23	31.03.22
	वर्तमान सेवा लागत	375.39	486.62	255.83	270.31	315.43	452.35
जोड़ें:	ब्याज लागत	3373.37	3066.43	267.04	267.54	214.63	187.71
घटाएं:	योजना संपत्ति पर संभावित लाभ	−3351.11	−3091.21	−279.59	−285.80	−189.37	−145.48
जोड़ें:	वर्ष में मान्यता प्राप्त शुद्ध बीमांकिक (लाभ) / हानि	499.96	−1023.88	−100.14	35.21	93.37	346.97
जोड़ें:	पिछली सेवा लागत–मान्यता प्राप्त (पारिवारिक पेंशन देयता पर)	1520.16	1573.79	0.00	0.00	0.00	0.00
	लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	2417.76	1012.87	143.14	287.43	634.28	841.66

तालिका VIII– तुलन पत्र में मान्य होने वाली शुद्ध देयता में घट–बढ़

	Unrecognized Actuarial (gain) / loss at the end of the year	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TABLE VI - Amount recognized in Balance Sheet

		PENSION		GRATUITY		LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.23	31.03.22	31.03.23	31.03.22	31.03.23	31.03.22
	Present value of Defined Benefit Obligation	49177.52	48456.97	4120.06	4296.87	3901.55	3729.21
Less	Fair value of Plan Assets	49133.26	48147.78	4373.25	4339.25	3416.31	3122.19
	Difference	44.26	309.19	-253.19	-42.38	485.24	607.02
Less	Unrecognized Past Service cost (on Family Pension liability)	0.00	1520.16	0.00	0.00	0.00	0.00
	Net Liability/ (Asset)	44.26	-1210.97	-253.19	-42.38	485.24	607.02
	Amounts in the Balance Sheet	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
	Liability Recognized in the Balance Sheet	44.26	955	-253.19	-42.38	485.24	607.02
	Assets Recognized in the Balance Sheet (on Family Pension liability)	0.00	-2165.97	0.00	0.00	0.00	0.00
	Net Liability/ (Asset)	44.26	-1210.97	-253.19	-42.38	485.24	607.02
	Negative amount determined under Paragraph 55 of AS-15 (R)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Present value of available refunds and reductions in future contributions	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Asset recognized as per Paragraph 59 (b) of AS-15 (R)	0.00	2165.97	0.00	0.00	0.00	0.00

TABLE VII - Expense to be recognized in Profit and loss Account

		PENSION		GRATUITY		LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.23	31.03.22	31.03.23	31.03.22	31.03.23	31.03.22
	Current Service Cost	375.38	488.52	255.83	270.31	515.43	452.35
Add	Interest cost	3373.37	3065.43	267.04	267.54	214.83	187.71
Less	Expected return on Plan assets	-3351.11	-3091.21	-279.59	-285.80	-189.37	-145.48
Add	Net Actuarial (gain) / loss recognized in year	499.96	-1023.86	-100.14	35.21	93.37	346.97

		पेंशन		उपदान		छुट्टी नकदीकरण	
		31.03.23	31.03.22	31.03.23	31.03.22	31.03.23	31.03.22
	प्रारम्भिक शुद्ध देयता	−1210.97	−378.44	−42.38	−131.55	607.02	684.87
जोड़ें:	व्यय	2417.78	1012.67	143.14	287.43	657.34	841.56
घटाएँ	संदत्त अंशदान	−1162.53	−1847.20	−353.59	−198.26	−778.83	−918.78
घटाएँ:	कंपनी द्वारा भुगतान किए गए लाभ	0.00	0.00	−0.38	0.00	−0.29	0.23
	अंतिम शुद्ध देयता (वर्तमान अवधि में तुलन पत्र में मान्य देयता)	44.26	−1210.97	−253.19	−42.38	485.24	607.87

तालिका IX दूवर्तमान अवधि के लिए राशि

		पेंशन		उपदान		छुट्टी नकदीकरण	
		31.03.23	31.03.22	31.03.23	31.03.22	31.03.23	31.03.22
	दायित्वों का वर्तमान मूल्य	49177.52	48456.97	4120.08	4296.87	3901.56	3729.21
घटाएँ:	योजना आस्तियों का उचित मूल्य	49133.26	48147.78	4373.26	4339.25	3416.31	3122.19
	अधिशेष/ (घाटा)	−44.26	−309.19	−253.19	−42.38	485.24	607.02
	योजना देयताओं में अनुभविक समायोजन – (हानि) / लाभ	1763.45	1230.77	31.39	199.27	213.32	446.48
	योजना आस्तियों में अनुभविक में समायोजन – (हानि)/लाभ	191.15	479.76	31.39	45.76	70.39	92.62

तालिका X ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित योजना आस्तियों की प्रमुख श्रेणियाँ (कुल योजना आस्तियों का प्रतिशत)

(प्रतिशत में)

	पेंशन		उपदान		छुट्टी नकदीकरण	
	31.03.23	31.03.22	31.03.23	31.03.22	31.03.23	31.03.22
भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ	3.00%	2.78%	5.00%	5.00%	0.00%	0.00%
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	10.05%	11.91%	6.00%	10.00%	0.00%	0.00%
उच्च किस्म के कॉर्पोरेट बॉन्ड	5.85%	6.36%	3.00%	3.00%	0.00%	0.00%
सूचीबद्ध कम्पनियों के इक्विटी शेयर / म्यूच्यूअल फण्ड निवेश	0.24%	0.28%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
संपत्ति	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
विशेष जमा योजनाएं / एफडीआर	2.47%	4.08%	4.00%	6.00%	0.00%	0.00%
बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधियाँ / जीवन बीमा कंपनियों में निवेश	75.81%	69.10%	72.00%	66.00%	100.00%	100.00%
अन्य जमाराशियां, उपचय आदि	2.58%	5.53%	10.00%	10.00%	0.00%	0.00%
कुल जोड़	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

तालिका XI – आगामी वर्ष के दौरान उद्यम के अंशदान का श्रेष्ठतम अनुमान

Add:	Past Service Cost-Recognized (on Family Pension liability)	1520.16	1573.79	0.00	0.00	0.00	0.00
	Expenses recognized in the statement of profit and loss	2417.76	1012.67	143.14	287.43	634.26	841.55

TABLE VIII- Movement in Net Liability to be recognized in Balance Sheet

		PENSION		GRATUITY		LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.23	31.03.22	31.03.23	31.03.22	31.03.23	31.03.22
	Opening Net Liability	-1210.97	-376.44	-42.38	-131.55	607.02	684.87
Add:	Expense	2417.76	1012.67	143.14	287.43	657.34	841.55
Less:	Contributions Paid	-1162.53	-1847.20	-353.59	-198.26	-778.83	-918.78
Less	Benefits Paid by the company	0.00	0.00	-0.36	0.00	-0.29	0.23
	Closing Net Liability/ (Asset) recognised in B/S in current period)	-44.26	-1210.97	-253.19	-42.38	485.24	607.87

TABLE IX -Amount for the current Period

		PENSION		GRATUITY		LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.23	31.03.22	31.03.23	31.03.22	31.03.23	31.03.22
	Present value of Obligation	49177.52	48456.97	4120.06	4296.87	3901.55	3729.21
Less	Fair value of Plan Assets	49133.26	48147.78	4373.25	4339.25	3416.31	3122.19
	Surplus / (Deficit)	-44.26	-309.19	-253.19	-42.38	485.24	607.02
	Experience Adjustments in Plan Liabilities - (loss) / Gain	1763.45	1230.77	31.39	199.27	213.32	446.48
	Experience Adjustments in Plan Assets (loss) / gain	191.18	479.76	31.39	45.78	70.39	92.52

TABLE X -Major Categories of Plan Assets (as percentage of Total Plan Assets) as managed by Trust

(In Percentage)

		PENSION		GRATUITY		LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.23	31.03.22	31.03.23	31.03.22	31.03.23	31.03.22
	Government Of India Securities	3.00%	2.76%	5.00%	5.00%	0.00%	0.00%
	State Govt Securities	10.05%	11.91%	6.00%	10.00%	0.00%	0.00%
	High Quality Corporate Bonds	5.85%	5.36%	3.00%	3.00%	0.00%	0.00%

	पेंशन (निधिक)		उपदान (निधिक)		छुट्टी नकदीकरण (निधिक)	
	31.03.23	**31.03.22**	**31.03.23**	**31.03.22**	**31.03.23**	**31.03.22**
आगामी वर्ष के दौरान बैंक का श्रेष्ठतम अंशदान का अनुमान	390.00	720.00	210.07	230.06	440.07	410.07

तालिका XII – अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ (गैर निधिक)

विवरण	बीमारी की छुट्टी तथा आकस्मिक नहीं ली गई छुट्टी (गैर निधिक)		छुट्टी किराया रियायत (गैर निधिक)		सिलवर जुबली बोनस (गैर निधिक)	
	31.03.23	**31.03.22**	**31.03.23**	**31.03.22**	**31.03.23**	**31.03.22**
दायित्व का वर्तमान मूल्य	216.35	168.36	257.64	237.76	20.24	16.15
संक्रमणशील देयता का प्रारम्भिक शेष	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
वर्ष के दौरान मान्य संक्रमणशील देयता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
संक्रमणशील देयता का अतिशेष	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
तुलनपत्र में मान्य देयता	216.35	168.38	257.64	237.76	20.24	16.15

विवरण	धारणा का आधार (मूल कंपनी)
बट्टा दर	दायित्वों की अनुमानित अवधि तथा मुद्रा के अनुरूप अवधि के सरकारी बांड पत्रों (एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित) पर तुलन पत्र की तिथि को बाजार प्रतिफलों के अनुसार बट्टा दर निर्धारित की गयी है।
योजना आस्तियों पर प्रतिफल की संभावित दर	यह माना जाता है कि पेंशन, उपदान और छुट्टी नकदीकरण निधि से संबंधित योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रतिलाभ प्रति वर्ष 7.48%होगा।
वेतनवृद्धि दर (एसईआर)	आईबीए द्वारा प्रदान किए गए व्यापक मार्गदर्शन के आधार पर, बैंक के लिए एसईआर को 6.00% प्रति वर्ष लिया गया है।
पलायन दर	पिछले अनुभव और स्वैच्छिक आहरण से संबंधित भविष्य के अनुभव के संदर्भ में पलायन दर 1% निर्धारित की गयी है।

	Equity Shares of listed companies/ Mutual Fund Investments	0.24%	0.28%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Property	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Special deposit scheme/ FDR's	2.47%	4.06%	4.00%	6.00%	0.00%	0.00%
	Funds managed by Insurer/ Investments in Life Insurance Companies	75.61%	69.10%	72.00%	66.00%	100.00%	100.00%
	Other Deposits, Accruals etc.	2.58%	6.53%	10.00%	10.00%	0.00%	0.00%
	TOTAL	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

TABLE XI -ENTERPRISE'S BEST ESTIMATE OF CONTRIBUTION DURING NEXT YEAR

	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Funded)	
	31.03.23	31.03.22	31.03.23	31.03.22	31.03.23	31.03.22
Bank's best estimate of Contribution during next year	890.00	720.00	210.07	230.08	440.07	410.07

TABLE XII- Other Long Term employee benefits (Unfunded)

Particulars	Sick Leave & Un availed Casual leave (Unfunded)		Leave Fare concession (unfunded)		Silver Jubilee Bonus (unfunded)	
	31.03.23	31.03.22	31.03.23	31.03.22	31.03.23	31.03.22
Present Value of Obligation	216.35	168.36	257.64	237.76	20.24	16.15
Opening Balance of Transitional Liability	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transitional Liability recognized in the year	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Closing Balance Of Transitional Liability	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Liability Recognized in balance Sheet	216.35	168.36	257.64	237.76	20.24	16.15

Particulars	Basis of assumption (Parent Company)
Discount Rate	Discount Rate has been determined by reference to market yields at the balance Sheet date on Government bonds (published by FBIL) of term consistent with currency and estimated term of the obligations.
Expected Rate of Return on Plan Assets	It is assumed that return on the plan assets pertaining to the Pension, Gratuity and Leave Encashment fund will be 7.45% p.a.
Salary Escalation Rate (SER)	Based on the broad guidance provided by IBA, SER for the bank has been taken at 6.00% p.a.
Attrition Rate	Attrition rate is assumed at 1% taken with reference to past experience and expected future experience related to voluntary withdrawals.

4.5 i) परिभाषित अंशदान योजना (मूल कंपनी) —

बैंक ने दिनांक 01.04.2010 को या उसके बाद कार्यभार ग्रहण करने वाले सभी श्रेणी के कर्मचारियों पर लागू अंशदान योजना को परिभाषित किया है। यह योजना पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण के अंतर्गत एनपीएस ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित है। राष्ट्रीय सिक्यूरिटी डिपाजिटरी लि. (प्रोटीन ई–गव टेक्नोलॉजीज लिमिटेड) को एनपीएस के लिए केन्द्रीय रिकार्ड कीपिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है।

अंशदान का विवरण इस प्रकार है%

वित्तीय वर्ष 2022–2023= ₹1220.32 करोड़

(इस अंशदान में बैंक कर्मचारी दोनों का अंशदान शामिल है)

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान=₹974.43 करोड़

(इस अंशदान में बैंक कर्मचारी दोनों का अंशदान शामिल है)

4.5 ii) 11वें द्वि–पक्षीय समझौते के तहत कवर और 11 नवंबर 2020 के संयुक्त नोट के अनुसरण में बैंक के कर्मचारियों को देय परिवार पेंशन में संशोधन के अनुसार बैंक ने रु.3093.95 करोड़ की अतिरिक्त देनदारी का अनुमान लगाया था, जिसमें से वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान आरबीआई परिपत्र संख्या आरबीआई/2021–22/105 डीओआर. एसीसी.आरईसी.57/21.04.018/2021–22 दिनांक 04 अक्टूबर 2021 के अनुसार रु. 1573.79 करोड़ का परिशोधन किया गया था और वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान लाभ और हानि खाते में 1520.16 करोड़ रुपये का अपरिशोधित हिस्सा पूरी तरह से चार्ज किया गया है। अतिरिक्त परिवार पेंशन के कारण तुलन पत्र में कोई अपरिशोधित व्यय नहीं है।

4.6 लेखा मानक 17 – खंडवार रिपोर्टिंग

खंड पहचान

I. **प्राथमिक (कारोबार खंड)%**

बैंक के प्राथमिक कारोबार खंड निम्नलिखित हैं%–

i.) ट्रेजरी% ट्रेजरी खंड में संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो और विदेशी मुद्रा अनुबंधों तथा व्युत्पन्न अनुबंधों में व्यापार शामिल है। ट्रेजरी खंड के राजस्व में मुख्य रूप से निवेश पोर्टफोलियो पर कारोबार परिचालन और ब्याज आय से शुल्क और लाभ या हानि शामिल है।

ii.) कॉर्पोरेट/ थोक बैंकिंग % भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश आरबीआई/2020–21/53 डीओआर.सं.बीपी. बीसी.23/21.06.201/ 2020–21 दिनांक 12 अक्टूबर 2020 के अनुसार कॉर्पोरेट / थोक बैंकिंग खंड में रु.7.50 करोड़ और उससे अधिक के जोखिम वाले उधारकर्ताओं की उधार गतिविधियाँ शामिल हैं।

iii.) रिटेल बैंकिंग % रिटेल बैंकिंग खंड में उन उधारकर्ताओं के खातों को शामिल किया गया है जिनका एक्सपोजर रु.7.50 करोड़ से कम है।

4.5 i) Defined Contribution Plans (Parent Company) : -

The Bank has Defined Contribution Plan applicable to all categories of employees joining the Bank on or after 01.04.2010. The scheme is managed by NPS trust under the aegis of the Pension Fund Regulatory and Development Authority. National Securities Depository Limited (Protean eGov Technologies Limited) has been appointed as the Central Record Keeping Agency for the NPS.

The detail of the contribution is as under -

During the Financial Year 2022-2023= Rs 1220.32 Crore (Contribution Includes both Bank + Employee contribution)

During the Financial Year 2021-2022= Rs 974.43 Crore (Contribution Includes both Bank + Employee contribution)

4.5 ii) Pursuant to the revision in family pension payable to the employees of the Bank, covered under 11th Bi- Partite Settlement and joint note dated November 11, 2020, the Bank had estimated additional liability of Rs.3093.95 Crore, of which a sum of Rs.1573.79 Crore was amortized during the financial year 2021-22, in terms of RBI Circular no. RBI/2021-22/105 DOR.ACC.REC.57/21.04.018/2021-22 dated October 04, 2021 and unamortized part of Rs.1520.16 Crore has been fully charged to the Profit & Loss Account during the FY 2022-23. There is no unamortized expenditure in the Balance Sheet on account of additional family pension.

4.6 Accounting Standard 17 - Segment Reporting

Segment Identification

I. **Primary (Business Segment) :**

The following are the primary segments of the Bank:-

i) Treasury: The Treasury Segment includes the entire investment portfolio and trading in foreign exchange contracts and derivative contracts. The revenue of the treasury segment primarily consists of fees and gains or losses from trading operations and interest income on the investment portfolio.

ii) **Corporate / Wholesale Banking:** As per the RBI guidelines RBI/2020-21/53, DOR.No.BP.BC.23/21.06.201/2020-21, dated 12th October 2020, the Corporate / Wholesale Banking segment comprises the lending activities of borrowers having exposure of ₹7.50Crores and above.

iii) **Retail Banking:** The Retail Banking Segment comprises of borrower accounts having exposure of less than ₹7.50Crores.

iv. अन्य बैंकिंग परिचालन खंड जो उपरोक्त (i) से (iii) के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं हैं इस प्राथमिक खंड के अंतर्गत वर्गीकृत किए गए हैं।

II. **द्वितीयक (भौगोलिक खंड)%**

i) देशीय परिचालन – भारत में परिचालित शाखाएं / कार्यालय

ii) विदेशी परिचालन – भारत के बाहर परिचालित शाखाएं / कार्यालय और भारत में परिचालित विदेशी आर्थिक क्षेत्र में स्थित बैंकिंग इकाईयां।

III. **आवंटन का आधार**

ब्याज आय का आवंटन विभिन्न खंडों से प्राप्त वास्तविक ब्याज के आधार पर किया जाता है।

थोक बैंकिंग / खुदरा बैंकिंग खंड / अन्य बैंकिंग खंड द्वारा अर्जित ब्याज आय के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार नहीं होने वाले व्यय आवंटित किए जाते हैं।

प्रत्येक खंड के लिए नियोजित पूंजी की गणना उस विशेष खंड की संपत्ति और देनदारियों के आधार पर की जाती है।

बैंक के पास कुछ सामान्य संपत्तियां और देनदारियां हैं, जिन्हें किसी भी खंड के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, और उन्हें असंबद्ध माना जाता है।

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए खंड रिपोर्टिंग

भाग ए: व्यापार खंड

(राशि करोड़ रुपये में)

क्रमांक	विवरण	समाप्त वर्ष	
		31.03.2023 लेखा परीक्षित	31.03.2022 लेखा परीक्षित
1	खंड राजस्व		
	ए) ट्रेजरी परिचालन	28123.94	30244.25
	बी) कॉर्पोरेट / थोक बैंकिंग	40732.73	30887.23
	सी) रिटेल बैंकिंग	27071.27	24783.71
	1) डिजिटल बैंकिंग	0.02	
	2) अन्य रिटेल बैंकिंग	27071.25	24783.71
	डी) अन्य बैंकिंग परिचालन	3156.94	2424.3
	कुल राजस्व	**99084.88**	**88339.49**
2	खंड परिणाम		
	ए) ट्रेजरी परिचालन	7185.00	9191.30
	बी) कॉर्पोरेट / थोक बैंकिंग	−2816.51	−4052.27
	सी) रिटेल बैंकिंग	3920.39	3110.22
	1) डिजिटल बैंकिंग	−4.35	
	2) अन्य रिटेल बैंकिंग	3924.74	3110.22

iv) **Other Banking Operations** Segments not classified under (i) to (iii) above are classified under this primary segment.

II **Secondary (Geographical Segment) :**

i) Domestic Operations - Branches/Offices having operations in India

ii) Foreign Operations - Branches /Offices having operations outside India and offshore banking units having operations in India

III. **Basis of allocation**

The interest income is allocated on the basis of actual interest received from different segments

Expenses not directly attributable are allocated on the basis of Interest Income earned by the wholesale banking / retail banking segment /other banking segment

Capital employed for each segment is calculated based on the assets and liabilities of that particular segment

The Bank has certain common assets and liabilities, which cannot be attributed to any segment, and the same are treated as unallocated.

SEGMENT REPORTING FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2023

PART A – BUSINESS SEGMENTS

(Rs in Crores)

Sr. No.	Particulars	Year Ended	
		31.03.2023 Audited	31.03.2022 Audited
1	Segment Revenue		
	(a) Treasury Operations	28123.94	30244.25
	(b) Corporate Wholesale Banking	40732.73	30887.23
	(c) Retail Banking	27071.27	24783.71
	1) Digital Banking	0.02	
	2) Other Retail Banking	27071.25	24783.71
	(d) Other Banking Operations	3156.94	2424.3
	Total Revenue	**99084.88**	**88339.49**
2	Segment Results		
	(a) Treasury Operations	7185.00	9191.30
	(b) Corporate Wholesale Banking	-2816.51	-4052.27
	(c) Retail Banking	3920.39	3110.22
	1) Digital Banking	-4.35	
	2) Other Retail Banking	3924.74	3110.22

क्रमांक	विवरण	समाप्त वर्ष	
		31.03.2023 लेखा परीक्षित	31.03.2022 लेखा परीक्षित
	डी) अन्य बैंकिंग परिचालन	1128.64	620.96
	कुल	**9417.52**	**8870.21**
	अनाबंटित व्यय	4556.10	4275.69
	प्रावधान और आकस्मिकताएं		
	कर पूर्व लाभ	4861.42	4594.52
	कर हेतु प्रावधान	1792.08	918.56
	असामान्य मदें	0.00	0.00
	एसोसिएट्स में अर्जन का हिस्सा (निवल)	289.44	231.63
	अल्पांश हितलाभ	10.33	46.85
	निवल लाभ	**3348.45**	**3860.74**
3	**आस्ति खंड**		
	ए) ट्रेजरी परिचालन	490396.13	441108.02
	बी) कॉर्पोरेट/ थोक बैंकिंग	604518.31	545178.01
	सी) रिटेल बैंकिंग	302145.46	281644.19
	1) डिजिटल बैंकिंग	1.86	
	2) अन्य रिटेल बैंकिंग	302143.60	281644.19
	डी) अन्य बैंकिंग परिचालन	49526.55	44903.10
	ई) अनाबंटित	47062.49	46467.81
	कुल	**1493648.94**	**1339301.13**
4	**देयता खंड**		
	ए) ट्रेजरी परिचालन	468241.16	421033.81
	बी) कॉर्पोरेट/ थोक बैंकिंग	582274.16	523784.94
	सी) रिटेल बैंकिंग	292978.42	253207.32
	1) डिजिटल बैंकिंग	6.09	
	2) अन्य रिटेल बैंकिंग	292972.33	253207.32
	डी) अन्य बैंकिंग परिचालन	46056.66	42478.98
	ई) अनाबंटित	1218.04	1214.16
	जोड़	**1390768.44**	**1241719.21**
5	**पूंजी नियोजित**		
	ए) ट्रेजरी परिचालन	22154.97	20074.21
	बी) कॉर्पोरेट/ थोक बैंकिंग	22244.15	21393.07
	सी) रिटेल बैंकिंग	9167.04	8436.87
	1) डिजिटल बैंकिंग	−4.23	
	2) अन्य रिटेल बैंकिंग	9171.27	8436.87
	डी) अन्य बैंकिंग परिचालन	3469.89	2424.12
	ई) अनाबंटित	**45844.45**	**45253.65**

Sr. No.	Particulars	Year Ended	
		31.03.2023 Audited	31.03.2022 Audited
	(d) Other Banking Operations	1128.64	620.96
	Total	**9417.52**	**8870.21**
	Unallocated Expenditure	4556.10	4275.69
	Provisions & Contingencies		
	Profit before Tax	**4861.42**	**4594.52**
	Provision for Tax	1792.08	918.56
	Extraordinary Items	0.00	0.00
	Share of Earning in Associates(Net)	289.44	231.63
	Minority Interest	10.33	46.85
	Net profit	**3348.45**	**3860.74**
3	**Segment Assets**		
	(a) Treasury Operations	490396.13	441108.02
	(b) Corporate Wholesale Banking	604518.31	545178.01
	(c) Retail Banking	302145.46	281644.19
	1) Digital Banking	1.86	
	2) Other Retail Banking	302143.60	281644.19
	(d) Other Banking Operations	49526.55	44903.10
	(e) Unallocated	47062.49	46467.81
	Total	**1493648.94**	**1339301.13**
4	**Segment Liabilities**		
	(a) Treasury Operations	468241.16	421033.81
	(b) Corporate/Wholesale Banking	582274.16	523784.94
	(c) Retail Banking	292978.42	253207.32
	1) Digital Banking	6.09	
	2) Other Retail Banking	292972.33	253207.32
	(d) Other Banking Operations	46056.66	42478.98
	(e) Unallocated	1218.04	1214.16
	Total	**1390768.44**	**1241719.21**
5	Capital Employed		
	(a) Treasury Operations	22154.97	20074.21
	(b) Corporate/Wholesale Banking	22244.15	21393.07
	(c) Retail Banking	9167.04	8436.87
	1) Digital Banking	-4.23	
	2) Other Retail Banking	9171.27	8436.87
	(d) Other Banking Operations	3469.89	2424.12
	(e) Unallocated	45844.45	45253.65

क्रमांक	विवरण	समाप्त वर्ष	
		31.03.2023 लेखा परीक्षित	31.03.2022 लेखा परीक्षित
	कुल नियोजित पूंजी	102880.54	97581.92

भाग बी% भौगोलिक खंड (करोड़ रु.में)

क्रमांक	विवरण	समेकित	
		समाप्त वर्ष	
		31.03.2023 लेखा परीक्षित	31.03.2022 लेखा परीक्षित
1	राजस्व		
	ए) घरेलू	96537.10	87409.26
	बी) अंतरराष्ट्रीय	2547.78	930.23
	कुल	99084.88	88339.49
2	आस्तियां		
	ए) घरेलू	1420938.21	1285938.02
	बी) अंतरराष्ट्रीय	72710.73	53363.11
	कुल	1493648.94	1339301.12

टिप्पणी–

1. खंड देयताओं को उनके संबंधित खंड आस्तियों के अनुपात में वितरित किया जाता है।
2. पिछली अवधि के आंकड़ों को जहां जहां आवश्यक हुआ, पुनर्वर्गीकृत किया गया है।
3. आरबीआई के परिपत्र आरबीआई/2022–23/19 डीओआर.एयूटी. आरईसी.12/22.01.001/2022–23 दिनांक 07 अप्रैल 2022 के अनुसार लेखा मानक 17, खंड रिपोर्टिंग, डिजिटल बैंकिंग खंड के तहत प्रकटीकरण के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा खुदरा बैंकिंग के तहत उप–खंड के रूप में पहचान की गई है। 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक की 8 (आठ) डिजिटल बैंकिंग इकाइयों (डीबीयू) ने परिचालन शुरू कर दिया है और खुदरा बैंकिंग संचालन के तहत डिजिटल बैंकिंग के रूप में प्रकट खंड की जानकारी उक्त डीबीयू से संबंधित है।

4.7 लेखा मानक 18 – आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक –18 के अनुसार संबंधित पक्षों का प्रकटीकरण% (मूल कंपनी)

संबंधित पक्षों के नाम और बैंक के साथ उनके संबंध%

प्रबंधन के प्रमुख कार्मिक (केएमपी):

i) श्री अतुल कुमार गोयल, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
ii) श्री संजय कुमार, कार्यपालक निदेशक, 30.11.2022 तक*
iii) श्री विजय दुबे, कार्यपालक निदेशक।
iv) श्री स्वरूप कुमार साहा, कार्यपालक निदेशक, 10.03.2021 से 03.06.2022**
v) श्री कल्याण कुमार, कार्यपालक निदेशक
vi) श्री बिनोद कुमार, कार्यपालक निदेशक 21.11.2022 से
vii) श्री एम. परमशिवम कार्यपालक निदेशक, 01.12.2022 से

*कार्यकाल दिनांक 30.11.2022 को पूर्ण हुआ

Sr. No.	Particulars	Year Ended	
		31.03.2023 Audited	31.03.2022 Audited
	Total Capital Employed	102880.54	97581.92

PART B - GEOGRAPHICAL SEGMENTS

(Rs. in Crores)

Sr. No.	Particulars	CONSOLIDATED	
		Year Ended	
		31.03.2023 Audited	31.03.2022 Audited
1	Revenue		
	(a) Domestic	96537.10	87409.26
	(b) International	2547.78	930.23
	Total	**99084.88**	**88339.49**
2	Assets		
	(a) Domestic	1420938.21	1285938.02
	(b) International	72710.73	53363.11
	Total	**1493648.94**	**1339301.13**

Notes:

1. Segment Liabilities are distributed in the ratio of their respective Segment Assets.
2. Figures of the previous period have been re-grouped/re-classified wherever necessary.
3. As per RBI Circular RBI/2022-23/19 DOR.AUT.REC. 12/22.01.001/2022-23 dated April 07, 2022, for the purpose of disclosure under Accounting Standard 17, Segment Reporting, Digital Banking Segment has been identified as sub-segment under Retail Banking by Reserve Bank of India (RBI) . During the year ended March 31, 2023, 8 (eight) Digital Banking Units (DBUs) of the Bank have commenced operations and the segment information disclosed as Digital Banking under Retail Banking Operations is related to the said DBUs.

4.7 Accounting Standard 18 - Disclosure of Related Parties as per Accounting Standard -18 issued by ICAI: (Parent Company).

Names of the related parties and their relationship with the Bank:

Key Management Personnel (KMP) :

i) Shri Atul Kumar Goel, Managing Director & CEO.
ii) Shri Sanjay Kumar, Executive Director, upto 30.11.2022*
iii) Shri Vijay Dube, Executive Director.
iv) Shri Swarup Kumar Saha, Executive Director, 10.03.2021 to 03.06.2022**
v) Shri Kalyan Kumar, Executive Director
vi) Shri Binod Kumar, Executive Director Since 21.11.2022
vii) Shri M. Paramasivam, Executive Director, since 01.12.2022

**कार्यकाल दिनांक 03.08.2022 तक

समनुषंगी:

i) पीएनबी गिल्ट्स लि.
ii) पीएनबी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज लि.
iii) पीएनबी कार्ड्स एंड सर्विसेज लि.
iv) पंजाब नैशनल बैंक (अंतर्राष्ट्रीय) लि., यूके
v) ड्रुक पीएनबी बैंक लि., भूटान

सहयोगी:

i) पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इन्श्योरेंस कंपनी*
ii) पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
iii) जेएससी (टेंगरी बैंक), अल्माटी, कजाखस्तान**
iv) केनरा एचएसबीसी लाइफ इन्श्योरेंस कंपनी लि.
v) भारत एसएमई आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी लि.
vi) एवरेस्ट बैंक लिमिटेड, काठमांडू, नेपाल
vii) दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, पटना
viii) हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, मंडी
ix) पंजाब ग्रामीण बैंक, कपूरथला
x) सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, रोहतक
xi) प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक, मुरादाबाद
xii) असम ग्रामीण विकास बैंक, गुवाहाटी
xiii) बंगीय ग्रामीण विकास बैंक, पश्चिम बंगाल
xiv) मणिपुर ग्रामीण/रूरल बैंक, इम्फाल
xv) त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, अगरतला

*पीएनबी ने ब्लॉक इक्विटी के रूप में 700.48 रुपये में पीएनबी मेटलाइफ में 30% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है।
**एएफआर ने 18.09.2020 से जेएससी टेंगरी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया और यह परिसमापन के अधीन है।

अन्य%

i) **पीएनबी सेंटेनरी रूरल डेवेलपमेंट ट्रस्ट**

संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन%

(राशि करोड़ रुपये में)

मदें/संबंधित पार्टी	मूल** (स्वामित्व या नियंत्रण के अनुसार)		समनुषंगी**		सहायक/संयुक्त उपक्रम		प्रमुख प्रबंधन कार्मिक		प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के रिश्तेदार		कुल	
	वर्ष के अंत में बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि	वर्ष के अंत में बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि	वर्ष के अंत में बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि	वर्ष के अंत में बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि	वर्ष के अंत में बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि	वर्ष के अंत में बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि
पारिश्रमिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	–	–	2.54	–	–	–	2.54	–
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	–	–	(2.74)	–	–	–	(2.74)	–
उधार	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	25.01	25.01	–	–	–	–	25.01	25.01
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	(25.01)	(25.01)	–	–	–	–	(25.01)	(25.01)
जमाराशि	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	1090.38	1229.98					1090.38	1229.98
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	(124.68)	(157.80)	–	–	–	–	(124.68)	(157.80)
जमाराशियों की नियोजन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00	0.00					0.00	0.00
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	(0.00)	(0.00)	–	–	–	–	(0.00)	(0.00)

*** Tenure completed on 30.11.2022.**
****Tenure up to 03.06.2022**

Subsidiaries:

i) PNB Gilts Ltd.
ii) PNB Investment Services Ltd.
iii) PNB Cards and Services Ltd.
iv) Punjab National Bank (International) Ltd., UK.
v) Druk PNB Bank Ltd, Bhutan.

Associates:

i) PNB Metlife India Insurance Company Ltd*
ii) PNB Housing Finance Limited
iii) JSC (Tengri Bank) , Almaty, Kazakhstan**
iv) Canara HSBC Life Insurance Co. Ltd.
v) India SME Asset Reconstruction Co. Ltd.
vi) Everest Bank Limited, Kathmandu, Nepal
vii) Dakshin Bihar Gramin Bank, Patna
viii) Himachal Pradesh Gramin Bank, Mandi
ix) Punjab Gramin Bank, Kapurthala
x) Sarva Haryana Gramin Bank, Rohtak
xi) Prathama UP Gramin Bank, Moradabad
xii) Assam Gramin Vikas Bank, Guwahati
xiii) Bangiya Gramin Vikas Bank, West Bengal
xiv) Manipur Rural Bank, Imphal
xv) Tripura Gramin Bank, Agartala

*PNB has acquired 30% stake in PNB Metlife at consideration of Rs. 700.48 as brand equity.
**AFR revoked license of JSC Tengri Bank w.e.f. 18.09.2020 and is under Liquidation.

Others:

i) PNB Centenary Rural Development Trust

Transactions with Related Parties:

(Amount in ₹ Crores)

Items/ Related Party	Parent** (as per ownership or control)		Subsidiaries**		Associates/ Joint ventures		Key Management Personnel		Relatives of Key Management Personnel		Total	
	Outstanding at year end	Maximum amount outstanding during the year	Outstanding at year end	Maximum amount outstanding during the year	Outstanding at year end	Maximum amount outstanding during the year	Outstanding at year end	Maximum amount outstanding during the year	Outstanding at year end	Maximum amount outstanding during the year	Outstanding at year end	Maximum amount outstanding during the year
Remuneration	N.A	N.A	N.A	N.A	-	-	2.52	-	-	-	2.53	-
	N.A	N.A	N.A	N.A	-	-	(2.74)	-	-	-	(2.74)	-
Borrowings	N.A	N.A	N.A	N.A	25.01	25.01	-	-	-	-	25.01	25.01
	N.A	N.A	N.A	N.A	(25.01)	(25.01)	-	-	-	-	(25.01)	(25.01)
Deposits	N.A	N.A	N.A	N.A	1080.28	1228.98	-	-	-	-	1080.28	1228.98
	N.A	N.A	N.A	N.A	(124.66)	(157.80)	-	-	-	-	(124.66)	(157.80)
Placement of Deposits	N.A	N.A	N.A	N.A	0.00	0.00	-	-	-	-	0.00	0.00
	N.A	N.A	N.A	N.A	(0.00)	(0.00)	-	-	-	-	(0.00)	(0.00)

मदें / संबंधित पार्टी	मूल** (स्वामित्व या नियंत्रण के अनुसार)		सहानुषंगी**		सहायक / संयुक्त उपक्रम		प्रमुख प्रबंधन कार्मिक		प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के रिश्तेदार		कुल	
	वर्ष के अंत में बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि	वर्ष के अंत में बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि	वर्ष के अंत में बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि	वर्ष के अंत में बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि	वर्ष के अंत में बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि	वर्ष के अंत में बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि
अन्य देयताएं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	0.44	2.37					0.44	2.37
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	(0.81)	(1.52)					(0.81)	(1.52)
[illegible]	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00	0.00	–	–	–	–	0.00	0.00
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	(0.00)	(0.00)	–	–	–	–	(0.00)	(0.00)
प्रीमियम (आईडीबीआई उधार)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00	0.00					0.00	0.00
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	(0.00)	(0.00)	–	–	–	–	(0.00)	(0.00)
प्रीमियम (आईडीबीआई जमा)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00	0.00					0.00	0.00
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	(0.00)	(0.00)	–	–	–	–	(0.00)	(0.00)
प्रीमियम (अन्य)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	4536.69	4651.76					4536.69	4651.76
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	(4226.80)	(4634.48)	–	–	–	–	(4226.80)	(4634.48)
निवेश	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	617.54	617.54					617.54	617.54
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	(617.54)	(617.54)	–	–	–	–	(617.54)	(617.54)
डिबेंचरों में निवेश	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	–	–	–	–	–	–	–	–
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	–	–	–	–	–	–	–	–
अन्य आस्तियां	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	111.42	132.02					111.42	132.02
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	(129.81)	(212.13)					(129.81)	(212.13)
गैर-निवेश प्रतिभूति या डिपॉजिट/बीजी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	7.83	7.83	–	–	–	–	7.83	7.83
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	(17.89)	(17.89)	–	–	–	–	(17.89)	(17.89)
पट्टेदारी/एजेंसी व्यवस्था का लाभ उठाया	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	–	–	–	–	–	–	–	–
पट्टेदारी/एजेंसी व्यवस्था प्रदान की गई	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	–	–	–	–	–	–	–	–
अचल आस्तियों की खरीद	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	–	–	–	–	–	–	–	–
अचल आस्तियों की बिक्री	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	–	–	–	–	–	–	–	–
आईडीबीआई बैंक बीमा शुल्क लेनदेन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	–	–	–	–	–	–	–	–
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	–	–	–	–	–	–	–	–
आईडीबीआई प्रदत्त बीमा शुल्क लेनदेन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	–	–	–	–	–	–	–	–
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	–	–	–	–	–	–	–	–
जमाकर्ताओं पर प्रदत्त ब्याज	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं								
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	–	–	–	–	–	–	–	–
आईडीबीआई पर प्रदत्त ब्याज	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	–	–	–	–	–	–	–	–
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	–	–	–	–	–	–	–	–
अन्य प्रदत्त ब्याज	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	5.45	–	–	–	–	–	5.45	–
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	(4.70)	–	–	–	–	–	(4.70)	–

Items/ Related Party	Parent** (as per ownership or control)		Subsidiaries**		Associates/ Joint ventures		Key Management Personnel		Relatives of Key Management Personnel		Total	
	Outstanding at year end	Maximum amount outstanding during the year	Outstanding at year end	Maximum amount outstanding during the year	Outstanding at year end	Maximum amount outstanding during the year	Outstanding at year end	Maximum amount outstanding during the year	Outstanding at year end	Maximum amount outstanding during the year	Outstanding at year end	Maximum amount outstanding during the year
Other Liabilities	N.A	N.A	N.A	N.A	0.44	2.57	-	-	-	-	0.44	2.57
	N.A	N.A	N.A	N.A	(0.61)	(1.52)	-	-	-	-	(0.61)	(1.52)
Balance with banks and Money at call and short notice	N.A	N.A	N.A	N.A	0.00	0.00	-	-	-	-	0.00	0.00
	N.A	N.A	N.A	N.A	(0.00)	(0.00)	-	-	-	-	(0.00)	(0.00)
Advances (IBPC borrowings)	N.A	N.A	N.A	N.A	0.00	0.00	-	-	-	-	0.00	0.00
	N.A	N.A	N.A	N.A	(0.00)	(0.00)	-	-	-	-	(0.00)	(0.00)
Advances (IBPC lending)	N.A	N.A	N.A	N.A	0.00	0.00	-	-	-	-	0.00	0.00
	N.A	N.A	N.A	N.A	(0.00)	(0.00)	-	-	-	-	(0.00)	(0.00)
Advances (Others)	N.A	N.A	N.A	N.A	4636.68	4651.78	-	-	-	-	4636.68	4651.78
	N.A	N.A	N.A	N.A	(4325.89)	(4634.45)	-	-	-	-	(4325.89)	(4634.45)
Investments	N.A	N.A	N.A	N.A	817.34	817.54	-	-	-	-	817.34	817.54
	N.A	N.A	N.A	N.A	(817.54)	(817.54)	-	-	-	-	(817.54)	(817.54)
Investments in Debentures	N.A	N.A	N.A	N.A	-	-	-	-	-	-	-	-
	N.A	N.A	N.A	N.A	-	-	-	-	-	-	-	-
Other Assets	N.A	N.A	N.A	N.A	111.43	152.03	-	-	-	-	111.43	152.03
	N.A	N.A	N.A	N.A	(129.81)	(212.15)	-	-	-	-	(129.81)	(212.15)
Non funded Commitments (LCs/BGs)	N.A	N.A	N.A	N.A	7.63	7.63	-	-	-	-	7.63	7.63
	N.A	N.A	N.A	N.A	(17.89)	(17.89)	-	-	-	-	(17.89)	(17.89)
Leasing/ HP arrangements availed	N.A	N.A	N.A	N.A	-	-	-	-	-	-	-	-
Leasing/ HP arrangements provided	N.A	N.A	N.A	N.A	-	-	-	-	-	-	-	-
Purchase of fixed assets	N.A	N.A	N.A	N.A	-	-	-	-	-	-	-	-
Sale of Fixed Assets	N.A	N.A	N.A	N.A	-	-	-	-	-	-	-	-
Transaction IBPC Sale Deal Value	N.A	N.A	N.A	N.A	-	-	-	-	-	-	-	-
	N.A	N.A	N.A	N.A	-	-	-	-	-	-	-	-
Transaction IBPC Purchase Deal Value	N.A	N.A	N.A	N.A	-	-	-	-	-	-	-	-
	N.A	N.A	N.A	N.A	-	-	-	-	-	-	-	-
Interest paid on Deposits	N.A	N.A	N.A	N.A								
	N.A	N.A	N.A	N.A	-	-	-	-	-	-	-	-
Interest Paid on IBPC	N.A	N.A	N.A	N.A	-	-	-	-	-	-	-	-
	N.A	N.A	N.A	N.A	-	-	-	-	-	-	-	-
Interest Paid Others	N.A	N.A	N.A	N.A	9.45	-	-	-	-	-	9.45	-
	N.A	N.A	N.A	N.A	(4.70)	-	-	-	-	-	(4.70)	-

मदें / संबंधित पार्टी	मूल** (स्वामित्व या नियंत्रण के अनुसार)		अनुषंगी**		सहायक / संयुक्त उपक्रम		प्रमुख प्रबंधन कार्मिक		प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के रिश्तेदार		कुल	
	वर्ष के अंत में बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि	वर्ष के अंत में बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि	वर्ष के अंत में बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि	वर्ष के अंत में बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि	वर्ष के अंत में बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि	वर्ष के अंत में बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि
आईबीपीसी पर प्राप्त ब्याज	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	–	–	–	–	–	–	–	–
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	–	–	–	–	–	–	–	–
अन्य प्राप्त ब्याज	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	557.07	–					557.07	–
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	(588.62)	–	–	–	–	–	(588.62)	–
सेवाओं की प्राप्ति	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	–	–	–	–	–	–	–	–
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	–	–	–	–	–	–	–	–
सेवाओं का प्रतिपादन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	–	–	–	–	–	–	–	–
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	–	–	–	–	–	–	–	–
प्रबंधन संविदाएं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	0.34	–	–	–	–	–	0.34	–
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	(0.34)	–	–	–	–	–	(0.34)	–
प्राप्त लाभांश	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	–	–	–	–	–	–	–	–
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	–	–	–	–	–	–	–	–
बैंक प्रभार	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	1.16	–	–	–	–	–	1.16	–
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	(0.22)	–	–	–	–	–	(0.22)	–
जमा पर प्रदत्त ब्याज	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	–	–					–	–
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	–	–					–	–
प्राप्त कमीशन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	–	–	–	–	–	–	–	–
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	–	–	–	–	–	–	–	–
अन्य व्यय	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	8.42	–	–	–	–	–	8.42	–
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	(194.21)	–	–	–	–	–	(194.21)	–
अन्य आय	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	318.92	–	–	–	–	–	318.92	–
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	(288.05)	–	–	–	–	–	(288.05)	–

नोट: 1. **अनुषंगियों और कुछ सहयोगी संस्थाओं के साथ लेन-देन का प्रकटीकरण लेखा मानक-18 'संबंधित पार्टी प्रकटीकरण' के पैरा-9 के मद्देनजर नहीं किया गया है, जो राज्य नियंत्रित उद्यमों को उनकी ऐसी अन्य संबंधित पार्टियों से लेनदेन में किसी से संबंधित सूचना देने से छूट देता है, जो राज्य नियंत्रित हों।

2. इसके अलावा, लेखा मानक 18 के पैरा 5 के सन्दर्भ में, बैंकर-ग्राहक संबंधों की प्रकृति में लेनदेन का खुलासा नहीं किया गया है, जिसमें प्रमुख प्रबंधन कर्मियों और प्रमुख प्रबंधन कर्मियों के रिश्तेदारों के साथ लेनदेन शामिल हैं।

3. रिपोर्ट की गई राशि प्रावधान का शुद्ध है, यदि कोई हो।

4. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष से संबंधित हैं और जहां कहीं आवश्यक हो उन्हें पुनर्समूहित/पुनर्व्यवस्थित/पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

4.8: लेखा मानक 19 – पट्टे (मूल कंपनी)

i. परिचालन पट्टे में मुख्य रूप से कार्यालय परिसर शामिल होते हैं, जो कि बैंक के विकल्प पर सामान्य रूप से हर 3/5 वर्ष के अंत में नवीकरण किए जाते हैं।

ii. उपलब्ध जानकारी के अनुसार 31.03.2023 को गैर-रद्द करने योग्य पट्टा: शून्य (पिछले वर्ष शून्य)।

iii. परिचालन पट्टे के लिए लाभ एवं हानि खाते में मान्यता प्राप्त पट्टे के भुगतान की राशि निम्नानुसार है:

Items/ Related Party	Parent** (as per ownership or control)		Subsidiaries**		Associates/ Joint ventures		Key Management Personnel		Relatives of Key Management Personnel		Total	
	Outstanding at year end	Maximum amount outstanding during the year	Outstanding at year end	Maximum amount outstanding during the year	Outstanding at year end	Maximum amount outstanding during the year	Outstanding at year end	Maximum amount outstanding during the year	Outstanding at year end	Maximum amount outstanding during the year	Outstanding at year end	Maximum amount outstanding during the year
Interest received on IBPC	N.A	N.A	N.A	N.A	-	-	-	-	-	-	-	-
	N.A	N.A	N.A	N.A	-	-	-	-	-	-	-	-
Interest received Others	N.A	N.A	N.A	N.A	557.07	-	-	-	-	-	557.07	-
	N.A	N.A	N.A	N.A	(586.62)	-	-	-	-	-	(586.62)	-
Receiving of Services	N.A	N.A	N.A	N.A	-	-	-	-	-	-	-	-
	N.A	N.A	N.A	N.A	-	-	-	-	-	-	-	-
Rendering of Services	N.A	N.A	N.A	N.A	-	-	-	-	-	-	-	-
	N.A	N.A	N.A	N.A	-	-	-	-	-	-	-	-
Management contracts	N.A	N.A	N.A	N.A	0.54	-	-	-	-	-	0.54	-
	N.A	N.A	N.A	N.A	(0.54)	-	-	-	-	-	(0.54)	-
Dividend received	N.A	N.A	N.A	N.A	-	-	-	-	-	-	-	-
	N.A	N.A	N.A	N.A	-	-	-	-	-	-	-	-
Bank Charges	N.A	N.A	N.A	N.A	1.13	-	-	-	-	-	1.13	-
	N.A	N.A	N.A	N.A	(0.22)	-	-	-	-	-	(0.22)	-
Interest Paid on Bonds	N.A	N.A	N.A	N.A	-	-					-	-
	N.A	N.A	N.A	N.A	-	-					-	-
Commission Received	N.A	N.A	N.A	N.A	-	-	-	-	-	-	-	-
	N.A	N.A	N.A	N.A	-	-	-	-	-	-	-	-
Other Expenditure	N.A	N.A	N.A	N.A	8.42	-	-	-	-	-	8.42	-
	N.A	N.A	N.A	N.A	(194.21)	-	-	-	-	-	(194.21)	-
Other Income	N.A	N.A	N.A	N.A	316.92	-	-	-	-	-	316.92	-
	N.A	N.A	N.A	N.A	(288.09)	-	-	-	-	-	(288.09)	-

Notes: 1. **The transactions with the subsidiaries and certain associates have not been disclosed in view of para-9 of AS-18 'Related Party Disclosure', which exempts state controlled enterprises from making any disclosures pertaining to their transactions with other related parties, which are also state controlled.

2. Further, in terms of Paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker-Customer relationship have not been disclosed including those with Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel.

3. The amounts reported are net of provision, if any.

4. Figures in brackets relate to previous year and have been regrouped / rearranged / reclassified wherever necessary.

4.8. Accounting Standard 19 – Lease (Parent Company)

i. Operating lease primarily comprise office premises, which are renewable at the option of the bank normally at the end of every 3 / 5th years.

ii. As per information available, Non-Cancellable lease as on 31.03.2023: NIL (Previous year: NIL) .

iii. Amount of lease payment recognized in P & L Account for operating lease is as under:

समाप्त चालू वर्ष 31.03.2023		गत वर्ष 31.03.2022	
पट्टे / किराए के परिसरों की संख्या	(राशि ₹ करोड़ में)	पट्टे / किराए के परिसर की संख्या	(राशि ₹ करोड़ में)
15813	798.92	15750	782.24

Current Year Ended 31.03.2023		Previous Year Ended 31.03.2022	
No. of lease / rented premises	(Amount in ₹Crore)	No. of lease / rented premises	(Amount in ₹Crore)
15813	798.92	15750	782.24

4.9 लेखा मानक 20 – प्रति शेयर आय

(राशि करोड़ रुपये में)

विवरण		चालू वर्ष	गत वर्ष
प्रति शेयर अर्जन	बेसिक	3.04	3.53
	डाइल्यूटेड	3.04	3.53
कर के पश्चात न्यूमरेटर के रूप में उपयोग की गई राशि (रु करोड़ में)		3348.45	3860.74
शेयरों का अंकित मूल्य		₹2.00 प्रत्येक	₹2.00 प्रत्येक
हर (डिनोमिनेटर) के रूप में उपयोग किए गए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या		11011015558	10946723321

4.9 Accounting Standard 20 - Earnings per Share

(Amount in Rs Crore)

Particulars		Current Year	Previous Year
Earnings per Share	Basic	3.04	3.53
	Diluted	3.04	3.53
Amount used as numerator Profit after tax (Rs. in Crore)		3348.45	3860.74
Nominal value of shares		₹2.00 each	₹2.00 each
Weighted average number of equity shares used as the denominator		11011015558	10946723321

4.10 आस्थगित कर आस्तियों और देयता के प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं:

(राशि करोड़ रुपये में)

विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
आस्थगित कर आस्तियां		
अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	24319.77	23821.55
छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान	138.28	113.17
पेंशन और उपदान के लिए प्रावधान	0.04	0.21
कर योग्य हानि (आगे ले जाया गया)	206.77	2353.34
पूर्व-निगमन व्यय	0.00	0.05
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	0.33	162.44
अन्य आकस्मिकताएं	250.77	189.40
कुल	**24917.96**	**26640.16**
आस्थगित कर देयताएं		
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	−304.79	−233.45
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत कटौती	1249.26	1170.31
अन्य	0.00	0.00
कुल	**944.47**	**936.86**
आस्थगित कर आस्तियां / (देयताएं) – शुद्ध	**23973.49**	**25703.30**

4.10 Major components of deferred tax assets and liability are set out below:

(Amount in Rs Crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
Deferred Tax Assets		
Provision for bad & doubtful debts	24319.77	23821.55
Provision for leave encashment	138.28	113.17
Provision for Pension & Gratuity	0.04	0.21
Taxable Loss (Carried Forward)	206.77	2353.34
Pre-Incorporation Expenditure	0.00	0.05
Depreciation on fixed assets	0.33	162.44
Others Contingencies	250.77	189.40
Total	**24917.96**	**26640.16**
Deferred Tax Liabilities		
Depreciation on fixed assets	-304.79	-233.45
Deduction u/s 36 (1) (viii) of Income- tax Act,1961	1249.26	1170.31
Others	0.00	0.00
Total	**944.47**	**936.86**
Deferred Tax Assets/ (Liability) – Net	**23973.49**	**25703.30**

4.11 लेखा मानक 28 – आस्तियों की क्षति

बैंक की आस्तियों का एक बड़ा हिस्सा 'वित्तीय आस्तियां' का है जिनपर लेखा मानक 28 'आस्तियों की अपसामान्यता' लागू नहीं होता है। बैंक की राय में इसकी आस्तियों (जिन पर मानक लागू

4.11 Accounting Standard 28 - Impairment of Assets

A substantial portion of the bank's assets comprises 'financial assets' to which Accounting Standard 28 'Impairment of Assets' is Not Applicable. In the opinion of the bank, there is no impairment of its assets (to which the standard applies) to any material extent as at 31.03.2023 requiring recognition in terms of the said standard.

होता है) की उक्त मानक की शर्तों के अधीन अपेक्षित मान्यता हेतु 31.03.2023 को किसी महत्वपूर्ण सीमा तक अपसामान्यता नहीं है।

(गत वर्ष: बैंक की संपत्ति के एक बड़े हिस्से में वित्तीय संपत्ति शामिल है जिस पर लेखा मानक 28 'आस्तियों की अपसामान्यता' लागू नहीं है। बैंक की राय में इसकी संपत्ति की कोई अपसामान्यता नहीं है (जिस पर मानक लागू होता है) 31.03.2022 तक किसी भी भौतिक सीमा तक उक्त मानक के अनुसार मान्यता की आवश्यकता है।)

4.12 लेखा मानक 29 – प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां

i. देनदारियों के लिए प्रावधानों का उतार-चढ़ाव*

(राशि करोड़ रुपये में)

विवरण	वेतन समझौते के अधीन वेतन बकाया	कानूनी मामले / आकस्मिकताएं
1 अप्रैल, 2022 तक शेष	0.00 (44.00)	83.51 (74.20)
अवधि के दौरान उपलब्ध कराया गया	459.63 (0.00)	4.98 (11.81)
अवधि के दौरान प्रयुक्त राशियां	0.00 (0.00)	0.39 (0.23)
अवधि के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	0.00 (44.00)	2.52 (2.27)
31.03.202 को शेष	459.63 (0.00)	85.58 (83.51)
बहिर्गमन / अनिश्चितता का समय	वास्तविक भुगतान पर	निपटान / क्रिस्टलीकरण का बहिर्गमन
	वास्तविक भुगतान पर	निपटान / क्रिस्टलीकरण का बहिर्गमन

*अन्य के लिए प्रावधानों को छोड़कर

ii. लाभ और हानि खाते में व्यय शीर्ष के तहत दिखाए गए "प्रावधानों और आकस्मिकताओं" का विवरण निम्नलिखित है:

(रु. करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
एनपीआई के लिए प्रावधान	173.22	348.50
अनर्जक आस्तियों के प्रावधान	15828.44	14123.13
एनपीए के लिए अस्थायी प्रावधान (भारतीय रिजर्व बैंक के प्रावधानीकरण मानदंडों से अधिक)	0.00	0.00
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	1786.56	1259.14
आयकर के लिए किया गया प्रावधान (एफबीटी और संपत्ति कर सहित)	1792.06	918.50
अन्य प्रावधान और आकस्मिकताएं	282.58	700.41
कुल	**19862.86**	**17349.68**

(Previous year: A substantial portion of the bank's assets comprises 'financial assets' to which Accounting Standard 28 'Impairment of Assets' is Not Applicable. In the opinion of the bank, there is no impairment of its assets (to which the standard applies) to any material extent as at 31.03.2022 requiring recognition in terms of the said standard).

4.12 Accounting Standard 29 - Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

i. Movement of provisions for liabilities *

(Amount in Rs Crore)

Particulars	Salary arrears under negotiation	Legal cases/ contingencies
Balance as at 1st April 2022	0.00 (44.00)	83.51 (74.20)
Provided during the year	459.63 (0.00)	4.98 (11.81)
Amounts used during the year	0.00 (0.00)	0.39 (0.23)
Reversed during the year	0.00 (44.00)	2.52 (2.27)
Balance as at 31.03.2023	459.63 (0.00)	85.58 (83.51)
Timing of outflow uncertainties	On actual Payment	Outflow on settlement / crystallization
	On actual Payment	Outflow on settlement / crystallization

* Excluding provisions for others

ii Break-up of "Provisions and Contingencies" shown under the head Expenditure in Profit and Loss Account is as follows:

(Amount in Rs Crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
Provisions for NPI	173.22	348.50
Provision towards NPAs	15828.44	14123.13
Floating provisions for NPAs (over and above RBI provisioning norms)	0.00	0.00
Provision towards Standard Assets	1786.56	1259.14
Provision made towards Income-tax (including FBT & Wealth Tax)	1792.06	918.50
Other Provisions & Contingencies	282.58	700.41
Total	**19862.86**	**17349.68**

4.13 Refer Schedule-12 on Contingent Liabilities

Such liabilities are dependent upon the outcome of Court/arbitration / out of court settlement, disposal of appeals, and the amount being called up, terms of contractual obligations, devolvement and raising

4.13 आकस्मिक देयताओं पर अनुसूची–12 देखें

ऐसी देयताएं न्यायालय/विवाचन/न्यायालय से बाहर समझौते, अपीलों के निपटान तथा मांगी गयी राशि, संविदागत दायित्वों की शर्तों, सम्बद्ध पक्षों द्वारा की गयी तथा उठाई गयी मांगों पर क्रमशः आधारित हैं। ऐसे मामलों में कोई प्रतिपूर्ति अपेक्षित नहीं है।

4.14 अस्थायी प्रावधानों का विवरण निम्नलिखित है:

(राशि करोड़ रुपये में)

विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
प्रारंभिक शेष	0.00	0.00
वर्ष के दौरान किए गए फ्लोटिंग प्रावधानों की मात्रा	0.00	0.00
वर्ष के दौरान आहरण (ड्रा डाउन) का उद्देश्य और राशि	0.00	0.00
अंतिम शेष	0.00	0.00

4.15. प्रकटीकरण: लेटर ऑफ कम्फर्ट (एलओसी)

"बैंक ने प्रूडेंशियल रेगुलेशन अथॉरिटी (PRA), यूनाइटेड किंगडम में नियामक को लेटर ऑफ कम्फर्ट पत्र जारी किया है जिसमें यह वचन दिया गया है कि बैंक अपनी सहायक कंपनी, पंजाब नैशनल बैंक (इंटरनेशनल) लिमिटेड, यूके को वित्तीय प्रतिबद्धताओं के रूप में और जब वे देय होते हैं वित्तीय सहायता प्रदान करेगा ताकि वह अपनी जरूरतों को पूरा कर सके।"

15.03.2022 को PRA w.r.t के पक्ष में हमारे बोर्ड की स्वीकृति लेने के बाद लेटर ऑफ कम्फर्ट का नवीनीकरण किया गया है। हमारी सहायक कंपनी पीएनबीआईएल जिसमें हमने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। पीआरए और आरबीआई के निर्देश के अनुसार नवीनीकरण किया गया था। इसके अलावा एलओसी का वार्षिक मूल्यांकन भी दिनांक 28.02.2023 को बोर्ड की बैठक में रखे गए नोट दिनांक 20.02.2023 द्वारा किया गया था।

उपरोक्त के अलावा, बैंक ने समूह संस्थाओं (आरआरबी को छोड़कर) को कोई आश्वासन पत्र जारी नहीं किया है और इसलिए, लेटर ऑफ कम्फर्ट के तहत कोई संचयी वित्तीय दायित्व नहीं हैं।

4.16. प्रकटीकरण: वचन पत्र

बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) के विनियम 3(3) के तहत पीएनबी आईबीयू गिफ्ट सिटी शाखा के लिए वचन पत्र प्रदान किया है कि:

"बैंक समर्थन और सहायता प्रदान करेगा (जब भी आवश्यक हो, तरलता सहित) और बैंकिंग इकाई को अपने दायित्वों के दौरान अपने दायित्वों को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए उपयुक्त हो सकता है"।

उपरोक्त के अलावा बैंक ने विदेशी शाखाओं के लिए कोई आश्वासन पत्र जारी नहीं किया है और आश्वासन पत्र के तहत कोई संचयी वित्तीय दायित्व नहीं है।

4.17 इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और आरबीआई द्वारा जारी दिशा–निर्देशों द्वारा समेकित वित्तीय परिणाम, समेकित

of demand by concerned parties, respectively.

4.14 Break-up of Floating Provisions is as follows:

(Amount in Rs Crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
Opening balance	0.00	0.00
Quantum of floating provisions made during the year	0.00	0.00
Purpose and amount of draw down made during the year	0.00	0.00
Closing balance	0.00	0.00

4.15. Disclosure: Letter of Comfort (LoC)

"The Bank has issued a Letter of Comfort to Prudential Regulation Authority (PRA) , the regulator in United Kingdom, committing that the bank shall provide financial support to its subsidiary, Punjab National Bank (International) Ltd., UK so that it meets its financial commitments as and when they fall due".

The said letter of Comfort has been renewed on 15.03.2022 after seeking approval of our Board in favor of PRA w.r.t. our subsidiary PNBIL wherein we have reiterated our commitment. The renewal was done as per instruction of PRA and RBI. Further Annual assessment of LOC was also done vide note dated 20.02.2023 placed in Board meeting dated 28.02.2023.

Apart from the above, the Bank has not issued any Letter of Comfort to Group Entities (Excl. RRBs) and therefore, there are no cumulative financial obligations under Letter of Comfort.

4.16. Disclosure: Letter of Undertaking

The Bank has provided a Letter of Undertaking for PNB IBU Gift City Branch under Regulation 3 (3) of International Financial Service Centre Authority (IFSCA) that:

"Bank will provide support and assistance (including liquidity, whenever needed) and as may be appropriate to enable the banking unit to meet its obligations in the course of its obligation".

Apart from the above the Bank has not issued any Letter of Comfort for overseas branches and there are no cumulative financial obligations under Letter of Comfort.

4.17 The Consolidated financial results are prepared in accordance with Accounting Standard 21 on "Consolidated Financial Statements", Accounting Standard 23 on "Accounting for Investment in Associates in Consolidated Financial Statements" and Accounting Standard 27 on "Financial Reporting of Interest in Joint Ventures" issued by the Institute of Chartered Accountants of India and guidelines issued by RBI.

वित्तीय विवरण" पर लेखा मानक 21, "समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोगियों में निवेश के लिए लेखांकन" पर लेखा मानक 23 और "संयुक्त उद्यमों में ब्याज की वित्तीय रिपोर्टिंग" पर लेखा मानक 27 के अनुसार तैयार किए गए हैं।

4.18. धोखाधड़ी खाते

विवरण		चालू वर्ष	गत वर्ष
धोखाधड़ी की संख्या की सूचना दी	उधार	165	142
	गैर–उधार	124	289
	कुल	289	431
धोखाधड़ी में शामिल राशि (₹ करोड़)	उधार	1578.46	9553.81
	गैर–उधार	230.64	25.99
	कुल	1809.10	9579.80
ऐसी धोखाधड़ी के लिए किए गए प्रावधान की राशि (₹ करोड़)	उधार	1578.46	8524.87
	गैर–उधार	224.22*	19.26
	कुल	1802.68	8544.13
वर्ष के अंत में अन्य रिज़र्व से डेबिट किए गए अपरिशोधित प्रावधान की राशि। (₹ करोड़)	–	–	1028.95

5.1 गत वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान अवधि के वर्गीकरण के अनुरूप बनाने के लिए आवश्यक होने पर पुनर्समूहित/पुनर्व्यवस्थित/पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

5.2 कोष्ठक में दिए गए आंकड़े गत वर्ष से संबंधित हैं।

4.19. Fraud accounts

Particulars		Current Year	Previous Year
Number of frauds reported	Borrowal	165	142
	Non Borrowal	124	289
	TOTAL	**289**	**431**
Amount involved in fraud (₹ crore)	Borrowal	1578.46	9553.81
	Non Borrowal	230.64	25.99
	TOTAL	**1809.10**	**9579.80**
Amount of provision made for such frauds (₹ crore)	Borrowal	1578.46	8524.87
	Non Borrowal	224.22*	19.26
	TOTAL	**1802.68**	**8544.13**
Amount of Un-amortised provision debited from 'other reserves' as at the end of the year. (₹ crore)	-	-	1028.95

5.1 Figures of the previous year have been regrouped / rearranged / reclassified wherever necessary to conform to current period's classification.

5.2 Figures in the bracket wherever given relates to previous year.

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह का विवरण
STATEMENT OF CONSOLIDATED CASH FLOW FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2023

(राशि करोड़ में) (Rs. in Cr.)

विवरण Particulars		31.03.2023 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2023	31.03.2022 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2022
ए. परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह A. Cash Flow from Operating Activities			
कर के पश्चात निवल लाभ/ (हानि) Net Profit /(Loss) after Tax		3,348.45	3,860.74
कर के लिए प्रावधान Provision for Tax		1,792.08	918.56
(I) कर से पूर्व निवल लाभ **Net Profit before tax**	(i)	5,140.53	4,779.30
(II) निम्नलिखित के लिए समायोजन: **Adjustments for:**			
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास Depreciation on fixed assets		904.87	896.17
निवेश [निवल], पर मूल्यह्रास/ (रिलीज) Depreciation/(Release) on Investments [net]		1,966.77	804.87
अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान Provisions for non performing assets		15,828.44	14,136.09
मानक आस्तियों पर प्रावधान Provision on Standard Assets		1,311.62	1,648.42
अन्य प्रावधान (निवल) Other Provision (net)		757.50	311.08
एसोसिएट्स में उपार्जन का शेयर Shares of earning in Associates		(289.44)	(231.63)
अचल आस्तियों (निवल) की बिक्री से लाभ/हानि Profit / Loss on sale of Fixed Assets (net)		(2.58)	(14.40)
बॉन्डों पर प्रदत्त ब्याज Interest paid on Bonds		2,467.94	2,202.25
उप जोड़ **Sub Total**	(ii)	22,945.12	19,752.86
(III) निम्नलिखित के लिए समायोजन **Adjustments for :**			
निवेशों में ह्रास/ (वृद्धि) Decrease / (Increase) in Investments		(29,448.23)	15,305.07
अग्रिमों में ह्रास/ (वृद्धि) Decrease / (Increase) in Advances		(118,492.65)	(68,538.09)
अन्य आस्तियों में ह्रास/ (वृद्धि) Decrease / (Increase) in Other Assets		1,130.00	938.74
जमा राशियों में वृद्धि/ (ह्रास) Increase / (Decrease) in Deposits		136,112.62	40,517.59
उधारों में वृद्धि/ (ह्रास) Increase / (Decrease) in Borrowings		6,315.23	4,619.51

(राशि करोड़ में) (Rs. in Cr.)

विवरण Particulars		31.03.2023 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2023	31.03.2022 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2022
अन्य देयताओं व प्रावधानों में वृद्धि / (ह्रास) Increase / (Decrease) in Other Liabilities & Provisions		93.62	4,286.47
उप जोड़ **Sub Total**	(iii)	(4,289.40)	(2,870.71)
परिचालनों से निर्मित नकदी **Cash generated from Operations**	(i+ii+iii)	23,796.25	21,661.45
प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (रिफंड्स को घटाकर) Direct Taxes paid (net off Refund)		(1,204.15)	(1,629.12)
परिचालन कार्यकलापों से निवल नकदी **Net Cash from Operating Activities**	(ए) (A)	22,592.10	20,032.33
बी. निवेश कार्यकलापों से नकदी प्रवाह **B. Cash Flow from Investing Activities**			
अचल आस्तियों की खरीद (बिक्री को घटाकर) Purchase of Fixed Assets (net off Sales)		(552.39)	(536.39)
सहायक संस्थाओं / जेवी / आरआरबी (यों) में निवेश (निवल) Investment in Subsidiaries JV/RRBs (net)		(180.08)	(667.99)
निवेश कार्यकलापों में प्रयुक्त निवल नकदी **Net Cash used in Investing Activities**	(बी) (B)	(732.47)	(1,204.38)
सी. वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह **C. Cash flow from Financing Activities**			
शेयर पूंजी / शेयर आवेदन राशि / शेयर प्रीमियम Share Capital/Share Application Money/Share Premium		-	1,793.05
जारी / बॉण्डों (निवल) का मोचन) Issue/(Redemption) of Bonds (net)		4,461.72	2,454.02
प्रदत्त लाभांश Dividend paid		(704.71)	-
बॉण्डों पर प्रदत्त ब्याज Interest paid on Bonds		(2,467.94)	(2,202.25)
अल्पांश ब्याज में वृद्धि / (ह्रास) Increase/ (Decrease) in Minority Interest		(14.09)	(13.32)
वित्तपोषण कार्यकलापों से निवल नकदी **Net Cash from Financing Activities**	(सी) (C)	1,274.98	2,031.50
डी. नकदी तथा नकदी तुल्यों में निवल परिवर्तन **D. Net Change in Cash and Cash Equivalents**	(ए+बी+सी) (A+B+C)	23,134.60	20,859.45
अवधि के आरम्भ में नकदी तथा नकदी तुल्य **Cash and Cash Equivalents at the beginning of the period**			
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष Cash and Balances with Reserve Bank of India		86,127.84	71,767.27

(राशि करोड़ में) (Rs. in Cr.)

विवरण Particulars	31.03.2023 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2023	31.03.2022 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2022
बैंकों के पास शेष और मांग व अल्प सूचना पर देय राशि Balances with Banks & Money at Call & Short Notice	48,066.04	41,567.16
	134,193.88	113,334.43
अवधि के समापन में नकदी तथा नकदी तुल्य **Cash and Cash Equivalents at the end of the period**		
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष Cash and Balances with Reserve Bank of India	78,213.52	86,127.84
बैंकों के पास शेष और मांग व अल्प सूचना पर देय राशि Balances with Banks & Money at Call & Short Notice	79,114.96	48,066.04
	157,328.48	134,193.88

टिप्पणियाँ

Notes :-

1. प्रदत्त प्रत्यक्ष करों (वापसी को घटाकर) को परिचालन कार्यकलापों से उद्भूत माना गया है तथा इन्हें निवेश तथा वित्तीयपोषण कार्यकलापों के मध्य विभक्त नहीं किया गया है

   Direct taxes paid (net off refund) are treated as arising from operating activities and are not bifurcated between investing and financing activities.
2. ऋणात्मक में दिए गए सभी आंकड़े "नकदी बाह्य प्रवाह" दर्शाते हैं

   All figures in minus represents "Cash Out Flow".
3. पिछली अवधि के आंकड़ों को वर्तमान अवधि के वर्गीकरण के अनुरूप आवश्यक समझे जाने पर पुनः समूहित किया गया है

   Figures of previous period have been regrouped wherever considered necessary to conform current period classification.

प्रबुद्ध शर्मा Prabudh Sharma सहायक महाप्रबंधक Asstt. General Manager	मुकेश कुमार Mukesh Kumar सहायक महाप्रबंधक Asstt. General Manager	आर के खींची R K Khichi उप महाप्रबंधक Deputy General Manager	प्रवीण कुमार शर्मा Praveen Kumar Sharma महाप्रबंधक General Manager

डी के जैन
D K Jain
मुख्य महाप्रबंधक और सीएफओ
Chief General Manager & CFO

एम परमशिवम M Paramasivam कार्यपालक निदेशक Executive Director	बिनोद कुमार Binod Kumar कार्यपालक निदेशक Executive Director	कल्याण कुमार Kalyan Kumar कार्यपालक निदेशक Executive Director	विजय दुबे Vijay Dube कार्यपालक निदेशक Executive Director

अतुल कुमार गोयल Atul Kumar Goel प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Managing Director & CEO	के जी अनंतकृष्णन K G Ananthakrishnan अध्यक्ष Chairman

डॉ. रेखा जैन Dr. Rekha Jain निदेशक Director	गौतम गुहा Gautam Guha निदेशक Director	संजीव कुमार सिंघल Sanjeev Kumar Singhal निदेशक Director

पंकज जोशी Pankaj Joshi निदेशक Director	अनिल कुमार मिश्रा Anil Kumar Misra निदेशक Director	पंकज शर्मा Pankaj Sharma निदेशक Director
कृते एस एन धवन एंड कंपनी एलएलपी For S N Dhawan & Co LLP सनदी लेखाकार Chartered Accountants एफआरएन: 000050एन / एन500045 FRN: 000050N/N500045	कृते एस आर गोयल एंड कंपनी For S R Goyal & Co सनदी लेखाकार Chartered Accountants एफआरएन: 001537सी FRN: 001537C	कृते पी एस एम जी एंड एसोसिएट्स For P S M G & Associates सनदी लेखाकार Chartered Accountants एफआरएन: 008567सी FRN: 008567C
सनदी लेखाकार सुरिंदर कुमार खट्टर CA Surinder Kr. Khattar साझेदार Partner (सदस्य सं. 084993) (M.No. 084993)	सनदी लेखाकार अनुराग गोयल CA Anurag Goyal साझेदार Partner (सदस्य सं. 412538) (M.No. 412538)	सनदी लेखाकार प्रबुद्ध गुप्ता CA Prabuddha Gupta साझेदार Partner (सदस्य सं. 400189) (M.No. 400189)

कृते एस सी बापना एंड एसोसिएट्स For S C Bapna & Associates सनदी लेखाकार Chartered Accountants एफआरएन: 115649डब्ल्यू FRN: 115649W	कृते डी के छाजेड़ एंड कंपनी For D K Chhajer & Co सनदी लेखाकार Chartered Accountants एफआरएन: 304138ई FRN: 304138E
सनदी लेखाकार जय प्रकाश गुप्ता CA Jai Prakash Gupta साझेदार Partner (सदस्य सं. 088903) (M.No. 088903)	सनदी लेखाकार नंद किशोर सर्राफ CA Nand Kishore Sarraf साझेदार Partner (सदस्य सं. 510708) (M.No. 510708)

स्थान: नई दिल्ली
Place: New Delhi
दिनांक : 19 मई 2023
Date : May 19, 2023

लेखापरीक्षकों की स्वतंत्र रिपोर्ट

पंजाब नैशनल बैंक के सदस्यों के लिए

समेकित वित्तीय विवरणियों की लेखा–परीक्षा पर रिपोर्ट

अभिमत

1. हमने 31 मार्च 2023 को पंजाब नैशनल बैंक ('बैंक'), इसकी समनुषंगियों (मूल और इसकी समनुषंगियों को एक साथ "समूह" कहा जाता है), और सहायक कंपनियों की संलग्न समेकित वित्तीय विवरणियों, उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ और हानि लेखा और समेकित नकदी प्रवाह विवरणी और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सार और इसके साथ संलग्न अन्य व्याख्यात्मक जानकारी की लेखा परीक्षा की है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

   i. हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट दिनांक 19 मई 2023 के माध्यम से हमारे द्वारा लेखा परीक्षा की गई पंजाब नैशनल बैंक (बैंक) की लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणियां;

   ii. अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा 04 समनुषंगी और 13 सहायक कंपनियों की लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणियों और;

   iii. 01 समनुषंगी और 01 सहायक कंपनी की अलेखा परीक्षित लेखा।

2. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी में तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार एवं समनुषंगियों और सहायक कंपनियों की अलग–अलग वित्तीय विवरणियों पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत की गई समनुषंगियां सहायक कंपनियों की अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणियों और अन्य वित्तीय जानकारी पर हमारे विचार के आधार पर, उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण बैंक के लिए अपेक्षित तरीके से बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 ('अधिनियम') द्वारा आवश्यक जानकारी प्रदान करती है और सामान्य तौर पर भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप हैं और:

   ए. समेकित तुलन पत्र, इस पर दिए गए नोटस के साथ पठित, सभी आवश्यक विवरणों सहित एक पूर्ण और निष्पक्ष तुलन पत्र है, जिसमें आवश्यक विवरण दिए गए हैं और सही प्रकार से बनाया गया है ताकि 31 मार्च, 2023 को बैंक के मामलों की स्थिति के बारे में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदर्शित किया जा सके

   बी. समेकित लाभ और हानि लेखा, इस पर दिए गए नोट के साथ पठित, लाभ का सही शेष दर्शाता है तथा

   सी. उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकद प्रवाह विवरण, नकद प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करता है।

अभिमत का आधार

3. हमने इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेन्ट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा लेखा परीक्षा पर जारी मानकों (एस ए) के अनुसार लेखापरीक्षा की है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों आगे हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों खंड में वर्णित की गई है। भारत में समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To the Members of Punjab National Bank

Report on Audit of the Consolidated Financial Statements

Opinion

1. We have audited the attached Consolidated Financial Statements of Punjab National Bank ("the Bank"), its subsidiaries (the parent and its subsidiaries together referred to as "the group"), and associates as at March 31, 2023, the Consolidated Profit and Loss Account and the Consolidated Cash Flow Statement for the year ended on that date and a summary of significant accounting policies and other explanatory information annexed thereto, in which the following are incorporated:

   i. Audited Financial Statements of Punjab National Bank (the Bank), audited by us, vide our audit report dated May 19, 2023;

   ii. Audited Financial Statements of 04 Subsidiary and 13 Associates, audited by other auditors; and

   iii. Unaudited accounts of 01 Subsidiary and 01 Associate.

2. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on our consideration of the reports of other auditors on separate financial statements of subsidiaries and associates, the unaudited financial statements and the other financial information of subsidiaries/ associates as furnished by the management the aforesaid consolidated financial statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949 (the 'Act') in the manner so required for bank and are in conformity with accounting principles generally accepted in India and :

   a. the Consolidated Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair view of Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Bank as at March 31, 2023;

   b. the Consolidated Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of profit; and

   c. the Consolidated Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

3. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements' section of our report. We are independent of

नैतिक आवश्यकताओं सहित इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार हम समूह से स्वतंत्र हैं, और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमें विश्वास है कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारे अभिमत के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

मुख्य लेखा परीक्षा मामले

4. लेखा परीक्षा के प्रमुख मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के लिए समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण रहे हैं। ये मामले समेकित वित्तीय विवरण की हमारी लेखा परीक्षा के सन्दर्भ में और उन पर अपना मत बनाने में समग्र रूप से देखे गए हैं और हमने इन मामलों पर मत नहीं दिया है। हमने अपनी रिपोर्ट में वर्णित किए जाने हेतु महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा मामलों के रूप में वर्णित निम्नलिखित मामलों को निर्धारित किया है।

मुख्य लेखा परीक्षा मामले	लेखा–परीक्षा में हमारे मामले को किस प्रकार से दर्शाया गया है
अग्रिम – वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण (लेखा नीति संख्या 5 के साथ पठित समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूची 9 का संदर्भ लें) अग्रिमों को निष्पादित और गैर–निष्पादित अग्रिमों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया है और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार इन पर प्रावधानीकरण किया गया है। बैंक ने कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) के तहत एसएएससीएल एप्लीकेशन में अग्रिमों की पूर्ण प्रणाली द्वारा संचालित निर्धारण और उनके वर्गीकरण को लागू किया है। विवेकपूर्ण मानदंडों के तहत एनपीए के प्रावधानीकरण की सीमा मुख्य रूप से इसकी अवधि और अन्तर्निहित प्रतिभूति की वसूली योग्यता पर आधारित है। आवश्यकता के आधार पर इसकी मैनुअल रूप से समीक्षा भी की जाती है। विवेकपूर्ण मानदंडों के किसी भी अनुचित उपयोग या प्रतिभूति के गलत मूल्य निर्धारण की स्थिति में, क्योंकि प्रतिभूति के मूल्य निर्धारण	हमारी लेखापरीक्षा पद्धति में आस्तियों के वर्गीकरण और इसके प्रावधानीकरण के संबंध में बैंक के सॉफ्टवेयर, परिपत्र, दिशा–निर्देश और भारतीय रिजर्व बैंक के निदेश और बैंक के आंतरिक निर्देश और प्रक्रियाओं को सम्मिलित किया गया और निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को अपनाया गया है। हमारी लेखापरीक्षा पद्धति में आस्तियों के वर्गीकरण और इसके प्रावधानीकरण के संबंध में बैंक के सॉफ्टवेयर, परिपत्र, दिशा–निर्देश और भारतीय रिजर्व बैंक के निदेश और बैंक के आंतरिक निर्देश और प्रक्रियाओं को सम्मिलित किया गया और निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को अपनाया गया है। • अग्रिमों से संबंधित आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण के संबंध में आरबीआई के प्रासंगिक दिशानिर्देशों का पालन करने में बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन किया गया और समझा गया। • डिजाइन और कार्यान्वयन के साथ–साथ प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रणों और वास्तविक परीक्षण के संचालनात्मक प्रभावशीलता का जाँच परीक्षण किया गया, जिसमें अग्रिमों से संबंधित आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण के संबंध में मैनुअल प्रक्रिया के समायोजन की जांच भी शामिल है। • तर्क/डेटा की सटीकता को लागू करने में कार्यान्वयन में त्रुटियों और चूक और इसकी सुधारात्मक कार्रवाई की पहचान करने के लिए बैंक के निगरानी तंत्र की समीक्षा की। • किसी भी अग्रिम खाते में अतिदेय

the Group in accordance with the code of ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with ethical requirements that are relevant to our audit of the Consolidated Financial Statements in India, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the code of ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key Audit Matters

4. Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the Consolidated Financial Statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the Consolidated Financial Statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the key audit matters to be communicated in our report.

Key Audit Matters	How our matter was addressed in the audit
Advances – classification and provisioning (Refer Schedule 9 to the Consolidated Financial Statements, read with the Accounting Policy No.5) The advances are classified as performing and non-performing advances (NPA) and provisioning thereon is made in accordance with the prudential norms as prescribed by the Reserve Bank of India (RBI). The Bank has implemented complete system driven recognition of advances and their classification in SASCL Application under Core Banking Solution (CBS). The extent of provisioning of NPA under the prudential norms are mainly based on its ageing and recoverability of the underlined security. The same are also reviewed manually based on necessity. In the event of any improper application of the prudential norms or consideration of the incorrect value of the security, as the valuation of	Our audit approach included an understanding of the Bank's software, circulars, guidelines and directives of the Reserve Bank of India and the Bank's internal instructions and procedures in respect of the assets classification and its provisioning and adopted the following audit procedures: • Evaluated and understood the Bank's internal control system in adhering to the Relevant RBI guidelines regarding income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances. • Test checked the design and implementation as well as operational effectiveness of relevant internal controls and substantive testing, including involvement of manual process in relation to income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances. • Reviewed the Bank's monitoring mechanisms to identify errors and omission in applying/ implementation of logic data integrity and its corrective action. • Reviewed the documentations, operations / performance and monitoring of the advance accounts, on as per RBI guidelines basis of the large and stressed advances, to

मुख्य लेखा परीक्षा मामले	लेखा–परीक्षा में हमारे मामले को किस प्रकार से दर्शाया गया है
में उच्च स्तर का अनुमान और निर्णय शामिल होता है, अग्रिमों का वहन मूल्य व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से वस्तुतः गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है, और वित्तीय विवरणों में अग्रिमों की राशि की महत्ता को ध्यान में रखते हुए अग्रिमों का वर्गीकरण और इनके प्रावधानीकरण को हमारी लेखा–परीक्षा में मुख्य लेखा परीक्षा मामला माना गया है।	असंतोषजनक संचालन या कमी का पता लगाने के लिए बड़े और दबावग्रस्त अग्रिमों के जांच परीक्षण के आधार पर आरबीआई दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रलेखनों, परिचालन / प्रदर्शन और अग्रिम खातों की निगरानी की समीक्षा की गई, हमारे द्वारा लेखा–परीक्षित शाखाओं / संबंधित प्रभागों के संबंध में आरबीआई के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार वर्गीकरण की जांच की गई। शाखा सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं के संबंध में, हमने उनकी रिपोर्टों पर भरोसा किया है। • "एनपीए वर्गीकरण समाधान के लिए आधारभूत आवश्यकताओं" की समीक्षा सहित सीबीएस द्वारा उपयोग किए गए एसएएससीएल एप्लिकेशन (आय निर्धारण और संपत्ति वर्गीकरण समाधान) की समीक्षा पर स्वतंत्र आईटी विशेषज्ञ की रिपोर्ट की समीक्षा की। • जांच परीक्षण के आधार पर किसी प्रतिकूल विशेषताओं / टिप्पणियों वाले अग्रिमों का पता लगाने के लिए ऋण लेखा–परीक्षा, निरीक्षण लेखा–परीक्षा, जोखिम आधारित आंतरिक लेखा–परीक्षा, समवर्ती लेखा–परीक्षा, नियामक लेखा–परीक्षा रिपोर्टें और बैंक सिस्टम से जारी रिपोर्टों की समीक्षा की। हमारा परिणाम: लेनदेन के महत्व को देखते हुए हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया के परिणाम उचित और संतोषजनक पाए गए।
निवेश – मूल्यांकन और गैर–निष्पादित निवेश के लिए पहचान तथा प्रावधानीकरण (लेखा नीति संख्या 4 के साथ पठित वित्तीय विवरणों की अनुसूची 8 का संदर्भ लें) बैंक के निवेश पोर्टफोलियो में सरकारी प्रतिभूतियां, बांड्स, डिबेंचर, शेयर्स, प्रतिभूति की रसीद और अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियों के निवेश शामिल हैं, जिन्हें परिपक्वता तक धारित, बिक्री के लिए उपलब्ध और व्यापार के लिए धारित इन तीन श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। निवेशों का मूल्यांकन,	भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र / निदेशों के संदर्भ सहित निवेश के प्रति हमारे लेखा परीक्षा के दृष्टिकोण में आंतरिक नियंत्रण की संरचना, कार्यान्वयन, परिचालन प्रभाव का परीक्षण एवं समीक्षा शामिल की गई है और गैर–निष्पादित निवेशों की पहचान, वर्गीकरण, मूल्यांकन से संबंधित लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं, निवेशों से संबंधित प्रावधान / अवमूल्यन भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार हैं। • हमने इन निवेशों का उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए विभिन्न स्रोतों से जानकारी एकत्र करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया की समीक्षा और मूल्यांकन किया है। • निवेश के चयनित नमूने के लिए (प्रतिभूति की प्रकृति के आधार पर निवेश की सभी श्रेणियों को कवर करते हुए) हमने आरबीआई मास्टर परिपत्रों और निदेशों के

Key Audit Matters	How our matter was addressed in the audit
the security involves high degree of estimation and judgement, the carrying value of the advances could be materially misstated either individually or collectively, and in view of the significance of the amount of advances in the Financial Statements the classification of the advances and provisioning thereon has been considered as Key Audit Matter in our audit.	ascertain any overdue, unsatisfactory conduct or weakness in any advance account, examination of classification as per prudential norms of the RBI, in respect of the branches / relevant divisions audited by us. In respect of the branches audited by the branch statutory auditors, we have placed reliance on their reports. • Reviewed the report of independent IT Expert on review of SASCL Application (Income Recognition and Asset Classification solution) used by CBS including the review of "Baseline Requirements for the NPA classification Solution". • Reviewed on test check basis the reports of the credit audit, inspection audit, risk based internal audit, concurrent audit, regulatory audit to ascertain the advances having any adverse features / comments, and reviewed the reports generated from the Bank's system. Our Results: The results of our audit process were observed to be adequate and satisfactory considering the materiality of the transactions.
Investments – valuation, and identification and provisioning for Non-Performing Investments (Refer Schedule 8 to the Financial Statements, read with the Accounting Policy No.4) Investment portfolio of the bank comprises of investments in Government Securities, Bonds, Debentures, Shares, Security Receipts and other Approved Securities which are classified under three categories, Held to Maturity, Available for Sale and Held for Trade.	Our audit approach towards investments with reference to the RBI circulars / directives included the review and testing of the design, implementation, operating effectiveness of internal controls and audit procedures in relation to valuation, classification, identification of Non-Performing Investments, provisioning / depreciation related to investments as per RBI guidelines. • We reviewed and evaluated the process adopted for collection of information from various sources for determining fair value of these investments. • For selected sample of investments (covering all categories of investments based on nature of security) we tested accuracy and

मुख्य लेखा परीक्षा मामले	लेखा–परीक्षा में हमारे मामले को किस प्रकार से दर्शाया गया है
गैर–निष्पादित निवेशों (एनपीआई) की पहचान और आय का तदनुरूपी गैर–निर्धारण तथा उस पर प्रावधान आरबीआई के संबंधित परिपत्रों / दिशानिर्देशों / निर्देशों के अनुसार किया जाता है। उपर्युक्त प्रतिभूति के प्रत्येक श्रेणी (प्रकार) का मूल्यांकन आरबीआई द्वारा जारी परिपत्रों और निर्देशों में निर्धारित पद्धति के अनुसार किया जाता है, जिसमें एफबीआईएल दरें, बीएसई / एनएसई द्वारा उद्धृत दरें, गैर–सूचीबद्ध कंपनियों के वित्तीय विवरण, म्यूचुअल फंड के मामले में एनएवी (NAV) और प्रतिभूति रसीदें आदि जैसे विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आंकड़े / सूचना का संग्रह शामिल है। कुछ निवेश मूल्यांकन पद्धतियों पर आधारित होते हैं जिनमें अंतर्निहित धारणाओं सहित सांख्यिकीय मॉडल, वित्तीय विवरणों पर आधारित मूल्यांकन के लिए मूल्य का निर्धारण आदि शामिल होते हैं। इसलिए, इन निवेशों के मूल्यांकन के लिए निर्धारित की गई कीमत सही द्योतक नहीं हो सकती, लेकिन आज तक के निवेशों का एक निष्पक्ष निर्धारण हो सकता है। इसलिए निवेश के मूल्यांकन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और आगे वित्तीय विवरणों में निवेश की राशि के महत्व को देखते हुए, उस को हमारे लेखापरीक्षा में मुख्य लेखा परीक्षा मामला माना गया है।	सख्त यथार्थता और अनुपालन का परीक्षण किया है। • हमने एनपीआई की पहचान और आय के तदनुरूपी रिवर्सल और प्रावधान करने की प्रक्रिया का आकलन और मूल्यांकन किया है। हमारा परिणाम: लेनदेन के महत्व को देखते हुए हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया के परिणाम उचित और संतोषजनक पाए गए।
सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) का आकलन आईआरएसी मानदंडों सहित आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुपालन में लेनदेन की रिकॉर्डिंग, विभिन्न रिपोर्ट तैयार करने के संबंध में आईटी नियंत्रण। नियामकों आदि के लिए अन्य अनुपालन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण भाग है इस तरह की रिपोर्टिंग और बैंकिंग सॉफ्टवेयर	हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में निम्नलिखित शामिल हैं: – • विभिन्न श्रेणियों के ग्राहकों के लिए बैंक द्वारा अपनाए गए कोडिंग सिस्टम को समझना • बैंक के आईटी नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और परिचालन प्रभावशीलता की समीक्षा की, जिसमें एप्लिकेशन, अभिगम नियंत्रण शामिल हैं, जो नमूना जाँच के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए महत्वपूर्ण हैं। • सिस्टम में डेटा की फीडिंग को समझना और

Key Audit Matters	How our matter was addressed in the audit
Valuation of Investments, Identification of Non performing Investments (NPI) and the corresponding non-recognition of income and provision thereon, is carried out in accordance with the relevant circulars / guidelines / directions of RBI. The valuation of each category (type) of aforesaid security is to be carried out as per the methodology prescribed in circulars and directives issued by the RBI which involves collection of data/ information from various sources such as FBIL rates, rates quoted on BSE/NSE, financial statements of unlisted companies, NAV in case of mutual funds & security receipts etc. Certain investments are based on the valuation methodologies that include statistical models with inherent assumptions, assessment of price for valuation based on financial statements etc. Hence, the price discovered for the valuation of these investments may not be the true representative but only a fair assessment of the investments as on date. Hence the valuation of investments requires special attention and further in view of the significance of the amount of investments in the financial statements the same has been considered as Key Audit Matter in our audit.	compliance with the RBI Master circulars and directions. • We assessed and evaluated the process of identification of NPIs and corresponding reversal of income and creation of provision. Our Results: The results of our audit process were observed to be adequate and satisfactory considering the materiality.
Assessment of Information Technology (IT): IT controls with respect to recording of transactions, generating various reports in compliance with RBI guidelines including IRAC norms. Other compliances to regulators etc., is an important part of the process. Such reporting is highly dependent on the effective	Our audit approach included: - • Understanding the coding system adopted by the Bank for various categories of customers. • Reviewed the design, implementation and operating effectiveness of the Bank's IT controls including application, access controls that are critical to financial reporting on test check basis. • Understanding the feeding of the data in the system and going through

मुख्य लेखा परीक्षा मामले	लेखा–परीक्षा में हमारे मामले को किस प्रकार से दर्शाया गया है
और अन्य संबद्ध प्रणालियों के प्रभावी रूप से कार्य करने पर निर्भर है। हमने इसे मुख्य लेखा परीक्षा माना है क्योंकि नियंत्रण में किसी भी चूक, सत्यापन विफलताएं, गलत इनपुट डेटा और गलत डेटा निकालने के परिणामस्वरूप प्रबंधन और विनियामकों को डेटा की गलत रिपोर्टिंग हो सकती है।	बैंक में मौजूद आईटी सिस्टम से वित्तीय जानकारी और विवरणों को निकालना। • बैंक के विनियमों / नीति में किसी भी बदलाव के कारण उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं की जाँच करना। • सिस्टम द्वारा नमूना आधार पर जनरेट रिपोर्टों की समीक्षा करना। • "एनपीए वर्गीकरण समाधान के लिए आधारभूत आवश्यकताओं" की समीक्षा सहित सीबीएस द्वारा उपयोग किए गए एसएएससीएल एप्लिकेशन (आय निर्धारण और संपत्ति वर्गीकरण समाधान) की समीक्षा पर स्वतंत्र आईटी विशेषज्ञ की रिपोर्ट की समीक्षा की। हमारा परिणाम: निरंतर प्रगति हो रही है, फिर भी सिस्टम के इनपुट / आउटपुट डेटा में आ रही कमियों को नियंत्रित करने हेतु इसकी क्षमता में संवर्धन की आवश्यकता है।
मुकदमेबाजी और आकस्मिक देयताएँ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर सहित कुछ मुकदमों के संबंध में आकस्मिक देयताओं का मूल्यांकन तथा बैंक पर अन्य पार्टियों द्वारा दायर विभिन्न दावों जो ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। बैंक का मूल्यांकन, मामले के तथ्यों, उनके स्वयं के निर्णय, पूर्व अनुभव और कानूनी और स्वतंत्र कर सलाहकारों की सलाह, जहाँ भी आवश्यक समझा गया, द्वारा समर्थित है। तदनुसार, अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणाम बैंक के रिपोर्ट किए गए लाभ और तुलन पत्र को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं। हमने उपर्युक्त क्षेत्र को मुकदमों के परिणाम से संबंधित अनिश्चितता के मद्देनजर एक मुख्य लेखापरीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया है, जिसे कानून की व्याख्या में निर्णय की प्रयोज्यता की आवश्यकता होती है। तदनुसार, हमारी लेखापरीक्षा तथ्यों का विश्लेषण करने और निर्णय / कानून की व्याख्या के अंतर्गत संबंधित विषय के विश्लेषण पर केंद्रित थी।	हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में निम्न शामिल रहे :- • कर मुकदमों और आकस्मिक देयताओं की वर्तमान स्थिति को जानना। • विभिन्न कर प्राधिकरणों / न्यायिक मंचों से प्राप्त आदेशों और / या पत्राचार की जाँच करना और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई करना • उसमें प्रस्तुत किए गए आधारों के संदर्भ में और विचाराधीन विषय के गुण–दोष उपलब्ध स्वतंत्र कानूनी / कर सलाह का मूल्यांकन करना तथा • जहां भी आवश्यकता हुई, कानूनी और कर सलाहकारों की राय का सहारा लिया गया है।

Key Audit Matters	How our matter was addressed in the audit
working of Core Banking Software and other allied systems. We have considered this as key audit matter as any control lapses, validation failures, incorrect input data and wrong extraction of data may result in wrong reporting of data to the management and regulators.	the extraction of the financial information and statements from the IT system existing in the Bank. • Checking of the user requirements for any changes in the regulations policy of the Bank. • Reviewed the reports generated by the system on sample basis. • Reviewed the report of independent IT Expert on review of SASCL Application (Income Recognition and Asset Classification solution) used by CBS including the review of "Baseline Requirements for the NPA classification Solution". Our Results: There is continuous progress, still the system needs to be strengthened for its efficacy to control deficiencies of input /output data from the system.
Litigation & Contingent Liabilities Assessment of Contingent liabilities in respect of certain litigations including Direct and Indirect Taxes and various other claims filed by other parties upon the Bank not acknowledged as debts. The Bank's assessment is supported by the facts of matter, their own judgment, past experience, and advice from legal and independent tax consultants wherever considered necessary. Accordingly, unexpected adverse outcomes may significantly impact the Bank's reported profit and the Balance Sheet. We determined the above area as a Key Audit Matter in view of associated uncertainty relating to the outcome of litigations which requires application of judgment in interpretation of law. Accordingly, our audit was focused on analysing the facts of subject matter under consideration and judgments interpretation of law involved.	Our audit approach included: - • Going through the current status of the tax litigations and contingent liabilities; • Examining the orders and or communication received from various Tax Authorities/ Judicial forums and follow up action thereon; • Evaluating the merits of the subject matter under consideration with reference to the grounds presented therein and available independent legal / tax advice; and Wherever required, reliance is placed on the opinion of legal and tax consultants.

समेकित वित्तीय विवरण के अतिरिक्त अन्य जानकारी और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

5. अन्य जानकारी के लिए बैंक का निदेशक मंडल उत्तरदायी है। अन्य जानकारी में निदेशकों की रिपोर्ट अनुलग्नक सहित, कॉर्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट, कारोबारी उत्तरदायित्व और धारणीयता रिपोर्ट, तथा अन्य रिपोर्ट (किंतु इसमें वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है) शामिल हैं। वित्तीय विवरणों पर हमारा अभिमत अन्य जानकारी शामिल नहीं करता है और हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वस्त निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करते हैं और न ही करेंगे।

   वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारा उत्तरदायित्व अन्य सूचनाओं को पढ़ना और ऐसा करने में, यह विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों या लेखापरीक्षा में प्राप्त हमारी जानकारी के साथ वास्तविक रूप से असंगत है या अन्यथा वास्तविक रूप से गलत प्रतीत होती है।

   यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्यनिष्पादन के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी के तथ्य गलत विवरण हैं, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। इस संबंध में हमारे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन तथा अभिशासन प्रभारियों के उत्तरदायित्व

6. बैंक का निदेशक मंडल इन समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में उत्तरदायी है जो आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानकों तथा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों तथा समय–समय पर भारतीय रिजर्व बैंक ('RBI') द्वारा जारी परिपत्रों तथा दिशानिर्देशों सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप बैंक की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यनिष्पादन तथा नकदी प्रवाह का सही एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण दर्शाते हैं। इस उत्तरदायित्व में बैंक के आस्तियों की सुरक्षा हेतु तथा धोखाधड़ी से बचाव एवं पता लगाने हेतु तथा अन्य अनियमितताओं हेतु, उचित लेखा नीतियों के चयन एवं लागू करने के लिए निर्णय लेने तथा यह अनुमानित करना किया है उचित एवं विवेकपूर्ण है तथा डिजाइन, कार्यान्वयन एवं पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण जो लेखा अभिलेखों की यथार्थता एवं पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से परिचालन कर रहे थे, जो वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक हैं जो सत्य एवं निष्पक्ष दृष्टि रखता है तथा या तो धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, त्रुटिपूर्ण विवरण से मुक्त हो, ऐसे अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रखरखाव भी शामिल हैं।

   वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, प्रबंधन, एक कार्यशील संस्थान के रूप में बने रहने के लिए बैंक के सामर्थ्य के मूल्यांकन, प्रकटीकरण, जैसा लागू हो, कार्यशील संस्थान से संबंधित मामले तथा लेखा के आधार पर कार्यशील संस्थान को तब तक उपयोग करने जब तक प्रबंधन या तो बैंक को परिसमापन करने या संचालन को बंद करने का इरादा रखता है, या ऐसा करने के अलावा अन्य कोई वास्तविक विकल्प नहीं है, लेकिन ऐसा करने के लिए उत्तरदायी है।

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हेतु लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

7. हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समेकित वित्तीय विवरण समग्र रूप से वास्तविक त्रुटिपूर्ण सामग्री से मुक्त है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारा अभिमत शामिल हो। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, परंतु यह गारंटी नहीं है कि लेखामानकों (SAs) के अनुसार की गई लेखा परीक्षा सदैव

Information Other than the Financial Statements and Auditor's Report thereon

5. The Bank's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the Directors' Report, including annexures, Corporate Governance Report, Business Responsibility and Sustainability report, and other reports (but does not include the financial statements and our auditor's report thereon). Our opinion on the Financial Statements does not cover the other information and we do not and will not express any form of assurance conclusion thereon.

   In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

   If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

6. The Bank's Board of Directors is responsible with respect to the preparation of these Consolidated Financial Statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Bank in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by ICAI, and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

   In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

7. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a

ही त्रुटिपूर्ण विवरण का पता लगाएगी, यदि अस्तित्व में हो। धोखाधड़ी या त्रुटि से त्रुटिपूर्ण विवरण उत्पन्न हो सकता है तथा यदि वैयक्तिक रूप से या समग्र रूप से,इसे सही विवरणी माना जाता है, तो इन एकल वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों के प्रभावित होने की अपेक्षा की जा सकती है।

लेखामानकों (SAs) के अनुसार लेखा परीक्षा के एक हिस्से के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखा परीक्षा के दौरान पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। साथ ही हम

- समेकित वित्तीय विवरणों के वास्तविक त्रुटिपूर्ण विवरण के जोखिमों की पहचान एवं मूल्यांकन करना, चाहे वो धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हों, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन एवं निष्पादित करना, एवं लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारे अभिमत के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त तथा उपयुक्त हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली त्रुटिपूर्ण विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि से उत्पन्न होने वाली अशुद्धि की तुलना में अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, इरादतन चूक, गलतबयानी या आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल हो सकती है।
- लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने हेतु लेखापरीक्षा के प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, जो परिस्थितियों में उपयुक्त हों, लेकिन समेकित वित्तीय विवरणों पर बैंक के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता पर अभिमत व्यक्त करने के उद्देश्य से नहीं।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों एवं संबंधित प्रकटीकरण की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन के आधार पर कार्यशील संस्थान के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष एवं, प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, कि क्या घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई सामग्री में अनिश्चितता मौजूद है जो कार्यशील संस्था के रूप में जारी रखने की बैंक की क्षमता पर उल्लेखनीय संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक उल्लेखनीय अनिश्चितता मौजूद है, तो हमारे अभिमत को बदलने के लिए वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों या यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त है, के लिए हमारे लेखा परीक्षकों का ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित है। हालांकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण बैंक कार्यशील संस्था के रूप में जारी रखना बंद कर सकता है।
- प्रकटीकरण सहित समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना एवं सामग्री का मूल्यांकन करना, और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेनों तथा घटनाओं को इस तरह से दर्शाते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करते हैं।
- समेकित वित्तीय विवरणों पर अभिमत व्यक्त करने के लिए समूह और उसके सहयोगियों के भीतर संस्थाओं के समेकित वित्तीय परिणामों/वित्तीय जानकारी के संबंध में पर्याप्त उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें। हम समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल ऐसी संस्थाओं की वित्तीय जानकारी के निर्देशन, पर्यवेक्षण और लेखापरीक्षा के कार्यनिष्पादन के लिए उत्तरदायी हैं जिनके हम स्वतंत्र लेखापरीक्षक हैं। समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल अन्य संस्थाओं के लिए, जिनकी लेखापरीक्षा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है, ऐसे अन्य लेखा परीक्षक उनके द्वारा किए गए लेखा परीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और कार्यनिष्पादन के लिए उत्तरदायी रहते हैं। हम अपनी लेखापरीक्षा अभिमत के लिए पूर्णतः उत्तरदायी हैं।

material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Bank's internal control on the consolidated financial statements.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the bank to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the consolidated financial results/financial information of the entities within the Group and its associates to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the audit of financial information of such entities included in the consolidated financial statements of which we are the independent auditors. For the other entities included in the consolidated financial statements, which have been audited by other auditors, such other auditors remain responsible for the direction, supervision and performance of the audits carried out by them. We remain solely responsible for our audit opinion.

वास्तविकता वित्तीय विवरणों में त्रुटिपूर्ण विवरणों की महत्ता है, जो वैयक्तिक रूप से या समग्र रूप से, यह संभव बनाता है कि वित्तीय विवरणों की यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित कर सकते हैं। हम (i) हमारे लेखापरीक्षा कार्य की संभाव्यता की योजना बनाने और हमारे कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने और (ii) वित्तीय विवरणों में किसी पहचानी गई त्रुटिपूर्ण विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक वास्तविकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम अन्य मामलों के मध्य आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों सहित, जिन्हें हम अपनी लेखापरीक्षा के दौरान पहचानते हैं, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे एवं समय तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के विषय में, शासन प्रभारियों के साथ संवाद करते हैं।

हम शासन प्रभारियों को यह विवरणी भी प्रदान करते हैं जो है कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, एवं उनके साथ उन सभी संबंधों तथा अन्य मामलों के बारे में संवाद करने हेतु जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों पर तर्कसंगत रूप से विचार कर सकते हैं।

शासन प्रभारियों के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि विधि या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणामों की यथोचित अपेक्षा की जाएगी। ऐसे संचार के सार्वजनिक हित लाभों से अधिक महत्वपूर्ण है।

अन्य मामले

8. संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित के संबंध में लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण और अन्य वित्तीय जानकारी शामिल है:

- चार (04) सहायक समनुषंगियां अर्थात (i) ड्रुक पीएनबी बैंक लिमिटेड, (ii) पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड, (iii) पीएनबी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज लिमिटेड तथा (iv) पीएनबी कार्ड्स एंड सर्विसेज लिमिटेड जिनके वित्तीय विवरण / वित्तीय जानकारी 31 मार्च, 2023 तक रुपये 23,925.47 करोड़ की कुल आस्तियां दर्शाती हैं, रुपये 1,185.89 करोड़ का कुल राजस्व एवं कर के बाद कुल निवल लाभ/(हानि) में समूह का रुपये 15.73 करोड़ का हिस्सा उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इसके संबंधित स्वतंत्र लेखा परीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा की गई है, जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है, और हमारा अभिमत केवल उक्त लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।
- तेरह (13) घरेलू एसोसिएट्स जिनके वित्तीय परिणामों / विवरणों में कर के बाद निवल लाभ में समूह का हिस्सा रु. 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए क्रमशः 244.89 करोड़, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में माना गया है, जिनके वित्तीय परिणाम / वित्तीय विवरण, अन्य वित्तीय जानकारी उनके संबंधित स्वतंत्र लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा की गई है, जिनकी लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, और हमारा अभिमत उक्त लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर पूर्णतः आधारित है।

9. संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित के संबंध में अलेखित वित्तीय परिणाम / विवरण और अन्य अलेखापरीक्षित वित्तीय जानकारी शामिल हैं:

Materiality is the magnitude of the misstatements in the statements that, individually or aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in; (i) planning of the scope of our audit work and evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatement in the financial statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other Matter

8. The accompanying consolidated financial statements includes the audited financial statements and other financial information, in respect of:

- Four (04) subsidiaries viz. (i) Druk PNB Bank Limited, (ii) PNB Gilts Limited, (iii) PNB Investment Services Limited and (iv) PNB Cards and Services Limited whose financial statements / financial information reflect total assets of Rs. 23,925.47 crore as at March 31, 2023, total revenues of Rs. 1,185.89 crore, and the Group's share of total net profit/(loss) after tax of Rs. 15.73 crore for the year ended on that date have been audited by its respective independent auditor whose reports have been furnished to us, and our opinion is based solely on the reports of the said auditors.
- Thirteen (13) domestic associates whose financial results/ statements include Group's share of net profit after tax of Rs. 244.89 crore for the year ended March 31, 2023 respectively, as considered in the consolidated financial statements whose financial results/financial statements, other financial information has been audited by their respective independent auditors whose audit reports have been furnished, and our opinion is based solely on the reports of the said auditors.

9. The accompanying consolidated financial statements includes the unaudited financial results/statements and other unaudited financial information, in respect of:

- एक (01) सहायक अनुषंगी अर्थात (v) पंजाब नैशनल बैंक (इंटरनेशनल) लिमिटेड जिसके वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी 31 मार्च, 2023 तक रुपये 8,187.40 करोड़ की कुल आस्तियां दर्शाती है, रुपये 364.87 करोड़ का कुल राजस्व तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कर के बाद कुल निवल लाभ 136.34 करोड़ रुपये का हिस्सा है जिसे बैंक के प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत किया गया है।
- एक (01) विदेशी एसोसिएट जिसके वित्तीय परिणामों/विवरणों में 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए क्रमशः रुपये 44.55 करोड़ के कर के बाद निवल लाभ/(हानि) का समूह का हिस्सा शामिल है, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में माना गया है, जिनके वित्तीय परिणाम / वित्तीय विवरण, अन्य वित्तीय जानकारी बैंक के प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत की गई है।

हमारे अभिमत में एवं निदेशक मंडल द्वारा हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, ये वित्तीय विवरण/वित्तीय परिणाम/वित्तीय जानकारी समूह के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं।

उपर्युक्त मामलों के संबंध में विवरण पर हमारा अभिमत संशोधित नहीं है।

अन्य सांविधिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

10. तुलन पत्र एवं लाभ और हानि खाता बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार तैयार किया गया है।

11. उपर्युक्त 9 से 10 पैराग्राफ में इंगित लेखापरीक्षा की सीमाओं के अधीन तथा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की आवश्यकतानुसार और इसके अंतर्गत आवश्यक प्रकटीकरण की सीमाओं के भी अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि:
    ए. हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के लिए आवश्यक थे और उन्हें संतोषजनक पाया गया है
    बी. बैंक के लेन-देन, जो हमारे संज्ञान में आए हैं, बैंक की शक्तियों के अंतर्गत हुए हैं
    सी. बैंक के कार्यालयों एवं शाखाओं से प्राप्त रिटर्नों को हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के लिए पर्याप्त पाया गया है; और
    डी. हमने ऐसा कोई वित्तीय लेन-देन या मामला नहीं देखा है जिसका बैंक के कार्यक्षमता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।

12. जैसा आवश्यक है पत्र संख्या डीओएस.एआरजी.सं. 6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च, 2020 द्वारा "सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) की नियुक्ति – वित्त वर्ष 2019-20 से एससीए के लिए रिपोर्टिंग दायित्वों/पर, आरबीआई द्वारा 19 मई, 2020 को जारी बाद के सूचित के साथ पठित, आवश्यक है। हम उपरोक्त पत्र के पैराग्राफ 2 में निर्दिष्ट मामलों पर आगे रिपोर्ट करते हैं:
    ए. हमारे अभिमत में, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण, आईसीएआई द्वारा जारी लागू लेखा मानकों का उस सीमा तक अनुपालन करते हैं, जिस सीमा तक वे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं होते हैं।
    बी. वित्तीय लेनदेनों या मामलों पर ऐसा कोई अवलोकन या टिप्पणी नहीं है जिसका बैंक के कार्यक्षमता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।
    सी. चूंकि बैंक कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है, अतः कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उप-धारा (2) के अनुसार बैंक के निदेशक होने की अयोग्यता बैंक पर लागू नहीं होती है।

- One (01) subsidiary viz. (i) Punjab National Bank (International) Ltd. whose financial statements / financial information reflect total assets of Rs. 8,187.40 crore as at March 31, 2023, total revenues of Rs. 364.87 crore and share of total net profit after tax of Rs. 136.34 crore for the year ended on that date have been furnished by the management of the Bank.
- One (01) foreign associate whose financial results/ statements include Group's share of net profit (loss) after tax of Rs. 44.55 crore for the year ended March 31, 2023 respectively, as considered in the Consolidated Financial Statements whose financial results financial statements; other financial information has been furnished by the management of the Bank.

In our opinion and according to the information and explanations given to us by the Board of Directors, these financial statements/financial results / financial information are not material to the Group.

Our opinion on the Statement is not modified in respect of the above matters.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

10. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949;

11. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraphs 9 and 10 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:
    a. We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;
    b. The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank;
    c. The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit; and
    d. We have not observed any financial transaction or matter which has adverse effect on the functioning of the bank.

12. As required by letter No. DOS.ARG.No.6270/ 08.91.001 2019- 20 dated March 17, 2020 on "Appointment of Statutory Central Auditors (SCAs) in Public Sector Banks – Reporting obligations for SCAs from FY 2019-20", read with subsequent communication dated May 19, 2020 issued by the RBI, we further report on the matters specified in paragraph 2 of the aforesaid letter as under:
    a. In our opinion, the aforesaid Consolidated Financial Statements comply with the applicable Accounting Standards issued by ICAI, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by the RBI.
    b. There are no observations or comments on financial transactions or matters which have any adverse effect on the functioning of the Bank.
    c. As the Bank is not registered under the Companies Act, 2013 the disqualification from being a director of the bank under sub-section (2) of section 164 of the Companies Act, 2013 do not apply to the Bank.

डी. खातों के रखरखाव और बैंक से जुड़े अन्य मामलों से संबंधित कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है।

ई. वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण समेकित वित्तीय विवरण पर लागू नहीं होता है।

13. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

ए. हमारे अभिमत में बैंक ने विधि द्वारा अपेक्षित रूप से बहियों को रखा गया है। जैसाकि यह हमारी उन बहियों की जांच से प्रकट होता है और हमारे द्वारा संपर्क नहीं की गई शाखाओं से हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के लिए पर्याप्त उचित विवरणियाँ प्राप्त की गई हैं

बी. इस रिपोर्ट द्वारा अवलोकित तुलन पत्र, लाभ एवं हानि खाता और नकदी प्रवाह की विवरणियाँ, लेखा बही के साथ और हमारे द्वारा संपर्क नहीं की गई शाखाओं से प्राप्त विवरणियों के साथ मेल खाती हैं

सी. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अंतर्गत बैंक के शाखा लेखा–परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखा कार्यालयों के खातों की रिपोर्ट हमें भेज दी गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे द्वारा पर्याप्त ध्यान रखा गया है और

डी. हमारे अभिमत में, तुलन पत्र, लाभ एवं हानि खाता और नकदी प्रवाह का विवरण लागू लेखांकन मानकों का उस सीमा तक अनुपालन करता है जब तक कि वे आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं होते।

d. There are no qualifications, reservations or adverse remarks relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith of the Bank.

e. The Bank's internal financial controls over financial reporting is not applicable on the Consolidated Financial Statement.

13. We further report that:

a. In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us;

b. the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement dealt with by this report are in agreement with the books of account and with the returns received from the branches not visited by us;

c. the reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and

d. In our opinion, the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI.

कृते एस आर गोयल एंड कं
For S R Goyal & Co
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन: 001537C
FRN: 001537C

सनदी लेखाकार अनुराग गोयल
CA Anurag Goyal
भागीदार
Partner
(सदस्य सं. 412538)
(M. No. 412538)
यूडीआईएन: 23412538BGXIDD8609
UDIN: 23412538BGXIDD8609

कृते एस एन धवन एंड कं एलएलपी
For S N Dhawan & Co LLP
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन: 000050N/N500045
FRN: 000050N/N500045

सनदी लेखाकार सुरिंदर कुमार खट्टर
CA Surinder Kr. Khattar
भागीदार
Partner
(सदस्य सं. 084993)
(M. No. 084993)
यूडीआईएन: 23084993BGYUTO4630
UDIN: 23084993BGYUTO4630

कृते पी एस एम जी एंड एसोसिएट्स
For P S M G & Associates
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन: 008567C
FRN: 008567C

सनदी लेखाकार प्रबुद्ध गुप्ता
CA Prabuddha Gupta
भागीदार
Partner
(सदस्य सं. 400189)
(M. No. 400189)
यूडीआईएन: 23400189BHALGS8019
UDIN: 23400189BHALGS8019

कृते डी के छाजेर एंड कं
For D K Chhajer & Co
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन: 304138E
FRN: 304138E

सनदी लेखाकार किशोर सराफ
CA Nand Kishore Sarraf
भागीदार
Partner
(सदस्य सं. 510708)
(M. No. 510708)
यूडीआईएन: 23510708BGQHPY4464
UDIN: 23510708BGQHPY4464

कृते एस सी बापना एंड एसोसिएट्स
For S C Bapna & Associates
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन: 115649W
FRN: 115649W

सनदी लेखाकार जय प्रकाश गुप्ता
CA Jai Prakash Gupta
भागीदार
Partner
(सदस्य सं. 088903)
(M. No. 088903)
यूडीआईएन: 23088903BGYNXS8013
UDIN: 23088903BGYNXS8013

स्थान: नई दिल्ली
Place: New Delhi
दिनांक: 19 मई, 2023
Date: May 19, 2023

पंजाब नेशनल बैंक को संगठन में सतर्कता प्रबंधन को मजबूत करने और अपने कर्मचारियों के सदस्यों के बीच ईमानदारी की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अपने नवीनतम उपायों की घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है। बैंक ने 03.11.2022 को एक सतर्कता डैशबोर्ड, कर्मचारी जवाबदेही पोर्टल और पीएनबी सतर्कता नियमावली 2022 का उद्घाटन किया।

Punjab National Bank is proud to announce its latest measures to strengthen vigilance management at the organization and promote a culture of honesty amongst its staff members. The Bank inaugurated a Vigilance Dashboard, Staff Accountability Portal and PNB Vigilance Manual 2022 on 03.11.2022.

पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इंडोर स्टेडियम, सूरत में आयोजित राजभाषा समारोह में माननीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार, श्री अमित शाह, गृह राज्यमंत्री श्री निशिथ प्रामाणिक, श्री अजय कुमार मिश्रा, श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश, रेल राज्य मंत्री एवं वस्त्र राज्य मंत्री आदि गणमान्य अतिथियों की गरिमामय उपस्थिति में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 'राजभाषा कीर्ति' पुरस्कार ग्रहण करते हुए पंजाब नैशनल बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री अतुल कुमार गोयल।

Mr. Atul Kumar Goyal, Managing Director and Chief Executive Officer, Punjab National Bank receiving the Rajbhasha Kirti Award for the financial year 2021-22 in the presence of Mr. Amit Shah, Hon'ble Home Minister and Cooperative Minister, Government of India, Minister of State of Home Affairs Mr. Nishith Pramanik, Mr. Ajay Kumar Mishra, Mrs. Darshana Vikram Jardosh, Union State Minister of Railways and Textiles, etc. at Pandit Deendayal Upadhyay, Indoor Stadium, Surat.

DIGITAL FOOTPRINTS OF NEW AGE BANKING
pnb
Go Tab Banking
Account ki Jaldi Hai? PNB Hai !!
PNB Insta Saving Account
mPassBook
Need a quick loan
get pre-approved personal loan on PNB One AppLoan in just 4 clicks and one OTP
instant loan
paperless process
No need to visit branch
Pre-Qualified Credit Card
Click it. Get it.
Just a few clicks away
Attractive Reward Points
Paperless Process
No Branch Visit
Give us a Call
Easy to Recall
Our New Toll-Free Numbers
1800 1800
&
1800 2021
Generate and use QR code to receive payments quickly
express-OTS
One step closer towards Digital India
express-OTS (e-OTS) for eligible NPA Accounts up to Rs. 10 Lakh
Shop Effortless, Save Limitless
with PNB One App
Pnb One - Aadhaar based Registration
Advantages of Credit Card Against FD
पंजाब नैशनल बैंक
...भरोसे का प्रतीक !
punjab national bank
...the name you can BANK upon !
pnbindia
www.pnbindia.in
प्रधान कार्यालय: प्लाट संख्या 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली - 110075
Head Office: Plot No. 4, Sector 10, Dwarka, New Delhi - 110 075